

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

Spruand

भारतीय अर्थशास्त्र

MEGH RAJ SEN

II year art

Govt college Kota

(Raj)

# भारतीय अर्थशास्त्र

[INDIAN ECONOMICS]

B-160  
198

लेखक

डॉ. हरिश्चन्द्र शर्मा

एव

डॉ. आर एन सिंह

कॉलेज ऑफ कॉमर्स

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

U. S. S. TEXT BOOKS

---

सप्तम पूर्णत संशोधित एव परिमार्जित सस्करण

---

१९७२



साहित्य भवन : आगरा-३

⊙ सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण .	१९६४
द्वितीय संस्करण :	१९६६
तृतीय संस्करण .	१९६७
चतुर्थ संस्करण :	१९६८
पंचम संस्करण :	१९६९
षष्ठम संस्करण :	१९७०
सप्तम संस्करण :	१९७२

मूल्य : सोलह रुपये



## सप्तम संस्करण की भूमिका

भारत की अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी इस पुस्तक का सप्तम संस्करण पाठको की सेवा में प्रस्तुत है। इस संस्करण की साज-सज्जा मुख्यतः आर्थिक सर्वेक्षण १९७०-७१, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (१९६६-७१) तथा विविध मन्त्रालयों के १९७०-७१ के वार्षिक प्रतिवेदनों पर आधारित है। अतः सभी तथ्य एवं समक अधुनातन एवं अधिकृत हैं। आशा है, यह संस्करण भी अध्यापक वन्दुओं एवं विद्यार्थी-वृन्द को रुचिकर लगेगा।

—लेखकगण

Section C

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ
1. आर्थिक विभाग की भूमिका	1
2. अल्प विकसित अर्थ व्यवस्था ✓ R M	13
3. भारतीय अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ ✓ 72 M	21
<b>स्वातन्त्र्योपरान्त भारतीय अर्थ व्यवस्था</b>	
1. भौगोलिक परिस्थितियाँ	1
2. प्राकृतिक माधन एवं उनका विकास	12
3. भारत की जनसंख्या	20
4. सामाजिक एवं धार्मिक समस्याएँ	60
5. भारत की राष्ट्रीय आय (GDP)	60
6. भारतीय कृषि का महत्त्व एवं समस्याएँ ✓ R	51
7. फसला का स्वल्प	58
8. भारत में कृषि का विकास (1857 तक) ✓	86
9. योजनाकाल में कृषि का विकास ✓ R - 71-69 M	103
10. खेती का आकार एवं उत्पादकता → 72-69 M	110
11. भूमि व्यवस्था और मुद्धार - 68-69 - land reform in India	125
12. भांग की खाद्य समस्या	146
13. भारत में अनाज	161
14. मिर्चाई	162
15. कृषि वित्त ✓ R	150
16. ग्रामीण ऋण तथा विद्यान ✓	205
17. कृषि श्रमिक	216
18. कृषि पदार्थों का विक्रय ✓ 68-69 M	223
19. सहकारी आन्दोलन	238
20. सामुदायिक विकास कार्यक्रम ✓ R	242
21. कृषि भोजन, पशु तथा रीतियाँ ✓ R	263
22. कृषि मूल्यों की समस्या	270
23. भारत में औद्योगिक विकास—सामान्य सर्वेक्षण (सन् 1857 तक) ✓	250
24. योजनाकाल में औद्योगिक विकास ✓	280
25. औद्योगिक विकास ✓ R	303
26. भारत की राजकीय नीति तथा उद्योगों को संरक्षण 72-71-68 ✓ M	310

अध्याय	पृष्ठ
✓ २७ हुट्टीर एव लघुस्तरीय उद्योग	३२७
✓ २८ भारत के प्रमुख बड़े उद्योग	३४१
२९ उद्योगों की सरचना—सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ✓	३७६
३० प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली	३८८
✓ ३१ विदेशी पूंजी ✓ ११२	३९७
✓ ३२ औद्योगिक वित्त ✓	४१०
३३ औद्योगिक श्रम ✓ ११	४२२
३४ भारत में श्रम आन्दोलन ✓ १२	४२८
✓ ३५ सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण ✓	४३७
३६ औद्योगिक सम्बन्ध—औद्योगिक संघर्ष ✓	४४१
३७ श्रम सन्निवस	४६०
✓ ३८ भारत में आर्थिक नियोजन ✓ ११२	४७०
✓ ३९ विदेशी व्यापार	४८६
✓ ४० विदेशी व्यापार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ	४९५
४१ निर्यात सम्बन्धन व व्यापारिक समझौते	५१०
४२ भारत में रेल परिवहन	५२४
४३ सड़क परिवहन	५३६
४४ भारत में जल परिवहन	५५०
४५ वायु परिवहन	५६२
४६ भारतीय मुद्रा का इतिहास—१	५६६
४७ भारतीय मुद्रा का इतिहास—२	५७५
४८ भारतीय मुद्रा का इतिहास—३	५८१
४९ भारतीय बैंकिंग व्यवस्था	५८७
५० केन्द्रीय वित्त	६०१
५१ राज्य वित्त	६१२

# आर्थिक विकास की भूमिका

## (INTRODUCTION TO ECONOMIC DEVELOPMENT)

*"An effective strategy for economic development requires an acceptable philosophy, capital to sustain it and man competent to carry it out"*  
—Barbara Ward

वर्तमान युग की सत्रमें महत्त्वपूर्ण समस्या 'आर्थिक विकास' की समस्या है। द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा है। उपनिवेशवाद की समाप्ति का उन्मुखनीय परिणाम यह हुआ है कि एशिया, अमरीका तथा लैटिन अमरीका के लगभग १५ अरब जनसमुदाय की राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है। यह स्वतन्त्रता शताब्दियों में चने जा रहे सचपे का परिणाम है परन्तु राजनीतिक स्वतन्त्रता के अभाव में अर्थहीन है। सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में, भूख में पीड़ित, अर्द्धनग्न अशिक्षित तथा जीवन के प्रति निराशा मानव के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता निरर्थक है। अतः राजनीतिक स्वतन्त्रता को मायें बनाने हेतु यह आवश्यक है कि निरर्थकता को अग्रिमम सीमा तक दूर किया जाय। यह कार्य आर्थिक विकास तथा सम्पत्ति के उचित वितरण द्वारा किया जा सकता है। अतः यह जानना आवश्यक है कि आर्थिक विकास का क्या अर्थ है।

### १. आर्थिक विकास का अर्थ

कुछ अर्थशास्त्रियों ने 'आर्थिक विकास' (economic development), 'आर्थिक प्रगति' (economic growth) और 'दीर्घकालीन परिवर्तन' (secular change) की अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं। इन तीनों शब्दों में पर्याप्त अन्तर भी है। मायर एवं वाल्डविन ने इन तीनों शब्द-समूहों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है तथा इनमें अन्तर प्रदर्शित करने से बचने की खाल निवारना कहा है। उनके अनुसार, 'आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थ व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है।' इस परिभाषा में तीन शब्द महत्त्वपूर्ण हैं—'प्रक्रिया', 'वास्तविक राष्ट्रीय आय' तथा 'दीर्घ काल'।

(१) प्रक्रिया (Process)—इसका अर्थ अर्थ व्यवस्था के विभिन्न अवयवों में परिवर्तन में है। ये परिवर्तन कई तरहों से प्रभावित होते हैं। इन परिवर्तनों का सम्बन्ध माधनों की पूर्ति तथा उनकी माँग में परिवर्तन में है। माधनों की पूर्ति में परिवर्तन के अन्तर्गत जनसंख्या में वृद्धि, पूँजी संचय (capital accumulation), अतिरिक्त माधनों की खोज, उत्पादन की नयी विधियों का प्रयोग तथा अन्य संस्थागत परिवर्तन (institutional change) सम्मिलित हैं।

1 • Economic Development is a process whereby an economy's real national income increases over a long period of time.  
—Mier and Baldwin

पूति पक्ष के अवयवों में परिवर्तन के साथ ही साथ माँग के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। वस्तुतः माँग व पूति के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये परिवर्तन आर्थिक विकास के कारण व परिणाम दोनों हैं। विकास के फलस्वरूप माँग के स्वरूप में सामान्यतः निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं—आय-स्तर तथा उससे वितरण के स्वरूप में परिवर्तन, उपभोक्ताओं के अधिमान (consumers' preferences) में परिवर्तन तथा अन्य सन्ध्यागत एवं समतनात्मक परिवर्तन। इस प्रकार आर्थिक विकास के फलस्वरूप माँग व पूति के स्वरूप में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों की सीमा आर्थिक विकास की गति तथा समय पर निर्भर करती है।

(२) वास्तविक राष्ट्रीय आय (Real National Income)—इसका अर्थ देश में उत्पादित अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग (Total output of final goods and services) के समायोजित मूल्य से है। सर्वप्रथम समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्यांकन करते हैं, फिर इस मूल्य में किसी आधार वर्ष के समदर्भ में, मूल्य-स्तर में हुए परिवर्तन के लिए आवश्यक समायोजन करते हैं। आर्थिक विकास नापने के लिए 'कुल राष्ट्रीय उत्पादन' (Gross National Product) का प्रयोग न करके 'शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन' (Net National Product) का प्रयोग करते हैं क्योंकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन के अन्तर्गत पूँजी प्रतिस्थापन (capital replacement) पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार जब हम यह कहते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास उस समय होता है जबकि उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है, तो हम 'वास्तविक राष्ट्रीय आय' शब्द समूह का प्रयोग 'मूल्य स्तर' में हुए परिवर्तन के लिए समायोजित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (Net National Product adjusted for price change) के लिए करते हैं।

(३) दीर्घकाल (Long Period of Time)—आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। एक वर्ष में अनुसूत परिस्थितियों के कारण हुई वृद्धि को हम आर्थिक विकास का सूचक नहीं मान सकते अथवा आर्थिक विकास नापने के लिए सामान्यतः दस, बीस, या पच्चीस वर्ष की अवधि में हुए परिवर्तनों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास का सम्बन्ध अल्पकालीन परिवर्तनों से नहीं अपितु दीर्घकालीन परिवर्तनों से है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास का अर्थ शुद्ध राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि है। यह सम्भव है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो परन्तु जनता का जीवन स्तर ऊँचा न उठे। आर्थिक विकास का प्रभाव जनता के जीवन-स्तर पर पड़ना चाहिए। अतः आर्थिक विकास का अर्थ केवल शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि ही नहीं है, बल्कि इसके साथ ही साथ जनता के जीवन-स्तर में भी सुधार होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि 'प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय' में वृद्धि हो। हो सकता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो परन्तु 'जनसंख्या-वृद्धि-दर' ऊँची होने के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि न हो और प्रति व्यक्ति आय कम हो जाय। अतः जनता के जीवन स्तर में सुधार को विकास की शर्त मानते हुए हम आर्थिक विकास को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल में वृद्धि होती है।

अधिकांश अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को उपर्युक्त परिभाषा को लक्ष्य मानते हैं। वस्तुतः उपर्युक्त परिभाषा आर्थिक प्रगति को स्पष्ट करती है परन्तु आर्थिक विकास (economic development) आर्थिक प्रगति (economic growth) से अधिक विस्तृत है। सामान्यतः आर्थिक विकास का अर्थ आर्थिक प्रगति + परिवर्तन से लिया जाता है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की दीर्घकालीन वृद्धि ही आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास का तात्पर्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अर्थव्यवस्था के ढाँचे में परिवर्तन, जनता के उच्चतर जीवन स्तर, उनकी मान्यताओं एवं दृष्टिकोणों में परिवर्तन, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा मानव के सर्वांगीण विकास से है। मानव की भौतिक उन्नति

के साथ ही माय, आर्थिक विनाम परोक्ष रूप में मानव के अधिकारों तथा उसके गुणों के विकास की ओर इंगित करता है। अतः विस्तृत अर्थ में मानव का सर्वांगीण विकास ही आर्थिक विकास है। मयुक्त राष्ट्र सभ की एक रिपोर्ट में आर्थिक विकास की जो परिभाषा दी गयी है वह सर्वथा उपयुक्त है "विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की समुन्नति से भी सम्बन्धित होना है। विकास केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं है बल्कि उसमें मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक, सत्यागन तथा आर्थिक परिवर्तन भी सम्मिलित हैं।"<sup>1</sup>


प्रो० वार्ड ने भी आर्थिक विकास व प्रगति में निम्न प्रकार भेद किया है "The growth of an economy is generally characterised by growth of net real income per capita. The development of an economy is its growth in conditions of changing structure with relatively higher per capita productivity"<sup>2</sup>

प्रो० किडल बर्जर ने भी आर्थिक-विकास व आर्थिक प्रगति में निम्नलिखित प्रकार से भेद किया है 'Economic growth means more output and economic development implies both more output and changes in the technical and constitutional arrangements by which it is produced'<sup>3</sup>

## २. आर्थिक विकास के निर्धारक तत्त्व

आर्थिक विकास देश की उत्पादन शक्ति व विकास का प्रतीक है कि किसी देश के उत्पादन में वृद्धि उत्पादन के साधनों—प्राकृतिक साधन, धन, पूँजी आदि—की वृद्धि अथवा उत्पादन प्रणाली में सुधार के फलस्वरूप हो सकती है। अतः यहाँ पर यह आवश्यक है कि हम आर्थिक विकास के निर्धारक तत्त्वों का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्त्वों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—(अ) विकास तत्त्व, तथा (ब) अनार्थिक या सामाजिक तत्त्व।

### आर्थिक विकास के निर्धारक तत्त्व



<sup>1</sup> 'Development concerns not only man's material needs but also the improvement of the social conditions of his life. Development is, therefore not only economic growth, but growth plus change— social, cultural and institutional as well as economic' —U N O, *The U N Development Decade*

<sup>2</sup> Maurice Bye's article in H S Ellis and H C Wallich (ed) *Economic Development for Latin America*, p 10

<sup>3</sup> C P. Kindleberger, *Economic Development*, p 3

## (अ) आर्थिक तत्त्व

आर्थिक विकास में आर्थिक तत्त्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये तत्त्व उत्पादन के साधनों की पूर्ति या उत्पादन के साधनों की प्रयोग विधि को प्रभावित करते हैं। ये आर्थिक तत्त्व निम्नलिखित हैं।

(१) जनसंख्या—मानव आर्थिक क्रियाओं का साधन व माध्य दोनों है। जनसंख्या की वृद्धि में विश्व व आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण उत्पादन के एक साधन (धन) की पूर्ति में वृद्धि होती है। काफी समय तक जनसंख्या में वृद्धि के कारण कुल उत्पादन में वृद्धि होती रही है। मानव धन मानव जाति की सर्वश्रेष्ठ उत्पादक सम्पत्ति है। जनसंख्या में वृद्धि में प्रति व्यक्ति उत्पादन प्रायः कम होता जाता है। एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में यदि जनसंख्या बढ़ती जाती है तो इस वृद्धि का दबाव प्राकृतिक साधनों पर प्रतिकूल पड़ेगा। अधिक जनसंख्या होने पर देश की सीमित पूँजी उपकरण आदि बँट जाते हैं, अतः उनका अनुकूलतम प्रयोग नहीं हो पाता। पश्चिमी देशों में जनसंख्या वृद्धि के साथ ही साथ आर्थिक विकास तेजी से हुआ क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण वस्तुओं की माँग में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ा। परन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास की गति को कम कर देती है क्योंकि इन देशों में पूँजी का अभाव है तथा उत्पादन प्रणाली में भी पश्चिम की भाँति क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में समय लगने की सम्भावना है।

(२) प्राकृतिक साधन—धन की पूर्ति की ही भाँति, प्राकृतिक साधनों का आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक महत्त्व है। किसी भी अर्थ-व्यवस्था का उत्पादन उमकी मिट्टी, जंगल, खनिज पदार्थ, पानी आदि की स्थिति, गुण एवं मात्रा पर निर्भर करता है। नये प्राकृतिक साधनों की खोज द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उत्पादन विधि में सुधार नए वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति द्वारा नये साधनों का पता लगाया जा सकता है तथा कृत्रिम साधनों का भी प्राकृतिक साधनों की भाँति उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक साधनों में सम्पन्न राष्ट्र के आर्थिक विकास को सम्भावनाएँ प्रायः अधिक होती हैं।

(३) पूँजी निर्माण—पूँजी आधुनिक आर्थिक विकास का मूलधार है। औद्योगिकीकरण, कृषि के आधुनिकीकरण तथा परिवहन आदि के साधनों व विकास के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। पूँजी के अतिरिक्त प्रयोग द्वारा उत्पादन की नवीनतम विधियों का प्रयोग सम्भव होता है, नये नये उपकरण प्राप्त किए जाते हैं तथा अतिरिक्त से अतिरिक्त जनसंख्या को उत्पादन में लगाना सम्भव होता है। किसी देश का तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए पूँजी निर्माण की दर का उँचा होना आवश्यक है। सामान्यतः आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए कुल राष्ट्रीय आय का २०% भाग का उपयोग पूँजी के रूप में किया जाता चाहिए। पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि आर्थिक विकास में सहायक होती है। पूँजी निर्माण के लिए (i) 'बचत' की आवश्यकता होती है अर्थात् सम्पूर्ण आय के कुछ भाग को बचाकर पूँजी निर्माण किया जाता है। (ii) केवल 'बचत' में ही पूँजी निर्माण का काम पूरा नहीं होता, देश में ऐसी साधन एवं विनियोग सम्पादित होने चाहिए जो बचत का महत्त्व एवं वितरण कर सकें। (iii) विनियोग वृद्धत को पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए विनियोग किया जाना चाहिए। प्राविधिक विधियों में परिवर्तन, उत्पादन-मान में परिवर्तन आदि पूँजी निर्माण द्वारा ही सम्भव हो पाते हैं।

(४) वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति—क्या पूँजी-निर्माण वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति के बिना सम्भव है? एक देश के परिवहन के साधनों शक्ति के साधनों आदि के विकास के लिए पूँजी का अतिरिक्त प्रयोग कर सकता है तथा इस प्रकार की वर्तमान मुश्किलों में वृद्धि कर सकता है। इस प्रक्रिया को पूँजी का विस्तार (widening of capital) कहते हैं। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति द्वारा उत्पादन को नयी विधियों का ज्ञान होता है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ ही

माध्य पूंजी को अधिकाधिक आवश्यकता होती है और पूंजी प्रधान (capital intensive) उत्पादन विधियों का प्रयोग बढ़ता जाता है। इसे 'पूंजी की गहनता' (deepening of capital) कहते हैं। वस्तुतः पूंजी-निर्माण तथा 'प्राविधिक प्रगति' माध्य-साध्य होत हैं। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति ने मानव मजदूर के दिवस में महत्वपूर्ण योग दिया है। यदि बचत उत्पादक साधनों की वृद्धि पर ही आर्थिक विकास निर्भर रहता तो गत तीन सौ वर्षों में जो आश्चर्यजनक आर्थिक प्रगति हुई है, वह हम पैमाने पर सम्भव न हो पाती। वस्तुतः इस आर्थिक विकास में उत्पादन के साधनों के साध्य-साध्य संगठनात्मक परिवर्तन तथा उत्पादन विधियों में तकनीकी परिवर्तनों का महत्वपूर्ण योग रहा है। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति द्वारा उत्पादन विधियों में भौतिक परिवर्तन होते हैं तथा नवीनतम वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। प्रो० गुम्रीट्ज न आर्थिक विकास के लिए साहसियों द्वारा प्रयुक्त नवप्रवर्तनों (innovations) को आवश्यक माना है। किसी देश का आर्थिक विकास अक्रियताग्रस्त इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस प्रकार के साहसी हैं तथा वे उच्चतम तथा आधुनिकतम उत्पादन विधियों का किस सीमा तक प्रयोग करते हैं।

(५) संगठन, विनिष्ठीकरण तथा उत्पादन-मान—उत्पादक साधनों की प्रचुरता मान सही उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती। साधनों की प्रचुरता के माध्य ही माध्य यह भी आवश्यक है कि उत्पादन-विधि तथा संगठन में, आवश्यक परिवर्तन किये जाएँ। आर्थिक विकास में उत्पादन साधनों की प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। अम विभाजन तथा विनिष्ठीकरण द्वारा उत्पादकता में वृद्धि होती है। आदम स्मिथ ने अम-विभाजन की उत्पादकता-वृद्धि का प्रमुख कारण माना है।<sup>1</sup> विनिष्ठीकरण द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्भव होता है जिसमें उत्पादन के साधनों का समुचित उपयोग होता है और आर्थिक विकास की गति मिलती है।

(६) पूंजी उत्पाद अनुपात (Capital Output Ratio)—पूंजी-उत्पाद अनुपात भी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण तत्त्व है। यह अनुपात पूंजी की उत्पादकता प्रकट करता है। यह अनुपात प्रकट करता है कि उत्पादन की एक इकाई पैदा करने के लिए पूंजी की कितनी इकाइयों की आवश्यकता होगी। किसी भी देश का आर्थिक विकास केवल पूंजी-निर्माण-दर पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि 'पूंजी-उत्पाद अनुपात' पर भी निर्भर करता है। 'पूंजी-उत्पाद अनुपात' यह निश्चित करना है कि उपर्युक्त पूंजी का विनियोजन करने में उत्पादन में किस गति या दर से वृद्धि होगी। जैसा, यदि पूंजी उत्पाद अनुपात एक योजना (project) के लिए २ : १ तथा दूसरी योजना के लिए ३ : १ है तो इसका अर्थ यह होगा कि यदि प्रथम योजना में दो रुपये पूंजी लगायी जाय तो उत्पादन एक रुपये के बराबर होगा अर्थात् प्रथम योजना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लगाने पर भी द्वितीय योजना की अपेक्षा अधिक उत्पादन होगा (सुननात्मक रूप से)। यदि किसी देश में ऐसी योजनाओं में विनियोग किया जाता है जिसमें पूंजी-उत्पाद अनुपात कम है तो उस देश की आर्थिक विकास दर अधिक होगी।

पूंजी की उत्पादकता कई तत्वों पर निर्भर है जैसे प्राविधिक विकास की अवस्था, विनियोग की प्रकृति, प्रबन्ध कुशलता तथा अन्य सुविधाएँ। अतः पूंजी-उत्पाद अनुपात ज्ञात करना बहुत कठिन है। अयोग्यताओं की यह धारणा है कि अल्प-विकसित देशों में पूंजी कम उत्पादक होती है अर्थात् पूंजी-उत्पाद-अनुपात अधिक होता है। इसका कारण प्रबन्ध-कुशलता की कमी, विज्ञान व तकनीक की कम प्रगति, साधनों का दुरुपयोग आदि है। प्रो० सुरिहारा के अनुसार, अल्प-विकसित देशों में पूंजी-उत्पाद अनुपात ५ : १ है। सिंगर (Singer) के अनुसार, यह अनुपात ब्रिटेन में ४ : १ तथा अन्य देशों में ६ : १ है।

1 "The greatest improvement in the productive powers of labour and the greater part of the skill, dexterity and judgment with which it is anywhere directed or applied seem to have been the effects of the division of labour."  
—Adam Smith



आर्थिक विकास के उपर्युक्त सहायक तत्त्व एक दूसरे में पूर्णतया सम्बन्धित हैं। इन तत्त्वों में से कौन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, यह कहना अत्यन्त कठिन है। उनका व्यक्तिगत महत्त्व देश व काल पर निर्भर है परन्तु यह स्मरणीय है कि आर्थिक विकास की आधारशिला रखने तथा उसे गति प्रदान करने में इन सभी साधनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

### (ब) सामाजिक या अनार्थिक तत्त्व

आर्थिक विकास के लिए कुछ अनार्थिक तत्त्वों की भी आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है तथा उस पर केवल आर्थिक घटकों का ही नहीं बल्कि अनार्थिक घटकों—राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि—का भी प्रभाव पड़ता है। रैगनर नर्कसे (Ragnar Nurkse) के अनुसार, "Economic development has much to do with human endowments, social attitudes political conditions and historical accidents Capital is a necessary but not a sufficient condition of progress" अनार्थिक तत्त्व आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तथा उपयुक्त सामाजिक वातावरण तैयार करते हैं। अत आर्थिक विकास में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्त्वों का भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक विकास की गतिमान बनाय रखने के लिए श्रेष्ठ राष्ट्रों ने देश की राजनीतिक एवं सामाजिक दशाओं में अपेक्षित परिवर्तन, सामाजिक समस्याओं में उपयुक्त सुधार तथा जनता के दृष्टिकोण में आवश्यक परिवर्तनों को आवश्यक माना है। आर्थिक विकास की गति विभिन्न प्रकार के साधनों या तत्त्वों पर अवलम्बित है जो किसी अर्थ व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक वातावरण से सम्बन्धित हैं। इस वातावरण में एक तत्त्व समाज की उन्नति करने की इच्छा, विकास के प्रति तत्परता तथा नवीन एवं अधिक कार्यक्षम उत्पादन विधियों का प्रयोग है। परम्परावारी, रूढ़िग्रस्त तथा अधौक्ततावादी समाज आर्थिक विकास में बाधा उपस्थित करता है तथा वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण वाला भौतिकतावादी समाज आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। यदि समाज आर्कराइड जैम वैज्ञानिक तथा हेनरी फोर्ड जैम साहसिकताओं को पैदा करने तथा प्रोत्साहन देने में समर्थ है तो निश्चय ही उस समाज का आर्थिक विकास तेजी से होगा। आर्थिक विकास एक मशीनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि मानवीय प्रयत्न (human enterprise) है। इस प्रयत्न का फल अन्तिम रूप में मानव के गुणों, उसकी कुशलता तथा दृष्टिकोण पर निर्भर है।<sup>1</sup>

संयुक्त राष्ट्र सत्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'Economic progress will not occur unless the atmosphere is favourable to it The people of a country must desire progress and their social, economic, legal and political constituents must be favourable to it'

जिसी भी देश का आर्थिक विकास में मानवीय तत्त्व का महत्त्व सर्वाधिक होना है। अर्थविका-  
सिक प्राकृतिक साधन होने पर भी मानवीय तत्त्व के अगुआ अथवा निर्णय होने पर देश का विकास  
धीमी गति से होता है किन्तु यदि मानव तत्त्व सफल, साहसी तथा तेजस्वी होता है तो वह परिश्रम  
तथा उत्साह के बल पर अपने देश को उन्नति का शिखर पर पहुँचा देता है। जर्मनी का आर्थिक  
जादू (economic miracle) तथा जापान का अनुकरणीय आर्थिक विकास वहाँ के मानवीय तत्त्वों  
के सक्षम होने के उदाहरण हैं। जापान में लोहा तथा कपास न होने पर भी वह समाज के इस्वात  
उत्पन्न करने वाले देशों में तृतीय तथा वस्त्र का निर्यात करने वाले देशों में प्रथम स्थान रखता है।

1 'Economic development is not a mechanical process it is not a simple adding up of assorted factors. Ultimately it is a human enterprise. And, like all human enterprises, its outcome will depend finally on the skill, quality and attitudes of the men who undertake it'  
—Gill, Richard T. *Economic Development*, p. 19

2 U N, *Measures for the Economic Development of Under developed Countries*, p. 83

जर्मनी के विलक्षण नागरिकों ने १५ वर्षों में ही युद्ध-जर्जरित देश को सत्तार के अत्यन्त विकसित देशों की श्रेणी में ला बिठाया है।

आर्थिक विकास के निर्धारक घटकों या तत्त्वों के उपर्युक्त विवरण में स्पष्ट है कि आर्थिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो आर्थिक-अनार्थिक विभिन्न तत्त्वों में प्रभावित होती है। शेपर्ड ब्लौ (Clough Shepard B) का यह बयान सर्वथा उचित है "Economic growth takes place when there is convergence of several strategic factors in the right proportions and with a propitious timing"

### ३. आर्थिक विकास की अवस्थाएँ (STAGES OF ECONOMIC GROWTH)

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के ऐतिहासिक क्रम को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित करने का प्रयत्न किया है। उनके विचार वस्तुतः सैद्धान्तिक न होकर, वर्णनात्मक हैं। उनके अनुसार, प्रत्येक अर्थ व्यवस्था आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से एक निश्चित क्रम में गुजरती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह विचार प्रकट किया है कि प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था विकास की तीन अवस्थाओं से गुजरती है—(क) वस्तु-परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था (barter economy), (ख) मौद्रिक अर्थ व्यवस्था (money economy) तथा (ग) साख अर्थ-व्यवस्था (credit economy)। कुछ अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या के पेशेवार विभाजन के आधार पर आर्थिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है तथा यह बताया है कि आर्थिक विकास के माध्यम से कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत भाग घटता जाता है तथा औद्योगिक जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः बढ़ता जाता है। उनके अनुसार, कृषि आर्थिक विद्युत्पन तथा उद्योग आर्थिक विकास का सूचक है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कॉर्निल ब्लांक ने आर्थिक विकास की तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है—(अ) अल्प विकसित समाज में कृषि सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवसाय तथा आय का साधन है; (ब) ज्यो-ज्यो समाज का आर्थिक विकास होता है, कृषि की तुलना में निर्माणकारी उद्योगों का महत्त्व बढ़ता जाता है, तथा (स) अर्थ व्यवस्था का अधिक विकास होने पर टर्शियरी (tertiary) या सेवा सम्बन्धी उद्योगों—परिवहन आदि—का अधिक विकास होता है।<sup>1</sup>

प्रसिद्ध अमरीकी अर्थशास्त्री प्रो० रस्तोव (W W Rostow) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'The Stages of Economic Growth' में आर्थिक विकास की पाँच अवस्थाओं का वर्णन किया है। उनका विवेचन अधिन मुक्तिसंगत एवं मान्य प्रतीत होता है। उनके अनुसार, आर्थिक विकास की व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं

- (१) परम्परावादी (Traditional) अवस्था,
- (२) पूर्व-गतिशील (Pre-conditions to Take-off) अवस्था,
- (३) गतिशील (Take off) अवस्था,
- (४) परिपक्वता की दशा में (Drive to Maturity), तथा
- (५) अधिकाधिक उपभोग की अवस्था (Stage of High Mass Consumption)।

(१) परम्परावादी अवस्था—इसके अन्तर्गत समाज के अधिकांश साधन कृषि में विनियोजित होते हैं। कृषि की रीतियाँ भी पुराने एवं रूढ़िवादी होती हैं क्योंकि समाज में अन्धविश्वास एवं जडता का प्रभुत्व होता है। प्रायः सभी आर्थिक एवं सामाजिक कार्य पुरानी अथवा चालू पद्धतियों के अनुसार संचालित होते हैं जिसके कारण उत्पादन तथा आय बहुत कम होती है। वस्तुतः परम्परावादी समाज में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (technology) की प्रगति का विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। इस प्रकार के समाज में राजनीतिक सत्ता भूमिधारियों के हाथ में

<sup>1</sup> Sir Colin Clark, *Conditions of Economic Progress*

केन्द्रित होती है क्योंकि उद्योग अत्यन्त अविकसित अवस्था में होने हैं और भूमि के मालिक भूमि की उपज के बल पर आर्थिक शक्ति केन्द्रित कर लेते हैं। आर्थिक शक्ति के कारण ही भूमिधारी वर्ग समाज के अन्य वर्गों पर शासन करने लगता है।

परम्परावादी समाज में व्यवसाय तथा उद्योग प्रायः पिछड़ी हुई अवस्था में होते हैं। कहीं-कहीं कृषि की नवीन पद्धतियों अथवा व्यवसाय एवं उद्योगों में नये आविष्कारों के प्रयोग होते दिखायी पड़ते हैं परन्तु मौलिक रूप में सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचा दुर्बल तथा अविकसित रहता है।

(२) पूर्व-गतिशील अवस्था—यह वास्तव में गतिशील अवस्था की भूमिका मान है। परम्परावादी समाज क्रमशः प्रगति की ओर अग्रसर होने लगता है, उसमें उद्योग, आवागमन तथा ध्वावसायिक साधनों का विकास आरम्भ हो जाता है, जनता के शत पुत्रवती भव' (ती पुत्रों वाली हो) के विचार में क्रान्तिकारी परिवर्तन होने लगते हैं और जनसंख्या निरोधक उपायों का सहारा लिया जाता है जिसमें जन्म दर में कमी होना लगती है।

कृषि उद्योग तथा व्यवसाय में नवीन एवं प्रगतिशील वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग होना आरम्भ हो जाते हैं तथा भूमिधारियों का महत्त्व कुछ कम होना लगता है। प्रो० रास्टव के अनुसार, परम्परावादी समाज में राष्ट्रीय आय की केवल ५ प्रतिशत पूंजी विनियोजित होती है जबकि पूर्व-गतिशील अवस्था में विनियोजन की मात्रा १० प्रतिशत तक पहुँच जाती है और यह दर जनसंख्या की वृद्धि दर से इस सीमा तक अधिक होती है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन पहले से बढ़ जाता है। सड़कें, रेलों तथा बिजली की अधिक सुविधाएँ प्राप्त होने के कारण लोग ग्रामों से नगरों में जाकर बसने लगते हैं।

कृषि—प्रो० रास्टव की धारणा के अनुसार, पूर्व गतिशील अवस्था के अन्तर्गत कृषि-उत्पादन में तीन परिवर्तन स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं

(क) पर्याप्त भोजन—देश में खाद्य सामग्री का उत्पादन आवश्यकतानुसार होने लगता है।

(ख) उद्योगों को सहायता—खाद्य सामग्री के अनिश्चित औद्योगिक कच्चे भाग तथा—ईंधन, तिलहन आदि—का उत्पादन बढ़ जाता है। फलस्वरूप, कृषि एक लाभदायक व्यवसाय बन जाता है।

(ग) पूँजी—इतना ही नहीं, कृषि की बचत आधुनिक उद्योगों में विनियोजित होने आरम्भ हो जाती है। संक्षेप में, कृषि अथवा खाद्यान्न, विस्तृत बाजार तथा अथवा पूँजी की व्यवस्था करने में सफल होती है।

अधिक सहकारी योगदान—परम्परावादी समाज से गतिशील अवस्था तक पहुँचने के संक्रमण काल में सरकार को अत्यधिक सामाजिक पूँजी (social capital) लगानी पड़ती है। सामाजिक पूँजी में तात्पर्य ऐसी पूँजी से है जो परिवहन, मिर्चाई योजना अथवा शब्दों बस्तियों की सफाई आदि के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार की पूँजी की निम्न तीन विशेषताएँ होती हैं

(१) इनसे लाभ प्राप्त करने में बहुत समय लगता है।

(२) इनमें मामूहिक रूप में अधिक पूँजी लगानी पड़ती है। जैसे, एक सड़क अथवा रेलवे लाइन जब तक दो महत्त्वपूर्ण केन्द्रों को मिला दे, उसका कोई महत्त्व नहीं है।

(३) इस प्रकार के विनियोजन से प्राप्त होने वाला लाभ परोक्ष तथा सम्पूर्ण समाज को प्राप्त होता है, किसी वर्ग विशेष को नहीं।

उपरोक्त तीनों विशेषताओं के कारण सामाजिक पूँजी सरकार को ही विनियोजित करनी पड़ती है क्योंकि वर्तमान सरकारें अधिकांशतः प्रजातन्त्रवादी हैं और वे 'कल्याणकारी राज्य' होने का दावा करती हैं। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक योजनाओं के अन्तर्गत रेल, सड़क, नहरें,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था इस प्रकार की पूंजी विनियोजन के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

(३) गतिशील अवस्था (The Take-off)—यह आर्थिक विकास का तीसरा चरण है। प्रो० रास्टव के शब्दों में, “यह एक मध्यान्तर काल है, जिसमें विनियोग की दर इस प्रकार बढ़ती है, जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती है और इस आरम्भिक वृद्धि के साथ ही साथ उत्पादन विधियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन होते हैं।” इसका तात्पर्य यह है कि अर्थ-व्यवस्था एक ऐसी अवस्था में पहुँच जाती है जबकि विकास स्वयं-उद्भूत (automatic) होने लगता है, उसके लिए विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्राविधिक एवं प्रौद्योगिक (technological) प्रगति का प्रभाव कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है और उत्पादन की मात्रा तथा क्रिसम में अज्ञातीत सुधार दिव्यायी पड़ता है।

गतिशील अवस्था में प्रायः तीन महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकट होते हैं

(क) देश में उत्पादन विनियोजन की दर राष्ट्रीय आय के दम प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो जाती है।

(ख) निर्माणकारी उद्योगों का तीव्र गति में विस्तार होने लगता है।

(ग) एक ऐसा राजनीतिक, सामाजिक तथा मस्यागत ढाँचा स्थापित हो जाता है जो आधुनिक क्षेत्र में विकास की भावना को प्रोत्साहित करता है तथा विकास को गति प्रदान करता है।<sup>1</sup>

गतिशील अवस्था का अन्तर्गत देश में कृषि एवं औद्योगिक व्यवसायों की यथेष्ट प्रगति हो जाती है और उनमें समुचित लाभ प्राप्त होना लगता है। सञ्चय में, इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं कि देश का अर्थतन्त्र आधार रूप में स्वयं एवं सबल दिखाई पड़ने लगता है और भविष्य की प्रगति कुण्ठित होना का कोई भय नहीं रहता।

(४) परिपक्वता की ओर (Drive to Maturity)—गतिशील अवस्था तक पहुँच जाने पर देश के अर्थतन्त्र में एक विचित्र हलचल-सी प्रकट होना लगती है और प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक साधनों का उपयोग इस सीमा तक होना लगता है कि देश में किसी भी वस्तु का उत्पादन आवश्यक मात्रा में करना सम्भव हो जाता है। परिपक्वता की दशा में पूंजी विनियोजन की मात्रा राष्ट्रीय आय की २० प्रतिशत तक हो जाती है और अर्थतन्त्र की सबलता के कारण अनेक नये उद्योगों की स्थापना हो जाती है। इन उद्योगों के उत्पादन स्तर में अन्तरराष्ट्रीय उत्पादन से स्पर्धा करने की क्षमता होनी है।

परिपक्व अर्थ-व्यवस्था की प्राप्ति के लक्ष्यरूप देश की अन्य देशों पर सामान्य निर्भरता समाप्त हो जाती है और उसका व्यवसाय केवल आर्थिक आधार पर किया जाता है, अर्थात् ऐसा माल जिसका निर्माण विशेष लाभदायक नहीं है, आयात कर लिया जाता है और उच्चस्तरीय प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक साधनों की सहायता से उत्पन्न माल निर्यात किया जाता है। वस्तुतः परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेने वाला देश आर्थिक दृष्टि से यथेष्ट सबल एवं सम्पन्न हो जाता है।

(५) अधिकाधिक उपभोग की अवस्था (Stage of High Mass Consumption)—परिपक्व अर्थ-व्यवस्था में सामान्य जनता की उपभोग मन्वन्वी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य धन द्वारा हो जाती है और उपभोग का स्तर प्रायः ऊँचा हो जाता है। यह अवस्था प्राप्त कर लेने के पश्चात् समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोग की उच्चतम एवं त्रिणिष्ट सेवाएँ उपलब्ध करने का

<sup>1</sup> “The existence or quick emergence of political, social and institutional framework which exploits the impulse to expansion in modern sector and potential economy effects the take off and gives to growth an outgoing character”

प्रयत्न करता है फलतः मोटरकार रेमीजटर वस्त्र धान की मशीन आदि महँगे साधनों की मांग केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि सामान्य जनता द्वारा की जान सकती है और अधिक आय प्राप्त करने वाला बग़ैर इन वस्तुओं के नये नये माँग प्राप्त करने को उत्पन्न हो जाता है।

अधिकारिक उपभाग की अवस्था में प्रौद्योगिक एवं प्राविधिक विकास इस सीमा तक हो जाता है कि उसमें विक्षेप गुप्तार करने की गुंजाइश नहीं रह जाती उदाहरण के लिये विभिन्न वस्तुओं के आवरण में परिवर्तन करते रहते हैं अथवा सामान्य मुविद्याओं में वृद्धि द्वारा नये ग्राहकों को आकर्षित करते हैं।

### भारत किस अवस्था में है ?

भारत का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सन् १९६६-६७ में (चात्र मूल्य पर) केवल ४६५ रुपये आर्थिक थी। इतनी राशि से एक सामान्य व्यक्ति के लिए प्रतिदिन दानो समय सामान्य भोजन की व्यवस्था करने में कठिन है परन्तु फिर भी योजनाओं के पत्रस्वरूप तृतीय योजना के अंत में भारत में पूँजी विनिर्माण की मात्रा सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय की १५ प्रतिशत तक पहुँच गयी। यह राशि निश्चित ही उत्पादन के लिए किन्तु केवल इस आधार पर यह मानना कि देश गतिशील (take off) अवस्था तक पहुँच गया है उचित नहीं है। वस्तुतः भारतीय अर्थतन्त्र अभी गतिशील अवस्था तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है। यह बात निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जायगा।

(अ) कृषि प्रभाव—भारतीय अर्थतन्त्र में अभी कृषि की प्रधानता है और कृषि उद्योग में अभी तक आधुनिकतम यान्त्रिक एवं प्रौद्योगिक उपकरणों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है। फलतः भारत का खाद्यान्न रईस जूट आदि कच्चा माल विदेशों से आयात करना पड़ता है।

(ब) विदेशों पर निर्भरता—भारतीय उद्योगों में यद्यपि गत पाँच वर्षों में आगाती प्रगति हुई है परन्तु अधिकांश क्षेत्रों में अब भी विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। वस्तुतः उद्योगों का प्राप्ति किंमतों का दृष्टि से तात्पर्य अथवा श्रेष्ठ नहीं जा सकती है।

उपरोक्त दानों के अतिरिक्त भारतीय कृषि तथा उद्योगों के लिए अभी तक उपयुक्त प्राविधिक अथवा प्रौद्योगिक साधनों का विकास नहीं किया जा सका है जो भारतीय साधनों का ध्यान रखते हुए तीव्र गति से विकास करने में सहायक हो सकें।

प्रो० रास्ट्रक के अनुसार, भारत सन् १९५२ में ही गतिशील अवस्था में पहुँच चुका था। परन्तु हम इस मत से सहमत नहीं हैं। भारत में व्याप्त विध्वंसिता अज्ञानता विदेशी सहायता पर

निर्भरता कृषि की व्यापक प्रगति, औद्योगिक विद्वेषण यान्त्रिक एवं तकनीकी के अभाव आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भारत अब भी गतिशील अवस्था में नहीं पहुँचा है। अतः से अधिक हम इतना ही कह सकते हैं कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था गतिशील अवस्था की ओर अग्रसर हो रही है।

### ४ आर्थिक विकास की योजना

#### (THE STRATEGY OF ECONOMIC DEVELOPMENT)

एक अन्य विविध अर्थ-व्यवस्था का किन विभिन्नों द्वारा विकसित अर्थ-व्यवस्था में परिणत किया जाय? आर्थिक विकास के किन विधानों के प्रयोग से किसी अर्थ-व्यवस्था का विकास किया जा सकता है? इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों ने न तो विकास का कोई सार्वभौमिक विधान बनाया है और न ही किन्हीं एक आर्थिक विकास के विधानों पर महत्त्व ही है।<sup>1</sup> सामान्य आर्थिक विकास

<sup>1</sup> Probably economists have not been able to construct much less agree on a single and unbroken chain of causes and effects that would clearly explain the transition from underdevelopment to development.

के सम्बन्ध में दो प्रकार की विचारधाराएँ पायी जाती हैं—(१) सन्तुलित आर्थिक विकास, तथा (२) असन्तुलित आर्थिक विकास।

(१) सन्तुलित विकास (Balanced Growth)—सन्तुलित विकास मिद्धान्त के प्रतिपादक कई अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने इस सिद्धान्त के विभिन्न रूप प्रस्तुत किये हैं, यद्यपि उनकी मूल धाराओं में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। इस मिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादकों में रोस्टीन रोडा (Rosenstein-Rodan), नर्कसे (Nurkse) ल्युइस (Lewis) तथा मित्वोस्की (Scitovsky) प्रमुख हैं। विकास मिद्धान्त के अनुसार, अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक ही साथ विनियोजन (simultaneous investment in many sectors) किया जाना चाहिए जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अन्य सभी क्षेत्रों में विनियोजन एक साथ ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार सन्तुलित विकास का अर्थ है—‘अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों का सभी ओर से एक ही साथ विकास।’

नर्कसे ने सन्तुलित विकास मिद्धान्त का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है अल्प-विकसित देशों में विपाक्त चक्र (Vicious circle) क्रियाशील होता है। इस चक्र के कारण इन देशों का आर्थिक विकास नहीं हो पाता। आर्थिक विकास के लिए इस चक्र को तोड़ना आवश्यक है। यह चक्र इस प्रकार क्रियाशील होता रहता है—कोई भी साहसी उमी समय किसी उद्योग में विनियोजन करता है, जबकि उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के लिए माँग हो अर्थात् यदि किसी वस्तु का बाजार विस्तृत है तो साहसी उस वस्तु के उत्पादन के लिए विनियोजन करेगा। बाजार का आकार उत्पादकता (Productivity) पर निर्भर है क्योंकि ‘माँग’ के लिए क्रय-शक्ति आवश्यक है और क्रय-शक्ति उत्पादकता पर निर्भर है। उत्पादकता पूँजी के प्रयोग पर निर्भर है। सीमित बाजार के कारण पूँजीपति पूँजी का विनियोजन नहीं करते, अतः उत्पादकता कम रहती है जिसके कारण क्रय-शक्ति व माँग कम होती है तथा वस्तु का बाजार सकुचित रहता है। इस प्रकार यह विपाक्त चक्र क्रियाशील रहता है।

इस विपाक्त चक्र को तोड़ने के लिए नर्कसे ने ‘सन्तुलित विकास’ नीति पर जोर दिया है। उन्हीं के शब्दों में, ‘बाजार के लघु आकार के कारण उत्पन्न कठिनाई का सम्बन्ध ‘उत्पादन विशेष’ में व्यक्ति द्वारा विनियोजन की प्रेरणाओं में है। कम में कम सिद्धान्त रूप में तो इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है, यदि पूँजी का विनियोजन, एक ही साथ विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाय। इसमें हम गतिरोध में बच जाते हैं तथा बाजार का पूरा विस्तार हो जाता है।’

सन्तुलित विकास मिद्धान्त के समर्थकों के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग करने से माँग की समस्या का समाधान हो जाता है, विभिन्न उद्योग एक दूसरे के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की माँग करते हैं, इस प्रकार उनके समक्ष माँग की समस्या नहीं रहती तथा उद्योगों का विकास एक-दूसरे के पूरक के रूप में होता रहता है। इस प्रकार सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का विकास होता रहता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि—क्या आर्थिक विकास की यह नीति अल्प-विकसित देशों के लिए उपयुक्त है? सिंगर ने सन्तुलित आर्थिक विकास को इस प्रकार प्रकट किया है, “A hundred flowers may grow, whereas a single flower would wither for lack of nourishment.” यह सम्भव है कि विभिन्न उद्योगों का विकास करने में कृषि की उपेक्षा कर दी जाय। यदि कृषि, उद्योग आदि सभी का विकास एक ही साथ किया जाय तो ‘अल्प विकसित’ देश

1 “The difficulty caused by the small size of the market relates to individual investment incentives in any single line of production taken by itself. At least in principle, the difficulty vanishes in the case of more or less synchronized application of capital to a wide range of different industries. Here is an escape from the deadlock; here the result is an overall enlargement of the market.”

इनने विशाल पमान पर आर्थिक विकास नहीं कर सनत क्योंकि ऐस देजा म पूजी की बहुत कमी रहती है। अतः स तुलित आर्थिक विकास उनकी क्षमता के बाहर है।

(२) अस तुलित विकास (Unbalanced Growth)—पॉल स्ट्रीटन (Paul Streeten) हर्शमन (A O Hirschman) तथा प्रा० रास्टोव (W W Rostow) अस तुलित आर्थिक विकास के समर्थक हैं। उनके अनुसार अर्द्ध विकसित देशो म विनियोजन नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे अथ व्यवस्था क कुछ चुने हुए क्षेत्रो को ही विकसित किया जा सके। केवल उ ही क्षेत्रो (sectors) अथवा उद्योगो पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनकी विकास सम्भावनाए तथा शक्ति अधिक है। अस तुलित विकास के समर्थको के अनुसार अल्पकाल म कृषि की तुलना मे उद्योगो को प्राथमिकता दी जा सकती है। यदि प्राथमिक धन (Primary sector) के विकास की प्रतीक्षा किये बिना उद्योगो का विकास किया जाय तो इसका परिणाम यह होगा कि औद्योगिक वस्तुओ का बाजार विस्तृत होगा तथा परोक्ष रूप से कृषि भी लाभान्वित होगी। उद्योगो के विकास के लिए अथ साधनो—परिवहन आदि—का विकास करना आवश्यक होगा जिससे सम्पूर्ण अथ व्यवस्था लाभान्वित होगी। अस तुलित आर्थिक विकास सिद्धांत इस मायता पर आधारित है कि पूण स्पेड द्वारा देशो के साधनो का अनुकूलतम बटवारा नही हो सकता।

अस तुलित आर्थिक विकास क अनुसार विनियोजन को दो भागो म बाँटा जा सकता है<sup>1</sup> (i) सामाजिक उपरिचय पूजी (Social Overhead Capital या SOC) तथा (ii) प्रत्यक्ष उत्पादन क्रियाओ (Direct Productivity Activities या DPA) में विनियोजन। अर्द्धविकसित दशा म पूजी की कमी होती है अतः उ हे इन दोनो मे म किसी एक प्रकार की क्रियाओ मे विनियोजन करना चाहिए। उपर्युक्त दोनो मे स एक का चुनाव कर बड़े पैमाने पर विनियोजन किया जाना चाहिए। इस चुनाव स पश्चात् व्यक्तिगत योजनाओ (Individual projects) क चुनाव का प्रश्न उठेगा। उन योजनाओ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनका 'कुल सम्बन्ध' (Total linkage) तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है। किसी भी याजना म दो प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं—अग्रगामी सम्बन्ध (Forward linkage) अर्थात् उत्पादन के उत्तरोत्तर चरणो के विनियोगो को प्रोत्साहन<sup>2</sup> तथा अधोगामी सम्बन्ध (Backward linkage) अर्थात् उत्पादन के पूर्व चरणो मे विनियोगो को प्रोत्साहन<sup>3</sup> जिन योजनाओ म अग्रगामी सम्बन्ध + अधोगामी सम्बन्ध अधिक हो उ हे प्राथमिकता देनी चाहिए।

स तुलित तथा अस तुलित विकास सिद्धांतो म कौनसा सिद्धांत अल्प विकसित देशो के लिये अधिक उपयुक्त है इस प्रश्न का उत्तर पठित है। वस्तुतः विभिन्न परिस्थितियो को ध्यान मे रखन हुए ही निणय लेना पडता है।

<sup>1</sup> A O Hirschman *Strategy of Economic Development*

<sup>2</sup> Which encourages investment in subsequent stages of production

<sup>3</sup> Which encourages investment in earlier stages of production

*"An underdeveloped country is one which is characterised by the co-existence in greater or less degree, unutilized or underutilized manpower on the one hand, and of unexploited natural resources on the other"*  
—The First Five-Year Plan

### अल्प-विकसित अथवा अर्द्ध-विकसित देश क्या है ?

वर्तमान समय में अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याओं में सम्पूर्ण समार का ध्यान आकर्षित किया है। समार के देशों को—विकसित तथा अर्द्ध-विकसित—दो श्रेणियों में रखना तथा उनकी आर्थिक समस्याओं का अलग-अलग दृष्टिकोण में अध्ययन करना एक परम्परा-भी हो गयी है। परन्तु कौनसा देश विकसित है तथा कौनसा देश अर्द्धविकसित है, इस प्रश्न का उत्तर देना अत्यन्त कठिन है। प्राकृतिक साधनों, आर्थिक परिस्थितियों, सामाजिक संघटनों तथा सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परम्पराओं में विभिन्नता होने के कारण कोई ऐसा सर्वमान्य मापदण्ड नहीं है जिसके आधार पर देशों का वर्गीकरण 'विकसित' तथा 'अर्द्ध-विकसित' श्रेणियों में किया जा सके। वस्तुतः 'अर्द्ध-विकसित' एक सापेक्षिक (relative) शब्द है। एक देश अपने में निर्धन देश की तुलना में विकसित हो सकता है, परन्तु अपने से अधिक विकसित देश की तुलना में अर्द्ध-विकसित हो सकता है। वस्तुतः समार के देशों को 'विकसित' तथा 'अर्द्ध-विकसित' की श्रेणियों में विभाजित करना समस्या का अत्यन्त सरलीकरण (over-simplification) है।

कुछ अर्थशास्त्री औद्योगीकरण को आर्थिक विकास तथा कृषि को आर्थिक पिछड़ेपन का प्रतीक मानने हैं परन्तु यह विचार भी प्रामाण्य है। उदाहरण के लिए, न्यूजीलैण्ड, हॉलैण्ड, डेनमार्क तथा आस्ट्रेलिया में कृषि तथा प्रारम्भिक उद्योगों (primary industries) की प्रधानता है परन्तु ये देश वास्तविक रूप में अर्द्ध-विकसित नहीं बहते जा सकते। विकसित देश ज़िंटेन की भी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड से कम है। इसी प्रकार जापान एक औद्योगिक देश है परन्तु वहाँ की जनता का जीवन स्तर आस्ट्रेलिया की जनता में भी नीचा है। उक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि देशों को 'विकसित' तथा 'अर्द्ध-विकसित' श्रेणियों में विभाजित करना अत्यन्त कठिन है, परन्तु इस बात पर सभी सहमत हैं कि अर्द्ध-विकसित देश निर्धन होते हैं तथा उनकी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम होती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्द्ध-विकसित का अर्थ वर्तमान निर्धनता तथा भविष्य में उन्नति एवं विकास की आशा से लिया है। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक साधनों एवं मानवीय साधनों का समुचित उपयोग न करने के कारण ही ये देश पिछड़े हुए होते



हैं। यदि उनके साधनों का समुचित उपयोग किया जाय तो इन देशों में विकास की समस्त सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। यूजीन स्टेनले (Eugene Stanley) ने अर्द्ध-विकसित देश की परिभाषा देने समय इस तथ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया है।

“A country characterised by mass poverty, which is chronic and not result of some temporary misfortune, and by obsolete methods of production and social organization which means that the poverty is not entirely due to poor natural resources and hence could presumably be lessened by methods already proved in other countries”<sup>1</sup>

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार, अर्द्ध विकसित अर्थ-व्यवस्था उस अर्थ-व्यवस्था को कहते हैं जिनमें निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती हैं—(क) जिसकी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम हो, फलस्वरूप, अग्रिका जनसंख्या निर्धन हो, (ख) यह निर्धनता पिछड़े हुए आर्थिक विचार का कारण तथा परिणाम दोनों होती है, (ग) यह निर्धनता प्राकृतिक साधनों की कमी के कारण नहीं बल्कि पुरानी व परम्परावादी उत्पादन प्रणाली तथा दोषपूर्ण सामाजिक संगठन के कारण पायी जाती है। आधुनिक एवं उन्नत वैज्ञानिक उत्पादन प्रणाली द्वारा उत्पादन में असाधारण वृद्धि की जा सकती है तथा निर्धनता को दूर किया जा सकता है।

प्रो० जैकोब वाइजर के अनुसार, ‘अर्द्ध विकसित देश वह है जो अधिक पूंजी अथवा अधिक भ्रम अथवा प्राकृतिक साधन या इन सभी के प्रयोग द्वारा वर्तमान जनसंख्या के जीवन-स्तर को ऊँचा उठा सकता है या यदि उसकी प्रति व्यक्ति आय ऊँची है तो वह पहले से अधिक जनसंख्या का जीवन-स्तर गिराये बिना निर्वाह कर सकता है।’<sup>2</sup> वाइजर के अनुसार, आर्थिक विकास का सम्बन्ध मुख्यतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन-स्तर से है।

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि ‘अर्द्ध विकसित’ शब्द का प्रयोग किसी अर्थ-व्यवस्था के लिए सापेक्षिक रूप में ही किया जा सकता है। हम किस देश को विकसित तथा किस देश को अल्प या अर्द्ध-विकसित कहे, यह इस बात पर निर्भर है कि हम विकास के मापक, किन मापदण्डों का प्रयोग करते हैं। प्रो० हेरबर्ट फ्रैंकेल ने इसी तथ्य पर जोर दिया है

“Whether a society is regarded as economically developed or under-developed will depend, therefore, on the specific criteria of development by the observer and the position occupied by him”<sup>3</sup>

अल्प-विकास की अवस्था के कई मापक हो सकते हैं—अर्थ, (१) अन्य उत्पादन साधनों की तुलना में पूंजी का कम प्रयोग, (२) कुल उत्पादन में औद्योगिक उत्पादन का कम भाग, (३) कुल जनसंख्या का कम भाग, (४) निर्यात व्यापार में कृषि-वस्तुओं का अधिक भाग (परन्तु इस दशा में हमें कृषि की उत्पादकता को ध्यान में रखना चाहिए। न्यूजीलैण्ड, डेनमार्क आदि देशों की कृषि-उत्पादकता अधिक होने के कारण हम उन्हें अल्पविकसित देशों की श्रेणी में नहीं रख सकते), (५) प्रति व्यक्ति निम्न आय, तथा (६) परम्परा व रुढ़िग्रन्थता का समाज में आदर।

किसी देश को अल्प विकसित कहने के लिए हम उपर्युक्त मापकों में से किस मापक का प्रयोग करें, यह विवादग्रस्त प्रश्न है। उपर्युक्त मापकों में से कुछ मापक गुणात्मक हैं, उनकी

<sup>1</sup> Eugene Stanley, *The Future of Under-developed Countries* p 13

<sup>2</sup> ‘A more useful definition of an under developed country is that it is a country which has good potential prospects for using more capital or more labour or more available natural resources, or all of these, to support its present population on a higher level of living or if its per capita income level is already fairly high to support a larger population on a not lower level of living’ Jacob Viner, ‘Approaches to the Problem of Under-development published in *The Economics of Development* edited by A N Agarwala & S P Singh, p 12

<sup>3</sup> S Herbert Frankel, *The Economic Impact on Under developed Societies*, p 56

व्यक्ति हट्ट सध्यात्मक (quantitative) रूप में नहीं कर सकते। अतः समुक्त राष्ट्र सभ द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के एक दल ने 'प्रति व्यक्ति वास्तविक आय' को मापदण्ड स्वीकार करते हुए अल्प-विकसित देश को निर्माहित शब्दों में परिभाषित किया है

'We have had some difficulty in interpreting the term 'under-developed countries' We use it to mean countries in which per capita real income is low when compared with the per capita real incomes of the United States of America, Canada Australia and Western Europe In this sense, an adequate synonym would be poor countries''<sup>1</sup>

अतः जिन देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, आदि से कम है, उन्हें हम अल्प विकसित देश कह सकते हैं। उपर्युक्त समस्त परिभाषाओं के आधार पर हम मोटे रूप में कह सकते हैं कि जिन देशों में कृषि, उद्योग तथा परिवहन के साधनों का समुचित विकास हो जाना है, उत्पादन के क्षेत्रों में गन्ध विद्युत एवं आधुनिकतम पद्धतियों का प्रयोग होने लगता है तथा सामान्य एवं प्राविधिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ होती है वे देश विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं। इन राष्ट्रों का पूँजी निमित्त माल, प्राविधिक ज्ञान आदि के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वस्तुतः ये देश पूँजी, निमित्त माल तथा प्राविधिक कौशल अन्य देशों को निर्यात करते हैं। कुछ विकसित देश (जैसे अमरीका) कच्ची सामग्री, यथा—खाद्य पदार्थ, रस्से, कोयला आदि, भी इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं कि वे इन वस्तुओं का भी निर्यात करते हैं। इन सब अवस्थाओं का परिणाम यह होता है कि देश की अर्थ व्यवस्था बहुत सबल होती है तथा प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊँचा होने के कारण जनता का भौतिक जीवन अधिक सम्पन्न एवं सुखी होता है।

जिन देशों में आर्थिक साधनों का अभाव होना है अर्थात् जनता के लिए खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र तथा आवास-व्यवस्था की कमी होनी है, जनसंख्या का अधिकांश भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है, कृषि की पद्धतियाँ पुराने एवं रूढ़िवादी होनी हैं उद्योग अतिकमिन् अथवा अल्प विकसित होते हैं तथा देश का कच्चा माल विदेशों में निर्यात होकर वहाँ से निर्मित रूप में पुनः आयात होता है, वे देश अतिकमिन् मान जाते हैं। ऐसे देशों में विज्ञान तथा प्राविधिक कौशल का सर्वथा अभाव अथवा कभी दृष्टिगोचर होता है एवं जनता में शिक्षा के अभाव के फलस्वरूप सर्वत्र अज्ञान एवं अधविश्राम का वातावरण दिखायी पड़ता है। उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण जनता की आय बहुत कम, जीवन स्तर निम्न तथा आर्थिक स्थिति दयनीय होती है।

### अर्द्ध-विकसित देशों की विशेषताएँ

अर्द्ध-विकसित देशों में पर्याप्त मिश्रताएँ पायी जाती हैं अतः उनकी सर्वमान्य विशेषताएँ बताना अत्यन्त कठिन है। यह आवश्यक नहीं है कि एक अर्द्ध विकसित देश की सभी विशेषताएँ दूसरे अर्द्ध विकसित देश में भी पायी जानी हों। फिर भी हम कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं, जो लगभग सभी अर्द्ध विकसित देशों में न्यूनाधिक रूप में पायी जाती हैं। प्रो० हार्वे लिबेन्स्टीन (Harvey Leibenstein) ने अर्द्ध विकसित देशों की विशेषताओं का वर्गीकरण चार श्रेणियों में अन्तर्गत किया है<sup>2</sup>—आर्थिक जनसंख्या सम्बन्धी, प्राविधिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक। इनका विवरण निम्नलिखित है

(१) आर्थिक (Economic) विशेषताएँ—आर्थिक विशेषताओं के अन्तर्गत कृषि की प्रधानता (जहाँ ७०% से ९०% जनसंख्या कृषि में लगी हुई हो), प्रति व्यक्ति कम पूँजी, अधिकांश

<sup>1</sup> U N O, *Measures for the Economic Development of Under developed Countries* p 3

<sup>2</sup> Harvey Leibenstein *Economic Backwardness and Economic Growth*, pp 38-45

जनसंख्या के लिए बचत की दर लगभग शून्य होना, प्रच्छन्न बेरोजगारी (disguised unemployment), आय का अधिक्त भाग भोजन पर व्यय करना, प्रति व्यक्ति व्यापार की मात्रा का कम होना साथ सुविधाओं की यथेष्ट व्यवस्था का अभाव, गृह-समस्या का विकट होना आदि।

(२) जनसंख्या सम्बन्धी (Demographic) विशेषताएँ—जन्म तथा मृत्युदर का अधिक ऊँचा होना, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भोजन की अल्पता के कारण दोषपूर्ण शारीरिक विकास, सफाई सुविधाओं की कमी आदि।

(३) प्राविधिक (Technological) विशेषताएँ—उत्पादन की पुरातन तथा परम्परागत विधियों का प्रयोग, भूमि की उत्पादकता का कम होना, वैज्ञानिक एवं प्राविधिक ज्ञान का अभाव, परिवहन तथा सवादावाहन के साधनों का अविकसित होना।

(४) सांस्कृतिक एवं राजनीतिक (Cultural Political) विशेषताएँ—ये विशेषताएँ हैं—अधिकांश जनता का अशिक्षित होना, रूढ़ियों का श्रमिकों के रूप में कार्य करना, मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति हितों का समाज में निम्न स्थान तथा परम्परा एवं रूढ़ियों की प्रधानता।

अब हम उपर्युक्त विशेषताओं पर प्रकार डालेंगे।

(१) निर्धनता (प्रति व्यक्ति कम आय)—अर्द्ध-विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय अत्यन्त कम होती है। सार्वर की सम्पूर्ण जनसंख्या की ६५% अथवा दो तिहाई जनसंख्या की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ३०० डालर वार्षिक से कम है। अतः विश्व की अधिकांश जनसंख्या अत्यन्त निम्न जीवन स्तर व्यतीत करती है। निम्न सारणी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अर्द्ध विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना से कितनी कम है

प्रति व्यक्ति आय (डालर में)<sup>१</sup>

आय	देशों की संख्या	कुल जनसंख्या (मिलियन)
१०० से कम	३६	१,६७४
१००-३००	१३	४६४
३००-७५०	३३	२१३
७५० के ऊपर	६६	६४०
	१५८	३,२९१

विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किये गये इन अंकों से स्पष्ट है कि सार्वर १५८ देशों में से, जिनकी कुल जनसंख्या ३२६ करोड़ है, ३६ ऐसे देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय १०० डालर वार्षिक से भी कम है। इन देशों की जनसंख्या १६७ करोड़ अर्थात् लगभग ५० प्रतिशत है। वास्तविक स्थिति इसमें भी गम्भीर है क्योंकि इनमें से २४ देश ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय ६५ डालर वार्षिक से भी कम है। उदाहरणतः मलावी (४०), वुण्डो (४५), अपर वोल्टा (५०), हमाडा (५०) मोमालिया (५५) इथियोपिया (५५), बोत्स्वाना (५५), मारी (६०), दाहोमी (६०), नेपाल (६५), मोजंबीक (६५), लाओस (६५), वागो (६५), यर्मा (६५), अफगानिस्तान, तजानियां नाजर हेरी आदि की स्थिति अत्यन्त हीन है।

द्वन्द्वराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी और अमीरी की विषयना का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मलावी की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय केवल ४० डालर है जबकि कुवैत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ३२७० डालर और अमरीका की ३२४० डालर है।

<sup>१</sup> विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित - इर्दानाईक टाइम्स, फरवरी १, १९६८ में उद्धृत।

विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़े इस बात की ओर स्पष्ट संकेत देते हैं कि सप्ताह में भयानक आर्थिक विपत्तियाँ विद्यमान हैं। इसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लग सकता है

**विश्व में आर्थिक विपत्तियाँ**

जनसंख्या (प्रतिशत)	कुल आय (प्रतिशत)
२६	८०
७	६
१४	५
५०	६
१००	१००

इससे स्पष्ट है कि विश्व की कुल जनसंख्या के ५० प्रतिशत की आय केवल ६ प्रतिशत है और शेष ५० प्रतिशत की ६१ प्रतिशत। इससे भी अधिक गम्भीर तथ्य यह है कि विश्व जनसंख्या की २६ प्रतिशत को सप्ताह की कुल आय का ८० प्रतिशत भाग उपलब्ध होना है।

अधिकांश अल्प विकसित देशों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय १०० अमरीकी डालर से कम तथा विकसित देशों की एक हजार डालर से भी अधिक है। अतः इन्हें क्रमशः '१०० डालर वाले देश' व '१,००० डालर वाले देश' कहा जाता है।

(२) कृषि की प्रधानता—दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि अल्प विकसित देशों में प्रायः कृषि की प्रधानता मिलती है। इन देशों की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। इसका अनुमान निम्न सारणी से लगाया जा सकता है

**विकसित तथा अल्प विकसित देशों में कृषि  
(जनसंख्या का प्रतिशत)**

अल्प विकसित देश		विकसित देश	
देश	कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या	देश	कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या
भारत	७०.०	फ्रांस	२७.०
लका	५३.०	ऑस्ट्रेलिया	१६.०
ब्राजील	५८.०	कनाडा	१६.०
मलाया	६४.०	अमरीका	६.०
कोलम्बिया	७२.०	ब्रिटेन	४.०

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि अल्प विकसित देशों में कुल कार्यशील जनसंख्या का अधिक प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है जबकि विकसित देशों में कृषि जनसंख्या का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। इसका प्रमुख कारण औद्योगिक विस्तार है।

इसी प्रकार कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि उत्पादन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लगभग सभी अल्प विकसित देशों में कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग, उद्योगों की अपेक्षा अधिक होता है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण अग्र तालिका द्वारा किया जा सकता है

## कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का प्रतिशत भाग

विकसित देश	कृषि का भाग (प्रतिशत)	अर्द्ध-विकसित देश	कृषि का भाग (प्रतिशत)
संयुक्त राज्य अमरीका (१९६०)	४०	नाइजीरिया (१९५७)	६३०
ब्रिटेन (१९६०)	४०	ब्राजील (१९५६)	२७०
कनाडा (१९६०)	७०	भारत (१९६६-७०)	५००

(३) औद्योगिक विछड़ापन (Industrial Backwardness)—अल्प विकसित देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। कृषि, उत्पादन का प्रमुख स्रोत होती है। कुछ देशों में औद्योगिक विकास भी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होता है, परन्तु मुख्यतः उपभोक्ता-उद्योग ही कुछ सीमा तक विकसित होते हैं। पूँजीगत तथा उत्पादक उद्योग जैसे लोहा-इस्पात, विद्युत-उत्पादन, मशीन निर्माण आदि उद्योग पिछड़े हुए होते हैं और यदि इनका विकास कुछ सीमा तक किया भी जाता है तो उनमें आधुनिक ढंग या बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जाता है। अल्प-विकसित देशों के औद्योगिक विछड़ापन का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिम यूरोप तथा रूस (ये सभी विकसित क्षेत्र हैं) की सम्मिलित जनसंख्या कुल विश्व जनसंख्या की केवल २६% है, परन्तु विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन में इनका भाग ८०% है। शेष ७४% जनसंख्या वाले देशों का विश्व औद्योगिक उत्पादन में केवल १९% भाग है। निम्न सारिणी से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है

## विश्व औद्योगिक उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों का भाग

देश या क्षेत्र	विश्व जनसंख्या का प्रतिशत	विश्व-औद्योगिक उत्पादन का प्रतिशत
अमरीका (U. S. A.)	६०	३१०
पश्चिम यूरोप	१००	२६०
रूस तथा पूर्वी यूरोप	१००	२४०
चीन	२२०	५०
अन्य देश	५२०	१४०
योग	१०००	१०००

(४) जनसंख्या का अधिक भार—अर्द्ध-विकसित देशों में जनसंख्या का भार अधिक होता है। जन्म-दर तथा मृत्यु-दर दोनों ऊँची होती हैं। जन्म-दर अधिक ऊँची होने के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जनसंख्या की अधिकता के कारण निर्धनता तथा बेरोजगारी बढ़ती है। सामान्यतः विकसित देशों में जन्म-दर तथा मृत्यु-दर १५-२० तथा ६-२० प्रति हजार होती है परन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में ये दरें क्रमशः ३०-५० तथा १५-३० होती हैं। विकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि की दर लगभग १% वार्षिक है जबकि अर्द्ध-विकसित देशों में यह २% से अधिक होती है। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जाता है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण इस बात में होता है कि प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धि (कृषि योग्य भूमि, पहाड़, पठार तथा अन्य सभी को सम्मिलित करते हुए) आस्ट्रेलिया में १८१६ एकड़, अमरीका में १२८ एकड़, तथा रूस में २६५ एकड़ है जबकि भारत में यह औसत केवल १.४ एकड़ है। भारत में कृषि-योग्य भूमि का प्रति व्यक्ति औसत केवल ०.५ एकड़ है।

जनसंख्या के सम्बन्ध में एक बात यह भी स्मरणीय है कि अर्द्ध-विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात, विकसित देशों की तुलना में कम होता है, १५ वर्षों में कम आयु के बच्चों का अनुपात अधिक होता है। उदाहरण के लिए, भारत, जका, पाकिस्तान आदि देशों में १५ वर्षों में कम आयु के बच्चों का अनुपात कुल जनसंख्या में ६०% है, जबकि अमरीका व ब्रिटेन में यह अनुपात क्रमशः २३% व २५% है।

(५) पूंजी निर्माण की कमी—अर्द्ध-विकसित देशों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम होने के कारण आय का अधिकांश भाग उपभोग में प्रयुक्त हो जाता है अतः बचन तथा विनियोग बहुत कम दर पर होता है। पूंजी-निर्माण की कमी के कारण, इन देशों का आर्थिक विकास तेजी से नहीं किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ व World Economic Survey के अनुसार, कुल पूंजी-निर्माण दर (Rate of Gross Capital Formation) ब्रिटेन में १५.६ प्रतिशत, अमरीका में १८ प्रतिशत, पश्चिम जर्मनी में २०.६ प्रतिशत, जापान में २८.५ प्रतिशत थी, जबकि ईराक, लका तथा भारत में यह दर क्रमशः १५, ११ तथा ८ प्रतिशत मात्र थी। भारत में सन् १९६५-६६ में विदेशों महायत्ना को सम्मिलित करने के पश्चात् यह दर १८ प्रतिशत थी। आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करना अत्यंत आवश्यक है।

(६) व्यापक बेरोजगारी—भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार, औद्योगीकरण की कमी तथा पूंजी निर्माण के अभाव में अर्द्ध विकसित देशों में बेरोजगारी व्यापक रूप में पायी जाती है। इसके साथ ही साथ अर्द्ध बेरोजगारी की भी समस्या होती है। इन देशों में उत्पादन-कार्य, विशेष-तया कृषि से, यदि कुछ श्रम शक्ति हटा ली जाय तो भी कुल उत्पादन पूर्ववत् रहेगा क्योंकि बहुत से श्रमिकों की सीमान्त उत्पादनता शून्य होती है। अनुमान लगाया गया है कि भारत, पाकिस्तान, हिन्दोशिया आदि देशों में लगभग २५ प्रतिशत श्रम शक्ति को कृषि या कुल उत्पादन कम किये बिना अन्य व्यवस्था में लगाया जा सकता है। बुल्क तथा सफरिन ने भारत की बेरोजगारी तथा अर्द्ध-बेरोजगारी की समस्या का वर्णन करते हुए कहा है •

“Unemployment and under employment in India may annually waste as many gross man years of labour as is contributed by the entire labour force of United States”

(७) मानव पूंजी अविकसित—अर्द्ध विकसित देशों में मुविद्यात्रों की कमी के कारण अधिकांश जनता अशिक्षित होती है। वैज्ञानिक तथा भाविधिक शिक्षा सम्बन्धी मुविद्यात्रों का तो बहुत ही अधिक अभाव होता है। आर्थिक विकास में मानवीय पूंजी का अत्यधिक महत्त्व है। विकसित मानव-पूँजी देश के नव निर्माण में सहायक होते हैं। आज्ञात्मक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य समाज सेवाओं पर किया गया व्यय, मानव-पूँजी सम्बन्धी विनियोग माना जाता है। वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा शोध कार्यों ने आर्थिक प्रगति में सर्वाधिक योग दिया है परन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में अशिक्षा व्याप्त है। इतने प्रयत्नों के पश्चात् भी आज भारत में ७६ प्रतिशत जनता अशिक्षित है। पूंजी की कमी के कारण वैज्ञानिक शोध कार्यों पर भी बहुत कम व्यय किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में वैज्ञानिक शोध पर प्रति वर्ष १५ पैसे मात्र प्रति व्यक्ति की दर से व्यय किया जाता है, जबकि अमरीका तथा रूस में यह औसत क्रमशः १५४ रुपये तथा ११० रुपये है।

(८) परम्परावादी समाज—अर्द्ध-विकसित देशों की अधिकांश जनता रूढ़िवादी तथा परम्परावादी होती है। धर्म की प्रशानता तथा अशिक्षा इसके प्रमुख कारण हैं। परम्परा के प्रति आस्था होने के कारण जनता का दृष्टिकोण अवैज्ञानिक होता है तथा नौव उद्गादन विधियों

का प्रयोग नहीं करते हैं। वे परम्परागत उत्पादन विधियों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि को उन्नत एवं श्रेष्ठ विधियों का प्रचार किये जाने पर भी भारतीय कृषक ने कृषि की प्राचीन अवैज्ञानिक प्रणाली का त्याग नहीं किया है। पूँजी की कमी तथा उच्चकोटि के विशेषज्ञों की कमी के कारण उद्योगों में भी आधुनिकतम वैज्ञानिक उत्पादन प्रणाली अपनाने में कठिनाई होती है। निर्धनता तथा धार्मिक अंधविश्वास के कारण जन-साधारण का दृष्टिकोण भाग्यवादी बन जाता है जिससे जनता भौतिक उत्थान के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं कर पाती है।

(६) दोषपूर्ण आर्थिक संगठन—अर्द्ध विकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वित्तीय तथा अन्य संस्थाओं का अभाव होता है। पूँजी बाजार (capital market) अ विकसित होता है और मुद्रा बाजार भी असंगठित होता है। अर्थ व्यवस्था का एक भाग तो विकसित होता है जिसमें सामान्यतः विकसित देशों की समस्त विशेषताएँ न्यूनाधिक मात्रा में पायी हैं, परन्तु दूसरा भाग—मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र—आर्थिक पिछड़ेपन का प्रतीक होता है। सरकार की वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य आर्थिक नीतियाँ इस क्षेत्र में अर्थहीन सिद्ध होती हैं। अतः संस्थागत अवरोध (institutional bottlenecks) आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध होने हैं।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अर्द्ध विकसित देशों में निर्धनता विस्तृत रूप से व्याप्त है। पूँजी का अभाव, अकुशल श्रम, दोषपूर्ण आर्थिक व सामाजिक संगठन आदि आर्थिक विकास को अवरुद्ध करते हैं। अतः इन सभी दोषों को दूर करना तथा अभावों की पूर्ति करना, इन देशों के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् विश्व के उन्नतिशील देशों का ध्यान, इन निर्धन देशों के लिए एक चुनौती है। 'Poverty anywhere is a danger to prosperity everywhere' इस तथ्य के प्रति विकसित देश भी जागरूक प्रतीत होते हैं तथा वे निर्धन देशों की यथासम्भव सहायता कर रहे हैं।

## भारतीय अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ

(CHARACTERISTICS OF INDIAN ECONOMY)

*'The most arresting fact about India is that her soil is rich and her people are poor'*  
—M L Darling

### भारत—एक सामान्य परिचय

भारत एक विशाल देश है। श्रेफन की दृष्टि में विश्व में भारत का मातृवा तथा पुत्र जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा स्थान है। इसमें अनेक प्रकार की भूमि, जनवायु, वनस्पति तथा उपज मिलती है। सम्भवतः इसके आकार तथा इन विविधताओं के कारण ही भारत को एक उप-महाद्वीप का नाम दिया गया है।

निम्नलिखित तथ्या में भारत का सामान्य परिचय मिलता है,

१. क्षेत्रफल ३२,६८,०६० वर्ग किलोमीटर<sup>१</sup> (विश्व क्षेत्रफल का २.० प्रतिशत)।

२. भू-सीमा १५,१६८ किलोमीटर।

३. तट-सीमा : ५,६८६ किलोमीटर।

४. जनसंख्या (१९७१) लगभग ५४७ करोड़ (विश्व का १५ प्रतिशत)।

५. औसत आयु : ५० वर्ष।

६. प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय : मन् १९६७-६८ के चारू मूल्यां पर ५४१ रुपय।

मन् १९४८-४९ के मूल्यां पर ३२४ रुपये।

७. छाद्याओं की उत्पत्ति लगभग ९९.५ मिलियन टन (मन् १९६९-७०)।

८. प्रति व्यक्ति छाद्याओं की छपत १५ औंस प्रतिदिन।

९. प्रति व्यक्ति के लिए उपलब्ध कलरी (calories) २,१४५ प्रतिदिन।

१०. प्रति व्यक्ति वस्त्र की उपलब्धि १५ मीटर वार्षिक।

### भारतीय अर्थ-व्यवस्था की सामान्य विशेषताएँ

भारतीय अर्थ व्यवस्था के विभिन्न अवयवों (aspects) का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम उसकी सामान्य आर्थिक विशेषताओं पर एक विह्वगम दृष्टि डालें। इसमें भारतीय अर्थ व्यवस्था का संक्षिप्त रूप हमारे समक्ष उपस्थित होगा तथा विभिन्न

<sup>१</sup> इण्डिया, १९७० पृष्ठ १।



आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायता मिलेगी। भारत की सामान्य आर्थिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

(१) एक अर्द्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था (An Under-developed Economy)—भारत एक अर्द्ध-विकसित देश है। अर्द्ध-विकसित देशों की सामान्यतया सभी विशेषताएँ भारतीय अर्थ-व्यवस्था में पायी जाती हैं। अर्द्ध-विकसित वा अर्थ भूतकाल में सामाजिक एवं आर्थिक अवरोध तथा भविष्य में उन्नति एवं विकास की आशा में है। प्रायः समस्त अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि की प्रधानता, औद्योगीकरण की दृष्टि से पिछड़ापन, निम्न जीवन-स्तर, निर्धनता, बेरोजगारी तथा अर्द्ध-बेरोजगारी, जनसंख्या का आधिक्य तथा उसमें तीव्र पति में वृद्धि, आर्थिक विकास की दर का कम होना, पूँजी का अभाव, प्राविधिक ज्ञान की कमी, अविकसित आर्थिक संस्थाएँ तथा विदेशी व्यापार, अल्प राष्ट्रीय आय, अशिक्षा, अधविश्वास तथा ऋद्धिप्रसूता, दबन तथा विनियोग की निम्न दर, कुशल धर्मिकों वा अभाव आदि विशेषताएँ पायी जाती हैं। एक विकसित अर्थ-व्यवस्था में मध्य-युगीन विशेषताओं के साथ ही साथ कहीं कहीं और किसी-किसी क्षेत्र में अनियोजित आधुनिकता भी पायी जाती है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था में ये सभी विशेषताएँ किसी न किसी रूप में पायी जाती हैं।

(२) कृषि की प्रधानता (Predominance of Agriculture)—भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि का स्थान सर्वोपरि है। प्राचीन काल से ही कृषि अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय है। वर्तमान समय में भी, देश की अर्थ-व्यवस्था में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कृषि की प्रधानता का अनुमान निम्नलिखित तथ्यों में लगाया जा सकता है।

(क) राष्ट्रीय आय तथा कृषि (National Income and Agriculture)—राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र द्वारा प्राप्त आय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कृषि-उत्पादन का प्रभाव राष्ट्रीय आय पर सदैव पड़ता रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की राष्ट्रीय आय तथा कृषि उत्पादन में सहसम्बन्ध (correlation) है। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। सन् १९५०-५१, १९५५-५६ तथा १९६६-७० में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि उत्पादन का भाग क्रमशः ५१%, ४५% और ५०% था। इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि-उत्पादन का अंश काफी अधिक है। भविष्य में भी कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में महत्त्वपूर्ण स्थान रहेगा। संसार के उन्नत देशों में कृषि-उत्पादन का प्रतिशत भाग, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में भारत की तुलना में बहुत कम है, जैसे जापान, हॉलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका में कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का भाग क्रमशः २२%, १३%, २७%, ५% ६% है।

(ख) कृषि तथा जीविका के साधन (Agriculture and Living Pattern)—कृषि भारत की अधिकांश जनता के लिए जीविका का साधन है। समस्त ग्रामीण जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही भूमि पर दबाव बढ़ता गया है। सन् १९६१ की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में (कृषि सहित) सभी कुल श्रम शक्ति का ७०% भाग कृषि व्यवसाय में लगा हुआ है। यदि कृषि के सहायक व्यवसाय, जैसे—पशुपालन, मछली पालन, जंगल व बागान उद्योग आदि, को सम्मिलित कर लें तो कृषि तथा उसके सहायक व्यवसायों में कुल श्रम-शक्ति का ७२% भाग लगा हुआ है। इस जनगणना के ही अनुसार, कृषि के अतिरिक्त उद्योगों में कुल श्रम शक्ति का केवल १२% लगा हुआ है। इसी प्रकार अन्य सेवाओं में १६% श्रम शक्ति लगी हुई है। भारत में कृषि व्यवसाय में लगी श्रम-शक्ति, अन्य समस्त व्यवसायों में लगी श्रम-शक्ति के दुगुने से भी अधिक है। इससे कृषि व्यवसाय के महत्त्व का अनुमान लगाया जा सकता है।

संसार के कुछ देशों में इस संदर्भ में तुलना करने से यह ज्ञात होगा कि भारत में कुल

कार्य-रत जनसंख्या (economically active population) का अग्रिकाज भाग कृषि में लगा हुआ है जबकि अन्य देशों में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का अपेक्षाकृत कम भाग लगा हुआ है। उदाहरणतः, आस्ट्रेलिया में कुल कार्यरत जनसंख्या का केवल १५.४% भाग कृषि में लगा हुआ है। इसी प्रकार यह भाग कनाडा में १६%, मयुक्त अरब गणराज्य में ५०.६%, फ्रांस में ३६.५%, जापान में ४४.५%, ब्रिटेन में ४०% और अमरीका में ६०% मात्र है।

(ग) ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था (Rural Economy)—भारत गाँवों का देश है। सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार, भारत में ५६६,८७८ गाँव तथा २६६६ शहर थे। प्राचीन काल से ही गाँव भारतीय अर्थ-व्यवस्था तथा सामाजिक संगठन के आधार स्तम्भ हैं। नगरीकरण (urbanization) की दिशा में प्रगति होत हुए भी, गाँव की प्रधानता यथावत् बनी हुई है। सन् १८८१-१९११ की अवधि में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग ९१% भाग गाँवों में रहता था। सन् १९७१ में ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या की ८२% व शहरी जनसंख्या १८% थी। इस प्रकार वर्तमान समय में प्रत्येक ५ में ४ व्यक्ति गाँव में रहते हैं। उन्नतिशील देशों में जनसंख्या का अग्रिक भाग जहाँ-जहाँ रहता है, ग्रामीणों में कम जनसंख्या रहती है। उदाहरण के लिए, फ्रांस की ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या की ४७% है। यह प्रतिशत भाग अमरीका में ३६%, कनाडा में ३६%, तथा ब्रिटेन में १६% है। सामान्यतः ग्रामप्रधान देश निर्धन होते हैं। भारत में केवल १८% जनसंख्या शहरों में रहती है। यह हमारी अर्थ-व्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रतीक है।

(३) जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि (Rapid Increase in Population)—सन् १९५१ में १९६१ के बीच भारत की जनसंख्या में २१.५% वृद्धि हुई। १९६१-७१ के दशक में वृद्धि २४.६ प्रतिशत हुई है। इस प्रकार १९६१-७१ के बीच जनसंख्या ४२६ करोड़ में बढ़कर ५६७ करोड़ हो गयी है। यह वृद्धि निश्चय ही बहुत अधिक है।

(४) बेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी (Unemployment and Disguised Unemployment)—पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक विकास के प्रयत्नों से बावजूद भारत में बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है। प्रत्येक योजना के अन्त में बेकारी की संख्या बढ़ती जाती है। प्रथम योजना प्रारम्भ करते समय बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ५० लाख थी। द्वितीय योजना के प्रारम्भ में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़कर ७० लाख हो गयी। तृतीय योजना के प्रारम्भ में बेकारी की संख्या ९० लाख हो गयी। १९६५-६६ में कुल १ करोड़ व्यक्ति बेकार थे। १९७१ में भी लगभग १.४ करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं। रोजगार की यह स्थिति निश्चय ही चिन्ताजनक है।

(५) नियोजित एवं मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy and Mixed Economy)—भारतीय अर्थ-व्यवस्था एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था है। भारत में नियोजित (Planned development) १ अप्रैल, १९५१ से प्रारम्भ किया गया।

तीन योजनाओं तथा बाकी पाँच वर्षों में (१९७०-७१ तक) अकेले लोक क्षेत्र में ही लगभग २०० अरब रुपये खर्चे किया गया है।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था नियोजित होने के साथ ही साथ मिश्रित भी है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का मद्-प्रतिस्तर हमारी अर्थ व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। सरकार विभिन्न प्रकार के अधिनियमों द्वारा निजी क्षेत्र को नियन्त्रित करती है। सन् १९४८ की औद्योगिक नीति द्वारा मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया गया। कालान्तर में, हमारी आर्थिक नीतियों का उद्देश्य 'समाजवादी समाज' की स्थापना करना निश्चित किया गया। देश धीरे-धीरे इस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। राष्ट्रीय आय तथा व्यय दोनों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभाव

धान शर्तें बढ़ रहा है। चतुर्थ योजना (१९६६-७४) में सार्वजनिक क्षेत्र में १५,६०३२ करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में, ८,६८० करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है।

(६) सम्पन्नता में दरिद्रता (Poverty in the midst of Plenty)—‘भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निधन हैं’—इस प्रचलित कहावत में निहित विरोधाभास का समाधान भारत के प्राकृतिक माधनों पर दृष्टिपात करने तथा उसके निवासियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने से ही हो सकता है। अतः यहाँ भारत की प्राकृतिक सम्पत्ति तथा निवासियों की आर्थिक स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालना उचित होगा।

(अ) सम्पन्नता (i) विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र—भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसका क्षेत्रफल (मिचिकम को मिलाकर) लगभग ३२,६८ लाख वर्ग किलोमीटर है। विस्तार की दृष्टि से संसार के देशों में भारत का सातवाँ नम्बर है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। भारत की सीमा-रेखा १५,१६८ किलोमीटर लम्बी है तथा समुद्रतट ५,६८६ किलोमीटर है। इस विशाल देश में गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान स्थित है जो उत्तर भारत में लगभग २,४०० किलोमीटर (१,५०० मील) लम्बा व २४० से ३२० किलोमीटर (१५०-२०० मील) चौड़ा है। यह मैदान संसार के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है क्योंकि इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली अनेक नदियों की उपजाऊ मिट्टी से हुआ है। इन्हीं नदियों से इस मैदान की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता है। इस मैदान के बल पर ही भारत को सुजला, सुफला तथा शस्य श्यामला धरती कहा जाता है। इसकी उपजाऊ मिट्टी के कारण ही इस मैदान में जनसंख्या अत्यन्त घनी है।

(ii) खनिज पदार्थ—उपजाऊ धरती के अतिरिक्त भारत में अनेक पठार हैं जो लावा अथवा भू-परिवर्तनों के कारण निर्मित हुए हैं। गोडवाना श्रृंखला की कोयले की खानों में असीमित राशि अष्टे कोयले की है। इसके अतिरिक्त आसाम तथा दक्षिण भारत में भूरा कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना है। सिन्धुभूमि, मानभूमि, बयोचर तथा गोआ के लोहे के भण्डार संसार में सर्वश्रेष्ठ बताये जाते हैं। इन भण्डारों में श्रेष्ठ किस्म का लगभग २,१६० करोड़ टन लोहा दबा हुआ है जिसके प्रयोग में भारत के मशीन एवं इस्पात उद्योगों को विकसित करने का पर्याप्त अवसर मिल सकता है।

लोहे और कोयले के अतिरिक्त अन्नक के निष्कासन में भारत का प्रथम स्थान है और मैंगनीज के खनन में तीसरा। वस्तुतः भारत अन्नक और मैंगनीज का अधिकांश भाग अमरीका तथा यूरोप के देशों को निर्यात कर देता है। यदि इनका प्रयोग भारत में ही किया जाय तो हमारे विद्युत सम्बन्धी सामान तथा लोहा इस्पात उद्योग बहुत विकसित हो सकते हैं और करोड़ों रुपयों के मूल्य की विदेशी मुद्रा (जो विजली का सामान तथा इस्पात आयात करने पर व्यय करनी पड़ती है) बच सकती है। इसी प्रकार भारत में प्रचुर मात्रा में खडिया मिट्टी (Gypsum) उपलब्ध होती है जिसके प्रयोग द्वारा अधिकाधिक रासायनिक खाद तैयार की जा सकती है। चैस्टर बोलस के मतानुसार अधिक खाद और पानी की सहायता से भारत का कृषि उत्पादन तिगुना हो सकता है।

उपरोक्त पदार्थों के अतिरिक्त भारत में अणु शक्ति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक सभी पदार्थ (यूरेनियम, थोरियम आदि) प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जिनके प्रयोग से यदि अणु-शक्ति का विकास किया जाय तो वह भारतीय उद्योगों के लिए बरदान सिद्ध हो सकती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारतीय नदियों में प्रति वर्ष जितना जल बहकर व्यर्थ हो जाता है उसका प्रयोग करने पर पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हो सकती हैं तथा ४११ लाख किनोवाट बिजली उत्पादन की जा सकती है जबकि वर्तमान उत्पादन केवल १०० लाख किनोवाट है।

गत वर्षों में अकलेखर तथा नाहरकटिया में जो तेल भण्डार उपलब्ध हुए हैं वे इस बात के बोलक हैं कि भारत के प्राकृतिक साधन अत्यन्त प्रचुर एवं विस्तृत हैं। उनका पता लगाकर उन्हें

यथोचित रूप में प्रयोग करने से देश की अधिकांश औद्योगिक समस्याएँ हल हो सकती हैं यह निर्विवाद मत है।<sup>1</sup>

(iii) वन-सम्पदा—भारत की लगभग २७४ लाख वर्गमील भूमि पर वन हैं जिनसे ईंधन, इमारती लकड़ी, चमड़ा रगने के पदार्थ, कई प्रकार के तेल, गोद, लाख तथा अनेक अन्य वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं। इनमें से अकेली लाख ही प्रतिवर्ष १० करोड़ रुपये की आय देती है। वास्तव में, भारतीय वन-सम्पदा का यदि सावधानी से प्रयोग किया जाय तो यह देश की कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

(iv) जन शक्ति—मनुष्य अपने माथ एक मुल और दो हाथ लेकर आता है। यदि दोनों हाथों का सामूहिक सदुपयोग किया जाय तो निश्चित ही मनुष्य अपना ही नहीं बल्कि सारे राष्ट्र का भाग्य बदल सकते हैं। इस दृष्टि से यदि चाहें तो भारत के ५३ करोड़ व्यक्ति लगन तथा उत्साह से किसी भी कठिन से कठिन कार्य को पलक मारते सम्पन्न कर सकते हैं। चीन द्वारा अपने देश की 'ह्वार्ड' नामक नदी पर अपार जन शक्ति के प्रयोग द्वारा बांध बना लेना थम के महत्त्व एवं सदुपयोग का ज्वलन्त उदाहरण है। भारत की कोसी, महानदी, दामोदर तथा अन्य नदियों पर बांध निर्मित करने, दलदल बान्नी अथवा फसयुक्त भूमि को खेती योग्य बनाने, सड़कें तथा नहरें आदि खोदने के विकास कार्यों को सम्पन्न करने में यदि भारत की अमीम जन-शक्ति का प्रयोग किया जाय तो देश का नर्याण हो सकता है।

उपर्युक्त चारों बातों से यह स्पष्ट है कि भारत के पास प्रचुर मूल्यवान प्राकृतिक स्रोत हैं अर्थात् वह एक सम्पत्तिशाली देश कहा जा सकता है।

(घ) दरिद्रता का साम्राज्य—भारत के साधन-सम्पन्न होते हुए भी उसके निवासी निर्धन एवं दरिद्र हैं इसका कारण यह है कि इन साधनों का यथोचित विदोहन कर इनमें से पूरा लाभ नहीं उठाया गया है। भारतीयों की दरिद्रता एवं विपन्न आर्थिक अवस्था का अनुमान निम्न तथ्यों से लग सकता है।

(i) निर्धनता (Poverty)—भारत की अधिकांश जनता ग्रामों में रहती है तथा उसकी आय का प्रमुख साधन कृषि अथवा आसपास के नगरों में स्थित कारखानों की मजदूरी है। ग्रामों के अधिकांश व्यक्ति अर्द्ध-नियोजित हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादन बहुधा मानसून पर निर्भर करता है जो कभी तो यथेष्ट वर्षा कर किसान को मालामाल कर देती है किन्तु बहुधा अनिश्चित तथा अममय पर जल बरसाती है। इन दोनों बातों के परिणामस्वरूप ग्राम निवासियों की आय बहुत कम है और अधिकांश व्यक्तियों के लिए दोनों समय यथेष्ट भोजन की व्यवस्था करना ही कठिन होता है। अधिकतर व्यक्ति मिट्टी के कच्चे मकानों में रहते हैं जो वर्षा ऋतु में टपकते रहते हैं।

भोजन एवं आवास के अतिरिक्त किसान प्रायः गरमी में एक घोड़ी से ही काम चला लेते हैं जबकि सरदी में भी उन्हें एक सामान्य कुरते-धोती तथा एक सूती चादर के अतिरिक्त तन ढकने को कुछ भी उपलब्ध नहीं होता।

उपर्युक्त दीन-हीन परिस्थितियों का अनुमान भारतीयों की वार्षिक आय से भी लगाया जा सकता है जिसके तुलनात्मक अंक अप्रलिखित हैं :

<sup>1</sup> इन साधनों का विस्तृत अध्ययन आगे एक अध्याय में किया गया है।

प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय—अमरीकी डालरों में

देश	आय	देश	आय
१ कुवैत	३,२७०	११. जापान	७६०
२ अमरीका	३,२४०	१२. मलेशिया	२६०
३ स्विटजरलैण्ड	२,१५०	१३. घाना	२३०
४ स्वीटन	२,१३०	१४. संयुक्त अरब गणराज्य	१५०
५ कनाडा	२,१००	१५. लका	१४०
६ आस्ट्रेलिया	१,७७०	१६. थाईलैण्ड	१२०
७ फ्रान्स	१,६६०	१७. भारत	६०
८ जर्मनी	१,६२०	१८. पाकिस्तान	८५
९ इंग्लैण्ड	१,५५०	१९. अफगानिस्तान	६५
१० मोनैक सभ	१,०००	२०. बर्मा	६५

प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के अंकों से भारतीय नागरिक की आर्थिक स्थिति का अनुमान भर लग सकता है। वास्तव में ६० डालर (या १९६५ के अनुसार ४२७ रुपये) तो औसत वार्षिक आय है। ग्रामीण व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान तो केवल १०७ रुपये लगाया गया है जो केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सूचक है।

(ii) निम्न जीवन स्तर (Low Standard of Living)—दूतनी कम आय में जीवन-निर्वाह की कल्पना करना ही विचम्बना है क्योंकि इससे सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सक्ता ही सम्भव नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो दैनिक आय ६८ पैसे प्रति व्यक्ति है। उनमें भी लगभग १ करोड़ व्यक्ति २७ पैसे प्रतिदिन, ५ करोड़ व्यक्ति ३२ पैसे प्रतिदिन और १० करोड़ व्यक्ति ४२ पैसे प्रतिदिन कमाते हैं। यह आंकड़े व्यावहारिक अर्थ-शोध राष्ट्रीय परिषद (NCAER.) द्वारा दिये गये हैं।

इन तथ्यों से यह पता चलता है कि भारत की अधिकांश जनता का जीवन-स्तर अत्यन्त निम्न है। एक भारतीय को प्रतिदिन साठ पदार्थों से केवल २,१४५ कलारी प्राप्त होती है जबकि उन्नतरी देशों में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन औसत रूप से ३,००० से अधिक कलारी भोजन से प्राप्त होती है।

भारत में कपड़े का उपभोग प्रति व्यक्ति १५ मीटर वार्षिक है जबकि विकसित देशों में यह औसत लगभग ५० मीटर है।

(iii) अन्य वस्तुओं का उपयोग (Use of other Commodities)—भारत में अन्य वस्तुओं का प्रति व्यक्ति उपभोग भी अत्यन्त कम है। उदाहरणार्थ, अमरीका व ब्रिटेन में प्रति ५ व्यक्ति एक घण्टा में कमरे में १८ जोड़ी व १४ जोड़ी जूतों का उपयोग करते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग विदेशों में आवश्यक माना जाता है वे भी भारत में बिलामिता सम्बन्धी आवश्यकताओं की श्रेणी में आ जाती हैं। भारत में प्रति ३०० व्यक्ति एक रेडियो सेट, प्रति १००० पक्के मकानों में केवल एक रेफ्रिजरेटर तथा प्रति ८० व्यक्ति एक घड़ी उपलब्ध है। यह विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है।

(iv) अन्य तथ्य (Other Facts)—भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत शक्ति का उपयोग ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति के विद्युत शक्ति के उपयोग का केवल ३/४ भाग है। इसी प्रकार भारत में यह उपयोग कनाडा तथा अमरीका का क्रमशः ३/८ तथा १/८ है। इस्पात व कोयले में प्रति व्यक्ति उपयोग में भी भारत उन्नतरी देशों से बहुत पीछे है। अमरीका, ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी में प्रति व्यक्ति इस्पात का उपयोग क्रमशः १००, ५० व ४५ गुना है।

उपर्युक्त विवरण में स्पष्ट है कि भारत जहाँ एक ओर प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न है, वहीं दूसरी ओर उनकी जनता अत्यन्त निम्न जीवन-स्तर व्यतीत करती है। अतः भारत में सम्पन्नता के माप दरिद्रता का नामाङ्क है।

(७) विदेशी व्यापार तथा परिवहन (Foreign Trade and Transport)—भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि होन हुए भी, व्यापार की दृष्टि से भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। सन् १९४० में विश्व के कुल व्यापार में भारत का भाग २.०% था जो सन् १९५६ में बढ़कर ३.६% हो गया। किन्तु निर्यात सम्बद्धन के प्रयत्नों के होते हुए भी विश्व निर्यात व्यापार में भारत का अंश घटता जा रहा है। सन् १९५१ में विश्व निर्यात व्यापार में भारत का भाग ० प्रतिशत था, जो घटकर सन् १९७० में ०.७ प्रतिशत मान रह गया है।

परिवहन के क्षेत्र में भी भारत पिछड़ा हुआ है। डॉ० जानसन के अनुसार, भारत में प्रति १,००० वर्गमील क्षेत्र में बचन २७ मील रेल-मार्ग हैं जबकि इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा अमरीका में यह औसत क्रमशः २०४, १२० तथा ७४ मील है। भारत में प्रति वर्गमील केवल ०.३ मील सड़की हैं, जबकि इंग्लैण्ड, फ्रांस व अमरीका में यह औसत क्रमशः ३.२५, ३ व १ मील है। भारतीय जहाजों द्वारा भारत के कुल विदेशी व्यापार का केवल २०% भाग ले पाया जाता है।

(८) पूँजी का अभाव (Dearth of Capital)—नागरिक औसत आय विवक्षित देशों की तुलना में बहुत कम है अतः व्यक्तियों की बचतों की शक्ति स्वभावतः कम है, किन्तु फिर भी गत वर्षों में बचन की गति बढ़ रही है। १९५५-५६ में बचन की दर कुल राष्ट्रीय आय की ७.३ प्रतिशत थी जो १९६५-६६ में बढ़कर ११.५ प्रतिशत हो गयी। १९७०-७१ में यह प्रतिशत १७ तक पहुँचने की आशा है। यह आशा पूरी होने में एक बड़ी बाधा यह है कि गत वर्षों में वस्तुओं के मूल्य में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जिससे जनता की बचत की इच्छा एवं शक्ति दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है।

(९) प्राविधिक ज्ञान एवं शिक्षा का अभाव (Lack of Technical Know how and Education)—भारत में गत वर्षों में विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक क्षेत्रों में प्रगति होने पर भी बाँध बनाने, विशेष बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करना तथा मशीनों आदि का निर्माण करने सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान का अभाव है। इस प्राविधिक ज्ञान के अभाव में कृषि, उद्योग तथा यातायात आदि क्षेत्रों में उत्पत्ति की गति शिथिल एवं असन्तोषजनक है।

व्यापक विकास में शिक्षा का महत्त्व बताने हुए चेम्बर बोम्मन यह मत व्यक्त किया है कि "प्राकृतिक शक्तियों का नियन्त्रण करने और दायोचित रूप देने तथा एक न्यायपूर्ण, अनुमानित एवं गतिशील समाज की स्थापना करने के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।" मसाल विज्ञान तथा प्राविधिक क्षेत्रों में जिस गति से बढ़ रहा है उसका लाभ उठाने के लिए शत प्रतिशत व्यक्तियों का शिक्षित होना आवश्यक है। १९७१ की जनगणना के अनुसार, भारत में केवल २६.३५ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं जबकि शिक्षितों की संख्या सम्भवतः ५ प्रतिशत में भी कम होगी। फलतः बिन व्यक्तियों को जो मुद्रिणाएँ सरकार द्वारा दी जाती हैं, शिक्षा के अभाव में उन सुविधाओं को समझना और उनसे लाभ उठाना उनके लिए सम्भव नहीं है। अशिक्षा व कारण भारत का औसत नागरिक रुढ़िवादी है एवं अग्रविद्वांसों से ग्रस्त है जिसके कारण वह नवीन पद्धतियों एवं प्राविधियों को अपनाने में हिचकता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

(१०) परम्परावादी समाज (Conservative Society)—साधन सम्पन्न होने पर भी एक औसत भारतीय की आर्थिक दीनता समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों के कारण है। बाल-

१ Education is the most powerful of all our tools for controlling and shaping the forces of nature and creating an orderly dynamic and just society."

विवाह, मृतक भोज, विवाह तथा अन्य अवसरों पर अनुचित व्यय करने की परम्परा तथा अनेकानेक रीति-रिवाजों पर ऋण लेकर अनाप-शनाप घन व्यय किया जाता है। यह अनुत्पादक ऋण किसी भी दृष्टि से चुगना सम्भव नहीं है। पलत अनेक परिवार जो सामान्य रूप में एक स्वस्थ एवं सुखी जीवन बिताते, ऋण के दुखद भार से दबे रहते हैं और उनके अवाञ्छनीय कार्यों का फल उनके बाल-बच्चों तक को भुगतना पड़ता है।

(११) आर्थिक विषमता (Economic Disparity)—भारत में आर्थिक विषमता विद्यमान है। कुछ धनी व्यक्तियों के हाथों में कुल आय का अधिक भाग केन्द्रित है तथा अधिकांश व्यक्ति निर्धन हैं, जिनके पास कुल आय का बहुत कम भाग जाता है।

महालनोबिस समिति के अनुसार देश में केवल १% व्यक्तियों को कुल आय का १०% भाग प्राप्त होता है जबकि ५०% व्यक्तियों को कुल आय का केवल २२% भाग प्राप्त होता है। इस प्रकार भारत में आर्थिक विषमता अत्यधिक है।

(१२) एक विकासोन्मुखी अर्थ-व्यवस्था (A Developing Economy)—भारतीय अर्थ-व्यवस्था की उपर्युक्त विशेषताओं से यह आभास होता है कि यह एक पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था है। परन्तु देश में जब से योजनाबद्ध विकास प्रारम्भ हुआ है तब से भारतीय अर्थ-व्यवस्था विकास-पथ पर अग्रसर हो रही है। औद्योगिक दृष्टि से भारत का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है फिर भी देश का तेजी से औद्योगीकरण किया जा रहा है। योजनाबद्ध आर्थिक विकास के बीस वर्षों में भारत का औद्योगिक उत्पादन तीन गुने से भी अधिक हो गया है।

उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि भारत में अब भी एक अल्प विकसित देश है। कृषि की प्रधानता तथा उद्योग व सेवाओं का कम अंश आर्थिक पिछड़ेपन का ही प्रतीक है। भारत के आर्थिक ढाँचे में, विकास के होने हुए भी मूल परिवर्तन नहीं हुए हैं। कृषि का राष्ट्रीय आय में अब भी ५० प्रतिशत योगदान है। अमेरिका, जापान तथा ब्रिटेन जैसे देशों में आर्थिक विकास प्रारम्भ होने के कुछ काल पश्चात् कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में भाग ३ व १२ प्रतिशत के बीच है। उद्योगों का अंशदान क्रमशः बढ़ता गया है। भारत के आर्थिक ढाँचे में इस प्रकार का भी परिवर्तन अति दीर्घकाल में भी सम्भव नहीं प्रतीत होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास होते हुए भी इस क्षेत्र का अर्थ-व्यवस्था में अंश आठवाँ भाग मात्र है, दोप अंश निजी क्षेत्र का है। अतः भारतीय अर्थ-व्यवस्था मूलतः एक अल्प विकसित व निजी क्षेत्र प्रधान अर्थ-व्यवस्था है।<sup>1</sup>

---

---

स्वातन्त्र्योपरान्त भारतीय अर्थ-व्यवस्था  
(INDIAN ECONOMY SINCE INDEPENDENCE)

---

---



## भौगोलिक परिस्थितियाँ

### (PHYSICAL ENVIRONMENTS)

*"India is well marked off from the rest of Asia by mountains and the sea which give the country an unmistakable geographical unity"*

एशिया महाद्वीप के मानचित्र में भारत का एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि जहाँ उत्तर में साइबेरिया के बर्फीले मैदान दिखायी पड़ते हैं, जो प्रायः जनशून्य हैं, वहाँ दक्षिण में एक विशाल देश दृष्टिगोचर होता है जो धन जन से भरपूर है। एशिया का एक महत्वपूर्ण भाग होते हुए भी भारत एशिया के अविच्छिन्न देशों में प्रकृति द्वारा अलग कर दिया गया है। उत्तर में हिमालय की विस्तृत श्रेणियाँ उसे चीन, अफगानिस्तान आदि से अलग करती हैं तो पूर्व में चर्मा भी इन्हीं पर्वत-शृङ्खलाओं के कारण भारत से अलग दिखायी पड़ता है। इसी प्रकार पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में प्रमान की खाड़ी भारत की सीमा रेखा निर्मित करते हैं।

भारत उत्तरी गोलार्ध में लगभग ८°४' उत्तर में ३७°६' उत्तरी अक्षांश तथा ६८°७' से ९७°२५' पूर्वी देशान्तर रेखाओं के बीच फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण ३,२१९ किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व लगभग २,९७७ किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल लगभग ३२,६८ लाख वर्ग किलोमीटर है।

भारत की स्थल सीमा १५,१६८ किलोमीटर तथा समुद्र तट का विस्तार ५,६८९ किलोमीटर है।

भारत का क्षेत्रफल सम्पूर्ण सभार का २४ प्रतिशत है। इस विशाल भूखण्ड को उप-महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मोवियन रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन, ब्राजील तथा आस्ट्रेलिया के पश्चात् विश्व में भारत का क्षेत्रफल समुक्त राज्य अमेरिका का एक तिहाई तथा सोवियत रूस का मात्रार्धा भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत ब्रिटेन का तेरह गुना तथा जापान का आठ गुना है। भारत की लगभग ५५ करोड़ जनसंख्या (मन १९७१) विश्व की कुल जनसंख्या की १४ प्रतिशत है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का चीन के पश्चात् दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या मोवियन रूस समुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन की मिली जुनी जनसंख्या से भी अधिक है। रूस के अनिरिक्त यूरोप का प्रत्येक देश भारत के राज्य मध्य प्रदेश से छोटा है। अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्रिटेन तथा कनाडा की मिली-जुली जनसंख्या से भी अधिक है। भारत की विंगलता, उसका विपुल जन-समुदाय, उसके निवासियों की विविधता, उसका गौरवमय प्राचीन वैभव, उसकी अमूर्ती संस्कृति, उसकी भाषाएँ, उसकी राजनीतिक श्रेष्ठता तथा उसकी भू-संरचना

जलवायु, वनस्पति व प्राकृतिक साधनों की विविधता, उसे एक उप-महाद्वीप की श्रेणी में खड़ा करत हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातन्त्रात्मक देश है।

### प्राकृतिक विभाग (NATURAL DIVISION)

भारत को प्राकृतिक दृष्टि से पाँच स्पष्ट भागों में बाँटा जा सकता है

- (१) हिमालय का पर्वतीय प्रदेश,
- (२) गंगा और यमुना का मैदान,
- (३) दक्षिणी प्रायद्वीप,
- (४) समुद्रतटीय मैदान,
- (५) पश्चिम का मरुस्थल।

१ हिमालय का पर्वतीय प्रदेश—भारत के उत्तरी भाग में हिमालय की तीन समानान्तर शृङ्खलाएँ हैं जो पूर्व से पश्चिम तक लगभग २,४१४ किलोमीटर की लम्बाई में फैली हुई हैं। उत्तरी भाग में ये शृङ्खलाएँ बहुत ऊँची हैं और ससार की कुछ ऊँची से ऊँची चोटियाँ इसी भाग में विद्यमान हैं। यह भाग वर्ष के प्रायः सभी महीनों में धरक से ढका रहता है। केवल ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में जब जेलिपला तथा नानूला आदि दूरें खुल जाते हैं, तब तिब्बत से व्यापार सम्भव हो जाता है। इन महीनों में तिब्बत से ऊन, सुहागा तथा टट्टू भारत आने रहते हैं और वस्त्र, शस्त्र तथा अन्य निर्मित माल निर्यात होता रहता है। तिब्बत पर चीन का आधिपत्य होने के बाद यह व्यापार प्रायः समाप्त हो गया है।

उत्तरी श्रेणियाँ—उत्तरी भाग की पर्वत श्रेणियाँ ऊँची होने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम है किन्तु दस हजार फुट की ऊँचाई तक जगह-जगह पर ग्राम बसे हुए हैं। इन क्षेत्रों में लोग भेड़-बकरियाँ पालते हैं तथा कहीं कहीं ग्रीष्म ऋतु में चावल की खेती भी करत हैं। कुछ लोग जटी-बूटियाँ एकत्र करते हैं तथा उन्हें मैदानों में लाकर बेच देते हैं। इस भाग में चीड़, देवदार तथा अखरोट के पेड़ हैं जिनकी लकड़ी काटकर नदियों में बहा दी जाती है। मैदानी भाग में लोग इन लकड़ियों को एकत्र कर लेते हैं और फनीचर तथा रोनों का सामान बनाने और पुदाई आदि करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस भाग में लोग बहुत दरिद्र किन्तु सशक्त हैं, क्योंकि उनका जीवन अत्यन्त कठिन है।

पश्चिमी भाग—पश्चिमी हिमालय प्रदेश में दाशभीर घाटी है तथा उत्तर के कुछ निचले भागों में काँगडा और कुल्लू की घाटियाँ हैं। ये घाटियाँ बहुत मुरम्ब तथा रमणीक हैं। इनमें अनेक प्रकार के फल तथा सब्जियाँ उत्पन्न होती हैं। लोगों का मुख्य पेशा खेती करना है जिसमें माघ माघ भेड़-बकरियाँ पालने का व्यवसाय भी होता है। खेती की मुख्य उत्पत्ति चावल है। इसके अनिश्चित कहीं कहीं लोग ऊन से नमद, कम्बल अथवा शाल बनाने का व्यवसाय भी करते हैं अथवा अखरोट की लकड़ी पर पुदाई का काम करते हैं। इस क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र से आवागमन के साधन कुछ शीघ्र हैं क्योंकि कहीं-कहीं सड़कें निर्मित कर दी गयी हैं। इन प्रदेशों के सौन्दर्य के कारण इन स्थानों पर प्रतिवर्ष बहुत से पर्यटक देश विदेशों से आते रहते हैं।

पूर्वी-प्रदेश—पूर्वी हिमालय में खासी, जयंतिया तथा गारो की पहाड़ियाँ भी बहुत लीची हैं। इस भाग में अल्पधिया वर्षा होने के कारण बहुत घने वन हैं। इन वनों में अनेक स्थानों पर शम्भू के बीड़े पाने जाते हैं जिनसे रेशम तैयार किया जाता है। अहाँ वन अधिकांश नहीं हैं वहाँ चावल तथा चाय की खेती की जाती है। इस भाग के उनमें ही भागा जाति के लोग रहते हैं जो प्रायः अमरुष एवं खंगार हैं। इस क्षेत्र में भी आवागमन के साधनों का अभाव है।

गंगा के, निम्नतम के पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या साधारण है, जाने-जाने के साधन अविकसित हैं तथा उद्योग एवं व्यवसाय का प्रायः अभाव है। इस प्रदेश के लोग बहुत परिश्रमी

तथा सबल है किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इन सब परिस्थितियों का कारण यही है कि भौगोलिक वातावरण उनके अशुभ नहीं है।

**हिमालय के अन्य प्रभाव**—हिमालय भारत के आर्थिक जीवन पर व्यापक प्रभाव डालना है जिसका अनुमान निम्न तथ्यों से हो सकता है

(i) वर्षा—यह अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाओं को रोककर मम्सूण उत्तर भारत में वर्षा करवाता है। इनके साथ ही यह माइग्रेशन में आने वाली शीत लहरों को भारत में आने से रोकता है जिससे यहाँ की जलवायु तथा फसलें उन लहरों के दुष्प्रभाव से बची रहती हैं।

(ii) नदियाँ और सिंचाई—हिमालय में अनेक नदियाँ निकलकर उत्तरी मैदान में बहती हैं और उनमें सदा पर्याप्त जल बना रहता है। इस जल से मैदान में उत्पन्न की जाने वाली फसलों की निश्चित सिंचाई सम्भव होती है। वाष्पन में, इस मैदान का निर्माण एवं विनाश ही इन नदियों द्वारा हुआ है और भविष्य भी इन नदियों पर ही निर्भर है। इस दृष्टि में यह कहना सर्वथा सत्य है कि 'उत्तरी मैदान हिमालय का बरदान' है।

(iii) वनस्पति—हिमालय में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, लकड़ी तथा घास आदि प्राप्त होती हैं जिनके आधार पर अनेक प्रकार के व्यवसाय संचालित किये जाते हैं।

(iv) स्वास्थ्यवर्द्धक स्थान—हिमालय की सुरम्य घाटियाँ अनेक व्यक्तियों के आराम का केन्द्र हैं तथा इस क्षेत्र के स्वास्थ्यवर्द्धक स्थानों पर अनेक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं।

(v) पशुपालन—हिमालय क्षेत्र में जो भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं उनके बाल तथा ऊन बहुत उपयोगी हैं और वह ऊनी वस्त्र बनाने के लिए काम में लाये जाते हैं जिससे अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है।

(vi) खनिज—भूगर्भशास्त्रियों का अनुमान है कि हिमालय क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खनिज तेल है जिसकी खोज की जा रही है। तेल प्राप्त होने पर इस क्षेत्र का विकास करने में अत्रिणात्मक सहायता मिल सकेगी तथा देश के आर्थिक विकास में भी समुचित योग मिल सकेगा।

**२ गंगा और सिन्धु का मैदान**—यह मैदान लगभग २,४०० किलोमीटर लम्बा है तथा इसकी चौड़ाई अनेक स्थानों पर २००-३०० किलोमीटर है। कहा जाता है कि इस मैदान के स्थान पर किसी समय 'टिथीम' नाम का नगर था जो उत्तर में ईरानी पठार तक फैला हुआ था। सिन्धु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियाँ इस नगर में गिरती थीं। यह सागर बहुत उदला था और इसमें गिरने वाली नदियाँ अपने साथ अत्यधिक मिट्टी लाकर जमा करती रहीं। शताब्दियों तक चलने वाले इस क्रम से कालान्तर में यह नगर मिट्टी से पूर्ण हो गया और मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। नदियों की कठारी मिट्टी द्वारा निर्मित होने के कारण ही यह मैदान इतना अधिक उपजाऊ है।

**उपज और जनसंख्या**—भारत की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि से युक्त यह मैदान अनेक फसलें उत्पन्न करता है जिनमें गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, तिलहन आदि सम्मिलित हैं। इन प्रकार की दृष्टि में यह मैदान बहुत सम्पन्न है। समतल होने के कारण इस मैदान पर परिवहन के साधनों का यथेष्ट विकास हो गया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में उद्योगों का भी काफी विकास हो गया है। वस्तुतः इस मैदान में जनसंख्या बहुत घनी है।

**व्यवसाय**—स्वभावतः इस मैदान के निवासियों के व्यवसाय में खेती तथा उद्योग दोनों का समान महत्त्व है। वस्त्र, चीनी, पटसन, सीमेंट, कागज तथा चमड़ा उद्योग इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग हैं जिनमें लाखों श्रमिक काम करते हैं। इन उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल ने न केवल देश के लोगों को उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है बल्कि निर्यात में विदेशी विनिमय की आय भी होती है।

सामाजिक महत्त्व—उत्तरी मैदान का भारत का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि एक ओर तो यह राष्ट्र के धनधान्य-वृद्धि में अधिकांश योगदान करता है, दूसरी ओर यह देश के प्रायः सभी अन्य भागों के आकर्षण का केन्द्र है। देश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक परम्परा का समन्वय करने में इस भू-भाग का अत्यधिक सहयोग रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में देश के प्रायः सभी भागों के लोग निवास करते हैं तथा इसके मूल निवासी भारत के प्रायः सभी भागों में फैले हुए हैं। उत्तरी मैदान वास्तव में भारत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

३ दक्षिणी प्रायद्वीप—गंगा यमुना के मैदान के दक्षिण में जो पठारी भाग है यह ज्वालामुखी पर्वतों से निर्मले हुए लावा से निर्मित है। इसलिए इसकी मिट्टी काली या लाल है। इस पठार में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। कोयला, लोहा, मँगनीज, डोलोमाइट, चूने का पत्थर, शोरियम, स्वर्ण तथा बॉक्साइट आदि अनेक मूल्यवान् पदार्थ इस क्षेत्र में मिलते हैं। खनिज पदार्थों की उपलब्धि के कारण इस भाग में लौह-इस्पात, जहाज, सीमेंट तथा अन्य कई प्रकार के उद्योग स्थापित हो गये हैं, इन क्षेत्रों में मूंगफली तथा कपास प्रचुर मात्रा में पैदा होती है जिसके कारण वस्त्रपति तेल तथा वस्त्र उद्योग का भी इस क्षेत्र में बड़े-बड़े विकास हो गये हैं।

तिचाई और उपज—पठारी भाग होने के कारण इस क्षेत्र में जो नदियाँ हैं (महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती आदि) वे अधिक दूरी से चलने वाली हैं। उनसे नहरें निकालना भी सम्भव नहीं है क्योंकि न तो उनमें बारह महीने जल रहता है और न ही इस भाग में नहरें खोदना सम्भव है। अनेक स्थानों पर बड़े-बड़े तालाब या तो अपने आप बन गये हैं या लोगों द्वारा बना लिये गये हैं जिनमें वर्षा-काल में पानी जमा हो जाता है और तिचाई के काम आता है, इनके द्वारा ही तिलहन, कपास तथा गरम मसाले और तम्बाकू उत्पन्न किये जाते हैं। इनके अनिश्चित इस भाग में बड़े-बड़े माना में (नीलगिरि की पहाड़ियों में) चाय भी उत्पन्न होती है। वस्तुतः पठारी भाग होने के कारण यह भाग कृषि की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है किन्तु उद्योग की दृष्टि से इसका बड़े-बड़े विकास हो गया है।

४ तटीय मैदान—दक्षिणी प्रायद्वीप के पश्चिमी तथा पूर्वी किनारों की भूमि मैदानी है। ये मैदान भी नदियों की मिट्टी से बने हैं तथा बहुत उपजाऊ हैं। तटीय मैदान दो हैं (१) पूर्वी तटीय मैदान तथा (२) पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच उत्तर में उड़ीसा के तट से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के किनारे-किनारे मूरत से कुमारी अन्तरीप तक फैला हुआ है। इस मैदान की लम्बाई लगभग १,५०० किलोमीटर तथा चौड़ाई २५ किलोमीटर मात्र है। इन मैदानों में (जिन्हें नदियों के डेल्टे कहना अधिक उपयुक्त होगा) चावल, गन्ना, नारियल तथा पटसन प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है। पश्चिमी तट के मैदान में वर्षा अधिक होती है, अतः वहाँ गरम मसाले तथा नारियल अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं।

५ पश्चिमी मरुस्थल—भारत के पश्चिम में (पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ पार का मरुस्थल है। इस मरुस्थल का विस्तार लगभग एक लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मरुस्थल में राजस्थान के जोपुर तथा बीकानेर विभाग के अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित हैं। मरुस्थल प्रदेश की जलवायु अत्यधिक गर्म है। रात तथा दिन के तापक्रम में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत अधिकांश भागों में ५ इंच है। यह भाग प्राकृतिक दृष्टि से अन्य भागों से सर्वथा भिन्न है क्योंकि इसके अधिकांश भागों में बालू-रेत फैली हुई है, मीलों तक जन उपलब्ध नहीं होता और वाटेंदार झाड़ियों के अनिश्चित किमी प्रकार की वनस्पति दृष्टिगोचर नहीं होती।

इस मरुस्थलीय प्रदेश में प्रायः एक फसल होती है जो गरमी की मानसूनी वर्षा द्वारा

उत्पन्न की जाती है। मूँग, मोठ, बाजरा, तिल तथा ग्वार इस प्रदेश की मुख्य उपज हैं। लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन है। जिन क्षेत्रों में भेड़ प्रचुरता पायी जाती हैं वहाँ ऊन का व्यवसाय बहुत उद्यत हो गया है। बीरानेर से नमद तथा गलीचे विदेशों को निर्यात किये जाते हैं। इस मरुस्थल के अनेक भागों में आने जान का एकमात्र साधन ऊँट है जो सवारी तथा सामान ढोने के काम आता है।

इस प्रदेश के कुछ भागों में भाकड़ा की नहरें पड़ चुकी हैं जिनके कारण पेड़ें चना, कपास तथा गन्ना उत्पन्न होने लगे हैं। गंगानगर जिनके अनेक भाग गंगा नहर के कारण हर-भरे हो गये हैं। इन भागों में रेलों तथा सड़कों का भी यथेष्ट विकास हो गया है और चीनी, बरत तथा तेल के कारखाने स्थापित हो गये हैं। राजस्थान नहर योजना के कार्यान्वित होने से इस प्रदेश में कृषि एवं उद्योगों का समुचित विकास हो सकेगा जिससे यहाँ के निवासियों को अधिकाधिक सुख समृद्धि सुलभ हो सकेगी।

उपर्युक्त विवरण में स्पष्ट है कि भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के व्यवसाय, उद्योग तथा सामाजिक जीवन उन देशों के प्रकृत एवं भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। पर्वत, मैदान तथा पठारी प्रदेशों में कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय भिन्न-भिन्न वहाँ की प्राकृतिक योजनाओं पर आधारित हैं। इन पर जनजातों का भी प्रभाव पड़ता है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है

### जलवायु

जलवायु सम्बन्धी जितनी विभिन्नताएँ भारत में पायी जाती हैं, उतनी सत्तर के किसी भी अन्य देश में नहीं पायी जाती। भारत की जलवायु की विषयवस्तुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रसिद्ध भूगोलशास्त्री माकडेन ने कहा है, 'विश्व की सम्पूर्ण जलवायु भारत में मिलती है।' भारत की जलवायु मानसूनी है। उत्तरी भारत की जलवायु शीतोष्ण कटिबन्धीय तथा दक्षिणी भारत की जलवायु उष्ण कटिबन्धीय है। मुख्य रूप से भारत की जलवायु द्वायिक मानसूनी है, परन्तु देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पायी जाती है। भारतीय प्रायद्वीप की आकृति, उसकी विपुलतरेखा से दूरी, उसके उत्तरी भाग का हिमालय पर्वत द्वारा घेराव, समुद्र से दूरा होना उसके जलवायु को प्रभावित करती हैं।

भारत विपुलतरेखा के उत्तर में स्थित है और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ भाग विपुलतरेखा के बहुत निकट पड़ते हैं। इन भागों में साल भर गरम जलवायु रहती है, केवल दिसम्बर-जनवरी के महीनों में जबकि सूर्य गकररेखा (आस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग) पर लम्बवत् चमकता है, सामान्य शीत होतो है। दूसरी बात यह है कि दक्षिण के अधिकांश भाग समुद्र से भी अधिक दूर नहीं हैं अतः वहाँ गरमी और सरदी के तापमानों में अत्यधिक अन्तर नहीं होता। मैंगलोर के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है।

### मैंगलोर में तापक्रम (सेण्टीग्रेड)

	न्यूनतम	अधिकतम
जनवरी	२१.४	३१.७
जून	२३.८	२६.२

इसके विपरीत, गकरेखा उत्तरी भाग की लगभग विभाजित करती हुई जाती है। जून के महीने में सूर्य गकरेखा पर लम्बवत् चमकता है, अतः उत्तर भारत में बहुत अधिक गरम तापमान हो जाता है। यहाँ तक कि नागपुर में तापमान ४२°—४४° सेण्टीग्रेड तक ऊँचा चला जाता है। शुष्कमाने वाली गरमी से भूमि तप उठती है और लखनऊ, वाराणसी, नागपुर आदि स्थानों पर लुप्त से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। दिसम्बर तथा जनवरी में जब सूर्य गकरेखा पर

होता है तो उत्तर भारत उससे बहुत दूर होता है अतः वहाँ तापमान बहुत गिर जाता है। उदाहरणतः तापपुर का जनवरी का न्यूनतम तापमान १४° सेण्टीग्रेड तक पहुँच जाता है। अनेक अन्य स्थानों (जैसे आगरा, दिल्ली, सीकर) में वह शून्य दर्जे तक भी पहुँच जाता है।

उपर्युक्त विवरण से हम निम्न निष्कर्षों पर पहुँचते हैं

(१) दक्षिण भारत में (विषुवरेखा के निकट होने के कारण) तापमान प्रायः वर्ष भर ऊँचा रहता है और वहाँ सरदी कम पड़ती है। दक्षिणी क्षेत्रों में विभिन्न ऋतुओं के तापमान में अन्तर भी कम होता है।

(२) उत्तर भारत में जलवायु प्रायः अधिक गरम और अधिक ठण्डी होती है। वहाँ दिसम्बर-जनवरी में कटाके की मरदी और मई जून में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में अन्तर भी अत्यधिक होता है।

(३) समुद्र के किनारे बसे स्थानों में जलवायु ममशीतोष्ण होती है।

तापमान का प्रभाव—तापमान का लोगों में रहने-पहनने, खान-पान तथा वर्षों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दक्षिण भारत में शीत कम होने के कारण वहाँ के निवासियों को गरम वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, लोग ढीले रवेत वस्त्र अधिक पहनते हैं। उत्तर भारत में स्थिति सर्वथा भिन्न है जहाँ अधिक गर्मी तथा अधिक सरदी होने के कारण लोगों को गरम वस्त्र पहनने पड़ते हैं।

जिन भागों में तापमान अधिक होता है उन भागों में प्रायः वर्षा अधिक होती है। विषुवरेखीय प्रदेशों में प्रायः साल भर वर्षा होती रहती है। भारत में भी अधिक वर्षा गर्मी के महीनों (जुलाई-मिसेम्बर) में ही होती है। अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में चावल तथा मक्का अधिक उत्पन्न होते हैं और यही लोगों के भोजन का प्रमुख अंग बन जाने हैं। दक्षिण तथा पूर्वी भारत के निवासियों का प्रमुख भोजन चावल ही है।

ऋतुएँ—भारत में सामान्यतः तीन ऋतुएँ होती हैं जिनका क्रम इस प्रकार है—माचों से जून तक गर्मी, जुलाई से सितम्बर तक वर्षा तथा अक्टूबर से फरवरी तक सरदी। गर्मी, मरदी, तथा वर्षा के अगली मास तो दो दो ही होते हैं, जैसे—गर्मी मुख्यतः मई-जून, वर्षा जुलाई-अगस्त तथा सरदी दिसम्बर-जनवरी में अधिक होती है। सरदी की समाप्ति पर दस-त तथा वर्षा की समाप्ति पर हेमन्त ऋतु आरम्भ होती है।

वर्षा—भारत विषुवरेखा के उत्तर में है तथा कर्क रेखा उसके उत्तरी भाग के बीच में होकर निकलती है। अतः वहाँ अधिकतर वर्षा गर्मी की ऋतु में ही होती है। जून में सूर्य कर्क रेखा पर लम्बवत् चमकता है। अतः उत्तर भारत का स्थल प्रदेश अत्यधिक गरम हो जाता है। इस भाग में हवा भी बहुत गरम हो जाती है और गरम होने के कारण उठती है। पश्चिम तथा दक्षिण के समुद्री भाग अपेक्षाकृत कम गरम होने हैं अतः गरम हवाओं का स्थान ग्रहण करने के लिए समुद्र की ओर में हवाएँ स्थल की ओर चलन लगती हैं। समुद्र की ओर से आने के कारण इन हवाओं में जल होता है, अतः जहाँ इन्हें दृष्ट पर्वतीय रूपावट मिल जाती है वही वर्षा कर देती हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून की दो शाखाएँ हैं—प्रथम शाखा अरब सागर शाखा है। जून-जुलाई में जब उत्तर भारत में अत्यधिक गर्मी होती है तो अरब सागर से स्थल की ओर हवाएँ चलने लगती हैं जो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, मलाबार, कोंकण आदि में लगभग १०० इंच वर्षा करती हैं। इसी प्रकार दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएँ सीधे जासाम की पहाड़ियों से टकराती हैं और वहाँ असीमित मात्रा में जल धरसाती हैं।

दिसम्बर-जनवरी के महीनों में फारस की खाड़ी की ओर में चक्रवात आकर उत्तरी भारत के कुछ भागों में वर्षा कर देते हैं तथा सरदी की मानसून हवाएँ भारत के पूर्वी तट पर भी कुछ वर्षा करती हैं।

**वर्षा का प्रभाव—** भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में वर्षा का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है वहाँ घने वन तथा वनस्पति दृष्टिगोचर होती है और कम वर्षा वाले प्रदेशों में वनस्पति का सर्वथा अभाव है। हिमाचल प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी घाटी पर वनस्पति की प्रचुरता का एवमात्र कारण वर्षा का बाहुल्य है। इन भागों में १०० इंच में अधिक वार्षिक वर्षा होती है। इसके विपरीत, पंजाब तथा राजस्थान में वनस्पति का प्रायः अभाव है। इन प्रदेशों में बाटेदार झाड़ियाँ अथवा मामान्य पेड़-पौधे ही दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि इनमें वार्षिक वर्षा प्रायः २० इंच में कम होती है।

वर्षा का दूसरा प्रभाव फसलों पर पड़ता है। जिन भागों में अधिक वर्षा होती है वहाँ प्रायः चावल, गन्ना, आदि फसलें उत्पन्न होती हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि फसलों के उत्पन्न करने में भूमि का उतना अधिक महत्त्व नहीं है जितना जल का। इसीलिए राजस्थान के गणानगर जिले में जहाँ पानी का अभाव नहीं है, यथेष्ट मात्रा में गेहूँ, चावल, कपास तथा गन्ना उत्पन्न होने लगा है।

वर्षा का प्रभाव भूमि तथा जन-जीवन पर भी बहुत पड़ता है। जिन भागों में वर्षा अच्छी होती है वहाँ की भूमि क्रमशः उपजाऊ होती चली जाती है। वास्तव में, भूमि का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन जल होता है। इसी प्रकार वर्षा के कारण लोगों के रहने-महने पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। अधिक वर्षा वाले भागों में लोग हलके वस्त्र धारण करते हैं तथा मजदूरों मकानों का निर्माण करते हैं। बिहार तथा आसाम व अनेक भागों में लोग नावें रखते हैं ताकि वर्षा में बाढ़ आने पर उनका प्रयोग किया जा सके। आसाम, बम्बई तथा कलकत्ता के निवासी वर्षा ऋतु आने के पूर्व उचित वस्त्रों तथा अन्य उपकरणों की व्यवस्था कर लेते हैं ताकि उन्हें कठिनाई न हो। राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में वर्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

### मानसून और भारतीय अर्थ-व्यवस्था

भारत में लगभग सम्पूर्ण वर्षा ही मानसून द्वारा होती है। मानसून का अर्थ मौसम है और इनसे वर्षा सरदी तथा सरदी के मौसम में विशेष समय पर होती है। मानसून हवाएँ सर्वथा अनिश्चित होती हैं, अतः इन पर निर्भर रहने में भारतीय कृषि भी अत्यन्त अनिश्चित अवस्था में रहती है। मानसून हवाओं की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

(१) अनिश्चितता—ये कभी जुलाई में आरम्भ हो जाती हैं तो कभी-कभी अगस्त तक भी आरम्भ नहीं होती। इससे फसलों की बुवाई में बहुत अनिश्चितता रहती है।

(२) वर्षा की अनिश्चितता—इन हवाओं से कभी कभी आवश्यक वर्षा हो जाती है किन्तु कभी-कभी अनिष्ट अथवा अनावृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(३) वर्षा की मात्रा—मानसून हवाएँ कुछ क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा करती हैं और कुछ लगभग सूखा छोड़ देती हैं। इसीलिए पुष्टि इस तथ्य से होती है कि आसाम तथा पश्चिमी घाटी पर अधिक वर्षा होती है जबकि पंजाब तथा राजस्थान के बहुत से भाग प्रायः वर्षाहीन ही रह जाते हैं।

भारत की अर्थ-व्यवस्था मानसून हवाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती है इसीलिए भारतीय कृषि को 'मानसून का जुआ' (Gamble in the monsoons) कहा गया है। वस्तुतः भारतीय कृषि ही नहीं, भारतीय अर्थ-व्यवस्था भी मानसून का जुआ है।

### सम्पन्नता का कारण

जिस वर्ष मानसून ध्याजा न समय पर वर्षा हो जाती है तथा इनकी मात्रा यथेष्ट होती है उस वर्ष खाद्यान्न तथा अन्य फसलों प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो जाती हैं। परन्तु भारत को विदेशों में खाद्यान्न बहुत कम आयात करना पड़ने है जिसमें विशेषी विनिमय की वचन हो जाती है। इसके अनिश्चित देश में खाद्यान्नों के मूल्यों में विशेष वृद्धि नहीं होती जिसमें जनता को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। किसानों का भी फसलों के विक्रय में अच्छी आय हो जाती है जिससे उनको अधिक सम्मानजनक जीवन विधान का अवसर मिल जाता है। उनका ऋण-भार भी कम हो जाता है जिसमें ऋषिय में कृषि की उत्पत्ति की सम्माननाएँ बट जाती हैं। इसके अनिश्चित किसानों का जगने मौसम में भी हल, बँत या बीज के लिए ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन सब तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि मानसून द्वारा उचित मात्रा में वर्षा कर देने से भारतीय कृषि तथा किसान दोनों की स्थिति में सुधार हो जाता है।

**उद्योग—**कृषि क अनिश्चित उद्योगों पर भी जन्ठे मानसून का अच्छा प्रभाव पड़ता है। कपास, जूट गन्ना, लिट्टन आदि की फसलों अच्छी होने पर स्वभावतः मिलों तथा कारखानों को पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर कच्चा मान मिल जाता है जिसमें सम्बन्धित उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। इन कारखानों में अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है और मजदूरों तथा उद्योगानियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने से निर्यात व्यापार में भी उत्पत्ति होती है जिसमें भारत के व्यापार मन्त्रालय में आशाशील लाभ होने लगता है। इस प्रकार मानसून देश की कृषि व्यवसाय, उद्योग, किसान तथा मजदूर सभी के लिए लाभदायक परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है।

**विरतता (गरीबी) की छोटक—**कभी-कभी मानसून के कारण देश में जलवायु वर्षा हो जाती है या बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में फसलें नष्ट हो जाती हैं या बहुत कम उत्पन्न होती हैं। इसके फलस्वरूप देश में कृषि वस्तुओं के मूल्य उठाने लगते हैं। अनाज, कपास तथा पटसन विदेशों में आयात भी करना पड़ता है जिसमें विदेशी मुद्रा की कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। किसानों का जीवन निर्वाह तथा खेती के कार्यों के वास्तु ऋण लेना पड़ता है। सरकार को भी विदेशों मान का भुगतान करने के लिए विदेशों में ऋण लेना पड़ता है।

मानसून की अमफलता का एक प्रभाव यह होता है कि उद्योगों के वास्ते कच्चे माल की कमी पड़ जाती है और उनका उत्पादन कम हो जाता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि उद्योगों में कम मजदूरों का रोजगार मिलता है। इन प्रकार देश में खेती तथा उद्योग दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी फैल जाती है। देश में सब जगह अजाति और अमनोप का बनावरण उत्पन्न हो जाता है। इसके फलस्वरूप सरकार को भूमि पर लगान वसूली में छूट देनी पड़ती है। लोगों की आय कम हो जाना सरकार को अन्य तरीके से भी कम रकम प्राप्त होती है। इस आर्थिक कठिनाई का सामना करने के लिए घाटे के बजट का सहारा लेना पड़ता है जिसमें देश में मुद्रा-स्फीति का मय उत्पन्न हो जाता है तथा मूल्यों में अधिक वृद्धि होने लगती है।

इन प्रकार समय पर पर्याप्त मात्रा में आन पर मानसून एक बरदान होती है जबकि अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि देश के लिए अमिशन बन जाती है।

### प्रश्न

- भारत के आर्थिक विकास पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा है ? विस्तृत विवेचना कीजिए।

(आगरा, वी० कॉम०, १९४४, ५४)



२. "किन्ती देश के आर्थिक विकास पर वनों के प्राकृतिक साधनों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।" इस कथन की पुष्टि भारत की दशाओं को ध्यान में रखते हुए कीजिए।
३. भारत के भौगोलिक वातावरण का वर्णन कीजिए। उनका देश के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है ?  
(विद्यमान, बी० ए०, १९६१)
४. भारत के आर्थिक विकास पर जनसाधु, परिस्थितियों तथा भौगोलिक स्थिति के प्रभावों की विवेचना कीजिए।  
(आगरा, बी० कॉम०, १९५८)
५. "भौगोलिक परिस्थिति देश का बड़े नीचे का पत्थर है जिस पर किसी देश के आर्थिक विकास का महत्त्व खाड़ा होता है।" विवेचना कीजिए।  
(आगरा, बी० कॉम०, १९६१)
६. भारत के आर्थिक जीवन पर भौगोलिक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ा है ? स्पष्ट कीजिए।  
(पञ्जाब, बी० ए०, १९६१)
- "आर्थिक विकास एक देश के प्राकृतिक वातावरण तथा जनता के प्रशिक्षण की एक क्रिया है।" इस कथन का विश्लेषण भारतीय आर्थिक प्रगति के उद्घरण में कीजिए।  
(राजस्थान, बी० कॉम०, १९५६)
८. भारत के आर्थिक विकास पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव दर्शाइए।  
(राजस्थान, बी० कॉम०, १९६२)

*"With her coal her iron, her man power, India could share Asiatic leadership with China or perhaps assume the outstanding role in the industrial development of Asia"*

—An American Professor of Geology

### प्राकृतिक साधन तथा आर्थिक विकास

#### (NATURAL RESOURCES AND ECONOMIC DEVELOPMENT)

रिची देश का आर्थिक विकास उसके प्राकृतिक साधनों एवं मानवीय तत्त्वों पर निर्भर करता है। अनेक बार प्राकृतिक साधनों में सम्पन्न देश भी मानवीय तत्त्व के अभाव अथवा दुर्बलता के कारण आर्थिक विकास में पीछे रह जाते हैं और कम प्राकृतिक साधनों वाले देश सबल मानवीय शक्ति के सहयोग से त्वरित गति में विकास करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जापान इसका उदाहरण है। भारत को शताब्दियों की दायता के कारण अपने प्राकृतिक साधनों का विकास करने का अवसर अथवा उन्माह प्राप्त नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप वह सम्पन्न होते हुए भी दरिद्र बना रहा।

आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक साधन, मानवीय साधन, पूँजी तथा उन्नत उत्पादन विधि की आवश्यकता होती है। अन्य बातों के समान होने पर, प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न देश का आर्थिक विकास तजी से होता है, केवल प्राकृतिक साधनों का ही पाया जाना आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रो० लेविस के शब्दों में, "The extent of a country's resources is quite obviously a limit on the amount and type of development which it can

tergo It is not the only limit, or even the primary limit"<sup>1</sup> केवल प्राकृतिक साधनों की उपलब्धि ही एक देश को विकसित नहीं कर सकती। भारत इसका उदाहरण है। अर्थ विकसित देशों की पूँजीगत वस्तुओं, प्राविधिक ज्ञान आदि के लिए विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ना है। अतः यदि किसी अर्थ विकसित देश के पास प्राकृतिक साधन भी नहीं हैं तो उसका आर्थिक विकास करना कठिन होगा। कम से कम कुछ मुख्य प्राकृतिक साधनों का पाया जाना आवश्यक है। ब्रिटेन एक विकसित देश है, उसके पास प्राकृतिक साधनों की बहुलता नहीं है। परन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि ब्रिटेन का आर्थिक विकास सम्भवतः इस सीमा तक नहीं हो पाता और वहाँ पर औद्योगिक क्रांति को भी इसनी सफलता नहीं मिलती यदि ब्रिटेन के पास मूल

<sup>1</sup> W. A. Lewis *The Theory of Economic Growth*, p. 52

प्राकृतिक साधन कोयना तथा लोहा नहीं होता। इस प्रकार प्राकृतिक साधनों के महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

यह सम्भव है कि एक देश जिसके पास वर्तमान समय में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं भविष्य में प्राकृतिक साधनों में धनी हो सकता है। समय व्यतीत होने तथा आवश्यकता से प्रेरित होकर विज्ञान की सहायता से नये नये प्राकृतिक साधनों का पता लगाया जा सकता है या वर्तमान प्राकृतिक साधनों का भी नयी विधियों द्वारा उपयोग तथा महत्त्व बढ़ाया जा सकता है। आज में पन्द्रह वर्ष पूर्व यह कहा जाता था कि भारत के पास प्राकृतिक तेल बहुत ही अपर्याप्त तथा सीमित मात्रा में हैं। परन्तु आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज हम जानते हैं कि भारत में नये तेल क्षेत्रों का पता लगाया गया है तथा प्राकृतिक तेल के मामले में भारत अपने ही साधनों पर काफी लम्बे समय तक निर्भर रह सकता है।

आर्थिक विकास के साथ ही साथ प्राकृतिक साधनों के महत्त्व एवं उपयोग में परिवर्तन होता रहता है। प्राकृतिक साधनों का उपयोग बड़ी सतर्कता से करना चाहिए। सामान्यतः प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए।

(१) प्राकृतिक साधनों का उपयोग मितव्ययितापूर्ण होना चाहिए, उनको दुरुपयोग से बचना चाहिए।

(२) साधनों का प्रयोग इस प्रकार नियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाय, जिसमें दीर्घकाल में भी देश को अन्य देशों पर निर्भर न रहना पड़े।

(३) कुछ प्राकृतिक साधन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग बहुउद्देशीय होना है, जैसे जल। ऐसे साधनों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में साधनों का अधिकतम उपयोग होना चाहिए।

(४) जहाँ तक सम्भव हो, सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना प्राकृतिक साधनों के पास होनी चाहिए।

### भारत के प्राकृतिक साधन

'प्राकृतिक साधन' के अन्तर्गत उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य को प्रकृति द्वारा उपहारस्वरूप पृथ्वी के गर्भ में तथा पृथ्वी की सतह पर प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार भूमि या मिट्टी, जल, पशु, वन, मछली खनिज प्रसाधन, यहाँ तक कि जलवायु तथा प्राकृतिक स्थिति को भी प्राकृतिक साधन का अंग माना जाता है। भारत प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न देश है। यहाँ पर प्रायः सभी प्रकार के प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त मात्रा में भण्डार पाया जाता है।

भारत में उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक साधनों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :

- (१) भूमि तथा मिट्टी (Land and soil),
- (२) खनिज सम्पत्ति (Mineral wealth),
- (३) शक्ति के साधन (Power resources),
- (४) वन सम्पत्ति (Forest wealth),
- (५) सामुद्रिक सम्पत्ति—मछली (Sea-wealth—Fishes),
- (६) पशुधन (Livestock)।

### १. भूमि तथा मिट्टी (LAND AND SOIL)

देश का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन भूमि है जो कृषि के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। गत वर्षों में देव, महक तथा नहरों के निर्माण के कारण भारत की कुछ कृषि योग्य भूमि इनके अन्तर्गत आ

गयी है। जनसंख्या की वृद्धि तथा औद्योगिक विकास की प्रगति के फलस्वरूप वृष्टि भूमि का एक भाग भवन निर्माण में भी प्रयुक्त हो गया है। कुछ भूमि सिंचाई के लिए बनाये गये बाँधों से विलीन हो गयी है।

**भूमि उपयोग (Land utilization)**—भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल ३२ ६८ करोड़ हेक्टर है, परन्तु भूमि के उपयोग सम्बन्धी सूचनाएँ केवल ३० ५६ करोड़ हेक्टर अर्थात् ६२ २% भूमि के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं। ये सूचनाएँ निम्न सारणी में प्रस्तुत की गयी हैं

भारत में भूमि का उपयोग

(करोड़ हेक्टर में)

विवरण	
१	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल
२	कुल भूमि जिनकी सूचना उपलब्ध है
३	वन
४	भूमि जो खेती के लिए उपलब्ध नहीं है
५	अन्य भूमि जिस पर खेती नहीं होती
६	परती भूमि
७	गुद बोयी गयी भूमि
८	एक से अधिक बार बोयी गयी भूमि
९	फसल के अन्तर्गत कुल भूमि

जितनी भूमि उपलब्ध है वह भी समान उपजाऊ नहीं है क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी वाली भूमि है। सश्रेण में विभिन्न मिट्टियों का च्योरा निम्न प्रकार है

(अ) **कछारी अथवा दोमट मिट्टी (Alluvial soil)**—यह मिट्टी प्रायः नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लायी जाती है और मैदानों अथवा नीचे भागों में जमा कर दी जाती है। नदियों के डेल्टों जैसे—महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि के बहने के क्षेत्र तथा डेल्टे इन प्रकार की मिट्टी से आच्छादित हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत का लगभग ३ लाख वर्ग मील का क्षेत्र कछारी मिट्टी से बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, बंगाल तथा नदियों के डेल्टों में गेहूँ, चावल, गन्ना, पटसन इसी मिट्टी की देन है।

(ब) **बाली मिट्टी**—कछारी मिट्टी की शीति ही बाली मिट्टी भी अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें नमी अधिक समय तक बनाये रखने की शक्ति होती है, अतः यह कपास के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। इन मिट्टी में पोटाश तथा चूना यथेष्ट होता है, अतः नाइट्रोजन तथा फास्फोरिक एसिड की खाद देकर इसमें पर्याप्त उत्पत्ति प्राप्त की जा सकती है।

गुजरात, काठियावाड़, दक्षिणी-पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र और मद्रास के लगभग २ लाख वर्गमील के क्षेत्रफल में बाली मिट्टी पायी जाती है। इसमें कपास और ज्वार की फसमें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती हैं।

(स) **लाल मिट्टी**—भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप की अधिकांश मिट्टी का रंग लाल है। कहा जाता है कि यह मिट्टी लोहे की रानों वाले प्रदेशों में विशेष उपलब्ध होती है क्योंकि लोहे के जग का इस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वास्तुतः यह मिट्टी भी ज्वालामुखी पर्वतों के पटने के फलस्वरूप विभवे हुए लावा से बनी है। इस मिट्टी में यूगफली तथा अन्य तिलहन, कपास, ज्वार, गन्ना

लाल मिट्टी की ही भाँति एन अन्य प्रकार की मिट्टी भी दक्षिणी पटार में प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। इस लेटराइट मिट्टी रहने हैं। इसमें भी लोहा तथा अन्य खनिजों के सत्व का मिश्रण होता है। यह मिट्टी नमी बनाये रखने में अत्यन्त ही होती है, अतः इस पर कृषि करने के लिए निरन्तर सिंचाई की आवश्यकता होती है। चाय इस मिट्टी का मुख्य उपज है।

(द) बलुही मिट्टी—पश्चिमी भारत अर्थात् राजस्थान, पंजाब, गुजरात एव सीराष्ट्र के कुछ भागों में बलुही मिट्टी पायी जाती है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली होती है और इसमें पानी अधिक समय तक नहीं टहर सकता। यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है और इसमें बाजरा, दालें तथा तिलहन उत्पन्न होत हैं।

### भूमि की समस्याएँ

भारतीय भूमि में शतान्दियों में निरन्तर खेती की जा रही है। इस प्रकार निरन्तर प्रयोग के कारण उसकी उपजाऊ शक्ति में क्रमिक ह्रास होना जा रहा है। इस ह्रास के अनेक कारण हैं जिनमें मुख्य भू-क्षरण तथा जलाधिक्य एव लघणता है।

#### १. भू-क्षरण (Soil Erosion)

भूतत्त्ववेत्ताओं का कथन है कि भूमि का ऊपर की एक या डेढ़ इंच मोटी परत में भूमि की वास्तविक जीवन-शक्ति रहती है अर्थात् वह भाग भूमि का सर्वाधिक उपजाऊ भाग होता है। भूमि के इस भाग का अनेक कारणों से क्षरण अथवा कटाव होता रहता है जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:

(१) वर्षा—मैदानी भागों में जब अधिक वेग से वर्षा होती है तो पानी के गिरने में भूमि के ऊपर की परत में कटाव आ जाते हैं और पानी के बहाव के साथ ही यह मिट्टी ढालू क्षेत्रों की ओर बहने लगती है।

(२) बाढ़—नदियों में बाढ़ आने पर भी भूमि की ऊपरी परत का कुछ भाग कट जाता है।

(३) घुस तथा हवा—वर्षा के पश्चात् जब अशुभ तज घुस पड़ती है तो भूमि की ऊपरी कीली परत जल्दी सूखती है और यह पपड़ी-सी बनकर भूमि से अलग हो जाती है। तत्पश्चात् तेज हवा के झोंके इस मिट्टी को उड़ा ले जाते हैं और भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है।

भू-क्षरण में सहायक तत्त्व—भू-क्षरण प्रायः ढालू मैदानों में अधिक होना है। अतः जिन प्रदेशों के घन काट दिये जाते हैं उन प्रदेशों में जल का शोषण कम हो जाता है और जल के बहाव की बाधाएँ भी समाप्त हो जाती हैं। फलतः जल, घुस तथा हवा के प्रबल वेग भूमि को निरन्तर काटते रहते हैं।

पशुओं की अनियन्त्रित रूप में चराने से भी भूमि के क्षरण की आशंकाएँ बढ जाती हैं क्योंकि मिट्टी को भूमि के साथ हड़नापूर्वक मजोजिन करने वाली घाम की पशु जड से ला जाते हैं, अतः मैदान साफ हो जाने से क्षरण के मार्ग में कोई बाधा नहीं रहती।

कभी कभी सड़कों के निर्माण से भी भू-क्षरण को प्रोत्साहन मिलता है। ग्रामीण सड़कें प्रायः चर्ची होती हैं अतः वह वर्षा में टूट-पूट जाती हैं। उनका मुधार करने के लिए निरन्तर खेती से मिट्टी काटकर ढाली जाती है। यह क्रिया सम्बन्धित क्षेत्रों की भूमि की उपजाऊ शक्ति को बहुत हानि पहुँचाती है।

भारत में भू-क्षरण और उपाय—यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग २० करोड़ एकड़ भूमि (अर्थात् कुल भूमि का एक-चौथाई) का निरन्तर क्षरण हो रहा है। यह क्षरण उत्तर भारत के मैदानों तथा दक्षिण भाग के पटारी भागों में विशेष होता है।

दोष—भू-क्षरण में अनेक भागों की भूमि ऊट खाल हो गयी है जिससे (१) वहाँ खेती करना भी कठिन हो गया है। क्षरण का दूसरा प्रभाव यह है कि (२) नदियाँ तथा तालाबों में मिट्टी जमा हो जाती है जिससे अनेक स्थानों पर तो नदियाँ अपना मार्ग बदलने की बाध्य हो

जाती हैं। फलतः उन नदियों के किनारे बसने वाले लोगों को बहुत कष्ट होता है। इसके अतिरिक्त नदियाँ समुद्र तट (जहाँ वह समुद्र में गिरती हैं) पर मिट्टी जमा कर देती हैं जिससे (३) जहाजों के आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है। भारत में कलकत्ता के बन्दरगाह को चालू रखने के लिए हुगली नदी की मिट्टी नियमित रूप से निकालनी पड़ती है।

उपर्युक्त दोषों के अनिश्चित भू-क्षरण में जलाशयों अथवा बाँधों में भी मिट्टी भरने का डर रहता है जिसमें (४) बाँध आने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। भू-क्षरण का सबसे गम्भीर दोष यह है कि (५) क्षरित हुए स्थान की भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है जिसे पूरा करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

**क्षरण को रोकने के उपाय**—भूमि के कटाव को रोकने के लिए प्रायः निम्नलिखित उपाय काम में लाये जाते हैं

- (१) अधिक वन लगाना,
- (२) भूमि के असम भागों को सम बनाना,
- (३) वर्षा के जन के निरास की उचित व्यवस्था करना,
- (४) पशुओं के चरने की व्यवस्था को नियन्त्रित करना,
- (५) क्षेत्रों की आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति अपनाना।

**शोध कार्य**—भारत में भू-क्षरण को रोकने के लिए १९५३ में केन्द्रीय भू-संरक्षण मण्डल (Central Soil Conservation Board) बनाया गया था जिसका उद्देश्य भूमि तथा जल संरक्षण योजनाओं की समस्याओं के सम्बन्ध में शोध कार्य कर इनको सफल बनाना है। इस मण्डल द्वारा योजनाकाल में भू-संरक्षण के लिए लगभग ६० करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। मण्डल द्वारा मैदानी, पर्वतीय तथा रेगिस्तानी आदि सभी भागों में भू-संरक्षण के कार्य आरम्भ किये गये हैं। इन कार्यों की सफलता के लिए देश में ६ केन्द्रों में भू-संरक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

## २. जलाधिक्य एवं लवणता की समस्या

उत्तर प्रदेश, आसाम, बंगाल तथा पंजाब के अनेक भागों में जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ अधिक हैं अथवा वर्षा के जन की निचामी की सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं एक नयी समस्या उत्पन्न हो गयी है जिसे जलाधिक्य अथवा जलाधिक्य (waterlogging) कहते हैं। अधिक सिंचाई से प्रायः भूमि के नीचे पानी की सतह ऊँची होती जाती है जिससे भूमि में सदा नमी रहती है, जिससे कारण वह भूमि खेती के सर्वथा अपयोग्य हो जाती है अथवा उसकी उत्पादन शक्ति का ह्रास होने लगता है। इसका कारण यह है कि जलाधिक्य वाली भूमि को न केवल बोन के लिए तैयार करना कठिन होता है, बल्कि उमम टाले हुए बीजों को यथेष्ट ऑक्सीजन न मिलने से वह सड़ जाते हैं, उगते नहीं। इस भूमि में डाली हुई (गोबर आदि की) खाद भी मडकर बढबू देते लगती है। इसमें कार्बन डाइ-ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसों उत्पन्न होकर फसल की वृद्धि में बाधा पहुँचाती हैं।

जलाधिक्य के अनिश्चित दूसरी समस्या भूमि में लवणता उत्पन्न होने की है। भूमि के साथ जल का अधिक सम्पर्क होने से अनेक बार भूमि के ऊपरी भाग पर एक सफेद-सफेद परत-सी जम जाती है जो भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है।

**सौमा**—भारत में जलाधिक्य तथा लवणता से प्रभावित क्षेत्र का कुल विस्तार १२ करोड़ एकड़ है जिसमें से लगभग ६५ लाख एकड़ क्षेत्र जलाधिक्य अथवा अत्यधिक नमी द्वारा प्रभावित है। इस समस्या के हल के लिए बाढ़ नियन्त्रण तथा जननिकाशी की व्यवस्था (नहरों तथा नलकूपों) अधिक व्यवस्थित एवं कुशल बनाने की आवश्यकता है।

**समाधान के लिए प्रयत्न**—जलाधिक्य से प्रभावित चार राज्यों—पंजाब, उत्तर प्रदेश,

दिल्ली तथा राजस्थान—में इन समस्या को सुलझाने के लिए एक वृहत् योजना (master plan) बनायी गयी है। कृषि उत्पादन मण्डल (Agricultural Production Board) ने इस सम्बन्ध में निम्न समाधान प्रस्तुत किये हैं :

(क) नदियों के अतिरिक्त जल को भूमि पर बिखरने में रोका जाना चाहिए।

(ख) जल-प्रवाह की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ग) कम गहरे नलकूप (tube wells) बनाये जाने चाहिए जो भूमि के अन्तर्गत जल का घरातल ठीक स्तर पर बनाये रखने में सहायक हो सकें।

(घ) नयी मिचाई योजनाएँ बनानी चाहिए जिनमें अतिरिक्त जल का शोषण किया जा सके।

मण्डल ने जलाधिक्य में प्रभावित भूमि को खेती के उपयुक्त बनाने का सुझाव दिया है। इसके लिए डेल्टा क्षेत्रों तथा अन्य भू खण्डों में जल प्रवाह (drainage) की सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार ने जलाधिक्य एवं बाढ़ की समस्या का अध्ययन करने के पश्चात् राज्य सरकारों को निम्नलिखित कार्य करने के सुझाव दिये हैं

(१) राज्यों में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने वाली इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए तथा उनके द्वारा यथामय बाढ़ की पूर्व सूचना देनी चाहिए।

(२) भूमि-परक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

(३) नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पानी निकल जाने के लिए नालियों की व्यवस्था करनी चाहिए।

(४) बाढ़ के एकत्रित जल को बिखराने की योजनाएँ तैयार करनी चाहिए।

(५) नदियों में जल की मात्रा के नियन्त्रण की व्यवस्था करनी चाहिए।

(६) अतिरिक्त जल को रोकने के लिए जलाशय बनाने चाहिए।

सरकार रामनाथन समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है जिसमें केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी मण्डल (Central Flood Forecasting and Warning Board) की स्थापना, जल सम्बन्धी अध्ययन करने तथा अनेक प्रकार की प्राविधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के सुझाव दिये गये हैं।

## २. खनिज सम्पत्ति

### (MINERAL WEALTH)

भारत खनिज साधन से सम्पन्न देश है। विभिन्न प्रकार के खनिजों के भारत में अतुलित भण्डार हैं। भारत के खनिज साधनों का अभी तक पूर्ण रूप से पता नहीं लगाया जा सका है। भारत में तोहा, खनिज तेल, कोयला, मैंगनीज, अन्नक, ताँबा, सोना, सीसा, जस्ता तथा विभिन्न प्रकार के आणविक खनिज पाये जाते हैं परन्तु विभिन्न प्रकार के खनिजों का यथोचित रूप से खनन एवं प्रयोग नहीं होता है।

भारतीय अर्थ व्यवस्था में खनिज सम्पत्ति ने महत्व का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सन् १९६६-७० में कुल खनिज उत्पादन का मूल्य लगभग चार सौ करोड़ रुपये था। सन् १९६०-६१ की तुलना में सन् १९६६-७० में खनिज उत्पादन में १५० प्रतिशत वृद्धि हुई, जो खनिज विकास की दिशा में किये गये प्रयत्नों का बोध कराती है। इसी अवधि में खनिजों पर आधारित उद्योगों का उत्पादन दुगुना हो गया। सन् १९६६-६६ में विभिन्न प्रकार के खनिजों के निर्यात से १६५ करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा अर्जन की गयी, जो देश के कुल निर्यात मूल्य का १२ प्रतिशत था।

भारत में खनिजों के विकास के लिए एक २५ वर्षीय योजना (१९५१-१९७६) बनायी गयी है। इस योजना की पूर्ति पर देश में खनिज पदार्थों का उत्पादन मूल्य १०५ करोड़ रुपये में बढ़कर ७३० करोड़ रुपये हो जाने की आशा है।

भारतीय भू गर्भ सर्वेक्षण विभाग के एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रति वर्ष लगभग ४०० करोड़ रुपये के खनिज पदार्थों का खनन होता है। बिहार पश्चिमी बंगाल तथा मध्य प्रदेश कुल उपनिधि के क्रमशः ३६, २१ तथा १२ प्रतिशत खनिज पदार्थों की पूर्ति करते हैं। अन्य राज्यों में क्रमशः उड़ीसा, आन्ध्र, मंगूर, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के नाम उल्लेखनीय हैं।

(१) लोहा—भारत में समार के कुल लोहे का लगभग एक-चौथाई भाग सुरक्षित बताया जाता है। इसकी राशि अमरीका के कुल भण्डार की आठ गुनी बताया जाती है। इस सम्बन्ध में अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय लोहा बहुत बढ़िया किस्म का माना जाता है। सम्भवतः इसीलिए भारत से अनेक देश लोहा आयात करने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय राज्य व्यापार निगम ने विदेशों को प्रति वर्ष २०-४० लाख टन लोहा निर्यात करने के जो सौदे किये हैं उनके अंतर्गत ६५ प्रतिशत शुद्धता का लोहा निर्यात किया जा रहा है।

भारत में लोहे का वार्षिक खनन १ ६६ करोड़ टन में कुछ अधिक है। इसका अधिकांश भाग मिहभूमि, बोनार्ड, क्योञ्जर तथा मयूरभञ्ज के क्षेत्रों से प्राप्त होता है। कुछ समय से गोवा से भी लोहा प्राप्त होना आरम्भ हो गया है। बस्तर (मध्य प्रदेश) में भी लोहे के भण्डार मिले हैं। आगामी वर्षों में भारत में इस्पात का उत्पादन निरन्तर बढ़ेगा जिसके लिए स्वाभाविक रूप में लोहे की अतिरिक्त मांग होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए लोहा खानों का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। हाल ही में, बोनार्ड क्षेत्र में किरौड़ तथा बोलाडिला में लोहे की खानें मिली हैं। किरौड़ की खान का अनुमानित भण्डार लगभग १२ करोड़ टन लोहा है। यह खान पूर्णतः खनन चालित है और इसका अतिरिक्त खनन जापान को निर्यात किया जायगा। भारतीय लोहे के मुख्य ग्राहक पूर्वी यूरोप के देश तथा जापान हैं।

निम्नलिखित सारिणी द्वारा भारत में खनिज लोहा (Iron-ore) के उत्पादन तथा व्यापार पर प्रकाश पड़ता है

भारत में खनिज लोहे का उत्पादन व निर्यात

(करोड़ रुपये)

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन)	निर्यात मात्रा (मि० टन)	मूल्य
१९५६	४ ६८	१ ८	६ ३
१९६१	१२ २८	३ ३	१७ ६
१९६६	२६ ८०	१३ ३	५८ ६
१९६८	२६ ७०	१५ ७	८७ ५
१९६९	२८ ००	—	—

(२) मैंगनीज—भारत के सम्पूर्ण मैंगनीज भण्डार अर्थात् १८ करोड़ टन में से लगभग १४ करोड़ टन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में स्थित है। मैंगनीज का मुख्य प्रयोग लोहा इस्पात उद्योग में होता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग १५ लाख टन मैंगनीज निकाली जाती है जिसका लगभग ७५ प्रतिशत भाग दार्जिलिंग, अमरीका जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात कर दिया जाता है। भारतीय इस्पात उद्योग के विकास के साथ साथ भारत में मैंगनीज की खनन करने की सम्भावना बहुत प्रबल हो गयी है।



निम्न सारिणी द्वारा भारत में मैंगनीज के उत्पादन का ज्ञान होता है

भारत में मैंगनीज का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (लाख टनो में)
१९५१	५ २७
१९६१	१२.४०
१९६६	१७ ०७
१९६९	१७ ५०

भारतीय मैंगनीज उद्योग को मरफार की कर एव कोटा निर्धारण करने सम्बन्धी अनिश्चिन्त नीति में बहुत घबका पहुँचा है। निर्यात की मात्रा तथा बरों की दर में बार-बार परिवर्तन करने में भारत को बहुत से विदेशी बाजारों से हाथ धोना पडा है। इस दृष्टि से मरफार को चाहिए कि मैंगनीज के निर्यात सम्बन्धी दीर्घमालीन (कम से कम ५-५ वर्ष) नीति निश्चिन्त कर दी जाय ताकि विदेशी बाजार में भारतीय मैंगनीज का स्थान बनाये रखा जा सके।

सरकार द्वारा स्थापित मिन्टल एण्ड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन (MMTC) ने मैंगनीज धातु का निर्यात अपने नियन्त्रण में ले लिया है।

(३) अम्रक—भारत का अम्रक के उत्पादन में विश्व बाजार में प्रथम स्थान है। अम्रक का प्रयोग विजनी की भट्टियों के द्वार बनाने, विजनी के तारों पर जोल चढ़ाने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में किया जाता है। अम्रक का प्रयोग रोगन, वानिश, प्लास्टिक तथा रबड़ आदि से सम्बन्धित उद्योगों में भी किया जाता है। अम्रक की प्राप्ति मुख्यतः विहार के हजारीबाग, गया, मुँगेर जिलों तथा राजस्थान में अजमेर, भोलशाडा तथा जयपुर जिला से होती है। आन्ध्र राज्य में भी नैनीर जिले में अम्रक की कुछ खानें हैं। भागल सगर को अम्रक की आवश्यकताओं के लगभग ७५ प्रतिशत भाग की पूर्ति करता है।

निम्न सारिणी द्वारा भारत में अम्रक के उत्पादन पर प्रकाश पडता है :

भारत में अम्रक का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (हजार टनो में)
१९५१	१०.०
१९६१	२८ ३
१९६७	२४ ३
१९६९	२६ २

(४) ताँबा—भारत में दो महत्वपूर्ण ताँबे के क्षेत्र हैं, अर्थात् बिहार राज्य में मिहभूमि जिला तथा राजस्थान में खेतडी और दरौनों की पेटियों में ताँबा उपलब्ध होता है। खेतडी में ३ ५६ करोड़ टन ताँबे के भण्डार भिन्ने हैं जिनमें एक प्रतिशत ताँबे का अनुमान है। इस क्षेत्र में ताँबे के कुल भण्डार का अनुमान ९ ८ बगैड टन लगाया जाता है। मिहभूमि जिले में रोम सिद्धेश्वर क्षेत्र में लगभग २ ०७ करोड़ टन ताँबे के भण्डार हैं जिनमें ० ८ प्रतिशत शुद्ध ताँबा माना गया है। कुल्लू जिले (लाहौलप्रीति) तथा आन्ध्र प्रदेश के गुण्टूर जिले में भी ताँबे के भण्डार भिन्ने हैं।

उपर्युक्त भण्डारों के आधार पर ही खेतडी में एक ताँबा साफ करने का कारखाना लगाया जा रहा है। इन पर लगभग २५ ७५ करोड़ रुपये विनिर्गमित किये जा चुके हैं। चतुर्थ योजना के अन्तर्गत आन्ध्र राज्य में भी एक ताँबा शोधन करने का कारखाना स्थापित करने का प्रावधान है।

(५) स्वर्ण—कोलार की स्वर्ण खानों में ३८ लाख टन स्वर्ण बोधो का अनुमान किया गया है और रामचूर जिले के हट्टी नामक स्थान पर भी ५ लाख टन स्वर्ण बताया जाता है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र के अनुमान से यह ज्ञात हुआ है कि उसमें घटिया विस्म के स्वर्ण के काफी अधिक भण्डार विद्यमान हैं। इन भण्डारों को निकालने के लिए अधिक प्राविधिक कुशलता एवं सतर्कता की आवश्यकता है। कोलार की खान अब भारत सरकार के अधिकार में है मत यह आशा की जानी चाहिए कि इसके उत्पादन के स्तर में यथेष्ट उन्नति होगी। हट्टी स्वर्ण खान का भी विकास करने की आवश्यकता है अन्यथा उसे बन्द करना पड़ेगा। भारत की सोने की खानों का वार्षिक उत्पादन लगभग एक लाख औंस है।

आन्ध्र प्रदेश में रामगिरी में स्वर्ण भण्डारों का पता चला है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ दोब्जता के अन्तर्गत दक्षिण भारत में अनेक स्थानों पर (नीलगिरि, सलेम, आयजानाहाली तथा त्रिनाथी, मैंगनीज केम्पिरोट खोरास्ती, शिमोगा, चित्तूर और अनन्तपुर) तथा बिहार में सिंहभूमि और धनबाद त्रिनों में स्वर्ण मिलने की आशा है।

(६) अन्य खनिज—उपर्युक्त पदार्थों के अतिरिक्त भारत के विभिन्न भागों में अनेक अन्य खनिज उपलब्ध हैं

जस्ता तथा सीसा—यह दोनों खनिज प्रायः साथ साथ मिलते हैं। भारत में उदयपुर (राजस्थान) जिले के जावर नामक स्थान पर स्थित खानों में ही जस्ता और सीसा मुख्यतः उपलब्ध होता है। इन खानों के भण्डारों की अनुमानित मात्रा लगभग २७४ करोड़ टन है।

खडिया (Gypsum)—भारत में खडिया का कुल भण्डार लगभग ६६८ करोड़ टन है जिसमें से ६२ करोड़ टन राजस्थान में है। दोष भण्डार मद्रास, उत्तर प्रदेश आन्ध्र हिमाचल तथा जम्मू और काश्मीर में है।

चूने का पत्थर (Limestone)—आमाम में भिन्न पहाड़ियों तथा कुलियाजान क्षेत्र में लगभग ३ करोड़ टन चूने के पत्थर के भण्डार मिले हैं। उपर्युक्त खनिजों के अतिरिक्त भारत में यूरेनियम वॉलफ्रेम, पाइराइट तथा अनेक अन्य प्रकार के खनिज मिलते हैं। सन् १९६६ में चूने के पत्थर का उत्पादन २२ मिलियन टन हुआ।

भारत में सामरिक महत्त्व के खनिज—भारत पर चीन का आक्रमण होने के पश्चात् देश में प्राप्त होने वाले युद्धोपयोगी खनिजों का महत्त्व बढ गया है। इन खनिजों में मुख्यतः खनिज तेल (पेट्रोल आदि) जगु शक्ति उत्पन्न करने वाले तत्त्व (यूरेनियम थोरियम) तथा वायुयान, हृदियार तथा विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले पदार्थ सम्मिलित हैं। भारत में इनकी उपलब्धि निम्न प्रकार है

(१) खनिज तेल—चीनी आक्रमण के पश्चात् भारत में तेल की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान १७० लाख टन हो गया जबकि वार्षिक उत्पात्ति लगभग १ करोड़ टन है। तेल की आवश्यकता वायुयानों की शक्तिशाली बनाने रखने के लिए है। मोटरों तथा ट्रक चालू रखने के लिए भी तेल की आवश्यकता है।

(२) लोहा कोयला-मैंगनीज—युद्ध के लिए बंदूकों तथा तोपों, टैंक, ट्रक एवं अन्य सामान बनाने के लिए इन्धन की आवश्यकता होती है जो लोहे कोयले तथा मैंगनीज की सहायता से बनाया जा सकता है। इन धातुओं का थोड़ा पीछे दिया जा चुका है।

(३) यूरेनियम तथा थोरियम—जगु शक्ति उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम एवं थोरियम की आवश्यकता होती है। भारत में थोरियम के भण्डार तसार के श्रेष्ठतम भण्डारों में से माने जाते हैं। दक्षिण भारत की थोरियम की पेट्टी सुदूर बिहार तक फैली हुई है। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भण्डार भारत में है।

(४) गन्धक—गन्धक का प्रयोग विस्फोटक पदार्थों के निर्माण के लिए होता है। भारत में

गन्धक के भण्डार दो क्षेत्रों में प्रमुख हैं—प्रथम त्रिहार में अमजोर नामक स्थान पर जहाँ के पाइराइट्स (pyrites) के भण्डार लगभग ३८ १ करोड़ टन हैं जिनमें ८० प्रतिशत गन्धक का अनुमान लगाया जाता है, दूसरा क्षेत्र मैसूर में इगवशान है जहाँ पाइराइट्स के भण्डार २० लाख टन के लगभग हैं और जिनमें २०-३० प्रतिशत गन्धक उपलब्ध है।

(५) बॉक्साइट—भारत में बॉक्साइट काफी मात्रा में है किन्तु त्रिहार, जम्मू, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा और गुजरात में बॉक्साइट के लगभग २७ ५ करोड़ टन के भण्डार हैं। इनमें से लगभग ७ ८ करोड़ टन बॉक्साइट अत्यन्त उच्चकोटि का बताया जाता है। सन् १९६६ में १० लाख टन बॉक्साइट का उत्पादन हुआ।

उपर्युक्त खनिजों के अनिश्चित अन्वय प्रकार के खनिज भारत में उपलब्ध हैं जिनका यथोचित विकास किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

### भारत सरकार की खनिज नीति

खनिज सम्पत्ति अन्य प्राकृतिक साधनों से इस महत्त्वपूर्ण दृष्टि से भिन्न है कि मानवीय, जल एवं भूमि साधन प्रायः समाप्त नहीं होते जबकि खनिज साधन निरन्तर प्रयोग के कारण समाप्त हो जाते हैं। इस दृष्टि से खनिज साधनों का प्रयोग सावधानी से करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर खनिज साधनों की एक और विशेषता है, यह भूमि के अन्तर्गत में द्रष्टुं रहते हैं अतः भूगर्भीय स्रोत के बिना उनकी मात्रा एवं विस्तार की जानकारी प्राप्त करना असम्भव है।

स्वतन्त्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने भारतीय खनिजों का न तो नियमित ढंग से सर्वेक्षण कराया और न ही उनके यथाचित विकास की दिशा में विशेष ध्यान दिया, फलतः भारतीय खनिज पदार्थ देश के विकास में विशेष योगदान नहीं दे सके। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने १९८८ में 'खान एवं खनिज व्यवस्था तथा विकास अधिनियम' (Mines and Minerals Regulation and Development Act of 1948) पारित किया। १९४८ में ही भारतीय खनिज संस्थान (Indian Bureau of Mines) की स्थापना की गयी, जिथे नॉर्जिकन सर्वे ऑफ इण्डिया का विस्तार किया गया तथा खनिजों के विकास एवं प्रयोग की दिशा में यथोचित ध्यान देने का कार्य आरम्भ किया गया।

योजना आयोग के सुझाव—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भाग्यनीय योजना आयोग ने भारतीय खनिजों के विकास के लिए निम्नलिखित नीति निर्देश किया :

(१) खोज एवं विकास—आयोग ने यह मत प्रकट किया कि देश की खनिज सम्पत्ति सम्बन्धी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं अतः सर्वेक्षण और खोज द्वारा यह अनुमान लगाये जान चाहिए और इनमें सम्बन्धित अर्थ प्रत्यागित किये जाने चाहिए ताकि विभिन्न खनिजों के विकास की योजनाएँ बनाने में सुविधा हो सके।

(२) खनन व्यवस्था—योजना आयोग का मत था कि भारत में खनन कार्य गत पचास वर्षों में हो रहा था किन्तु बहुत कम खानों में प्राविधिक विशेषज्ञों की सहायता से खनन की उचित व्यवस्था थी। खानों से खनिज प्राप्त करना उन्हें सुरक्षित रखना तथा बरबादी को रोकना आदि महत्त्वपूर्ण समस्याएँ थीं जिन्हें हल करने की ओर बल दिया गया।

इस दिशा में भारतीय खनिज संस्थान (Indian Bureau of Mines) द्वारा देश की विभिन्न खानों की क्रियाओं का अध्ययन कर उनमें सुधार के लिए सहायता करने की आवश्यकता बनायी गयी।

(३) युद्धोपयोगी खनिजों की ओर ध्यान देना—आयोग ने गन्धक, टंगस्टन, टिन, बेनेडिक्टम आदि खनिजों की उत्पत्ति एवं प्रयोग की ओर विशेष ध्यान देने की सलाह दी क्योंकि इनका खनन शांतिकाल में विरामित करना युक्तिमत्त है।

(४) खानों ठेके पर देना—भारतीय ग्वान तथा खनिज (व्यवस्था एवं विनास) अधिनियम, १९४८ सरकार को खानों के नियमन सम्बन्धी अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत आणविक शक्ति वाले खनिज (यूरेनियम, थोरियम, बेनेडियम, बेरीलियम, टाइटेनियम, योन्फ्राम तथा कोलम्बियम आदि) निकालने के लिए सरकार ने लाइसेंस प्रारम्भ करना अनिवार्य किया गया था। आयोग ने यह मत प्रकट किया कि इन खनिजों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों—लोहा, मैंगनीज, क्रोमाइट तथा अन्नक—के लिए भी लाइसेंस व्यवस्था लागू कर दी जानी चाहिए। दूसरा मुद्दा यह था कि खानों के ठेके देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ठेके बहुत छोटे या बड़े न हों।

(५) खनिज समक—आयोग न सकेत किया कि विभिन्न खनिज पदार्थों सम्बन्धी मासिक, त्रैमासिक अथवा वार्षिक आँकड़े उपलब्ध थे, किन्तु खनन उद्योग की आर्थिक प्रगति सम्बन्धी आँकड़ों का सर्वथा अभाव था। १९४८ के अधिनियम में खानों सम्बन्धी आँकड़े संग्रह करने की व्यवस्था की गयी थी। आयोग ने यह मत प्रकट किया कि भारतीय खनिज संस्थान (Indian Bureau of Mines) द्वारा विभिन्न खनिजों सम्बन्धी देश-विदेशों के आँकड़े संग्रह कर प्रकाशित करने चाहिए ताकि विभिन्न खनिजों सम्बन्धी विकास योजनाएँ बनायी जा सकें।

(६) निर्यात नीति—अन्न तथा मैंगनीज गरीबी खनिजों मुख्यतः निर्यात की जाती रही है और प्रायः कच्ची हालत में निर्यात होती रही है। आयोग ने सुझाव दिया कि इन खनिजों को निमित्त अथवा अर्द्ध निमित्त रूप में निर्यात करने की नीति अपनायी जानी चाहिए ताकि इनसे अधिक विदेशी विनिमय अर्जित किया जा सके।

(७) घटिया स्तर की खनिजें—आयोग ने इस तथ्य की ओर धमन्तोष व्यक्त किया कि घटिया स्तर की खनिजों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्य उपलब्ध नहीं हैं जिससे उनके विनास का प्रयत्न कर सक्षम कठिन है। इस सम्बन्ध में घटिया खनिजों की वास्तविक किस्म का व्यावसायिक विश्लेषण होना चाहिए तथा उन्हें लाभदायक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाये जाने चाहिए।

सुझावों पर कार्य—प्रथम योजनाकाल में भारतीय खनिजों के विकास के लिए निम्नलिखित कार्य किये गये

(क) कोयला, लोहा, तेल, मैंगनीज तथा अन्य खनिजों की प्राप्ति सम्बन्धी सर्वेक्षण किये गये।

(ख) विभिन्न खनिजों की उपनिष्ठाएँ एवं कठिनाइयों सम्बन्धी जाँच इण्डियन यूरो ऑफ माइन्स द्वारा की गयी। इन खानों के कार्यों सम्बन्धी जाँच कर उनमें सुधार सम्बन्धी कदम उठाये गये हैं।

(ग) घटिया मैंगनीज, कोयला तथा अन्य खनिजों को लाभदायक बनाने सम्बन्धी अनुसन्धान किये गये हैं।

(घ) कोयले सम्बन्धी अनुसन्धान में पयुन्नल रिमर्च इन्स्टीट्यूट (Fuel Research Institute) ने महत्वपूर्ण प्रगति की है तथा कोयला धीन, ब्लेंड करने आदि में उल्लेखनीय प्रगति की है।

(ङ) खानों के संरक्षण सम्बन्धी अधिनियम (The Coal Mines Conservation and Safety Act, 1952) द्वारा केन्द्रीय सरकार को कोयला खानों के संरक्षण के अधिकार दिये गये हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत एक कोयला मण्डल (Coal Board) स्थापित किया गया है जो कोयले की उत्पाति एवं विनास सम्बन्धी सलाह देने का कार्य करता है।

(च) भारतीय भूगर्भ पर्यवेक्षण संस्था (Geological Survey of India) के सहयोग से मण्डल स्थापना एण्ड मेरामिक रिमर्च इन्स्टीट्यूट (The Central Glass and Ceramic Research Institute) ने शीश तथा विभिन्न प्रकार की मिट्टियों पर शोध कार्य किया है। इस सम्बन्ध में रवी अन्नक का सदुपयोग करने सम्बन्धी दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

(ब) भारत सरकार ने कई विदेशी कम्पनियों में तेल की खोज के लिए समझौते किये और प्राकृतिक गैस एवं वैज्ञानिक शोध मन्त्रालय में प्राकृतिक गैस विभाग (Oil and Natural Gas Division) की स्थापना की गयी।

द्वितीय योजनाकाल—दूसरी यात्रनाकाल में कार्बन की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए १९५८ में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (National Coal Development Corporation) स्थापित किया और इसके द्वारा १२० करोड़ टन अनिश्चित कोयला निखालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। १९५६ में 'Oil India Ltd' की स्थापना की गयी जिसमें भारत सरकार तथा बर्मा आयन कम्पनी की समान पूंजी है। इसका काम देश के विभिन्न भागों में खनिज तेल की खोज कर उत्पादन बढ़ाना तथा कच्चे तेल को पाइप लाइनों द्वारा शोधनायनाओं तक भेजने की व्यवस्था करना है। इसके अनिश्चित भारत मोक्षियत महयोग में भी खनिज तेल की खोज में अत्यधिक प्रगति हुई है। तेल तथा प्राकृतिक गैस विभाग को अब तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (Oil and Natural Gas Commission) का रूप दे दिया गया है।

आधुनिक प्रवृत्तियाँ—खनिज उद्योग के विकास के लिए प्रथम योजनाकाल में जिन कार्यों को प्रारम्भ दिया गया था, उन प्रवृत्तियों को दूसरी तथा तीसरी यात्रना में बढ़ाया गया है। इन दिशा में विशेष उन्मुखनीय तथ्य निम्नलिखित हैं

(१) सार्वजनिक क्षेत्र—कोयला, तेल (उत्पत्ति एवं शोधन) तथा लोहे की खनिजों का विकास निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (National Mineral Development Corporation) की स्थापना सन् १९५८ में की गयी थी। निगम द्वारा बीनाई क्षेत्र में कीर्गुवा की लोहे की खानों का विकास किया गया है। कोयले तथा पेट्रोल के क्षेत्र में सार्वजनिक अथवा सरकारी योगदान का वितरण ध्यान दिया जा रहा है।

कोयला की खानों की खानों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है और अब उनका प्रवृत्ति भारत सरकार के हाथ में है। इसमें प्रकट है कि सरकार खनिज उद्योग में सार्वजनिक स्वामित्व में निरन्तर वृद्धि कर रही है।

(२) उत्पत्ति से विस्तार—पञ्चवर्षीय योजनाकाल में विभिन्न उद्योगों में जो विज्ञान हुआ है उसके कारण अनेक पुर्णनी खानों को उत्पत्ति में वृद्धि की गयी है तथा नयी खानों की खोज हुई है। उदाहरणतः सोयना, लोहा, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, चूने का पत्थर, ताँबा तथा विविध प्रकार के आणविक खनिज अधिकाधिक मात्रा में खोज निकाले गये हैं। इस सम्बन्ध में लोहे तथा तेल क्षेत्रों में उन्मुखनीय प्रगति हुई है। इन प्रगति के फलस्वरूप गत वर्षों में अप्रत्याशित मूल्य की खनिज सम्पत्ति खानों में निहाली गयी है जो निम्नलिखित अंकों में स्पष्ट है

भारत में खनिजों की उत्पत्ति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	मूल्य	वर्ष	मूल्य
१९११	११.४०	१९४८	६४.००
१९२१	३२.६०	१९५१	६४.४०
१९३१	२३.६०	१९६१	१७६.५०
१९३६	२०.२०	१९६४	२३३.००
		१९६६	४००.००

उपर्युक्त आँकड़ों में स्पष्ट है कि गत वर्षों में खनिज उत्पत्ति का मूल्य दुगुने से अधिक हो गया है।

(३) खनिज व्यापार—भारत के विदेशी व्यापार में खनिजों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। सन् १९६६ में खनिजों के निर्यात में ११३ करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इनका निर्यात बढ़कर सन् १९६७ में १३९ करोड़ रुपये तथा सन् १९६८ में १६२ करोड़ रुपये हो गया। सन् १९६८ में भारत के कुल निर्यात व्यापार में खनिजों का अंशदान १२ प्रतिशत था। सन् १९६८-६९ में १६५ करोड़ रुपये के खनिजों का निर्यात किया गया। खनिजों के निर्यात में प्रथम स्थान खनिज लोहा (८८ ४ करोड़ रुपये), द्वितीय स्थान अभ्रक (१३४ करोड़ रुपये) तथा तृतीय स्थान मैंगनीज (१३ करोड़ रुपये) का था। अप्रैल १९६३ में राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation) को दो भागों में बाँट दिया गया है जिनमें से एक खनिज एवं धातु व्यापार निगम (Minerals and Metals Trading Corporation) स्थापित किया गया है। इसका कार्य भारतीय खनिज पदार्थों के लिए यथोचित विदेशी मण्डियों तलाश करना है। इस निगम का वार्षिक व्यापार २५० करोड़ रुपये वार्षिक तक बढ़ गया। निगम के प्रयत्नों से मैंगनीज, अभ्रक लोहा तथा कोयला आदि खनिज पदार्थों का निर्यात किया जाता है।

भारत कुछ महत्त्वपूर्ण खनिजों का आयात भी करता है। वस्तुतः सन् १९६८-६९ में भारत के कुल आयात व्यापार में खनिज तथा धातुओं के आयात का हिस्सा १६ प्रतिशत था (खनिज ७% व धातुएँ ९%)। सन् १९६०-६९ की अवधि में इनके आयात में अट्ठाई गुनी वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम, ताँबा, एल्यूमिनियम, जिंक, जस्ता तथा टिन का भारत को आयात करना पड़ता है।

खनिज पदार्थ औद्योगिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण आधार का काम कर सकते हैं। इस दृष्टि से इनके विकास में सरकार का योगदान सर्वथा स्तुर्य है परन्तु सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस व्यवसाय को सर्वथा व्यापारिक दृष्टि से मंचालित किया जाय ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके और लागत में वृद्धि न हो।

### ३ शक्ति के साधन (SOURCES OF POWER)

#### १ कोयला

शक्ति के स्रोतों में कोयला प्रमुख है। कोयला जलाने के काम में भी आता है और इस्पात बनाने के लिए कच्चे माल का भी काम देता है। इस्पात बनाने के लिए जो कोयला काम में आता है उसे साफ करके कोक के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। कोयले के प्रयोग से कोयला तथा बेन्जोल जैसे सहायक तत्व भी उपलब्ध होते हैं।

भारत में ४,००० फुट गहराई तक कोयले के कुल भण्डार ५,१३१ करोड़ टन आँके गये हैं। इनमें से बढिया किस्म का कोयला २ प्रतिशत, मध्यम किस्म का ७ प्रतिशत तथा घटिया प्रकार का कोयला ९१ प्रतिशत है। भारत में कोयले का भण्डार कुल विश्व भण्डार का केवल १३% है। भारत में लिगनाइट का भण्डार लगभग ४५० करोड़ टन है। भारत में अधिकांश कोयला घटिया किस्म का पाया जाता है।

भारत में कोयला दामोदर घाटी, रानीगंज, झरिया, गिरीडीह, बोकारो तथा करनपुरा में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इनके अतिरिक्त राजस्थान (बीकानेर में पलाना में लिगनाइट की खान है), जम्मू व कश्मीर, बमम तथा तमिलनाडु में भी कोयले के सीमित भण्डार हैं।

कोयला-उत्पादन में, विश्व में भारत का छठवाँ स्थान है। अग्र सारणी द्वारा भारत में कोयले तथा लिगनाइट के उत्पादन का ज्ञान होता है

भारत में कोयला व लिग्नाइट का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (मिनिमियम टन)
१९५१	३४ ९
१९५६	४० १
१९६१	५६०१
१९६६	७० ५
१९६९	७० ५

भारत बहुत कम मात्रा में कोयले का निर्यात करता है। कोयले का निर्यात MMTC द्वारा लका, व्हागा, जापान, सिंगापुर व कुछ अन्य पड़ोसी देशों को किया जाता है। भारत में कोयले की माँग सदैव अधिक रहती है। कुल उत्पादन के ४५ प्रतिशत भाग का उपयोग उद्योगों द्वारा, ३०% रेलों द्वारा तथा २५ प्रतिशत का उपयोग विविध कार्यों के लिए किया जाता है। भारत में कोयले के नये क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है।

२. तेल तथा गैस

कोयले के पर्यायतः शक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण साधन तेल है। कई दृष्टिकोणों से तो प्राकृतिक गैस में तेल का महत्व कोयले से भी अधिक है क्योंकि सामरिक दृष्टि से तेल अधिक काम की वस्तु है। विभाजन से पूर्व भारत में दो तेल क्षेत्र थे जिनमें से एक पाकिस्तान के हिस्से में आया और दूसरा असम स्थित डिगबोई का तेल क्षेत्र भारत में रहा। इसका उत्पादन भारत की आवश्यकता का लगभग ७ प्रतिशत था। भारत में डिगबोई, सुरमाघाटी, नाहरकटिया, छम्मात, अकलेश्वर तथा बादसर क्षेत्रों में खनिज तेल के भण्डार हैं। इनके अनिश्चित पंजाब में प्वालामुखी व होशियारपुर, राजस्थान में जैसलमेर, वदमीर में मानसर, उत्तर प्रदेश में बदायूँ तथा तमिलनाडु में कावेरी घाटी में भी तेल प्राप्ति की सम्भावनाएँ हैं।

गत वर्षों में असम में नाहरकटिया क्षेत्र में तेल के नये कुएँ मिले हैं जिनसे ५० लाख टन तेल वार्षिक मिलने की सम्भावना है। इस तेल मरफ करने के लिए मूनमाटी (गौहाटी के समीप) तथा बरौनी (बिहार) में दो शोधशालाएँ (refineries) स्थापित कर दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात में अकलेश्वर तथा उसके निकट कलोन और नवगॉन में भी तेल प्राप्त हो गया है। इस तेल के शोधन के लिए भी बड़ौदा में निकट कोयली में एक शोधशाला स्थापित की गयी है जो प्रारम्भ में २० लाख टन तथा बाद में ३० लाख टन तक तेल शोधन करेगी।

कोयला शोधशाला के लिए सोवियत रूस द्वारा प्राविधिक सहायता तथा १० करोड़ रुपये के मूल्य का वार्षिक ऋण भी प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त कोचीन में भी एक शोधशाला स्थापित की गयी है। इसमें एक अथरीवन फर्म से सहयोग मिला है।

सांख्यिक क्षेत्रों में स्थापित दूध शोधशालाओं के अतिरिक्त तमिलनाडु में एक शोधशाला स्थापित की जा रही है जिसमें डैरानियन ऑयल कम्पनी तथा अमेरिकन इण्टरनेशनल ऑयल कम्पनी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। कलकत्ता के समीप हल्दिया में भी एक शोधशाला स्थापित की जा रही है। इन दोनों शोधशालाओं की शोधन शक्ति २५-२५ लाख टन वार्षिक होगी।

नाहरकटिया तथा अकलेश्वर के तेलक्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में गैस भी उपलब्ध हुई है जिसका उपयोग करने के लिए विशेष योजनाएँ बनायी गयी हैं।

भारत में पेट्रोल तथा उनसे बने हुए पदार्थों की माँग १९६० में ७५ लाख टन थी। सामान्यतः यह माँग १९६५-६६ में ११० लाख टन तक बढ़ती परन्तु चीनी आक्रमण के कारण

इसका अनुमान १६६ लाख टन तक पहुँच गया। भारतीय उत्पादन लगभग १५ टन तक है। अतः लगभग ७७ लाख टन तेल तथा सम्बन्धित पदार्थ प्रति वर्ष विदेशों से आयात करने पड़ते हैं जिन पर लगभग १ अरब रुपये का विदेशी विनिमय खर्च करना पड़ता है। आवश्यक मात्रा में तेल का शोधन करने के लिए शोधशालाओं की शोधन शक्ति बढ़ायी जा रही है। सन् १९६८-६९ में भारत में कुल १६५ लाख टन क्रूड तेल का उत्पादन हुआ, जिसमें से सांख्यिक क्षेत्र के तैल के कारखानों का उत्पादन ७७ लाख टन था।

सांख्यिक क्षेत्र की ६ शोधशालाओं (नूनमाटी, बरीनी, कोयली, हल्दिया, तमिलनाडु तथा कोचीन) के अतिरिक्त तीन शोधशालाएँ निजी क्षेत्र में भी कार्य कर रही हैं। इनमें से दो (बर्मा गैल तथा एम्को कम्पनियों द्वारा संचालित) धर्मई में हैं तथा एक (कॉलटेक्स द्वारा संचालित) विशाखापत्तनम में है। इन तीनों की शोधन शक्ति ३० लाख टन तेल वार्षिक है। कोचीन शोधशाला की स्थापना में अमरीका की एक तेल कम्पनी ने सहयोग दिया है। तमिलनाडु की तेल शोधशाला ने १९६१ से कार्य आरम्भ कर दिया। इसकी क्षमता २५ लाख टन है।

तेल तथा उसमें सम्बन्धित पदार्थों की कुल माँग का २५ प्रतिशत प्रकाश के लिए मिट्टी के तेल के रूप में, ३० प्रतिशत यातायात उद्योग द्वारा डीजल तथा गेमोलीन के रूप में तथा २० प्रतिशत ईंधन तेल के रूप में उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है। गैप तेल का उपयोग फुत्कर कार्यों में होता है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि तेल की दृष्टि में भारत अभी विदेशों अर्थात् पर निर्भर है। अधिकांश तेल ईरान, ईराक तथा रूस में आयात किया जाता है।

वर्तमान स्थिति एवं भविष्य—भारत में तेल उत्पादों की आवश्यकता १९४७ में केवल २२ लाख टन था जो बढ़कर १९५७ में ५६ लाख टन और १९६७ में १५७ लाख टन हो गयी। अब हम अपनी आवश्यकता का लगभग २० प्रतिशत फिगमिन तेल तथा कुछ स्नेहक (Lubricants) आयात करने पड़ते हैं।

भारत में तेल शोधन व्ययमात्र पर २४० करोड़ रुपये की पूंजी खर्ची हुई है जिसमें से १८० करोड़ रुपये की पूंजी लोक क्षेत्र में है। दश तेल उद्योग में आत्मनिर्भर होना जा रहा है, वह दिन दूर नहीं जबकि हम तेल उत्पादों का अधिकाधिक मात्रा में निर्यात कर सकेंगे।

### ३ जल शक्ति

बैंगलौर विज्ञानों का उत्पादन कायल और तल स भी हो सकता है परन्तु जल शक्ति से उपरन विजली सबसे सस्ती होती है। इसका अनुमान योजना आयोग द्वारा दिये गये तुलनात्मक अर्थों से लग सकता है

#### विभिन्न साधनों द्वारा उत्पन्न विजली की लागत

जल शक्ति	१२	पैस प्रति किलोवाट घण्टे
कोयला द्वारा उत्पन्न	३०	" " " "
डीजल	२५०	" " " "
अणु शक्ति	३५ से ४	" " " "

सस्ती—इस प्रकार जल शक्ति से प्राप्त विजली लगभग सत्रा पैसे प्रति इकाई पड़ती है जो अन्य संध शक्तियों की लागत में मानी है। इसके अतिरिक्त कोयले द्वारा विजली उत्पादन करने वाले केन्द्रों की स्थापना के लिए जलविद्युत केन्द्रों की स्थापना की तुलना में से दो-तीन गुना विदेशी विनिमय खर्च करना आवश्यक है। अतः सामान्य रूप में भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए जल विद्युत का अधिकधिक विकास करना श्रेयस्कर है।



**असौमिन**—जल विद्युत के पक्ष में एक और तर्क यह है कि भारत की नदियों में बहने वाले जल में कभी कभी जल की मात्रा नहीं है जबकि कोयला, तेज आदि के भण्डार अत्यन्त सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं जो किन्हीं भी समय गमाए जा सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार भारतीय नदियों में बहने वाले जल के प्रयोग द्वारा प्रति वर्ष लगभग ८१ करोड़ किलोवाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है।

**विन्नार**—कोयले अथवा तेज से बिजली उत्पन्न करने में बिजली उत्पन्न करने वाले केन्द्र तक कोयला या तेज ले जाना पड़ता है जिस पर हर बार परिवहन व्यय करना पड़ता है। इससे विपरीत, जल विद्युत पर केवल एक बार बांध आदि बनाने में व्यय होना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जल विद्युत एक केन्द्र में ही काफी अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाती है जिसे दूर दूर तक ग्राम ग्राम में पहुँचाया जा सकता है और सस्ते मूल्य पर उद्योगों का विकास, मानवोद्योग का विस्तार (बिजली की रेन), खेती का यन्त्रीकरण तथा घरों में शीतलता तथा उष्णता के साधनों की उपलब्धि आदि लाभ उठाए जा सकते हैं।

कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडन तथा रूस आदि देशों में अत्यन्त औद्योगिक विकास तथा आर्थिक प्रगति में जल विद्युत का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त किया है जो भारत जैसे देश के लिए सर्वथा अनुकरणीय है।

**भारत में विद्युत का उत्पादन**—प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में भारत में सब प्रकार की विद्युत शक्ति के साधन ०.२ मिलियन किलोवाट थे। दूसरी योजना के आरम्भ में कुल शक्ति ३.४२ मिलियन किलोवाट तथा तीसरी योजना के आरम्भ में यह ५.७ मिलियन किलोवाट हो गयी। तीसरी योजना के अन्त तक १०.५ मिलियन किलोवाट बिजली उत्पन्न करने का निश्चय किया गया था किन्तु उस उद्यम की पूर्ति नहीं हो सकी। तृतीय योजना के अन्त में (१९६५-६६) देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता १०.१७ मिलियन किलोवाट थी। सन् १९६६-६७ से सन् १९६८-६९ तक की तीन वार्षिक योजनाओं द्वारा देश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर १८.२८ मिलियन किलोवाट कर दी गई। सन् १९६९-७० के अन्त में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता १५.८ मिलियन किलोवाट हो गई। मार्च सन् १९७० में १५.६ मिलियन किलोवाट की विद्युत उत्पादन क्षमता में ६.२५ मिलियन किलोवाट जल विद्युत, ९.०१ मिलियन किलोवाट थर्मल विद्युत तथा ०.४ मिलियन किलोवाट अणु विद्युत थी।

**विद्युत में विनियोग**—योजनाशा के अन्तर्गत विद्युत विकास पर विशेष जोर दिया गया। तृतीय योजना के अन्त तक विद्युत शक्ति विकास कार्य पर कुल २,३५० करोड़ रुपये का विनियोजन हो चुका था। सन् १९६६-६७ व १९६८-६९ की अवधि (तीन वर्ष) में औसतन वार्षिक विनियोजन ४१८ करोड़ रुपये था। सन् १९६९-७० में ३६७ करोड़ रुपये विनियोजित किये गये। इस प्रकार मार्च १९७० तक विद्युत विकास पर कुल ३,६७० करोड़ रुपये का विनियोजन हो चुका था।

**विद्युत का उपभोग**—प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश में विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग १८ किलोवाट घण्टा से बढ़कर तृतीय योजना के अन्त में ६१ किलोवाट घण्टा हो गया। सन् १९६८-६९ के अन्त में यह औसत उपभोग बढ़कर ७६ किलोवाट घण्टा हो गया।

चतुर्थ योजनाकाल (१९६९-७० से १९७३-७४) में विद्युत विकास पर कुल २,८४८ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। योजना के अन्त में देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २२ मिलियन किलोवाट होगी।

**विभिन्न राज्यों में स्थिति**—भारत में जल विद्युत का विकास समान रूप में नहीं हुआ है, कुछ राज्यों में बिजली की प्रति व्यक्ति स्वतः केवल ४ किलोवाट प्रति घण्टे (kwh) है जबकि कुछ राज्यों में यह ८५ किलोवाट प्रति घण्टे से भी अधिक है।

वास्तविक स्थिति यह है कि आसाम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर तथा मध्य प्रदेश राज्याभ विजली का प्रति व्यक्ति उपभोग बहुत कम है जबकि बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा गुजरात में विद्युत उपभोग की औसत बहुत ऊँची है। दिल्ली नागरिक क्षेत्र में अतः वहाँ का प्रति व्यक्ति उपभोग स्थानाभिन्न रूप में अधिक है।

**गाँवों का विद्युतीकरण (Rural Electrification)**—तृतीय योजना के अन्त तक भारत के ५६७ लाख गाँवों में से ४३,६७० गाँवों में विजली पहुँचाई जा चुकी थी। सन् १९६६ के अन्त तक कुल १३ प्रतिशत गाँवों (७३,५५४ गाँव) का विद्युतीकरण किया जा चुका था जिससे ११ करोड़ ग्रामीण जनता अर्थात् कुल ग्रामीण जनसंख्या का ३१ प्रतिशत लाभान्वित हो चुका था। दिसम्बर १९६६ तक कुल १२ लाख सिंघाई पम्पो को विद्युत चालित कर दिया गया।

**ग्राम विद्युतीकरण निगम (Rural Electrification Corporation)**—ग्रामीण साक्षरता समीक्षा समिति (All India Rural Credit Review Committee)—न यह सुझाव दिया था कि गाँवों के विद्युतीकरण के लिए एक विश्व कोष की स्थापना की जाय। इस सुझाव के फलस्वरूप भारत सरकार ने १० करोड़ रुपये की पूँजी से २५ जुलाई, १९६६ को भारतीय कम्पनी विधान के अन्तर्गत एक निगम की स्थापना की। चतुर्थ योजना में इस निगम के लिए ४५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इस निगम ने २६ जुलाई १९६६ को 'US AID' के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार पी एल ४८० कोष से चतुर्थ योजनाकाल में अमेरिका इस निगम को १०५ करोड़ रुपये की सहायता देगा। इस निगम का प्रमुख उद्देश्य गाँवों के विद्युतीकरण सम्बन्धी योजनाओं को वित्तीय सहायता देना, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता देना तथा राज्य विद्युत मण्डलों द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों को खरीदना है। अर्थात् यह निगम गाँवों के विद्युतीकरण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

#### ४ अणु तथा अणुशक्तियाँ

यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में थोरियम (thorium) का श्रेष्ठतम भण्डार विद्यमान है और वह यूरेनियम के भण्डारों से कहीं अधिक है परन्तु थोरियम से शक्ति प्राप्त करने के लिए तीन अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि एक टन यूरेनियम से उतनी ही विजली प्राप्त की जा सकती है जितनी १०-११ हजार टन कोयले से। इसमें स्पष्ट है कि अणु शक्ति का प्रयोग करने पर परिवहन सम्बन्धी एक बहुत बड़ी कठिनाई हल हो जायगी। किन्तु अणु शक्ति के विजलीघर का निर्माण एवं मचालन करने के लिए अत्यन्त उच्चस्तरीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी कौशल की आवश्यकता है। अतः भारत को अणु शक्ति क्षेत्र में नवयुवक वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण कराना की सच्चाई बननी चाहिए।

मिहभूमि जिले में प्रतिदिन १,००० टन यूरेनियम निकाला जा रहा है तथा जादुगुड़ा (विहार) में यूरेनियम धातु सम्बन्धी एक फॅक्टरी स्थापित की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुल्लू (पंजाब), चमोरी (उत्तर प्रदेश) तथा महाभूमि (हिमाचल प्रदेश) में भी यूरेनियम उपलब्ध है।

बम्बई के निकट तारापुर में एक अणु शक्ति वाला विजलीघर बनाया गया है जिसके दो केन्द्र हैं और प्रत्येक केन्द्र १५० मेगावाट विजली उत्पादन करेगा। सोवियत रूस के सहयोग से एक अन्य अणु विजलीघर कोटा (राजस्थान) में बनाया जा रहा है तथा तीसरा अणु शक्ति केन्द्र तमिलनाडु में बनाया जायेगा।

**वायुशक्ति**—राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धानशाला, बंगलौर ने यह विचार प्रकट किया है कि भारत में वायु का बगैर खेतों में ही २ से ५ किगोवाट विजली उत्पादन करने वाले जेनरेटर लगाये जा सकते हैं। अनुसन्धानशाला के वायुशक्ति विभाग ने दो प्रकार की पवन चक्कियों (wind mills) का आविष्कार किया है। इनमें भारत के २३ स्थानों पर छ प्रकार के विद्युत उत्पादन

करने वाले यन्त्रों का परीक्षण किया है। सम्भव है निकट भविष्य में कोई ऐसा यन्त्र खोज लिया जाय जिसकी सहायता से देश के विभिन्न भागों में चलने वाली प्रबल वायु के वेग का प्रयोग कर देश के उद्योगों को विकसित किया जा सके।

#### ४ वन-सम्पत्ति (FOREST RESOURCES)

भू तत्त्ववेत्ताओं का कथन है कि भारत की गरम जलवायु, अनिश्चित मानसून तथा कृषि-प्रधान अर्थ व्यवस्था को देखते हुए देश के कम से कम एक-तिहाई क्षेत्र पर वन होना अत्यन्त आवश्यक है।

भारत में वनों का क्षेत्रफल ५१२ लाख हेक्टर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का २२% है।

उत्तर भारत (मैदानी भाग) में वनों का सर्वथा अभाव है। अनेक कारणों से भारतीय वनों का क्षेत्र विस्तृत करने की आवश्यकता है। यह कारण निम्न हैं -

वनों की उपयोगिता—राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में वन अनेक प्रकार से उपयोगी हैं

(१) वन भू-क्षरण रोकने में सहायक होते हैं।

(२) वन वर्षा को आकर्षित करने हैं।

(३) वन बाढ़ के प्रभाव को कम करते हैं क्योंकि वह अतिरिक्त जल को मोख लेते हैं।

(४) वन पशुओं के लिए चारे की पूर्ति करते हैं।

(५) वनों से पत्तियों के रूप में भूमि को हरी खाद उपलब्ध होती है।

(६) वनों में ईंधन, इमारती लकड़ी, लाख, गोद, तेल तथा अन्य अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। इनके बल पर अनेक उद्योगों का संचालन होता है।

(७) वनों से जड़ी बूटियाँ भी उपलब्ध होती हैं।

भारतीय वनों की उत्पत्ति—भारतीय वनों में अनेक प्रकार की लकड़ी उपलब्ध होती है परन्तु वह आवश्यकता से कम है। अनुमान लगाया जाता है कि औद्योगिक कार्यों के लिए वर्तमान काल में लगभग ४५ लाख टन लकड़ी की आवश्यकता है। यह आवश्यकता १९७५ तक बढ़कर ६५ लाख टन हो जाने की सम्भावना है जबकि उस समय तक पूर्ण सम्भवन ५५ लाख टन से अधिक होने की आशा नहीं है। अतः औद्योगिक लकड़ी को ऐसी विस्मै ज्ञान की जानी चाहिए जो शीघ्र पनप सकें तथा जिनका उत्पादन मामान्य से अधिक हो सके।

(१) ईंधन—औद्योगिक लकड़ी के अतिरिक्त भारत में जलाने की लकड़ी का भी अभाव है जिसके कारण ग्रामवासी प्रति वर्ष लगभग ४० करोड़ टन गोबर (जो ६ करोड़ टन ईंधन के तुल्य होता है) जला देते हैं। ईंधन की यह रमी १९७५ तक ६ करोड़ टन से बढ़कर १० करोड़ टन हो जाने की आशंका है। अतः इस दिशा में भी अधिक प्रयत्न करना आवश्यक है -

(२) रगने का सामान—लकड़ी के अतिरिक्त भारत में प्रति वर्ष लगभग ३० ००० टन चमड़ा रगने के पदार्थों की माँग है जिसका लगभग ३० प्रतिशत विदेशों में आयात करना पड़ता है। बज्रूल, कीकर तथा अन्य ऐसी छाल वृक्षों का रोपण किया जाना चाहिए जो चमड़ा रगने के पदार्थों की पूर्ति अधिकाधिक मात्रा में कर सकें।

यह अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रति वर्ष लगभग २९ करोड़ रुपये के मूल्य की लकड़ी उपलब्ध होती है।

(३) अन्य पदार्थ—लकड़ी के अतिरिक्त भारतीय वनों से अनेक प्रकार के अन्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं जिनमें गोद, कई प्रकार के तेल, लाख, गन्दा विरोजा, तारपीन का तेल तथा कई प्रकार की औषधियाँ सम्मिलित हैं। इनका वार्षिक मूल्य १० से १५ करोड़ रुपये के मध्य आका जा सकता है।

**सुस्ताव**—वनो के विकास की सरल एवं उपयोगी रीति यह है कि सड़की, रेलवे लाइनों तथा नहरों के विचारों पर शीघ्र पनपने वाले वृक्ष लगाये जायें तथा कुछ वर्षों तक सार्वजनिक निर्माण विभाग (P W D) द्वारा इनकी रक्षा का भार लिया जाय। इसके अतिरिक्त औषधियों, लाख, चन्दन तथा अन्य महँगे वस्तुओं से सम्बन्धित वृक्ष कुछ विशेष क्षेत्रों में व्यावसायिक आधार पर लगाये जा सकते हैं ताकि उनका उत्पादन शीघ्रतापूर्वक बढ़ सके। वनों की उत्पत्ति की क्रिया के सुधार के सम्बन्ध में भी यत्न करना आवश्यक है तथा उनसे प्राप्त माल के यथासमय विक्रय की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

**भारत में वन नीति**—भारत सरकार ने १९५० में केन्द्रीय वन मण्डल (Central Board of Forestry) स्थापित किया और १९५२ में एक राष्ट्रीय वन नीति प्रस्ताव पास किया जिसमें यह निश्चय किया गया कि देश में वनों का विकास किया जाना चाहिए ताकि सम्पूर्ण भूमि के कम से कम एक-तिहाई भाग पर वनों का विस्तार हो सके। तदनुसार पहाटी क्षेत्रों की ६० प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों की २० प्रतिशत भूमि पर वनों का विकास करने का निश्चय किया गया।

जमींदारी उन्मूलन के कारण सरकार के नियन्त्रण में बहुत सी ऐसी भूमि आ गयी थी जिस पर वन काट दिये गये थे। इन क्षेत्रों में पुनः वन उगाने का कार्य आरम्भ किया गया। प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में ५५,००० एकड़ भूमि पर नरम लकड़ी (दिपासलाई बनाने के काम आने वाली) तथा ३३ लाख एकड़ भूमि पर इमारती तथा अन्य औद्योगिक लकड़ी के वन लगाने का कार्य हाथ में लिया गया। इसके अतिरिक्त लगभग ६,००० मील वन सड़कें निर्मित की गयीं। लगभग ४ लाख एकड़ भूमि के वनों की व्यवस्था में सुधार करने का भी प्रयत्न किया गया। इस सब कार्यों पर प्रथम योजनाकाल में लगभग ६५ करोड़ रुपये तथा द्वितीय योजनाकाल में १६३ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

**तृतीय योजना**—तीसरी योजना की अवधि में वनों के विकास पर ५२ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया था परन्तु वार्षिक व्यय ४६ करोड़ रुपये हुआ। इस योजना के अन्तर्गत लगभग १० लाख एकड़ भूमि पर वन लगाने की व्यवस्था की गयी जिसमें से लगभग ६ लाख एकड़ भूमि पर इमारती लकड़ी के वन लगाये जाने की योजना थी। इसके अतिरिक्त लगभग ११ लाख एकड़ घेरी वाली भूमि में (चांगे ओर) वृक्ष लगाने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य कार्य भी किये गये हैं

(१) वन सम्पत्ति की औद्योगिक उत्पत्ति का विकास करना तथा अधिक वस्तुएँ विदेशों का निर्यात करना,

(२) इमारती लकड़ी की विभिन्न किस्मों के समुचित उपयोग की व्यवस्था करना,

(३) ग्राम निवासियों के लिए जलाने के लिए अधिक ईंधन उत्पादन करना,

(४) पशुओं के चराने के लिए १५ लाख एकड़ भूमि में चरागाहों का विकास करना,

(५) वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था में वृद्धि करना,

उपर्युक्त कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए वन महोत्सव तथा वन जीव सुरक्षा सप्ताह मनाये जाते हैं ताकि जनता में वनों के महत्त्व तथा उनके संरक्षण के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके।

**शोध एवं प्रशिक्षण**—द्वितीय योजनाकाल में वन शोध संस्था (Forest Research Institute), देहरादून में लकड़ी की विभिन्न किस्मों के सम्बन्ध में शोधकार्य आरम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत न केवल विभिन्न प्रकार की लकड़ी के उचित प्रयोग सम्बन्धी शोध की जा रही है बल्कि चन्दन, लाख, गोद आदि के उत्पादन बढ़ाने के उपायों की भी खोज चालू है।

बनो के विकास के लिए स्वभावतः प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी जिसकी पूर्ति के लिए फॉरेस्ट कॉलेज, देहरादून में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ८५ के स्थान पर १०० व्यक्तियों की प्रति वर्ष प्रवेश दिया जायेगा तथा देहरादून और कोयम्बटूर के कॉलेजों में रैंजर्स कोर्स में २०० के स्थान पर ३०० व्यक्तियों को भर्ती किया जा सकेगा। सरकार का अनुमान है कि इन सुविधाओं की वृद्धि के फलस्वरूप योजनाकाल में ४८० प्रशिक्षित अधिकारी तथा १,५२० रैंजर्स उपलब्ध हो सकेंगे।

सन् १९६६-६७ से सन् १९६८-६९ तक वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत बनो के विकास पर कुल ४४ करोड़ रुपये व्यय किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बनो के विकास के लिए कुल ६२ करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

वर्तमान समय में विश्व के कुल वन-क्षेत्र का केवल १६ प्रतिशत भाग भारत में है।

## ५ मछलियाँ (FISHES)

प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधनों में मछली एक महत्त्वपूर्ण देन है। ऐसे देशों में, जहाँ खाद्यान्नों का प्रायः अभाव रहता है, मछली की प्रचुरता एक ईश्वरीय वरदान मानी जाती है। इस कारण से जापान के मछुए प्रशांत महासागर में जापानी तट से सी सी मील दूर तक जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। इंग्लैण्ड तथा नार्वे के समुद्र-तट तथा अमरीका के पूर्वी तटों पर प्रायः मान भर मछली पकड़ने का व्यवसाय अबाध गति में होता है। जापान तथा इंग्लैण्ड तो मछली को बहुत बहुत कुछ अपने आहार का महत्त्वपूर्ण अंग समझते हैं।

भारत में भी गत वर्षों में मत्स्य उद्योग अथवा मछली पकड़ने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। खाद्यान्नों की कमी के कारण मछली पालने तथा प्रयोग करने का प्रचार भी किया जा रहा है।

**आन्तरिक स्रोत**—मछलियाँ तानाबो, नदियों, नहरों, अथवा जलाशयों में प्रायः सभी स्थानों में उपलब्ध होती हैं। भारत में आन्तरिक स्रोतों का बाहुल्य होने के कारण काफी मछली इन साधनों से प्राप्त होती है। उदाहरणतः, देश में मछलियों की वार्षिक उपलब्धि १७ लाख टन है, जिसमें से ३ लाख टन आन्तरिक स्रोतों में प्राप्त की जाती है। वास्तव में, देश के आन्तरिक जल स्रोतों का विस्तृत भव्यकरण कर मछली पालन की नियमित व्यवस्था करनी चाहिए। प्रथम दो योजनाओं में लगभग १३५ लाख एकड़ आन्तरिक जल स्रोतों का सर्वेक्षण किया गया और ८ लाख एकड़ जलक्षेत्र में मछली पालने की व्यवस्था की गयी। तृतीय योजना में भी ५०,००० एकड़ से अधिक जनक्षेत्र में मछलियाँ पालने की व्यवस्था करने तथा लगभग १,५००-२,००० एकड़ जल-क्षेत्र (जो दलदलयुक्त है) को मछली पालन के उपयुक्त बनाने का प्रयत्न किया गया। वस्तुतः इन सब क्षेत्रों का सम्पूर्ण रूप में विकास होने पर देश की खाद्य समस्या हल करने में बहुत सहयोग मिलने की आशा है।

**सामुद्रिक स्रोत**—भारतीय समुद्रतट लगभग ५,६८६ किलोमीटर लम्बा है तथा अनेक स्थानों पर काफी कटा-बटा है जहाँ मछली पकड़ने का व्युत्साय सरलतापूर्वक हो सकता है। भारत में मछली पकड़ने के आधुनिकतम साधनों का विकास न होने के कारण समुद्रतट में केवल ८ से १२ किलोमीटर की दूरी तक ही मछलियाँ पकड़ी जाती हैं।

भारत में मछली की वार्षिक माँग लगभग ४० लाख टन है किन्तु उत्पादन केवल १७ लाख टन (११ लाख टन सामुद्रिक तथा ३ लाख टन आन्तरिक) है। भारत के मछली स्रोतों का एक गहन सर्वेक्षण करना चाहिए और मछली पकड़ने की प्रणालियों में सुधार करना चाहिए। ऐसा करने से तमिलनाडु कोचीन, विशाखापत्तनम, बम्बई तथा कनकता आदि केन्द्रों के अनिश्चित अनेक स्थानों

पर मछली पकड़ने के केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं जो देश के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

### ६ पशुधन (LIVESTOCK)

भारत में जनावरों का व्यवसायिक महत्त्व रहा है और गाय तथा बंन दुग्ध के अत्याधिक उत्पादन का यह है। सम्भवतः इस कारण से ही भारतीय सामाजिक जीवन में गौ की माता के समान आदर दिया जा रहा है और उसे एक महत्त्वपूर्ण धन माना गया है। वर्तमान युग में भी जबकि अन्य देशों में दुग्ध का तीव्र गति से उत्पादन हो रहा है, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बंन से ही खेती होती है। चम्बर बोस के प्रदेशों में बंनों से खेती करना अनेक दृष्टिकोणों से उपयोगी है।<sup>1</sup>

(१) बंनों में खेती करने में गौरी-गौरी या अतिरिक्त इन्-पुर्जों की आवश्यकता नहीं होती।  
(२) यह प्रायः नियमित रूप से कार्य कर सकते हैं जबकि मशीनें अनेक बार काम बन्द कर देती हैं।

(३) बंनों में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक खाद (गोबर तथा मूत्र) मिलती है। इसकी अतिरिक्त भारत के देशों में जहाँ जनसंख्या का साहस्य है, बंनों द्वारा खेती करना ही अधिक सुनिश्चित करता है क्योंकि इसमें किसानों को काम मिलता रहता है और गाय आदि पशुओं से दूध की पूर्ति भी होती रहती है जिससे अच्छी तथा सुकरी के स्वास्थ्य ठीक रहता है।

चम्बर बोस द्वारा बताया गया कि बंनों के लिए भी कुछ उपयोग हैं :

- (१) वह फसल पैदा होने पर अन्न निकालने में मदद करते हैं।
- (२) उन्हें गाड़ी में जोड़कर फसल को मंथी तक पहुँचाया जा सकता है।
- (३) मृषु के उपरान्त उनका चमत्कार बहुत उपयोगी होता है।

सम्भवतः इन सब कारणों से ही भारतीय समाज में गाय तथा बंन को अधिक महत्त्व दिया गया था।

पशुधन का बाह्य-सम्पर्क—अन्तर्राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन मन्त्र (International Federation of Agricultural Producers) के अनुसार मन्त्र के कुल दूध देने वाले पशुओं की संख्या ११० करोड़ है जिसमें भारत का भाग लगभग एक-बोस है जो कि मन्त्र के सब देशों में अधिक है।

१९६६ में विश्व में दूध का कुल उत्पादन ३१०० मिलियन टन हुआ था, जबकि उस वर्ष भारत में दूध का कुल उत्पादन १६० मिलियन टन मात्र था। उसी वर्ष भारत में दूध का उत्पादन १४० लाख टन हुआ। इस प्रकार भारत में कुल पशुधन की संख्या लगभग ३४ करोड़ है। इस संख्या के अतिरिक्त मुर्गे मुर्गियों की संख्या ११ करोड़ में कुछ अधिक आंकी गयी है।

पशुधन की संख्या—पशुओं की संख्या सर्वाधिक होने पर भी भारत के पशु-उत्पन्न हीन अवस्था में है। उदाहरण के लिए मन्त्र में दूध की कुल उत्पादन ३४ करोड़ टन आंकी गयी है जिसमें से भारत केवल १६० करोड़ टन अर्थात् लगभग ६ प्रतिशत उत्पादन करता है। इसका कारण यह है कि भारत की गायें अन्य देशों की गायों की तुलना में बहुत कम दूध देती हैं, जो निम्न अंकों से स्पष्ट है

गायों के दूध का औसत उत्पादन में ३,०१०, स्विट्जरलैंड में ३,२६०, मधुल राज्य अमेरिका में ३,१६० और भारत में २०० किगोराम है।

यह भी अनुमान किया जाता है कि भारत की ६६३ प्रतिशत गायें एक किगोराम से भी कम दूध देती हैं और केवल ०६ प्रतिशत ही किगोराम दूध प्रतिदिन देती हैं। १६२ प्रतिशत में भी १ किगोराम प्रतिदिन से कम दूध देने वाली हैं।

दूध की उपलब्धि—इस हीनता के कारण ही भारत में दूध का वार्षिक उत्पादन बहुत कम है। १९५१ में यह १७ करोड़ टन था किन्तु १९६६ में बढ़कर २०६ करोड़ टन हो गया।

भारत में दूध तथा दुग्ध पदार्थों का प्रति व्यक्ति उपभोग १९५१ में ४७६ औंस प्रतिदिन था जो बढ़कर १९६१ में ४६ औंस प्रतिदिन हो गया। वर्तमान में यह केवल ४६२ औंस प्रतिदिन है जो आदर्श आवश्यकता के जाड़े से भी कम है। समार भर की दूध एवं दुग्ध पदार्थों के उपभोग की दैनिक औंसत १०७ औंस है। भारत में दूध की इतनी कम प्राप्ति में भी विभिन्न राज्यों की खपत में बहुत भिन्नता है। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में दूध का प्रयोग अन्य राज्यों की तुलना में अधिक होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्वास्थ्य का सामान्य स्तर बनाए रखने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम १० औंस दूध प्रतिदिन मिलना चाहिए किन्तु चौथी योजना के समापन पर भी दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धि केवल ५५ औंस हो सकेगी। इससे स्थिति की गम्भीरता का अनुमान लगाया जा सकता है।

दूध देने वाले पशुओं की भाँति ही अन्य पशुओं की स्थिति भी बहुत सन्तोषजनक नहीं है। इस हीन स्थिति के निम्न कारण हैं

(१) अनुपयोगी पशुओं का बाह्यत्व—भारतीय योजना आयोग के अनुसार भारत में फालतू तथा अनुपयोगी पशुओं की संख्या बहुत अधिक है। इनमें से बहुत से पशु खराब नस्ल के हैं और अच्छी नस्ल के पशुओं के साथ मिलने से उनकी नस्ल भी खराब होने का भय रहता है।

(२) घटिया आहार—पशुओं की दुर्बलता का दूसरा कारण यथेष्ट एवं पोषिक आहार का अभाव है। देश के अनेक भागों में पशुओं को जो चारा अथवा खाद्य दिये जाते हैं वह बहुत कम और घटिया किस्म के होते हैं। इसके साथ साथ उनसे काम काफ़ी माना में लिया जाता है जिससे पशुओं की शारीरिक दुर्बलता में वृद्धि हो जाती है।

(३) रोगों का बाह्यत्व—देश के अनेक भागों में पशुओं को विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं जिनकी चिकित्सा की सुविधाएँ बहुत कम हैं।

(४) अच्छे साँडों की उपलब्धि—पशुओं की अच्छी नस्लों का विकास करने के लिए यह भी आवश्यक है कि यथेष्ट संख्या में अच्छी नस्ल के साँड उपलब्ध हों। भारत के अनेक भागों में पर्याप्त मात्रा में अच्छी नस्ल के साँड उपलब्ध नहीं होते जिससे गाय तथा बैल की नस्ल खराब हो जाती है।

(५) गायों की देख-रेख—गाय को माता मानने वाले भारत में भी अनेक व्यक्ति गायों को गलियों में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। यह गायों विभिन्न प्रकार की गन्दी और अस्वास्थ्यप्रद वस्तुएँ खाती रहती हैं जिनमें न केवल उनका स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि वह जो दूध देती हैं वह भी हानिकारक एवं रोग उत्पन्न करने वाला होता है।

योजनाकाल में पशुधन का विकास

(१) कृत्रिम गर्भाधान व्यवस्था—देश में अच्छी नस्ल के पशुओं का विकास करने के लिए भटकने वाले रोगी अथवा दुर्बल साँडों को ब्रिया करना आवश्यक है ताकि उनके संयोग से गायों की नस्ल को हानि न पहुँच सके। इसके अतिरिक्त यथेष्ट संख्या में अच्छे साँडों की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। भारत सरकार ने अच्छी नस्ल के साँड तैयार करने के लिए केन्द्रीय ग्राम योजना (Key Village Scheme) लागू की है। प्रथम दोनो योजनाओं में इन प्रकार के ४०७ खण्ड स्थापित किये गये जहाँ स पचासों को अच्छे साँड दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान की भी व्यवस्था की गयी है जिसके द्वारा केवल थ्रेंड नस्ल के पशु उत्पन्न किये जा सकते हैं। द्वितीय योजना के अन्त तक कृत्रिम गर्भाधान के ६७० केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे। योजना आयोग की एक विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि नस्ल सुधार के लिए प्रयुक्त किये

जाने वाले पशुओं की मरवारी केन्द्रों में जाँच की जानी चाहिए तथा अधिक केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। फलतः हरियाणा तथा गुर्गाँव (भैरों) नस्लों के साँडों तथा भँसों की जाँच एवं विकास का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। बुर्बल एवं खराब नस्ल के पशुओं को बढ़िया करने की योजना भी तेजी से कार्यान्वित की जा रही है।

वर्तमान में १२५ सरकारी पशुपालन केन्द्र हैं जिनमें प्रति वर्ष ५,००० साँड तैयार किये जा रहे हैं। तृतीय योजना काल में ३०,००० साँड पालने के लिए आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गयी।

(२) रोगों की रोकथाम तथा चिकित्सा—पशुओं में लाल बीमारी विशेष रूप से फैलती है जिसकी रोकथाम करने के लिए टीके लगाने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त २८ ऐसे केन्द्र निर्मित किये जा रहे हैं जिनमें रोग पशुओं को रखा जा सकेगा। इनमें से १८ केन्द्र स्थापित हो चुके हैं।

(३) भोजन एवं पोषण-व्यवस्था—भारत के समय मनुष्यों के लिए तो विदेशों से खाद्य-सामग्री का आयात हो जाता है परन्तु पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना बहुत कठिन होता है। सामान्य परिस्थितियों में भी कभी-कभी चारे का अभाव हो जाता है। इसका अनुमान इस बात से लगता है कि भारत में कुल पशुभक्षण के लिए कम से कम ५ करोड़ टन विशिष्ट भोजन (concentrates) तथा ६३ करोड़ टन चारे की आवश्यकता है जबकि वास्तविक उपलब्ध केवल १३८ करोड़ टन विशिष्ट भोजन तथा ८० करोड़ टन चारा है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए चारा बैंक स्थापित किये गये हैं।

चारे के भण्डार निर्मित करा के अतिरिक्त एक घास अनुसन्धान संस्था भी स्थापित की जा रही है जो तीव्रगति से बढ़ने वाली घासों को सरकारी क्षेत्रों में उत्पन्न करने के सम्बन्ध में सुझाव देगी। इस प्रकार की सुधरी हुई घास नदी घाटी योजनाओं के क्षेत्रों में उत्पन्न करने की व्यवस्था की जायेगी।

यह अनुसन्धान केन्द्र घास उत्पन्न करने के केन्द्रों के प्रदर्शन की व्यवस्था भी करेगा तथा फसलों के साथ अदना बढ़ली के रूप में घास उत्पन्न करने की योजना को भी प्रोत्साहन देगा।

(४) अतिरिक्त पशुओं की व्यवस्था—देश में एक बड़ी संख्या ऐसे पशुओं की है जो अनुत्पादक क्षीण तथा बेकार हैं। इनके कारण अच्छे पशुओं को भी पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने में कठिनाई होती है। वस्तुतः इन पशुओं को समाप्त करना ही उचित इलाज है परन्तु देश की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं की दृष्टि से १९४८ में पशु परिरक्षण तथा विकास (Cattle Preservation and Development Committee) ने बेकार पशुओं के लिए गो-सदन स्थापित करने का सुझाव दिया था। इन सदनों की स्थापना इसलिए की जा रही है कि इनमें निक्म्मे तथा बीमार पशुओं को अच्छे पशुओं से अलग रखा जा सके ताकि खराब नस्ल के पशुओं की वृद्धि न हो। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भटकने वाले पशुओं को पकड़कर गो-सदनों में भेजने की व्यवस्था भी सम्मिलित है।

(५) कुबट्ट पालन—भारत में दालें, दूध, घी तथा अन्य पौष्टिक पदार्थों का अभाव है। इस कमी की पूर्ति करने के लिए किसी समूह पौष्टिक साधन का विकास करने की आवश्यकता है। मुर्गी-पालन व्यवसाय इस कमी की पूर्ति करने में सहायक हो सकता है। भारत में बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन का रिवाज नहीं है। यह व्यवसाय कुटीर उद्योग के रूप में ही चलाना जा रहा है। बड़े-बड़े नगरों में प्रायः जगड़े तथा मुगियाँ (अथवा उनका मांस) बाजार में बिकता है।

(६) भेड़पालन तथा ऊन—भारत में लगभग ७२ करोड़ पीण्ड ऊन प्राप्त होती है जिसका लगभग ५० प्रतिशत भाग श्लोचि युक्त के लिए निर्यात कर दिया जाता है। अनुमान लगाया जाता



है कि ऊन तथा भेड़ों से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं के निर्यात से भारत को प्रति वर्ष लगभग २६-२७ करोड़ रुपये विदेशी विनिमय के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग ८ करोड़ रुपये की बढ़िया किस्म की ऊन आयात भी की जाती है।

भेड़पालन व्यवसाय में भी दो समस्याएँ मुख्य रूप से प्रकट होती हैं। प्रथम समस्या अच्छी नस्ल के भेड़े (rams) प्राप्त करने तथा दूसरी ऊन को ठीक प्रकार से कटाने से सम्बन्धित है। तृतीय योजनाकाल में अच्छी नस्ल के भेड़े पालने के चार केन्द्र स्थापित किये गये। इन केन्द्रों से भेड़ें तथा ऊन का विकास करने वाले ३०५ केन्द्रों को भेड़े दिये गये। यह विनास केन्द्र अच्छी नस्ल की भेड़ें पालने के अतिरिक्त ऊन काटने, वर्गीकृत करने तथा विक्रय की आधुनिक रीतियों का प्रदर्शन भी करते हैं।

चीनी आक्रमणजनित मकड़कानीन परिस्थिति के कारण ऊन का उत्पादन बढ़ाने का अत्यधिक प्रयत्न किया जा रहा है। तदनुसार भेड़ों का विकास करने की दृष्टि से ऊन बतारने तथा वर्गीकृत करने सम्बन्धी एक योजना राजस्थान में आरम्भ कर दी गयी है। इसका संचालन सयुक्त राष्ट्र सभ विशिष्ट कोष (United Nations Special Fund) के अन्तर्गत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऊन के वर्गीकरण करने सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए जोधपुर (राजस्थान) में एक प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया है जिसका निर्देशन आस्ट्रेलिया के पाँच विशेषज्ञों द्वारा हो रहा है। राजस्थान में भेड़ तथा ऊन उत्पादन का विकास करने के लिए एक केन्द्रीय सत्या की स्थापना भी की गयी है।

(७) पशु बीमा तथा अन्य योजनाएँ—कभी-कभी पशुओं में महामारी फैल जाने से एक साथ बहुत-से पशुओं की मृत्यु हो जाती है जिससे पशुपालकों को बहुत हानि होती है। बम्बई की सहकारी म्युचुअल इन्श्योरेंस कम्पनी ने महाराष्ट्र और गुजरात में दूध देने वाले तथा बोस बोनो वाले पशुओं का बीमा आरम्भ कर दिया है। केरल, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मँसूर, तमिलनाडु तथा पंजाब आदि राज्यों में भी पशु बीमा योजना के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

(८) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ—भारत में दूध का उत्पादन पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त दूध का वितरण भी वैज्ञानिक तथा स्वस्थ रीतियों द्वारा नहीं किया जाता। देश के बहुत-से भाग ऐसे भी हैं जहाँ दूध अतिरिक्त (Surplus) मात्रा में होता है किन्तु आवागमन तथा शीत-प्रसाधनों के अभाव के कारण उस दूध का श्रेष्ठतम उपयोग नहीं हो पाता। इन सब दृष्टिकोणों से दूध का उत्पादन बढ़ाने, उसका यथासमय एवं यथोचित रूप में वितरण करने तथा अतिरिक्त दूध को चूर्ण, मलाई अथवा मक्खन के रूप में परिवर्तित करने के लिए साधन जुटाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

योजनाकाल में भारत में २६ डेयरी फार्मों की स्थापना की गयी है जिनमें प्रतिदिन लगभग १० लाख लिटर दूध का वितरण किया जाता है। कुछ बड़े नगरों में नये दुग्ध उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं जिनमें न्यूजीलैण्ड तथा अन्य विदेशी सरकारों का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है कि भारत का पशु धन मात्रा में अत्यधिक है किन्तु उसे सबल और उपयोगी बनाना आवश्यक है। इस दिशा में गत वर्षों में जो प्रयत्न किये गये हैं वह बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक हैं।

#### प्रश्न

- भारत के खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए और बताइए कि भारत की औद्योगिक उन्नति में उनका क्या महत्व है ?  
(विक्रम, बी० ए०, १९६०)
- भारत की खनिज सम्पत्ति का वर्णन कीजिए तथा इसके भविष्यकालीन विकास के सम्बन्ध में विवेचन कीजिए ?  
(आगरा, बी० ए०, १९५२, १९६२)

- ३ भारत की अर्ध-व्यवस्था में वनों का क्या महत्त्व है ? इनके विकास के लिए नी नी गयी कार्यवाही का विवेचन कीजिए । (आगरा, बी० ए०, १९५१; पटना, बी० ए०, १९५२)
- ४ भारतीय अर्ध व्यवस्था में वनों का क्या महत्त्व है ? भारत सरकार की वन नीति का वर्णन कीजिए । (आगरा, बी० कॉम०, १९५७, राजस्थान, बी० ए०, १९५६)
- ५ भारतीय कृषि की समृद्धि में वनों का महत्त्व स्पष्ट कीजिए । वन उपज पर आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए और भविष्य में वन नीति का वर्णन कीजिए । (राजस्थान, बी० ए०, १९५४)
- ६ भारत में कितने प्रकार के वन पाये जाते हैं ? भारतीय अर्ध-व्यवस्था में इनका क्या महत्त्व है ? इनकी उन्नति के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में आप कोई सुझाव देंगे ? (पंजाब, बी० ए०, १९५२)
७. भारत में शक्ति के प्रमुख स्रोत क्या हैं ? जलशक्ति का इस देश के लिए क्या महत्त्व है ? समझाइए । (बिहार, बी० ए०, १९५३, पटना, बी० ए०, १९५०)
- ८ भारत में शक्ति के कौन-कौन से साधन सुलभ हैं ? राष्ट्रीय अर्ध-व्यवस्था में उनके सापेक्षिक महत्त्व की विवेचना कीजिए । (विक्रम, बी० ए०, १९६३)
- ९ भारत के आर्थिक विकास में जल विद्युत का क्या महत्त्व है ? भारत की महत्त्वपूर्ण जल-विद्युत योजनाओं का उल्लेख कीजिए । (राजस्थान, बी० ए०, १९५४, बिहार, बी० ए०, १९६१)
- १० भारत के जलशक्ति साधनों का विवेचन कीजिए । पंचवर्षीय योजनाओं में उनका कहीं तक विकास हुआ है ? (बिहार, बी० ए०, १९६३)
- ११ 'वन भारतीय कृषि के विकास यन्त्र हैं ।' स्पष्ट कीजिए तथा योजना काल में सरकारी नीति का विवेचन कीजिए । (भागलपुर, बी० ए०, १९६३)
- १२ भारत के खनिज तेल साधनों का संक्षिप्त विवरण लिखिए । गत दस वर्षों में खनिज तेल की पूर्ति बढ़ाने में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? (भागलपुर, बी० ए०, १९६३)
- १३ भारत में जलशक्ति का आर्थिक महत्त्व स्पष्ट कीजिए । इसका कहीं तक विकास हो पाया है ? इसके अधिक विकास के लिए सुझाव दीजिए । (गोरखपुर, बी० ए०, १९६३)
- १४ भारत के आर्थिक जीवन में वनों का महत्त्व स्पष्ट कीजिए । गत दश योजनाओं में सरकार ने वनों के विकास के लिए क्या प्रयत्न किये हैं ? (मगध, बी० ए०, १९६३)
- १५ भारत में शक्ति के कौन-कौन से साधन सुलभ हैं ? राष्ट्रीय अर्ध-व्यवस्था में उनके सापेक्षिक महत्त्व का विवेचन कीजिए । (विक्रम, बी० ए०, १९६३)
- १६ 'पशु समस्या भारतीय कृषि की प्रधान समस्या है ।' इस कथन की सच्चाई पर विचार प्रकट कीजिए । (आगरा, बी० कॉम०, १९६१)
- १७ क्या भारत के खनिज स्रोत देश के औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त हैं ? विवेचन कीजिए । (दिल्ली, बी० ए०, १९६३)
- १८ भारतीय अर्ध व्यवस्था में वनों के महत्त्व पर प्रकाश डालिए । (राजस्थान, बी० ए०, १९५६)
- १९ भारत के आर्थिक विकास पर प्राकृतिक साधनों से प्रभाव का विवेचन कीजिए । (विक्रम, बी० ए०, १९६१)
- २० भारत में पशु समस्या का विश्लेषणात्मक विवेचन कीजिए । (विक्रम, बी० ए०, १९६३)

## जनसंख्या की समस्या

### (THE POPULATION PROBLEM)

*"The real economic cost of continued rapid population growth in such already crowded nations as India, Pakistan, Ceylon, Indonesia and China stems from the drag it places on the increase in per capita incomes"* —Chester Bowls

किसी देश के आर्थिक विकास के लिए मानव, मुद्रा तथा माल (man, money and material) अत्यन्त महत्वपूर्ण होने हैं। इनमें से माल अर्थात् प्राकृतिक साधनों पर विचार किया जा चुका है। प्रस्तुत अध्याय में मानवीय तत्त्व का विशेषण करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

किसी भी देश की जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के दो पहलू हो सकते हैं— (१) सख्यात्मक (quantitative), तथा (२) गुणात्मक (qualitative)। जहाँ तक सख्यात्मक पहलू का प्रश्न है, यह देखना बहुत आवश्यक है कि जनसंख्या के बढ़ने की गति क्या है और वह गति स्वायत्त तथा उत्पादन के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कितनी कम या अधिक बढ़ रही है। इस सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसंख्या की कुल वृद्धि में श्रमिकों की संख्या अथवा प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो रही है। इन दोनों तथ्यों के अध्ययन में किसी देश के उत्पादन (कृषि तथा उद्योग) तथा रोजगार सम्बन्धी आयोजन करने में सहायता मिलती है।

जनसंख्या का गुणात्मक पहलू भी सख्यात्मक पहलू से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस पहलू के अन्तर्गत जनता का स्वास्थ्य, जीवन स्तर, कार्यानुसार वर्गीकरण तथा शिक्षा एवं कुशलता का स्तर सम्मिलित है। अतः देश में सामाजिक शोभा, शिक्षा तथा पारिवारिक सम्बन्धी आयोजन के लिए जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

मसौमे में, किसी देश की आर्थिक प्रगति का उचित स्तर निर्धारित करने तथा विकास का शुद्ध मूल्यांकन करने के लिए जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी कर लेना आवश्यक है।

### भारतीय जनसंख्या की प्रवृत्ति (TRENDS IN INDIA'S POPULATION)

मोरलेण्ड तथा चटर्जी के अनुसार, सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में भारत की जनसंख्या केवल १० करोड़ थी। इनके १५० वर्ष बाद अर्थात् सन् १७५० में यह १३ करोड़ हुई, अर्थात् पिण्डने निराज के इस अनुमान के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि की गति २ प्रतिशत प्रति दशान्द (decade) थी। १८४७ तथा १८५० में भारत की अनुमानित जनसंख्या लगभग १५ करोड़ बतायी गयी है।

मकूलोक (McCulloch) तथा मुगर्जों के इस अनुमान के अनुसार पूरी एक शताब्दी में भारतीय जनसंख्या में २ करोड़ की वृद्धि हुई जो लगभग १५ प्रतिशत प्रति दशक होती है। इस प्रकार १९वीं शताब्दी में भारतीय जनसंख्या की शुद्ध वृद्धि १८वीं शताब्दी की तुलना में बहुत कम रही है।

### १ सत्यात्मक वृद्धि के अनुमान

भारतीय जनसंख्या में सत्यात्मक वृद्धि के जो अनुमान लगाये गये हैं उनमें अंतिम अनुमान सन् १९७१ की जनगणना का है जिसके अनुसार भारत की जनसंख्या ५४७० करोड़ है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सार में द्वितीय स्थान है क्योंकि चीन की जनसंख्या ७५८० करोड़ के लगभग बतायी जाती है। वर्तमान शताब्दी में भारत की जनसंख्या में निम्न क्रम में वृद्धि हुई है

गणना वर्ष	जनसंख्या (करोड़ में)	वृद्धि प्रतिशत	वार्षिक वृद्धि प्रतिशत
१८६१	२३५६	—	—
१९०१	२३८३	+ १०	१०
१९११	२५२०	+ ५७	६७
१९२१	२५१३	- ०३	- ०३
१९३१	२७८६	+ ११०	११०
१९४१	३१८६	+ १४२	१४२
१९५१	३६१०	+ १३३	१३३
१९६१	४३६१	+ २१६	२१६
१९७१	५४७०	+ २४६	२४६

उपरोक्त तालिका स्पष्ट है कि १८६१ से १९२१ के बीच भारत की कुल जनसंख्या में १५४ करोड़ की वृद्धि हुई जो केवल ६५ प्रतिशत होती है। इसके विपरीत १९२१ से १९३१ के बीच के अकेले दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर ११ प्रतिशत और तीस वर्ष (१९५१ तक) में ३८५ प्रतिशत अर्थात् छह गुनी हुई है। यह अंतर वास्तव में बहुत गम्भीर एवं चौंका देने वाला है। १९२१ से १९५१ के तीस वर्षों में जनसंख्या वृद्धि की भीषण गति निम्न कारणों से हो सकती है

- (१) ज म दर में अत्यधिक वृद्धि
- (२) मृत्यु दर में अत्यधिक कमी
- (३) सामान्य स्वास्थ्य में अत्यधिक सुधार
- (४) आकड़ों के संग्रहण में दोष।

मुख्य कारण अकाल तथा महामारी—सन् १९५१ की जनगणना के आयुक्त गोपालास्वामी के मतानुसार इनमें एक भी मायना नहीं रही है। उनका मत यह है कि सन् १८६१ से १९२१ के काल में अकाल तथा महामारियों (प्लग हैजा तथा पन्तू) के कारण करोड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हुई गयी जिससे जनसंख्या की वृद्धि बहुत सीमित रही।

अत्यधिक वृद्धि के कारण—सन् १९२१ के पश्चात् भारतीय जनसंख्या में सबथा नया मोड़ दृष्टिगोचर होता है क्योंकि इसके पश्चात् जनसंख्या के घटने की गति अत्यन्त तीव्र होनी लगी। इस वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

(१) अकालों पर नियंत्रण—सन् १९२१ से पूर्व के अकाल प्रायः स्थानीय होंगे वे और आवागमन के साधनों की कमी के कारण उन पर बाध नहीं पाया जा सकता था। प्रथम युद्धकाल में प्रयुक्त विषेण त्रक जीप आदि क इजनों का प्रयोग युद्ध के पश्चात् यातायात के साधनों का

विक्रम करन में किया गया। फलतः खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं को एक केन्द्र में दूर कर बिनी भी केन्द्र में लाना मरना हो गया और अकाल का प्रभाव कम हो गया। जिनु १९८३ में वगल में पुनः एक भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल में फलस्वरूप मरने वाले व्यक्तियों की संख्या २० में ३५ लाख तक बढ़ायी जाती है। एसा भीषण अकाल पड़ने पर भी १९८१-१९५० के दशाब्द में भारत की जनसंख्या में लगभग १३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। जिनु यह वृद्धि स्वभावतः गत दशाब्द में हुई वृद्धि में लगभग १ प्रतिशत कम थी।

(२) राष्ट्रीय चेतना—सन् १९२१ के पश्चात् जनसंख्या में वृद्धि की गति तीव्र होने का एक कारण यह भी था कि आगामी वर्षों में देश में राष्ट्रीय चेतना और स्वातन्त्र्य आन्दोलन निरन्तर मजल होना चल गया अतः सामाजिक जिन के कार्यों तथा चिकित्सा व्यवस्था में बहुत सुधार किया गया। देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के अनेक कार्य सम्पन्न किए गए हैं जिनके कारण मृत्यु-दर में आभासीतः कमी हो गयी है।

(३) मृत्यु दर में कमी—बीसवीं शताब्दी विरापकर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् चिकित्सा सुविधाओं तथा मजान्त्र कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं में तीव्र गति में वृद्धि हुई है। मन्त्रिया, चिकित्सा, प्लेग तथा क्षय जैसे मजाम्त्र के नए महार रोगों पर निपन्त्रण कर लिया गया है। इन सब प्रयत्नों के कारण मृत्यु-दर में काफी कमी हुई है। दूसरी ओर जन्म दर में बहुत कमी हुई है। अतः जनसंख्या में वृद्धि सन् १९२१ के पश्चात् बड़ी तेजी में हुई है।

### २ जन्म-दर तथा मृत्यु-दर

जनसंख्या की वृद्धि जन्म दर तथा मृत्यु-दर पर निर्भर है। सामान्यतः जन्म तथा मृत्यु दरों प्रति हजार आधिक के मन्त्र में प्रकट की जाती हैं। निम्न सारणी द्वारा भारत में जन्म-दर तथा मृत्यु दर पर प्रकाश पड़ता है

भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर

(प्रति हजार जनसंख्या पर)

अवधि	जन्म दर	मृत्यु-दर
१९०१-१९१०	८८ १	४२ ६
१९११-१९२०	४९ २	४८ ६
१९२१-१९३०	४६ ४	३८ ३
१९३१-१९४०	४५ २	३१ ०
१९४१-१९५०	३९ ९	२७ ४
१९५१-१९६०	४१ ७	२२ ८
१९६१-१९६५	४२ ०	१७ २

सन् १९५१ तथा १९६१ के मंस के अनुसार भारत में जन्म-दर ४२ तथा मृत्यु दर २३ प्रति हजार आधिक थी। इस प्रकार जनसंख्या में १९ प्रति हजार आधिक की दर से वृद्धि हुई है। १९६१ ७१ के बीच वृद्धि दर २१ ६ प्रति हजार हो गयी है।

भारत में जन्म दर अधिक होने के कारण—भारत में प्रति सहस्र जन्म दर (१९७१ में) ३९ है जबकि अमरीका, दक्षिण, जापान, फ्रांस तथा आस्ट्रेलिया में यह दर क्रमशः २४ ३, १५ ९ २५ ३, १९ ४ तथा २८ ९ प्रति सहस्र है। भारत में इतनी उंची जन्म दर का कारण निम्नलिखित हैं

(क) गर्भ जनवायु—भारत की जनवायु गर्भ होने के कारण इस देश की स्त्रियों की प्रजनन शक्ति प्रायः अधिक है।

(घ) बाल-विवाह—ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी विवाह छोटी आयु में होत है जिसका प्रभाव यह होता है कि छोटी छोटी बालिकाओं के संतान होनी आरम्भ हो जाती है।

(ग) विवाह की अनिवार्यता—भारत में विवाह एक धार्मिक क्रिया मानी जाती है और माता-पिता अपनी संतान का विवाह करना अनिवार्य समझते हैं और वह इस कर्तव्य से शीघ्रान्वित-शीघ्र उच्छेद होना चाहते हैं। जत जनसंख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

(घ) सयुक्त परिवार प्रणाली—भारत में अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में सयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित है जिसमें छोटे बालकों का पालन पोषण करना बहुत कठिन नहीं है। पारिचायक देशों में जहाँ नव दम्पति को विवाह होते ही अलग रहना पड़ता है, एक शिशु का ही दायित्व वहन करना बहुत कठिन हो जाता है। अतः उन देशों में जनसंख्या-वृद्धि पर नियन्त्रण करने की चेष्टा की जाती है।

(ङ) अधिकांश एवं अश्विश्वास—भारत में शिक्षा का प्रचार बहुत कम हुआ है अतः समाज के अधिकांश व्यक्ति अब भी दूधों तथा ओषधियों के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं और कुछ परिवारों में यह समझा जाता है कि पुत्र के बिना सारा परिवार ही नष्ट-बायी होगा। अतः पुत्र की आशा में जनसंख्या की वृद्धि निरन्तर प्रोत्साहित होनी रहती है।

(च) निम्न आय तथा घटिया जीवन स्तर—भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और एक बच्चा ६-७ वर्ष की आयु में ही काम करने लायक समझा जाने लगता है और वह घेती में हाथ बटाता लगता है अथवा अन्य मजदूरी करने लगता है जिससे परिवार की आय में वृद्धि होने की आशा रहती है। इस प्रकार अधिक संख्या में और तो अधिक आय प्राप्त करने में सहायक होती है दूसरी ओर उनका जीवन स्तर अत्यन्त निम्न होने के कारण व्यय बहुत कम होता है। देश के अधिकांश परिवार जाड़ा, ज्वार, जौ या मक्का की सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेते हैं जबकि परिवार का प्रत्येक व्यक्ति (पुरुष, स्त्री बालक आदि) अपने व्यय से अधिक कमाई कर लेता है। स्वभावतः यह परिस्थिति जनसंख्या-वृद्धि को प्रोत्साहित करती है।

(छ) मनोरंजन का अभाव—भारतीय परिवारों को प्रायः सस्ते मनोरंजन उपलब्ध नहीं होते। नगरी तथा कस्बा में तो थके थकाये अधिक सिनेमा से भी मनोरंजन कर लेते हैं परन्तु देहाती क्षेत्रों में उनका एकमात्र जाड़पण घर तथा परिवार होता है अतः यौन सम्पर्क की सम्भावनाएँ अधिक रहती हैं और परिवार की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

(ज) आवास स्थान की कमी—आर्थिक एवं सामाजिक दरिद्रता के कारण अधिकांश भारतीय परिवारों के पास निवास के लिए एक कमरे से अधिक नहीं होना जिससे अन्ततोगत्वा जन वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है।

(झ) निरोधक सुविधाओं की कमी—अनेक परिवारों में इच्छा रहते हुए भी परिवार नियोजन नहीं किया जा सकता क्योंकि सुविधाओं तथा जानकारी का अभाव रहता है। भारत में एक सस्ते उपकरण मुक्त करान की आवश्यकता है जिनकी सहायता से परिवारों की संख्या कम करने पर बिना किसी दुविधा के नियन्त्रण की जा सके।

(ञ) पारिवारिक मान्यता—भारत में बड़ा परिवार न केवल सुख समृद्धि का चोख माना जाता रहा है बल्कि उस आदर की दृष्टि में देखने की परम्परा है। यह दृष्टिकोण निश्चय ही जनसंख्या-वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान देता रहा है।

(ट) शिशु मृत्यु—स्वास्थ्य सुविधाओं का दूसरा प्रभाव बाल मृत्यु पर पड़ा है, अर्थात् बाल मृत्यु दर में महत्त्वपूर्ण कमी हुई है। इसका अनुमान इस तथ्य से लगता है कि जहाँ १९५१-५२ में बालक तथा बालिकाओं की मृत्यु दर १२० तथा १७५ प्रति सहस्र होती थी,

वहाँ १६.१ म वर पत्रक कर्मण १८० तथा १२० रू मया ह । यह म्यति म्त्रियों क म्त्राम्य एव चिकि ना मुविद्याशा म विस्तार तथा म्त्रि गण पर काङ् पान क कारण उत्पन्न हुद है ।

(६) ओमन आयु म युद्धि—प्रथम पचवर्षीय याजना क प्रारम्भ क समय एक भारतय पुर्य हान की दगा म ६ ८५ वष तथा म्त्रा हान का दगा म २१.६६ वष जान का आगा कर सकता था त्रिमका तात्पर्य यह है कि दगा म पुत्र्य तथा म्त्रिया का आमत आयु ३२ ४५ तथा ३१ ६६ वष था । दगा म रागा का कमा तथा विक्रिया ब्यवम्याजा म उत्पति हान क पत्रम्भय १६६१ म यह औसत कर्मण ८१ ६० तथा ४० ०६ वष हा गया । १६७० क एव अनुमान क अनुमार भारत क नागरका का औमन आयु ५० वष तत्र पदूच गया ह ।

### ३ जनसंख्या का घनत्व

जनसंख्या क घनत्व का अर्थ यह है कि दगा म प्रति वामान जषवा प्रति किलामीटर कितन ब्यक्ति निवास करत है । वास्तव म, कितन दगा म जनसंख्या अधिक तथा निवास योग्य भूमि कम हाती है उनम जनसंख्या अधिक घना बना हुद हाता है अर्थात् उन दगा म जनसंख्या का घनत्व अधिक हाता है । विमानगोन छात्र दगा म प्राय अग्निशा एव सामाजिक पिछडगन क कारण जनसंख्या का बढन का गति तार हाता है अत्र जन घनत्व अधिक हाता ह । कृषि प्रधान दगा म भी जनसंख्या का घनत्व अधिक हान का सम्भावना हाता है ।

विकास और घनत्व—जनसंख्या क घनत्व क विषय म एक विदगा लक्ष यह है कि कितन दगा का आध्यात्मिक विकास काता अधिक हा जाता है उन दगा म भी जनसंख्या का घनत्व अधिक हाता है । आध्यात्मिक बस्तिया बनन स प्राय अम शत्रों म घनत्व घट जाता है । जापान, रूयान्ट, उनमाक, म्त्रियम, हाउण्ड तथा म्त्रियरररररर मगोत्र दगा इस बात का पुष्टि करत हैं कि छा और विकसित दगा म जनसंख्या अधिक घना हाता ह । इसर विपरात, अमराका, कनाडा, म्त्रियम म्त्र आदि दगा म्त्र बढ दगा हैं जोर घनत्व विकसित भा हैं परन्तु उनका अक्षरक बढत हान क कारण उनम जनसंख्या का घनत्व कम है । अत्र घनत्व का ज्यवन करत समय दगा क विकास क साथ साथ उनक आकार का अमान रचना भी बढन जावररक है ।

घनत्व का प्रभावित करन वाला बान—जनसंख्या क घनत्व का प्राय निम्नलिखित तत्व प्रभावित करत हैं

(१) भूमि का उपजाऊपन—कितन भागा म भूमि बढत उपजाऊ हाता है वहा लाग प्राय बसत लगत है । अर्थात् है कि ता-यमुना का मैदान तथा नदिना क उगा प्रदेश इसलिए घन आवाद हैं कि वहाँ भूमि उपजाऊ है जोर जावन निवास करतन पूरक किना जा सकता है ।

(२) बषा वार जनवायु—भूमि क उपजाऊपन क अतिरिक्त बषा का मात्रा तथा जनवायु का भा जनसंख्या क घनत्व पर प्रभाव पत्रता है । अत्यधिक बषा वान शत्रों म प्राय मन्त्रि या आदि का घन आत हैं तथा अन्धाय यदि करन म कठिनाद हाता ह, अत्र एक शत्रों में जनसंख्या अधिक घना नहा हाता । भारत म हिमाचल प्रदेश इनका जवनत उदाहरण है जिसकी जनसंख्या का घनत्व बढत ६० ब्यक्ति प्रति वा किलामाटर म जबकि सम्पूर्ण भारत का औसत १६७१ की जनसंख्या क अनुमार १८२ ब्यक्ति प्रतिवा किलामाटर है ।

अधिक बषा वान प्रदेशों की मति हा कम बषा वान प्रदेश भा कम घन आवाद हात हैं क्योंकि उन शत्रों म विवाद क अतिरिक्त कमा कमा पान क पाना का भा अनाद ररता है । इसी कारण राजस्थान म जनसंख्या का घनत्व बढत ७१ ब्यक्ति प्रति वग किलामाटर है ।

(३) यातायात क साधन—कितन कत्रा स दगा क अधिक भाग रन या नरक स निय हूए हात है वह क्षय भी घन आवाद हा जात है । इसक निगोन अन्तरगत में वष हूए उन शत्रा की जन-

संख्या कम घनी होती है जो यातायात की दृष्टि से पिछड़े हुए होत हैं क्योंकि उन स्थानों से व्यक्तियों एवं वस्तुओं का आना ही कठिन होता है।

(४) औद्योगिक विकास—यातायात व साधनों का प्राय औद्योगिक विकास से महत्ता सम्बन्ध रहता है। जिन स्थानों में बहुत से उद्योग धन्धे चालू हो जाते हैं वहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। भारत में पश्चिमी बंगाल (विशेषतः कलकत्ता), महाराष्ट्र (बम्बई क्षेत्र) तथा उत्तर प्रदेश में कानपुर और बिहार में जमशेदपुर इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।

(५) राजधानियाँ—केन्द्र तथा राज्य सरकारों की राजधानियाँ जिन नगरों में होती हैं वहाँ प्राय जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होता है। भारत में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जयपुर आदि इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।

(६) ऐतिहासिक अथवा धार्मिक क्षेत्र—जिन स्थानों का ऐतिहासिक अथवा धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्त्व होता है वहाँ प्राय विभिन्न वर्गों के लोग आकर बसने लगते हैं। अजमेर, काशी, आगरा, हरद्वार, पुरी आदि स्थानों में जनसंख्या ऐतिहासिक एवं धार्मिक कारणों से ही अधिक घनी बसी हुई है।

(७) जान माल की सुरक्षा—जिन क्षेत्रों में चार-ढाकुओं का आतंक रहता है अथवा सैनिक कार्यवाहियों निरन्तर चालू रखनी पड़ती हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व प्राय कम हो जाता है। उदाहरणतः सीमान्त प्रदेशों में, जहाँ अन्य देशों की आक्षामक कार्यवाहियों की आशंका रहती है, कम लोग निवास करना चाहते हैं। भारत में भी सभी सीमान्त क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है।

भारत में जनसंख्या का घनत्व सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार १८२ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। समार में एम भी देश हैं जहाँ जनसंख्या का घनत्व भारत की तुलना में बहुत अधिक है। उदाहरणार्थ जनसंख्या का घनत्व जापान में २५४, पश्चिमी जर्मनी में २१७, ब्रिटेन में २१५ तथा हालैण्ड में ३४६ है। कुछ देशों में जनसंख्या का घनत्व भारत से कम है, जैसे सन् १९६१ में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कनाडा में २, अमरीका (U S A) में २०, रूस में १० तथा संयुक्त अरब गणराज्य में २७ था। भारत में जनसंख्या का घनत्व पाँच दशा दो में लगभग १३० प्रतिजन बढ़ गया है जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धि की मात्रा लगभग ०.६ एकड़ रह गयी है। घनत्व की दृष्टि से विशेषतः यह है कि यह १९६१-७१ में ही सर्वाधिक बढ़ा है। इसका अनुमान निम्नलिखित तालिका से हो सकता है

भारत में जनसंख्या का घनत्व

(घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)

वर्ष	घनत्व	वृद्धि प्रतिशत
१९२१	७९	—
१९३१	८८	११.०
१९४१	१००	१४.२
१९५१	११३	१३.३
१९६१	१३८	२१.५
१९७१	१८२	३१.९

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि घनत्व में वृद्धि का प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत से अधिक है।



जनसंख्या घनत्व की तीव्रता महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत के विभिन्न राज्यों में घनत्व में जन्वयिक अन्तर है जैसा कि निम्न तालिका में स्पष्ट है

भारत में जनसंख्या का घनत्व, १९७१

(निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर)

राज्य	अन्य प्रदेश		
१. केरल	५८८	१. दिल्ली	२,७२३
२. पश्चिमी बंगाल	१०७	२. चण्डीगढ़	२,२५४
३. बिहार	३२४	३. जम्मू, मिनादिव, मिनाकोप तथा अमीनदिव द्वीप	६६४
४. तमिलनाडु	३६६	४. पाण्डिचेरी	६८०
५. उत्तर प्रदेश	३००	५. गोआ, दमन, दिऊ	२२५
६. पंजाब	२६८	६. दादरा, नागर हवेली	१५१
७. हरियाणा	२०५	७. त्रिपुरा	१४६
८. महाराष्ट्र	१६३	८. मनीपुर	४८
९. आन्ध्र प्रदेश	१५७	९. अण्डमान, निकोबार द्वीप	१८
१०. मध्य प्रदेश	१५२		
११. असम	१४६		
१२. उड़ीसा	१६१		
१३. गुजरात	१३६		
१४. मध्यप्रदेश	६३		
१५. राजस्थान	७५		
१६. हिमाचल प्रदेश	६०		
१७. मेघालय	४८		
१८. नागालैण्ड	३१		
१९. जम्मू-काश्मीर	—		

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट है कि दिल्ली, लकादिव द्वीप तथा पाण्डिचेरी के केन्द्रशासित प्रदेशों को छोड़कर कमजोर केरल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक घने बसे हुए प्रदेश हैं। इनके विपरीत, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश कम बसे हुए प्रदेश हैं।

इन अर्थों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

(१) विकास—अधिक उपजाऊ तथा विकसित भूखण्ड घने आबाद हैं और कम उपजाऊ तथा कम विकसित क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है।

(२) जनसाधु—नम जनसाधु एवं मैदानी भागों (उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, केरल) में जनसंख्या अधिक घनी है तथा पर्वतीय (आसाम, जम्मू-काश्मीर, मध्य प्रदेश) और रेनीले प्रदेशों (राजस्थान) में जनसंख्या का घनत्व कम है।

(३) कृषि—भारत में कृषि का महत्त्व अब भी अत्यधिक है क्योंकि अर्थों से स्पष्ट है कि केरल, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब में घनत्व अधिक है। इस सम्बन्ध में यह तथ्य भी स्मरण रखना होगा कि इन्हीं प्रदेशों में औद्योगिक विकास की गति भी अन्य क्षेत्रों से अधिक है।

#### ४. लिंग अनुपात

सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार भारत में कुल २८.३१ करोड़ पुरुष (५१.७ प्रतिशत) तथा २६.३६ करोड़ स्त्रियाँ (४८.३ प्रतिशत) थीं। इस सम्बन्ध में एक दिलचस्प बात यह है

कि गत मत्तर वर्षों में स्त्रियाँ का अनुपात पुरुषों की तुलना में निरन्तर कम होता गया है। यह तथ्य निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट है

पुरुष तथा स्त्रियों में अनुपात (१९०१-७१)  
(स्त्रियाँ प्रति सहस्र पुरुष)

वर्ष	स्त्रियाँ
१९०१	९७२
१९११	९६४
१९२१	९५५
१९३१	९५०
१९४१	९४५
१९५१	९४६
१९७१	९३२

स्त्रियों के कम होने के कारण—पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कम होने के तीन कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भारत में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष शिशु अधिक उत्पन्न होते हैं। दूसरे, भारत में (विशेषकर उत्तर भारत के प्रदेशों में जहाँ लड़कियों की संख्या विशेष कम है) लड़कियों की देखभाल प्रायः कम होती है, अतः बाल्यकाल अथवा प्रसूति अवस्था में उनकी मृत्यु अधिक होती है। तीसरा कारण यह है कि भारत में बाल विवाह बढ़ने लगे हैं और छोटी आयु में ही मातृत्व का भार बहन करने में अयोग्य होने के कारण बहुत सी लड़कियों की प्रसूति-काल में मृत्यु हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः प्रसूतावस्था में उचित देखभाल न होने के कारण अनेक बालिकाएँ रोगग्रस्त हो जाती हैं। इस प्रकार स्त्रियों की संख्या में कमी होने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। यह बढ़ती विपत्ति स्थिति है क्योंकि पश्चात्त दशों में प्रायः पुरुषों की तुलना में महिलाओं की औषध आयु भी अधिक होने लगे हैं तथा उनकी संख्या भी अधिक है। इसका सम्भावित कारण यह है कि उन दशों में सामाजिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता के कारण स्त्रियों का स्वास्थ्य अच्छा रहना है क्योंकि वे प्रारम्भ में ही परिवार नियंत्रण का ध्यान रखती हैं तथा उन्हें पारिवारिक चिन्ता में भारतीय महिलाओं की तुलना में कम से कम धुनना पड़ता है।

निगानुपात में भिन्नता—भारत में स्त्री पुं अनुपात में एक और महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट होता है। विभिन्न राज्यों में निगानुपात अत्यधिक भिन्न है जिनका अनुमान निम्नलिखित अंकों से लग सकता है

प्रति सहस्र पुरुष, स्त्रियों की संख्या (१९७१)

राज्य	स्त्रियों की संख्या	राज्य	स्त्रियों की संख्या
१ पंजाब	८७	९ मध्य प्रदेश	९४१
२ हरियाणा	८७५	१० बिहार	९५५
३ जम्मू काश्मीर	८८०	११ मैसूर	९६०
४ उत्तर प्रदेश	८८३	१२ आन्ध्र प्रदेश	९७७
५ पश्चिमी बंगाल	८९०	१३ तमिऴनाडु	९७९
६ महाराष्ट्र	९३३	१४ उड़ीसा	९८९
७ गुजरात	९३६	१५ केरल	१,०१९
८ राजस्थान	९१६		

उपरोक्त अंकों से यह स्पष्ट है कि प्रायः उत्तर भारत के क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या से स्त्रियों की संख्या कम है और जो-जो देशों की ओर जात है, स्त्रियों की संख्या अधिक होती जाती है। बंगाल और महाराष्ट्र के जोड़ाधिक क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या कम होने का एक कारण यह भी है कि अफ्रीका, पुष्प नोदरों के लिए बड़े बड़े नगरों में (दुमरे राज्यों में) जात है और वे अपनी स्त्रियों को घर पर छोड़ जाने हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर, आदि राज्यों में पुरुषों की संख्या प्राकृतिक कारणों से अधिक है।

### ५. ग्रामीण तथा नागरिक जनसंख्या

भारत की प्राचीन काल में ही ग्रामों का दंग बना गया है। इन स्थिति में जन जनोपयोगियों में भी कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जैसा कि निम्नलिखित अंकों में प्रकट होता है :

ग्रामीण तथा नागरिक जनसंख्या (१९०१-१९६१)

(कुल जनसंख्या का प्रतिशत)

वर्ष	ग्रामीण	नागरिक
१९०१	८८ ८	११ २
१९३१	८८ ०	१२ ०
१९४१	८६ १	१३ ९
१९५१	८० ३	१७ ७
१९६१	८० ०	१८ ०

नागरीकरण की प्रवृत्तियाँ—प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि १९०१ से १९६१ तक नगरों में बसने वाले जनसंख्या का प्रतिशत ११ से १८ हो गया है, यातायात के साधनों के विकास, विद्युत, मिनेमा, टेलीग तथा व्यवसाय के परिवर्तित रूप के कारण ग्रामों के निजिन नवयुवक नगरों में बसने लग गये हैं। कुछ प्रगतिशील किसानों ने नगरों में अपना व्यवसाय भी आरम्भ कर दिया है किन्तु यह परिवर्तन बहुत मामूली है। जन वर्षों में नगरों की भीड़, आवास की कठिनाई तथा दम्पुओं की महंगाई ने लोगों का ध्यान पुनः ग्रामों की ओर आकर्षित कर दिया है। दूसरे ग्रामों में मटर, विद्युत, शिक्षण मम्हारे आदि तीव्रगति में चल रही हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तो विश्व-विद्यलयन दृष्ट स्पष्टि कर दिये गये हैं। सामुदायिक विकास योजनाओं तथा पंचायतों के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बहुत बल मिला है। जन आगामी वर्षों में भी ग्रामीण जनता का नागरिक क्षेत्रों के प्रति विषय आकर्षण बढ़ने की सम्भावना नहीं है। ग्रामों में मटके, पक्के मकान, जल तथा विद्युत की सुविधाएँ तथा औद्योगिक एवं शिक्षण-मम्हारे अधिक हो जायें तो नगरों की बहुतायत सम्भव हो सकती है। सरकार द्वारा सभी बड़े नगरों को ४०-५० मीटर दूरी तक ग्रामों से मित्रों के लिए बिजली से चलने वाली रेलें चालू करनी चाहिए।

नगरीकरण के कारण और प्रभाव—उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि ग्रामीणों के नगरों में जाने की प्रवृत्ति कुछ बढी है। उसके मुख्य कारणों का मार इस प्रकार है :

(१) नगर में बसने की प्रवृत्ति—ग्रामों के शान्त गिजा प्राप्ति के लिए नगरों में जाते हैं, वह पुनः ग्रामों में बसना नहीं चाहते क्योंकि ग्रामों में मटके, विद्युत, जल तथा मिनेमा की सुविधाएँ कम हैं।

(२) शिक्षा का उचित प्रबन्ध—ग्रामों में उच्च शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है जन लोग कम्बों या नगरों में बसना उचित समझते हैं।

(३) रोजगार—पड़े-निडे व्यक्तियों को प्रायः कम्बों या नगरों में रोजगार मिलना है और वह नगरों में ही बस जाते हैं।

(४) खेती का त्याग—शिक्षित परिवारों में प्रायः खेती के व्यवसाय को त्यागने की प्रवृत्ति हो चली है अतः ग्रामों का त्याग स्वामाविक हो गया है।

(५) नये व्यवसाय—बहुत-से भूतपूर्व जमींदार या साहूकार नगरों में नये व्यवसायों के आकर्षण के कारण ग्रामों से चले गये हैं।

उपर्युक्त प्रवृत्तियों के प्रभाव—(क) नगरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से गन्दगी, जल समस्या तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं।

(ख) रोजगार की समस्या गम्भीर हो रही है।

(ग) कृषि का विनाश नहीं हो रहा क्योंकि शिक्षित व्यक्तियों के ज्ञान का ग्रामों को दशोचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

उपचार—इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित मार्ग करना आवश्यक है।

(१) ग्रामों में अधिक सड़कें, बिजली तथा जल की सुविधाएँ तथा मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने चाहिए।

(२) ग्रामों में शिक्षा की अधिक सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

(६) ग्रामों में भवन-निर्माण के लिए रास्ते ऋण दिये जाने चाहिए।

नगरों का विकास—सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार भारत में कुल २,६९९ नगर हैं तथा ५,६६,८७८ ग्राम हैं जिनका जनसंख्यानुसार ब्योरा निम्नलिखित है।

भारत में नगरों की जनसंख्या

जनसंख्या	नगर संख्या
१,००,००० से अधिक	१०७
५०,००० से १,००,०००	१३९
२०,००० से ५०,०००	५१८
१०,००० से २०,०००	८२०
५,००० से १०,०००	८४७
५,००० से कम	२६८
<b>योग</b>	<b>२,६९९</b>

ग्रामों तथा नगरों के विकास के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिये हुए हैं।

(१) नगरों की सबसे अधिक संख्या (३३९) तमिलनाडु राज्य में तथा सबसे कम संख्या (४३) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में है।

(२) एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सबसे अधिक नगर (१७) उत्तर प्रदेश में तथा सबसे कम (१) उड़ीसा तथा आसाम में हैं।

(३) पाँच हजार से कम जनसंख्या वाले सबसे अधिक नगर (४३) पंजाब में तथा सबसे कम (१) केरल में हैं।

(४) दस हजार से बीस हजार जनसंख्या वाले नगरों की सबसे अधिक संख्या (११९) तमिलनाडु में तथा सबसे कम (४) जम्मू तथा काश्मीर में है।

(५) कुल मिलाकर नगरों की संख्या क्रमशः जम्मू तथा काश्मीर, आसाम, उड़ीसा, केरल, राजस्थान तथा बिहार में कम है, और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर तथा आंध्र प्रदेश में अधिक है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न राज्यों में नगरों की संख्या अधिक तथा अर्थिकमंद राज्यों में कम है।

भारत में ग्रामों का विवरण—सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामों की संख्या निम्नलिखित है

जनसंख्या	ग्रामों की संख्या
१०,००० से अधिक	७७६
५,००० से १०,०००	३,४२१
२,००० से ५,०००	२६,५६५
१,००० से २,०००	६५,३७७
५०० से १,०००	१,१६,०८६
५०० से कम	३,५१,६५०
<b>योग</b>	<b>५,६६,८७५</b>

कुल योग ५,६६,८७५ होता चाहिए किन्तु नेफा क्षेत्र में ३ ग्राम ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उपलब्ध नहीं है।

अन्य निष्कर्ष—ग्रामों से सम्बन्धित अन्य उल्लेखनीय तथ्य निम्नलिखित हैं

(१) केरल राज्य बहुत कम विकसित है क्योंकि उसमें ५१० ऐसे क्षेत्रों को ग्राम की सजा दी गयी है जिनकी जनसंख्या १०,००० से भी अधिक है।

(२) ग्रामों की संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश (१ १३ लाख), मध्य प्रदेश (७० हजार), बिहार (६० हजार) तथा उड़ीसा (४६ हजार) में अधिक है।

(३) भारत में सबसे अधिक ग्राम ५०० से कम जनसंख्या वाले हैं और इनकी संख्या का क्रम भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा में ही अधिक है।

बड़े नगर—भारत में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या ११३ है जिनमें सबसे अधिक (१७) उत्तर प्रदेश में हैं। शेष की स्थिति निम्न है :

#### भारत में नगरों की संख्या

उत्तर प्रदेश	१७	मैसूर	६
महाराष्ट्र	१३	राजस्थान	६
आन्ध्र प्रदेश	११	पंजाब	५
मद्रास	११	केरल	४
पंजाब	११	आसाम	२
बिहार	६	जम्मू एवं काश्मीर	२
मध्य प्रदेश	८	उड़ीसा	१
गुजरात	६	दिल्ली	१

योग ११३

#### ६. व्यवसाय के अनुसार विभाजन

गत साठ वर्षों (१९०१-१९६१) में देश की सम्पूर्ण जनसंख्या में ८३ ४ प्रतिशत वृद्धि हुई है किन्तु श्रमिकों की संख्या केवल ६९ १४ प्रतिशत बढ़ी है। यह प्रवृत्ति १९२१ के पश्चात् विशेष रूप से नियमित रही है जैसा कि निम्न तालिका में स्पष्ट है।

सम्पूर्ण जनसंख्या तथा श्रमिकों के प्रतिशत में वृद्धि

(आधार वर्ष १९०१)

वर्ष	सम्पूर्ण जनसंख्या	श्रमिक संख्या
१९३१	१,६५७	८३०
१९५१	५,०७०	२६५०
१९६१	८३,४०	६९,१४

प्रस्तुत तालिका यह स्पष्ट करती है कि गत तीस वर्षों में धमिकों की संख्या नियमित रूप से बढ़ी है किन्तु इसके बढ़ने की गति सम्पूर्ण जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत से कम है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति जन्म के लगभग १५ वर्ष पश्चात् ही धम बनने योग्य होता है।

धमिका की संख्या—सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार १५ से ६० वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को धमिकों की श्रेणी में लिया गया है। इसके अनुसार १९६१ में धमिकों की कुल संख्या लगभग १८ ८८ करोड़ अर्थात् कुल संख्या की लगभग ४२.६८ प्रतिशत थी।

पेशेवार विभाजन (Occupational Distribution)—विभिन्न व्यवसायों के अनुसार भारत की लगभग ७० प्रतिशत जनशक्ति अब भी कृषि में संलग्न है जबकि उद्योगों में केवल १२% व्यक्ति नियोजित है। भारत की कार्यशील जनसंख्या (working population) का पेशेवार विभाजन, सन् १९६१ के ससस के आधार पर निम्न प्रकार था

### कार्यशील जनसंख्या का पेशेवार विभाजन<sup>१</sup>

पेशा या व्यवसाय	कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत
१. कृषक (Cultivators)	४२.८
२. कृषि धमिक (Agriculture Labourers)	१६.७
३. निर्माण-उद्योग (Manufacturing Industry)	१०.६
४. व्यापार तथा वाणिज्य (Trade & Commerce)	४.१
५. बागान, जंगल, मत्स्य, पशुपालन, खान आदि (Plantation, Forestry, Fishing, Livestock, Mining, etc)	२.८
६. निर्माण (Construction)	१.१
७. परिवहन (Transport)	१.६
८. अन्य सेवाएँ (Other Services)	१०.३
योग	१००.०

सारणी से स्पष्ट है कि कार्यशील जनसंख्या का लगभग ७०% भाग कृषि पर निर्भर है। यह स्थिति बहुत अभिन्नोपजनक है क्योंकि कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण देश की राष्ट्रीय आय बहुत कम है और जनता का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। भारत में कृषि पर निर्भर रहने वालों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। १८६१ में कुल जनसंख्या का ६१% कृषि पर निर्भर था। सन् १९११ और सन् १९३१ में कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का भाग बढ़कर क्रमशः ७१% व ७३% हो गया। सन् १९६१ की जनगणना में पेशेवार विभाजन के आँकड़े नहीं दिये गये थे।

### ७. साक्षरता अनुपात

साक्षर से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो किसी भाषा को सामान्य रूप में लिख-पढ़ सकते हैं। १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत १६.६ था जो १९७१ में बढ़कर २६.३५ हो गया। इसमें भी विभिन्न राज्यों में साक्षरता के स्तर सर्वथा भिन्न हैं, जिनका अनुमान अब तालिका से लग सकता है

<sup>१</sup> यह सारणी सेंसस रिपोर्ट में नहीं दी गयी है अपितु सन् १९६१ के सेंसस द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार की गयी है।

## भारत में साक्षरता का प्रतिशत (१९७१)

राज्य	साक्षरता प्रतिशत	राज्य	साक्षरता प्रतिशत
१ केरल	६०	११ नागालैण्ड	२७
२ तमिलनाडु	३९	१२ हरियाणा	२७
३ महाराष्ट्र	३९	१३ उड़ीसा	२६
४ गुजरात	३६	१४ आन्ध्र प्रदेश	२५
५ पंजाब	३३	१५ मध्य प्रदेश	२२
६ पश्चिमी बंगाल	३३	१६ उत्तर प्रदेश	२२
७ मंभूर	३१	१७ बिहार	२०
८ हिमाचल प्रदेश	३१	१८ राजस्थान	१९
९ आन्ध्र प्रदेश	२९	१९ जम्मू काश्मीर	१८
१० मेघालय	२८		
भारत		२९.३५ प्रतिशत	

तालिका से स्पष्ट है कि साक्षरता का स्तर केरल राज्य में अन्य राज्यों से ऊँचा है। राजस्थान तथा जम्मू काश्मीर में सभी राज्यों से कम व्यक्ति साक्षर हैं।

साक्षरता का यह स्तर देखकर शिक्षित व्यक्तियों का अनुमान लगाना भी व्यर्थ है क्योंकि जापान स्वीडन, इंग्लैण्ड फ्रान्स, जर्मनी तथा स्विट्जरलैण्ड जैसे देशों में लगभग ९० प्रतिशत व्यक्ति साक्षर या शिक्षित हैं। भारत की अनेक योजनाएँ केवल इसीलिए असफल हो जाती हैं कि जिनके लाभार्थ वे बनायी गयी हैं वे उनको पढ़कर समझ सकने की स्थिति में नहीं हैं। चेस्टर बोल्स के शब्दों में, 'जिन जापानी किसानों को १९६६ के महान भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत भूमि दी गयी उनमें १० में से ९ उक्त कानून को पढ़ सकते थे।' दुर्भाग्य से भारत में दस में से एक किसान भी अपने लिए बनाये गये कानूनों को पढ़कर समझने की स्थिति में नहीं है।

## ८ आयु तथा वैवाहिक स्थिति

किसी भी देश में प्रायः ४ वर्ष की आयु तक शिशु (infant), ५ से १४ वर्ष तक की आयु वाले को लड़के-लड़कियाँ, १५ से ३४ वर्ष तक की आयु वाले को युवक-युवकियाँ, ३५ से ५४ वर्ष तक की आयु वाले को अर्धवृद्ध व्यक्ति तथा ५५ वर्ष अधिक आयु वाले को वयोवृद्ध माना जाता है। तदनुसार १९६१ में भारत की स्थिति निम्नलिखित थी

भारत में आयु के अनुसार जनसंख्या

B-160  
198  
(प्रतिशत में)

शिशु	१५.१
बालक-बालिकाएँ	२६.०
युवक-युवकियाँ	३२.१
अर्धवृद्ध व्यक्ति	१९.०
वयोवृद्ध	७.८
योग	१००.०

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में वयोवृद्धों की संख्या बहुत कम है। १९६१ की जनगणना के प्रकाशित अंक से ज्ञात होता है कि ७५ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या केवल ०.९ प्रतिशत है जबकि ५५ वर्ष से अधिक आयु वाले का प्रतिशत भी कुल ७.८ है। इसका कारण यह है कि उस समय भारत में औसत जीवन केवल ४२.०६ वर्ष था।

जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, भारत में विवाह एक धार्मिक एवं अनिवार्य क्रिया मानी जाती है और इसलिए विवाह करने में कुछ शीघ्रता की जाती है। भारत में बाल विवाह बहुत

होने हैं और छोटी आयु की विधवाओं की संख्या बहुत है जिसका अनुमान निम्न तथ्यों से लग सकता है

भारत में वैवाहिक स्थिति

(संख्या हजारों में)

आयु वर्ग (वर्षों में)	निराहित महिलाएँ	विधवा महिलाएँ
१०-१४	४४,२६	३०
१५-१९	१२०,२२	९१
२०-२४	१,७५५२	२४८

इसमें स्पष्ट है कि १०-१९ वर्ष के बच्चे समूह में लगभग १६४ करोड़ महिलाएँ (कुल स्त्रियों का लगभग ६ प्रतिशत) विवाहित हैं और २३वीं वर्ष में लगभग सवा लाख (१२१ लाख) स्त्रियाँ विधवा हैं। यह एक गम्भीर स्थिति है जिसकी ज़ोर समाज सुधारकों का ध्यान जाना चाहिए।

६ क्या भारत में जनसाधन है ?

(IS INDIA OVER POPULATED ?)

भारत में जनसंख्या की समस्या जटिल होती जा रही है। भारत की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। खाद्य समस्या तथा बर्जगारी समस्या का जनसंख्या वृद्धि से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। योजनावद्ध आर्थिक विकास तथा विभिन्न प्रयत्नों द्वारा भारत कृषि प्रधान देश होने हुए भी अपनी खाद्य आवश्यकता को पूरित करने में असमर्थ है। अनेक अज्ञान लोगों का यह मत है कि भारत में जनसाधन है तथा जब तक हम जनसंख्या वृद्धि दर को घटाने में सफल नहीं होते, तब तक देश का विकास नहीं होगा। भारत में जनसाधन को स्वीकार करने वालों ने भारत का भविष्य अन्धकारपूर्ण बताया है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है तथा यह मत व्यक्त किया है कि भारत के प्राकृतिक साधनों तथा विकास सम्बन्धी प्रयत्नों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत में जनसाधन नहीं है। अनेक हम इन दोनों दृष्टिकोणों—आशावादी तथा निराशावादी—पर प्रकाश डालेंगे।

१ आशावादी दृष्टिकोण—भारत में जनसाधन नहीं है

भारत की जनसंख्या समस्या का प्रति जो लोग आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं वे 'अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत (optimum population) की शरण लेते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का कहना है कि भारतीय जनता के निम्न जीवन स्तर, खाद्य समस्या तथा आर्थिक गिड़गे पन ने आश्रय पर ही हम यह नहीं कह सकते कि भारत में जनसाधन है। यदि भारत के प्राकृतिक साधनों पर दृष्टिपात किया जाये तो यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि भारत के पास प्राकृतिक साधनों का अनुचित भण्डार है। यदि उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग किया जाय तो देश का आर्थिक विकास बड़ी तेजी से होगा। इस प्रकार हम जनसाधन महसूस ही नहीं होगा। निराशावादी विचारधारा के समर्थकों के निम्नलिखित तर्क हैं।

(१) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि—अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो तो उस देश में जनसाधन नहीं होता। भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। सन् १९५०-५१ में भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय २४७५ रुपये थी जो बढ़कर सन् १९५५-५६ में २६७८ रुपये, १९६०-६१ में २९३२ रुपये तथा सन् १९६८-६९ में ५८२ रुपये हो गयी। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि का होना हम बात का प्रमाण है कि भारत में जनसाधन नहीं है।



(२) प्रचुर प्राकृतिक साधन—भारत के पास प्राकृतिक साधनों का अनुचित भार है। इन साधनों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया गया है। यदि भारत के प्राकृतिक साधनों का प्रयोग अनुचित रूप में बढ़े पैसे पर किया जाय तो देश भविष्य में एक समृद्ध देश ही बनेगा। अतः जनसंख्या के बढ़ते हुए भी देश का भविष्य दमन है।

(३) जर्म-व्यवस्था का निष्ठादान—भारत एक उन्नत-व्यवस्था देश है। यह औद्योगिक उत्पादन में बहुत निष्ठा हुआ है। क्षुद्र की उत्पादकता विकल्पित देशों की तुलना में अत्यन्त ही कम है। भारतीय जर्म-व्यवस्था का यह निष्ठादान इन बातों का द्योतक है कि भविष्य में विज्ञान की सम्पन्न-वर्णाएँ जटिल हैं। इन वृद्धि उत्पादन में वर्धमान की तुलना में कम से कम तीन गुनी तथा औद्योगिक उत्पादन में कई गुनी अधिक वृद्धि कर सकत हैं। अतः भारत की जनसंख्या की समस्या व्यस्त कोई समस्या नहीं है।

(४) जनसंख्या का घनत्व—भारत में जनसंख्या का घनत्व भी उन्नत देशों की तुलना में अधिक नहीं है। सन् १९०१ की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर १८० है, जबकि ब्रिटेन में जनसंख्या का घनत्व २१५, जापान में २५५, पश्चिमी जर्मनी में २१७ तथा हॉलैंड में ३६६ है। भारत में जनसंख्या का घनत्व तुलनात्मक दृष्टि में अधिक नहीं है। अतः जनसंख्या अधिक नहीं बढ़े या बढ़ती।

(५) जनसंख्या वृद्धि-दर—वर्तमान समय में भारत में जनसंख्या वृद्धि-दर २५% वार्षिक है, परन्तु यदि दीर्घकालीन दर पर दृष्टिगत किया जाय तो ज्ञात होगा कि सन् १९०१-५१ की अवधि में ४०% वृद्धि हुई जबकि अन्य उन्नत-देशों की जनसंख्या में इन अवधि में १००% वृद्धि हुई। अतः भारत में जनसंख्या में वृद्धि अधिक नहीं है।

(६) एक मुश्किल होना—गाँधीजी के विचारों के अनुसार जनसंख्या की समस्या कोई समस्या नहीं है। व्यक्ति 'एक मुश्किल दो हाथों' के साथ पैदा होता है। अतः परिधन बरके (रोजगार की सुविधाएँ उपलब्ध होने पर) वह राष्ट्रीय उत्पादन में अपने योगदान देने वाले जनसंख्या की अपेक्षा अधिक वृद्धि कर सकता है। व्यस्त किसी देश की जनसंख्या उस देश की सम्पत्ति है जो निरंतरता को नहीं बल्कि 'समृद्धि' की प्रतीक है। महान् गाँधी न वह विचार व्यक्त किया था कि क्षुद्र, कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास द्वारा हम देश-व्यापी की समस्या का समाधान कर सकते हैं तथा राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाकर दुगुना कर सकते हैं। अतः समस्या 'जनसंख्या' की नहीं बल्कि उचित आर्थिक नीतियों की है।

(७) जनसंख्या आर्थिक विकास में महात्मा—प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे० एम० केन्स के अनुसार, आर्थिक विकास के लिए प्रभावी माँग (effective demand) आवश्यक है। इन देशों की जनसंख्या अधिक है उनकी श्रम शक्ति अधिक है। यद्यपि वर्तमान समय में जाय की न्यूनता के कारण अधिक जनसंख्या वाले देशों के निर्यात-व्यापार की शक्ति सीमित है जिसकी वजह से 'प्रभावी माँग' बहुत अधिक नहीं है, परन्तु आर्थिक विकास के उन्नत साधनों—पूर्वी आदि—की उपलब्धि करा देने पर, इन देशों का आर्थिक विकास 'प्रभावी माँग' के कारण बहुत तेजी से किया जा सकता है। अतः अधिक जनसंख्या अत्यन्त एक बरदान है जिसमें आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ निहित हैं। प्रो० मिश्र ने भी यह मत व्यक्त किया है कि भूमि पर जनसंख्या का आर्थिक आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त शक्ति का प्रतीक है, जो केवल एक दृष्टि हुई कभी—वास्तविक पूर्वी—की पूर्ति द्वारा आर्थिक विकास में बहुत सहायक हो सकती है।

(८) मान्यता का निष्ठादान—जो लोग जनसंख्या आर्थिक की बात करने हैं वे मान्यता के जनसंख्या निष्ठादान की शरण लेते हैं। मान्यता के जनसंख्या निष्ठादान के अनुसार जनसंख्या का अधिक प्रति की अपेक्षा तीव्र गति में बढ़ती है। भारत में नाद-मान्यता प्राप्त अर्थ ही रही

है। परन्तु इस विचारधारा के समर्थक यह भूल जाते हैं कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त आर्थिक विकास की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। यह सिद्धान्त उत्पादन के अन्य स्वरूपों—औद्योगिक उत्पादन—पर ध्यान नहीं देता है। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक प्रगति तथा नयी उत्पादन विधियों के निरन्तर आविष्कारों ने माल्थस की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध कर दिया है। भारत भी विज्ञान के प्रयोग ने कृषि-उत्पादन में बहुत अधिक तथा औद्योगिक उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि द्वारा जनसंख्या की समस्या का समाधान बड़ी सफलतापूर्वक कर सकता है। जिस प्रकार विज्ञान की सहायता से पश्चिमी देशों ने माल्थस की भविष्यवाणी गलत सिद्ध कर दी, उसी प्रकार भारत भी कर सकता है।

उपर्युक्त कारणों से यह कहा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या नहीं है। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि यह सम्भव है कि वर्तमान समय में हमारी जनसंख्या अधिक हो, परन्तु यदि हम विकास की सम्भावनाओं को भी दृष्टिगत रखें तो सामान्य रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में जनसंख्या है।

२ निराशावादी दृष्टिकोण : भारत में जनसंख्या है

वस्तुतः भारत में जनसंख्या है। ऊँची जन्म दर, खाद्यान्नों का निरन्तर अभाव, अनेक वर्षों के योजनाबद्ध आर्थिक विकास के पश्चात् भी व्यापक निर्भरता का पाया जाना, बेरोजगारी तथा अर्द्ध बेरोजगारी से पीड़ित जनसमुदाय, अधिकांश जनसंख्या को दिन में दो बार साधारण भोजन का भी न मिलना तथा भारत के गाँवों में देश की २२% जनता का रहना, परन्तु ग्रामीण भारत की आय केवल ६८ पैसे दैनिक होता, ये सब तथ्य जनसंख्या की उपस्थिति के सूचक हैं। यह कहना कि भारत में जनसंख्या नहीं है, वास्तविकता में मुँह फेर कर, कोरे कल्पनालोक में विचरण करने के अनिश्चित कुछ नहीं है। भारत में आज सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या की समस्या। निम्नलिखित तथ्य इस बात को पुष्टि करते हैं

(१) भारत जनसंख्या संक्रान्ति की द्वितीय अवस्था में—'जनसंख्या-संक्रान्ति सिद्धान्त' (Theory of Demographic Transition) के अनुसार, जनसंख्या विकास की तीन अवस्थाएँ होती हैं—(i) ऊँची जन्म तथा ऊँची मृत्यु दर—प्राग्भ में अज्ञानता, अज्ञानता, सामाजिक व धार्मिक प्रथाओं परम्परावादी दृष्टिकोण तथा परिवार परिमोहन विधियों की जानकारी न होने के कारण जन्म-दर बहुत ऊँची होती है। इसी प्रकार, अज्ञानता तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मृत्यु दर भी उँची होती है। भारत में यह दशा सन् १९३१ तक थी। (ii) ऊँची जन्म दर तथा कम मृत्यु दर—धीरे धीरे आर्थिक विकास के कारण जनता के जीवन-स्तर में सुधार होता है, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जाने लगती है, इस प्रकार मृत्यु-दर बहुत तेजी से कम होने लगती है जन्म-दर लगभग पूर्ववत् रहती है। अब इस अवस्था में जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगती है तथा किसी भी देश के लिए यह अवस्था बड़ी नाजुक होती है। (iii) कम जन्म-दर तथा कम मृत्यु दर—जब अर्थ-व्यवस्था का विकास काफी हो जाता है, जनता का जीवन-स्तर काफी ऊँचा हो जाता है शिक्षा का प्रसार हो जाता है तब जन्म दर भी घटने लगती है। इस प्रकार जनसंख्या में तीव्र वृद्धि रक जाती है।

भारत जनसंख्या संक्रान्ति की द्वितीय अवस्था में गुजर रहा है। द्वितीय अवस्था को जनसंख्या विस्फोट (population explosion) की स्थिति भी कहते हैं। विकास की यह सबसे खतरनाक तथा भयावह स्थिति होती है। सन् १९३१ के पश्चात् विशेषकर सन् १९५१ के पश्चात् भारत इस भयावह स्थिति में गुजर रहा है। आर्थिक विकास के कारण मृत्यु-दर घटकर १६ प्रति हज़ार पर्यन्त (सन् १९३० में मृत्यु दर ३८ ३ थी) रह गयी है तथा जन्म दर लगभग पूर्ववत् है। जन्म दर तथा मृत्यु दर में पर्याप्त अन्तर होने के कारण जनसंख्या वृद्धि-दर बढ़ती जा रही है तथा जन-

मन्दा की समस्या प्रभावित होती जा रही है। यह जनप्रतिक्रम का ही सूचक है। जनसंख्या वृद्धि दर में तीव्र गति से वृद्धि 'जनसंख्या विस्फोट' की सूचक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि-दर तेजी से बढ़ रही है। उदाहरणार्थ, १९२१-१९३१ में जनसंख्या वृद्धि-दर ११.०% वार्षिक, मन् १९३१-१९४१ में १६.०% वार्षिक, मन् १९४१-१९६१ में २१.९% वार्षिक तथा १९६१-७१ में वृद्धि-दर २५ प्रतिशत वार्षिक हो गयी है।

(२) जनसंख्या वृद्धि सम्बन्धी कुछ तथ्य—भारत में जनसंख्या वृद्धि सम्बन्धी समक (Statistics) जनसंख्या आधिकार की ही ओर मकत करन है। मन् १९६१ में भारत की जनसंख्या ४०२ करोड थी, मन् १९७१ में जनसंख्या बढ़कर ५४७ करोड हो गयी। इस गति से मन् १९९५ में भारत की जनसंख्या १०० करोड न अधिक हो जायेगी। भारत में पचास हजार से नीचे अधिक बच्चे प्रतिदिन जन्म लेते हैं। एक वर्ष में कुल २ करोड बच्चे पैदा होते हैं। प्रति वर्ष ८० लाख व्यक्ति मरते हैं, इस प्रकार भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष एक करोड बीस लाख बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, भारत जनसंख्या की दृष्टि से प्रति वर्ष एक 'जायंट' पैदा करता है। जब भारत की जनसंख्या बीसवीं सदी के समाप्त होने के पूर्व ही सौ करोड हो जायेगी, उस समय देश के नागरिकों की क्या दशा होगी, इसकी कल्पना ही प्रभावित है।

(३) बढ़ती जनसंख्या के लिए आवश्यक सुविधाएँ—भारत कठिन जायिक परिस्थितियों में गुजर रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारी कठिनार्थी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवश्यक माना में साध सामग्री, रोजगार, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा है। डॉ० चन्द्रशेखर के अनुसार, प्रति वर्ष जनसंख्या १०० में १३० लाख तक बढ़ जाती है। केवल इस बड़ी हुई जनसंख्या के लिए प्रतिवर्ष भारत को २५ लाख मकान, १,२६,००० स्कूल ३,७२,००० अत्यापक, १ करोड २० लाख बिजली जनान तथा ४३ लाख नये रोजगारों की आवश्यकता पडती है। इन समकों द्वारा हम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रभावों का अनुमान लगा सकते हैं। भारत बढ़ती हुई जनसंख्या की साथ आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने में असमर्थ है। अतः भारत में जनप्रतिक्रम के सम्बन्ध में मन्देह का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) भूमि पर जनसंख्या का बढ़ना हुआ भार—जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि के कारण, भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत की जनसंख्या विघ्न की कुल जनसंख्या की १५ प्रतिशत है जबकि भारत का क्षेत्रफल समस्त विश्व का केवल २.८ प्रतिशत है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि तेजी से घटती जा रही है जो जनप्रतिक्रम की प्रतीक है।

(५) छाछ-समस्या—भारत बढ़ती हुई जनसंख्या की साथ-आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपने को असमर्थ पा रहा है। प्रति वर्ष हमे अधिकारिक माना में खाद्यान्तों का आयात करना पडता है। मन् १९५१-१९७१ की अवधि में भारत ने लगभग ५,००० करोड रुपये के खाद्यान्तों का आयात किया। इनमें विदेशी मुद्रा का सकट निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

(६) बढ़ती हुई बेरोजगारी—जनसंख्या वृद्धि की तुलना में देश का अधिक विकास कम हो रहा है, इस प्रकार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तीसरी योजना के अन्त में (मार्च १९६६) भारत में बेकारों की संख्या एक करोड बीस लाख थी। १९७१ में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़कर डेड करोड हो गयी है। बढ़ती हुई बेरोजगारी जनसंख्या आधिकार की पूर्ति करती है।

(७) निम्न जीवन स्तर—भारत की अधिकांश जनसंख्या जीवन-निर्वाह करने में भी असमर्थ है। अधिकांश जनसंख्या 'जीवन निर्वाह स्तर' से भी नीचे (below subsistence level) स्तर पर जीवनयापन करती है।

(८) ऊँची मृत्यु-दर—भारत में धीरे धीरे मृत्यु-दर नीचे गिर रही है, परन्तु अन्य विकसित

देशों की तुलना में भारत में मृत्यु दर बहुत ऊँची है, जो माल्थस द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवरोध (positive checks) की सूचक है। अतः भारत में माल्थस के सिद्धान्तों के अनुसार जनाधिक्य है।

उपर्युक्त विवरण में स्पष्ट है कि भारत में जनाधिक्य है अतः जनसंख्या की समस्या का समाधान भारत की सबसे बड़ी समस्या है।

### १०. भारतीय जन-समस्या सम्बन्धी सुझाव

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत की तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की प्रगति में बाधक है, अतः उमरी गति रोकने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न करना आवश्यक है

(१) शिक्षा सुविधाओं का विस्तार—भारत में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है अतः महिलाएँ तथा पुरुष यह समझने ही नहीं हैं कि जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्प्रभाव हैं। पारिचायक देशों में शिक्षा का प्रसार अधिक होने के कारण जनसंख्या स्वतः नियन्त्रित हो गयी है।

(२) देर से विवाह (Late Marriage)—भारत में लड़कियों के विवाह की आयु प्रायः १४ वर्ष है जो बहुत नीची है। वस्तुतः १४ वर्ष की आयु तक न तो लड़कियों की ठीक शिक्षा-दीक्षा हो पाती है, न उनमें परिवार सञ्चालन सम्बन्धी विचार-परिपक्वता आती है, अतः लड़कियों को विवाह-आयु १६ वर्ष कर दी जानी चाहिए। विवाह की आयु कानून द्वारा १६ वर्ष कर दी जाय तो २० वर्ष के भीतर जन्म दर में ३५ से ५० प्रतिशत कमी आ सकती है।

(३) विवेकहीन मातृत्व पर रोक—मार्च १९५१ की जनगणना के आयुक्त श्री गोपालास्वामी ने भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण कारण विवेकहीन मातृत्व (improvident maternity) बताया है। उनका मत है कि यदि किसी स्त्री के तीन बच्चे हो चुकें और उनमें से एक भी हो तो आगामी मातृत्व पर निरोध लगाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कानून का सहारा लिया जाना चाहिए।

(४) प्रवास (Emigration)—जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं के विशेषज्ञ डॉ. चन्द्रशेखर ने यह मत व्यक्त किया है कि समारक जिन भागों में जनाधिक्य है वहाँ से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जन-प्रवास की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सत्य है कि आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमरीका के अनेक देशों में विस्तृत भूमि बेजार पड़ी हुई है किन्तु प्रश्न यह है कि उन देशों में भारत निवासियों को किस प्रकार भेजा जा सकता है। इन कार्य में सर्वप्रथम तो भारतीयों का व्यक्तिगत विरोध ही बाधक होगा किन्तु विशेष विरोध उन देशों से होगा जहाँ जनसंख्या कम तथा भूमि अधिक है।

(५) उत्पादन-वृद्धि—जनाधिक्य की समस्या का एक व्यावहारिक हल यह है कि कृषि, उद्योग तथा अन्य सभी क्षेत्रों में उत्पादन तभी से बढ़ाया जाय।

(६) अधिक कर—कुछ व्यक्तियों ने बड़े परिवारों पर कर लगाने का सुझाव दिया है किन्तु यह व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं है।

(७) ऑपरेशन (Operation) तथा गर्भपात—कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि प्रत्येक पुरुष के लिए तीन संतानों के पश्चात् ऑपरेशन करवाना अनिवार्य कर देना चाहिए। कुछ अन्य जानकारों का यह मत है कि जापान की भाँति कुछ वर्षों के लिए गर्भपात को कानूनी घोषित कर देना चाहिए।

(८) परिवार नियोजन (Family Planning)—जनसंख्या की वृद्धि की गति कम करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य परिवार नियोजन अथवा परिवार परिसीमन का है जो कई प्रकार से किया जा सकता है।

## ११. जनसंख्या नीति (THE POPULATION POLICY)

### १. जनसंख्या नीति की आवश्यकता

इस तथ्य पर प्रकाश डाला जा चुका है कि भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष १ करोड़ २० लाख की दर से बढ़ रही है। केवल इस बड़ी हुई जनसंख्या के लिए ही प्रति वर्ष १ करोड़ २० लाख क्विंटल अनाज, २५ लाख मकान, १,२३,००० स्कूल तथा ३७२,००० अस्पतालों की आवश्यकता पड़ती है। जन्म दर के लयमग पूर्ववत् होना तथा मृत्यु दर में तबू में गिरावट के कारण जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र हो गयी है। भारत में औसत आयु ५० वर्ष है (सन् १९३१ में ३२ वर्ष थी)। यदि केवल दोने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था कर दी जाय तो औसत आयु दो वर्ष की अवधि में ही बढ़कर ५५ वर्ष हो जायगी। भारत की जनसंख्या विस्फोटक स्थिति (population explosion) में पहुँच रही है। बड़े पैमाने पर योजनायुक्त आर्थिक विकास के होते हुए भी भारत जाय-जनसंख्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। भविष्य में हम आयात द्वारा भी देश की खाद्यान्न समस्या को हल करने में असमर्थ होंगे। वर्तमान गति में (जनसंख्या वृद्धि-दर तथा खाद्य पूर्ति वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए) सन् १९८० तक भारत का ४ करोड़ टन खाद्यान्न का आयात प्रति वर्ष करना पड़ेगा। स्पष्ट है कि हमारी इस कमी की पूर्ति करने में हमें देश असमर्थ होंगे। व्यापक निर्धनता, बढ़ती हुई बेरोजगारी, खाद्य-समस्या की गम्भीरता तथा निकट भविष्य में ही जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति हमें चिन्तित करती है कि हम उचित जनसंख्या नीति का निर्माण तथा पूरी शक्ति के साथ इस नीति को क्रियार्थित करें।

### २ जनसंख्या नीति का अर्थ

जनसंख्या नीति में तात्पर्य सरकारी माध्यम से है जिसके अनुसार वह जनसंख्या-वृद्धि अथवा निरोध को प्रोत्साहित करनी है। यह नीति सब देशों के लिए समान नहीं हो सकती क्योंकि कुछ देशों के प्राकृतिक माधन बहुत अच्छे होने हैं और वहाँ प्राविधिक एवं प्रौद्योगिक स्तर भी यथेष्ट ऊँचा होता है। इन देशों में अभी कमी उपलब्ध माधनों का विकास करने के लिए धन-शक्ति का अभाव दृष्टिगोचर होता है अतः वहाँ जनसंख्या की वृद्धि प्रोत्साहित करना आवश्यक होता है। रूस, अमेरिका तथा यूरोप के कई देशों के मामले आज यह समस्या है।

इसके विपरीत, भारत जैसे अविश्वित देश जहाँ प्राकृतिक साधन तो प्रचुर है किन्तु जिनका तीव्र गति में विकास करने के लिए यथोक्त प्रौद्योगिकी (technology) का विकास नहीं हुआ है, और जहाँ श्रम शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग बेरोजगार है, वहाँ जनसंख्या नीति का स्पष्ट आधार जन्म दर पर नियन्त्रण अथवा निरोध सम्बन्धी उपाय काम में लाना होना चाहिए।

### ३ वर्तमान जनसंख्या नीति

भारत की वर्तमान जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना है। इस नीति के उद्देश्य तथा लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

(i) आगामी दस वर्षों के अन्दर जन्म-दर को ४१ प्रति हजार वार्षिक से घटाकर २० या २५ करना है। (यह उन्मुखनीय है कि जापान सन् १९४७—१९५७ के बीच दस वर्षों में ही जन्म-दर को आधा करने में समर्थ हुआ परन्तु जापान में ६८% जनसंख्या शिक्षित है।)

(ii) देश के अधिक में अतिरिक्त निवासित स्त्री तथा पुरुष में परिवार नियोजन विधियों को प्रोत्साहित करना।

(iii) जिन दम्पति को ३ बच्चों हैं उन्हें अपना आँरेक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना।

(iv) सरकार ने जून १९७१ में एक कानून पार किया है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के परिस्थितियों में गर्भपात को कानूनी मान लिया गया है। इसमें भी जनसंख्या सीमित करने में सहायता मिलेगी।

४ परिवार नियोजन तथा योजनाएँ

प्रथम योजना के समय ही यह अनुभव किया गया था कि देश में विकास का सामाज्य स्वरूप स्थापित करने के लिए भारतीय परिवारों द्वारा अपनी लक्ष्य सीमित रखने के योजनाबद्ध प्रयत्न किए जान चाहिए। परिवार नियोजन की आवश्यकता सित्रियों के स्वास्थ्य तथा बच्चों के उचित पालन पोषण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः इसका प्रचार परिवार के वित्तीय स्थिति में करने का निश्चय किया गया।

उपरोक्त निश्चय के अनुसार प्रथम दो योजनाओं के दस वर्षों में ग्राम तथा नगरों के परिवार परिषदों के प्रचार के अतिरिक्त २,१३६ परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किये गये जिनमें दो बालकों के बीच की अवधि में वृद्धि करने, गर्भाधान रोकने तथा अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में निरनुत्क सलाह देने की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त अनेक स्थानों पर गर्भ निरोधक आप्रवेशन करने की व्यवस्था की गयी है। विविधियों तथा बसों को भी परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रतिक्रिया विज्ञानों की विज्ञानों में अनिवार्य कर दिया गया है।

सूचीय योजनाएँ—प्रथम दो योजनाओं के अन्तर्गत परिवार परिसीमन का कार्यक्रम विशेष प्रगति नहीं कर सका क्योंकि न केवल यह कार्य प्राग्भिक अवस्था में था बल्कि अनेक प्रभावशाली व्यक्ति इनके विरुद्ध थे। आज भी यह विरोध विज्ञानों की विज्ञानों रूप में चल रहा है किन्तु इसका प्रभाव कम हो गया है। गत वर्षों में समाजशास्त्रियों द्वारा किये गये अनेक सर्वेक्षणों से यह प्रकट हुआ है कि ग्रामवासी भी परिवार परिसीमन करना तो चाहते हैं किन्तु उन्हें अपेक्षित साधन उपलब्ध न होने के कारण वह इन दिनों में शकित हैं।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए तथा जनसंख्या की वृद्धि की गति अधिक तीव्र होने के कारण योजना आयोग की तृतीय योजना के अन्तर्गत परिवार परिसीमन की विस्तृत व्यवस्थाएँ करनी पड़ीं और निम्नलिखित थीं

- (१) परिवार परिसीमन के सम्बन्ध में जन जागरण को प्रोत्साहित करना।
- (२) जन्म-निरोधक द्रव्य उपकरणों सम्बन्धी खोज कर उन्हें वितरित करने की व्यवस्था करना।
- (३) गर्भ-निरोधक सम्बन्धी आप्रवेशनों के अधिक केन्द्र स्थापित करना।
- (४) जनसंख्या तथा परिवार परिसीमन सम्बन्धी शोध-कार्य को प्रोत्साहित करना।

तृतीय योजनाकाल में 'परिवार नियोजन' पर २४६ करोड़ रुपये व्यय किये गये। योजना के अन्त में (मार्च १९६६) भारत में लगभग ११,००० परिवार नियोजन केन्द्र खोले जा चुके थे।

गत वर्षों में परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। निम्नलिखित सारणी द्वारा परिवार-नियोजन सम्बन्धी व्यय का अनुमान लगाया जा सकता है

भारत में परिवार नियोजन पर व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	तृतीय योजना	१९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९	१९६९-७०
व्यय	२४६	१४५	२०४	३३४	४१६

चतुर्थ योजनाकाल (१९६६-७० स १९७३-७४) में परिवार नियोजन पर ३१५ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। चतुर्थ योजना का लक्ष्य जन्म दर प्रति हजार ३६ से घटाकर मई १९७३-७४ तक ३२ प्रति हजार करना है।

बानपुर की सरकारी प्लास्टिक फैक्टरी में ३० हजार लूण प्रतिदिन तैयार किये जाते हैं। उद्वहनटपुर में परिवार नियोजन प्रयासों के निर्माण के लिए एक कारखाना बनाया जा रहा है।

परिवार परिशीलन योजना में कमियाँ—भारत में परिवार परिशीलन योजना का वास्तविक प्रभाव नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। कृषि परिवार नियोजन सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। योजना आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया प्रचार साहित्य प्रायः शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है और यदि पहुँच जाता है तो देशी जनता उनके बारे में पूरी जानकारी न होने से उनका लाभ नहीं उठता।

(i) रीतियाँ—गर्भ-निरोध अथवा परिवार परिशीलन के लिए सुझाये गयी रीतियाँ प्रायः विदेशी औषधि विज्ञान पर आधारित हैं तथा वह सभी इतनी महँगी हैं कि सामान्य नागरिक अथवा ग्रामीण उन्हें खरीदने में कठिनाई अनुभव करता है। इनके अतिरिक्त उन रीतियों में सम्बन्धित औषधियाँ तथा उपकरण सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं होते।

(ii) भ्रम की जनता में जायरेगन अथवा अन्य चिकित्सा के प्रति एक अज्ञान भाव रहना है। इनका कारण यह है कि यहाँ के डाक्टर कुशल होने हुए भी अत्यधिक मरकता से औषधि नहीं करते। अतः गर्भनिरोधक औषधियों के लिए अधिक जानकारी एवं नर्क डॉक्टरों को नियुक्ति करना चाहिए ताकि एक ही औषधि में गड़बड़ होने की आशंका न रहे।

(iii) जन-सहयोग—भारत में अज्ञानता, अज्ञानता एवं रुढ़िवाद से युक्त अंधकारमय वातावरण होने के कारण परिवार परिशीलन के प्रति जनता का अत्यधिक उत्साह नहीं है। लोग वस-परम्परा में ही 'मन्त्रि को ईश्वर की दत्त स्वरूप मानते हैं और उनमें हस्तक्षेप करने में मनाच करते हैं।

वास्तव में, उद्युक्त सभी कमियों को उत्साह एवं लगनपूर्वक कार्य करने में दूर किया जा सकता है।

परिवार नियोजन सम्बन्धी सुधार—भारत में परिवार नियोजन के कार्य को सुदृढतरोग महत्त्व देकर कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है। परिवार नियोजन के प्रचार के लिए अत्यधिक उत्साह वाले, राष्ट्रीय विचारों में युक्त एवं प्रभावशाली व्यक्तियों को रखा जाना चाहिए जो गाँव-गाँव में जाकर फिल्म प्रदर्शन, भाषण गीत तथा प्रचार साहित्य की सहायता से इन योजनाओं को सफल बनाने की चेष्टा कर सकें। परिवार नियोजन की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं :

(१) राष्ट्रीय महत्त्व—इन कार्यक्रमों को राष्ट्रीय महत्त्व का मानना जाय तथा इनमें प्राथमिकता के आधार पर प्रचारित किया जाय।

(२) उचित प्रचार व्यवस्था—इन कार्यक्रमों के प्रचार के लिए निम्नलिखित, फिल्म-प्रदर्शन, गीत, भाषण-सम्मेलन तथा प्रचार साहित्य का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सब कार्य पंचायतों तथा सामुदायिक विद्यालयों के तत्वावधान में किये जाने चाहिए।

(३) सस्ते साधन—सरकार को चाहिए कि जन-निरोध के लिए सस्ते उपकरण तथा औषधियों की व्यवस्था करे तथा उन्हें पंचायतों अथवा नगरपालिका निकायों के कार्यालयों के माध्यम से वितरित करने की व्यवस्था की जाय।

(४) चलियु चिकित्सालय—उद्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा चलियु चिकित्सालय (mobile clinics) चालू करने चाहिए जिनमें गर्भ-निरोधक औषधियों की व्यवस्था हो तथा अन्य औषधि एवं उपकरण देने की व्यवस्था हो।

(५) अन्य सुविधाएँ—परिवार नियोजन का सम्बन्ध देश की सम्पूर्ण सामाजिक स्थिति एवं सामर्थ्य पर आधारित है अतः इनकी सफलता के लिए देश में शिक्षा का अधिकारिक विकास करने की आवश्यकता है। नगरीय तथा ग्रामीणों में जागरण की सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए तथा जनता के मनोरंजन के लिए नये-नये उपकरण उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

समय में, यह कहा जा सकता है कि परिवार परिसीमन के सम्बन्ध में सरकारी नीति अल्पवस्थित एवं अस्तोपजनक रही है, उसे अधिक्त व्यावहारिक तथा कार्यशील बनाने की आवश्यकता है।

आर्थिक सहायता—भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन सम्बन्धी निम्नलिखित कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

(१) ऑपरेशन कार्य में डाक्टरों की प्रशिक्षित करना।

(२) तालुका स्तर पर अस्पतालों को साधन-सम्पन्न करना। इस कार्य के लिए सरकार १०,००० रुपये तक सहायता देती है।

(३) राज्य सरकारों समय-समय पर परिवार नियोजन सम्बन्धी ऑपरेशन कैंम्प लगाती हैं। उनमें काम करने वाले मजदूरों के लिए प्रति दस ऑपरेशन पर १०० रुपये प्रतिदिन की सहायता देना।

(४) ऑपरेशन करवाने वाले वैश्वीय सरकार के चर्मचारियों को छ दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलता है।

कुछ राज्य सरकारें ऑपरेशन करवाने वाले व्यक्तियों को १० से ३० रुपये तक आर्थिक अनुदान भी दे रही हैं।

चतुर्थ योजना तथा जनसंख्या—चतुर्थ योजनाकाल में जनसंख्या में वृद्धि लगभग २५ प्रतिशत वार्षिक दर से होगी। इनके पश्चात् वृद्धि दर में धीरे-धीरे कमी होगी तथा १९८०-८१ तक जनसंख्या वृद्धि दर घटकर १७ प्रतिशत वार्षिक हो जायगी। यह अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि सन् १९७० में जन-दर प्रति हजार ३६ थी जो घटकर सन् १९८०-८१ में २५ हो जायगी। इसी अवधि में मृत्यु-दर १४ से घटकर ९ प्रति हजार हो जायगी। उस समय भारत की जनसंख्या ८६ करोड़ हो जायगी। परन्तु यदि वर्तमान गति से ही जनसंख्या बढ़ती रही तो बीसवीं शताब्दी के अन्त में भारत की जनसंख्या ११५ करोड़ होने का भय है। जत योजनाकाल में परिवार परिसीमन पर बुद्धि स्तर पर जोर दिया जायगा। चतुर्थ योजना में परिवार परिसीमन तथा जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए कुल ३१५ करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

उपसंहार—प्रस्तुत अध्याय में ब्रिय गये विवेचनों में यह मार निकलता है कि भारतीय जनसंख्या मर्यादात्मक दृष्टि से अवश्य ही सबल है किन्तु गुणात्मक दृष्टि से वह अत्यन्त दुर्बल अवस्था में है। यह मर्यादात्मक सबलता देश के आर्थिक विकास में बहुत बाधक है अतः हमकी भावी वृद्धि पर शक्तिशाली ढंग से रोक लगाना आवश्यक है, अन्यथा देश की जनता के स्वास्थ्य, आय तथा जीवन-स्तर में कभी पर्याप्त सुधार होना सम्भव नहीं होगा। जनसंख्या की वृद्धि की गति कम करने के लिए देश में शिक्षा का विकास बहुत तीव्र गति से करना आवश्यक है ताकि जनता का मानसिक विकास हो सके और वह राष्ट्र-व्यापण के लिए बनायी गयी योजनाओं में तन, मन, धन से सक्रिय सहयोग दे सके।

### प्रश्न

१ “भारत की सबसे कठिन समस्या उसकी तजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है।” समझाइए। इसकी रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं? अपने मुताबक दीजिए।

(आगरा, बी० कॉम, १९६२, विज्ञान, बी० कॉम०, १९६५)

२ भारत में जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण का परीक्षण कीजिए और इससे देश की निर्धनता का क्या सम्बन्ध है, बतलाइए। अपने उत्तर की पुष्टि अंकों द्वारा कीजिए।

(राजस्थान बी० ए०, १९५८)



- ३ भारत में जनसंख्या की समस्या का विश्लेषण कीजिए तथा उनके समाधान के लिए उचित सुझाव दीजिए ।  
(विष्णु, बी० ए०, १९६१)
- ४ क्या भारत में जनसंख्या का आधिक्य है ? क्या पंचवर्षीय योजनाओं में नियति में सुधार होगा ?  
(आगरा, बी० ए०, १९५५)
- ५ भारत में जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि होने के कारणों का अन्वेषण कीजिए । इसे रोकने के लिए क्या उपाय करन चाहिए ?  
(आगरा, बी० ए०, १९६३)
- ६ भारत में 'परिवार नियोजन' पर एक टिप्पणी लिखिए ।
- ७ भारत सरकार की जनसंख्या नीति का विश्लेषणात्मक विश्लेषण कीजिए ।  
(भागलपुर, बी० ए०, १९६३)
- ८ भारत की जनसंख्या सम्बन्धी समस्या का विश्लेषण कीजिए । देश की जनसंख्या सम्बन्धी नीति बना होनी चाहिए ।  
(गोरखपुर, बी० ए०, १९६२)

## सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएँ

### (SOCIAL AND RELIGIOUS INSTITUTIONS)

*'It is possible for a nation to stifle its economic growth by adopting passionately and intolerably religious doctrines of a king which are incompatible with growth. Or it is possible, alternatively, for conversion to a new faith to be the spark which sets off economic growth.'*  
—W. A. Lewis

### सामाजिक वातावरण तथा आर्थिक विकास (ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL ENVIRONMENT)

आर्थिक विकास विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक घटकों का परिणाम है। अतः किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अनुकूल आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का पाया जाना आवश्यक है। वस्तुतः सामाजिक परिस्थितियों का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण हाथ होता है। सामाजिक वातावरण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्ममि प्रस्तुत करता है। आर्थिक विकास की गति विभिन्न घटकों का तर्कों पर निर्भर है, जो किसी जय वृद्धि के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक वातावरण से सम्बन्धित है। इन वातावरण में एक प्रमुख तन्त्र समाज की उत्पत्ति करने की दृष्टि, विकास के प्रति उत्तरदाता तथा नवीन तथा अतिरिक्त कुशल उत्पादन विधि का प्रयोग है। यदि कोई समाज शिक्षित, प्रगतिशील तथा महत्वाकांक्षी है तो उसका आर्थिक विकास तभी से होगा। जर्मनी, जापान तथा ब्रिटेन उनके उदय उदाहरण हैं। प्राकृतिक संपत्तों की कमी होत हुए भी जापान विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश है। विज्ञान प्रेमी जर्मन निवर्तियों ने पन्द्रह वषों से ही अन्दर मुद्ध-जर्जरित जर्मनी का विशाल कर समार की आरम्भकृत कर दिना तथा जर्मनी के आर्थिक विकास को आर्थिक आठू (economic miracle) की सजा दी गयी। विकास की तीव्र-दृष्टि तथा नियोजित दम पर सन्त प्रयत्नों द्वारा सन् पचास वषों के अन्दर विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की श्रेणी में आ गया है। आर्थिक अन्वेषित्वान में प्रथम टर्की में सामाजिक परिवर्तन द्वारा समाज पासा न टर्की को एक उन्नतियोग आनुतिक राष्ट्र बना दिना। सन्तुक्त राज्य अमरीका जो प्रथम विश्वयुद्ध तक एक शून्यी देश था, आज समार का सबसे बनी देश है। इन सभी देशों के आर्थिक विकास में वहाँ के सामाजिक वातावरण का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। अनुकूल सामाजिक परिस्थितियाँ आर्थिक विकास को गति प्रदान करती हैं।

### आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सामाजिक शर्तें (SOCIAL PRE-REQUISITES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT)

आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त सामाजिक वातावरण आवश्यक है। प्रतिकूल सामाजिक वातावरण के तहत हुए भी आर्थिक विकास हो सकता है परन्तु ऐसी दशा में विकास की गति बहुत मन्द होगी। विकास के लिए सामाजिक वातावरण में परिवर्तन भी आवश्यक है।

आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार का सामाजिक वातावरण अधिक अनुकूल है, इसके सम्बन्ध में निश्चित मापदण्ड नहीं है। फिर भी सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास के लिए वह सामाजिक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है जो नागरिकों के दृष्टिकोण को (i) भौतिकवादी, (ii) व्यक्तिवादी, तथा (iii) विवेकपूर्ण बनाता है और उनमें जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को जन्म देता है।

(i) भौतिकवादी दृष्टिकोण (Materialistic Outlook)—जिस देश के नागरिकों का दृष्टिकोण भौतिकवादी होता है, जो इस सत्ता की सरता में विश्वास रखते हैं विभिन्न साधनों को अजित कर मुख्यमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तथा अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, उस देश का आर्थिक विकास तेजी से किया जा सकता है। इसके विपरीत, जिस देश का समाज अध्यात्मवादी तथा भौतिक आवश्यकताओं को कम करने में विश्वास रखने वाला होता है, वह देश सामान्यतः मन्द गति से विकसित होता है। ब्रिटेन तथा भारत इन दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों के उदाहरण हैं।

(ii) व्यक्तिवादी (Individualism)—जिस देश में सामाजिक बन्धन ढीले होते हैं, व्यक्ति को काम करने तथा व्यवसाय अपनाने की स्वतन्त्रता होती है उस देश के नागरिक अधिक अध्यवसायी होते हैं, सभी व्यक्ति अपने विकास के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, इस प्रकार पूरे समाज की उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत, जिस समाज में व्यक्ति को सामाजिक स्वतन्त्रता नहीं होती, व्यक्ति का पैसा उसकी कुशलता तथा योग्यता के द्वारा निर्धारित नहीं होता बल्कि जाति या जन्म से निर्धारित होता है वह समाज तेजी से विकास नहीं कर सकता।

(iii) जोखिम उठाने की प्रवृत्ति (Adventurism)—जिस देश के नागरिकों में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होती है, उस देश का विकास तेजी से होता है। ब्रिटेन इसका उदाहरण है। अनाधिक्य पूर्व ही, जबकि अधिकांश देशों के नागरिक दूसरे देशों में जाने से डरते थे, ब्रिटेन निवासियों ने दूर-दूर के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया तथा जान की बाजी लगाकर व्यापारिक मार्गों का पता लगाया और सदैव गतिशील रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन उत्तमवर्गीय शान्ति का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन गया तथा आगे विश्व पर साम्राज्य स्थापित किया। इसके विपरीत, भारत के लोगों में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति कम है। यहाँ के उद्योगपतियों ने उनी उद्योग की स्थापना की जिसमें शीघ्र व अधिक लाभ हो। परिणाम यह हुआ कि देश में उत्पादक वस्तु-उद्योगों (producer's goods industries) की स्थापना नहीं की गयी जो आर्थिक विकास के लिए नीव का काम करने हैं। भारतीयों में गतिशीलता भी कम रही है।

(iv) विवेकशीलता (Rationalism)—जो समाज व्यक्ति को विवेकशील तथा विज्ञान-प्रेमी बनाता है, उस देश का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत, जो समाज व्यक्ति को परम्परावादी तथा रुढ़िवादी बनाता है, उसका विकास कम होता है। धार्मिक अन्धविश्वास व पुराने धार्मिक मान्यताएँ समाज को आगे नहीं बढ़ने देती हैं।

भारत इसका जीता-जागता उदाहरण है। कुछ समय पूर्व भारत में विदेशी यात्रा को पाप माना जाता था। हमारी आर्थिक क्रियाएँ धार्मिक मान्यताओं द्वारा शासित होती थीं। आज भी फसलों को नष्ट करने वाले बन्दरों व जपली जानवरों को मारना पाप समझा जाता है। बहुत से किसान उत्पादन-वृद्धि के लिए हड्डी व मछली की खाद का प्रयोग नहीं करते चाहे उत्पादन कितना ही कम क्यों न हो।

भारत में हिन्दू धर्म भाग्यवाद का ममथक है। वह सांसारिक वस्तुओं के त्याग पर जोर देता है। एक सामान्य हिन्दू अपनी वर्तमान कठिनाइयों तथा परिस्थितियों को ईश्वर-प्रदत्त तथा पूर्वजन्म के कर्मों का फल मानता है। अतः वह परिस्थितियों को बदलना देवी इच्छा के प्रतिबल

मानता है। व्यक्ति जिस स्थिति में है, उसी में सन्तुष्ट रहने पर जोर देता है। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह है कि देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाजिक वातावरण आर्थिक विनाश को प्रभावित करता है। अनुकूल सामाजिक वातावरण आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। धार्मिक सस्याएँ तथा धार्मिक नियम-युक्ति को अनुशासन के अन्तर्गत कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही साथ यह स्मरणीय है कि आर्थिक विकास भी सामाजिक वातावरण को प्रभावित करता है। आर्थिक विकास तथा सामाजिक वातावरण में से कौन एक-दूसरे को अधिक प्रभावित करता है, यह कहना बहुत कठिन है। सामाजिक परिवर्तन धीरे-धीरे होते हैं। परम्परागत मान्यताओं तथा दृष्टिकोण को बदलना बड़ा कठिन कार्य है। यदि कानून द्वारा तथा अबरदस्ती से सामाजिक परिवर्तन लाये जाएँ तो अर्थ-व्यवस्था को क्षति उठानी पड़ सकती है, जैसा कि चीन में हो रहा है। वस्तुतः सामाजिक क्रांति जन समूह पर लादी नहीं जा सकती अतः सामाजिक परिवर्तन धीरे-धीरे होना चाहिए और उसके लिए शक्तिशाली वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए।

### भारतीय सामाजिक सगठन के मुख्य तत्त्व

भारतीय सामाजिक सगठन का अध्ययन करने पर उसके कुछ तत्त्व उभर कर ऊपर आ जाते हैं। इन तत्त्वों का हम भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव की दृष्टि से ही विचार करेंगे। यह तत्त्व निम्नलिखित हैं

- (१) जाति-प्रथा,
- (२) संयुक्त परिवार प्रणाली,
- (३) उत्तराधिकार के नियम,
- (४) धार्मिक अन्धविश्वास,
- (५) सामाजिक रीति रिवाज,
- (६) दार्शनिक दृष्टिकोण।

#### १ जाति प्रथा

जाति-प्रथा का उदय आवश्यकता के कारण हुआ। आर्यों को निरन्तर युद्ध लड़ने पड़ते थे तथा शासन संचालन करना पड़ता था। अतः युद्ध के लिए विभिन्न शस्त्र चलाने आदि की शिक्षा तथा शासन संचालन के लिए नीतिशास्त्र का ज्ञान बहुत आवश्यक था। अतः शास्त्र एव नीति विद्यारथ पण्डितों को यह काम सौंपा गया और उन्हें ब्राह्मण की सजा दी गयी। जो व्यक्ति सबद होते थे उन्हें युद्ध में जाकर लड़ना पड़ता था अतः उन्हें क्षत्रिय नाम में पुकारा गया। युद्ध संचालन एव जनता की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती और व्यापार करना बहुत आवश्यक था। जिन व्यक्तियों को इस दिशा में रुचि थी उन्हें वैश्य कहा गया तथा शेष व्यक्तियों को जो योग्यता अथवा शक्ति की दृष्टि से अन्य सबसे थट्टियां थे, शूद्र घोषित किया गया। इनका कार्य तीनो वर्गों की सेवा करना निर्दिष्ट किया गया।

कर्म-अनुसार—मनु द्वारा किया गया यह वर्गीकरण बहुत कुछ धर्म-विभाजन मात्र था, अर्थात् जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य होता उसे उसी जाति की सजा दे दी जाती थी। इस वर्गीकरण में बहुत जड़ता भी नहीं थी क्योंकि एक जाति का व्यक्ति दूसरे कार्य में दक्ष होना पर जाति बदल लेता था। किन्तु कालान्तर में जाति कर्म से नहीं बल्कि जन्म के अनुसार मानी जानी आरम्भ हो गयी। फलतः विभिन्न जातियों के मौलिक रूप में जड़ता आ गयी। इन जातियों में कार्य के अनुसार चमार, लुहार, मुहार, कुम्हार, तेली आदि अनेक उपजातियों का उदय हो गया। उच्च जातियाँ शूद्रों से शृणा करने लगी और उन्हें छूना भी हेय समझा जाने लगा। फलतः उच्च जातियों में आपस में भी विषाद उत्पन्न हो गये और समाज अनेक छोटे-छोटे वर्ग समूहों में विभाजित हो गया।

धार्मिक लाभ—प्रारम्भिक अवस्था में जाति-प्रथा में धार्मिक विरासत को काफी लाभ पहुँचा, जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से किया जा सकता है

(१) धार्मिक श्रम-विभाजन—जाति-प्रथा के कारण समाज के विभिन्न वर्गों ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अपने पक्ष निश्चित कर लिए। फलतः विभिन्न व्यवसायों की प्रगति सुचारु रूप से होती रही क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय विशेषज्ञता द्वारा मचालित था। वही वही तो कोई व्यवसाय उस स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो गये जैसे टाका की मजदूरी, लखनऊ और बनारस की सोने-चाँदी की बढ़ाई आदि। इन स्थानों पर ह्यातिप्राप्त कार्य प्रायः एक ही वर्ग के लोग कर रहे हैं।

(२) कौशल में वृद्धि—जाति प्रथा के कारण अनेक व्यवसाय वंश-परम्परा में चलते हैं क्योंकि इनसे सम्बन्धित कलाकाम का प्रशिक्षण पिता से पुत्र को प्राप्त होता रहता है।

(३) रोजगार की समस्या—जाति-प्रथा के कारण बालकों को नवयुवक होते ही व्यवसाय अथवा रोजगार खोजने की आवश्यकता नहीं थी। इसका परिणाम यह था कि समाज में धार्मिक अमत्त्वोप उत्पन्न नहीं होता था और विभिन्न व्यवसायों में श्रम आन्दोलन अथवा हड़ताल की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती थी।

(४) धार्मिक सहयोग—प्रायः ऐसा देखा गया कि यदि जाति का एक व्यक्ति व्यवसाय अथवा उद्योग में उन्नति कर लेता तो वह दूसरे जाति बन्धुशुभा को अपने सहयोग में उँचा उठाने की चेष्टा करता था। इस प्रकार सक्रिय सहयोग द्वारा जाति के सभी व्यक्तियों को उन्नति करने का अवसर मिल जाता था।

जाति-प्रथा का दुष्प्रभाव—प्रारम्भिक अवस्था में जाति-प्रथा न भले ही सामाजिक संपन्न को एक मूल में निरोकर राष्ट्रीय एकरता में सहयोग दिया हो किन्तु उसके रूढ़िवादी बन्धन इतने जड़ एवं अमानवीय हो गये हैं कि वह समाज के उज्ज्वल मस्तक पर एक कलक का टीका मान रहे गये हैं। धार्मिक विकास में भी जाति प्रथा के कारण बहुत बाधाएँ आयी हैं जिनका ध्वारा निम्नलिखित है

(१) स्पर्धात्मक भावना की कमी—उद्योग तथा व्यवसाय की उन्नति एवं कुशलता के लिए बौद्धिक स्पर्धा तथा लाभदायक होती है क्योंकि समाज के योग्यतम व्यक्ति नवीन परम्पराओं का आविष्कार करते रहते हैं। जाति-प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति अपने वंश-परम्परागत व्यवसाय को अपनाता रहा है जिसमें पुरानी पीढ़ी के लोग नये आविष्कारों में कोई रुचि न रखने के कारण प्रत्येक परिवर्तन में बाधक रहे हैं फलतः व्यवसाय एवं उद्योगों का ठाँका रूढ़िवादी तथा पुरातनपन्थी रहा है जिसमें विकास की गति अवरुद्ध रही है।

(२) उचित प्रोत्साहन का अभाव—जाति-प्रथा की जड़ता के कारण अधिक भुगतान नवयुवक अधिक जोखिम तथा लाभदायक व्यवसायों में नहीं जा सकते थे फलतः उनके बौद्धिक कौशल का यथोचित लाभ देश की व्यावसायिक उन्नति के लिए प्राप्त नहीं हो सकता था।

(३) गतिशीलता में बाधा—जाति-प्रथा न देश के युवकों की त्रियाशील शक्तियों को अपने घर तथा दुकान अथवा दुकान अथवा नगर विशेष तन्त्र केन्द्रित कर दिया। एक चमार का बालक लुहार या मुनार का पेशा नहीं अपना सकता था और न ही वह अपने नगर को छोड़कर दूसरे नगर में जा सकता था।

(४) घटे पैमाने पर उत्पादन का अभाव—जाति प्रथा के कारण एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के व्यवसाय अथवा उद्योगों में पूँजी विनियोजन नहीं कर सकते थे अतः भारत में वर्षों तक उद्योग तथा व्यवसाय का आकार बहुत छोटा रहा जिसमें धार्मिक उत्पत्ति कुण्ठित रही है।

(५) श्रम को यथोचित महत्व नहीं—जाति प्रथा के कारण समाज ऐसे वर्गों में विभाजित हो गया है जिसमें कुछ वर्गों को आदर का स्थान प्राप्त है तथा अन्य को हीन दृष्टि से देखा जाता है।

इसके परिणामस्वरूप एक ब्राह्मण पुत्र यदि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप नाम के योग्य नहीं हो तो वह दर्जा, सुधार या अन्य किसी व्यवसाय को नहीं अपना सकता। इस प्रकार जातिवाद की कुश्मित भावना ने अनेक युवकों को यथोचित व्यवसाय से वंचित कर रखा है जिसके परिणामस्वरूप समाज का नैतिक घरातल एव आर्थिक स्तर ऊँचा नहीं उठ सका है।

(६) सामाजिक अन्धाय की बल—जाति प्रथा के कारण अनेक व्यवसाय तथा उद्योगों में अधिकारी वर्ग अपनी जाति के व्यक्तियों को ही नियोजित करना चाहते हैं जिसके परिणामस्वरूप योग्य एव कुशल व्यक्तियों को यथोचित कार्य तथा पारिधमिक नहीं मिल पाता। इस सामाजिक अन्धाय का प्रभाव सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसाय पर भी पड़ता है क्योंकि सिफारिश अथवा पक्षपात के आधार पर चुने गये व्यक्ति प्रायः कम कुशल होते हैं जिससे व्यावसायिक इकाइयों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं हो पाती।

(७) सामाजिक कुरीतियों की प्रोत्साहन—जाति-प्रथा के कारण समाज में अनेक कुरीतियों का जन्म हो गया है। उदाहरणतः सभी जातियों में जन्म, विवाह तथा मृत्यु पर किये जाने वाले व्यय प्रायः परम्पराओं से निश्चिन हो गये हैं और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इन खर्चों का भार उठाना पड़ता है।

(८) अमानवीय—जाति-प्रथा की आधारभूत धारणा ही ऊँच-नीच की मकोर्ण भावनाओं पर अवलम्बित है। मनुष्यमात्र में भेदभाव करना मानवता का अग्रमान एव राष्ट्रीय एकता के सर्वथा विरुद्ध है। जिस देश में रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सामाजिक तथा राजनीतिक पद केवल रगभेद अथवा जाति के आधार पर दिये जायें तथा योग्यता, परिश्रम एव सद्प्रयत्नों को यथेष्ट महत्त्व प्राप्त नहीं हो आर्थिक एव सामाजिक असमानताओं की बेटियों से जन्डा हुआ वह राष्ट्र नरक का शभाव है। उक्त देश का नैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचा कभी उन्नत नहीं हो सकता।

जाति-प्रथा के पतन की प्रवृत्तियाँ—गठ वर्षों में भारत में जाति-प्रथा के पतन की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होने लगी हैं। अनेक नवयुवक ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाने लगे हैं, अन्तर्जातीय ही नहीं बल्कि अन्तर्देशीय विवाह होने लगे हैं, उच्च एव नीच वर्णों की भावनाएँ समाप्त हो चली हैं तथा अनेक क्षेत्रों में जाति-पात की अभेद्य दीवारों का खुलना उत्सर्जन होने लगा है। यह सामाजिक क्रान्ति का सकेन प्रायः कहा जा सकता है।

## २ सयुक्त परिवार प्रणाली

भारत में प्राचीनकाल से ही सयुक्त परिवार-प्रणाली प्रचलित है। इसका यह अर्थ है कि एक परिवार के सभी पुरुष विवाह के पश्चात् भी माथ-साथ रहते हैं, सम्मिलित रूप में भोजन करते हैं तथा परिवार के सदस्यों की आय, व्यय, ऋण, भुगतान तथा सम्पत्ति आदि सयुक्त रूप में ही होने हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति मुखिया अथवा कर्ता कहलाता है। यह परिवार के सदस्यों के सम्पूर्ण आय-व्यय का प्रबन्ध करता है तथा परिवार के सदस्यों में उत्पन्न विवादों का निर्णय करता है।

सयुक्त परिवार प्रणाली के अन्तर्गत मुखिया की मृत्यु के पश्चात् भी सम्पत्ति का विभाजन नहीं होता बल्कि आयु की दृष्टि से सबसे बड़ा व्यक्ति मुखिया बन जाता है। इस व्यवस्था में अधिक वृद्ध, अग्र, कम लगाने वाले तथा विधवा स्त्रियों का भी पोषण होता रहना है। कभी-कभी परिवारों के सदस्यों में आय अथवा व्यय को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं जिनका समाधान न होने पर घर बलह का अन्धाटा बन जाता है। विधवा विवाह प्रचलित न होने के कारण सयुक्त परिवार में स्त्रियों का जीवन प्रायः अत्यन्त दयनीय एव कष्टप्रद हो जाता है।

आर्थिक विज्ञान में लाभ—सयुक्त परिवार प्रणाली अद्यावधि दृष्टिकोणों से आर्थिक विकास में महयोग प्रदान करती है

(क) सामाजिक सुरक्षा—समुक्त परिवार प्रणाली एक प्रकार के सामाजिक बीमे के समान है। परिवार में यदि कोई व्यक्ति बीमार जख्म हो जाता है तो परिवार के समुक्त सदस्यों में उसको यथोचित सहायता मिल जाती है। उसकी सेवासुव्यवस्था, दवा तथा चिकित्सा पदार्थों का व्यय तथा उस व्यक्ति के परिवार की दायित्व में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार विधवा तथा अशक्त व्यक्तियों को नियमित सहायता एवं धर्म-सौध प्राप्त होता रहता है।

(ख) आय का समुनमी—समुक्त परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण धार्मिक-आवश्यकता की सभी जरूरतें पूरक होती जाती हैं। यह उनका मुख्य धर्म बन रहा पड़ता है तथा उनकी शिक्षा भी अच्छी प्राप्त हो जा सकती है। इनके अतिरिक्त भोजन एवं स्थान पर बनने में एक जगह सबों में भी समीचीन हो जा सकती है। अतः समुक्त परिवार प्रणाली में परंपरा व्यवस्था में बड़े पैमाने का काम उठाना जा सकता है। इनके परिवार की आय का अधिक भाग बचाने के लिये तथा उद्योगों में विनिवेशित किया जा सकता है जिससे राष्ट्र के अर्थिक विकास को दान मिलता है।

(ग) सम्पत्ति का स्वामित्व एवं श्रेष्ठ उपभोग—समुक्त परिवार में सम्पत्ति अर्जित करने का कारण उस सम्पत्ति का प्रितान ज्ञान की सम्पादनार्थ बन जाती है क्योंकि उसकी सम्पत्ति तथा सुधार यदि कृत्रिम साधनों का उत्पाद नहीं होता। अतः, सम्पत्ति एक स्थान पर केन्द्रित नहीं है। इनके अतिरिक्त साम उद्योगों का संचालन है।

(घ) सर्वोत्तम सहायता—सामुक्तिक समाजवादी एक एक समाज की सहायता करते हैं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति में उनकी सम्पत्तियों का समान आदान तथा प्रत्येक व्यक्ति को उनकी आवश्यकता-नुसार अधिशेषित निवेद्य (from each according to his capacity and to each according to his needs)। समुक्त परिवार प्रणाली का सिद्धांत या उद्देश्य एवं मूल उदाहरण है क्योंकि इस व्यवस्था में सब व्यक्ति अपने-अपने अनुसार काम करते हैं और सामाजिक साधनों में से आवश्यकतानुसार प्राप्त करते हैं। यह प्रणाली पुण्य सभी तथा सबको के सम्मिलित सहायता का अर्थ उदाहरण प्रस्तुत करती है।

(ङ) साधनात्मक एकता का प्रतीक—समुक्त परिवार के सब सदस्य एक व्यक्ति के अनुशासन में निरंतर उपकरण करने तथा सबके सामूहिक शिष्टों के लिए उत्तरदायी हैं। परिवारों की यह सामूहिक एकता उनके परिवारों की सामूहिक एकता के रूप में तथा उनके परिवारों की सामूहिक एकता सामाजिक एकता के रूप में, अन्तर्गत या यह राष्ट्रीय एकता के रूप में परिणत हो जाती है। अतः इस प्रकार की एकता के माध्यम से राष्ट्रीय शिष्टों के अनेक ऐसे आर्थिक कार्य (सामाजिक आचार तथा समुक्त पूर्वी वाली सम्पत्तियों का निर्माण तथा सामूहिक उत्पन्न आदि) सम्पन्न-पूर्वक विद्ये जा सकते हैं जिन्हें व्यक्तिवादी व्यवस्था में कर लेना कठिन है।

आर्थिक प्रगति में बाधाएँ—अनेक शक्तिवादी में आनन्ददायक होना पर भी समुक्त परिवार प्रणाली आर्थिक विकास में कुछ बाधाएँ डालती है जो निम्नलिखित हैं।

(क) धन की गतिशीलता में बाधा—समुक्त परिवार प्रणाली के अन्तर्गत धार्मिक स्तर एवं लक्ष्य के कारण अन्तर्गत करने पर भी इस व्यवस्था में ज्ञान में संकोच करने हैं। इनके इन स्थानों पर धनिकों का प्राप्त जमाव रहता है अतः उनमें विशेष मौत होता है जो कुछ स्थानों पर उनका बाधन रहता है।

(ख) प्रोत्साहन का अभाव—समुक्त परिवार प्रणाली में सब सदस्यों की उत्तम एकता होती है और सब पर धन भी सामूहिक रूप में दिया जाता है, अतः अधिक परिश्रम द्वारा अधिक धन को अपने व्यक्तियों को कोई विशेष लाभ या प्रोत्साहन नहीं मिलता। इनके कारणों में सभी व्यक्ति निष्क्रिय हो जाने हैं और सामान्य रूप में ही कार्य करते रहते हैं।

(ग) क्रियात्मक वृत्ति का अन्त—सयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के व्यवसाय अथवा व्यापक व्यवसाय के सम्बन्ध में सभी निर्णय परिवार के मुखिया द्वारा किये जाते हैं अतः युवकों में नये कार्य आरम्भ करने का उत्साह प्रायः समाप्त हो जाता है।

(घ) कलह का वातावरण—सयुक्त परिवार प्रणाली में प्रायः भिन्न-भिन्न विचारों के व्यक्तियों को साथ रहना पड़ता है; नयी और पुरानी पीढ़ी के व्यक्तियों में विचार-भेद स्वाभाविक है जिसके फलस्वरूप अनेक परिवारों में विवाद एव कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इस कलह के कारण परिवार के स्नेह, शान्ति एव सुख का अन्त हो जाता है और कुछ व्यक्ति सयुक्त परिवार से सम्बन्ध विच्छेद कर अलग होने को बाध्य हो जाते हैं।

सयुक्त परिवार प्रणाली का ह्रास—पश्चात्त्य देशों में विवाह के पश्चात् पुत्र अथवा भाई अपना घर अलग बना लेते हैं और स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन करते हैं। इससे न केवल पति-पत्नी को स्वतन्त्र एव स्वच्छन्द जीवनयापन का अवसर मिलता है बल्कि वह अपने परिश्रमिक के पूरे-पूरे लाभ का स्वयं उपभोग करते हैं। वास्तव में, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कारण नयी और पुरानी पीढ़ी के पुरुषों तथा स्त्रियों में विचार सामंजस्य होना कठिन है। नयी पीढ़ी के खान-पान, रहन-सहन तथा जीवन-निर्वाह स्तर बहुत बदल गये हैं अतः नित्य-प्रति की कलह अथवा क्लेश से बचने के लिए युवक परिवार अपने माता-पिता से पृथक् रहना ही श्रेयस्कर समझते हैं। आर्थिक आवश्यकताओं के दबावस्वरूप अनेक व्यक्तियों को नौकरी करने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है अतः सयुक्त परिवार प्रणाली का स्वाभाविक विघटन हो रहा है।

### ३. उत्तराधिकार के नियम

इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों में पिता की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति पर ज्येष्ठ पुत्र को ही अधिकार मिलता है। शेष व्यक्तियों को अपने पैरों पर ही खड़ा होना पड़ता है। यह प्रवृत्ति बहुत-बहुत भारत के राज्याधिकार नियम की भाँति है जिसके अनुसार राजा की मृत्यु के उपरान्त उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। भारत में सम्पत्ति के विभाजन सम्बन्धी नियम सर्वथा भिन्न हैं। इनके अनुसार सम्पत्ति पर लड़के-लड़कियों के समान अधिकार होते हैं और वह पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति का बँटवारा कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में भी दो प्रथाएँ प्रचलित हैं (१) पिताशरा प्रणाली, तथा (२) दायभाग प्रणाली।

पिताशरा प्रणाली के अन्तर्गत, प्रत्येक सम्पत्ति पर पिता तथा पुत्रों का साधु अधिकार होता है। यहाँ तक कि जो बालक (दादा की मृत्यु के समय पर) पैदा हो जाता है उसका भी सम्पत्ति पर अधिकार हो जाता है। यह सम्पत्ति साझी तो होती है परन्तु यदि पिता के जीवित रहने भी पुत्र अपना हिस्सा लेना चाहे तो वह ले सकते हैं। यह भाग पौत्र केवल दादा की छोटी हुई सम्पत्ति में से प्राप्त कर सकते हैं, पिता की स्वयं की कमाई हुई सम्पत्ति में से नहीं। इसके अनिश्चित उत्तराधिकार से प्राप्त की गयी सम्पत्ति को पिता तथा पुत्रों की सम्मिलित महमनि में ही बेचा जा सकता है। यह प्रथा बंगाल के अतिरिक्त भारत के शेष भागों में प्रचलित है।

दायभाग प्रणाली के अनुसार पुत्रों को किसी भी सम्पत्ति पर पिता के मरने के पश्चात् ही अधिकार हो सकता है और इसका विभाजन भी तभी सम्भव है। यह प्रणाली दखान में प्रचलित है।

वर्तमान समय में हिन्दू तथा मुस्लिम कानून के अनुसार लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी पिता की सम्पत्ति में समान अधिकारिणी हो गयी हैं।

उत्तराधिकार के नियमों के गुण—वर्तमान युग में सयुक्त परिवार प्रणाली का निरन्तर ह्रास हो रहा है। इसमें उत्तराधिकार के नियम भी सहायक हैं क्योंकि वह अलग होने वाले व्यक्ति को कुछ सम्पत्ति का अधिकारी बना देते हैं। इस दृष्टि में उत्तराधिकार के नियमों का प्रथम गुण



यह है कि परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन आरम्भ करने के लिए कुछ सम्पत्ति मिल जाती है। दूसरा गुण यह है कि सभी व्यक्तियों को सम्पत्ति में समान भाग मिलता है।

उत्प्लुत दोनों दृष्टिकोण यह स्पष्ट करते हैं कि उत्तराधिकार के दिनों के अनुसार समान के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन-आरम्भ करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता मिल जाती है जिसे अपनी सम्पत्ति एवं परिवार में विहित कर समान में अन्तः स्थान बनाना या सभ्यता है।

शेष—उत्तराधिकार के दिनों में दृष्टिकोणों में संश्लेषण है :

(अ) धूमि का अन्तःस्थान—उत्तराधिकार के दिनों का सबसे सम्पूर्ण शेष यह है कि इनके कारण परिवार के सभी व्यक्ति सम्पत्ति के समीप हो जाते हैं जिससे कृषि-शोध धूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। कृषि-कर्मों को यह टुकड़े उत्तम छोटे हो जाते हैं कि उनमें खेती करना लाभदायक नहीं रह जाता। इन दिनों के कारण ही भारत में कृषि धूमि बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गयी है। इन शेष के कारण भारतीय खेती लाभदायी नहीं रह गयी है अतः सरकार वर्षद्वारा की योजना कार्यान्वित करने की चेष्टा कर रही है।

(आ) विवाहों का अन्तःस्थान—इन दिनों के कारण धूमि तथा सम्पत्ति के विभाजन सम्बन्धी अनेक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इनके कारण बहुत से व्यक्ति अपने रिश्ते की सम्पत्ति भी खो बैठते हैं। यदि इन विवाहों का निवारण पञ्चायतों के सुझावों पर किया जाय तो सम्स्या सरलता में हल हो सकती है।

(इ) पुरातन निर्माण में कमी—सम्पत्ति के विभाजन के कारण देश में पुरातन निर्माण कम हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास थोड़ा-थोड़ा पुरातन रह जाती है। आधुनिक सन्तुष्ट पुरातन कर्मियों तथा इकाई टुकड़ों से इस सम्स्या का दक्षिण समाधान कर दिया है।

## ५. वार्षिक अन्तःस्थान

भारत एक अन्तःस्थान देश रहा है। इसीलिए यहाँ के प्रत्येक सामाजिक नीतिरिक्त को धार्मिक रूप दिया गया है। यहाँ के व्यापारी तथा उद्योगपति लोगों अपने अपने अपने के साथ-साथ अन्तःस्थान, अन्तःस्थान, धर्मशास्त्र, कुटुंब तथा शिक्षा सम्स्याओं का निर्माण करते हैं। धार्मिक श्रुति में स्थान स्थान पर अनेक दिशाओं के लिए व्याकरण तथा शैली के दिशों में पुरुषों के लिए काम करने की व्यवस्था की जाती है।

उत्प्लुत वार्षिक सन्तुष्टियों के अधिनियम भारतीय समान अनेक अन्तःस्थानों में बहका हुआ है जिसका अन्तःस्थान अधिनियम प्रवृत्ति पर सम्पूर्ण रूप में पड़ा है। उदाहरण के तौर पर भारत में अधिनियम को सम्पत्ति सम्पत्ति रूप में दिया गया है। अतः अन्तःस्थान को स्पष्ट करने वाले अन्तःस्थान, वृद्ध, तथा शिक्षकों का नाम करने में बहुत समय तक विचार नहीं रही। अब भी शिक्षाशास्त्र अधिनियमों तथा वृद्धाश्रम दवाओं का निर्माण समान-समय पर प्रवृत्ति होता रहता है। इसी प्रकार के शैक्षणिक, कुटुंब तथा अन्तःस्थान पर ही देश में सन्तुष्ट अन्तःस्थान भूख में लक्ष्मण मर जायें किन्तु बहुत-से लोग उन्हें मरवाने का मन्तव्य ही करते हैं। सन्तुष्ट, इसीलिए भारत में अन्तःस्थान पुरुषों को बहुत बड़ी सम्पत्ति है। इसीलिए यह स्पष्ट करना है कि सन्तुष्ट-समस्या देशों में पुरुषों का सम्पत्ति तथा आर्थिक एवं रूप देने की प्रवृत्ति (सन्तुष्टक देश) भारत में कहीं उत्तम एवं स्पष्ट है।

इस वार्षिक अन्तःस्थानों के अधिनियम भारत में अन्तःस्थान में लेकर सन्तुष्ट के दावाएँ करनी (सन्तुष्ट की स्थिति दर्शाने की दृष्टि से) इनके अधिनियम एवं अनुसूची में अन्तःस्थानों को मिले जाते हैं कि

<sup>1</sup> इतिहास में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जब कोई विशेष आन्तःस्थान नीति में सम्पत्तियों को नहीं जीत पाते थे तो बापों को अपनी सेवा के अन्तःस्थान देने से जिससे सम्पत्ति अधिनियम अन्तःस्थान स्थान दिया करते थे।

सामान्य व्यक्ति को कमर ही टूट जाती है। भारत में प्रत्येक रीति रिवाज के पीछे अत्यधिक प्रदर्शन तथा खर्च का विधान है। किसी समय यह सब बानें सह्य तथा समजानुत्तु रहीं होगी पर अब यह सब क्रियाएँ दोग तथा रुद्धियों की श्रेणियों में ही गिनी जा सकती हैं। इनके पालन में देश की सामान्य जनता की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

इन सामाजिक अथवा धार्मिक मान्यताओं के अनिश्चित भारतीयों का प्रत्येक कार्य (जन्म तथा मृत्यु को छोड़कर) मुहूर्त के द्वारा ही सम्पन्न होता है, विवाह-सम्बन्ध जन्मपत्रियों के आधार पर ही सम्पन्न होते हैं तथा लाखों-करोड़ों देवनाओं के पूजा-गाठ और चढ़ावे आदि की व्यवस्था होती है। यह किसी हद तक ठीक है कि मातृवादी तथा जैन आदि वर्गों के लोग इन सब रुद्धियों पर विश्वास रखने पर भी व्यवसाय तथा उद्योगों में बहुत प्रगति कर गये हैं परन्तु उनकी उन्नति का कारण यह रुद्धियाँ ही हैं यह कहना सत्य नहीं है। वस्तुतः इन रुद्धियों ने सदा उन्नति के मार्ग में बाधा डाली है और डालती रहेगी। आर्थिक विश्रम के भवन परिधन तथा अश्रमसाय की नींव पर छड़ किये जाते हैं, पाखण्ड एवं अन्धविश्वास की बलूमयों दोवारों पर नहीं।

### ५ सामाजिक रीति रिवाज

जन्म, विवाह तथा मृत्यु के अवसर पर किये जाने वाले व्यय भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर एक बड़ा भार है परन्तु बाल विवाह, पर्व प्रथा तथा आपसी फूट भारतीय सामाजिक जरीर पर भयंकर कोड़ के समान हैं। बाल विवाह के कारण देश की अनेक बच्चाएँ अज्ञान प्रसूता होकर बाल के गान में समा जाती हैं अथवा उनकी निर्बल मनानों तथा बहुरूप अनेक रोगों में पीड़ित होकर कष्टमय जीवन बिताने के लिए बाध्य होती हैं। इन प्रकार अनेक परिवारों का गृहस्थ जीवन सदा आर्थिक भार में दबा रहता है। कभी-कभी यह दालिकार्य विधवा होकर या तो साजोबन बनने भाग्य को कोसती है या किसी बच्चे में दैतव्य भारतीय समाज के भ्रमक पर कसब का टीका बनती है। बहुत कुछ यही स्थिति परदे में रहने वाली स्त्रियों की है।

बलवृत्ता तथा लखनऊ के समीपस्थ के ग्रामों के सर्वेक्षकों में यह बताया गया कि परदे में रहने वाली अधिकांश स्त्रियाँ किसी न किसी भयंकर रोग में पीड़ित हैं। इन महिलाओं का शरीर का पुष्ट होना प्राप्त करने का गुंजवमर न मिलने का कारण न केवल इन्हीं तरह तरह के रोग लग जाने हैं बल्कि यह रोग उनके दान बच्चा तथा आनपान तक फँसता है। जन्म इन परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन भी नाटकीय हो जाता है। परदे की प्रथा मुख्य रूप में मुसलमानों तथा राजपूतों में प्रचलित है।<sup>1</sup>

आपसी फूट मानो भारत के निवासियों का घरेलू उद्योग है। इस राक्षसी फूट के कारण घराने की शान्दियों तक परकीयों का दाम गहना उड़ा है। शिक्षा के अभाव तथा मानविक विज्ञान की कमी के कारण ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अनेक विवाद उत्पन्न होने रहते हैं। ग्रामों में तो यह बहाव प्रविद्ध है कि जिस वर्ष किसान के अच्छे फसल होती है उस वर्ष ग्रामों में अतिरिक्त लगभग-फसल होने है। इन लगभगों से किसान की अन्न का बहुत-सा भाग इकट्ठा जाता है और वह अश्रमवा, अश्रमवा तथा श्रुण के बोझ में दबा रहता है।

### ६ भारतीय दर्शन और अर्थ-व्यवस्था

भारत एक विलक्षण देश रहा है। इसमें पर द्रव्येषु लोपवन् (पराया धन मिट्टी के समान) कहने वाले व्यक्ति भी उत्पन्न हुए हैं और 'श्रुण इत्या घृतम् विवेत्' (श्रुण लेकर घी पीजिए) वृत्ति

<sup>1</sup> टर्की में मुसलमान बमाल शासन परदा रखने वाली स्त्रियों ने बुरावे फाड़ फाड़कर जमा दिये थे। आज उस देश की स्त्रियाँ यूरोप के किसी भी देश की स्त्रियों से हीनावस्था में नहीं हैं।

के समर्थकों का भी प्राबुधत्व रहा है। कुछ लोगों का यह मत है कि भारतीय दर्शन में मनुष्यवृत्ति तथा कष्टमय जीवन जितान की भावनाओं पर बल दिया गया है अतः भारत में लोगों ने आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त करने के लिए यथोचित प्रयत्न नहीं किया। इसी कारण से भारतीय अर्थ व्यवस्था दुर्जन एवं दीन बनी रही।

उपर्युक्त विचार सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक किसी भी दृष्टिकोण में गहरी नहीं है। भारतीय दर्शन में प्रथम अर्थ काम, मोक्ष को महत्त्व दिया गया जिससे स्पष्ट है कि कर्तव्य के पश्चात् दूसरा स्थान अर्थ का है। वास्तव में प्राचीन काल में भारतीय अर्थ-व्यवस्था कभी भी हीनावस्था में नहीं गयी। गंगा और यमुना के इस देश में धनधान्य एवं सुख-समृद्धि का अभाव नहीं रहा। अभाव की स्थितियाँ अंग्रेजों शासन काल में उत्पन्न होनी आरम्भ हुईं। उन्होंने अर्थ व्यवस्था का इस निदयता से विनाश किया कि वह जान समय एक निमकता हुआ अस्थिर पजर मान छोड़ गया। हमारा आर्थिक दैन्य हमारी दर्शन अथवा धार्मिक हीनताओं के कारण नहीं बल्कि अंग्रेजों की कूटनीति एवं स्वार्थी मनोवृत्ति के कारण हुआ। हम अपनी गृहमयी का मूल्य आगारी के बाद भी चुका रहे हैं। श्री रामकृष्ण के शब्दों में

no open minded Englishman contemplates the material condition of the people of India under British rule with satisfaction. The poverty of the Indian population at the present day, unparalleled in any civilised country. It is a painful episode in the history of British rule in India, but it is a story which has to be told to explain the economic condition of the Indian people and their present helpless dependence on agriculture."

#### प्रश्न

१. भारत के आर्थिक विकास पर सामाजिक व धार्मिक मूल्यों का प्रभाव" विषय पर निबन्ध लिखिए।

## भारत की राष्ट्रीय आय

(NATIONAL INCOME OF INDIA)

*"Poverty means a waste of potentially productive human resources. poor people are becoming a more important political force as traditionally poor minority groups begin to flex their voting muscles"*

—A Booklet by Federal Reserve Bank of Philadelphia

### राष्ट्रीय आय का अर्थ

किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की शुद्ध उत्पत्ति का वार्षिक योग होता है। इसका अर्थ यह है कि देश के विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों द्वारा जितनी उत्पत्ति एक वर्ष में होती है उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है। इस राशि में से ह्रास अथवा अपकर्ष (Depreciation) की रकम घटा दी जाती है परिणामस्वरूप जो रकम प्राप्त होती है वह देश की वार्षिक राष्ट्रीय आय है।

राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में मार्शल पीगू तथा फिशर के अलग अलग मत हैं। मार्शल के अनुसार, किसी देश के धन और पूँजी द्वारा उसके प्राकृतिक साधनों से जो भौतिक अथवा वस्तु उत्पन्न की जाती हैं उनमें यदि सभी सेवाएँ तथा विदेशों से प्राप्त भाद भी जोड़ दी जाय तो वह राष्ट्रीय आय कहलाती है। पीगू राष्ट्रीय आय में केवल उस उत्पत्ति को सम्मिलित करते हैं, जो मुद्रा में नापी जा सकती है। फिशर का बयान है कि राष्ट्रीय आय सम्पूर्ण उत्पत्ति का वह भाग है जिसे किसी वर्ष उपभोग में ले लिया जाता है।

प्रो० साइमन कुजनेट्स का विचार बहुत कुछ फिशर की धारणा से मिलता-जुलता है। कुजनेट्स कहते हैं कि "राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं की शुद्ध उत्पत्ति है जो अन्तिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुँचती है अथवा देश के पूँजीगत मालक स्टॉक में वृद्धि करती है।"<sup>1</sup> इस प्रकार फिशर की भाँति कुजनेट्स भी सम्पूर्ण उत्पादन का वह भाग राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करते हैं जो उपभोक्ताओं के हाथों में पहुँचता है (अर्थात् जितनी भागा उपभोग की जाती है) निरतु वह उसमें पूँजीगत मान की सम्पूर्ण राशि सम्मिलित करते हैं। वस्तुतः व्यवहार में यह ज्ञात करना

<sup>1</sup> National income is the net output of commodities and services flowing during the year from the country's productive system into the hands of the ultimate consumers or into net additions to the country's stock of capital goods.

बहुत कठिन है कि देश में जितना विद्युत् उत्पादन किया गया उसका कौन-सा भाग उपयोग में ले लिया गया तथा कितना अणु बरतों के लिए स्टॉक में स्थानान्तरित कर दिया गया। इस प्रकार पीछे का विचार व्यावहारिक दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ जान पड़ना है क्योंकि "कुल उत्पत्ति का वह भाग जो मुद्रा में नापा जा सकता है" उसका अनुमान लगाना सरल है।

### राष्ट्रीय आय की जानकारी क्यों महत्त्वपूर्ण है ?

किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की जानकारी प्राप्त करना निम्नलिखित दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण है

(१) आर्थिक प्रगति की सूचक—राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक प्रगति की सरलतम सूचक प्रणाली है क्योंकि एक ही अंक में हम यह जान सकते हैं कि देश में उत्पादन क्षेत्र में कितनी प्रगति हो रही है। राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति सम्बन्धी विस्तृत अंकों का समावेश किया जाता है। अतः राष्ट्रीय आय के अंक वस्तुतः सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की उन्नति अथवा अवनति की दिशा की ओर संकेत करते हैं।

(२) तुलनात्मक समीक्षा—राष्ट्रीय आय के आँकड़ों से दो प्रकार की तुलना करना सम्भव हो जाता है। प्रथम विभिन्न देशों की कुल अथवा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है। इस जानकारी से अन्य देशों की आर्थिक प्रगति की तुलना करना सम्भव है। भारत और जापान, इंग्लैंड तथा अमरीका की बढ़ती हुई मरुद्धि की तुलना करने की सरलतम रीति कुल राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की जानकारी है। इस जानकारी के आधार पर विकसित देश विकसित देशों के अनुभव का लाभ उठा सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।

दूसरे, राष्ट्रीय आय के आधार पर यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि विभिन्न देशों में कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा यातायात से प्राप्त आय कुल आय का कितना भाग है। इससे उन देशों की विभिन्न क्षेत्रों सम्बन्धी प्रगति का ठीक एवं तुलनात्मक अनुमान हो जाता है और कम विकसित तथा दुर्बल क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।

(३) सरकारी नीति का आधार—राष्ट्रीय आय सरकार को आर्थिक नीति के महत्त्वपूर्ण आधार का काम करती है। सामान्य सरकार अपनी आर्थिक नीति निश्चिन्ता करने में राष्ट्रीय आय का निम्न रूप में प्रयोग करती है

(क) कर नीति—सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में कर संगोत्रन करते के प्रस्ताव किये जाने हैं जिनमें आय अथवा उत्पादन कम होता है। करों की छूट देना में प्रायः अविकसित क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की क्रिया को प्रोत्साहन मिलना है। इसी प्रकार समाज के जो वर्ग अधिक दृष्टि में निर्बल हैं उन्हें कर-मशोयन द्वारा सहायता देने का प्रयत्न किया जाता है।

(ख) विकास योजना का आधार—राष्ट्रीय आय के आँकड़े सरकार को विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन का ब्यौरा दे देते हैं। इनके आधार पर सरकार को यह निश्चय करने में सहायता मिलती है कि किन क्षेत्रों में विकास पर अधिक रकम लगानी चाहिए तथा किन क्षेत्रों में प्रशासन व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक है।

(ग) सामाजिक बर्ताना—प्रजातन्त्र की सफलता का एक महत्त्वपूर्ण मापदण्ड यह है कि देश के नागरिक अपने आपको आर्थिक दृष्टि से सबल एवं सुरक्षित समझें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कम आय वाले देशों में वृद्ध वस्था पैदान, निशुल्क चिकित्सा मुविधाएँ अथवा अन्य जन-हितकारी कार्य किये जा सकते हैं।

(घ) भविष्य की प्रवृत्तियाँ—कुछ वर्षों की राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ों से यह ज्ञात हो जाता है कि देश में राष्ट्रीय आय की प्रगति किस दिशा में कितनी हो रही है। स्वभावतः इससे

भविष्य की प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में भी पूर्वानुमान लगाये जा सकते हैं और अस्तोपजनक प्रवृत्तियों में सुधार हेतु प्रयत्न किये जा सकते हैं।

अतएव, राष्ट्रीय आय की जानकारी विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक प्रगति सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है जिनके आधार पर देश की कृषि, उद्योग, यातायात, रोजगार तथा मूल्यों सम्बन्धी नीतियाँ निश्चित करना सम्भव होता है।

### राष्ट्रीय आय की प्रगति का अनुमान करने में सावधानियाँ

किसी देश की राष्ट्रीय आय का कम या अधिक होना सर्वथा सापेक्षिक है क्योंकि यह देश के प्राकृतिक साधन, प्राविधिक प्रगति, मानवीय तत्त्व की मजबूती तथा बिकान के प्रति जागरूकता एवं तत्परता पर निर्भर करती है। अतः इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अध्ययन किया जाना चाहिए। वस्तुतः राष्ट्रीय आय की प्रगति की तुलना करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं जो निम्नलिखित हैं—

(१) वास्तविक तथा मौद्रिक आय (Real and Money Income)—अनेक बार ऐसा होता है कि किसी देश (अथवा देशों) की कुल आय में निरन्तर वृद्धि होती जाती है परन्तु मुद्रा के मूल्यों में ह्रास (depreciation) होता है। फलतः मौद्रिक आय तो बढ़ी हुई जानती है परन्तु वास्तविक आय में कमी आ जाती है। उदाहरणतः यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय १० वर्षों में २०० रुपये से ३०० रुपये हो जाय और वस्तुओं का मूल्य दुगुने हो जाएँ तो मौद्रिक आय तो डबोडो हो गयी परन्तु ३०० रुपये की वर्तमान आय के बरने अब सामान इतना मिलता है जितना १० वर्ष पूर्व १५० रुपये में मिलता था अतः वास्तविक आय में कमी आ गयी। स्वभावतः दो वर्षों की आय की तुलना करने में यह सावधानी रखना आवश्यक है कि वृद्धि वास्तविक है या नहीं।

(२) औसत आय और राष्ट्रीय आय—राष्ट्रीय आय के प्रायः दो प्रकार के अंक प्रकाशित किये जाते हैं—प्रथम, किसी देश की किसी वर्ष की कुल आय और दूसरे, उस देश की प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए कुल आय पर जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है। दो पृथक-पृथक देशों की आय में तुलना करते समय कुल आय के अंकों की तुलना करना उचित नहीं रहेगा, वास्तविक तुलना उन देशों की प्रति व्यक्ति आय (per capita income) के आधार पर करनी चाहिए क्योंकि कुल आय में वृद्धि होने पर भी यदि जनसंख्या आय के बढ़ने की गति से अधिक तीव्रतापूर्वक बढ़ी तो प्रति व्यक्ति का वास्तविक आय कम हो जाता है।

(३) मुद्रा की क्रय शक्ति में अन्तर—दो देशों की राष्ट्रीय (अथवा प्रति व्यक्ति) आय की तुलना करने समय एक अन्य बात का ध्यान रखना भी अत्यन्त आवश्यक है वह है उन दोनों देशों में मुद्रा की क्रय शक्तियों में अन्तर। यह सत्य है कि एक अमरीकी डॉ. औसत आय लगभग २४,००० रुपये और एक भारतीय की औसत आय वर्तमान मूल्यों पर ५४२ रुपये है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक अमरीकन के औसत साधन या जीवन स्तर एक औसत भारतीय से ४५ गुना श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि अमरीका में अनेक वस्तुएँ, विशेषतः सेवाएँ, भारत से बहुत महँगी हैं। अतः आय की तुलना करने समय दोनों देशों में वस्तु-मूल्यों की तुलना करना भी आवश्यक है।

(४) सामाजिक माप्यताएँ—भारत तथा अन्य अविभक्त देशों में प्रायः बहुत कम स्त्रियाँ नोकरों करती हैं परन्तु पाश्चात्य देशों, विशेषतः विकसित देशों में, स्त्रियों में नोकरों करने का सामान्य रिवाज है। अतः पाश्चात्य देशों में स्त्रियों द्वारा नोकरों में प्राप्त आय परिवार की कुल आय में सम्मिलित हो जाती है परन्तु अविभक्त देशों में स्त्रियों द्वारा घर में अग्रिम काम किया जाता है अतः राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता (क्योंकि उसे मुद्रा में नहीं मापा जाता)। इन देशों की पारम्परिक आय की तुलना करने समय इन तथ्यों का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है।

(५) आय का वितरण—कभी-कभी राष्ट्रीय आय की तुलना करने में एक और दोष पाया जाता है। अर्थात् से यह प्रतीत होता है कि दग की कुल तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ रही है परन्तु वास्तव में बड़ी हुई आय का अधिकांश भाग कुछ व्यक्तियों की जेबों में चला जाता है, अतः कुल तथा औसत आय का अर्थ तो अधिक ज्ञान होने है परन्तु समाज की अधिकांश जनसंख्या की आय कम होती जाती है। उदाहरणार्थ, भारत में राव नमिनि ने यह मत व्यक्त किया है कि देश में आय का साधनों के सङ्ग्रह (concentration) में वृद्धि हो रही है किन्तु कुल तथा औसत आय का अर्थ वृद्धि की ओर नकते करते हैं जो सब लोगो को दृष्टि से सही नहीं है।

उपरोक्त तथा न स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय सम्बन्धी निष्कर्ष निकालने में पर्याप्त सावधानी रगनी चाहिए नहीं तो परिणाम भ्रामक होन की आशंका है।

किन्ती भी देश की राष्ट्रीय आय प्रायः कई प्रकार में प्रकट की जाती है। मुख्य रीतियाँ निम्नलिखित हैं

(क) कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति (Gross National Product)—कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति देश में प्रयोग की जान वाली सब वस्तुओं का बाजार मूल्य होता है। वास्तव में फिमी भी वस्तु का उपयोग करन वा न वगं उभोक्ता, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक सस्थाएँ, विदेशी नागरिक तथा सरकार हैं। इन वर्गों को प्रयोग हेतु जिनका माल बचा जाता है उनके व्यय का सम्पूर्ण योग राष्ट्रीय उत्पत्ति कहलाती है।

कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति तथा राष्ट्रीय आय में अन्तर यह है कि कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति देश में सम्पूर्ण उत्पादन (जो वास्तव में उपयोग किया जाता है) का बाजार मूल्य होता है अर्थात् राष्ट्रीय आय शुद्ध उत्पादन होता है जिसका मूल्य माघन साधन द्वारा ज्ञात किया जाता है। वास्तव में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति में मात्र बेचने पर जिग गरा व्यय तथा उत्पादन एव मध्यकों का साध भी सम्मिलित होता है, जो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता है।

(ख) शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति (Net National Product)—जब कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति में से हानि (depreciation) तथा मशीनों आदि के बीतरान (out of date of obsolescence) का मूल्य निकाल दिया जाता है तो इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति कहा जाता है।

(ग) मौद्रिक तथा वास्तविक आय (Money and Real Income) तथा व्यक्तिगत एव राष्ट्रीय आय का विवरण इसमें पूर्ण दिया जा चुका है।

### भारत की राष्ट्रीय आय

#### (NATIONAL INCOME OF INDIA)

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति में पूर्व राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधि चेट्टा नहीं की गयी। समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों ने निम्नी रूप में राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुमान लगाने की चेट्टा की। स्वभावतः यह अनुमान न्यून तथ्यों पर आधारित थे क्योंकि भारत में सांख्यिकी संगठन का सर्वथा अभाव था। इनके अनिश्चित राष्ट्रीय आय ज्ञान करने की रीतियों का विकास भी यथोचित रूप में नहीं हुआ था, अतः बहुत कम व्यक्तियों ने भारत की राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की दिशा में रुचि दिखाई।

व्यक्तिगत प्रायः अनुमान—भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक 'Poverty and British Rule in India' में किया। उनके अनुसार भारत की प्रति धरति आय २० रुपये दापित थी। तत्पश्चात् मध्य-मध्य पर अन्य व्यक्तियों ने भी भारत की राष्ट्रीय आय सम्बन्धी जक प्रस्तुत किये जिनका व्योरा जललिखित है :

भारत की राष्ट्रीय आय

(रुपयों में)

अनुमानकर्ता	वर्ष	प्रति व्यक्ति वार्षिक आय
१ दादा भाई नौरोजी	१८६७-८८	२०
२ क्रोमर तथा वारवर	१८८१	२७
३ विलियम डिग्बी	१८९९	१८'५६
	१९००	१७'२५
४ सार्ड कर्जन	१९००	३०
५ फिण्टले शिराज	१९११	८०
६ वाडिया और जोशी	१९१४	४४ ३४
७ शाह तथा खम्मट	१९००-१९१४	३६
	१९१४-१९२२	५८ ५०
	१९००-१९२२	४४ ५०
८ फिण्डले शिराज	१९२२	११६
९ डॉ० बी० के० आर० बी० राव	१९३१-३२	६५
	१९४२-४३	११४

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय आय के एक ही वर्ष सम्बन्धी अनुमानों में भी अन्तर है। कहीं-कहीं तो यह अन्तर अत्यधिक है। इसका कारण है कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने में विभिन्न रीतियों का प्रयोग किया गया। इन सभी अनुमानकर्ताओं द्वारा की गयी सगणना अत्यन्त दोषपूर्ण एवं न्यून तथ्यों पर आधारित रही है, अतः ये अर्क सर्वथा तुलना योग्य नहीं हैं।

**राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee)**—भारत के स्वतन्त्र होते ही सरकार ने भारत की राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की व्यवस्था करने का निश्चय किया। अतः ४ अगस्त, १९४६ को बनकटा स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (Indian Statistical Institute) के प्रो० गणेशचन्द्र महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष गोपले स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रो० डी० आर० गाडगिल तथा दिल्ली के प्रो० बी० के० आर० बी० राव मनोनीत किये गये। इस समिति को सलाह देने के लिए पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के प्रो० साइमन कुजनेटम, केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो० रिचर्ड्स्टोन तथा राष्ट्र संघ लेखा कार्यालय के डॉ० डंकमन की सेवाएँ उपलब्ध की गयीं।

राष्ट्रीय आय समिति के निम्नलिखित कार्य निश्चिन किये गये थे

- (क) राष्ट्रीय आय तथा सम्बन्धित तथ्यों पर एक रिपोर्ट तैयार करना।
- (ख) उपलब्ध आँकड़ों में सुधार व अन्वेषण के सप्रह सम्बन्धी सुझाव देना।
- (ग) राष्ट्रीय आय सम्बन्धी शोध को प्रोत्साहन देना।

राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए वित्त मन्त्रालय में एक राष्ट्रीय आय इकाई की स्थापना की गयी। आय समिति को इकाई का मार्गदर्शन करने का काम भी सौंपा गया।

राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट १५ अप्रैल, १९५१ को तथा अन्तिम रिपोर्ट १४ फरवरी, १९५४ को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में १९४८-४९ सम्बन्धी अंक दिये गये थे जिनका माराम अद्य प्रकार है



भारत की राष्ट्रीय आय—औद्योगिक उत्पादन के अनुसार

(अरब रुपये में)

वर्ष	शुद्ध उत्पादन	
	प्रथम रिपोर्टें	अन्तिम रिपोर्टें
(क) कृषि	४१५	४२५
(ख) खनन, निर्माण तथा हस्त-कौशल	१५०	१४८
(ग) वाणिज्य, परिवहन तथा सवादावहन	१७०	१६०
(घ) अन्य सेवाएँ	१३८	१३४
शुद्ध आन्तरिक उत्पादन		
(साधन लागत के आधार पर)	८७३	८६७
विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय	—०२	—०२
राष्ट्रीय आय	८७१	८६५

प्रथम तथा अन्तिम रिपोर्टों के आँकड़ों में अन्तर के दो मुख्य कारण हैं

(१) प्रारम्भिक रिपोर्टें प्राप्त होने के पश्चात् १९५१ की जनगणना में कुछ नये आँकड़े उपलब्ध हो गये जिनका दायोक्ति रूप में प्रयोग कर लिया गया।

(२) प्रथम रिपोर्टें प्रकाशित होने के पश्चात् कुछ मान्यताओं में परिवर्तन कर दिया गया।

राष्ट्रीय आय समिति द्वारा प्रयुक्त रीति—राष्ट्रीय आय समिति द्वारा उत्पादन सगणना रीति तथा आय सगणना रीति दोनों का प्रयोग किया गया। पशु-धन तथा वनसंरक्षित, सनित्र सम्पत्ति एवं उद्योग से प्राप्त आय का अनुमान उत्पादन सगणना रीति के अनुसार, तथा आय सगणना रीति का प्रयोग वाणिज्य परिवहन, स्वतन्त्र कलाओं तथा सेवाओं से प्राप्त आय ज्ञात करन के लिए किया गया। समिति को कुल आय ज्ञात करने के लिए अनेक क्षेत्रों में अनुमानों का सहारा लेना पड़ा क्योंकि उन क्षेत्रों सम्बन्धी आँकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। इस दृष्टि में इन अंकों की शुद्धता बहुत विश्वसनीय नहीं कही जा सकती।

योजनाकाल में राष्ट्रीय आय की प्रगति

भारत की राष्ट्रीय आय में गत वर्षों में निम्नलिखित वृद्धि हुई है -

भारत की राष्ट्रीय आय<sup>१</sup>

वर्ष	शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (अरब रुपये में)		प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पादन (रुपये में)	
	चालू मूल्यां पर	१९४८-४९ के मूल्यां पर	चालू मूल्यां पर	१९४८-४९ के मूल्यां पर
१९५०-५१	९५३	८८५	२६६५	२४७५
१९५५-५६	९९८	१०४८	२५५०	२६७८
१९६०-६१	१४१४	१२७३	३२५७	२९३२
१९६५-६६	२०३४	१४६६	४१८८	३०१८
१९६८-६९	२७९३	१६९१	५४२३	३२३३

<sup>१</sup> इस तालिका के अंक १९७०-७१ की आर्थिक समीक्षा (Economic Survey) से लिए गये हैं। सम्बोधित होने के कारण यह अंक इससे पूर्व दिये गये अंकों से कुछ भिन्न हैं। अधिकतम होने के कारण इन अंकों को ही अधिक विश्वसनीय माना जाना चाहिए।

कुछ समय पूर्व ही भारतीय सांख्यिकीय समूहने ने भारत की राष्ट्रीय आय को चालू मूल्यों तथा १९४८-४९ के ग्यारह पर १९६०-६१ के मूल्यों पर घोषित करना आरम्भ कर दिया है। तदनुसार भारत की राष्ट्रीय आय निम्न प्रकार है :

१९६०-६१ के मूल्यों पर भारत की राष्ट्रीय आय<sup>१</sup>

वर्ष	शुद्ध राष्ट्रीय आय (अरब रुपये में)		प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय (रुपये में)	
	चालू मूल्यों पर	१९६०-६१ के मूल्यों पर	चालू मूल्यों पर	१९६०-६१ के मूल्यों पर
१९६०-६१	१३३	१३३	३०६	३०६
१९६५-६६	२०६	१५०	४२६	३१०
१९६९-७०	३१२	१८०	५८९	३३९

उपर्युक्त तालिकाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं

(१) कुल वृद्धि — चालू मूल्यों पर योजनाकाल में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में लगभग १०२ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वास्तविक आय में वृद्धि की प्रतिशत केवल ३० है। इसमें स्पष्ट है कि बढ़ती हुई आय का बहुत बड़ा अंश मुद्रा स्फीति द्वारा आरम्भित कर लिया गया है।

(२) योजना वार वृद्धि — यदि योजना का अनुसार वृद्धि देखी जाय तो प्रथम योजनाकाल में वास्तविक वृद्धि २५ प्रतिशत द्वितीय योजनाकाल में ४० प्रतिशत तृतीय योजनाकाल में २९ प्रतिशत तथा बाद के वर्षों में लगभग ३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(३) १९६०-६१ के मूल्यों पर १९६०-६१ से १९६९-७० तक प्रति व्यक्ति आय में शुद्ध वृद्धि केवल १५ प्रतिशत हुई है। उद्योग भी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या और मुद्रा स्फीति के भीषण प्रकोप का पता चलता है।

व्यवसाय के अनुसार राष्ट्रीय आय — भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका अनुमान हम बात से लगता है कि कुल राष्ट्रीय आय में ४५ में ५१ प्रतिशत भाग कृषि उद्योग का रहा है। कृषि तथा अन्य उद्योगों का राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित योगदान रहा है

राष्ट्रीय आय के स्रोत<sup>१</sup>

(कुल आय के प्रतिशत में)

वर्ग	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६९-७०
१ कृषि आदि	४९०	४७९	४६४	४४१
२ खनन निर्माण	१६७	१६८	१६६	२३२
३ वाणिज्य, परिवहन	१८८	१८८	१९३	१६०
४ अन्य सेवाएँ	१५५	१६५	१७७	१६७

उपर्युक्त तालिका में स्पष्ट से है कि प्रथम दो योजनाओं के अन्तर्गत तो राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान प्रायः स्थिर रहा है परन्तु तृतीय योजनाकाल तथा बाद के वर्षों में वह कम हो गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि गत दो तीन वर्षों में कृषि फसले अच्छी हुई हैं किन्तु अन्य क्षेत्रों के उत्पादन विशेषकर खनन तथा उद्योगों में विशेष वृद्धि हुई है।

<sup>१</sup> यह आँकड़ा आर्थिक समीक्षा (Economic Survey) १९७०-७१ में निरूपित है। यही अधुनातन एवं अधिकृत आँकड़ा है। यह आँकड़ा १९६०-६१ के मूल्यों पर आसक्ति है।

क्या भारत की राष्ट्रीय आय कम है ?—इस अध्याय के आरम्भ में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय (अर्थात् प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय) उसकी सामान्य प्रगति अथवा विकास की सूचक है। इस दृष्टि से देखा जाय तो भारत की प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। इसका अनुमान विभिन्न बैंक व अन्य प्रकाशन में दिए गये अंकों में लग सकता है जो निम्नलिखित हैं

प्रति व्यक्ति वार्षिक आय<sup>1</sup>

(अमरीकी डालरों में)

देश	आय	देश	आय
१ अमरीका	३-८०	७ मियुन अरब गणराज्य	१५०
२ आस्ट्रेलिया	१-७०	८ श्रीलंका	१८०
३ फ्रान्स	१-६०	९ पाकिस्तान	८५
४ जर्मनी	१,५५०	१०. नाइजीरिया	८०
५ जपान	७६०	११ बर्मा	६५
६ रूस	०३०	१२ भारत	८०

उपरोक्त माहिती से स्पष्ट है कि भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय केवल ८० डालर अर्थात् लगभग ११६ पैस प्रतिदिन है। इसमें घनी-वस्त्रियाँ की आय भी सम्मिलित है। इस दृष्टि से अफ्रीका जतना ही वार्षिक आय निश्चित हो सके कम है, जिसके अनुमान १६ पैस प्रतिदिन से ८८ पैस प्रतिदिन के मध्य लगाए गये हैं। यह स्थिति वास्तव में अत्यन्त गम्भीर है जिसकी ओर सरकार का ध्यान आवश्यक रूप में जाना चाहिए।

भारत की राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

भारत की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आते हैं जिनका महत्त्वपूर्ण स्थान निम्न प्रकार है

(१) अमान्योपजनक—भारत की प्रति व्यक्ति आय ५८० रुपये है जो अत्यन्त अपर है क्योंकि इसी रकम में एक व्यक्ति केवल भोजन की न्यूनतम आवश्यकताएँ ही पूरी कर सकता है। फलतः भारत समाज के निर्जनतम देशों की श्रेणी में आता है। इस निर्जनता का हीन अवस्था के निम्नलिखित कारण हैं

- (क) दल में उत्पादन का स्तर निम्न है।
- (ख) श्रमिका तथा शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी फैली हुई है।
- (ग) भारत सरकार की आर्थिक नीतियाँ अल्पव्यय एवं अयावहारिक रही हैं, अतः कुछ व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन का अभाव रहा है।

(२) कृषि का प्रभुत्व—यह एक विचित्र विरोधाभास है कि भारतीय कृषि अत्यन्त पिछड़ी देशों में होने हुए भी राष्ट्रीय आय में सभ्य महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। उदाहरण १९५०-५१ में भारत की कुल राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग ४६ प्रतिशत था जबकि वह १९६६-७० में घटकर ४६ प्रतिशत रह गया। यह तभी बहुत विचारणीय नहीं है। खेती की इस प्रभुता के कारण ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि की गति बहुत धीमी और स्थिर है क्योंकि भारतीय कृषि प्रायः प्राकृतिक तत्त्वों के बल में रहती है।

(३) क्षेत्रीय विभेद—भारत की राष्ट्रीय आय बहुत कम है किन्तु यह तभी सब क्षेत्रों में समान नहीं है। औद्योगिक तथा नागरिक क्षेत्रों में प्रायः आय अधिक है तथा ग्रामीण क्षेत्र एवं

<sup>1</sup> विश्व बैंक के एक प्रकाशन के आधार पर (१९६८) यह आय अनुमान के पूर्व के अंकों पर आधारित है।

कृषि प्रदेशों में आय कम है। विभिन्न राज्यों की अलग अलग आय से इस कथन की सत्यता प्रकट हो जायेगी।

भारतीय राज्यों में आय का अनुमान<sup>1</sup>

राज्य	गुद्ध उत्पत्ति (करोड़ रुपये में)	प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)
१ दिल्ली	२३२	८७१ ६
२ महाराष्ट्र	१,८५३	४६८ ५
३ पश्चिमी बंगाल	१,६२३	३६४ ६
४ पंजाब	६१७	४५१ ३
५ गुजरात	८१२	३६३ ४
६ तमिलनाडु	१,१२५	३३४ १
७ आसाम	३६६	३३३ ३
८ त्रिपुरा	३८	३२६ ६
९ हिमाचल प्रदेश	४२	३२८ ४
१० केरल	५३२	३१४ ६
११ मैसूर	७१६	३०४ ७
१२ उत्तर प्रदेश	४,१६३	२६७ ४
१३ जम्मू एव काश्मीर	१०३	२८६*०
१४ आन्ध्र प्रदेश	१,०६३	२८७ ०
१५ मध्य प्रदेश	६२४	२८५ ४
१६ उड़ीसा	४८६	२७६ २
१७ राजस्थान	५३६	२६७*४
१८ बिहार	१,०२५	२२० ७

उपर्युक्त अंक १९६०-६१ से सम्बन्धित हैं। आर्थिक परिपद के दूर अनुमानों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ३३३४ रुपये आंकी गयी है। भारतीय सांख्यिकीय संगठन के अनुमानों के अनुसार इस वर्ष की प्रति व्यक्ति आय ३२५७ रुपये थी। परिपद के तत्कालीन महामन्त्री डॉ० लोक्नाथ का दावा है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन की तुलना में आर्थिक परिपद के अनुमान अधिक सही एवं विश्वसनीय हैं। यदि यह मान लिया जाय तो ज्ञात होगा कि आसाम और तमिलनाडु राज्यों में प्रति व्यक्ति आय देश की औसत के तुल्य है जबकि १२ राज्यों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत में कम है। केवल चार राज्यों (गुजरात पंजाब, पश्चिमी बंगाल तथा महाराष्ट्र) में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है। दिल्ली के सम्बन्ध में परिपद की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'दिल्ली एक नगर राज्य (city state) है और भारत की राजधानी है। अतः इसमें नियोजित कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी तुलना अन्य कोई राज्य नहीं कर सकता।

उपर्युक्त आंकड़ों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कृषि प्रधान क्षेत्रों तथा अधिक ग्रामीण जनसङ्ख्या वाले भागों में प्रति व्यक्ति आय कम तथा उद्योग प्रधान एवं नागरिक क्षेत्रों में अधिक है। बिहार, राजस्थान, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में आय कम होने का एक कारण सम्भवतः यह है कि ये राज्य अन्य राज्यों से सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं।

<sup>1</sup> National Council of Applied Economic Research द्वारा प्रकाशित।

(४) नगरों में सकेन्द्रण—राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक शोध परिषद (N.C.A.E.R.) ने एक और सर्वेक्षण (All-India Rural Household Survey) के परिणाम प्रकाशित किये हैं जिसमें परिषद द्वारा देश भर में कुल ८,६५५ परिवारों का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है। इसके अनुसार १९६२ में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय २४७ रुपये थी। इसी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय ४८९ रुपये आंकी गयी। इसका अर्थ यह है कि नागरिक क्षेत्रों में आय का स्तर ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग दुगना है। परिषद ने इस तथ्य को इस प्रकार कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक क्षेत्रों से दुगनी गरीबी है। दूसरा निष्कर्ष यह निकाला गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की दर नागरिक क्षेत्रों से बहुत कम है। स्वभावतः दूसरा निष्कर्ष पहले पर आधारित है क्योंकि कम आय के कारण बचत भी कम है।

### राष्ट्रीय आय का वितरण

भारत में आर्थिक नियोजन द्वारा एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का सकल किया गया है और सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि एक ओर तो सम्पूर्ण समाज की आय में वृद्धि हो, दूसरी ओर विभिन्न वर्गों में व्याप्त आर्थिक विषमता में निरन्तर कमी आनी चाहिए ताकि अमीर-गरीब के भेद धीरे-धीरे दूर हो जायें। इस लक्ष्य के उद्घरण में यह देखना भी अत्यन्त आवश्यक है कि गत वर्षों की प्रगति के परिणामस्वरूप आर्थिक विषमता में कुछ कमी आयी है अथवा नहीं। सम्भवतः इसी दृष्टि से सितम्बर १९६० में भारतीय लोकसभा में कुछ सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि भारत में योजनाकाल में आर्थिक विषमता कम होने के स्थान पर बड़ी है। इन सदस्यों को सन्तुष्ट करने तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए १३ अक्टूबर, १९६० को एक समिति नियुक्त की गयी जिसके अध्यक्ष प्रो० महालनोबिस हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट का पहला भाग फरवरी १९६४ में प्रस्तुत कर दिया।

आय वितरण तथा निर्वाह-स्तर समिति (The Committee on Distribution of Income and Levels of Living)—महालनोबिस समिति का नाम 'आय वितरण तथा निर्वाह-स्तर समिति' रखा गया था। यह समिति योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गयी तथा इसके निम्नलिखित कार्य निश्चित किये गये :

- (१) प्रथम तथा द्वितीय योजनाकाल में जीवन निर्वाह-स्तर सम्बन्धी परिवर्तन की समीक्षा (review) करना,
- (२) गत वर्षों में आय तथा सम्पत्ति के वितरण का अध्ययन करना, तथा
- (३) यह निश्चय करना कि सम्पत्ति तथा उत्पत्ति साधनों का किस सीमा तक सकेन्द्रण (concentration) हुआ है।

समिति की प्रथम रिपोर्ट : निष्कर्ष—समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत किया है। आय वितरण के सम्बन्ध में समिति का मत बहुत कुछ अनिश्चित है, परन्तु उसने जो विचार व्यक्त किये हैं उनका कारण निम्नलिखित है :

(१) बड़ी कम्पनियों को प्रोत्साहन—समिति का मत है कि योजनाकाल में बड़ी बड़ी कम्पनियों की प्रगति में वृद्धि हुई है।

(२) आर्थिक शक्ति एवं नियन्त्रण का सकेन्द्रण—समिति का कथन है कि यद्यपि बड़ी कम्पनियों की स्थापना से सकेन्द्रण होना आवश्यक नहीं है परन्तु भारत में इससे आर्थिक शक्ति एवं नियन्त्रण कुछ व्यक्तियों के हाथों में आने की प्रवृत्ति रही है जिससे सत्ता का सकेन्द्रण बढ़ा है।

(३) बैंकों में सकेन्द्रण—समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि भारतीय बैंकों में आर्थिक शक्ति का सकेन्द्रण है तथा बैंकों की साख से मुख्यतः बड़े और मध्यम आकार के उद्योगों को ही लाभ पहुंचा है।

(५) औद्योगिक एकाधिकार—समिति ने औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते हुए एकाधिकारों की ओर संकेत किया है। यह एकाधिकार इस रूप में है कि कुछ बगों का उद्योगों की शृङ्खलाओं पर नियन्त्रण है।

(५) करो की चोरी और सकेन्द्रण—समिति का यह मत है कि कर प्रणाली में अनेक परिवर्तन करने पर भी भारत में आय का सकेन्द्रण वांछित सीमा से अधिक है। इसका एक कारण यह भी है कि लोग करो की व्यापक चोरी करते हैं।

(६) कृषि भूमि के स्वामित्व में सकेन्द्रण—समिति के मतानुसार कृषि भूमि के स्वामित्व में भी सकेन्द्रण बहुत बढ़ गया है क्योंकि १ प्रतिशत जनता के पास लगभग १६ प्रतिशत भूमि है, उच्चतम ५ प्रतिशत व्यक्ति ४० प्रतिशत भूमि के मालिक है और उच्चतम १० प्रतिशत व्यक्तियों के पास कुल भूमि का ५६ प्रतिशत भाग है। नीचे के २० प्रतिशत व्यक्ति सर्वथा भूमिहीन हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त समिति ने सम्पत्ती क्षेत्र (corporate sector), समाचार पत्र, बैंक आदि क्षेत्रों में भी आर्थिक शक्ति का सकेन्द्रण बतलाया है। एक समाजवादी समाज का लक्ष्य रखने वाले देश के लिए स्वभावतः यह स्थिति असन्तोषजनक कही जायगी।

निष्कर्ष—उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि (१) भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की क्रियाएँ कठिन एवं दोषपूर्ण हैं, (२) भारत की राष्ट्रीय आय बहुत कम है और देश के अधिकांश नागरिक केवल निर्वाह-स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं, तथा (३) एक समाजवादी समाज के लिए अयोजन करने पर भी देश में आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण होना जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि देश की आर्थिक नीति में कहीं कुछ कमी है। मरवार को राष्ट्रीय आय में वृद्धि के प्रयत्नों के साथ साथ आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण को रोकना वा पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए अन्यथा समाजवादी समाज की धारणा एक वास्तविक पिढ्ढान्त मात्र रह जायगी, जो देश में प्रजातन्त्र के लिए घातक सिद्ध हो सकती है।

### प्रश्न

१. राष्ट्रीय आय के अनुमानों के प्रमुख उपयोग क्या हैं। भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। (दिल्ली बी० ए०, १९६९)
२. भारत की राष्ट्रीय आय इतनी कम क्यों है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

## भारतीय कृषि का महत्त्व एवं समस्याएँ

### (IMPORTANCE AND PROBLEMS OF INDIAN AGRICULTURE)

*"In India we have our depressed classes, we have, too, our depressed industries and agriculture, unfortunately, is one of them"*  
—Clouston

#### भारत में कृषि का महत्त्व

भारत की अर्थ-व्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस बात की निम्न-लिखित तथ्यों से पुष्टि की जा सकती है :

(१) सर्वाधिक रोजगार—कृषि उद्योग भारत की अग्रिम जनता को रोजगार प्रदान करता है। न केवल ३० प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं बल्कि बहुत से लोग कृषि पदार्थों से व्यवसाय कर अपनी आजीविका कमाते हैं। उनके अतिरिक्त परिवहन कर्मियों को कृषि पदार्थ (खाद्यान्न, वस्त्र, चूट, गन्ना, निमहन आदि) का स्थान से दूरसे स्थान पर ले जाने में संश्लेष आय होती है। इस प्रकार भारतीय कृषि देश के निवासियों के लिए जीवन-निर्वाह का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है।

(२) खाद्यान्न एवं कच्चा माल—भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं के लगभग ६०-६५ प्रतिशत की पूर्ति भारतीय कृषि द्वारा ही की जाती है, शेष की पूर्ति विदेशों से आयात द्वारा कर ली जाती है। इनके अतिरिक्त चीनी, वस्त्र, पटसन, तेल आदि उद्योग प्रायः पूरी तरह भारतीय कृषि उत्पादन पर निर्भर करते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता को पूर्ति मुख्यतः घरेलू उत्पादन द्वारा ही होती है। कुछ लम्बे देर की गई तथा पटसन की कमी रहती है जो विदेशों से प्राप्त की जाती है।

(३) राष्ट्रीय आय—भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि उद्योग का सर्वाधिक योगदान है। इसका अनुमान इस बात से लगता है कि भारत की कुल आय में कृषि उत्पादन का योगदान ५० प्रतिशत के आस-पास है। निम्नलिखित सारणी द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि-उत्पादन के अंग का पता लगता है।

भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि-उत्पादन का भाग (१९४८-४९ के दूनों पर)

(प्रतिशत)

वर्ष	१९४८-४९	१९५५-५६	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६८-६९
कृषि का भाग	६२.१	५३.९	४८.१	३८.८	४०.०

इस स्पष्टता से यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि भारत की ३० प्रतिशत जनता को रोजगार देने वाली भारतीय कृषि देश के सभी लोगों को संश्लेष आय देने में समर्थ नहीं है। इनके विपरीत,

अमरीका में केवल ६ प्रतिशत ध्यक्ति कृषि व्यवसाय पर निर्भर हैं किन्तु वहाँ को कृषि देश की आवश्यकता से दुगुना खाद्यान्न उत्पन्न करनी है।

(४) सरकारी बजट— भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून यथासमय एवं यथेष्ट मात्रा में आ जाता है तो कृषि उत्पादन भी ठीक हो जाता है जिससे देश में खाद्यान्नों की आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाती है और उद्योगों को भी यथेष्ट कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार अपनी कर-व्यवस्था को तदनुसार ही निश्चिन कर सकती है। भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बजट ऐसे समय (मार्च मास में) ही प्रस्तुत किये जाते हैं जबकि मुख्य फसलों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सरकार को पूरी जानकारी हो जाती है। एक कृषि-प्रधान देश में सरकार की कर बख्खा श्रृण नीति का वहाँ की कृषि सम्पन्नता पर निर्भर करना स्वाभाविक है।

(५) व्यापार—प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाकाल में भारत के कुल निर्यात व्यापार में कृषि वस्तुओं का प्रतिशत भाग क्रमशः ४१, ४२ तथा ४३ प्रतिशत रहा। यह स्मरणीय है कि भारत कृषि-वस्तुओं के निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक करता है। सन् १९५०-५१ के पञ्चात् सन् १९६६-७० में प्रथम बार कृषि-वस्तुओं के निर्यात उनके आयात से अधिक थे।

जकेली चाय के निर्यात से ही भारत की वार्षिक आय लगभग २५० करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त भारत रई, फल, तम्बाकू, कच्चा आदि भी निर्यात करता है जिनसे ७०-८० करोड़ रुपये वार्षिक की अतिरिक्त आय हो जाती है। इस प्रकार भारत को कृषि पदार्थों से प्रति वर्ष ३५० करोड़ रुपये के लगभग विदेशी विनिमय की आय होती है जिसका अधिकांश भाग मशीनें तथा अन्य निर्मित माल मँगाने के लिए व्यय कर दिया जाता है।

इन तथ्यों से स्पष्ट होना है कि भारतीय कृषि देश के अन्तर्देशीय तथा विदेशी व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग एवं जनता के आर्थिक जीवन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।

### भारतीय कृषि की समस्याएँ

#### (PROBLEMS OF INDIAN AGRICULTURE)

भारत कृषि प्रधान देश है, परन्तु कृषि की दशा शोचनीय है। कृषि-उत्पादन में वृद्धि, जनसंख्या-वृद्धि से कम होती है अतः देश के समक्ष खाद्य-समस्या जटिल रूप धारण करती जा रही है। भारतीय कृषि अब भी परम्परावादी है। भारतीय किसान खेती व्यवसाय के रूप में नहीं करता है बल्कि जीविकोपार्जन के लिए करता है। कृषि की पुरानी एवं परम्परागत विधियों, पूँजी की कमी, भूमि-नुधार की अपूर्णता, विपणन एवं वित्त सम्बन्धी कठिनाइयों आदि के कारण भारतीय कृषि की उत्पादकता अत्यन्त न्यून है।

एक अर्द्ध-विकसित देश के विकास में कृषि का महत्त्वपूर्ण हाथ होता है। आर्थिक विकास के लिए कृषि का मजबूत आधार आवश्यक है। अर्द्ध विकसित देश में कृषि को तीन प्रकार की महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ती है। प्रथम, देश की जनसंख्या विशेषकर औद्योगीकरण की प्रकृति के कारण निरन्तर बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या की खाद्य-आवश्यकताओं की पूर्ति करना। द्वितीय, अग्र क्षेत्रों के विकास के लिए पूँजी उपलब्ध करना। तृतीय, उद्योगों के लिए आवश्यक मात्रा में कच्चा माल पैदा करना तथा कृषि पदार्थों के निर्यात में वृद्धि कर देश के आर्थिक विकास के लिए विदेशी विनिमय सुनिश्च करना। इन सभी दृष्टियों से भारतीय कृषि देश की आवश्यकताओं को पूरि करने में असमर्थ रही है।

भारतीय कृषि की उपर्युक्त असमर्थता का प्रमुख कारण वे समस्याएँ तथा व्याधियाँ हैं, जिनमें भारतीय कृषि क्षताब्धियों में पीड़ित है। अतः यहाँ पर हम भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। वर्तमान समय में भारतीय कृषि की निम्नलिखित समस्याएँ हैं।

(१) भूमि पर जनसंख्या का निरन्तर बढ़ता दबाव।



- (२) भूमि पर असन्तुलित वितरण ।
- (३) कृषि उत्पादकता या प्रति एकड़ उत्पादन का कम होना ।
- (४) कृषि का यन्त्रीकरण ।
- (५) निवारण की समस्या ।
- (६) कृषि विना ।
- (७) कृषि श्रमिक ।
- (८) कृषि पदायी का विरह ।
- (९) भूमि-सुधार ।
- (१०) कृषि-सुख आदि ।

अगले अध्यायों में इन समस्याओं का विस्तार अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इन अध्याय में हम मुख्यतः कृषि उत्पादकता तथा कृषि के यन्त्रीकरण पर प्रकाश डालेंगे।

### १. भूमि पर जनसंख्या का निरन्तर बढ़ता हुआ भार (Ever increasing Pressure of Population on Land)

भारत में जनसंख्या तीव्र गति में बढ़ रही है जो भूमि पर जनसंख्या का भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि का औसत कम होता जा रहा है। इसका अनुमान निम्न सारणी में लगाया जा सकता है।

भारत में प्रति-व्यक्ति भूमि का औसत

(एकड़ में)

वर्ष	प्रति व्यक्ति भूमि	प्रति व्यक्ति प्रयोग योग्य भूमि
१९०१	०.८	२.१
१९५१	०.७	१.८
१९६१	१.८	१.१
१९७१	१.८	०.६

सन् १९६१ में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि का औसत ०.८ एकड़ मात्र था। सन् १९७१ में यह औसत घटकर ०.६ एकड़ मात्र रह गया है। भारत में कृषि योग्य अधिकतर भूमि पर कृषि की जा रही है। भारत में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की सम्भावना बहुत कम देखे रह गयी है क्योंकि अधिकांश भूमि खेतों के अन्तर्गत ली जा चुकी है। अतः भारत में अब विस्तृत खेती (extensive agriculture) की सम्भावनाएँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अब केवल गहन खेती (intensive agriculture) द्वारा ही कृषि को देगा में सुधार किया जा सकता है।

### (२) भूमि का असन्तुलित वितरण (Unbalanced Land Distribution)

एक ओर जनसंख्या का भार भूमि पर बढ़ता जा रहा है, प्रति व्यक्ति योग्य भूमि कम होती जा रही है, दूसरी ओर कृषि भूमि का वितरण अत्यन्त असन्तुलित है। भूमि सुधार की देगा में प्रयत्नों के होते हुए भी आज केवल एक प्रतिशत (१%) किसानों के पास कुल भूमि का बीस प्रतिशत भाग है। देगा में १०% किसानों के पास समस्त कृषि का ५०% है। उस प्रकार देगा के ८६% किसानों के पास कुल कृषि भूमि का केवल ३०% है।

### (३) कृषि की न्यून उत्पादकता (Low Agricultural Productivity)

भारतीय कृषि की सर्वप्रमुख समस्या है 'कृषि की न्यून उत्पादकता'। वस्तुतः 'न्यून उत्पादकता' भारतीय कृषि की समस्त समस्याओं की जड़ है। समार में ऐसे अन्य देगा भी हैं जहाँ उपर्युक्त दोनों समस्याएँ—भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि तथा भूमि का असन्तुलित वितरण—

पायी जाती हैं। परन्तु उन देशों में कृषि की उत्पादकता भारत की तुलना में अधिक है। कृषि की गहन प्रणालियों तथा उन्नत विधियों का प्रयोग कर उन देशों में कृषि उत्पादकता में सराहनीय वृद्धि की है। जापान, ब्रिटेन, इटली आदि में प्रति व्यक्ति भूमि का औसत भारत से भी कम है, परन्तु इन देशों में कृषि की उत्पादकता भारत की तुलना में बहुत अधिक है।

जापान में प्रति व्यक्ति भूमि अन्य देशों से बहुत कम है जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। इसी प्रकार जर्मनी, इटली इंग्लैण्ड तथा पाकिस्तान में भी भारत की तुलना में भूमि कम है परन्तु यह देश कम भूमि में अधिक उत्पादन कर अपनी अर्थ व्यवस्था को सम्पन्न बनाने में समर्थ हुए हैं। भारत को इन देशों से पाठ लेने की आवश्यकता है।

भारतीय कृषि की एक प्रमुख समस्या यह है कि इन देशों में प्रायः सभी फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है

प्रति एकड़ उत्पादन (पोण्डो में)

	अमरीका	आस्ट्रेलिया	चीन	जापान	मिछ	इटली	भारत
गेहूँ	६६०	६४५	६०६	२,०१५	३,०६८	१,३५६	७५१
चावल	३,५२४	५,२१६	२,२२१	४,२६०	३,८६८	४,२८१	६००
मक्का	१,११३	१,६६५	१,२०४	१,०८८	१,६५३	२,०७०	८१५
गन्ना	३८,५२८	४२,२१२	—	—	—	—	३६,२००
बपास	४६१	—	५६१	—	—	—	६५

उपरोक्त तथ्य एक गम्भीर स्थिति की ओर संकेत करते हैं कि भारत के पास जितनी भी भूमि है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि चीन, जापान तथा मिछ में भी प्रत्येक वस्तु का उत्पादन भारत से कई गुना अधिक है। स्पष्ट है कि यदि भारत वर्तमान उत्पादन में केवल १०-१५ प्रतिशत की वृद्धि कर सके तो उसकी न केवल खाद्य समस्या सदा के लिए हल हो जायेगी बल्कि वह घरेलू चीनी, बपास तथा अन्य वस्तुएँ निर्यात कर विदेशी विनिमय कमा सकेगा जिसकी आयात से हम विदेशों से आवश्यक मशीनें तथा अन्य औद्योगिक सामान आयात कर सकते हैं।

चेस्टर बोलिन के कथनानुसार जापान में केवल ८२ लाख एकड़ भूमि में चावल उत्पन्न किया जाता है किन्तु वह इसी भूमि में प्रति एकड़ लगभग ४,५०० पींड चावल उत्पन्न कर अपनी १० करोड़ जनसंख्या की आवश्यकता पूरी कर लेता है। यह निश्चय ही गौरव की बात है। इसके विपरीत, भारत लगभग ८६ करोड़ एकड़ भूमि में चावल की खेती कर लगभग ३५ करोड़ (चावल खाने वाली) जनसंख्या के लिए आवश्यक उत्पात्ति कर सक्ने में समर्थ नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं कष्टदायक तथ्य है।

भारत में प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि की गति बहुत धीमी रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में भूमि की उत्पादकता वस्तुतः घटती रही है। यहाँ तक कि सन् १९४६-५० की अवधि में औसत उत्पादन प्रति एकड़ ५६५ पींड मात्र था, जबकि सन् १९३६ के पूर्व प्रति एकड़ औसत उत्पादन ६१६ पींड था। अब से भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ प्रारम्भ की गयीं (सन् १९५१) तब से कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। सन् १९५१-६६ की अवधि में कृषि-उत्पादकता में २७% वृद्धि हुई। कृषि मन्त्रालय ने अनुमान के अनुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में, भारतीय कृषि की उत्पादकता में औसत रूप में २०% वार्षिक वृद्धि हुई (अनि वृष्टि, अनावृष्टि आदि से सम्बन्धित अज्ञातमाय वर्षों को छोड़कर)। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि व्यवस्थित तथा नियोजित ढंग में प्रयत्न किया जाय तो भारतीय कृषि की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। उत्पादकता वृद्धि के लिए उन दोषों को दूर करना तथा उन समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है, जिनसे भारतीय कृषि पीड़ित है।

प्रति एकड़ कम उत्पादन के कारण (Causes of Low Productivity)—भारत में प्रति एकड़ कम उत्पादन के कई कारण हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है

प्रति एकड़ कम उत्पादन के कारण

सामान्य कारण (General Factors)	संस्थागत कारण (Institutional)	प्राविधिक कारण (Technological)
(i) भूमि पर जनसंख्या का भार	(i) खेतों का आकार	(i) परम्परागत विधियाँ
(ii) मानवीय तत्त्व	(ii) कृषि संस्थाओं की कमी	(ii) उर्वरक की कमी
(iii) कृषि की अपेक्षा		(iii) कृषि उपकरण
(iv) भूमि की शक्ति में ह्रास		(iv) बीज
		(v) खाद की कमी
		(vi) पशुधन
		(vii) सिंचाई के साधन

भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ने पर (अधिक जनसंख्या) भूमि का उप विभाजन व अप-खण्डन होता जा रहा है, जिससे अनाधिक जोतों (uneconomic holdings) की संख्या बढ़ती जा रही है। अनाधिक जोतों की उत्पादकता न्यून होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सरकार द्वारा कृषि की दशा में सुधार लाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी कृषि पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। इसका प्रमाण यह है कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाकाल में कुल व्यय का केवल ३०% भाग ग्रामीण क्षेत्र में व्यय किया गया, जिसमें भारत की ८२% जनता निवास करती है। सरकार की कृषि नीति भी कम उत्पादकता के लिए उत्तरदायी है। कृषि विकास के दो अंग हैं—कृषि सुधार या संस्थागत परिवर्तन तथा कृषि क्रान्ति। कृषि सुधार का अभिप्राय ऐम संस्थागत परिवर्तनों से है, जिनसे उत्पादन वृद्धि में मदद मिलती है जैसे आर्थिक जोतों का निर्माण, भूमि सुधार कृषि मन्व धी वित्तीय विपणन आदि संस्थाओं का संगठन आदि। 'कृषि-क्रान्ति' का यहाँ पर यह अर्थ है कि कृषि विधि में सुधार किया जाय, उत्तम बीज व खाद का प्रयोग किया जाय, सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की जाय, उत्तम औजारों का प्रयोग किया जाय और वैज्ञानिक आधार पर आधुनिक खेती की जाय। संसार के विकसित देशों जैसे ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका, रूस आदि में पहले संस्थागत परिवर्तन किए गये, इसके बाद वैज्ञानिक कृषि का प्रचार किया गया। ब्रिटेन में कृषि क्रान्ति के पूर्व घेराबन्दी आन्दोलन (enclosure movement) चलाया गया तथा रूस में सामूहिक खेतों का संगठन किया गया। कृषि विकास में संस्थागत परिवर्तन पहले करने चाहिए परन्तु भारत जैसे विशाल देश में ये दोनों कार्य साथ ही साथ करने का प्रयत्न किया गया। परिणाम यह हुआ कि न तो हम संस्थागत परिवर्तन करने में ही पूर्ण सफल हुए और न वैज्ञानिक कृषि के प्रसार व प्रचार में ही। अतः हमें तोच समझकर 'कृषि-नीति' में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए।

कृषि के विकास के लिए किसानों को आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हो पायी हैं। अतः कृषि-पटल (agricultural inputs) की व्यवस्था करना आवश्यक है। कृषि उत्पादकता के न्यूनता सम्बन्धी कुछ कारणों पर नीचे प्रकाश डाला जा रहा है।

(i) मानवीय तत्त्व—भारतीय कृषि की पिछड़ी दशा होने तथा उत्पादन का स्तर निम्न होने का एक कारण यह है कि भारत का किसान निर्धन, अशिक्षित एवं ऋणी है। आर्थिक गरीबी के कारण वह अत्यधिक भाग्यवादी हो गया है। उसमें परिश्रम वृत्ति तथा कृषि ज्ञान का अभाव नहीं

है किन्तु उसे वर्षों का अनुभव है कि वह यदि अतिबाधक परिधम द्वारा यथेष्ट मात्रा में फसल उत्पन्न कर भी लेता है तो अनेक बार अथवा सरदी उसे नष्ट कर देते हैं और उसके धम का उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाता। अतः वह कृषि को एक व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि जीवनयापन की प्रणाली के रूप में अपनाता है। स्वभावतः वह वाछनीय मात्रा में उत्पादन उपलब्ध नहीं कर सकता।

किसान की इस भाग्यवादी प्रवृत्ति में परिवर्तन करने की एक रीति तो यह है कि उसे अधिकाधिक शिक्षित करने का प्रयत्न किया जाय। इसके अनिश्चित प्राकृतिक सबटो का सामना करने के लिए वैधानिक साधनों का प्रयोग करने की चेष्टा करनी चाहिए। इन साधनों की व्यवस्था सरकार द्वारा निम्न एक करनी आवश्यक है क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इन्हे अपनी जेब में व्यय कर खरीद सके।

(ii) कृषि की रीति एवं उपकरण—जापान, इटली अथवा अमरीका जैसे देशों में कृषि के नये तथा वैज्ञानिक तरीके काम में लिए जाने लगे हैं जिनसे भारत से दुगुना तिगुना उत्पादन प्राप्त कर लिया जाता है किन्तु मिस्र में तो वैज्ञानिक साधनों का विकास इतना अधिक नहीं हुआ है। वहाँ तो प्रायः भारत जैसी ही स्थिति है। इतना होने पर भी मिस्र में गेहूँ, चावल तथा मक्का का प्रति एकड़ उत्पादन भारत से बहुत अधिक है। इस दृष्टि से यह कहना सर्वथा उचित है कि भारतीय कृषि की रीतियों में कुछ मौखिक कमी है जिसके कारण यहाँ का उत्पादन स्तर अत्यधिक निम्न है।

(iii) खाद की प्रथा—भारत में पशुओं की समस्या अत्यधिक है और उनके गोबर तथा मूत्र से प्रति वर्ष १६५ करोड़ टन खाद प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कम्पोस्ट तथा अन्य प्रकार के वस्तुओं से लगभग ८७ लाख टन खाद उपलब्ध हो सकती है। दुर्भाग्य से गोबर का अधिकांश भाग ईंधन के रूप में जला लिया जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सस्ते ईंधन का अभाव है। फलतः खेतों को यथेष्ट मात्रा में खाद नहीं मिलती है जिससे उत्पादन की अवस्था सर्वथा हीन है।

इस समस्या का उपचार यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौयले अथवा लकड़ी के अन्य ईंधन की व्यवस्था करनी चाहिए तथा पचायको के माध्यम में इस बात का प्रचार करना चाहिए कि गोबर को जलाने की प्रवृत्ति समाप्त की जाय।

(iv) सिंचाई के साधनों की कमी—भारतीय कृषि प्रधानतः मानसून पर निर्भर करती है क्योंकि कुल कृषि-योग्य भूमि के लगभग २३ प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। मानसून पर इतनी अधिक निर्भरता का प्रभाव यह होता है कि देश के अधिकांश भाग की कृषि प्रकृति की दृष्टि पर निर्भर है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि जब तक सिंचाई की यथेष्ट सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होती तब तक भूमि में यथोचित खाद देना भी सम्भव नहीं है क्योंकि अधिक खाद का यथोचित प्रयोग करने के लिए काफी जल चाहिए अथवा सामान्य खेतों में भी मूखने का भय रहता है।

(v) बीज—भारतीय कृषि के न्यून उत्पादन का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि यहाँ के किसान खेती के लिए सर्वात्मक बीजों के प्रयोग की ओर विशेष ध्यान नहीं देते। अनेक बार तो फसल ही इतनी कम होती है कि इनके पास बीज के लिए अन्न अथवा अन्य वस्तुएँ बचनी नहीं हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें बाजार से जमा भी सस्ता और घटिया किस्म का बीज उपलब्ध हो जाता है, खरीदना पड़ना है। इसका फल यह होता है कि अल्पमूल्य का फसल की किस्म बहुत घटिया हो जाती है। घटिया किस्म के बीजों से फसल की मात्रा कम होती है और किसानों की आय में भी कमी आ जाती है। यह विषम चक्र देश की कृषि तथा कृषक एवं देश की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हानिकारक होता है।

अच्छे तथा सुधरी हुई किस्म के बीजों का प्रचार सामुदायिक विकास केन्द्रों के माध्यम से

किया जाना चाहिए तथा पचायतो और सहकारी समितियों के द्वारा बढ़िया बीजों की वितरण-व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में विशेष महत्त्वपूर्ण कदम यह होगा कि कृषकों को जो ऋण दिया जाय उसमें हान, खाद, बीज आदि वस्तुएँ देने की व्यवस्था हो ताकि ऋण का प्रयोग भी सुन्दरता से हो सके।

(vi) पशुओं की हीनावस्था—भारतीय कृषि में गाय बँस आदि पशुओं का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि न केवल उनमें गोबर तथा मूत्र के रूप में उत्तम खाद मिलती है बल्कि सकटकाल में किसान गौ का दूध बचकर जीवन निर्वाह कर सकता है किन्तु भारतीय गौ तथा बँसों की सामान्य स्थिति अच्छी नहीं है, उन न ता बँस किमान के लिए खेती करने में यथेष्ट सहायक हो सकते हैं और न ही गौ उसके आर्थिक सकटकाल (अकाल आदि) के समय उसको समुचित आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकती है।

इस सम्बन्ध में भारत की गौ सर्वद्वंद्व परिपद के अतिरिक्त पचायतो, सामुदायिक विकास खण्डों तक सरकारी कृषि अनुसंधान केन्द्रों द्वारा सक्रिय कदम उठाये जाने चाहिए ताकि पशुओं के स्वास्थ्य एवं तस्त्र में यथोचित सुधार हो सके।

(vii) भूमि की शक्ति का ह्रास—शताब्दियों तक निरन्तर प्रयोग में आने के कारण भारतीय कृषि-भूमि का बहुत ह्रास हो गया है। निरन्तर क्षरण तथा शक्ति-ह्रास के फलस्वरूप भारतीय भूमि की उत्पादन शक्ति बहुत कम हो गयी है। देश में भूमि के अभाव के कारण यह सम्भव नहीं है कि प्रति वर्ष कृषि भूमि का तृतीयांश अथवा चतुर्थांश खाली (बिना खेती बिये) छोड़ा जा सक। अतः भूमि के क्षरण को शीघ्रानिशीघ्र रोकने की व्यवस्था करना आवश्यक है तथा भूमि की खोयी हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उसमें यथेष्ट खाद तथा उर्वरक पदार्थ देकर उसको उपजाऊ शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की जानी चाहिए। वास्तव में भारतीय भूमि में निरन्तर खनी करने के कारण उसमें घटती हुई उत्पाति का नियम लागू हो गया है जिसके प्रभाव को विशेष प्रयत्नों द्वारा ही रोका जा सकता है।

(viii) भूमि का उप-विभाजन एवं अपखण्डन—भारत में ८६ प्रतिशत किसानों के पास कुल कृषि-भूमि का ३० प्रतिशत भाग है। इसका अर्थ यह है कि एक किसान के पास औसत में ०.३७ एकड़ भूमि है। इतना ही नहीं यह भूमि भी कई टुकड़ों में बँटी हुई है। बगी कड़ी तो भूमि के ये टुकड़े इतने छोटे हैं कि उन पर हल को घुमाने में ही कठिनाई होती है। इतने छोटे-छोटे भू-खण्डों पर खेती करना आर्थिक दृष्टि से उपादेय नहीं है, विशेषतः इसलिए कि भारत में कृषि-क्षेत्र में वैज्ञानिक रीतियों तथा गहरी खेती की नवीनतम प्रणालियों का अभी तक विशेष प्रचार नहीं हुआ है।

भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों की समस्या को हल करने के लिए सभी राज्यों में चक्रवर्ती की योजनाएँ चालू हैं। इन योजनाओं को सफल बनाने में भी पचायतो तथा सहकारी समितियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए और भूमि के अधिकांश भाग को खेती के लिए लाभदायक बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में सहकारी समितियाँ भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए ऋण देकर सहयोग प्रदान कर सकती हैं।

(ix) साख की कमी—भारत में कृषि विकास के लिए प्रति वर्ष लगभग ३००० करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ती है। इस राशि का अधिकांश भाग की पूर्ति देशी बैंक तथा ग्रामों के साहकार करते हैं। यह लोग न केवल अधिक ब्याज लेते हैं बल्कि किसानों या आक प्रकार की बेगार करने के लिए बाध्य करते हैं और कृषि-उपज का एक भाग मूल अथवा ब्याज के रूप में हड़प लेते हैं। इस दुर्व्यवस्था के कारण किसान ऋणग्रस्त हो जाता है। कभी कभी उस समय पर

ऋण नहीं मिल पाता जिसके कारण उमे बीज, खाद अथवा अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है।

देश में कृषि साख की उचित व्यवस्था करने के लिए भारत के महकारी आन्दोलन को पुनर्गठित करना आवश्यक है। इसके लिए ऋणों के उचित समय, उचित दर तथा उचित रूप में प्राप्त होने की व्यवस्था करना आवश्यक है। वास्तव में, किसानों को जब तक साहूकार के खूनी पंजे से मुक्त नहीं किया जाता तब तक भारतीय कृषि का भविष्य सदिग्ध ही बना रहेगा।

(x) कृषि-रोग आदि—उपर्युक्त सभी तत्त्वों के अतिरिक्त कभी-कभी प्राकृतिक तत्त्व यथा फसलों की अनेक बीमारियाँ बाढ़ ओले तथा शीत लहरें आदि समय-समय पर फसलों को हानि पहुँचाती रहती है जिससे भूमि का वास्तविक उत्पादन बहुत कम रह जाता है। इन तत्त्वों को वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से ही नियंत्रित किया जा सकता है।

(xi) विक्रय-व्यवस्था—भारतीय किसान की एक महत्त्वपूर्ण समस्या यह रही है कि उसे अपना माल मण्डियों में बेचना पड़ता है। यह मण्डियाँ या तो बहुत दूर हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए यातायात के साधन यथेष्ट नहीं हैं या इनमें विक्रय की व्यवस्था ठीक नहीं है। अतः किसान को अपने माल के उचित दाम प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई के कारण वह कभी-कभी तो अपना माल ग्राम में साहूवार को ही बेच देता है जिससे उसे और भी कम मूल्य प्राप्त होता है।

सन् १९७० तक देश में व्यवस्थित मण्डियों की संख्या १,९१८ ही गयी थी जिनके फलस्वरूप ऐसी मण्डियों की संख्या ६०० रह गयी जिनमें माल के क्रय विक्रय का नियमन राज्यों द्वारा बनाये गये कानून द्वारा नहीं हो रहा है। वस्तुतः किसानों को माल का उचित मूल्य तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर माल सभी मिल सकता है जबकि मण्डियों में क्रय विक्रय की व्यवस्था नियंत्रित हो। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा गेप मण्डियों में भी लेन देन की व्यवस्था का यथाशीघ्र नियन्त्रण कर देना चाहिए अन्यथा मूल्य तथा माल की किस्म का नियन्त्रण सम्भव नहीं हो सकेगा।

(xii) भूमि सुधार—यद्यपि देश के अधिकांश राज्यों में भूमि सुधार कानून पास कर दिये हैं किन्तु उनमें अनेक कमियाँ हैं जिनके कारण अनेक क्षेत्रों में किसानों को पेंती के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है। भूमि की सीमा निर्धारित करने पर भी अनेक व्यक्तियों ने विभिन्न रीतियों द्वारा अनुमति से अधिक भूमि अपने पास रख ली है। इस प्रकार कानून भंग करने वाले व्यक्तियों में शक्तिशाली जमींदार तथा राजनीतिज्ञ प्रमुख हैं। तीसरी नोट करने योग्य बात यह है कि अनेक स्थानों पर खेती करने वाले किसानों को बदल कर दिया जाता है क्योंकि वे शक्तिशाली जमींदारों से लड़ने योग्य आर्थिक स्थिति में नहीं हैं। अतः यदि समाजवाद की स्थापना करने का ध्येय फलीभूत करना है तो जनसाधारण के लिए सरत ही नहीं, निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करनी होगी। भारतीय कृषि का सबल बनाने के लिए कृषक को सशक्त बनाना आवश्यक है और न्याय-व्यवस्था में शक्ति-कारी परिवर्तन किये बिना इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि की उत्पादकता कम होने के विभिन्न कारण हैं। इन सभी कारणों से कृषि उत्पादन प्रति एकड़ कम होता है। अतः इन सभी समस्याओं का समाधान आवश्यक है। भारतीय कृषि का पिछड़ापन भारतीय कृषि की निहित शक्ति एवं भविष्य में विकास को सम्भावनाओं का प्रतीक है। प्रति एकड़ मूल्य उत्पादन कम से कम इस बात का योक्तक है कि हम भविष्य में कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि विवास के लिए निश्चित नीति निर्धारित की जाय तथा उसे धैर्य एवं दृढ़ता के साथ क्रियान्वित किया जाय। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता नहीं होगी। हम कम पूँजी द्वारा भी भारतीय कृषि का विकास कर सकते हैं। पीछे से अतिरिक्त प्रयत्न द्वारा भी हम कृषि का कायाकल्प कर सकते हैं।

## फसलों का स्वरूप

### (THE CROPPING PATTERN)

भारत एक विलक्षण देश है। यहाँ अनेक प्रकार की जलवायु की भाँति उत्पत्ति भी अनेक प्रकार की होनी है। अत्यन्त शीत में होने वाले गेहूँ तथा जौ से लेकर अत्यन्त गरमी एवं वर्षा में उत्पन्न होने वाले गन्ना तथा खरब और कच्चा तक इस देश में उपलब्ध होने हैं। कृषि की विभिन्न उपजों की दृष्टि से भारत एक अजायबघर के समान है जहाँ गेहूँ चावल, चना, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूँग, मॉठ, उदं, तिन मूँगफली जैसी खाद्य फसलें, गन्ना, कपास, पटसन जैसी व्यावसायिक फसलें, चाय, कच्चा, कोको जैसे पेय पदार्थ तथा खरब, तिनकोना आदि अन्य प्रकार की वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं। इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के फल भी विभिन्न भागों में उपलब्ध होने हैं।

#### कृषि फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन (१९६६-७०)

फसल	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर) <sup>१</sup>	उत्पादन (मिलियन टन)	फसल	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)	उत्पादन (मिलियन टन)
१ चावल	३५०	४०४	६ गन्ना (गुड)	२७	१३४
२. गेहूँ	१२८	२०१	१० कपास	७८	५२ मि० गॉटें
३ ज्वार	१७२	६७	११. पटसन <sup>२</sup>	११	६८
४. बाजरा	११४	५३	१२. चाय	३	३६५ मि० किग्रा०
५ मक्का	४६	५७	१३ तम्बाकू	३	३०४ लाख टन
६ जौ	२६	२४	१४. मूँगफली	७२	४८
७ चना	७८	४३	१५ कच्चा	१	६१ ह० टन
८ अन्य दालें	१३६	६१	१६ खरब	२	

सन् १९६६-७० में खाद्यान्नों का उत्पादन ६६५ मिलियन टन हुआ था तथा सन् १९७०-७१ में १०५ मिलियन टन होना अनुमान है। १९७५-७६ में खाद्यान्नों का लक्ष्य १२६ मिलियन टन रखा गया है।

भारत में दो मौसमों की फसलें होती हैं—रबी की फसल और खरीफ की फसल। रबी की फसलें सर्दी में बोयी जाती हैं और गरमी में काट ली जाती हैं। गेहूँ, चना, जौ आदि रबी की मुख्य फसलें हैं। खरीफ की फसलें गरमी में मानसून के आरम्भ के साथ ही बोयी जाती हैं तथा

<sup>१</sup> हेक्टेयर = २४७१ एकड़।

<sup>२</sup> मेन्टा सहित।

सरदी में काट ली जाती है। ज्वार, बाजरा, मक्का, रुई, चावल आदि खरीफ की फसलें हैं। देश की मुख्य फसलें निम्नलिखित हैं

### खाद्य फसलें

१ चावल—भारत के अधिकांश निवासियों का मुख्य भोजन चावल है। आसाम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, काश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, मसूर, केरल, मद्रास तथा मध्य प्रदेश की अधिकतर जनता का दैनिक आहार चावल है। चावल के इस देशव्यापी प्रयोग (उत्तर से दक्षिण—काश्मीर से कन्याकुमारी, तथा पश्चिम से पूर्व—बम्बई से गोहाटी तक) में ही सम्भवतः चावल को भारत के सामाजिक जीवन से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान कर रखा है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक धार्मिक कार्य में चावल का प्रयोग अनिवार्य रूप में किया जाता है।

उत्पत्ति, आवश्यकता एवं उपयोग—भारत में चावल का वार्षिक उत्पादन आवश्यकता से १०-१५ लाख टन कम पड़ता है। इस कमी की पूर्ति ब्रह्मा, मलेशिया तथा अमरीका से चावल का आयात करके की जाती है।

चावल की उत्पत्ति प्रायः भारत के सभी भागों में होती है किन्तु गंगा-यमुना-ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा डेल्टा, पंजाब के सिचाई वाले प्रदेश, दक्षिण भारत के तटीय मैदान तथा हिमाचल के निचले भाग चावल की उपज के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं।

चावल प्रारम्भ में धान के रूप में उत्पन्न होता है, अतः उसे छिलके से अलग करना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए पूर्वी भारत (आसाम, बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश) में प्रायः सब जगह चावल साफ करने की मिलें स्थापित हो गयी हैं। चावल का छिलका उतारने के पश्चात् उसकी पालिश अथवा कटाई भी की जाती है जिससे उसमें चमक आ जाती है। ऐसा करने पर चावल के कुछ पोष्टिक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं, अतः बहुत से लोग हाथ से कटा हुआ (साफ किया गया) चावल ही प्रयोग करना पसन्द करते हैं। मन वर्षों में भारत सरकार ने चावल की नयी मिलें स्थापित करने के लाइसेंस देने बन्द कर दिये हैं। ऐसा करने का कारण यह है कि चावल क्षेत्रों में हाथ से धान कूटने के व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलने से बहुत-सी स्त्रियों को अतिरिक्त रोजगार मिल सकता है और चावल की पोष्टिक शक्ति भी यथावत् बनी रहती है।

२ गेहूँ—चावल के पश्चात् दूसरा महत्त्वपूर्ण अन्न गेहूँ है। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश बिहार तथा कुछ अन्य भागों में गेहूँ का भोजन के रूप में काम में लिया है। गेहूँ का प्रयोग चपाती, डबल रोटी, मंदा तथा रवा (सूजी) बनाने के लिए किया जाता है।

भारत में लगभग १० करोड़ व्यक्ति गेहूँ का उपयोग करते हैं किन्तु देश में उपलब्ध गेहूँ आवश्यकता से कम होता है, अतः प्रति वर्ष ४०-५० लाख टन गेहूँ अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा अजैण्टाडना से आयात किया जाता है।

भारत में शरबती, सफेद तथा लाल गेहूँ उत्पन्न होता है। शरबती तथा सफेद गेहूँ अपेक्षाकृत बढ़िया होता है और पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के कुछ भागों में उत्पन्न होता है। बलुही अथवा कम उपजाऊ लाल मिट्टी में लाल गेहूँ उत्पन्न होता है। भारत का गेहूँ अन्य देशों के गेहूँ से अधिक पुष्टिकारक होता है। पिछले कुछ वर्षों में अधिक उत्पादन देने वाले मॉन्सून, कल्याण सोना, लाल बहादुर आदि किस्मों के गेहूँ की उत्पत्ति में वृद्धि हुई है।

३ जौ—यह निर्धन व्यक्तियों का भोजन है और गेहूँ के साथ ही अक्टूबर-नवम्बर में बोया जाता है। जौ की विशेषता यह है कि इसके लिए सामान्य उपजाऊ भूमि यथेष्ट है। इसके लिए भी गेहूँ की भांति सामान्य वर्षा अथवा सिचाई से काम चल जाता है किन्तु जौ में अधिक शील सहन करने की शक्ति होती है।



भारत में जौ का प्रयोग उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान के कुछ भागों में किया जाता है। अनेक स्थानों पर इसे चने के साथ मिलाकर खाया जाता है। जौ की घराब भी बनायी जाती है। जौ के ऊपर का छिलका पशुओं को खिलाने के लिए उपयोगी होता है। जौ की उपज मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान में होती है और इन भागों में ही इसका प्रयोग किया जाता है।

४ ज्वार—जौ की भाँति ही ज्वार भी सस्ता अन्न है। इसकी उपज के लिए सामान्य उपजाऊ भूमि तथा साधारण वर्षा या सिंचाई यथेष्ट होती है। वर्षा अधिक होने पर ज्वार का पीछा बहुत ऊँचा बढ़ जाता है और पशुओं के लिए चारे की यथावश्यक पूर्ति करता है। ज्वार का हरा चारा दूध देने वाले पशुओं के लिए बहुत उपयोगी होता है। ज्वार की उपज मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत तथा राजस्थान के कुछ भागों में होती है। इन्हीं भागों के निर्धन निवासी ज्वार का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं।

५ बाजरा—ज्वार की तरह बाजरा भी हल्का अन्न कहलाता है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सूखे प्रदेशों में उत्पन्न होता है। बाजरे की घेती के लिए हल्की बलुही भूमि तथा सामान्य वर्षा की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा से बाजरे का पीछा सड़ जाता है और वह पशुओं के चारे के लिए भी यथेष्ट उपयोगी नहीं रहता। सिंचाई से उत्पन्न किया गया बाजरा प्रायः वर्षा से उत्पन्न बाजरे से घटिया किस्म का होता है। बाजरा जून-जुलाई में बोया जाता है तथा नवम्बर-दिसम्बर में काट लिया जाता है। बाजरे की उपज मुख्यतः पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा आन्ध्र राज्यों में होती है। बाजरा निर्धन जनता का मुख्य भोजन है। राजस्थान के पश्चिमी तथा उत्तरी भागों के कुछ निवासी वर्ष भर बाजरे का ही भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं।

६ मक्का—यह मूल रूप में अमरीका की उपज है। इसमें स्टार्च अधिक होता है, अतः इसकी उपज मुख्यतः मनुष्यों को खिलाने के लिए की जाती है। भारत में मक्का का प्रयोग मनुष्यों के भोजन के लिए होता है। मक्का की घेती पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिणी राजस्थान तथा दक्षिण भारत में होती है। खान के अतिरिक्त मक्का का प्रयोग स्टार्च बनाने में किया जाता है। देश के कई भागों (बड़े नगरों) में स्टार्च बनाने की फ़ैक्ट्रियाँ स्थापित हो गयी हैं।

७ चना—यह एक खाद्यान्न भी है और दान भी। पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ चना प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है यह मुख्यतः गेहूँ के साथ मिलाकर खाया जाता है। महाराष्ट्र तथा गुजरात में चने के बमन से अनेक प्रकार के पकवान बनाये जाते हैं। चना तथा उसकी दाल शरीर को पुष्टता के लिए द्रुत उपयोगी होती है और सम्भवतः इसीलिए इसे भिगोकर छोड़ो को खिलाया जाता है। चना का प्रयोग दाल, बेसन या मूज रूप में ही खाने के लिए किया जाता है। सबसे अधिक चना पंजाब तथा राजस्थान में उत्पन्न होता है किन्तु गुजरात, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में चने की घेती की जाती है।

८ अन्य दालें—भारत जैसे देश में जहाँ बहुत-से लोग मांस, मछली अथवा अण्डों का प्रयोग नहीं करते, दालों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दालों में यथेष्ट प्रोटीन होती है जो शरीर को शक्ति प्रदान करती है। दालों में से कुछ (चना) पशुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। दालों की तीसरी विशेषता यह है कि यदि वह अन्य फसलों के साथ बोयी जायें तो भूमि को नाइट्रोजन प्रदान करती हैं जिससे भूमि की खोई हुई उपजाऊ शक्ति पुनः प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार भारतीय भोजन में दाल एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

दालों में चने के अतिरिक्त उड़, मूँग, मोठ, ममूर तथा बरहर आदि प्रमुख हैं और उनकी उपज प्रायः अन्य खाद्यान्नों के साथ की जाती है। उदाहरणतः मूँग, मोठ आदि दालें प्रायः बाजरे के साथ ही उत्पन्न की जाती हैं।

### व्यावसायिक फसलें

१ रई—व्यावसायिक फसलों में रई सबसे महत्वपूर्ण फसल है क्योंकि इस पर देश का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग—रस्म उद्योग—निर्भर है। भारत के विभाजन के पूर्व भारतीय रस्म उद्योग के लिए लम्बे रेशे की रई भी विदेशों से आयात नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि अहमदाबाद की रस्म मिलों के लिए पश्चिमी पंजाब तथा सिन्ध में उत्पन्न लगभग १० लाख गॉड लम्बे रेशे की रई उपलब्ध हो जाती थी। देश के विभाजन के कारण अब लम्बे रेशे की रई अमरीका, मिस्र अथवा सूडान से आयात करनी पड़ती है। इसके साथ ही छोटे रेशे की रई का देश में बाहुल्य है अतः छोटे रेशे की रई जापान तथा अन्य देशों को निर्यात की जाती है।

फसल तैयार होने पर कपास चुनने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। फसल निकालने के पश्चात् प्रायः मिलों के एजेंट उसे खरीद लेते हैं और उसे मिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर देते हैं।

रई या कपास प्रायः छोटे, मध्यम या लम्बे रेशे वाली होती है। लम्बे रेशे वाली रई के तार बहुत बारीक तथा लम्बे होने हैं जिनसे बहुत बढ़िया किस्म का सूत कतता है। इस रई के सूत से बनने वाला कपड़ा स्वभावतः बहुत बढ़िया होता है।

२. पटसन—जूट या पटसन एक पौधे का भीतरी छिलका होता है। पानी में डालकर पौधे के बाह्य भाग को मड़ा देने हैं और उसे रेशे या छिलके से अलग कर देते हैं। यह रेशा बहुत मजबूत तथा चमकदार होता है।

जूट की उत्पत्ति के लिए काफी जल और नदियों की नयी मिट्टी की आवश्यकता है। फसल पकने के पश्चात् इसके रेशे को मूल पौधे से अलग करने के लिए जूट के गट्टर बाँधकर पानी में डालना आवश्यक होता है, अतः पटसन के उत्पत्ति क्षेत्रों के आस-पास तालाब, नदियाँ अथवा नहरें भी व्यवस्थित होनी चाहिए ताकि पौधे को धोकर, कूटकर तथा सुखाने जूट का रेशा प्राप्त करना सम्भव हो सके।

पूर्ति की स्थिति—भारत के विभाजन के समय देश में जूट की उपज आवश्यकता में अधिक थी और समार के कई देशों को जूट निर्यात किया जाता था किन्तु विभाजन होने पर जूट उत्पादन करने वाला प्रमुख क्षेत्र (कुल का लगभग ७३ प्रतिशत) पूर्वी पाकिस्तान में चला गया और जूट का माल निर्यात करने वाले सब कारखाने भारत में रह गये। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत को लगभग ५०-६० लाख गॉडें जूट की कम पड़ने लगी। परिणामस्वरूप, पाकिस्तान में जूट आयात करने की व्यवस्था करनी पड़ी।

भारत में जूट उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में अब बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण भारत के पूर्वी तटीय मैदान हैं। ऐसा अनुमान है कि अब देश में पटसन की कमी नहीं है। भारत कच्चा जूट निर्यात करने का विचार कर रहा है।

३ गन्ना—यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी खेती के लिए अच्छी भूमि, प्रचुर जल (अथवा वर्षा) तथा ऊँचे तापमान की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती के लिए उसके टुकड़े (गॉड के स्थान से) काटकर भूमि में गाड़ दिये जाते हैं और उन्हें निरन्तर पानी दिया जाता है। यह कार्य मार्च-अप्रैल में कर दिया जाता है। नवम्बर में गन्ने की फसल पकने लगती है और उसे काटकर चीनी अथवा गुड़ बनाने के लिए काम में लेना आरम्भ कर दिया जाता है।

१९५०-५१ में गन्ना क्षेत्र ४२ लाख एकर भूमि में उत्पन्न किया जाता था और उसकी उपज ५६१ करोड़ टन थी। प्रस्तुत अर्थों से यह स्पष्ट है कि गत १५ वर्षों में गन्ने की खेती के अन्तर्गत भूमि में लगभग ४० प्रतिशत तथा उपज में लगभग ६५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपज में

अधिक वृद्धि होने का कारण यह है कि कोयम्बटूर के गन्ना शोध-केन्द्र ने गन्ने की कुछ किस्में तैयार की हैं जो अधिक उत्पत्ति तथा अधिक शक्कर प्रदान करती हैं। दक्षिण भारत में प्रायः बढिया किस्म का गन्ना ही उत्पन्न किया जा रहा है और शक्कर के नये कारखाने मुख्यतः दक्षिण में ही स्थापित हो रहे हैं।

भारत में गन्ना उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश तथा बिहार रहे हैं किन्तु गन्ने वर्षों में उनका महत्त्व बहुत कम हो गया है क्योंकि इन राज्यों में उत्पन्न गन्ने में ६-१० प्रतिशत शक्कर उपलब्ध होती है जबकि दक्षिण भारत में उत्पन्न गन्ना १२-१३ प्रतिशत चीनी दे देता है।

४ चाय—चाय एक झाड़ी की पत्ती होती है और इसकी उत्पत्ति के लिए निरन्तर बहने वाला पानी बहुत उपयोगी होता है। अतः चाय की उपज के लिए पहाड़ी क्षेत्र बहुत उपयुक्त होते हैं। इसी कारण भारत में चाय उत्पन्न करने वाले प्रमुख क्षेत्र आसाम, पश्चिमी बंगाल, काण्डा घाटी तथा नीलगिरि की पहाड़ियाँ हैं।

एक अनुमान के अनुसार ममार में चाय की माँग लगभग १६३६ करोड़ पौण्ड है जबकि पूर्ति लगभग १६२८ करोड़ पौण्ड है। इससे चाय की पूर्ति की स्थिति का अनुमान लग सकता है। वास्तव में, चाय कच्चे में लगभग २५% मस्ती होती है और गन्त वर्षों में इसकी माँग तथा उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है। भारत में चाय का वार्षिक उत्पादन लगभग ८२ करोड़ पौण्ड है जिसका ६०% से अधिक भाग निर्यात कर दिया जाता है। भारत ममार के सब देशों से अधिक चाय उत्पन्न करता है और यह सबसे बड़ा निर्यातक भी है। इसका अनुमान इस बात से लगता है कि १९६६-७० में भारत द्वारा १२५ करोड़ रुपये की चाय निर्यात की गयी। यह भारत के कुल निर्यातों की लगभग ६ प्रतिशत थी।

शोध-कार्य—चाय के उत्पादन सम्बन्धी शोध के लिए भारत में किसी भी मस्ये का सर्वथा अभाव था। इसकी पूर्ति के लिए २५ अक्टूबर, १९६३ को भारतीय विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने चाय बोर्ड के सहयोग से एक चाय शोध मस्थान (Tea Research Association) स्थापित किया है। इस मस्थान द्वारा दार्जिलिंग तथा दुराम चाय क्षेत्रों की उपज के सम्बन्ध में शोध करने की आशा है।

५ कहुवा (Coffee)—यह पेय पदार्थ भी चाय की भाँति ही पहाड़ी ढालों पर उगाया जाता है। इसके विकास के लिए गरम तथा नम जलवायु अर्थात् सामदायक है इसलिए यह मुख्यतः विषुवरेखीय प्रदेशों में अर्जिक होता है। भारत में कहुवा का प्रमुख उपज क्षेत्र मैसूर है जहाँ देश में कुल उत्पादन का ५०% कहुवा उत्पन्न होता है। शेष कहुवा तमिलनाडु तथा केरल में पैदा होता है।

कहुवे की खपत बढ़ाने के लिए उसकी किस्म में सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अनिश्चित कहुवा तैयार करने, संवारन तथा पैकिंग करने की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सस्ते ऋण भी सुलभ करने की आवश्यकता है।

६ तिलहन (Oil Seeds)—भारत में कई प्रकार के तिलहन तथा सरसो, तोरिया, तिल, बनसी, नारियल, मूँगफली आदि उत्पन्न होते हैं। देश में धीरे धीरे उत्पादन घटने के कारण स्निग्ध अथवा विषम पदार्थों की मुख्य पूर्ति तेलों द्वारा ही की जाती है। मूँगफली तथा तिल का प्रयोग तो मुख्यतः वनस्पति तल निर्माण करने के लिए होता है। नारियल, तिल, सरसो आदि के तेल खाने तथा औद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त किये जाते हैं।

सन् १९५०-५० में भारत का तिलहन का उत्पादन लगभग ५१ लाख टन था जो १९६५-६६ में बढ़कर लगभग ८६ लाख टन हो गया। १९६६-७० में उत्पादन ७६ लाख टन था जिसमें लगभग ५१ लाख टन मूँगफली थी।

गत पांच छह वर्षों से भारत में ही तिनहन की बहुत कमी आ गयी है जिससे वनस्पति तेल का उत्पादन गिर गया है और मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हुई है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने सोवियत संघ से सोयाबीन और सनपलावर तेल आयात किया है जिसके कारण वनस्पति तेलों के मूल्य में कुछ गिरावट आयी है।

७ तम्बाकू (Tobacco)—यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे खाने, सूँघने तथा धूम्रपान करने के काम में लिया जाता है। तम्बाकू के लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है जिसमें सिंचाई की यथेष्ट सुविधाएँ उपलब्ध हों। इसके लिए गरम जलवायु विशेष सहायक होती है। तम्बाकू उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र, उत्तरी बिहार तथा मद्रास अधिक महत्वपूर्ण हैं। पंजाब उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में भी तम्बाकू उत्पन्न की जाती है।

गत वर्षों में भारतीय तम्बाकू को गम्भीर स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है किन्तु गुण्डूर तथा दक्षिण भारत के अन्य भागों में उत्पन्न वर्जीनिया तम्बाकू की विदेशों में काफी माँग है। तम्बाकू निर्यात संवर्द्धन परिषद के अध्यक्ष श्रीकुमारन् नैयर का कथन है कि भारत से तम्बाकू के अनिश्चित बीडी, सिगरेट तथा सिगार आदि का निर्यात बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। १९६६-७० में अनिश्चित तम्बाकू का कुल निर्यात लगभग ३३ करोड़ रुपये के मूल्य का था। प्रति वर्ष बढ़ते हुए उत्पादन करों के कारण तम्बाकू तथा उससे निर्मित पदार्थों के मूल्य में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सरकार को चाहिए कि निर्यात किये जाने वाले माल पर उत्पादन कर की कुछ छूट दे दी जाय जिससे भारतीय माल अन्य देशों के सरलतापूर्वक स्पर्धा कर सके और निर्यातों में वृद्धि कर अधिकाधिक विदेशी निनिमय अर्जित किया जा सके।

८ रबड़—यह एक विषुवतरेखीय पौधा है और अत्यधिक गरमी तथा जलो वर्षा वाले प्रदेशों में उत्पन्न होता है। फलतः ब्राजील, मलेशिया, सिंगापुर, इण्डोनेशिया आदि देशों में रबड़ प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है। भारत में रबड़ की उपज मुख्यतः दक्षिण भारत में की जाती है।

भारत में रबड़ की प्रति एकड़ उपज केवल ३२४ पीड है जबकि मलेशिया में १,५००-२,००० पीड है। गत वर्षों में कुछ ऐमी किस्मों का भी विकास किया गया है जो ३,००० पीड प्रति एकड़ तक उपज दे सकती हैं।

भारत में रबड़ की वार्षिक माँग लगभग ७७,००० टन है जिसका बहुत-सा भाग विदेशों से आयात कर पूरा करना पड़ता है। अमरीका, कनाडा तथा ब्रिटेन आदि देशों ने कृत्रिम रबड़ (Synthetic) बनाना आरम्भ कर दिया है। अमरीका तो विश्व के सम्पूर्ण कृत्रिम रबड़ का लगभग ७० प्रतिशत तैयार करता है। भारत में भी कृत्रिम रबड़ बनाने की एक फैक्टरी बरेली में स्थापित की गयी है।

आगामी दस वर्षों में यातायात के साधनों के विकास, औद्योगिक प्रगति तथा अन्य कारणों से भारत में रबड़ की माँग ३ लाख टन तक पहुँच जाने की आशा है जिसकी पूर्ति के लिए न केवल प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक होगा बल्कि कृत्रिम रबड़ तैयार करने के लिए नये कारखाने भी खोलने आवश्यक होंगे।

अन्य वस्तुएँ—भारत में ऊपर दी गयी वस्तुओं के अनिश्चित अनेक अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। सोपरा, काली मिर्च, गरम मसाले तथा सिनकोना (जिसमें कुर्नैंग वनती है) जैसे पदार्थों से लेकर आम, लीची, बेला, सन्तरा तथा अन्य विविध प्रकार के फल इस देश में उत्पन्न किये जाते हैं। आम, केले तथा लीची का रस तथा अन्य देशों को वायुमार्ग से निर्यात भी आरम्भ हो गया है। वास्तव में, भारत में जितनी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं उनका व्यावसायिक दृष्टि से विपणन प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। सामान्य प्रयत्नों द्वारा ही उनका उत्पादन बहुत बढ़ाया जा

सकता है। खाद्यानों तथा व्यावसायिक फसलों के साथ-साथ अन्य फुटकर वस्तुओं के लिए भी विकास योजनाएँ बनायी जानी चाहिए ताकि वह देश की जनता के लिए पूरक खाद्य पदार्थों का काम दे सकें तथा देश के लिए विदेशी विनिमय कमाने में महत्त्वपूर्ण साधन बन सकें।

#### प्रश्न

१. भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएँ क्या हैं ? उनके समाधान के लिए सुझाव दीजिए।  
(इलाहाबाद, बी० ए०, १९५४)
२. भारत में कृषि उत्पादकता कम क्यों है ? क्या आप इसको बढ़ाने के लिए किये गये कार्यों से सन्तुष्ट हैं ?  
(बनारस, बी० ए०, १९५४)
३. भारत में कृषि का मन्त्रीकरण कहाँ तक उचित एवं सम्भव है ?  
(बिज्जम, बी० कॉम०, १९६२; पञ्जाब, बी० ए०, १९६२, नागपुर, बी० कॉम०, १९६४)
४. भारतीय किसान को भाग्यवादी कहते हैं। उन नाशिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जो कि भाग्यवादी दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी हैं।  
(आगरा, बी० कॉम०, १९६०)
५. भारत में कृषि फसलों की न्यून उत्पत्ति के कारण स्पष्ट कीजिए तथा सुधार के उपाय बतलाइए।  
(राजस्थान, बी० ए०, १९६२, बी० कॉम०, १९५६, जयपुर, बी० ए०, १९६३)

## १ सन् १८५७ से पूर्व भारतीय कृषि

भारत में ब्रिटिश शासन भी प्रायः दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम भाग १८५७ तक गिना जाता है जबकि भारत का राजनीतिक शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ से निकलकर सीधा ब्रिटिश संसद के अधीन चला गया। द्वितीय भाग प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन से सम्बन्धित है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में कृषि को दो महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का सामना करना पड़ा। प्रथम था लार्ड कार्नवालिस की दोहरी शासन नीति जिसके अनुसार भारत में जमींदारों का एक नया वर्ग स्थापित कर दिया गया। दूसरा परिवर्तन यह था कि देश में लगान की वसूली मुद्रा में की जाने लगी जिसने किसानों को लगान का भुगतान करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन परिवर्तनों के अनिर्दिष्ट १८५७ से पूर्व की भारतीय कृषि अनियंत्रित चलती रही। कम्पनी शासन की समाप्ति के समय भारतीय कृषि की महत्त्वपूर्ण मौलिक विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

(१) आत्मनिर्भर कृषि—उस समय की कृषि की पहली विशेषता यह थी कि कृषि ग्राम-प्रधान तथा ग्राम केन्द्रित थी। इसका तात्पर्य यह है कि कृषि का आकार छोटा था, प्रत्येक ग्राम अथवा आसपास के ग्राम-पट्टों में अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ उत्पन्न कर ली जाती थी और जनता पारस्परिक लेन देन द्वारा अपनी सभी आवश्यकताएँ स्थानीय साधनों से पूरी कर लेती थी। वास्तव में, उस समय सड़की अथवा परिवहन के अन्य माधनों का सर्वथा अभाव था जिसके फल-स्वरूप विस्तृत क्षेत्र में वस्तुओं का आदान प्रदान सम्भव भी नहीं था। फलतः देश की कृषि व्यवस्था छोटे-छोटे क्षेत्रों में केन्द्रित तथा आत्मनिर्भर थी।

(२) भूमि का स्वामित्व—कम्पनी के शासन के आरम्भ तथा उसकी स्थापना के काफी समय पड़घाट तक भारतीय कृषक स्वयं भूमि का स्वामी होता था और वह राजा, नवाब अथवा अन्य किसी नाम से विभूषित शासक को सीधे ही भूमि कर देता था। सभी कृषक भू-स्वामी थे, यहाँ तक कि कृषि श्रमिक नाम के वर्ग का प्रादुर्भाव तक नहीं हुआ था क्योंकि कृषि पर अतिरिक्त धन की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती थी। इस प्रकार कृषि एक स्वतन्त्र व्यवसाय था तथा उस व्यवसाय में श्रमिकों के नाम से किसी दास वर्ग का जन्म तक नहीं हुआ था।

जमींदारी प्रथा का जन्म—इस स्वतन्त्रता में लार्ड कार्नवालिस ने हस्तक्षेप किया और देश के अनेक भागों में लगान वसूली का कार्य जमींदारों अथवा जागीरदारों को दे दिया गया। यह जमींदार तथा जागीरदार ब्रिटिश राज्य के सबसे बड़े सहायक थे और इनमें से बहुतों को तो ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सहायता करने के उपहारस्वरूप ही भूमि अथवा जागीरें दी गयी थीं।

इस प्रकार भूमि के वास्तविक मालिकों पर एक नयी सत्ता थोड़ा दो गयी जिसने कालान्तर में भारतीय कृषि तथा कृषकों को निर्धन बनाने में सक्रिय योगदान दिया।

(३) कृषि उपकरण एवं सुविधाएँ—१९वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने कृषि, उद्योग अथवा यातायात का विकास करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया अतः कृषि के उपकरण एवं रीतियाँ सर्वथा पुरातन थीं। देश में सिंचाई मुख्यतः मानसून की वर्षा से की जाती थी अथवा कृषक स्वयं मिलकर नहर अथवा नाले खोद लेते थे जिनमें सिंचाई के लिए जल प्राप्त किया जाता था। कुछ भागों में कुओं अथवा तालाबों से भी सिंचाई की जाती थी परन्तु यह सब सुविधाएँ अत्यन्त सामान्य थीं।

(४) कृषि पदार्थ—इस काल की कृषि की एक अन्य विशेषता यह थी कि अफ्रीका व्यक्ति केवल खाद्यान्न ही उत्पन्न करते थे। कपास, पटमन या चाय का उत्पादन प्रायः प्रारम्भिक अवस्था में था और कृषक इन वस्तुओं की उत्पत्ति पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। यह स्थिति १८३० तक तो इसी प्रकार चली गयी किन्तु उसके पश्चात् इंग्लैण्ड में भारतीय कपास तथा पटमन की माँग बहुत बढ़ गयी और भारतीय किसान विदेशी उद्योगपतियों के लिए इन दोनों व्यापारिक फसलों का भी अफ्रीकाधिक मात्रा में उत्पादन करना लगे।<sup>१</sup> भारत को केवल कृषि प्रधान देश के रूप में परिचित करने की दिशा में यह पहला कदम था।

(५) मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव—भारतीय कृषि द्वारा उत्पन्न अतिविक्रम पदार्थों के लिए अत्यन्त सीमित एवं सकीर्ण बाजार था क्योंकि वस्तुओं के स्थानान्तरण की सुविधाएँ बहुत कम थीं। अतः कृषि पदार्थों के मूल्यों में फसल के अनुसार बहुत उतार-चढ़ाव होते थे। विभिन्न स्थानों के मूल्यों में भी प्रायः बहुत अन्तर रहना था।

(६) अकालों का अनुपस्थिति—यह एक विशेषांश ही प्रतीत होता है कि भारत के भीषणतम अकालों का प्रादुर्भाव प्रायः १८५७ के पश्चात् ही हुआ जबकि आवागमन के साधनों का विकास आरम्भ हो गया था। वास्तव में, उस समय तक प्रायः ऐसा होता था कि जिन भागों में अकाल पड़ते थे वहाँ से लोग जल्दी फसलों वाले स्थान पर चले जाते थे। इसमें पूर्व वाले में अकालों की कमी का एक कारण यह भी हो सकता है कि उस समय भूमि पर मुख्यतः खाद्यान्न ही उत्पन्न किये जाते थे। अब खाद्यान्न की अत्यधिक कमी न होती हो। बहुत पहले के अकालों के सम्बन्ध में पूरे तथ्य भी उपलब्ध नहीं हैं, अब उनके सम्बन्ध में कुछ निर्णय देना सम्भव नहीं है।

(७) कृषि तथा उद्योगों में सहयोग—१९वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तथा उसके पूर्व देश के सभी भागों में किसी न किसी प्रकार के लघुकाय उद्योग स्थापित थे। ग्रामों के रूपक अपने अतिरिक्त समय में इन उद्योगों में काम कर अपनी आय में वृद्धि कर लेते थे। अनेक क्षेत्रों में तो यह उद्योग (रस्मी बनाना, वस्त्र तैयार करना, तेल निकालना कातना, कम्बल, गलीचे, दरी तथा निवास आदि बुनना) घर में ही संचालित किये जाते थे और बालक, स्त्रियाँ तथा पुरुष आदि सभी इनमें सहयोग दे सकते थे। इस प्रकार कृषि तथा अन्य उद्योगों में निकटतम सहयोग या त्रिपक्ष कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी।

## २ ब्रिटिश शासन में कृषि (१८५७-१९००)

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में ही भारतीय उद्योगों का पतन आरम्भ हो गया और भारत क्रमशः औद्योगिक सम्पन्नता से हीन होने लगा। ब्रिटिश सरकार ने एक निश्चित नीति के अनुसार भारत में कृषि पदार्थों को निर्यात करने तथा ब्रिटिश निमित्त माल भारत में आयात करने की सुविधाएँ दीं। सन् १८५७ के स्वतन्त्र्य समर के पश्चात् सरकार ने मंडकों तथा रेलों का तीव्र गति से विकास किया जिससे भारत में ब्रिटिश आयातों को और अधिक प्रोत्साहन मिला

<sup>१</sup> Gadgil, D. R., *The Industrial Evolution of India*, pp 13-14.

क्योंकि माल बन्दरगाहों तक ब्रिटिश जहाजों से आकर देश के विभिन्न भागों में रेलों द्वारा भेजा जा सकता था। ब्रिटिश शासन की जड़ें उधो-उधो शक्तिशाली होती गयीं त्यों त्यों भारत की कृषि तथा सामाजिक एन आर्थिक व्यवस्था का ढाँचा तोखला होता चला गया। २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक तो भारत की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का संचालन ब्रिटिश हितों की रक्षा की दृष्टि से होने लगा था।

इस काल में कृषि विकास की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

(१) कृषि पदार्थों का निर्यात—यद्यपि भारत से ब्रिटेन को कपास तथा पटसन का निर्यात १८३० से ही होना आरम्भ हो गया था किन्तु इसकी मात्रा बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। १८६०-६४ तक अमरीका में जो गृह युद्ध हुआ उसने कारण अमरीकी कपास का ब्रिटेन को निर्यात बन्द हो गया। फलतः ब्रिटेन ने भारतीय कपास आयात कर उसकी पूर्ति करने की चेष्टा की।

भारत के लघु उद्योगों का पतन होने के कारण अनेक श्रमिक तथा कारीगर बेकार हो गये और उन्हें कृषि पर ही निर्भर होना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि देश से निर्यात माल का निर्यात बन्द होकर खाद्यान्न, पटसन तथा तिलहन जैसे कृषि पदार्थों का निर्यात बढ गया। इन पदार्थों के निर्यात में मडक तथा रेलों के विकास में अधिक बल मिला। १८५७ के तत्काल बाद ही कलकत्ता में पेशावर तक की ग्राण्ड ट्रंक मडक पूरी की गयी जिसके माध्यम से विदेशी माल पश्चिम में पूर्व तक फैले हुए सभी केन्द्रों में पहुंचने लगा।

(२) कृषि श्रमिक वर्ग का उदय—ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में भारतीय कृषि पूर्णतः किसानों के हाथ में थी, इसमें काम करने के लिए अनिश्चित श्रमिकों की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु १८५७ के पश्चात् यन्त्र द्वारा सड़कें, नहरें, रेलें आदि निर्मित करने का कार्यक्रम शिवा गया। इस कार्य के लिए बहुत से श्रमिकों की आवश्यकता पडी। इधर लघु उद्योगों के बन्द हो जाने से बहुत स श्रमिक बेकार हो गए थे, वरु इन मार्गजनिक कार्यों में नियोजित हो गये। उनमें से बहुत से श्रमिक कृषि-काल में दूसरे व्यक्तियों की भूमि पर मजदूरी करने लगे तथा शेष समय में सार्वजनिक निर्माण कार्यों में मजदूरी द्वारा निर्वाह करते थे। इस प्रकार भारतीय कृषि में एक नये वर्ग 'कृषि श्रमिक' का उदय हुआ जो कालांतर में खेती पर निर्भर करने लगा।

(३) अकाली का प्रकोप—इस समय तक भारत में आयात के साधनों का विकास बहुत कम हुआ था अतः अकाल स्थानीय अभाव के कारण ही पड़ते थे और उनका प्रमाण भी अभावग्रस्त क्षेत्रों तक सीमित रहता था। १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कम से कम दो अकाल (मद्रास १८६०-६१ तथा राजस्थान १८६८) ऐसे पडे जिनमें लोगों के पास अन्न खरीदने के लिए धन था किन्तु अन्न उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार के अकाल आधुनिक अकालों से सर्वथा भिन्न थे क्योंकि वर्तमान समय में अभावग्रस्त क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों से अन्न भेजने की व्यवस्था कर दी जाती है। फलतः अन्न उपलब्ध तो होता है किन्तु उसके मूल्य अधिक होते हैं, अतः निर्धन वर्ग के लोग उसे खरीदने में असमर्थ होन है। १९४३ का अकाल का अकाल ऐसा ही था जिनमें घनाभाव के कारण लोग अनाज के गोदामों तथा होटलों के सामन भूख से तड़प-तड़प कर मर गये।

(४) कृषकों पर अण-भार—निरन्तर अकाल की स्थिति ने दक्षिण भारत के कृषकों की मानों कमर ही तोड़ दी। खेतियों की कमी मूल्यों में वृद्धि तथा बढ़ने हुए करों के कारण उन्हें साहूकारों से निरन्तर ऋण लेने पडे। इन ऋणों पर अत्यधिक ब्याज लिया जाता था जिसे बहुत से कृषक चुकाने में असमर्थ रहे। ब्रिटिश सरकार ने देश में अदालतों द्वारा न्याय-व्यवस्था अधिक सरल कर दी थी जिससे साहूकारों ने लाभ उठाया, फलतः किसानों की बहुत-सी भूमि (ऋण के भुगतान के रूप में) साहूकारों के बन्धु में चली गयी। इन सब घटनाओं के फलस्वरूप अहमदनगर तथा कुछ अन्य जिलों के किसानों ने सचपं आरम्भ कर दिया और साहूकारों के घरों तथा दुकानों की



लूटना आरम्भ कर दिया। इन किसानों को माँग यह थी कि उनकी भूमि लौटायी जाय तथा ऋणपत्रों को रद्द समझा जाय।

(५) सरकारी नीति—ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक वर्षों में कृषि विकास अथवा किसानों को सहायता देने की किसी योजना पर ध्यान नहीं दिया गया और कृषि तथा कृषक की आर्थिक स्थिति निरन्तर पतनोन्मुख होती गयी। ब्रिटिश सरकार भारत को कृषि प्रधान देश तो बनाना चाहती थी, किन्तु उसकी कृषि-व्यवस्था को बहुत मजबूत होने देना नहीं चाहती थी, फलतः कृषि भूमि निरन्तर टुकड़ों में विभाजित होनी रही, कृषकों पर ऋण बढ़ते रहे तथा जमींदार और जागीरदारों द्वारा किसानों का शोषण निरन्तर बढ़ता गया।

ऋण अधिनियम—दक्षिण में दंगे होने तथा तथा अफ़ालों के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति विगड़ने पर सरकार को यह भय होने लगा कि नहीं अन्य स्थानों पर भी राजनीतिक तथा आर्थिक दंगे न होने लगे, अतः सरकार ने १८८३ में भूमि सुधार ऋण अधिनियम (Land Improvement Loans Act) तथा १८८४ में कृषक ऋण अधिनियम (Agriculturists Loans Act) पास किये। इन अधिनियमों के अनुसार कृषकों को भूमि सुधार तथा कृषि विकास के लिए तक़ावी (ऋण) देने की व्यवस्था की गयी। यह ऋण मुख्य रूप में अचाल अथवा अन्य प्रकार के आर्थिक नकट के समय दिये जा सकते थे।

१९वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध भारतीय कृषि के लिए अत्यन्त सफ़ट एवं विपत्ति का युग था क्योंकि इस काल में अकाल, महामारियाँ तथा ऋण आदि के कारण कृषि के उत्पादन में निरन्तर कमी आती गयी तथा किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दुर्बल एवं दयनीय होती गयी। इस शताब्दी का अन्तिम वर्ष भी अकाल का वर्ष था जिसका प्रभाव आगामी दो तीन वर्ष तक बना रहा।

### ३ कृषि सङ्गमण-काल (१९००-१९१४)

भारतीय कृषि के इतिहास में १८८० से १८९५ तक का समय प्रगति-काल कहा जा सकता है क्योंकि इस युग में मिर्चवाई की मुविद्याओं के कारण कुछ नयी भूमि खेती के अन्तर्गत लायी गयी तथा कृषि उत्पादन में भी सुधार के लक्षण दिखायी देने लगे किन्तु जो कुछ प्रगति इन वर्षों में हुई थी वह १८९६-९७ तथा १८९९-१९०० के अकालों से समाप्त कर दी। इनके कारण कृषक पुनः ऋणी हो गये। १८९९-१९०० के जाल में सरकार को लगभग १५ करोड़ रुपये सहायता बाँची पत्र व्यय करने पड़े। इन अकालों की सम्भार वात यह थी कि गुजरात में चारे के अभाव में बहुत अधिक मत्स्या में पशुओं की मृत्यु हो गयी।

इन दोनों अकालों का यह प्रभाव पड़ा कि :

(१) दोहरी फसल वाले क्षेत्र में बहुत कमी आ गयी, और

(२) व्यापारिक तथा औद्योगिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न उत्पन्न किये जाने लगे।

इन कार किमान पटसन तथा तेल आदि महँगी व्यावसायिक वस्तुओं के स्थान पर चावल, ज्वार मक्का आदि उत्पन्न करने लगे। प्रो० गाडगिल का तो यहाँ तक कहना है कि बहुत से किसानों ने बड़िया खाद्यान्नों के स्थानों पर घटिया अन्न उत्पन्न करने आरम्भ कर दिये क्योंकि घटिया अन्न में प्रवृत्ति का प्रकोप महत् करी की शक्ति अधिक होती है।

उत्तर युग—२०वीं शताब्दी के आरम्भ से प्रथम महायुद्ध के आरम्भ होने तक के समय में देश की कृषि-व्यवस्था एवं संगठन में अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप देश की कृषि व्यवस्था में पर्याप्त उत्थिति हुई जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ तथा कृषि पदार्थों के व्यापार में भी पर्याप्त प्रगति हुई। इन प्रगति के कारण ही इस युग को कृषि सङ्गमण-काल के नाम से पुकारने हैं। इस काल में कृषि की प्रगति का अध्ययन अप्रलिप्तित दृष्टिकोणों से किया जा सकता है

(१) अधिक उत्पादन—सरकार ने प्रयत्नो से पंजाब की पश्चिमी नदियों से अनेक नहरें निकाली गयीं जिनसे पश्चिमी पंजाब के अधिकांश रेतीले प्रदेश को मिर्चाई की सुविधाएँ उपलब्ध हो गयीं। फलतः पंजाब में कृषि समृद्धि के एक नये युग का सूत्रपात हो गया। इससे न केवल लायलपुर भारत का खाद्यान्न भण्डार बन गया बल्कि इंग्लैण्ड को निर्यात करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में गेहूँ का उत्पादन होने लगा। गेहूँ के अतिरिक्त चावल, गन्ना तथा कपास का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होना आरम्भ हो गया।

(२) किसानों की समृद्धि—यद्यपि नवीन जतावड़ी के प्रारम्भिक वर्षों में कृषि उत्पादन की मात्रा बहुत मन्तोपजनक नहीं थी किन्तु वह सामान्य रूप में अच्छी थी। इसके अतिरिक्त कृषि की नवीन पद्धतियों के कारण उत्पादन का क्रम सन्तोपजनक रहा। आने-जाने के साधनों के विनास से भी कृषि पदार्थों को अभाव वाल स्थानों में भेजना सरल हो गया। इससे किसानों को कृषि पदार्थों के उचित मूल्य प्राप्त करने में भी सहायता मिली। इस सब तत्त्वों का सामूहिक परिणाम यह हुआ कि किसानों की आर्थिक स्थिति में आशातीत सुधार सम्भव हो सका।

(३) खाद्यान्नो का एकाधिकार—कृषि व्यवस्था में शमुचित उन्नति होने पर भी देश की अधिकांश भूमि पर चावल, गेहूँ तथा अन्य खाद्यान्न ही उत्पन्न किये जाते रहे। एक अधिवृत्त अनुमान के अनुसार कुल कृषि-योग्य भूमि के लगभग ८८ प्रतिशत भाग में खाद्यान्न उत्पन्न किये जा रहे थे। खाद्यान्नो के अतिरिक्त औद्योगिक फसलों में तिलहन तथा कपास का स्थान भी काफी महत्त्वपूर्ण था। इन तीनों ही बर्गों की वस्तुएँ, विशेषतः गेहूँ, कपास तथा तिलहन, इंग्लैण्ड को निर्यात किये जाते थे।

(४) सरकारी नीति—इस काल में सरकार ने कृषि विकास सम्बन्धी कुछ ऐसी योजनाएँ बनायीं और वामान्वित की जिन्हें महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है। इन योजनाओं के अन्तर्गत १९०१ में एक कृषि महानिरीक्षक (Inspector General of Agriculture) नियुक्त किया गया जिसका कार्य देश की कृषि समस्याओं का समाधान करने सम्बन्धी मुझाव देकर उन्हें कार्यान्वित करवाना था। इस अधिकारी के प्रयत्नो से कृषि विभाग के व्यय में थथेष्ट वृद्धि हुई।

सरकार ने गेहूँ, मूँगफली तथा अन्य पदार्थों को रोग तथा कीटाणुओं से बचाने में लिए शोधकार्य आरम्भ करवाये। फलतः ब्रह्मा में मूँगफली का उत्पादन करने में सफलता मिली और गेहूँ को विनाश से बचाने के कार्यक्रम में प्रगति हुई। अनेक क्षेत्रों में फसलों को कृत्रिम खाद देने सम्बन्धी प्रयोग भी किये गये।

खाद्यान्नो की विकास योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार ने तमिलनाडु में सर फेडररिक् निक्लसन की देखरेख में एक मत्स्य विभाग (Fisheries Department) स्थापित किया जिसका उद्देश्य देश में मछली व्यवसाय को उन्नत करने सम्बन्धी कार्य करना था।

कृषि साख की उचित व्यवस्था करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने १८९५ में जो समिति (निक्लसन मद्दोदय उसके एकमात्र सदस्य थे) नियुक्त की थी उसकी रिपोर्ट पर मन्दीरतापूर्वक विचार कर सन् १९०४ में प्रथम सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया। बाद में सन् १९१२ में इस अधिनियम की धाराओं को अधिक व्यापक बना दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में कृषि साख के लिए उचित एव मस्ते ऋण की व्यवस्था की नींव पड़ी।

उपर्युक्त विवरण में यह निष्कर्ष निकलता है कि १९००-१९१४ के काल में भारतीय कृषि की नाडियों में मिर्चाई सुविधाओं, कृषि की नवीन पद्धतियों तथा सस्ती सामन की व्यवस्था द्वारा नवीन रक्त संचानित करने की चेष्टा की गयी। ब्रिटिश सरकार की लगभग १५० वर्ष की उपेक्षा नीति की पृष्ठभूमि में यह प्रयत्न निररचय ही स्तुत्य बड़े जाने योग्य हैं।

### ४ युद्ध एवं अवसादकाल (१९१४-१९३९)

प्रथम महायुद्ध में कृषि की पम्पों जचटी रहीं किन्तु युद्ध के पश्चात् पहले ही वर्ष अर्थात् १९१८-१९ में देश भर में भयंकर अनाज की स्थिति उत्पन्न हो गयी। इस अनाज में उत्पन्न अनाज की पूर्ति के लिए आस्ट्रेलिया में लगभग २ लाख टन गहूँ आयात किया गया। १९२०-१ में भी पम्प सन्तोषजनक न होने के कारण अग्रिक अन्न आयात करना पडा।

महंगाई तथा सुधार—खाद्यान्नों का अनाज दान के कारण देश में अन्न की मूल्यों में सर्वत्र महंगाई हो गयी जिसमें देश की सामान्य जनता के लिए अत्यन्त कष्टदायक स्थिति उत्पन्न हो गयी। महंगाई की स्थिति अग्रिक समय तक नहीं बनी रही क्योंकि १९२० के पश्चात् पम्पों अच्छी हुई फलतः अन्न के भाव नीचे आ गये और अन्न का निर्यात पुन आरम्भ हो गया। १९२८-२९ में गेहूँ का निर्यात पुन युद्ध के पूर्व स्तर पर आ गया।

विश्वव्यापी मन्दी—सन् १९२८ में ही विश्वव्यापी मन्दी का दौर आरम्भ हो गया अतः भारत में पम्प विगड जान के कारण गेहूँ का पुन आयात करना पडा। विश्वव्यापी मन्दी के कारण देश में मन्दी कृषि पदार्थों के मूल्य भी उन्नत म गिरने आरम्भ हो गये जिसके फलस्वरूप किसानों को जीवन-निर्वाह के लिए श्रुण लेना पडा। यह विषम स्थिति निरन्तर द्वितीय युद्ध के आरम्भ तक चलती रही।

### ५ द्वितीय युद्धकाल (१९३९-४५)

द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ होने ही देश में कृषि पदार्थों की मांग बढ़नी आरम्भ हो गयी क्योंकि युद्ध में लड़ने वाली सेनाओं के लिए आटा तथा अन्य वस्तुओं की अग्रिनाग्रिक आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए देशवासियों की आवश्यकता का काम किया गया और सर्वत्र मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिंग व्यवस्था लागू की गयी।

युद्धकाल में प्रायः सभी खाद्यान्नों के मूल्यों में काफी वृद्धि हो गयी जिसमें किसानों को बहुत लाभ हुआ। फलतः अनेक किसानों ने अन्न युद्ध-पूर्व के स्तरों का भुगतान कर दिया।

खाद्यान्नों की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए १९४३ में 'अग्रिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन आरम्भ किया गया और छोटे-छोटे मूल्य-पट्टों पर भी खेती करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया।

### ६ युद्धोत्तरकाल (१९४५-५१)

युद्ध के पश्चात् भी भारत के सामने कृषि सम्बन्धी अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुईं जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं

(१) खाद्य समस्या—खाद्यान्नों का उत्पादन आवश्यकता से कम होने के कारण आस्ट्रेलिया अमेरिका तथा अफ्रीकादना से अन्न आयात करना पडा। इस कमी का एक महत्वपूर्ण कारण भारत का विभाजन था जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पन्न करने वाले कई महत्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये। इसके परिणामस्वरूप १९४६ में १९५० तक के बीच वर्षों में लगभग १३ करोड़ टन अन्न विदेशों से आयात करना पडा।

(२) ऊट तथा कपास की कमी—पाकिस्तान बन जाने से भारत को लगभग ५०-६० लाख गॉटों पटमन तथा १० लाख गॉटों लम्बे रेशे की रूई विदेशों से आयात करनी पनी, जिसमें देश की विदेशी विनिमय स्थिति शिथिली आरम्भ हो गयी।

(३) 'अग्रिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन—सन् १९४३ में 'अग्रिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन आरम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत अच्छे बीज, अधिक खाद, उपयुक्त निचाई की सुविधाओं द्वारा अन्न का उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा की गयी। इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रथम चार वर्षों में राज्य सरकारों को अनुदान तथा श्रुण दिये गये। इसके पश्चात् विशेष कार्यक्रमों के लिए अग्रिक महायज्ञा दान की व्यवस्था की गयी।

इस योजना के अन्तर्गत दो प्रकार के कार्यक्रम सम्मिलित थे—प्रथम कार्यक्रम के अन्तर्गत बुझो, सालाबो, छोटे बांधो, नल-नूपो तथा जल प्राप्ति के अन्य साधनों के निर्माण तथा मरम्मत की व्यवस्था थी। इस कार्यक्रम में भूमि को साफ कर खेती योग्य बनाने का काम भी सम्मिलित था। दूसरे कार्यक्रम के अन्तर्गत रासायनिक खाद तथा उन्नत किस्म के बीज आदि बाँटने की व्यवस्था थी। इस योजना के अन्तर्गत १९४८-४९ से १९५०-५१ के तीन वर्षों में लगभग २७ लाख टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न किया गया। सन् १९५०-५१ में भी अमन्तोपजनक मानसून के कारण अन्न का उत्पादन आवश्यकता से कम रहा, अतः विदेशों से लगभग २५ अरब रुपये का अन्न आयात करना पड़ा।

सन् १९५२ में 'अधिक अन्न उपजाया' आन्दोलन की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गयी जिसने इस आन्दोलन के उद्देश्यों में क्रान्तिकारी परिवर्तन का सुझाव दिया। फलतः कृषि तथा खाद्य मन्त्रालय के अनुदानों के अतिरिक्त राज्य सरकारों को १० करोड़ रुपये और ऋण देने की व्यवस्था की गयी। यह धनराशि राज्यों द्वारा छोटी सिंचाई योजनाएँ कार्यान्वित करने के लिए निश्चित थी।

(४) केन्द्रीय ट्रैक्टर सगठन—यह सगठन अमरीकी सेना द्वारा भारत में छोड़े गये २०० ट्रैक्टरों से आरम्भ किया गया। इनका उद्देश्य गहरी वासयुक्त भूमि तथा घने जंगलों से युक्त भूमि को साफ कर खेती के योग्य बनाना था। १९५१ में विश्व बैंक द्वारा लिए गये एक ऋण से २४० ट्रैक्टर खरीद गये। योजना आरम्भ करने के प्रथम तीन वर्षों में ही लगभग ४३ लाख एकड़ भूमि खेती के योग्य बनायी गयी।

(५) सगठित फसल उत्पादन कार्यक्रम—सन् १९५०-५१ में खाद्यान्न, पटसन, कपास तथा शर्करा के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम की पाँच मुख्य विशेषताएँ थीं।

(अ) सिंचाई की सुविधाओं से युक्त ४६ करोड़ एकड़ भूमि में सम्पूर्ण धनराशि तथा प्राविधिक साधनों का प्रयोग करना।

(आ) १ करोड़ एकड़ बज्र तथा ऊसर भूमि को खेती के योग्य बनाना।

(इ) लगभग एक लाख ग्रामों में भूमि सेना का निर्माण करना।

(ई) देश में पशुओं की लाल बीमारी (rinderpest) दूर करने तथा ६०,००० अच्छे साँड प्रतिनर्प तैयार करने का प्रयत्न करना।

(उ) देश में दान मशोमकों के माध्यम से ३० करोड़ वृक्ष लगाना।

उपर्युक्त कार्यक्रमों की प्रथम पंचवर्षीय योजना के कार्य में भी सम्मिलित कर दिया गया। सगठित फसलों के कार्यक्रम में पटसन तथा कपास के उत्पादन में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई क्योंकि इनका उत्पादन १९५०-५१ में क्रमशः ३३ लाख और ३० लाख गॉटों हो गया।

### प्रश्न

१ सन् १९५१ के पूर्व भारतीय-कृषि के विकास पर प्रकाश डालिए तथा इसके मन्द गति से विकास के कारण बतलाइए।

## योजनाकाल में कृषि का विकास

### (DEVELOPMENT OF AGRICULTURE DURING THE PLAN PERIOD)

*"Programmes of agricultural production lie at the base of the comprehensive approach to the reconstruction of the rural economy"*  
—The Third Five-Year Plan

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् दश के आर्थिक विकास के लिए योजनाबद्ध आर्थिक विकास का निश्चय किया गया तथा १ अप्रैल, १९५१ ने प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी। इस मध्याय में योजनाकाल में कृषि के विकास पर प्रकाश डाला जायगा।

#### १. प्रथम योजनाकाल में कृषि का विकास

प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्यतः कृषि योजना थी। योजना का उद्देश्य आर्थिक असन्तुलन को ठीक करना तथा कृषि उत्पादन में देश की आत्मनिर्भर बनाना था। योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। दश विभाजन के कारण अच्छी कपास तथा जूट उत्पन्न करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये थे। इस प्रकार भारत के दो प्रमुख उद्योगों—मूनी वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग—के मसझ बहुत बड़ा संकट आ गया था। पूर्वी बंगाल के चावल उत्पादक क्षेत्र तथा पश्चिमी पंजाब के गेहूँ उत्पादक क्षेत्र भी पाकिस्तान के हिस्से में पड़े थे। देश के मसझ खाद्य संकट पटने में ही चला आ रहा था। देश विभाजन के कारण इस संकट में भीषण रूप ग्रहण किया। जन साधन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया गया।

(१) कृषि पर प्रस्तावित तथा वास्तविक व्यय—प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों पर प्रस्तावित तथा वास्तविक व्यय निम्न सारणी के अनुसार था

#### कृषि पर प्रस्तावित एवं वास्तविक व्यय

वर्ग	प्रस्तावित व्यय (करोड़ ₹० में)	कुल प्रस्तावित व्यय का प्रतिशत	वास्तविक व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	३५७०	१५१	२६१०	१५०
मिचार्ड एवं शक्ति	६६१०	२८१	३१००	१६०
योग	१,०१८०	४३२	६०१०	३१०

प्रथम योजना प्रारम्भ में कुल २,०६६ करोड़ रुपये की थी। बाद में योजना में दो बार मसोधन किये गये तथा कुल प्रस्तावित व्यय बढ़ाकर क्रमशः २,३५६ करोड़ रुपये तथा २,२७८ करोड़ रुपये कर दिया गया। प्रथम योजना पर वास्तविक व्यय १,६१३ करोड़ रुपये हुआ। २,३५६ करोड़

रूपे की योजना में कृषि, सामुदायिक विकास, मिर्चाई एवं शक्ति पर कुल १.०१८ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव था जो कुल प्रस्तावित व्यय का ४३.६% था, परन्तु योजनाकाल में इन कार्यक्रमों पर कुल वास्तविक व्यय ६०.१ करोड़ रुपये हुआ जो कुल वास्तविक व्यय का ३१% था। इस प्रकार प्रथम योजनाकाल में कुल व्यय का लगभग एक तिहाई भाग कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों पर व्यय किया गया।

(२) प्रस्तावित लक्ष्य तथा प्रगति—निम्नलिखित तालिका से प्रथम योजना के कृषि सम्बन्धी लक्ष्यों तथा वास्तविक उत्पादन पर प्रकाश पड़ता है

प्रथम योजना के कृषि सम्बन्धी लक्ष्य तथा प्रगति

सद	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६ (वास्तविक उत्पादन)
खाद्यान्न	मिलियन टन	५२२	६५८
तिलहन	"	५१	५६
गन्ना (गुड)	"	५६	६०
कपास	मिलियन गांठें	२६	४०
जूट	"	३३	४२

[Source Third Five-Year Plan, p 302]

योजनावधि में कृषि की प्रगति सन्तोषजनक रही। कृषि उत्पादन में १८% वृद्धि हुई। खाद्यान्नों का उत्पादन ५२ मिलियन टन से बढ़कर ६६ मिलियन टन हो गया। वाणिज्यिक फसलों में तिलहन तथा कपास के उत्पादन में सराहनीय वृद्धि हुई तथा इन दोनों का उत्पादन लक्ष्य से अधिक रहा। जूट तथा गन्ने के उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की जा सकी, यद्यपि उनके उत्पादन में वृद्धि हुई।

योजनाकाल में खाद्य तथा उर्वरक की खपत में वृद्धि हुई। १९५०-५१ में अमोनियम सल्फेट की खपत २७५ लाख टन तथा फास्फोरिक खादों की खपत ४३ हजार टन थी। १९५५-५६ में इनकी खपत बढ़कर क्रमशः ६ लाख टन तथा ७८ हजार टन हो गयी। योजनाकाल में ५ मिलियन एकड़ भूमि का उद्धार किया गया। घेती व उन्नतिशील तरीकों का उपयोग किया गया। जापानी ढंग पर धान की खेती पर जोर दिया गया। योजना के अन्तिम वर्ष में लगभग २० लाख एकड़ भूमि पर जापानी तरीके से धान की खेती की गयी। विभिन्न प्रकार के उत्तम बीजों का उपयोग किया जाने लगा। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया तथा महाहारिता के विकास के लिए प्रयत्न किये गए। अवद्वर १९५२ के सामुदायिक विकास योजनाएँ प्रारम्भ की गयीं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रथम योजनाकाल में कृषि की प्रगति उत्पादक थी परन्तु योजना के कृषि विषयक कार्यक्रमों में कुछ दोष भी थे। प्रथम विभिन्न फसलों के विकास एवं सुधार के लिए कोई निश्चित योजना नहीं थी। द्वितीय, कृषि विकास के लिए संस्थागत परिवर्तन (institutional changes) आवश्यक हैं परन्तु प्रथम योजनाकाल में संस्थागत परिवर्तनों पर विशेष जोर नहीं दिया गया। खेती के लघु आकार तथा उनके उप विभाजन एवं अपव्यञ्जन सम्बन्धी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। भूमि-सुधार के क्षेत्र में भी नाममात्र की प्रगति हुई।

## २ द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा कृषि

(१) प्रस्तावित व्यय—द्वितीय पंचवर्षीय योजना मुख्यतः उद्योग प्रधान योजना थी। इसमें ५,८०० करोड़ रुपये के प्रस्तावित व्यय (सार्वजनिक क्षेत्र) में से ५६८ करोड़ रुपये अर्थात् कुल प्रस्तावित व्यय का ११% कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों पर व्यय करना था।

इसके अतिरिक्त सिंचाई सम्बन्धी कार्यक्रमों पर २८१ करोड़ रुपये व्यय करने थे। यद्यपि सापेक्षिक दृष्टि में, द्वितीय योजना में कृषि को गौण प्राथमिकता प्रदान की गयी थी, परन्तु कृषि पर कुल प्रस्तावित व्यय प्रथम योजना की अपेक्षा अधिक था।

(२) लक्ष्य तथा प्रगति—द्वितीय योजना को अन्तिम रूप प्रदान करते समय इस बात पर ध्यान दिया गया कि योजना के औद्योगिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कृषि-उत्पादन में और अधिक वृद्धि आवश्यक है। अतः प्रारम्भ में कृषि सम्बन्धी जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे उनमें सशोणन किया गया। द्वितीय योजना के सशोणित लक्ष्यों तथा कृषि कार्यक्रम की उपलब्धियों पर निम्न सारणी प्रकाश डालती है

द्वितीय योजना के कृषि लक्ष्य तथा प्रगति

भेद		१९५५-५६ (उत्पादन)	१९६०-६१ (उत्पादन)
खाद्यान्न	मिलि० टन	६५८	८२०
तिलहन	,	५६	७०
गन्ना (गुड)	,	६०	११२
बपास	मि० गांठे	४०	५३
जूट	"	४२	५३

सारणी से स्पष्ट है कि द्वितीय योजनाकाल में खाद्यान्न तथा गन्ना-उत्पादन के अनिश्चित, कृषि उत्पादन के किसी भी लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई। अधिकांश लक्ष्यों की पूर्ति न होने का प्रमुख कारण यह था कि उनकी पूर्ति के लिए तत्सम सुनियोजित कार्यक्रम ही बनाया गया और न आवश्यक माना में पड़त या मापनों (inputs) की व्यवस्था की गयी। इन योजनाकाल में भूमि सुधार की दिशा में भी प्रयत्न किये गये तथा सहकारी कृषि के प्रचार पर विशेष जोर दिया गया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि द्वितीय योजनाकाल में कृषि की दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ। इस योजनाकाल की एक उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें सामुदायिक विकास योजना का प्रसार बढ़ी तेजी से किया गया तथा कृषि-साल एव सहकारिता के क्षेत्र में भी मराठनीय प्रगति हुई। प्रथम योजनाकाल में कृषि में सस्थागत परिवर्तनों की अपेक्षा की गयी थी परन्तु द्वितीय योजनाकाल में कृषि में सस्थागत परिवर्तनों पर विशेष जोर दिया गया।

### ३ तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा कृषि

तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कृषि के महत्त्व को पुनः स्वीकार किया गया तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भूलों को सुधारने का प्रयत्न किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पाँच प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था—'लाभ सामर्थियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उद्योगों तथा निर्यात की माँग को पूरा करना।' सार्वजनिक क्षेत्र में, तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कुल ७,५०० करोड़ रुपये व्यय करना था, जिसमें से कृषि तथा सामुदायिक विकास के लिए १,०६८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी जो कुल प्रस्तावित व्यय का १४% था। यह राशि, द्वितीय योजना में कृषि कार्यक्रमों पर व्यय की जान वाली राशि के तुल्य में भी अधिक थी। इससे अतिरिक्त बड़ी तथा माध्यम सिंचाई योजनाओं पर व्यय की प्रस्तावित राशि ६५० करोड़ रुपये थी। इस प्रकार कृषि तथा कृषि सहायक कार्यक्रमों पर तृतीय योजना-काल में कुल १,७१८ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव था, जो तृतीय योजना के कुल प्रस्तावित व्यय का २३% था।

(१) कृषि उत्पादन पर प्रस्तावित व्यय—१,७१८ करोड़ रुपये की उपर्युक्त राशि में से कृषि उत्पादन में सम्बन्धित कार्यक्रमों पर कुल १,२८१ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव था

जिमका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। तुलना की दृष्टि से साथ में द्वितीय योजना से सम्बन्धित सूचना भी दी गयी है।

तृतीय योजना में कृषि उत्पादन पर प्रस्तावित व्यय

विवरण	द्वितीय योजना (वास्तविक व्यय)	तृतीय योजना (प्रस्तावित व्यय)
कृषि उत्पादन	६८ १०	२२६ ०७
सघु सिंचाई	६४ ६४	१७६ ७६
भू-मरक्षण	१७ ६१	७२ ७३
सहकारिता	३३ ८३	८० १०
सामुदायिक विकास (कृषि-कार्यक्रम)	४०.००	१२६ ००
प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	३७२ १७	५६६ ३४
योग	६६५ ७५	१,२८१ ००

[Source *The Third Five-Year Plan*, p 304]

(२) कृषि लक्ष्य तथा प्रगति—तृतीय योजना के कृषि सम्बन्धी लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ निम्नलिखित थीं

तृतीय योजना के कृषि उत्पादन लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

वस्तु	१९६०-६१	१९६५-६६ (उत्पादन)
खाद्यान्न मि० टन	७६ ०	७२ ३
तिलहन "	७ १	६ १४
गन्ना (गुड) "	८ ०	१२-१२
कपास मि० गांठें	५ १	४ ००
जूट "	४ ०	४ ६०
सम्भाव्य हज़ार टन	३० ०	४० ००

[Source *The Third Five-Year Plan* p 317, and *Economic Surveys*]

तृतीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य १०० मि० टन निश्चित किया गया था (सन् १९६५-६६ में ४५ मि० टन चावल, १५ मि० टन गेहूँ, २३ मि० टन अन्य अनाज तथा १७ मि० टन दालों का उत्पादन करना था)। परन्तु सन् १९६५-६६ अर्थात् तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन ७२ मि० टन मात्र हुआ (सन् १९६४-६५ में खाद्यान्न का उत्पादन ८६ मि० टन था)। तृतीय योजना का अन्तिम वर्ष (१९६५-६६) अशामान्य वर्ष था। लगभग समस्त उत्तरी भारत विशेषकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बंगाल जनाकृमि (मूला) से पीड़ित था। ये क्षेत्र कृषि उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। अतः सन् १९६५-६६ में कृषि उत्पादन बहुत कम हुआ। योजनाकाल में कृषि पर १,०८६ करोड़ रुपये व्यय किये।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही असफल रही। इस असफलता में प्रकृति का महत्वपूर्ण हाथ था। साथ ही साथ कृषि उत्पादन के लक्ष्य देश की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किये गये थे परन्तु उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जिस मात्रा में धन व प्रयत्न की आवश्यकता थी उसकी व्यवस्था नहीं की जा सकी। योजना निर्माताओं के दृष्टिकोण तथा सरकार की कृषि के प्रति उदासीनता की नीति का परिणाम देश की भृंगतना पड़ा।



गत पृष्ठो मे प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाकाल मे कृषि के विकास पर प्रकाश डाला गया। हमारा ध्यान मुख्यतः कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमों तक ही सीमित रहा है। इसके अतिरिक्त, योजनाबद्ध विकास के प्रथम पन्द्रह वर्षों मे कृषि क्षेत्र मे कनिष्ठ अन्वय दिशाओं मे भी प्रगति हुई, जिनका विवरण निम्नलिखित है

(i) सिंचाई—योजना काल मे निश्चित भूमि क्षेत्र ५६ करोड़ एकड़ मे बढ़कर ६७ करोड़ एकड़ हो गया है। इस वृद्धि मे लगभग १३ करोड़ एकड़ की वृद्धि छोटी योजनाओं के अन्तर्गत हुई है।

(ii) रासायनिक खाद—पन्द्रह वर्षों मे नवजनयुक्त रासायनिक खाद का उपभोग ४६,००० टन मे बढ़कर ४५२ लाख टन हो गया है।

(iii) दूध—सन् १९४०-४१ मे दूध का उत्पादन १७ करोड़ टन था जो १९५५-५६ मे १६ करोड़ टन, १९६०-६१ मे २२ करोड़ टन तथा १९६५-६६ मे २४६ करोड़ टन हो गया।

(iv) सामुदायिक विकास योजनाएँ—कृषि विकास मे क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए देश मे सामुदायिक विकास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्य पंचायती सस्थाओं तथा सहकारी समितियों के सहयोग से किया जा रहा है। देश के सम्पूर्ण क्षेत्र को सन् १९६३ तक सामुदायिक योजनाओं के अन्तर्गत लाया जा चुका था।

(v) गहन खेती कार्यक्रम—सन् १९६०-६१ मे इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य-प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के सान जिलों मे गहन खेती कार्यक्रम का मूलपाठ किया गया। इस योजना को धान-धान अन्य क्षेत्रों मे बढ़ाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीनतम रीतियों द्वारा कृषि उत्पादन मे वृद्धि के प्रयोग किये जा रहे हैं जिनका साम मारे देश को हो सकेगा।

(vi) भूमि की समस्याएँ—देश के प्राय सभी भागों मे जमींदारी अथवा जागीरदारी का उन्मूलन कर दिया गया है। ७३ लाख एकड़ भूमि का स्वामित्व ३३ लाख व्यक्तियों को सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग ५५ करोड़ एकड़ भूमि की चक्रबन्दी की जा चुकी है।

वास्तव मे, किसान को भूमि का स्वामी बनाने की दिशा मे केवल सामान्य कदम उठाये गये हैं। इस दिशा मे अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

#### ४ कृषि और योजना के तीन वर्ष (१९६६-६७ से १९६८-६९)

तृतीय योजना की समाप्ति तक चतुर्थ योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। इसका मुख्य कारण तीसरी योजना की असफलता था। वास्तव मे, योजना के मूल स्वरूप एवं प्राथमिकताओं पर एकदम नये विचार करने की आवश्यकता थी, अन्तः एक ओर तो चतुर्थ योजना को तीन वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया, दूसरी ओर विकास के लिए वार्षिक योजनाओं का कार्यक्रम आरम्भ किया गया।

१९६६-६७ से १९६८-६९ के तीन वर्षों मे कृषि पर कुल प्रस्तावित व्यय ६६६५ करोड़ रुपये था, परन्तु वास्तविक व्यय तीन वर्षों मे १,१६६ करोड़ रुपये हुआ।

इसमे स्पष्ट है कि तीन वर्षों मे कृषि कार्यक्रमों पर कुल व्यय का लगभग १५४ प्रतिशत व्यय किया गया। इस व्यय के अतिरिक्त सिंचाई कार्यक्रम पर ४४६ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं जिससे सिंचाई और कृषि व्यय लगभग २५ प्रतिशत हो जाता है।

#### ५. चतुर्थ योजना तथा कृषि

चतुर्थ योजना (१९६९-१९७४) मे कृषि (जिसमे कृषि शोध हल्की सिंचाई, भूमि रक्षण, पशु पालन, दुग्ध व्यवसाय के विकास, मछली पालन, वन, गोदाम-व्यवस्था, कृषि सृजन-समस्याओं को जायिक सहायता, सहायिता, सामुदायिक विकास आदि सम्मिलित हैं) विकास के लिए २,७२८

करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह राशि प्रास्तावित व्यय की कुल रकम का १७.२ प्रतिशत है।

चतुर्थ योजना में कृषि-उत्पादन १९७३-७४ के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

**कृषि विकास के प्रस्तावित लक्ष्य**

वस्तु	इकाई	१९७३-७४ का लक्ष्य
१ खाद्यान्न	मिलियन टन	१२६
२ तिलहन	" "	१०.५
३ गन्ना (गुड़)	" "	१५
४. रई	" गाँठें	८
५ जूट	" "	७.४
६ तम्बाकू	" किलोग्राम	४५०
७ काजू	हजार टन	२३६
८ कान्ची मिर्च	" "	४२
९ दालें	मिलियन टन	१५

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना के प्रस्तावित उत्पादन लक्ष्य काफी ऊँच रखे गये हैं। २,७२६ करोड़ रुपये के प्रस्तावित व्यय में से ४२० करोड़ रुपये कृषि उत्पादन व शोध कार्य, ५१६ करोड़ रुपये लघु मिर्चाई योजनाओं, ६४ करोड़ रुपये पशु-पालन, ८३ करोड़ रुपये मछली पालन, ६३ करोड़ रुपये वन विकास, १७६ करोड़ रुपये सहकारिता तथा ११५ करोड़ रुपये सामुदायिक विकास पचासत के लिए सम्मिलित हैं।

**कृषि-विकास की समीक्षा**

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का महत्त्व बढ़ता गया है। प्रत्येक योजना में पूर्व योजना की अपेक्षा, कृषि विकास के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था की गयी। कृषि उत्पादन में भी सन्तोषजनक वृद्धि हुई है। कृषि विकास क्षेत्रफल तथा उत्पादकता का फलन है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में कृषि-उत्पादकता में निम्नलिखित प्रकार से वृद्धि हुई

**उत्पादन, क्षेत्र तथा उत्पादकता में चक्रवृद्धि दर से वृद्धि**

योजनाकाल	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादकता
१ प्रथम योजना	४१	२६	१.४
२ द्वितीय योजना	३१	१३	१.८
३ तृतीय योजना	३३	०.६	२.७

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण अधिक हुई है। विभिन्न राज्यों में भी वृद्धि दर में पर्याप्त अन्तर रहा है। पंजाब, गुजरात, तथा तमिलनाडु में राष्ट्रीय औसत से अधिक वृद्धि हुई। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि राजस्थान में हुई है। कृषि शोध पर उत्तरोत्तर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान हरित-क्रान्ति (Green Revolution) योजनाओं के माध्यम से किये गये कृषि-विकास प्रयासों का ही परिणाम है।

परन्तु यह क्रान्ति केवल खाद्य फसलों—गेहूँ, चावल, सरसम, ज्वार-बाजरा तथा मक्का—तक ही सीमित है। यदि हरित-क्रान्ति की दशा सभी फसलों में लागू हो जाये तो भारत खाद्यान्नों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर ही नहीं हो जायेगा, बरन् खाद्यान्नों का निर्यात भी करने लगेगा। चतुर्थ-पंचवर्षीय योजना का कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

### प्रश्न

- १ भारतीय कृषि की कम उत्पादन क्षमता के कारणों की विवेचनात्मक व्याख्या कीजिए तथा इसके सुधार के उपाय बतलाइए। (इलाहाबाद, बी० ए०, १९६५)
- २ भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारणों पर प्रकाश डालिए। विगत वर्षों में कृषि के आधुनिकरण के लिए क्या प्रयास किये गये हैं और किन्ती सफलता के साथ। (राजस्थान, बी० कॉम०, १९७१)
- ३ भारत में कृषि के प्रति राज्य नीति की समीक्षा कीजिए। (विक्रम, बी० कॉम०, १९६२)
- ४ भारत में कृषि क्षेत्र में राज्य के योगदान की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। (विक्रम, बी० ए०, १९६३)
- ५ भारत में कृषि पुनर्संगठन की भावी रूपरेखा क्या होनी चाहिए? पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि विकास के लिए किये गए उपायों का वर्णन कीजिए। (गोरखपुर, बी० ए०, १९६३)
- ६ योजनाकाल में भारतीय कृषि के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
७. भारतीय कृषि के विकास में सरकारी योगदान पर एक विवेचनात्मक निबन्ध लिखिए।

## खेतों का आकार एवं उत्पादकता

(SIZE OF FARMS AND PRODUCTIVITY)

*"The low agricultural productivity of land in India has been frequently ascribed to the progressive sub division and fragmentation of holdings in almost all parts of the country"*

—Wadia and Merchant

भारत में कृषि की एक अत्यन्त गम्भीर समस्या यह है कि कृषि-भूमि अत्यन्त छोटे छोटे टुकड़ों में बँटी हुई है। वही कही तो यह टुकड़े इतने छोटे हैं कि उन पर बेल पूरी तरह से घूम भी नहीं सकते जिससे उनको जोतने और बीज डालने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं अनेक स्थानों पर एक ही किसान के पास भूमि के कई छोटे छोटे टुकड़े हैं जो एक-दूसरे से बहुत दूर बिखरे हुए हैं। इन टुकड़ों की देखभाल अथवा व्यवस्था करना बहुत बर्बाद काम है। फलतः भारतीय खेती अत्यावहारिक अत्यावसायिक तथा अलाभदायक हो गयी है।

### १ उप विभाजन एवं अपखण्डन का अर्थ तथा सीमा

(१) उप-विभाजन—कृषि भूमि के उप-विभाजन से तात्पर्य यह है कि भूमि का एक टुकड़ा जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व है, किसी कारण से दो या अधिक व्यक्तियों में बाँट दिया जाता है। उदाहरणतः एक परिवार के मुखिया के पास भूमि का एक पाँच एकड़ का टुकड़ा है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह मूँड मुत्तिया के चार बच्चों में बँटा-बँटा एकड़ बँट जाता है और इस प्रकार एक खण्ड पाँच एकड़ से कम होकर केवल सवा एकड़ रह जाता है।

(२) अपखण्डन—कई बार ऐसा होता है कि एक परिवार के पास भूमि के चार टुकड़े हैं जो उपज अथवा स्थिति की दृष्टि से बहुत भिन्न हैं। जब यह भूमि चार बच्चों में बँटती है तो प्रत्येक बालक तथा युवक चारों टुकड़ों में अलग अलग हिस्सा लेना चाहता है, फलतः वह भूमि १६ भागों में अपखण्डित हो जाती है और प्रत्येक के हिस्से में चार बहुत छोटे छोटे खण्ड आते हैं, जो एक-दूसरे में बहुत दूर स्थित हो सकते हैं।

भारत में भूमि की जोन इतनी अधिक अपखण्डित एवं उप विभाजित हो गयी है कि उसे किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। गत एक अध्याय में चेस्टर योल्स के विचार दिये गये हैं जिसमें उन्होंने यह बताया है कि भारत में जमींदारी प्रथा समाप्त करने के पश्चात् भी १० प्रतिशत भेविद्वारों के पास वृत्त भूमि के ५० प्रतिशत से अधिक तथा १ प्रतिशत किसानों के पास लगभग १० प्रतिशत है।

भारत में कृषि-जीवों का औसत आकार

भारत में कृषि-जीवों का औसत आकार बहुत छोटा है। निम्न मागगी में विभिन्न राज्यों में कृषि-जीवों के औसत आकार पर प्रकाश पड़ा है

प्रति कृषक-परिवार बोक्री गायें भूमि का औसत

(एकर में)

राज्य	प्रति परिवार औसत भूमि	राज्य	प्रति परिवार औसत भूमि
केरल	१ =	आन्ध्र	२०
उत्तर व मध्य प्रदेश	३ =	मैसूर	१०१
पश्चिमी बंगाल	४१	मध्य प्रदेश	१०६
तमिलनाडु	४२	गुजरात	१०७
ब्रह्म	४३	महाराष्ट्र	१०८
बिहार	४८	उत्तर	१३ =
उड़ीसा	१०	गजपतान	१९०
उत्तर प्रदेश	१८ =	अखिल भारत	७७१

समस्त भारत में कृषक परिवारों के पास औसत रूप से, ३.३१ एकर जमीन प्राप्त होती है। इन विभाजन की प्रक्रिया जारी रहने के कारण वर्तमान समय में यह औसत और भी कम हुआ होगा। यह तो हुई औसत की बात। किसान की भूमि एक ही स्थान पर नहीं होती है, बल्कि उसने कुछ बड़े टुकड़ों में विभक्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश में (१६वाँ संस्करण) के अनुसार इन क्षेत्रों (plots) का औसत आकार १.१८ एकर मात्र है क्योंकि एक किसान के पास औसत रूप से ६-७ छोटे-छोटे क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार प्रति किसान बोक्री जन्तु दालों के औसत तथा विविध प्रकार के जन्तुओं के उत्पादन बोक्री (unecoromic foldings) का देश बना दिया है। जिनके क्षेत्रों के निर्माण के सम्बन्ध में जाकर कुछ विभागों तथा कृषकों के प्रयोगों के होते हुए भी क्षेत्रों के उप-विभाजन तथा उत्पादन की सम्बन्ध सम्पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का उद्योग है। सम्पूर्ण भारत में प्रति कृषक परिवार ३.३ एकर भूमि उपलब्ध है परन्तु यदि विभिन्न राज्यों की दृष्टि में देखा जाए तो प्रति कृषक परिवार जमीन का औसत १.८ एकर (केरल) से १६ एकर (गजपतान) तक है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत में कृषि की सर्वोत्तम सम्बन्ध जैविक बोनस तथा उसमें भी बड़ी सम्बन्ध इन उत्पादक बोक्री का कई टुकड़ों में उप-विभाजन तथा उत्पादन है।

राष्ट्रीय निर्धारण सर्वेक्षण (National Sample Survey) ने उत्तर जाड़े प्रदेशों में भारत के सभी राज्यों में भूमि सम्बन्ध का सर्वेक्षण किया है। सर्वे के अनुसार देश में ६१ करोड़ परिवार कुलों में विभक्त करके है और उनके पास कुल ३१ करोड़ एकर भूमि है।

उत्पादन के सम्बन्ध में विभिन्न अनुमान लगाये हैं वह प्रायः बहुत छोटे और अविश्वसनीय हैं जो उनकी पुनरावृत्ति करना अनुचित नहीं है। सम्बन्ध की पुनरावृत्ति का एक मात्रानु अनुमान इस बात से स्पष्ट प्रतीत है कि देश में सर्वोत्तम एकर-निर्धारण विभागों में से प्रत्येक के पास १६ एकर भूमि का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में निर्धारण बहुत सम्पूर्ण है क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषि भूमि का उत्पादन अत्यधिक है। उत्तर-प्रदेशों के उत्तर में निर्धारण बनी जाती बनी है।

अनुमान अनुभव की विधि इस तरह की दृष्टि करती है कि भारत के अधिकांश कृषक अपने भूमिवासी हैं। वस्तुतः भारत में जमीन भूमि नहीं है कि प्रत्येक जमीन को दक्षिण भारत का

खेत देने की व्यवस्था की जा सके। इसका एकमात्र हल यही है कि अतिरिक्त ग्रामीण जनसंख्या को कृषि में अन्य व्यवसायों में स्थानान्तरित होने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

## २ उप-विभाजन एवं अपखण्डन के कारण

भूमि का उप-विभाजन तथा अपखण्डन के कारण मुख्यतः परम्परागत, सामाजिक अथवा आर्थिक हैं। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं।

(१) उत्तराधिकार के नियम—भारत में पिता की मृत्यु पर उसके लड़के तथा लड़कियाँ सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हो जाते हैं और अन्य मर्यादा के साथ-साथ भूमि भी कई टुकड़ों में बँट जाती है। यहाँ तक कि यदि पिता के पाम चार प्रकार के भू-खण्ड हो तो सभी वक्तों उन चारों में अनग-अलग हिस्सा लाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार दो-तीन पीढ़ियों में ही भूमि अनेक छोटे छोटे खण्डों में उप-विभाजित एवं अपखण्डित हो जाती है।

(२) सयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना—डॉ० रघुनाथ मुखर्जी का मत है कि गत वर्षों में स्वतन्त्र परिवार स्थापित करने की भावना प्रबल हो गयी है, अतः सयुक्त परिवार प्रणाली टूट रही है जिसके कारण भूमि को टुकड़ों में बाँट लेने की भावना को भी प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। वस्तुतः सयुक्त परिवार में अलग होने के लिए कुछ ऐसी सम्पत्ति की आवश्यकता होती है, जो परिवार के निर्वाह के लिए सहायक हो। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से की भूमि भी ले लेना चाहता है जिसमें वह अपखण्डित होती चली जाती है।

(३) जनसंख्या में वृद्धि—गत वर्षों में भारत की जनसंख्या अत्यधिक तीव्र गति में बढ़ी है जिसके कारण श्रमिकों अथवा रोजगार चाहने वालों की संख्या में भी असाधारण वृद्धि हुई है। इन सब व्यक्तियों को कल-कारवानों अथवा अन्य क्षेत्रों में रोजगार देना सम्भव नहीं हो सका है, अतः उनमें से अधिकांश कृषि क्षेत्र में ही कार्य करने के लिए बाध्य हो गये हैं। विचार मर्त्य तथा अन्य कठिनाइयों के कारण इन्होंने अपने हिस्से की भूमि अलग ले ली है। इस प्रकार जन-वृद्धि के कारण भी भूमि के विखण्डित होने की प्रथा को बहुत बल मिला है।

(४) भूमि की साख—भारत में आदिवासी से ही भूमि का स्वामित्व आदर की दृष्टि से देखा गया है। अब भी उन व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ऊँची है जिनके पास अपनी भूमि तथा मकान है। इस दृष्टि से परिवार में अलग होने वाले व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए अपने हिस्से की भूमि पर पृथक् स्वामित्व प्राप्त करने को इच्छुक रहते हैं। यहाँ तक कि नगरों में जाकर बस जाने वाले पश्चात् भी भूमि का अधिकार नहीं छोड़ सकते। यह एक अत्यन्त विषम एवं गम्भीर परिस्थिति है।

(५) साहूकारों द्वारा अधिकार—यद्यपि गत वर्षों में प्रायः सभी राज्यों में इस प्रकार के नियम बन गये हैं कि कृषि भूमि खेती न करने वाले व्यक्तियों अथवा परिवारों के नाम हस्तान्तरित नहीं हो सकती किन्तु इन नियमों के बनने से पूर्व देश के अनेक भागों में ऋण न चुका सकने के कारण किसानों की भूमि का स्वामित्व क्रमशः साहूकारों के हाथ में चला गया। इन साहूकारों ने भी कृषि भू-खण्डों को अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के हाथ बेच दिया जिससे सम्पूर्ण भूमि अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गयी। अब भी ग्रामों में रहने वाले साहूकार अपने आपकी खेत-हल घोषित कर ऋण भुगतान के बदले में कृषि भूमि प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं।

(६) कुटीर उद्योगों का पतन—अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत कृषि तथा उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उन्नतियों का और क्रियात्मक न केवल खाली समय में कोई व्यवसाय कर लेने के व्यक्ति बटन-से व्यक्ति पूरे समय ही विभिन्न औद्योगिक कार्यों में नियोजित रहते थे। इसमें कृषि भूमि पर जनसाधारण नहीं था। अंग्रेजी शासन की दुर्नीतियों के परिणामस्वरूप देश के कुटीर उद्योग क्रमशः अनेकों को प्राप्त होने लगे और ग्रामीण जनता को अतिअधिक रूप में भूमि पर निर्भर रहने के लिए

बाध्य होता पड़ा। इसका फल यह हुआ कि भूमि क्षमता विभाजित होनी चली गयी। गल वषों में राज्य सरकारों ने कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अत्यन्त उदार नीति अपनायी है किन्तु इन उद्योगों की प्रगति मुख्यतः नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में हुई है अतः कृषि पर जनभार में कोई कमी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है।

उपयुक्त सत्र परिस्थितियों के कारण भारत में कृषि भूमि पर जलभार-निरन्तर बढ़ता जा रहा है जिसके फलस्वरूप यहाँ की खेती न तो व्यावसायिक बन पायी है और न ही वह कृषकों को सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करने में समर्थ है। फलतः कृषक तथा उसका व्यवसाय दोनों ही ज्वलत अवस्था में है।

भूमि के उप-विभाजन तथा अपव्यञ्जन के अन्य परिणाम निम्नलिखित हैं -

### ३ उप-विभाजन एवं अपव्यञ्जन के दोष

(१) भूमि का अपव्यय—भूमि के निरन्तर विखण्डन के फलस्वरूप वह बहुत-बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गयी है। इन सत्र टुकड़ों पर बाढ़ लगाने से बहुत भूमि व्यर्थ जाती है क्योंकि विखण्डित होन में पूर्व यदि एक बाढ़ लगाना यथेष्ट था तो अब कई बाढ़ लगाना आवश्यक हो जाता है। बाढ़ के नीचे अधिक भूमि आ जाने में उतनी ही भूमि कृषि के लिये मिल जाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि बाढ़ लगाने में लगभग ४-५ प्रतिशत भूमि व्यर्थ जाती है।

(२) पारस्परिक विवादों में वृद्धि—भूमि पर लगायी जान वाली बाढ़ प्राप्त खेती के मौसम में लगायी जाती है। अनेक बार नयी बाढ़ लगाने समय पड़ोसियों में आपस में इस बात पर विवाद उत्पन्न हो जाता है कि बाढ़ जहाँ लगाई जानी चाहिए। दूरी की कठिनाई मिचवाई के सम्बन्ध में रहती है। प्रत्येक किसान को निश्चित समय पर जल उपलब्ध होना है और प्रत्येक अपनी आवश्यकतानुसार दूसरे में पहले जल लेना चाहता है फलतः वह आगे जान खेतों में पानी की पूर्ति रोक लेता है जिससे बगुआ मिर-कुओअन तथा हत्याएँ तक हो जाती हैं। इन विवादों के फलस्वरूप किसानों की बहुत सी शक्ति और धन या अपव्यय होता है।

(३) कृषि रीतियों में सुधार असम्भव—भूमि के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होने के कारण न तो उनमें मिचवाई के लिए कुएँ बनाना सम्भव है और न ही मिचवाई के अन्य साधनों का अधिकतम सदुपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भूमि पर बुवाई, जुलाई तथा कटाई के नवीनतम साधनों का प्रयोग करना भी अनाधिक एवं अयावहारिक है।

(४) भूमि व्यवस्था की कठिनाई—यदि किसान के पास कुल जितनी भूमि है वह एक ही स्थान पर हो तो उसमें न केवल खेती की सुगरी हुई प्रणालियाँ काम में ली जा सकती हैं बल्कि फसल की उचित देखरेख भी सुविधापूर्वक हो सकती है। एक व्यक्ति के पास कई भू-खण्ड होने पर उसे फसल की देख-रेख पर बहुत धन व्यय करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन भू-खण्डों पर हल, बैल तथा अन्य साधन ले जाने में भी बहुत-से धन तथा श्रम का अपव्यय होता है क्योंकि यह भू-खण्ड प्रायः एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होते हैं। इस प्रकार कृषक की शक्तियाँ एक स्थान पर केन्द्रित नहीं हो पाती और कृषि-व्यवस्था अतृप्त बनती रहती है।

(५) स्थान उत्सादन एवं आपस—भूमि के विखण्डित रहने का एक निश्चित परिणाम यह होता है कि खेती की प्रणालियाँ पुरानतन्त्रयी बनती रहती हैं जिसके कारण कृषि उत्पादन बहुत कम रहता है। फलतः देश में कृषि पदार्थों का अभाव रहता है, कृषक को आर्थिक स्थिति विपन्न रहती है और इसमें देश की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था दुर्बल एवं जड़ बनती रहती है, उसमें गतिशीलता उत्पन्न करना सम्भव नहीं होता।

(६) रोजगार का अभाव—भूमि के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होने के कारण उन पर खेती करने वाले व्यक्तियों को बहुत ही थोड़े समय के लिए काम मिलता है जिसके फलस्वरूप देश में

प्रच्छन्न (Disguised) बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार की स्थिति बनी रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि देश में व्यापक आर्थिक असन्तोष बना रहता है।

### ४ उप-विभाजन तथा अपखण्डन के गुण

यद्यपि भूमि का अत्यधिक विभाजन तथा अपखण्डन अनेक दृष्टिकोणों से दोषपूर्ण एवं अवाञ्छनीय है कि तु उसमें निम्न लाभ भी अन्तर्निहित हैं

(१) आत्मनिर्भरता—भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि प्रत्येक कृषक के पास खेतों के लिए अपनी भूमि होती है और वह अपने जीवन-निर्वाह के लिए संव्या आत्मनिर्भर रह सकता है। यदि भूमि का खण्ड बहुत छोटा है तो वह उस पर अधिक श्रम तथा पूँजी लगाकर अधिक उत्पात्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है और इस प्रकार भूमि की उपज में वृद्धि की सम्भावना हो सकती है।

(२) मानसून के विरुद्ध बीमा—यह एक प्रचलित सत्य है कि भारत में मानसून द्वारा सभी स्थानों पर वषेष्ट वर्षा नहीं होती अतः यदि किसान के पास मित्र-मित्र क्षेत्रों में भूमि के टुकड़े हैं तो एक स्थान पर वर्षा न होने पर भी वह दूसरे स्थान के भू-खण्ड से प्राप्त उत्पात्ति से अपना जीवन-निर्वाह कर सकता है। यदि उसके सब भू खण्ड एक साथ ही एक क्षेत्र में हों तो उस क्षेत्र में वर्षा न होने पर किसान की आर्थिक स्थिति बहुत विगड़ जाने का भय है। इस प्रकार अलग-अलग क्षेत्रों में भू-स्वामित्व होने से किसान मानसून के दुःप्रभावों से कुछ बचा रहता है।

(३) फसलों की बदला बदली—कृषि-भूमि को शक्ति हानि में बचाने के लिए प्रायः फसलों की बदला बदली का मुझाव दिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी खेत में एक वर्ष एक फसल उत्पन्न की गयी है तो दूसरे वर्ष दूसरी ऐसी फसल पैदा की जानी चाहिए जो पहली फसल द्वारा लिये गये तत्त्व भूमि को प्रदान कर सके। इससे भूमि की उत्पादन शक्ति बचावत बनी रहती है। छोटे छोटे खेतों में फसलों की बदला-बदली की प्रथा मरलतापूर्वक अपनायी जा सकती है क्योंकि यदि किसान के चार खेत हैं तो वह चारों में अलग-अलग फसल आसानी से बो सकता है। एक ही खेत होने पर ऐसा करना अपेक्षाकृत कठिन है।

(४) बिक्रय की सरलता—भूमि के छोटे-छोटे खण्डों पर खेती करने से उस पर जो उत्पात्ति प्राप्त होती है वह बहुत अधिक नहीं होती अतः उसे उत्पादन क्षेत्र में ही देना सम्भव होता है जिसमें किसान को फसल मण्डी तक ले जाने का श्रम तथा व्यय उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(५) गहरी खेती के लिए प्रोत्साहन—भूमि के छोटे-छोटे खण्ड होने पर किसान को उससे वषेष्ट उपज प्राप्त करने की कठिनाई रहती है अतः वह स्वभावतः उन दुर्घटों पर खेती की नवीन-तम प्रणालियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य हो जाता है ताकि उसे आवश्यकतानुसार उत्पादन प्राप्त हो सके। इस प्रकार गहरी खेती प्रणाली को प्रोत्साहन मिल सकता है। जापान में प्रायः छोटे-छोटे भू खण्डों पर नवीन प्रणालियों द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है।

(६) परिवार की व्यस्तता—छोटे भू खण्डों पर परिवार के अधिक व्यक्तियों को अधिक समय के लिए कार्यरत किया जा सकता है। उदाहरणतः, यदि एक परिवार के पास चार छोटे-छोटे भू-खण्ड हैं और उसमें आठ व्यक्ति हैं तो प्रत्येक भू-खण्ड पर दो-दो व्यक्ति लगाये जा सकते हैं। यह सत्य है कि इससे श्रम का सदुपयोग नहीं होता किन्तु भारत में तो अधिक श्रम का नियोजन करने की समस्या है, श्रम का अभाव नहीं। अतः छोटे भू खण्डों पर अधिक व्यक्तियों को कार्य-व्यस्त रख सकते हैं जिसमें उन्हें बेकारी अथवा पालीपन का अनुभव नहीं होने पाता।

यद्यपि भूमि के छोटे-छोटे खण्ड अनेक दृष्टिकोणों में लाभकारी हैं परन्तु गम्भीरतापूर्वक देखने पर पता लगता है कि इनके दोष अधिक व्यापक एवं हानिप्रद हैं अतः कृषि भूमि के अप-खण्डन को दूर करने के लिए प्रभावशाली उपाय योजना बहुत आवश्यक है।



## ५. उप-विभाजन तथा अपखण्डन की समस्या का समाधान

कृषि भू-खण्डों के उप-विभाजन तथा अपखण्डन की समस्या का समाधान 'आर्थिक जोतों' (economic holdings) के निर्माण द्वारा किया जा सकता है। आर्थिक जोतों का निर्माण कई विधियों से किया जा सकता है जैसे, (i) भूमि का राष्ट्रीयकरण कर आर्थिक जोतों का निर्माण करके भूमि का पुनर्वितरण करना (ii) जोतों की चक्रबन्दी करना, तथा (iii) सहकारी कृषि द्वारा। इन तीनों विधियों में से प्रथम विधि भारत में नहीं अपनायी जा सकती। आगे के पृष्ठों में हम सर्व-प्रथम 'आर्थिक जोत' पर प्रकाश डालेंगे तत्पश्चात् चक्रबन्दी और सहकारी कृषि का भी वर्णन करेंगे।

### आर्थिक जोत (ECONOMIC HOLDING)

'आर्थिक जोत' के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत प्रकट किये हैं। कोटिंग के अनुसार आर्थिक जोत वह है जिससे प्राप्त शुद्ध उत्पादन (गर्बे निकालकर) द्वारा कोई व्यक्ति अपने परिवार का उचित ढंग से भरण-पोषण कर सके। तदनुसार दक्षिण (बम्बई) में प्रत्येक भू-खण्ड कम से कम ४०-५० एकड़ का होना चाहिए तथा उस भूमि पर निवास के लिए एक मकान तथा सिंचाई के लिए एक कुआँ होना चाहिए।<sup>1</sup>

डा० हेरल्ड मान के विचार में एक आर्थिक जोत वह है जो एक औसत परिवार को सन्तोषजनक जीवन-स्तर प्राप्त करवाने में सहायक हो सके। इस जोत का आकार (दक्षिण में) २० एकड़ होना चाहिए।<sup>2</sup>

श्री एम० एल० डालिंग का कथन है कि पंजाब में एक किसान परिवार ८-१० एकड़ भूमि से पर्याप्त जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। उसे सामान्य जीवन-स्तर बिताने के लिए कम से कम १०-१२ एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है।<sup>3</sup>

कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने कृषि जोत का आकार निर्धारित करने के लिए तीन मापदण्ड निर्धारित किये हैं।

समिति ने आर्थिक जोत के लिए कोई विशेष सीमा निर्धारित नहीं की क्योंकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की किस्म, कृषि की मुश्किलें तथा घेनी की रीतियाँ बहुत भिन्न हैं। अतः यह कहना कि ५, १० या १५ एकड़ के भूखण्ड आर्थिक माने जाने चाहिए, सर्वथा भ्रामक होगा। इस दृष्टि से ही समिति ने एक आर्थिक जोत के लिए तीन आधार निश्चित किये हैं :

(i) जीवन स्तर—आर्थिक जोत का प्रथम आधार यह है कि उक्त भूखण्ड से प्राप्त उत्पत्ति इतनी होनी चाहिए जिससे किसान के परिवार को पर्याप्त जीवन-स्तर बनाये रखने लायक आय प्राप्त हो सके।

(ii) रोजगार—आर्थिक जोत का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि एक सामान्य परिवार तथा बंबों की एक जोड़ी को पूरे समय के लिए काम उपलब्ध हो सके।

(iii) तकनीकी सुविधाएँ—आर्थिक जोत का आकार निर्धारित करने में प्रत्येक क्षेत्र की कृषि रीतियों तथा तकनीक का भी ध्यान रचना चाहिए।

उत्तर-प्रदेश कांग्रेस कृषि समिति ने यह विचार प्रकट किया कि सामान्यतः एक कृषक परिवार के समुचित भरण-पोषण के लिए १५-२० एकड़ भूमि की आवश्यकता है किन्तु यदि कृषि मूल्यों में वृद्धि हो जाए तो यह सीमा कुछ कम हो सकती है।

<sup>1</sup> Rural Economy in Bombay Deccan, pp. 52-53

<sup>2</sup> Land and Labour in a Deccan Village, Vol. II, p. 43,

<sup>3</sup> Punjab Peasants in Prosperity and Debt,

उपरोक्त सभी विचारों से यह स्पष्ट है कि एक आर्थिक जोत का आकार प्रत्येक स्थान के लिए समान नहीं हो सकता। वह मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करना चाहिए

- (१) भूमि की उर्वरता,
- (२) सिंचाई एवं अन्य साधनों की उपलब्धि
- (३) कृषि रीतियाँ,
- (४) किसान का जीवन-स्तर।

यदि आर्थिक जोत की उचित परिभाषा देनी हो तो यह कहा जा सकता है कि आर्थिक जोत वह है जो प्रचलित कृषि साधनों एवं रीतियों द्वारा एक सामान्य कृषक परिवार को समान-जनक जोखन स्तर बनाये रखने में सहायक हो सके। स्वभावतः यह सीमा गंगा और यमुना क मैदान में कम तथा राजस्थान के रेगिस्तानी भागों में अधिक होगी।

(अ) आधारभूत जोत (Basic Holding)—कुमारप्पा समिति (वाग्नेय कृषि सुधार समिति, का यह मत है कि कुछ भू खण्ड सदा आर्थिक जोत से बहुत कम तथा कुछ उसके बहुत निकट रहने हैं। इन दोनों के बीच में कुछ जोतें होती हैं जिन्हें आधारभूत जोत कहा जा सकता है। इस प्रकार आधारभूत जोत ऐसा भू खण्ड होता है जो आर्थिक जोत से छोटा होते हुए भी विशेष अर्थार्थिक नहीं होता और जिसे परिश्रम द्वारा आर्थिक बनाया जा सकता है।

समिति का यह मत है कि आधारभूत तथा आर्थिक जोतों पर व्यक्तिगत खेती करने की अनुमति होनी चाहिए क्योंकि इनसे व्यक्तिगत थम एवं शक्तियों को कृषि विकास करने को प्रोत्साहन मिलेगा। कालान्तर में यह व्यक्तिगत खेन सहकारी खेतों में परिणत किये जा सकते हैं।

(ब) अधिकतम जोत (Maximum Holding)—समिति ने न्यूनतम अथवा आधारभूत जोत और आर्थिक जोत के सम्बन्ध में विचार प्रकट करने के अतिरिक्त यह भी कहा है कि आर्थिक न्याय की दृष्टि से कृषि भूमि के टुकड़ों की एक उच्चतम सीमा भी होनी चाहिए क्योंकि यदि कुछ व्यक्तियों के पास अर्थात् मित मात्रा में भू खण्ड रहने दिये गये तो वह अन्य व्यवसायों की भाँति कृषि में भी जनता का शोषण करने लगेंगे। इस सम्बन्ध में समिति का यह मत है कि अधिकतम जोत साधारणतः आर्थिक जोत के तिगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में यथास्थान अधिक प्रकाश डाला जायेगा।

भारत में आर्थिक जोतों का निर्माण दो विधियों द्वारा किया जा सकता है—चक्रवर्ती द्वारा तथा सहकारी खेतों द्वारा।

### जोतों की चक्रवर्ती (CONSOLIDATION OF HOLDINGS)

जब भूमि के बहुत छोटे छोटे अथवा बिखरे हुए टुकड़ों को मिला दिया जाय अथवा उनके स्थान पर किसान को एक ही स्थान पर एक टुकड़ा देने की व्यवस्था कर दी जाय तो इस व्यवस्था को चक्रवर्ती (consolidation) कहते हैं। उदाहरणतः किसी ग्राम में ५०० एकड़ कृषि योग्य भूमि हो और उसमें १०० परिवार बसत हों तो प्रत्येक परिवार के हिस्से में ५ एकड़ भूमि आ सकती है। अब यह सम्भव है कि कुछ परिवारों के पास कुल मिलाकर ५५ एकड़ भूमि तो है किन्तु वह दूर दूर बिखरे हुए कई टुकड़ों में है। जैसे एक परिवार के पास १ एकड़ का एक खण्ड गाँव के पश्चिम की ओर, १५ एकड़ का एक टुकड़ा उत्तर की ओर, २२ एकड़ का एक अण उत्तर-पूर्व की ओर तथा ०.३ एकड़ का एक खण्ड दक्षिण की ओर है। चक्रवर्ती के अन्तर्गत इस परिवार को किसी भी सुविधाजनक स्थान पर (जो उसके घर के निकट हो या ओर किसी दृष्टि से सुविधाजनक हो) ५ एकड़ का एक ही टुकड़ा देने की व्यवस्था कर दी जाती है।

चक्रवर्ती करने में किसान को पहन से कुछ घटिया अथवा बढ़िया भूमि मिल सकती है।

यदि भूमि पहले से कुछ बढ़िया है तो उसमें कुछ क्षतिपूर्ति ले ली जाती है और बढिया भूमि प्राप्त करने वाले को कुछ रकम क्षतिपूर्ति व हट म द दी जाती है, और यदि नये भूमि कुछ घटिया है तो उसे बढ़िया भूमि प्राप्त करने वाले किसान से क्षतिपूर्ति मिल जाती है।

चकबन्दी दो प्रकार में की जा सकती है—ऐच्छिक चकबन्दी तथा कानून द्वारा चकबन्दी।

(क) ऐच्छिक चकबन्दी—भारत में खेतों की चकबन्दी का कार्य राज्यों व राज्यत्व विभागों तथा महकांगे मन्त्रियों द्वारा १९२० में आरम्भ किया गया किन्तु पत्राव व गिवाय किसी राज्य में इसकी उन्नतनीय प्रगति नहीं हुई क्योंकि चकबन्दी योजना स्वीकार करना एच्छित्त रखा गया था। अनेक बार गाँव के केवल एक दो व्यक्तियों ने विरोध के कारण ही सम्पूर्ण चकबन्दी कार्यक्रम स्थगित कर देना पड़ता था। अन्ततः विभिन्न राज्यों तथा प्रांतों में चकबन्दी सम्बन्धी नियम बनाये गये जिनमें यह व्यवस्था की गयी कि यदि गाँव में ६० प्रतिशत किसान चकबन्दी के लिए सहमत हो गये तो एक योजना बनाकर उसे सम्पूर्ण गाँव पर लागू किया जा सकता और अमहत्त्व होने वाली का कानून द्वारा वह व्यवस्था स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा।<sup>१</sup> कुमारप्पा मन्त्रि ने भी इस व्यवस्था को चानू रखने की नीति का समर्थन किया है।

इस अर्थ एच्छिक एवं अर्द्ध बतानू याचना को पुराने बहोला राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा जम्मू काश्मीर प्रदेशों में शीघ्र लागू किया गया। वस्तुतः ६० प्रतिशत किसानों की सहमति से चकबन्दी करना एक अत्यन्त कठिन एवं दुष्कृत कार्य है अतः राज्यों का यह प्रतिशत ७/१ तक लाने की चेष्टा करनी चाहिए।

(ख) कानून द्वारा चकबन्दी—आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से निरूद्धे हुए देशों में सुधार के अनेक कार्य कानून द्वारा सम्पन्न करना आवश्यक होता है क्योंकि अधिकांश जनता परम्परावादी होने के कारण सुधार के कार्यों का महत्त्व उनके पास होने के परचाय ही समझने लगती है। इस दृष्टि में ही कई राज्यों में चकबन्दी सम्बन्धी ऐसे कानून बनाये जिनके अनुसार राज्य सरकार को चकबन्दी की योजना बनाने तथा कार्यान्वित करने के व्यापक अधिकार दिये गये हैं। उदाहरणतः, १९७७ में बम्बई, १९८८ में पंजाब, १९५१ में उड़ीसा, १९५३ में उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश, १९५८ में राजस्थान, १९५१ में पश्चिमी बंगाल तथा १९५६ में आन्ध्र तथा त्रिपुरा में चकबन्दी सम्बन्धी कानून बनाये गये।

उत्तर प्रदेश में चकबन्दी की गति तीव्र करने के लिए १९५८ में एक मनोद्वय अधिनियम पारित किया गया तथा १९५९ में मध्य प्रदेश, आन्ध्र तथा मैसूर में चकबन्दी कानून लागू किये गये। मध्य प्रदेश में तो एक किन्तु राजस्व कोड (Revenue Code) निमित्त किय गया जिसका उद्देश्य चकबन्दी याचनाओं को गतिशील बनाना है। इन कानूनों के अतिरिक्त प्रायः सभी राज्यों में भूमि के अगमण्डन की रोक सम्बन्धी अधिनियम भी पार कर दिये गये हैं।

योजनाबद्ध चकबन्दी—योजनाकाल में सभी राज्यों को चकबन्दी योजनाएँ कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित किया गया किन्तु कुछ राज्यों में ही इस दिशा में सर्वोपजनक प्रगति हो सकी है। द्वितीय योजना की समाप्ति तक २६ करोड़ एकड़ भूमि की चकबन्दी की जा चुकी थी। तृतीय योजना की समाप्ति तक चकबन्दी का लक्ष्य ३१० करोड़ एकड़ भूमि निश्चित किया गया था। इस लक्ष्य की पूर्ति कर ली गयी है।

अशांति तानिना द्वारा भारत में चकबन्दी की प्रगति का ज्ञान होता है :

वर्ष	चकबन्दी के अन्तर्गत क्षेत्र
१९६०-६१	१२१
१९६५-६६	२४१
१९६८-६९	२९६
१९७३-७४	३९०
(सकल)	

चतुर्थ योजना के अन्त तक कुल ३९० लाख हेक्टर भूमि क्षेत्र की चकबन्दी पूरी कर ली जायेगी। चकबन्दी की योजना आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गयी है। चतुर्थ योजना में इस कार्यक्रम के लिए २८४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें राज्य सरकारों द्वारा किया गया प्रावधान भी सम्मिलित है।

**चकबन्दी में कठिनाइयाँ—**भारत में भूमि की चकबन्दी के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं जिसमें से मुख्य निम्नलिखित हैं

(१) भूमि का मूल्यांकन—चकबन्दी करते समय विभिन्न वर्गों के भू-खण्डों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है ताकि क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाया जा सके। गत वर्षों के मूल्यों में अल्पनीय वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप चकबन्दी करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है क्योंकि बहुत से व्यक्ति अत्यधिक क्षतिपूर्ति देने में असमर्थ हैं। इस दिशा में सहकारी समितियों के आर्थिक सहयोग द्वारा चकबन्दी में अच्छी सहायता मिल सकती है।

(२) भूमि से लगाव—भारतीय कृषक का अपने वाप दादों की भूमि से अत्यधिक स्नेह है और वह किसी लाभ के लिए उसे त्यागने के लिए तैयार नहीं होगा, अतः कभी-कभी उनकी भूमि के बदले अच्छी भूमि मिलने पर भी वह विनिमय के लिए तत्पर दिखायी नहीं पड़ता। यह एक अत्यन्त गम्भीर स्थिति है। इस सम्बन्ध में पनायतों तथा सामुदायिक विकास अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क एवं दबाव द्वारा उचित बात-बरण तैयार किया जाना चाहिए ताकि कानून के लागू करने पर चकबन्दी अधिकारियों को अनावश्यक विरोध का सामना नहीं करना पड़े।

(३) तकनीकी ज्ञान—चकबन्दी का कार्य ऐसा है कि उसे सम्पन्न करने के लिए भूमि के सभी खण्डों का यथोचित सर्वेक्षण वर्गीकरण तथा मूल्यांकन करना आवश्यक है जिसके लिए यथोचित योग्यता वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अनेक बार उचित योग्यता वाले अधिकारी उपलब्ध नहीं होते जिसके कारण चकबन्दी ठीक नहीं हो पाती और किसानों में अत्यधिक असन्तोष उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप ग्रामों के क्षेत्रों चकबन्दी का विरोध होना आरम्भ हो जाता है।

(४) भ्रष्टाचार—गत वर्षों में अनेक स्थानों पर चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं जिनमें पक्षपात की शिकायत की गयी है। वस्तुतः भ्रष्टाचार तथा घूस-खोरी भारत की राष्ट्रीय समस्याएँ बन गयी हैं अतः जब तक इन्हे अत्यन्त शक्तिशाली साधनों द्वारा नहीं दबाया जायेगा, तब तक देश की अच्छी से अच्छी योजनाओं की सफलता संदिग्ध बनी रहेगी।

**चकबन्दी के गुण तथा महत्त्व—**भूमि की चकबन्दी से किसानों को कई प्रकार के लाभ पहुँच सकते हैं

(अ) खेती करने में समय तथा श्रम की बचत होती है और भूमि का श्रेष्ठतम प्रयोग किया जा सकता है।

(आ) मिचाई सुविधाओं तथा मूल्यो खेती की रीतियों का विस्तार किया जा सकता है।

(इ) व्यक्तिगत तथा सामाजिक जोत अधिक सुविधाजनक एवं मुनियोजित हो जाते हैं।

(ई) गाँव में सड़को, नहरों तथा अन्य सुविधाओं का विकास करना सरल हो जाता है।

उपर्युक्त लाभों की पृष्ठभूमि में देश की सम्पूर्ण कृषि भूमि का स्वामित्व पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। इससे कृषि की अधिक उन्नत प्रणालियों का प्रयोग करने में भी सरलता रहेगी तथा यदि लोग चाहेंगे तो सहकारी खेती करना भी सरल हो जायेगा।

### कृषि प्रणालियाँ

भूमि पर वैज्ञानिक अनुसन्धानों का लाभ उठाने के लिए चरबन्दी एक मार्ग है किन्तु अन्य ऐसे साधन भी हैं जिनके द्वारा छोटे-छोटे भू-खण्डों को मिलाकर बड़े पैमाने पर खेती की जा सकती है। बड़े पैमाने की खेती के भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रूप प्रचलित हैं। उनमें से अधिक महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं : (पूँजीवादी खेती, राजकीय खेती, सामूहिक खेती, तथा सहकारी खेती)।

(१) पूँजीवादी खेती (Capitalist Farming)—कभी कभी कुछ व्यक्ति एक सम्मिलित कम्पनी बना लेते हैं और उसमें अंश (shares) खरीद लिये जाते हैं। यह अंग-पूँजी भूमि-पसीदने में काम ली जाती है। इस प्रकार क्रमशः कृषि सम्पदाओं का निर्माण कर लिया जाता है तथा उनमें बड़े पैमाने की रीतियों द्वारा खेती की जाती है। इन सम्पदाओं (estates) का संगठन एवं प्रबन्ध पूर्णतः समुक्त पूँजी वाली कम्पनियों की भाँति किया जाता है।

अमरीका तथा ब्रिटेन में पूँजीवादी खेती बहुत प्रचलित है। भारत में भी चाय, कढ़वे तथा रबड़ के बागानों में कृषि सम्पदाएँ निर्मित की गयी हैं। इनकी स्थापना १८५६ की स्वातंत्र्य क्रांति के पश्चात् की गयी थी जब भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दृष्टि से मेखामुक्त ब्रिटिश अधिकारियों को हिमालय तथा नीलगिरि के पहाड़ी प्रदेशों में बसाया गया और उन्हें विशेष सुविधाएँ प्रदान की गयीं। बाद में इन सुविधाओं का कुछ भागियों ने भी लाभ उठाया और पञ्जाब, सिन्ध तथा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित प्रदेशों में बड़े-बड़े भू-खण्ड प्राप्त कर उन पर खेती आरम्भ कर दी गयी। इनमें से कुछ सम्पदाएँ अब भी हैं। यह कृषि कामों दो प्रकार के हैं :

(i) प्रथम प्रकार की सम्पदाओं का अधिकार कुछ व्यक्तियों, किसी समुक्त पूँजी कम्पनी अथवा सिन्डिकेट के पास होता है। इन खेती पर काम करने के लिए अन्य उद्योगों की भाँति श्रमिक नियोजित किये जाते हैं और उनके काम का निरीक्षण विशेष अधिकारियों द्वारा होता है। सम्पदा का मंजूर सम्पदा के क्षेत्र में ही निवास करता है तथा सारे काम की देख-रेख करता है। खेती करने में नवीनतम कृषि प्रणालियों तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। भारत में दक्षिणी गन्ना सम्पदाएँ (Deccan Sugarcane Estates) तथा पर्वतीय प्रदेशों की चाय सम्पदाएँ (Tea Estates) पूँजीवादी खेती के उदाहरण हैं।

(ii) दूसरी प्रकार की सम्पदाओं में वह खेती सम्मिलित है जिन पर किसी अकेले व्यक्ति अथवा निगम का अधिकार होता है। यह भूमि कुछ व्यक्तियों को अलग-अलग टुकड़ों में खेती के लिए दे दी जाती है तथा उनमें निश्चित लगान वसूल कर लिया जाता है। इन व्यक्तियों को कृषि रीतियों में सुधार की सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

पूँजीवादी खेती के गुण निम्नलिखित हैं :

(१) कृषि की नवीनतम प्रणालियों का प्रयोग होने के कारण उत्पादन अधिक होता है।

(२) भूमि का सर्वोत्तम सदुपयोग किया जाता है।

(३) स्पर्धा के कारण कृषि पदार्थों के मूल्यों में विशेष वृद्धि नहीं होती।

(४) श्रमिकों की मजदूरी तथा आवास की स्थितियाँ अच्छी रहती हैं। ऐसा कभी-कभी स्वेडिश तथा कभी-कभी सरकारी नियम के कारण होता है।

(५) कृषि पदार्थों की उपज, परिवहन अथवा वितरण व्यवस्था कुशल होती है ।

दोष—कृषि साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करने की दृष्टि से पूँजीवादी खेती रामबाण इलाज नहीं है क्योंकि ऐसा करने से किसान भूमिहीन हो जाते हैं और उन्हें पूँजीवादी शासन में श्रमिक की भाँति काम करना पड़ता है । इस प्रकार समाज पर पूँजीवादी आधिपत्य बढ़ने लगता है ।

दूसरा दोष यह है कि पूँजीवादी खेती एक प्रकार की जमींदारी व्यवस्था मात्र है जिसमें किसान का व्यक्तिगत उत्पाद समारण्य हो जाता है और उनकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का निरन्तर शोषण होते लगता है ।

पूँजीवादी खेती का तीव्रता गम्भीर दोष यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था का उचित प्रबन्ध एवं संचालन करने के लिए दूरदर्शी, महानुभूति रखने वाले तथा कृषि क्षेत्र के साहसी जानकारों की आवश्यकता होती है । इस प्रकार के व्यक्तियों का यथेष्ट सख्या में उपलब्ध होना ही एक समस्या है । भारत जैसे अविभक्त देश में यह समस्या विशेष कठिन है ।

इस व्यवस्था का एक अन्य दोष यह है कि इसके व्यापक प्रयोग से कृषि क्षेत्र में भी आधुनिक पंखड़ी प्रणाली के सभी दोष उत्पन्न हो जायेंगे ।

भारत में एक समाजवादी समाज के निर्माण का सफल विधा है । भारत के कृषकों की जायिक स्थिति पहले से ही विपन्न है अब उन्हें पूँजीवादी शोषण के चक्र में उलझाकर भूमिहीन बना देना सर्वथा अनुचित होगा । उचित तो यह है कि जिन क्षेत्रों में पूँजीवादी खेती प्रचलित है उनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर यह देखना चाहिए कि वहाँ उपज, श्रमिकों की स्थिति तथा विक्रय आदि व्यवस्थाएँ उचित हैं या नहीं । इस अध्ययन के आधार पर परिस्थितियों में उचित सुधार किया जाना चाहिए । इस दृष्टि से पूँजीवादी खेती का भारत में कोई स्थान नहीं है ।

(२) राजकीय खेती (State Farming)—यदि सरकार सम्पूर्ण अथवा कुछ कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण कर ल और उस भूमि पर राज्य व अधिकारियों द्वारा श्रमिकों से खेती करवायी जाय तो यह व्यवस्था राजकीय खेती कहलाती है । इसके अन्तर्गत निजी पूँजीपतियों के स्थान पर सरकार भूमि की मालिक होती है और खेती करने वाला का निर्धारित दर पर पारिश्रमिक दिया जाता है ।

राजकीय खेती का सर्वोत्तम उदाहरण रूस में मिलता है जहाँ क्रांति (१९१७) के पश्चात् बहुत सी भूमि सरकार व अधिकार में आ गयी और उस पर सरकारी संरक्षण में ही खेती का कार्य आरम्भ कर दिया गया । प्रसिद्ध इतिहासकार स्विटजरस्की ने १९२७ में यह स्वीकार किया कि लगभग ४-५ हजार राजकीय खेतों में खान योग्य मात्रा में भी अन्न उत्पन्न नहीं हुआ । १९३३ में स्थापित न भी यह स्वीकार किया था कि रूस के कुछ इन्ने गिन राजकीय खेतों पर ही लाभदायक खेती हो रही थी । रूस के अनिर्दिष्ट आस्ट्रेलिया तथा डेनमार्क में भी राजकीय खेती के कुछ प्रयोग किये गये हैं परन्तु उनमें बहुत कम सफलता मिल सकी है ।

गुण दोष—राजकीय खेती का सबसे बड़ा गुण यही बताया जाता है कि इसमें सारी कृषि भूमि सरकार के अधीन आ जाय स जमींदारों द्वारा किये जाय वाले शोषण की समाप्ति हो जाती है किन्तु वास्तविक समस्या यह है कि निमानों का भी तो भूमि पर कोई अधिकार नहीं रहता, अतः उनकी स्थिति बहुत कुछ बेसी ही रहती है जैसी कि पूँजीवादी खेती व अन्तर्गत होती है । किसान दानों ही स्थितियों में मजदूर मात्र रहत हैं । इसका साथ ही राजकीय खेतों का प्रबन्ध भी यथेष्ट कुशल नहीं होता क्योंकि सरकार द्वारा सभी प्रकार के निर्णय लेने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में क्षमकताहीनता ही का प्रभाव रहता है ।

राजकीय खेती की अक्षमता का ज्वरन्त उदाहरण इस बात से मिलता है कि गत पाँच वर्षों में सोवियत रूस में कनाडा से लगभग एक करोड़ टन अन्न प्रति वर्ष आयात किया है । जून

१९६६ में मोवियन रूस ने कनाडा से एक समझौता किया जिसके अनुसार वह जागामी तीन वर्षों में कनाडा से ३२६ करोड़ बुगल अन्त आयात करेगा। मार्च १९६६ में जनवादी चीन ने भी कनाडा से तीन वर्षों में २८ करोड़ बुगल खाद्यान्न खरीदने का समझौता किया था। लगभग ५० वर्षों के आयोजन के पश्चात् किसी देश की कृषि इतनी विपत्नावस्था में हो, यह निश्चय ही चिन्ता का विषय है। जानकार लोगों का मत है कि रूस में कृषि की असफलता का कारण सरकारी खेती है, अतः इस दिशा में सुधार के नये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(३) सामूहिक खेती (Collective Farming)—पूँजीवादी अथवा राजकीय खेती के अतिरिक्त एक अन्य व्यवस्था सामूहिक खेती हो सकती है। इसके अन्तर्गत किसी राजकीय आदेश अथवा नीति के अनुसार भूमि के छोटे छोटे खण्ड मिला लिए जाते हैं और इन सामूहिक भू-खण्डों पर इकट्ठी खेती की जाती है। इन भू-खण्डों की व्यवस्था के लिए एक एक प्रबन्धक मण्डल बनाया जाता है जो खेती करवाने, वित्त प्राप्त करने तथा विक्रय करने की व्यवस्था करता है।

यह मण्डल सभी सदस्यों के श्रम का हिसाब रखता है तथा शुद्ध लाभ इस श्रम के अनुपात में ही वितरित किया जाता है। कार्यकुशलता के लिए भी अच्छे श्रमिका को विशेष वेतन या पारिश्रमिक दान की व्यवस्था की जानी है। सामूहिक खेती व्यवस्था में किसानों के पास सब्जी आदि उगाने के लिए छोटे छोटे भू-खण्ड व्यक्तिगत अधिकार में छोड़ दिये जाते हैं ताकि उन्हें सामान्य आवश्यकताओं के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े।

गुण-दोष — रूस में राजकीय खेती के अतिरिक्त अधिकतर भूमि पर सामूहिक खेती अपनायी गयी किन्तु लेनिन ने इस व्यवस्था को धीरे-धीरे अपनाते का क्रम ही उचित समझा क्योंकि सामूहिक खेती का किसानों ने बलपूर्वक विरोध किया। इस विरोध का अन्त करने के लिए रूस में लगभग एक करोड़ किसानों को मीत के घाट उतार देना पड़ा।<sup>1</sup>

वस्तुतः सामूहिक खेती में खेतों को बलपूर्वक मिलान की किया सर्वथा अनुचित एवं अयोग्यव्यवहारिक है। प्रजातन्त्रवादी व्यवस्थाओं में तो यह पद्धति अपनाया ही सम्भव नहीं है। इस पद्धति में प्रायः राजकीय खेती जैसा ही गुण दोष है। भारत में सामूहिक खेती का अपनाता तथा इसकी सफलता दोनों ही सदिग्ध हैं क्योंकि इसमें व्यक्तिगत अधिकारों का प्रायः पूर्णतः अन्त हो जाता है जिसे भारतीय सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं।

(४) सहकारी खेती (Cooperative Farming)—इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही क्षेत्र में खेती करने वाले छोटे छोटे भू-खण्डों के मालिक आपस में मजबूत कर लेते हैं और खेती करने की दृष्टि में खेतों को मिला लेते हैं। यह लोग मिलकर खेती करने के लिए एक सहकारी समिति बना लेते हैं जिस सरकार, केन्द्रीय बैंक अथवा सहकारी बैंकों से ऋण मिल सकता है। इस समिति के पदाधिकारी सदस्य किसानों में से ही चुने जाते हैं और वहीं इसकी दैनिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। सम्मिलित भूमि पर सब किसानों द्वारा मिलकर खेती की जाती है। खेती के लिए सभी प्रकार के उपकरण (हल, बँल, ट्रैक्टर आदि), खाद, बीज, सिंचाई की सुविधाएँ तथा वित्त का प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाता है। समिति ही माल को सुरक्षित रखने तथा बेचने की व्यवस्था करती है। अन्त में, समिति का संचालन व्यय निकालकर शुद्ध लाभ किसानों को पूर्व-निर्दिष्ट अनुपात में वितरित कर दिया जाता है।

सहकारी खेती की विशेषता यह है कि इसमें खेतों का सम्मिलन स्वेच्छापूर्वक किया जाता है और यदि कोई व्यक्ति कुछ समय पश्चात् (प्रायः पाँच वर्षों) समिति की सदस्यता से अलग होकर

<sup>1</sup> Chester Bowles, *Making of a Just Society*, p 44

अपना खेत अलग करना चाहे तो उसे ऐसा करने का अधिकार रहता है। इस व्यवस्था के कारण किसानों को अपने अधिकारों की स्वतन्त्रता के हानन की आशंका नहीं रहती।

सहकारी खेती के रूप—सहकारी खेती का मुख्य उद्देश्य खेती की प्रणालियों में सुधार कर कृषि तथा कृषक की आर्थिक स्थिति में सुधार करना होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह किसी प्रकार के कार्यों को सम्मिलित करने वा निश्चय कर सकते हैं। सामान्यतः सहकारी खेती के निम्नलिखित रूप प्रचलित हैं

(१) श्रेष्ठ खेती समिति (Better Farming Society)—इस प्रकार की व्यवस्था में किसान अपनी भूमि के टुकड़े अलग रखते हैं किन्तु वह विभिन्न कार्य अथवा सेवाएँ सम्मिलित रूप से प्राप्त करने की व्यवस्था करते हैं। उदाहरणतः, वह निश्चय कर सकते हैं कि खाद, बीज या अन्य कोई वस्तु इकट्ठी खरीदी जायेगी अथवा सिचाई के साधन (कुँआ या नलकूप) मिलकर प्राप्त किये जायेंगे या फसल को कटाई, मकाई वर्गीकरण अथवा विक्रय सामूहिक रूप में किया जायेगा। वस्तुतः सदस्य इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि अमुक अमुक कार्य साथ मिलकर किये जायेंगे। इन कार्यों अथवा सेवाओं के लिए उचित शुल्क पहले से निश्चित कर लिया जाता है जो यथासमय समिति में जमा कराना पड़ता है। वर्ष के अन्त में प्रत्येक सदस्य को सेवाओं (जो उसने समिति से प्राप्त की हैं) के अनुपात में लाभ वितरित कर दिया जाता है।

श्रेष्ठ खेती समितियाँ वास्तव में इस उद्देश्य के लिए बनायी जाती हैं कि यह किसानों के लिए खेती सम्बन्धी सामान अच्छा और सस्ता प्राप्त कर सकें और उन्हें नियमित रूप में दे सकें। किसानों के लिए व्यक्तिगत रूप में यह सुविधाएँ उपलब्ध करना कठिन होता है।

(२) सयुक्त खेती समिति (Joint Farming Society)—इस प्रकार की समितियों की व्यवस्था के अनुसार कुछ किसान अपने छोटे छोटे भूखण्डों को मिलाने का निश्चय करते हैं और इस प्रकार सम्मिलित बड़े भूखण्ड पर खेती की व्यवस्था के लिए एक कार्यकारिणी समिति बना दी जाती है और एक प्रबन्धक नियुक्त कर दिया जाता है। समिति के सभी सदस्य इस प्रबन्धक की देख-रेख में काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके भाग के बदले में मजदूरी दी जाती है। किसानों का अपनी भूमि पर स्वामित्व बना रहता है और वर्ष के अन्त में उनकी भूमि के अनुपात में लाभ बाँट दिया जाता है।

सयुक्त खेती व्यवस्था के अन्तर्गत कृषि की उपज के संरक्षण तथा विक्रय की व्यवस्था भी समिति द्वारा ही की जाती है। वर्ष के अन्त में समिति के सभी व्यय निकालकर शुद्ध लाभ ज्ञात कर लिया जाता है। शुद्ध लाभ ज्ञान करने में अन्य खर्चों के अतिरिक्त भूमि के प्रयोग का मूल्य (लगान) भी खर्च के रूप में माना जाता है और भूमि के मालिकों को दिया जाता है। इस प्रकार किसानों को मजदूरी के अतिरिक्त भूमि का लगान भी मिलता रहता है।

कार्य—सयुक्त खेती समिति के कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं

(अ) विभिन्न फसलों की उत्पत्ति की योजना बनाना।

(आ) खेती सम्बन्धी सब आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उनकी यथासमय व्यवस्था करना।

(इ) कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना।

(ई) कृषि सम्बन्धी यंत्र तथा उपकरण खरीदना और उन्हें सही हालत में रखने का प्रबन्ध करना।

(उ) भूमि में सुधार तथा सिचाई आदि द्वारा सुधार का प्रयत्न करना।

(ऊ) उपज के संग्रह तथा विक्रय की उचित व्यवस्था करना।

इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस सदस्य की भूमि में विशेष सुधार किया



जाता है वह प्रतिज्ञाबद्ध होता है कि वह जब भी समिति की सदस्यता से अलग होगा, उसे सुधार का व्यय देना पड़ेगा। इस व्यवस्था से एक ओर तो मजदूरों की सारी भूमि सुधर जायेगी और दूसरी ओर किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ उठाने का अवसर नहीं मिल सकेगा।

समुक्त खेती व्यवस्था के अन्तर्गत किसानों को कृषि सुधार द्वारा उत्पत्ति बढ़ाने के अतिरिक्त मिलकर काम करने का अवसर मिलता है। इसमें एक जोखिम यह है कि यदि किसान उचित योग्यता एवं सच्चाई से परिश्रम नहीं करें तो समिति के सभी प्रयत्नों के होते हुए भी उत्पादन की मात्रा तथा किसानों में महत्वपूर्ण सुधार होने की सम्भावना नहीं है।

(३) किरायेदार खेती समिति (Tenant Farming Society)—इस प्रकार की सहकारी खेती के अन्तर्गत सहकारी समिति के पास कुछ भूमि होती है जो समिति द्वारा अपने सदस्यों में बाँट दी जाती है। सभी भूखण्डों पर समिति द्वारा बनायी गयी योजना के अनुसार खेती होती है। सहकारी समिति सदस्यों के लिए साख, बीज, खाद तथा मूल्यवान कृषि उपकरणों की व्यवस्था करती है। इससे अतिरिक्त सदस्य अपनी उपज समिति के माध्यम से बेच सकते हैं। समिति के सदस्यों के लिए समिति की सवाएँ अथवा सहायता लेना अनिवार्य नहीं है, वह चाहे तो इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

सदस्यों द्वारा भूमि के प्रयोग के बदले समिति को निश्चित दर के अनुसार लगान दिया जाता है किन्तु वह जितने कृषि पदार्थ उत्पन्न करता है उन पर समिति का कोई अधिकार नहीं होता। इस प्रकार यह समितियाँ जमींदारों के समान होने लगी हैं और भी उनके दोषों में मुक्त हैं। इन समितियों को जितना लाभ होता है उसमें से सब व्यय तथा कुछ कोष की रकम काटकर शेष राशि किरायेदारों में उनके द्वारा दिये गये किराये के अनुपात में बाँट दी जाती है।

(४) सामूहिक खेती समिति (Co-operative Collective Farming Society)—इस प्रकार की समिति के पास भी किरायेदार खेती समिति की भाँति अपनी भूमि होती है किन्तु यह उस भूमि को सदस्यों में वितरित नहीं करती। सब सदस्य सामूहिक रूप में खेती करते हैं और प्रत्येक को अपने काम के बदले मजदूरी मिलती है। इस प्रकार की खेती करने का लाभ यह है कि खेती की नवीनतम पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है और ट्रैक्टर तथा अन्य महँगे उपकरणों का साम उठाया जा सकता है। वर्ष के अन्त में समिति के कुल खर्च मजदूरी व्यय तथा कोष के लिए राशि रखकर शेष लाभ प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा प्राप्त मजदूरी के अनुपात में बाँट दिया जाता है।

इन की सामूहिक खेती तथा सहकारी सामूहिक खेती में अन्तर—इन दोनों वर्गों में यह अन्तर है कि सहकारी सामूहिक खेती पूर्णतः प्रजातान्त्रिक होती है और उसकी सम्पूर्ण भूमि का स्वामित्व समिति का होता है और कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार समिति की सदस्यता से अलग हो सकता है। यदि समिति में कोई पूँजी विनियोजित कर रखा होता वह उचित सूचना के पश्चात् निकाली जा सकती है।

इन तथ्यों के विपरीत इसी सामूहिक खेती में राज्य द्वारा ही उदरगहन की योजनाएँ बनायी जाती हैं, उनमें सदस्यों को मत देने का कोई अधिकार नहीं होता। दूसरी बात यह है कि सामूहिक समिति में निहित भूमि वस्तुतः सदस्यों की होती है परन्तु राज्य की आज्ञा से वह समिति की सम्पत्ति बन जाती है और कोई व्यक्ति भविष्य में अपनी सदस्यता त्यागने का अधिकारी नहीं है। समिति के सदस्यों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं के मूल्य आदि भी राज्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं।

भारत में सहकारी खेती—भारत में सहकारी खेती की विचारविधि सर्वप्रथम नियोजन समिति (Co-operative Planning Committee) द्वारा १९४६ में की गयी। समिति का यह मत था कि देश के प्रत्येक राज्य के एक या दो ग्रामों में सहकारी खेती के प्रयोग किये जाने चाहिए।

तत्पश्चात् इन प्रयोगों की सफलता का भरपूर प्रचार किया जाना चाहिए। यह सिफारिश करने का मुख्य अभिप्राय यह था कि उचित ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात् कृषक वगैरह द्वारा सहकारी समितियों का विरोध करने की आशंका कम हो जायगी जिससे इन राष्ट्र निर्माण के आन्दोलन को यथोचित सफलता मिल सकेगी।

सन् १९५६ तक—सहकारी आयोजन समिति के पश्चात् कुमारप्पा समिति (१९४९) ने यह सुझाव दिया कि सम्पूर्ण कृषि जोती को आंशिक जोती का आकार दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति ने सहकारी खेती (Joint Farming) अपनाये का सुझाव दिया। तत्पश्चात् प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारी खेती की आवश्यकता पर बल दिया गया। योजना में यह सिफारिश की गयी कि यदि किसी गाँव के आगे से अधिक व्यक्ति सहकारी खेती के लिए तैयार हो जायें तो शेष को सहकारी खेती समिति का सदस्य बनने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। तदनुसार राज्य सरकारों को सहकारी खेती सम्बन्धी कार्यक्रम बनाने का आदेश दिया गया। वास्तव में, सभी प्रयत्नों के पश्चात् भी १९५६ तक दश में कुल १०७० सहकारी कृषि समितियाँ स्थापित हो सकीं। इस न्यून प्रगति के कारणों की जातकारी करने की दृष्टि से योजना आयोग ने १३ राज्या में २३ चुनी हुई सहकारी कृषि समितियों का अध्ययन करन की व्यवस्था की। इनकी अध्ययन रिपोर्ट के प्रकाशन से आन्दोलन को यथेष्ट बल मिला।

आधुनिक प्रवृत्तियाँ—प्रथम योजनाकाल के अनुभव के आधार पर द्वितीय योजना के लिए यह निश्चित किया गया कि सहकारी कृषि का तीव्र गति से विकास किया जाना चाहिए। इस योजना का मुख्य कार्यक्रम यह रहा गया कि पाँच वर्षों में सहकारी खेती की नींव इतनी दृढ़ कर दी जानी चाहिए कि आगामी दस वर्षों में दश भर में कृषि सहकारी आधार पर नियोजित हो सके। १९५६ में भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय ने श्री एम० बी० कृष्णप्पा (सर्वालोचन उप-खाद्यमन्त्री) के नेतृत्व में चीन जान वाले प्रतिनिधिमण्डल (Indian Delegation to China on Agricultural Planning and Techniques) की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जिसमें यह कहा गया कि भारत में व्यक्तिगत खेती के साथ साथ धीरे-धीरे सहकारी खेती का विकास किया जाना चाहिए।

सन् १९५७ में एक अन्य प्रतिनिधिमण्डल (जो श्री आर० के० पाटिल की अध्यक्षता में चीन तथा जापान गया था) की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट बहुत विस्तृत एवं प्रभावशाली थी। इसमें यह मत प्रकट किया गया कि 'भारत में आर्थिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से सहकारी कृषि अपनायाना आवश्यक है।

नागपुर प्रस्ताव—उपर्युक्त दोनों रिपोर्टों के आधार सन् १९५६ में राष्ट्रीय कांग्रेस दल ने अपने नागपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें यह मांग की गयी थी कि देश में कृषि का संगठन सहकारी समुक्त खेती (Cooperative Joint Farming) के आधार पर किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रारम्भ में सारे देश में सेवा सहकारी समितियाँ (Service Cooperatives) स्थापित की जानी चाहिए। प्रस्ताव में यह इच्छा प्रकट की गयी की तीन वर्षों के भीतर सारे देश में इस प्रकार की समितियों का जाल बिछा जाना चाहिए। इन तीन वर्षों में भी यथासम्भव सहकारी समुक्त कृषि समितियाँ स्थापित करन का प्रावधान किया गया।

नागपुर सम्मेलन के सहकारी कृषि प्रस्ताव ने देश भर में एक हृद-बल भी मचा दी, यहाँ तक कि कांग्रेस दल में भी दो भाग हो गये जिनमें से एक सहकारी कृषि का प्रबल विरोधी था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा मोनू मसानो जैसे नेताओं ने स्वतन्त्र पार्टी के तत्त्वावधान में सहकारी कृषि का घोर विरोध किया। कालान्तर में यह विवाद बहुत मिथिल पड़ गया।

विरोधी तर्क—सहकारी कृषि के विरोधियों के मुख्य तर्क यह थे कि सहकारी कृषि में बल प्रयोग होगा और एक बार सहकारी समिति का सदस्य बनने वाला सदस्य भविष्य में कृषक नहीं हो सकेगा। भारत सरकार ने अनेक बार इन बातों का स्पष्टीकरण किया। सरकार द्वारा यह

स्पष्ट कर दिया गया है कि समिति की सदस्यता पूर्णतः ऐच्छिक रहेगी तथा कोई भी व्यक्ति पाँच वर्ष तक सदस्य रहने के पश्चात् सहकारी समिति की सदस्यता से पृथक् हो सकेगा। ऐसा करने समय उसे अपनी भूमि में किये गये सुधार का शुल्क चुकाना अनिवार्य होगा।

सहकारी कृषि समितियों के विकास के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए मामुदायिक विकास एवं सहकारी मन्त्रालय के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय सहकारी कृषि सलाहकार मण्डल (National Co-operative Farming Advisory Board) स्थापित किया गया है। कुछ राज्यों में भी इस प्रकार के मण्डल स्थापित किये गये हैं।

सहकारी कृषि समितियों की स्थापना तथा विकास सम्बन्धी सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी कृषि सलाहकार मण्डल (The National Co-operative Farming Advisory Board) के अतिरिक्त राज्यों में भी विशेष समितियाँ अथवा परिषदें बनायी गयी हैं। विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों में से चुने हुए १२ स्थानों पर सहकारी कृषि विभाग स्थापित किये गये हैं जिनमें ७०० सचिवों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इन केन्द्रों में अभिनव पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं और इनके द्वारा ग्रामीण कंपों के माध्यम से सहकारी कृषि का प्रशिक्षण तथा पुनर्जागरण किया जाता है।

तृतीय योजना में यह व्यवस्था की गयी कि सरकार द्वारा खेती-योग्य बनायी गयी भूमि सहकारी कृषि समितियों को देनी चाहिए तथा नये भूखण्डों में सहकारी समितियों का निर्माण प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पन्च दण्डकारण्य परियोजना में विस्थापितों को बसाने के लिए सहकारी कृषि समितियाँ बनायी गयी हैं।

वर्तमान स्थिति - लगभग पन्द्रह वर्षों के प्रयत्न के पश्चात् भी अब तक केवल ८ लाख एकड़ भूमि सहकारी खेती के अन्तर्गत लायी जा सकी है। यह निश्चय ही सहकारी खेती की सफलता की छोक है।

सहकारी खेती के गुण-दोष—सहकारी कृषि एक भावनात्मक आन्दोलन है और इसके प्रति जनता की आस्था हुए बिना इसकी सफलता संशयास्पद रहेगी। इस दृष्टि में इस व्यवस्था के गुण दोषों की विवेचना करना अत्यन्त आवश्यक है।

गुण—सहकारी कृषि के गुण निम्नलिखित हैं

(१) वास्तविक समाजवाद—सहकारी खेती का एक निश्चित परिणाम यह होता है कि खेती करने वालों का शोषण घटने हो जाता है क्योंकि उन्हें जमींदारों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता, साहूकारों से ऋण उधार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा कृषि पदाथों का पूरा मूल्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पूँजीवादी विचौलियों (middlemen), जो फसल के अवसर पर कृषि पदाथों के भण्डार निमित्त बर बाद में मूल्यों में मनमाने हेरफेर करते हैं, अनावश्यक लाभ कमाने से वंचित हो जाते हैं। इससे देश में वस्तुओं के मूल्य प्रायः उचित स्तर पर रहने हैं जिससे उपभोक्ताओं तथा घामनाश्रितारियों की बहुत सी समस्याएँ हल हो जाती हैं।

सहकारी खेती के माध्यम से किसान, सहकारी समिति अथवा अन्य कोई भी वर्ग न तो शोषण करता है, न शोषित होता है। अतः इनके अपनाने में शोषण का एक अत्यन्त गम्भीर कारण नष्ट हो जाता है। फलतः सहकारी खेती समाजवाद की दिशा में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है।

(२) कृषि एवं कृषक की स्थिति में सुधार—सहकारी खेती के कारण भूमि पर कृषि के श्रेष्ठतम साधनों का प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि सहकारी समिति यह साधन सरलतापूर्वक उपलब्ध कर सकती है। इन साधनों सहयोग से कृषि उत्पादन में आगातीत वृद्धि हो सकती है जिससे किसान की आय में वृद्धि और उसके जीवन-स्तर में उन्नति होती है। उत्पादन वृद्धि से देश

के व्यापार एवं उद्योगों को भी लाभ होना है जिससे अन्ततः देश समृद्धि की दिशा में अग्रसर होने लगता है।

(३) राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग—सहकारी कृषि-व्यवस्था में राष्ट्र के धन-जन आदि के सम्पूर्ण स्रोत उत्पादक क्रियाओं में सतन्त्र हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्वेच्छा से उचित क्षेत्रों में केन्द्रित होने का अवसर मिल जाता है। फलतः देश की पूँजी, भूमि के छोटे से छोटे टुकड़े, सभी प्रकार का (कुशल एवं अकुशल) धन तथा वैज्ञानिक जानकारी सब लोगों के लाभ के लिए तथा सब लोगों के सुख के लिए (सर्वजन हितार्थ सर्वजन सुखाय) प्रयुक्त होने लगते हैं।

(४) भावनात्मक एकता—भारत जैसे देश में जहाँ अनेक धर्म, सम्प्रदाय एवं मान्यताओं का प्रभुत्व है, सहकारी खेती एक वरदान सिद्ध हो सकती है क्योंकि सभी धर्मों के व्यक्ति एक साथ बैठकर सामूहिक हित के लिए विचार एवं कार्य करते हैं जिससे आपसी समस्याओं एवं मान्यताओं को समझने का अवसर मिलता है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति भावनात्मक एकता पर ही निर्भर करती है क्योंकि एकता के द्वारा सभी सामाजिक एवं अन्य कार्य सरलतापूर्वक सम्पन्न किये जा सकते हैं।

**दोष—सहकारी कृषि में निम्नलिखित दोष अन्तर्निहित हैं**

(१) व्यक्तिगत उत्साह का अभाव—सहकारी कृषि में सब व्यक्ति मिल-जुलकर कार्य करते हैं और अत्यन्त परिश्रमी एवं कर्मनिष्ठ व्यक्ति तथा सुस्त और कामचोरो की समान ही पारिश्रमिक मिलता है। इसका प्रभाव यह होता है कि अन्त में काम की कुशलता कम हो जाती है और उत्पादन घटने लगता है। इस तथा अन्य कुछ देशों में खेती का उत्पादन कम होने के उदाहरण इस दिशा में स्पष्ट सकेत करते हैं। इस दोष का निवारण अधिक कुशल व्यक्तियों को कुछ अनिश्चित बोनस या शुल्क देकर किया जा सकता है।

(२) शिथिल व्यवस्था—सहकारी कृषि, अथवा अन्य कोई भी सहकारी कार्य हो, उसका ठीक संचालन करने के लिए अत्यन्त ईमानदार उत्पाही एवं विश्रसनीय व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कर्मनिष्ठ व्यक्तियों का प्रायः अभाव रहता है अतः सहकारी कृषि का प्रवृद्ध प्रायः शिथिल हो जाता है जिससे लोगों का विश्वास सहकारिता में हटन लगता है। वास्तव में सभी सरकारी तथा ऐच्छिक संस्थाओं को इस समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके कार्यों में व्यक्तिगत रुचि अथवा लगाव की कमी रहती है।

पाटिल प्रतिनिधिमण्डल (जिसका उद्घरण पहले दिया जा चुका है) के दो सदस्यों ने अपने अलग मत में यह कहा है कि 'जहाँ कृषकों की कृषि की भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक सुविधाएँ तथा श्रेष्ठ नेतृत्व उपलब्ध है वहाँ सरकारी कृषि स्वागत योग्य है।' यह शब्द जिस भावना की ओर संकेत करते हैं वह स्वयं स्पष्ट है। भारत जिस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक सन्नमन की स्थिति में गुजर रहा है उसमें प्रयोजित नेतृत्व का अभाव स्पष्ट शलकता है जिससे सहकारी खेती की सफलता संदिग्ध प्रतीत होती है।

(३) सहकारिता की असफलता—भारत में सहकारिता का जो विरवा १९०४ में बोया गया था वह ६७ वर्ष पश्चात् भी एक सफल, शक्तिशाली एवं विशाल चटवृक्ष का रूप धारण नहीं कर पाया है वरिष्ठ ग्रामीण माध्यम सर्वेक्षण समिति के अनुसार तो 'सहकारिता असफल हो चुकी है।' इस असफलता के कारण देश की जनता सहकारी कृषि के प्रति भी सन्नमित है और सहकारी आन्दोलन की भाँति इसे भी एक सहकारी स्टेट समझती है।

**कठिनाइयाँ—**भारत में सहकारी कृषि की मुख्यतः दो कठिनाइयाँ हैं। प्रथम जन-सहयोग तथा दूसरी सरकारी शासन-तन्त्र सम्बन्धी। जहाँ तक जन सहयोग सम्बन्धी कठिनाई का प्रश्न है, भारत की अधिकांश जनता न केवल अशिक्षित, रुढ़िवादी, अन्धविश्वासी तथा अह-बुद्धि है

बन्कि वह भूमि से (चाहे वह कितना ही छोटा टुकड़ा क्यों न हो) अत्यधिक प्रेम करती है। इसलिए भारत का किसान अपने भू-भण्ड का अधिकार तो दूर रहा उस पर खेती का अधिकार भी किसी अन्य के साथ बँटाने के लिए तैयार नहीं है। इसका सामाजिक कारण यह है कि देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है और यह निर्भरता भी चरमसीमा तक पहुँची हुई है। जन भूमि के प्रति किसान का स्नेह भी चरमसीमा तक पहुँच गया है।

सहकारी खेती की दूसरी कठिनाई सरकारी शासन-तन्त्र सम्बन्धी है। दुर्भाग्य में, भारतीय शासन-पद्धति का आधार यह बन गया है कि जो भी समस्या उत्पन्न हो उसे कुछ समय के लिए किसी प्रकार टाल दिया जाय। इसके परिणामस्वरूप साधारण से साधारण कार्य फाइलों में बन्द पड़े रहते हैं। उनके सम्बन्ध में निर्णय न होने के कारण जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिन्हें दूर करने के लिए धूम का सहारा लाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। प्रायः सभी राज्यों के सहकारी विभाग अकुशलता एवं अनिश्चितताओं के दुर्ग हैं जिन्हें दाना बहुत कठिन है। ऐसी स्थिति में सहकारी कृषि की सफलता की कल्पना करना दुराशा माना होगा।

सफलता के लिए सुझाव—उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण सहकारी कृषि की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं

(१) समस्त सरकारी भू-खण्डों तथा मूदान में प्राप्त श्राव्य अथवा भूमि के टुकड़ों पर सहकारी कृषि समितियों का निर्माण करना उचित होगा।

(२) सहकारी कृषि समितियों का सदस्य केवल उन व्यक्तियों को बनाना चाहिए जो स्वेच्छा से उसके लिए तैयार हों। इन समितियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी सहकारी कृषि में सक्रिय भाग लेना चाहिए ताकि इनमें सत्तावाद अथवा अधिकारवाद का जन्म न हो सके।

(३) सरकार को चाहिए कि सहकारी कृषि समितियों को समय पर मृग्य अथवा आर्थिक सहायता मिलती रहे ताकि उनके वर्ग में अक्षम उत्पन्न न हों। ऐसा करने के नियम मरल एवं सुगम बनाने आवश्यक हैं।

(४) ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों के सदस्यों को सहकारी कृषि तथा सामुदायिक विकास में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अधिकारिक मुविद्याएँ देनी चाहिए।

(५) राष्ट्रीय विस्तार सण्डों, सामुदायिक योजनाओं तथा ग्राम्य स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए भी सहकारी कृषि के व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपर्युक्त सब कार्यों के अनिच्छित देश में शिक्षा के विकास की गति अत्यन्त तीव्र की जानी चाहिए ताकि जनता के रुढ़िगन्तु स्मृकार क्रमशः समाप्त हो जायें और वह भूमि के प्रति अत्यधिक स्नेह का परित्याग कर दे। शिक्षा के विस्तार के कारण कृषि व्यवसाय में मसम्न जनता का एक भाग अन्य व्यवसायों में रुचि लेने लगेगा, कृषि पर भार कम होता जायगा और कृषि में सहकारिता की भावना बलशाली होती जायेगी।

### प्रश्न

१. सहकारी और सामूहिक खेतियों में भेद बतलाइए। भारतीय कृषि के लिए आप किसे अधिक पसन्द करेंगे और क्यों? (इलाहाबाद, बी० ए०, १९६४)

२. भारत में कृषि जोतों के उप विभाजन व अपसखण्डन के कारणों का उल्लेख कीजिए। इस समस्या के समाधान के लिए किये गये प्रयत्नों की समीक्षा कीजिए। (दिल्ली, बी० ए०, १९६६)

३. कृषक भू-स्वामित्व, सहकारी कृषि तथा सामूहिक कृषि के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए। इनमें से भारतीय स्थितियों के लिए कौन अधिक उपयुक्त है? कारण बताइए। (राजस्थान, बी० कॉम० (अन्तिम वर्ष), १९७१)

# भूमि-व्यवस्था और सुधार

## (LAND TENURES AND REFORMS)

*'To a large extent the pattern of economic and social organisation will depend upon the manner in which the land problem is resolved. Sooner or later, the principles and objectives of policy for land cannot but influence policy in other sectors as well'*

—First Five-Year Plan

सभ्यता के प्रारम्भिक काल से ही मनुष्य का भूमि से सम्बन्ध रहा है। जिन देशों में औद्योगिक विकास हो जाता है उनमें क्रमशः भूमि के प्रति लगाव कम होता जाता है किन्तु कृषि-प्रधान देशों में भूमि के प्रति आकर्षण बना रहता है। वास्तव में, किसी देश की कृषि का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की भूमि पर किन व्यक्तियों का कौता अधिकार है। यदि किसान को एक घटिया भू-सञ्चय का भी मानिक बना दिया जाय तो वह निरन्तर परिश्रम द्वारा उसे उपजाऊ बना लेता है किन्तु यदि उसे ऐसी भूमि पर खेती करनी पड़ती है जो उसकी नहीं है और जिसकी उपज का एक अंश उस भूमि के मालिक को देना पड़ता है तो वह उत्पत्ति बढ़ाने के लिए भले ही काफी परिश्रम करे परन्तु भूमि की उपज शक्ति में सुधार के लिए कुछ नहीं करेगा।

### भूमि सुधार तथा आर्थिक विकास

#### (LAND REFORMS AND ECONOMIC DEVELOPMENT)

अर्द्ध विकसित देशों का आर्थिक विकास कृषि-विकास पर निर्भर है। कृषि का विकास किस विधि से किया जाय इसके सम्बन्ध में दो प्रकार की विचारधाराएँ पायी जाती हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में कृषि की उत्पादकता बहुत ही कम है। कृषि की उत्पादकता मुख्यतः दो प्रकार के तत्त्वों पर निर्भर है (i) संस्थागत (Institutional), तथा (ii) प्राविधिक (Technological)। एक विचारधारा के अनुसार कृषि विकास के लिए संस्थागत परिवर्तन तथा कृषि का पुनर्गठन आवश्यक है। संस्थागत परिवर्तनों के अन्तर्गत मध्यस्थों की समाप्ति, किसान को स्थायी-जागतिकारी के अधिकार प्रदान करना, अनाधिक जोतों को समाप्त कर आर्थिक जोतों का निर्माण करना, भूमि का उचित लगान निश्चिन करना आदि सम्मिलित हैं। इन परिवर्तनों की अनुपस्थिति में किसान पूर्ण रूप से परिश्रम नहीं करता। उसकी बचन व विनियोजन क्षमता कम रहती है, फलस्वरूप वह कृषि विनाश नहीं कर पाता। अतः कृषि के विकास के लिए संस्थागत परिवर्तन आवश्यक हैं।

दूसरी विचारधारा के अनुसार कृषि विकास के लिए 'प्राविधिक तत्त्वों' (technological factors) पर जोर देना आवश्यक है। कृषि-उत्पादकता का सम्बन्ध प्राविधिक तत्त्वों में है तथा

कृषि या विकास कृषि की उन्नति एवं आधुनिक तरीकों से किया जा सकता है। अतः इन विचार-धारा के अनुसार कृषि उत्पादकता में कृषि, कृषि की उन्नत विधियों उन्नत यंत्र, खाद तथा उर्वरक में प्रयोग, उन्नत फसल-चक्रों (Rotation of crops), मिचार्ट की समुचित व्यवस्था कृषि के उन्नत उपकरणों तथा वैज्ञानिक कृषि द्वारा ही सम्भव है।

वस्तुतः कृषि विज्ञान सम्पादन परिवर्तन तथा प्राविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति, दोनों पर ही निर्भर है। जब तक सम्पादन परिवर्तन नहीं होगा तब तक प्राविधिक सुविधाओं का समुचित प्रयोग नहीं हो सकेगा। अतः प्राविधिक सुविधाओं का अधिकतम उपयोग के लिए सम्पादन परिवर्तन आवश्यक है। हम तथा ग्रिटेन ने कृषि विकास के लिए पहले सम्पादन परिवर्तन किये गये। हम ने सामूहिक फार्मों का निर्माण तथा ग्रिटेन ने 'पेरसिडो आन्दोलन' उनका ज्वनन्त उदाहरण है। भूमि-सुधार सम्पादन परिवर्तन का ही प्रतीक है अतः कृषि के विकास के लिए 'भूमि सुधार' आवश्यक है।

### भूमि-व्यवस्था तथा भूमि सुधार का अर्थ

भूमि व्यवस्था में यह तात्पर्य है कि भूमि पर स्थायी अधिकार किस व्यक्ति का है, उस पर कौन कौन करता है तथा उपाय निर्धारित करने की क्या रीति है। भूमि पर सरकार अथवा मन्त्रालय का अधिकार ही सकता है अथवा उसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में हो सकता है जिन्हें जमींदार, काश्तदार या गिरामदार कह सकते हैं। स्वभावतः पहली स्थिति में उपाय सरकार को देना होता है और दूसरी स्थिति में जमींदार अथवा जागीरदार उसका अधिकारी होता है।

भूमि सुधार, भूमि व्यवस्था में अधिक व्यापक शब्द है। सामान्यतः भूमि सुधार (Land Reforms) के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं—(i) मध्यस्थों की समाप्ति (ii) आमापी कानून में सुधार, तथा (iii) जमीनी अधिकारों में सीमा निर्धारित करना। यदि भूमि-सुधार शब्द का प्रयोग अर्थ-संगत रूप में किया जाय तो उसके अन्तर्गत, उपरोक्त तीन बातों के अनिश्चित कृषि का पुनर्गठन, उप विभाजन तथा अपघटन का निराकरण—चक्रवर्ती, सहकारी क्षेत्री, भूदान आदि—को भी सम्मिलित किया जाता है। हम प्रकार 'भूमि सुधार' का अर्थ अन्तर्गत विस्तृत है। भारत में भूमि सुधार की दिशा में सर्वतोमुखी प्रगति हुई है। सामान्यतः भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में जो कार्य किये गये, उन्हें निम्न रूप में प्रकट किया जा सकता है

भारत में भूमि सुधार सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ

(क) भूमि सुधार प्रमुख क्षेत्र	न० (ख) के अन्तर्गत किये गये प्रवृत्तियों का विवरण
१. मध्यस्थों की समाप्ति (Abolition of Intermediaries)	(i) जमींदारी का उन्मूलन (ii) जागीरदारी का उन्मूलन
२. काश्तकारी विधानों में सुधार (Reforms in Tenancy Laws)	(i) भू स्वामित्व की सुरक्षा (Security of Tenure) (ii) लगान सम्बन्धी नियम (Regulation of Rent) (iii) भू स्वामित्व का स्वभाव (Nature of Tenure)
३. जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण (Ceilings on Holdings)	(i) वर्तमान जोतों का सीमा निर्धारण (ii) भावी जोतों का सीमा निर्धारण
४. आर्थिक जोत के निर्माण की दिशा में किये गये प्रवृत्तियाँ	(i) क्षेत्रों की चक्रवर्ती (ii) सहकारी क्षेत्री (iii) सहकारी ग्राम प्रबन्ध (iv) भूदान तथा ग्रामदान

उपर्युक्त में मे आर्थिक जोतों के निर्माण की दिशा में किये गये प्रयत्नों—चक्रबन्दी तथा सहाकारी खेती—का हम पिछले अध्याय में वर्णन कर चुके हैं अतः यहाँ पर भूमि-सुधार सम्बन्धी अन्य प्रयत्नों का अध्ययन किया जायगा।

## १ मध्यस्थों की समाप्ति

पुरातन भूमि व्यवस्था—हिन्दू शासनकाल में भूमि पर सम्पूर्ण समाज का अधिकार माना जाता था और राजा को उररति का छोटा भाग लगान के रूप में दे दिया जाता था। यह राशि सक्काल में चतुर्दश तक बढ़ायी जा सकती थी।

मुगल शासनकाल में अकबर के राजस्व मन्त्री राजा टोडरमल ने सारी कृषि भूमि को नये सिरे से नपवाया और लगान मुद्रा में देना निश्चिन किया गया। लगान वसूली का अधिकार गाँव के मुखिया को दे दिया गया तथा कुछ क्षेत्रों में इस कार्य के लिए विशेष व्यक्ति नियुक्त कर दिये गये। कालान्तर में जब शासनसत्ता दुर्बल हो गयी, यह व्यक्ति शक्तिशाली बन गये और इन्होंने भूमि पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली।

भारत में ब्रिटिश नीति के फलस्वरूप तीन प्रकार की भूमि-व्यवस्थाओं का अभ्युदय हुआ। यह व्यवस्थाएँ रयतवाड़ी, महालवाड़ी तथा जमींदारी व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध हैं।

(१) रयतवाड़ी व्यवस्था—इस व्यवस्था में अन्तर्गत सम्पूर्ण भूमि पर राज्य का अधिकार होता है। भूमि पर खेती करने वाला व्यक्ति उसे इच्छानुसार किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है, बन्धक रख सकता है अथवा छोड़ सकता है। ऐसा करने पर सरकार वह भूमि किसी अन्य व्यक्ति को दे देती है। इस व्यवस्था में एक विशेषता यह है कि जब तक किसान भूमि का लगान चुकाता रहता है, उसे बेदखल नहीं किया जा सकता।

रयतवाड़ी व्यवस्था में लगान सामूहिक रूप में नहीं बल्कि प्रत्येक किसान से अलग-अलग लिया जाता है और राज्य तथा किसान के मध्य लगान वसूल करने वाला जमींदार अथवा अन्य कोई वर्ग नहीं रहता। भूमि का लगान निर्धारण २० से लेकर ३० वर्ष तक के लिए होता है, तत्पश्चात् इसकी राशि में समोधन हो सकते हैं। इसका एक लाभ यह है कि कृषि-व्यवस्था में स्थायी परिवर्तन हो जाने पर लगान में तदनुसार परिवर्तन करना सम्भव है।

रयतवाड़ी प्रथा में एक दोष यह था गया है कि कुछ पंजीपतियों ने भूमि को हथिया लिया और वह स्वयं खेती करने की बजाय नीकरों अथवा अन्य व्यक्तियों से खेती करवाने लगे। अतोनोपत्तवा यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था का रूप धारण कर गयी।

इतिहास—रयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम सर टॉमस मुनरो द्वारा सन् १७६२ में तमिलनाडु के बडामहल जिले में लागू की गयी तथा क्रमशः मारे प्रान्त में पचलिन कर दी गयी। इसके अनुसार भूमि पर लगान कई वर्षों की फसल के औसत के आधार पर निश्चित किया गया। ऐसा करने में अन्न के मूल्य तथा कृषि के व्यय का भी ध्यान रखा जाना था। सन् १८३५ में यह व्यवस्था बम्बई प्रान्त में भी लागू कर दी गयी। इस प्रान्त में रयतवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय भूमि के मूल्य तथा सम्बन्धित क्षेत्र के आर्थिक इतिहास का ध्यान रखा गया। १८८० में लॉर्ड रिपन ने लगान का निर्धारण कृषि उपज के मूल्य पर आधारित कर दिया जिससे किसानों की कठिनाई बहुत बढ़ गयी क्योंकि उनके लगान की राशि निश्चिन न रहकर निरन्तर परिवर्तन-शाली हो गयी। सन् १९४७-४८ में यह व्यवस्था देश में खेती के अन्तर्गत कुल भूमि के ३८% भाग अर्थात् १५३ करोड़ एकड़ भूमि पर लागू थी। तमिलनाडु बम्बई (महाराष्ट्र गुजरात) तथा आसाम में यह प्रथा प्रचलित थी।

(२) महालवाड़ी व्यवस्था—इस व्यवस्था का दूसरा नाम समुक्त ग्राम व्यवस्था भी है क्योंकि इसके अन्तर्गत भूमि-कर की दृष्टि से पूरे गाँव को एक दवाई माना जाता है और लगान



का निर्धारण पूरे गाँव पर होता है। इस पूरी रकम की वसूली कर खजाने में जमा कराने का दायित्व प्रायः गाँव के मुखिया पर डाला जाता है जो गाँव के भूस्वामियों से लगान की रकम अलग-अलग वसूल कर लेता है। इस प्रकार भूमि-कर चुकाने में गाँव के सब भूमिधारी सहभागी होते हैं किन्तु वह अपनी भूमि पर लगान की रकम गाँव के मुखिया को जमा करवा देते हैं।

महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लाई विलियम बैंटिक द्वारा सन् १६३३ में आगरा और अवध में लागू की गयी थी और बाद में पंजाब में भी प्रचलित कर दी गयी। मध्य प्रदेश में भी महालवाड़ी प्रथा लागू की गयी और भूमि वर की प्रथा वहाँ भी पंजाब की भाँति थी, परन्तु मध्य प्रदेश में कर वसूली के लिए मराठों द्वारा नियुक्त मालगुजारी को ही मान्यता दी गयी। सरकार इन मालगुजारी से कुल निश्चित कर का केवल ५०% लेती थी, अर्थात् यदि किसी गाँव का बन्दोबस्त १,००० रुपये दायित्व निश्चित किया जाता तो मालगुजारी तो १,००० रुपये वसूल कर लेता था किन्तु वह केवल ५०० रुपये ही सरकारी खजाने में जमा करवाने के लिए बाध्य था।

उपर्युक्त दोनों प्रथाओं का यह परिणाम निकला कि ग्रामों की सामुदायिक एकता क्रमशः भंग हो गयी और एक असम्बद्ध एकलवाद का जन्म हो गया।

(३) जमींदारी व्यवस्था—ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में ऐसी भूमि व्यवस्था लागू करना चाहती थी जिसमें कम्पनी को एक निश्चित आय प्राप्त होती रहे और कम्पनी का शासन निरन्तर दृढ़ होना जाय। इस दान को ध्यान में रखकर कम्पनी ने प्रत्येक क्षेत्र में कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिये जिन्हें अपने क्षेत्र की भूमि का लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। प्रारम्भ में यह व्यवस्था केवल अल्पकाल के लिए लागू की गयी किन्तु लाई कानॉनिसिम् ने इसे बगाल में स्थायी रूप में लागू कर दिया।

स्थायी बन्दोबस्त (Permanent Settlement) के अनुसार २२ मार्च, १७६३ को जमींदारों में एक दसवर्षीय समझौता किया गया जिसके अनुसार जमींदार अपने क्षेत्रों के मालिक घोषित किये गये। इनको अपने-अपने क्षेत्रों में लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया तथा यह शर्त रखी गयी कि जमींदार कुल वसूल किये गये लगान का १०/११वाँ भाग सरकारी खजाने में जमा करवा देगे। इस व्यवस्था के साथ ही जमींदारों द्वारा जमा की जाने वाली रकम निश्चित कर दी गयी और यह घोषणा भी कर दी गयी कि यदि जमींदार अधिक लगान वसूल करेंगे तो सरकार अधिक की माँग नहीं करेगी। स्थायी बन्दोबस्त की यह शर्त सबसे घातक शर्त थी क्योंकि इसने जमींदारों को किसानों से अधिक में अधिक रकम वसूल करने का लालच दिया क्योंकि अतिरिक्त वसूल की गयी रकम पर सर्वथा जमींदारों का ही अधिकार होता था। बगाल के अतिरिक्त स्थायी बन्दोबस्त बनारस, उत्तरी तमिलनाडु तथा दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ भागों पर भी लागू कर दिया गया।

कुछ व्यक्तियों की यह धारणा है कि स्थायी बन्दोबस्त का सम्बन्ध जमींदारी व्यवस्था तथा अस्थायी बन्दोबस्त का सम्बन्ध रयतवाड़ी व्यवस्था से है। यह मान्यता सही नहीं है क्योंकि अस्थायी बन्दोबस्त भी जमींदारों के साथ किया जा सकता है। उदाहरणतः मध्य प्रदेश के नालगुजार (जिन्हें पेशवाओं ने भूमि-कर वसूल करने के लिए नियुक्त किया था) ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि के मालिक घोषित किये गये तथा उन्हें लगान वसूली का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था तथा बगाल की भूमि-व्यवस्था में यही अंतर था कि मध्य प्रदेश की व्यवस्था अस्थायी थी। इस प्रकार यह जमींदारी प्रथा का अन्यायी रूप था। जमींदारी प्रथा के अन्य प्रचलित रूप उत्तर गुजरात की नालुकेशारी, सौराष्ट्र की गिरामदारी, राजस्थान की जागीरदारी तथा कोकण की छोटी प्रणाली रहे हैं। इन प्रथाओं तथा जमींदारी प्रथा में मौलिक साम्य रहा है।

सन् १६४७ ई. में देश में कुल कृषि भूमि का २४% भाग अर्थात् ६६ करोड़ एकड़ भूमि

इस प्रथा के अन्तर्गत थी। बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में यह प्रथा प्रचलित थी।

जमींदारी प्रथा से सम्भावित लाभ—जिम समय जमींदारी प्रथा लागू की गयी उससे कई लाभों की कल्पना की गयी। उनमें महत्त्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित थे :

(१) निश्चित आय—जमींदारी प्रथा के द्वारा ग़रवारी खजाने में एक निश्चित रकम जमा हो जाती थी और सरकार वा ज़रूरी व्यवस्था में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता था।

(२) कृषि में उन्नति—रमेश दत्त व अनुसार, जमींदारी प्रथा बंगाल के किसानों के लिए वर्दानस्वरूप सिद्ध हुई क्योंकि उनके लगान की राशि एक लम्बी अवधि के लिए निश्चित हो गयी और वह अपनी भूमि पर म्यायी सुधारों द्वारा कृषि का सुधार करने में स्वतन्त्र हो गये। कुछ लोगों का यह भी मत था कि इस व्यवस्था के कारण अकालों का प्रकोप कम हो जायगा परन्तु बाद की घटनाओं में यह दोनों ही बातें असत्य सिद्ध हो गयी। जमींदारों ने कभी भी किसानों को भूमि-सुधार करने के लिए सहायता अथवा प्रोत्साहन नहीं दिया और न ही उन्हींने अभाव के समय अपने क्षेत्र की जमना व लिए ग्याह्यार्न प्राप्त करने की विशेष चिन्ता की। इसके विपरीत, कम्पनी व गौराग मठाप्रभुओं को प्रमत्त करने के लिए वह सततकाल में भी निश्चित मात्रा में लगान वसूल करते रहे।

(३) अंग्रेजी राज्य की वृद्धि—अंग्रेज, मसार के प्रसिद्ध दूतनीतिज्ञों में गिने जाते हैं। सम्भवतः इन्हींके लिए वह कई शताब्दियों तक मसार के बृद्ध से देशों पर एकछत्र राज्य करते रहे। भारत में उनकी दूतनीति का मूलमन्त्र 'पूट डालो और राज्य करो' था जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने जमींदारी प्रथा में एक परिवर्तन की बर्ग तैयार कर लिया जो ब्रिटिश राज्य का पूरा स्थापितक था। इस प्रकार जमींदारी प्रथा का मसामें अधिक लाभ अंग्रेजी सत्ता को हुआ जिसकी वजह से भारत में अधिकाधिक गहरी होती गयी।

भारत में जमींदारी प्रथा में यदि कोई लाभ हुआ तो यही था कि ग़रवारी और जमींदारों के दोहरे शासन में मसार भारत का शोभीण जनता का नैतिक स्तर इतना पतित हो गया कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी आन्दोलन करने में अक्षम हो गये। जिससे देश में काफी समय तक शमशान शान्ति का वातावरण बना रहा। इस शान्ति का मरु प्रभाव यह भी हुआ कि अंग्रेजों ने (अपन लाभ के लिए ही सही) भारत में कुछ बड़े उद्योग अपनी पूंजी से स्थापित कर दिये।

जमींदारी प्रथा के दोष—भारत में जमींदारों का वर्ग अंग्रेजी शासन की नींव हठ करने के लिए बनाया गया था। अतः उसमें कुछ क्षणिक एवं व्यवस्थागत लाभ भले ही हुए हों किन्तु हमारे पतनस्वरूप शोषण का जो भीषण बर्णना उसमें फ़ैसलर किसानों का आर्थिक जीवन नष्टप्राय हो गया। जमींदारी प्रथा के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं।

(१) शोषण—जमींदारी प्रथा के कारण देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण हुआ जो किसानों के शोषण पर चल रहा था। जमींदारों को किसानों से सममानता लगान वसूल करने की छूट थी। वास्तव में, अनेक किसानों में इतनी अधिक रकम वसूल करने के लिए किसानों के चारों ओर तक नहीं कर सकत थे। जमींदारों के शोषण का दूसरा रूप देगार था। किसानों के घाल बच्चे, स्त्रियाँ तथा वह स्वयं न सके जमींदारों के घर का मस काम करते थे। यदि अनेक बार उन्हें समय पर लगान न दे सकत थे कारण जमींदारों में मारपीट जैसे शारीरिक अन्याय को मसत करना पड़ता था।

अनेक बार जमींदारों का किसानों को विभिन्न कार्यों के लिए श्रम दे देन थे और उस पर सममानता व्याज वसूल करते थे। पतन किसान निरन्तर निधन होते गये, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गयी और वह श्रम के थोड़े से दबने चले गये।

जिनको व शोषण का एक स्वरूप यह था कि जमींदार उनका पशुश्रौं का निःशुल्क प्रयोग कर ले, हंगरी, दिवाली तथा अन्य पर्वों पर जमींदारों का भेट देना पड़ती थी तथा उनके घर में ग्राह-सादे मूतक मात्र अथवा अन्य ऐसे जवनों पर दूध, घी, तरकारी आदि भेजनी पड़ती थी तथा नजराना भी देना पड़ता था।

इतना ही नहीं, जमींदार के मुर्नाम, बान्दि, कर्मचारी भी किसान को अपना नीच समझने के जोर आशियन तथा सामाजिक दृष्टि से निर्दोष किसान को उनकी भी प्रशामन्य पक्ष पुरा और धम द्वारा सेवा करने पड़ती थी। इन प्रकार जमींदारों का शोषण-तन्त्र अत्यन्त विषम तथा विषमय था जिसमें छुटकारा पाना असम्भव था।

(२) कृषि का पतन—किसानों की निरन्तर गिरती हुई आर्थिक स्थिति का यह प्रभाव हुआ कि वह कृषि का विकास करने में न तो रुचि ले सकने के जोर न समर्थ थे। उनकी असमर्थता का मुख्य कारण यह था कि उनकी उत्पत्ति का अधिकांश भाग जमींदार ने लेन व अतः उन्हें कृषि व्यवस्था में सुधार करने का कोई उत्साह नहीं था। पतन भूमि की उत्पादन-शक्ति गिरती चली गयी और कृषि तथा किसान शानो निर्धन हो गये।

(३) नैतिक पतन—बिना परिश्रम कमाया हुआ धन प्रायः दुर्गुणों को जन्म देता है। जमींदार किसानों के शोषण द्वारा जिस सम्पदा को उपलब्ध कर रहे थे उसका प्रयोग गलत दुराचार एवं अनेक प्रकार के विधामिनाया कार्यों में हानि लगाया था। जमींदारों की विलासिता का दुःप्रभाव उनकी सन्तानों पर भी हुआ और राम तथा युधिष्ठिर की भूमि में ग्रामीणों का जीवन मर्यादा नारकिय एवं घृणित बन गया।

(४) आर्थिक विकास में शिथिलता—जमींदारी प्रथा के विघातकों ने यह कल्पना ही थी कि जमींदारों के रूप में एक ऐसे वर्ग का उदय होगा जो आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से दृष्टेष्ट सम्पन्न होगा और उमरु पान मनसु का ग्राह्य होगा अतः वह देश के कृषि तथा उद्योगों के विकास की दिशा में सक्रिय योगदान दे सकेगा। दुर्भाग्य में, भारत के जमींदार अपनी जागतिक सम्पन्नता एवं पुरस्कार को दुराचार एवं विलासिता के कार्यों में प्रयुक्त करने लग गये। अतः उनकी न तो देश के आर्थिक विकास की दिशा में मोचने का अवसर मिला, न ही उन्होंने इस जोर उद्य रचि दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनोपयोगी उद्योगों का विकास मर्यादा रक गया और ऐश्वर्य साधनों की पूर्ति करने वाले कुछ धन्यों में सामान्य प्रगति हुई।

(५) सरकारी आय में स्थिरता—जमींदारी प्रथा का एक बहुत बड़ा दोष यह था कि जमींदार लोग किसानों से तो मनमाने रकम वसूल करते थे परन्तु सरकारी राजने में केवल निर्धारित राशि ही जमा करवाने थे। इस प्रकार कृषि-उत्पादन में वृद्धि अथवा अन्य कारणों से लगान में जो भी वृद्धि होती वह सरकारी कोष में नहीं जाती थी जिससे सरकार की अपनी आय बढ़ाने के लिए नय कर लगाने पड़ते थे अथवा अनेक मार्बुजतिक निर्माण सम्बन्धी व्यय में कमी करने पड़ती थी जिससे देश के विकास की गति शिथिल रहती थी।

(६) शासन और जनता के सम्बन्ध—जमींदारी प्रथा के कारण देश में जनता और शासन के बीच एक विलुप्त खाई बनती चली गयी। सरदार तक किसानों की पहुँच नहीं थी क्योंकि वह जमींदारों को ही ग्रामों का सर्वोच्च प्रतिनिधि मानती थी और उनकी रिपोर्टें सदा यही रहती थी कि देश में सर्वत्र सुख-शान्ति है। पतन सरकार को कभी कृषि अथवा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की उन्नति का प्रयत्न करने अथवा उसमें महयोग देने का विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ।

(७) मुकदमेबाजी—जमींदारी प्रथा के अन्तर्गत किसानों को प्रायः उनसे में वेदवत्ता कर दिया जाता था और उनके घेत-दुमरे किसानों को दे दिये जाने थे। कुछ क्षेत्रों में बदनामी के विरुद्ध कानून बनाये गये थे अतः किसान उन बदकलियों का विरोध करने जिनके कारण उन्हें निरन्तर

किसी न किसी विवाद में उलझे रहना पड़ता था। इन विवादों के फलस्वरूप किसानों की आय में निरन्तर कमी आती गयी और वह शून्यी होता चला गया।

(८) अस-तोष—जमींदारी प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह था कि उसने किसानों को सर्वथा असहाय और दरिद्र बना दिया जिसके फलस्वरूप भारत के प्रत्येक गाँव में अस-तोष की जवाला भड़क उठी। अन्ततः यह दोष भारत के लिए दरदान सिद्ध हुआ क्योंकि देश के किसानों ने राष्ट्रीय असहयोग आन्दोलन में सक्रिय सहयोग दिया जिससे अंग्रेजी शासन को इतिश्री हो गयी।

(९) भू स्वामियों की अनेकता—जमींदारी प्रथा में जमींदारों द्वारा वसूल किया जाने वाला भूमि कर प्रायः अधिक लगान से बहुत अधिक रहा है अतः कृषि भूमि एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे—इस प्रकार अनेक व्यक्तियों के हाथों में परिवर्तित होती रहती है क्योंकि प्रत्येक मध्यस्थ थोड़ा थोड़ा लाभ कमा सकता था। पन्नाउड कमिशन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बंगाल के मानिक जमींदार और वास्तविक कृषक के बीच ५० से अधिक मध्यस्थ रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि देश में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या निरन्तर बढ़ती रही है।

जमींदारी उन्मूलन—पन्नाउड कमिशन के कथनानुसार भूमि ममम्या का हटाना जमींदारी प्रथा का अन्त करने से ही हो सकता था। इसमें पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस ने मध्य-समय पर जमींदारी प्रथा का अन्त करने में सम्बन्धी प्रस्ताव पास किये। सबसे पहले १९२८ में झाँसी कांग्रेस में पण्डित नेहरू ने जमींदारी प्रथा का अन्त करने का प्रस्ताव किया। तत्पश्चात् बरौची कांग्रेस (१९३१) में इस बात की माँग की गयी कि किसानों के लगान में तत्काल कमी की जानी चाहिए और अनाधिक जोन रखने वाले किसानों को लगान से मुक्त किया जाना चाहिए।

सन १९३५ में इलाहाबाद सम्मेलन में पुनः जमींदारी की समाप्ति का प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि ग्राम्य जीवन में सुधार करने का एकमात्र उपाय यह है कि खेती करने वाले किसानों को ही भूमि का स्वामी बना दिया जाय। इस स्वामित्व परिवर्तन के बदले किसान द्वारा जमींदारों को किसानों में क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सन १९३७ में देश के सभी प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बन गये जिन्होंने तत्काल अनेक प्रकार के भूमि सुधारों की घोषणा की। बिहार में १९११ से १९३६ के बीच की गयी लगान-वृद्धि रद्द कर दी गयी तथा उत्तर प्रदेश में किसानों की वेदखनी बन्द करने सम्बन्धी अधिनियम पास किया गया। इसी प्रकार के व्यापक सुधार मध्य प्रदेश तथा अन्य प्रान्तों में किये गये। १९३७-१९३९ की अवधि में ही कांग्रेस द्वारा स्वर्णय पञ्चवाहरक्षण नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति की गयी जिसकी रिपोर्ट अनेक बाधाओं के कारण १९४६-४७ में ही प्रकाशित हो सकी।

आजादी के बाद—सन १९४६ में ब्रिटिश सरकार ने भारत में बयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाने की घोषणा की और कांग्रेस दल के चुनाव घोषणापत्र में भूमि-सुधार की प्रतिज्ञा करते हुए यह कहा गया था कि राज्य तथा किसानों के बीच मध्यस्थों को समाप्त कर दिया जायगा और उन्हें भूमि के बदले क्षतिपूर्ति दी जायेगी<sup>1</sup> तत्पश्चात् शासन-सत्ता रुद्ध हो गई अतः न भूमि-सुधारों के लिए प्रयत्न आरम्भ कर दिये। सर्वप्रथम १९४८ में कृषि सुधार समिति की नियुक्ति की गयी जिसमें यह निवारण की कि "भूमि पर स्वामित्व किसानों को देना चाहिए और जिन व्यक्तियों ने इस वर्ष तक किसी भू-खण्ड पर खेती की है उन्हें उस भूमि का स्वामी मान लिया जाना चाहिए।" तदनुसार ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी व्यवस्था का अन्त करने का निर्णय कर लिया।

<sup>1</sup> "The reform of the land system which is so urgently needed in India involves the removal of intermediaries between the peasant and the state. The rights of such intermediaries should therefore, be acquired on payment of equitable compensation."

नीचे कुछ राज्यों में जमींदारी प्रथा के समापन सम्बन्धी तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं

(१) उत्तर प्रदेश—सन् १९४६ के चुनावों में कांग्रेस की विजय के पश्चात् अगस्त १९४६ में उत्तर प्रदेश विधान सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी प्रथा का अन्त करने का निश्चय किया और इस सम्बन्ध में विस्तृत मुझाव देने के लिए पं० गोविन्दवल्लभ पन्त की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी। समिति ने अपनी रिपोर्ट १९४८ में प्रस्तुत कर दी जिमकी सिफारिशों के अनुसार जुलाई १९४९ में जमींदारी उन्मूलन बिल प्रस्तुत किया गया और घोर विरोध के पश्चात् १६ जनवरी, १९५१ को पास कर दिया गया। जमींदारों ने इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय तक अपील की परन्तु ५ मई, १९५२ को उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम को वैध घोषित कर दिया गया। फलतः १ जुलाई, १९५२ से उत्तर प्रदेश की सब जमींदारियाँ राज्य के स्वामित्व में आ गयी।

उत्तर प्रदेश में जमींदारों के अधीन कुल ४ १३ करोड़ एकड़ भूमि थी जिसमें से ३ ९ करोड़ एकड़ भूमि सरकार द्वारा लेने का निश्चय किया गया। इस भूमि की क्षतिपूर्ति १५० करोड़ रुपये निर्धारित की गयी। क्षतिपूर्ति की रकम का निर्धारण भूमि के शुद्ध मूल्य का आठ गुना निश्चित किया गया।

पुनर्स्थापना महापत्रा—उत्तर प्रदेश में मध्यवर्गों की संख्या लगभग २० लाख थी। इनमें से ९० प्रतिशत व्यक्ति तो केवल नाम के ही जमींदार थे क्योंकि वह २५ रुपये वार्षिक में कम लगान देते थे। केवल १ ५ प्रतिशत अर्थात् ३०,००० व्यक्ति २५० रुपये में अधिक लगान चुकाते थे। इनमें से भी १,००० रुपये तक वार्षिक लगान देने वालों की संख्या ५,००० तथा १०,००० रुपये से अधिक लगान देने वालों की संख्या केवल ४०० थी।

इस प्रकार जमींदारी उन्मूलन का भूमिधारियों के एक बड़ा बड़े ऐसे वर्ग पर प्रभाव पड़ा जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न नहीं कहा जा सकता था, अतः सरकार ने इस वर्ग की पुनर्स्थापना अनुदान देने का निर्णय किया। अनुदान की राशि जमींदार की शुद्ध सम्पत्ति के २ से २० गुने तक है।

अधिकार—जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप जमींदारों के अधिकार में केवल वह भूमि छोड़ी गयी है जिम पर वह स्वयं खेती करते हैं। ऐसे भू-खण्डों के पैड तथा कुओं पर उनका अधिकार रहने दिया गया है। उपर्युक्त अधिनियम द्वारा अनेक प्रकार के कृषक-आमांशियों का अन्त कर दिया गया है और केवल दो प्रकार के भूमिधारियों रह गये हैं जिन्हें भूमिधर तथा सीरदार कहा जाता है।

भूमिधर—इस वर्ग के किसान भूमि के मालिक होंगे और उन्हें भूमि को हस्तान्तरित करने, बेचने अथवा अन्य किसी भी प्रकार काम में लाने का अधिकार होगा। इस प्रकार के अधिकार प्राप्त करने के लिए भूमि के वार्षिक लगान का दस गुना सरकार को देना आवश्यक है। भूमिधर किसानों को मामान्य लगान (जो भूमिधर बनने से पूर्व था) का केवल ५०% देना पड़ता है।

सीरदार—जो व्यक्ति भूमिधर नहीं बन सकते वह सीरदार कहलाते हैं। इन व्यक्तियों को भूमि पर खेती करने का पूर्ण अधिकार होता है किन्तु वह इसे न बेच सकते हैं और न किसी को हस्तान्तरित कर सकते हैं। सीरदार किसानों को लगान की उननी ही रकम देनी पड़ती है जो जमींदारी उन्मूलन होने से पूर्व चुकानी पड़ती थी।

उपर्युक्त वर्गों के अनिश्चित दो वर्ग और हैं जिन्हें आसामी तथा अधिवासी कहा जाता है।

आसामी—आसामी किसान वह है जो वन, भूमि, बगीचों की भूमि अथवा कभी-कभी खेती के काम में जाने वाली धरती पर खेती करते हैं। उन व्यक्तियों को भी आसामी कहा जाता है जिन्हें भूमिधर या सीरदार खेती का अधिकार दे देने हैं। यह अधिकार भूमिधर अथवा सीरदार खेती करने के अयोग्य हो जाने की स्थिति में, अल्पवयस्कों तथा विधवाओं द्वारा अथवा संनिकर्षों

(३) मध्य प्रदेश—जमींदारी अधिकार के धूम-धड़ों को मुआवजा विनियमन में लाने के लिए मध्य प्रदेश में मार्च १९५१ में एक अधिनियम लागू किया गया। नवदिसंबर ३१ मार्च, १९५१ में लगभग ६३,००० ग्रामों का स्वायत्त सरकार को प्रान्त हो गया। मध्य प्रदेश जमींदारी अधिनियम के अन्तर्गत जमींदार, मातंगुवार, जमींदार, टिकारदार तथा पटनदार—नवक अधिनियम ममान्य कर दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश में का उत्तर प्रदेश की भाँति जम्मा-जम्मा भूमि व टुकड़ों पर जम्मा-जम्मा अधिनियम देने की व्यवस्था की गयी है। जिसका जो भूमि का सूचना बुझाने के लिए प्रोचन देते की शक्ति न यह सिद्धांत हो गयी है कि भूमि का स्वायत्त प्रान्त करत ही उन्हें लगान में १०% प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जमींदारी की अधिनियम की एकमात्र बुझाना सम्भव हो सकेगा।

मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात् सम्पूर्ण राज्य में समान राशय विनय लागू कर दिने गये हैं और जमानियों के लगान की एक निश्चित कर दी गयी है। भूमि का स्वायत्त भी यही शक्ति में सम्मानित किया जा रहा है।

(४) पंजाब—जय राज्यों में भूमि का भूमि मुआवजा में व प्रेरित होकर राजव सरकार ने भी १९५० में जमानियों की सम्मान के लिए ही अधिनियम पास किए किन्तु उनका यह बहुत सीमित था जब एक भूमि मुआवजा अधिनियम की स्थापना की गयी जिसने सिद्धांत की छि भूमि के मातृदेशों का जमानियों का भूमि न कोई सीमा सम्बन्ध नहीं था जब उन्हें भूमि के अधिनियम सरकार द्वारा प्रान्त कर दिए गए जायें। फरव १९५० में इन राज्यों में भूमि अधिनियम ले लेने सम्बन्धी कामों भी पास किये गये।

मार्च १९५३ में पंजाब सरकार द्वारा एक और अधिनियम पास किया गया जिसके द्वारा जमानियों के पास ०० एकड़ में अधिक भूमि लगान की मन्ती कर दी गयी। इसके अधिनियम के अन्तर्गत जमानियों के विनय भी पास किये गये।

पंजाब में भूमि व्यवस्था हम हम में साठित की जा रही है छि जमींदार स्वयं भूमि के लिए ३० एकड़ तक भूमि रख सकता है किन्तु जिस जमान या जमानों में वह भूमि रख सकता है उसके पास कम से कम ५ एकड़ भूमि होनी आवश्यक होगी। भूमि पर लगान कुल टकर के विनाई भाग में अधिक नहीं हो सकता। एक अन्य व्यवस्था के अनुसार किसान को वह भूमि लगेदने का अधिकार दिया गया है जिस पर वह सब उस जमी में निश्चित भूमि कर रहा है।

(५) राजस्थान—पुनर्गठन राशयों की स्थापना के समय (१९५६) सम्पूर्ण क्षेत्र की लगभग ५६ प्रतिशत भूमि में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। जमानियों के जमींदार सरकार को नकलना देने का उत्तरदायी था। जमींदारी प्रथा के अधिनियम राजस्थान में मध्यस्थों की एक और श्रेणी की जिसे दिव्येश या जमींदार कहा जाता था। इस प्रथा के अन्तर्गत जमींदार या दिव्येश सरकार को एक निश्चित एक राशय में बुझाने के और स्वयं उनके मन्तव्यों गति वस्तु कर सकते थे। यह दोन जमानों की भूमि में देखकर भी कर सकते थे।

(६) जमींदारी का अन्त—राजस्थान भूमि मुआवजा एक जमींदार पुनर्गठन अधिनियम १८ फरवरी, १९५० में लागू किया गया किन्तु उनका आम्बिक प्रयोग मर्च १९५४ में प्रारम्भ किया गया। अधिनियम में जमींदार को मुदकाल भूमि के लिए जमानियों अधिनियम प्रदान किये गये हैं। इसके अधिनियम कुछ दाव की भूमि छोड़कर जय नवी जमानों सरकार द्वारा प्रान्त करने की व्यवस्था की गयी।

अधिनियम—सरकार ने जमानियों के लिए न केवल अधिनियम देने की व्यवस्था की है बल्कि उनके पुनर्गठन के लिए अनुदान भी स्वीकृत किये हैं। जमानियों को अपनी कुछ अन्त की मान

मुनी क्षतिपूर्ति देने का निश्चय किया गया है जिसका भुगतान २ $\frac{1}{2}$ % ब्याज दर से १५ समान वार्षिक किस्तों में चुकाने का निश्चय किया गया। पुनर्स्थापन का अनुदान, पाँच हजार रुपये वार्षिक में कम आय वाले जागीरदारों के लिए ५ से ११ गुना तक तथा अन्य जागीरदारों के लिए उनकी शुद्ध आय के दुगुण से चार गुने तक दिया गया।

अब तक २,३६,६२८ जागीरें ली जा चुकी हैं। जागीरदारी प्रथा का अन्त करने में सरकार की काफी धन व्यय करना पड़ा। मुआवज़ा, पुनर्वास, अनुदान पंशन, ब्याज आदि को सम्मिलित कर सन् १९७१ के अन्त तक सरकार को ५१ २६ करोड़ रुपये व्यय करना पड़ेगा। जागीरदारी की समाप्ति में सरकार को १९५५-७० की अवधि में कुल ६३ ३३ करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया गया है। सन् १९७०-७१ से सरकार को लगभग पाँच करोड़ रुपये वार्षिक की आय प्राप्त होगी। इस प्रकार वस्तुतः सरकार को जागीरदारी की समाप्ति से व्यय की अपेक्षा आय अधिक प्राप्त होगी।<sup>१</sup>

(ii) बिस्वेदारी व जमींदारी का अन्त—ये प्रथाएँ राजस्थान के दस जिलों के लगभग पाँच हजार गाँवों में प्रचलित थीं। सन् १९६३ में The Rajasthan Land Reforms and Acquisition of Land Owner's Estates Act पारित हुआ। इसके अनुसार पुरनी रियासतों व राजाओं की भूमि भी सरकार द्वारा लिए जाने की व्यवस्था की गयी। इस प्रकार जमींदारी व बिस्वेदारी प्रथा का अन्त करके काश्तकार को शोषण एवं वेदखती के भय से मुक्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में राजस्थान में ६०% काश्तकारों को खेतीदारी के अधिकार प्राप्त हैं, जबकि सन् १९५५ में केवल १०% काश्तकारों को ही ये अधिकार प्राप्त थे।

उत्पन्न राज्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, मंगूर, उड़ीसा, बंगाल, हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी जमींदार उन्मूलन सम्बन्धी अधिनियम पास हो चुके हैं और प्रायः प्रत्येक राज्य में भूमि का स्वामित्व किसानों को देने का प्रयत्न किया जा चुका है।

### भूमि अधिकारों में परिवर्तन—एक विश्लेषण

दो उद्देश्य—भारत में जिन भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रथम तथा द्वितीय योजना में प्राथमिकता दी गयी थी उनके दो प्रमुख उद्देश्य कहे जा सकते हैं

(१) प्रथम उद्देश्य के अनुसार कृषि विकास के मार्ग की सम्पूर्ण बाधाएँ दूर करना है ताकि कृषि क्षेत्र में कुशलता तथा उत्पादकता के स्तर में उन्नति की जा सके।

(२) दूसरा उद्देश्य यह था कि कृषि में सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी तत्वों को समाप्त कर दिया जाय ताकि ग्रामीण समाज के सभी तत्वों को सम्मानपूर्वक खेती करने का अवसर मिल सके।

इन उद्देश्यों में से प्रथम की पूर्ति करने के लिए सरकार ने बन्दर भूमि साफ करवाने, सिंचाई सुविधाओं में उन्नति करना, महकारी खेती को प्रोत्साहित करने तथा भूमि की लवणता एवं जलान्ध्रता दूर करने की योजनाओं का कार्यान्वित किया है। इन सभी कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में पिछले कुछ अध्यायों में विचार किया जा चुका है।

दूसरे उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भूमि का स्वामित्व किसानों को देने की व्यवस्था की गयी है ताकि किसान जमींदार के शोषण से बच सकें और उन्हें न केवल खेती के विनाश का पूरा अवसर मिल सके बल्कि वह सम्मानपूर्वक जीवन भी व्यतीत कर सकें।

भारत की स्वतन्त्रता के समय देश की कुल भूमि का लगभग ४० प्रतिशत जमींदारों अथवा जागीरदारों के अधिकार में था। कुछ छोटी-सी भूमि को छोड़कर, जो धार्मिक जयवादान से लेनी वाली मठों के अधिकार में है, शेष भूमि पर मध्यस्थों के अधिकारों का पूर्ण अन्त कर

दिया गया है। इन परिवर्तन में लगभग २ करोड़ निम्न जमींदारों के शोषण से मुक्त हो गये हैं और उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हो गया है। इतना ही नहीं, बहुत-सी बंजर भूमि जो पहले बेकार पड़ी थी, अब माफ करके खेती के काम में ली जाने लगी है।

कठिनाइयाँ—जमींदारी उन्मूलन के मार्ग में प्रारम्भ से ही अनेक कठिनाइयाँ आयी हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं

(१) लागू करने में—कई राज्यों में उन्मूलन अधिनियमों को उचित रूप में कार्यान्वित करने के लिए बुगत राजस्व कर्मचारियों का अभाव रहा है।

(२) अघूरे रिकार्ड—स्थायी लगान-व्यवस्था वाले राज्यों तथा कुछ अन्य स्वानों पर भूमि सम्बन्धी रिकार्ड अघूरे थे अथवा उपलब्ध ही नहीं थे, अतः भूमि का स्वामित्व निर्धारित करने में बहुत कठिनाई हुई।

(३) क्षतिपूर्ति—राज्य सरकारों के सामने एक कठिनाई यह थी कि जमींदारों के अन्तर्गत आने वाले सभी भू-वर्गों की क्षतिपूर्ति का निर्धारण कैसे किया जाय तथा उसके भुगतान की क्या व्यवस्था की जाय। फलतः क्षतिपूर्ति का भुगतान होने में अत्यधिक समय लगा है। इसका अनुमान हम बात से उगता है कि कुछ क्षतिपूर्ति की राशि ६४१ करोड़ रुपये (४२१ रुपये भूमि का मुआवजा, ६२ करोड़ रुपये की पुनर्स्थापन सहायता तथा १२८ करोड़ रुपये व्यय) का ज़िम्मे में अब तक कुल ३२० करोड़ रुपये का भुगतान किया जा सका है।

(४) कानूनी अडचन—जमींदारी उन्मूलन सम्बन्धी जितने अधिनियम पाम किये गये उनमें से अधिकांश का जमींदारों द्वारा ग्यायालयों में विरोध किया गया जिसके फलस्वरूप उन्हें लागू करने में बहुत समय लगा। इस सम्बन्ध में यह उन्मूलनीय है कि बिहार के भूमि सुधार विधेयक को लागू करने के लिए तो भारतीय संविधान में संशोधन तक करना पड़ा था।

## २. आसामी कानून में सुधार<sup>१</sup> (TENANCY REFORM)

प्रायः सभी राज्यों में आसामी कानून में संशोधन किये गये हैं। कुछ राज्यों में किसानों की बेदखली तो बन्द कर दी गयी है परन्तु भूमि की व्यवस्था अस्थायी ही है। मौरप्र प्रदेश में आसामियों की बेदखली सम्बन्धी कानून भी अन्तरिम है और तेलंगाना क्षेत्र में तो मूठ कृषि भूमि कानून लागू ही नहीं किया गया है।

बिहार में उन आसामियों को जिनके भूमि जिनमें अबधि के पट्टे पर भी दी गयी है, वह अबधि समाप्त होने पर उन्हें भूमि से बेदखल किया जा सकता है। मौखिक पट्टे पर दी गयी भूमि से आसामी को तभी बेदखल किया जा सकता है जब वह भूमि का दुर्हयोग कर रहा हो अथवा यथामय लगान न चुका रहा हो।

मध्य प्रदेश में आसामियों को एक न्यूनतम क्षेत्र के लिए एक निश्चित अबधि के लिए खेती के अधिकार दे दिये गये हैं। भूमि का लगान (Rent) भूमि राजस्व (Land revenue) के २-४ गुने से अधिक नहीं हो सकता। आसामियों को भूमि का स्वामी बनाने से सम्बन्धित व्यवस्था भी की गयी है।

उड़ीसा में एक पूर्णकाल अधिनियम पाम किया गया है जिसके अनुसार आसामियों को भूमि पर खेती करने के अधिकार सुरक्षित किये गये हैं परन्तु भूमि का मौखिक आसामी में कुल भूमि का दो तिहाई या तीन-चौथाई पुनर्ग्रहण कर सकता है, किन्तु यह २५ एकड़ से अधिक नहीं होगा। कुछ क्षेत्र ऐसे भी निश्चित किये गये हैं जिनमें आसामियों से भूमि पुनर्ग्रहण नहीं की जा सकती। ऐसे क्षेत्रों में आसामी भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

<sup>१</sup> इसके साथ गन पट्टों में विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में दिये गये विवरण को भी पढ़िए।



रख दी जाती है तो छोटे भू-खण्ड में आधुनिकतम तरीकों से खेती नहीं की जा सकती जिससे उत्पादन में गिरावट आ सकती है।

(५) भूमि का अभाव—भारत जैसे देश में जहाँ भूमि का अभाव है, अवश्य जोत निर्धारित कर उसे पुनर्निर्धारित करने से भी विशेष लाभ होने की सम्भावना नहीं है।

(६) विक्रय के लिए माल की कमी—वर्तमान में एक औसत भारतीय किसान इतनी फसल उत्पन्न नहीं करता कि उसके पास बेचने के लिए महत्वपूर्ण बचत होनी हो। परन्तु भूमि के टुकड़े छोटे करने पर फसल तथा बचत की मात्रा और भी कम हो जायेगी जिससे कृषि पदार्थों की विक्री अधिकाधिक कठिन होनी जायेगी।

उपर्युक्त दोष हम दिशा के सकेतक नहीं है कि भूमि की जोत की उच्चतम सीमा निर्धारित करना सत्रथा अवाञ्छनीय है। वस्तुतः यह इस दिशा में कार्य करने वालों के लिए लाल रोशनी की भाँति है जिसका अर्थ यह है कि इस दिशा में सावधानीपूर्वक कार्यवाही करनी चाहिए।

प्रगति—भारत के प्रायः सभी राज्यों में कृषि-जोत की सीमाएँ निर्धारित कर दी गयी हैं और तदनुसार जोतों का पुनर्गठन हो रहा है। यद्यपि पुनर्गठन की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है तो भी कुछ राज्यों में इस ओर कार्य आरम्भ हो गया है। उदाहरणतः द्वितीय योजना-काल में जम्मू-काश्मीर में ४५ लाख एकड़ भूमि सरकारी अधिकार में लेकर वितरित कर दी गयी। बंगाल में ५२४ लाख एकड़ अतिरिक्त कृषि भूमि राज्य के नियन्त्रण में आ गयी है और इसे तब तक अस्थायी रूप में वार्षिक आधार पर भूमिहीनों को दिया जा रहा है जब तक कि इसका स्थायी वितरण न हो जाय।

उत्तर प्रदेश में १४ लाख एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हो चुकी है जिसमें २४,००० एकड़ भूमि का वितरण कर दिया गया है। तमिलनाडु में चीनी मिलों के अधिकार में ६०,६०० एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की जा चुकी है जिसमें से सरकार ने ३५,००० एकड़ भूमि पर अधिकार कर लिया है। महकारी समितियों की स्थापना होने तक इस भूमि की व्यवस्था महाराष्ट्र राज्य कृषि निगम करेगा। अन्य राज्यों में भी उच्चतम जोत निर्धारित की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में सरकार को चाहिए कि वह ज्यों ज्यों अतिरिक्त भूमि पर अधिकार करती जाय त्यों त्यों उसे तत्परतापूर्वक भूमिहीनों में वितरित कर दिया जाना चाहिए अन्यथा भूमि बेवार पड़ी रहने में देश के उत्पादन की हानि होगी जो किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है।

देश के विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम जोत निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है

राज्य	भविष्य के लिए	वर्तमान जोतों के लिए
आन्ध्र प्रदेश	१८ से २१६ एकड़	२७ से ३२४ एकड़
आसाम	५० एकड़	५० एकड़
बिहार	२० से ६० एकड़	३० से ६० एकड़
गुजरात	१६ से १३२ एकड़	१६ से १३२ एकड़
हरियाणा	३० प्रमाणित एकड़	३० प्रमाणित एकड़
जम्मू-काश्मीर	२२ ७५ एकड़	२२ ७५ एकड़
केरल	१५ से ३६ तक	१५ से ३६ एकड़
मध्य प्रदेश	२५ से ७५ एकड़	२५ से ७५ एकड़
तमिलनाडु	२४ से १२० एकड़	२४ से १२० एकड़
महाराष्ट्र	१८ से १२६ एकड़	१८ से १२६ एकड़
मैसूर	१८ से १४४ एकड़	२७ से ०१६ एकड़
उड़ीसा	२० से ८० एकड़	२० से ८० एकड़

१	२	३
पंजाब	३० प्रमाणित एकड़	३० प्रमाणित एकड़
राजस्थान	२२ से ३३६ एकड़	२२ से ३३६ एकड़
उत्तर प्रदेश	१२५ एकड़	४० से ८० एकड़
पश्चिमी बंगाल	२५ एकड़	२५ एकड़
हिमाचल प्रदेश	३० से १२५ एकड़	३० से १२५ एकड़

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकतम जोत की सीमाओं में बहुत अन्तर है। इसका कारण यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की उर्वराशक्ति तथा कृषि सुविधाएँ समान नहीं हैं।

भूमि सुधार मूल्यांकन समिति के विचार—भारतीय योजना आयोग ने भूमि सुधारों की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करने तथा उन सम्बन्ध में यथोचित सुझाव देने के लिए भारत के भूतपूर्व गृहमन्त्री श्री गुलबारी लाल नन्दा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अक्टूबर १९६६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में प्रकट किये गये विचारों का नारायण प्रकाश प्रकार है।

वर्तमान स्थिति—(१) देश के विभिन्न भागों में अब भी काफी अधिक मात्रा में भूमिदाता पद्धति से घेरी होती है जिसका तात्पर्य यह है कि भूमि के मालिक श्रमिकों से घेती करवाते हैं और उनसे चौपाया तोमरा भाग (बटाई के रूप में) ल लेते हैं। यह भूमि सुधारों की मूल धारणा के विपरीत है।

(२) घेती करने वाले किसानों की वेदवली की प्रथा अब भी प्रचलित है।

(३) अनेक क्षेत्रों में उचित लगान सम्बन्धी नियमों का पालन नहीं हो रहा है।

(४) भूमि की सीमाबन्धी कानूनों की अनेक रीतियों द्वारा अवहेलना की गयी है।

समिति के सुझाव—नन्दा समिति ने भूमि सुधारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :

(१) भूमि सुधार कानूनों का पुनर्निरीक्षण कर उनकी कमियाँ तुरन्त दूर की जानी चाहिए।

(२) वास्तव में घेती करने वाले किसानों की वेदवली बन्द करनी चाहिए तथा उन्हें भूमि का स्वामित्व सौंपा जाना चाहिए।

(३) जिन क्षेत्रों में आसानी काम करते हैं उनमें भी लगान वसूली सरकार द्वारा की जानी चाहिए। सरकार सग्रह शुल्क काटकर शेष रकम भू स्वामियों को दे सकती है।

नन्दा समिति का अनुमान है कि पुरानी जमींदारियों के लगभग २ करोड़ किसान अब प्रत्यक्ष रूप में राज्य को लगान देने हैं तथा लगभग ३० लाख जमींदारों को ७० लाख एकड़ भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो गया है। सीमाबन्धी कानूनों के परिणामस्वरूप लगभग २० लाख एकड़ भूमि अनिश्चित (surplus) घोषित की गयी है।

#### ४. भूदान आन्दोलन

भारत में प्रत्येक समस्या को प्रायः दो पहलुओं से देखा जाता है। पहला कानूनी पहलू है जिसमें कोई नवीनता नहीं है किन्तु दूसरा पहलू नैतिक है जो अनेक व्यक्तियों के लिए आलोचना का विषय है। तिनोबाजी ने भारत की भूमि समस्या को नैतिक दृष्टि से देखा है। उनकी यह मान्यता है कि मनुष्य में देवी और राक्षसी दोनों वृत्तियाँ होती हैं। यदि देवी वृत्ति को जाग्रत कर मनुष्य की अपने सहयोगियों की कठिनाइयों तथा कष्टों का भान करवा दिया जाय तो वह निश्चय ही कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो सकते हैं।

भूदान आन्दोलन का सूत्रपात १९ अप्रैल, १९५१ को तेलंगाना (आन्ध्र प्रदेश) के पोचम-पल्ली ग्राम में हुआ जहाँ आचार्य तिनोबा की प्रार्थनामन्त्रा में एक हरिजन ने यह समस्या रखी कि

उमके अनेक नादियों मर्तिन उमके फाम खेती के लिए भूमि नहीं है। इन पर श्री रामचन्द्र रेड्डी ने तन्वाल ३० एकड़ भूमि दान करने की घोषणा की। उसी दिन स विनोबाजी ने यह निदघ्न किया कि वह ग्राम-ग्राम प्रभुकर भूमिपतियों से भूमिहीनों के लिए भूमि-दान की मांग करेंगे।

भूदान के पक्ष — राचार्य विनोबा ने यह घोषणा की कि यह आगामी पाँच वर्षों में ५ करोड़ भूमि एकत्र करेंगे और भूमिहीनों से वितरित करेंगे। इन प्रकार भूमि प्राप्त करने और वितरित करने में कई वैज्ञानिक आपत्तियाँ उत्पन्न हो गयीं, उन प्रयत्नों यहाँ राज्यों ने विशेष निदघ्न बनाकर भूदान को वैज्ञानिक रूप प्रदान कर दिया। भूदान के पश्चात् विनोबाजी ने ग्राम दान, सम्पत्ति-दान तथा जीवन-दान की मांग करती प्रारम्भ कर दी है।

भूदान आन्दोलन का आधार भूमिहीन किसानों के लिए भूमि की व्यवस्था करना है और यह व्यवस्था बिना किसी विरोध के ऐच्छिक रूप में दान दी गयी भूमि में करने का विचार है। भूदान का दूसरा उद्देश्य समाज में आर्थिक तथा सामाजिक जादृति उत्पन्न करना है और सम्पन्न व्यक्तियों के हृदय में निर्धनों के लिए स्नेह की ज्योति जगाना है।

अन्तिम रूप में उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार विनोबाजी को लगभग ४३ लाख एकड़ भूमि तथा ४०,००० ग्राम दान में मिल चुके हैं। इनमें से लगभग १० लाख एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। भूदान आन्दोलन के मनषकों का कहना है कि इनकी भूमि और फाम प्राप्त कर लेना कोई हँसी उड़ान नहीं है वस्तुतः यह मन्व है पन्तु भूदान में भारत के किसानों की भूमि समस्या हल हो मकेगी यह दाव मान लेना प्रवचनमात्र होगी क्योंकि पृथ्वीपति जयदा भूमिधारी वर्ग के प्रत्येक मानविक प्ररायण को सर्व भूमि शोशात की जयदा नैतिक समाजवाद अन्तर्गत की सीमा ठक ऊँचा उठा देना किसी भी दृष्टि में सम्भव प्रतीत नहीं होता। भूदान का एक महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि इस आन्दोलन के कारण समाज में भूमि समस्या के सम्बन्ध में ज्योति जादृति हुई है।

उपसंहार — भारत की भूमि समस्या को हल करने में सरकार का उद्घृत सच्चाई और सम्यक में काम किया है परन्तु इन वर्षों में कुछ जन्तिगनी राजनीतिकी ने बाधाएँ डाली हैं। म्दय समाज-दल के ही कुछ नेताओं द्वारा अनेक प्रकार से 'अप्रियम जेन' सम्बन्धी सिद्धियों की उन्नयना करने तथा भूमिपतियों के साथ मोठ मोठ कर लह लरभ पहुँचाने का 'राजनीय कार्य' किया गया है। इसके अनिश्चित सिद्धियों को भूमि का स्वामित्व देन में डिन तद्वरण में काम लेना चाहिए था, सम्भवतः उनमें काम नहीं किया गया। अतः अब भी सम्पूर्ण भूमि का स्वामित्व उचित हाथों में नहीं गया है। इसमें कुछ क्षेत्रों में व्यक्तिगत कारणों से भी कुछ छोटे-जमींदारों को अनुचित रूप में दबाव की धमकाएँ हुई हैं। इन सबका कारण देश के सामान्य राष्ट्रीय चरित्र का निम्न स्तर ही है किन्तु सरकार को इन दिग्गजों में यथोचित आँक कर लेनी चाहिए ताकि न्याय केवल कुछ व्यक्तियों के लिए न होकर सब व्यक्तियों के लिए होना सिद्धायी पड़े। प्रजातन्त्र की यह सामान्य मांग है किने पूरा करना सर्वथा युक्तिमय है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अब भूमि मुआवर के प्रति सरकार का उन्माद मन्द पट रहा है। 'भूमि मुआवर की दुहाई देना' अब राजनीतिकी का 'धर्म' मान रट गया है। भूमि मुआवरों के सिद्धान्त के प्रति सरकार उदासीन नजर आती है। कुछ प्रभावशाली क्षेत्रों में यह छुतरमाक भावना पनप रही है कि पुगले जमींदार तथा थोड़े किसानों के फाम प्रदत्त योग्यता, साधन-सम्पन्नता तथा ज्योतिम उद्योग की क्षमता है किमका उनमें देन में कृषि ज्ञानि को मन्व दवाने के लिए किया जा सकता है। इन सब नहीं भूदान चाहिए कि जयूर भूमि मुआवर आर्थिक विमय के माँग में कौी बाधाएँ उत्पन्न कर सकते हैं। प्रो० गार्डिन के शब्दों में

"A land reform which has stopped half way or has been only half heartedly

undertaken, almost inevitably creates conditions which are inimical to justice as well as to overall development.'<sup>1</sup>

प्रश्न

- १ एक आदर्श भूमि-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। सरकार न भूमि व्यवस्था में मुधार करने के लिए कौन कौन से उपाय करे हैं? (आगरा, बी० कॉम०, १९५६)
- २ भूदान यज्ञ की आर्थिक महत्ता का वर्णन कीजिए और यह भी बतनाइए कि यह आन्दोलन देश के भूमिहीन श्रमिकों की कहां तक सहायता कर सकेगा? (पटना, बी० ए०, १९५४)
- ३ भारत में भूमि-व्यवस्था की प्रमुख प्रणालियों की संक्षिप्त विवरणा कीजिए तथा उनका आर्थिक महत्त्व समझाइए। (आगरा, बी० कॉम०, १९५५)
- ४ भारत में कृषि भूमि का विभाजन किस प्रकार हुआ है? उत्तर प्रदेश में भूमि के पुनर्वितरण तथा मुधार की योजना का विवरण कीजिए। (आगरा, बी० ए०, १९६१)
- ५ भारत में हाल ही में जो भूमि मुधार हुए हैं उनकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। (दिल्ली, बी० ए०, १९६१)
- ६ भारत में हाल ही में भूमि-व्यवस्था के मुधार के किंचित् प्रयत्नों का परीक्षण कीजिए। (नागपुर, बी० कॉम०, १९६४)
- ७ राजस्थान में भूमि मुधार की प्रगति में जाय नहीं तक मन्वुष्ट हैं? टपकों के मन्वोप के लिए और अधिक क्या करना चाहिए? (राजस्थान, बी० ए०, १९६५)

<sup>1</sup> Gaidgil, D R, *Indian Journal of Agricultural Economics*, July 1966

*'Without food enough, India's effort for improving human welfare, achieving social justice and securing democracy will become almost impossible of attainment'*

—Ford Foundation Team

### भोजन का महत्त्व

किसी भी देश में 'रोटी कपडा और मकान' जनता की प्राथमिक आवश्यकताएँ समझी जाती हैं और इनमें से एक का भी अभाव राष्ट्र की सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मर्यादा को झकझोर देने के लिए पर्याप्त है। इन तीनों में भी भोजन की आवश्यकता तीव्रतम होती है क्योंकि मनुष्य कम दस्त तथा कम अथवा बिना मकान किसी जीवित रह सकता है परन्तु भोजन के बिना मनुष्य की सभी इद्रियाँ शिथिल पड़ जाती हैं और कुछ समय पश्चात् ही उसकी जीवन-शैली समाप्त हो जाती है। अतः भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है जिसकी पूर्ति बिना किसी भी व्यक्ति अथवा सरकार का बन रहना असम्भव है।

**विकास कार्यों पर प्रभाव**—खाद्यान्न का दूसरा महत्त्व इस दृष्टि से है कि यदि हमका अभाव होता है तो इसके आयात को प्राथमिकता देना आवश्यक होता है जिससे देश के विदेशी विनिमय का एक (कभी कभी महत्त्वपूर्ण) अंश अन्य विकास कार्यों से खिचकर उदरपूर्ति में लग जाता है। इस प्रकार खाद्यान्नो का अभाव देश के अन्य आर्थिक क्षेत्रों को निरन्तर प्रभावित करता रहता है।

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य**—खाद्यान्न पदार्थों के अभाव का तीव्र प्रभाव देश की जनता के सामान्य स्वास्थ्य पर पड़ता है। यदि लोगों को दोनो समय यथेष्ट मात्रा में गुणयुक्त भोजन उपलब्ध न हो तो स्वाभाविक रूप में उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है, उनकी सहन शक्ति कम हो जाती है, जिससे उन्हें क्षय जैसे दुष्ट रोगों का शिकार होना पड़ता है। अस्वस्थ शरीर का प्रभाव समाज की मानसिक एवं बौद्धिक शक्ति पर भी पड़ता है जिससे जनता की कार्यशक्ति क्षीण हो जाती है। इस प्रकार दुर्बल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अन्ततः देश की कृषि तथा उद्योगों के उत्पादन तथा देश की प्रवृत्ति एवं व्यवस्थात्मक क्षमता पर प्रभाव डालता है।

उपर्युक्त त्रिचारी से स्पष्ट है कि खाद्यान्नों के अभाव में देश की सम्पूर्ण व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, अतः इस समस्या का गम्भीरनापूर्वक अध्ययन कर उसका यथोचित हल निकालना आवश्यक है।

भारत की खाद्य समस्या—जिनो भी देश की खाद्य समस्या का अध्ययन तीन पहलुओं में करना आवश्यक है। प्रथम, सन्ध्यात्मक अथवा परिमाणात्मक पहलु, दूसरा गुणात्मक पहलु, और तीसरा ध्वंसस्यात्मक पहलु।

(१) परिमाणात्मक पहलु (Quantitative Aspect)—सन् १८८० व अकाल आयोग ने यह मत प्रकट किया था कि भारत प्रतिवर्ष अपनी आवश्यकता में लगभग ५० लाख टन अधिक अन्न उत्पन्न करता है। वस्तुतः उस समय भारत की जनसंख्या लगभग २५ करोड़ के लगभग थी और श्रौतका तथा प्रसा भाजन के ही अन्न थे। यद्यपि जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि व कारण, विशेषकर १९०१ व पश्चात् भारत में खाद्यान्नों का जनिरक (surplus) कम हो गया किन्तु अन्न का निर्यात प्रायः द्वितीय महायुद्ध व प्रारम्भ में पूर्णतः नष्ट (१९३९) निरन्तर होता रहा। उस अन्तिम व कुछ वर्षों में जबकि भारत में अन्न की स्थिति थी, विदेशों में अन्न आयात भी करना आवश्यक हो गया था।

द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात् भारत में अन्न का सदा अभाव रहा है इसका अनुमान निम्नलिखित अंका से लग सकता है

भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन और आयात

(मिनिटन टनों में)

वर्ष	गुद उत्पादन	आयात
१९५१	४८२	४८
१९५६	६०७	१६
१९६१	७१९	३५
१९६६	६३३	१०६
१९६०	८७१	३६

(Source Economic Survey, 1970-71, p 89 (संकेत दानें सम्मिलित नहीं हैं)।

सन् १९५१ में प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की (दाना सहित) उपलब्धि १३९० औंस दैनिक थी, १९६१ में यह उपलब्धि १६५० औंस दैनिक हो गयी और १९७० में १५७१ औंस दैनिक रह गयी।

उपर्युक्त अंकों में स्पष्ट है कि गत वर्षों में अन्न का निरन्तर अभाव रहा है और इस अभाव की पूर्ति विदेशों से अन्न आयात द्वारा की गयी है। फोर्ट फाउण्डेशन दान, जिस १९५८ में भारत की खाद्य समस्या का अध्ययन कर उसके समाधान के लिए मुचान दान भारत को भुजाया गया था, यह अनुमान लगाया था कि यदि अन्नोत्पादन के विनाम की त फार्मों गति जारी रही तो तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष तक भारत में अन्न का उत्पादन आवश्यकता में लगभग २८ करोड़ टन कम रह जायगा।

अनुमान भ्रामक—फोर्ट फाउण्डेशन दान में एक दस्ता यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि देश में खाद्यान्नों का उत्पादन तथा आवश्यकता में अन्तर नियमित रूप में बढ रहा था अतः यदि उत्पादन में वृद्धि न हुई तो १९६१/६६ तक कुल कमो २८ करोड़ टन तक हो जायगा। परन्तु दान का यह अनुमान आवश्यकता में अग्रिम निराशावादी प्रमाणित हुआ क्योंकि १९५६/७ के पश्चात् भी अन्न का उत्पादन में लगभग १०१ करोड़ टन की वृद्धि हुई है। दूसरे अनिश्चित दान का यह भी अनुमान था कि १९६५/६६ तक दान की जनसंख्या ४८ करोड़ हो जायेगी। यह अनुमान गरीब है अतः अन्न की आवश्यकता ११ करोड़ टन हो गयी है। इस दृष्टि में भारत में अन्न की सभी आगामी कई वर्षों तक कमी रहने की आशंका है। भारतीय योजना आयोग ने तृतीय योजना के

समाप्त तक देश में अन्न उत्पादन का लक्ष्य १० करोड़ टन निर्धारित किया था जबकि वास्तविक उत्पादन लगभग ७३ करोड़ टन हुआ। चतुर्थ योजना के अन्त तक खाद्यान्ना का उत्पादन १२६ मिलियन टन तक पहुँचाने का प्रावधान किया गया है।

(२) गुणात्मक पहलू—खाद्य समस्या का गुणात्मक पहलू यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सफेद पोष्टिक भोजन उपलब्ध होना है या नहीं। इस सम्बन्ध में व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता के अनेक अनुमान हैं। उदाहरणतः एक अनुमान यह लगाया गया है कि घर पर रहकर काम करने वाली स्त्रियों के लिए प्रतिदिन २,१०० कलरी (calories) युक्त पोष्टिक भोजन की आवश्यकता है जबकि एक बच्चे अथवा अध्यापक की दैनिक आवश्यकता कम से कम २,६०० कलरी, एक सामान्य सक्रिय व्यक्ति तथा डॉक्टर, इंजीनियर अथवा दर्जी की आवश्यकता ३,००० कलरी तथा एक औद्योगिक श्रमिक की दैनिक आवश्यकता ३,६०० कलरी है। इसमें स्पष्ट है कि भोजन को पोष्टिक शक्ति की इकाइयों भिन्न-भिन्न कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न मात्रा में आवश्यक होती है।

अन्य अनुमान—टी० आयररोयड के अनुमान के अनुसार भारत में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कम से कम २८६० कलरीयुक्त भोजन मिलना चाहिए।

यह अनुमान देशवासियों के स्वास्थ्य को अच्छे ऊँचे स्तर बनाये रखने की दृष्टि से नहीं बल्कि सामान्य स्तर की दृष्टि से लगाये गये हैं अतः यह किसी भी दृष्टि में बहुत अधिक नहीं बहे जा सकते।

भारतीयों को उपलब्ध पोष्टिकता—यदि न्यूनतम उपलब्धि के जाधार पर भी विचार करें तो हमें ज्ञान होगा कि भारतवासियों को प्रतिदिन १५७ औंस अन्न तथा ५ औंस दूध उपलब्ध होता है। देश की अग्रिकाश जनता को साग सब्जी, दालें, धी, देन तथा अन्य वस्तुओं की उपलब्धि मात्रा संवेधा नगण्य है। फलतः एक भारतीय को औसत दैनिक भोजन में केवल १,८८० कलरी प्राप्त होती है जो सामान्य स्तर तथा जय देशों की तुलना में बहुत कम है।

क्षेत्रीय भिन्नता—भारत के विभिन्न राज्यों में भी प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धि मराम नहीं है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अत्यधिक गरीबी है जहाँ उनमें पोष्टिकता को उपलब्धि कम तथा अन्य क्षेत्रों में अधिक है। इस भिन्नता का अनुमान निम्नलिखित अंकी से हो सकता है

#### भारत में प्रति व्यक्ति पोष्टिकता की उपलब्धि

राज्य	कलरी प्रति व्यक्ति	राज्य	कलरी प्रति व्यक्ति
१ पंजाब	३,२००	७ बिहार	२,५००
२ मध्य प्रदेश	३,३००	८ तमिलनाडु	२,५००
३ प० बंगाल	३,१००	९ आन्ध्र प्रदेश	२,३००
४ हिमाचल प्रदेश	३,०००	१० गुजरात	२,२००
५ उत्तर प्रदेश	३,०००	११ केरल	१,८००
६ महाराष्ट्र	२,५००		

उपर्युक्त अनुमान पोष्टिकता शोध प्रयोगशाला (Nutrition Research Laboratories) हैदराबाद ने लगाये हैं। इनसे पता चलता है कि पंजाब तथा मध्य प्रदेश के निवासियों का जीवन-स्तर अन्य राज्यों में ऊँचा है और यह न्यूनतम आवश्यकता से कम नहीं है। महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात के निवासियों को पोष्टिकता की सम्बन्धि बहुत कम है जबकि केरल में यह न्यूनतम है।

अन्न के क्षेत्र—खाद्यान्न जाँच समिति (Foodgrains Enquiry Committee), १९५७ के अनुसार भारत के चार मुख्य क्षेत्र हैं जो अप्रतिष्ठित हैं :

(अ) घनी जनसंख्या—दस प्रकार के वे क्षेत्र हैं जिनमें अत्यन्त घनी जनसंख्या, छोटा खेत तथा प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इन क्षेत्रों में अन्न वार वाढ का प्रयोग भी होता रहता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार इस वर्ग में सम्मिलित किये गए हैं।

(आ) नगरों का दबाव—कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उत्पाति तो पर्याप्त है किन्तु अन्धधाम के नगरों से खाद्यान्नों की मांग अत्यधिक रहती है जिनके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में अन्न का अभाव उत्पन्न हो जाता है। इस वर्गीकरण में पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता के आसपास स्थित क्षेत्र सम्मिलित हैं।

(इ) सूखे क्षेत्र—दश के कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें वर्षा नियमित रूप में कम होती है और ज्वार, बाजरा तथा अन्य सूखे अनाबु बाने अन्न उत्पन्न किये जाते हैं। इन क्षेत्रों में प्रति एकड़ उत्पादन भी बहुत कम है। पश्चिमी भारत में राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग इस श्रेणी में वर्गीकृत किये गए हैं।

(ई) आदिवासी क्षेत्र—अभावग्रस्त क्षेत्रों के चौथे वर्ग में आसाम तथा मध्य भारत के अल्पसंख्यक भूखण्ड सम्मिलित हैं जहाँ क निवासियों की औसत आय बहुत कम है तथा आनापात के मापन दुर्गम अथवा बहुत महंगे हैं।

इस विवरण से स्पष्ट है कि भारत के सभी भागों में खाद्यान्न के अभाव की स्थिति नहीं है, यह मूलतः कुछ क्षेत्रों में कन्द्रित है और इन क्षेत्रों में भी अभाव कहीं अधिक और कहीं कम है।

(२) व्यवस्थापक पहलू (Administrative Aspect)—खाद्यान्न समस्या का तीव्रता पहलू प्रबन्धनात्मक अथवा व्यवस्था सम्बन्धी है। इसका अर्थ यह है कि देश में जिनसे खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं उन्हें जनता में उचित मूल्य पर यथासमय वितरित कर दिया जाय। व्यवस्थात्मक पहलू में मुख्यतः निम्न कार्य सम्मिलित किये जा सकते हैं

- (क) देश में खाद्यान्नों की पूर्ति का शुद्ध अनुमान लगाना।
- (ख) खाद्यान्नों की मांग का सही अनुमान लगाना।
- (ग) सफ्ट-काल के लिए समय से पूर्व ही खाद्यान्नों के यथोचित भण्डार निर्माण करना।
- (घ) खाद्यान्नों के भण्डार को गोदामों में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना।
- (ङ) कमी वाले स्थानों पर यथासमय यथेष्ट खाद्यान्न भेजने का प्रबन्ध करना।
- (च) खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारित करना तथा उचित स्थान पर बनाये रखने की चष्टा करना।

(छ) उचित मूल्य पर जनता को ठीक समय पर अन्न देने की व्यवस्था करना।

उपर्युक्त व्यवस्था न करने से अनेक बार देश में अन्न का अभाव न होने पर भी उनकी कमी दिखायी पड़ती है। भारत में भी कुछ व्यक्तियों का ऐसा विश्वास है कि देश में अन्न की वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि अभाव का कारण सरकार की अदूरदर्शिता एवं प्रशासन व्यवस्था बनाया जाता है।

### भारत में खाद्यान्नों के अभाव के कारण

यद्यपि भारत की खाद्य समस्या परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों दृष्टिकोण में गम्भीर है किन्तु गुणात्मक पहलू भी परिमाणात्मक कमी पर निर्भर करता है। अतः परिमाणात्मक अभाव के कारणों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना उचित होगा। ये कारण निम्नलिखित हैं

(१) जनसंख्या की वृद्धि—योग्यता-काल (१९५१-१९७१) में भारत की जनसंख्या में १८ करोड़ की वृद्धि हुई है। वर्तमान में वृद्धि की गति २.५ प्रतिशत वार्षिक है। इस प्रकार प्रति वर्ष १ करोड़ से अधिक व्यक्ति भारतीय जनसंख्या में जुड़ जाते हैं जिनके लिए कम से कम १५-१६ लाख टन अनिश्चित अन्न की वार्षिक आवश्यकता होगी। यह निश्चय ही एक गम्भीर स्थिति है। इससे भारतीय कृषि व्यवस्था में घटती हुई उत्पाति का नियम लागू हो गया है। अतः खाद्यान्नों के



उत्पादन में वृद्धि करना बहुत कठिन है, किन्तु वैज्ञानिक कृषि प्रणाली के सहयोग में ऐसा किया जा सकता है।

(२) प्रति एकड़ उत्पादन कम—कृषि की कृषि की समस्याएँ सम्बन्धी अध्याय में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत में प्रति एकड़ उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है जिसके फलस्वरूप देश में खाद्यान्नों का प्रायः अभाव रहता है। उदाहरणतः, जापान में चावल का औसत उत्पादन भारत से लगभग चार गुना, मिस्र में गेहूँ का औसत उत्पादन भारत से लगभग चार गुना तथा मक्का का औसत उत्पादन २५ गुना है (भारत में विभिन्न खाद्य पदार्थों के कम उत्पादन के कारण इसमें पूर्व एक अध्याय में दिया जा चुके हैं)।

(३) अन्न की बरबादी—भारत में अनेक व्यक्ति घामिन वृत्ति के हैं जिसके कारण वह अन्न को नष्ट करने वाले कीटाणुओं, चूहों, बन्दरों तथा अन्य जीव-जन्तुओं को मारने के विरोधी हैं, अतः देश में उत्पन्न अन्न का एक महत्वपूर्ण भाग कीटाणुओं तथा जीव-जन्तुओं द्वारा नष्ट कर दिया जाता है।

एक अनुमान के अनुसार भारतीय कृषि उत्पादन का लगभग ५ प्रतिशत भाग टिड्डियों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। व्यावसायिक मालगोदामो के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इन गोदामों में रखे गये अन्न के ५ से २५ प्रतिशत भाग कीटाणुओं द्वारा विनाश कर दिया जाता है। इतना ही नहीं यह जन्तु कुछ अन्न तो खा ही जाते हैं, शेष को कीटाणुमुक्त कर देते हैं, जिसका प्रयोग खाने में खानी नहीं है। विदेशों में खाद्यान्नों को कीटाणुओं से बचाने के लिए अनेक प्रकार के कीटाणुनाशक रसायन प्रयुक्त किये जाते हैं लेकिन उनका प्रयोग करने में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि उनके असावधानीपूर्ण उपयोग से वह अन्न को भी विषमय बना सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक हो जाता है।

(४) भोजन की आदतें—भारत में खाद्यान्नों की कमी का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि देश में लोगों की भोजन की आदतें बहुत भिन्न तथा अपरिवर्तनशील हैं। बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल, आन्ध्र तथा मैसूर के अधिकांश व्यक्ति चावल खाने के अभ्यस्त हैं और उन्हें गेहूँ, मक्का, ज्वार या बाजरा खाने की रुचि नहीं है। कुछ व्यक्तियों के लिए तो चावल के सिवाय अन्य खाद्यान्न स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है अतः वे उसका उपयोग नहीं कर सकते।

सामिथ एवं निरामिथ भोजन—भोजन की आदत में एक अन्य विशेषता यह है कि भारतीय जनमण्डल का एक बहुत बड़ा भाग निरामिथभोजी है अतः यदि किसी वर्ष खाद्यान्नों का अभाव हो तो उसकी पूर्ति मान, मछली, आदि वस्तुओं से नहीं की जा सकती। पार्श्व देशों में प्रायः सारी जनता मासाहारी है अतः वहाँ कमी का समाधान करना अपेक्षाकृत सरल है। भारत में चावल तथा गेहूँ की ही अत्यधिक कमी रहती है।

(५) सरकारी नीति—खाद्यान्नों की कमी का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि देश में खाद्यान्नों के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं अपनायी गयी है। जब भी खाद्यान्नों का अभाव होता है, कुछ अस्थायी कदम उठा लिए जाते हैं, कुछ अन्न विदेशों से आयात कर लिया जाता है, अन्न के वितरण पर मूल्य नियंत्रण तथा राशन-व्यवस्था लागू कर दी जाती है और अधिक अन्न उरजाने सम्बन्धी प्रचार के लिए कुछ पुस्तिकाएँ छपाकर बंटवा दी जाती हैं। इन क्रियाओं के अनिश्चित सरकारी नीति अन्य कई दृष्टिकोणों से दोषपूर्ण है।

(६) कड़ी कार्यवाही का अभाव—खाद्यान्न के अभाव की तनित्र-नी आशंका से व्यापारी-वर्ग अन्न का संग्रह करने लगता है और स्टॉक को रोक लेने का कारण देश में एक कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सरकार प्रायः राजनीतिक दृष्टिवात् परम्परागत अकृमणता के कारण,। से

व्यापारियों की इस राष्ट्रद्रोही नीति के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने में अमर्षन रहती है। गन कुछ वर्षों से सरकार की प्रभावहीन नीति के कारण ही अन्न का अभाव दृष्टिगोचर हो रहा है।

(ii) प्रवन्ध में द्वितार्क्य—अन्न वार ऐसा भी होता है कि सरकार यह निश्चित तो कर लेती है कि अमुक मात्रा में अन्न विदेशों से मंगवाना है किन्तु प्रवन्ध व्यवस्था की शिथिलता के कारण उसके मंगवान में अवाञ्छनीय देर हो जाती है। कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि सरकार के पाम अन्न के यद्येष्ट भण्डार हैं किन्तु उन्हें समय पर विक्रय के लिए बाजार में प्रस्तुत नहीं किया जाता।

(iii) मूल्य नियन्त्रण—गत दशान्द में (तथा उसमें पहले भी) भारत सरकार ग्वाद्यान्ना के मूल्य नियमन करने में गर्वया अमर्षन रही है। गत चार-पाँच वर्षों में भी ममी खाद्यान्नों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही है। सन् १९६४-६५ तथा १९६५-६६ में तो खाद्य पदार्थों के मूल्य में ५२ प्रतिशत तक वृद्धि हो गयी किन्तु सरकार एक दर्जेकमात्र बनकर जनता के आर्थिक सत्रट को देखती रही है। मूल्यों पर उचित नियन्त्रण न होने के कारण जनता तथा व्यापारियों को सरकारी नीति में विश्वास नहीं रहना जिसके फलस्वरूप सरकार द्वारा निरन्तर विश्वास दिलाने पर भी कि 'देश में अन्न का अभाव नहीं है,' लोग अन्न को आवश्यकता से अधिक मात्रा में खरीदने लगते हैं। फलतः अन्न के अभाव की स्थिति दृष्टिगोचर होने लगती है।

(iv) रिजर्व बैंक की साख नीति—भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापारिक बैंको की मान्य नीति पर नियन्त्रण रखन में व्यावक अधिभार है। इन अधिभारों के द्वारा रिजर्व बैंक चाहे जब बैंको को खाद्यान्नों अथवा अन्य वस्तुओं की धरोहर पर ऋण देने की मनाही कर सकता है अथवा सनकी सीमा निश्चित कर सकता है। किन्तु भारत में देगी बैंकर तथा साहकार रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में नहीं हैं अतः वह जितना ऋण देने में उनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

रिजर्व बैंक की मान्य नीति की एक महत्त्वपूर्ण दुर्घटना यह है कि मान्य नियन्त्रण करने सम्बन्धी कोई भी कदम न तो समय पर उद्यम्य जाता है और न ही उमका प्रभावगाली ढग से प्रयोग किया जाता है। फलतः अन्न के मूल्यों में उतार-चढ़ाव होते हैं तथा अभाव न होने पर भी अभाव का वातावरण बना रहता है।

(६) जनता को निर्धनता—भारत में लोगो की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होने के कारण वह चावल, गेहूँ अथवा अन्य पोष्टिक वस्तुएँ खरीदने की स्थिति में नहीं है। जय अनाज के भाव महंग हो जाते हैं तो निर्धन व्यक्तियों के लिए इनके खरीदने की समस्या अधिक गम्भीर हो जाती है। ऐसी स्थिति में देश में काफी अन्न होने पर भी लोग भ्रूम से पीडित होकर मरने लगते हैं। १९४३ का बंगाल का अन्नान इसका एक उल्लन्त उदाहरण है।

सामाजिक कृषीतियों का प्रभाव भी देश की अन्न व्यवस्था पर पडता है क्योंकि ग्रामीण लोग ऋण लेकर मृत्क भोज अथवा विवाह आदि सम्पन्न करते हैं। फिर उन्हें खाद्य पदार्थों के लिए भी ऋण लेना पडता है और प्रायः निम्नतम बिस्म का अन्न व्यवहार में लाना पडता है।

### सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न

अभाव का आरम्भ—भारत में ब्रह्मा के पृथक होने से पूर्ण खाद्यान्नों की कोई समस्या नहीं थी क्योंकि ब्रह्मा में चावल का उत्पादन काफी था और वह शेष अभावग्रस्त भागों की आवश्यकता की पूर्ति कर देता था। ब्रह्मा के अलग होने पर देश में लगभग १४ लाख टन अन्न का अभाव अनुमानित किया गया। फलतः भारत आवश्यक मात्रा में ब्रह्मा से चावल का आयात करता रहा किन्तु द्वितीय युद्ध काल में (विशेषतः १९४३ तथा उसके पश्चान) ब्रह्मा में चावल का आयात करना अमम्भव हो गया क्योंकि ब्रह्मा के अधिनाश भागों पर जापान का अधिभार हो गया था।

छाछ विभाग की स्थापना—ब्रह्मा में जापान बन्द होने के फलस्वरूप भारत सरकार को अन्न की कमी का सामना करना पडा। अनाज, विशेषकर चावल, के मूल्यों में वृद्धि हो गयी और

जनता में खाद्यान्न नीति के प्रति असन्तोष में वृद्धि होने लगी। इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्र में खाद्य विभाग की स्थापना की।

खाद्य विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित रहे हैं -

- (१) खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारित करना,
- (२) खाद्य पदार्थों की पूर्ति तथा वितरण को उचित व्यवस्था करना,
- (३) खाद्यान्नों के सेना तथा सामान्य जनता द्वारा प्रयोग में उचित सभ्यता स्थापित करना।

(४) खाद्यान्नों की बमुनी, खरीद, वातापगत तथा सप्ले की उचित व्यवस्था करना।

बम्बुन' इस विभाग का उद्देश्य देश में खाद्यान्नों की वास्तविक आवश्यकता का अनुमान लगाकर उनकी हर सम्भव साधन से पूर्ति करना था।

खाद्यान्न नीति समिति, १९४३—खाद्य विभाग की स्थापना के पश्चात् भारत सरकार ने खाद्य समस्या के समाधान के लिए उचित मुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की। इस समिति ने मुझपन तीन मुझाव प्रस्तुत किये। पहला मुझाव यह था कि देश के नगरों में सर्वत्र खाद्य पदार्थों की राशन-व्यवस्था लागू कर दी जाय। समिति के दूसरे मुझाव में खाद्यान्नों के आवश्यक आयात करने तथा देश में ही सरकार द्वारा अन्न खरीदने की सिफारिश की गयी। तीसरा मुझाव यह था कि देश में 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' चलाया जाय और खाद्यान्नों की उत्पादन वृद्धि के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ दी जायें।

सन् १९५२ में 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' का लेखा-जोखा करने की दृष्टि से एक समिति नियुक्त की गयी जिसमें योजना में अन्न परिवर्तन करने के मुझाव दिये तथा सिफारिश की कि राज्य सरकारों को सामान्य सिंचाई योजनाओं के लिए १० करोड़ रुपये के और ऋण दिये जायें।

बंगाल का अकाल—सन् १९४३ में बंगाल में भ्रौण्य अकाल पड़ा। इस अकाल की विशेष बात यह थी कि चावल के मूल्य बहुत ऊँचे चट गये और जनता के पास इतने मंहंगे चावल खरीदने के लिए यत्नशु मुझा नहीं थे। तत्कालीन सरकार ने इस अभाव को दूर करने के लिए यथासम्भव प्रयत्न नहीं किये जिसके फलस्वरूप लाखों व्यक्ति (विभिन्न अनुमानों के अनुसार २० से २५ लाख) मृत्यु की ज्वाला में स्वाहा हो गये।

बंगाल सरकार ने अन्न के मूल्य पर नियन्त्रण तथा राशन व्यवस्था लागू कर दी तथा मकटवान के लिए अन्न सप्ले का कार्यक्रम भी आरम्भ किया। यह व्यवस्था देश के अन्य प्रदेशों में भी लागू कर दी गयी और जिस समय देश स्वतन्त्र हुआ लगभग १४५ करोड़ व्यक्ति राशन तथा मूल्य नियन्त्रण व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे थे।

खाद्यान्न नीति समिति, १९५७—भारत सरकार ने खाद्यान्नों के अभाव की जाँच करने तथा मुझाव देने के लिए १९५७ में एक समिति नियुक्त की जिसने यह मत व्यक्त किया कि 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' असम्भव हो गया है। समिति ने अन्न पर से नियन्त्रण हटाने का मुझाव दिया जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया किन्तु नियन्त्रण हटाने ही अन्न के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने आरम्भ हो गयी। पन्ध्र नियन्त्रण दोबारा लगाने आवश्यक हो गये।

समिति ने कुछ और भी सिफारिशें कीं जो निम्नलिखित हैं :

- (१) बड़ेमुझी योजनाओं के अन्तर्गत १६ करोड़ एकड़ भूमि पर सिंचाई की ओर व्यवस्था की जाय।
- (२) केन्द्र तथा राज्य स्तर पर हरि क्षेत्रों का प्रकटन बनाये जायें।
- (३) ऊपर बन्धनों को लेनी सोय बनाया जाय।

(४) ५० करोड़ रुपये की पूंजी में एक भूमि साफ करने सम्बन्धी मगठन निमित्त किया जाय ।

भारत सरकार ने इस समिति की सिफारिश पर २४ सितम्बर, १९६८ को नवीन खाद्यान्न नीति की घोषणा की जिसके फलस्वरूप एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का आवागमन रोक दिया गया । देश में राशन-व्यवस्था सर्वत्र लागू कर दी गयी तथा खाद्यान्नों के व्यापार के लिए लाइसेंस लाना अनिवार्य कर दिया गया । राज्य सरकारों को बाजार से खरीदकर सग्रह किये जाने वाले अन्न पर आठ आने प्रति मन की सहायता देने की व्यवस्था की गयी ।

इतना सब होन पर भी १९६८ में लगभग २८ लाख टन अन्न विदेशों से आयात करना पडा ।

सन् १९५१ और उसके बाद—भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि १९५१ तक देश में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जायगी और अन्न केवल मकड़काल के लिए भण्डार निमित्त करन हेतु आयात किया जायेगा । किन्तु दुर्भाग्य में उस वर्ष 'फमलें बहुत खराब हो गयी और सर्वाधिक अन्न (लगभग २३० करोड़ रुपये का) विदेशों से मँगवाना पडा ।

सरकार ने अन्न की कमी की पूर्ति करन के लिए नियन्त्रण तथा राशन व्यवस्था को कडा कर दिया और अन्न का मण्ड तथा चारबाजारी करने वाला को बडे दण्ड देने की व्यवस्था की गयी । जो व्यक्ति भूमि का छती क्रिय बिना खाली छोड रहे थे उनके लिए भी दण्ड देन का प्रावधान किया गया । इन दोनों कार्यों के अनिर्गित्त सरकार ने उचित मूल्य पर अन्न खरीदकर भण्डार बनाने का कार्य भी आरम्भ कर दिया ताकि यह भण्डार मकड़काल में काम आ सके ।

### योजनाकाल और खाद्य-समस्या

प्रथम योजना के प्रारम्भ में दश में खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग ५ करोड टन था जो १९६१-६२ में लगभग ८ करोड टन हो गया । तृतीय योजना के अन्त तक उत्पादन १० करोड टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु १९६५-६६ में उत्पादन केवल ७.७३ करोड टन हुआ । १९७०-७१ में खाद्यान्नों का उत्पादन १०.५ करोड टन अनुमानित किया गया है ।

योजनाकाल में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक प्रयत्न किये गये हैं जो निम्न-लिखित हैं

(१) जापानी टग की चावल की खेती—भारत में मुख्यतः चावल का ही अभाव है अतः चावल का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता थी । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने १९५२-५४ में जापानी टग की चावल की खेती का प्रचार आरम्भ किया जिसके फलस्वरूप लगभग ६० लाख एकड़ भूमि में जापानी टग की खेती आरम्भ की गयी है ।

जापानी पद्धति से चावल की खेती के उद्धारण में यह स्मरण रखना चाहिए कि जापान एक एकड़ भूमि में भारत से ३-४ गुना चावल उत्पन्न करता है ।

(२) सुपरे हुए बीजों की व्यवस्था—भारत में अनेक सरकारी फार्म हैं जहाँ खाद्यान्नों तथा अन्य वृषि फसलों के लिए अधिक उपजाऊ बन वाले बीज तैयार किये जाते हैं । द्वितीय योजना काल में देश भर में ऐम ३६०० फार्म स्थापित किये गये जिनमें अग्रिमज्ञान न उत्पादन आरम्भ कर दिया है । तृतीय योजना के समापन काल तक लगभग १५ करोड एकड़ खाद्यान्नों वाली भूमि में उन्नत किस्म के बीज प्रयोग किये जाने लगे ।

राष्ट्रीय बीज निगम—भारत में जुलाई १९६३ में राष्ट्रीय बीज निगम (The National Seeds Corporation) स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य किसानों में अच्छे बीजों का प्रचार करना है । निगम ने उत्तर भारत में हमपुर फार्म (मैनीताल जिला) में एक आधारभूत इकाई स्थापित की है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस फार्म के लिए ७५० एकड़ भूमि दी गयी है । दूसरी

इकाई कतूल (आन्ध्र प्रदेश) के पास ५०० एकड़ भूमि में स्थापित की गयी है। इन दोनों इकाइयों में सर्वोत्तम किस्म के बीज उत्पन्न किये जा रहे हैं जिन्हें अन्य फार्मों तथा किसानों को दिया जायेगा। अनुमान लगाया गया है कि लगभग ५० प्रतिशत भारतीय फसलें मुघरे हुए बीजों पर आधारित हो गयी हैं परन्तु उनसे अभी बहुत सन्तोषजनक परिणाम उपलब्ध नहीं हुए हैं। अतः बीजों के समुचित प्रयोग की दिशा में अधिक सक्रिय कदम उठाये जाने आवश्यक हैं।

(३) खाद की व्यवस्था—पिछले एक अध्याय में रासायनिक खाद की कमियों तथा अमृविधाओं की ओर संकेत किया जा चुका है। वह महँगी है तथा उनसे उत्पन्न अन्न की किस्म घटिया होती है। सम्भवतः इसी दृष्टि से तृतीय योजनाकाल में हरी खाद और कम्पोस्ट तथा गोबर की खाद का प्रयोग बढ़ाने का निश्चय किया गया।

गोबर तथा मूत्र और गैस आदि का भूमि में प्रयोग उत्पत्ति के लिए सबसे अधिक उपयोगी है किन्तु इनकी कुल उपलब्धि के केवल ६ प्रतिशत भाग का ही खाद के लिए उपयोग होता है, शेष जला दिया जाता है अथवा व्यर्थ जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में जितना गोबर ईंधन के रूप में जला दिया जाता है उतने मिन्ट्री खाद फॅक्टरी के उत्पादन की वारह गुना खाद प्राप्त हो सकती है। वस्तुतः गोबर का प्रयोग खाद के लिए करने में सबसे बड़ी बाधा ईंधन का अभाव है जिसे दूर किये बिना किसान को गोबर जलाने से रोकना पठिन है। इस दृष्टि से यह समस्या काफी गम्भीर है। अतः इसके समाधान के लिए सोच-समझकर सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है।

रासायनिक खाद इस प्रकार की खाद के अनेक दोष होते हुए भी सबसे बड़ा गुण यह है कि उरति बढान में अत्यधिक सहायता मिल सकती है। इस समय भारत को उत्पत्ति बढ़ाने की तीव्र आवश्यकता है। इस दृष्टि से भारत सरकार ने एक रासायनिक खाद निगम (Fertilizers Corporation of India) स्थापित कर दिया है। पलत सिन्धु (बिहार), नागल (पंजाब), आन्ध्र (ट्रावनकोर) तथा गोरखपुर की खाद उत्पन्न करने वाली इकाइयाँ निगम के अन्तर्गत आ गयी हैं। १९६९-७० के अन्त तक इनसे लगभग ७ लाख टन नाइट्रोजन खाद मिलने लगी है।

(४) विनाश से बचन—भारत में प्रायः प्रति वर्ष अरबों मिछ अदि देशों की ओर से टिड्डी दल आते रहते हैं। यह जहाँ भी घँट जाते हैं, अन्न का तो कहना ही क्या, उस क्षेत्र के फूल पत्ते तक साफ कर देते हैं।

भारत सरकार ने एक विशेष विभाग निमित्त किया है जिसका कार्य टिड्डी दलों को समाप्त करना है। इस विभाग के कार्यालय देश के उन भागों में स्थापित कर दिये गये हैं जहाँ टिड्डी दलों का विशेष प्रकोप होने की आशंका रहती है। वर्षों आरम्भ होते ही इस विभाग के कर्मचारी सावधान हो जाते हैं और वायुमार्गों, जीवों तथा अन्य साधनों से टिड्डियों को मारने की दवा प्रामो में पहुँचा देते हैं। टिड्डियों के विशेष केन्द्रों में बड़े पैमाने पर कायवाही कर टिड्डियों उनके अण्डों अथवा दूधों का विनाश कर दिया जाता है। गत वर्षों में इस विभाग की उत्परता के कारण टिड्डियों के विनाश से बहुत अधिक अन्न की रक्षा की जा सकी है।

टिड्डियों के अतिरिक्त चूहों तथा अन्य जीव-जन्तुओं से भी अन्न की रक्षा करने के लिए अन्तु-नाशक पदार्थों पचायनों के माध्यम से घाटे जाते हैं।

खाद्यान्नों को सग्रह करने के लिए अच्छी किस्म का गोदामों का भी निर्माण किया गया है, जिनमें अन्न खराब होने का कोई भय नहीं रहता। यद्यपि इन गोदामों की सग्रह शक्ति अभी केवल ५० लाख टन है तो भी यह प्रवृत्ति उचित एवं उरमाहजनक है।

(५) खाद्यान्नों की विलक्षण व्यवस्था—भारत में खाद्यान्नों का अभाव कभी-कभी मनुष्य-दिमित होता है अर्थात् सग्रह अथवा स्वानान्तरण द्वारा कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर दिया जाता है।

इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर खाद्यान्नों की वितरण व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है। खाद्यान्नों का गमनागमन तथा पूति नियन्त्रित रखने के लिए समय-समय पर खाद्यान्न क्षेत्र बनाये जाते रहे हैं। इन क्षेत्रों में अनाज स्वतन्त्रतापूर्वक लाया ले जाया जा सकता है किन्तु एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में अनाज ले जाने के लिए सरकारी अनुमति आवश्यक है।

(६) खाद्यान्नों का आयात—यह एक मामान्य स्वीकृत तथ्य हो गया है कि भारत में खाद्यान्नों का अभाव अभी कुछ वर्षों तक चलता रहेगा क्योंकि उत्पादन वृद्धि की गति यथोचित नहीं हो पायी है। इनमें पूर्व खाद्यान्नों के अभाव (अर्थात् आयात) के अंक दिये जा चुके हैं। १९७० में अन्न का आयात लगभग ३६ लाख टन किया गया जो पिछले वर्षों से कम है।

(७) खाद्यान्नों की आदतें—सरकार ने खाद्यान्नों की वितरण तथा प्रचार व्यवस्था इस प्रकार की बनाने की चेष्टा की है कि जनता में मभी प्रकार के अन्न उपभोग की आदत पड़ जाय। उदाहरणतः, नियन्त्रण तथा राशन क समय प्रायः चावल खाने वाले क्षेत्रों में गेहूँ तथा गेहूँ खाने वाले क्षेत्रों में चावल वितरण करने की व्यवस्था की जाती है।

वितरण व्यवस्था के अतिरिक्त अण्डे, मछली तथा अन्य वस्तुओं का उपभोग करने का भी प्रचार निरन्तर किया गया है। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में भी मांसिय भोजन का प्रचार अधिक हुआ है। इस दिशा में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि मांस, मछली अण्डे आदि का उत्पादन भी बहुत काफी नहीं है। अतः उमें बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना आवश्यक है।

(८) भारतीय खाद्यान्न निगम—(Food Corporation of India)—अशोक मेहता समिति (Foodgrains Enquiry Committee) ने १९५७ में यह मुझाव दिया था कि भारत सरकार द्वारा १०० करोड़ रुपये की पूँजी में एक खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन (Foodgrains Stabilisation Organisation) स्थापित किया जाना चाहिए। इस संगठन का उद्देश्य खाद्यान्नों के प्रचुर भण्डार रखकर खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर रखना था। खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों पर रोक लगाने के लिए १ जनवरी, १९६५ से भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना कर दी गयी है।

निगम के कार्य—खाद्यान्न निगम द्वारा क्रमशः निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं :

(१) अन्न भण्डार—निगम द्वारा अन्न के यथेष्ट भण्डार निर्मित करना ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अन्न मिल सके और अन्न उत्पादन करने वालों को भी उचित दाम मिल सके।

(२) उत्पादन को प्रोत्साहन—निगम किसानों को दिये जाने वाले ऋणों की गारण्टी करता है तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए खाद तथा कीटाणुनाशक पदार्थों का प्रवन्ध करता है।

(३) शोध—निगम द्वारा कृषि फसलों तथा प्राविष्टियों में शोध की जायेगी जिसकी सहायता से कृषि फसलों की प्रति एकड़ उत्पत्ति बढ़ायी जा सके और फसलों को कीटाणुओं एवं रोगों से बचाया जा सके।

(४) कृषि प्रबन्ध—किसानों की कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से निगम द्वारा कृषि प्रवन्ध सम्बन्धी नयी प्राविष्टियों का विकास कर किसानों को उनमें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है।

(५) वैज्ञानिक प्रयोग—निगम इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि खेती में नवीनतम वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग हो तथा खेती का यथासम्भव एवं यथावश्यक यन्त्रीकरण हो सके।

(६) सहायक पदार्थों का विकास—निगम मुर्र्यापालन, फल, साग सब्जी, मछली तथा मांस, आदि सहायक खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति का विकास करने की दिशा में बढम उठा रहा है।

(७) गोदाम व्यवस्था—निगम द्वारा खाद्यान्नों को सुरक्षित गोदामों में रखने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

(८) खाद्यान्न उद्योगों को प्रोत्साहित करना—निगम द्वारा खाद्यान्नों से सम्बन्धित उद्योगों

(बिस्कुट, मिठाई आदि) को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है तथा वह उनसे उत्पन्न वस्तुओं के पैकिंग एवं सुरक्षित रखने का कार्य करेगा।

(६) खाद्यान्नों का सन्तुलित उपयोग—निगम द्वारा खाद्यान्नों का उपयोग सन्तुलित करने की चप्टा की जायेगी।

(१०) परिवहन—आवश्यकता पडने पर निगम अपनी परिवहन व्यवस्था भी करेगा।

(११) खाद्यान्न सग्रह—निगम द्वारा देश विदेश से खाद्यान्नों का सग्रह कर भण्डार निर्मित किये जा रहे हैं। इस सग्रह का प्रयोग कमी के समय किया जाता है।

गत वर्ष में खाद्य निगम का कार्यक्षेत्र बढता जा रहा है। खाद्यान्नों की वसूली, सग्रह, बन्दरगाहों पर तथा देश के आन्तरिक भागों में खाद्यान्न सम्बन्धी कार्य मार्च १९६६ से इस निगम के सुपुर्द कर दिये गये हैं। यह निगम महाराष्ट्र राज्य के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में कार्यशील है। निगम ने सन् १९६७ में ४५ मिलियन टन, १९६८ में ६८ मिलियन टन तथा सन् १९६९ में ६१ मिलियन टन खाद्यान्नों की वसूली की। सन् १९६८-६९ में निगम ने ७६ मिलियन टन अनाज, जिसकी कीमत ६५१ करोड़ रुपये थी, का व्यापार किया। सन् १९६९-७० में निगम ने १० मिलियन टन अनाज, जिसकी कीमत ८६३ करोड़ रुपये थी, का व्यापार किया।

### खाद्य-समस्या हल करने के उपाय

भारत की खाद्य समस्या का समाधान करने के लिए समय-समय पर विद्वानों तथा विशेषज्ञों द्वारा अनेक उपाय सुझाये गये हैं, जिनका मात्साधनीय प्रस्तुत किया जा रहा है।

(१) प्रबन्ध व्यवस्था—खाद्य समस्या के हल के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि सरकारी व्यवस्था में जो छप्टाचार, चोरवाजारी तथा लालफीताशाही पैठ गयी है उसे समाप्त किया जाय। इसके लिए जहाँ तक सम्भव हो, निष्पन्न तथा राशन व्यवस्था लागू नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ऐसा न करने से भी ऊपर बताये गये दोषों को प्रोत्साहन मिलता है। सरकार द्वारा मूल्यों की सीमाएँ निर्धारित कर देनी चाहिए और अनाज के यथेष्ट भण्डार रखने चाहिए ताकि उन्हें आवश्यकता के समय कमी दूर करने में प्रयोग किया जा सके।

दण्ड की व्यवस्था—खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में बहुत तपे हुए अनुभवी व्यक्ति रूखे जाने चाहिए, तथा नियमों की अवहलना करने वालों को अत्यन्त कठे दण्ड दिये जाने चाहिए। उदाहरणतः, इस में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के लिए दोषी व्यक्ति को प्राणदण्ड दिया जाना है। इस प्रकार की कटाई किये बिना भारत में भी खाद्य समस्या का समाधान होना असम्भव है क्योंकि यहाँ धी, दूध, अनाज, आटा, मसाले, शक्कर आदि पदार्थों में अत्यधिक मिलावट की जाती है, और अपराधियों को सामान्य अथदण्ड देकर प्युटकारा मिल जाता है।

मिलावट करने वालों के अतिरिक्त अन्न सग्रह करने चोरवाजारी करने तथा उसे बिना आज्ञा इधर-उधर भेजने वालों को अत्यधिक कठे दण्ड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि कठे दण्ड की व्यवस्था भी तभी सफल हो सकती है जबकि सरकारी व्यवस्था निष्पल, कुशल एवं विश्वासोत्पादक हो। अतः सम्पूर्ण शासन व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये बिना किसी सुधार योजना का स्थल होना सम्भव नहीं है।

(२) आयात एवं भण्डार व्यवस्था—सरकार द्वारा अभाव की राशि का अनुमान लगाकर अन्न के आविष्य वा १ देशों से नियमित आयात एवं भण्डार निर्माण की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यह भण्डार अभावग्रस्त क्षेत्रों में ही निर्मित किये जान चाहिए ताकि सङ्कटकाल में अन्न भेजने में अधिक समय न लगे।

भारत में जो अन्न आयात होता है वह प्रायः वृहत् घटिया किस्म का होता है जबकि सरकार (अथवा जनता) उसका पूरा मूल्य चुकाती है। अतः खाद्यान्न आयात के लिए कुछ इस

प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि आयात होन वात खाद्यान्न अच्छी किम्ब के हों। खाद्यान्नों का मग्रह करन के लिए गोदामों, निगमों तथा महकारी मन्थाळा द्वारा अग्रिक तीव्र गति मे प्रयत्न करना आवश्यक है।

(३) मूल्य स्थिरता—फोर्ड फाउण्डेशन दन का यह मन था कि भारत मे फमल के समय तथा उनके बाद अन्न के जो मूल्य रहन हैं उनम अग्रिक अन्तर रहना है जो किमी भी प्रकार मे व्यायमगत नहीं है। दमन एक कारण ना यह है कि किमान के फाम अन्न मग्रह क यथोचित मात्रन नहीं है, अत यह फमल तैयार होन ही अग्रिकाश मात्र बेचन के लिए बाध्य हो जाना है। दमने किमी समय विशेष मे बाजार मे अग्रिक मात्र आ जाता है त्रिदसे किमान को उमका मूल्य कम मितता है। फमन के समय व्यापारी लोग पैसों न ऋण लेकर मात्रगोदामों में भर लने हैं और उमे रोक्कर मूल्य न वृद्धि करन रहन हैं। कभी कभी यह वृद्धि अन्याय की सीमा तन पार कर जाती है।

अशोक भेहता समिति (Foodgrains Enquiry Committee 1957) ने भी कुछ इमी प्रकार का मुचाव दिया है। समिति का मन है कि खाद्यान्नों के अनाज के कारण उनका व्यापार सर्वथा स्वतन्त्र नहीं छोडा जा सकता और व्यवस्थामक कठिनाइयों के कारण उन पर सम्पूर्ण नियन्त्रण लगाना भी उचित नहीं है, अत मध्यम मार्ग अपनाता उचित होगा। समिति ने मूल्य-स्थिरता के लिए निम्नलिखित उपाय मुचाये हैं

(i) नियमित क्रय-विक्रय—सरकार द्वारा चावल तथा गेहूँ का नियमित क्रय विक्रय किया जाना चाहिए।

(ii) चोक व्यापार—सरकार द्वारा अन्न के चोक व्यापार की आशिक रूप मे स्वय अपनाता चाहिए।

(iii) लाइसेंस—अन्न का व्यापार लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के हाथ मे होना चाहिए तथा सरकार द्वारा उनके स्टॉक आदि पर पूरा नियन्त्रण रखा जाना चाहिए।

(iv) आयात—सरकार द्वारा गेहूँ तथा चावल के भण्डार निर्मित किये जाने चाहिए तथा इम कार्य के लिए इन खाद्यान्नों के आयात की नियमित व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) प्रचार—सरकार द्वारा प्रचार आदि की म्हायता मे जनता द्वारा मोटे अनाजो का प्रयोग प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(vi) विशेष परिस्थितियाँ—समिति न यह मुचाव दिया है कि अकाल अथवा युद्ध जैसी विशेष परिस्थितियों मे मूल्य तथा मीग नियन्त्रण सम्बन्धी विशेष कदम उठाये जा सकते हैं।

(vii) मूल्य स्थिरकरण मण्डल—समिति ने मूल्यों को स्थिर रखने तथा तन्सम्बन्धी नीति निर्धारित करने के लिए एक मूल्य स्थिरकरण मण्डल (Price Stabilisation Board) बनाने का मुस्ताव दिया है। यह मण्डल समय-समय पर खाद्यान्नों सम्बन्धी मूल्य नीति निश्चिन करेगा तथा उम नीति के परिवानन की व्यवस्था करेगा।

(viii) खाद्यान्न स्थिरता सगठन—समिति न स्थिरकरण मण्डल के अनिरिक्त एक खाद्यान्न स्थिरता सगठन (Foodgrains Stabilisation Organisation) गठिन करने का मुस्ताव दिया, जिसका कार्य मूल्य स्थिरकरण मण्डल की नीति को कार्यान्वित करना होना चाहिए। यह सगठन देश भर मे खाद्यान्नों की पूनि की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। इम कार्य के लिए सगठन द्वारा अपने प्रादेशिक कार्यालय, मात्रगोदाम तथा ऐजिनियाँ स्थापिन की जा सकती हैं।

(ix) समक एव शोध विभाग—समिति ने खाद्य मन्त्रालय मे एक समक एव शोध विभाग स्थापिन करने का मुचाव दिया जो खाद्यान्नों के उत्पादन, वितरण, मण्डार, धपन तथा मूल्यों



आदि के सम्बन्ध में आवश्यक तथ्य एकत्रित करता रहे और शेष दोनों सगठनों को अपने शोध कार्य के आधार पर जून सम्बन्धी नीति निर्धारित करने में सहायक हो।

(४) उत्पात्ति बढ़ाने की सुविधाएँ एवं प्रयत्न—देश की खाद्य समस्या दीर्घकालीन एवं स्थायी प्रकार की है, स्थायी साधनों के साथ-साथ स्थायी कदम भी उठाए जा आवश्यक है। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण कदम उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न-लिखित कार्य सहायक हो सकते हैं

(i) भूमि का स्वामित्व—देश के अनेक किसानों के पास भूमि नहीं है, अनेक व्यक्ति केवल श्रमिक के रूप में खेती करते हैं। इस प्रकार वे व्यक्तियों को घषाशील भूमि दिलवाने की व्यवस्था करना आवश्यक है। भूदान अथवा धामदान में प्राप्त की गयी भूमि या वन तथा दलदलों की माफ कर प्राप्ति की गयी भूमि को तत्काल भूमिहीनों में बाँटने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ii) ऋण, बीज आदि—सरकार अथवा महकारी समितियों द्वारा कृषि विज्ञान के लिए सस्ते एवं सरल ऋण सुलभ कराने का प्रबन्ध करना चाहिए। सेवा महकारी समितियों द्वारा हल, बैल, खाद बीज तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था ग्रामों में ही कर देनी चाहिए ताकि किसानों को इनके लिए इधर-उधर भटकने की आवश्यकता न हो।

(iii) पचायतों द्वारा लक्ष्य निर्धारण—ग्राम तथा जिला पचायतों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य निश्चित करने चाहिए और इनकी पूर्ति के लिए कृषि-सहायता होकर निश्चित प्रयत्न किये जाने चाहिए। इन समस्याओं द्वारा अपने क्षेत्र के खाद्यान्न उत्पादन सम्बन्धी बाँकड़ें भी खोलनी चाहिए ताकि उनके आधार पर आयोजन करने में सुविधा हो।

(५) शोध कार्य—भारत में अज्ञान शोध-कार्य केवल डिग्री प्राप्त करने की दृष्टि से होते हैं और सरकार अथवा विश्वविद्यालय इन कार्यों में विशेष रुचि नहीं दिखाते। यह एक सम्भ्रमणिय निष्कर्ष है क्योंकि देश का अधोमितीय धन एवं शक्ति के व्यय का फल केवल वायज के पत्रों में निर्यात रह जाता है। अन्य देशों में सरकार तथा व्यावसायिक सम्प्रदाय विशेष समस्याओं पर शोध-कार्य के लिए वैज्ञानिकों अथवा समाजशास्त्रियों को आमन्त्रित करती हैं, उनके कार्य सम्बन्धी पूरे स्वर्ध की व्यवस्था करती हैं तथा उन्हें सम्पूर्ण सुविधा प्रदान करती हैं। फलतः भूमध्य ता जो कुछ भी इन निकरता है, उमका प्रयोग देश के आर्थिक विकास में किया जाता है।

इस दृष्टि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को खाद्यान्नों के विभिन्न पक्षों पर विश्वविद्यालयों में काम करने वाले वैज्ञानिकों तथा अन्य विशेषज्ञों से शोध करवाना चाहिए। इन शोध के परिणामों की पुष्टि सरकार की प्रयोगशालाओं में की जा सकती है। इन प्रकार की शोध के लिए विश्व-विद्यालयों में कृषि-अर्थ केन्द्र (Agro-economic centres) भी स्थापित किये जा सकते हैं, जो सम्बन्धित विषय पर अन्य देशों में होने वाली शोध का भी लाभ उठा सकते हैं।

(६) सहायक उद्योग तथा रोजगार—भारत के किसानों की अशिक्षा, अज्ञानता, रुढ़िवादिता तथा निर्धनता भारतीय कृषि की सबसे सम्भ्रमणिय समस्या है। अतः किसानों को मजदूर, सगठक एवं मानसिक तथा आर्थिक दृष्टि में धनी बनाये बिना भारत की कृषि सफल नहीं हो सकेगी। यद्युत यह एक विषय शक है। अतः प्रारम्भ में किसानों को खाने के लिये कुछ उद्योग अथवा व्यवसाय के लिए प्रेरणा तथा सहायता दी जानी चाहिए। इस अनिश्चित आय से वह कृषि का विकास करने का प्रयत्न कर सकेंगा। सरकार को केवल किसानों की कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में सहायता देना पड़ेगा, शेष समस्या स्वयं हल हो जायगी।

**भारत सरकार की खाद्य नीति**  
(FOOD POLICY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

खाद्य समस्या के समाधान के लिए उचित खाद्य नीति की आवश्यकता है। सरकार की

खाद्य नीति में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। सरकार की खाद्य नीति के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न समितियों ने अलग-अलग सुझाव दिये। ये सुझाव पूर्ण अनियन्त्रण से लेकर पूर्ण नियन्त्रण तक रहे हैं परन्तु सरकार ने खाद्य नीति के निर्माण में सदैव मध्य मार्ग अपनाया है। सरकार की वर्तमान खाद्य नीति वस्तुतः खाद्यान्न नीति समिति, १९६६ (Foodgrains Policy Committee, 1966) के सुझावों पर आधारित है। इस समिति ने उचित खाद्य नीति के तीन अंग बतलाये हैं (१) उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, (२) उपलब्ध खाद्यान्नों का न्यायोचित वितरण, तथा (३) खाद्यान्नों के मूल्यों में उत्पादन तथा वितरण दोनों के सदम में कीमती म स्थिरता लाना। इन उद्देश्यों को पूर्ण के लिए समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये थे

- (१) खाद्यान्नों की पूर्ति की निम्नलिखित प्रणाली व्यवस्था,
- (२) खाद्यान्नों की वसूली (Procurement),
- (३) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, तथा
- (४) खाद्यान्नों के समोकरण कोष (Buffer stock) की व्यवस्था करना।

वर्तमान समय में सरकार की नीति इन तत्वों पर ही आधारित है। सरकार खाद्यान्नों के आयात को सन् १९७१-७२ से समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। साथ ही साथ, सरकार उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के साथ खाद्यान्नों के सम्बन्ध में न्यायपूर्ण व्यवहार करने की नीति अपना रही है। सरकार उत्पादकों को उचित प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करती है। प्रति वर्ष कृषि मूल्य आयोग के सुझावों के अनुसार विभिन्न कृषि वस्तुओं की वसूली कीमत तथा सहायता कीमत (Support price) निश्चिन करती है। गन् वर्षों में वसूली कीमतें प्रति वर्ष बढ़ती रही हैं।

खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण का उद्देश्य कीमतों में वृद्धि को रोकना तथा उपलब्ध खाद्यान्नों का उचित वितरण करना है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के लिए खाद्यान्नों का समोकरण स्टॉक, आन्तरिक वसूली तथा आयात द्वारा रखा जाता है। खाद्यान्नों की वसूली खाद्य निगम द्वारा की जाती है। सन् १९६७ में ४-५ मिलियन टन खाद्यान्नों की वसूली की गयी। खाद्य निगम का कार्यक्षेत्र प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है।

सरकार खाद्य निगम के माध्यम में समोकरण स्टॉक रखती है। सन् १९६७ में खाद्यान्नों के सरकारी स्टॉक की मात्रा ३८ मिलियन टन तथा सन् १९६६ में ४२ मिलियन टन थी। सन् १९७०-७१ के अन्त में सरकारी स्टॉक की मात्रा का अनुमान ४६ मिलियन टन लगाया गया है।

मई १९७० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन ने खाद्य नीति के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :

(१) दाल, निलहन, दूध तथा पशुओं में प्राप्त अन्य खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना जिससे जनता को पोषिक भोजन प्राप्त हो सके।

(२) फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करना जिससे प्रति व्यक्ति भोजन की कमी में वृद्धि की जा सके।

(३) देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न मौसमों के लिए कम कीमत पर भोजन उपलब्ध कराना। ऐसा करते समय सन्तुलित धातार तथा बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(४) जनता द्वारा खाद्य पदार्थों को सही ढंग में रखने की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(५) सन् १९७१ के अन्त तक पी० एल० ४८० के अन्तर्गत किये जाने वाले खाद्यान्नों का

आयात बन्द किया जाता चाहिए तथा समीकरण स्टॉक के द्वारा खाद्यान्नों की कीमतों में स्थिरता लाई जानी चाहिए ।

**उपसंहार—**भारत में खाद्य की मूल समस्या परिमाण अथवा मात्रा की है । इस समस्या के समाधान के लिए युद्ध स्तर पर प्रयत्न करने की आवश्यकता है । इसके लिए वृषि सम्बन्धी समस्त समस्याओं का समाधान आवश्यक है । खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सर्वांगीण तथा सतत प्रयत्नों की आवश्यकता है तभी देश आत्मनिर्भर हो सकेगा । मानसून तथा मौसम की अनिश्चितता की आड़ में प्रथम लेने की नीति घातक सिद्ध होगी । इस सम्बन्ध में हमारे राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरि के शब्द सर्वथा उपयुक्त हैं—“We are not free from the vagaries of monsoons and imponderables in the agricultural situation We have to tackle the formidable problem of agricultural organisation in all its aspects if we are to ensure continuing self-sufficiency”

#### प्रश्न

- १ भारत में हाल की खाद्य कमी पर प्रकाश डालिए । सरकार द्वारा अपनायी गयी विभिन्न कार्यवाहियों की आलोचनात्मक जाँच कीजिए । (राजस्थान, बी० कॉम, १९६७)
- २ भारत सरकार की वर्तमान खाद्य नीति पर प्रकाश डालिए ।

भारत में अकाल

(FAMINES IN INDIA)

*I is a large tragedy that in a country like ours with its abundance of food stuffs an extensive system of railways and vast resources of Government both Central and Provincial there should be deaths due to starvation*

—Madan Mohan Malaviya

बिना मनरे हिन्दू देश बड़े दुःख में है। बिना दे पर पर माला में खड़े नरक नद में कानिद तथा है तप एन स्थिति का अकाल उपना स्थिति क्या क्या है। प्रार्थना मनरे न अकाल पडन का एकानंद ज्ञान जन का क्या क्या था जो अकाल का मर का मरण मनिद था था। इस स्थिति न अकालपना मरों का जना अकाल मनिद वद मरों का क्या जाती था जरे किम प्रकार जमद का मनरे जमद का मनिद क्या था। यदि अकाल का अकाल स्थिति मरण में पूरे जना का अकाल जनों एव मरणों का मृदुता जना थी। न मनरे क अकालों का विनापना मरा हाता था कि मनुना कनिा अत तथा पत्रका कनिा वरा म्बया अनुभ हा जना था।

वतमान तु क अकालों का अत मरया परिस्थिति हा वना है क्योंकि जन का कना न कृपा का क दुःख मरों न पूरी जन का वला का जना है बकि दुःख वरों न अकाल द्वारा था जो न मरना है। अकालपन क मरणों का मनुचित निजान नद क भारत मरुदों तथा पत्रकों का अकालपन मरणों न अत मरणों में भवना म मरण है। अत वतमान तु क अकाल अनामान न नगी बकि मरणों का अकालि कृद हान क काणा पण्ड है। १९४० का वतमान का जमान अत कदत का अकाल कना है।

**अकाल—**एक ऐतिहासिक तथ्य—एक मरण क उपर मनरे का मरु २०० वर्षों में ४० बर दुःखों का मरणता जना पना है। इनमें न २) जमान भारत में १६ है बिना प्रमद मरण मरण २४ कराड मरणमनिदों का अकालपनिद हाता पना है। इस प्रकार भारत में अकाल एक ऐतिहासिक मरण है। मरका टानन मर है कि अकाल पुण्यमरण न पडत जय है। मरणप अकालपन में मरण निजान करत का अकाल पुण्यमरण का टानन कनिा क्या है कितने मरण मरण टानन मिवाड सातनों तथा मरणों का निजान जा दुःख मरणों में अत अकाल कर जनता का निजान वरदन का मरया करत था। अकाल निजान क उपर मरण का टानन क्या है कि मरण मरणमरण पत्र न मरण में अकाल का विनिद टानन हाता था।

ऐतिहासिक दृष्टि से सन् ६५० के अकाल का विशद विवरण मिलता है जिसका प्रभाव देहव्यापी था। दसवीं शताब्दी में बाश्मीर में एक अकाल का भी वर्णन आता है जब झेलम नदी भूख से मरने वाला की लार्शों से पट गयी थी। इसके पश्चात् सन् ९४१, १०२२ तथा १०३३ ई० में भी भयंकर अकाल पड़ने का जिक्र आता है, जब मनुष्य नर मांस भक्षण कर अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए उतारू हो गये। तत्पश्चात् मुहम्मद तुगलक के समय १३४४ ई० में भी भोषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी जबकि तुगलक ने अपनी राजधानी ही दिल्ली में देवगिर (रसिण) में परिवर्तित कर दी।

सन् १६३० में गुजरात में भयानक अकाल पड़ा जिसका वर्णन करते हुए एक डच व्यापारी ट्रिबस्ट ने लिखा है कि यत्तियों तथा मोहल्लों में मनुष्यों की लार्शें सटने लगी थी और उनको जनन बनाना कोई नहीं था। यहाँ तक कि बहुत-से व्यक्ति नर मांस खाने तथा उसका व्यापार करने के लिए बाध्य हो गये थे।

मुगलों द्वारा व्यवस्था—मुगल शासन में भी भारत के अनेक भागों में अनेक बार अकाल पड़े, परन्तु मुगल शासकों ने अभावग्रस्त व्यक्तियों को विस्तृत सहायता प्रदान करने की चेष्टा की और अकाल पीड़ित व्यक्तियों को भूख की विभीषिका से बचाने में व्यक्तिगत रुचि प्रदर्शित की। उदाहरणतः, जब बम्बई क्षेत्र में १६२१-३० में निरन्तर वर्षा नहीं हुई और लोग भूख के कारण मरने लगे तो शाहजहाँ (जो उस समय बुरहानपुर में था) ने बुरहानपुर, सूरत तथा अहमदनगर में साक्षात् तथा धन वांटन की व्यवस्था की। इन दो वर्षों में अकालग्रस्त क्षेत्रों में करों की वसूली सर्वथा बन्द कर दी गयी।

गडम्पटोन ने उत्तरो-पश्चिमी सीमाप्रान्त (जो अब पाकिस्तान अविभक्त है) में १६६१ ई० के अकाल का वर्णन करते हुए लिखा है कि औरंगजेब ने अकालग्रस्त जनता की सहायता का प्रयत्न स्वयं सँभाल लिया। उसने पञ्जाब तथा बंगाल से खाद्यान्न मँगवाकर बड़े पैमाने पर वितरण करने की व्यवस्था की। उसने न केवल जनता को मस्ती दरो पर अथवा निशुद्ध अन्न दिया बल्कि किसानों तथा अन्य वर्गों के समीप कर माफ कर दिये। कहा जाता है कि औरंगजेब के व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा लाखों व्यक्तियों को भूख द्वारा मरने से बचा लिया गया।<sup>1</sup>

राजाओं, महाराजाओं तथा नवाबों की यह निश्चित नीति थी कि ज्यों ही उनके शासन क्षेत्र में अकाल की छाया प्रकट होती, वह सम्पूर्ण शासनतन्त्र अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए लगा देने थे। इन प्रकार के अनेक विवरण उपलब्ध हैं जबकि इन शासकों ने दुर्भिक्षकाल में सड़कें, नहरें तथा बाँध बनाने के कार्य दिन-रात चालू रखे ताकि समाज के मध्यमवर्गीय व्यक्ति (जो अप्रतिष्ठा के भय से दिन में काम करने में सकोच करते हो) रात्रि को कार्य कर क्षुधातृप्ति लाकर राशि कमा सकें। इस सम्बन्ध में कर्नल ब्रुक ने महाराजा उदयपुर (जिन्होंने सन् १७६१ में अकाल पीड़ितों को काम देने के लिए लगभग १५ करोड़ रुपये के व्यय से चाकरोली में एक सान्प्रान्त का बाँध बनवाया), महाराजा बीकानेर, कोटा तथा अजमेर के वृत्तान्त लिखे हैं जिनसे अकाल के समय शासकों की जनहितकारी प्रवृत्तियाँ प्रकट होती हैं।<sup>2</sup>

ब्रिटिश काल—अंग्रेजों ने भारत में भेद नीति द्वारा शासन स्थापित किया था और वह ऐसे कार्यों में ही रुचि रखते थे जिनसे उनकी शासन सत्ता मजबूत एवं दृढ़ बनी रहे। अन्न ईष्ट दृष्टियाँ सम्पत्ती अथवा ब्रिटिश सरकार ने दुर्भिक्ष पीड़ित जनता की सहायता के लिए कभी भी विशेष प्रयत्न नहीं दिये और ब्रिटिश शासनकाल में दुर्भिक्षों का प्रकोप दयावत् बना रहा और

1 Ghosh, K. C., *Famines in Bengal, 1770-1943*, pp 1-2

2 *Ibid*

महायत्ता कार्यों में हीन आ गयी जिसके फलस्वरूप अकालों की भीषणता एवं तद्जनित मृत्यु मर्यादा में निरन्तर वृद्धि होती गयी। वारिन हैमिन्टन तथा कार्लवायिम के ग्रामनकाज में तो अकाल के समय पर भी लगान तथा करों की बसूती बन्द नहीं की गयी, बल्कि कहीं-कहीं ता लगान बढ़ाये गये और करों की बसूती ज़रिफ़ कर्टाई में की गयी जिसके फलस्वरूप दुर्मियों का आकार एवं रूप ज़रिफ़ भीषण एवं लोमहर्षक हो गया।

सन् १७६६-१७७०—ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में पहले भीषण अकाल का विवरण ह्यूडर महोदय के आरेखन में मिलता है। उनके लखानुसार खाद्यान्नों के मूल्यों में कल्पनातीत वृद्धि हो गयी थी किन्तु कम्पनी ने कहीं भी लगान या करों में कमी नहीं की।<sup>१</sup> इस अकाल में बंगाल की लगभग एक-तिहाई जनसंख्या अर्थात् लगभग एक करोड़ व्यक्ति क्षुधा-पीडित होकर कान बंदित हो गए। ह्यूडर ने आगे जाकर लिखा है कि, यद्यपि अकाल के भीषण प्रयोग के कारण जनसंख्या में बहुत कमी आ गयी थी किन्तु उगात तथा विहाय प्रांतों में लगान में कुछ वृद्धि कर दी गयी और लगान तथा विमांग्य करों में कित्ति मात्र भी कमी नहीं आती।<sup>२</sup> रमेज दल के अनुसार, “इस प्रकार का व्यवहार मानवीय इतिहास में अन्यत्र उपलब्ध नहीं है।”

सन् १७८३-१७८४—उत्तुंक अकाल की विभीषिका के भूतन के पूर्व ही १७८३ में मद्रास और कर्नाटक तथा १७८४ में बंगलूर में बनारस तथा अवध के क्षेत्रों में भीषण दुर्मिश्र पड़े। इन दुर्मियों के मुख्यतः दो कारण थे—प्रथम, कम्पनी की सेनाओं द्वारा दक्षिण की भूमि पर निर्दयता-पूर्ण बरबादी जिसके कारण किसान जलने चरगार तथा मूल्यवन्त छोड़कर जंगलों में भाग गये; और अष्टम एव जूर शासन जिसके फलस्वरूप अन्न की वितरण व्यवस्था दोषपूर्ण थी। कहा जाता है कि कम्पनी का शासन आने के ६ वर्षों में भीतर ही प्रताप, अवध तथा बंगलूर के क्षेत्रों में (जहाँ प्रायः सुख, समृद्धि एवं सम्पन्नता थी) अकाल की छाया मँडगाने लगी थी। इंग्लैंड के शहरों में, अवध के गाँव तथा नगर बीगन हो गये और अष्ट शासन तथा यूट्ट की विभीषिकाओं में अकाल का प्रकीर्ण ज़ुत जान म सम्पूर्ण उत्तरी-पूर्वी भागन सकट ग्रस्त क्षेत्र में परिवर्तित हो गया।

सन् १८३४ से १८६७ तक—सन् १८०३ में उत्तर भागन में मराठों के आक्रमण में बहुत आतंक फैल गया। उत्तर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारियों ने भूमि में लगान बसूत करने में बहुत सख्ती में काम लिया जिसमें किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड गयी। फलतः १८०४ में पुनः अकाल पडा, जिसने प्रायः मारे देग की आच्छादित कर दिया। इस अकाल की भीषणता ने सरकार को भूमि पर लगान आदि की छूट देने के लिए बाध्य कर दिया। उतना ही नहीं, भूमि के मातिकाँ की श्राप देने की भी व्यवस्था की गयी और बनारस, उताशावाद, कानपुर तथा फतेहगढ में जो अन्न बाहर में आया उसे कम मूल्य पर बेचने के लिए महायत्ता प्रदान की गयी। सन् १८०७ में चार वर्ष के लिए लगान निर्धारित करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गयी।

रमेज दल के आरेख के अनुसार, जब युद्ध और अभाव का सहयोग हो जाता है और अन्न के आदान में अडचन आ जाती है तो अकाल की भीषणता बढ जाती है। सम्भवतः इसी कारण १८०३-१८०४ में उत्तर भागन, १८१३ में बम्बई तथा १८०७, १८२३ और १८३३ में तमिलनाडु में दुर्मिश्र की स्थितियाँ उत्पन्न हुईं। किन्तु इन सब वर्षों में ज़रिफ़ भीषण दुर्मिश्र महागती विक्टोरिया के नियमनान्द होने ही अर्थात् १८३७ ई० में पडा। इस वर्ष भूमि पर लगान अमी निर्धारित नहीं हो पाया था, कृषक श्रमग्रस्त हो गये थे और देग के विवृत क्षेत्र में सूखा पड गया था, फलतः सर्वत्र अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी। मार्टि नरिस के कथनानुसार, “हॉलडन तथा पाववत जैसी

<sup>१</sup> *Annals of Rural Bengal* (1853), p. 21,

<sup>२</sup> 141

बरवादी पहले कभी देखने में नहीं आयी। मृत्यु सरया इतनी अधिक थी कि गलियों तथा नदी में से लाजें हटाने के लिए कानपुर, फतेहपुर तथा आगरा में विशेष सैनिक टुकड़ियाँ नियुक्त की गयीं। लाखों व्यक्ति मृत अवस्था में मड़कों पर अप्रजने पड़े देखे गये और अन्ततः जंगली पशुओं द्वारा खा टाले गये।<sup>1</sup> रमेश दत्त के शब्दों में, यह ब्रिटिश सत्ता के लिए एक चेतावनी थी कि उन्हें भारत में अपना शासन प्रबन्ध अधिक व्यवस्थित करने के लिए भागीरथ प्रयत्न करने आवश्यक है।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन १८५७ में समाप्त हो गया और सम्पूर्ण सत्ता सीधे ब्रिटिश सरकार न हाँवा न ली। ब्रिटिश सरकार यह समझ चुकी थी कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अत्यधिक असन्तोष है अतः उसने अपनी नीति द्वारा भारतीयों को सन्तुष्ट करने की चेष्टा की ताकि १८५७ जैसी राजनीतिक क्रान्ति पुनः उत्पन्न होने की आशंका न रहे।

सन् १८६० का अकाल—सन् १८३७ के अकाल के पश्चात् १८६० का अकाल उत्तर भारत के लिए भीषणतम विपत्ति थी क्योंकि इससे २५,००० वर्गमील के क्षेत्रफल में रहने वाले लगभग १२० करोड़ व्यक्ति प्रभावित हुए। दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद तथा अन्य नगरों पर दुर्भिक्ष का प्रभाव अधिक व्यापक था। सरकार ने तत्काल काम कर मकाने योग्य पुरखों तथा मित्रों के लिए काम देने की व्यवस्था की तथा धार्मिक सन्ध्याओं व अश्विनियों द्वारा अन्न एवं अन्नहाय व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गयी। परन्तु इस दुर्भिक्ष में १८३७ के अकाल से कम व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

इस अकाल के कारणों की जाँच के लिए सरकार ने कर्नल वेडरिसेथ को नियुक्त किया जिन्होंने तीन रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। श्मिय महोदय का मत था कि यह अकाल अन्न के अभाव के कारण नहीं बल्कि अन्न की उपलब्धि में कठिनाई के कारण पडा। दूसरा कारण यह बताया गया कि भूमि के लगाने की व्यवस्था दोषपूर्ण होने के कारण ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति बहुत क्षीण थी अतः वह थोड़ा समय के लिए भी अन्न मग्न कर नहीं रख सकत थे। इस अकाल के निवारण के लिए जा प्रयत्न किए गये वह अधिक व्यापक होने के कारण अग्रिक व्यक्तियों को नान का प्राय होने से बचाया जा सका था। भारत में ब्रिटिश नीति का यह नया मोड़ कहा जा सकता है।

सन् १८६६-१८८०—सन् १८६६ से १८८० तक भारत के विभिन्न भागों में चार उल्लेखनीय अकाल पड़े। १८६६ में उड़ीसा में दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी और १८६६ में उत्तर भारत में एरान्ना का अभाव उत्पन्न हो गया। उड़ीसा के अकाल में सहायता के कार्यों का यथोचित प्रबन्ध नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप वहाँ बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु का प्राय बनता पडा। १८७४ में बंगाल में दुर्भिक्ष पडा परन्तु स्थायी लगाने-व्यवस्था के कारण बंगाल के किसानों की अग्रिक स्थिति अच्छी थी। रमेश दत्त के मतानुसार, इस अकाल के समय सरकार ने पहली बार ऐसे उल्साह से सहायता कार्य किये कि उसमें पूर्ण सफलता मिल सके। फलतः बंगाल की मृत्यु की विमोचिका में बचा लिया गया।

सन् १८७७ में तमिलनाडु को एक भीषण अकाल का सामना करना पडा। आश्चर्य की बात यह है कि इस वष ही भारत से सर्वाधिक अन्न विदेशों को निर्यात किया गया।<sup>2</sup> इस नीति-हीनता को खरम सीमा कहा जा सकता है। वस्तुतः इस वर्ष तमिलनाडु प्रांत से भी अन्न का निर्यात किया गया था। इस अकाल का प्रभाव मंगूर में भी अत्यन्त व्यापक था। १८७८ में उत्तर भारत में पुनः दुर्भिक्ष की स्थिति का अनुभव किया गया।

सन् १८९७-१९०० के अकाल—ब्रिटिश शासन में अब तक मध्य प्रदेश प्रायः अकाल की विमोचिका से अछूता रहा था किन्तु १८९७ और १९०० में समूचा मध्य प्रदेश दुर्भिक्ष की जाला

<sup>1</sup> Ramesh Dutt *Economic History of British India*, Vol. I, pp. 430-31.

<sup>2</sup> Ramesh Dutt, *India in the Victorian Age*, p. 349.

में धूँ धूँ कर जन उठा। प्रायः सम्पूर्ण वृषि भूमि साफ़ हो गयी और हजारों व्यक्ति नष्ट हो गये। पन्ड नागर, दमोड, जवलपुर, मिबनी, नरसिंहपुर, होगनाबाद, निमाड, बेतून, दर्धा, भंगारा, वानापाट तथा रावपुर में नयी भूमि-कर नीति का विरोध किया गया। इन विरोधों का प्रभाव यह हुआ कि सरकार को लगान बढ़ाने की नीति स्थगित कर देनी पड़ी। १८६७-६८ में प्रायः नारें देश में अकाल की स्थिति थी किन्तु किसानों को कर चुकाने के लिए जल्द बेचन के लिए बाध्य होना पड़ा। इन अन्न का बहुत भाग दूरी-देश को निर्यात किया गया। रमेश दत्त का यह निष्पत्ति मत है कि भारत के अधिकांश अकाल ब्रिटिश सरकार की अनुचित नू-कर नीति के कारण पड़े, क्योंकि कम दरराशन होने पर भी कृषकों को भूमि-कर देने के लिए बाध्य किया जाता था, त्रिमक फलस्वरूप उन्हें कम थोड़े से अन्न से भी हाथ धोना पड़ता था। अतः देश में अकाल अनाभाव के कारण नहीं बल्कि लोगों की आर्थिक निर्धनता के कारण पड़े।

बंगाल का अकाल, १६४३—श्रीनर्षी शत्रुघ्नी में यद्यपि अनेक बार अभाव एवं जरायन की स्थिति उत्पन्न हुई है किन्तु शासन प्रबन्ध की अच्छी व्यवस्था, मानापात के साधनों में सुधार तथा जनता के कल्याणकारी जागरण के कारण उन्हें कभी भी बहुत गम्भीर रूप धारण करने का अवसर नहीं दिया गया। वास्तव में 'भोषण जफान' एक ऐतिहासिक घटनामात्र रह गयी थी परन्तु बंगाल के अकाल न भारतीय जनता को पुनः चेतावनी दी। अकाल का दानव कवन लम्बी नींद मोया था, नष्ट नहीं हुआ था।

बंगाल के दुर्मिन्न की म पाता का अनुमान इन बात से लगाया जा सकता है कि उसके कारण लगभग २५-३० लाख व्यक्ति क्षुधा पीषा म नष्ट हो गय। वास्तव में, यह अकाल बंगाल के देशमक्त निवासियों को ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का दण्ड था, त्रिमन भारतीय अर्थ-कारियों तथा अन्न के व्यापारियों का पूरा हाथ था।

कारण—बंगाल के अकाल का मुख्य कारण चावल का जनाव था जिसके फलस्वरूप चावल के मूल्य जून १६४३ में २३ रुपये मन तक पहुँच गये थे। यह मूल्य वृद्धि इस सीमा तक बढ़ी कि अक्टूबर में चावल १०० रुपये मन से भी ऊँचे भाव पर बिकन लगा। इस वृद्धि के लिए दो तत्त्व मुख्यतः उत्तरदायी थे। प्रथम दायित्व उन व्यापारियों पर पटना है जिन्होंने धन के लोभ में चावल तथा अन्य खाद्यान्नों को छिपा लिया और मनमाने दाम वसूल किये। इन गम्भीर स्थिति का दूसरा दायित्व सरकारी अन्वयस्था थी जो न चौरखानार करने वाले मुनाफाखोरों को दण्डित कर सकी और न ही यथेष्ट मात्रा में चावल की पूर्ति उपलब्ध कर उनके भाव नीचे ला सकी। वास्तव में, बंगाल सरकार का सम्पूर्ण व्यवस्थापन धार भ्रष्टाचार एवं धन-नीलुपता का शिकार हो गया था।

इनका नहीं, बंगाल के पीडित निवासियों के लिए पनाब से जो गेहूँ परोशा गया उसमें भी केन्द्रीय सरकार ने लगभग १ करोड रुपये तथा बंगाल सरकार ने लगभग ४० लाख रुपये का लाभ बनाया।<sup>१</sup> इससे प्रुणित एवं पतिन सरकार की कल्याण करना मानवता की हैसी उठाना नहीं तो क्या है।

बंगाल के अकाल में जो दृश्य कलकत्ता और ढाका की सडकों पर देखे गय वह केन्द्र एवं बंगाल की सरकारों तथा वहाँ के अन्न व्यापारियों के माथे पर चिरकाल तक कलक का टीका बन रहें। न केवल मात्रात्रा और बहनो की रोटी के चन्द टुकड़ों के लिए अन्न मनीत्व को उन्निदान करन हेतु बाध्य होना पडा बल्कि अनेक म्यानों पर मनुष्यों को कुत्तों से गन्दगी से पड़ी हुई जूटा के लिए लड़ते देखा गया। मुभाय और रबीन्द्र की रत्नगर्भा भूमि मानो भून की ज्वाला म अपना सर्वस्व सुटा बैठी थी।



आधुनिक प्रवृत्तियाँ—वर्गाल का अक्रान्त सम्भवतः भारत में दुनियाँ की दक्षिणी महा जायदा, क्योंकि वर्तमान स्थिति में देश में प्रजाशासित राष्ट्रीय सरकार है। यह सत्य है कि अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि की घटनाओं के कारण देश में अक्रान्त की छाया अब भी मँडराती रहती है परन्तु वर्गाल के इतिहास की पुनरावृत्ति होने की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि .

(१) देश स्वतन्त्र हो चुका है और वृष्टि मोडनाओं का तीव्र गति में विकास किया जा रहा है।

(२) यात्राधान के माधनों के विकास के कारण विदेशों से उत्साह अत्र प्राप्त किया जा सकता है।

(३) भारत व राजनीतिक सम्बन्ध अधिकांश देशों में श्रेष्ठ हैं अतः उनसे अत्र अपना अन्य पदार्थ उचित मूल्यों तथा सुविधाजनक शर्तों पर प्राप्त करना सम्भव है।

उपर्युक्त कारणों व भाग्य भूमि पर अक्रान्त की छाया मने ही मँडराने लगे किन्तु उसके विकासगामी तापत्र को समस्त आनकारें निर्मूल हो गयी हैं।

दुर्भिक्ष के कारण—भारत में दुर्भिक्ष के कारणों को चार भागों में बाँटा जा सकता है :

(१) अनाभाव (२) आर्थिक कारण, (३) सरकारों नीति, और (४) दिव्य कारण।

(१) अनाभाव—भारत में कभी-कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि अथवा बाढ़ या सूख के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं और कभी-कभी किसी क्षेत्र में टिट्टियों अथवा अन्य कीटाणुओं द्वारा फसल को क्षति पहुँचायी जाती है। महाभागियों अथवा अन्य प्राकृतिक प्रकोप भी खाद्यान्नों के कम उत्पादन अथवा विनाश के कारण बन जाते हैं। खाद्यान्नों के अभाव के कारणों पर हम यह अध्ययन में विचार कर चुके हैं अतः उनकी यहाँ पुनरावृत्ति करना व्यर्थ है। यहाँ इतना विचारा सुनिश्चित है कि खाद्यान्नों के अभाव के कारण उपभोक्ताओं को अपेक्षित मात्रा में अन्न नहीं मिल पाता और दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(२) आर्थिक कारण—भारत में दुर्भिक्ष का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि अधिकांश जनता की आर्थिक स्थिति दरछो नहीं है। इन व्यापक दरिद्रता व कारण लोग न तो कुछ समय के लिए अन्न का संचय कर सकते हैं और न ही वह अभाव के समय उन्हें सूर्य देकर अन्न खरीद सकते हैं। १९६० के पश्चात् भारत में पहल बार सभी अनाकों के अभावतः न इस बात की पुष्टि होती है कि दुर्भिक्ष अन्न व कारण नहीं बल्कि जनता के पास वृष्टिक्रम के अभाव के कारण पड़े हैं।

(३) सरकार नीति—भारत में अनाभाव अथवा अन्न व एक महत्वपूर्ण कारण सरकार की अकारणता, अव्यवस्था एवं दुर्बल नीति रहा है। अतः उत्तरदायी सरकार का यह बर्तन होता है कि वह जनतापरिका के लिए यथामूल्य, अर्थोचित मात्रा में उदा उचित मूल्य पर अन्न उपलब्ध कराने की स्थिति में हो। यदि यह सम्भव नहीं हो सके तो उन सरकार को अनागत रहने का अर्थकार नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाय तो स्पष्टतः अन्न अनाकी सरकारी नीति के तीन पक्ष उभरते हुए दिखती वत हैं .

(अ) आधोवत—भारत में द्रष्ट इतिहास कम्पनी तथा ब्रिटिश शासनकाल में दुर्भिक्ष पडने का एक कारण यह रहा है कि सरकार न कभी भी आन्वी फसल का अनुमान लगाकर अन्न की कमी पूर्ति कराने का यथामूल्य प्रयास नहीं किया, अतः उनकी स्थिति सदा 'अन्न लगे पर बुझी खोले' वाले स्थिति व समान रही। १९४३ में बंगाल में अन्न पडने का एक कारण यह भी था कि सरकार निरन्तर यह बात कहती रही कि प्रान्त में अन्न की कमी नहीं है। इस प्रकार उचित आधोवत के अभाव में लोगों अन्वियों को मृत्यु के मुख में डाला पडा।

(आ) मूल्य नियन्त्रण—अन्न व एक महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि अनुचित महत् अथवा अनावृत्ति के कारण वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। कभी कभी अन्न के भाद इतने

ऊँचे हो जाते हैं कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति उसे खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। फलन देश में दुग्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(इ) भूमि-कर नीति—ब्रिटिश शासन के अग्रिकाश कर्षी (विशेषकर १९वीं शताब्दी) में भूमि के लगान सम्बन्धी नीति अत्यन्त अतिशय, कठोर एवं अवाञ्छनीय रही है जिसके फलस्वरूप कृषकों पर लगान का भार अनावश्यक रूप में अधिक था। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी भूमि पर लगान चुकाने के लिए, कम होने पर भी अन्न बेचना ही पड़ता था जिसमें उन्हें अकाल का गिकार होना पड़ना था। वर्तमान युग में यह समस्या हल हो गयी है क्योंकि अब अभावग्रस्त क्षेत्रों में लगान आदि की बमूली प्रायः बन्द कर दी जाती है और तत्काल सहायता कार्य प्रारम्भ कर दिने जाते हैं। मनुष्यों के लिए अन्न की तो बात क्या, पशुओं के लिए चारे तक की व्यवस्था में प्रयत्न किये जाते हैं।

(ई) यातायात सुविधाएँ—ब्रिटिश शासन काल में, विशेषकर १९वीं शताब्दी में, रेल अथवा मडक यातायात की सुविधाओं का अभाव था अतः यदि एक स्थान पर अनाज की कमी होती तो वहाँ अतिरिक्त अनाज वाले क्षेत्रों में अन्न लाना कठिन था। यही कारण था कि उस समय अकाल विशेष क्षेत्रों तक ही केन्द्रित रहता था। वर्तमान में भारत के लगभग सभी भागों में यातायात के साधनों का यथेष्ट विकास हो गया है अब अभावग्रस्त क्षेत्रों में अन्न भेजने में विशेष समय नहीं लगता है। यहाँ तक कि विदेशों में भी अन्न सरलता एवं शीघ्रतापूर्वक भेजा जा सकता है। यातायात के साधनों का विकास मुख्यतः सरकार की नीति पर ही निर्भर करता है।

(४) विविध कारण—उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त अकाल के अन्य कई कारण रहे हैं जिनमें से दो प्रमुख हैं। ब्रिटिश शासन में पूर्व भारत के विभिन्न भागों में युद्ध अथवा सङ्घर्ष हो रहे हैं जिनके फलस्वरूप शत्रुओं की सेनाएँ खड़ी फसल को नष्ट-भ्रष्ट कर देती थीं अथवा आग लगा देती थीं जिनके कारण देश में अन्न का अभाव उत्पन्न हो जाता था। कभी-कभी इन शत्रुओं के उपात के मय में लोग अपनी भूमि या परित्याग कर चले जाते थे जिसमें उन भूखण्डों पर खेती ही नहीं होती थी और अन्न की कमी उत्पन्न हो जाती थी।

अकाल का एक अन्य कारण महामारियों का प्रकोप भी रहा है। कभी-कभी किसी क्षेत्र में हैजा, प्लेग अथवा इन्फ्लुएन्जा फैल जाने से उस क्षेत्र में खेती करना सम्भव नहीं होना जिससे अन्न की उत्पत्ति ही नहीं हो पाती। वर्तमान युग में प्रायः सभी महामारियों पर नियन्त्रण किया जा चुका है अब यह तत्त्व दुग्धियों के लिए उत्तरदायी नहीं रह गया है।

दुग्ध के प्रभाव—अकाल का देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लग सकता है

(१) जन-घन की हानि—दुग्ध काल में अन्न के अभाव में बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और चारे की कमी में पशुओं का भी विनाश हो जाता है। जन और पशुघन की यह हानि कभी कभी बहुत व्यापक होती है, और देश में एक विचित्र अमन्तोष एवं अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो जाता है।

(२) नैतिक घनन—इसमें पूर्व किये गये विवरण में स्पष्ट हो चुका है कि अकाल के समय भूख की ज्वाला शान्त करने के लिए अनेक सम्माननीय नागरिक अपनी मान-मर्यादा अथवा स्वाभिमान की बलि देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह एक बहुत भयानक स्थिति है क्योंकि जब किसी देश की नैतिकता का अन्त हो जाता है तो राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नींव हिल जाती है।

(३) शारीरिक स्वास्थ्य—यदि नागरिक किसी प्रकार दुग्ध की विपत्ति से छुटकारा पा भी लें तो भी न्यून एवं शोचिष्ठ भाजा के कारण उनकी शारीरिक सहनशक्ति कम हो जाती है

अतः उन्हें अनेक रोगों का शिकार होने का भय रहता है। इस प्रकार शारीरिक क्षमता कम होने से देश की कार्य-कुशलता कम हो जाती है जो देश की प्रगति के लिए बहुत हानिकारक है।

(४) राजनीतिक अस्थिरता—निरन्तर दुर्भिक्ष पड़ने अथवा अनेक बार अकाल की स्थिति का अनुभव करने वाले क्षेत्रों में सरकार के विरुद्ध असन्तोष में निरन्तर वृद्धि होती जाती है जिसके फलस्वरूप सरकार का अन्त होने की नीव तैयार हो सकती है। इस प्रकार देश में राजनीतिक अस्थिरता एवं कलह उत्पन्न होने का भय रहता है।

(५) कृषि का पतन—यह एक मान्य सत्य है कि कृषि की हीनावस्था के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ते हैं और दुर्भिक्ष पड़ने से किसानों की शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक स्थिति दुर्बल हो जाती है और अन्ततः कृषि की व्यवस्था गिरती चली जाती है।

(६) विदेशी विनिमय संकट—दुर्भिक्ष का सामना करने के लिए प्रायः विदेशों से अन्न आयात करना पड़ता है जिसके फलस्वरूप देश की विदेशी विनिमय की आय का एक महत्वपूर्ण भाग अन्न के भुगतान में प्रयुक्त हो जाता है। भारत को गत कई वर्षों से इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और इससे न केवल देश के औद्योगिक विकास में बाधा पड़ती है बल्कि विदेशी विनिमय की कमी दूर करने के लिए विदेशों में ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

भारत सरकार की अकाल निवारण नीति—भारत में दुर्भिक्ष का प्रकोप किसी न किसी रूप में सदा से होता आया है। प्राचीन काल के शासकों द्वारा अकाल की आकस्मिक विपत्ति का निवारण के लिए अभावग्रस्त क्षेत्रों में अन्न वितरण करवाया जाता था तथा लोगों को रोजगार देने के लिए नहरें तालाब अथवा कुएँ आदि बनवाये जाते थे। हमारे लोगों को कुछ आय हो जाती थी और वह महीने भाव का अन्न अथवा अन्य खाद्य पदार्थ खरीदकर गुजारा कर लेते थे। हिन्दू तथा मुस्लिम शासनकाल में राजा, नवाब अथवा बादशाह स्वयं अकाल निवारण कार्य में रचि लेते थे। उदयपुर, कोटा तथा बीकानेर के राजाओं और शाहजहाँ द्वारा दुर्भिक्ष का प्रभाव कम करने के प्रयत्नों का विवरण पहले दिया जा चुका है।

ब्रिटिश शासन काल—ईस्ट इण्डिया कम्पनी की अकाल निवारण नीति सर्वथा ऋणात्मक थी। कम्पनी द्वारा अकाल पीड़ितों को सहायता के लिए अन्न वितरण करना तो दूर रहा, लगान तक माफ नहीं किया जाता था। १७६६-७० तथा १७८३-८४ के दुर्भिक्षों के समय कम्पनी के कर्मचारियों ने अतिरिक्त कड़ाई से लगान वसूल करने की व्यवस्था की थी। ब्रिटिश शासनकाल में भी कुछ समय तक इसी निष्क्रियता की नीति का पालन किया गया किन्तु अन्ततः जनता के हाहाकार ने उन्हें कुछ सहायता करने तथा लगान में छूट देने के लिए बाध्य कर दिया।

कैम्पबेल समिति, १८६७—सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में नियुक्त अकाल जांच आयोग की सिफारिश के अनुसार अकाल निवारण का कार्य जिलाधीशों को सौंप दिया गया। कृषि विकास कार्य के लिए तत्कालीन बाटने की व्यवस्था की गयी। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि दुर्भिक्ष के समय क्षुधा पीड़ितों को नि:शुल्क अन्न वितरित किया जाना चाहिए।

सन् १८७३-७४ तथा सन् १८७६-७७ के भीषण अकालों से सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँच गयी कि भारत में अकाल एक आकस्मिक घटना नहीं बल्कि एक स्थायी समस्या है अतः इसका निवारण करने के लिए स्थायी प्रयत्न करना आवश्यक समझा गया। तदनुसार १८७८ में एक अकाल बीमा कोष निर्मित किया गया जिसमें प्रति वर्ष १५ करोड़ रुपये जमा करने की व्यवस्था की गयी। तत्पश्चात् राज्य सरकारों ने भी इस कोष में विभिन्न राशियाँ जमा कीं। इस कोष का प्रयोग अकाल के समय पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए किया जाता है।

स्ट्रेची आयोग १८८०—सर जॉन स्ट्रेची की अध्यक्षता में नियुक्त अकाल आयोग ने दुर्भिक्ष निवारण के लिए विस्तृत कार्यवाही का सुझाव दिया जिसने अनुसार अकाल निवारण का कार्य

प्रान्तीय सरकारों द्वारा करने की व्यवस्था थी। अकाल का सामना करने के लिए प्रायः सभी प्रान्तों में दुर्मिष सहिताएँ (Famine Codes) बनायी गयी और भविष्य में इन्हीं सहिताओं के आधार पर अकालग्रस्त व्यक्तियों की महायता करने का निर्णय किया गया।

स्ट्रेची आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं -

(१) कृषि करने वालों को मिचार्डी बीज तथा अन्य कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

(२) स्वस्थ व्यक्तियों को काम तथा अपाहिजों को मुक्त खाद्यान्न दिये जाने चाहिए।

(३) किमान को लगान से छूट मिलनी चाहिए और खेती के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(४) अकालग्रस्त क्षेत्र के पूरे अन्न आदि सग्रह करके असहाय व्यक्तियों के लिए निर्धनालय खोले जाने चाहिए।

(५) पशुओं के लिए यथेष्ट मात्रा में चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(६) नहरों, तालाबों तथा रेलों के समुचित विकास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

प्रान्तीय सरकारों ने इन सिफारिशों को तत्काल स्वीकार कर लिया और तदनुसार कार्य आरम्भ कर दिया गया। अकाल सहिताओं में पचासमय आवश्यक परिवर्तन भी किये गये ताकि अकाल निवारण के कार्य में किसी प्रकार की देर न हो। प्रान्तीय सरकार के अतिरिक्त जिला बोर्डों, म्युनिसिपल समितियों तथा पंचायतों के लिए भी अकाल की स्थिति उन्पन्न होते हुए ही आवश्यक कार्यवाही करना अनिवार्य कर दिया गया।

लायल अकाल आयोग, १८६८—सन् १८६६-६७ के अकालों की जांच करने के लिए एक और आयोग नियुक्त किया गया जिमन अकाल निवारण के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये -

(१) पिछड़े वर्गों जैसे जुलाहों आदि को विशेष आर्थिक सहायता दी जाय।

(२) अकाल काल से सहायता को विकेंद्रित कर उसकी मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए।

(३) अकाल काल की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए और उन्हें ठीक प्रकार खर्च करने के लिए कार्यवाही की जाय।

लायल अकाल आयोग की सिफारिशों की स्थाही अभी सूची भी नहीं थी कि देश को आगामी दो वर्षों में पुनः अकाल की स्थिति का सामना करना पडा जिमके फलस्वरूप १९०१ में एक और आयोग नियुक्त किया गया जिसके अध्यक्ष मेडडॉनल महोदय थे।

मेडडॉनल आयोग, १९०१—इस आयोग ने अकाल निवारण सम्बन्धी उपायों का विस्तार से अध्ययन किया और अपनी सिफारिशों में निम्न बातों पर जोर दिया

(१) अकालग्रस्त क्षेत्रों में प्रारम्भिक अवस्था में ही यथोचित आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोग उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि ले सकें और अकाल का सामना दृढ़ता से कर सकें।

(२) अकाल की स्थिति उत्पन्न होने ही मनोवैज्ञानिक एवं अन्य तरीकों द्वारा जनता का साहम बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि अकाल निवारण सम्बन्धी उपायों में विशेष कठिनाई न हो।

(३) अकालग्रस्त क्षेत्रों में अकाल सहायता समितियों की स्थापना की जानी चाहिए और इन समितियों में धनी व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(४) पशुओं की रक्षा के लिए चारे की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

(५) श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी विधान की बजाय काम के अनुसार मजदूरी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

बन्तुत लायल आयोग की सिफारिशो मे कोई नवीनता नही थी, उसने बहुत कुछ पुराने आयोगो की सिफारिशो की पुनरावृत्ति मात्र की थी। इस आयोग की सिफारिशो की विशेष बात यही थी कि जनता को यथासमय अधिक सहायता देकर उसके नैतिक बल मे वृद्धि करने पर बल दिया गया था ताकि वह अकाल वा साहसपूर्वक सामना कर सके।

सरकार ने इन सिफारिशो को यथावत् स्वीकार कर लिया और अभाव के समय निर्माण कार्यों मे वृद्धि करने की नीति को अपनाया। सभी निर्माण कार्यों को दो वर्गों मे बाँट दिया गया। प्रथम वर्ग मे अल्पकालीन रक्षात्मक कार्य किये, जिनका उद्देश्य अकाल पीड़ितो की सीधी सहायता करना था तथा दूसरे वर्ग (उत्पादन) मे उत्पादन वृद्धि के कार्य सम्मिलित किये गये।

मंत्रालय आयोग की सिफारिशो का कार्यान्वित करने से देश मे अकाल निवारण नीति मे काफी सफलता मिली। उसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि सन् १९४३ तक कोई भीषण अकाल देखने मे नही आया। किन्तु बंगाल के अकाल ने सरकार की सब सफलताओ पर पानी फेर दिया।

बुडहैड अकाल आयोग, १९४४—बंगाल के लोमहर्षक अकाल के कारणो की जांच करने के लिए सन् १९४४ मे ज० ए० बुडहैड की अध्यक्षता मे एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग ने देश की कृषि समस्याओ का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया और अकाल निवारण के लिए अल्पकालीन तथा स्थायी सुधारो की सिफारिशो की जो निम्नलिखित है

(१) 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन द्वारा अन्न का उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए।

(२) देश मे आवश्यक खाद्यान्न विदेशो से आयात कर उनका उचित रीति से वितरण किया जाना चाहिए।

(३) विदेशो से खाद्यान्न आयात का एकाधिकार सरकार के हाथ मे होना चाहिए ताकि वह उचित मूल्य पर प्राप्त किये जा सकें।

(४) जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिए यद्यत्त उपाय किये जाने चाहिए।

(५) सरकार द्वारा भूमि की अधिकतम जोत निश्चित कर दनी चाहिए तथा अतिरिक्त भूमि भूमिहीनो मे बाँटने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(६) दश भर मे खाद्य नीति का समन्वय करने के लिए एक अबिल भारतीय खाद्यान्न परिषद स्थापित की जानी चाहिए। इस परिषद की नीतियो के पालन हेतु क्षेत्रीय परिषदें निर्मित करने की सिफारिश की गयी।

(७) सरकार द्वारा समय समय पर अन्न परीदकर भण्डार निर्मित किये जाने चाहिए ताकि वह सकटकाल मे काम आ सके।

(८) सरकार को ऐसे कार्य करने चाहिए कि जनता मे खाद्यान्न नीतियो के प्रति अधिकाधिक विश्वास उत्पन्न हो सके।

(९) कृषि मे नवीन प्रणालियो द्वारा मुआर करने की चेष्टा की जानी चाहिए।

सरकार ने प्राय सभी सिफारिशों स्वीकार कर ली। तदनुसार अपनी खाद्यान्न, कृषि एवं अकाल निवारण नीति मे सशोभन एवं परिवर्तन कर लिये।

वर्तमान अकाल निवारण नीति—वर्तमान युग मे भारत अनेक दृष्टिकोणो से विकसित देशो के अधिकाधिक समीप आ गया है, देश मे यातायात के साधनो का अच्छा विकास हो गया है, तथा जनता मे सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण भी बढ़ रही है। इन सब परिवर्तनो का सामूहिक प्रभाव यह हुआ कि दुर्भाग्य का भय बहुत कुछ दूर हो गया है क्योंकि एक ओर तो सरकार मूल्यो

पर उचित नियन्त्रण द्वारा खाद्यान्नों के भाव बहुत नहीं बढ़ते देती और दूसरी ओर वह विदेशों से आवश्यक खाद्यान्न यथासमय मँगवा लेती है।

सरकार की वर्तमान अकाल निवारण नीति के दो मूल अंग हैं

आपत्तिकालीन सहायता कार्य—इन कार्यों के अन्तर्गत प्रायः निम्न कार्य क्रिय जा रहे हैं, जिनके प्रभावस्वरूप अकाल का प्रकोप कम हो गया है

(१) सरकार मृत्त खाद्यान्नों के भण्डार रखती है जिन्हें अभाव के समय काम में लिया जाता है। इन भण्डारों के निमित्त करने में सरकार को अमरीका के मार्बेजिनिक नियम-४८० (P L-480) से बहुत सहायता मिली है क्योंकि उक्त नियम के अन्तर्गत प्राप्त कृषि पदार्थों का मुगलान रूपों में ही क्रिया जाता है और उस राशि का एक महत्त्वपूर्ण भाग देश के औद्योगिक विकास के लिए विनियोजित कर दिया जाता है।

(२) सरकार द्वारा खाद्यान्नों के मूल्य, सप्लाइ वृत्ति तथा चोरबाजारी पर नियन्त्रण रखन की चेष्टा की जा रही है। गत वर्षों में रिजर्व बैंक की साख नियन्त्रण नीति द्वारा खाद्यान्नों के अनुचित सप्लाइ को निरन्तर निहसाहित किया गया है। खाद्यान्नों के अभाव के समय सरकार द्वारा सस्ते अनाज की दुकानें भी खुलवा दी जाती हैं ताकि लोगों को बहुत महंगा अन्न खरीदन के लिए बाध्य न होना पड़े। गत दस वर्षों में राजकीय व्यापार द्वारा खाद्यान्नों के मूल्यों को स्थिर रखन के निरन्तर प्रयत्न किये गये हैं।

(३) सहायता कार्य—गत वर्षों में सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में सदा ही विस्तृत सहायता कार्य आयोजित किये हैं, यहाँ तक कि आनाम के कुछ क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ के कारण बड़े-बड़े भू-क्षण्ड देश के शेष भागों में सर्वथा कट जाते हैं, सरकार त्वाई जहाज द्वारा भी राशन पहुँचाने की व्यवस्था करती रही है। इन सहायता कार्यों में मुख्यतः यथासमय अनाज पहुँचाना, किसानों को सस्ते ऋण या अनुदान देना तथा मकान बनाने अथवा चिकित्सा आदि की निःशुल्क व्यवस्था करने जैसी सहायता सम्मिलित है।

अनेक बार बाढ़, भूकम्प अथवा अन्य किसी प्राकृतिक प्रकोप द्वारा पीडित व्यक्तियों को प्रधानमन्त्री सहायता कोष द्वारा भी सहायता दी जाती है।

दीर्घकालीन उपाय—अकाल निवारण के दीर्घकालीन उपायों में खेती को उपज बढ़ाना सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। गत अध्यायों में हम योजनाकाल में कृषि-उपज बढ़ाने हेतु किये गये उपायों पर विचार कर चुके हैं, अतः उन्हें दोहराना अनावश्यक है।

### प्रश्न

१. भारत में अकालों के क्या कारण हैं? इस परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये तथा उनके क्या परिणाम हुए? (आगरा, बी० कॉम, १९५१, १९५५)
२. भारत में दुर्भिक्ष के कारण तथा उसके निवारण के लिए किये गये सरकारी प्रयत्नों का विवेचन कीजिए। (आगरा, बी० कॉम०, १९५३)
३. भारत में दुर्भिक्ष को रोकने तथा प्रभाव कम करने के लिए किये गये उपायों का वर्णन कीजिए। (आगरा, बी० कॉम, १९५४)

### भारत में सिंचाई की आवश्यकता

भारत में अनेक कारणों से सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना आवश्यक है।

(१) वर्षा का अभाव—भारत में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है जो न केवल अनिश्चित ही है बल्कि अपर्याप्त भी है। इसी कारण देश के अनेक भागों में अतिवृष्टि अथवा असामयिकता के कारण अनेक फसलें नष्ट हो जाती हैं। इनमें भी अधिकांश फसलें वर्षा के अभाव के कारण नष्ट जाती हैं। अतः यदि इस जलाभाव की पूर्ति सिंचाई द्वारा की जा सके तो देश की कृषि सम्पन्न हो सकती है।

(२) रबी की फसलें—भारत में गेहूँ चना जो आदि बहुत सी फसलें सर्दी में ही बोयी जाती हैं और मानसून हुआएँ केवल गर्मी में वर्षा करती है अतः इन फसलों की उत्पत्ति के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना आवश्यक है।

(३) अधिक जल की आवश्यकता—देश में कुछ ऐसी फसलें भी उत्पन्न की जाती हैं जिनके लिए सामान्य स्तर से अधिक जल की आवश्यकता होती है। उदाहरणतः गन्ना तथा चायन यद्यपि पानी बिना उत्पन्न किये जाने सम्भव नहीं है। अतः इनकी उपज के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

(४) घरागाहों के लिए—भारत में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है और उसके लिए नियमित रूप में चारे का प्रबंध करने के लिए वर्षा यद्यपि नहीं होती। अतः घरागाहों का यथोचित विकास करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना आवश्यक है।

वस्तुतः भारत एक गरम देश है और इसमें कुछ प्रदेशों में फसलों के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्यों तथा पशुओं के लिए पीने के पानी तक की कमी है। अतः किसी भी ऐसी व्यवस्था की तीव्र आवश्यकता है जिससे भूमि तथा मनुष्यों की आवश्यकता के लिए नियमित रूप में पर्याप्त जल मिल सके।

सिंचाई के साधन—भारत के जल साधना का अनुमान १६७१५१४ लाख घन मीटर लगाया गया है जिसमें से लगभग ५५४७१५ लाख घन मीटर सिंचाई के काम में लिया जा सकता है। १९५१ तक केवल ९३६,८५ लाख घन मीटर जल सिंचाई के काम में लिया जाना था जो सिंचाई के लिए उचित जल का १७ प्रतिशत तथा कुल जल प्रवाह का ५६ प्रतिशत था। द्वितीय योजना के अन्त तक १,४७६,२४ लाख घन मीटर जल का सिंचाई योग्य जल का २७ प्रतिशत था, काम में लिया गया। यह मात्रा तृतीय योजना के अन्त तक लगभग ३३ प्रतिशत तक पहुँच गयी है। चतुर्थ योजना का अन्त तक यह ४५ प्रतिशत तक हो जाने की आशा है।

## कृषि तथा मिचार्ड विभागों में सामंजस्य की आवश्यकता

मिचार्ड की सुविधाओं का पूर्ण विकास एवं उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों की नीति एवं कार्यों में भी पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने अनुरोधित कृषि पद्धतियों का अध्ययन करने के लिए कुछ दत्त उम दत्त भेजे थे। उन्होंने अपनी रिपोर्टों में यही मत प्रकट किया है कि विभिन्न राज्यों तथा उनके विभिन्न विभागों में जापनी सहयोग हुए बिना कृषि का यथेष्ट विकास सम्भव नहीं है। सम्भवतः इसी कारण बहुत से राज्यों में मिचार्ड का विकास करने के लिए विज्ञान समितियाँ बना दी गयी हैं जिनके सदस्य राज्यों के विभिन्न भागों में सम्मिलित हैं। इस विषय में विभिन्न विभागों में सहयोग स्थापित करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है। मिचार्ड की वर्तमान सुविधाओं का पूरी तरह प्रयोग करने के लिए ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों को उत्तरदायी बना दिया गया है।

### मिचार्ड की समस्याएँ

(१) मृत्त की समस्याएँ—प्रथम दो योजनाओं में मिचार्ड पर लगभग १,८०० करोड़ रुपये व्यय किये गये। तृतीय योजनाकाल में मिचार्ड की बड़ी ज़ोर मध्यमवर्गीय योजना पर कुल ६०० करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया था। परन्तु मृत्त की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जनवरी १९६३ में यह विचार किया गया कि इन योजनाओं में से किनको स्थगित अथवा स्थित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि मध्यम आकार की योजनाएँ तो यथावत् चालू रखी जानी चाहिए या उनकी यदि कुछ तीव्र कर दी जानी चाहिए ताकि उनमें शीघ्र लाभ प्राप्त होने आरम्भ हो जायें। इनके अतिरिक्त योजनाकाल में जिन ५६ बड़ी परियोजनाओं का प्रावधान किया गया था, उनमें से उन १९ का, जिन पर विशेष व्यय नहीं हुआ था, पुनर्गठन करने अथवा उनका कार्य स्थगित करने का निर्णय किया गया।

(२) वित्तों की हानि—मिचार्ड परियोजनाओं के पुनर्गठन के अतिरिक्त दूसरी समस्या यह है कि द्वितीय योजनाकाल के पश्चात् जितनी भी मिचार्ड की योजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं उन पर पानी की वर्तमान दरों (मिचार्ड जन पर प्राप्त शुल्क) के हिसाब से, विनिश्चिति पूँजी पर व्याज तथा अन्य खर्च भी बहुत होने की सम्भावना नहीं है। एक व्यापककारी राज्य स्थापित करने के लिए कृषिसकल्य प्रजातान्त्रिक सरकार प्राग्गम्य हानियों से बचनी ही होकर किसी विकास कार्य को नहीं त्याग सकती। इसी दृष्टि में देश की कृषि विकास के दीर्घकालीन लक्ष्यों में प्रेरित होकर इन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। साथ ही, संचालन व्यय की पूर्ति के लिए पानी की दर, मुगार कर (Betterment Levy) तथा अन्य दत्त में कुछ वृद्धि करने का भी सुझाव दिया गया है।

(३) मुगार कर (Betterment Levy)—यह एक ऐसा कर है जो उन क्षेत्रों के भूमिधारियों पर लगाया जाता है जिनमें मिचार्ड की सुविधाओं का विकास होने के कारण न केवल कृषि की उपज की सुविधाओं का विकास हुआ है बल्कि भूमि के मूल्यों में भी वृद्धि हो गयी है। ग्राहकों की दृष्टि से यह कर सर्वथा उचित है किन्तु मिचार्ड क्षेत्रों में इसका तीव्र विरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को एक ओर तो कर की दरों में आवश्यक हेर-फेर करने चाहिए तथा

<sup>1</sup> छोटी योजनाएँ—जिन पर १० लाख रुपये या कम व्यय जाना है।

मध्यम आकार की योजनाएँ—जिन पर १० लाख रुपये से लेकर ५ करोड़ रुपये तक व्यय होता है।

बड़ी योजनाएँ—जिन पर ५ करोड़ रुपये से अधिक व्यय होना है।



दूसरी ओर इसकी वसूली में उचित बचोवता से काम लेना चाहिए अन्यथा विकास बायों में में किसी की भी सफलता संदिग्ध रहेगी ।

### सिंचाई के साधन

प्रत्येक देश में सिंचाई की सुविधाएँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि (१) वहाँ का धरातल समान है अथवा बहुत ऊँचा-नीचा है, (२) मिट्टी नरम है अथवा बठोर है, (३) नदियाँ कितनी हैं तथा उनमें साल भर कितना पानी रहता है तथा (४) धरती में पानी कितनी गहराई पर उपलब्ध है। इन सब बातों के आधार पर ही सिंचाई की सुविधाओं का विकास अथवा विस्तार किया जा सकता है। सिंचाई के लिए किसी भी देश में कुएँ, तालाब तथा नहरें निर्मित की जाती हैं। भारत में भी सिंचाई के यही प्रमुख साधन हैं और इनका विकास भी प्राकृतिक परिस्थितियों एवं सुविधाओं के अनुसार किया गया है जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है।

(१) कुएँ—भारत में सिंचाई का अत्यन्त प्राचीन साधन कुआँ है। ग्रामों में प्रायः बँसों अथवा ऊँटों की सहायता से कुओं से जल निकाला जाता है तथा नावियों के माध्यम से खेतों तक पहुँचाया जाता है। कुओं से देश के सभी भागों में सिंचाई करना सम्भव नहीं है क्योंकि कुएँ केवल नरम धरती में सरलता से बनाये जा सकते हैं। इसके अनिश्चित रेगिस्तानी भागों में कुएँ बनाना बहुत खर्चीला काम होता है क्योंकि वहाँ जो थोड़ी बहून वर्षा होती है उसका जल रेत में शुष्क होकर धरातल के बहून नीचे चला जाता है। इन दोनों कारणों से ही कुओं से सिंचाई अफिरनर उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई तथा राजस्थान के कुछ भागों में होती है। इन प्रदेशों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, बिहार तथा आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी कुओं से सिंचाई की जाती है। इसका कारण यह है कि इन राज्यों के बहुत-से भागों में २० से ४० फुट की गहराई तक जल उपलब्ध हो जाता है। कहीं कहीं तो १०-१५ फुट नीचे ही पानी मिल जाता है। इस सुविधा के कारण क्रिमान खेतों में ही कच्चे कुएँ बना लेने हैं और सिंचाई के काम में ले लेते हैं।

उत्तर प्रदेश में कुओं से लगभग ५५ लाख एकड़ तथा पंजाब, राजस्थान और बम्बई में २० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की जाती है। तमिलनाडु में भी लगभग १० लाख एकड़ भूमि कुओं के जल से सिंचित होनी है। अन्तिम रूप में उपलब्ध अर्थों के अनुसार देश भर में लगभग १८५ लाख एकड़ (७७ लाख हेक्टेयर) भूमि को कुओं से जल मिलना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में तो कुएँ सिंचाई का मुख्य एवं सस्ता साधन हैं क्योंकि वहाँ भूमि नरम तथा जल का धरातल बहुत ऊँचा है। नहरों अथवा नदियों का पानी खेतों तक ले जाने के लिए भी नाले निकालने पड़ते हैं जो कुओं से सम्झे नहीं पड़ते।

कुओं से सिंचाई करने में मानवीय शक्ति, पशु शक्ति तथा बिजली का प्रयोग किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में तो अब कुओं में बिजली की मोटर लगाकर बड़े-बड़े पम्पों द्वारा पानी यथास्थान पहुँचाया जाता है। अनेक न्यानो पर हाथ या बिजली द्वारा संचालित पम्प ही लगा दिये गये हैं जिनसे सिंचाई बहुत सस्ती पड़ती है। कुछ भागों में रूट का प्रयोग भी किया जाता है जिसमें बैन, ऊँट अथवा अन्य किसी पशु की सहायता से सिंचाई की जाती है।

नलकूप—भारतीय कृषि के विकास में नलकूपों (tubewells) को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि देश की कम से कम १० करोड़ कृषि योग्य भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता है। उमम नलकूपों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उदाहरणतः अब तक देश में ७ लाख नलकूप निर्मित किये जा चुके हैं।

(२) तालाब—भारत में अनेक भाग पथरीले हैं जहाँ कुएँ गोदना सम्भव नहीं है। इन भागों में विशय स्थानों पर पत्थर हटाकर तालाब निर्मित कर लिये जाते हैं और वर्षा के समय पानी जमा कर लिया जाता है। यह जल यथासमय सिंचाई के काम में लिया जाता है। भारत में

तालाबों से मिचार्ड मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में होती है। इन प्रदेशों में तालाबों से मिचार्ड किया जान वाला क्षेत्र क्रमशः २६ लाख, २२ लाख, १२ लाख तथा १० लाख एकड़ है। इन राज्यों के अतिरिक्त बंगाल, मंभूर, बिहार तथा महाराष्ट्र और गुजरात में भी लगभग ५ लाख एकड़ भूमि तालाबों द्वारा सिंचित होती है। अल्प मनी क्षेत्रों का मिलाकर तालाबों से मिचार्ड किया जान वाला कुल क्षेत्र लगभग १६८ लाख एकड़ है।

**कठिनाइयाँ—**तालाबों से मिचार्ड करने में कई कठिनाइयाँ हैं। प्रथम तो यह कि यदि वर्षा यथावधि मात्रा में न हो तो तालाबों से पानी बहुत कम मात्रा में आता है जिससे मिचार्ड की सुविधाओं का अभाव रहता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए तालाबों को अच्छे ढाँचे बाँधों के रूप में परिणत कर लेना उचित है ताकि अतिरिक्त वर्षा वाले वर्षों में इन जलाशयों में पानी का नशीला बहा भण्डार इकट्ठा हो जाय और वह अभाव वाले वर्षों में काम आ सके।

तालाबों से मिचार्ड की दूसरी कठिनाई यह है कि अप्रिकाम तालाब बन्दे होते हैं अतः उनका बहुत सा जल भूमि में शुष्क हो जाता है। इस समस्या का हल यही है कि स्वयं-स्वान पर सीमेंट के पत्थरों के टालाब निर्मित करवा देना चाहिए।

तालाबों के जल-भाजन उनके भण्डार तक ही सीमित रहते हैं जबकि कुओं अथवा नलकूपों के माध्यम से अद्याह जल भण्डार से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है और मानवीय अथवा विद्युत शक्ति द्वारा उस जल को आवश्यक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। इन दृष्टि से मिचार्ड के मापनों में तालाबों का महत्त्व बहुत अधिक नहीं है।

(३) नहरें (Canals)—मिचार्ड का तीसरा जोर मध्यमे महत्त्वपूर्ण मापन नहरें हैं। नहरें बनाने के लिए भी निम्नलिखित सुविधाओं का होना आवश्यक है

- (अ) यथेष्ट जल वाली नदियाँ होनी चाहिए,
- (आ) घरातन समतल अथवा ढालू होना चाहिए,
- (इ) मिट्टी बहुत कड़ी नहीं होनी चाहिए।

नहरें प्रायः तीन प्रकार की होती हैं—नित्यवाही, बाढ़ी या सीममी, तथा बाँध की नहरें। नहरों का महत्त्व तथा उनकी बनावट बहुत कुछ सम्बन्धित क्षेत्रों की नदियों पर निर्भर करती है। यदि नदियाँ ऐसी पर्याप्त श्रुत्वाश्रं में निकलकर आती हैं जो बहुत ऊँचे हैं और तिन पर बहुत बरफ जमती है तो स्वभावतः नदियों में मान भर प्रचुर जल रहता है तिनसे नहरों को भी बर्ष भर नियमित रूप में पानी मिलता रहता है। इन प्रकार की नहरें नित्यवाही (Perennial) नहरें कहलाती हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, मत्तनज, व्यास तथा रावी आदि नदियाँ ऐसी ही हैं और इनसे निकलन वाली पश्चिमी यमुना नहर, गंगा नहर, गार्गा नहर आदि नित्यवाही नहरें हैं।

देश में अनेक नदियाँ ऐसी हैं (दक्षिण की विन्नेपर) जो केवल वर्षा ऋतु में जल से पूर्ण होती हैं और प्रीम्न ऋतु में सूख जाती हैं। इन नदियों से निकलन वाली नहरों में भी साल के कुछ महीनों में ही पानी रहता है। यह नहरें बाढ़ी या सीममी नहरें (Inundation Canals) कहलाती हैं।

नहरों का एक वर्ग यह है जो जलाशयों अथवा बाँधों पर निर्भर करता है अर्थात् तिनकी उन्नति किसी बाँध से मिलता है। ऐसी नहरों में पम्पों की आवश्यकता के समय जल छोड़ दिया जाता है और उसमें आवश्यक मिचार्ड हो जाती है। शेष समय में यह नहरें सूखी पड़ी रहती हैं। इन नहरों को बाँध की नहरें कहना उचित होगा।

भारत में लगभग ३५ करोड़ भूमि में नहरों द्वारा मिचार्ड की जाती है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में मुख्यतः नहरों द्वारा मिचार्ड होती है। इसका कारण यह है कि इन भागों में नित्यवाही विनाश नदियाँ हैं जो नहरों को नियमित रूप

से बल देने में समर्थ हैं। इन क्षेत्रों में नहरें खोदना भी सरल एवं मितव्ययितापूर्ण है। इसके विपरीत, दक्षिण भारत में तीव्रगामी नदियाँ हैं जिन्हें ऊबड़-खाबड़ भूमि में बहना पड़ता है। वह नदियाँ विन्ध्याचल, सतपुड़ा अथवा अन्य छोटी पर्वत शृंखलाओं से निकलती हैं अतः इनमें जलप्रवाह वर्ष भर बचेष्ट नहीं रहता। इन सब कारणों से दक्षिण भारत में बहुत कम नहरें हैं।

### सरकार और सिंचाई योजनाएँ

प्राचीन भारत में भूमि जनसंख्या तथा सिंचाई की समस्याएँ सामान्य थी और ग्रामों में कुआँ, तालाबों अथवा किसानों द्वारा स्वयं निमित्त नहरों में सिंचाई होती थी। अंग्रेजों ने भी १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक नहरों के निर्माण अथवा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की दशा में विशेष ध्यान नहीं दिया किन्तु शताब्दी के अन्तिम वर्षों में पड़ने वाले भीषण दुर्भिक्ष के कारण सरकार का ध्यान कृषि विकास योजना की ओर आकर्षित हुआ। फलतः दक्षिण भारत में कुछ नहरें तथा तालाब निमित्त कराये गये तथा उत्तर भारत में कुएँ और नहरों के निर्माण की ओर ध्यान दिया गया। पंजाब के नदियों वाले (पश्चिमी) भाग में—जो सर्वथा रेतीला था—प्रत्येक नदी में दो-दो नहरें निकाली गयीं और मुलतान, रावलपिण्डी, मरगोषा, लायलपुर आदि के रेतीले भाग कुछ वर्षों में ही हरे-भरे हो गये। फलतः पश्चिमी पंजाब के बजर प्रदेश ने जहाँ काँटेदार झाड़ियों के अनिरिक्त कुछ उत्पन्न नहीं होता था, भारत के खाद्यान्न भण्डार का स्थान प्राप्त कर लिया।

योजनाकाल और सिंचाई—विशेषज्ञों का मत है कि यदि भारत की सम्पूर्ण कृषि-योग्य भूमि पर सिंचाई की यथोचित व्यवस्था कर दी जाय तो बिलकुल रेतीले भागों से भी गेहूँ, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) के लायलपुर तथा मुल्तान के उदाहरणों को यदि पुराना भी मान लिया जाय तो भी राजस्थान के बीकानेर विभाग में स्थित गगानगर क्षेत्र इस बात का साक्ष्य है कि बचेष्ट जल उपलब्ध होने पर रेतीली मिट्टी में भी मूल्यवान पदार्थ उत्पन्न किये जा सकते हैं। गगानगर क्षेत्र में १९३० में (पंजाब में फिरोजपुर के समीप सतलज नदी में) गग नहर लायी गयी थी। उस समय वह भू-भाग सर्वथा रेतीला और बजर था किन्तु आज यह क्षेत्र न केवल सारे राजस्थान की अन्न सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ है बल्कि यहाँ शक्कर बरत, रुई की गाँठें बाँधन आदि के कारखाने भी स्थापित हो गये हैं और यह क्षेत्र देश के सम्पन्न भागों में से एक हो गया है।

सम्भवतः उपर्युक्त विचार में प्रेरित होकर ही स्वतन्त्रता प्राप्ति के तत्काल बाद ही भारत सरकार ने देश की कृषि-व्यवस्था में सबल एवं सम्पन्न बनाने की दृष्टि से अनेक प्रकार के सिंचाई कार्यक्रम आरम्भ किये, जो तक्षेप में निम्नलिखित हैं

(१) बहुमुखी योजनाएँ—सरकार ने भाखरा, दामोदर घाटी, महानदी आदि अनेक बहुमुखी योजनाएँ आरम्भ की जिनका उद्देश्य न केवल सिंचाई के लिए नहरें निकालने के लिए बड़े-बड़े बाँध बनाना था बल्कि इन बाँधों में सम्पूर्ण अनिरिक्त जल भेजकर बाढ़ नियंत्रण करना, इनके जल को ऊँचे से गिराकर विद्युत उत्पन्न करना, इन बाँधों में मछली व्यवसाय का विकास करना तथा बड़ी-बड़ी नहरें निकालकर उनके माध्यम से यातायात की सुविधाओं में वृद्धि करना था।

(२) सामान्य योजनाएँ—बहुत बड़ी योजनाओं के अनिरिक्त सरकार ने अनेक छोटी योजनाएँ (कुएँ, तालाब, नलकूप तथा नहरें) आरम्भ की जिन पर धन कम खर्च हो और जो शीघ्र लाभ पहुँचाने वाली हों। ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत कुएँ तथा तालाब बनाने के लिए सरकार द्वारा नून व्यय की लगभग ५० प्रतिशत तक महायत्ना प्रदान करने की व्यवस्था की गयी जिसके फलस्वरूप पुराने विचारों को भी मरम्मत तथा विकास हुआ और नये कुएँ तथा तालाब निमित्त किये गये।

प्रथम योजनाकाल से वर्तमान समय तक सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार निम्न प्रकार हुआ है :

**भारत में सिंचाई की क्षमता व उपयोग**  
(IRRIGATION POTENTIALITY AND UTILISATION IN INDIA)

अन्त में	सकल क्षेत्र (Gross area)			
	मिलियन हेक्टर में		मिलियन एकड़ में	
	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
प्रथम योजना	२६	१०३	६५	८१
द्वितीय योजना	४६	३४	११४	८३
तृतीय योजना	६६	५५	१७०	१३५
१९६६-६७	७४	६१	१८४	१५१
१९६७-६८	८२	६८	२०२	१६७
१९६८-६९	८६	७३	२२०	१८१
१९६९-७०	९७	७९	२४१	१९६
(अनुमानित)				

[स्रोत—प्रतिवेदन १९६९-७०, सिंचाई व शक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार। १ हेक्टर = २.८६९ एकड़।]

सारणी से स्पष्ट है कि प्रथम योजना के अन्त में सिंचाई की क्षमता ६५ मिलियन एकड़ थी, जो सन् १९६९-७० में बढ़कर २४१ मिलियन एकड़ हो गयी।

योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई के साधनों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। सन् १९६९-७० तक सिंचाई योजनाओं पर कुल १,९२३ करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके थे, जमा कि निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है

प्रमुख व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय

(रकम करोड़ रुपये)

योजना	व्यय
प्रथम योजना	३८०*
द्वितीय योजना	३८०
तृतीय योजना	५८०
१९६६-६७	१३०
१९६७-६८	१३२
१९६८-६९	१५१
१९६९-७० (अनुमानित)	१७०
<b>योग</b>	<b>१,९२३</b>

\* प्रथम योजना से पूर्व के समय के ८० करोड़ रुपये महिन।

[स्रोत—प्रतिवेदन १९६९-७०, सिंचाई व शक्ति मन्त्रालय, भारत सरकार।]

चतुर्थ योजना तथा सिंचाई—चतुर्थ योजना में सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिए कुल १०८७ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से १४ करोड़ रुपये वर्तमान व्यय तथा १०७३ करोड़ रुपये विनियोग के लिए है। योजनाकाल में वर्तमान अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जावेगा तथा कुछ नयी सिंचाई योजनाएँ भी कार्यान्वित की जायेंगी। योजना अवधि में (१९६९-७० से १९७३-७४) अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के अप्रतिष्ठित लक्ष्य हैं।

## चतुर्थ योजना में सिंचाई के अतिरिक्त लक्ष्य

कार्यक्रम	अतिरिक्त लक्ष्य (मिलियन हेक्टर)
(क) प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई योजना (उपयोग)	४२
(ख) लघु सिंचाई योजनाएँ	
(i) नये क्षेत्र	३२
(ii) ह्रास क्षेत्र का पुनर्स्थापन (Replacement of depreciated area)	१६
(iii) पूरक सिंचाई योजनाएँ	२४

[स्रोत—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, मई १९७०]

इन प्रकार चतुर्थ योजना के अन्त तक सिंचाई योजनाओं का पर्याप्त विकास हो जायगा। प्रथम योजनाकाल के प्रारम्भ से सन् १९६६-७० तक कुल २४५ प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई परि-योजनाएँ प्रारम्भ की गयीं जिनमें से जून १९७० तक ३२५ परिोजनाएँ पूरी की जा चुकी थीं। शेष योजनाओं के पूरा हो जाने पर सिंचाई क्षमता में २२५ मिलियन एकड़ बढ़ि होगी। इन सबके होते हुए भी सन् १९६६-७० तक उपलब्ध जल साधनों के केवल  $\frac{1}{3}$  भाग का ही सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा था।

सिंचाई आयोग (Irrigation Commission)—अप्रैल १९६६ में भारत सरकार ने श्री अजीत प्रसाद जैन की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया। आयोग का कार्य देश में सन् १९०३ से लेकर वर्तमान समय तक सिंचाई विस्तार की समीक्षा करना तथा भविष्य के लिए सिंचाई के सम्बन्ध में सुझाव देना था। आयोग सिंचाई से सम्बन्धित सभी गमस्याओं—विकास, उपयोग, धन की आवश्यकता, प्रबन्ध-व्यय आदि के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक अध्ययन कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

इस पूर्व दी गयी तालिका से स्पष्ट है कि योजनाकाल में निमित सिंचाई शक्ति का केवल ८७ प्रतिशत अंश ही प्रयोग किया जा सका है। इसके समुचित प्रयोग के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं

सिंचाई साधनों के समुचित प्रयोग के लिए सुझाव

(१) पानी की प्रति उपलब्ध होने से पूर्व नहरों तथा नालों की सुधारी सम्पूर्ण हो जानी चाहिए ताकि किसानों को समय पर दृष्टेय मात्रा में पानी मिल सके।

(२) नहरों आदि निमित करने के साथ साथ भूमि सुधार, अच्छे बीज, खाद आदि से सम्बन्धित विकास कार्य किये जाने चाहिए।

(३) प्रारम्भिक दो-तीन वर्षों में सुधार शुल्क या जल शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

भविष्य का कार्यक्रम—चतुर्थ योजनाकाल में सरकार को चाहिए कि वह शीघ्र कार्यान्वित होने वाली सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करे ताकि अल्पकाल में भी कृषि पदार्थों की उत्पात्ति बढ़ाने में सहायता मिल सके। दीर्घकाल के लिए बड़ी योजनाओं द्वारा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

## सिंचाई के दोष एवं उपचार

यह सत्य है कि भारत के अनेक भागों में सिंचाई के लिए जल का अभाव है किन्तु अनेक भागों में असाधिवर्ष की समस्या है। जलाशयों के कारण उन प्रदेशों की भूमि में दलदल हो जाती है तथा नमी निरन्तर बनी रहती है जिससे भूमि पर बीज मड़कर नष्ट हो जाते हैं और फसलें नहीं उग सकती।

सिंचाई का दूसरा दोष यह है कि भूमि पर क्रमशः क्षार आना आरम्भ हो जाता है। यह श्वेत पदार्थ कालान्तर में बाला पड़ जाता है और भूमि की उर्वराशक्ति को सर्वथा नष्ट कर देता है। पत्रात्र में जलाधिक्य तथा क्षार की समस्या बहुत गम्भीर हो गयी है। इसके लिए निम्न उपचार सुझाये जा सकते हैं :

(१) बाढ़ का जल बाँध अथवा जलाशय में मोड़ देना चाहिए अर्थात् उसे भूमि पर नहीं फँसने देना चाहिए।

(२) अनिश्चित जल को नालियों द्वारा निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में सफलता प्राप्त करने का उपाय है कि अधिक नीचे भागों को मिट्टी सपाट देना चाहिए ताकि उन पर पानी ठहरने की आशंका न हो।

(३) अल्पधिक सिंचाई को रोकना चाहिए। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अनिश्चित (Surplus) जल को लम्बी नहरों के माध्यम से जलाभाव वाले स्थानों तक भेजने की चेष्टा करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में पत्रात्र की जलाधिक्य की समस्या सम्पूर्ण अनिश्चित जल राजस्थान में भेजकर हल की जा सकती है क्योंकि राजस्थान की भूमि में जन शोषण की असीम शक्ति है।

भूमि—सिंचाई का तीसरा महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि यह बहुत अधिक भूमि खेती विहीन कर देती है। जहाँ किसी क्षेत्र में नहरें बनायी जाती हैं अथवा उन नहरों से खेती में पानी देने के लिए नालियाँ बनायी जाती हैं तो खेती योग्य बहुत सी भूमि इन नहरों अथवा नालियों के अन्तर्गत आ जाती है। यही समस्या बुआ तथा तालाबों द्वारा सिंचाई करने पर उत्पन्न होती है। वस्तुतः यह एक प्राकृतिक समस्या है। दूसरा एकमात्र किन्तु सीमित हल यही है कि यड़ी-पड़ी नहरें बनायी जायें और उनकी महायज्ञ नालियाँ भी आयोजित क्षेत्रों से निकाली जायें ताकि मार्ग में जितने खेत आते जायें, उन महायज्ञ नालियों से उन्हें पानी मिलता जाय। इस प्रकार की सहायक नालियों से खेतों को नियमित जल देने की व्यवस्था होनी चाहिए और हर किसान को अपने खेत के लिए अनगम्य भूमि निकालने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यह एक विकट समस्या है और उसके कारण बहुत में विवाद एवं मयपं होते हैं। अब इस समस्या का उचित हल निकालने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

अव्यवस्था—भारत में सिंचाई की जितनी सुविधाएँ उपलब्ध हैं वह सुव्यवस्थित नहीं हैं अर्थात् नहरों, नालों अथवा जलमार्गों को बाँधों से यथासमय जल नहीं मिलता। अनेक बार वह समय से पूर्व अथवा पश्चात् मिलता है जिससे समय का सर्वोत्तम लाभ नहीं उठाया जा सकता। यह एक दुर्लभ मत्प है और इसके लिए सरकार की शिथिल प्रवृत्ति व्यवस्था उत्तरदायी है। इसका उचित समाधान यह है कि सिंचाई योजना को सर्वथा व्यावसायिक दृष्टिकोण से चलाया जाय। इसके लिए इनका प्रबन्ध अथवा संचालन भार स्वतन्त्र निगमों पर छोड़ देना चाहिए ताकि वह समय-समय पर श्रुपकों की कठिनाइयों अथवा सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सिंचाई नीति में परिवर्तन कर सकें।

इस सम्बन्ध में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात सिंचाई दरों तथा सुधार कर की है। वर्तमान में इन दोनों की वगुनी बहुत कम हो रही है जिससे सिंचाई परियोजनाओं पर हानि हो रही है। यदि इनका प्रबन्ध किसी निगम (अथवा पृथक्-पृथक् निगमों) को दे दिया जाय तो यह समस्या हल हो जायगी क्योंकि निगम किसी भी पक्षपात की दृष्टि से कार्य करने के स्थान पर व्यावसायिक आधार पर कार्य करेगा। जब उसकी सेवाएँ अच्छी होंगी तो जनता कर देने का विरोध नहीं करेगी।

सिंचाई सम्बन्धी शुल्क अथवा करों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा पत्रात्रियों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी उचित दरें निर्धारित करनी चाहिए। इन दरों में समयानुसार परिवर्तन की गुंजाइश भी रखनी चाहिए और प्रत्यक्ष परिवर्तन के पहले किसानों अथवा सम्बन्धित जनता को पूर्व-सूचना

दकर उह उसके अचित्य का विश्वास दिलान की चेष्टा करनी चाहिए। एक विवेचित सामाजिक एव आर्थिक व्यवस्था मे यह बहुत आवश्यक है।

### नदी-घाटी योजनाएँ

भारत मे सिंचाई तथा विद्युत शक्ति का विकास करने के लिए बहुमुखी योजनाएँ आरम्भ की गयी हैं। इन योजनाओं को बहुमुखी इसलिए कहा जाता है कि यह देश के विभिन्न क्षेत्रों मे विकास के लिए लाभदायक होती हैं। बहुमुखी योजनाओं से सामान्यतः निम्नलिखित लाभ होने की आशा की जाती है

(१) सिंचाई—बहुमुखी योजनाओं के अन्तर्गत नदियों का बहाव रोककर उनसे अतिरिक्त जल को बड़े-बड़े जलाशयों मे एकत्रित किया जाता है। इस जल को छेत्तो तक पहुँचाने के लिए छोटी-बड़ी नहरें बना दी जाती हैं जिनके माध्यम से भूमि को सिंचाई की आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। इन योजनाओं द्वारा अन्ततः लगभग १० करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध करन का अनुमान है।

(२) सस्ती बिजली—प्रायः सभी बहुमुखी योजनाओं का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यथेष्ट मात्रा मे जल-विद्युत का विकास करना है। यह अनुमान लगाया गया है कि जल विद्युत ३ पैसे प्रति इकाई के हिसाब (प्रति किलोवाट घण्टे) में सरस्यतापूर्वक दी जा सकती है। इसी सस्ती बिजली से ही भारत के ५६ लाख ग्रामों को यथेष्ट प्रकाश तथा संपुर्ण उद्योगों के विकास के लिए यथेष्ट शक्ति मिलना सम्भव है।

(३) बाढ़ निवृत्तन—देश में कई नदियाँ (कोसी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना आदि) ऐसी हैं जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती है जिससे फसलों तथा अपार धनजन की हानि होती है। बहुमुखी योजनाओं के अन्तर्गत बनन वाले जलाशयों में सम्पूर्ण अनिश्चित जनराशि समाप्त होगी और उमका सुपयोग हो सकेगा।

(४) क्षरण से रोक—बहुमुखी योजनाओं के विकास के कारण तीव्रगामी नदियों की गति कम हो जायगी, जिससे भूमि का क्षरण रक सकेगा।

(५) यातायात—इन योजनाओं के अन्तर्गत अनेक बहुत बड़ी-बड़ी नहरें बनायी जा रही हैं जिनमें छोटी-बड़ी नहरें तथा जहाज भी चल सकेंगे। इनके माध्यम से न केवल बहुत-सा भारी सामान सस्ते शुल्क पर भेजा जा सकेगा बल्कि रेलों तथा अन्य यातायात के माध्यमों को बहुत सहारा मिल जायेगा।

(६) मत्स्यपालन—अनेक बड़े बड़े जलाशय बनने से उसमें मत्स्यपालन योजनाओं का विकास एव विस्तार किया जा सकेगा। वस्तुतः यह जलाशय मत्स्यपालन के सम्बन्ध में नये-नये प्रयोग करने में सहायक हो सकेंगे।

(७) मलरिक्ता निवृत्तन—भूमि पर बाढ़ निवृत्तन करने के कारण नदियों अथवा वर्षा का जल भूमि पर अधिक गहरी पँच सकेगा जिससे मलरिक्ता का प्रयोग कम हो जायेगा।

(८) विकास की गति—जिन क्षेत्रों में जनशक्ति निहित किया जा रहे हैं उनमें कृषि तथा उद्योगों के विकास की गति में तीव्रता आयेगी क्योंकि उन क्षेत्रों में जल तथा जल विद्युत का बाहुल्य होगा। फलतः वहाँ काम धन्दे तथा व्यवसाय में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

(९) पर्यटन केन्द्र—बहुमुखी योजनाओं के क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षण में वृद्धि होगी जिससे इन क्षेत्रों में अनेक पर्यटक एवं यात्री प्रमत्तार्थ आने लगेगे और इन स्थानों के विकास में योग मिल सकेगा।

(१०) जलवायु—बहुमुखी योजनाओं के क्षेत्रों में जल की बहुलता होने के कारण उन क्षेत्रों

की जनवायु सामान्य अर्थात् गरमी में कम गरम तथा सरदी में कम शीतल हो गयी है। अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के परिवर्तन आने की सम्भावना है।

### प्रमुख नदी-घाटी योजनाएँ

भारत की प्रमुख नदी घाटी योजनाओं का विवरण नीचे दिया जा रहा है

(१) भाखरा-नागल योजना—यह भारत की बड़मुखी योजनाओं में सबसे बड़ी है और इस पर लगभग १७५ करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। इसमें सनलज नदी पर भाखरा नामक स्थान के पास २२६ मीटर (७४० फुट) ऊँचा बाँध बनाया गया है। इसके अनिर्दिष्ट २६ मीटर ऊँचा नागल बाँध और ६४ किलोमीटर लम्बी नागल नहर निर्मित की गयी है।

भाखरा के बायें किनारे एक शक्ति-गृह तथा गगुवाल और कोटला में दो अन्य शक्ति-गृह (Power houses) निर्मित किये गये हैं। इनके अनिर्दिष्ट १,१०४ किलोमीटर लम्बी मुख्य तथा ३,३६० किलोमीटर लम्बी सहायक नहरें बनायी गयी हैं। यह सब कार्य सम्पूर्ण हो चुका है।

भाखरा नहर प्रणाली के क्षेत्र में लगभग २७४ लाख हेक्टर भूमि है जिसमें से २३७ लाख हेक्टर भूमि पर खेती होती है। पूर्ण प्रयोग होने पर इसमें से १४६० लाख हेक्टर पर मिचार्ड होने लगेगी तथा इसके अनिर्दिष्ट १४६० लाख हेक्टर भूमि को अनिर्दिष्ट जल उपलब्ध होगा। राजस्थान तथा पंजाब के एक महत्वपूर्ण भूभाग को भाखरा नहरों में जल मिलना आरम्भ हो गया है। इसमें अनाज की आशंकाएँ बहुत कम हो गयी हैं।

भाखरा, गगुवाल तथा कोटला विजलीघरों की विद्युत-शक्ति लगभग ६०६ लाख किलोवाट है। सनलज के बायें किनारे पर एक और शक्तिगृह बनाया जा रहा है जिसमें पाँच विद्युत उत्पादक इंजन लगेंगे, जिनमें से प्रत्येक १२० मेगावाट विजली उत्पन्न करेगा। इस पर कुल २६ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

भाखरा-नागल योजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ है कि पूर्वी पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान के रेगिस्तानी भागों को जल मिलने लगा है। जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में अनाज की भीषण छाया का सदा के लिए अन्त हो गया है। आगामी कुछ वर्षों में ही यद्यत् क्षेत्र आर्थिक सम्पन्नता से लाभान्वित हो सकेंगे, इसमें किंचितमात्र भी सन्देह नहीं है।

(२) दामोदर घाटी योजना—दामोदर नदी 'बिहार का शोक' के नाम से कुख्यात है क्योंकि इसमें प्रायः प्रति वर्ष बाढ़ आती है जिसमें अत्यधिक घन जन की हानि होती है। इस विनाश को रोकने, नदी के जल को मिचार्ड के काम में लेने तथा विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए १९४८ में दामोदर घाटी निगम (Damodar Valley Corporation) की स्थापना की गयी।

इस योजना के अन्तर्गत तिलैया, माइघन, कोनार तथा पचेतहिन नामक स्थानों पर चार जलाशय बनाये गये हैं। इन जलाशयों में कोनार को छोड़ शेष तीनों के साथ एक-एक जल विद्युत शक्तिगृह सम्बद्ध है। इन तीनों शक्ति गृहों में लगभग १०४ लाख किलोवाट विजली उत्पन्न करने की क्षमता है।

उपर्युक्त शक्तिगृहों के अनिर्दिष्ट बोकारो, दुर्गापुर तथा चन्द्रपुरा में तीन थर्मल शक्ति केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनकी कुल निर्माण क्षमता ६२५ लाख किलोवाट है। इन सबसे उत्पन्न विद्युत शक्ति को दूर तक भेजने के लिए व्यवस्था की गयी है तथा दुर्गापुर में एक जलाशय नहरों तथा विनरक नालियों के लिए निर्मित किया गया है।

इस योजना के विभिन्न अंगों की प्रगति निम्न है :

तिलैया बाँध बराबर नदी पर बनाया गया है। यह १९५३ में पूर्ण हो गया था। कोनार बाँध १९५५ में और माइघन जलाशय १९५७ में बनकर तैयार हो गये थे। माइघन बाँध भी



बराकर नदी पर निर्मित किया गया है और उसमें लगभग ११ ०४ लाख एकड़ फुट जल संग्रह किया जा सकता है। इस पर निर्मित विद्यत केंद्र की तिमाह शक्ति लगभग ६० ००० किलोवाट है।

पंचसिंचिका बांध मुख्यतः बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है और निम्नर १९५६ में बनकर तयार हो गया था। इसमें १२ १४ लाख एकड़ फुट जल संग्रह की क्षमता है। १९५६ में ही बांध के समीप एक जल विद्यत केंद्र द्वारा बिजली देने का कार्य आरम्भ हो गया जिसकी निर्माण शक्ति लगभग ४० ००० किलोवाट है।

दुर्गापुर जलाशय जो पश्चिमी बंगाल में बनाया गया है २ १७१ फुट उन्चा तथा ३८ फुट ऊंचा है। इससे १९५५ में जल प्राप्त होना आरम्भ हो गया था। किंतु इसका विकास किया जा रहा है। सम्पूर्ण होने पर इस जलाशय में लगभग ६ ७३ लाख एकड़ भूमि को जन मित्त सकेगा। बांध के पश्चिमी किनारे से निकाला गया एक नहर में लगभग ८५ मील तक नाव चल सकती और रानीगंज से कनकता तक यातायात हो सकेगा।

बाकारा थमल केंद्र का समारम्भ फरवरी १९५३ में हुआ गया था। इसकी विद्यत निर्माण शक्ति १ ५ लाख किलोवाट थी किंतु अब इसे बढ़ाकर २ २५ लाख किलोवाट कर दिया गया है। दुर्गापुर तथा चंद्रपुरा में नये बिजनीघर बनाए जा रहे हैं जिनकी निर्माण शक्ति १२५ मगावट होगा। दुर्गापुर में ७ १ ००० किलोवाट विजली उपज करने वाला शक्ति केंद्र चालू हो गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दामादर घाटी योजना का महान योजना है जिसकी सम्पूणता पर देश के दो बड़े राज्य—बिहार तथा बंगाल—स्पष्ट माना में सिंचाई तथा बिजली की सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे।

(३) तुंगभद्रा परियोजना—आंध्र प्रदेश तथा मसूर राज्य के सम्मिलित प्रयत्नों द्वारा यह तुंगभद्रा नदी पर मल्लपुरम नामक स्थान पर बनाया गया है। इसकी उन्चाई ७ ६४२ फुट तथा ऊंचाई १६२ फुट है। बांध के दायी तथा बायीं ओर क्रमशः १२२ तथा १२७ मील लम्बी नहर बनायी गयी है जिनके पूरा होने पर आंध्र और मसूर राज्यों की लगभग ८३ लाख एकड़ भूमि को जन मित्त सकेगा। तीसरी लगभग २१७ मील (निम्नस्तरीय) नहर तयार हो चुकी है और दोनो राज्यों में लगभग ४ लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अंतर्गत आ चुकी है।

जलाशय के दायीं ओर दो विद्यत उपकरण केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है। इन केंद्रों में चार उत्पत्ति इकाइयां ने बिजली देने आरम्भ कर दी है जिनमें से प्रत्येक की क्षमता ८ ००० किलोवाट है। इन दोनों बिजनीघरों में ६६ मगावट विजली उपज करने वाली दो इकाइयां आरंभ की जा रही हैं। जलाशय के बायीं ओर भी एक शक्ति गृह स्थापित किया गया है जिनमें ३ उत्पत्ति इकाइयां न कार्य आरम्भ कर लिये हैं और प्रत्येक की निर्माण शक्ति लगभग ६ ००० किलोवाट है। १९६४ में ६ ००० किलोवाट शक्ति की एक चौथी निर्माण इकाई आरम्भ की जा चुकी है।

(४) राजस्थान नहर परियोजना—इस योजना पर १९५७ में कार्य आरम्भ किया गया था। इसके अंतर्गत मत्तन नदी के पार हरीके नामक स्थान पर एक जलाशय बनाया जा रहा है। सम्पूर्ण योजना दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में राजस्थान फीडर नहर है जो २१४ किलोमीटर लंबी होगी। इसका १८० किलोमीटर उन्चा भाग पंजाब में होगा। दूसरा भाग राजस्थान नहर है जिनकी उन्चाई ४७० किलोमीटर होगी। यह पूरे राजस्थान राज्य में होगी।

राजस्थान नहर योजना के दो चरण हैं। प्रथम चरण में राजस्थान फीडर सम्पूर्ण तथा राणा नहर का १८७ किलोमीटर तक बांध सम्पन्न किया जा सकेगा। इसके १९६६ ७० में पूरा होने की आशा है। दूसरे चरण में राजस्थान नहर का शेष भाग भी सम्पूर्ण हो सकेगा तथा दूसरे भी बनकर पूरी हो जायेगी। यह कार्य १९७५ ७६ तक सम्पन्न होने की सम्भावना

है। नहर का सम्पूर्ण भाग पक्का बनाया जायेगा ताकि भूमि द्वारा जल में शोषण की सम्भावना न रहे। अब तक मूरतगढ़ पाप्वा तथा रावतसर ब्रितरक नहर पूरी हो चुकी हैं।

राजस्थान नहर को प्रारम्भ में रावी तथा व्यास नदियों में भीघा जल मिलेगा किन्तु बाद में जनागयो में जलपूर्ति की जायेगी। नहर द्वारा बीकानेर, जैमलमेर तथा गगानहर के तीनों जिलों की लगभग २६ २० लाख एकड़ भूमि को जल प्राप्त होने का अनुमान किया गया था, परन्तु नवीन योजना के अनुसार लगभग ३६ २६ लाख एकड़ भूमि को साल भर पानी देने की व्यवस्था की जा सकेगी। राजस्थान नहर न केवल देश के सधम रेनीले भू-भाग को सिंचाई के लिए जल प्रदान करेगी बल्कि इनमें लाखों व्यक्तियों तथा पशुओं को पीने के पानी की भी उपलब्धि होगी। इस योजना पर लगभग ६६ ४० करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

(५) हीराकुड परियोजना—महानदी पर बनाया जान वाला हीराकुड जलाशय की लम्बाई समार के सभी जलाशयों में अधिक जर्वात् १५,७४८ फुट है और इसमें लगभग ६३ एकड़ फुट जल संग्रह कर सकने की क्षमता है।

इस योजना को भी दो भागों में सम्पूर्ण किया जा रहा है। प्रथम भाग में नहरों तथा ब्रितरक नालियों का निर्माण सम्मिलित है जो पूरा किया जा चुका है। इसमें उड़ीसा की लगभग ३८ लाख एकड़ भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ गयी है। इस चरण का ही पूरक भाग महानदी डेल्टा सिंचाई योजना है जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में पूरी की जायेगी तथा जिस पर लगभग २६ ७४ करोड़ रुपये व्यय होगा।

योजना के दूसरे चरण में विद्युत शक्ति का विकास करना रखा गया है। इसके अन्तर्गत लगभग सवा लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न करने की व्यवस्था है और हीराकुड से राउरकेला तक एक १३२ मेगावाट शक्ति की विद्युत विस्तार लाइन डालने का प्रावधान है। इन कार्यक्रमों में से अधिकांश पूरे हो चुके हैं तथा शेष पूरे होने के काम में हैं।

(६) चम्बल योजना—चम्बल नदी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में बहती है और प्रति वर्ष बाढ़ द्वारा इन दोनों राज्यों को बहुत हानि पहुँचाती रही है। इसलिए राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने चम्बल को नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया है। योजना के अन्तर्गत गांधीनागर बाँध बनाया गया है तथा कोटा जलाशय निर्मित किया गया है। इनसे २० नवम्बर, १९६० में जल प्राप्त होना आरम्भ हो गया है। गांधीनागर बाँध में ६८ ५ लाख एकड़ फुट जल एकत्र करने की क्षमता है तथा इससे लगभग ११ लाख एकड़ (४ ८६ लाख एकड़) भूमि में सिंचाई होने लगी है। इसके अनिरीक गांधीनागर शक्ति केन्द्र में ८०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न करने का प्रावधान है जिसके लिए पाँच उत्पादक इकाइयों स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है। इनमें से तीन इकाइयों द्वारा बिजली मिलना आरम्भ हो गया है।

चम्बल योजना के प्रथम चरण की सम्पूर्णता पर द्वितीय चरण पर भी कार्य आरम्भ कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत राणाप्रताप नागर बाँध बनाया जा रहा है। इसके पूरा होने पर लगभग ३ लाख एकड़ भूमि को जल मिलने लगेगा तथा ६०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न की जा सकेगी। कोटा बाँध का निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया गया है और इसके नीचे एक बिजलीघर भी बनाया जा रहा है जिसमें लगभग एक लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न की जा सकेगी।

(७) गण्डक योजना—४ दिसम्बर, १९५६ को भारत तथा नेपाल सरकार के बीच एक अन्तरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अन्तर्गत गण्डक सिंचाई एक शक्ति परियोजना को कार्यान्वित करने की व्यवस्था है। इस योजना के मुख्य भागीदार उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य हैं किन्तु दोनों उत्पन्न सिंचाई तथा शक्ति की सुविधाएँ नेपाल को भी उपलब्ध हो सकेंगी।

गण्डक योजना के अन्तर्गत २,७६६ फुट लम्बा ढरज (barrage) बनाया जायेगा तथा

भैंसालोटन नामक स्थान पर गण्डक नदी पर रेल तथा सड़क का पुल होगा। इसके अन्तर्गत पूर्वी तथा पश्चिमी नहर प्रणालियाँ होंगी। पूर्वी प्रणाली द्वारा डोन शाखा नहर, नेपाल पूर्वी नहर, त्रिवेणी नहर तथा तिरहुत नहर को जल उपलब्ध होगा। पश्चिमी प्रणाली के अन्तर्गत पश्चिमी नेपाल नहर, मुख्य पश्चिमी नहर तथा सरन नहर बनायी जा रही है। नेपाल पश्चिमी नहर पर १५,००० किलोवाट शक्ति का एक बिजलीघर भी बनाने का प्रावधान है। यह बिजलीघर बनाने के पश्चात् नेपाल सरकार को भेट स्वरूप दे दिया जायेगा।

गण्डक योजना द्वारा भारत तथा नेपाल के कुछ भू-खण्डों को जल तथा बिजली उपलब्ध हो सकेगी जिससे कृषि, व्यवसाय तथा रोजगार की सुविधाओं में विकास होगा।

(८) कोसी योजना—कोसी नदी भी नेपाल तथा बिहार के लिए अभिशाप है क्योंकि इसमें भी प्रायः प्रति वर्ष बाढ़ आती है। इस योजना के अन्तर्गत कोसी नदी पर लगभग ३,७७० फुट लम्बा बाँध तथा एक पुल निर्मित करने की व्यवस्था की गयी है। यह दोनों पूरे हो चुके हैं तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिए भी कुछ जलाशय निर्मित किये जा चुके हैं।

कोसी योजना पर लगभग ६८ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसके सम्पूर्ण होने पर बाढ़ नियन्त्रण में सहायता तथा बिहार और नेपाल की लगभग ३१ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध होने की आशा है। पूर्वी कोसी नहर पर एक बिजलीघर भी बनाया जा रहा है जिसमें २०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न करने वाली चार निर्माण इकाइयाँ स्थापित की जायेंगी।

(९) नागार्जुन सागर योजना—यह आन्ध्र प्रदेश की योजना है जिसके अन्तर्गत नन्दीकोडा नामक ग्राम के समीप कृष्णा नदी पर एक बाँध बनाया जा रहा है। बाँध के दोनों ओर २४३ मील लम्बी नहरें बनायी जायेंगी जिससे लगभग २१ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। जलाशय तथा नहरों का निर्माण-कार्य १९६८-६९ में सम्पूर्ण हो गया है। इस योजना पर लगभग ९१ करोड़ रुपये व्यय हुए।

(१०) व्यास योजना—यह योजना भी पंजाब तथा राजस्थान राज्यों के सहयोग द्वारा पूरी की जा रही है। इसको दो भागों में बाँटा गया है—प्रथम भाग का नाम व्यास सतलज श्रृंखला है जिसके अन्तर्गत पाडोह नामक स्थान पर एक बाँध बनाया जायेगा जिससे लगभग १३ लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इससे एक बिजलीघर भी सम्बद्ध होगा जिसकी विद्युत् निर्माण क्षमता ६३६ मेगावाट होगी।

दूसरे भाग के अन्तर्गत व्यास नदी पर पोग बाँध बनाया जायेगा जिससे राजस्थान नहर को पानी मिल सकेगा। इस बाँध से पंजाब तथा राजस्थान की लगभग ५० लाख एकड़ भूमि को पानी मिलने की आशा है।

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त अनेक छोटी बड़ी योजनाओं पर कार्य चल रहा है जिसकी पूर्ति से देश की जल-सम्पदा का यथोचित प्रयोग हो सकेगा और कृषि-व्यवस्था और औद्योगिक विकास को अद्येष्ट बल मिलेगा।

### सिंचाई सुविधाओं के लिए सुझाव

भारत सरकार ने सिंचाई योजनाओं से यथोचित लाभ प्राप्त करने की दिशा में सुझाव देने के लिए मैसूर के मुख्यमंत्री श्री निर्जालगप्पा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने जनवरी १९६५ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा निम्नलिखित सुझाव दिये

(१) नयी योजनाएँ—समिति का मत है कि नयी योजनाएँ बनाने समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उनमें देश के खाद्यान्न के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी तथा मजदूर को कितनी आय हो सकेगी। नयी योजनाओं का आधार राष्ट्रीय हित होना चाहिए।

(२) लाभ की मात्रा—समिति का मत था कि प्रत्येक योजना में १५-१ के अनुपात में

लाभ होना चाहिए, जहाँ यदि १०० रुपये विनियोग किये जायें तो उमसे १५० रुपये की प्राप्ति होनी चाहिए।

समिति ने यह भी कहा है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में लाभ के इस अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है।

(३) समन्वय—समिति ने लघु, मध्यम तथा बड़ी योजनाओं में समन्वय स्थापित कर सिचाई की सुविधाएँ बढ़ाने का मत प्रकट किया है।

(४) सिचाई बजट—समिति ने दृढतापूर्वक यह विचार प्रकट किया है कि सिचाई के लिए निश्चित रकम अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित नहीं की जानी चाहिए।

(५) प्राथमिकता—समिति का मत है कि जिन योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है उन्हें पूरी शक्ति एवं साधन लगाकर पूरा कर लिया जाना चाहिए और नयी योजनाएँ उसके पश्चात् ही हाथ में लेनी चाहिए।

(६) जल-शुल्क—समिति के मतानुसार जिन भागों में जल मिचन में लाभ प्राप्ति हुई है वहाँ जनता पर लाभ-प्राप्ति का २५ से ४० प्रतिशत भाग जल-शुल्क (Water rates) के रूप में वसूल किया जाना चाहिए। जल-शुल्क की दरों पर हर पाँचवें वर्ष पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

(७) सुधार शुल्क और नयी योजना—जिन क्षेत्रों के व्यक्ति सुधार शुल्क (Betterment levy) देने को तैयार हो उनमें नयी सिचाई योजनाएँ चालू करने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जिन क्षेत्रों में सिचाई सुविधाओं की माँग अत्यधिक है तथा सहकारी मन्दिनों अथवा चीनी फैक्टरियाँ सुधार शुल्क अग्रिम देने को तैयार हो वहाँ सिचाई सुविधाओं का विकास करने में तत्परता से काम लेना चाहिए।

निष्कर्ष—निर्जलितगणा समिति की सिफारिशों से यह निष्कर्ष निकलता है कि देश में सिचाई सुविधाओं का सन्तुलित विकास किया जाना चाहिए तथा प्राथमिकता देते समय राष्ट्रीय हितों के अनिर्दिष्ट आय का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

### प्रश्न

- भारत में सिचाई के कौनसे माधन प्रचलित हैं ? प्रत्येक के गुण-दोषों का वर्णन कीजिए।  
(आगरा, बी० कॉम०, १९५५)
- भारत में बहु-उद्देशीय नदी-घाटी योजनाओं का वर्णन कीजिए। उनका भारतीय कृषि तथा उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?  
(आगरा, बी० ए०, १९५३, १९५५)
- बहु-उद्देशीय नदी-घाटी योजनाओं का भारत के आर्थिक, विकास विशेषकर बाढ़ नियंत्रण में, क्या महत्त्व है ? इस सम्बन्ध में भारत की अब तक की योजना तथा प्रगति का वर्णन कीजिए।  
(राजस्थान, बी० ए०, १९५५)
- 'यदि मानसून न आये तो कृषि उद्योग में ताला पड़ जाता है।' इस तथ्य का विवेचन कर कृषि में सिचाई का महत्त्व समझाइए।  
(आगरा, बी० कॉम०, १९६१)
- भारतीय आर्थिक जीवन में सिचाई का क्या महत्त्व है ?  
(पटना, बी० ए०, १९५७)
- सिचाई, नौका परिवहन, जल-विद्युत विकास, बाढ़, मलेरिया तथा भूमि-कटाव से सुरक्षा के सम्बन्ध में बहु-उद्देशीय बाधाओं के महत्त्व का विवेचन कीजिए। किसी ऐसी योजना की, जिसका आपने अध्ययन किया हो, सामान्य विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए।  
(आगरा, बी० कॉम०, १९६२)

- ७ भारत की मुख्य नदी-घाटी योजनाओं का वर्णन कीजिए तथा उनका भारतीय कृषि तथा उद्योग में महत्त्व बतलाइए। (राजस्थान, बी० ए०, १९६२)
- ८ इस विचार की व्याख्या और जाँच कर कि 'जल स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है।' भारत की मुख्य सिंचाई तथा जल-विद्युत योजनाओं की प्रगति का वर्णन कीजिए। (आगरा, बी० कॉम०, १९६३)
- ९ कृषि में विकास में सिंचाई के महत्त्व पर प्रकाश डालिए तथा गत वर्षों में भारत में कृषि विकास की सुविधाओं के विस्तार का ब्यौरा दीजिए। (राजस्थान, बी० ए०, १९६३, सागर, बी० ए०, १९६३)
- १० भारत में सिंचाई के विभिन्न साधनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए और उनमें से प्रत्येक के पक्ष और विपक्ष में तर्कयुक्त विवेचना कीजिए। (राजस्थान, बी० कॉम०, १९६३)
- ११ कृषि की सिंचाई के लिए हमारे नियोजन के अन्तर्गत किये गये उपायों का परीक्षण कीजिए। (नागपुर, बी०, कॉम०, १९६४)

*"Agricultural credit in India falls short of the right quantity, is not of the right type, does not serve the right purpose and by the criterion of need (not overlooking the criterion of credit worthiness), often fails to go to the right people*

—Rural Credit Survey Committee

### कृषि माप की आवश्यकता

कुछ व्यक्तियों का यह विचार है कि ऋण उतना कोई अच्छा कार्य नहीं है और ऋण अग्रिक-तर अन्वय अथवा दुग्पयोग के लिए उपयुक्त किय जाते हैं परन्तु यह विचार मत्स्य प्रतीत नहीं होना क्योंकि ऋण प्राप्त करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। निवल्मन व जब्दो म, रोम से एक टर्लेण्ड तन का कृषि इतिहास इस बात का माश्री है कि कृषि के लिए ऋण लेना आवश्यक है। देश की परिस्थितियाँ भूमि-प्रधिकार अथवा कृषि की अवस्था इस महान तथ्य को तनिक भी प्रभावित नहीं करती कि कृषक के लिए ऋण लेना आवश्यक है।"

विमान को अनेक कारणों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। कभी कभी उमे भूमि, इन मा बेंन गरीदन अथवा मिचार्ड मुक्तिप्राप्ता की व्यवस्था करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है तो कभी सामाजिक कारणों अथवा जीवन निवाह के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। यह सभी प्रकार के ऋण सामाजिक महत्त्व भी रखते हैं अर्थात् कुछ ऋण अन्वयकारी अथवा मध्यकारीन एवं कुछ दीर्घकालीन हो सकते हैं।

(i) अल्पकालीन साध—प्राथमिक माप सर्वेक्षण समिति का मत है कि १५ मास तक की अवधि के लिए प्राप्त किय गये ऋण अल्पकालीन होते हैं। इस प्रकार की माप की आवश्यकता खाद अथवा बीज पुरोदन, पम्प बोन में तकर काटन तक के समय का खर्च चलान तथा विमान और उमके पशुओं की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वास्तु होती है।

(ii) मध्यकालीन साध—अल्पकालीन ऋणों के अतिरिक्त कुछ ऋण ऐम हान हैं जो १५ मास में लेकर ५ वर्ष तक के लिए प्राप्त किय जाते हैं। इस प्रकार के ऋणों की आवश्यकता कृषि मुधार के वास्ते उपकरण खरीदन, मिचार्ड की व्यवस्था करने, भूमि को समतल करने अथवा बाह लगाने तथा पशु पुरोदने के वास्ते होती है। इन कारणों के लिए प्राप्त कुछ अग्रिक राशि की आवश्यकता पड़ती है तथा उनका भुगतान करने में भी कुछ अग्रिक समय लगता है। स्वभावतः इन ऋणों पर व्याज की दर भी कुछ अग्रिक होती है।

(iii) दीर्घकालीन साख—पांच वर्षों में लम्बी अवधि के लिए जो मात्र ली जाती है वह दीर्घकालीन कहानी है। इस प्रकार की साख म्यामी पूँजी के लिए आवश्यक होती है, जिसे भूमि खरीदने, मूल्यवान उपकरण उपलब्ध करने, भूमि-सुधार करने तथा पुराने ऋणों का मुगतान करने के लिए प्राप्त किया जाता है। इन सब कार्यों के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है अतः उनका मुगतान करने में भी अधिक समय लगता है। दीर्घकालीन ऋणों पर व्याज की दर प्रायः उंची होती है क्योंकि सम्बन्धित धनराशि बहुत समय के लिए रक जाती है। इस प्रकार की साख का मुगतान मुविप्राप्तनक किम्बो म करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

कृषि वित्त की व्यवस्था करने वाले लोगों को तीन दलों में विभाजित किया जा सकता है—  
(१) निजी, (२) नितीय सम्प्राप्त एवं (३) सरकारी। निती सम्प्राप्तों में मुख्य साहूकार तथा दलों बैंकर और वित्तीय सम्प्राप्तों में रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, सहकारी तथा व्यापारिक बैंक सम्मिलित किए जा सकते हैं। राज्य सरकारें ठकावी के माध्यम से कृषि वित्त की व्यवस्था करती हैं। कृषि-वित्त में इन सबके योगदान पर इन अंशों में विचार किया गया है।

भारतीय ग्राम्य सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों (Recommendations of the Rural Credit Survey Committee)—सन् १९४१ में रिजर्व बैंक ने ग्रामीण साख की समस्याओं की जाँच के लिए ए० डी० गोखला की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। दिनकर मदन्य प्रो० डी० आर० गार्डिनर, बी० बेंकटर्पदा तथा डॉ० एन० एन० आर० शास्त्री थे। शास्त्री ने तीन वर्षों तक देश के ७५ जिलों के ६०० नमूने क प्रामा का गहन अध्ययन कर १९५४ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

साहूकार का प्रभुत्व—समिति ने अनेकों रिपोर्टों में यह मत प्रकट किया कि देश की साख व्यवस्था में साहूकार का अग्रिम प्रभुत्व है। इस मत को पुष्टि में निम्नलिखित अंक दिए गए

ग्राम्य साख एजेंटियाँ

एजेंटों	कुल साख का प्रतिशत	एजेंटों	कुल साख का प्रतिशत
१ मन्कार	२३	६ कृषि साहूकार	२८६
२ सहकारी सम्प्राप्तें	३१	७ व्यावसायिक साहूकार	४४८
३ व्यापारिक बैंक	०६	८ व्यापारी और कमीशन	
४ मिष्ठानदार	१४०	एजेंट	५५
५ जमादारों	१५	९ अन्य	१८
			योग १०००

समिति ने ग्राम्य अर्थव्यवस्था को अत्यन्त निर्वन घोषित करत हुए यह स्पष्ट कहा कि इसकी आवश्यकता दूर करने के लिए कृषि साख में राज्य का अग्रिम अर्थ-सहयोग आवश्यक है। समिति ने कहा कि सरकार का कार्य अब तक मुख्यतः व्यवस्थात्मक रहा है और अपने वित्तीय सहयोग प्रदान किया है। देश की समस्या केवल ग्राम्य दृष्टिकोण वाली साख में हल नहीं हो सकती बल्कि उसके लिए कृषि का विकास और क्रय-विक्रय (marketing) तथा विपणन (processing) का समर्थन करना आवश्यक है।

संयोजित साख योजना (Integrated Scheme of Rural Credit)—ग्राम्य साख सर्वेक्षण समिति ने ग्राम्य साख के लिए एक संयोजित योजना प्रस्तुत की, जो तीन निष्ठाओं पर आधारित है—(१) विभिन्न स्तरों पर राजकीय सान्देशीय, (२) साख तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं (विपणन-क्रय-विक्रय तथा विधान) का समन्वय, तथा (३) पूर्णतः, प्रगतिशील एवं कुशल व्यक्तियों द्वारा प्रवर्धन। संयोजित साख के इन तीन पहलुओं का अर्थ दक्षतर स्पष्टीकरण किया गया है।

(१) राजनीय साझेदारी जिनमें वित्तीय सहयोग भी सम्मिलित है, निम्नलिखित दशाओं में दी जानी चाहिए :

(क) ग्रामीण उत्पादक को उत्पादन वृद्धि के लिए पर्याप्त साख,

(ख) सहकारी आधार पर क्रय विक्रय तथा विघायन (processing) जोर मान सग्रह करने के लिए पर्याप्त साख,

(ग) किसान के लिए आवश्यक सभी अधिक शिवाओं जैसे खेती, मिर्चाई, बीज तथा खाद व्यवस्था, यानाधान, मत्स्यपालन, दुग्धपूर्ति, पशुपालन तथा कुटीर उद्योगों के सहकारी ढंग पर संगठन पर सहयोग ।

इन सब शिवाओं के लिए एक शक्तिशाली व्यापारिक बैंक (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) स्थापित किया जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत दश के ग्रामीण क्षेत्र में फैलायी जाये तथा जो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को यथावश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान कर सके।

(२) कार्यकर्ता—उपर्युक्त कार्यों की सफलता के लिए ग्राम्य अर्थशास्त्र में परिचित एवं ग्रामीण हितों के विकास के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धि की जानी चाहिए, जिन्हें यथोचित प्रशिक्षण या जानकारी द्वारा ग्रामीण विकास समस्याओं के कुशल संचालन का भार सौंपा जा सके ।

(३) सरकारी हस्तक्षेप नहीं—सरकारी वित्तीय साझेदारी अधिकाधिक रूप में होकर भी इस साझेदारी का अन्तिम उद्देश्य ग्रामीण सहकारी समस्याओं को इतना सबल और मजबूत बनाना होना चाहिए कि वह न केवल अपने पांवों पर खड़ी होने लायक बन सके बल्कि शोषक साहूकारों से समान स्तर पर स्पर्धा कर सके ।

(४) ग्रामीण बचनों को प्रोत्साहन—ग्रामों में (पंचवर्षीय योजनाओं अथवा विकास कार्यों द्वारा जनित) जो आय-वृद्धि हो उसे बचत के रूप में प्राप्त किया जाय और उसे सामूहिक रूप में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए ही काम में ले लिया जाय ।

समिति ने इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक, सरकार तथा बैंकों द्वारा ग्राम्य विकास के लिए आर्थिक योगदान की सिफारिश की तथा सहकारिता, गोदाम व्यवस्था, विक्रय व्यवस्था एवं साख व्यवस्था का विकास करने के लिए नवीन निगम अथवा संस्थाएँ स्थापित करने का सुझाव दिया । इन सिफारिशों के आधार पर ही ग्रामीण साख सुविधाओं का विकास किया गया है जिसका विवरण इस अध्याय में यथास्थान दिया गया है ।

ग्रामीण साख की आवश्यकता का अनुमान

ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने भारत में ग्रामीण साख की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान ७५० करोड़ रुपये लगाया था । १९६० में यह अनुमान १,४०० करोड़ रुपये वार्षिक था ।

सन् १९६६ में ग्रामीण साख समीक्षा समिति (Rural Credit Review Committee) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि १९७३-७४ में भारत की ग्रामीण साख की कुल आवश्यकता लगभग ४,००० करोड़ रुपये हो जायगी जिसका व्योम निम्नलिखित है :

}	अल्पकालीन	२,००० करोड़ रुपये
	मध्यमकालीन	५०० " "
	दीर्घकालीन	१,५०० " "

समिति ने इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न समस्याओं को शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है ।

ग्रामीण साख के स्रोत

ग्रामीण साख की पूर्ति करने वाली एजेंसियों का व्योम आगे दिया जा रहा है ।



## साहूकार तथा देशी बैंकर

डॉ० जैन (L. C. Jain) के अनुसार, साहूकार अथवा महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण देता रहता है और देशी बैंकर वह व्यक्ति है जो ग्राहकों को ऋण देने के अनिश्चित निक्षेप स्वीकार करने तथा हण्डियों के लेन देन का काम भी करता है।

(1) वर्गीकरण—ऋण देने वाग वर्गों में जमींदार कृषक तथा व्यापारी प्रमुख हैं। यह लोग प्रायः जिन व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं अथवा जिनमें लग देन करते हैं उनको उधार देते रहते हैं। जमींदार और मय्यन् कृषक प्रायः छोटे किसानों को उधार देते हैं। व्यापारी प्रायः अपने ग्राहकों को माल उधार बेचने हैं और माल की राशि पर एक निश्चित अवधि के पश्चात् व्याज लेना आरम्भ कर देते हैं। गाँव से आये हुए किसान अथवा अन्य लोगों को प्रायः माल उधार बेचा जाता है और विक्रय के दिन से ही व्याज चालू कर दिया जाता है। इस वर्ग के लोगों के निश्चित विक्रय स्थल अथवा कार्यालय होते हैं और इनकी व्याज की दरें उचित होती हैं।

अन्य वर्गों में पठान, बकील, अध्यापक, पेंशन प्राप्त करने वाले लोग विधवाएँ तथा रिक्शा चालक तक सम्मिलित हैं। यह लोग अपनी अनिश्चित आय उधार देते रहते हैं तथा प्रायः अत्यधिक व्याज लेते हैं।

(ii) ऋण पद्धतियाँ—महाजन तथा देशी बैंकर प्रायः ऋण देने की समान पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। अन्तर केवल इतना है कि बैंकर प्रायः बड़े व्यापारियों को ऋण देते हैं जबकि महाजन के ग्राहक सामान्य किसान मजदूर अथवा मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। इनकी ऋण देने की निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित हैं

(क) छात्री विस्त अथवा रहती (Instalment)—यह सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को ऋण देने की सवमिद्ध पद्धति है। इसके अन्तगत उधार देने वाले को एक निश्चित राशि उधार दी जाती है और उस राशि का भुगतान किसी में करने की व्यवस्था होती है। व्याज की रकम भी किस्त में जुड़ी हुई होती है। किस्तें मासिक, साप्ताहिक अथवा दैनिक हो सकती हैं। यदि अथवा किस्त ऋण में प्रायः एक शत यह जोड़ी जाती है कि यदि किस्त का भुगतान समय पर नहीं होगा तो कुछ राशि दण्डस्वरूप प्राप्त की जायेगी।

(ख) गिरवी रखना—इस पद्धति के अन्तगत आभूषण वस्त्र अथवा दैनिक उपभोग की अन्य वस्तुओं को गिरवी रखकर ऋण दिया जाता है। सामान्य व्यवहार के अनुसार गिरवी रखी गयी वस्तु के ५० से ७५ प्रतिशत तक मूल्य की रकम उधार दी जाती है। बहुधा गिरवी रखी हुई वस्तुएँ ऋणियों द्वारा निश्चित समय में जुटायी नहीं जाती हैं जिससे फलस्वरूप वह साहूकार की सम्पत्ति बन जाती हैं।

(ग) बंधक—अनेक बार भूमि मकान तथा दुकान बंधक रखकर ऋण दिये जाते हैं। कभी कभी तो ऋणदाता का बंधक रखी सम्पत्ति का कब्जा नहीं दिया जाना केवल उसका अधिधार पत्र दिया जाता है और ऋणी उस सम्पत्ति का बेच नहीं सकता। कभी कभी ऋणदाता को सम्पत्ति का कब्जा दे दिया जाता है अर्थात् वह उस सम्पत्ति का प्रयोग कर सकता है अथवा उसका किराया वसूल कर सकता है। किराये की यह रकम ऋणी के खाते में जमा कर दी जाती है। ऋण देते समय प्रायः एक बंधकनामा लिख दिया जाता है जिसमें सम्पत्ति ऋण व्याज तथा भुगतान की सब बातें लिखी जाती हैं।

(घ) बाड़ी—साहूकार कभी कभी अन्न अथवा अन्य वस्तुओं में ऋण देता है और फसल के समय पर वस्तुओं में ही भुगतान प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में प्रायः ऋण दिए हुए माल का सबाया डबोडा अथवा दूना तक चुकान की शर्त रखी जाती है। यह शर्त सबायी बाड़ी डबोड़ी बाड़ी, आदि कहानी है।

**धरोहर**—भारत के किसान अथवा कारीगर के पास धरोहर में रखने के लिए विशेष मूल्यवान सम्पत्ति नहीं होती। भूमि, कृषि-उपकरण, पशुधन अथवा सामान्य आभूषण आदि धरोहर के रूप में रखे जा सकते हैं। प्रचलित प्रथा के अनुसार ऋण प्रायः व्यक्तिगत जमानत पर दिये जाते हैं और प्रतिज्ञा-पत्र लिखवा लिया जाता है। कभी-कभी ऋणी के स्वयं के हस्ताक्षरों के अनिश्चित एक या दो जमानतदारों के हस्ताक्षर भी करवा लिए जाते हैं। देश के कुछ भागों (बम्बई, राजस्थान आदि) में ऋणी के परिवार का एक व्यक्ति साहूकार के परिवार में तब तक बंधा रहता है जब तक कि सम्पूर्ण ऋण ब्याज सहित नहीं चुक जाता। आदिवासी तथा भीलों के क्षेत्र में यह प्रथा प्रचलित है जो दाग प्रथा से किसी भी दशा में कम नहीं है। वही-वही भूमि, पशु आदि बन्धक रखकर ऋण देने की प्रथा प्रचलित हो गयी है।

(iii) साहूकारों के दोष—साहूकारों की कार्य-प्रवृत्ति अत्यन्त लोचदार होती है और वह समय, परिस्थिति तथा व्यक्ति के अनुसार उनमें परिवर्तन करता रहता है। उसकी कार्यवाहियों की सर्वत्र आलोचना की गयी है। साहूकार की आलोचना के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

(१) प्रतिज्ञा पत्र की रकम—वह प्रायः जितने रुपये उधार देता है, उससे अधिक का प्रतिज्ञा-पत्र लेता है। बहुत-बहुत रकम का स्थान खाली छोड़ दिया जाता है और इस बाद में साहूकार द्वारा इच्छानुसार भर लिया जाता है।

(२) अन्य शुल्क—बहुत-से स्थानों पर ऋण देते समय ऋण की रकम में से गिरह गुलारी, धर्मादा आदि के लिए कुछ रकम काट ली जाती है। यह बटौती ५ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक हो जाती है।

(३) अग्रिम ब्याज—अनेक बार साहूकार ब्याज की रकम अग्रिम मांगते हैं। प्रायः यह रकम मूल में से काट ली जाती है।

(४) हिताब में गड़बड़—साहूकार के विरुद्ध हिताब-किताब में गड़बड़ करने के आरोप भी लगाये जाते हैं। वह न तो प्राप्त रकम के लिए रमीद देता है और न ही ऋणी को यथासमय हिताब भेजता है। अनेक बार उसने विरुद्ध रकम जमा न करने की शिकायत भी की जाती है।

(५) फसल खरीदने की शर्त—बहुत से साहूकार रुपये उधार देने समय किसान की फसल खरीदने का समझौता कर लेते हैं। प्रायः ऋण के प्रतिज्ञा-पत्र में ही साहूकार को फसल बेचने की शर्त निग दी जाती है और फसल का विक्रय-मूल्य भी निश्चित कर दिया जाता है। वस्तुतः इस शर्त का उद्देश्य मूल तथा ब्याज की रकम की वसूली निश्चित करना होता है।

(६) अधिक ब्याज—साहूकार के विरुद्ध एक आरोप यह लगाया जाता है कि वह ब्याज बहुत अधिक लेता है। सामान्य ऋणों पर ब्याज की दरें १२ से लेकर २४ प्रतिशत तक होती हैं जबकि किस्त में भुगतान वाले ऋणों पर ब्याज की दर ४० प्रतिशत तक पायी जाती है। वस्तुतः जितनी कम रकम उधार दी जाती है उतनी पर ब्याज की दर क्रमशः अधिक होती है। रिक्शा-चालकी अथवा ठेला चलाने वालों को प्रायः १०० प्रतिशत से अधिक ब्याज देना पड़ता है।

अन्न तथा वस्तुओं के ऋणों पर भी बहुत ऊँचा ब्याज देना पड़ता है क्योंकि सवायी और हथोड़ी की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार लगभग २५ से ५० प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है।

(७) बेगार—कुछ क्षेत्रों में ऋणी ग्रामवासियों को साहूकार के घर बेगार भी करनी पड़ती है। न केवल ऋणी की बल्कि डी, ऊँट अथवा अन्य वाहनों का प्रयोग निःशुल्क लिया जाता है बल्कि विशेष अवसरों पर ऋणी के घर की स्त्रियों तथा बच्चों को साहूकार के घर काम भी धरना पड़ता है।

देगी बेकर जो मुख्यतः कृषि, व्यापार तथा उद्योग के लिए ऋण की व्यवस्था करते हैं, उचित ब्याज की दर (६ से १२ प्रतिशत) लेते हैं, साफ हिताब रखते हैं और उत्पादन ऋण देने हैं।

(iv) साहूकार की उपयोगिता—कृषि साख के क्षेत्र में साहूकार का योग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है क्योंकि ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट के अनुसार कुल कृषि साख के लगभग ७० प्रतिशत की पूर्ति साहूकार द्वारा की जाती है। वस्तुतः महाजन की सरल कार्य पद्धति, ऋणियों से व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा उसके धर्म एव शान्त धृति का स्थान सहकारी अथवा अन्य किन्हीं संस्थाओं द्वारा लिया जा सकना असम्भव है। गत दशाब्द में निरन्तर प्रयत्न करने पर देश के अनेक भागों में सहकारी साख का भाग ग्रामीणों की कुल आवश्यकता का लगभग ४०-५० प्रतिशत हो गया।

(v) साहूकारों की कार्यवाही का निष्पन्न—साहूकारों की अनियमित एवं अवाञ्छित कार्यवाहियों पर नियन्त्रण लगाने के लिए समय समय पर अनेक नियम, अधिनियम लागू किये जाते रहे हैं। सर्वप्रथम सन् १८७६ में दक्षिण कृषक सहायक अधिनियम (Deccan Agriculturists Relief Act) पारित किया गया, जिसके अन्तर्गत ऋण के भुगतानस्वरूप कृषक की भूमि पर अधिकार करने तथा अग्रिक न्याज लेने पर बन्धन लगा दिये गये। सन् १९१८ में कौडीद उद्धार अधिनियम (Usurious Loan Act) पास किया गया, जिसके द्वारा अधिक न्याज लेना अवैधानिक घोषित कर दिया गया। कृषकों की अशिक्षा तथा अज्ञानता के कारण इन दोनों ही अधिनियमों से कुछ विशेष लाभ नहीं हो सका।

सन् १९३०-३४ की मन्दी के युग में कृषकों की स्थिति बहुत दयनीय हो गयी और कृषि पदार्थों के भाव बहुत गिर जाने के कारण उन्हें अत्यधिक ऋण लेने पड़े जिसके परिणामस्वरूप ऋणभार बहुत बढ़ गया। अतः उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु अधिकतर राज्यों में साहूकार अधिनियम पारित किये गये।

साहूकार अधिनियमों की विशेषताएँ (Characteristics of Moneylenders Act)—विभिन्न राज्यों के साहूकार अधिनियमों में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

(१) साहूकारों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(२) लेन-देन सम्बन्धी हिसाब-किताब व्यवस्थित रूप में रखना आवश्यक है

(३) प्राप्त राशियों के लिए रसीदे देना तथा समय समय पर ऋणियों की जमा नाम का ब्यौरा भेजने की व्यवस्था है।

(४) न्याज की अधिकतम दरें निर्दिष्ट कर दी गयी हैं तथा दामदुपत के सिद्धान्त को मान्यता दी गयी है जिसके अनुसार मूल और न्याज की कुल रकम मिलकर मूल राशि के दुगुने से अधिक नहीं हो सकती।

(५) ऋणियों को साहूकारों द्वारा तग करना दण्डनीय है।

(६) साहूकारों द्वारा किसानों की भूमि बिल तथा कृषि सम्बन्धी सामान कुर्क नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त नियम भंग करने पर दण्ड देने की व्यवस्था भी की गयी है।

यद्यपि सभी राज्यों में साहूकारों की क्रियाओं पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं परन्तु इन बन्धनों का पालन नहीं हो रहा है। अधिकतर साहूकार लाइसेंस नहीं लेते हैं और न्याज की मनमायी दरें वसूल करते हैं। इसका कारण यह है कि साहूकार अधिनियमों का संचालन राजस्व या सहकारी विभाग के कर्मचारियों के हाथ में है जिन्हें न तो यथेष्ट समय है और न इस दिशा में कार्य करने की तरफ़रत। अतः उधार देने की क्रियाएँ अनियन्त्रित एवं अबाध गति में चल रही हैं।

साहूकारों का भविष्य—साहूकारों के भविष्य के सम्बन्ध में विभिन्न विचार प्रकट किये गये हैं। कृषि वित्त उप-समिति (Agricultural Finance Sub-committee) का यह विचार था कि कृषि वित्त की ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिसके द्वारा सहकारी व्यवस्था का स्पर्धा द्वारा अन्त किया जा सके। इसका विपरीत डॉ० नारायणस्वामी का यह मत है कि साहूकारों को

सहकारी समितियों में स्थान देकर उसका विलयन कर दिया जाना चाहिए। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने साहूकार को सहकारी साख समितियों में स्थान देना उचित नहीं समझा है। वस्तुस्थिति यह है कि आगामी वर्षों में आयोजन के कारण कृषि साख की आवश्यकता में निरन्तर वृद्धि होने की सम्भावना है जिसकी पूर्ति रिजर्व बैंक अथवा सहकारी बैंक नहीं कर सकेंगे। ग्रामीण साख समीक्षा समिति के अनुसार निजी साहूकार अब भी ग्रामीण साख की लगभग ५० प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अतः बिना किसी उपयुक्त विकल्प की व्यवस्था किये इन्हें समाप्त करना उचित नहीं है।

### कृषि वित्त तथा सहकारी सस्थाएँ

सहकारी आन्दोलन का सूत्रपात इंग्लैण्ड में हुआ जब राबर्ट ओवन ने न्यू-लेनार्कशायर मिल में सहकारी उपभोक्ता भण्डार स्थापित किये। तत्पश्चात् १८८४ में रॉकडेल के आठ कारीगरों ने उपभोक्ता भण्डार योजना को अधिक लोकप्रिय बनाया। इसके कुछ समय पश्चात् ही जर्मनी में फ्रेडरिक विलियम रेफेजन और हरमन मुल्ज डेलिश न जर्मनी में सहकारी साख आन्दोलन का सूत्रपात किया। इन दोनों ने क्रमशः ग्राम्य निर्माण सहकारी साख समितियों के निर्माण पर बल दिया।

ग्रामीण तथा नागरिक समितियों में अन्तर—ग्रामीण (रेफेजन) तथा नागरिक सहकारी साख समितियों (मुल्ज) में निम्नलिखित भेद है

(१) क्षेत्र—ग्राम्य समितियों का क्षेत्र प्रायः एक या दो-तीन ग्रामों तक सीमित होता है जबकि नागरिक समितियाँ प्रायः विस्तृत क्षेत्र के लिए निर्मित की जाती हैं। स्वभावतः दोनों की मदद में मर्यादा में बहुत अन्तर होता है।

(२) अंश पूंजी—ग्राम्य समितियों के अंश प्रायः २ रुपये से लेकर ५ रुपये तक के होते हैं जबकि नागरिक समितियाँ अंश का मूल्य कुछ ऊँचा रखती हैं। इसी कारण से (बहुसंख्यक तथा उच्च अंश मूल्य) नागरिक समितियों की पूंजी अधिक होती है।

(३) दायित्व—ग्राम्य समितियों का दायित्व प्रायः असौमिन एव नागरिक समितियों का दायित्व सीमित होता है।

(४) ऋण—ग्राम्य समितियाँ केवल सदस्यों को ही ऋण देती हैं जबकि नागरिक समितियाँ प्रत्येक व्यक्ति को ऋण दे सकती हैं। इनसे अनिरिक्त ग्राम्य समितियों द्वारा केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण दिये जाते हैं जबकि नागरिक समितियाँ ऋण देने समय उद्देश्य का विशेष ध्यान नहीं रखती हैं।

(५) प्रबंध—ग्राम्य समितियों का प्रबंध प्रायः अवैतनिक होता है जबकि डेलिश समितियों के कर्मचारियों को नियमित वेतन देने की व्यवस्था होती है।

(६) लाभ वितरण—रेफेजन समितियों में प्रायः लाभ वितरण की व्यवस्था नहीं होती, जबकि नागरिक समितियों में २५ प्रतिशत लाभ कोष में रखकर शेष लाभश के रूप में विनरित कर दिया जाता है।

भारत में विकास—भारत में सहकारी आन्दोलन की नींव सर फ्रेडरिक निकलसन ने रखी, जिन्होंने सन् १८९५ में अपनी रिपोर्ट (Land and Agricultural Banks in Madras) में रेफेजन साख समितियों के निर्माण का सुझाव दिया। इसके पश्चात् उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के श्री ड्यूपर्ने (Dupernex) ने कुछ साख समितियाँ निम्न करने का प्रयत्न किया। अन्ततः सन् १९०१ में नाइं बर्जन् की सरकार ने एन एम सिमिति नियुक्त की जिसकी सिफारिशों पर सन् १९०४ में भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम पास किया। इन अधिनियम में केवल साख समितियाँ ही बनाने की व्यवस्था थी। अतः सन् १९१२ में एन एनएक नियम पास किया गया जिसके अन्तर्गत साख के अनिरिक्त अन्य प्रकार की समितियाँ बनाने की भी व्यवस्था की गयी। इनसे

अतिरिक्त प्राथमिक समितियों के साथ साथ केन्द्रीय तथा प्रांतीय सहकारी बैंकों को भी मान्यता प्रदान कर दी गयी। सन् १९१४ में मैक्लेगन समिति (MacLagan Committee on Cooperation) नियुक्त की गयी जिसने देश की सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने का मुझाव दिया। समिति का यह विचार था कि दुर्बल एवं अव्यवस्थित समितियों को समाप्त कर शक्तिशाली समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सन् १९१९ में सहकारिता विभाग प्रांतीय सरकारों के अधीन कर दिया गया और क्रमशः सभी प्रांतों में अलग-अलग सहकारी समिति अधिनियम बनाये गये।

**युद्धोत्तर काल**—सहकारी आन्दोलन १९२९ तक अबाध गति में प्रगति करता गया, परन्तु इसके बाद वस्तु मूल्यों में मंदी आने के कारण जनेक समितियों के ऋण शेषों में वृद्धि हो गयी, जिससे सार्व आन्दोलन को बहुत धक्का लगा परन्तु कुछ समय पश्चात वस्तु मूल्यों में वृद्धि आरम्भ हो गयी जिसके फलस्वरूप आन्दोलन में पुन गति आने लगी। द्वितीय युद्धकाल (सन् १९३९-४५) में वस्तु मूल्यों में वृद्धि होने के कारण कृषि माल समितियों को तथा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पर नियन्त्रण तथा राशन लागू होने के कारण उपभोक्ता मण्डलों को बल मिला। इस काल में कृषकों को अपने ऋण चुकाने का अच्छा अवसर मिला गया। युद्धकाल के पश्चात भी सहकारी आन्दोलन निरन्तर गतिशील रहा। सन् १९४६ में सहकारी आयोजन समिति (Cooperative Planning Committee) नियुक्त की गयी जिसने यह मत प्रकट किया कि सहकारी माल के साथ क्रय विक्रय एवं विघाटन (processing) आदि कार्य भी किये जान चाहिए। समिति का यह मत था कि माल सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सहकारी सम्घाओं द्वारा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य सहकारी बैंकों में सरकार का पूँजी लगानी चाहिए और समय-समय पर उन्हें पर्याप्त धनराशि देनी चाहिए ताकि वह साख सम्घाओं की साथ सम्बन्धी आवश्यकताओं को सस्ती व्याज दर पर पूरा कर सकें।

भारत में सहकारी साख आन्दोलन स्तूपकार (pyramidal) है जिसके आधार में ग्राम स्तर पर प्राथमिक साख समितियाँ जिना स्तर पर के त्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हैं।

### १ प्राथमिक साख समितियाँ

एक ग्राम अथवा एक क्षेत्र के कोई भी दस व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। समिति का पञ्जीयन (रजिस्ट्री) करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सदस्य अथवा अक्षयारी समान हित वाले हों और सहकारिता के सिद्धांतों को समझते हों। समिति का कार्य क्षेत्र प्रायः सीमित रखा जाना है। सन् १९५४ के पश्चात ग्रामीण सार्वजनिक समिति की सिफारिश पर बड़े आकार की समितियाँ बनाना आरम्भ किया गया परन्तु उनमें से अनेक समितियाँ बहुत बड़ी हो गयीं जिनकी व्यवस्था करना ही बठिन हो गया। अतः सन् १९५८ के पश्चात मेहता समिति के मुझावों के अनुसार समितियों का पुनर्गठन इस प्रकार किया गया कि वह सामान्य आकार की हों और न केवल अपने सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें बल्कि स्वयं भी क्रयिक दृष्टि से सम्पन्न हों।

**चालू पूँजी**—प्राथमिक समिति की चालू पूँजी अथ वेचकर, केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण लेना तथा निपेठों में प्राप्त की जाती है। समितियों को प्रायः अपनी सम्पूर्ण चालू पूँजी के दुगुने से अधिक चार गुने तक उधार मिल सकता है। समिति का प्रत्येक सदस्य (चाहे वह कितने ही अंशों का मानिक हो) को एक मत देने का अधिकार होता है। इस प्रकार समिति के प्रबन्ध में केवल दो-चार व्यक्ति ही सम्पूर्ण मत्ताधारी नहीं बन सकते। सन् १९५८ में मेहता समिति की सिफारिश के कारण कुल अग्र-पूँजी की आयी रकम राज्य सरकार देती है।<sup>१</sup>

<sup>१</sup> यदि कोई साख समिति स्वयं १,००० रुपये की पूँजी प्राप्त कर लेती है तो १,००० रुपये के अग्र राज्य सरकार खरीद लेती है।

प्रबन्ध—ममिति की नियमित व्यवस्था चलाने के लिए सदस्यों द्वारा एक प्रबन्ध समिति निर्मित कर दी जाती है जो साधारणतः मन्त्रालय में निश्चित नीतियों का पालन करती है। प्रबन्ध समिति का सचिव (जो ममिति के आकार के अनुसार वेतनभोगी अथवा अवैतनिक होता है) ममिति की प्रबन्ध सम्बन्धी समस्त क्रियाओं के प्रति उत्तरदायी होता है।

ऋण—प्राथमिक ममिति केवल अपने सदस्यों को ऋण देती है। ऋण की मात्रा प्रायः सदस्य की अर्ज पूंजी तथा निशुल्क राशि पर निर्भर करती है। ऋण केवल व्यक्तिगत जमानत पर दिये जाते हैं और व्याज की दर ८ म १० प्रतिशत तक हो जाती है। ममिति मुख्यतः अल्प-कालीन (१ वर्ष तक) ऋण देती है परन्तु विशेष परिस्थितियों में उसकी अवधि तीन वर्ष तक के लिए बढ़ायी जा सकती है। ऋण केवल उत्पादक कार्यों के लिए दिये जाते हैं और उनका दुरुपयोग होने पर सम्बन्धित सदस्य को सम्पूर्ण राशि लौटाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कुछ राज्यों में ऋण देने वाले सदस्यों को अपनी भूमि धरोहर के रूप में रखनी पड़ती है और कुछ राज्यों में ऋणी को अपनी व्यक्तिगत जमानत के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्तियों की जमानत दिखानी पड़ती है। इन प्रकार साक्ष समितियों द्वारा सदस्यों को दिये गए ऋणों के सदुपयोग का विशेष ध्यान रखा जाता है।

संचित निधि—प्राथमिक मात्र ममितियों की नाम राशि का एक अलग अनिवार्य रूप में एक निधि में डाला जाता है और शेष लाभांश के रूप में अलग-अलग अकाउंटों में बाँट दिया जाता है। ममितियों द्वारा दिये जाने वाले लाभांश की अधिकतम सीमा सभी राज्यों में निश्चित कर दी गयी है और वह कहीं भी १० प्रतिशत से अधिक नहीं है। यह इन बातों का स्पष्ट प्रमाण है कि सहकारी ममितियों को लाभांश का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

सहकारी मात्र ममितियों की ऋण नीति सम्बन्धित राज्य व सहकारी विभाग द्वारा निश्चित की जाती है। इस सम्बन्ध में ऋण नियम बना दिये गये हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। ममितियों का कार्य मुक्त रूप से चलाने के लिए प्रायः सभी निश्चय एकमत से करने का प्रयत्न किया जाता है। इसका साथ ही ममितियों में ममान्दित वाले सदस्य ही रहें, इस दृष्टि से ममिति के अर्थों का विक्रय उच्च ममिति द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों को ही किया जा सकता है।

प्रगति—आयोजन-काल में प्राथमिक सहकारी मात्र ममितियों की प्रगति सन्तोषजनक रही है। मन् १९५०-५१ में प्राथमिक वृत्ति साक्ष ममितियों की संख्या १०५ लाख थी जो १९६८-६९ में बढ़कर १६८ लाख हो गयी। इन ममितियों का विस्तार भारत के शत-प्रतिशत ग्रामों में हो गया है। इसी काल में प्राथमिक ममितियों की चालू पूंजी ३७ करोड़ रुपये से बढ़कर ४६ करोड़ रुपये हो गयी है। प्राथमिक वृत्ति मात्र ममितियाँ अब लगभग ५०० करोड़ रुपये के वार्षिक ऋण देने लगी हैं। यह प्रगति निश्चय ही सन्तोषजनक कही जानी चाहिए।

## २ केन्द्रीय सहकारी बैंक

केन्द्रीय सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जिनकी सदस्यता केवल प्राथमिक सहकारी साक्ष ममितियों को प्राप्त है और दूसरे वह जिनमें व्यक्ति एवं ममितियाँ सदस्य हैं। भारत के सभी राज्यों में मुख्यतः मिश्रित सदस्यता वाले केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं। गत वर्षों में केन्द्रीय बैंकों का विवेकीकरण किया गया है और देश के अधिकांश भागों के प्रत्येक जिले में एक बैंक स्थापित करने की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप योजनाकाल में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या ५०५ में घटकर ३४२ रह गयी है। इस पुनर्गठन का मूल उद्देश्य दुर्बल बैंकों को मजबूत करने में निताकर सहकारी साक्ष व्यवस्था को शक्तिशाली बनाना है।

साधन—नगरीय में स्थित होने के कारण केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रायः व्यापारिक बैंकों के मद कार्य करते हैं। सम्बन्धित क्षेत्र की मद सहकारी ममितियों को अपनी अनिच्छित चालू पूंजी

अनिवार्य रूप से केन्द्रीय सहकारी बैंक में रखनी पड़ती है। इसके अनिश्चित वह जनता से भी निक्षेप प्राप्त करते हैं और प्रायः व्यापारिक बैंकों से अधिक व्याज देते हैं।

**ऋण तथा व्याज**—केन्द्रीय सहकारी बैंक अपनी चालू पूंजी में राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेकर वृद्धि करते हैं और मुख्य रूप में सहकारी समितियों को ऋण देते हैं। समितियों को प्रायः ६ से ८ प्रतिशत व्याज पर ऋण दिया जाता है। इनके ऋणों की अवधि भी एक से तीन वर्ष होती है। कृषि ऋण प्रायः विनिमय-पत्रों के आधार पर दिये जाते हैं और केन्द्रीय बैंक इन विलों की राज्य सहकारी बैंक के माध्यम में पुनर्कटौती करवा लेते हैं। इन बैंकों को भी अपने शुद्ध लाभ का एक भाग (प्रायः २५ प्रतिशत) निधि रूप में रखना पड़ता है और शेष लाभान के रूप में वितरित किया जा सकता है।

**प्रबंध**—केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल में अधिकतर प्रतिनिधि प्राथमिक सहकारी समितियों के होते हैं, जो समय-समय पर बैठक बुलाकर इनकी नीति निर्धारित करते रहते हैं। सामान्य नीतियाँ सहकारी विभाग द्वारा प्रसारित नियमों के अनुसार निश्चित होती हैं अतः प्रबंधक मण्डल केवल विशेष प्रश्नों के सम्बन्ध में दिशा-सकेत करता है। इन बैंकों के सभी कर्मचारी वृत्तनिक होते हैं और उनके कार्य आदि का निवन्धन कार्यालय अध्यक्ष अथवा सचिव करता है।

**प्रगति**—योजनाकाल में (१९५०-५१ से १९६८-६९) में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या ५०५ से घटकर ३४२ रह गयी है किन्तु इनकी जमाएँ ३८ करोड़ रुपये से बढ़कर ३३५ करोड़ रुपये तक पहुँच गयी हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक अब लगभग ६०० करोड़ वार्षिक ऋण देने लगे हैं।

### ३ राज्य सहकारी बैंक

भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गयी है जिसकी अथवा पूंजी केन्द्रीय सहकारी बैंको तथा सहकारी आन्दोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को बेची गयी है। मिश्रित रूप में राज्य सहकारी बैंकों की सदस्यता केवल केन्द्रीय सहकारी बैंको को ही प्राप्त होती चाहिए परन्तु अर्थशास्त्र अथवा सहकारिता के विद्वानों तथा अनुभवी व्यक्तियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें भी सदस्य रखा गया है। बहुत-से राज्य बैंकों में प्राथमिक समितियाँ भी सदस्य हैं परन्तु उन्हें धीरे-धीरे सदस्यता से मुक्त किया जा रहा है।

राज्य सहकारी बैंक उन क्षेत्रों में अपनी शाखाएँ भी खोल देते हैं जहाँ केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है। उदाहरणतः राज्य सहकारी बैंको की हिमाचल प्रदेश में २६, आसाम में १८, महाराष्ट्र में २०, उत्तर प्रदेश में १२, दिल्ली में ८ और मद्रास में १२ शाखाएँ हैं।

**पूंजी और कार्यविधि**—राज्य बैंको की चालू पूंजी अथवा बेच कर, निक्षेप प्राप्त कर तथा ऋण लेकर प्राप्त की जाती है। वह रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं और केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा दिये गये ऋणों की ग्राहक-दर प्रायः ४ से ६ प्रतिशत होती है। रिजर्व बैंक से ऋण विनिमय-पत्रों के आधार अथवा राज्य सरकार की गारण्टी पर प्राप्त किया जा सकता है। राज्य सहकारी बैंक सरकारी प्रतिभूतियों अथवा कृषि विनिमय-पत्रों की धरोहर पर ऋण देते हैं, ऋणों की अवधि प्रायः एक वर्ष होती है किन्तु विशेष परिस्थितियों में मध्यकालीन ऋण भी दिये जाते हैं। संक्षेप में, राज्य सहकारी बैंक रिजर्व बैंक तथा प्राथमिक साख समितियों के बीच एक महत्वपूर्ण वित्तीय कड़ी का काम करते हैं।

**प्रगति**—योजनाकाल में राज्य सहकारी बैंको की संख्या १५ से बढ़कर २५ हो गयी है और उनकी जमाएँ २२ करोड़ रुपये (१९५१) से बढ़ कर १९६८-६९ में २०२ करोड़ रुपये तक पहुँच गयी हैं। राज्य सहकारी बैंको द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की वार्षिक रकम भी इसी अवधि में ४२ करोड़ रुपये से ७६६ करोड़ रुपये तक बढ़ गयी है।

प्राथमिक सहाकारी समितियाँ प्रायः केन्द्रीय सहाकारी बैंकों में शृंग लेती हैं, केन्द्रीय सहाकारी बैंक राज्य सहाकारी बैंकों में शृंग लेते हैं। उन इन समस्याओं द्वारा दिये गए शृंगों की गणना दो या तीन बार हो जाना स्वाभाविक है। उन सहाकारी क्षेत्र द्वारा दिये गए शृंगों का सही अनुमान लगाने में सावधानी रखना आवश्यक है।

### ४ भूमि-वन्द्यक बैंक

सहाकारी माध्य समितियाँ तथा केन्द्रीय एम राज्य सहाकारी बैंक मुख्यतः अल्पकारीन तथा कमी-कमी मध्यकालीन शृंग दान हैं। दृष्टिका का भूमि गरीबों अथवा भूमि में स्थानों मुद्रार करन आदि विभिन्न नयों के लिए दीर्घकालीन शृंगों की आवश्यकता होती है। सहाकारी सम्याएँ इनकी पूर्ति नहीं कर सकती क्योंकि इनके अधिकार मायन भी अल्पकारीन हात हैं अतः किसानों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष सम्याएँ बनायीं गयीं हैं, जो भूमि को बन्द्यक रखकर दीर्घकालीन शृंग देती हैं।

सात्र समितियों की भाँति ही भूमि-वन्द्यक बैंक सर्वप्रथम जर्मनी में स्थापित हुए और वहाँ में समार के विभिन्न भागों में फैले गए। भारत में प्रथम भूमि-वन्द्यक बैंक का संगठन सन् १९२० में दस (पञ्जाब—पाकिस्तान) नामक स्थान पर हुआ। तत्पश्चात् सन् १९२७ में मद्रास में दो तथा सन १९२९ में बम्बई में तीन भूमि-वन्द्यक बैंकों की स्थापना हुई।

सन् १९२६ में सहाकारी रजिस्ट्रार सम्मेलन हुआ और उसके बाद राजकीय दृष्टि आयोग (Royal Commission on Agriculture) तथा केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने भूमि-वन्द्यक बैंकों के संगठन पर विचार किया। भूमि-वन्द्यक बैंकों के सम्बन्ध में इन तीनों समितियों की मुख्य निष्कारिणें निम्नलिखित थीं :

- (१) सहाकारी आजार—भूमि-वन्द्यक बैंकों का संगठन सहाकारी समिति अधिनियमों के अन्तर्गत किया जाता चाहिए और इनका कार्यक्षेत्र न अत्यधिक और न बहुत कम होना चाहिए।
- (२) शृंग के उद्देश्य—इन बैंकों द्वारा दृष्टि के लिए भूमि खरीदने, भूमि तथा दृष्टि-पद्धतियों में मुद्रार करने तथा पुराने शृंग चुकाने के लिए शृंग दिए जाने चाहिए।
- (३) मात्रा—शृंगों की मात्रा प्रायः वन्द्यक में रखी हुई भूमि के मूल्य के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। मरलता की दृष्टि से एक व्यक्ति को दिये जाने वाले शृंग की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमाएँ निश्चिन करना उचित होगा। यह सीमा उद्यार लेन वात की आवश्यकता के अनुस्यू होनी चाहिए।
- (४) अवधि—इन बैंकों द्वारा दिये जाने वाले शृंगों की अवधि २० वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(५) साग्रन—भूमि-वन्द्यक बैंकों के साग्रन शृंगपत्र निर्गमित कर प्राप्त करने चाहिए। यह शृंगपत्र केन्द्रीय भूमि वन्द्यक बैंक द्वारा बेचे जाने चाहिए तथा इनके व्याज की राज्य सरकार द्वारा गारण्टी की जानी चाहिए।

(६) राजकीय सहायता—प्रारम्भिक वर्षों में राज्य सरकार द्वारा भूमि वन्द्यक बैंकों को सहायता दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मुद्राक-कर (Stamp-duty), पञ्जीयन मूल्य (Registration fee) आदि में इन बैंकों को मुक्त रखना चाहिए।

(७) भूमि-विक्रय का अधिकार—भूमि वन्द्यक बैंकों को उनके पास धरोहर में रखी हुई भूमि बिना न्यायानय का सहारा लिए बेचने का अधिकार होना चाहिए।

भारत में भूमि वन्द्यक बैंकों का संगठन उपर्युक्त निष्कारिणों के आधार पर ही किया गया है।

संगठन—भूमि-वन्द्यक बैंक चार प्रकार के हो सकते हैं : (१) निजी अथवा पूँजीवादी, (२) सहाकारी, (३) उर्द्ध-सहाकारी, तथा (४) मरवागी। निजी बैंक केवल लाभ की दृष्टि से



चलाये जाते हैं, और उनमें ऋणियों के मत का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे बैंकों द्वारा ऋण भी प्रायः नागरिक सम्पत्ति की धरोहर पर दिये जाते हैं। जर्मनी स्विटजरलैंड, डेनमार्क, नार्वे तथा स्वीडन में कुछ भूमि-बन्धन बैंक पूँजीवादी पद्धति पर समष्टि किये गये हैं।

सहकारी भूमि-बन्धन बैंक ऋण लेन वाली के लाभ के लिए निमित्त किये गये हैं और सरकार प्रायः इनके नियमन के लिए विधान बनाती है। जर्मनी का Land cheften तथा डेनमार्क, नार्वे और स्वीडन के अनेक भूमि-बन्धन बैंक सहकारी गिडान्त पर निमित्त किये गये हैं।

इंग्लैंड (Agricultural Mortgage Corporation), फ्रान्स (Credit Foncier), जापान (Hypothec Bank), डेनमार्क (The Mortgage Bank of the Kingdom of Denmark) तथा स्वीडन (Royal Mortgage Bank) में अनेक सहकारी भूमि-बन्धन बैंक प्रचलित हैं। इन बैंकों को सरकार से आधिक्य सहायता मिलती है और इन पर सरकार नियन्त्रण रखती है।

कुछ देशों में भूमि-बन्धन बैंक दूरस्थ 'राज्य की पूर्ण' द्वारा निमित्त किये गये हैं तथा उनका प्रबन्ध सरकार द्वारा ही होता है। कनाडा (Canadian Farm Loan Board), न्यूजीलैंड (The State Advances Corporation of New Zealand) तथा दक्षिणी अफ्रीका (Land and Agricultural Bank of South Africa) में इन प्रकार के भूमि-बन्धन बैंकों के उदाहरण उपलब्ध हैं।

समूहों के अनुसार वर्गीकरण—समूहों की दृष्टि से विभिन्न देशों में दो प्रकार के भूमि-बन्धन बैंक मिलते हैं। प्रथम वर्ग में मधीय बैंक (Federal) है जिनका तात्पर्य यह है कि केन्द्रीय सभ्या द्वारा ऋणपत्र आदि वेचकर धनराशि एकत्रित की जाती है और ऋणों का वितरण तथा दमूली प्राथमिक सभ्याओं द्वारा की जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ऋण के लिए प्राथमिक-पत्र प्राथमिक भूमि-बन्धन बैंक प्राप्त करता है। वह ऋण राशि, अवधि धरोहर आदि सभी बातों की जांच करता है तथा अपनी सिफारिश सहित सभी पत्रादि केन्द्रीय सभ्या की भेज देता है। केन्द्रीय सरदा ऋण स्वीकृत करती है और उसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया प्राथमिक बैंक द्वारा की जाती है। मधीय पद्धति अधिकतर जर्मनी, नार्वे, स्वीडन, स्विटजरलैंड तथा डेनमार्क में प्रचलित है।

एकल (Unitary) पद्धति के अन्तर्गत भूमि बन्धन बैंक एक ही सभ्या होती है और प्राथमिक-पत्र प्राप्त करने के लिए ऋण देन आदि से वे लेकर अन्तिम दमूली तक सभी कार्यों का दायित्व इस सभ्या का ही होता है। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका तथा कनाडा के भूमि-बन्धन बैंक इसी श्रेणी से सम्बन्धित हैं।

भारत एक विस्तृत देश है और यहाँ यथेष्ट साधन-सम्पत्त तथा शक्तिशाली भूमि-बन्धन बैंक ही मफल हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त स्थानान्तर वस्तु हान के कारण यहाँ मधीय पद्धति ही अधिक उपयुक्त हो सकती है क्योंकि प्रथमिक सभ्याएँ अपने क्षेत्र के व्यक्तियों से परिचित होने के कारण केन्द्रीय बैंक को सलाह दे सकती हैं और केन्द्रीय भूमि-बन्धन बैंक वेचल नीति निर्धारण एवं अधिकाधिक ऋण देन के कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

भारतीय भूमि-बन्धन बैंकों की व्यवस्था—भारत के सभी राज्यों में एक-एक केन्द्रीय भूमि-बन्धन बैंक की स्थापना की गयी है और सभी महत्वपूर्ण इष्टि क्षेत्रों में एक-एक प्राथमिक भूमि-बन्धन बैंक निमित्त किया गया है। केन्द्रीय भूमि बन्धन बैंकों में सरकार, प्राथमिक भूमि-बन्धन बैंकों, सहकारी बैंकों, समितियों तथा किसानों द्वारा पूँजी खरीदी गयी है। प्राथमिक बैंकों में अश-पूर्वी केवल ग्रामीण जनता खरीदती है।

साधन तथा ऋण—ऋण देन के लिए राशि राज्य सरकार की गारण्टी प्राप्त ऋणपत्र देकर उपलब्ध की जाती है। यह ऋणपत्र केवल केन्द्रीय भूमि-बन्धन बैंक ही निर्गमित करते हैं। ऋण

केवल उन व्यक्तियों को ही दिया जाने है जो प्राथमिक भूमि-वन्धक बैंको के सदस्य हैं। ऋण के लिए प्रार्थनापत्र तथा उसमें सम्बन्धित धरोहर आदि व प्रमाणपत्र प्राथमिक भूमि-वन्धक बैंक को प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनको पूरी जाँच कर लेने के पश्चात् प्राथमिक बैंक मभी दस्तावेज अपनी मित्राशि सहित केन्द्रीय बैंको को भेज देता है। ऋण की राशि, अवधि तथा अन्य सभी शर्तों आदि के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय केन्द्रीय भूमि-वन्धक बैंक द्वारा किया जाता है और उसकी सूचना प्राथमिक बैंक को भेज दी जाती है जो बन्धक में रखी जान वाली भूमि के वन्धकनाम (Mortgage Deed) का पंजीयन करवा लेता है। प्रायः भूमि के मूल्य की जागी राशि उधार दी जाती है। केन्द्रीय भूमि-वन्धक बैंक प्राथमिक बैंकों से ६५ प्रतिशत और प्राथमिक भूमि वन्धक बैंक ऋणियों में ७५ प्रतिशत व्याज लेते हैं। १ प्रतिशत का सीमान्तर प्राथमिक बैंका को सामान्य व्यय की पूर्ति के लिए यथेष्ट होता है।

राज्य सरकार की गारण्टी प्राप्त होने के कारण भूमि-वन्धक बैंको के ऋणपत्र व्यापारिक बैंको तथा जनता का वेचना कठिन नहीं होता। व्यापारिक बैंको का भूमि-वन्धक बैंको के ऋणपत्रों में विनियोजन करने में दो लाभ होते हैं। एक तो उन्हें व्याज अच्छा मिल जाता है दूसरे वह इन ऋणपत्रों के आधार पर रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं।

भारतीय भूमि-वन्धक बैंक प्रायः ७ से २० वर्ष तक की अवधि के ऋण देने हैं।

प्रगति—२० जून, १९६६ को ममाण होने वाले वर्ष में भारत में १६ केन्द्रिय भूमि वन्धक बैंक तथा ७२३ प्राथमिक भूमि वन्धक बैंक थे। केन्द्रीय भूमि-वन्धक बैंको की ४८५ शाखाएँ थीं जो ऐन म्यानों पर खोली गयीं जहाँ प्राथमिक भूमि विकास बैंक नहीं हैं। इन बैंको द्वारा प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपये में अधिक व ऋण दिए जाते हैं और लगभग इतनी ही रकम के ऋणपत्र निर्गमित किये जाते हैं। भारत की आवश्यकता को देखते हुए यह राशि बहुत कम है।

कई राज्यों में भूमि-वन्धक बैंकों का नाम भूमि विकास बैंक रखा दिया गया है। यह बैंक सामान्य तथा ग्रामीण ऋणपत्र निर्गमित करते हैं। यह ऋणपत्र केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदे जाते हैं।

### सहकारी साख आन्दोलन की कमियाँ

(१) अवर्षापन—सहकारिता का मुख्य उद्देश्य वृषक-वर्ग के लिए मस्ते ऋण मुक्त कर उन्हें शोषण में बचाना है, परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि मानव तत्त्व सक्रिय एवं सतर्क हो तथा उपलब्ध सहायता का अधिकतम सदुपयोग करे अन्यथा सहयोग एवं सहायता की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। भारत में सहकारिता का बीजारोपण सन् १९०४ में हुआ था परन्तु इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् भी वह एक ऐसे फलत-फूलन वटवृक्ष का रूप धारण नहीं कर पाया जो सहकारी द्वारा आशान्त सम्पूर्ण ग्राम्य समाज को अपने विशाल आँचल की विकासवादी नीतिल छाया यथेष्ट मात्रा में प्रदान कर सके। ग्राम्य साख सर्वेक्षण समिति ने यह अनुमान लगाया था कि भारत में प्रति वर्ष लगभग ७५० करोड़ रुपये की ग्राम्य साख की आवश्यकता होती है। कॉमर्स पत्रिका के एक अनुमान के अनुसार वह आवश्यकता १९६०-६१ में लगभग १,४०० करोड़ रुपये वार्षिक तक पहुँच गयी। यह आवश्यकता १९७१ में लगभग ३,००० करोड़ रुपये वार्षिक हो गयी है और १९७३-७४ तक ४,००० करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। वर्तमान में सहकारी साख संगठन कुल ग्राम्य साख की केवल ४० प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति करता है। निश्चय ही यह प्रगति बहुत सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती क्योंकि ग्रामीण साख की लगभग ६० प्रतिशत आवश्यकता के लिए अन्य मादनों का मुँह ताकना पड़ता है। इस प्रकार सहकारी साख को सबसे महत्वपूर्ण कमी यह है कि वह आवश्यकता के एक अत्यन्त अल्प भाग की पूर्ति करती है।

(२) सहकारी ट्पनशेष—कई युग बीतने पर भी भारतीय सहकारी आन्दोलन का मरहारी

आन्दोलन समझा जाता है और जनता में 'अपनी सहायता आप करने' की भावना का अब भी अत्यन्त अभाव दृष्टिगोचर होता है। परिणामस्वरूप ग्राम्य जनता में सहकारी आन्दोलन में प्रति बहुत कम उत्साह है। यह सत्य है कि अविकसित एवं पिछड़ी हुई अर्थ व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए एक प्रजातन्त्रीय शासन व्यवस्था में सरकार का अधिकाधिक सहयोग वांछनीय है परन्तु भारतीय जनता में सरकार के इस सहयोग को उसका अनिवार्य दायित्व समझा है। इस भ्रान्त धारणा के कारण ही भारत में सहकारी आन्दोलन असफल हो गया है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के ज्ञानों में 'भारत में सहकारिता एक ऐसे पौधे के समान है जिसे सरकार ने दोनों हाथों से थाम रखा है क्योंकि उसकी जड़ें धरती में जमने को तैयार नहीं हैं।'

(Co-operation in this country is like a plant held in position with both hands by the Government since its roots refuse to enter the soil)

(३) अव्यक्त तत्त्वों का प्रभुत्व—सहकारी आन्दोलन की प्रगति के लिए ज्यों-ज्यों सरकार अधिक प्रयत्न कर रही है और निरन्तर अधिकाधिक अधिक मद्दायिता प्रदान कर रही है त्यों-त्यों इसमें अवाञ्छित तत्त्वों का प्रवेश होना जा रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद ही साहूकारों तथा महाजनों ने अनेक सहकारी समितियों में अंशपूजी खरीद ली थी और आज तो बहुत-सी समितियाँ इस वर्ग के प्रभाव क्षेत्र में आ गयी हैं जिसके परिणामस्वरूप सहकारी साख समितियों का ऋण साहूकारों को प्राप्त हो जाता है और वह उसी धनराशि का प्रयोग ग्रामीणों को ऋण देने में करते हैं। इस प्रकार जिस व्यवस्था की स्थापना शोषण का अन्त करने के लिए की गयी थी उसका प्रयोग शोषण के लिए ही होना लगा है, यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है।

साहूकारों तथा महाजनों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग में सहकारी आन्दोलन में हस्तक्षेप करना एवं रुचि लेना आरम्भ कर दिया है। यह वर्ग उन राजनीतिज्ञों का दल है जो सहकारी समितियों पर अधिकार कर अपने दल से सम्बन्धित व्यक्तियों को अधिकाधिक ऋण दिवाने का प्रयत्न करता है। मत वर्षों में विधान सभा अथवा पञ्चायत के चुनावों में हारने वाले राजनीतिज्ञों का प्रभाव सहकारी संस्थाओं में बहुत बढ़ गया है। इससे कुछ सहकारी समितियों के साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है परन्तु उनके द्वारा अवाञ्छित व्यक्तियों तथा अवाञ्छित कार्यों के लिए दिये जाने वाले ऋण की मात्रा में भी बहुत वृद्धि हो गयी है। इससे माघ ही अनेक समितियों द्वारा ऋण वसूली में भी निश्चितता आ गयी है क्योंकि प्रभावशाली व्यक्तियों के सम्बन्धियों तथा मित्रों से ऋण वसूल करना अत्यन्त बठिन है।

राजनीतिज्ञों के प्रभुत्व का एक दुष्प्रभाव यह हुआ है कि जनेव स्थानों पर सरकार से अधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जालों तथा बनाबटों सहकारी समितियाँ बन गयी हैं। इनमें से बहुत-सी समितियाँ सरकार अथवा राज्य सहकारी बैंक में आर्थिक सहायता प्राप्त कर काम बन्द कर देती हैं। इन प्रकार धन के दुष्प्रयोग तथा गयन की घटनाएँ बढ गयी हैं।

(४) ऋण स्वीकृति एवं वसूली—सहकारी समितियों द्वारा ऋण स्वीकृत करने में प्रायः तीन-चार मास तक लग जाते हैं क्योंकि अधिकांश समितियाँ ऋण देने से पूर्व बहुत-सी बागजो कार्य-बाही करती हैं। ऋण देने के परवाना बहुत ही समितियाँ ऋण वसूली में अत्यधिक कडाई से काम लेती हैं जिसके फलस्वरूप ऋणियों को साहूकारों की शरण लेनी पड़ती है। यह स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है। उत्तम चरित्र वाले व्यक्तियों को उचित कार्य के लिए दिये गये ऋणों के लिए उचित समय देना आवश्यक है, अन्यथा साख समितियों की स्थापना ही अर्थहीन है।

(५) अवेक्षण—सब सहकारी समितियों का सहकारी विभाग द्वारा नियुक्त अवेक्षकों द्वारा अवेक्षण होना अनिवार्य है परन्तु अनेक समितियों का या तो अवेक्षण किया ही नहीं जाता या उसमें समुचित जानकारी नहीं रखी जाती। इसका परिणाम यह होता है कि अनेक दुर्बल एवं

अव्यवस्थित समितियाँ चालू रहती हैं और वह अन्त में बहुत-सी पूंजी एवं निम्नप खोकर समाप्त हो जाती हैं ।

(६) ध्याज दर—प्राथमिक समितियों द्वारा दिये गये ऋणों पर प्रायः ८ से १२ प्रतिशत ध्याज लिया जाता है जो वास्तव में अधिक है ।

महत्कारी आन्दोलन वस्तुतः एक भावनारमक आन्दोलन है जिसकी सफलता उचित दृष्टिकोण तथा सही विचारधारा पर निर्भर करती है । अतः इसका संचालन करने के लिए सरकारी सहयोग अथवा अन्य कार्यविधियों का उतना महत्त्व नहीं है जितना कि उदार, सत्यनिष्ठ एवं लगनवात उत्साही मानव-रत्नों का । सर फ्रेडरिक निकलसन द्वारा सन् १८६५ में कहे हुए शब्द आज उम्र समय में भी अधिक सत्य है कि 'सहकारिता की सफलता के लिए 'रेफ्रेजन्स की खोज कीजिए' यह दुपुट्ट सत्य है कि भारतीय सहकारी आन्दोलन कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के हाथों में नहीं है अतः इसकी सफलता मन्देहास्पद ही रहेगी ।

### राज्य सरकार तथा कृषि साख

कृषि साख की व्यवस्था राज्य तथा केन्द्रीय सरकार भी करती है । राज्य द्वारा कृषि भूमि सुधार ऋण अधिनियम, १८८३ (Land Improvement Loans Act of 1883) तथा कृषक ऋण अधिनियम १८८४ (Agriculturists' Loans Act of 1884) के अन्तर्गत किसानों को तकावी<sup>१</sup> (ऋण) दिये जाते हैं । तकावी का प्रारम्भ अकाल अथवा बाढ़ आदि से उत्पन्न सकट की स्थिति में सहायता देने के लिए किया गया था परन्तु धीरे-धीरे यह सरकार का एक नियमित क्रम बन गया ।

ऋण वितरण—तकावी का वितरण किसानों की हल, बेल, बीज अथवा सकटकाल में उपयोग सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए किया जाता है । परन्तु गत कुछ वर्षों में सकटकालीन सहायता के अतिरिक्त अन्य सभी ऋणों के वितरण का अधिकार पंचायत समितियों को दे दिया गया है । जिन राज्यों में अभी पंचायत राज की स्थापना नहीं हुई, वहाँ अब भी सरकार का राजस्व (Revenue) विभाग इन ऋणों का वितरण करता है । यह ऋण तहसीलदार अथवा विकास अधिकारी के माध्यम से दिये जाते हैं ।

तकावी की कमियाँ—ग्रामीण मास सर्वेक्षण समिति के मतानुसार, 'तकावी का इतिहास अपूर्णताओं का इतिहास है' क्योंकि तकावी न केवल माना तथा वितरण व्यवस्था की दृष्टि से अपर्याप्त रहे हैं बल्कि उनके नियन्त्रण एवं उपयोग के निरीक्षण का प्रबन्ध भी असन्तोषजनक रहा है । समिति के अनुमान के अनुसार कृषि ऋण में सरकार का भाग केवल ३ प्रतिशत, अर्थात् कुल लगभग २२ ५ करोड़ रुपये वार्षिक था । जहाँ तक व्यक्तिगत ऋण का प्रश्न है वह सदा आवश्यकता से कम रहा है क्योंकि सरकार ऋण की मात्रा आवश्यकतानुसार निर्धारित करने के स्थान पर यह निर्दिष्ट करती है कि उसे अनुकूल राशि ऋण रूप में वितरित करनी है । उस राशि को प्रायः माँग के अनुपात में बाँट दिया जाता है । इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार राशि नहीं मिल पाती ।

पक्षपात एवं देरी—तकावी के विरुद्ध एवं अन्य आरोप यह है कि उसका अधिकांश भाग बड़े-बड़े कृषकों अथवा भूमिधारियों को प्राप्त होता है जबकि छोटे किसानों को, जिनकी आवश्यकता अधिक तीव्र होती है, प्रायः बहुत ही कम राशि मिलती है अतः उन्हें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए साहूकार के पास जाना पड़ना है । इसके अतिरिक्त तकावी की राशि का निर्धारण प्रायः बहुत देर से होता है अतः जब किसानों को ऋण की अत्यधिक आवश्यकता होती है तब उन्हें नहीं

<sup>१</sup> 'तकावी' (Taccavi) अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ 'ऋण' होता है ।

मिल पाता। ग्रामीण साक्षर सर्वेक्षण समिति ने यहाँ तक कहा है कि कहीं कहीं तो तकावी स्वीकार करने के पश्चात् उमका विमरण करने में ८ मास तक लग जाते हैं।

व्यय—तकावी प्राप्त करने में प्रायः कृषक को बहुत धनराशि व्यय करनी पड़ती है। कमी-कमी तो गाँवों से गवामहों तथा जमानतदारों को कई कई बार लाना पड़ता है, और हर बार उनके भोजन तथा किराये पर बहुत राशि खर्च हो जाती है। इसके अनिश्चित राजस्व विभाग के कर्मचारियों को ऋण का एक भाग घूस के रूप में देना अनिवार्य होना है अन्यथा ऋण स्वीकृत होना ही कठिन है और यदि किसी कारण से स्वीकृत हो भी गया तो सम्बन्धित धनराशि मिलना असम्भव है। इस प्रकार किसान को स्वीकृत राशि का जाधा भाग कठिनाई से प्राप्त होता है।

जिन राज्यों में निर्माण कार्यों के लिए ऋणों का वितरण पञ्चायतों द्वारा होता है वहाँ भी ध्रष्टाचार का अभाव नहीं है। सरपंच तथा प्रधान न केवल अपने दल के व्यक्तियों को ही ऋण दिलाते हैं, बल्कि उनके द्वारा घूस लेने के भी बहुत से उदाहरण प्रकाश में आये हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से न केवल सरकारी ऋणों की अपर्याप्तता निम्न होती है बल्कि उनकी स्वीकृति से लेकर वितरण तक अनेक अनियमितताएँ भी दृष्टिगोचर होती हैं।

### व्यापारिक बैंक

सन् १९६८ तक भारत के व्यापारिक बैंक कृषि के लिए केवल अप्रत्यक्ष सहायता ही देते रहे। व्यापारी लोग जो कृषि पदार्थ खरीदते, उनके लिए बैंक ऋण दे देते थे। भारतीय कृषि के लिए बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष ऋण न देने का कारण यह रहा है कि भारतीय कृषि अब भी मानसून पर निर्भर है और किसान के पास जमानत में रखने के लिए कोई अच्छी म्पत्ति नहीं है।

इन कारणों के अनिश्चित, भारत में एक आम धारणा यह रही है कि खेती के वास्ते धन की व्यवस्था करना सहकारी संस्थाओं का काम है व्यापारिक बैंकों का दायित्व नहीं। इसी धारणा के कारण जून १९६८ तक भारतीय बैंकों द्वारा खेती के वास्ते दिये गये ऋणों की रकम केवल २० करोड़ रुपये थी। यह रकम भारतीय व्यापारिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की केवल ०.६ प्रतिशत थी।

सन् १९६८ में ही बैंकों ने सामाजिक नियन्त्रण के भय से अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया और खेती के लिए अधिक रकम उधार दी जाने लगी। जून १९६९ में व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि के वास्ते दिये गये ऋणों की रकम १६० करोड़ रुपये तक पहुँच गयी।

१९ जुलाई, १९६९ से भारत के १४ निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। इसके बाद कृषि क्षेत्र में दिये गये ऋणों की मात्रा में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि दिसम्बर १९७० तक व्यापारिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के वास्ते दिये गये ऋणों की रकम लगभग ४०० करोड़ रुपये तक पहुँच गयी जो व्यापारिक बैंकों के कुल ऋणों की लगभग ९ प्रतिशत थी।

आगामी वर्षों में व्यापारिक बैंकों द्वारा खेती के विकास के लिए अधिक ऋण दिये जाने की सम्भावना है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं का अत्यधिक तेजी से विस्तार हो रहा है।

### रिजर्व बैंक और कृषि साख

(RESERVE BANK AND AGRICULTURAL CREDIT)

कृषि साख की मुवि.राएँ देने की दशा में भारतीय रिजर्व बैंक प्रारम्भ से ही जागरूक रहा है। इस तथ्य की पुष्टि इस बात में होती है कि बैंक की स्थापना के समय से ही इसमें कृषि साख विभाग स्थापित कर दिया गया जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(१) कृषि साख की समस्या के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों का दल रखना जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकों को परामर्श के लिए उपलब्ध हो सके।

(२) कृषि साख के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा अन्य बैंको की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना ।

कृषि के लिए ऋण—भारतीय रिजर्व बैंक कृषि के लिए समस्त साख राज्य सहकारी बैंको के माध्यम से देता है । राज्य सहकारी बैंक, नियम के अनुसार तो १५ मास के कृषि विनिमय पत्रों पर ऋण ले सकते हैं परन्तु व्यवहार में यह बिल प्राय १२ मास के ही लिखे जाते हैं । इस सुविधा के अन्तर्गत माल बेचने अथवा सँवारन (processing) के लिए भी साख दी जाती है ।

फरवरी १९५६ में रिजर्व बैंक द्वारा कृषि साख की अधिक उदारतापूर्ण व्यवस्था करने के लिए दो कोषों की स्थापना की गयी ।

(१) राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष [National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund]—इस कोष में प्रथम वर्ष में १० करोड़ रुपये डालने की व्यवस्था की गयी और आगामी पाँच वर्षों में प्रति वर्ष कम न कम पाँच करोड़ रुपये डालने का निश्चय किया गया । इस कोष की राशि का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों से लिए करने का निश्चय किया गया है

(i) प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में सहकारी साख संस्थाओं की पूंजी खरीदने के लिए राज्य सरकारों को २० वर्ष तक की अवधि के ऋण देना ।

(ii) कृषि साख की व्यवस्था करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को १५ मास से ५ वर्ष तक के ऋण देना । इन ऋणों के ब्याज तथा मूल के भुगतान की राज्य सरकार द्वारा गारण्टी होना आवश्यक है ।

(iii) केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंको को २० वर्ष तक के ऋण देना, तथा

(iv) केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको के २० वर्ष तक के ऋणपत्र (Debentures) खरीदना ।

उपर्युक्त ऋणपत्रों (संख्या ३ तथा ४) की राज्य सरकारों द्वारा गारण्टी होना आवश्यक है ।

अब तक इस कोष में लगभग १४३ करोड़ रुपये जमा हो गये हैं और इसमें से लगभग ६० करोड़ रुपये ऋण में दिया जा चुका है ।

(२) राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष [National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund]—भारतीय कृषि की अस्थिरता के कारण प्राय सहकारी बैंको से उधार लेने वाले कृषक समय पर ऋण चुकाने में अमकन होते हैं जिमके परिणामस्वरूप सहकारी बैंक रिजर्व बैंक को भुगतान करने में देर कर देते हैं । इन कठिनाई को दूर करने के लिए स्थिरीकरण कोष बनाया गया है । जिस वर्ष फसल खराब होने अथवा अनाज के कारण राज्य सहकारी बैंक अपने अल्पकालीन ऋणों का भुगतान नहीं कर पाते हैं उस समय इस कोष से ऋण देकर अल्पकालीन को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित कर दिया जाता है । इस कोष में प्रथम पाँच वर्ष तक निरन्तर २५ करोड़ रुपये वार्षिक डालन का प्रावधान किया गया था । इस कोष में अब तक लगभग ४० करोड़ रुपये जमा हो चुका है । स्थिरीकरण कोष में से १९६६-६७ में पहली बार ऋण दिये गये जिनकी रकम अब छह करोड़ से कुछ अधिक है ।

दीर्घकालीन ऋण—रिजर्व बैंक द्वारा भूमि बन्धक बैंको के ऋणपत्र (debentures) खरीदे जाते हैं और उनकी धरोहर पर ऋण भी दिया जाता है । गत कुछ वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण ऋणपत्रों की खरीद भी आरम्भ कर दी गयी है ।

१९७१ में रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण साख के लिए दिये गये कुल ऋण शेषों की राशि लगभग ३२० करोड़ रुपये तक पहुँच गयी है ।

### स्टेट बैंक तथा कृषि साख

ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति का यह मत था कि ग्रामीण साख की सम्पूर्ण व्यवस्था सहकारी सस्थाओं के माध्यम से होनी चाहिए। स्टेट बैंक इस सुझाव का अत्यन्त उदारतापूर्वक पालन कर रहा है। वस्तुतः कृषि तथा ग्रामीण साख की दिशा में स्टेट बैंक का कार्य अन्य सभी कार्यों से अधिक महत्त्वपूर्ण है। स्टेट बैंक द्वारा दी गयी सहायता को चार वर्गों में बांटा जा सकता है

(१) सामान्य सहायता—इसके अन्तर्गत सहकारी बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की सुविधा दी जाती है। यह कार्य निशुल्क किया जाता है। इन प्रेषण सुविधाओं से कृषि के लिए दिये जाने वाले ऋण सरलतापूर्वक स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।

(२) क्रय-विक्रय तथा विघासन साख (Credit for Marketing and Processing)—जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय सहकारी बैंक कृषि माल का क्रय विक्रय करना अथवा संचारने की क्रियाओं के लिए ऋण देने की स्थिति में नहीं हैं वहाँ स्टेट बैंक सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष ऋण देने की व्यवस्था करता है। यह ऋण प्रायः माल की धरोहर अथवा माल में सम्बन्धित अधिकार पत्रों की जमानत पर दिये जाते हैं परन्तु कभी कभी सामान्य अथवा बिना जमानत के ऋण देने की व्यवस्था भी की जाती है।

(३) गोदामों के लिए वित्त—कृषि व्यवस्था में मालगोदामों के विकास का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है अतः स्टेट बैंक ने मालगोदामों के निर्माण में प्रारम्भ से ही सक्रिय सहायता दिया है। केन्द्रीय मालगोदाम निगम में स्टेट बैंक द्वारा १ करोड़ रुपये के अंश खरीदे गये हैं। वह समय समय पर केन्द्रीय तथा राजन दित्त निगमों को विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए अधिकारी भी नियुक्त करता रहता है।

स्टेट बैंक मालगोदामों की रसीदों पर ऋण भी देता है। इनसे लोगों को केन्द्रीय तथा राज्य मालगोदाम (Central and State Warehousing Corporation) में माल रखने की प्रोत्साहन मिलता है। ३१ दिसम्बर, १९७० को इस मद में ऋण शेष की राशि लगभग २ करोड़ रुपये थी।

(४) भूमि बचक बैंक—स्टेट बैंक भूमि बचक बैंकों के ऋणपत्र खरीदता है तथा उनकी धरोहर पर ऋण भी देता है। इस प्रकार बैंक कृषि साख की वृद्धि में परोक्ष योगदान देता है क्योंकि स्टेट बैंक के सहायक से भूमि बचक बैंक के ऋणपत्रों की विक्रयशीलता बढ़ जाती है और वह कृषि के विकास के लिए अधिकारिक ऋण देने में समर्थ हो जाते हैं।

३१ दिसम्बर, १९७० को स्टेट बैंक परिवार द्वारा दी गयी ग्रामीण साख की स्थिति निम्नलिखित थी

#### (१) लघु उद्योगों को सहायता

(क) ऋण प्राप्त करने वाली इकाइयों की संख्या	५१,२८६
(ख) ऋण स्वीकृतियाँ	३३० करोड़ ६०
(ग) ऋण शेष	१६६ " "

#### (२) सहकारी सस्थाओं को सहायता

(क) सातों की संख्या	३,१००
(ख) ऋण स्वीकृतियाँ	२६६ " "
(ग) ऋण शेष	१४२ " "

स्टेट बैंक के महाप्रबन्धक सात बैंक भी इन मदों में सहायता प्रदान करते हैं।

### कृषि पुनर्वित्त निगम (AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION)

सन् १९६५ में भारतीय सन्सदिन स एम सुमद दिस क रिय म्करी सड सन्सरी के पुस्तक रूप में भारत क प्रथम प्रख्त में कृषि सव निगन स्यपिन क्रिय जन वरिण । उन दिवस का मन्तरों अग्रबन सन्सदि (१९६०) वनग वैको वरि सन्सदि (१९६०) तप वनग सड सवभग सन्सदि न सनन नरि क्रिय । उनका वर सव का क्रि म्करी सड सन्सरी को ही नालि कर वनग सव का वनन्य वड कर्नो वरिण ।

सव वरि में कृषि क निरू अत नननतप दीवत वन कृषी को वननवो सनन्य स्यपिन हूँ वरि है । अत सन्सरी तप सनिवडक वैको का वनननय वरिण स्यपिन प्रदन कन के निरू एक दिगद सन्स की अग्रयकता अनुयड की वरि । नननन १ जुनई १९६३ को कृषि पुनर्वित्त निगन को स्यपन को वरि ।

पुर्वो तप अग्र - निगन को अग्रिक वरि २५ अरुड नय रडो वरि है वरि वननय वड नय के २१ ००० अरु में दिनविन है ।

विन सुविधाएँ - कृषि पुनर्वित्त निगन वन निननरविन कर्नो क निरू पुनर्वित्त स्यपिन को वरि है -

- (१) भून को वरि वरि नय नरि के निरू, वरि विनड सुविधाओं का स्यपिन क्रिय जन के ।
- (२) विनय कननो के विनय के निरू विनय सन्सरी, कड इनरु कडव, वड अदि सन्सदिन है ।
- (३) वरि के अर्नकरी के निरू विनय नननो (tube wells) मे विनय का प्रयोग स्यपन अदि लान को स्यपिन सन्सदिन है ।
- (४) वसुपानर के विनय के निरू, विनय सन्सरी वरि नननय स्यपिन क्रिय जन है ।

पुनर्वित्त सुविधाएँ उन वरि ननन सन्सरी वैको कर्नो सनिवडक वैको तप अतनुवि वैको को स्यपिन है, वरि निगन के वननो है । वनन में वर सुविधा १५ कर्नो सनिवडक वैको २० सव सन्सरी वैको तप ३१ अतनुवि वैको को प्रख्त है ।

अग्र-वडवड - भून-वडक तप सड सन्सरी वैक प्रड १० ००० नरि के वनन २१ ००० नय तक के वरि को वनन्य वरि नरि है वरि वनन अदि २०-१५ वरि के अग्रिक नरि ररि है । निगन इन सन्सरी वरि अग्रिक वरिण तप अग्रिक कर्नो अदि के कृष देन को प्ररिणन कर्न है । इनो अग्रिक वरि तप कडवे वरि सन्सरी क वनन व निरू दिने तप कर्नो को वरि में ३६ वरि तक अग्रि वरि वरि वरि न देन को स्यपिन को जननो है ।

निगन वरि कन मे कन दिनो स्यपिन १ नय वरि को वरि वरि है वरि वरि सड प्रसिधन अडकत है । अडकत वरि मे कन अरुड ३१ दिवस वरि ३० वरि को वरि क्रिय जन को वनन्य है । अडक को व मे वनननय वरिणन क्रिय जन वरि है ।

वगवरी - निगन वरि दिने तप पुनर्वित्त स कृषी को सव सन्सरी वरि वरि है वरि अडकत है । वरि वरि वरि तप वरि वरि के वरि मे वरि है ॥ अदि कृषी नन वरि वरि सन्सरी वरि वरि वरि के वरि मे वरि है अदि वगवरी वरि वरि है वरि निगन व वरि वरि वरि के वरि है ।



अन्य शर्तों—निगम द्वारा किसी भी बैंक को ऋण अथवा पुनर्वित्त देने से पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान और रखा जाता है

(१) पुनर्वित्त कथ—निगम केवल उन भूमि बन्धक सहकारी अथवा अनुमूचित बैंकों को पुनर्वित्त देता है जो किसी कृषि योजना के लिए ऋण दे चुके हैं। सामान्यतः पुनर्वित्त प्राप्त करने वाली संस्थाओं को किसी योजना के लिए ऋण देने से पूर्व पुनर्वित्त निगम से सलाह ले लेनी चाहिए अन्यथा निगम पुनर्वित्त सम्बन्धी प्रार्थना आने पर उम योजना पर विचार करेगा जिसमें अनावश्यक देर लग सकती है।

(२) आर्थिक सहायता का समय—निगम द्वारा पुनर्वित्त की व्यवस्था ऋण देने के एक वर्ष पश्चात् ही की जा सकेगी। उदाहरणतः यदि बैंक ने किसी कृषि विकास योजना के लिए १ जनवरी, १९७१ को ऋण दिया है तो यह बैंक कृषि पुनर्वित्त निगम से १ जनवरी, १९६२ से पूर्व पुनर्वित्त प्राप्त नहीं कर सकता।

(३) किस्तों में ऋण—यदि कोई बैंक किस्तों में ऋण देता है तो पुनर्वित्त प्राप्त करने की दृष्टि से प्रत्येक किस्त एक पृथक ऋण मानी जायेगी।

(४) तिथि से पूर्व भुगतान—यदि बैंक पुनर्वित्त में प्राप्त की हुई रकम भुगतान तिथि से पूर्व चुका देता है तो उसे १ प्रतिशत शुल्क (वास्तविक भुगतान से लेकर पूर्व-निश्चित तिथि तक) देना पड़ेगा।

(५) शर्तों की अवहेलना—यदि पुनर्वित्त लेने वाला बैंक पुनर्वित्त की शर्तों का पालन न करे तो निगम द्वारा पूरी रकम जबधि से पूर्व वापस ली जा सकती है।

सहकारी बैंकों द्वारा पुनर्वित्त सम्बन्धी योजनाएँ सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार के माध्यम से प्रस्तुत करनी पड़ती हैं और रजिस्ट्रार योजनाओं पर अपना मत प्रकट कर कृषि पुनर्वित्त निगम को भेज देता है। अनुमूचित बैंकों के लिए पुनर्वित्त सम्बन्धी फार्म तथा शर्तें कुछ भिन्न होती हैं।

ऋणपत्र (Debentures)—भूमि-बन्धक बैंक किसी विशेष कृषि योजना की सहायता करने के लिए विकास ऋणपत्र (Development debentures) निर्गमित कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा कम से कम २५ प्रतिशत ऋणपत्र खरीदे जाने पर शेष ७५ प्रतिशत पुनर्वित्त निगम द्वारा खरीद लिए जाते हैं।

३१ दिसम्बर १९७० तक कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग २६२ करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इसमें से लगभग ७० प्रतिशत सहायता लघु सिंचाई तथा सुधार के वास्ते दी गयी है।

कृषि पुनर्वित्त निगम भारतीय कृषि साख क्षेत्र में एक नया प्रयोग है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से उन पर ऋण के लिए अधिक से अधिक ऋण देने का जो गुस्तर भार आ पड़ा है उसे वहन करने में पुनर्वित्त निगम महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। इस दृष्टि से आगामी वर्षों में निगम की क्रियाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा की जा सकती है।

### प्रदान

- १ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया किस प्रकार कृषि साख व्यवस्था में सहायता करता है ? पूर्ण रूप से विवेचन कीजिए।  
(भागरा, बी० कॉम०, १९५५)
- २ भारत में कृषि-वित्त प्रदान करने वाली विभिन्न संस्थाओं का उल्लेख कीजिए। उनकी क्या सीमाएँ हैं तथा गत वर्ष में उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ? (पटना, १९५६)
- ३ भारत में कृषि के लिए वित्त व्यवस्था करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। उनका सापेक्षिक महत्त्व स्पष्ट कीजिए तथा उनमें सुधार के लिए सुझाव दीजिए।

(भागरा, बी० कॉम०, १९६०)

- ४ भारत की कृषि वित्त की समस्याओं का विवेचन कीजिए । (आगरा बी० कॉम, १९६१)
- ५ भारत में भूमि बन्धक बैंको के कार्य तथा संचालन का ब्यौरा लिखिए तथा उनकी न्यून प्रगति के कारणों पर प्रकाश डालिए । (विक्रम, बी० ए०, १९६१)
- ६ भारतीय कृषि की दीर्घकालीन साध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूमि-बन्धक बैंको की आवश्यकता बतलाइए तथा इन बैंको की न्यून प्रगति के कारण स्पष्ट कीजिए । (विक्रम, बी० ए० १९६१)
- ७ भूमि-बन्धक बैंको में क्या अभिप्राय है ? उनके क्या कार्य हैं ? भारत में उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ? (विक्रम, बी० कॉम०, १९६२)
- ८ किसानों की दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता की परीक्षा कीजिए । कौनसा साधन ऐसा ऋण देने के लिए सर्वश्रेष्ठ है ? (गोरखपुर, बी० ए०, १९६३)
- ९ भारत में कृषि वित्त की व्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यों का विवेचन कीजिए । (विक्रम, बी० कॉम०, १९६३)
- १० "विभिन्न एजेन्सियों द्वारा जो कृषि साध आजकल प्रदान की जाती है वह ठीक मात्रा से कम है, ठीक प्रकार की नहीं है और आवश्यकता की नसोटी को ध्यान में रखते हुए बहूधा ठीक व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पाती है।" (गोरवाला समिति) इस कथन की व्याख्या कीजिए । ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी साध को विस्तृत करने के लिए हाल में क्या किया गया है ? (विक्रम, बी० कॉम०, १९६३)
११. भारतीय कृषि की साध आवश्यकताओं को पूरा करने में सहकारी आन्दोलन कहाँ तक सफल हुआ है ? इसके पुनर्गठन सम्बन्धी ग्राम सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । (राजस्थान, टी० डी० सी० प्रथम), १९६४)
- १२ भारत में कृषि ऋण प्राप्त करने में कौन कौन से मुख्य साधन हैं तथा उनकी आपस में क्या मद्दत है ? उनमें सुधार करने के लिए कुछ उपाय बतलाइए । (विक्रम, बी० कॉम०, १९६४)
- १३ कृषि वित्त प्राप्त करने के लिए अपनाये गये विभिन्न उपायों का सिंहावलोकन कीजिए । क्या यह उपाय पर्याप्त हैं ? (नागपुर, बी० कॉम०, १९६४)

*The country is in the grip of the Mahajan It is the bonds of debt that shackle agriculture* —Wolff

एक फ्रांसीसी कृषक के अनुसार ऋण किमान को उसी प्रकार सहारा देता है जिस प्रकार किसी अधिक की रस्सी फाँसी पर लटकने वाले को सहारा देती है। यह कहावत अन्य देशों में जहाँ सम्पूर्ण ऋण सर्वथा उत्पादक कार्यों के वास्ते लिए जाते हों, भले ही सत्य न हो किन्तु भारत में सर्वथा सत्य है क्योंकि भारतीय किसान अनेक प्रकार के उत्पादक एवं अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्राप्त करता है। वह खेती के लिए ऋण प्राप्त करने के अतिरिक्त उपभोग एवं सामाजिक कार्यों हेतु ऋण लेता है जिन्हें चुकाना सम्भव नहीं होता अतः वह ऋणग्रस्त हो जाता है।

ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने यह अनुमान लगाया था कि भारतीय कृषक को लगभग ७५० करोड़ रुपये वार्षिक की आवश्यकता पड़ती है किन्तु यह अनुमान आज की परिस्थितियों में सही नहीं कहा जा सकता। मूल्यों में वृद्धि तथा बढ़ते हुए जीवन स्तर एवं आवश्यकताओं के उद्घरण में भारतीय कृषि की साख सम्बन्धी कार्यों का यथोचित संचालन करने के लिए वर्तमान में लगभग ३,००० करोड़ रुपये वार्षिक की आवश्यकता पड़ती है जिनकी पूर्ति विभिन्न साधनों से की जाती है। इस ऋण का एक भाग प्रायः उसके पुराने ऋण में जुड़ता जाता है और ऋणधार निरन्तर बढ़ता जाता है। सम्भवतः इसीलिए कहा गया है कि भारतीय कृषक ऋण में जम लेता है ऋण में जीवित रहता है तथा ऋणों अबस्था में ही मर जाता है। इस प्रकार किमान का ऋण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरन्तर चलता रहता है।

### १ ऋणग्रस्तता तथा अनुमान

भारतीय किसान की ऋणग्रस्तता के अनुमान समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों अथवा विशेषज्ञ समितियों द्वारा लगाये गये हैं। इन अनुमानों में स अधिकांश द्वितीय युद्ध से पूर्व के हैं जिनका वर्तमान समय में कोई महत्त्व नहीं है। अतः उन्हें केवल ऐतिहासिक दृष्टि से देखना बाँझनीय है।

#### ग्रामीण ऋण के अनुमान

वर्ष	व्यक्ति या संस्था	राशि (रुपयों में)
१८७५	डेक्कन रॉयल्टी कमिशन	प्रति व्यक्ति ३७१
१९११	मेक्लेगन समिति	३०० करोड़
१९२४	मेल्कम डालिंग	६०० करोड़
१९३१	केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति	६०० करोड़
१९३५	डॉ० पी० जे० थॉमस	१,२०० करोड़
१९३७	कृषि साख विभाग (रिजर्व बैंक)	१,८०० करोड़
१९५४	ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति	प्रति परिवार ३६४
१९६२	रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	२,७८६ करोड़ (प्रति परिवार ४०६)

रिज़र्व बैंक की ग्राम्य एवं सर्वेक्षण रिपोर्ट (१९३५) ही ग्राम्य ऋणप्रस्तता के सम्यग्ध में प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट के अनुसार २० जून, १९६२ को भारत की ग्रामीण ऋणप्रस्तता लगभग २,७७६ करोड़ रुपये थी। ऋणग्रन्थ व्यक्तिया में ७५ प्रतिशत किमान धे जिन पर ऋण की कुल मात्रा २३८० करोड़ रुपय थी। ऋणग्रन्थता की मूचना दन वाने औमन किमान परिवार पर ऋण का भार ६५७ रुपये था और देश के औमन किमान परिवार पर ऋण भार ४०६ रुपये था।

इस ध्यौर से स्पष्ट है कि योजनाकाल में भी जदकि ग्रामों में विकास कार्यों को त्वरित गति में चनाया गया है किसानों पर ऋण भार निरन्तर बटना ही गया है।

## २ ऋणग्रस्तता के दोष

(१) कृषि विकास में हानि—यदि किमान ऋणग्रन्थ होता है तो उनकी उधार लेने की शक्ति कम हो जाती है। फलत वह आवश्यकता पटने पर यथेष्ट मात्रा में तथा यथोचित दर पर ऋण प्राप्त नहीं कर सकता जिससे कृषि विकास की गति अवग्रह होन की आशका रहती है।

(२) कृषक का शोषण—कृषक प्राय मराजन अथवा अन्य निजी व्यक्तियों तथा मस्याओं में ऋण लता है। यह न केवल किमान से ऊँची व्याज की दर लेते हैं बल्कि उसमें बेगार भी लेते हैं। इससे एक ओर तो किमान के ऋण में वृद्धि होनी जाती है, दूसरी ओर वह अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँ कृषि विकास के लिए केन्द्रित नहीं कर सकता।

(३) फस मूल्य की प्राप्ति—ऋणग्रन्थता का एक गम्भीर दोष यह है कि किमान को अपनी उपज साहूकार के हाथ बेचने के लिए बाध्य होना पटना है क्योंकि कभी-कभी तो साहूकार ऋण देने समय यह शर्त ही लगा देता है कि फसल उसे बेचनी पडेगी और कभी-कभी वह ऋण चुकाने के लिए उनका अधिक दशक डानता है कि किसान अपनी फसल गाँव में ही बेच देता है। इससे किमान को अपनी उपज का कम मूल्य प्राप्त होता है और वह अपन पूरे ऋण चुकाने में समर्थ नहीं हो पाता।

(४) प्रातसिद्ध दुर्घटना—ऋणग्रस्तता एक ऐसी मानसिक स्थिति है कि ऋणी अनेक बार कुछ अनावश्यक राशि भी उधार ले लेता है। इनमें से कुछ राशि का दुग्पयोग भी हो जाता है। इस प्रकार ऋणग्रन्थता अनुचित व्यय को प्रोत्साहित करती है जिससे कृषि की स्थिति निबल होनी जाती है।

## ३. ऋणग्रस्तता के कारण

भारतीय कृषक की ऋणग्रन्थता के अनेक कारण हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं :

(१) कृषि की अनिश्चिन्ता—किमान की ऋणग्रन्थता का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारतीय कृषि मानसून की दया पर निर्भर है। यदि फसल अच्छी हो जाती है तो किसान भाग्यशाली है अथवा उसे अपना निवाह करने के लिए तथा पशुओं की रक्षा करने के लिए ऋण लेना पटना है। यह ऋण अनुत्पादक होता है अतः इसे चुकाना बहुत कठिन होता है। फलतः किसान निरन्तर ऋणग्रन्थ होता जाता है।

(२) पशुओं की मृत्यु—भारतीय किमान के दो महत्वपूर्ण धन होने हैं, भूमि और पशु। अकाल की परिस्थितियों में प्राय पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध होना कठिन हो जाता है। वर्तमान युग में मनुष्यों के लिए खाद्यान्न तो विदेशों से आगत कर लिए जाने हैं परन्तु चारे के अभाव की पूर्ति करना अमम्भव होता है। अतः अनेक पशु काल-कवचित हो जाने हैं अथवा यथेष्ट चारा न मिलने के कारण अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाने हैं। इनाज कराने अथवा अगली फसल के लिए नये पशु खरीदने में बहुत धन खर्च करना पटना है। यह धन प्रायः उधार लेना पडता है और इसका मुगतान करना भी प्रायः अमम्भव होता है।

(३) **कृषि की अनायिकता**—भारतीय कृषि का स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि किसान उसमें जितने समय व्यस्त रहता है उतने श्रम का प्रतिफल बहुत कम मिलता है। इसके कारण प्रति एकड़ कम उपज, सिंचाई बीज-खाद तथा साख की मुविधाओं का अभाव तथा विक्रय व्यवस्था की दोषपूर्ण व्यवस्था आदि हैं। कृषक की आय कम होने के कारण स्वभावतः उसे अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ता है। कृषि पर बढ़ते हुए जनभार के अक्षयणन ने समस्या को अधिकाधिक गम्भीर बना दिया है। वास्तव में, जब तक कृषि एक लाभदायक व्यवसाय नहीं बन जाती तब तक कृषक की आर्थिक स्थिति में सुधार सम्भव नहीं है और ऋणग्रस्तता की स्थिति का अन्त नहीं हो सकता है।

(४) **सहायक धन्यो की कमी**—भारतीय किसान खेती के धन्ये में साल भर व्यस्त अवश्य रहता है किन्तु उसे वास्तविक बाय साल में कठिनाता से ६-८ महीने रहता है। शेष समय में वह इन महीनों की कमाई से ही जीवन यापन करता है। इसका कारण यह है कि खाली समय में उसे गाँव में ही कोई रोजगार उपलब्ध नहीं होता। कुछ व्यक्ति घरेलू परिस्थितियों के कारण नगरो में जाकर काम नहीं करना चाहते तो कुछ नगरो के विप्ले चातावरण से पबरते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े बल कारखानो में काम मिलने की शारण्यो भी नहीं है। अतः किसान की अतिरिक्त आय प्रायः नपथ्य है। कुछ व्यक्ति जो गाय भैर पालने हैं, पाम के नगरो में दूध आदि बेचकर अपनी आय में कुछ वृद्धि कर लेते हैं किन्तु इससे भी विशेष आमदनी नहीं होती। फलतः अनेक धार किसान का ध्यय आमदनी में अधिक होता है जिसकी ऋण लेकर पूर्ति करनी पड़ती है।

(५) **कृषक की निर्धनता**—कृषि की विपन्नता एव किसान की निर्धनता में सापेक्षिक एव घनात्मक सह-सम्बन्ध है। कृषक की निर्धनता के कारण कृषि की स्थिति घटिया है क्योंकि वह उपज बढ़ाने की सुधरी हुई प्रणालियों का प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरी ओर कृषि की स्थिति दुर्बल होने के परिणामस्वरूप किसान की आर्थिक स्थिति दुर्बल हो जाती है। अतः उसे खाद, बीज अथवा हल खरीदने तथा कभी कभी भगान चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ता है। सम्पन्न कृषि किसी भी प्रकार के ऋण चुकाने में समर्थ होती है परन्तु निर्धन किसान उत्तरोत्तर अधिक निर्धनता एव ऋणग्रस्तता में डूबता चला जाता है।

(६) **सामाजिक भार**—इसमें पूव कई स्थानों पर यह स्पष्ट करने की चेष्टा की गयी है कि भारतीय किसान रुढ़िवादी एव पुराननपन्थी है अतः उसे विवाह मृतक भोज तथा अन्य अवसरों पर बहुत धन खर्च करना पड़ता है जिनके लिए ऋण लेने के निवाय अन्य कोई मार्ग नहीं। किन्तु वर्तमान युग में नयी पीढ़ी के युवकों को एक विविध समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वह विवाह जैम अवसरों पर अपभ्यय नहीं करना चाहते किन्तु जाति के पच तथा मुखिया ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं और न करने पर सामाजिक धट्टिभार अथवा गाँव में निकालने की धमकी देते हैं। भारत के किसान तथा अन्य मध्यमवर्गीय जनता का सामने यह सामाजिक खर्च एक भीषण समस्या है जिसका समाधान करने के लिए अधिकाधिक नवयुवकों को ग्रामी भ वमना होगा अथवा ग्रामी को मदा के लिए छोड़ना होगा। उचित तो यह है कि कुछ सामाजिक मस्याएँ इस कार्य को हाथ में ले नें और निर-नर प्रचार द्वारा इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाय। दुर्भाग्य से आर्य समाज के नेता राजनीतिक समस्याओं में अधिक उलटन गये हैं अन्वया उनके शक्तिशाली आन्दोलन द्वारा इन सामाजिक रोगों से छुटकारा मिलना सम्भव था।

(७) **मृत्यु ऋण**—शाही कृषि आयोग का मत था कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है ऋण में जीवित रहता है तथा मृणी अवस्था में ही मर जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ऋण पीढी दर-पीढी चलता रहता है। प्रत्येक किसान का पुत्र यह समझता है कि यदि उमन अपने पिता द्वारा लिए गये ऋण का भुगतान नहीं किया तो उसे नरकवासी होना पड़ेगा। अनेक किसानों

को यह ज्ञात है कि यदि पिता सम्पत्ति में उचित श्रुण छोटा गया है तो वह उसे चुकाने के लिए बाध्य नहीं होने जा सकता। वस्तुतः समाज जनता पचास के योग भी श्रुण न चुकाने वालों को घृणा की दृष्टि में देखन लग जाते हैं। यह एक दुर्नायकता स्थिति है क्योंकि कितने ही मजदूर एन दिपन्त्या से जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को पैतृक श्रुणों का नुकसान करने के कारण अनाव और मकट का जीवन बिनाया पटना है।

(९) मुकदमेबाजी—भांगन का विमान जनक श्रुण न प्राप्त होने के कारण बहुत अज्ञानी एवं जहकारी भी है। जिन वर्गों का मन जन्म ही जानी है गाँवों में बहुत जगड़े होने लगन है क्योंकि कृषक यह समझन लगते हैं कि उन वर्गों का अन्धो हो जानगी जब उन्हें जिनों में धन की बड़ा आवश्यकता है। इन नायबनों के कारण छोटी से छोटी बातों पर विवाद खड़े हो जात हैं और मुकदमे प्रारम्भ हो जात हैं जिनमें न केवल उनकी फसल में प्राण प्रतिरिक्त धान का अन्न हो जाता है बल्कि और धनराशि श्रुण लेना पडती है। अज्ञानता का इनसे अधिक दष्ट और बड़ा मिन नकता है ?

(९) माह्वार का शिकार—शुण मश्रोदय का जो उद्धरण हम जन्माय के प्रारम्भ में दिया गया है उसका तात्पर्य यही है कि 'कृषक माह्वार के पत्र में है।' वस्तुतः कृषक नहीं बल्कि भाख की कृषि ही माह्वार का शिकार है क्योंकि विमान जब एक बार माह्वार से श्रुण ले लेता है तो मकटों के जाने में मकटों की भाँति फँस जाता है और पिछन नहीं सकता। इसका कारण यह है कि माह्वार बटो मरनता से श्रुण दे देता है जिसमें विमान की शिवूतनी को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी बात यह है कि माह्वार बहुत जल्दी दर से ग्राह्य जाता है। वहीं वहाँ तो व्याज की दरें ७५ से लेकर १०० प्रतिशत तक पहुँच जाती हैं। यह दर प्रायः चन्द्रवृद्धि व्याज के कारण बहुत बढ़ जाती है और विमान का श्रुण भी अर्थिकारिक बटना जाता है।

(१०) व्यवस्थित बाजार का अभाव—ग्रामीण कृषि पदार्थों का एक बड़ा भाग ग्रामों में ही माह्वारों द्वारा अथवा ऐजेण्टों को बेच दिया जाता है। इसका कारण यह है कि मण्डियों में विमानों के साथ जनक प्रकार की बाजारियाँ की जाती हैं जिनमें उनको न केवल कम मूल्य मिलता है बल्कि अनेक श्रुणियों का सामना करना पडता है। बहुत राशि तो विमान को मान मन्डी तक ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था हेतु ही श्रुण लेना पडता है। इन प्रकार उनका मूल्य कम मिलन तथा मान में जान के लिए श्रुण लेने के कारण विमान के श्रुण में वृद्धि हो जाती है।

(११) लगान शक्ति—ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक वर्षों में सरकार न जमींदारों का एक वर्ग निर्मित कर दिया था जो किसानों में मनमाना लगान वसूल करन लगा था। यह वर्ग गत कुछ वर्षों तक मज्जि था। उन वर्गों की मतमानी वसुली को अन्त बन्द हो गया है किन्तु अब भी अनेक बार सूखे अथवा अनिष्टों के कारण फसलें खराब हो जाती हैं जिनमें किसानों के लिए लगान चुकाना भी कठिन हो जाता है। यद्यपि कभी-कभी राज्य सरकारें लगान में छूट दे देती हैं परन्तु बहुत-सी बार किसानों को लगान चुकाने के लिए ही श्रुण लेना अनिवार्य हो जाता है।

(१२) भूमि के मूल्यों में वृद्धि—गत वर्षों में भारत के अनेक भागों में निवाई की सुविधाएँ बढ़ गयी हैं जिससे भूमि के मूल्यों में वृद्धि हो गयी है। फलतः किसानों की फसलों के उत्पादन में भी उत्पन्न हुई है। इस मसृष्टि में प्रेरित होकर किसान सामाजिक तथा अन्य कारणों के लिए अधिक श्रुण लेने लगे हैं जिनमें उनके श्रुणभार बढ़ गये हैं।

#### ४. ऋणप्रस्तुता निवारण सम्बन्धी कार्य

किसानों की श्रुणप्रस्तुता का एक दुर्ग्रन्थक यह हुआ कि बहुत-सी खेती वाली भूमि किसानों के हाथों में निकनकर माह्वारों के हाथों में चली गयी जिससे कृषि की उपज और कम हो गयी। इसके अतिरिक्त माह्वारों ने अनेक प्रकार से किसानों का शोषण करना प्रारम्भ कर दिया जिसे

रोकना आवश्यक था जहाँ विभिन्न राज्यों की सरकारों ने किसानों की ऋणग्रस्तता से छुटकारा दिलाने के लिए विभिन्न उपाय किये जिन्का संक्षिप्त व्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

(१) वृषभ महापता अधिनियम—वृषकों को ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए सर्वप्रथम १८७६ में दक्षिण भारत में एक अधिनियम पास किया गया जिसका नाम दक्षिण वृषभ महापता अधिनियम (Deccan Agriculturists Relief Act) रखा गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्न व्यवस्थाएँ की गयीं

(अ) ऋण शेष का निर्धारण—किसानों के विरुद्ध धन बनूनी के मुकदमों में बदायती को यह अधिकार दिया गया कि वह ऋण के कारण की जाँच कर सकती है और सही दावी निवाह सकती है।

(आ) ब्याज की दर में कमी—बदायती को ब्याज की दर घटाने का अधिकार दिया गया।

(इ) किसान तथा भूमि की रक्षा—एक अधिनियम के द्वारा किसान की विपक्षारी पर रोक लगा दी गयी और यदि उनकी भूमि विशेष रूप में बन्दक नहीं रखी गयी हो तो उनके विरुद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

कृषि शाही आयोग (१९२८) ने यह मत प्रकट किया कि साहूकारों द्वारा एक अधिनियम का पालन नहीं किया गया।

(ई) प्रतियोगिता कानून में सुधार—सन् १८६६ में भारतीय प्रतियोगिता कानून (Contract Act) में संशोधन कर लिया गया जिसके अनुसार यदि साहूकार ने किसी ऋणी पर अनुचित दबाव का प्रयोग किया है तो उसे बहू माना जा सकता था। बाल्मद में, किसानों को एक सम्झौती व्यवस्थाकारों दलों की ओर होती है कि यह प्रमाणित करना ही कठिन होता है कि कौनसा प्रतियोगिता ऐच्छिक है और किसमें अनुचित दबाव का प्रयोग किया गया है। इस कठिनाई के कारण प्रतियोगिता कानून में संशोधन से ही किसानों को विशेष लाभ नहीं हो सका।

(उ) कुमोदी ऋण कानून—सन् १९१८ में भारत सरकार ने कुमोदी ऋण कानून (Usurious Loans Act) पास किया जिसके अनुसार बदायती को यह अधिकार दिया गया कि यदि वे किसी ऋण सम्झौती की शर्तों को अनुचित समझें तो उसमें उचित हेर-फेर करके ऋण की दावी निवाली जा सकती थी। यह नियम की सर्वत्र प्रभावहीन रहा क्योंकि 'अनुचित' शब्द ब्रह्मदा शर्तों का निर्धारण करना कठिन था। इसे प्रभावकारी बनाने के लिए १९३३ में दमाल, १९३४ में आमान, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश, १९३७ में तमिलनाडु तथा १९३८ में बम्बई और बिहार में एक कानून में संशोधन किये गये। इन संशोधनों के अनुसार ब्याज की अधिकतम दरें निर्धारित कर दी गयीं और निर्धारित दरों में अधिक ब्याज लेना अनुचित माना गया।

(२) साहूकारों पर नियन्त्रण—किसानों को ऋणग्रस्तता से छुटकारा दिलाने के लिए कृषि शाही आयोग तथा विभिन्न राज्यों के लिए निरुक्त वैधिय जाँच समितियों ने साहूकार की क्रियाओं पर उचित नियन्त्रण लपान की व्यवस्था की ताकि वह किसानों से अनुचित लाभ न उठा सकें। ऊपर विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित दरों में साहूकार प्रतिशतम पास किये गये :

आमान, मध्य प्रदेश	१९३४
बिहार, पंजाब	१९३८
उड़ीसा, हैदराबाद, मैसूर	१९३६
बंगाल	१९४०
बम्बई	१९४६
राजस्थान	१९६२

गत वर्षों में अन्य राज्यों में भी साहूकारों की क्रियाओं पर नियन्त्रण लगाने सम्बन्धी कानून पारित किये गये हैं जिनमें साहूकारों के लिए निम्नलिखित कार्य अनिवार्य कर दिये गये हैं तथा ऋणियों की सुरक्षा प्रदान की गयी है :

साहूकार अधिनियमों की मुख्य विशेषताएँ -

- (१) नाम रजिस्ट्रार करवाना,
- (२) लाइसेंस लेना,
- (३) निश्चित विधि से हिसाब-किताब रखना,
- (४) ऋणियों को जमा रकम की रसीद देना,
- (५) ऋणियों को समय-मसय पर खाता विवरण भेजना,
- (६) व्याज की निर्धारित दर से अधिक न लेना,
- (७) किसानों को तग करन के विरुद्ध मरगण,
- (८) उपयुक्त नियम भंग करने पर दण्ड की व्यवस्था,
- (९) किसानों की भूमि, पैल या खेती व काम में आने वाला उपकरणों की कुर्तियों में रक्षा ।

इन सभी अधिनियमों में ऋण लेने वालों को साहूकार की अनुचित कार्यवाहियों में बचाने की व्यवस्था की गयी है किन्तु प्रायः सभी राज्यों के विधान उचित रूप में कार्यान्वित नहीं किये जा सके हैं । साहूकारों में बहुत कम मर्यादा में लाइसेंस दिए हैं व्याज की दरें मनमानी प्राप्त की जा रही हैं और हिसाब-किताब रखने तथा जमा की रसीदें देने की व्यवस्थाओं का सर्वत्र उल्लंघन किया जा रहा है । इस दृष्टि से साहूकार अधिनियमों का संचालन सर्वथा दोषपूर्ण एवं निर्बल रहा है, अतः उनसे ऋणियों को विशेष लाभ नहीं पहुँच सका है ।

(३) भूमि के हस्तान्तरण पर रोक—साहूकारों की अनुचित क्रियाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के अतिरिक्त कुछ राज्यों में किसानों की भूमि, हूत खेत तथा खेती सम्बन्धी अन्य उपकरणों की कुर्तियों पर रोक लगा दी गयी । इसका तात्पर्य यह था कि ऋणों की वसूली करने में किसान के खेती सम्बन्धी सम्पत्ति पर कब्जा नहीं किया जा सकता था । इस प्रकार कृषि भूमि को गैर-किसानों के अधिनार में जान में रोकने की चेष्टा की गयी । पञ्जाब में तो कई वर्ष पहले तक की हस्तान्तरित भूमि किसानों को लौटाने की व्यवस्था की गयी । इसका लाभ यह हुआ कि किसानों को ऋण चुकाने के दायित्व के बदले अपना निर्वाह साधन (भूमि) में हाथ नहीं धोना पडा ।

(४) समझौता अदालतें—प्रायः सभी राज्यों में ऋणों तथा साहूकारों के बीच ऋण की मात्रा निश्चित करने के लिए समझौता अदालतें (conciliation courts) स्थापित की गयीं जिनका कार्य दोनों के लेन-देन सम्बन्धी हिसाब का अन्वयन कर उसमें उचित संशोधन करना तथा हिसाब साफ करवाना था । इन अदालतों ने अनेक ऋणियों के ऋण कम करके उन्हें ऋण-मुक्त होने में सहायता दी ।

मुधार सम्बन्धी मुझाव—प्राचीन ऋणग्रस्तता को कम करने तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने सम्बन्धी अनेक मुझाव समय-समय पर विभिन्न समितियों द्वारा दिये गये हैं । उनमें कृषि वित्त समिति (१९४४) तथा प्राचीन साव सवैक्षण समिति (१९४४) के मुझाव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । अतः उपर्युक्त दोनों समितियों के मुझावों का मक्षिप्त ध्यौरा नीचे दिया जा रहा है -

(१) व्याज की न्यूनतम दरें—य बहुत स रधानों में निर्धारित की जानी चाहिए और उन्हें स्थान तथा परिस्थितियों के अनुसार निश्चित किया जाना चाहिए ताकि उनका उन्नयन होने की न्यूनतम आवश्यकता हो ।

(२) संचालन एवं प्रबन्ध—साहूकारों के नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनों का संचालन बहुत



कुशल व्यक्तियों के हाथ में दिया जाना चाहिए ताकि किसी भी धारा की अवहेलना करने वाले को तत्काल दण्डित किया जा सक। इस सम्बन्ध में ग्रामीण सान्ध सर्वेक्षण समिति ने यह कार्य सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार को मौपन की सिफारिश की है। यदि वास्तव में देखा जाय तो भौतिक रूप में यह मुझाव नवथा उचित है परन्तु अग्रिकाश राज्यों के सहकारी विभागों का सञ्चालन अत्यन्त अकुशल एवं दोषपूर्ण है अतः उन्हें साहूकारों पर नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनों का सञ्चालन-भार दन स काई लाभ होने की सम्भावना नहीं है। उचित तो यह है कि इस कार्य के लिए सहकारी विभाग में एक अलग ही उप-विभाग निर्मित किया जाय जिसकी व्यवस्था एक रजिस्ट्रार की देखरख में की जाय। इस विभाग का पचायत समितियों, सामुदायिक केंद्रों तथा राज्य सरकार के रात्रन्व विभाग से उचित सम्पर्क होना आवश्यक है।

(३) अधिनियमों में सजोयन—इसि वित्त समिति न यह मुझाव दिया था कि देश के सभी राज्यों में प्रचलित साहूकार कानूनों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन कर यह निश्चय करना चाहिए कि उन्नत निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं अथवा नहीं। यदि नहीं, तो इन व्यवस्थाओं को सम्मिलित कर दना चाहिए

- (१) साहूकार का पजोयन (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य करना,
- (२) लाइसेंस लेन की व्यवस्था करना,
- (३) निर्धारित रूप में खाते रखन की व्यवस्था करना
- (४) खाना में अगुद्ध प्रविष्टियों के लिए दण्ड निर्धारित करना,
- (५) ऋणियों का समय-समय पर गान्ता विवरण भेजना
- (६) ऋणियों को प्रत्येक ऋण के लन दन सम्बन्धी जमा खर्च व्याज का व्यौरा भेजना,
- (७) ऋणियों को प्रत्येक जमा में वदन रसीद देना,
- (८) व्याज की दरें निर्धारित करना
- (९) दामदुपन (मूल और व्याज मिलकर मूल के टुगन में अधिक न हो) र विद्वान्त को लागू करना,

(१०) ऋणियों में अनुचित मुञ्जा की वसूली पर रोक लगाना,

(११) ऋणी को यह अधिकार दना कि वह ऋण की रकम का सम्पूर्ण अथवा आंशिक भाग किसी भी समय अदालत में जमा करवा सके,

(१२) किसी भी ऋण का अपन राज्य में बाहर भुगतान करने पर प्रतिबन्ध लगाना,

(१३) ऋणिया को अपनी ण रकम का निरक्षण करने के लिए साहूकार पर मुकद्दमा चलान का अधिकार दना,

(१४) ऋणिया को मारपीट अथवा अन्य दवाओं से मुक्त करना,

(१५) उपयुक्त नियमा की अवहेलना करने पर बड़े दण्ड देने की व्यवस्था करना।

उपयुक्त सभी मुझाव इति ऋणदस्नता को कम करने की दृष्टि में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जिन राज्यों में अभी अभी साहूकार अिनियम पाम दिव गय हैं उनमें प्रायः सभी आवश्यक बातों का समावेश किया गया है किन्तु मूल समस्या इन अधिनियमों का पालन करवाने सम्बन्धी है। सहकारी प्रबन्ध-व्यवस्था की अपारम्भन अकुशलता के कारण साहूकारों की अवाहनीय क्रियाएँ आज भी चालू हैं। दूमरी ओर सहकारी साध समितियाँ अभी इतनी मजबूत नहीं हुई हैं कि विमानों की सम्पूर्ण आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें, अतः साहूकारों का महत्त्व इति साध में कुछ समय तक यथावन् दना र्हा महत्त्व मत्य है।

ऋण-निर्धारण एवं भुगतान—विमानों की ऋणदस्नता निवारण के सम्बन्ध में कुमाराप्पा समिति ने यह मुझाव दिया था कि कृत इति ऋण का तत्काल अनुमान लगाकर उनके भुगतान की

व्यवस्था की जाती चाहिये । इस सम्बन्ध में उचित यह है कि सरकार द्वारा सभी कारखानों में यह मांग कर लेनी चाहिये कि वे एक निश्चित दिशि एक सभी दिशाओं के श्रम की पर्याप्त व्यवस्था नमिदि, तबनी-सहाय के अन्याय उद्योग कारखानों मन्दिनि के तन्वी-सहाय से का दें । इस दिशि के पर्याप्त किमी भी ऐस व्यक्तिके श्रम की सम्पत्ति नहीं है। उन मन्वी जो बहुत निधि नष्ट श्रमों के नाम श्रम शक्ति तथा श्रम का सेवा किमी अन्याय में सम्पत्ति न कर सका है ।

उपरोक्त घोषणा में सरकार का मतभंगी सम्बन्ध में सरकार सभी व्यक्तिकों के नामों की जानकारी हो जाननी चाहिये जो उद्योग पर उच्च सम्पत्ति का है किन्तु बाध्य श्रम में सम्पत्ति है । दूसरा लक्ष्य यह है कि उक्त दिशि एक निश्चित श्रमों के श्रमिकों का तत्काल सम्पत्ति उद्योग सम्पत्ति की व्यवस्था की जा सकती है । ऐसा करने में यदि सम्पत्ति में सम्पत्ति हो करी हो मन्वी जो श्रम-व्यवस्था का नाम श्रमिकों का उक्त दिशि एक का उचित व्यवस्था हो मन्वी । इस में सम्पत्ति सम्पत्ति सम्पत्ति करनी की सम्पत्ति करते शारीर श्रम में उचित सम्पत्ति की जाया गया मन्वी सम्पत्ति सम्पत्ति ।

### प्रश्न

१. भारत में शारीर श्रमिकों के श्रम कायदा है । उक्त श्रमिकों के श्रमिकों का उचित सम्पत्ति सम्पत्ति है ।
२. भारत में शारीर श्रम की क्या सम्पत्ति है । उद्योग सम्पत्ति के श्रमिकों का उचित सम्पत्ति सम्पत्ति ।

*"To leave out problem of agricultural labour in any scheme of agrarian reforms—as has been done so far, is to leave unattended a peeping wound in the agrarian system of the country."*

—Agrarian Reforms Committee

द्वितीय कृषि श्रम जांच समिति (Agricultural Labour Enquiry) के अनुसार भारतीय कृषि में सलग्न श्रमिकों में से लगभग १६३ करोड़ परिवार (अर्थात् लगभग ८ करोड़ व्यक्ति) ऐसे हैं जिनके पास खेती के लिए तनिक भी भूमि नहीं है। यह व्यक्ति फसल के समय किसी किसान के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। किसान इन्हें फसल का एक अंश (चतुर्थांश अथवा पंचमांश) देने का समझौता कर लेता है अथवा दैनिक मजदूरी पर नियोजित कर लेता है। इनमें से कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जिनके स्वयं के पास भी थोड़ी सी भूमि होती है किंतु उस भूमि से उन्हें पूरे समय काम उपलब्ध नहीं होता अतः वह दूसरे किसानों के काम में हाथ बँटाने लगते हैं। उनकी स्त्रियाँ तथा बच्चे भी कृषि कार्य में सहयोग देते हैं।

### १ सन्ध्या का अनुमान

कुमारप्पा समिति ने यह अनुमान लगाया था कि यदि वास्तविक काम करने वाले कृषि श्रमिकों की गणना की जाय तो उनकी संख्या ३१५ करोड़ है। इन दोनों अनुमानों में जो अन्तर है वह स्वभावतः गणना के दोष के कारण ही है क्योंकि समिति की रिपोर्ट में आगे जाकर कहा गया है कि यदि इनमें ऐसे श्रमिकों को भी सम्मिलित कर लिया जाय जो अपनी भूमि पर खेती के साथ साथ अन्य लोगों की भूमि पर श्रमिक रूप में काम करते हैं तो उनकी संख्या कुल कृषकों की संख्या की लगभग ३५ प्रतिशत हो जायेगी। वास्तव में इस कठिनाई के कारण ही कृषि श्रमिकों की शुद्ध संख्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि छोटे छोटे भू-खण्डों के मालिकों में से कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी भूमि पर खेती करने के साथ-साथ अन्य किसानों के साथ श्रमिक का भी कार्य करते हैं।

कृषि श्रमिक जांच—सन् १९५०-५१ तथा १९५६-५७ में कृषि श्रमिक जांच समितियाँ नियुक्त की गयीं। इन समितियों की रिपोर्टों की मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं (1) सन् १९५६-५७ की जांच के अनुसार कृषि श्रमिक परिवारों की संख्या १६३ करोड़ थी। इनमें से ५८% परिवारों के पास भूमि बिलकुल नहीं थी। कृषि परिवारों में से ८३ परिवार आकस्मिक (casual) श्रमिक परिवार थे जो दैनिक मजदूरी पर काम करते थे, १७% सम्बन्धित (attached)

श्रमिक परिवार वे जो निश्चित अवधि के लिए ठेके पर काम करते थे। (ii) सन् १९५६-५७ में कृषि श्रमिकों की कुल सध्या ३३ करोड़ थी (पुरुष १८ करोड़ स्त्रियाँ, १२ करोड़ तथा बच्चे ३० लाख)। (iii) ये श्रमिक १९५०-१९५१ में वर्ष में २०० दिन तथा १९५६-५७ में वर्ष में १४७ दिन तक औसत रूप में मजदूरी पर काम करते थे। (iv) इन श्रमिकों की औसत मजदूरी सन् १९५०-५१ में १०६ रु० तथा सन् १९५६-५७ में ६६ पैसे मात्र थी। दोनों जाँचों के अनुसार कुल मजदूरी के क्रमशः ३१ तथा ४० प्रतिशत भाग का भुगतान वस्तु के रूप में किया जाता है। (v) कृषि श्रमिक परिवार की औसत आय सन् १९५०-५१ में ४४७ रु० वार्षिक तथा १९५६-५७ में ४३७ रु० मात्र थी (परिवार का औसत आकार इन दो वर्षों में क्रमशः ४३ व ४४ था)। (vi) सन् १९५६-५७ में प्रति श्रमिक परिवार ६१७ रु० वार्षिक उपभोग व्यय था जबकि आय केवल ४३७ रु० थी अतः १८० रु० वार्षिक की कमी थी जिसकी पूर्ति मृण पूर्व बचत के उपभोग आदि द्वारा की जाती थी।

उपर्युक्त तथ्यों से कृषि श्रमिकों की दयनीय दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। उनकी सध्या में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा वार्षिक दशा में गिरावट भारत की एक प्रमुख आर्थिक व सामाजिक समस्या है।

सध्या में वृद्धि—गत वर्षों में कृषि श्रमिकों की सध्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। इसका अनुमान इस प्रकार लगाया गया है

वर्ष	१८८१	१८९१	१९२१	१९३१	१९५१	१९६१
सध्या (करोड़)	०७५	१८७	२१५	३३	४६	५६०

कृषि श्रमिकों की सध्या में वृद्धि होने के अनेक कारण हैं

(१) जनसध्या में वृद्धि।

(२) भूमि का अपव्यवहार जिसके कारण अनेक भू खण्ड इतने छोटे हो गये हैं कि उन पर कृषि द्वारा पूरे समय काम मिलना कठिन है।

(३) सयुक्त परिवार प्रणाली का पतन।

(४) लघुकाय उद्योगों का पतन अथवा अभाव।

सन् १९५१ से १९६१ के दस वर्षों में कृषि श्रमिकों की सध्या में केवल दस प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि जनसध्या २१ प्रतिशत में भी अधिक बढ़ी है। इसका तात्पर्य यह है कि इस दशाब्द में कृषि श्रमिकों की वृद्धि की गति शिथिल हो गयी है। इसका कारण यह है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भूमि के उप-विभाजन पर रोक लगा दी गयी है। लघु तथा दीर्घाचार उद्योगों की प्रगति के कारण श्रमिकों को इन उद्योगों में भी पहले से अधिक काम उपलब्ध होने लगा है। तीसरा कारण शिक्षा की प्रगति है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवक अब कृषि के स्थान पर सरकारी अथवा अन्य नौजरी करना अधिक पसन्द करने लगे हैं और ग्रामों को छोड़कर नगरों में बसने लग गये हैं।

## २. कृषि श्रमिकों का वर्गीकरण

कृषि श्रमिकों को प्रायः तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है।

(१) खेतों पर काम करने वाले—इस वर्ग में हल चलाने, फसल बोने, भूमि की खेती-योग्य बनाने, फसलों के पौधों में से अनावश्यक जंगली पौधे साफ करने तथा फसल काटने आदि का कार्य करने वाले सम्मिलित हैं। वस्तुतः खेतों पर काम करने वाले श्रमिकों के सभी कार्यों की सूची देना कठिन है क्योंकि इनमें पशुओं की देखभाल और सामान्य घरेलू कामों में लेकर फसल की रखवाली करने तथा उसे मण्टी में बेचने तक के कार्यों में सहायता ली जा सकती है।

खेतों पर काम करने वाले श्रमिक प्रायः फसल के अवसर पर काम करते हैं किन्तु इनमें से

अदिकाश साल भर अथवा कम से कम छह मास के लिए भूमि पर नियोजित रहते हैं। इन श्रमिकों को अनेक बार उपज में साझेदारी के अतिरिक्त मिलते हैं किन्तु जो श्रमिक केवल आकस्मिक कार्यों हेतु नियोजित किये जाते हैं वे ही निश्चित दर से पारिश्रमिक दिया जाता है।

(२) सामान्य श्रमिक—खेतों पर प्रत्यक्ष काम करने वाले श्रमिकों के अतिरिक्त कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कुएँ खोदने नहरों की मिट्टी निकालने, कृषि भूमि के चारों ओर मिट्टी की भेट बाँधने आदि का कार्य करते हैं जो कृषि कार्यों में सम्मिलित हैं। इन श्रमिकों के कार्य प्रायः आकस्मिक ही होते हैं और इन्हें भी मजदूरी के आधार पर नियोजित किया जाता है।

(३) कुशल श्रमिक—उपर्युक्त दोनों प्रकार के श्रमिकों के अतिरिक्त किमान अनेक बार कुछ ऐसे व्यक्तियों को सवाएँ प्राप्त करता है जो कृषि के लिए प्रत्यक्ष उपयोगी काम नहीं करते बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में महायुक्त होते हैं। इन श्रमिकों में बड़ई चमार लुहार आदि सम्मिलित हैं जो हल, गाड़ी अथवा चरस बनाने अथवा इनकी मरम्मत करने के कार्यों में सहायक होते हैं। इन श्रमिकों को ठेके अथवा मजदूरी पर नियोजित किया जाता है।

### ३ स्त्री तथा बाल श्रमिकों का नियोजन

कृषि व्यवसाय में बटन से काय इस प्रकार के हैं जिनमें अधिक धैर्य तथा सामान्य कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के कार्य भूमि में जगती पौधे उखाटना चाकड़ कूटना तथा फसल काटना हैं जिनमें स्त्रियाँ और बच्चे मरततापूर्वक सहयोग दे सकते हैं। पंजाब हरियाणा, तथा राजस्थान की स्त्रियाँ खरीब में प्रायः पुरुषों के अतिरिक्त कार्य करती हैं।

स्त्रियों तथा बच्चों को कृषि कार्यों में नियोजित करने का कारण यह भी है कि इनमें पुरुषों की तुलना में अधिक घण्टे काम लिया जा सकता है यह पुरुषों से अधिक लगनशील और ईमानदार होते हैं तथा इन्हें कम पारिश्रमिक देना पड़ता है। कुमारपत्नी समिति ने इस प्रथा का विरोध करते हुए स्पष्ट मन प्रकट किया है कि यह दोहरा शोषण है जिसका तत्काल अन्त किया जाना आवश्यक है।

### ४ कार्य का स्वभाव

कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में एक गम्भीर बात यह है कि यह प्रायः २४ घण्टे के नीचे रहते हैं। दश में किसी भी कानून द्वारा कृषि श्रमिकों के काम के घण्टे निश्चित न होने के कारण किमान अथवा मालिक उनमें मतमाना काम लते हैं। येन पर काम करने के पददान मर्द, औरत तथा बच्चे सभी मालिक के घर पर काम करते हैं। इस प्रकार काम की अपेक्षा सभी वर्षों १२-१५ घण्टे दैनिक तक हो जाती है जो सर्वथा अनुचित एवं बर्जनीय है।

### ५ अन्य तथ्य

(१) अस्थायी कार्य—कृषि श्रमिकों के शोषण के अतिरिक्त उनके कार्य सम्बन्धी दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि कुल कृषि श्रमिकों में से लगभग १५% ही साल भर नियोजित रहते हैं, शेष को केवल कुछ मास के लिए काम मिलता है। इस प्रकार केरोकटारी से उनकी निश्चिन्ता और बर्बाद होती है और काम के दिनों में वह किसी भी शर्त पर काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं।

(२) दास प्रथा—यद्यपि भारत को स्वतन्त्र हुए लगभग पच्चीस वर्ष बीत गये हैं परन्तु देश के अनेक राज्यों में किसी न किसी रूप में दास प्रथा विद्यमान है। बम्बई में हाथियों को धिक्का करने के लिए घन उद्योग दिया जाता है जिनके फलस्वरूप वह व्यक्ति मृग्य चुनता होने तक मालिक की खेती पर काम करने के लिए बाध्य हो जाता है। बहुत कुछ ऐसी ही प्रथा राजस्थान के बांसवाड़ा तथा झुंजरपुर के ग्रामों में प्रचलित रही है। छोटा नागपुर के कमिया और मद्रास के पन्नायों की स्थिति भी दामास से कम नहीं है। इन प्रथाओं के अन्तर्गत काम करने वाले कृषि श्रमिकों के फलस्वरूप मालिकों के यहाँ जाज्म अथवा मृग्य चुनता हान तक केवल भीषण

के बदले काम करते हैं। उनके काम में परिवार के अन्य सदस्य भी हाथ बटाते रहते हैं जिन्हें कुछ पारिश्रमिक दे दिया जाता है।

यद्यपि राज्य सरकारों ने इन प्रथाओं का अन्त करने के लिए कानून बना दिये हैं परन्तु कानून प्रायः धनी और शक्तिशाली का सहायक होता है। जब तक प्रत्येक नागरिक को निश्चुल्क कानूनों की सुरक्षा नहीं हो सकती। दूसरी कठिनाई यह है कि इन लोगों का सामाजिक धरातल अत्यन्त निम्न है अतः यह अपने लालचानि की किसी भी बात को न तो भंगी प्रचार समझ सकते हैं, न उसके सम्बन्ध में मर्षण कर सकते हैं। अतः पचायतों को इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। वे एक ओर तो शिक्षा का विकास कर इन व्यक्तियों को अमानवीय व्यवहार से बचा सकती हैं और दूसरी ओर स्वयं उनके शोषण का अन्त करने सम्बन्धी कार्य अपने हाथ में ले सकती हैं।

(३) नियोजन तथा मजदूरी—द्वितीय कृषि श्रम जांच समिति का अनुमान है कि भारत में कृषि श्रमिक का औसत परिवार ४-६ व्यक्तियों का है जिनमें से केवल आधे लोग ही काम करते हैं। इनमें से मई-जून के महीने में कुल २७५ दिनों में कार्यरत रहते हैं। इस २७५ दिनों में से भी ७५ दिन तो वह निजी कार्य में सलग्न रहते हैं और शेष दिनों में मजदूरी पर काम करते हैं।

स्त्रियों को वर्ष में केवल १३४ दिन काम मिलता है और बच्चों को २०४ दिन। यह स्थिति आर्थिक श्रमिकों की है जिनकी सद्यः कुल श्रमिकों की लगभग ८५% है। इससे स्पष्ट है कि कृषि श्रमिकों को वर्ष में बहुत कम समय काम मिलता है।

(४) शर्त—कृषि श्रमिकों को मजदूरी प्रायः दो प्रकार दी जाती है। कुछ क्षेत्रों में श्रमिक फसल में ही भागीदार होते हैं। पंजाब में बहुत से श्रमिकों को फसल के १०% से २०% तक देने की शर्त पर रखा जाता है। कभी-कभी श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के आधार पर नियोजित किया जाता है और उमें कुछ मन अन्न तथा चारा भी दे दिया जाता है। फसल की कटाई के अवसर पर जो मजदूर रखे जाते हैं वह पूर्णतः मजदूरी के आधार पर नियोजित किये जाते हैं। वर्तमान युग में मुद्रा तथा बैंक व्यवस्था का पर्याप्त विकास होने के कारण अधिकतर कृषि श्रमिक दैनिक मजदूरी के आधार पर ही नियोजित किये जाने लगे हैं।

(५) दरे—द्वितीय कृषि जांच समिति के अनुमान के आधार पर भारत में एक श्रमिक परिवार की औसत वार्षिक आय लगभग ४३७ रुपये है जो प्रति व्यक्ति केवल ६६४ रुपये होती है। इतनी कम आय से कोई व्यक्ति रहन-सहन का कमा स्तर बनाये रह सकता है, यह सोचना सर्वथा हास्यास्पद है। वस्तुतः इतनी आय पर जीवित रहना ही एक ईश्वरीय चमत्कार समझा जाना चाहिए।

उपर्युक्त समिति के अनुमान के अनुसार एक पुरुष श्रमिक की दैनिक मजदूरी ६६ पैसे तथा स्त्री श्रमिक की दैनिक पारिश्रमिक केवल ५६ पैसे है जबकि एक बाल श्रमिक को केवल ५३ पैसे दैनिक मिलते हैं। इस स्थिति की गम्भीरता का भी वास्तविक अनुमान तभी लग सकता है जब इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि इन श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता।

(६) ऋण तथा जीवन स्तर—कृषि श्रम जांच समिति ने मतानुसार एक कृषि श्रमिक परिवार की औसत वार्षिक आय ४३७ रुपये तथा व्यय ६१७ रुपये है। इस प्रकार न्यूनतम व्यय की पूर्ति करने में १८० रुपये वार्षिक की कमी रहती है जिसकी पूर्ति पुरानी बचतों, ऋणों अथवा अपनी यत्किञ्चि सम्पत्ति बेचकर की जाती है। स्वभावतः अधिकांश परिवारों को ऋण लेकर ही काम चलाना पड़ता है। इसका परिणाम यह है कि लगभग ६४ प्रतिशत कृषि श्रमिक परिवार ऋणग्रस्त हैं। यह प्रतिशत १९५०-५१ में केवल ४५ थी। प्रति परिवार ऋण भी ४७ रुपये से

बढ़कर ८८ रुपये हो गया है। यदि केवल श्रुणी परिवारों के ही श्रुण की गणना की जाय तो उनकी औसत राशि १३८ रुपये है।

श्रुण में वृद्धि—उपर्युक्त अंक १६५६ ५७ के हैं। गत दस वर्षों में वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हुई है किन्तु कृषि श्रमिकों की पारिश्रमिक दरों में कुछ वृद्धि हुई होगी, यह कह सकता हूँ कि नहीं है। इसमें एक सामान्य निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि उन पर श्रुणभार निश्चित रूप से पहले से अधिक हो गया है। इसका वास्तविक अनुमान किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा ही लगाया जा सकता है।

श्रुण के कारण तथा स्रोत—कृषि श्रमिक जाँच समिति ने एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश डाला है कि कृषि श्रमिकों द्वारा कुल श्रुण का लगभग ४६ प्रतिशत उपभोग के लिए, २४ प्रतिशत सामाजिक खर्चों के लिए, १६ प्रतिशत उत्पादक कार्यों के लिए तथा शेष ११ प्रतिशत विविध कार्यों के लिए प्राप्त किया गया। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारतीय ग्रामों में किये जाने वाले अधिकांश सामाजिक खर्च प्रायः अनिवार्य है और उन्हें किये बिना ग्राम में रहना अमंभव है। इन यह सामाजिक आवश्यकताएँ हैं। इस दृष्टि से श्रमिकों द्वारा प्राप्त किये गये श्रुणों का ७०% (४६ + २४) अनिवार्य समझा जाना चाहिए। शेष में १६% श्रुण उत्पादक कार्यों के लिए और ११% विविध कार्यों के लिए प्राप्त किया गया है।

ऊपर दिये गये विवरण में यही स्पष्ट होना है कि कृषि श्रमिक अधिकांश श्रुण अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए प्राप्त करता है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके श्रुणदाताओं में भी ३४% भाग साहूकारों द्वारा, ४४% मित्रों तथा सम्बन्धियों द्वारा, १५% नियोजकों (employers) द्वारा, ५% दुकानदारों द्वारा तथा शेष १% सहकारी समितियों द्वारा दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि कृषि श्रमिक जो १६% उत्पादक श्रुण प्राप्त करता है वह भी उसे अन्य माधनों द्वारा प्राप्त करना पड़ता है क्योंकि सहकारी समितियाँ तो कुल के केवल १% की पूर्ति करती हैं। यह स्थिति एक ओर तो सहकारी समितियों की जड़ता की ओर संकेत करती है किन्तु दूसरी ओर कृषि श्रमिकों की दीनता और विवशता का भी परिचय देती है कि उनकी तनिक भी साल नहीं है जिसके आधार पर वह सहकारी समितियों से श्रुण उपलब्ध कर सके।

(७) जीवन-स्तर—ऊपर बतायी गयी बात इस बात की स्रोतक है कि कृषि श्रमिकों का जीवन स्तर किस प्रकार का हो सकता है। इन लोगों की भोजन तथा वस्त्र की न्यूनतम आवश्यकताएँ भी प्रायः पूरी नहीं हो पाती। हल्का-गुणवत् भोजन जिनमें माग-मक्की तथा स्निग्ध पदार्थों का सर्वथा अभाव रहता है, इन्हें यश-कृषा ही दोनों समय भर-पेट मिल पाता है। वस्त्र के नाम पर सम्भवतः एक कुरता धोती चिथड़े चिथड़े उड़ जान तक शरीर पर रखने पड़ते हैं। भारतीय किसान खेती करते समय प्रायः एक धोती, तहमद या लघोट ही शरीर पर रखता है। यही स्थिति कृषि श्रमिकों की है।

भोजन तथा वस्त्र के अतिरिक्त कृषि श्रमिकों की आवास स्थिति अत्यन्त दयनीय है क्योंकि अधिकांश के पास रहने के लिए मकान नहीं हैं। जिनके पास मकान हैं भी, उन पर कच्चे छपर हैं जो वर्षा श्रुत में टपकते हैं और जिनमें आग लगने का शय सदा बना रहता है।

## ६. सुधार के उपाय

कृषि श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा सुधारने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय सुझाये गये हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं

(१) न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना—जिस प्रकार अन्य उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गयी है उसी प्रकार कृषि श्रमिकों के लिए भी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारित किया

गया है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९८८ कृषि श्रमिकों पर भी लागू किया गया है त्रिनके अनुसार केरल, उत्तीना, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मंनूर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में सर्वत्र तथा जासाम, गुजरात, महाराष्ट्र जोर तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों की काम में कम मजदूरी निश्चित कर दी गयी है। केंद्रीय सरकार द्वारा कृषि प्रदर्शन क्षेत्रों तथा सैनिक प्लांटों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी गयी है।

कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना एक म्णुष्य कार्य है परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इनसे सम्बन्धित अधिनियम को उचित रूप में लागू नहीं किया जा सका है। इसका कारण यह है कि कृषि क्षेत्र बहुत विस्तृत है, श्रमिक अतिशय एव अल्पविरचामी हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल है। अतः नियम का पालन करने में यह महायत्न हो सके, यह संबंधा सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में पचायतों की सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और कानून की उद्वेगना करने वालों को दम्भित कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(२) काम के घण्टे—औद्योगिक श्रमिकों की भाँति ही कृषि श्रमिकों के लिए भी काम के घण्टे निश्चित करना आवश्यक है ताकि उन्हें भी न्यूनियागियों के शोषण से मुक्त किया जा सके। इस काम की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य में उचित कानून बनाया जाना चाहिए तथा राज्य-विभाग, कृषि विभाग एव पचायतों के सहयोग से उन कार्यान्वित करने की चेष्टा करनी चाहिए। इन सम्बन्ध में राज्यों द्वारा कानून बनाने का औचित्य यह है कि प्रदेश प्रदेश में कृषि की परिस्थितियाँ भिन्न हैं अतः उन परिस्थितियों के आधार पर ही काम के घण्टे निश्चित करना आवश्यक है।

(३) काम प्रथा का अन्त—भारत के कई प्रदेशों में कृषि श्रमिकों को श्रम लेने के प्रति-फलस्वरूप लगभग दामता का जीवन दिवाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस व्यवस्था का अन्त करने के लिए व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता है। राज्यपालन में सागरी प्रथा का अन्त करने के लिए जो कानून बनाया गया है उसे मजदूरों में पालन करवाना चाहिए ताकि कृषि श्रमिकों के शारीरिक एव मानसिक दुःखों का अन्त सम्भव हो सके। इस कार्य में भी पचायत तथा सामुदायिक योजनाओं के अधिकारी सहयोग दे सकते हैं।

(४) भूमि की व्यवस्था—भारतीय कृषि श्रमिकों की समस्याओं का सामुदायिक हन यह है कि देश में अतिरिक्त भूमि है अर्थात् जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है वह भूमिहीनों को वितरित की जानी चाहिए। जिन क्षेत्रों में ऊपर अथवा बजर भूमि मात्र कर खेती के उपयुक्त बनायी गयी है उनमें तथा नूदान एव ग्रामदान में प्राप्त भूमि पर भूमिहीन कृषकों एव कृषि श्रमिकों को बनाया जाना चाहिए। इन व्यक्तियों को भूमि के अभाव में अलग-अलग भूमि देना सम्भव नहीं है अतः इन भू-संगठनों पर सरकारी कृषि समितियाँ निर्मित की जा सकती हैं और भूमि-हीनों को इन समितियों की सदस्यता प्रदान की जा सकती है। इन प्रकार सरकारी कृषि समितियों की भूमि में खेती करने में इन व्यक्तियों की भूमि की भूय भी शान्त हो सकेगी और इनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकेगा। समितियों की सदस्यता प्राप्त करते समय भूमिहीन कृषकों को यह स्पष्ट बजा देना चाहिए कि उन्हें भूमि से वेदखन नहीं किया जाएगा।

(५) रोजगार की व्यवस्था—भूमिहीन कृषि श्रमिकों की समस्याओं का एक समाधान यह है कि उन्हें कुटीर उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाय ताकि इनकी भूमि पर निर्भरता का अन्त हो जाय। कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए उन्हें सन्ते श्रम तथा प्राविधिक सुविधाएँ मुक्त करायी जा सकती हैं और सरकारी समितियों के माध्यम से उनका निर्मित मान देवने की व्यवस्था की जा सकती है।

कुटीर उद्योगों की स्थापना के अतिरिक्त पचायतों, पचायत समितियों तथा राज्य सरकारों



कृषि के समय को छोड़कर शेष समय में (जब श्रमिक फुरसत में होते हैं) सार्वजनिक निर्माण कार्य, जैसे—सड़क, नहरें, अथवा अन्य निर्माण कार्य आरम्भ कर सकती हैं जिनसे इन श्रमिकों को अतिरिक्त रोजगार मिल सकता है। यदि उद्योगों तथा निर्माण कार्यों में रोजगार की समुचित व्यवस्था हो जाय तो कृषि श्रमिकों की भूमि सम्बन्धी भूख का अन्त हो सकता है।

(६) शिक्षा—भारत के ग्राम्य निवासियों को शिक्षित करने की समस्या अत्यन्त गम्भीर है क्योंकि सत्र के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने में बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। त्रिन्तु देश के कर्णधारों को यह समझ लेना चाहिए कि वास्तविक प्रजातन्त्र की स्थापना एवं रक्षा के लिए देश की सम्पूर्ण जनता को शिक्षित एवं जागरूक बनाने की आवश्यकता है। यदि कृषि श्रमिकों के बालक निरन्तर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो एक दिन वह भी देश के अन्य सम्मान्य नागरिकों की श्रेणी में गिने जाने योग्य बन सकते हैं। इस सम्बन्ध में कई राज्यों ने 'पिछड़ी श्रेणी' (Backward class) की परिभाषा बदलकर आर्थिक दृष्टि से विपन्न परिवारों के बालकों को छात्रवृत्तियाँ तथा आर्थिक सहायता देना आरम्भ कर दिया है। 'स्कूल चलो' अभियान भी चलाये गये हैं। इस प्रकार के अभियानों को अधिक सशक्त एवं व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि अधिकाधिक बालक विद्यालयों में जाने लें और एक दशान्वद में ही भारत की वायापत्त हो जाय। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के प्रयत्नों की सफलता इनके संचालकों की कार्यक्षमता एवं निष्ठा पर निर्भर करती है।

#### प्रश्न

- १ कृषि श्रमिकों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? उनमें सुधार के लिए उपाय बताइए।

## कृषि पदार्थों का विक्रय

### (AGRICULTURAL MARKETING)

*" But the exploitation of the village moneylender can never be fully eliminated, unless the marketing of agricultural produce is organised on a more rational and non-exploitation basis "*  
—Congress Agrarian Reforms Committee

#### १ विपणन योग्य अतिरिक्त तथा आर्थिक विकास (MARKETABLE SURPLUS AND ECONOMIC DEVELOPMENT)

भारतीय कृषि का स्वरूप आर्थिक विकास व साथ ही साथ बदलता जा रहा है। पहले, भारत में कृषि जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी। कृषि की इस दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी अब धीरे धीरे कृषि का स्वरूप बदलता जा रहा है। योजनाओं के अन्तर्गत कृषि का विकास हुआ है तथा उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्पादन वृद्धि के कारण अब किसानों के पास (कम से कम बड़े किसानों के पास) विक्री योग्य-अतिरिक्त होता है जिसे बेचकर वे मुद्रा प्राप्त करते हैं। इस विक्री योग्य अतिरिक्त का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है।

सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि विपणन योग्य अतिरिक्त कुल उपज का वह भाग है जो किसान अपनी आवश्यकता में अधिक समझकर बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत करता है। 'सिद्धांततः यह अतिरिक्त उत्पादन की वास्तविक पारिवारिक उपयोग की आवश्यकताओं तथा वस्तु रूप में मजदूरी व भुगतान, बीज और पशुओं के खर्च रूप में प्रयुक्त तथा नष्ट होने से बची हुई वह मात्रा है जिसे उत्पादन बेच सकता है। सामान्य रूप से यह उपज की वह मात्रा है जो नयी फसल के आने पर बाजार में ले जायी जाती है।'<sup>1</sup> एक अर्द्ध विकसित देश में आर्थिक विकास में कृषि वस्तुओं का विपणन योग्य आधिक्य बहुत सहायक होता है। आर्थिक विकास में इसके महत्त्व का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

(१) औद्योगीकरण के लिए खाद्य पदार्थों का आधिक्य—प्रो० लेविम के अनुसार आर्थिक विकास के लिए, विशेषकर औद्योगीकरण के लिए कृषि वस्तुओं के विक्रय योग्य अतिरिक्त का होना आवश्यक है। आर्थिक विकास के माध्यम से औद्योगीकरण होता है तथा ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन होता है। शहरों की संख्या तथा निवासियों की संख्या बढ़ती है। यदि देश में कृषि क्षेत्र में उत्पादन नहीं किया जाय तथा किसान बाजार में खाद्य वस्तुओं को नहीं बेचें तो शहरी

जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पायेगी जिससे औद्योगीकरण के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित होंगी तथा आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जायगा।

(२) उद्योगों के लिए कच्चा माल—अधिकांश उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है जैसे रूट, चीनी, वस्त्र उद्योग आदि। यदि कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं की जाय तथा किसानों के पास विपणन योग्य आधिक्य नहीं हो तो उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति नहीं हो पायेगी जिससे देश में उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकेगा। वस्तुतः औद्योगीकरण की आधार-शिखा कृषि पर ही अवलम्बित है।<sup>1</sup> कृषि के विकास तथा फलस्वरूप विपणन योग्य अतिरिक्त में वृद्धि के बिना औद्योगीकरण अत्यन्त ही कठिन है।

(३) आर्थिक विकास के लिए साधन—आर्थिक विकास के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। अर्द्ध-विकसित देश कृषि प्रधान तथा निर्धन होते हैं। ऐसे देशों में जब तक कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं की जायेगी तथा किसानों के पास विपणन योग्य अतिरिक्त नहीं होगा तब तक देश के आर्थिक विकास के लिए यथेष्ट मात्रा में पूँजी उपलब्ध नहीं हो सकेगी। जापान तथा रूस का आर्थिक विकास इसका प्रमाण है। जापान में पहले कृषि का विकास किया गया तथा कृषि से प्राप्त आय का उपयोग औद्योगीकरण के लिए किया गया। रूस में अनिवार्य रूप से सामूहिक फार्मों से कृषि पदार्थ वसूल किये गये तथा आर्थिक विकास के लिए साधन एकत्रित किये गये।

(४) निर्यात के लिए विपणन योग्य आधिक्य—अर्द्ध-विकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए पूँजीगत वस्तुओं (capital goods) तथा वैज्ञानिक व प्राविधिक ज्ञान का आयात करना पड़ता है। इस आयात का भुगतान दीर्घकाल में निर्यात द्वारा ही सम्भव है। ऐसे देश औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात करने में असमर्थ होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि वे कृषि उत्पादन में वृद्धि कर, विपणन योग्य आधिक्य का सृजन कर कृषि वस्तुओं का निर्यात करें तथा बदले में पूँजीगत वस्तुओं का आयात करें।

(५) औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार—कृषि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप कृषि वस्तुओं के विपणन योग्य आधिक्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार किसानों की आय या क्रय शक्ति बढ़ती है जिससे वे औद्योगिक वस्तुओं की खरीद में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिक वस्तुओं की माँग में वृद्धि होती है जो देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि देश के औद्योगीकरण तथा आर्थिक विकास में कृषि पदार्थों के विपणन योग्य आधिक्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 'यदि उत्पादन में वृद्धि के साथ ही साथ विपणन योग्य आधिक्य में वृद्धि नहीं होनी तो यह विकास की गति में एक मूलभूत बाधक तत्व होगा क्योंकि नगरी के उपभोग और उद्योगों तथा निर्यात के लिए उपलब्ध पूर्तियाँ कम हो जायेंगी।'<sup>2</sup>

## २ माल के विक्रय का अर्थ

ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छे किसान की एक बीघा हल पर तथा दूसरी मण्डी पर होती है किन्तु वर्तमान व्यावसायिक जगत में यह कहना अशुभ उचित है कि एक अच्छे किसान के दोनों हाथ हल पर और दोनों आँखें बाजार पर होती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसान का कार्य न केवल कृषि पदार्थ उत्पन्न करना है बल्कि बाजार की स्थितियों में परिचित रहकर उनका मूल्य भी प्राप्त करना है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसान का कार्य फल उत्पन्न करने पर ही समाप्त

<sup>1</sup> 'Economic historians have traced the various ways in which a prosperous and expanding agriculture formed that basis for the concurrent or subsequent establishment and expansion of manufacturing'

—P T Bauer and B S Yamey, *The Economics of Underdevelopment*, p 235

<sup>2</sup> R. N. Podjaval *Economic Development and Marketable Surplus, Agricultural Situation in India*, August 1958

नहीं होता बल्कि उसे अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाने का भार भी उसी के कंधों पर होता है। इस प्रकार क्रेता तथा विक्रेताओं को निष्कट लाने की क्रिया ही विक्रय (marketing) क्रिया कहलाती है परन्तु यह कार्य सरल नहीं है। यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो विक्रय अथवा विपणन के अन्तर्गत निम्नलिखित सब कार्य सम्मिलित होते हैं

(१) माल का एकत्रीकरण, (२) सँवारना, (३) बर्गीकरण करना, (४) गोदाम में रखना, (५) मण्डी तक ले जाना, (६) विक्रय करना, (७) वित्त व्यवस्था करना, तथा (८) जोखिम उठाना।

इन सब कार्यों की उचित व्यवस्था किय बिना उपज का विक्रय यथोचित नहीं हो सकता। वास्तव में, भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कृषि उपज की बिक्री का ठीक प्रबन्ध करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से उसे अपने माल का उचित मूल्य मिल सकेगा। भारतीय कृषि को मही व्यावसायिक रूप देने के लिए विक्रय प्रबन्ध नियमित एवं व्यवस्थित करना पड़ेगा।

### ३ विक्रय की आवश्यकता

प्राचीन भारत में प्रायः सभी गाँव आरम्भ निर्भर इकाइयाँ थीं और बस्तुओं का लेन-देन गाँव में ही मरलतापूर्वक हो जाता था। अब उस समय माल को ग्राम से मण्डी तक ढोने तथा साहूकारों अथवा व्यापारियों के हाथ बेचने की कोई समस्या नहीं थी। किन्तु यह स्थिति औद्योगिक क्रान्ति के पदचाल परिवर्तित होने लगी क्योंकि कृषि, व्यापार, उद्योग तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में विशिष्टीकरण का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा जिसके फलस्वरूप ग्रामों का माल मण्डियों में जाकर बिक्री आरम्भ हो गया। प्रारम्भ में यह माल व्यापारी गाँव से खरीदकर मण्डियों में बड़े व्यापारी अथवा उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों के हाथ बेचने लगे किन्तु कालान्तर में कृषकों को स्वयं ही मण्डियों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि धीरे-धीरे उनकी आवश्यकता की वस्तुएँ भी अधिकतर बस्तों तथा नगर में ही जाकर बिकने लग गयी थी।

इस परिवर्तन का परिणाम यह हुआ कि आरम्भ निर्भर किसान अब न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए पराधीन हो गया बल्कि उसे अपना खून पसीना एक कर उत्पन्न किय गये पदार्थों के स्वतन्त्र विक्रय की भी छूट नहीं रही। फलतः किसान अब एक ऐसी अवस्था में पहुँच गया है जबकि उसे अपनी खेती की उपज नगर के व्यापारी की सुविधा एवं शर्तों के अनुसार बेचनी पड़ती है जिससे उसे अपने परिश्रम का पूरा प्रतिफल नहीं मिल पाता। व्यापारी तो उसकी दुर्दशा का लाभ उठाने ही हैं अनेक मध्यस्थ (middlemen) भी उसके प्रतिफल के भागी बन जाते हैं। इस प्रकार किसान को कम मूल्य मिलता है, उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ता है तथा मध्यस्थ आशान्वित लाभ कमाते हैं। यह स्थिति किसी भी दृष्टि में सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती।

### ४ विक्रय संगठन

कृषि उपज की बिक्री प्रायः दो स्थानों पर की जाती है—(१) गाँव में, अथवा (२) मण्डी में।

#### १. गाँव में बिक्री

किसान प्रायः महाजन से स्वयं उधार लेने है अतः फल तयार होने पर वह महाजन को ही मागी उपज बेच देना श्रेष्ठतर समझते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनका ऋण अपने आप चुक्ता हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उधार देने समय महाजन किसान से यह तय कर लेता है कि फल उमने ही बेची जायगी अतः बचनबद्ध होने के कारण वह महाजन को ही फल बेचना उचित समझता है।

(क) महाजन—कभी-कभी किसान बीज अपना खाने के लिए अन्न ही उधार लेता है। इस प्रकार के लेन-देन की प्रायः यह शर्त होती है कि फसल के समय किसान महाजन से उधार

लिये गये अन्न का सवाया अथवा ह्योडा चुका देगा, कहीं कहीं यह शर्त दुगुने तक पहुँच जाती है। इस प्रकार भुगतान की शर्त को सदायी ढाँडी, झोड़ी ढाँडी अथवा दुगुनी ढाँडी कहते हैं। अतः यदि किसान ने अन्न उधार लिया हो तो उसे अपनी कुल उपज का एक भाग तो महाजन को चुका ही देना पड़ता है, शेष भाग भी वह महाजन को ही बेचने में सुविधा समझता है।

नकद ऋण, कृषि पदार्थ में भुगतान—महाजन को गाँव में ही कृषि फसल बेचने का एक कारण यह भी है कि कभी-कभी महाजन किसान को बीज के लिए खाद्यान्न अथवा अन्य कोई वस्तु उधार देता है। उधार दी गयी वस्तु का प्रचलित दरो पर मूल्य लगाकर किसान के नाम लिख दिया जाता है। ऐसे ऋणों में प्रायः यह शर्त होती है कि किसान इसका भुगतान कृषि पदार्थों में ही करेगा। फलतः किसान को दोहरी हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि जब वह ऋण लेता है तब वस्तुओं के भाव महँगे होते हैं अतः ऋण की रकम अधिक हो जाती है। फसल के समय कृषि पदार्थों के मूल्य प्रायः सरते होते हैं। अतः ऋण चुकाने के लिए किसान को अधिक कृषि पदार्थ देने पड़ते हैं। इसके परिणामस्वरूप उसके पास बहुत कम कृषि पदार्थ बचते हैं जिन्हें लेकर मण्डी जाना अमित-व्ययतापूर्ण होता है अतः वह शेष भाग को भी गाँव में ही बेच देता है।

(ख) व्यापारी अथवा एजेण्ट—महाजन अथवा साहूकार प्रायः गाँव का निवासी होता है अथवा उसका ग्रामीणों से दृष्ट सम्पर्क होता है किन्तु अनेक बार व्यापारी, उद्योगपति अथवा मिल के प्रतिनिधि अपने ट्रक या अन्य वाहन लेकर ग्राम में पहुँच जाते हैं। यह लोग अपना काँटा, बाट तथा तोलने वाले व्यक्ति को माध रखते हैं और किसान की सम्पूर्ण फसल खेत में ही खरीदने का मोदा कर लेते हैं। इस प्रकार किसान फसल को उठाकर घर तक अथवा सीधे मण्डी में ले जाने में जो असुविधा एवं व्यय होता है उससे मुक्तकारा मिल जाता है। इसके बदल व्यापारी अथवा उनके प्रतिनिधि किसान को कम मूल्य देने हैं तथा कभी-कभी तोल में भी गड़बड़ कर लेते हैं। इन व्यक्तियों को फसल बेचने का सबसे बड़ा प्रलोभन यह होता है कि किसान को माल की पूर्ण विक्रय राशि नकद मिल जाती है।

ग्रामीण मास सर्वेक्षण समिति ने अनुमान लगाया था कि कृषि फसलों का कौन सा भाग गाँव में ही बेचा जाता है। समिति का यह मत था कि कुल फसल का लगभग ६५ प्रतिशत भाग उत्पत्ति स्थान पर ही विक्रय कर दिया जाता है। श्री हर्सन ने अपनी पुस्तक 'Marketing of Agricultural Produce in Northern India' में यह अनुमान लगाया है कि पंजाब में गेहूँ का ६० प्रतिशत रई का ३५ प्रतिशत तथा तिनहन का ७० प्रतिशत भाग ग्रामीण अथवा ग्रामीण बाजारों में ही बेच दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में इन वस्तुओं का ग्रामीण विक्रय प्रतिशत क्रमशः ८०, ४० तथा ७५ है। बिहार, उड़ीसा, तथा बंगाल में भी तिनहन की ८५ प्रतिशत तथा पटसन की ६० प्रतिशत उपज गाँव में ही बेच दी जाती है।

गाँव में फसल बेचने का कारण—किसान द्वारा गाँव में फसल बेचने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।

(१) सुविधा—गाँव में फसल बेचने में उसे मण्डी तक माल ले जाने की असुविधा से छुटकारा मिल जाता है। देश की अधिकांश मण्डियाँ अव्यवस्थित होने के कारण किसान को वहाँ माल बेचने में अनेक अवाञ्छनीय क्रियाओं का शिकार होना पड़ता है अतः वह गाँव में ही माल बेच देता है।

(२) जोखिम—गाँव में फसल बेचने का एक लाभ यह है कि उसे माल बेचकर मण्डी से गाँव तक लाने की जोखिम नहीं उठानी पड़ती। वह अपने महाजन को ही माल बेचता है जिसमें उसका ऋण अपने आप चुकता हो जाता है।

(३) घाताघात—भारत में ग्रामीणों में मण्डियों तक अच्छी सड़कों का सर्वथा अभाव है।

वर्षा ऋतु में तो जमिनीय कच्ची सड़क बहुत ही सराब हो जाती हैं और उन पर बलगाड़ी चलाने में बहुत कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त कुछ किसान इतने निर्धन होते हैं कि उनके पास अपनी गाड़ी नहीं होती अतः मण्डी तक माल ले जाना भी बहुत कठिन होता है। अतः वह अपनी अधिकांश उपज गाँव में बेचना श्रेयस्क समझते हैं।

उपर्युक्त कारणों से किसान अपनी फसल गाँव में ही बेच देता है किन्तु ऐसा करने में उसे बहुत हानि होती है जो निम्न तथ्यों से स्पष्ट है

किसान को हानि—(१) किसान को प्रायः कम मूल्य प्राप्त होना है क्योंकि उसे बाजार भाव का विशेष ज्ञान नहीं होता जबकि व्यापारी बाजार मूल्यों से पूर्णतः परिचित होते हैं।

(२) किसान को गाँव में ही फसल बच देने पर व्यापारी प्रायः अधिक माल तोल लेते हैं क्योंकि बाँट और तराजू व्यापारियों के अपने होते हैं।

इस प्रकार कृषि पदार्थों का मूल्य कम मिलने के कारण किसान अपना ऋण सरलता से नहीं चुका सकते।

## २ मण्डियों में विक्री

यातायात के साधनों के विकास तथा आर्थिक जागृति के कारण बहुत-से किसान अब अपनी कृषि उपज मण्डियों में ले जाकर बचने लगे हैं। व्यवस्थित विक्रय-स्थल अथवा मण्डियाँ प्रायः तीन प्रकार की होती हैं (क) हाट अथवा शन्दी (ग) यात्रा बाजार अथवा मण्डी, तथा (घ) फुटकर बाजार।

(क) हाट अथवा शन्दी—हाट अथवा अठवाड़ा ऐसा बाजार होता है जो सप्ताह में एक या दो बार लगता है। शन्दी अथवा लम्बी अवधि वाली हाटें केवल विशेष अवसरों पर लगती हैं। ग्रामीण साक्षर सर्वेक्षण समिति का अनुमान है कि भारत में २२,००० से अधिक हाटें अथवा शन्दियाँ लगती हैं। बम्बई, तमिलनाडु तथा हैदराबाद की हाटों में कृषि पदार्थ एवं पशुओं का लेन-देन होता है जबकि पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की हाटें केवल कृषि उपज में व्यापार करती हैं।

हाट प्रायः किसी खुल भू-खण्ड पर लगती है जहाँ एक दो या आसपास के कई गाँवों से कृषि पदार्थ विक्रय के लिए आते हैं। इनमें खाद्यान्नों के अनिश्चित तिनहन, दालें, गुड़, तम्बाकू तथा साग-सब्जों विक्रय के लिए लाया जाता है। इनकी प्रबन्ध व्यवस्था ग्राम अथवा उस क्षेत्र के किसी अधिकारी द्वारा की जाती है। प्रत्येक विक्रेता में उसके विक्रय-स्थल (stall) का शुल्क ले लिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त आय का एक भाग इन हाटों के प्रबन्ध में व्यय कर दिया जाता है। इन हाटों में लगभग ४ लाख मन कृषि उपज प्रति वर्ष बेची जाती है।

(ख) मण्डी—भारत में लगभग ३,३०० मण्डियाँ हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश में हैं। मण्डियों की व्यवस्था निजी व्यक्तियों सत्याजों अथवा मण्डियों के हाथ में है।

मण्डियाँ में जिनका माल विक्रय के लिए आता है वह दलातों के द्वारा नीलाम करवाया जाता है और सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति माल खरीदने का अधिकारी माना जाता है। मण्डी में माल प्राप्त करने आह्वानियों द्वारा खरीदा जाता है। वह माल अपने लिए अथवा अन्य नगरों में निश्चय व्यापारियों के लिए खरीद सकते हैं। यात्रा व्यापारी फसल पर माल खरीदकर गोशामों में भर लेते हैं और मानभर फुटकर व्यापारियों को बाजार में बेचने के लिए देते रहते हैं। यह अपनी पूँजी लगाकर जयवा बँकों, साहूकारों या अन्य माधनों से ऋण लेकर माल संग्रह करते हैं और फुटकर व्यापारियों को समय-समय पर अल्पकाल के लिए उधार भी देते हैं। इस प्रकार यात्रा व्यापारी एक ओर तो फुटकर व्यापारियों को ऋण की सुविधा देकर कृषि उपज की वर्ष भर बाजार में पूर्णतः बरतते हैं तथा दूसरी ओर किसानों को तत्काल नकद देकर उनके द्वारा माल बचने में सहायक होते हैं।

कारण विपणन की प्रत्यक्ष दृष्टि कम मूल्य प्राप्त होता है। इन उद्योगियों तथा लोगों के कारण ही विपणन द्रव्यो मशीनें में जान की बचत एवं न ही मात्र बच देता उचित समझता है।

(६) मान की घटिया किम्ब—भारतीय विपणन कृषि को एक परम्परागत कार्य समझकर उपनुसार ही खेती करने की बंधा करता है, परन्तु उनकी उत्पन्न द्रव्य उत्तम की बोटि की नहीं होती। उनके बार वह फलन काटन तथा उनकी मँनात रखने में उपाययुक्त करता है किन्तु केवल स्वयं कृषि पदार्थों में धूल, मिट्टी तथा कुछ मिल जान है जसका नतीजा होती है। कमी-कमी बर्तों जसका शोधों के कारण कृषि पदार्थों की किम्ब बिगड़ जाती है। इन प्रकार कृषि पदार्थों की किम्ब बिगड़ने न स्वभावतः उनका मूल्य कम निपटा है और बचक की अधिक स्थिति में बोटि मुद्राज नहीं होन पाता।

कृषि पदार्थों की किम्ब घटिया हान का एक कारण यह भी है कि भारत में उद्योग अतिशय मूल्य में घटिया किम्ब के बीच बाते जाते हैं किन्तु केवल स्वयं उनकी किम्ब उत्तम निम्नस्तर की होती है। घटिया द्रव्यों का विपणन करना स्वाभाविक रूप में अधिक कठिन तथा जगामयकर होता है।

(७) बर्गीकरण तथा प्रमाणीकरण का अभाव—भारतीय मण्डलों में वा कृषि पदार्थों विही के लिए मात्र है वह प्रायः अशुद्ध, जसकीहीन, जगामयिष्य एवं अविश्वसनीय मात्र है। जसका एक कारण यी वर है कि बहुत न किमान जान-बूझकर निरावृत्त करने का प्रयत्न वा जगाम " बर्गीकरण" उनके पान को उत्तम मान होता है वह भी मात्रा में कम होता है और उनका जगाम बचन न प्रसुधिया होती है। विद्यों में किमान जसका सब मात्र जसकीहीन मण्डियों के मुद्राज कर देते हैं जो उनमें जगाम-जगाम बर्तों की द्रव्यों छोट कर उन्हें जगाम जगाम पैक कर देती हैं। इस प्रकार बर्गीकरण निर द्रव्य मात्र को जगाम-जगाम बेचने में निरती किमानों को काटी अधिक मूल्य प्राप्त होता है। दूसरा नाम यह है कि बर्गीकरण किसे उन मात्र पर सम्पत्ति बर्त के बेचन मात्र दिने मात्र है किन्तु जगाम पर गृहकों को मात्र की किम्ब का विपणन ही जाता है जो उनके विपणन में बोटि कटिपारि नहीं होती।

भारत में बर्गीकरण जगाम प्रमाणीकरण की परम्परा सर्वथा नहीं है जो उद्योग प्रयोग द्रव्य मीनित है। १९२७ के कृषि पदार्थ (बर्गीकरण एवं निपणन) अजतिवन (Anti-cultural Product—Grading and Marketing—Act, 1937) के अन्तर्गत दूध, जसके, पी, गन्ना, तिलहन, बनस्पति तेल, रई, चबन यदि कुछ द्रव्यों का बर्गीकरण होन लग है परन्तु वह उत्तम कम मण्डलों एवं द्रव्यों तक मीनित है। कुछ द्रव्यों जैसे उन्नाट, जव, कापी तथा गन्ना निर, दूधमशी तथा कई प्रकार के औद्योगिक तेल जो निरियों को निर्यात किसे मात्र है, सम्पत्ति बर्तों अतिविपण (Sea Customs Act) की जगाम १६ के अन्तर्गत अतिशय रूप में बर्गीकरण किसे जगाम जगामयकर है। इन द्रव्यों को मनी किम्बों तथा बर्तों का सम्पत्ति प्रयोग के लिए बर्गीकरण एवं प्रमाणीकरण करना आवश्यक है।

भारतीय प्रमाणीकरण मण्डल (Indian Standards Institution) न उद्योग द्रव्यों पर जगाम प्रमाण की मोहर लगाना आरम्भ किन है किन्तु इन मुद्रियां वा नाम कृषि पदार्थों के प्रमाणीकरण के लिए नहीं उठाना जा सक्ता है।

(८) मान के लिए मोहान व्यवस्था—कृषि मात्र के विपणन में स्वयं नहीं अतिशय मात्र की मुद्रियत रखने की है। बर्गीकरण कृषि पदार्थों की बर्त भर मात्र होती है जो उन्हें धी-धीरे बेचना प्रयत्न होता है वर उनका के एक मात्र जो २-१० मात्र वह मुद्रियत रखता आवश्यक होता है। गाँवों में किमान मिट्टी की मण्डियां जगाम विभिन्न पीठियों द्वारा जगाम तथा जगाम पदार्थों की मुद्रियत रखने वा प्रयत्न करते हैं परन्तु इनका प्रायः नतीजा का काटी है वा मरनी में जगाम हो

जाते हैं अथवा इनमें कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं। इन सब के परिणामस्वरूप माल की किम्ब खराब हो जाती है और फसल का मूल्य बहुत कम प्राप्त होता है।

इससे पूर्व एक अध्याय में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि चूहे, घुन अथवा अन्य बीड़े-कीटाणु ५ से लेकर १० प्रतिशत कृषि उपज का विनाश कर देने हैं तथा बहुत सा अशुभिगड देते हैं। ऐसे माल को बेचने में विशेष असुविधा का सामना करना पड़ता है।

(६) परिवहन सुविधाओं का अभाव—भारत के ५६ लाख ग्रामों में से अधिकांश तक पहुँचने के लिए रास्ते अथवा पगडण्डियाँ हैं जिन पर जैट, खच्चर अथवा बैलगाडियों द्वारा ही माल ढोया जा सकता है। इस असुविधा के कारण ही गन्ना, रूई, पटसन आदि वस्तुएँ (जो अधिक स्थान घेरती हैं) मण्डियों में नै जानी बहुत कठिन होती हैं। न केवल इन्हे मण्डों तक डोने में बहुत असुविधा होती है बल्कि परिवहन व्यय भी बहुत हो जाता है और किसानों का समय और श्रम भी बहुत बर्बाद होता है। अतः फसल का एक बड़ा भाग गाँव में ही बिक जाता है और मण्डियों में प्रविष्ट ही नहीं होता।

जिन क्षेत्रों में टक अथवा गाड़ी द्वारा माल भेजने की सुविधा है वहाँ भी किसान इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि प्रायः पूरे टुक अथवा बैगन जिनका सामान तो किसान के पास होता नहीं और थोड़ा सामान भेजने में यह साधन असुविधाजनक तथा अधिक खर्चीले होते हैं।

(१०) मध्यस्थों का बाहुल्य—कृषि पदार्थों का विक्रय सीधे उत्पादक द्वारा उपभोक्ता अथवा व्यापारी को नहीं होता, उसकी विक्रय क्रिया में अनेक व्यक्ति (मध्यम) —गाँव का मज़ाजान, नगर के व्यापारी का प्रतिनिधि—दलाल—आदितिये—थोरु व्यापारी—फुटकर व्यापारी—सम्बन्धित होते हैं जो माल के बेचने में कमीशन लेते हैं या लाभ के अधिकारी होते हैं।

ऊपर बताये गये सभी मध्यम कृषक के माल की बिक्री करने में कुछ शुल्क, दलाली अथवा लाभ प्राप्त करते हैं जिनकी रकम माल की कीमत में जुड़ती जानी है। फलतः जब तक कृषि पदार्थ उपभोक्ताओं तक पहुँचते हैं उनका मूल्य गवाया, ज़ोडा या कमी-कमी और अधिक हो जाता है। इस प्रकार इन मध्यमों के कारण उपभोक्ता को माल महँगा मिलता है तथा कृषक को कम मूल्य की प्राप्ति होती है। वास्तव में यानायात के माध्यमों के अभाव तथा किसान की अज्ञानता के कारण ही कृषि पदार्थों के विपणन में मध्यमों का बाहुल्य हुआ है।

(११) मूल्यों सम्बन्धी सूचना का अभाव—भारतीय कृषक प्रायः विभिन्न नगरों अथवा मण्डियों में प्रचलित मूल्यों से अपरिचित रहता है क्योंकि एक तो गाँवों में समाचार-पत्र आदि पहुँचत ही बहुत कम हैं जिनसे किसानों को विभिन्न वस्तुओं के मूल्य ज्ञात हो सकें दूसरे इन समाचार-पत्रों को पढ़कर मूल्य आदि सम्बन्धी परिवर्तन समझ लना ग्रामीणों की समझ के बाहर होता है। अधिकांश कृषक तो अनपढ़ होकर के कारण समाचार-पत्रों के पढ़ने में ही असमर्थ होते हैं। अतः गाँव का मज़ाजान अथवा नगर का व्यापारी किसान से मददगार मूल्य पर कृषि पदार्थ खरीद लेने में सफल हो जाता है। इस प्रकार कृषि पदार्थों के मूल्य सदा व्यापारी के पक्ष में निश्चित होते हैं।

(१२) अवाञ्छनीय परम्पराएँ—भारत में अब भी बहुत कम मण्डियाँ ऐसी हैं जो व्यवस्थित कड़ी जा सनती हैं। शत वर्षों में नियमित एवं व्यवस्थित मण्डियों की संख्या १६१८ तक पहुँच गयी है। यद्यपि व्यवस्थित मण्डियों में फसलों की विक्रय विधियाँ पूर्णतः प्रमाणित एवं नियन्त्रित होती हैं परन्तु किसानों की अज्ञानता के कारण इन मण्डियों में भी व्यापारी कुट्टक अनुचित कार्य करने में सफल हो जाते हैं। अव्यवस्थित एवं अप्रमाणित मण्डियों में अवाञ्छनीय कार्य बहुतायत से होते हैं जिनके कारण किसानों की मण्डियों में फसल से जान से घृणा हो गयी है। अतः अच्छी-अच्छी मण्डियों में भी आम पास के क्षेत्रों की सम्पूर्ण उपज बिकने के लिए नहीं आती।



विभिन्न मण्डियों में निम्नलिखित अवाछनीय क्रियाएँ प्रचलित हैं :

(i) नाप-तोल—यद्यपि देश के सभी नगरों में नाप-तोल के मीट्रिक बाट प्रचलित कर दिये गये हैं परन्तु अब भी अनेक स्थानों पर मन, कण्डी अथवा अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के बाट काम में लाये जाते हैं। अनेक बार यह बाट सही नहीं होने और बट्टा माल तोलने वाला अगुद्ध तोलता है क्योंकि वह मण्डी में रहता है और व्यापारी का आदमी होता है। इस प्रकार किसान को माल की पूरी तोल का मूल्य उपलब्ध होना कठिन होता है।

(ii) कड़वा अथवा काटा—अधिराज मण्डियों में यह प्रथा प्रचलित है कि व्यापारी एक मन पर सवा सेर अथवा त्रिवटल पर २ ५ या ३ किलोग्राम कड़वा (धूल, मिलावट आदि के नाम से) बाट लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कुल माल १०० किलोग्राम हुआ तो किसान को ९६-९७ किलोग्राम का ही मूल्य मिलेगा।

(iii) नमूना—मण्डियों में व्यापारी प्रत्येक वस्तु का नमूना लेकर देखते हैं। इस प्रकार अनेक व्यक्ति नमूने के रूप में विक्रय किये जाने वाले माल का कुछ अंश ले जाते हैं। किसान को इस माल का कोई मूल्य प्राप्त नहीं होता।

(iv) सौदे के तरीके—मण्डियों में विक्री के लिए आया हुआ माल या तो नीलाम के द्वारा बेचा जाता है या खरीदने वाले और बचने वाले के बीच आपसी बातचीत से सौदा हो जाता है। अनेक बार ऐसा होता है कि नीलाम करने वाला दलाल कम मूल्य पर ही बोली छोट देता है क्योंकि वह किसी व्यापारी को लाभ पहुँचाना चाहता है। गत वर्षों में ऐसा देखने में आया है कि छोटी मण्डियों में माल ले जाने वाले किसान कम मूल्य पर बोली छूटने से इन्कार कर देने हैं। इससे दलालों के पक्षपात पर कुछ नियन्त्रण लग गया है।

कुछ मण्डियों में कृषि उपज के मूल्य व्यापारी तथा दलाल के हाथ एक हलाल के नीचे रखकर इशारों से निश्चित होत हैं। इस प्रथा में किसान को प्रायः हानि रहती है क्योंकि मूल्य निर्धारण की पद्धति त्रिकुल विचित्र होती है, जिसे समझना कठिन होता है। गत वर्षों में इस पद्धति का बहुत विरोध हुआ है, किन्तु अब भी यह काफी प्रचलित है।

(v) अनेक शुल्क—जब किसान का माल विक्रय होता है तो उसे अनेक प्रकार के शुल्क देने पड़ते हैं। उनमें माल की चुंगी, तुलाई, दलाली, आदत पत्तेदारी प्रमुख हैं। इन शुल्कों के अनिश्चित नगर का प्रमुख व्यापारी धर्मि के रूप में कई प्रकार की कटौतियाँ कर लेता है, जैसे—प्याऊ, गोशाला, मन्दिर, अनायाश्रम, पाठशाला अथवा कबूतरखाने के लिए चन्दा और मुनीम, चौकीदार आदि कर्मचारियों के लिए कुछ शुल्क भरना पड़ता है। इस प्रकार किसान अनेक अवाछनीय खर्चों का भागी बन जाता है जिससे उसकी शुद्ध आय में बहुत कमी आ जाती है।

(vi) तात्कालिक विक्री—कृषि उपज की विक्रय-व्यवस्था का एक दोष यह है कि किसान फसल काटते ही उसे गाँव अथवा नगर के बाजार में लाने लगते हैं जिसके फलस्वरूप प्रतिदिन बहुत माल की आमद हो जाती है। इसमें किसान को प्रायः कम मूल्य मिलता है। इस दोष के लिए वस्तुतः किसान की निर्धनता, ऋणग्रस्तता तथा माल रखने के लिए स्थान का अभाव उत्तरदायी है।

## ६. सरकारी नीति तथा सुझाव

कृषि उपज के विक्रय की मुख्यतः दो समस्याएँ हैं। प्रथम यह है कि किसान को उनके उत्पादन का उचित मूल्य किस प्रकार दिलाया जाय तथा उपभोक्ताओं को भी कृषि पदार्थ उचित मूल्य पर मिलते रहें। भारत सरकार ने कृषि उपज की विक्रय-व्यवस्था सुधारने में इन दोनों आधारभूत तथ्यों को सामने रखा है। द्वितीय योजना में कहा गया था कि “इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृषि पदार्थों के क्रय विक्रय सम्बन्धी दोष दूर करने होंगे, कृषि उत्पादन क्षेत्रों के अनिश्चित माल उपभोक्ता क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था करनी होगी और अधिकतम सम्भव सीमा तक मृदावी

क्रय-विक्रय का प्रबन्ध करना होगा।" तदनुसार यह योजना बनायी गयी कि द्वितीय योजना के अन्त तक विक्रय के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले कृषि पदार्थों की कुल मात्रा का लगभग १० प्रतिशत सहकारी सस्थाओं के माध्यम से बेचा जा सकेगा। सरकार की इस योजना को सफल बनाने के लिए व्यवस्थित मण्डियों की स्थापना पर जोर दिया गया।

(१) व्यवस्थित मण्डियाँ (Regulated Markets)—जैसा कि इससे पूर्व लिखा जा चुका है एक व्यवस्थित मण्डी में वस्तुओं के लेन देन, माप-बोल, यातायात, गोदाम व्यवस्था तथा शुल्क आदि का प्रमाणीकरण हो जाता है और किसान को किसी भी प्रकार की अवाञ्छनीय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। व्यवस्थित मण्डियों का प्रबन्ध एक केन्द्रीय समिति के हाथ में होता है जिसमें किसानों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

प्रथम योजना में इस बात की मिकारिया की गयी थी कि राज्य कृषि उपज (मण्डी) अधिनियम को योजना काल में सभी महत्त्वपूर्ण मण्डियों पर लागू कर देना चाहिए। योजना आरम्भ होने के पूर्व देश के सान राज्यों में यह अधिनियम लागू था, प्रथम योजना-काल में यह तीन और राज्यों में लागू कर दिया गया। फलतः व्यवस्थित मण्डियों की संख्या २६५ में बढ़कर ४५० हो गयी। द्वितीय योजना काल में यह संख्या ७२५ और १९७० में १,९१८ हो गयी। इस प्रकार अब भी लगभग १,५०० मण्डियाँ ऐसी हैं जो अव्यवस्थित हैं और जहाँ कृषि पदार्थों के विक्रय की व्यवस्था दोषपूर्ण है।

(२) वर्गीकरण एवं प्रमाणीकरण—भारत में कृषि एवं पशुधन से उत्पन्न वस्तुओं का वर्गीकरण कृषि उपज (वर्गीकरण एवं विक्रय) अधिनियम, १९३७ के अन्तर्गत किया जाता है। सरकार द्वारा अब तक ३३ वस्तुओं की १२४ किस्मों के वर्ग निर्धारित किये जा चुके हैं जिनमें धातु, तेल, मक्खन, रूई, अण्डे, चावल, आलू, गन्ना तथा कई प्रकार के फल सम्मिलित हैं। सामुद्रिक चूंगी अधिनियम की धारा १६ के अन्तर्गत भी तम्बाकू, सन, ऊन, बकरी के बाल, काली मिर्च तथा इत्राचो की विभिन्न किस्मों का वर्गीकरण करना अधिवास्य है।

विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण करते तथा पुराने वर्गों में सुधार करने के लिए प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है। तदनुसार तृतीय योजना काल में नागपुर में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा गुण्टूर, मद्रास, कोचीन, बानपुर, राजकोट, अमृतनर कलकत्ता तथा बम्बई में प्रादेशिक प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इन प्रयोगशालाओं ने कार्य आरम्भ कर दिया है। इन सभी प्रयोगशालाओं के स्थापित हो जाने पर कृषि पदार्थों के वर्गीकरण में अत्रिक् सुविधा होने की आशा है। उचित तो यह है कि प्रत्येक राज्य में एक प्रयोगशाला स्थापित कर दी जाय जो न केवल वर्गीकरण के प्राविधिक पहलू में शोधकार्य द्वारा वर्गीकरण की क्रियाओं को प्रोत्साहित करे बल्कि इन्हे विभिन्न वस्तुओं के वर्गों के प्रदर्शन द्वारा वर्गीकरण सम्बन्धी ज्ञान का भी प्रसारण करना चाहिए। इसमें कृषि माल के क्रय विक्रय में बहुत आसानी हो जायेगी।

(३) मालगोदामों की व्यवस्था—कृषि उपज की कुछ भणय के लिए गोदामों में सुरक्षित रखना एक सम्भार समस्या है क्योंकि यदि गोदाम अच्छे न हो तो मान के बीटाणुओं अथवा प्राकृतिक प्रकोपो द्वारा उनके नष्ट हो जान की आशंका रहती है। भारत में वैज्ञानिक तथा बढ़िया गोदामों की बहुत कमी है।

कृषि पदार्थों के सग्रह के लिए बनने वाले गोदामों पर बहुत पूंजी लगानी पडती है। इस दृष्टि से सरकार द्वारा सहकारी सस्थाओं को गोदाम बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है किन्तु भारत में सहकारी सस्थाएँ बहुत शक्तिशाली नहीं हैं अथ उन्हीन गोदाम निर्माण करने की दिशा में विशेष प्रगति नहीं की है। इस सम्बन्ध में सरकार को चाहिए कि निजी व्यक्तियों तक

सस्याओं को भी गोदाम निर्माण के लिए महायत्ना देने की व्यवस्था करें ताकि गोदामों की स्थापना तीव्र गति में हो सके ।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (१९५४) ने गोदामों के सम्बन्ध में सुझाव दिया था । सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया तथा सन् १९५६ में 'राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं गोदाम मण्डल' (National Cooperative Development and Warehousing Board) तथा सन् १९५७ में 'केन्द्रीय गोदाम निगम' (Central Warehousing Corporation) की स्थापना की गयी । इससे अनिश्चित सभी राज्यों में राज्य गोदाम निगमों (Warehousing Corporations) की स्थापना की गयी । 'केन्द्रीय गोदाम निगम' का वर्तमान अखिल भारतीय महत्त्व के केन्द्रों—आयतन निर्वाह व्यापार के तथा अन्तरराज्यीय व्यापार के केन्द्रों में गोदामों का निर्माण तथा व्यवस्था करना है । राज्य गोदाम निगमों का वर्तमान क्षत्रीय महत्त्व के केन्द्रों में गोदामों की व्यवस्था करना था ।

२१ मार्च, १९६६ का गोदामों की स्थिति निम्नलिखित थी

भारत में गोदाम व्यवस्था

(लाख टनों में)

१ भारतीय साख निगम	३६
२ राज्य सरकार	२७
३ केन्द्रीय गोदाम निगम	६
४ राज्य गोदाम निगम	८
५ सहकारी संस्थाएँ	२६
<b>योग</b>	<b>१०६</b>

तालिका में स्पष्ट है कि देश में कुल गोदाम व्यवस्था लगभग १०६ लाख टन की है जिसमें लगभग ५५ लाख टन साधारण रखने की व्यवस्था सम्मिलित है । चतुर्थ योजनाकाल (१९६६-७४) में केन्द्रीय सरकार लगभग १२ करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारें लगभग ६ करोड़ रुपये गोदाम बनवाने पर खर्च करेंगी । इस रकम में लगभग १० लाख टन अनिश्चित मान सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो सकेगी । इसके अतिरिक्त लगभग २० लाख टन माल रखने लायक गोदाम सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित कराये जायेंगे ।

(४) नाप तोल की उचित व्यवस्था—भारत के विभिन्न भागों में नाप-तोल के अनेक आघात रहे हैं । २० सेंटर में लेकर ५० सेंटर अथवा १०० सेंटर तक का मन विभिन्न भागों में प्रचलित रहा है । इसी प्रकार कच्चा सेंटर, पक्का सेंटर, कण्ठी अथवा पीण्ड आदि के तोल बेचने वालों की मुश्किलों के अनुसार अलग-अलग जाते रहे हैं । जिससे किसानों को घोसा देने में महायत्ना मिलनी रही है । इस दोष को मरदा के लिए दूर करने की दृष्टि से भारत सरकार ने १ अप्रैल, १९५८ से मीट्रिक तोल अर्थात् मिल्नोग्राम, किलोडल आदि चालू कर दिये । इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि मीट्रिक नाप तोल की प्रणाली अत्यन्त श्रेष्ठ है किन्तु इसे पूरी शक्ति से सर्वत्र प्रचलित करने की चेष्टा सिये बिना इससे विशेष लाभ होना की सम्भावना नहीं है ।

(५) समय-बिनाय सर्वेक्षण तथा शोध—भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं निरीक्षण निदेशालय (Directorate of Marketing and Inspection), विभिन्न कृषि पदार्थों से सम्बन्धित समस्याओं तथा प्रगणियों का नियमित अध्ययन करता है तथा समय-समय पर इन शोधकार्यों अथवा सर्वेक्षणों की रिपोर्ट प्रकाशित करता रहता है । यह निदेशालय अब तक ४० वस्तुओं के सम्बन्ध में १३० सर्वेक्षण रिपोर्टें प्रकाशित कर चुका है ।

अभी कुछ समय पहले ही इस निदेशालय में एक क्रय विक्रय शोध विभाग स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य क्रय विक्रय परम्पराओं में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की प्रवृत्तियाँ लागत मूल्य तथा भीमान्तर, यातायात और पैकिंग तथा अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्यों के अध्ययन करना है। निदेशालय को चाहिए कि विश्वविद्यालयों के शोध विभागों से सामंजस्य स्थापित कर क्रय विक्रय की विभिन्न समस्याओं पर स्वतन्त्र शोधकार्य करवाया जाय। इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों में शोधकर्ताओं को यथोचित अनुदान दिये जाने चाहिए। इससे विपणन-व्यवस्था के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में उचित सुधार करने की दिशा में बहुत महत्त्व मिलने की आशा है।

(६) प्रशिक्षण सुविधाएँ—कृषि क्रय-विक्रय के सिद्धान्त सामान्य क्रय विक्रय के सिद्धान्तों से कुछ भिन्न हैं क्योंकि कृषि पदार्थों की उत्पत्ति एक विशेष समय होती है और उनकी पूर्ण वर्ष भर नियमित रक्ती पटती है, अतः क्रय विक्रय संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण से सरकार द्वारा कृषि क्रय विक्रय के लिए तीन पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं। प्रथम पाठ्यक्रम राजकीय क्रय-विक्रय विभागों के उच्चाधिकारियों के लिए है और इसकी व्यवस्था नागपुर में है। यह पाठ्यक्रम एक वर्ष का है।

दूसरा पाठ्यक्रम पाँच मास की अवधि का है और क्रय-विक्रय सचिवों तथा अधीक्षकों के लिए है। इसकी व्यवस्था सागली तथा हैदराबाद में है।

तीसरा त्रैमासिक पाठ्यक्रम वर्गीकरण निरीक्षकों (Grading Supervisors) के लिए है। सरकार द्वारा एकवर्षीय अध्ययन के लिए ७५ रुपये मासिक तथा शेष दोनो पाठ्यक्रमों के लिए ५० रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। १९६३-६४ से लखनऊ में एक पत्र मासिक कोर्स चल रहा है।

उपर्युक्त पाठ्यक्रमों का क्षेत्र एक स्वरूप अभी बहुत सीमित है अतः इन्हे व्यापक बनाने के लिए जिला स्तर पर इन प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अधिक में अधिक व्यक्ति सहकारी क्रय विक्रय कार्यक्रमों एवं विकास योजनाओं में सक्रिय सहयोग देने योग्य बन सकें।

(७) सहकारी विपणन समितियों की स्थापना—सहकारी विपणन समितियों की स्थापना द्वारा कृषि विपणन के दोषों को सरलता से दूर किया जा सकता है।

### ७ सहकारी विपणन (CO-OPERATIVE MARKETING)


ग्रामीण सात्व सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण सात्व की उचित व्यवस्था के लिए सहकारी क्रय विक्रय समितियों की स्थापना की सिफारिश की थी। तदनुसार सरकार ने इस प्रकार की समितियों बनाने के लिए न केवल योग्य कर्मचारियों की सहायता प्रदान करना आरम्भ कर दिया है बल्कि वह इन समितियों की अग्र पूँजी भी सरीदती है।

(१) कार्य—सहकारी क्रय विक्रय समितियों का उद्देश्य किसानों को कृषि का यथोचित मूल्य प्राप्त कराना है। इसकी पूर्ति के लिए समिति अपने सदस्यों द्वारा उत्पन्न सारी उपज ग्रहण कर लेती है। प्रत्येक सदस्य द्वारा जमा करायी गयी उपज का जलग हिसाब रखा जाता है। समिति द्वारा किसान को जमा उपज की धरोहर पर रकम दे दी जाती है जिससे किसान अपना दैनिक निर्वाह कर सकता है। यदि किसान को इसी बीच और रकम की आवश्यकता हो तो वह समिति में ले सकता है। किन्तु इसकी राशि कुल जमा उपज से बढ़ती नहीं चाहिए।

सहकारी समिति सम्पूर्ण उपज को माफ-सँवारकर उसका वर्गीकरण कर लेती है और उसे धीरे-धीरे ऐसे स्थानों पर बेच देती है जहाँ उस मात्रा का अधिकाधिक मूल्य प्राप्त हो सके। इस प्रकार समिति कृषक की अधीरता तथा गाँव में ही माल बचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाती है और उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त कराती है। जब किसी किसान द्वारा जमा करायी गयी उपज विक्रि जाती है तो समिति किसान को अग्रिम की गयी रकम वाटकर शेष राशि उसे

बुका देती है। माल बेचने की इम मेवा के बढने समिति निमान से कुछ शुल्क लेती है ताकि समिति का प्रबन्ध व्यय सरलतापूर्वक चलाया जा सके।

(२) सगठन—सहकारी विपणन के अन्तर्गत तीन दिशाओं में प्रयत्न किये गये हैं (i) विपणन, (ii) प्रोसेसिंग (Processing) तथा (iii) गादामा की व्यवस्था। ये सभी त्रियाएँ एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। जहाँ तक विपणन सहकारिता का सम्बन्ध है, इसका सगठनात्मक ढाँचा निम्नलिखित है



### १ सहकारी विपणन समितियाँ

(क) प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ (Primary Cooperative Marketing Societies)—ये समितियाँ ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। कार्य की दृष्टि से ये समितियाँ कई प्रकार की हैं—प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (उत्पादन व विक्रय), प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (क्रय व विपणन)। कुछ एमी समितियाँ भी हैं जो मूल-कृषि वस्तुओं का उत्पादन, क्रय व विक्रय करती हैं। ऐसी समितियाँ मुख्यतः कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय करती हैं। कुछ बहुउद्देशीय समितियाँ भी विपणन का कार्य करती हैं। ३० जून, १९६८ को इनकी संख्या लगभग ३,३०० थी।

(ख) केन्द्रीय विपणन मण (Central Marketing Unions)—य मन्, प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों के सघ होने हैं। ये सघ कृषि वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं तथा प्राथमिक समितियों को साव्य प्रदान करते हैं। इन सघों के मदस्य—व्यक्ति और प्राथमिक समितियाँ—दोनों ही हो सकते हैं। सामान्यतः ये सघ जिला स्तर पर कार्य करते हैं। जून १९६८ में इनकी संख्या १६१ थी।

(ग) राज्य विपणन मण (Apex or State Marketing Unions)—ये सघ राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। इनका कार्य क्रय-विक्रय करना तथा केन्द्रीय विपणन मणों और प्राथमिक विपणन समितियों को साव्य प्रदान करना है। राज्य मणों के मदस्य व्यक्ति तथा समितियाँ हो सकते हैं। इनकी संख्या २४ है।

व्यापार—उपर्युक्त सभी प्रकार की विपणन सहकारी समितियों द्वारा मन् १९६५-६६ में ३६० करोड़ रुपये तथा मन् १९६६-६७ में ३३५ करोड़ रुपये की कृषि-वस्तुओं का विपणन किया गया। इम राशि में मन् १९६५-६६ में १३६ ७५ करोड़ रुपये तथा मन् १९६६-६७ में १४४ ६५ करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्नों का विपणन शामिल है। ये समितियाँ निर्यात-व्यापार में भी भाग लेती हैं।

(घ) राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन मण (National Co-operative Agricultural Marketing Federation)—मन् १९६४ के पूर्व भारत में सहकारी विपणन का कोई भी अखिल भारतीय सगठन नहीं था। अतः जून १९६४ में उपर्युक्त मण की स्थापना की गयी। इनका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। ३७ सहकारी विपणन मण इसके मदस्य हैं।

## २ मान सँवारने वाली समितियाँ (Processing Societies)

ऐसी समितियाँ जो किमान में माल खरीदकर उसका रूप परिवर्तित कर देती हैं और इस क्रिया द्वारा आजारभूत माल के मूल्य में काफी वृद्धि कर देती हैं, सँवारने वाली समितियाँ कहलाती हैं। माल माफ करण तथा सँवारण की क्रिया का हिस्सा भी ग्रामीण अर्थतन्त्र में बहुत महत्व है क्योंकि इस क्रिया के फलस्वरूप छाहूक को अच्छा मान तथा किमान को अधिक मूल्य प्राप्त हो जाता है। भारत में मान सँवारण वाली महत्वांगी समितियाँ अप्रिक पुरानी नहीं हैं, उनकी स्थापना हाल में आरम्भ हुई है। इनमें कपास माफ करने तथा गाँठ बाँधने और चीनी बनाने की समितियों में उन्नतस्थतीय उन्नति हुई है। १९६०-६१ तक ११ महत्वांगी चीनी फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिये जा चुके थे, जिनमें से ३० उत्पादन कर रही थी। इन समितियों का उत्पादन देश में चीनी के कुल उत्पादन का लगभग ११ प्रतिशत था। १९६६-६७ में ७६ महत्वांगी चीनी फैक्ट्रियाँ भारत में थीं और उनकी उत्पादन क्षमता देश में कुल चीनी उत्पादन क्षमता का ३२ प्रतिशत थी। इनमें से सन् १९६७-६८ में १८ फैक्ट्रियाँ उत्पादन कर रही हैं। द्वितीय योजना के उत्तरार्द्ध में चीनी सहकारी समितियाँ ने एक राष्ट्रीय संगठन (National Federation) बना लिया था जिसका उद्देश्य सहकारी चीनी बारखा-1 को प्राविधिक सहायता देना तथा उनके कार्य में समन्वय स्थापित करना है। सन् १९६६-७० में इनका उत्पादन लगभग १५ लाख टन था।

द्वितीय योजना के अन्त में चीनी बनाने वाली समितियों के अनिच्छित माल सँवारण वाली विभिन्न समितियों की संख्या २६० थी। तृतीय योजना की अवधि में धान माफ करने, कपास माफ करने और गाँठ बाँधने, तेल निकालने और पटसन की गाँठें तैयार करने आदि सम्बन्धी ६८० सहकारी समितियाँ स्थापित करने की व्यवस्था की गयी। ३० जून, १९६८ को माल सँवारण वाली कृषि सहकारी समितियाँ की कुल संख्या राज्य स्तर पर ८ थी। इनके अतिरिक्त १०० केंद्रीय समितियाँ तथा १,५७० प्राथमिक समितियाँ थीं।

मान सँवारने वाली समितियों को स्टेट बैंक, औद्योगिक वित्त निगम तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं गांदाक मण्डल से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। महाराष्ट्र के राज्य सहकारी बैंक ने कुछ समय पूर्व ही एक सहकारी औद्योगिक आयोग की स्थापना की है जो कृषि पदार्थों को सँवारने में सहायता प्रदान करेगा।

**सहकारी गोदाम—**विपणन काय गोदामों की समुचित व्यवस्था के बिना सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है। देश में केंद्रीय तथा राज्य गोदामों के अनिच्छित सहकारी गोदाम भी हैं। अल्पिन भारतीय ग्रामीण नाव सर्वेक्षण समिति ने सहकारिता आन्दोलन तथा गोदाम व्यवस्था में सामाज्य स्थापित करने का मुताव दिया था। सहकारण आजार पर देश के विभिन्न भागों में बहुत से गोदामों का संचालन किया जाना है। द्वितीय योजनाकाल में विपणन तथा माख सहकारी समितियाँ को गोदामों की व्यवस्था के लिए अनुदान देने की योजना प्रारम्भ की गयी। राज्य सरकारों तथा 'राष्ट्रीय सहकारिता निगम' (National Co-operative Development Corporation) की सहायता से सहकारी समितियों ने गोदामों के निर्माण की दिशा में सन्तोषजनक प्रगति की है।

ग्रामीण गोदाम बनाने तथा विक्रय समितियों द्वारा गोदाम निर्माण करने के लिए निगम द्वारा १०७८ करोड़ रुपये के ऋण तथा २४६ करोड़ रुपये के अनुदान दिये गये हैं।

इन कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार धन की व्यवस्था करती है और सहकारी विकास सम्बन्धित मस्यारों को दे देता है।

**गोदामों की क्षमता—**भारत में सहकारी गोदामों की क्षमता द्वितीय योजना के अन्त तक

७.५ लाख टन थी जो तीसरी योजना के अंत तक २५ लाख टन थी। मार्च १९७० में वह २७ लाख टन तक बढ़ गयी।

सहकारी कृषि विपणन समितियों की प्रगति—द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक गजकीय सहयोग से १,८६६ प्राथमिक विपणन समितियों की स्थापना हो चुकी थी। तृतीय योजना काल में ४५० नयी समितियाँ निर्मित की गयीं। इस प्रकार १९६६ में २,३०१ सरकारी सहयोग में स्थापित तथा स्वतन्त्र रूप में स्थापित सहकारी विपणन समितियाँ थीं। इन (२,३०१) समितियों में से २,१०० समितियाँ प्राथमिक आजार पर स्थापित थीं तथा २०० से कुछ ऊपर विभिन्न वस्तुओं की विक्रय समितियाँ थीं। देश की सभी महत्त्वपूर्ण मण्डियों में सहकारी विक्रय समितियाँ स्थापित हो चुकी थीं।

### सहकारी विपणन समितियों का कार्य

विद्यते पन्द्रह वर्षों में सहकारी विपणन समितियों के कार्य की प्रगति निम्नलिखित है  
(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सहकारी विक्रय समितियों के माध्यम से बेचे गये मान की राशि
१९५०-५१	४७
१९५५-५६	५३
१९६०-६१	१७५
१९६५-६६	३६०
१९६६-६६	५८३

इस व्यौर में स्पष्ट है कि कृषि सहकारी विक्रय समितियों द्वारा विक्रय किये गये मान का वार्षिक मूल्य ४७ करोड़ रुपये में बढ़कर ५८३ करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।

विक्रय की गयी वस्तुएँ—सहकारी कृषि विपणन समितियों की कार्य प्रगति का अध्ययन करने में यह पता लगता है कि उनके माध्यम से बहुत कम वस्तुएँ बेची जाती हैं। सहकारी विपणन समितियों द्वारा अग्रिकायन विक्री जनान और गन्ने की की गयी है, शेष वस्तुओं का मूल्य कुल विक्री का केवल २१ प्रतिशत है। अनाज तथा गन्ने के अनिश्चित कीमती नमूने बचाव का अंश है। इन वस्तुओं के अनिश्चित मुपारी, नारियल, दलहन, कानू और कानी मिर्च सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से बेची जाती हैं।

नियंत्रण और सहयोग—गन्ने वर्षों में सहकारी विपणन समितियों ने कृषि पदार्थों के निर्यात में भी सहयोग दिया है। वास्तविक नियंत्रण मुख्यतः राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation) के द्वारा किया जाता है। विपणन समितियाँ दालें, केले, प्याज, लम्बाकू, मटर, मन्तरे तथा कई निर्यात करती हैं।

उन निर्यातों में अग्रिकायन नियंत्रण विपणन संघ द्वारा किये गये हैं किन्तु महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात की समितियों का कार्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। जिन देशों को विपणन समितियों द्वारा निर्यात किये जाते हैं उनमें इंग्लैंड, लडा, कुवैत, नाइजेरिया, मरीसन, मोरियत संघ तथा सिंगापुर मुख्य हैं।

स्वयं निर्यात करने के अनिश्चित सहकारी विपणन समितियाँ माल को संवार कर निर्यातकों को देती हैं जिसमें निर्यातकों का काम मरत हो जाता है। इस कार्य में शकक समितियों तथा चाय और कच्चा विपणन समितियों का कार्य विशेष उल्लेखनीय है।

सहकारी विपणन के लाभ—सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से माल बेचने से निम्नलिखित लाभ हैं

(क) उचित मूल्य—किसान को अपने माल का उचित मूल्य मिल जाना है क्योंकि उसे सम्पूर्ण अथवा अधिवाश माल फल लैपार होते ही बेचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि समिति उस माल को रोककर यथोचित समय पर यथोचित बाजार में बेचती है।

(ख) उपभोक्ता—सहकारी विक्रय से दूसरा लाभ यह है कि उपभोक्ता वर्ग को साल भर कृषि माल उचित मूल्य पर मिलता रहता है क्योंकि सहकारी समितियाँ पूँजीपति व्यापारियों की भाँति माल रोककर कृत्रिम दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न नहीं करती। वह मात्र की पूर्ति निरन्तर बनाये रखती हैं, जिससे बाजार में मूल्यों की स्थिति टाँबाडोल नहीं होने पाती।

(ग) अच्छा माल—सहकारी क्रय-विक्रय का तीसरा लाभ यह है कि उपभोक्ताओं को कृषि माल शुद्ध एवं साफ मिलता है क्योंकि समितियाँ मिलावट आदि करने से परहेज करती हैं।

(घ) शोपण की समाप्ति—समितियों के माध्यम से माल बेचने पर मध्यमों द्वारा किया जाने वाला शोपण समाप्त हो जाता है क्योंकि समितियों को माल बेचने सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं और उन्हें दलाल अथवा व्यापारी ठग नहीं सकते।

(ङ) साहूकार से मुक्ति—सहकारी समितियाँ जमा माल के आधार पर किसानों को रकम देती रहती हैं अतः किसान को साहूकार से रकम उधार नहीं लेनी पड़ती। इन्से वह साहूकार के शोपण से बच जाता है।

सहकारी क्रय-विक्रय समितियों को सहकारी विभाग तथा गोदाम मण्डल से भी आर्थिक सहायता मिल जाती है और राज्य सरकारों से भी। फलतः समितियाँ विक्रय प्रणालियों में सुधार एवं कुशलता लाने का प्रयत्न करती हैं तथा गोदाम आदि निर्माण कर अपनी सग्रह शक्ति भी बढ़ाती जाती हैं।

उपसंहार—प्रस्तुत विवरण से यह स्पष्ट है कि कृषि पदार्थों के विक्रय की समस्या एक ओर तो माननी है तथा दूसरी ओर उसका पहलू आर्थिक है। इसकी उचित व्यवस्था करने के लिए एक ओर तो किसान को जाग्रत एवं प्रयुद्ध बनाना आवश्यक है और दूसरी ओर यातायात के साधन, गोदाम, साख तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, जिसके लिए काफी रकम का प्रवन्ध करना होगा। सरकार को चाहिए कि इन दोनों ही पहलुओं का साथ-साथ सुधार किया जाय। किसानों में जाग्रति के लिए पचायती तथा सहकारी समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिए और आर्थिक पहलू की स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाने के लिए स्टेट बैंक को अधिक सक्रिय किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न सुविधाओं में शीघ्रानिशीघ्र यथोचित वृद्धि हो सके। इन दोनों कार्यों के गतिशील हुए बिना कृषि विक्रय की समस्या का हल सदिग्ध बना रहेगा और किसानों की निर्धनता का अन्त होना भी कठिन होगा।

### प्रश्न

- भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को पूर्ण रोजगार दिलाने के लिए आप क्या उपाय काम में लायेंगे? अपनी योजनाओं का वर्णन कीजिए। (आगरा, बी० ए०, १९५२)
  - भारत में कृषि श्रमिकों की स्थिति के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं? उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? (लखनऊ, बी० ए०, १९६२)
  - कृषि श्रमिकों की कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। उनकी अवस्था में सुधार करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? (गोरखपुर, बी० ए०, १९६३)
- भारत के कृषि श्रमिकों की वर्तमान दशा का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उनकी दशा सुधारने के लिए आरंभ क्या सुझाव हैं? (दिल्ली, बी० ए०, १९६६)



*“Cooperation has failed but cooperation must succeed”*

आधुनिक युग में सत्तर दो विरोधी विचारधाराओं में विभाजित हो गया है। एक ओर पूंजीवाद के समर्थक विचार स्वातन्त्र्य तथा निजी साहस के बल पर आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो दूसरी ओर समाजवाद के अनुयायी राजकीय नियोजन एवं अधिकार द्वारा आर्थिक कल्याण की कल्पना करते हैं। यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो यह दोनों व्यवस्थाएँ ही दोषपूर्ण हैं क्योंकि जहाँ पूंजीवाद सर्वहारा वर्ग के शोषण पर पनपता है वहाँ समाजवाद मनुष्य की आर्थिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता छीनकर उसे स्त्रचालित यन्त्रवत् बना देता है। इन दोनों का मध्यम मार्ग सहकारिता है क्योंकि सहकारिता के अन्तर्गत न केवल व्यक्ति के विनाश के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है बल्कि शोषण की क्रियाएँ भी पूर्णतः समाप्त कर दी जाती हैं। सहकारिता एक सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक दर्शन है जिसका लक्ष्य ऐच्छिक सहयोग द्वारा आत्म-विकास करना है।

### १. सहकारिता का अर्थ और सिद्धान्त

सहकारिता एक ऐसा सगठन है जिसमें कुछ व्यक्ति मिलकर अपने सामाजिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए स्वच्छापूर्वक काम करते हैं। इस प्रकार जो कार्य आर्थिक दुर्बलता के कारण अलग अलग व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता उसे एक सगठन द्वारा सम्पन्न करने की चेष्टा की जाती है। वस्तुतः सहकारिता का मूलमन्त्र ‘अपनी सहायता आप’ कर एक आत्म-निर्भर शोषणहीन समाज बनाना है।

Dr. C R Fay ने सहकारिता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है

“सहकारिता समुक्त कार्य के लिए एक सगठन है जिसमें लोग समानता के आधार पर मानव की हैसियत से अपन आर्थिक हितों की मित्ति के लिए स्वेच्छा से सगठित होते हैं। प्रो० कोल-घर्ट के अनुसार “सहकारिता समुक्त व्यवसाय के हेतु एक सगठन है जो दुर्बल लोगों के बीच जन्म लेता है और नि स्वार्थ भावना से धलाया जाता है, जितने लोग सदस्यता के कर्तव्यों को स्वीकार करते हैं तथा सगठन का जिस सीमा तक उपयोग करते हैं, उसके अनुसार इसके लाभ के भागी होते हैं।”

इन परिभाषाओं के आधार पर सहकारिता के आधारभूत सिद्धान्त निम्नलिखित हैं

(१) समानता—महकारी सगठन में प्रजातन्त्र का एक श्रेष्ठतम रूप देखने को मिलता है क्योंकि किसी व्यक्ति के पाम भेने ही कितने ही अग्र हों, वह केवल एक ही मत देने का अधिकारी होता है। इस प्रकार महकारी समितियों में कोई भी एक व्यक्ति अधिकार नहीं जमा सकता।

(२) निस्वार्थता—सहकारी सस्थाएँ लाभ कमाने की दृष्टि से स्थापित नहीं की जाती वरिक्त उनका उद्देश्य समाज का शोषण समाप्त कर सदस्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है।

(३) ऐच्छिक सदस्यता—सहकारी समितियों में सदस्यता सर्वथा ऐच्छिक होती है परन्तु इस बात का ध्यान प्रवश्य रखा जाता है कि कोई अवाञ्छित व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य न बन सके अन्यथा सबको कष्ट उठाना पड़ेगा।

(४) मिनव्ययिता का पाठ—सहकारी सस्थाएँ अपने सदस्यों को मिनव्ययिता का व्यावहारिक पाठ पढाती हैं। वह केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देती हैं और सब सदस्य इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऋण की रकम का प्रयोग केवल उचित एवं उत्पादक कार्यों के लिए ही किया जाय। अपव्यय करने वाले व्यक्तियों को सहकारी सस्थाओं द्वारा ऋण नहीं दिया जाता।

(५) पारस्परिक सहयोग—सहकारिता का एक महत्त्वपूर्ण मूलमन्त्र 'एक सब के लिए तथा सब एक के लिए' (Each for all and all for each) है। प्रत्येक व्यक्ति सबके लिए सामर्थ्यानुसार कार्य करता है तथा उसका प्रतिफल प्राप्त करता है। इस प्रकार सभी लोग अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं और पारस्परिक विकास में सहयोग करते हैं।

(६) सीमित क्षेत्र—सहकारी समितियाँ का क्षेत्र प्रायः न बहुत विस्तृत और न बहुत कम रखा जाता है क्योंकि पहली स्थिति में समिति का प्रबन्ध करने में कठिनाई रहती है और दूसरी स्थिति में वह अमिन्नव्ययितापूर्ण हो जाती है।

## २ सहकारिता का भारत में विकास

सहकारिता की भावना का जन्म इंग्लैण्ड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवन (१७७१-१८५०) तथा उनके कुछ सहयोगी रॉकडेल के श्रमिकों द्वारा हुआ। इन्होंने सहकारी उपभोक्ता भण्डार चामू किये जिनमें सदस्य श्रमिकों को अच्छा माल सस्ते मूल्य पर देने की व्यवस्था की गयी। जर्मनी के रेफेजिन महोदय ने अपने देश में कृषकों तथा सामान्य कारीगरों के लिए सस्ती माल देने के लिए ग्रामीण साख समितियाँ और शुल्डर डेलिश ने नगरों के मध्यवर्गीय व्यक्तियों को यथासमय सस्ते ऋण देने के लिए नागरिक साख समितियाँ स्थापित की। शनं शनं उपभोक्ता सहकारी भण्डार तथा दोनों प्रकार की साख समितियाँ यूरोप, अमरीका तथा अन्य देशों में भी स्थापित होनी आरम्भ हो गयी और क्रमशः ससार भर में फैल गयी।

भारत में सहकारी आन्दोलन का सूनपात १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ। सबसे पहले १८८२ में सर विलियम वेडरबर्न तथा न्यायाधीश रानाडे ने किसानों को ऋण देने के लिए कृषि बैंक स्थापित करने की सिफारिश की। यद्यपि सरकार ने उनकी योजना को स्वीकार नहीं किया परन्तु उस मुझाव को कार्यान्वित करने के लिए किसानों को ऋण देने सम्बन्धी दो कानून पास किये गये। १८९५ में फेडरल निकलसन ने तमिलनाडु में कृषि बैंक स्थापित करने सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी समय दूबर्न महोदय ने उत्तर भारत में जनता बैंक खोलने का मुझाव दिया और सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने रेफेजिन सहकारी समितियाँ स्थापित करने का मुझाव दिया। १९०१ के अकाल आयोग ने भी सहकारी समितियों की स्थापना की सिफारिश की।

सहकारी अधिनियम, १९०४—उपर्युक्त सब सिफारिशों के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने १९०४ में पहला सहकारी साख समिति अधिनियम पास कर दिया। इन अधिनियम के अनुसार देश में कुछ व्यक्ति मिलकर एक ग्रामीण अथवा नागरिक साख समिति बना सकते थे। ग्रामीण समितियों में ८० प्रतिशत कृषक तथा नागरिक समितियों में ८० प्रतिशत अकृषक होने आवश्यक थे। प्रत्येक प्रान्त में समितियों का निषेधन तथा अकेक्षण एक रजिस्ट्रार के हाथ में था।

उपर्युक्त दोनों ही प्रकार की समितियों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में बचन की भावना को प्रोत्साहन देना तथा उन्हें आवश्यकता होने पर सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना था।

सन् १९१२ का अधिनियम—सन् १९०४ में सहकारी समिति अधिनियम में निम्नलिखित कमियाँ थी :

(१) इसमें केवल प्राथमिक समितियाँ (Primary Societies) बनाने की व्यवस्था थी, केन्द्रीय तथा राज्य-स्तरीय समितियाँ नहीं बनायी जा सकनी थी ।

(२) इसके अन्तर्गत केवल सहकारी साख ममितियों की स्थापना का प्रावधान था ।

(३) इसमें ग्रामीण तथा नागरिक समितियों का वर्गीकरण स्पष्ट नहीं था ।

फलतः सन् १९१२ में नया संशोधित सहकारी समिति अधिनियम पास किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की सहकारी समिति स्थापित करने की व्यवस्था कर दी गयी । अतः राज्य तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा विक्रय, उत्पादन, उमभोग आदि सम्बन्धी समितियाँ भी बननी आरम्भ हो गयी ।

मेम्बेलेगन समिति, १९१५—भारत में सहकारी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ए. अक्लर, १९१४ को ई० डी० मेम्बेलेगन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी जिसने १९१५ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । समिति की सिफारिशें निम्नलिखित थी

(१) सहकारी समितियों का विकास धीरे और दृढ़ आधार पर किया जाना चाहिए ।

(२) समितियों के नियन्त्रण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ।

(३) सहकारिता में सरकारी हस्तक्षेप अथवा सक्रियता को कम किया जाना चाहिए ।

प्रान्तीय नियम—सन् १९१६ में सहकारिता का नियम प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया गया । फलतः बम्बई में १९२५, तमिलनाडु में १९३२, बिहार तथा उड़ीसा में १९३५, कुर्ग तथा बंगाल में १९३७ में पृथक-पृथक् सहायी समिति अधिनियम पास किये गये ।

सन् १९१६ के पश्चात् सहकारी आन्दोलन का विस्तार बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि वह समृद्धिकाल था । जनता द्वारा अधिकारिक ऋण लिये गये फलतः समितियों की संख्या १७,००० (१९१५) में बढ़कर एक लाख में ऊपर हो गयी ।

मन्दी के युग में सहकारी आन्दोलन को बहुत धक्का लगा क्योंकि बहुत से व्यक्ति सहकारी समितियों के लिए गये ऋण चुकता करने में असमर्थ रहे अतः अनेक समितियाँ बन्द हो गयी ।

द्वितीय युद्धकाल तथा पश्चात्—युद्धकाल में मंहगाई तथा नियन्त्रणों के कारण सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का विकास तेजी में हुआ । इसके अतिरिक्त अनेक वर्गों की सहकारी समितियाँ स्थापित की गयी । युद्धोत्तर काल में उपभोक्ता भण्डारों की प्रगति में कुछ जियिलता आयी परन्तु अन्य प्रकार की समितियाँ निरन्तर विकसित होती चली गयी । सन् १९३६-४० में सभी प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या ११७ लाख, कार्यशील पूँजी १०५ करोड़ रुपये तथा प्राथमिक समितियों की संख्या ५१ लाख थी ।

### ३ योजनाकाल में सहकारिता

भारत जैसे देश में जहाँ ग्रामीणों का बाहुल्य है प्रजातान्त्रिक पद्धति से समाजवाद लाने का लक्ष्य रखा गया है, सहकारिता आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ माध्यम बन सकती है । भारत में योजना निर्माताओं ने इस महत्त्वपूर्ण तथ्य का विशेष ध्यान रखा है तथा विकास कार्यों के लिए सहकारिता को माध्यम अपनाया है । अथ सारणी द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सहकारिता के विकास का ज्ञान होता है ।

## पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सहकारिता—सभी समितियाँ

वर्ष	संख्या (लाखों में)	अंश पूंजा (करोड़ रुपये में)	कार्यशील पूंजी (करोड़ रुपये में)
१९५०-५१	१८	४५	२७६
१९५५-५६	२४	७७	६४६
१९६०-६१	३३	२२२	१,३१२
१९६५-६६	३५	४५१	२,८००

सारणी से स्पष्ट है कि सन् १९५०-५१ के पंचवर्षीय योजना काल के प्रथम दस वर्षों में सहकारिता आन्दोलन ने सराहनीय प्रगति की है। समितियों की संख्या सन् १९५०-५१ में १८ लाख थी और उनकी कार्यशील पूंजी २७६ करोड़ रुपये थी। सन् १९६०-६१ में समितियों की संख्या ३३ लाख तथा कार्यशील पूंजी १,३१२ करोड़ रुपये हो गयी।

१९६५-६६ में समितियों की संख्या लगभग दुगुनी और कार्यशील पूंजी लगभग दस गुनी हो गयी।

प्रथम योजना काल में रिजर्व बैंक के निर्देशन में सहकारिता आन्दोलन के पुनर्गठन पर, विशेषतः सहकारी-साल के पुनर्गठन की दिशा में प्रयत्न किये गये। योजना आयोग ने प्रथम योजना में यह मन स्पष्ट रूप में व्यक्त किया कि दस वर्षों में कुल ग्रामीण जनसंख्या का ५०% तथा शहरी जनसंख्या का ३०% सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत आ जाना चाहिए। प्रथम योजना में साम्य विपणन का लक्ष्य १२५ करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 'अखिल भारतीय ग्रामीण साम्य सर्वेक्षण समिति' के सुझावों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया गया। गाँवों में प्रमुख आर्थिक क्रियाओं को सहकारी आधार पर करने पर जोर दिया गया। राज्य द्वारा सहकारिता में साझेदारी (state partnership) पर भी बल दिया गया। ग्रामीण साम्य समितियों को प्राथमिक विपणन समितियों में सम्मिलित करने की भी योजना क्रियान्वित की गयी। द्वितीय योजना में 'सहकारिता' के लिए ४७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। योजना अवधि में ४७,००० सेवा समितियों (service co-operatives) को संगठित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अल्पकालीन ऋणों की मात्रा बढ़ाकर ३० करोड़ रुपये में १५० करोड़ रुपये, मध्यावधि ऋणों की मात्रा १ करोड़ से बढ़ाकर ५० करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि ऋणों की मात्रा ३ करोड़ से बढ़ाकर २५ करोड़ रुपये करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार द्वितीय योजना में, प्रथम योजना की जेपेक्षा सहकारी संस्थाओं के विकास पर अधिक बल दिया गया।

तृतीय योजना—द्वितीय योजना काल में सहकारिता के विकास पर २४ करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस पर तृतीय योजना काल में ८० करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजना का लक्ष्य कृषि-जनसंख्या के ६०% भाग को सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत लाना तथा मदद्यों की संख्या बढ़ाकर ३७ करना था। यह अनुमान लगाया गया था कि योजना-वधि में अल्पकालीन तथा मध्यावधि साम्य से मात्रा ५३० करोड़ रुपये तथा दीर्घावधि साम्य की मात्रा लगभग १५० करोड़ रुपये हो जायगी (सन् १९६०-६१ में इनकी मात्रा क्रमशः २०४ करोड़ रुपये तथा ३५ करोड़ रुपये थी)। योजना काल में ५२००० प्राथमिक समितियों को पुनर्जीवित तथा नए नए करने का लक्ष्य निर्दिष्ट किया गया। विपणन समितियों के क्रय विक्रय का लक्ष्य २०० करोड़ रुपये से बढ़ाकर ४०० करोड़ रुपये करने का लक्ष्य था।

तृतीय योजना काल में सहकारिता के विकास पर कुल ७६ करोड़ रुपये तथा तीन वार्षिक योजनाओं में कुल ६४ करोड़ रुपये व्यय किया गया। अन्तर्गत योजना में सहकारिता के विकास पर १७६ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भारतीय योजना आयोग ने सहकारिता के माध्यम में आर्थिक विकास करने का जो कार्यक्रम बनाया है उसके मूल तत्त्व निम्नलिखित हैं

(१) समिति का क्षेत्र तथा आकार—प्राचीण साठ सर्वेक्षण समिति ने यह मत व्यक्त किया था कि देश में अप्रिकाश बहून छाटी सहकारी समितियाँ हैं अतः न क्षेत्र न भविष्य में बड़ी समितियाँ बनाने की चेष्टा करनी चाहिए बल्कि वर्तमान समितियों को भी मिलाकर बड़ा कर देना चाहिए। तदनुसार देश के सभी भागों में बड़ी-बड़ी समितियाँ बनायीं गयीं। बड़ी बड़ी तो यह समितियाँ इतनी बड़ी बन गयीं कि उनकी मददगारता में ४०-४५ ग्राम सम्मिलित हुए और किसी किसी समिति का विस्तार ३०-३५ मील तक हो गया। इस प्रकार की समितियों का प्रवृत्त करने में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयीं और बहून-सी समितियाँ प्रायः बन्द हो गयीं।

उपर्युक्त स्थिति की पृष्ठभूमि में मेहता समिति (१९६०) ने यह मत व्यक्त किया कि प्राथमिक सहकारी समितियों का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। समिति ने एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक सहकारी समिति स्थापित करने की सलाह दी। तदनुसार नवम्बर १९६० में राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया जिसके अनुसार लगभग ३,००० जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक सहकारी समिति बनाने का निर्देश किया गया। इसका तात्पर्य एक पंचायत क्षेत्र में एक सहकारी समिति स्थापित करना था। तदनुसार पुगानी समितियों का पुनर्गठन तथा नयी समितियों की स्थापना इस मिशन के अनुसार की जा रही है।

(२) पूँजी में राजकीय भाग—सहकारी संगठन को आर्थिक दृष्टि से बरशाली बनाने के लिए यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक प्राथमिक समिति में राज्य भी अपने ही अंश स्वरीद सञ्चालन करने का अधिकार रखेगा। तदनुसार राज्य सरकारें प्राथमिक समितियों की पूँजी में सक्रिय सहयोग दे रही हैं। यह सहयोग ५,००० से १०,००० रुपये प्रति समिति हो सकता है किन्तु अग्रगण्यो द्वारा खरीदी गयी पूँजी से अधिक नहीं होता।


(३) अनुदान—प्रथम कुछ वर्षों में कार्यालय सम्बन्धी खर्च चानाने के लिए प्रत्येक सहकारी समिति को ५०० रुपये में लेकर १,५०० रुपये वार्षिक तक अनुदान मिल सकता है। यह अनुदान प्रायः सहकारी समिति के आकार तथा उसके व्यवसाय की रकम पर निर्भर करता है। इस अनुदान में यह लाभ होना है कि समिति को प्रारम्भिक वर्षों में कुछ आर्थिक महाराज मिल जाता है।

उपर्युक्त अनुदान के अनिश्चित ऐसी सेवा सहकारी समितियों को जो ग्रामीणों को साथ विनिरित करने, उन्नादन के उपकरण ढाँटने अथवा पदार्थों की विक्रय व्यवस्था में योगदान देनी हैं, कुछ 'प्रवृत्त अनुदान' दिया जाता है जिसकी राशि ३ से ५ वर्ष के भीतर ६०० रुपये तक हो सकती है।

#### ४. सहकारिता का ढाँचा तथा संगठन (STRUCTURE AND ORGANISATION)

भारत में सहकारिता आन्दोलन की दो प्रमुख शाखाएँ हैं। (i) माध्य सहकारिता, तथा (ii) गैर-माध्य सहकारिता। इन दोनों शाखाओं की पुनः दो-दो उपशाखाएँ हैं। (i) कृषि, तथा (ii) गैर-कृषि। कृषि सहकारिता प्राचीण क्षेत्रों में तथा गैर-कृषि सहकारिता मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पायी जाती है। सहकारिता का ढाँचा एक त्रिभुज की भाँति है। प्राथमिक समितियाँ (Primary Societies) सहकारिता आन्दोलन की आधारशिला हैं तथा राज्य पर शीर्षस्थ (Apex) सहकारी संस्थाएँ। 'आधार' तथा 'शीर्ष' के बीच केन्द्रीय या जिला स्तर की सहकारी संस्थाएँ हैं। भारत में सहकारिता के संगठन तथा ढाँचे को अप्रतिष्ठित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है।

भारत में सहकारिता का ढाँचा



उपरोक्त चित्र में स्पष्ट है कि भारत में सहकारिता आन्दोलन का विकास व्यापक रूप से किया गया है। इनमें से हम 'कृषि साख सहकारिता' तथा 'सहकारी विपणन' पर पहले अलग अध्यायों में विस्तारपूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। अतः यहाँ पर हम अन्य प्रकार की सहकारी संस्थाओं का वर्णन करेंगे।

५ अन्य प्रकार की सहकारी संस्थाएँ

भारत में 'साख सहकारिता' तथा 'सहकारी विपणन' की ही अधिक प्रगति हुई है। अन्य प्रकार की सहकारी समितियों का विकास कम हुआ है।

(१) गैर-कृषि साख समितियाँ (Non-Agricultural Credit Societies)—इस प्रकार की समितियों का शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक श्रमिकों में अधिक प्रचार है। वर्मचारी साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारी समिति गठित करते हैं। इन समितियों में से कुछ समितियाँ मात्र के अनिर्दिष्ट अन्य कार्य भी करती हैं। उनके सदस्य नौकरी पेशा वाले व शिक्षित होते हैं अतः उनकी अवस्था कृषि-मात्र समितियों की अपेक्षा अच्छी है। जून १९६८ में इन समितियों की संख्या १३,९६५ तथा सदस्य संख्या ७५ २३ लाख थी।

(२) गैर-साख समितियाँ (Non-credit Cooperative Societies)—इस प्रकार की समितियाँ दो प्रकार की हैं (i) कृषि गैर-साख समितियाँ, तथा (ii) गैर-कृषि गैर-साख समितियाँ, कृषि गैर-साख समितियों में विपणन समितियाँ, प्रोसेसिंग समितियाँ, सिचाई समितियाँ, मन्ना-पूर्ति सहकारी समितियाँ, कृषि समितियाँ, सहकारी दुग्ध सघ आदि सम्मिलित हैं। गैर कृषि गैर-साख

समितियों के अन्तर्गत औद्योगिक सहकारी समितियाँ, बुनकर सहकारी समितियाँ, सहकारी चीनी मिलें, सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सहकारी गृह-निर्माण समितियाँ सहकारी बीमा समितियाँ आदि सम्मिलित हैं।

इन समितियों में से यहाँ पर कुछ पर प्रकाश डाला जा रहा है

(३) बहुउद्देशीय या सेवा सहकारी समितियाँ (Multipurpose or Service Co-operatives)—ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार की समितियाँ पायी जाती हैं जो केवल एक ही प्रकार का कार्य नहीं करती बल्कि विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। ऐसी समितियों को 'बहुउद्देशीय सहकारी समिति' कहते हैं। ग्रामवासियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं तथा साधन की आवश्यकता पड़ती है। एक ही समिति द्वारा इन सबकी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसी समिति को सेवा समिति भी कहते हैं।

(४) उपभोक्ता सहकारी भण्डार—उपभोक्ता भण्डारों का जन्मदाता रॉबर्ट ओबन तथा रॉकडेल के कुछ श्रमिक थे। इन्होंने इस उद्देश्य से सहकारी उपभोक्ता भण्डार स्थापित किये कि लोगों को सभी उपभोक्ता पदार्थ (अन्न चीनी, घी, मसाले, तेल आदि) शुद्ध और सस्ते मिल सकें। इन भण्डारों का प्रबन्ध सदस्यों में से चुन हुए कुछ श्रमिकों की एक प्रबन्ध समिति करती है जो उपभोक्ता माल की खरीद तथा विक्रय की उचित व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होती है। उपभोक्ता भण्डारों में प्रायः भण्डार से मान खरीदने वाले व्यक्तियों का कुछ बीना या छूट दी जाती है।

भारत में उपभोक्ता भण्डारों का जन्म द्वितीय युद्धकाल तथा उसके पश्चात् नियन्त्रित तथा राशनिंग की हुई वस्तुओं की विक्री के लिए हुआ। फतेह चीनी, तेल, वस्त्र, अन्न तथा और बहुत सी वस्तुएँ इन भण्डारों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बची गयी। १९५१-५२ में देश में ६७५७ उपभोक्ता सहकारी भण्डार थे जिनकी सदस्य-संख्या १८१ लाख थी। इनका वार्षिक व्यवसाय लगभग ८२ करोड़ रुपये का तुल्य था। उपभोक्ता पदार्थों पर भ्रम मूल्य नियन्त्रण तथा राशनिंग व्यवस्था हटाने पर बहुत से सहकारी भण्डार बन्द हो गये क्योंकि सहकारी भण्डार प्रायः उधार मान नहीं देते और निजी व्यापारी उधार की सुविधा दे देते हैं। नवम्बर १९६२ में भारत की सीमाओं पर चीनी आक्रमण के पन्धरूप उपभोक्ता वस्तुओं का उचित विवरण पुनः आवश्यक हो गया अतः सरकार ने २०० थोक भण्डार तथा ४००० प्राथमिक भण्डार स्थापित करने का निश्चय किया और देश के विभिन्न भागों में इन भण्डारों की स्थापना कर दी गयी।

जून १९६६ में देश में विभिन्न वर्गों के सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की स्थिति निम्नलिखित थी

(१) थोक वस्तु भण्डारों की संख्या	३७१
(२) प्राथमिक एवं शाला भण्डारों की संख्या	१४,०००
(३) सुपर बाजार " "	८०
(४) विश्वविद्यालय उपभोक्ता भण्डार	२८
(५) राज्यस्तरीय उपभोक्ता सत्र	१४

भारत में उपभोक्ता सहकारी भण्डार केवल संकट अथवा अन्य किसी प्रकार की विशेष परिस्थिति में ही सफल हुए हैं। इसका कारण यह है कि इन भण्डारों का महत्त्व केवल नियन्त्रित अथवा राशन किये हुए माल का विवरण करने तक ही समझा गया है। यह उचित धारणा नहीं है। वास्तव में, उपभोक्ता सहकारी संगठन का उद्देश्य अपने सदस्यों को सभी प्रकार की वस्तुएँ शुद्ध और सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराना है। देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट व मुनाफाखोरी बहुत बढ़ गयी है अतः सहकारी भण्डारों की आवश्यकता भी अधिक तीव्रता से अनुभव की जानी

चाहिए। इस वं लिए जनमत को उपभोक्ता सहकारिता क पक्ष में तैयार करने की आवश्यकता है। यह काम उचित प्रचार, भण्डारों का कुशल प्रबन्ध तथा सदस्यों को अधिकाधिक सेवा द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है। सहकारी भण्डारों की सफलता का अर्थ उपभोक्ता के शोषण का अन्त होता है जत इस महान् कार्य की सफलता क लिए तपे हुए कर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भण्डारों का प्रबन्ध भार देना चाहिए।

(५) औद्योगिक सहकारी समितियाँ (Industrial Co-operative Societies)—भारत में किसी समय कुटीर तथा लघु उद्योगों का बाहुल्य था किन्तु शान् शान् बड़े उद्योगों की स्पर्धा तथा सरकारी नीति के कारण अनेक ग्रामीण उद्योग धन्धे समाप्त हो गये। इन धन्धों की समाप्ति से कृषक और वृषि दोनों की ही आर्थिक स्थिति में दुर्बलता आयी है। छोटे छोटे कारीगरों के पास कच्चा माल, बिजली अथवा उत्पादन के अन्य उपकरण प्राप्त करने के लिए यथेष्ट रकम नहीं होती है। अतः उनमें से कुछ समझदार व्यक्तियों ने औद्योगिक सहकारी समितियाँ बनानी आरम्भ कर दी हैं। इस प्रकार की समितियाँ में हथकरघा बुनकरों की सहकारी समितियाँ तथा नारियल की जटा (छिलका) का सामान बनाने वाली समितियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

तीन प्रकार—भारत के विभिन्न भागों में औद्योगिक सहकारी समितियों के तीन रूप देखने को मिलते हैं

(१) ऐसी समितियाँ जिनमें कारीगर माल का उत्पादन स्वयं करते हैं और केवल सुविधाओं के लिए (यथा—कच्चे माल की पूर्ति अथवा विक्रय) सहकारी समितियों के सदस्य बनते हैं।

(२) ऐसी समितियाँ जिनमें कारीगर उत्पादन विक्रय तथा अन्य सभी क्रियाएँ सामूहिक रूप में करती हैं। ऐसी समितियाँ में कारीगरों को वेतन अथवा पारिश्रमिक दिया जाता है और अन्त में शुद्ध लाभ का एक भाग दे दिया जाता है।

(३) तीसरी प्रकार की समितियों में कारीगर सम्पूर्ण उत्पादन क्रियाएँ अलग अलग करती हैं किन्तु मशीनें उपकरण आदि सहकारी समिति के अन्दर ही उपलब्ध होने हैं। इन उपकरणों के प्रयोग के बदले कारीगरों से कुछ शुल्क लिया जाता है।

सुविधाएँ तथा अनुदान—औद्योगिक सहकारी समितियों को राज्य सरकारों अथवा खादी प्रामोद्योग कमिशन से निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है

(१) चासू पूँजी के लिए सस्त ब्याज पर ऋण मिल सकता है।

(२) औद्योगिक समितियों के सदस्यों को समिति में अंश पूँजी खरीदने के लिए ऋण प्राप्त हो सकता है।

(३) प्रबन्ध व्यवस्था तथा उपकरणों के लिए अनुदान मिल सकते हैं।

(४) उच्चस्तरीय अधिकारियों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए उनके वेतन आदि की आंशिक राशि अनुदान में मिल सकती है।

(५) सहकारी बैंक द्वारा औद्योगिक सहकारी समितियों को दिखे जाने वाले ऋण की राज्य सरकार गारण्टी दे देती है।

प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है कि औद्योगिक समितियों को आवश्यक पूँजी प्राप्त करने तथा आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए सरकार से काफी सहायता मिल जाती है। इतना ही नहीं, इन समितियों को कच्चा माल (सूत, लोहा, कोयला सोडा आदि) भी सस्ती दरों पर दिया जाता है और उमकी पूर्ति में समितियों को प्राथमिकता दी जाती है।

औद्योगिक सहकारी समितियों की प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सरकारी प्रबन्ध व्यवस्था है क्योंकि अनेक बार समिति को सोडा, चूड़ा, इस्पात अथवा अन्य किसी वस्तु का कोटा स्वीकृत हो जाता है किन्तु उमकी वास्तविक पूर्ति में बहुत देर लग जाती है। इस प्रकार वृत्ति



बार कच्चा माल ममय पर नहीं मिलता जिसमे समिति को हानि हो जाती है। औद्योगिक समितियों को सहायता तथा अनुदान भी बहुधा समय पर नहीं मिलने जिनमे उनके कार्य-संचालन मे अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। वर्तमान मे औद्योगिक समितियों को मिलने वाली सहायता राज्य स्तरी और ग्रामोद्योग मण्डलों के माध्यम से मिलती है जिनकी व्यवस्था प्राय सभी राज्यों मे झण्ड एव दोषपूर्ण है। इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर औद्योगिक समितियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का उचित नियमन एव संचालन करना बहुत आवश्यक है।

(६) श्रम एव निर्माण सहकारी समितियाँ—प्रथम योजना के समय से ही देश के ग्रामीण क्षेत्रों मे सिंचाई तथा अन्य परियोजनाओं का ठीक संचालन करने के लिए श्रम हितकारी समितियों के संगठन पर बल दिया गया है। फलतः पंजाब, आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान मे श्रम तथा ठेका समितियाँ संगठित की गयी हैं। यह समितियाँ अपने क्षेत्र मे संचालित कृषि विकास योजनाओं पर होने वाले कुशल तथा अकुशल श्रम की व्यवस्था का ठेका ले लेती हैं। कालान्तर मे सारी परियोजनाओं (projects) मे श्रम की पूर्ति तथा व्यवस्था का भार सहकारी समितियों को सौंपने की कल्पना की गयी है। इसका उद्देश्य यह है कि योजनाओं मे मीमेण्ट, चूना अथवा अन्य जो भी वस्तुएँ काम मे लायी जाती हैं, उनमे घटिया पदार्थों की मिनाघट की आणका नहीं रहेगी जिससे नहरें और बाँध अच्छे और शक्तिशाली बन सकेंगे।

निर्धारित कार्य—श्रम तथा निर्माण सहकारी समितियों और स्वयंसेवी संस्थाओं (भारत सेवरु समाज आदि) को निम्नलिखित वर्गों के कार्य दिये जा सकते हैं

(क) सब प्रद्वार की सिंचाई योजनाओं सम्बन्धी खुदाई का काम,

(ख) हल्की सिंचाई योजनाओं मे निर्माण सम्बन्धी काम,

(ग) सड़कें बनाने का काम,

(घ) सामान्य सरकारी भवन, जैसे—छात्रावास कार्यालय, आवाम भवन, विद्यालय तथा ग्रामोद्योग विकास कार्यों सम्बन्धी भवन निर्माण का काम।

(ङ) भवन निर्माण सम्बन्धी सामान, जैसे—पत्थर, मिट्टी अथवा अन्य वस्तुओं की नियमित पूर्ति का काम।

प्राथमिकता तथा सुविधाएँ—सरकार यह जानती है कि सामान्यतः सहकारी श्रम संस्थाएँ निर्माण कार्य लेने मे निजी ठेकेदारों मे स्पर्धा नहीं कर सकतीं अतः निर्माण कार्यों का कुछ अंश सहकारी समितियों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि इन समितियों को काम सौंपने से पूर्व इनसे गारण्टी ले ली जाती है कि यह निर्दिष्ट समय पर निर्धारित काम पूरा करेंगी।

इतना ही नहीं जिन समितियों को निर्माण कार्य दिये जाते हैं उन्हें कुछ विशेष सुविधाएँ भी देने की व्यवस्था की जाती है, जो निम्नलिखित हैं

(क) समितियों को निर्माण खाते मे अग्रिम रकम दी जा सकती है।

(ख) अन्य ठेकेदारों की तुलना मे समितियों को सब बातों मे प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) समितियों को प्राविधिक विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं ताकि वह उन्हे सौंपे गये निर्माण कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकें।

(घ) समितियों को चालू पूंजी तथा उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिये जा सकते हैं।

(ङ) भवन निर्माण सहकारी समितियाँ (Housing Co operatives)—भारत मे जनसंख्या की वृद्धि तथा आर्थिक विकास के कारण नगरों और कस्बों मे मकानों की माँग बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस माँग को पूरा करने के लिए प्राय सभी नागरिक क्षेत्रों मे नयी बस्तियाँ बनायी गयी है परन्तु इन बस्तियों मे भवन निर्माण करने के लिए प्रचुर धन की आवश्यकता होती है।

मध्यवर्गीय लक्ष्यवा नौकरी-पेशा लोगो के प स इतनी पूंजी नहीं होती कि वह अपने साधनों से मकान बनवा सकें अतः भवन निर्माण सहकारी समितियां बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

इन समितियों की सदस्यता किसी क्षेत्र विशेष के सभी नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। सरकार अथवा नगर सुधार ट्रस्ट भूमि के प्लॉट देते समय इन समितियों को प्राथमिकता देते हैं। यह भूमि सदस्यों को किसी निश्चित क्रम में बांट दी जाती है। तत्पश्चात् उन भूमि-खण्डों पर भवन-निर्माण करने के लिए ऋण देन की व्यवस्था भी की जाती है ताकि मकान शीघ्रतापूर्वक बन सकें। इन ऋणों की वसूली सुविधाजनक विस्तों में कर ली जाती है। इस प्रकार सहकारी भवन निर्माण समितियां सामान्य वर्ग की जनता द्वारा भवन निर्माण में बहुत सहायक होती हैं।

**भारत में प्रवृत्ति—**भारत में १३,८१६ भवन निर्माण समितियां हैं जिनकी सदस्य-संख्या ८ लाख है। भारत में भवन निर्माण में सहायता देने सम्बन्धी अनेक योजनाएँ चालू हैं। एक योजना के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों द्वारा मकान बनाने के लिए उन्हें कुल लागत की २५ प्रतिशत रकम अनुदान के रूप में दी जाती है। निम्न आय वर्ग की भवन-निर्माण योजना (Low Income group Housing Scheme) के अन्तर्गत सहकारी समितियों को सरकारी भूमि देने में प्राथमिकता दी जाती है तथा निजी भूमि प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है। ग्रामीण भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत चुन हुए गाँवों में सहकारी समितियां बनाने तथा उनसे द्वारा इंटें, मकानों की सिडकियां और दरवाजे तथा अन्य वस्तुएँ निर्मित करने के लिए ऋण तथा अनुदान दिये जाते हैं।

वस्तुतः इन सब योजनाओं का समुचित उपयोग किया जाय तो देश के सभी भागों में नागरिकों की आवास सम्बन्धी समस्याओं का शीघ्रतापूर्वक समाधान हो सकता है।

(८) अन्य समितियां—ऊपर बताये गये सहकारी समितियों के अनिश्चित देश में अनेक प्रकार की अन्य समितियां भी स्थापित हो गयी हैं। इनमें सिचाई समितियां (Irrigation Societies) बुनकर समितियां (Weavers Societies), मत्तुआ की समितियां (Fishermen's Co-operatives), बीमा सहकारी समितियां, दुग्ध वितरण करने वाली समितियां आदि प्रमुख हैं।

#### ६. सहकारिता सम्बन्धी राष्ट्रीय-स्तर के संघ

#### (NATIONAL LEVEL FEDERATION OF THE COOPERATIVE INSTITUTIONS)

भारत में सहकारी आन्दोलन के द्वाके पर प्रकाश डाला जा चुका है। गत वर्षों में कृषि राष्ट्रीय-स्तर के सहकारी मंच का गठन किया गया है जो अपने-अपने क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन के विकास में महत्त्वपूर्ण योग प्रदान कर रहे हैं। इन सबों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं

क्र० सं०	नाम	उद्देश्य/कार्य क्षेत्र
१	नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इण्डिया	सहकारी आन्दोलन का विकास सहकारी क्षेत्र का विकास सहकारी शिक्षा सहकारी वैज्ञानिक
२	आल इण्डिया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन	
३	दी आल इण्डिया सण्ट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड	भूमि बंधक बैंकों का विकास
४	नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शूगर फेक्टरीज लिमिटेड	सहकारी चीनी मिलों का विकास उपभोक्ता सहकारिता
५	नेशनल कोऑपरेटिव कन्जूमर्स फेडरेशन	
६	नेशनल एपीकलचरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड	सहकारी विपणन
७	नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव लिमिटेड	
८	नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट वारपोरेशन	औद्योगिक सहकारिता सहकारी आन्दोलन

ये सघ अखिल भारत-मन्तर पर कार्यशील हैं। राष्ट्रीय स्तर के इन सघों द्वारा सहकारिता आन्दोलन का तेजी से विकास करने में मदद मिल रही है। इन सघों में अन्तिम सघ पर प्रकाश डाला जा रहा है।

### ७ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION)

इस निगम की स्थापना मार्च १९६२ में की गयी। (वस्तुतः यह निगम National Co-operative Development and Warehousing Board के स्थान पर संगठित किया गया है, जिसकी स्थापना का मुझाव अखिल-भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने दिया था)।

(क) प्रमुख कार्य—(i) सहकारिता के माध्यम में उत्पादन विपणन, सग्रह, आयात, निर्यात, प्रोमोसिंग आदि का विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निगम राज्य सरकारों को सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए ऋण तथा अनुदान प्रदान करता है। (ii) केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को सहकारी समितियों के लिए वित्तीय व्यवस्था करना, जिसमें वे कृषि तथा अन्य वस्तुओं का क्रय कर सकें। (iii) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से बीज, खाद कृषि उपकरण तथा अन्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए योजना बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करना।

(ख) प्रबन्ध—यह निगम एक स्थायी आयोग के रूप में कार्य करना है। इसमें 'मंचालक मण्डल' नहीं होता। 'निगम' तथा 'प्रबन्ध समिति' उसकी प्रमुख प्रशासनिक तन्त्र हैं।

(ग) वित्तीय व्यवस्था—केन्द्रीय सरकार निगम को वित्तीय सहायता देती है या समयानुसार ऋण व अतिरिक्त अनुदान भी देती है।

(घ) प्रगति—मार्च १९६६ तक इस निगम ने लगभग १०० करोड़ रुपये प्रदान कर, सहकारिता के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। इसके द्वारा दी गयी राजी मुद्रण सहकारी गोदामों के निर्माण, टपमोक्ता मण्डारों की स्थापना, कृषि साख, उत्पादन तथा सहकारी विक्री सम्बन्धी संस्थाओं को दी गयी है।

### ८. भारत में सहकारी आन्दोलन की असफलता

भारत में सहकारी आन्दोलन का सूत्रपात लगभग ६५ वर्ष पूर्व हुआ था। इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् भी सहकारिता की भावना जनता में अन्ततःतल में प्रविष्ट नहीं हो पायी है और लोगों में सहकारी आन्दोलन के प्रति आस्था का सर्वथा अभाव दिखायी देता है। सम्भवतः इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सहकार का प्रभुत्व बना हुआ है। इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि सरकार प्रायः सहकारी समितियों को संस्था में आन्दोलन की सफलता का अनुमान लगाने में परन्तु कुछ रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं का एक बहुत बड़ा अंश (४०-५० प्रतिशत) या तो निष्क्रिय है या बहुत बुरी दशा में है। इन सब परिस्थितियों के आधार पर ही ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने यह मत व्यक्त किया था कि भारत में सहकारिता असफल हो गयी है। इस असफलता के कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर हम कृषि साख नामक अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं अतः यहाँ उनका संक्षिप्त विवेचन मात्र किया जायेगा।

(१) सहकारी आन्दोलन—भारतीय सहकारी आन्दोलन मूलतः सरकारी आन्दोलन है। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपना मत इन शब्दों में प्रकट किया है—

'Co-operation is like a plant held in position with both hands by the Government because its roots refuse to enter the soil'

इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि सहकारी समितियों की स्थापना के लिए सहकारी विभाग के अधिकारी अधिक उत्सुक रहते हैं। सरकार जबकि सहकारी विभाग द्वारा सहकारी समि-

वियों की स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं, जिनकी पूर्ति के लिए सहकारी विभाग के कर्मचारियों को ऐसी में चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है। इस प्रकार सहकारी अथवा पूंजी और जनशक्ति के साथ-साथ मजदूर तथा सरकारी विभाग के अधिकारियों के दबाव के कारण समितियों बन तो जाती हैं परन्तु विश्वास के अभाव में उनका चलना असम्भव हो जाता है।

आन्दोलन की गतिविधियों का एक कारण यह भी है कि सरकार पर अत्यधिक निर्भर रहने के कारण सहकारी संस्थाओं में कामकाज बन पर नहीं आ सता है जिसके फलस्वरूप सहकारिता न भारतीय जय प्रिय्या के अन्वेषण सिंगु का रूप धारण कर लिया है जिसे सम्भव अनिश्चित बन तक मरवा कर दायर पाया देना पड़ेगा। यह एक जटिल समस्या है।

अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप तथा पोषण का एक प्रभाव यह भी पता है कि सहकारी संस्थाओं का विकास व्यवस्था की जटिलता के कारण रुकित रहता है। राज्य सरकारों के सहकारी विभागों को यदि असहयोगी विभाग कहा जाय तो सम्भव अनिश्चित नहीं होगी। उदाहरण, सम्पूर्ण सहकारी संस्थाओं का अक्षेपण सरकारी विभाग द्वारा किया जाना जनिदाह है। यहाँ यह तो ठीक है परन्तु जन समितियों का अक्षेपण वित्तीय बर्ण मयापन होने के साथ-साथ बाद तक नहीं होता जिससे वह वार्षिक मना नहीं बुला सकती और समिति के उदासीन कार्यकर्तियों का ओस उड़ा पड़ जाता है।

उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त सहकारी विभागों में समितियों को जो अनुदान या ऋण प्रदान की गयी है वह अत्यधिक उत्तम भरी होती है, उसमें अनेक कारणात्मकों को भरना आवश्यक होता है और उनके अन्तर्गत में निर्णय लेने की शक्ति बहुत कम होती है। फलतः सहकारी समितियों को आवश्यक महायत्ना प्राप्त समय पर नहीं मिलती और जब मिलती है तब तक प्रबन्धन प्रबन्धन उदासीन व्यक्तियों का धर्म भी समाप्त हो जाता है।

(२) राजनीतिक हस्तक्षेप—यदि वर्षों में सहकारी आन्दोलन मुख्यतः राजनीतिक व्यक्तियों के हाथ में चला गया है और यह इन आन्दोलन के विनाश की दुर्घटना पूर्व सूचना है। उनका कारण यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण न केवल रूप एवं गहनता इन में घोर पक्षपात होता है बल्कि अनेक उदासीन समितियों स्थापित हो जाती हैं जिनके माध्यम से जनता का नहीं बल्कि कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों का हित-साधन होता है। सरकारी प्रबन्धन में इन राजनीतिकों का प्रभाव के कारण ऐसी समितियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

राजनीतिक हस्तक्षेप का दूसरा प्रभाव यह हुआ है कि सरकारी समितियों में बहुत घट्टाचार आ गया है। फलतः आन्दोलन की वृद्धि उपाययत्ना में भी समाज के अल्पसंख्यकों का विश्वास हटता जा रहा है।

(३) अकुशलता—भारतीय सहकारी संगठन में वह सब दोष अन्तर्गत हैं जो किसी भी सरकारी कार्यालय के प्रबन्धन में होते हैं। उदाहरण सहकारी समितियों का बहुत दान में बहुत मनस लगायी है, ऋणों की बन्धन जितनी है उदाहरण की उचित योजना नहीं बनायी जाती, माल की विक्रय-व्यवस्था यथोचित नहीं है तथा अनेक समितियों के विभाजन-विनाश रहे ही नहीं जाते या बहुत दोषपूर्ण हैं। इन सब बातों में भारतीय सहकारी संगठन में निहित अकुशलता एवं अव्यवस्था का अनुमान हो सकता है। एसी स्थिति में उनकी सफलता की बँस आग की आ मुखी है ?

(४) विश्वास का अभाव—सहकारी आन्दोलन में सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप होने पर जनता को यह मन्तव्य है कि सहकारी संगठन के प्रति उनका कर्तव्य नहीं है। दूसरी ओर सहकारी विभाग के वेतनभोगी अधिकारी (अथवा कर्मचारी) भी जनता का काम यत्नपूर्वक करते हैं। संगठन में व्याप्त घट्टाचार तथा अकुशलता के कारण अनेक ईमानदार एवं कार्यशील कर्मचारी भी अक्षय हो गये हैं। इन प्रकार सहकारी संगठन में जनता की आस्था है, न विभागीय अधिकारियों का

विश्वास । अतः सगठन का आन्तरिक ढाँचा विस्तृत तो बहुत हो गया है परन्तु वह सर्वथा खोखला है । ऐसी स्थिति में अशिक्षित एवं जागरहित जनता को सहकारिता की जीवनदायिनी शक्ति के प्रति कैसे आश्रय प्राप्त किया जा सकता है ?

(५) दीपपूर्ण सगठन—भारतीय सहकारी आन्दोलन कहीं-कहीं तो ऐसी व्यक्तियों के हाथ में चला गया जिनके हाथ में किमानो और कारीगरो को बचाने के लिए इमना जन्म हुआ था । अनेक कृषि माध्यम समितियों और औद्योगिक समितियों के पदाधिकारी बड़े बड़े माहूकान या नगरो के प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनसे ग्रामीणों के किसी भी लाभ की कल्पना करना ऊँट को मुई के छेद में से निकालने के समान है । यह लोग धन अथवा अन्य किसी प्रभाव के बल पर समितियों से धन, कच्चे माल तथा अनेक प्रकार का लाभ उठाने रहते हैं ।

(६) सामन्तशाही एक सक्तीछेता—देश के बहुत से भागों में सहकारी सगठन पर किसी जाति, वर्ग अथवा विश्वास के व्यक्तियों ने अधिकार जमा लिया है और वह ग्रामों को जानि-भेदभाव अथवा धर्म-धृता की मकीण शृंखलाओं से मुक्त करने की बजाय इनकी जड़ें मजल बनाने जा रहे हैं । अनेक क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ भी बल एक जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्ति ही नौकरी पा सकने हैं या अन्य लाभ उठा सकने हैं । इस राष्ट्रघातक प्रवृत्ति के प्रभावस्वरूप सहकारी सगठन एक खिलौना मान बन गया है और समाज के अद्वितीय व्यक्ति इन्से अवाञ्छनीय सत्त्वों का पश्रयदाता समझने लगे हैं ।

उपसंहार—उपर्युक्त तथ्यों से भारतीय सहकारी आन्दोलन में व्याप्त गम्भीर दोषों की एक झलक मिलती है । सहकारी व्यवस्था ससार की श्रेष्ठतम प्रजातन्त्रीय व्यवस्था है किन्तु इमका संचालन भी श्रेष्ठ एवं सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा ही होना चाहिए, तभी इमकी सफलता की आशा की जा सकती है । सरकारी प्रबन्ध-व्यवस्था को सुधारना निश्चय ही बहुत कठिन है परन्तु सहकारिता को सरकारी प्रभाव से मुक्त करना इतना कठिन नहीं है । हमारी बात सहकारिता को राजनीतिज्ञों के प्रभाव से मुक्त कराने की है । इस कार्य को धीरे धीरे करना उचित होगा । वस्तुतः 'सहकारी आन्दोलन' से वास्तविक लाभ भूमिदायियों, पुराने सामन्तों तथा चन्द स्वार्थी, शोषक व धनी तत्त्वों ने ही उठाया या इस आन्दोलन का दुर्लभयोग किया है ।

वस्तुतः भारतीय सहकारी सगठन को सरकार तथा राजनीतिज्ञों की सामन्तशाही से मुक्त कर जनता के हाथ में देना होगा । सहकारिता का रक्तबीज भारतीय शरीर में अनुप्राणित है परन्तु उम प्राणशक्ति में चेतना संचारित करने के लिए रेफेजिन या रामदास पट्टलू जैसे कर्मवीर खोजने पड़ेंगे । इमसे हलके उपर्युक्त जर्जर शरीर पर सर्वथा प्रभावहीन होंगे, यह एक कट्टु मस्य है जिसे सहकारिता का कोई भी उपासक सुना नहीं सकता ।

## सामुदायिक विकास कार्यक्रम

(COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMME)

*"Community development programme which did appear to offer the substance of nourishment to the long-famished farmers received the encomium both in India and abroad, surpassing by far anything that happened in recent times"*  
—S K Dey

भारत एक घासों का देश रहा है और बहुत कुछ खाइ भी है। जिस समय अन्य देश जासिक विज्ञान की शीट में गोबर सृष्टि ने उत्तम नोक निरूपित करने तक पहुँच गये भारतीय कृषि तथा इंडोप्रा प्राचीन कृषि परम्पराओं से विपन्न रहे। उग्र गठान्दियों की शानता, अर्थात् दुर्द्व बनसुदा तथा पाश्चात्य प्रसाद के प्रेरित नयी-नयी आन्दोलनकारियों ने देश की धी-रूथ की नितियों का छोड़ना बर दिया और भारत का समृद्ध विज्ञान हमारा निर्भर और अक्षय्य होगा बना गया।

### १ प्रारम्भिक प्रयत्न

वर्तमान सन् १९५१ में प्रारम्भ की गयी विज्ञानों के पुनरुद्धार के लिए विचार किया गया है और समय-समय पर अनेक विशेष समितियों ने कृषि तथा कृषक के विकास के उपाय सुझाये हैं। इतना ही नहीं, कुछ अन्वितियों ने प्राचीन विज्ञान की निरिखत योजना पर कार्य भी किया है। इनमें गार्जो ने मेधाग्राम 'वेन्दनाथ टेंगोर ने गान्धि-विज्ञान, स्पेन्सर ह्वेने मार्चेंटम तथा एच० एच० दासन ने राजद के गुटगाव जिन्ने ने प्राचीन विज्ञान की योजनाओं सम्बन्धी प्रयोग किये। सरकार द्वारा आरम्भ किया गया अधिक जन उपयुक्तों जास्योत्तम की प्राचीन विज्ञान की दिशा में ही एक कदम था।

राजकीय आयोग—सन् १९६६ में भारत ने एक राजकीय (Fiscal) आयोग नियुक्त किया जिसने अपनी रिपोर्ट में उन बात पर जोर दिया कि भारत में कृषि शोषणों और उत्तम विज्ञानों में सहयोग एक आवश्यक होगा चाहिए ताकि इन्वेंट तथा अनुरोध की शक्ति भारत में भी शीघ्र का लाभ उठाकर देशी के विकास की शक्ति को बढ़ा सकें। इस कार्य के लिए आयोग ने एक राष्ट्रीय विज्ञान तथा आरम्भ करने का सुझाव दिया।

अधिक जन उपयुक्तों जाँच समिति—सन् १९५० में अधिक जन उपयुक्तों जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपने आरम्भ विकास के लिए महत्त्वपूर्ण योजनाएँ प्रस्तुत की जिन्हें अपना आयोग तथा सरकार ने स्वीकार कर लिया। यह विद्यार्थियों निम्नलिखित थीं :

(१) देश में राष्ट्रीय विस्तार आन्दोलन (National Extension Movement) प्रारम्भ किया जाना चाहिए, जो ७-८ वर्षों में सारे भारत में फैल जाय।

(२) समिति ने मत प्रकट किया कि राज्य, जिला तथा ग्राम्य स्तर पर ऐसी सरकारी तथा गैर-सरकारी सगठन बनाना चाहिए जो ग्राम्य विकास योजनाओं के अनुकूल हों।

(३) राज्यों में विस्तार सेवा के लिए केन्द्र द्वारा आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

समिति का यह मत था कि भारत में भी अमरीका इग्लैण्ड तथा अन्य देशों की भाँति एक ऐसी सगठन स्थापित हो जाना चाहिए जो प्रत्येक किसान को ग्रामीण विकास की योजनाओं में सहयोग की प्रेरणा दे सके।

**सामुदायिक कार्यक्रम का प्रारम्भ**—अधिक अन्न उपजाओ जाँच समिति की रिपोर्टों के अनुसार मई १९५२ में सामुदायिक विकास योजनाएँ आरम्भ करने का निश्चय किया गया। तदनुसार १९५२ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि २ अक्टूबर से सम्पूर्ण देश के ५५ क्षेत्रों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिये गये। श्री डे के अनुसार १९६० तक भारत की सम्पूर्ण ग्रामीण जनता को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था परन्तु अनेक कठिनाइयों के कारण इस लक्ष्य को १९६३ के अन्त तक के लिए टालना पड़ा।

## २. सामुदायिक विकास का अर्थ तथा उद्देश्य

भारतीय संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण मूलमन्त्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रहा है जिसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य सबके हित और सबके सुख के लिए होना चाहिए। सामुदायिक विकास योजनाएँ इस मान्यता का नवीन संस्करण हैं। प्राचीन भारत में ग्रामों की जनता मिल-जुल कर काम करने की अभ्यस्त थी। यह अभ्यास शताब्दियों की दामता के कारण छूट गया था। सामुदायिक योजना उम भुले हुए पाठ को पुनः स्मरण कराने का प्रयत्न मात्र है।

सामुदायिक विकास योजना का तात्पर्य है, समुदाय के विकास का कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोग मिल-जुलकर अपने सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा शैक्षणिक विकास का प्रयत्न करते हैं। भारत के सामुदायिक विकास मन्त्री श्री एम० के० डे के शब्दों में सामुदायिक विकास में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक उन्नयन, सन्देशवाहन, ग्राम्य पंचायत तथा जीवन के वह सब महत्त्वपूर्ण तत्त्व सम्मिलित हैं जिनका सम्बन्ध भारतीय जन-समूह के ८२ प्रतिशत भाग (ग्रामीण) से है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास का तात्पर्य ग्रामीण जनता के सर्वांगीण अथवा सर्वतोमुखी विकास से है जिसके फलस्वरूप देश का पिछड़ा हुआ ग्रामीण एक पूर्णकाय, मजबूत एवं सुगमनागरिक बन सके। वस्तुतः प्रजातन्त्र का भार जब तक ऐसे नागरिकों के कंधों पर नहीं होगा, उसकी सफलता संवैधा मद्दिश्य बनी रहेगी।

**सामुदायिक विकास के उद्देश्य**—भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख सलाहकार फोर्ड फाउण्डेशन के प्रतिनिधि डॉ० डग्लस एन्ड्रिम्जर के कथनानुसार सामुदायिक योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं<sup>१</sup>

(१) टूटिकोण में परिवर्तन—भारत का ग्रामीण वर्ग परम्परा से भाग्यवादी, अंधविश्वासी एवं रुढ़िवादी है। फलतः वह अपने जीवन के प्रति संवैधा निरास एवं निष्क्रिय रहता है। उसे न तो अपने परिवार की शिक्षा-शिक्षा की चिन्ता है, न अपने जीवन स्तर में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की आकांक्षा है। इस प्रकार का मृतप्राय व्यक्ति किसी भी समाज अथवा राष्ट्र के लिए गौरव का विषय नहीं हो सकता। सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्देश्य ग्रामों के निष्क्रिय एवं जीव-हीन व्यक्तियों को अपने तथा अपने समाज और राष्ट्र के मजग प्रवृत्ति बनाना है।

(२) सबन एवं प्रभावशाली नेतृत्व—भारत के ग्रामों में जड़वाद एवं रुढ़ियों के प्रसार के कारण कोई भी कार्य आरम्भ करने में उचित नेतृत्व का अभाव रहता है। अतः किसी भी प्रकार की विकास योजना को सफल बनाने के लिए ग्रामों से ही शक्तिशाली नेतृत्व प्राप्त करना होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों में ग्रामीणों द्वारा संचालित पंचायतें, सहकारी समितियाँ, विद्यालय, युवक सभ महिला सभ, कृषक सभ, अथवा मनोरंजन क्लब स्थापित करने की व्यवस्था है, ताकि इन सभों का काम करने वाले व्यक्तियों को समाज-वस्थापन सम्बन्धी सभी दिशाओं में यथोचित अनुभव प्राप्त हो सके और वह राष्ट्र निर्माण के सभी कार्यों में नेतृत्वपूर्ण योग देने में समर्थ हो सकें।

(३) जन-सहयोग—यह सत्य है कि किसी भी योजना की सफलता के लिए सुयोग्य एवं शक्तिशाली नेतृत्व की आवश्यकता होती है परन्तु अनेक बार श्रेष्ठतम योजनाएँ भी जन-सहयोग के अभाव में असफल हो जाती हैं। भारत में यह आघात और भी अधिक है। सामुदायिक कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न कर योजनाओं के पक्ष में उत्साहजनक वातावरण उत्पन्न करना है। वस्तुतः इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को विकास कार्यों में उत्साहपूर्ण सहयोग देने की आदत डाली जा रही है, ताकि वह बड़ी-बड़ी योजनाओं को भी सक्रिय योगदान देकर सफल बना सकें।

(४) आय में वृद्धि—भारतीय किसानों पर गत वर्षों में नागरिक सभ्यता का काफी प्रभाव पड़ा है, जिसके फलस्वरूप उनकी भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं आदि सम्बन्धी आवश्यकताएँ बढ़ी हैं अतः उनकी ज़ामदानी दहाने के प्रयत्न करना आवश्यक है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि व्यवसाय में नयी रीतियाँ अपनाकर उसका सुधार करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त काम में ही संचालित किये जा सकने योग्य लघु उद्योगों की स्थापना भी करनी चाहिए ताकि ग्रामीण जनता को अग्रिक मशीनरी मिल सके। सामुदायिक विकास योजना कृषि की नवीनतम पद्धतियों के प्रचार एवं प्रदर्शन द्वारा उत्पन्न होने में सहयोग दे रही है तथा लघुनाय उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

(५) युवकों को प्रशिक्षण—सामुदायिक विकास योजनाओं का उद्देश्य भारत के ५५८ लाख ग्रामों को विकेंद्रित प्रजातन्त्रों में रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना है। ऐसा करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों में ग्रामीण नवयुवकों को विकास के विभिन्न कार्यों में सम्मिलित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वह ग्रामीण आर्थिक विकास में अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें।

(६) परिवारों को सहायता—सामुदायिक विकास तथा अन्य योजनाओं द्वारा किसानों की आय बढ़ाने पर यह भी आवश्यक है कि उनके बच्चे ठीक ज़ाम का सहयोग करने के लिए प्रेरणा एवं मार्ग-दर्शन दिया जाय। इस सम्बन्ध में सामुदायिक विकास योजनाएँ ग्रामीणों को भोजन, वस्त्र, आवास, मनोरंजन तथा धार्मिक आवश्यकताओं के विषय में नियमित मलाह देती हैं और उन्हें उचित प्रकार का जीवन-स्तर निर्माण करने में योगदान देती हैं।

(७) अध्यापक और विकास योजनाएँ—डॉ० एन्निमन्जर का मत है कि सामुदायिक योजनाओं की सफलता के लिए ग्राम के अध्यापक द्वारा इन योजनाओं में रुचि लाना बहुत आवश्यक है। अतः गाँव के अध्यापक का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊँचा उठाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से सामुदायिक योजनाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य ग्राम के अध्यापक को समाज की प्रगति की बापदोर जपन हाथ में लाने योग्य बनाना है। इसलिए अध्यापक को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और उसे ग्रामीण विकास में सामाजिक गुह का महत्वपूर्ण साधन मानने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(८) स्वास्थ्य सुधार—सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामों में स्वच्छता के महत्व का प्रचार किया जा रहा है। इस कार्य की सफलता के लिए पीने के लिए शुद्ध जल की



व्यवस्था करना, मनु प्रकाश की मन्दगी को दूरचित रूप में काम में लेना, ग्रामों में मष्टामरियों से न्या के उत्पन्न करना तथा ग्रामों में बिना धुएँ के बूढ़े बनाना आदि ऐसे कार्य हैं जिन्हें सामुदायिक योजनाओं के माध्यम से मन्दत किया जा रहा है।

वर्तमान समय में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में केवल ग्राम विकास को प्राथमिकता दी गयी है। जब अब हम कार्यक्रम का मुद्दा उद्देश्य वृद्धि-विकास है। अब यह माना जाना लगा है कि ग्रामीण भारत का उद्धार वृद्धि-उत्पादन में वृद्धि द्वारा ही हो सकता है।

### ३. सफलता के लिए आवश्यक तत्व

(१) आधारभूत प्रभाव (पंचायत)—सामुदायिक विकास योजनाओं की अर्थिक विकास करने का प्रथम प्रभाव ही सफलता का प्रथम तत्व है। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायतें स्वयं ही सहायक विकास को प्रोत्साहित कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायतें स्वयं ही सहायक विकास को प्रोत्साहित कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायतें स्वयं ही सहायक विकास को प्रोत्साहित कर सकें।

(२) सहकारी समितियाँ—ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य दशक सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से निरन्तर क्रियाशीलता को बढ़ाकर उदार राष्ट्रियता की ओर मोटना है। इस दैनिक कार्य के लिए ग्राम पंचायतें स्वयं ही सहायक विकास को प्रोत्साहित कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायतें स्वयं ही सहायक विकास को प्रोत्साहित कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायतें स्वयं ही सहायक विकास को प्रोत्साहित कर सकें।

(३) ग्राम्य विद्यालय—उत्तम शिक्षण के माध्यम से ग्रामों में सहयोग देने के लिए प्रत्येक गाँव में एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, जिसमें छोटा-सा उद्यान, अत्यावृत्त के निवास के लिए स्वच्छ भवन तथा गाँव के लोगों की समस्याओं के लिए एक विशेष प्राण हो। इस विद्यालय में प्राण-माय वात-रक्तों की तथा प्रोटीन की वृद्धि लक्ष्य है। इसमें लक्ष्य है कि ग्राम पंचायतें स्वयं ही सहायक विकास को प्रोत्साहित कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायतें स्वयं ही सहायक विकास को प्रोत्साहित कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायतें स्वयं ही सहायक विकास को प्रोत्साहित कर सकें।

(४) सहयोग की भावना—सामुदायिक विकास योजना की सफलता गाँव के प्रत्येक वर्ग के सहयोग पर निर्भर है। इस प्रत्येक गाँव में बालक, नवयुवक तथा महिलाओं के संघटन होना चाहिए जिसमें स्वयंसेवक, युवा की नयी पद्धतियों तथा ग्रामीणों के लिए उपयोगी अन्य कार्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए। इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही यह मत व्यक्त किया गया है कि विकास के लिए ग्रामीणों द्वारा प्रत्येक गाँव में एक पंचायत, विद्यालय, सहकारी समिति तथा ग्रामीणों की विभिन्न समितियों को संघटित करने वाले संघटन की स्थापना करना आवश्यक है।

डॉ० एम्सन्टर के शब्दों में उद्योग मनु तत्व ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है किन्तु समय तथा परिस्थितियों के अनुसार उसी उद्योग में आवश्यक संशोधन तथा हेरफेर कर लेना उचित है।

### ४. सामुदायिक विकास का संगठन

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा (Community Development and National Extension Service)—सामुदायिक विकास योजनाओं के आरम्भ के दूम्ने वर्ष ही

राष्ट्रीय विस्तार योजना लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत १००-१०० ग्रामों के क्षेत्र लिए गये और उन पर प्रति वर्ष ४५ लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया। प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड की जनसंख्या लगभग ६६,००० होती थी। इसके विपरीत, सामुदायिक विकास परियोजना में लगभग २ लाख की जनसंख्या वाले ३००-४०० ग्राम सम्मिलित किये जाते थे। प्रत्येक सामुदायिक परियोजना पर ६५ लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गयी।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड को एक या दो वर्ष में सामुदायिक परियोजना में परिवर्तित कर दिया जाता था और उस पर १५ लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा जाता था। द्वितीय योजना-काल में राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर व्यय की राशि घटाकर क्रमशः ४ लाख रुपये और १२ लाख रुपये हो गयी।

उपर्युक्त व्यौरों में स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक कार्यक्रम में कोई मौलिक अन्तर नहीं था। वस्तुतः यह एक ही उद्देश्य के दो पहलू मात्र थे। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम ग्रामों के विकास का एक स्थायी तत्त्व था जबकि सामुदायिक योजना का तात्पर्य एक विशेष समय तक किसी क्षेत्र विशेष में अधिकाधिक शक्ति लगाकर गहन विकास के लिए प्रयत्न करना था।

योजना में परिवर्तन—सन् १९५७ में बलवन्तराय मेहता समिति ने यह सिफारिश की कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में मिला दिया जाना चाहिए। तदनुसार १ अप्रैल, १९५८ में सामुदायिक विकास योजनाओं की अवधि पाँच पाँच वर्षों के दो भागों में विभाजित कर दी गयी। इस कार्यक्रम के अनुसार सामुदायिक विकास के प्रथम चरण (पाँच वर्षों) में १२ लाख रुपये तथा द्वितीय चरण में ५ लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त प्रथम चरण से पूर्व प्रत्येक विकास खण्ड में एक वर्ष तक कृषि विकास पर ही विशेष ध्यान देने का निश्चय किया गया। इस एक वर्ष की अवधि में १८,००० रुपये व्यय करने का प्रावधान है और यह रकम विकास खण्ड के प्रथम चरण से प्राप्त करने की व्यवस्था है।

सामुदायिक विकास के चार चरण—बलवन्तराय मेहता समिति तथा सामुदायिक विकास के वार्षिक सम्मेलन (१९६०) की सिफारिशों के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को चार भागों अथवा चरणों में विभाजित किया गया है

(१) पूर्व-विस्तार अवस्था—जिस क्षेत्र में सामुदायिक विकास खण्ड स्थापित करना हो उसे पहले पूर्व विस्तार अवस्था में ले लिया जाता है। यह अवस्था प्रायः एक वर्ष लम्बी मानी जाती है। इस अवस्था में सम्पूर्ण खण्ड का गहन सर्वेक्षण किया जाता है और कृषि विकास के लिए विशेष प्रयत्न किये जाते हैं। वस्तुतः यह अवस्था विकास की प्रथम अवस्था की भूमिका होती है अतः इसमें विकास क्षेत्र में आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाती है, जो आगे के लिए मार्ग बना लेते हैं।

(२) प्रथम अवस्था वाले खण्ड—पूर्व विस्तार अवस्था के एक वर्ष की समाप्ति पर विकास की प्रथम अवस्था आरम्भ हो जाती है। यह अवस्था पाँच वर्ष लम्बी मानी जाती है और इस अवधि में १२ लाख रुपये खर्च किये जाते हैं। इस अवस्था में किया जाने वाला कुल व्यय चार वर्गों में विभाजित होता है। प्रथम वर्ग में विकास खण्ड के प्रधान कार्यालय का व्यय, दूसरे वर्ग में कृषि विकास जिसमें पशु-पालन, मिठाई तथा भूमि मुद्यार सम्मिलित हैं, तीसरे वर्ग में प्राथमिक उद्योग तथा चौथे वर्ग में ग्रामीण स्वास्थ्य, मकान, शिक्षा सवादावाहन तथा बाजार की सुविधाओं की व्यवस्था सम्मिलित है।

प्रथम अवस्था वाले खण्डों में धनराशि तभी दी जाती है जबकि सरकार को यह विश्वास हो जाय कि सभी वर्गों के कार्यक्रमों में आवश्यक प्रगति हो रही है। इस प्रगति का वास्तविक

मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निश्चित परिमाण निर्धारित किये जाते हैं, जिनकी पूर्ति करना आवश्यक होता है।

यदि प्रथम अवस्था के पांच वर्ष पूरे होने पर भी विकास की प्रगति यथेष्ट नहीं हुई हो अथवा निर्धारित आर्थिक सहायता पूरी खर्च नहीं की जा सके तो प्रथम अवस्था की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है।

(३) द्वितीय अवस्था वाले खण्ड— सामुदायिक विकास की प्रथम अवस्था में प्रायः विकास अधिक तीव्र गति में किया जाता है और विकास क्षेत्र की आर्थिक स्थिति एक निश्चित स्तर तक पहुँच जाती है। तत्पश्चात् विकास की दूसरी अवस्था आरम्भ होती है। इस अवस्था की अवधि भी पांच वर्ष ही मानी गयी है और इस काल में ५ लाख रुपये व्यय किये जाते हैं। यह राशि प्रायः पांच वर्षों में बराबर-बराबर बाँट दी जाती है किन्तु यदि किसी वर्ष विशेष कारणों से कुछ राशि कम खर्च होती है तो कुल की २० प्रतिशत तक राशि अगले वर्ष के लिए हस्तांतरित की जा सकती है।

(४) द्वितीय अवस्था के पश्चात्—द्वितीय अवस्था की समाप्ति पर प्रत्येक विकास खण्ड में योजनाओं का निश्चित क्रम चालू हो जाता है और वह नियमित रूप में चलता रहता है, अतः उनके लिए प्रथम दो अवस्थाओं की भाँति विशेष राशि देने की व्यवस्था नहीं की जाती। किन्तु यदि द्वितीय अवस्था में भी विकास पर्याप्त नहीं हो पाता तो सरकार सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् विभिन्न मदों के लिए कुछ समय (एक या दो वर्ष) तक १ लाख रुपये प्रतिवर्ष दे सकती है ताकि उस क्षेत्र का विकास आवश्यक स्तर तक पहुँच जाय।

जन-सहयोग की मात्रा—यद्यपि किसी विकास खण्ड के लिए जन-सहयोग का कोई नपा-तुला परिमाण निर्धारित करना सम्भव नहीं है किन्तु फिर भी प्रत्येक क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर यह निश्चित कर दिया जाता है कि अमुक क्षेत्र में धन, वस्तु अथवा नकद रकम के रूप में अमुक मात्रा में जन-सहयोग की वास्तविक प्रगति के आधार पर ही सरकारी अनुदान अथवा सहायता देने की व्यवस्था की जा सकती है।

प्रबन्ध व्यवस्था—सामुदायिक विकास परियोजनाओं की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित है :

(१) केन्द्र स्तर पर सामुदायिक विकास एवं महत्कारिता मन्त्रालय सम्पूर्ण कार्य के लिए नीति निर्धारण करता है और योजना आयोग तथा खाद्य एवं कृषि मन्त्रालयों में परामर्श लेता रहता है।

(२) राज्य स्तर पर राज्य सरकारें राज्य विकास परिषदों की मलाह से सामुदायिक विकास का कार्य सञ्चालन करती हैं और इस कार्य का मुख्य अधिकारी विकास आयुक्त (Development Commissioner) होता है।

(३) नीचे स्तर पर जिनमें जिल्ला परिषदें, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत समिति तथा ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतें ग्राममेवक की सहायता से कार्य करती हैं।

इनके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में खण्ड विकास समितियाँ (Block Development Committees) हैं, जिनमें सहकारिता एवं पंचायत राज्य के प्रतिनिधि, कुछ प्रगतिशील किसान, सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ स्त्रियाँ, उस क्षेत्र के मजदूर एवं विधान सभा के सदस्य आदि सम्मिलित हैं। यह समितियाँ सामुदायिक आयोजन के लिए उत्तरदायी होती हैं और इनकी योजना बनाने तथा क्रियान्वित करने के अधिकार होते हैं।

## ५ प्रशासन तथा कर्मचारी

सामुदायिक विकास कार्यक्रम मानवीय विकास एवं उत्थान से सम्बन्धित है और वह उचित प्रकार के मानवीय सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते। यह सहयोग जनता के अतिरिक्त उन कार्यकर्ताओं अथवा अधिकारियों में प्राप्त होना है, जो विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने में

दिन रात सलग्न रहते हैं। इन कार्यकर्ताओं में प्रमुख तीन हैं—ग्राम सेवक, कृषि विस्तार अधिकारी तथा विकास अधिकारी।

ग्रामसेवक ग्राम का बहुधन्धी कार्यकर्ता है। वह अपना सम्पूर्ण समय गाँव की कृषि तथा पशुओं के विकास पर व्यय करता है। उनके कार्यों में निम्नलिखित अधिक महत्त्वपूर्ण हैं

(१) कृषि विकास के लिए नवीन रीतियों, अच्छे बीजों, आधुनिक खाद तथा नये सुधरे हुए उपकरणों की व्यवस्था करना।

(२) गाँव में जल का उचित प्रयोग करने तथा कृषि सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए प्रदर्शनों की व्यवस्था करना।

(३) गाँव में कृषि तथा पशुओं की महामारियों की सूचना उचित अधिकारियों तक पहुँचाना तथा जिला कृषि अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी तथा सहायक रजिस्ट्रार, सहायक सनिटिया के आदेशों का पालन करना।

(४) ग्रामीण उद्योग के सर्वेक्षण में सहायता करना तथा पचायत और सहायक समिति के सहयोग से कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना एवं विकास में योग देना।

(५) गाँवों में ग्राम सहायक तथा श्रमदान क्विर लगाने का प्रवर्धन करना।

(६) गाँव में सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के सम्बन्ध में प्रदर्शनीय लगाना तथा अन्य प्रकार के कार्य करना।

वस्तुतः ग्रामसेवक पचायत समिति, सहायक समिति तथा सामुदायिक विकास अधिकारियों के कार्य-कलापों तथा योजनाओं में उचित समन्वय कर ग्राम के सर्वांगीण विकास में क्रियात्मक सहयोग देना है। वह ग्राम की प्रगति एवं कार्यक्रमों का सम्पूर्ण व्योरा रखता है और समय-समय पर गावों में घूम-फिरकर वहाँ की समस्याओं को हल करने की चेष्टा करता है।

कृषि विस्तार अधिकारी—यह गाँव के सम्पूर्ण कृषि विकास कार्यक्रम की सफलता के लिए उत्तरदायी होता है। वह कृषि विकास के लिए निम्नलिखित कार्य करने की चेष्टा करता है :

(१) पचायत क्षेत्र की सभी समस्याओं का गहन अध्ययन करना।

(२) पचायत क्षेत्र में कृषि विकास की योजनाएँ तैयार करने में सहायता देना।

(३) कृषि विकास के लिए खाद, बीज, सिंचाई, भूमि आदि सम्बन्धी सुझाव देना तथा उनके प्रचार द्वारा उन्हें प्रकृतित करवाना।

(४) कृषि की प्रगति तथा समस्याओं के सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी तथा विकास अधिकारी को यथासमय सूचना देते रहना। उनके हल के लिए इत अधिकारियों को यथासमय सहयोग देना।

(५) कृषकों को धेती के लिए ऋण दिलवाने की मिफारिश करना।

(६) किसानों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली फसल की किस्म का ध्यान रखना तथा उनमें सुधार का प्रयत्न करना।

(७) फसलों की कीटाणुओं तथा अन्य जंतुओं से रक्षा करने में सहयोग देना।

(८) कृषि पदार्थों को सुरक्षापूर्वक संग्रह करने की व्यवस्था करना।

कृषि विस्तार अधिकारी ऐसी सम्बन्धी समस्याओं का विशेषज्ञ होने के नाते कृषि सम्बन्धी सभी बातों का ध्यान रखता है और उत्पादन की मात्रा तथा गुण में सुधार करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करता है।

विकास अधिकारी—यह पचायत का मुख्य अधिकारी होता है और गाँव की कृषि, उद्योग, श्रम, मानायात, ऋण आदि सभी क्रियाओं का मन्त्रालय तथा समन्वय करता है। वह विकास के उन कार्यों की योजना बनाकर पचायत समिति के सामने रखता है तथा उन्हें कार्यान्वित करता है।

वस्तुतः वह विकास मध्यम प्रत्येक कार्य के लिए सरकार तथा पंचायत और सहकारी समितियों और सामुदायिक योजनाओं में तालमेल बनाय रखने का प्रयत्न करना है।

### ६ सामुदायिक विकास की प्रगति

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक देश भर में ३,१०० खण्डों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित हो रहा था। १९६४ तक वह ५ २२३ खण्डों में विस्तृत हो गया और इस प्रकार लगभग मारा देश सामुदायिक योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आ गया।

३१ मार्च १९७१ तक भारत में सामुदायिक विकास योजना की प्रगति निम्नलिखित हुई है :

१ विनाम खण्डों की संख्या	५,२६५
२ आवृत्त जनसंख्या (करोड़ों में)	४०
३ आवृत्त ग्राम संख्या (लाखों में)	५ ६
४ आवृत्त क्षेत्रफल (लाख वर्ग किलोमीटरों में)	३१ ७

इससे स्पष्ट है कि देश की लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या (जिसमें लगभग सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या आ जाती है) सामुदायिक विकास योजनाओं से लाभान्वित हो चुकी है। इन योजनाओं पर लगभग ५५ करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

इन योजनाओं की उन्नतवर्गीय प्रगतियाँ निम्नलिखित हैं

(१) कृषि विकास—मन कुछ वर्षों में सामुदायिक योजनाओं में मुख्यतः कृषि विकास के कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए कृषि विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध करा दी गयी हैं। कृषि, सहकारिता, निचोड़ तथा सामुदायिक विकास की क्रियाओं में उच्च स्तर पर विशेष सहयोग स्थापित कर दिया गया है ताकि किसी एक की अवांछनीय नीति में दूसरे को हानि होने की आशंका न हो।

ग्रामों की सबसे बड़ी समस्या किसानों की नयी प्रणालियों में परिचित कराना और उन्हें अपनाने के लिए तैयार कराना है। इन कार्यों की सफलता के लिए विकास खण्ड तथा तालों के लिए कृषि विकास योजनाएँ तैयार की जाने लगी हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत ही ग्रामों की योजनाएँ बनायी जाने लगी हैं। इससे प्रत्येक ग्राम अपने लिए निर्धारित खर्च का प्रयोग कर सकता है और पंचायत को यह अनुमान भी लग जाता है कि निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में क्या कठिनाइयाँ आयीं। इन कठिनाइयों को भविष्य में दूर किया जा सकता है।

(२) पंचायत राज—जैसा कि हमें पूर्व लिखा जा चुका है, ग्रामों में विकेंद्रित शासन सामुदायिक कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। तदनुसार देश के सभी राज्यों में पंचायत राज की स्थापना की जा चुकी है और विकास के अन्तर्गत कार्यक्रम पदायन समिति और जिला परिषदों को मौजूद जा चुके हैं। कुल मिलाकर देश में २१५ लाख से अधिक ग्राम पंचायतें स्थापित की गयी हैं जिनमें भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या का लगभग ६८ प्रतिशत सम्मिलित हो चुका है।

पंचायत राज की प्रगति का संक्षिप्त व्यौरा निम्नलिखित है (३१ मार्च, १९७१ तक)

१. कुल पंचायतों की संख्या	२ १५	लाख
२ पंचायत समितियों की संख्या	३,२६७	
३ जिला परिषदों की संख्या	२५३	
४ आवृत्त ग्रामों की संख्या	५ ५४	लाख
५ पंचायतों द्वारा आवृत्त ग्रामों का प्रतिशत	६८	
६ पंचायतों द्वारा आवृत्त ग्रामीण जनसंख्या (करोड़ों में)	३५	
७ पंचायतों द्वारा आवृत्त ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	६८	

पंचायती राज्य को अधिक सफल बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में उसकी समस्याओं का अध्ययन कराने के लिए अनेक समितियाँ काम कर रही हैं। पंचायती वित्त सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन कराने वाली समिति की रिपोर्ट से ग्रामों में विकास सम्बन्धी विस्तीर्ण कठिनाइयों का भान हो सता है और सरकार उस समिति की रिपोर्ट के अनुसार कार्य कर रही है। ग्राम-सभाओं के कार्य तथा पंचायती सेवकों में सुधार करने के द्यत भी किये जा रहे हैं, जिनमें से हाल का ही एक सुधार यह है कि ग्रामसेविकाओं के स्थान पर गाँवों की अध्यापिकाओं से विकास कार्य में सहायता ली जायेगी। इनसे न केवल ग्राम विकास का व्यय कम हो जायगा बल्कि काम भी पहले से अधिक अच्छा हो गयेगा।

(३) प्रशिक्षण—गाँवों में काम करने के लिए उचित प्रकार के कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को सामुदायिक कार्यक्रमों के दर्शन तथा नीति में प्रशिक्षित करने की दृष्टि से ग्रामसेवकों के लिए ६८, महुकार विस्तार अधिकारियों के लिए १३, पंचायत सचिवों के लिए ८० तथा पंचायत समितियों के पदाधिकारियों के लिए २६ प्रशिक्षण केंद्र चलाये जा रहे हैं।

(४) ग्रामीण स्वयं सेना (Village Volunteer Force)—चीनी आक्रमण के कुछ समय पश्चात् ही जनवरी १९६३ में ग्रामीण स्वयं सेना का निर्माण किया गया है जिसमें प्रत्येक गाँव के स्वयंसेवक भरती हुआ गया है। यह व्यक्ति कृषि उत्पादन, शिक्षा प्रसार तथा सुरक्षात्मक प्रयत्नों में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। अनेक व्यक्तियों ने वर्ष में १२ दिन निष्पुक्त सेवा करने के लिए अपने नाम सुरक्षा श्रम बैंक में दर्ज करवाये हैं। ग्रामीण स्वयं सेना तथा सुरक्षा श्रम बैंक को एक ही संगठन बनाकर कृषि विकास के प्रयत्नों को अधिकाधिक उत्तम करने की चेष्टा की जा रही है।

### ७. कठिनाइयाँ तथा सुझाव

सामुदायिक विकास योजनाओं की सफलता के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण ग्राम्य विकास के कार्यक्रमों में आशातीत सफलता नहीं मिल रही है। उक्त कठिनाइयों में मुख्य निम्नलिखित हैं

(१) जन सहयोग का अभाव—अनेक वर्षों तक लगानार प्रचार एवं विकास कार्य करने पर भी भारतीय जनता सामुदायिक विकास योजनाओं तथा पंचायत राज और सहकारिता के महत्त्व को नहीं समझ पायी है। यद्यपि जनता के आर्थिक सहयोग की मात्रा कुल व्यय की लगभग ३८ प्रतिशत है किन्तु इन तीनों आन्दोलनों में जनता का हार्दिक सहयोग नहीं मिल सका है। फलतः तीनों की स्थिति ही डूबाडोल है।

(२) राजनीतियों का प्रभाव—भारत की ग्राम पंचायतों में पुराना सहयोग और समन्वय आज दिखायी नहीं देता। दुर्भाग्य से प्रत्येक पंचायत में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रवेश हो गया है जिससे फलस्वरूप विरोधी वर्ग आपस में झगड़ते रहते हैं और विकास कार्य न्यूनतम हो पाते हैं। राजस्थान में पंचायतों की भूतवाकन सम्बन्धी रिपोर्ट तथा सर्वोदय दल की रिपोर्ट इस सम्बन्ध में एतन्त है कि जिन क्षेत्रों में सरकार विरोधी दल पंचायतों में सत्ता प्राप्त कर लेता है उनमें विकास कार्य में जानबूझकर अड़चनें डाली जाती हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और पंचायत तथा प्राजातन्त्रीय मिद्धान्तों का सर्वथा विपरीत है।

(३) अधिकारियों में मतभेद—सामुदायिक विकास योजनाओं की सफलता में एक अन्य बड़ी कठिनाई यह है कि सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी (पटवारी ग्रामसेवक, विकास अधिकारी आदि) तथा ग्रामों में चुनाव द्वारा मनोनीत प्रमाण अथवा सरपंच में प्रायः मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं जिससे फलस्वरूप उनकी शक्तियाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही खर्च हो जाती हैं और विकास कार्य न्यूनतम हो पाता है।

(४) सरकारी सहायता—सरकार की शान्त व्यवस्था में जो होल तथा सालपीनामाहो है,

दुर्भाग्य से वह सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ सामुदायिक योजनाओं तथा पंचायतों और मजूकरी समितियों में भी जा गयी है। इनसे अनेक बार समय पर शक्ति महानता नहीं मिल पाती और विकास कार्यों को वषामय पूरा करने में कठिनाई होती है।

(५) सामुदायिक भावना का अभाव—भारत का वर्तमान ग्रामीण जीवन राजनीतिक प्रभाव से अत्यधिक दूषित हो गया है। अनेक ग्रामों में अनेक दल मयों तथा मतभेद उत्पन्न हो गये हैं। पतन हिमो भी योजना के लिए, भय ही वह कितनी ही श्रेष्ठ ही, सब व्यक्तियों का सहयोग नहीं मिलता। योहे से व्यक्तियों के विरोध के कारण नी बड़े बार अच्छी अच्छी योजनाओं की स्थापित करना पड़ता है अथवा मगोपिन करन क लिए बाध्य होना पड़ता है।

सुधार के उपाय—सामुदायिक विकास योजना तथा पंचायतों राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनेक व्यक्तियों ने समय-समय पर अनेक सुझाव दिये हैं जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण नीचे दिये जा रहे हैं

(१) प्रशासनिक समन्वय—सरकार द्वारा सामुदायिक विकास केन्द्रों में जो भी अधिकारी नियुक्त किये जायें उन्हें दो-तीन मास का विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वह ग्रामों की परिस्थितियों एवं समस्याओं का समझकर उनमें निम्न तदनुसार उन की प्रवृत्ति बना सकें। पुराने अधिकारियों को भी समय-समय पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह अपने आपकी नयी परिस्थितियों के अनुकूल बना सकें।

दूसरी ओर पंच, सरपंच अथवा प्रधानों को भी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वर्तमान प्रशिक्षण सुविधाएँ यथेष्ट नहीं हैं उन इनमें वृद्धि की जानी चाहिए। इन दोनों वर्गों के यथोचित प्रशिक्षण से योजनाओं के सम्पादन में उचित सहयोग स्थापित होने की आशा की जा सकती है।

(२) सहयोग में वृद्धि—सामुदायिक विकास के लिए जन-सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से गाँवों में प्रचार केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए जहाँ फिल्में तथा आकर्षक कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण जनता को विकास योजनाओं का महत्त्व समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। वर्तमान में प्रायः यह देखा जाता है कि सरकारी जनसम्पर्क विभाग की गाड़ियाँ शहरों में फिल्में दिखाने रहती हैं और जनता की गाड़ियाँ पमोने की कमाई बरबाद करती रहती हैं।

(३) राजनीति में छुटकारा—गन वर्गों में सभी दलों के नेताओं ने यह मत व्यक्त किया है कि पंचायतों को दलगत रखा जाना चाहिए परन्तु इस दिशा में सश्रिय कदम नहीं बढ़ाया गया। वास्तव में, कुछ व्यक्ति दलगत राजनीति को प्रजातन्त्र की महतता का आधारमन्म समझते हैं, अतः वह विकास कार्यों से भी राजनीति को बनवाम नहीं देना चाहते। इस सम्बन्ध में यदि और कुछ न हो सके तो सरकार को कम से कम उन क्षेत्रों में विरोध नहीं दिखाना चाहिए जिनमें शासक दल के प्रतिनिधियों का बहुमत न हो। इन सम्बन्ध में सभी दलों द्वारा एक आचार संहिता बना ली जाय तो श्रेष्ठ होगा।

(४) उद्योगों पर अधिक ध्यान—सामुदायिक विकास योजनाओं में प्रायः सारे शक्ति वृद्धि विकास पर केन्द्रित की गयी है। यह सत्य है कि वृद्धि भारतीय अर्थ व्यवस्था की गंठ की वृद्धि है और उसके विकास में देश का विकास अन्तर्निहित है परन्तु वह एक अत्यन्त दीर्घकालीन समस्या है अतः कुछ शक्ति लघुकाल एवं कुटीर उद्योगों के विकास में भी लगानी चाहिए ताकि ग्रामीण जनता को आय में कुछ वृद्धि हो सके और विनाम को मानसून की अनिश्चितता के भय में कुछ छुटकारा मिल सके।

(५) वृद्धि रीतियों में परिवर्तन—गन दम-बारह वर्गों के निरन्तर प्रदर्शन के पश्चात् भी भारतीय वृद्धि में राजनीतिक प्रभाव नहीं वृद्धि है, जिनमें वृद्धि एवं अन्य योजनाओं में जनता का

उत्साह भी मन्द पड़ गया है। अतः जनता में पुनः विश्वास जाग्रत करने के लिए कृषि विकास सम्बन्धी एक क्रान्तिकारी संगठन बनाया जाना चाहिए जिसका नाम ही गाँव गाँव घूमकर कृषि की नवीनतम प्रणालियों को प्रचारित करना हो। इस संगठन को सामुदायिक विकास योजनाओं के एक अंग के रूप में ही स्थापित किया जा सकता है।

(६) भूमि सुधार—देश के जिन भागों में किसानों के पास भूमि नहीं है अथवा न्यूनतापूर्ण रूप में अब भी अनुपस्थित जमींदारी जोखित है वहाँ भूमि का एक-एक इंच भाग खेती के काम में लाने की व्यवस्था करनी चाहिए और वज्र, दलदली अथवा जैमी भी खराब भूमि उपलब्ध है वह भूमिहीनों को बाँट देनी चाहिए या सहकारी कृषि मण्डलों को दे देनी चाहिए। इसे साफ़ करने या खेती योग्य बनाने के लिए सरकार प्राविधिक सहायता दे सकती है। इस प्रकार बेकार भूमि भी खेती के अन्तर्गत आ जायेगी और कृषि उत्पादन के साथ-साथ योजनाओं के प्रति विश्वास में भी वृद्धि हो सकेगी।

उपसंहार—प्रथम दो योजनाओं के अन्तर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम व पचासवें राज पर लगभग २४० करोड़ रुपये व्यय किया गया था। तृतीय योजनाकाल में इन कार्यक्रमों पर २८८ करोड़ रुपये खर्च किये गये। तीन वार्षिक योजनाओं (१९६६-६७ में १९६८-६९ तक) में इन पर ६६ करोड़ रुपये व्यय किये गये। चतुर्थ योजना (१९६९-७४) काल में सामुदायिक विकास व पचासवें राज पर कुल ११५ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

यह पहले लिखा जा चुका है कि भारत का सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र सामुदायिक योजनाओं तथा पचासवें राज के प्रभाव में आ चुका है। आर्थिक विकास के इस महायज्ञ में सामुदायिक कार्यक्रम, पचासवीं राज तथा सहकारी आन्दोलन के अनिच्छित जन-सहयोग की अधिकतम आदृति लगाता आवश्यक है। इसके बिना भारत का अधनगर और अग्रणी इन्डियों में दबा हुआ ग्रामीण बन्धी एक स्वतन्त्र देश के नागरिक को मिलने योग्य सम्मान प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह देश के लिए अग्रणी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति होगी। अतः सामुदायिक विकास योजनाओं को और लगेत तथा उत्साह में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। हमें इन योजनाओं के समूह अडे समर्थक तथा प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू के इन शब्दों को नहीं भूलना चाहिए

'Community Development Projects are the bright vital and dynamic sparks all over India from which radiate rays of energy hope and enthusiasm'

वस्तुतः ग्रामीण भारत की आशाएँ व विकास की सम्भावनाएँ पचासवें राज, सहकारिता तथा सामुदायिक विकास योजनाओं की सफलता में सन्निहित हैं।

#### प्रश्न

- सामुदायिक विकास योजनाएँ भारतीय ग्रामों में उत्पादन तथा जीवन-स्तर बढ़ाने में नहीं तक सफल हुई हैं ? (लखनऊ, बी० ए०, १९५२)
- सामुदायिक विकास योजनाओं के उद्देश्य तथा सफलताओं पर एक लेख लिखिए। (पटना, बी० ए० १९५४)
- भारत में कृषि पदार्थों की न्यून उपज के क्या कारण हैं ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भूमि की उपज बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ? (राजस्थान, बी० कॉम, १९६०)
- भारत में आरम्भ की गयी सामुदायिक विकास योजनाओं की क्या क्या मुख्य विशेषताएँ हैं ? ग्रामीण पुनर्संगठन में इनकी उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए। (आगरा, बी० कॉम०, १९६१, विक्रम, बी० कॉम०, १९६४)
- अपने भेंट दिये हुए एक सामूहिक विकास योजना क्षेत्र का चित्रण कीजिए। (गणपुर, बी० कॉम, १९६४)
- भारत में सामुदायिक विकास आन्दोलन के मुख्य तथ्य दीजिए। (राजस्थान, बी० ए०, १९६६)



#### कृषि नीति

(AGRICULTURAL POLICY)

अन्य क्षेत्रों की भाँति यह बात भी विवादास्पद है कि कृषि के विकास में सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं। एक विचार के अनुसार भूमि का पूरा स्वामित्व किसान का होना चाहिए और उसे कृषि पदार्थ उत्पादन करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सरकार का काम केवल यह होना चाहिए कि यदि कृषि सम्बन्धी कोई समस्या उत्पन्न हो जाय तो उसे दूर किया जाय। इस प्रकार की स्वतन्त्र क्षेत्रों के उदाहरण अमरीका तथा जापान में उपलब्ध होते हैं।

इसके विपरीत दूसरा विचार यह है कि कृषि व्यवसाय पर पूर्णतः सरकारी नियन्त्रण होना चाहिए और कृषि पदार्थों की किम्मत, भूमि की मात्रा आदि सरकार द्वारा ही निश्चित की जानी चाहिए। किसान का काम केवल सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार खेती करना मात्र होना चाहिए। यह नीति चीन और रूस दोनों ही देशों में अमफल हो चुकी है और अब दोनों ही देश विदेशों में अन्न तथा कृषि पदार्थ आयात कर रहे हैं।

वास्तव में, सरकार की कृषि नीति पर गौर करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विकासशील और विकसित देशों को कृषि की दृष्टि में एक ही धरातल पर नहीं रखा जा सकता। विकसित देशों में कृषि उत्पादन की रीतियाँ इतनी कारगर और निश्चित हो जाती हैं कि वहाँ सरकारी हस्तक्षेप की विशेष आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अतिक्रमण अथवा विकासहीन देशों में कृषि की परम्पराएँ पुरानी होती हैं और कृषि सम्बन्धी साधन (लाब, बीज उपकरण तथा वित्त आदि) बहुत कम होते हैं अतः सरकारी महायत्न बिना कृषि को लाभदायक एवं संपन्न बनाना सम्भव नहीं है। अतः कृषि प्रगत देशों में जहाँ कृषि अभी भी अविश्वसनीय देशों में है, सरकार को कृषि की उन्नति के लिए पद-पद पर सहायता देनी पड़ेगी।

कृषि कार्य में सरकारी हस्तक्षेप का औचित्य (बहिः आवश्यकता) इस दृष्टि में भी है कि जब कृषि पदार्थों का उत्पादन आवश्यकतानुसार नहीं होता तो सरकार को स्वायत्त रूई, निरहन आदि विदेशों में आयात करने पड़ते हैं जिससे देश की विदेशी विनिमय की आय पर बड़ा भार पड़ता है और सरकार को विदेशों से ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस स्थिति में बचने के लिए सरकार के लिए यह देश लेना आवश्यक होता है कि कृषि क्षेत्र में वहाँ अनियमितता अथवा अकुशलता है और उसे ठीक करने के लिए यथोचित कार्यवाही करनी पड़ती है।

अन्य विकासशील देशों में भूमि का स्वामित्व किसान को देना सर्वथा उपयुक्त है परन्तु

सरकार को उत्पादन के विकास का उचित आयोजन तथा उसकी सफ़लता के लिए आवश्यक कार्योंवाही करना अनिवार्य है।

**सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य**—कृषि विभाग के कुछ मद इस प्रकार के हैं जिनमें सरकारी सहायता या हस्तक्षेप के बिना काम चल सकता है बल्कि सरकारी हस्तक्षेप वास्तव में हानिकारक होता है। जैसे—किस भूमि में किस वस्तु को खेती की जाय, फसल कब बोयी जाय आदि ऐसी व्यक्तिगत समस्याएँ हैं जिनके बारे में किसान अनुभव से पूरी जानकारी रखता है किन्तु अनेक कार्य ऐसे हैं जिनमें किसान सरकारी सहायता के बिना अमहाय बना रहेगा। ऐसे कार्य निम्नलिखित हैं

(१) सामाजिक पूंजी (Social Capital)—विभिन्न क्षेत्रों में नहरें, बाँध, ट्र्यूवर्बल अथवा सड़कें आदि बनवाना, मण्डियों तथा नियमित बाजारों की स्थापना करना, कृषि-उपज के संग्रह के लिए गोदाम आदि बनवाना ऐसे कार्य हैं, जिनमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यह सामाजिक पूंजी सरकार ही लगा सकती है क्योंकि इस प्रकार की पूंजी के लाभ बहुत देर में उपलब्ध होते हैं।

(२) कृषि शोध—खेती के विभिन्न पटलुओं तथा समस्याओं (बीज की किस्म, मृदा की मात्रा एवं उपयोगिता, फसल के पकने का समय आदि) के सम्बन्ध में सरकारी प्रयोगशालाओं में ही शोध हो सकती है और इस शोध के परिणाम सरकार द्वारा ही किसानों तक पहुँचाये जा सकते हैं। वस्तुतः, कृषि शोध सम्बन्धी कार्य भी बहुत महँगे हैं और उनमें मिलने वाले परिणामों में शोध करने वाले को तत्काल कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं है।

(३) भूमि सुधार—भूमि के स्वामित्व, विवरण तथा अधिकार सम्बन्धी नियम बनाना सरकार का ही काम है। इस सम्बन्ध में अन्य कोई ऐजेन्सी सहायक या माध्यक नहीं हो सकती। इसी प्रकार लगान निर्धारित करना, लगान में मुक्ति देना, भूमि की वकदन्दी करना अथवा भूमि की उच्चतम जोन की सीमा निर्धारित करना, यह सब कार्य सरकार के कार्यक्षेत्र में ही आते हैं।

(४) अज्ञान सम्बन्धी नीति—यदि देश में अज्ञान की कमी हो तो अज्ञान के नियंत्रण पर प्रतिबन्ध, मूल्य निर्धारण विदेशों से आयात, राशनिंग आदि कार्य भी सरकार द्वारा ही करने योग्य हैं और इनमें से आवश्यक कार्य तत्काल करने पड़ते हैं उनकी प्रतीक्षा करना उचित या सम्भव नहीं है।

(५) प्रबन्ध व्यवस्था—कृषि की उत्पत्ति के लिए मंत्र अथवा प्रदर्शनियों की व्यवस्था सरकारी सहयोग के बिना सम्भव नहीं और कृषि माल का अपने देश या विदेशों में विक्रय अथवा कृषि पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान में आवागमन सम्बन्धी नीति निर्धारण तथा मुविद्याओं की व्यवस्था करना सरकार का ही कर्तव्य है।

**भारत सरकार की नीति**—भारत में प्राचीनकाल में कृषि की समस्याएँ बहुत जटिल नहीं थी, प्रायः आवश्यकतानुसार सभी प्रकार का माल विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होता था और उनकी सपत वहीं हो जाती थी। कमी-कमी अभाव के समय अन्न आदि दूसरे क्षेत्रों से भेजवाना या भेजना पड़ता था। यह कार्य आदिमक थे और सरकार इनके नियमित संचालन के लिए कोई विशेष विभाग नहीं रखती थी बल्कि आवश्यकता पड़ने पर चिन्ही भी कर्मचारियों को यह काम सौंप दिया जाता था।

**कृषि विभागों की स्थापना**—सन् १८८४ में देश के विभिन्न प्रांतों में कृषि विभाग स्थापित कर दिये गये। इन विभागों को कृषि विकास कार्यों के अनिर्दिष्ट भूमि सम्बन्धी रिवाइंड रखने तथा की रजिस्ट्री आदि का निरीक्षण सम्बन्धी काम भी सौंप दिया गया। इनका काम होने पर भी ११ विभागों के संचालन के लिए पर्याप्त रकम रकीकृत नहीं की गयी।

**कृषि विभागों के कार्य**—इनके मुख्य कार्य अप्रतिगित थे

(१) कृषि फार्मों तथा प्रयोगशालाओं में शोऽकार्य को प्रोत्साहित करना ताकि कृषि प्रणालियों में सुधार हो सके ।

(२) कृत्रिम खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करना ।

(३) सुधरी हुई किस्म के बीजों के प्रचार तथा बिनरण की व्यवस्था करना ।

(४) सरकारी फार्मों अथवा निजी खेतों पर कृषि प्रदर्शनकारियों का संगठन करना ।

(५) कृषि की नवीन पद्धतियों तथा मुधरे हुए उपकरणों का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार की व्यवस्था करना ।

**प्रशिक्षण सुविधा की आवश्यकता**—सन् १८९२ में डॉ० बोलकर ने मन प्रकट किया कि भारतीय कृषि का विकास करने के लिए उचित प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता है । फलतः १८९२ में केन्द्रीय सरकार ने एक कृषि रसायनशास्त्री नियुक्त किया और १९०१ में एक कृषि महा-निरीक्षक (Inspector General of Agriculture) नियुक्त किया गया, जिसका कार्य केन्द्र तथा प्रांतीय सरकारों को सलाह देना था । १९१२ में यह पद समाप्त कर इसका काम सचालक, कृषि अनुसन्धानशाला, पूना को सौंप दिया गया । यही व्यक्ति १९२६ तक भारत सरकार के कृषि सलाहकार के रूप में कार्य करता रहा ।

**कृषि प्रशिक्षण**—पूना कृषि अनुसन्धानशाला की स्थापना १९०३ में की गयी और इस शाला के साथ ही कृषि सम्बन्धी शिक्षा के लिए एक विद्यालय भी स्थापित किया गया । लाडें कर्जन ने कृषि विभागा के कार्य में विशेष रुचि प्रदर्शित की और उनमें भूमि आदि सम्बन्धी कार्यों का दायित्व ले लिया गया । इसके अतिरिक्त कृषि शोध, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यों के लिए अधिक रकम की भी व्यवस्था की गयी ।

सन् १९०८ में पूना में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गयी और उसके पश्चात् क्रमशः कानपुर, नागपुर तथा कोयम्बटूर में भी ऐसे कॉलेज स्थापित कर दिये गये ।

**कृषि मण्डल की स्थापना**—सन् १९०५ में अखिल भारतीय कृषि मण्डल (All-India Board of Agriculture) की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रांतों में कृषि विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना था । यह मण्डल प्रांतीय विभागों की सभाएँ बुलाकर कृषि सम्बन्धी योजनाएँ निर्माण करने में सहयोग देता था और समय-समय पर सरकार को कृषि विकास सम्बन्धी सुझाव देता था ।

**शाही कमीशन, १९२६**—सन् १९०५ में कृषि कार्य को बल देने के लिए भारत सरकार ने अखिल भारतीय कृषि सेवा (All-India Agricultural Service) की स्थापना की और १९१६ में कृषि विकास का मद प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया किन्तु कृषि की स्थिति बहुत अनुत्कर्णीय नहीं थी अतः सन् १९२६ में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की दृष्टि से शाही कृषि आयोग (Royal Commission on Agriculture) की नियुक्ति की गयी ।

**कृषि सम्मेलन**—शाही आयोग ने प्रायः सारे देश का दौरा किया और कृषि समस्याओं का सर्वांगीण अध्ययन करने के पश्चात् १९२८ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिपोर्ट में कृषि के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए खेती की नवीन प्रणालियों, भूमि सुधार, कृषि साध आदि में व्यापक सुधार करने की सिफारिशें की गयी । अक्टूबर १९२८ में शिमला में एक कृषि सम्मेलन बुलाया गया जिसमें प्रांतों के कृषि मन्त्रियों, सचालकों तथा सहायक अधिकारियों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया । इस सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों में कृषि विकास के लिए शाही कमीशन की रिपोर्टों को आधार मानकर चलने का निश्चय किया गया । इसके अतिरिक्त शाही आयोग की सिफारिश के अनुसार शाही कृषि अनुसन्धान परिषद की स्थापना का निश्चय किया गया ।

**कृषि अनुसन्धान परिषद (Imperial Council of Agricultural Research)**—कृषि

आयोग का मत था कि कृषि के वास्तविक विकास के लिए प्रयोग तथा शोध की आवश्यकता है और यह शोधकार्य अत्यन्त उच्चस्तरीय होना चाहिए। भारत सरकार ने इस प्रकार के शोधकार्य के लिए १९२६ में कृषि अनुसन्धान परिषद की स्थापना कर दी। यह परिषद अब भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के नाम से विद्वान है।

परिषद का कार्य कृषि सम्बन्धी शोध करना है और कृषि सम्बन्धी सभी कार्यों में वह राज्यों तथा केन्द्रीय सरकारों को परामर्श देती है। इसके अतिरिक्त वह भारत तथा अन्य देशों में कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी शोधकार्यों में समन्वय स्थापित कर उनकी सूचना सर्वत्र प्रसारित करती है। इस कार्य के लिए परिषद एक पत्रिका निकालती है।

परिषद की स्थापना के समय भारत सरकार ने २५ लाख रुपये का तात्कालिक अनुदान दिया और ७ २५ लाख रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की। वर्तमान में परिषद का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार वहन करती है। कृषि सम्बन्धी शोधकार्यों के अतिरिक्त परिषद द्वारा देश के विभिन्न भागों में कृषि प्रदर्शनियाँ मण्डल की जाती हैं जहाँ कृषि की सुधरी हुई प्रणालियों का ज्ञान कराने की चेष्टा की जाती है।

रसल-राइट जाँच—माही कृषि आयोग ने यह मुझाव दिया था कि कृषि अनुसन्धान परिषद को शिवाओ की समय-समय पर जाँच होनी चाहिए। इस उद्देश्य से भारत सरकार ने १९३६ ३७ में इंग्लैण्ड में दो विदेशी सर जॉन रसल तथा डॉ० एन० सी० राइट (Sir John Russell and Dr N C Wright) को आमन्त्रित किया। इन विदेशीों ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित मुझाव दिए

(१) शोधकर्ताओं तथा कृषकों में निकट सम्पर्क स्थापित किया जाय।

(२) फसलों के विनाशक कीटाणु किस प्रकार नष्ट किये जायें।

(३) व्यावसायिक फसलों सम्बन्धी अनुसन्धान फसलों खरीदने वाले किसानों के सहयोग से किया जाना चाहिए और वादधानी सम्बन्धी शोधकार्यों में पोषक तत्व विशेषज्ञों की महत्त्वता ली जानी चाहिए।

(४) भूमि तथा फसलों की रक्षा के लिए सू-मरक्षण तथा फसल संरक्षण समितियों की स्थापना की जानी चाहिए।

(५) फसलों की बीमारियों तथा अन्य तन्दों में रक्षा करने के लिए स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(६) दुग्ध व्यवसाय तथा पशुपालन के सम्बन्ध में शोध, प्रशिक्षण तथा सलाहकार सेवाओं का विकास किया जाना चाहिए।

(७) परिषद को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

भारत सरकार द्वारा उक्त सभी सिफारिशों स्वीकार कर ली गयी और कृषि शोधकार्य तथा व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली बनाने की चेष्टा की गयी।

अकाल आयोग, १९४५—मार्च १९४२ में बंगाल में जो अकाल पड़ा उसने देश के प्रशासनको तथा जनता का ध्यान आकर्षित किया और अकाल आयोग ने जो सिफारिशें कीं उनको भी कार्यान्वित करने की दिशा में दायोचित्त कदम उठाये गये। बंगाल के अकाल ने देश को मानो नींद से जागृत किया। फलतः 'अधिक धन उपजाओ आन्दोलन' आरम्भ किया गया और वह धान वितरण की व्यवस्था भी अधिक शक्तिशाली बनायी गयी।

### योजनाकाल तथा कृषि नीति

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। प्रथम योजनाकाल में कृषि पर ६०० करोड़ रुपये व्यय किया गया जो नान्वैतिक क्षेत्र के अन्तर्गत किये गये

कृषि व्यय का ३१% था। द्वितीय योजनाकाल में कृषि तथा मिर्चाई पर ६६० करोड़ रुपया व्यय किया गया जो मार्चनरिन शोध के कृषि व्यय का २०% था। तृतीय योजनाकाल में भी कृषि को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया तथा कृषि व मिर्चाई के लिए १,७१८ करोड़ रुपये की व्ययस्था की गयी जो कृषि मार्चनरिन शोध के व्यय का २३% था। तृतीय योजनाकाल में वास्तविक व्यय कृषि पर १,१०३ करोड़ रुपय तथा मिर्चाई पर ६५७ करोड़ रुपये हुआ। अनुयुक्त परतर्पीय योजना (१९६६-७६) की प्रस्तावित न्द-रेखा क अनुसार कृषि, मामुदायिक विकास तथा मन्त्रागिा पर कुल ४,०१७ करोड़ रुपये व्यय किया जायगा जो कुल व्यय का १६% प्रतिगत होगा। इस प्रकार योजनाओं के अन्तर्गत सरकार न कृषि विकास पर पर्याप्त जोर दिया है।

सरकार की नीति योजनाओं के अन्तर्गत कृषि का सर्वांगीण विकास करना रहा है। कृषि के विकास के लिए बहुरूपी तथा बहुउद्देशीय प्रयत्न किए गए। गाँवों का वासास्व करने के के उद्देश्य में (to change the face of rural India) मामुदायिक विकास योजनाएँ तथा राष्ट्रीय प्रसार मेराएँ प्रारम्भ की गयीं। सन् १९६३ तक सम्पूर्ण ग्रामीण भारत इन योजनाओं के अन्तर्गत आ चुका था। मन्त्रागिा के विभिन्न स्वा का बड़े तौर त माय विकास किया गया। महसारी मान मन्त्र के विरगत, मन्त्र-नहकागिा, महसारी कृषि आदि न प्रसार-प्रसार पर जोर दिया गया। भूमि सुधार (land reforms) के अथ म सरकार की नीति का मुख्य आधार जोनों की अग्रिमम मोमा निर्माण करना राशनकारी कानूना में सुधार तथा मन्त्रो नो मगाय करना रहा है। 'कृषि मन्त्रो' की न्यूनतम मन्त्रो निरिक्त की गयी। भूमि-मन्त्रो की दिना म भी महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये। परतु-नाशन नो प्रो-मागिन करने के लिए प्रयत्न किए गए। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए अन्धो माद उर्वरक तथा बीज का वितरण किया गया। आधुनिक वैज्ञानिक कृषि का प्रचार किया गया। जन मन्त्रोय तथा प्रसातन्त्र की कृष्टि में परातनो का मगठन किया गया। ननु तथा बडी मिर्चाई योजनाओं को क्रियावित किया गया। कुल कुल हुए जिनो में जहाँ कृषि उत्पादन म वृद्धि की मन्त्रागिाएँ अग्रिम है, 'गहन कृषि क्रिया कार्यक्रम' (Intensive Agricultural District Programme or IADP) तथा 'गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम' (Intensive Agricultural Area Programme or IAAP) क्रियावित किया गया। किसानो नो प्रो-मागिन इन की कृष्टि में कृषि मूर्तों की उचित नीति अपनायी गयी।

उपरोक्त विवरण में स्पष्ट है कि योजनाकाल में सरकार की कृषि नीति का मुख्य आधार कृषि का सर्वांगीण विकास करना रहा है। इस दिशा में अन्त प्रकार के प्रयत्न किये गए। उत्पादन वृद्धि के लिए, अग्रिम के अग्रिम उपरन्त्र भूमि पर येनी कराना, नू-मन्त्रो, भूमि-सुधार, कृषि-पहन (agricultural inputs) की व्ययस्था करना तथा कृषि विकास के लिए उचित मगठनो को मगठन करना, किसानो की हर प्रकार की मगायना देना आदि सरकार की कृषि नीति के प्रमुख अंग रहे हैं।

### वर्तमान कृषि नीति तथा कृषि विकास की नयी स्ट्रेटेजी (PRESENT AGRICULTURAL POLICY AND NEW STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE)

उपरोक्त प्रयत्नो के बावजूद भी कृषि का विकास अपेक्षित मोमा तक नहीं किया जा सका तथा दग मागारों के मन्त्रोय में आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सका है। प्रति वर्ष कृषि-वस्तुओं विनयकर मागारो का आदान बढ़ना आ रहा है। माग मन्त्रोय मन्धीर न्द घागण करनी जा रही है। 'यदि हमें मागारों के आदान पर निर्भरता को मगाय करना है तथा देदा की कृषि-उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाना है तो उत्पादन की आधुनिक विधियों का अधिकाधिक प्रयोग करना तथा कृषि-विज्ञान द्वारा प्रदत्त ज्ञान एव गुणिधियों का अधिकाधिक उपयोग करना आवश्यक

है। यदि हमें अल्पकाल में ही प्रभावशाली तथा कारगर परिणाम हासिल करना है तो कृषि-विकास के लिए नयी नीति अपनानी होगी।”

वर्तमान समय में कृषि विकास के लिए जो नीति तथा स्ट्रेटजी अपनायी गयी है उसके मूल तत्त्व निम्नलिखित हैं

(१) देश के जिन क्षेत्रों में सिंचाई आदि की यथेष्ट सुविधाएँ उपलब्ध हैं तथा जहाँ कृषि विकास की सम्भावनाएँ अधिक हैं, उन क्षेत्रों में कृषि-विकास के प्रयत्नों को और बड़े पैमाने पर जारी किया जाय। इस प्रकार सभी क्षेत्रों पर समान रूप में ध्यान न देकर, चुने हुए क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाय, इसमें कृषि-उत्पादन सम्बन्धी परिणाम अधिक आशाजनक होंगे।

(२) तीसरी योजना के अन्तिम चार वर्षों में किये गये अनुसन्धानों तथा परीक्षणों में विभिन्न प्रकार के बीजों का मिश्रण कर सकर बीज तैयार किये गये हैं। इन बीजों के प्रयोग से उत्पादन में आशानीत वृद्धि की जा सकती है। इन बीजों का सफल प्रयोग करने के लिए सिंचाई की यथेष्ट सोभाएँ तथा खाद का अधिकाधिक इस्तेमाल आवश्यक है। अतः सिंचाई के माध्यमों से पूर्ण क्षेत्रों में इन बीजों का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जायगा।

(३) विभिन्न फसलों से सम्बन्धित बीजों को चुना गया है जहाँ पर इन उन्नत बीजों का स्तेमाल किया जाता है तथा किसानों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

(४) नये बीजों तथा अधिकाधिक रासायनिक खाद के इस्तेमाल की योजना आरम्भ में IADP तथा IAAP क्षेत्रों (इनका विवरण आगे देखा) में ही क्रियान्वित की जा रही है क्योंकि इन क्षेत्रों में योग्य कृषि कर्मचारी नियुक्त हैं तथा अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

(५) जिन क्षेत्रों में उपर्युक्त योजनाएँ लागू नहीं हैं, उन क्षेत्रों की भी उपेक्षा नहीं की जायेगी तथा आवश्यक कृषि-वस्तु (agricultural inputs) व प्रशासनिक सुविधाएँ प्रदान की जायेंगी।

(६) कम समय में तैयार होने वाली फसलों (short duration crops) का अधिकाधिक प्रचार किया जा रहा है तथा फसलों के स्वरूप (crop pattern) के परिवर्तन की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(७) उन्नत बीजों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए, इन बीजों के उत्पादन, परीक्षण क्रम, स्टोरेज तथा समुचित ढंग में वितरण के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाये जा रहे हैं।

(८) राज्य सरकारों को बीज उत्पादन क्षेत्रों की उचित व्यवस्था कर रही है तथा ५०० एकड़ तक के नये फार्मों की स्थापना कर रही है।

(९) नयी कृषि-नीति के अन्तर्गत महायुक्त खाद्य-पदार्थों जैसे आलू आदि के उत्पादन वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है। प्रोग्रेस जनक बम्बुओं के उत्पादन में भी वृद्धि की जा रही है। दालों के उत्पादन के लिए भी एक योजना तैयार की जा रही है।

(१०) पशुपालन कृषि का आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण अंग है अतः पशुओं की नस्ल-सुधार, रोगों की रोकथाम तथा उनके लिए चार की उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में कदम उठाये जा रहे हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय को भी उन्नत व आधुनिक बनाने को चेष्टा की जा रही है।

यद्यपि कुछ वर्षों में भारत में कृषि उत्पादन में जो सम्पूर्ण जनक वृद्धि हुई उसमें इन नयी कृषि-नीति का भी योगदान रहा। इस नयी स्ट्रेटजी के अनुसार अधिक उत्पादक बीजों का प्रयोग किया गया, सिंचाई सुविधाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया गया, रासायनिक खाद, उन्नत बीज, सम्बन्धी जल उपकरणों तथा कीटाणुनाशक औषधियों का अधिक अधिक प्रयोग किया गया। देश के कुछ क्षेत्रों में कम उत्पादन में तैयार होने वाली फसलों तथा वर्ष में फसलों की संख्या बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। इस योजना के अनुसार १९६६-७० में ११४ मिलियन हेक्टेयर

भूमि पर उन्नत तथा अधिक उत्पादक बीजों का प्रयोग किया गया। उन्नत बीजों का प्रयोग सन् १९६७-६८ में ६.४६ मिलियन हेक्टर तथा सन् १९६८-६९ में ९.३ मिलियन हेक्टर भूमि पर किया गया था। अनुमान है सन् १९७०-७१ में अधिक उत्पादक बीजों का प्रयोग १४ मिलियन हेक्टर भूमि पर किया गया। सन १९६८-६९ में बहु-फसलो (Multiple Cropping) के अन्तर्गत ६० लाख हेक्टर भूमि तथा सन् १९६९-७० व १९७०-७१ में क्रमशः ७०.६ लाख हेक्टर व ८१.४ लाख हेक्टर भूमि थी। इस योजना के अनुसार कृषि पड़तों (inputs) की पूर्ति में अधिकाधिक वृद्धि का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा है यह नयी कृषि नीति भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

उपर्युक्त विवरण में स्पष्ट है कि सरकार की वर्तमान कृषि-नीति चुनी हुई फसलो तथा चुने हुए श्रेणियों के विकास पर आधारित है। अत्यावधि-फसलो का प्रचार, नये बीजों का स्तेमाल, मिचार्डी तथा फर्टीलाइजर की पूर्ति इस नीति के मुख्य आधार हैं। इनके अतिरिक्त भूमि-सूधार, साख व्यवस्था आदि पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की वर्तमान नीति का आधार, कम से कम समय में कृषि-उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करना है।

### कृषि पड़त

#### (AGRICULTURAL INPUTS)

किसी भी 'उत्पादन' में लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कृषि एक बड़ा व्यवसाय तथा मूल उत्पादन है अतः इसके लिए भी विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। कृषि के साधनों के विकास के लिए तथा आवश्यक पड़तों के लिए योजनाकाल में प्रयत्न किये गये। इन साधनों तथा पड़तों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है १. मिचार्डी, २. पशुजन, ३. रासायनिक खाद, ४. भू-संरक्षण ५. पौधों की रक्षा, ६. बीज, तथा ७. कृषि-उपकरण।

इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्रों में पड़तों की उचित व्यवस्था तथा कृषि उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि के लिए 'सामुदायिक विकास योजना', 'सहकारिता', 'पैकेज योजना' आदि का भी समन्वय किया गया है। अतः उनका अध्ययन आवश्यक है।<sup>१</sup>

### १. भू-संरक्षण तथा सूखी-खेती

एक अनुमान के अनुसार देश की लगभग २० करोड़ एकड़ भूमि क्षरण से पीड़ित है। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में ही इस समस्या का समाधान खोजने के प्रयत्न आरम्भ कर दिये गये थे। फलतः १९५३ में केन्द्रीय भू-संरक्षण मण्डल (Central Soil Conservation Board) स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य भूमि तथा जल संरक्षण समस्याओं के सम्बन्ध में शोधकार्य करना तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना था। प्रथम योजनाकाल में भू-संरक्षण कार्यक्रम पर लगभग १६ करोड़ रुपये व्यय किये गये। इसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र तथा मद्रास राज्यों में लगभग ७ लाख एकड़ भूमि पर कट्टर बांध बनाने के लिए काम में लिया गया। इनके अतिरिक्त भूमि तथा जल-संरक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए आठ प्रादेशिक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किये गये। रेगिस्तान की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भी जोधपुर में एक केन्द्र स्थापित किया गया।

द्वितीय योजनाकाल में भू-संरक्षण कार्य पर लगभग १८ करोड़ रुपये व्यय किये गये। अबले महाराष्ट्र राज्य में ही लगभग २० लाख एकड़ भूमि को क्षरण में बचाया जा सका। तृतीय

<sup>१</sup> उपर्युक्त में से, मिचार्डी, पशुजन, सहकारिता, सामुदायिक विकास योजना आदि का अध्ययन पिछले कुछ वर्षों में हो चुका है अतः यहाँ पर शेष विषयों पर ही प्रकाश डाला जा रहा है।

योजना के पाँच वर्षों में लगभग ११ करोड़ भूमि पर कट्टर बाँध बनाकर २२ करोड़ एकड़ भूमि में सूखी (विना कृत्रिम सिंचाई) खेती की व्यवस्था की गयी।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अनिरीक्त नदी-घाटी योजना क्षेत्रों में लगभग १५ करोड़ एकड़ भूमि में भू-संरक्षण कार्यक्रम लागू करने आवश्यक है। द्वितीय योजनाकाल में १४ लाख एकड़ भूमि की क्षरण से बचाने की व्यवस्था की गयी। तृतीय योजनाकाल में ७२ करोड़ रुपये खर्च करके लगभग १० लाख एकड़ भूमि का संरक्षण किया गया है।

सूखी खेती के विकास के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। सन् १९७०-७१ में सूखी-खेती के विकास के लिए ६ अग्रगामी योजनाएँ (प्रत्येक का क्षेत्रफल ८ हेक्टर) चालू की गयी।

## २. बीज

कृषि में विकास के लिए उत्तम बीजों की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है और इस कार्य के लिए बढ़िया बीज उत्पन्न करने वाले केन्द्रों की स्थापना करना आवश्यक है। इसी दृष्टि से प्रथम दो योजनाओं में ४,००० बीज फार्म स्थापित किये गये। इन फार्मों में से ६० प्रतिशत बढ़िया बीज उत्पन्न कर वितरित किये हैं।

एक बीज फार्म प्रायः २५ एकड़ से कम का नहीं होता। वास्तव में, अधिकांश फार्म २५ एकड़ से काफी बड़े हैं। प्रत्येक बीज फार्म के साथ एक बीज भण्डार निर्मित किया गया है। बीजों की वितरण व्यवस्था ठीक करने के लिए तृतीय योजनाकाल में राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक विभागात्मक क्षेत्र में एक बीज भण्डार स्थापित किया गया।

बीजों के यथासमय वितरण के लिए बीज फार्मों तथा सहकारी समितियों में सहयोग स्थापित किया जा रहा है। १९६३-६४ में राष्ट्रीय बीज निगम (National Seed Corporation) ने कार्य आरम्भ कर दिया है और १,५०० एकड़ भूमि पर सुधरी हुई किस्म की मक्का उत्पन्न की।

अब उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ रहा है। सन् १९६७-६८ में १५ मिलियन एकड़ भूमि पर उन्नत बीजों से खेती की गयी जबकि सन् १९६८-६९ में २१ मिलियन एकड़ क्षेत्र पर उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया।

सन् १९६८ में बीज समीक्षा दल (Seed Review Team) ने अपनी रिपोर्ट में यह मत प्रकट किया कि देश में न तो पर्याप्त मात्रा में बढ़िया किस्म के बीज उपलब्ध हैं, न उनका उचित प्रयोग करने के लिए जल की पर्याप्त व्यवस्था है। चतुर्थ योजना (१९६९-७४) काल में कृषि अनुसंधान परिषद् राष्ट्रीय बीज निगम तथा कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग में अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का विकास किया जायगा तथा अधिक क्षेत्र में उनका प्रयोग करने की व्यवस्था की जायेगी। राष्ट्रीय बीज निगम के अनिरीक्त 'तराई बीज विकास निगम' भी इस दिशा में प्रयत्नशील है।

## ३. रासायनिक खाद

पारंपारिक कृषिशास्त्रियों के अनुसार खेती की अधिकांश रासायनिक खाद देकर उत्पादन में आशातीत वृद्धि की जा सकती है। भारत के सामने वर्तमान समस्या उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने की है अतः रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। चेस्टर विल्स का कथन है कि खाद के यथेष्ट प्रयोग से उत्पादन की मात्रा तिगुनी की जा सकती है।

भारत में फर्टीलाइजर का उपयोग अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। १९६६-६७ में, अनुमान के अनुसार भारत में केवल ८ किलोग्राम प्रति हेक्टर फर्टीलाइजर का प्रयोग किया जाता है जबकि विश्व का औसत ३४ किलोग्राम प्रति हेक्टर है।



विभिन्न देशों में सभी प्रकार के रासायनिक खाद का उपभोग

(किलोग्राम प्रति हेक्टर)

देश	रासायनिक खाद
ब्रिटेन	१६३.६६
हालैंड	६१०
जापान	३५४
बेल्जियम	५२०
न्यूजीलैंड	५०३
भारत	८

भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत का अनुमान निम्न सारणी से लगाया जा सकता है :

रासायनिक उर्वरकों की खपत

(हजार टन)

	१९६५-६६	१९७०-७१
नाइट्रोजन N	५७५	१,४२५
फास्फेटिक $P_2O_5$	१३२	४६१
पोटाश $K_2O$	७७	२२६

रासायनिक खादों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। रासायनिक खादों के उपयोग में सन् १९६६-६७ व १९६७-६८ में ४० प्रतिशत वार्षिक तथा सन् १९६८-६९ व १९६९-७० में १५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई।

**भूमि परीक्षण**—रासायनिक खाद एवं बीजों का उचित प्रयोग करने तथा विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए अनेक प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें प्रति वर्ष मिट्टी के लगभग ७ लाख नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। चतुर्थ योजनाकाल में मिट्टी के परीक्षण के लिए चलिष्णु प्रयोगशालाओं (Mobile Laboratories) की सुविधाओं का विकास किया जायगा। इस प्रकार जिन मिट्टियों में लवण, अम्लता (acidity) या क्षार (alkali) है उन्हें खेती के उपयुक्त बनाया जा सकेगा।

#### ४ गहन कृषि जिला कार्यक्रम

यह कार्यक्रम १९६०-६१ में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मद्रास मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के सात जिलों में लागू किया गया था। इसके बाद १९६२-६३ में छह तथा १९६३-६४ में तीन और जिले इस कार्यक्रम में शामिल कर लिए गये हैं। सन् १९६५-६६ तक यह कार्यक्रम देश के ३०८ विकास गण्डों पर लागू था, जिनका क्षेत्रफल देश में कुल जोती जाने वाली भूमि का ५% था। इन सभी जिलों को फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से विकसित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला पश्चिमी जर्मनी की सहायता प्राप्त कर रहा है।

गहन कृषि कार्यक्रम से तात्पर्य यह है कि जिन क्षेत्रों में भूमि अच्छी है तथा सिंचाई की सुविधाएँ पर्याप्त हैं वहाँ अधिक शक्ति और थम की सहायता से कृषि विकास किया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में गहन कृषि कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं वहाँ कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

(क) कृषि विकास में पंचायतों का अप्रत्याधिक सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

(ख) प्रत्येक गाँव के लिए कृषि उत्पादन योजना बनानी चाहिए ताकि प्रत्येक किसान के लिए भी उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये जा सकें।

(ग) सहकारी आन्दोलन में सम्पूर्ण गाँव को सम्मिलित कर उसे मजबूत बनाना चाहिए।

(घ) पशुपालन तथा दुग्ध-वितरण के कार्यक्रम को विवक्षित करना चाहिए।

(ङ) प्रत्येक क्षेत्र के लिए फसल योजनाएँ बनायी जानी चाहिए और इन फसल योजनाओं को कृषि योजना में सम्मिलित करना चाहिए।

(च) कृषि से सम्बन्धित कार्यक्रम (भूमि सुधार, वनरोपण, सिंचाई आदि) आरम्भ किये जाने चाहिए।

सन् १९६२-६३ में कृषि उत्पादन की गति में वृद्धि करने के लिए ४० जिलों को चावल की गहन खेती तथा ७६ जिलों को छोटे अनाजों की उत्पत्ति के लिए निर्दिष्ट किया गया। इन क्षेत्रों में कृषि विस्तार अधिकारियों तथा प्रशासन कर्मचारियों द्वारा उर्वरक, निरीक्षण तथा रिपोर्ट आदि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि समय-समय पर इनकी प्रगति का सही मही अनुमान लगाया जा सके।

सन् १९६६-६७ में यह कार्यक्रम १८ जिलों में लागू था। सन् १९६५-६६ व १९६६-६७ में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः २८.६१ लाख हैक्टर व ३१.७३ लाख हैक्टर भूमि थी।

### ५ गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम

यह कार्यक्रम तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में आरम्भ किया गया। कार्यक्रम सर्वप्रथम सन् १९६४ में देश में चुन हुए जिलों के कुछ विकास खण्डों में प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के ७२ जिलों में ६४६ विकास खण्ड घान की खेती के लिए, ५४ जिलों में ३५६ विकास-खण्ड उच्च-बाजरे की खेती के लिए, ३० जिलों में २०० विकास खण्ड गेहूँ की खेती के लिए चुने गये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी खेती सम्बन्धी विकास कार्य गहन कृषि जिला कार्यक्रम की ही भाँति चलाये जाते हैं। दोनों कार्यक्रमों में प्रमुख अन्तर यह है कि विकास कार्य 'गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम' के अन्तर्गत 'गहन कृषि जिला कार्यक्रम' की अपेक्षा छोटे पैमाने पर चलाये जाते हैं तथा इनमें अपेक्षाकृत व्यय कम होता है। चतुर्थ योजना काल में मम्पूण IADA तथा IAAP क्षेत्रों में कृषि के उन्नत तरीकों तथा सभी फसलों के उन्नत बीजों का प्रयोग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

### ६ कृषि शिक्षा तथा शोध

देश में कृषि विकास की उत्तमि करने के लिए कृषि कार्य में शोध करना बहुत आवश्यक है ताकि उत्पादन तथा विकास को नवीनतम पद्धति का प्रयोग किया जा सके। इसके लिए विद्यालय शोध संस्थान आदि स्थापित करना आवश्यक है। द्वितीय योजना के अन्त तक भारत में कृषि कनिजों की संख्या ५३ थी जिनमें प्रति वर्ष ५,६०० विद्यार्थी प्रशिक्षित होते थे। तृतीय योजना के अन्त तक इनकी संख्या ५७ और शिक्षण क्षमता ६,२०० विद्यार्थी प्रति वर्ष करने का प्रावधान था परन्तु कुछ निजी कॉलेज स्थापित होने व कारण अब कृषि कनिजों की संख्या ६५ हो गयी है, जिनमें ७,५०० विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रशिक्षित हो रहे हैं। इसके अनिश्चित देश में ६ कृषि विश्व-विद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं जिनमें पत्तनगर (उत्तर प्रदेश), लुधियाना (पंजाब), उदयपुर (राजस्थान) तथा भुवनेश्वर (उड़ीसा) कृषि विश्वविद्यालय मुख्य हैं। चतुर्थ योजना में इन विश्व-विद्यालयों के साधन तथा क्रियाशीलता में वृद्धि की जायगी तथा चार नये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। इन विश्वविद्यालयों में कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमों को विशेष प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, भारतीय कृषि अनुसन्धान मस्या तथा विभिन्न वस्तुओं से सम्बन्धित समितियों के द्वारा कृषि सम्बन्धी शोधकार्य किया जा रहा है। इन अनुसन्धानों के फलस्वरूप चावल तथा गेहूँ की नयी किस्में ज्ञात की गयी हैं, तथा ज्वार, बाजरा और दालों पर किये गये प्रयोग बहुत सफल रहे हैं। मक्का की मुधरी हुई किस्मों की खेती आरम्भ हो चुकी है। रई, निलम्ब पटमन, तम्बाकू तथा ममाकों पर शोधकार्य चालू है तथा फसलों के रोग दूर करने सम्बन्धी अनुसन्धानों की गति तीव्र कर दी गयी है।

उपसंहार—भारत सरकार देश में समाजवादी अथवा लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना करना चाहती है, जिसका तात्पर्य यह है कि जनता के सामान्य अग्रसार न छीने हुए एक शोषण-हीन समाज का निर्माण किया जायेगा। जहाँ तक कृषि का प्रश्न है, शोषण के यन्त्र जमींदार को अधिकार-हीन कर दिया गया है और भूमि किमान की हो गयी है। सरकार सामान्यतः कृषि कार्यों में जमी प्रसार का आदेश नहीं देती, न ही हस्तक्षेप करती है। जिन मसों में किमान को बढिनाई होती है उनमें सरकार विम्बृत सहायता देने का प्रयत्न कर रही है।

इस प्रकार सामुदायिक विकास योजनाओं, पंचायत राज तथा सहकारी समितियों की समन्वयात्मक नीति के आधार पर कृषि विकास किया जा रहा है और जहाँ जिनकी आवश्यकता है वहाँ उतना धन, प्राविधिक ज्ञान अथवा उपकरण उपलब्ध कराना का प्रयत्न किया जाता है। यह नीति लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा जन-जन की भावना के संस्था अनुकूल एवं आदर्श है। यदि सरकार अपनी प्रशासन व्यवस्था को तनिक कुशल बनाकर घोषित महायत्ना यथासमय एवं जम्बरतमन्द व्यक्ति को देने का प्रयत्न कर गये तो देश की कृषि को जड़ना के दलदल से निकालकर समृद्ध करने में कोई समय नहीं लगेगा और यह धरती पुनः 'सुजना मुक्ता शस्य श्यामला' बन सकेगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

## ६. यन्त्रीकृत कृषि

आजकल एक नया विचार उत्पन्न हो गया है कि भारतीय कृषि का यन्त्रीकरण किया जाय या नहीं। इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों का मत है कि अन्य विभिन्न देशों की भाँति भारत में गहन खेती की जानी चाहिए, उममें अधिकाधिक रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा खेती करने में ट्रैक्टर तथा अन्य यन्त्रों का सहयोग प्राप्य करना चाहिए। हमने खेती की उपज में अत्यधिक वृद्धि सम्भव हो सकेगी और देश की कृषि दरिद्रता के दलदल से निरतकर सम्पन्नता का सुख प्राप्त कर सकेगी।

यन्त्रीकरण अनावश्यक—इसके विपरीत, एक दूसरा वर्ग है जो भारतीय कृषि के यन्त्रीकरण करने के पक्ष में नहीं है। इस वर्ग का विचार है कि यन्त्रीकरण भारतीय कृषि के लिए हितकर नहीं होगा। इस पक्ष के तर्क निम्नलिखित हैं :

(१) महँगा—यन्त्रीकरण भारतीय कृषि के लिए बहुत महँगा पड़ेगा क्योंकि एक ट्रैक्टर का कम से कम मूल्य १०,००० रुपये है। कृषि कार्यों में इसका प्रयोग २-३ महीने से अधिक नहीं होगा अतः शेष समय में इसकी महँगी वस्तु बेकार पड़ी रहेगी। यदि महँगारी समितियों द्वारा भी ट्रैक्टर दिये जायें अथवा सहकारी आधार पर ट्रैक्टर खरीदे जायें तो भी वह बहुत महँगे पड़ेंगे।

यन्त्रीकरण एक और दृष्टि से भी महँगा पड़ेगा। ट्रैक्टर चलाने के लिए पेट्रोल तथा डीजल तेल की आवश्यकता पड़ती है जो भारत में अमरीका में दुगुना महँगा है। इसके अनिश्चित भारत में न तो ट्रैक्टर यथेष्ट सख्या में निमित्त होने हैं और न ही यथेष्ट मात्रा में तेल तथा पेट्रोल उपलब्ध होता है। अतः खेती में प्रयोग करने के लिए इन्हें अधिक मात्रा में आयात करना पड़ेगा जिसमें देश को विदेशी विनिमय की स्थिति में अधिक बढिनाई उत्पन्न होगी।

(२) टूटपूट की सम्भन—कृषि का यन्त्रीकरण करने से एक अन्य बढिनाई का सामना

करना पड़ेगा, वह यह है कि ट्रंकटों के खराब होने पर उन्हें नगर में मरम्मत के लिए ले जाना बहुत अनुविद्यमानक होगा क्योंकि देश के प्रदेश भाग में तो ट्रंकटर अच्छा अन्य यंत्रों की मरम्मत के लिए मिन्नीखाने स्थापित करना सम्भव नहीं होगा।

(३) ट्रंकटर बनाम बेल—उत्पन्न कृषिदास्यों के अतिरिक्त ट्रंकटर बेल की माँति गोबर या मूत्र को खाद नहीं देता अतः किसानों को खाद सम्पूर्ण रूप से अलग से खरीदनी होगी। रासायनिक खाद गोबर को खाद की अपेक्षा बहुत महँगी भी है तथा देश की सम्पूर्ण भूमि के लिए उसकी पूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। यदि आवश्यक मात्रा में रासायनिक खाद भी विदेशों से आयात की जाय तो इसका तात्पर्य यह होगा कि दम्नोद्धरण पूर्णतः विदेशी मात्राओं द्वारा ही सम्भव किया जा सकेगा क्योंकि ट्रंकटर, पेट्रोल, लीडन तेल तथा रासायनिक खाद विदेशों से आयात करने पड़ेंगे। इससे देश की विदेशी मुद्रादान स्थिति पर अत्यधिक भार पड़ने की आशंका है।

(४) प्रयोग हानिकारक—हृदि किसानों का यह मत है कि ट्रंकटर भूमि को अत्यधिक गहरा खोद देता है और भूमि में निक्षेप छोड़ता तथा बंकीरिया जैसे उपजाऊ तत्त्वों का नाश कर देता है। इसके एक-दो बार में ही भूमि की सम्पूर्ण जीवन-शक्ति समाप्त हो जाती है, फलतः उसे पुनर्जीवन देने के लिए हर बार पहले से अधिक खाद देने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार भूमि पर खेती करना निरन्तर अधिक खर्चीला काम होता जाता है।

(५) कम फसलें—सिक्किम देश का मत है कि भूमि की जीवन शक्ति बनाये रखने के लिए प्रायः कई प्रकार की फसलें एक साथ (उदाहरणतः जल के साथ दालें) बोयी जाती हैं जिनसे एक फसल द्वारा नष्ट किये गये तत्त्वों की पूर्ति दूसरी फसल द्वारा दिये गये तत्त्वों से हो जाती है। यह काम यन्त्रीकृत हृदि-व्यवस्था के अन्तर्गत सम्भव नहीं है क्योंकि इसकी व्यवस्थानुसार एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल बोयी जाती है जिनसे भूमि निर्वल हो जाती है और उसमें विनाशकारी जीव-जन्तु तथा बीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं।

(६) प्रयोग में कठिनाई—जैसा कि इससे पूर्व लिखा जा चुका है, भारत में अजिवाय क्षेत्र बहुत छोटे हैं अतः उनमें ट्रंकटों द्वारा खेती तथा अन्य यंत्रों द्वारा फसल की कटाई न तो सम्भव ही है और न उपयुक्त। अतः भारतीय हृदि में यन्त्रीकरण अत्यन्त उपादेय नहीं कहा जा सकता।

(७) अत्यधिक बरबादी—यन्त्रीकृत खेती के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि फसल को काटने वाले यन्त्र उपकरण फसल का पूरा भाग काट लेने में समर्थ नहीं हैं। उनके द्वारा फसल का कुछ भाग तथा पौधों पर ही छूट जाता है जिनसे हृषक को हानि होती है।

(८) बेरोजगारी—भारत जैसे अनाधिक्य वाले देश में यन्त्रीकृत खेती अपनाये जाने का तात्पर्य यह होगा कि देश के बहुत से किसान बेरोजगार हो जायेंगे। जब तक अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था न की जाय, यन्त्रीकरण करना सर्वथा अनुचित होगा।

साम—रासायनिक खाद तथा यन्त्रीकरण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इनके माध्यम से हृदि उत्पादन में आभासीय वृद्धि की जा सकती है और इस प्रकार खाद्यान्न तथा अन्य मानव की कमी का अन्त किया जा सकता है। यह बात सैद्धान्तिक दृष्टि से सही हो सकती है किन्तु व्यवहार में सर्वथा सत्य नहीं है।

विज्ञानों का मत है कि गेहूँ, चावल, तथा मक्का का प्रति एकड़ उत्पादन अत्यन्त हीट देशों में यन्त्रीकृत हृदि वाले देशों में किसी माँति भी कम नहीं है। यहाँ तक कि गेहूँ का उत्पादन ही मिश्र में अधिकतम है। इनसे यह धन दूर हो जाता है कि केवल अतिरिक्त यन्त्रवाहित हृदि द्वारा ही उत्पादन के स्तर में सुधार हो सकता है।

बीटाणु एवं रोगों से मुक्त—यन्त्रवाहित हृदि एवं यंत्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में इनका प्रचलित धन यह है कि इनकी सहायता से फसलों के रोग तथा बीटाणुओं को नष्ट किया जा

सकता है। इस सम्बन्ध में कैंनोकोनिया विश्वविद्यालय के कृषिशास्त्र के डीन फ्रीडोर्न का मत उल्लेखनीय है। उनका कथन है <sup>१</sup>

“कीटाणुओं को नष्ट करने वाले रसायनों का निरन्तर प्रयोग करते रहने पर भी अमरीका में कीड़े तथा कीटाणुओं द्वारा प्रतिवर्ष लगभग ४ अरब डालर मूल्य की फसलें नष्ट कर दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त फणी तथा अन्य रोग भी लगभग ४ अरब डालर मूल्य की फसलें नष्ट करने के लिए उत्तरदायी हैं।”

इसमें स्पष्ट है कि रासायनिक खाद तथा रसायन तत्त्व कृषि फसलों की उत्पत्ति तथा विकास के लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं और वह प्राकृतिक विनाश को रोकने में विशेष सफल नहीं हो सके हैं। इसके विपरीत, रसायन तथा यन्त्रोद्भूत उपकरणों द्वारा उत्पन्न पदार्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से उतने उपयोगी तथा पुष्टिकारक नहीं होते जिनसे कि प्राकृतिक रीतियों द्वारा उत्पन्न पदार्थ होते हैं।

कौन सा मार्ग उचित है?—ऊपर दिये गये विचारों से स्पष्ट है कि भारत की परिस्थितियों एवं साधनों का ध्यान रखते हुए भारत के लिए कृषि की प्राकृतिक रीतियों का प्रयोग करना ही अधिक उचित है। जहाँ तक उत्पादन में वृद्धि करने का प्रश्न है, उत्तम बीज, कम्पोस्ट तथा गोबर की खाद, फसलों के अदन-बदल, भू-शक्ति के ह्रास में रोक तथा सिंचाई की यथेष्ट सुविधाओं के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है।

चेस्टर बोल्म का कथन है कि जापान में प्रत्येक व्यक्ति हाथ से खेती करता है और यह कार्य इस सावधानी में किया जाता है कि कोई भी पीछा नष्ट नहीं हो सकता। फलतः जापान में प्रति एकड़ उत्पादन अमरीका से अधिक है। आगे चलकर वह कहते हैं कि भारत में, “जब तक स्थानीय उद्योग का विकास सम्पूर्ण प्रामाण्य जनता को रोजगार देने लायक न हो जाय, कृषि का यन्त्रोद्धार जिसका मुख्य उद्देश्य धन में बचन करना होता है, अधिकांश क्षेत्रों में अनाधिक प्रमाणित होगा। बैलों की एक अच्छी जोड़ी को अतिरिक्त पुत्रों तथा गेसोचीन को आवश्यकता नहीं होती, उसके खराब होने का भय बहुत कम होता है तथा वह प्रचुर मात्रा में खाद उत्पन्न करता है।”

बोल्म के शब्दों में, भारतीय प्रामाण्य अर्थात्कृषि का वास्तविक नमाधान उभरता हुआ प्रकट होता है। सावधानीपूर्वक जापानी अनुकरण से की गयी खेती भारत के निर्धन, अशिक्षित, किन्तु परिश्रमी किसान के लिए निश्चय ही अधिक उपयुक्त है और यदि उसे कृषि सम्बन्धी सामान्य सुविधाएँ मुलम करा दी जायें तो वह निश्चय ही अपना और देश का भाग्य बदल सकता है।

### ७. फसलों का बीमा (CROP INSURANCE)

अमरीका, ब्रिटेन तथा कुछ अन्य देशों में फसल के बीमा की व्यवस्था है। इसका तात्पर्य यह है कि बीमा कम्पनी किसान को फसल की एक निश्चित मात्रा की गारण्टी देती है और फसल कम होने पर उसकी क्षतिपूर्ति करती है। इस गारण्टी के लिए किसान कुछ बीमा शुल्क देने का उत्तरदायी होता है।

भारत में फसलों के बीमा की प्रथा प्रचलित नहीं है क्योंकि :

- (१) फसलें मानसून के कारण अनिश्चित रहती हैं,
- (२) सिंचाई सुविधाओं का अभाव है,
- (३) कृषि-पद्धतियाँ यथेष्ट विकसित नहीं हैं,
- (४) कृषि एक व्यवसाय न होकर केवल जीवन निर्वाह का साधन है, और
- (५) किसान निर्धन है, उसे बीमा का शुल्क (Premium) चुकाने में बहुत कठिनाई होती है।

**पंजाब में प्रयोग**—उपर्युक्त सब कठिनाइयों के होते हुए भी पंजाब में फसल बीमा योजना लागू की गयी है। यह योजना प्रारम्भ में केवल ६ जिलों के १२ केन्द्रों में प्रयोगात्मक रूप में संचालित की जा रही है। इन केन्द्रों में १००-१०० ग्राम हैं और अधिकतर विकास खण्डों में हैं। आगामी दो वर्षों में ६ जिलों और सम्मिलित करने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। प्रारम्भ में बीमा योजना केवल चार फसलों अर्थात् गेहूँ, चना, रई तथा गन्ने पर लागू की गयी है और यह लागू किये जाने वाले क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है। इस योजना द्वारा बाढ़, ओले, सूखा, टिड्डी दल अथवा अन्य जीव जन्तु तथा मनुष्य के नियन्त्रण में न होने वाली प्रत्येक दुर्घटना के विरुद्ध बीमा किया गया है और सरकार इन घटनाओं में उत्पन्न हानियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है।

**क्षतिपूर्ति**—सरकार केवल उन परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगी जबकि बीमा किये गये केन्द्र की फसल की औसत उत्पात्ति प्रमाणित उत्पात्ति के ७५ प्रतिशत से भी कम होगी। प्रत्येक किसान को अपनी सारी भूमि (जिसमें फसल बोयी गयी है) का बीमा करवाना पड़ेगा और निर्धारित शुल्क चुकाने पड़ेगे। प्रारम्भ में प्रत्येक क्षेत्र वा पाँच वर्ष के लिए बीमा किया जायगा। भारत सरकार इस योजना पर आने वाली कुल लागत का ५० प्रतिशत वहन करेगी।

पंजाब में भाकरा नहरों के कारण अधिकांश कृषि योग्य भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ गयी है और वहाँ की कृषि अन्य राज्यों की तुलना में अधिक विकसित भी है। अतः सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसल बीमा योजना लागू करने में विशेष जोखिम नहीं है। देश के अन्य भागों में यह योजना लागू करने से पूर्व बहुत-सी सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

#### ८ अन्य पद्धतें व कार्य

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में कृषि के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतों की व्यवस्था की दिशा में दलायनीय प्रयत्न किये गये हैं। उपर्युक्त में अतिरिक्त भी कुछ कदम उठाये गये हैं। जैसे (१) पीपु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् १९६५-६६ में १६६ मिलियन ट्रेक्टरों क्षेत्र या जो बढ कर सन् १९६६-७० में ३५ मिलियन ट्रेक्टरों हो गया।

(२) ट्रेक्टरों का उत्पादन व आयात बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सन् १९७० में भारत में २०,५०० ट्रेक्टर निर्मित हुए। इसके अतिरिक्त अन्य कृषि उपकरणों का भी आयात किया जाता है।

(३) सभी राज्यों में Agro Industries Corporations की स्थापना की गयी है जो यन्त्रीकृत कृषि के विकास के लिए तथा कृषि-पद्धतों को उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयत्नशील हैं।

(४) सन् १९६६-७० में सहकारी सस्थाओं के माध्यम से ६८२ करोड़ रुपये की कृषि साख प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त दिसम्बर १९७० तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को ३५४ करोड़ रुपये की साख प्रदान की गयी थी।

## कृषि मूल्यों की समस्या

(PROBLEM OF AGRICULTURAL PRICES)

*'If controls are administratively cumbersome and may act as disincentives, lack of them it has to be remembered, may create inequalities and hardships to the prejudice especially of classes that need protection most'*

—Second Five-Year Plan

स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्थाओं में वस्तु मूल्यों में परिवर्तन एक स्वाभाविक दम के अनुसार होना है क्योंकि वस्तुओं की पूर्ण और माँग में सामञ्जस्य स्थापित हो चुकता है और आकस्मिक कारणों के फलस्वरूप ही वस्तुओं के मूल्य कभी कुछ बढ़ जाते हैं या कभी उनमें गिरावट की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। स्वतन्त्र मण्डलों के कारण किसी भी वस्तु के मूल्य में तो अधिक समय तक बहुत ऊँचे और न ही नीचे रह सकते हैं। परन्तु यह विद्वान्त्र कबल विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं पर ही लागू होता है। अविश्वसित तथा विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रायः कृषि का महत्त्व अत्यधिक होता है और कृषि पदार्थों के मूल्य केवल माँग और पूर्ण के विद्वान्त्र द्वारा ही निश्चित नहीं होते। उनके परिवर्तन अनेक आन्तरिक एवं बाह्य तत्वों द्वारा प्रभावित होते हैं।

### १. कृषि मूल्यों में परिवर्तन

भारतीय कृषि विद्युत् तृट अर्थव्यवस्था में है क्योंकि इसका विकास में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों तत्व बाधक हैं। कृषि मूल्यों में प्रायः अत्यधिक उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। इस तथ्य की सम्भारना का अनुमान इस बात में हो सकता है कि गेहूँ, चावल अथवा अन्य खाद्यान्नों के मूल्य में फसल के समय तथा बाढ़ के मूल्यों में कमी-कमी १०-१५ रुपये प्रति मन तक का अन्तर हो जाता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप कृषि पदार्थों के मूल्य में मनमाना लाभ कमाते हैं, किसान को इस लाभ का कोई भाग नहीं मिलता और उपभोक्ता को आर्थिक बहिर्नाट का सामना करना पड़ता है। कृषि पदार्थों के मूल्यों में उच्च उतार चढ़ावों का निम्नलिखित कारण है :

(१) फसल की विक्री—किसानों के पास मण्डल के माध्यम से होने के कारण (अथवा अन्य कारणों से) वह अपनी फसल का अतिरिक्त भाग एक मात्र ही विक्री के लिए मण्डली में लाते हैं। मण्डलों में यह मात्र बचकर किसान ठेका दिन भर जाना चाहते हैं, उन मात्र के सहायक व्यापारी इस स्थिति का लाभ उठाकर माँ की फसल जानी कम मूल्य पर खरीद लेते हैं। इस प्रकार वह कृषि पदार्थों का पूर्ण पर प्रायः एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और क्रमशः मूल्य बढ़ते रहते हैं। कृषि पदार्थों के मूल्यों में फसल के समय बहुत कमी और ७-८ महीने बाद बहुत उच्च का यही कारण होता है। इस वृद्धि का सम्पूर्ण लाभ प्रायः व्यापारियों को ही मिलता है।

(२) उत्पत्ति—भारत में प्रत्येक फसल की बाणिज्य मांग प्रायः निश्चित होती है अतः यदि किसी वस्तु की फसल बहुत अच्छी हो जाय तो उसकी पूर्ति बढ़ जाने के कारण उसके मूल्य गिर जाते हैं। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है या फसल में कुछ खराबी हो जाने के कारण उसकी पूर्ति कुछ कम हो जाती है तो उस वस्तु के मूल्यों में कुछ कुछ वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु से मूल्यों में कुछ कुछ वृद्धि हो जाती है। संक्षेप में, कृषि पदार्थों के मूल्यों का निर्धारण मुख्यतः उनकी पूर्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। कभी कभी व्यापारी लोग सग्रह किये गये माल को गत्यासमय विक्रय के लिए प्रस्तुत करने की बजाय उसे रोक लेते हैं और इस प्रकार कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न कर मूल्य बढ़ाने में सफल हो जाते हैं।

(३) केन्द्रीय बैंक की साख नीति—यदि देश के केन्द्रीय बैंक की साख नीति उदार होती है तो वह व्यापारिक बैंकों को सस्ते और सरल ऋण देता है जिससे व्यापारिक बैंक व्यापारियों को सस्ते ऋण देते हैं और व्यापारी बैंक से ऋण लेकर अधिक माल सग्रह कर लेते हैं। इससे प्रायः वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की सम्भावना रहती है। दूसरी ओर यदि बैंक की साख नीति निरोधक है तो अत्र व्यवसायियों को माल सग्रह करने के लिए कम या महींगी साख मिलती है अतः वह कम माल खरीदते हैं अथवा खरीदा हुआ माल शीघ्रतापूर्वक बेचते हैं जिससे कृषि पदार्थों के मूल्य गिर जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है।

मूल्यों में उत्तम-चढ़ाव के दोष—कृषि-पदार्थों के मूल्य भारत सङ्घ देश की अर्थ व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। यदि मूल्य ऊँचे हो जाते हैं तो हमसे अच्छे मात के व्यापारियों को विशेष लाभ होना है क्योंकि उनके पास माल का भण्डार होता है। इससे औद्योगिक माल के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है और उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य चुनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

मूल्यों में कमी प्रायः फसल के समय में होती है अतः उससे सम्पूर्ण हानि किसानों को होती है और वह अगली फसल पर सम्बन्धित वस्तु के मूल्यों पर अत्यन्त बुरा प्रभाव डालते हैं। सम्भवतः इसीलिए मूल्यों का उत्पादन बनाये रखने के लिए भारत सरकार को प्रति वर्ष मूल्यों के मूल्य निर्धारित करने पड़ते हैं।

उपर्युक्त व्योरे से स्पष्ट है कि कृषि वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों का लाभ अधिकतर व्यापारी कमाने हैं और हानि प्रायः किसानों अथवा उपभोक्ताओं को उठानी पड़ती है।

## २ मूल्यों में स्थायित्व की आवश्यकता

कुमारणा समिति के मतानुसार किसी देश के भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य उस देश के कृषि उत्पादन को आदर्श अथवा उच्चतम स्तर तक पहुँचाना होता है। यदि यह सम्भव हो जाय तो कृषि पदार्थों का उत्पादन अत्यधिक हो जाता है और कभी कभी उनके मूल्यों में गिरावट आने की आशंका उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा ऐसे प्रयत्न किये जाने चाहिए कि मूल्यों में बहुत कमी न आने पाय। अमरीकन सरकार प्रति वर्ष काफी मात्रा में कृषि पदार्थ सग्रह करीद लेती है ताकि बाह्य के कारण उनके मूल्यों में अधिक गिरावट न आय और किसानों को हानि न हो।

उपर्युक्त कारण से विकसित देशों में कृषि पदार्थों के मूल्यों स्थिर रखने की आवश्यकता होती है किन्तु अकिसित अथवा विकासशील देशों में दो प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं

(१) कृषि पदार्थों की बहुलता, तथा (२) कृषि पदार्थों की कमी।

(१) यदि देश में कृषि पदार्थों की बहुलता है तो मूल्यों के गिरने की आशंका होती है, जिससे किसानों को हानि हो सकती है और अन्तिम में उन वस्तु के उत्पादन में कमी आने का डर रहता है। इस स्थिति का एक प्रभाव यह होता है कि उद्योगों को सम्बन्धित अच्छा माल प्राप्त



करने में कठिनाई होन लगती है और उनके मूल्य व न की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार मूल्यों की गिरावट से किमान तथा औद्योगिक विकास को हानि होती है।

उपभोक्ता को लाभ—कृषि व्यक्तियों की यह मान्यता है कि मूल्य मूल्य पर कृषि पदार्थ उपलब्ध होन से उपभोक्ताओं को लाभ होता है क्योंकि उनको वह वस्तुएँ सस्ती मिल जाती हैं। यदि सस्ती होन वाली वस्तु व्यावसायिक किस्म की (रूट, गन्ना, पटसन आदि) है तो उममें उद्योगों को सस्ती कच्चा माल मिलन में निमित्त माल भी सस्ती पड़ता है और कृषकों तथा अन्य सभी उपभोक्ताओं को वह माल सस्ती मिलन लगता है।

उपर्युक्त मान्यता केवल मंडलानिक एव कात्पनिक है क्योंकि व्यावहारिक जीवन में कच्चा माल सस्ती होने पर भी उद्योगपति निमित्त मान के मूल्य घटाने में मजबूत करन हैं क्योंकि मूल्यों में एक बार कमी करन पर उनमें वृद्धि करन कठिन होता है। वस्तुतः उद्योगपतियों के लिए ऐसा करन हमलिए स्वाभाविक है कि उन्हें यह निश्चय नहीं होना कि औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यों में भविष्य में वृद्धि होन की कोई सम्भावना नहीं है। इस दृष्टि से मूल्यों में स्थायित्व बनाय रखना ही उचित नीति है।

(२) यदि देश में कृषि पदार्थों का अभाव है तो स्वाभाविक रूप में उनके मूल्यों में वृद्धि की आशंका सदा बनी रहती है। किन्तु जैसा कि पहले लिखा जा चुका है यह वृद्धि फल के समय पर प्रायः सामान्य तथा बाद में अधिक होती है अतः इस स्थिति के प्रभाव भी विस्तृत एव व्यापक होत हैं, अर्थात्

(क) मूल्य वृद्धि में उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ता है

(ख) मूल्य वृद्धि का अधिकतम भाग व्यापारी के हाथ लगता है,

(ग) औद्योगिक निमित्त मान के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है,

(घ) किमान का पड़ने में तो अधिक मूल्य मिलता है परन्तु इसकी राशि बहुत कम होती है। इसके साथ ही उम निमित्त उपभोग्य माल का अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है।

उपर्युक्त तर्क भी इस बात की पुष्टि करता है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में विशेष वृद्धि होन देना भी न्यायमूल्य नहीं है, अतः मूल्य स्थायित्व की नीति ही उचित कही जा सकती है।

मूल्यों में उतार-चढ़ाव से हानि—मूल्यों की अस्थिरता किसानों के लिए विशेष कष्टदायक होती है क्योंकि उन्हें फसल के लिए बीच खरीदन पड़न है जिनके भाव महंग होने के कारण उन्हें अधिक खर्च करना पड़ता है। मूल्यों की अनिश्चितता का एक दुष्प्रभाव यह होता है कि भूमि के विकास एव कृषि मुद्दार पर कोई नयी पुँजी विनिवेशन नहीं की जाती क्योंकि उम पूँजी का उचित प्रतिफल मिलन की गारण्टी नहीं होती।

उचित मूल्य—यह निश्चय कर लेने के पश्चात् कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में स्थायित्व बनाय रखने की चेष्टा करनी चाहिए, यह तय करन आवश्यक हो जाता है कि मूल्य निर्धारण किस स्तर पर किया जाय।

कुमारप्पा समिति का मत है कि कृषि वस्तुओं के मूल्य ऐसे स्तर पर निश्चित किय जाने चाहिए जो उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के अनुकूल हो। समिति के विचार में उचित मूल्य वह है जिसके द्वारा कृषक को कम से कम इतनी रकम मिल जाय कि वह अपने परिवार सहित एक ऐसा जवन-स्तर बिता सके जो उम वर्ग के व्यक्तियों के लिए उचित कही जा सके। इस सम्बन्ध में कुमारप्पा समिति ने कृष्णमाचारी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उचित मूल्य में निम्न तर्कों का समावेश करन आवश्यक बताया है

(१) कृषि पदार्थों तथा सेवाओं का तागत मूल्य,

(२) कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी,

(३) कृषि तथा पशुपालन के बीमे का शुल्क ।

समिति ने स्पष्ट शब्दों में यह मत व्यक्त किया कि कृषि पदार्थों का लागत मूल्य भूमि, जलवायु, फसल की किस्म, भूमि की जोत का आकार तथा अन्य कई तत्वों पर निर्भर करता है अतः उसका निर्धारण करने के लिए विशेष जांच समितियाँ नियुक्त की जानी चाहिए। जब तक इन समितियों की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाय तब तक मूल्य निर्धारण लागत तथा जीवन-स्तर दोनों बातों की सामान्य जानकारी के आधार पर निश्चित करना चाहिए।

उचित मूल्य के सम्बन्ध में कृष्णमाचारी समिति ने यह मत व्यक्त किया था कि आधार के लिए १९२४-२५ से लेकर १९२८-२९ के पाँच वर्ष सर्वोत्तम थे क्योंकि इन वर्षों में मूल्य सामान्य स्तर पर आ गये थे। समिति की मान्यता यह है कि उचित मूल्य निर्धारण करने में मूल्य की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमाएँ निश्चित करनी चाहिए और यह सीमाएँ निश्चित करते समय वर्तमान आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए।

यदि गम्भीरतापूर्वक देखा जाय तो कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करने में निम्नलिखित तत्वों को अवश्य गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए

(१) भूमि का लगान, (२) खाद तथा बीज का मूल्य, (३) कृषि उपकरणों का अवनर्प, (४) सिंचाई की लागत, (५) बेलों का खर्च, (६) वृषक की मजदूरी, (७) वृषक के ऋण पर व्याज, तथा (८) अन्य खर्च।

इन सब खर्चों के अतिरिक्त सामान्य जीवन-स्तर का ध्यान भी रखना चाहिए।

### ३ उचित मूल्य बनाये रखने के उपाय

कृषि पदार्थों के न्यूनतम मूल्य की घोषणा फसल तैयार होने से पूर्व ही करना उचित होता है जिससे कि कृषकों को विश्वास बना रहे। कभी-कभी फसल तैयार होने पर निर्धारित मूल्यों को बनाये रखना कठिन होता है। अमरीका तथा ब्रिटेन आदि देशों में कृषकों के लिए उचित मूल्यों की गारण्टी दी जाती है और यदि मूल्यों में गिरावट आने लगे तो सरकार फसलों को निर्धारित मूल्यों पर खरीदना आरम्भ कर देती है। यदि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने लगे तो सरकार अपन मण्डार मुक्त कर देती है और उचित मूल्य पर आवश्यक मात्रा में माल बेचती है। यदि माल की विशेष कमी हो तो विदेशों से आयात का सहारा भी लिया जा सकता है। इस प्रकार कृषि पदार्थों के मूल्य निश्चित स्तर पर बनाये रखे जाते हैं।

कृष्णमाचारी समिति ने यह सिफारिश की थी कि कृषि पदार्थों के मूल्य फसल से पूर्व ही निश्चित कर देन चाहिए। यदि किसानों को अपनी उपज निर्धारित मूल्यों से कम पर बेचनी पड़े तो सरकार द्वारा हानि की क्षतिपूर्ति कर देनी चाहिए।

आयात-निर्घात—कृषि मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार को अपनी आयात-निर्घात नीति बहुत लोचदार रखनी होगी ताकि जिन वस्तुओं के मूल्यों में बृद्धि कमी आना आरम्भ हो जाय उन्हें विदेशों में निर्यात किया जा सके। अतः सरकार द्वारा जो भी व्यापारिक समझौते किये जाएँ उनमें कृषि पदार्थों के सम्भावित मूल्यों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए।

प्रशासन व्यवस्था—मूल्यों में स्थायित्व बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा त्रिमुखी नीति अपनाना आवश्यक है—(१) नीति निर्धारित करना, (२) न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य निश्चित करना, तथा (३) निर्धारित मूल्यों को बनाये रखना। इन तीनों कार्यों के प्रशासन का दायित्व कुछ व्यक्तियों को सौंपना आवश्यक है। यदि तीनों के लिए अलग-अलग समितियाँ अथवा कार्यालय स्थापित किये जाएँ तो उनमें यथोचित सामन्तत्व स्थापित करके भी चेष्टा करनी चाहिए ताकि किसी स्थान पर किसी कार्य में बाधा अथवा अमुविद्या उत्पन्न होने का शय न हो।

बन्धु दुग्धों में स्थायित्व बनाने के लिए विभिन्न-विभिन्न कार्य करना उचित होता है।

(१) निरन्तर तथा सामान्य व्यवस्था—बाह्यों के दुग्धों में निरन्तर वृद्धि होना पर मरका को उच्चतम स्तरों की धारणा कर देनी चाहिए और उचित अतिरिक्त दुग्ध लेने वालों का बड़े दूध देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अन्य निरन्तर रूप में ही का सतत बनाने के लिए मरका द्वारा आवश्यक दुग्ध पदार्थों का संचयन कर उनके संचयन के लिए मरका को दुग्ध लेने से रोकना चाहिए। अपना मियां दुग्धालयों का प्रतिनिधि नियुक्त कर देना चाहिए।

(२) सहायक प्रणाली—अन्य निरन्तर बनाने के लिए पदार्थों के विनाश का जोर सहायक प्रणाली का निर्माण करना है क्योंकि इन प्रणालियों का मुख्य कार्य बनाने की सेवा करना है, सामान्य बनाने की।

(३) मूत्र बनाने में सहायता—सहायक प्रणाली के माध्यम से विनाश दुग्ध सम्बन्धी मानव बनाने के लिए उचित अवधि और पर निरन्तर रूप में बनाने चाहिए। यदि मरका न बनाने में सहायता मिला जा सके तो यह सही अवधि पता है जो मरका की प्रति मरका द्वारा मरका कर लेना चाहिए।

मरका के प्रतिनिधि बनाने का प्रयास निरन्तर रूप में बनाने के लिए उचित वृद्धि होना पर ही मरका द्वारा उचित व्यवस्था करना है जो मरका की आवश्यकता नहीं है। जो मरका के सामान्य बनाने पर मरका और बन्धु बनाने प्रणाली के माध्यम से ही निर्मित ही भी मरका द्वारा हीन कार्यकर्मों तकनीक करना चाहिए।

(१) सम्बन्धित बन्धु के अतिरिक्त अन्य प्रतिनिधि बनाने तथा अतिरिक्त अन्य लेने वालों का दूध देने की व्यवस्था करना।

(- ) उन बन्धुओं का प्रयोग अनिवार्य रूप से सीमित करना।

(३) उन बन्धुओं का विनाश न करना—उनकी मान पूरे काम का प्रयोग करना।

उत्कृष्ट बन्धुओं में अतिरिक्त पदार्थों के दुग्धों में भी अनिवार्य रूप से अतिरिक्त वृद्धि होने की प्राप्ति करना है जो मरका वृद्धि है। जो मरका निरन्तर ही बनाने।

सर्वोत्कृष्ट बन्धु के माध्यम—उनके माध्यम से मरका के लिए उचित रूप का उचित दुग्ध पदार्थों के मान उचित और बनाने के लिए है। इन उद्योग का पूरे के लिए एक स्थानीय प्रतिनिधि बनाने की जानी चाहिए। विनाश निरन्तर रूप में बनाने।

(१) मरका एवं अतिरिक्त मान निर्माण करना।

(- ) उचित बोन में काम करने के लिए उचित बन्धुओं की धारणा करना।

(३) अतिरिक्त बन्धुओं के लिए पदार्थों के रूप में विनाश की व्यवस्था करना।

(५) विभिन्न बन्धुओं के मरका की मात्रा तथा स्थान निर्धारित कर उनके आवश्यक मात्रा में प्रयोग निर्माण करना।

(६) बन्धुओं के अतिरिक्त बन्धुओं के लिए निर्माण करना तथा अन्य निरन्तर सम्बन्धी अन्य कार्यकर्म करना।

(९) दुग्ध पदार्थों के बन्धुओं का प्रयोग करना।

उत्कृष्ट बन्धु न भी वह निर्माण की भी ही मरका द्वारा उचित बन्धुओं के बन्धुओं में मरका स्थानित करनी चाहिए, ताकि विनाश निर्माणों में मरका न बनाने के लिए उन स्थान बनाने।

मुख्य स्थानित के लिए—दुग्ध पदार्थों के मुख्य स्थानित रूप में मरका के विभिन्न बन्धुओं का निर्माणित सामान्य है।

(१) विनाश का जोर धर्म का उचित, मुख्य स्थान की प्राप्ति होगी है।

(२) व्यापारी को कृषि पदार्थों के व्यापार में जोखिम नहीं रहती ।

(३) उद्योगपति को माल का अधिक भण्डार रखने के लिए अपनी पूँजी का एक भाग कच्चे माल में नहीं फँसाना पड़ता ।

(४) निर्मित माल के मूल्यों में स्थिरता रहती है ।

(५) उपभोक्ता को आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता ।

(६) सरकार तथा निजी उद्योगपतियों के लिए प्रशासन व्यवस्था बनाये रखना सरल होता है, क्योंकि कर्मचारियों द्वारा बार बार महँगाई मत्ते या वेतन वृद्धि की माँग नहीं की जाती ।

उपर्युक्त लाभों के अनिश्चित देश की अर्थ व्यवस्था सुगठित एवं सबल रहती है जिससे देशी तथा विदेशी जन देन में सरलता रहती है । भारत के लिए मूल्य स्थायित्व का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उस सभी देशों में व्यापार करने में कठिनाई नहीं होती और पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लिए जान जाने कृषि तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए विदेशी पूँजी तथा ऋण प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती ।

### ४ भारत में कृषि मूल्य

भारत में मानसून के प्रभाव के कारण कृषि वस्तुओं के उत्पादन में उतार-चढ़ाव होते रहे हैं । राजाओं, नवाबों तथा ब्रिटिश शासन के अधिकांश समय में मूल्यों के निर्धारण, नियमन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं थी । जब भी देश में अभाव की स्थिति उत्पन्न होती, सरकार अन्न वितरण करने के लिए आकस्मिक उपाय कर लेती थी और अभाव की स्थिति समाप्त होने पर वह भी समाप्त कर दिखे जाते थे । इस तथ्य की पुष्टि के लिए अग्रिम उदाहरण और क्या दिया जा सकता है कि १९४३ के बंगाल के अकाल का मुख्य कारण भी चावल के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि थी । सरकार के पास मूल्य नियन्त्रण के लिए उचित प्रशासन क्षमता न होने के कारण लाखों व्यक्तियों को भूख में तड़पकर प्राण देन पड़े ।

योजनाकाल—एक विज्ञानगीत अर्थव्यवस्था में मूल्य नीति निर्धारण में दो जानों का ध्यान रखना आवश्यक होता है । प्रथम यह कि मूल्यों में परिवर्तन योजना में निर्धारित प्राथमिकताओं तथा उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्ति में सहायक हो । दूसरे, सामान्य जनता के दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में विशेष वृद्धि नहीं होनी चाहिए । भारत के आयोजन काल में इन दोनों ही तथ्यों के महत्व पर जोर दिया गया और मूल्यों में वाञ्छनीय प्रवृत्तियों को रोकने की चेष्टा की गयी । किन्तु इन सब प्रयत्नों के होने हुए भी प्रथम योजना के पाँच वर्षों में निरन्तर उतार चढ़ाव होने रहे हैं और द्वितीय योजनाकाल में वस्तु मूल्यों में क्रमशः वृद्धि होनी रही । तृतीय योजना की अवधि में भी कृषि मूल्यों की वृद्धि का क्रम रोकना नहीं जा सका ।

योजनाकाल में कृषि वस्तुओं के मूल्यों की प्रवृत्तियाँ निम्न रही हैं

(१) प्रथम योजना—भारतीय आयोजन के प्रथम पाँच वर्षों में कृषि पदार्थों के मूल्यों में परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ समान रही हैं क्योंकि पटमन तथा तिल के मूल्यों में सामान्यतः गिरावट की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है जबकि रुई तथा मूँगफली के मूल्यों में अनियमित उतार चढ़ाव आने रहे हैं । चावल पदार्थों के मूल्यों में सामान्यतः वृद्धि की प्रवृत्ति ही प्रबल है । यदि १९५१ का वर्ष निकाल जाय तो रुई के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि दृष्टिगोचर होनी है । इन प्रवृत्तियों का स्पष्टीकरण अप्रलिखित तथ्यों से हो सकता है •

प्रथम योजना में मूल्य प्रवृत्तियाँ  
(सूचकांक १९३९=१००)

वस्तु	१९५१	१९५६
१ खाद्य पदार्थ	४१४	३५९
२ रुई	४९१	४७२
३ पटसन	१,४००	४३९
४ मूँगफली	८३१	६०१
५ तिल	६५४	४५४

प्रथम योजनाकाल का समारम्भ कोरिया के युद्ध की मंहगाई से हुआ। जैसा कि ऊपर दी गयी तालिका से स्पष्ट है, १९५१ में प्रायः सभी कृषि पदार्थों के मूल्य बहुत ऊँचे थे अतः इनके आधार पर योजनाकाल की मूल्य प्रवृत्तियों की तुलना करना उचित नहीं है। उदाहरणतः खाद्य पदार्थों के मूल्य स्तर में बहुत अच्छी फसल के कारण १९५५ में काफी गिरावट आयी किन्तु १९५६ में पुनः वृद्धि हो गयी। १९५५ में गिरावट का एक नाभ यह हुआ कि सरकार ने खाद्यान्नों के कुछ स्टॉक निमित्त कर लिये।

जीवन-निर्वाह सूचकांक—जुलाई १९५५ में ही खाद्यान्नों के मूल्यों में पुनः वृद्धि आरम्भ हो गयी और वह प्रथम योजना की शेष अवधि में निरन्तर बढ़ती गयी। मार्च १९५१ में थमिन्को का जीवन निर्वाह सूचकांक १०३ (१९४९=१००) था। इसमें प्रायः काफी उतार-चढ़ाव होने रहे और मार्च १९५५ में यह (खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट के कारण) ९४ तक गिर गया, किन्तु योजना अवधि के अन्त तक यह पुनः १०० तक आ गया। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रथम योजना काल में जीवन-निर्वाह ध्यय ३ प्रतिशत कम हो गया परन्तु मार्च १९५६ तक मूल्य वृद्धि की क्रमिक प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी थी और एक वर्ष में ही यह ६ प्रतिशत ऊँचे चले गये।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि मूल्यों की मूल प्रवृत्ति का निर्णय इस बात से किया जाना चाहिए कि १९५१ की तुलना में मूल्यों का गिरना अत्यन्त स्वभाविक एवं आवश्यक था परन्तु बीच में खाद्यान्नों के मूल्य में जो कमी आयी वह अत्यधिक और हानिकारक थी। गिरावट की इस प्रवृत्ति को रोकने में कुछ समय लग गया क्योंकि लोगों के मन में निरन्तर यह सन्देह बना रहा कि सरकार न जाने किम मूल्य पर खाद्यान्न खरीदेगी।

(२) द्वितीय योजनाकाल—प्रथम योजना के अन्तिम वर्ष में मूल्यों में वृद्धि की जिस प्रवृत्ति का आरम्भ हुआ वह निरन्तर द्वितीय योजना काल में चालू रही। फलतः चार मूल्यों के सामान्य सूचकांक में ३० प्रतिशत, खाद्य पदार्थों में २७ प्रतिशत, औद्योगिक कच्चे माल में ४५ प्रतिशत तथा निम्न वस्तुओं में २५ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। इन प्रवृत्तियों का अनुमान निम्न अंको से लगता है :

द्वितीय योजनाकाल में मूल्य परिवर्तन<sup>१</sup>

(मार्च के सप्ताहों की औसत के आधार पर आकलित सूचकांक)

(१९५२-५३=१००)

वस्तु	१९५६	१९६१
१. खाद्य वस्तुएँ :	९२.८	११७.६
अनाज	८६	१००
दालें	७७	९३
२ औद्योगिक कच्चा माल :	१०९.४	१५९.१
रुई	१०७.०	१११
तिलहन	१०६	१५०

तालिफा से यह स्पष्ट है कि द्वितीय योजना में खाद्य पदार्थों (सम्मिलित) के थोक सूचकांक में लगभग २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि जल तथा दालों के मूल्य निरन्तर बढ़कर पुन गिर गये। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि में अनाज तथा दालों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का प्रभाव अधिक हुआ है।

वृद्धि के कारण—मन् १९५६-१९६१ में मूल्य वृद्धि का एक कारण तो यह रहा है कि जन-सहया और मोद्रिक आय बढ़ने से खाद्य तथा अन्य वस्तुओं की माँग में वृद्धि हो गयी। इसके अतिरिक्त पूर्ति के सामान्य अभाव का भी कुछ असर पड़ा। उदाहरणतः, १९५७-५८ में अन्न का उत्पादन पिछले वर्ष से ६० लाख टन कम और १९५९-६० में गत वर्ष से ४० लाख टन कम था। इसी वर्ष रई की उपज गत वर्ष से १८ प्रतिशत कम, पटसन की फसल १२ प्रतिशत कम तथा तिलहन का उत्पादन ८ प्रतिशत कम था। इन अभावों का मूल्य स्तर पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा।

यद्यपि द्वितीय योजना के अन्त में खाद्यान्नों के मूल्य बहुत ऊँचे नहीं कहे जा सकते परन्तु पाँच वर्षों में होन वाले उतार-चढ़ावों में देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को मानो झकझोर कर रख दिया। योजना के अन्तिम भाग में अमरीकी मार्बजनिव नियम-४८० (P L 480) के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आयात किया गया जिससे मूल्यों में कुछ स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न हुई।

जीवन-निर्वाह व्यय—द्वितीय योजना के पाँच वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक की भाँति ही जीवन निर्वाह सूचकांक भी निरन्तर ऊँचे रहे और जीवन निर्वाह सूचकांक जो १९५६ में १०० (१९४९ = १००) था, १९६१ में १२८ हो गया। योजना के प्रारम्भिक भाग में जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई। अन्तिम दो वर्षों में खाद्यान्नों के मूल्य स्थायी हो गये परन्तु जीवन निर्वाह सूचकांक में गिरावट नहीं लायी जा सकी। इसका कारण यह था कि खाद्य पदार्थों के वर्ग में अन्य कई वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गयी थी।

द्वितीय योजना की प्रगति से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामान्य मूल्य स्तर में स्थायित्व मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि देश में कृषि वस्तुओं के उत्पादन की क्या गति है तथा सरकार के पाम कृषि पदार्थों के अभाव की पूर्ति के लिए कितना माल भण्डारण है। इस सम्बन्ध में कृषि पदार्थों में सट्टे की प्रवृत्ति का भी उचित नियन्त्रण करना आवश्यक है।

(३) तृतीय योजना काल तथा उसके पश्चात्—यह एक सामान्य तथ्य है कि यदि देश में पूँजी विनियोजन की मात्रा बढ़ायी जाय तो जनता की मोद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है और उपभोग्य पदार्थों की माँग बढ़ने लगती है। इस तथ्य को तृतीय योजना के विधायकों ने भली प्रकार समझा जिसके फलस्वरूप जहाँ उन्होंने पूँजी विनियोग की मात्रा (राष्ट्रीय आय के) को ११ प्रतिशत से बढ़ाकर १४ प्रतिशत करने का प्रावधान किया वहाँ खाद्यान्नों की उपज ३० प्रतिशत, रई में ३७ प्रतिशत, तिलहन में ३८ प्रतिशत तथा शक्कर के उत्पादन में २५ प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किये।

तृतीय योजना के आरम्भ में कृषि पदार्थों के मूल्य विशेष ऊँचे नहीं थे क्योंकि सरकार जल भण्डारों में से पूर्ति कर मूल्यों में स्थायित्व रखने के लिए प्रयत्न कर रही थी। १९६०-६१ में फसल अच्छी होने के कारण १९६१-६२ में कृषि पदार्थों में मूल्यों में कुछ कमी आयी जिसके फलस्वरूप सामान्य मूल्य सूचकांक में ३६ प्रतिशत गिरावट आ गयी। किन्तु अप्रैल १९६२ में कृषि पदार्थों के मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि होनी आरम्भ हो गयी। फसल १९६२-६३ में मूल्य कम ३ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। इसके पश्चात् वृद्धि की गति निरन्तर तीव्र होती गयी।

114 द्वारा तृतीय योजना एक वाद के काल में कृषि पदार्थों के मूल्यों में हुई वृद्धि का अनुमान आ सकता है

कृषि-वस्तुओं के कीमत-सूचियों का सूचकांक  
(आधार वर्ष १९६१-६२=१००)  
वर्ष के

	१९६२-६३	१९६३-६६	१९७०-७१
कृषि वस्तुएँ	१००	१४०	१६४
गायक वस्तुएँ	१०२	१२०	२००
सादापत्र	१०२	१२६	२००
शाबन	१०२	१२३	१६३
मैदा	६६	१२०	२००
धान	११०	१००	२२०
कपास	११०	११६	२३६
जूट	७०	१६०	१३३
सभी वस्तुएँ	१०४६	१२७५	१०००

[Source Economic Source 1970-71]

संयुक्त नारदी ने स्पष्ट है कि कृषि-वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक मद् १९७०-७१ में १६४ का तथा सभी गायक वस्तुओं और सादापत्रों का सूचकांक २०० था। इनमें यह स्पष्ट है कि कृषि वस्तुओं विशेषकर सादापत्रों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है। मैदा, धान और कपास का सूचकांक मद् १९७०-७१ में क्रमशः २००, २२० व २३६ था। इस प्रकार इन वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई है। वस्तुतः कृषि वस्तुओं की कीमतें सभी वस्तुओं की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं।

कृषि मूल्य आयोग (Agricultural Prices Commission)

कृषि-वस्तुओं के मूल्यों की नीति के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए मद् १९६३ में इन आयोग की नियुक्ति की गयी। आयोग का कर्तव्य यह देखना भी है कि कृषि मूल्य-नीति का प्रभाव अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में पर, विशेषकर जीवन-निर्वाह स्तर, सबहुरी तथा बौद्धिक उत्पादन की तापकों पर किस सीमा तक पड़ता है। आयोग प्रति वर्ष विभिन्न कृषि-वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में सलाह देता है तथा विभिन्न वस्तुओं का मूल्य निर्दिष्ट करता है। यह आयोग केवल सलाहकार निकाय है। आयोग सिद्ध रूप में आर्थिक नियंत्रण तथा अर्थ-व्यवस्था के हितों को ध्यान में रखकर अपना सुझाव देता है, परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार आयोग के सुझावों की अधिकांशतः शोकाह नहीं करती तथा कृषि-वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण मनमाने रूप में करती है। १९६२-६६ तथा १९६६-६७ के दो वर्षों में सरकार ने आयोग द्वारा सुझाये गये मूल्यों में अधिक ऊँचे मूल्यों की घोषणा की। इस प्रकार कृषि मूल्यों की समस्या का समाधान करने में आयोग के प्रयत्न निरर्थक निरर्थक हो रहे हैं।

निष्कर्ष—कृषि पदावों के मूल्यों की समस्या मुख्यतः उत्पादन एवं वितरण की समस्या है, अतः मूल्यों में स्थायित्व रखने के लिए उत्पादन तथा पूर्ति का मात्र नियंत्रित एवं नियंत्रित होना चाहिए ताकि अनायासिक तत्वों की प्रभाव का लाभ उठाने का अवसर न मिल सके। वस्तुतः

कृषि मूल्यों की वृद्धि की समस्या का समाधान अधिक उत्पादन तथा सरकार की निश्चित नीति तथा उसे दृढ़तापूर्वक क्रियान्वित करने में सन्निहित है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार निश्चित नीति की घोषणा करने तथा उसे क्रियान्वित करने में पार्टी के राजनीतिक हितों का अधिक ध्यान रखती है तथा देश के आर्थिक हितों का कम। सरकार की आर्थिक नीतियाँ, कृषि मूल्यों की समस्या के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। प्रो० दातवाला के शब्दों में

"If one wants to watch the spectacle of running with the hare and hunting with the hound, the best illustrations is to be found in the Government's economic policy making and in the pyrotechnics of politicians " 1

1 Prof M L, Dabtwala, *The Fallacy of Price Incentives*, Economic Times Sept 26, 1967.



## भारत में औद्योगिक विकास—सामान्य सर्वेक्षण (सन् १९५१ तक)

(INDIA'S INDUSTRIAL EVOLUTION—GENERAL SURVEY)

*"As a time when the west of Europe the birth place of his modern, industrial system, was inhabited by uncivilised tribes, India was famous for the wealth of her rulers and for the high artistic skill of her craftsman"*  
—Industrial Commission, 1918

भारत : एक औद्योगिक देश—ईसा के २,००० वर्ष पूर्व भी भारत औद्योगिक दृष्टि से एक समृद्धिवादी देश था। विश्व के निरामिषों में, भारतीय सभ्यता में विनोद शन इन तथ्य के साक्षी हैं। सिन्धी का ऐतिहासिक लौह-सम्पन्न हमारे लौह एवं इस्पात उद्योग की प्राचीनता का ज्वलन्त उदाहरण है। मौर्यकाल से ही भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा प्रारम्भ हो गया था। उस समय रेगनी बम्ब, पनीचे, हाथी दाँत के सामान, बरतन आदि भारत के निर्यात की प्रमुख वस्तुएँ थीं। भारतीय जहाजरानी भी उस समय उन्नतत्वस्था में थी। मुगलकालीन कला एवं वाणिज्य का उत्कृष्ट बनिजर तथा टेबलिनर ने अपने याता-वृत्तान्तों में प्रशंसापूर्ण शब्दों में किया है। मस्रट अकबर के शासनकाल में भारतीय सूती एवं रेगनी बम्बों का निर्यात कारण तथा अन्य अरब देशों को किया जाता था। पानीय क्षेत्रों में मोना, चोरी, लकड़ी, अमूषन, बम्ब-निर्माण आदि के उद्योग प्रमुख थे। गृही उद्योगों में मुगलदावाद के रेगनी बम्ब, हाका की मजदुर, कारनीर के शान, बनारस की बरीशर माड़ी तथा मुगलदावाद के बरतन प्रसिद्ध थे।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा प्रारम्भिक ब्रिटिश-काल—मस्रट अकबर के शासनकाल में भारतीय उद्योग पर्याप्त उन्नतत्वस्था में थे। उस समय भारत में सूती तथा रेगनी कपड़े मध्य-पूर्व के देशों को बड़ी मात्रा में भेजे जाते थे। भारत के इसी व्यापार ने पश्चिमी देशों का ध्यान आकर्षित किया। सन् १६०० में एंग्लो-ब्रिटेन प्रथम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत तथा अन्य पूर्वी देशों से व्यापार करने की राजशाही प्रदान की। यूरोप के अन्य देश, जैसे—फ्रांस, पुर्तगाल तथा हॉलैण्ड भी भारतीय व्यापार को जोर आकर्षित हुए। इस प्रकार भारतीय व्यापार को अपने अधीन करने के लिए उन देशों में भीषण प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हुई। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय वस्तुओं का प्रचार यूरोप में किया तथा उन्हें मौकनित बनाना और मजहूवी शिल्पियों के अन्त तक भारतीय वस्तुओं की धूम यूरोपीय बाजारों में रही तथा इन व्यापार से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पर्याप्त लाभार्जन किया। भारतीय निर्यात के कारण ब्रिटेन के उद्योगों को बहुत क्षति उठानी पड़ी। उन परिस्थिति का मानना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्तुओं पर

भारी मात्रा में आयात-कर भी लगाना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार भारतीय निर्यात व्यापार को मनाप्त करन का प्रयत्न किया गया।

द्वितीय औद्योगिक नीति—सन् १७५० के पश्चात् इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ हुई जिसने औद्योगीकरण को एक नयी दिशा प्रदान की। औद्योगिक क्रान्ति के कारण आर्थिक परिस्थितियों में आमूल धूल परिवर्तन हुआ गया। अब ब्रिटेन को अपने उद्योगों को बनाने के लिए अधिक मात्रा में कच्चे माल तथा मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित निर्मित माल के लिए विदेशी बाजारों की आवश्यकता हुई। अतः ब्रिटेन की आन्तरिक नीति में परिवर्तन हुआ। अब ब्रिटेन ने यह नीति अपनायी कि उपनिवेशों को द्वि-प्रधान देश ही रहने दिया जिससे इंग्लैण्ड के उद्योगों को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल प्राप्त होता रहे तथा पक्के निर्मित माल की बड़ी आपूर्ति होती रहे।

भारत में कच्चे माल का आयात आरम्भ—उपरोक्त नीति के अनुसार भारत में पक्के निर्मित माल का आयात किया जान लगा। भारतीय उद्योगों के पतन की कहानी आर० सी० दत्त ने इस प्रकार प्रस्तुत की है, “भारत अठारहवीं शताब्दी में एक प्रमुख औद्योगिक और खेतिहर देश था। यहाँ के बने हुए बस्त्र तथा अन्य वस्तुओं की माँग यूरोप और अन्य देशों के बाजारों में होती थी। परन्तु ईस्ट इण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश सत्ता ने अंग्रेजी शासन के प्रारम्भिक वर्षों में इंग्लैण्ड के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य में भारतीय उद्योगों को हतोन्मत्त किया। उनका यह उद्देश्य था कि भारत इंग्लैण्ड के उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करे। इस नीति का अनुपमन बड़ी हटना के साथ किया गया तथा इसका परिणाम बड़ा ही भयकर सिद्ध हुआ। भारतीय कारीगर कम्पनी के कारखानों में काम करने के लिए बाध्य किये जाने लगे। माघ ही माघ भारतीय मूर्तों तथा रेशमों कपड़ों पर दूना अधिक आयात-कर लगाया गया कि इंग्लैण्ड के बाजारों में वे प्रवेश नहीं कर सकत थे। दूसरी तरफ इंग्लैण्ड की वस्तुएँ भारतीय बाजारों में स्वतन्त्र रूप में प्रयुक्त मंगायी जाती थी। पनस्वरूप भारत धीरे धीरे कच्चे माल का उत्पादक बन गया और इंग्लैण्ड की निर्मित वस्तुएँ भारत तथा एशिया के अन्य देशों में जाने लगीं।” रमेश दत्त ने यह लिखा है कि कम्पनी द्वारा भारतीय कारीगरों को एक निश्चित काम एक निश्चित समय में करने का ठेका दिया जाता है। यह कम प्राय उनसे समय में पूरा करना सम्भव नहीं होता था। अतः जब कारीगर उस काम का पूरा नहीं कर पाते तो उनके अंगूठे कटवा दिए जाते थे ताकि वह हाथ में काम करने लायक नहीं रह जायें।

उत्तरीसवी शताब्दी में भारतीय उद्योग—१८वीं शताब्दी के अन्त तक प्रायः भारत के सभी कुटीर उद्योग नष्ट हो चुके थे। उत्तरीसवी शताब्दी में मजान आर्थिक परिवर्तन हुए। इस शताब्दी के मृगीय दशक में आधुनिक उद्योगों की आधारशिला रखी गयी। भारत की प्राचीन अर्थ-व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो चुकी थी। अतः यह आवश्यक था कि भारत नयी अर्थ-व्यवस्था की ओर अग्रसर हो। परन्तु देश इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक औजारों तथा मशीनों के अभाव के कारण निर्माणकारी उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार उत्तरीसवी शताब्दी के प्रथम चरण में जहाँ एक ओर पुरानी अर्थ-व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी वहीं दूसरी ओर किसी नयी अर्थ व्यवस्था का जन्म नहीं हो सका।

आधुनिक उद्योगों का प्रारम्भ—१९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अंग्रेज व्यापारियों ने भारत के प्राकृतिक साधनों का विदोहन किया। भारतीय कच्चे माल की माँग में वृद्धि होने के कारण उद्योग—चाय, काँची, जूट तथा नील—प्रारम्भ किये गये। सन् १८३३ तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति के कारण अंग्रेज साहसी भारत में उद्योग स्थापना के कार्य में हिचकते थे। पश्चिमी द्वीपमूह में सन् १८३३ में गुनामी प्रथा का अन्त हुआ अतः वहाँ का चीनी उद्योग

समाप्त होने लगा। मन्ने भारतीय श्रम के कारण उद्योगपति बगीचा उद्योगों की ओर आकृष्ट हुए। भारत से जूट का निर्यात सन् १७९५ से ही किया जाता था। खाद्यान्न व्यापार में वृद्धि तथा कच्चा मान भेत्रन के लिए बोरियों की आवश्यकता हुई जिससे जूट के व्यापार में वृद्धि हुई। सन् १८५६ में क्रोमिया के युद्ध (Crimean War) के कारण रूस में रेलों की पूर्ति बन्द हो गयी, इसने भी भारतीय जूट के व्यापार को प्रोत्साहन मिला। बहबे के बगीचे सन् १८४० में दक्षिणी भारत में प्रारम्भ किये गये।

नील तथा चाय उद्योग सर्वप्रथम बंगाल में प्रारम्भ किया गया परन्तु उद्योगपतियों एवं खेतिहरों में झगड़े के कारण यह उद्योग विह्वार तथा उत्तर प्रदेश में विकसित होने लगा। रेलों के विकास के पश्चात् इस उद्योग ने पर्याप्त उत्थिति की। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने चाय की खेती सन् १८३४ में प्रारम्भ की तथा अपने बगीचों का ३ भाग आसाम की कम्पनी को दे दिया। इस उद्योग की प्रगति देखकर यूरोपीय व्यापारियों ने सन् १८५३ से उसमें भाग लेना प्रारम्भ किया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में पहले बगीचा उद्योग प्रारम्भ किया गया। इन उद्योगों का विकास यूरोपियों द्वारा किया गया परन्तु यूरोपीय उद्योगपति प्रारम्भिक काल में इन भारतीय उद्योगों को प्रारम्भ करने में विशेष उत्साहित नहीं थे। उनकी निष्क्रियता के निम्नलिखित कारण थे

(१) ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा यूरोपियों पर भारत में भूमि खरीदने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

(२) सन् १८३३ तक भारतीय व्यापार पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एकाधिकार था अतः अन्य व्यापारी इस क्षेत्र में प्रवेग नहीं कर सकते थे।

(३) देश में धनी आबादी का अभाव था एवं श्रम सम्बन्धी कठिनाइयाँ थीं।

(४) आन्तरिक यातायात के साधनों का पूर्ण अभाव था।

सन् १८३३ के पश्चात् ये कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर होती गयीं। लॉर्ड डलहौजी के समय मटक यातायात का विकास किया गया।

निर्माणकारी उद्योग—उत्तरीसर्वी शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक बगीचा उद्योग की नींव पड़ चुकी थी। इस शताब्दी के उत्तरार्द्ध में निर्माणकारी उद्योगों की दिशा में भी प्रयत्न किये गये। यातायात के साधनों के विकास के कारण अब मगिन आदि का आयात मरलतापूर्वक किया जा सकता था। इंग्लैण्ड के व्यापारियों ने भी यह महसूस किया कि भारत में कच्चे मान की प्रचुरता का पूर्ण लाभ आधुनिक उद्योगों की स्थापना करके ही उठाया जा सकता है। अतः उनका ध्यान निर्माणकारी उद्योगों की ओर आकर्षित हुआ।

सन् १८५१ में प्रथम सूती मिल 'दि वॉम्बे स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी' स्थापित हुई जिसने सन् १८५४ से उत्पादन प्रारम्भ किया। 'अमरीकी महायुद्ध' के कारण कपास की कीमत ऊँची रही अतः सूती वस्त्र उद्योग तीव्र गति से प्रगति न कर सका। इसी समय सन् १८५४ में ही पटसन उद्योग की स्थापना की गयी तथा सन् १८६३-६४ में यह उद्योग बली गति उत्थिति करने लगा। १९वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में वृष्टि की स्थिति बिगटन लगी जिसके परिणामस्वरूप वृष्टि पर निर्भर रहने वाले उद्योगों की भी दशा खराब होती गयी। १८९५-१९०० के दुर्मिड के कारण सूती वस्त्र उद्योग की दशा दयनीय हो गयी। सरकार ने कपास पर उत्पादन कर लगा दिया। प्लेग की बीमारी के कारण बम्बई के श्रमिक शहर छोड़कर गाँवों में भागने लगे। इन सभी कारणों से सूती वस्त्र उद्योग की दशा गिरती गयी। दुर्मिड का प्रभाव जूट उद्योग पर भी पडा।

बीसवीं शताब्दी का आरम्भिक काल (सन् १९०१ से १९१४ तक)—इस शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान औद्योगीकरण की ओर गया। उत्तरीसर्वी शताब्दी के

विभिन्न अकाल आयोगों (Famine Commissions) ने यह मत प्रकट किया था कि अकाल का मुख्य कारण औद्योगिक पिछड़ापन था। राजनीतिक अमनोप के साथ ही साथ जनता का आर्थिक अमनोप भी बढ़ता गया। मापेग चेम्मनोई की रिपोर्ट के अनुसार 'स्वदेशी आन्दोलन तथा विदेशी वहिष्कार एक ही उद्देश्य के दो पहलू थे।' देश भर में औद्योगिक उत्साह की लहर दौड़ गयी। कपड़ा, पेंसिल, चाय-छुरे, ट्रिफ्लासलाई, शोशा आदि सम्बन्धी अनेक कारखाने स्थापित होने लगे। किन्तु ये सब धीरे-धीरे समाप्त हो गये। इसका कारण व्यावहारिक और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव था। विशेष अमनोप का विषय तो यह है कि इनके समाप्तप्राय होने पर भी सरकार ने इनकी जोर ब्राह उठाकर भी नहीं देखा।

इस भारतीय रेलों विदेशी माल ढोने के लिए कम दरें लेनी थी और भारतीय माल पर अधिक दर वसूल करती थी। इस प्रकार भारतीय उद्योगों को विदेशी माल से निरन्तर स्पर्धा का सामना करना पड़ा। किन्तु सरकार की उदासीन एवं विरोधी नीति के होने हुए भी उद्योगों ने अच्छी प्रगति की। सन् १९११ की औद्योगिक गणना के अनुसार उस समय १० से अधिक ध्रुविक नियोजित करने वाले कारखानों की संख्या ७,११३ थी। इनमें से ४,५६६ कारखानों में शक्ति के साधनों का प्रयोग किया जाता था।

प्रो० युवानन के अनुसार सन् १८६० से प्रथम विश्वयुद्ध तक 'मूती मिलों में तड़ुओ की संख्या दुगुनी न अधिक हो गयी और करघों की संख्या चौगुनी हो गयी, जूट मिलों के करघों में ४ $\frac{1}{2}$  गुनी वृद्धि हुई, कोयले के उत्पादन में छह गुनी वृद्धि हो गयी तथा रेलों का विस्तार ८०० मील प्रति वर्ष की दर से हुआ।'

इन विकास के ज्ञान हुए भी भारतीय उद्योग प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व पिछड़ी अवस्था में थे। व्यवस्थित ढंग पर चलन वाले उद्योगों में बम्बई की कपड़ा मिलें, कलकत्ता के पाम को जूट मिलें, दिहार तथा बंगाल और उड़ीसा की कोयले की खानें ही प्रमुख थीं। इस अवधि में भी मरकापी नीति औद्योगीकरण के प्रति उपेक्षापूर्ण थी। औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कुछ कदम अवश्य उठाये थे परन्तु देश की आवश्यकताओं को देखते हुए यह कार्य भी नगण्य थे।

लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सन् १९०५ में 'वाणिज्य एवं उद्योग विभाग' स्थापित हुआ। कुछ राज्य सरकारों ने भी औद्योगीकरण की दिशा में प्रयत्न किया जिसने तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय था। सन् १९१० में तत्कालीन राज सचिव लॉर्ड मार्चे ने इन प्रयत्नों का विशेष किया। मार्चे मुक्त व्यापार नीति के समर्थक थे इसलिए सरकार द्वारा उद्योगों को किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन देना उन्हें अमह्य था। मार्चे की नीति उस समय की मरकापी नीति का प्रतीक था जिसके द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करना मरकापी सिद्धान्त के प्रतिबन्ध समझा जाता था। इसी अवधि में सन् १९०७ में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना की गयी।

तत्कालीन औद्योगिक प्रगति के कारण—भारतीय उद्योगों के प्रति सरकार की उदासीन नीति के बावजूद देश में कुछ औद्योगिक विकास हुआ। इसके निम्नलिखित कारण थे :

(१) स्वदेशी आन्दोलन—स्वदेशी आन्दोलन ने विदेशी वस्तुओं, विशेषतया विदेशी कपड़े के वहिष्कार पर जोर दिया। जन-माधुरण में विदेशी कपड़े के प्रति विरोध का वातावरण उत्पन्न किया गया जिसने देशी मूर्तों, मिलों की बल मिला तथा उनका विकास हुआ।

(२) अकालों का अनुभव—उत्तमरी अकालों के अन्तिम चरण में अकालों का ताँता लगा रहा। सन् १८७७ तथा १८८० का अकाल अत्यन्त प्रयत्नर था। विभिन्न अकालों की जाँच के लिए आयोग नियुक्त किये गये। इन अकालों ने अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन करने का मुझाव दिया। सरकार ने अकाल आयोग (१८८०) तथा मरकापी अकाल आयोग (१९०१) के देश का औद्योगी-

करग करने का मुझाव दिना । उनके अतिरिक्त परिवहन के साधनों के विकास के लिए भी निश्चयित की गयी । उन आनों के प्रतिवेदनों का सरकारी नीति पर कुछ प्रभाव पडा । उनका मनी बन्ध, चीनी, कागज, चमडा जादि उद्योगों की स्थानता की जाने गयी ।

(३) ज्ञान का उदाहरण—ज्ञान औद्योगिक प्रगति के कारण एगिना का प्रमुख सधु हो गया था । ज्ञान की औद्योगिक प्रगति में बड़ी की सरकार का परतल योगदान ग्या । भारत की मांति ज्ञान में नी जनकता, भूमि पर जनकता का बढाव जादि सम्भव है थी जिनका समाधान औद्योगिकरण द्वारा किया गया । इस प्रकार भारतीयों ने ज्ञान का उदाहरण अपने मानने रखा तथा औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हु ।

(४) चीन में भाग्योप सूच की मांग—उनी समय चीन में भारतीय मूच की मांग की जाने गयी । इन बड़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए भारत में मनी निर्गम की गल्या एव उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गयी जिनसे मनी उद्योग की प्रगति को बन लिया ।

(५) स्वैज नहर का खुलना—स्वैज नहर के खुलने में (१८६९) भारत का व्यापारिक सम्बन्ध ब्रिटेन के साथ बढा । दूसरी ओर भारतीय उद्योगों को क्षति भी उठानी पडी क्योंकि इजिप्ट ने मन्ना मान भारत में जडिफ लेयी ले जाने ला । अपने देश के व्यापार की मात्रा में वृद्धि हुई और भारतीय व्यापारियों को भी नाम हुआ, उनके महान में वृद्धि हुई तथा लाभ द्वारा अतिरिक्त पूँजी का उतारो उतारो देश के औद्योगिकरण के लिए किया ।

(६) परिवहन के साधनों का विकास—साधनों के साधनों का विकास औद्योगिकरण के लिए आवश्यक होता है । उनीन्धी प्रशासकों के उलगाई में भारत में रेल तथा मन्कों का विकास किया गया । यद्यपि इनके विकास के दूच न जरेकों की स्कार्यता एव राजनीतिक उद्देश्य निहित थे फिर भी उनके कारण औद्योगिक प्रगति को बन लिया । साधनों के सम्बन्ध में उत्पादन के साधनों एव निर्मित मान की गणिगोचना प्रदान की ।

(७) भारतीय उद्योगियों का उदाहरण—भारतीय उद्योगियों ने भी देश के औद्योगिकरण के क्षेत्र में सराहनीय काम किया । कुछ उद्योगियों ने तो र्नाय एव देशमन्ति की भावना में प्रेरित हो उद्योगों की स्थानता की । इन सम्बन्ध में दाशमार्दी लोगो तथा जनगदबी टाटा के प्रयत्न अविमलगीन हैं । भारतीय पूँजीगिनों को इन भावना के सम्बन्ध में स्वर्गीन राताडे ने कहा था, "भारत उन मांग पर कातो अग्रसर हुआ है, जिनका अनुसरण यदि पूँजीगि उनी भावना में करते रहे जिनसे वे अब तक प्रेरित रहे हैं, तो उनका (भारत का) औद्योगिक उपादन निश्चय है ।"<sup>१</sup> प्रथम विश्वयुद्ध से द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ तक की प्रगति (१९१४-१९३९ ई०)

प्रथम विश्वयुद्ध में औद्योगिक विकास (१९१४-१९१८)—प्रथम विश्वयुद्ध के समय भारत में विदेशों में मान का ज्ञान बढत कम हो गया अतः पहली बार यह अनुभव किया गया कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए विदेशों पर रहना नजरनाक है । प्रथम युद्ध के समय भारतीय उद्योगों को विकसित करने का स्वर्ग जनर प्राय हुआ किन्तु भारतीयों ने इस अवसर में जडिफ लाभ नहीं उठाया और भारतीय बाजार में जनरीका तथा ज्ञानो बन्तुई जडिफ मात्रा में प्रथम पाने गयी । भारत के समय उन समय कुछ ऐनी कठिनदर्शी थी जो औद्योगिक विकास में बाधक सिद्ध हु । उन कठिन दर्शी में मनी तथा जीवांग का अभाव, मानिक विगेषता एव हुन अमिकों की कमी, साधनों के साधनों का मूच विकास तथा ज्ञान, चीनता जादि की कमी प्रमुख थी ।

फिर भी युद्ध ने भारत सरकार को औद्योगिकरण की आवश्यकता का अनुभव कराया ।

<sup>१</sup> "That India has now fairly entered upon the path which, if pursued in the same spirit which has anima of its cap talists, hitherto cannot fail to work out its industrial salvation."  
—M. G. Ranade, *Essays on Indian Economy*

इस समय मध्य पूर्व के देशों में रेल की पटरियों की माँग बढ़ गयी अतः टाटा कम्पनी ने अपने उत्पादन में वृद्धि की। सैनिकों की वर्दी आदि की पूर्ति के लिए सूती वस्त्र उद्योग में भी उत्पादन बढ़ाया गया। सरकार ने यह भी अनुभव किया कि यदि देश औद्योगिक दृष्टि से विकसित होता तो उससे युद्ध प्रयत्नों में अधिक सहायता प्राप्त होती, इसलिए भारत के औद्योगिक विकास को सैनिक दृष्टि से भी आवश्यक समझा गया।

**औद्योगिक आयोग की नियुक्ति**—सन् १९१६ में प्रथम औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गयी जिसने अपनी रिपोर्ट सन् १९१८ में प्रस्तुत की। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि (क) औद्योगीकरण द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने में सरकार का सक्रिय सहयोग होना चाहिए, (ख) इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार के पास वैज्ञानिक एवं यान्त्रिक विषयों पर सलाह देने के लिए विशेषज्ञ होने चाहिए, (ग) प्रान्तीय उद्योग परिषदों की स्थापना की जानी चाहिए तथा औद्योगीकरण एवं रासायनिक सेवाएँ (Industrial and Chemical Services) प्रारम्भ की जानी चाहिए। आयोग के सुझाव पर प्रान्तीय उद्योग परिषदों की स्थापना कर दी गयी।

**भारतीय युद्ध-सामग्री बोर्ड (Indian Munitions Board)**—युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय उद्योगों का विकास करने के लिए भारतीय युद्ध-सामग्री बोर्ड की स्थापना की गयी जिसने देशी उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। बोर्ड भारत में बनी वस्तुओं की प्रत्यक्ष खरीद करता था। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने उद्योगों को विदेशों से मशीनों के आयात में सहायता देना, यान्त्रिक विशेषज्ञों के सम्बन्ध में सहयोग देना तथा उद्योगों की स्थापना में प्राविधिक कुशलता के विकास आदि कार्यों में पर्याप्त सहयोग दिया।

**प्रथम विश्व युद्धोत्तरकाल (१९१८ से १९३६ तक)**—युद्धकाल में भारतीय उद्योगों को काफी लाभ हुआ, कम्पनियों की संख्या में वृद्धि हुई तथा निर्यात की वस्तुएँ पैदा करने वाले उद्योग—जूट, सूती वस्त्र, लोहा-इस्पात, चमड़ा मैंगनीज, तेल, सीमेण्ट आदि—ने उल्लेखनीय उन्नति की। युद्धोपरान्त, कम्पनियों की संख्या में अत्रिक तबी स वृद्धि होने लगी। औद्योगिक क्षेत्र में सर्वत्र आशाजनक वातावरण था, लाभार्थ की दृष्टि में वृद्धि हुई तथा औद्योगिक प्रतिभूतियों का मूल्य ऊँचा उठा। इस आशाजनक वातावरण का अनुमान नयी कम्पनियों की संख्या में वृद्धि से लगाया जा सकता है।

वर्ष	नयी कम्पनियों की संख्या	पूँजी (करोड़ रुपये)
१९१६-२०	६०५	२७५
१९२०-२१	६६५	१४३

युद्ध के पूरे भारत में कम्पनियों की कुल संख्या २,६८१ थी जिनकी कुल पूँजी केवल ७६ करोड़ रुपये थी परन्तु १९२१-२२ में कम्पनियों की संख्या ८,७६१ हो गयी जिनकी कुल पूँजी २२३ करोड़ रुपये थी।

**आर्थिक मन्दी**—उद्योगों की यह प्रगति अल्पकालीन सिद्ध हुई क्योंकि सन् १९२८ से व्यापारिक अवसाद प्रारम्भ हो गया। इस मन्दी के निम्नलिखित कारण थे (१) युद्धोत्तरकाल में युद्धकाल की मुद्रा-स्फीतिक परिस्थितियों का लोप हो गया। मुद्रा-स्फीति के कारण मूल्य-स्तर ऊँचा हो गया था तथा लाभ की दरों में वृद्धि हुई थी परन्तु युद्ध के पश्चात् स्थायी माँग का पूर्ण अभाव था जिसके कारण लाभ की दरों में कमी होना स्वाभाविक था। (२) युद्ध के पश्चात् प्रमुख राष्ट्रों ने पुनः औद्योगिक उत्पादन प्रारम्भ किया। भारत में विदेशों से माल आयात किया जान लगा जिससे प्रतियोगिता करना भारतीय उद्योगों के लिए कठिन था। (३) सन् १९२०-२१ में रुपये की विनिमय-दर में पर्याप्त कमी हुई जिससे आयात करने वाले व्यापारियों को क्षति उठानी पड़ी।

धीरे-धीरे मन्दी के लक्षण और घनीभूत होने लगे। भारतीय अर्थ-व्यवस्था भी इस मन्दी की लपेट में आ गयी। भारत में कृषि की प्रधानता थी अतः उन्में अधिक क्षति उठानी पड़ी। जूट उद्योग अल्प व्यस्त हो गया। विदेशी औद्योगिक प्रतियोगिता भी उठनी गयी। भारत के निर्यात व्यापार में काफी कमी हुई तथा उद्योगों को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसी काल में सन् १९२१ में प्रणुल्ल आयोग की नियुक्ति की गयी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन् १९२३ में प्रकाशित की। आयोग ने भारतीय उद्योगों के लिए प्रिजेवनात्मक संरक्षण नीति (Policy of Discriminating Protection) अपनाने का सुझाव रखा। संरक्षण नीति के अनुसार जिन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया उनमें लोहा-इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी, कागज, वृहत् रसायन आदि प्रमुख थे। यह उद्योग संरक्षण के पत्रस्वरूप विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने में अक्षम हो गये।

सन् १९३२ में ओटावा समझौता किया गया जिसके अनुसार साम्राज्य अधिमान (Imperial Preference) की नीति अपनायी गयी। इस नीति के अनुसार भारत में ब्रिटिश माल पर कम आयात कर लगाया जाता था और अन्य देशों के माल पर आयात-कर की मात्रा अधिक थी। इसी प्रकार भारत से जो कच्चा माल इंग्लैण्ड का निर्यात होता था, उस पर निर्यात-कर की मात्रा कम होती थी तथा अन्य देशों को निर्यात होने वाले माल पर निर्यात कर अधिक लगाया जाता था। इस नीति के फलस्वरूप ब्रिटिश माल का भारत में प्रोत्साहन मिला और भारत निम्नतर कच्चा माल ही विदेशों को निर्यात करता रहा। यह नीति भारत की अर्थ व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुई।

उद्योगों को नवजीवन तथा अवसाद (Rejuvenation and Recession of Industries)—आर्थिक मन्दी में अनेक देशों की अवस्था में सन् १९३१ में मुधार के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। कोयले के अनिश्चित मभी उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई। चीनी उद्योग का उत्पादन सन् १९३६-३७ में १९२९-३० की अपेक्षा निम्ना हो गया। इस अक्षय में कपड़े का उत्पादन दुगुना हो गया। इसी प्रकार सीमेण्ट, जूट, कागज तथा लोहा-इस्पात उद्योगों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन में यह वृद्धि विदेशों में मशीनों का आयात तथा विजेचनात्मक संरक्षण के कारण हुई। इसी के फलस्वरूप देश में कम्पनियों का निर्माण पुनः प्रारम्भ हुआ। विदेशी आन्दोलन ने भी इस औद्योगिक प्रगति में योगदान दिया।

द्वितीय विश्वयुद्ध काल में औद्योगिक विकास—द्वितीय युद्धकाल में भारतीय उद्योगों को पुनः स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। विदेशों से आयात बहत घट गया और मित्र राष्ट्रों में युद्ध-सामग्री की माँग में वृद्धि हुई। भारतीय उद्योगपति उस समय अर्द्ध-स्वतंत्रता की अवस्था में थे। फलतः देश के अन्दर औद्योगिक क्रियाशीलता आयी। युद्धकाल में युद्ध में सम्प्रेषित लगभग २०,००० वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा। सुरक्षा की वस्तुओं का लगभग ६० प्रतिशत भाग भी देश में ही निर्मित होता था। युद्धकाल में अल्प शस्त्र, विजरी व तार, पद्य आदि वस्तुओं का निर्यात भी किया गया। सन् १९४० में सरकार ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् (Council of Scientific and Industrial Research) की स्थापना की। एक औद्योगिक अनुसन्धान बोध भी आरम्भ किया गया जिसमें पाँच वर्ष तक १० लाख रुपये वार्षिक अनुदान दिया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गयी। युद्ध के प्रथम दो वर्षों में मित्र राष्ट्रों में १६० करोड़ रुपये के माल की माँग की गयी। सन् १९४१ में हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट फैक्टरी (बंगलौर) की स्थापना हुई। इसी वर्ष भारी रसायन उद्योग का भी विराम किया गया और रासायनिक पदार्थों का देश में ही अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाने लगा।

इस विकास के होने हुए भी युद्धकालीन औद्योगिक उन्नति को विशेष मराहतीय नहीं कहा

जा सकता। सरकार यह चाहती थी कि युद्धकालीन आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को ही प्रोत्साहन दिया जाय, वह उद्योगों के स्थायी विकास के प्रति उदासीन रही, अतः युद्धकाल में औद्योगिक विकास मुनियोजित एवं व्यवस्थित ढंग पर नहीं किया गया, केवल उपभोक्ता वस्तुओं (Consumers goods) से सम्बन्धित उद्योगों पर ही ध्यान दिया गया, और व्यापारभूत उद्योग जो देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होते हैं, के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन कमियों के होते हुए भी यह तथ्य निर्विवाद है कि युद्धकाल में भारत औद्योगीकरण की दिशा में तेजी से अग्रसर हुआ।

युद्धोत्तरकाल में औद्योगिक विकास (सन् १९४५ से १९५० तक)—द्वितीय विश्वयुद्ध काल में भारतीय उद्योगों ने अच्छी सफलता की। युद्ध में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सरकारी प्रोत्साहन से औद्योगिक विकास की गति को अग्रिम स्तर किया जा सकता है अतः युद्ध के पश्चात् सन् १९४५ में अन्तरिम प्रणाली ममिनि की नियुक्ति की गयी। माँग की कमी, मशीन आदि प्राप्त करने में कठिनाई, श्रमिकों के असन्तोष, बच्चे माल की कमी तथा विनियोगों के अभाव आदि कारणों से औद्योगिक उत्पादन गिर रहा था। सन् १९४७ में अन्तरिम सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में व्यापार लाभ-कर लगाया गया जिसका उद्योगों पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अगस्त १९४७ में देश स्वतन्त्र हुआ साथ ही साथ देश का विभाजन भी हुआ। विभाजन का उद्योगों पर अत्यन्त बुरा प्रभाव पड़ा। विभाजन के कारण जूट उत्पादन करन वाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये अतः पट्टमन उद्योग के सामने कच्चे मान की भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी। यही कठिनाई वस्त्र उद्योग के सामने आयी। शरणाधिकियों की समस्या एवं साम्प्रदायिक दंगों के कारण औद्योगिक माल के यानायात साधनों की कठिनाई भी उत्पन्न हो गयी। इसके अनिश्चित बहून में कुशल श्रमिक भी पाकिस्तान चले गये। इस प्रकार विभाजन के कारण औद्योगिक व्यवस्था एक बार प्रायः अस्त व्यस्त हो गयी।

सरकार ने इन समस्याओं को कुशलतापूर्वक सामना किया। दिसम्बर १९४७ में एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया और सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न सुविधाएँ देने का निश्चय किया

(१) तीन वर्षों से कम आयु वाले उद्योगों को पूँजी पर ६ प्रतिशत लाभभाज आय-कर से मुक्त घोषित किया गया।

(२) आय कर में कमी की गयी। पूँजीगत माल पर आयात-कर में ५० प्रतिशत की छूट तथा कच्चे माल को आयात-कर मुक्त घोषित किया गया।

(३) सन् १९५०-४९ के बजट में उद्योगों को कर-मुक्त कर दिया गया।

(४) मूल्य हानि (depreciation) के सम्बन्ध में विशेष छूट दी गयी।

अप्रैल १९४८ में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी जिसमें भारतीय अर्थ व्यवस्था को नयी दिशा दी और अग्रसर किया। सन् १९४९ में प्रधान मंत्री ने विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में सरकारी नीति की घोषणा की। निजी क्षेत्र के उद्योगों के नियमन एवं नियन्त्रण के लिए सन् १९५१ में उद्योग (विनास एवं नियमन) अधिनियम पास किया गया जो मई १९५२ में लागू किया गया।

युद्धोत्तरकाल में जो कदम सरकार द्वारा औद्योगिक अवस्था में सुधार लाने के लिए उठाये गये उनका उद्योगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। सन् १९५७ में औद्योगिक उत्पादन युद्ध-पूर्व स्तर से ५ प्रतिशत कम था परन्तु १९५८ में यह उत्पादन युद्ध-पूर्व स्तर से १५ प्रतिशत अधिक हो गया।

सन् १९५१ में औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक ११७.४ था। सन् १९५६ से १९५१ तक सरकारी नीति निर्माण का समय था। उस समय उद्योगों में २६० करोड़ रुपये की पूँजी गयी



हुई थी। इस अर्थ में सूती वस्त्र उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया जिसमें उत्पादन में वृद्धि हुई। आटोमोबाइल उद्योग रेडियोवायरलेस उद्योग तथा त्रिचुत मध्यस्थी उद्योगों ने भी पर्याप्त प्रगति की। उद्योग सम्बन्धी वस्तुओं में स्टील में स्टीन क बनाने, स्टीन फर्नीचर घड़ियाँ, ब्रेड, चर्दरे टोन आदि उद्योगों में उन्नतनीय उन्नति दृष्टिगोचर हुई। इस अर्थ में देश में औद्योगिक गति बरण बनाने का प्रयत्न किया गया जिसके लिए विभिन्न केंद्रों में औद्योगिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षणालय तथा शोधशालाएँ स्थापित की गयीं।

इस प्रकार प्रथम योजना प्रारम्भ होने के समय भारतीय औद्योगिकरण के प्रयत्न करते सी वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इन सी वर्षों में विभिन्न उद्योगों को नीचे अग्रय डाली गयी परन्तु औद्योगिक विकास की गति को मन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसका मूल कारण था भारत की स्वतन्त्रता। विदेशी सरकार न भारत को हमेशा के लिए कृपि प्रदान देश बनाये रखने का प्रयत्न किया अतः औद्योगिक विकास की आगा रचना मृगवृष्णा मात्र था।

भारत में उद्योगों के धीमे विकास के कारण—उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारम्भ मुख्यतः उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ किन्तु उनका वास्तविक विकास प्रथम महायुद्ध काल से प्रारम्भ हुआ है। स्वतन्त्रता प्राप्ति तक उद्योगों का मन्द गति से विकास होता रहा और स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक जो भी औद्योगिक विकास हुआ वह मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं सम्बन्धी उद्योगों (consumer goods industries) में था। मूलभूत उद्योगों की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। इसके अनिश्चित दशक विभिन्न भागों में सन्तुलित औद्योगिक विकास नहीं हो पाया, अर्थात् उद्योगों का देश के कुछ प्रमुख शहरों में ही केंद्रीकरण हो गया था। फलतः भारत औद्योगिक दृष्टि में एक पिछड़ा हुआ देश रह गया। इस औद्योगिक पिछड़ेपन (industrial backwardness) या उद्योगों के धीमे विकास के निम्नलिखित कारण थे।

(१) विदेशी सरकार की नीति—अंग्रेजी सरकार ने प्रथम महायुद्ध के समय तक मुक्त व्यापार नीति का पालन किया तथा इसके पश्चात् भी भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। अंग्रेज भारत को कच्चे माल के निर्यातकर्ता के रूप में रचना चाहते थे। सन् १९२३ में विवेचनात्मक संस्था की नीति अपनायी गयी परन्तु इसकी शर्तें कठोर होने के कारण अधिकांश उद्योगों को विशेष लाभ नहीं पहुँचा। साम्राज्य अधिमान (Imperial Preference) की नीति के कारण भी उद्योगों को धनि उठानी पडी।

(२) पूँजी का अभाव—उद्योगों के विकास के लिए बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पडती है परन्तु भारत में पूँजी का सर्व अभाव रहा। 'पूँजी बाजार' (Capital Market) का विकास भारत में अब भी विशेष नहीं हुआ है। इस प्रकार एक ओर तो पूँजी का अभाव था, दूसरी ओर भारतीय उद्योगपतियों ने उपबन्ध पूँजी का विनियोजन केवल तात्कालिक लाभप्रद उद्योगों में ही किया। अतः सड़देवाजी तथा व्यापार में ही अधिक पूँजी का प्रयोग किया गया। इस प्रकार पूँजी के अभाव में आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं किया जा सका।

(३) विदेशी पूँजी—विदेशी पूँजी का प्रयोग भी रेलवे, बर्याचा उद्योग तथा अन्य निर्यात सम्बन्धी उद्योगों में ही किया गया। यह विदेशी पूँजी भी बहुत ही कम मात्रा में आयी तथा इनका उद्देश्य भारत का औद्योगिकरण करना नहीं अरिन्तु आर्थिक-शोषण करना था।

(४) श्रमिकों की अकुशलता—जनसंख्या का आधिक्य होते हुए भी भारत में कुशल श्रमिकों का सर्व अभाव रहा है। इस में कुशल औद्योगिक श्रमिक वर्ग का प्रादुर्भाव नहीं हो सका जिससे औद्योगिक विकास की गति कँठिन रही है।

(५) सामाजिक चातावरण—जाति-व्रथा, मनुक्त परिवार प्रथा एवं धार्मिक विरवास अथ

भी औद्योगिक विकास में न्यूनाधिक बाधा डाल रहे हैं। समुक्त परिवार प्रणाली ने सदा प्रेरणा एवं साहस को निरस्त/रहित किया है और उत्तरदायित्वों को अस्वीकार करने में रोका है। उत्तरदायित्वों के नियम ने पूँजी के विघटन का मार्ग खोल दिया तथा जाति प्रथा ने योग्य व्यक्तियों को कुशलतापूर्वक कार्य अर्पण करने में बाधाएँ डाली हैं। इस प्रकार भारत का पिछड़ा हुआ सामाजिक वातावरण औद्योगिक विकास के लिए बाधक हुआ है।

(६) यातायात के साधनों का कम विकास—देश में अभी तक रेलों व सड़कों का जो विकास हुआ है वह देश की विपुल औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए कम है। साथ ही देश के सभी भागों में परिवहन साधनों का समुचित विकास नहीं हो सका है।

(७) आधुनिकीकरण की धीमी प्रगति—वस्त्र, चीनी तथा कई अन्य उद्योगों में अब भी पुरानी एवं पिथी पिथी मशीना से कार्य किया जाता है जिसमें उत्पादन कम होता है और लागत अधिक बँटती है। इनके आधुनिकीकरण के लिए कार्यक्रम बनाये गये हैं परन्तु विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इन्हें उचित रूप में पूरा नहीं किया जा सका है।

(८) सरकार की कर एवं श्रम नीति—सरकार द्वारा १९४७ से अनेक नये कर लगाये गये। जैसे उपहार कर, सम्पत्ति-कर, आदि। इनके कारण पूँजी संचय को रोक लगा। इसी प्रकार सरकार की श्रम नीति के अनुसार उद्योगपतियों को श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए अनक कार्य करने पड़े हैं जैसे मँहगाई भत्ता व बोनस देना अनिश्चित लाभ एवं व कार्य में भाग देना, श्रम कल्याण कार्य आदि जिनसे उनकी लागतें बढ़ गयी हैं और औद्योगिक विकास को निरस्त/रहित मिला है।

#### प्रश्न

- १ भारत की औद्योगिक स्थिति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कीजिए। देश का तीव्र गति से औद्योगिक विकास करने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं ?  
(राजस्थान, बी० ए०, १९५४)
- २ भारत में औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने जो उपाय किये हैं उनका विवेचन कीजिए ? क्या ये उपाय यथेष्ट हैं ?  
(पटना बी० ए०, १९६०; बिहार बी० ए०, १९६०)
- ३ भारत में औद्योगिकीकरण की मुख्य समस्याएँ क्या हैं ? औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के उपाय बतलाइए।  
(गोरखपुर बी० ए०, १९६०)
- ४ अश्रेणी श्रम के आरम्भ काल में किन कारणों से भारतीय उद्योगों का हानि हुआ ?  
(आगरा बी० कॉम०, १९६०)
- ५ 'भारतीय उद्योगों का इतिहास उज्रबल रहा है।' उनको अवगति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इस उक्ति का विवेचन कीजिए  
(आगरा बी० कॉम० (पूरक) १९६२)

## योजनाकाल में औद्योगिक विकास

### (INDUSTRIAL DEVELOPMENT DURING THE PLAN PERIOD)

*'The industrial programme for the Fourth Plan has to keep in view the objectives of development of backward regions and dispersal of industries with due regard to technical and economic considerations'*

—Fourth Five-Year Plan—A Draft Outline

योजनाकाल में उद्योगों के विकास का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप में तीन दृष्टिकोणों से विचार करना होगा :

- (१) औद्योगिक विकास सम्बन्धी नीति तथा प्राथमिकताएँ,
- (२) प्रत्येक योजनाकाल में औद्योगिक विकास पर व्यय, तथा
- (३) योजनाकाल में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन की प्रगति ।

#### १. नीति एवं प्राथमिकताएँ

भारत की प्रथम योजना में कृषि, सिंचाई तथा शक्ति को विशेष महत्त्व दिया गया। इन तीनों मद्दों पर प्रथम योजना के कुल व्यय को लगभग ४३ प्रतिशत रकम निर्धारित की गयी। इन योजना में उद्योग तथा खनन पर ७.६ प्रतिशत रकम खर्च करने की व्यवस्था की गयी। इसके विपरीत दूसरी योजना में उद्योगों को विशेष महत्त्व दिया गया। इन योजना में भी खेती, सिंचाई और शक्ति पर कुल व्यय का लगभग ३१ प्रतिशत निर्धारित किया गया किन्तु उद्योग तथा खनन पर व्यय की जाने वाली रकम का अनुपात ७.६ प्रतिशत से बढ़ाकर १२.५ प्रतिशत कर दिया गया। तृतीय योजना में कृषि को संशुद्ध बनाने, उद्योग, शक्ति तथा परिवहन का विकास करने और औद्योगिक तथा प्राविधिक प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का निश्चय किया गया। इसके लिए उद्योग तथा खनन पर किया जाने वाला व्यय बढ़ाकर २० प्रतिशत कर दिया गया।

प्रथम योजनाकाल में भारत के औद्योगिक विकास के लिए १९४८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव का पालन किया गया किन्तु इन बातों में सम्पूर्ण औद्योगिक विकास का भार निजी साहसियों पर छोड़ दिया गया। यह एक दुःखद सत्य है कि सरकार को इन नीतियों के कारण ही देश में आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण को बन मिला। प्रथम पाँच वर्षों में भारत या राज्य सरकारों द्वारा किसी भी औद्योगिक योजना को हाथ में लेने के कारण किसी बड़ी औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं हो सकी। वास्तव में, प्रथम योजनाकाल एक सङ्गम काल था जिसमें औद्योगिक विकास के लिए शक्तिशाली आधार तैयार करना ही मुख्य लक्ष्य था।

द्वितीय तथा तृतीय योजना काल में १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को आधार माना गया जिसका लक्ष्य देश में एक समाजवादी गणराज्य की रचना करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्पात तथा कोयला मरीचे आधारभूत उद्योगों का विकास करना आवश्यक था। इसके लिए एक शक्तिशाली सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना करना आवश्यक था। अतः सरकार ने अनेक भारी उद्योगों में पूंजी लगाना आरम्भ कर दिया। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के विकास का विस्तृत व्योरा एक अन्य अध्याय में दिया गया है।

प्राथमिकताएँ—योजनाकाल में उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएँ निश्चित की गयीं और उनके अनुसार ही कार्य किया गया :

#### प्रथम योजना

(१) वर्तमान उत्पादन क्षमता का अत्रिकाधिक उपयोग करना।

(२) लोहा-इस्पात, सीमेण्ट, खाद, भारी रसायन, मशीन-औजार, एल्यूमीनियम जैसे आधारभूत तथा उत्पादक उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना।

(३) उन औद्योगिक इकाइयों को पूरा करना जिनकी स्थापना पर पहले ही धन व्यय किया जा चुका है किन्तु जो अधूरी है।

(४) ऐसी नयी इकाइयाँ की स्थापना करना जिनके द्वारा औद्योगिक विकास में महायत्ना मिलेंगी तथा औद्योगिक असन्तुलन दूर होगा।

#### द्वितीय योजना

(१) मूलभूत उद्योगों—इस्पात तथा लोहा, भारी रसायन, मशीन-निर्माण, इजीनियरिंग तथा खाद—के उत्पादन में वृद्धि करना।

(२) उत्पादन वस्तुओं तथा विकास के लिए आधारभूत वस्तुओं तथा सीमेण्ट एल्यूमीनियम, दवाएँ, रगार्ड सम्बन्धी वस्तुओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना।

(३) जूट, सूत, चीनी जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों का आधुनिकीकरण तथा उनके मशीन-उपकरण आदि में सुधार।

(४) वर्तमान औद्योगिक उत्पादन का समुचित उपयोग करना।

(५) सामान्य उत्पादन कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना।

#### तृतीय योजना

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चनी आ रही अधूरी परियोजनाएँ अथवा जो वर्ष १९५७-५८ में विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण भविष्य के लिए छोड़ दी गयी थी, उन्हें पूरा करना।

(२) मशीन-निर्माण, इजीनियरिंग सम्बन्धी बड़े उद्योग, विशेष स्टील, वास्टिंग तथा फोर-जिम्स, लोहा-इस्पात आदि उद्योगों के विस्तार व उत्पादन में भिन्नता लाना तथा पेट्रोलेियम वस्तुएँ व सर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करना।

(३) मुख्य आधारभूत वस्तुएँ, जैसे खनिज तेल, एल्यूमीनियम, अकार्बनिक रसायन तथा पेट्रो-केमिकल उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करना।

(४) उन देशी उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करना जो उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक हैं, जैसे—कपड़ा, चीनी वनस्पति तेल तथा गृह निर्माण सम्बन्धी वस्तुएँ।

तीनों योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं -

(१) योजनाकाल में भारी तथा मूलभूत उद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिए विशेष प्रयत्न किये गये हैं।

(२) लोहा-इस्पात कौयला, रसायन आदि मूलभूत उद्योगों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं के काम में आन वाली वस्तुओं के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया है किन्तु यह ध्यान दूसरी और तीसरी योजना में विशेष रूप में दिया गया।

(३) देश के प्राकृतिक साधनों का अपने ही प्रयत्नों से सदुपयोग करने की चेष्टा की गयी है।

### २ व्यय कार्यक्रम (INVESTMENT PROGRAMME)

इससे पूर्व यह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रथम योजनाकाल में औद्योगिक विकास का लगभग सम्पूर्ण भार निजी साहस पर छोड़ दिया गया किन्तु द्वितीय योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा पर्याप्त रकम विनियोजित करने की व्यवस्था की गयी जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लग सकता है

#### योजनाकाल के औद्योगिक क्षेत्र में विनियम

(करोड़ रुपये में)

	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	कुल व्यय का प्रतिशत
प्रथम योजना	५५	२३३	२८८	७६
द्वितीय योजना	६३८	८५०	१,४८८	१८५
तृतीय योजना	१,५२०	१,०५०	२,५७०	२००

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि योजनाकाल में भारतीय उद्योग तथा खनिज व्यवसाय पर कुल ४६ अरब से अधिक रकम खर्च की गयी जिसमें से लगभग ५६ प्रतिशत रकम सार्वजनिक क्षेत्र तथा शेष निजी साहस द्वारा विनियोजित की गयी।

प्रथम योजनाकाल में लोक क्षेत्र में उद्योगों पर कुल ६४ करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया गया था किन्तु वास्तविक व्यय केवल ५५ करोड़ रुपये हो सका। इस रकम से डी० बी० टी० फंड्री, हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स तथा टेलीफोन बनाने के कारखाने स्थापित किये गये। द्वितीय तथा तृतीय योजनाकाल में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया जिसके परिणामस्वरूप इस्पात के तीन बड़े कारखाने, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, तीन रासायनिक खाद फैक्टरियाँ तथा अनेक सीमेण्ट, शक्कर, कागज आदि बनाने के कारखाने स्थापित किये गये।

भारत में आयोजन का एक महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय तत्त्व यह है कि देश की औद्योगिक सम्पदा में सरकार का भाग जो १९५०-५१ में १५ प्रतिशत था वह १९६५-६६ में बढ़कर ३५ प्रतिशत हो गया। एक समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में यह कदम निश्चय ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है।

वित्त व्यवस्था—तीनों योजनाओं में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों पर जो पूंजी विनियोजित की गयी उसे विदेशी ऋणों तथा कुछ अंशों में घरेलू साधनों से प्राप्त किया गया। योजनाकाल में इस्पात कारखानों के लिए जर्मनी, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन से जो पूंजी प्राप्त हुई उनके अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों के लिए उपलब्ध विदेशी ऋणों के नहीं हैं। निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए पूंजी अग्रलिखित साधनों से प्राप्त की गयी।

## निजी क्षेत्र में उद्योगों के लिए पूंजी

(करोड़ रुपये में)

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना <sup>1</sup>
१ वित्त निगमों से ऋण	१८	८०	१३०
२ राजकीय सहयोग	२६	२०	२०
३ विदेशी पूंजी तथा ऋण	४५	२००	३००
४ नयी अथवा पूंजी	४०	१५०	२००
५ आन्तरिक साधन	२११	४००	६००
योग	३४०	८५०	१,२५०

प्रथम योजना में निजी साहस द्वारा उद्योगों में २३३ करोड़ रुपये की रकम विनियोजित करने का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त पुरानी मशीनों बदलने तथा हिस्से आदि बदलने के लिए २३० करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता थी। इन प्रकार नयी इकाइयाँ स्थापित करने तथा पुरानी इकाइयों का नवीनीकरण करने के लिए कुल ४६३ करोड़ रुपये की रकम की आवश्यकता थी। इनमें से निजी साहस द्वारा २३३ करोड़ रुपये नयी इकाइयों के लिए तथा लगभग १०७ करोड़ रुपये नवीनीकरण आदि के लिए—अर्थात् कुल ३४० करोड़ रुपये—विनियोजित किये गये।

दूसरी योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में ६२० करोड़ रुपये विनियोजित करने का प्रावधान था किन्तु वास्तविक विनियोजन ८४० करोड़ रुपये हुआ। इसमें से लगभग ४७ प्रतिशत निजी साधनों से, लगभग १८ प्रतिशत नयी पूंजी से शेष और देशी और विदेशी ऋणों द्वारा प्राप्त किया गया। वास्तव में, द्वितीय योजनाकाल में निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को अप्रत्याशित बल मिला।

तीसरी योजना में निजी क्षेत्र के लिए उद्योगों में १२५० करोड़ रुपये विनियोजित करने का प्रावधान रखा गया था किन्तु वास्तविक विनियोजन केवल १,०५० करोड़ रुपये ही हो सका। वास्तव में तीसरी योजनाकाल में विदेशी पूंजी तथा आन्तरिक साधन—दोनों ही—उपलब्ध करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयीं क्योंकि विदेशी विनिमय का बहुत बड़ा भाग भनाज तथा सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक वस्तुएँ माँगवाने पर खर्च हो गया।

## ३ उत्पादन में वृद्धि

योजनाकाल में भारत के औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि का अनुमान इस तथ्य से लगता है कि औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (१९५६=१००) जो १९५०-५१ में ७३.५ था १९५५-५६ में ९१.९ १९६०-६१ में १३०.१ तथा १९६५-६६ में १८१.६ हो गया। इस प्रकार योजना के पन्द्रह वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में कुल १०८.१ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अनेक तीव्र वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में मन्दी का वातावरण बना रहता। १९६८ के पश्चात् औद्योगिक उत्पादन में प्रायः ७ प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई है। सामान्यतः यह प्रगति सन्तोषजनक कही जा सकती है किन्तु कुछ क्षेत्रों में वृद्धि बहुत साधारण हुई है जैसा कि आगे दिये गये अकों से स्पष्ट है

<sup>1</sup> योजना के आरम्भ में अनुमानित।

भारत में औद्योगिक उत्पादन

	१९५०-५१	१९६६-७०
१ कोयला (मिलियन टन)	३३	८०
२ धातु लोहा („ „)	३	२२
३ तैयार इस्पात („ „)	१	५
४ रेल डिब्बे (हजार)	३	१५
५ वाहनचालक („)	६६	१,४१८
६ मीमण्ट (मिलियन टन)	३	१४
७ जूट का सामान (हजार टन)	८३७	६४४
८ सूती वस्त्र (मिलियन मीटर)	४,२१५	७,७५३
९ चीनी (हजार टन)	१,१३४	४,२६१
१०. चाय (मिलियन किनोग्राम)	२७७	४०१
११ वनस्पति तेल (हजार टन)	१७०	४७७

इसमें स्पष्ट है कि इस्पात, मीमण्ट, चीनी, वस्त्र आदि सभी वस्तुओं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है।

नये उद्योगों का विकास—योजनाकाल की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इसमें कुछ उद्योगों का विकास बहुत तेजी से हुआ है जबकि अनेक नये उद्योगों की स्थापना हुई है। नये उद्योगों के काम में आने वाली मशीनें, मोटर साइकिल तथा स्कूटर, डीजल, ट्रक, गाड़ियों के टायर आदि पर्याप्त मात्रा में बनने लगे हैं।

चतुर्थ योजना में उद्योग

चतुर्थ योजना में कुल १५,६०२ करोड़ रुपया लागू क्षेत्र में खर्च किया जायगा जिसमें से ३,३३८ करोड़ रुपया अर्थात् लगभग २१ प्रतिशत भाग बड़े उद्योग तथा खनिज के विकास पर खर्च करने की व्यवस्था है और लगभग २ प्रतिशत भाग ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर व्यय किया जायगा।

चतुर्थ योजना में उद्योगों को लाइसेंस देने की नीति हम इस से बनानी गयी है कि पहले में जिन लोगों के हाथ में बहुत से उद्योग हैं उन्हें लाइसेंस न दिये जाएं। यह योजना नये साहसियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनायी गयी है।

नये लक्ष्य—चतुर्थ योजना के अन्त (१९७३-७४) तक मुख्य उद्योगों के उत्पादन लक्ष्य निम्नलिखित निर्धारित किये गये हैं।

१ तैयार इस्पात	८१	लाख टन
२ धातु लोहा	५१४	" "
३ कच्चा पेट्रोल	८५	" "
४. मोटर-साइकिल, स्कूटर	२१	" "
५ मीमण्ट	१८०	" "
६ शीशा	४५	" "
७ सूती कपड़ा मिल	५,१००	मिलियन मीटर
८ परमन सामान	१४	लाख टन
९. चीनी	४७	" "
१०. वनस्पति तेल	६२५	" "

इन वस्तुओं के अनिश्चित अनेक प्रकार के इन्जीनियरी सामान तथा मशीनों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि की योजना बनायी गयी है।

प्रश्न

१. तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ? हमके अन्तर्गत औद्योगिक विकास कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (आगरा, बी० ए०, १९६३)
२. प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में भारत का किस सीमा तक औद्योगिक विकास हुआ है ? आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। (बिहार, बी० ए०, १९६३)
३. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के औद्योगिक विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (बिहार, बी० ए०, १९५३, पंजाब, बी० ए०, १९५३, सागर, बी० ए०, १९६१)
४. तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य बताइए और इसमें उद्योगों से सम्बन्धित प्रस्तावों का विवेचन कीजिए। (विक्रम, बी० कॉम०, द्वितीय वर्ष, १९६४)



*"The middle path unstraddled with and devoid of the usual irksome thorns is a golden mean, happy compromise and panacea for all ills"* — Aristotle

किसी भी राष्ट्र का द्रुत गति से आर्थिक विकास करके के लिए उसका औद्योगीकरण करना आवश्यक है। समुचित औद्योगिक विकास के लिए निश्चित, सुनियोजित तथा प्रगतिशील औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। औद्योगिक नीति किस प्रकार की हो—यह उन मुख्य आर्थिक सिद्धान्तों पर निर्भर करता है जिन्हें औद्योगिक नीति की घोषणा करने वाली सरकार मानती है। आर्थिक क्षेत्र में सरकार को किस सीमा तक भाग लेना चाहिए तथा सरकार द्वारा देश की आर्थिक क्रियाओं का नियमन एवं नियन्त्रण कहाँ तक बांछनीय है य प्रश्न सदैव विवादग्रस्त रहे हैं।

#### स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की औद्योगिक नीति

विदेशी सरकार की नीति भारतीय उद्योगों के प्रति उपशान्तिपूर्ण ही नहीं अपितु विद्वेषपूर्ण थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रारम्भिक शासनकाल में निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन दिया परन्तु ब्रिटेन में इस नीति का तीव्र विरोध किया गया। अतः कम्पनी ने अपनी नीति में परिवर्तन किया। जब भारत की राज-सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गयी तब यहाँ पर मुक्त व्यापार नीति का पालन किया गया। इस नीति के कारण ब्रिटेन के उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में हमारे विश्व विख्यात गृह एवं लघु उद्योग न टहर सके और क्रमशः नष्ट हो गए। भारत में ब्रिटेन ने जिम आर्थिक नीति का पालन किया, उसकी अभिव्यक्ति टियर्ने (Tierney) ने इन शब्दों में की है :

"हमारी आर्थिक नीति का यह सामान्य सिद्धान्त हो कि इंग्लैण्ड का बना हुआ माल भारत में बेचा जाय, जिसके बदले में भारतीय वस्तु ली जाय।"

प्रथम युद्धकाल—प्रथम महायुद्ध के समय इस नीति में कुछ परिवर्तन हुआ। युद्ध की आवश्यकताओं के लिए उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। सन् १९१६ में औद्योगिक सम्भावनाओं को जीव के लिए औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गयी। सन् १९१७ में इण्डियन म्यूनिशन बोर्ड की स्थापना की गयी। इस बोर्ड ने भी औद्योगिक उन्नति को दिशा में कुछ प्रयत्न किया। सन् १९१९ में उद्योगों को प्रान्तीय विषय बना दिया गया।

संरक्षण एवं प्रगति—सन् १९२३ से विवेचनात्मक संरक्षण की नीति अपनायी गयी जिसके अनुसार पूर्व-निश्चित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए कुछ चुने हुए उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने की नीति अपनायी गयी। द्वितीय विश्वयुद्ध काल में भी भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला।

युद्धकाल में ही देश के आर्थिक विकास के लिए युद्धोत्तरकालीन पुनर्निर्माण समस्याओं पर विचार करने के लिए औद्योगिक समितियाँ बनायी गयी ।

**औद्योगिक नियोजन**—सन् १९४४ में सर आर्देशर दनाल केन्द्रीय सरकार में नियोजन तथा पुनर्निर्माण (Planning and Reconstruction) विभाग के सदस्य नियुक्त किये गये । उस समय देश में नियोजन के प्रति उत्साह था । अतः 'नियोजन तथा पुनर्निर्माण' विभाग ने २२ अप्रैल, १९४५ को औद्योगिक नीति की घोषणा की । सन् १९४५ की नीति द्वारा प्रथम बार स्पष्ट शब्दों में उद्योगों के प्रति सहकारी दृष्टिकोण को प्रकट किया गया । यह नीति बड़ी ही उपयोगी थी परन्तु राजनीतिक परिवर्तनों के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका ।

अक्टूबर, १९४६ में के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में 'नियोजन सलाहकार मण्डल' (Advisory Planning Board) की नियुक्ति की गयी । इस मण्डल ने अपनी रिपोर्ट फरवरी १९४७ में प्रस्तुत की । बोर्ड ने भावी नियोजन प्रशासन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जिनमें एक 'योजना आयोग' एक 'सलाहकार समिति' (Consultative Body), एक 'केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय' तथा एक 'स्थायी प्रशुल्क मण्डल' का संगठन करना प्रमुख था । जहाँ तक राज्य द्वारा उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबन्ध ग्रहण करने का सम्बन्ध है, इस बोर्ड ने यह सुझाव दिया कि तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना वाञ्छनीय नहीं होगा । परन्तु कुछ आधारभूत उद्योगों को राज्य के स्वामित्व तथा प्रबन्ध के अन्तर्गत लाना चाहिए ।

### स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् औद्योगिक नीति

१५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ । जनता में नये विरवास एवं आशा की लहर आयी परन्तु उम समय की आर्थिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी । देश विभाजन के कारण औद्योगिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी थी और आर्थिक दशा गिरती जा रही थी । औद्योगिक उत्पादन कम हो गया, मूल्य स्तर में वृद्धि हुई और औद्योगिक अशांति बढने लगी । इस अनिश्चितता तथा अशांति को दूर करने के लिए दिसम्बर १९४७ में एक 'औद्योगिक सम्मेलन' आयोजित किया गया । उस समय की आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए सम्मेलन के अध्यक्ष तथा तत्कालीन उद्योग मन्त्री डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा, "आर्थिक परिस्थिति शत युद्ध के मध्य में गम्भीर है । सही अर्थों में अब हम औद्योगिक मकड़ से गुजर रहे हैं ।" इस सम्मेलन ने उचित औद्योगिक नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया तथा सरकार के समक्ष निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की

(१) देश की सम्पत्ति एवं उत्पादन का उचित वितरण, जिससे भारतीय जनता को सामाजिक न्याय पर आधारित सुविधाएँ मिलें तथा जीवन-स्तर में तीव्र गति से सुधार हो ।

(२) देश के व्ययों का समुचित उपयोग करने की आवश्यकता, जिससे बर्न विशेष के हाथों में ही सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण न हो ।

(३) केन्द्रीय नियोजन, सामजस्य तथा निदेशन को आवश्यकता, जिससे अधिकतम कार्य-क्षमता, उत्पादन और देश के विभिन्न भागों में उद्योगों का समुचित वितरण हो सके । साथ ही साथ मजदूरी व लाभ निश्चित करने का न्यायसंगत तरीका अपनाया जाय ।

(४) उद्योगों का तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजन ।

### सन् १९४८ का औद्योगिक नीति का प्रस्ताव

उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए ६ अप्रैल, १९४८ को उद्योग मन्त्री डॉ० श्यामाप्रसाद

मुकर्जी ने भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा की। औद्योगिक नीति सम्बन्धी इस प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

(१) औद्योगिक नीति का उद्देश्य—प्रस्ताव में यह कहा गया कि

(अ) औद्योगिक नीति का उद्देश्य ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर तथा न्याय प्राप्त हो सके।

(ब) देश की वर्तमान अवस्था में जबकि अधिकांश जनता जीवन निर्वाह स्तर से भी घटिया जीवन व्यतीत करती है उस समय उत्पादन वृद्धि पर जोर देना चाहिए।

(स) वर्तमान धन के पुनर्वितरण मात्र से जन साधारण के लिए कोई मौलिक भन्तर नहीं पड़ेगा इसका अर्थ केवल निर्धनता का पुनर्वितरण होगा।

(२) उद्योगों का चार श्रेणियों में विभाजन—प्रस्ताव में यह कहा गया था कि उद्योगों के विकास में सरकार की सक्रियता धीरे धीरे बढ़नी चाहिए परन्तु उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए सरकार अपेक्षित सीमा तक उद्योगों के विकास में भाग नहीं ले सकती। अतः सरकार ने उद्योगों को चार श्रेणियों में विभाजित किया

(अ) सरकार का एकाधिकार—इस श्रेणी के अन्तर्गत तीन उद्योग रखे गये—अस्त्र शस्त्र का निर्माण, अणुशक्ति का उत्पादन तथा नियन्त्रण और रेलवे परिवहन। इन उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार रखा गया।

(ब) उद्योग जिनके विकास का दायित्व भविष्य में केवल सरकार का होगा—इस श्रेणी के अन्तर्गत छह आधारभूत उद्योग रखे गये—कोयला लोहा व इस्पात हवाई जहाज निर्माण, समुद्री जहाज निर्माण, टेलीफोन, तार तथा वेतार के तार सम्बन्धी सामान का निर्माण (रेडियो रिमीडियम सेटों को सम्मिलित करके) और खनिज तेल उद्योग। इन उद्योगों के सम्बन्ध में तीन महत्त्वपूर्ण बातें कही गयी थीं

(i) इस श्रेणी के उद्योगों में नयी इकाइयों की स्थापना केवल केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारों तथा अन्य लोक निकायों (Public Authorities) द्वारा की जा सकती है। परन्तु यदि राष्ट्र हित में आवश्यक समझा गया तो निजी क्षेत्र से भी सहायता ली जा सकती है।

(ii) इन उद्योगों से सम्बन्धित वर्तमान इकाइयों को १० वर्ष तक विकसित होने का पूर्ण अवसर दिया जायेगा। दस वर्ष के पश्चात् ही इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। यदि किसी इकाई का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया गया तो इसके लिए उचित मुआवजा दिया जायेगा।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था सार्वजनिक निगमों (Public Corporations) द्वारा की जायेगी।

(स) सरकारी नियन्त्रण तथा नियमन के अन्तर्गत उद्योग—इस श्रेणी में वे मूल उद्योग रखे गये जिन पर सरकार का नियन्त्रण रखना राष्ट्रीय हित में है। इस श्रेणी के उद्योगों के लिए अधिक विनियोजन तथा प्राविधिक ज्ञान की आवश्यकता होती है तथा उनकी स्थिति (location) का राष्ट्रीय महत्त्व होना है अतः ऐसे उद्योगों पर सरकार का नियन्त्रण होना आवश्यक है। इस श्रेणी के उद्योग निजी क्षेत्र में रहेंगे परन्तु उनका नियन्त्रण व नियमन सरकार द्वारा किया जायेगा। इन उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का कोई भय नहीं है, परन्तु इन उद्योगों में भी सरकार नयी इकाइयाँ (units) स्थापित कर सकती है। इस श्रेणी में कुल १८ उद्योग रखे गये जिनमें से मुख्य ये हैं—नमक मोटर, टैंकर, इन्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग, भारी रसायन, ओपधि, खाद, रसायन, पावर अल्कोहल, रबड़, सोमेट, चीनी, कामज सूती वस्त्र उद्योग, हवाई परिवहन, जल परिवहन, आदि।

(द) अन्य उद्योग—ये सभी उद्योग साधारणतया निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिये जायेंगे।

उद्योगों पर सरकार का सामान्य नियन्त्रण रहेगा परन्तु यदि किसी उद्योग की प्रगति संतोषजनक नहीं हो, तो सरकार हस्तक्षेप करने में नहीं हिचकेंगी।

(३) कुटीर तथा लघु उद्योग—औद्योगिक नीति में कुटीर तथा लघु उद्योगों के महत्त्व पर प्रशंसा डाला गया। सरकार इन उद्योगों के विनाम के लिए प्रयत्न करेगी। ऐसे उद्योग स्थानीय साधनों के पूर्ण उपयोग तथा कुछ उद्योगों की वस्तुओं के सम्बन्ध में स्थानीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इन उद्योगों का विकास राज्य सरकारों का दायित्व है परन्तु केन्द्रीय सरकार इस बात का पता लगायेगी कि ये उद्योग किस प्रकार तथा कहीं तक बड़े उद्योगों के साथ चलाये जा सकते हैं। सरकार इन सभी प्रकार के उद्योगों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए सहकारिता पर जोर दिया गया।

(४) तट कर नीति—सरकार की तट कर नीति इस प्रकार की होगी जिससे अनावश्यक विदेशी प्रतिस्पर्द्धा को रोका जा सके तथा उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार डाले बिना देश के साधनों का उपयोग किया जा सके।

(५) कर नीति—पूँजीगत विनियोजन व बचत में वृद्धि करने के लिए तथा कुछ व्यक्तियों के हाथों में सम्पत्ति सकेन्द्रण रोकने के लिए कर प्रणाली में आवश्यक सुधार किया जायेगा।

(६) श्रम नीति—औद्योगिक विकास के लिए उत्तम औद्योगिक सम्बन्ध आवश्यक है। सरकार श्रमिकों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न करेगी। उद्योगों के लाभ में श्रमिकों को भी हिस्सा मिलेगा तथा उद्योगों के संचालन में श्रमिकों को भागीदार बनाने का प्रयत्न किया जायेगा। पूँजी पर भी उचित लाभ मिले, इस बात का ध्यान रखा जायेगा। श्रमिकों की गृह-समस्या के समाधान के लिए आगामी १० वर्षों में १० लाख मकान बनाये जायेंगे। औद्योगिक झगड़ों के फँसले के लिए उचित व्यवस्था की जायेगी।

(७) विदेशी पूँजी—सरकार विदेशी पूँजी का स्वागत करेगी। इसके लिए सरकार निश्चित कानून पास करेगी। नियमानुसार बहुमत-स्वामित्व नियन्त्रण भारतीयों के हाथ में रहेगा। यदि राष्ट्रहित में अनावश्यक समझा गया तो यह शर्त हटायी भी जा सकती है परन्तु प्रक्षेप अवस्था में इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि अन्त में धीरे धीरे भारतीय विशेषज्ञ विदेशी विशेषज्ञों का स्थान ग्रहण कर ले। यदि विदेशी पूँजी का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उचित मुआबजा दिया जायेगा किन्तु धीरे धीरे विदेशी पूँजी का प्रतिस्थापन भारतीय पूँजी द्वारा किया जायेगा।

(८) वितरण—वर्तमान समय में उत्पादन वृद्धि पर जोर दिया जायेगा और वितरण की समस्या पर मध्यम में विचार किया जायेगा।

(९) योजना आयोग—विक्रम सम्बन्धी योजनाएँ बनाने तथा उनकी कार्यान्वित करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना आयोग स्थापित किया जायेगा। इसी प्रकार कुटीर उद्योग-घरों के विकास के लिए कुटीर उद्योग बोर्ड संगठित किया जायेगा।

सन् १९४८ की नीति की आलोचनात्मक समीक्षा—सन् १९४८ की नीति का कुछ क्षेत्रों में स्वागत किया गया तथा कुछ क्षेत्रों में उसकी कटु आलोचना की गयी। मीनू मसानी के अनुसार इस नीति द्वारा 'प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद' की नींव डाली गयी। प्रो० रंगा के अनुसार, 'यह नीति 'गांधीवादी समाजवाद' की विजय थी।' प्रो० के० टी० शाह के अनुसार, "यह वह नीति नहीं थी जिसे एक प्रगतिशील तथा उत्तम को धारा रखने वाले देश को अपनाना चाहिए।" कुछ लोगों ने इस नीति की पूँजीवाद की विरोधी घोषित किया।

(१) मिश्रित अर्थ व्यवस्था—भारत सरकार की यह औद्योगिक नीति मिश्रित अर्थ व्यवस्था (Mixed Economy) की नींव डालने की दिशा में पहला कदम था। वस्तुतः कोई भी अर्थ-व्यवस्था परिवर्तन के समय मिश्रित अर्थ व्यवस्था होती है। मिश्रित अर्थ व्यवस्था की जटिल

समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है। सीमित मात्राओं की प्राप्ति के लिए दोनों क्षेत्रों में स्पष्टी हो सकती है। ऐसी अर्थ-व्यवस्था को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार में निदानों की आवश्यकता पड़ती है जिनमें आर्थिक विकास का मार्ग कभी-कभी अवरोध हो सकता है।

विभिन्न अर्थ-व्यवस्था में भारत पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था से समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। धीरे-धीरे परिवर्तन लाना उचित है परन्तु देश के मामले निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। यदि लक्ष्य में परिवर्तन किया भी जाय तो अपने बदलों तथा आवश्यकताओं को नहीं नूतना चाहिए।

(२) विश्वास का अभाव—दस नीति के कारण उद्योगपतियों में विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ जस के पंजी नियोजन करने में डरने लगे। वस्तुतः उस समय देश में अर्थिक विनियोजन की आवश्यकता थी परन्तु औद्योगिक नीति का विनियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मर आँसूगर दवाल के सदृश में, 'राष्ट्रीयकरण, सामाज्य की सीमा, लाभ में हिस्सा लिए जाने तथा १० वर्षों के परवान् पूँजी के विघटन के भय से विनियोजक भयभीत हो गये।'

(३) राष्ट्रीयकरण का भय—दस नीति के कारण उद्योगपतियों में राष्ट्रीयकरण का भय समा गया। नेताओं द्वारा राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कई प्रकार के परस्पर विरोधी विचार प्रकट किये गये। १० वर्षों के परवान् भी राष्ट्रीयकरण का भय बना रहा। वस्तुतः १० वर्षों में ही कोई औद्योगिक संस्थान सामाज्य के योग्य हो पाता है। यदि उसी समय इच्छा राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय तो कोई भी विनियोजक ऐन संस्थान की स्थापना नहीं करेगा। स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में आश्वासन भी दिया परन्तु उद्योगपतियों का भय दूर नहीं हुआ, हमने देश की औद्योगिक उन्नति में बाधा उपस्थित हुई।

(४) उत्पादन अथवा वितरण—औद्योगिक नीति में यह घोषणा की गयी कि वर्तमान समय में देश की प्रमुख समस्या उत्पादन में वृद्धि करना है, वितरण समस्या का समाधान उतना नहीं। वस्तुतः यह विचार प्रामाणिक है। उत्पादन तथा वितरण दोनों एक ही जिम्मे के दो रूप हैं। उत्पादन के साथ साथ वितरण की समस्या तुरन्त सामने आती है।

(५) अस्पष्ट एवं असन्तोषजनक—दस नीति द्वारा किसी भी पक्ष को सन्तोष नहीं हुआ। राष्ट्रीयकरण, लाभ में हिस्सा, प्रशिक्षण में धर्मियों द्वारा भाग लेना आदि आश्वासन देकर सरकार ने वास्तविकी होने का दावा किया। साथ ही साथ राष्ट्रीयकरण का भय धीरे धीरे सीमित कर, ऊँची बाज पर करो से छूट दूरर तथा करो को चोरी के सम्बन्ध में दुर्बलता दिखाकर शासकों ने पूँजीपतियों को प्रवृत्त करने का प्रयत्न किया। जस "दस नीति न उद्योगपतियों, विनियोजकों, औद्योगिक धर्मिक और जन-साधारण को सन्तुष्ट किया।" उत्पादन में किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए किस सक्रिय उत्साह तथा प्राविगीनता की आवश्यकता थी उसे तान में यह नीति असफल रही है।"

आलोचनाएँ असंगत—यद्यपि उपर्युक्त आलोचनाएँ न्यायमत्त तथा उचित प्रतीत होती हैं फिर भी उक्तानोन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनके जस्टि औद्योगिक नीति की घोषणा नहीं की जा सकती थी। आर्थिक नीति का निर्माण आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार किया जाना है। उस समय देश में उत्पादन वृद्धि की आवश्यकता थी अतः सरकार ने वितरण पक्ष पर ध्यान न देकर उत्पादन पर ध्यान दिया। इसी प्रकार राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भी नीति स्पष्ट थी। १० वर्षों के परवान् राष्ट्रीयकरण केवल उन्हीं उद्योगों का किया जाना था जिनकी प्रगति सन्तोषजनक न होती। अतः उत्पादन एवं औद्योगिक प्रगति की दृष्टि से यह व्यवस्था सर्वथा उचित थी। उत्पादन वृद्धि के लिए कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया गया। धर्मियों को

प्रोत्साहन दिया गया और उन्हें औषध से बचाने तथा उत्पादन में उचित हिस्सा दिलाने की भी घोषणा की गयी वही वही सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी पूर्णतया उचित थी।

निश्चित अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि वही औद्योगिक नीति की नीति थी, किन्तु उत्पादकों पर नियंत्रणों में निश्चित अर्थ-व्यवस्था के सिद्धान्त की उपलब्धि के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था। मूलभूत उद्योगों के विकास के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है तथा आरम्भ में लाभ भी प्राप्त नहीं होता। निजी पूँजीपति उपभोग उद्योगों में ही विनियोजन करते थे अतः सरकार को आहार-भूत उद्योगों के विकास का सामर्थ्य अपने ऊपर लेना अप्रावश्यक था। इसी प्रकार मुराया सम्बन्धी उद्योगों को भी निजी उद्योगपतियों पर नहीं छोड़ा जा सकता था। सभी उद्योगों को सामाजिक अर्थ में रचना न तो उचित था और न व्यावहारिक अतः निश्चित अर्थ व्यवस्था की नीति पूर्णरूपेण उपयुक्त थी। इस प्रकार मन् १९४८ की औद्योगिक नीति को सर्वथा सुनिश्चित कहा जा सकता है।

### उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, १९५१

औद्योगिक नीति को कार्यान्वित करने और उद्योगों के नियमन तथा विकास के लिए अक्टूबर १९५१ में भारतीय संसद ने उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम पारित किया जो ८ मई, १९५० को लागू किया गया। इस अधिनियम में प्रथम अनुसूची में दिये गये उद्योगों के विकास तथा नियमन की व्यवस्था की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य योजनाबद्ध विकास तथा उद्योगों का नियमन था। इन अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएँ निम्नलिखित थीं :

(१) अनुसूचित उद्योगों की सभी वर्तमान इकाइयों का पंजीयन (Registration) निश्चित समय के अन्दर कराना अनिवार्य है।

(२) केन्द्रीय सरकार ने लाइसेंस लिए बिना किसी भी नये औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं की जा सकती और न वर्तमान इकाइयों का विस्तार किया जा सकता है।

(३) यदि किसी भी उद्योग का उत्पादन गिर जाय, उत्पादन व्यय में वृद्धि हो, उत्पादित वस्तु के गुणों (quality) में गिरावट आती हो या उपभोक्ताओं की हानि होने की सम्भावना हो अथवा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में अनुचित वृद्धि की गयी हो तो सरकार उन उद्योगों की जाँच कर सकती है और जाँच के पश्चात् निम्नलिखित आदेश दिये जा सकते हैं

(क) वह उद्योग उत्पादन में वृद्धि तथा विकास का प्रयत्न करे।

(ख) वह उद्योग कोई भी ऐसा कार्य न कर जिससे उत्पादन की मात्रा या गुण में गिरावट आये।

(ग) जिन उद्योगों की जाँच की गयी हो उनके मूल्य तथा वितरण पर सरकार द्वारा निन्वयण लगाया जाय।

(घ) ऐसी जाँच के पश्चात् उद्योग यदि दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है तो सरकार ऐसे उद्योग की प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती है। मन् १९५३ के संशोधन के अनुसार सरकार बिना जाँच कराये भी उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ में ले सकती है।

(५) अनुसूचित उद्योगों के विकास तथा नियमन के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद् (Central Advisory Council) बनाने की व्यवस्था की गयी।

(६) नये उद्योगों तथा इकाइयों का लाइसेंस देने के लिए एक अनुज्ञापत्री समिति (Licensing Committee) गठित करने की व्यवस्था की गयी।

(७) अनुसूचित उद्योगों या सम्बन्धित उद्योगों की उत्पत्ति तथा विकास के लिए पृथक्-पृथक् 'विकास परिषदों' (Development Councils) की स्थापना का प्रावधान किया गया।

केन्द्रीय सलाहकार परिषद्—मई १९५२ में इस परिषद् की स्थापना की गयी जिसमें

उद्योग, श्रमिक, उपभोक्ताओं, प्रारम्भिक उत्पादकों तथा सरकार के प्रतिनिधि हैं। इस समिति में कुल ३० सदस्य हैं। यह परिषद् अनुसूचित उद्योगों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देती है। सरकार इस एक्ट के अन्तर्गत नियम बनाने समय, उद्योगों को निर्देशन देते समय या उनकी प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ में लेते समय भी परिषद् से सलाह लेती है।

**विकास परिषद्**—इन परिषदों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में सम्बन्ध स्थापित करना तथा इस बात पर ध्यान रखना है कि निजी क्षेत्र नियोजन के अनुसार कार्य करते हैं या नहीं। इन परिषदों में उद्योगपतियों श्रमिकों प्राविधिक विशेषज्ञों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होते हैं। परिषदों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

(१) उत्पादन के लक्ष्य सम्बन्धी मुझाव देना, उत्पादन योजनाओं में समन्वय स्थापित करना तथा समय समय पर उद्योगों की उन्नति की समीक्षा करना।

(२) उत्पादन को अधिकतम करने, उत्पादन व्यय में कमी करने तथा वस्तुओं के गुण में सुधार करने के लिए सुझाव देना।

(३) कच्चा माल प्राप्त करने तथा नियन्त्रित कच्चे माल के वितरण में सहायता देना।

(४) प्राविधिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना तथा वैज्ञानिक व औद्योगिक शोधकार्य को प्रोत्साहित करना।

(५) सरकार द्वारा सौंपे गये मामलों पर अपनी सलाह देना।

इन परिषदों को निजी साहस की छात्रियाँ (nurses for private enterprise) कहा जाता है। देश के अनेक उद्योगों—चीनी, ऊनी वस्त्र, कृत्रिम रेशमी वस्त्र साइकिल, विद्युत आदि—में विकास परिषदें सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

**अनुज्ञादात्री समिति**—इस समिति में योजना आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालय के प्रतिनिधि हैं। समिति नयी इकाइयों की स्थापना तथा पुरानी इकाइयों के विस्तार के लिए साइमें देती है। साइमें देने समय पत्रवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों तथा प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाता है। वर्तमान में अनेक उद्योगों को स्वनयन रूप में बिना साइमें इकाइयाँ स्थापित करने की अनुमति दे दी गयी है।

**अधिनियम की समीक्षा**—उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके द्वारा निजी क्षेत्र पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाया है। भारत का औद्योगिक विकास इस बात का साक्षी है कि देश में मुनियोजित तथा समन्वित ढंग पर औद्योगिक विकास नहीं किया गया। उद्योगपतियों ने देश के हित का ध्यान नहीं रखा बल्कि केवल उन्हीं उद्योगों की स्थापना की जिन्हें उन्हें शीघ्र लाभ (quick return) प्राप्त हो सके। इसका परिणाम यह हुआ कि औद्योगीकरण को नाव मजबूत नहीं हुई जिससे भारी औद्योगिक विकास में कठिनाइयाँ हुईं। उद्योगपतियों द्वारा मूलभूत उद्योगों (Basic Industries) का विकास न करना इस बात का प्रमाण है। अतः देश के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता थी।

दूसरे, भारत एक विशाल देश है जिसके कुछ भाग आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं तथा कुछ भाग अधिक विकसित हैं। पूरे देश के औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय विकास (Regional Development) पर ध्यान दिया जाय। इस अधिनियम द्वारा इस कार्य में सहायता मिली है।

तीसरे, इस अधिनियम के कारण उद्योगपति मनमानी नहीं कर सकते। नियन्त्रण तथा जाँच की व्यवस्था के कारण उद्योग हठ आधार (sound footing) पर चलाये जायेंगे जिसमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी तथा देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग सम्भव होगा। इस अधिनियम द्वारा औद्योगिक विकास की अवाञ्छनीय प्रवृत्तियों को रोका जा सकेगा।

### सन् १९५६ की औद्योगिक नीति

३० अप्रैल, १९५६ को भारत सरकार ने नयी औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव अपनाया इस प्रस्ताव द्वारा सन् १९४८ की औद्योगिक नीति को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी। निम्नलिखित बातें (१९४८-१९५६) में कुछ महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हो गये थे जिनके कारण औद्योगिक नीति में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था। यह कारण निम्नलिखित थे :

(१) भारतीय सविधान—२६ जनवरी, १९५० से गणतन्त्र भारत का नया सविधान लागू किया गया। इस सविधान द्वारा नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की घोषणा की गयी तथा सरकारी नीति विषयक निर्देशक सिद्धान्तों (Directive Principles of Policy) का उल्लेख किया गया। इन निर्देशक सिद्धान्तों में इस सिद्धान्त का उल्लेख किया गया कि “मौलिक सधनों का स्वामित्व एवं नियन्त्रण अधिकतम सामाजिक समानता लाने के लिए हो तथा अर्थ-व्यवस्था का संचालन जन साधारण के हितों के विरुद्ध न हो और धन तथा उत्पादन के साधनों का सीमित क्षेत्र में केन्द्रीकरण न हो।” अतः सविधान की इन विशेषताओं के अनुरूप औद्योगिक नीति में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया।

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना—देश का आर्थिक विकास नियोजन द्वारा किया जा रहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी थी तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ कर दी गयी थी। यह योजना मूल रूप में उद्योग-प्रधान थी। प्रथम योजना के प्राप्त अनुभवों के आधार पर देश का तीव्र गति में औद्योगीकरण करने के लिए भी औद्योगिक नीति में परिवर्तन करना आवश्यक था।

(३) समाजवादी समाज—प्रथम औद्योगिक नीति का उद्देश्य मिश्रित अर्थ व्यवस्था की स्थापना करना था परन्तु दिसम्बर, १९५४ में मसद ने देश की आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना निश्चित किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना आवश्यक हो गया। अतः औद्योगिक नीति में परिवर्तन करना स्वाभाविक था।

सन् १९५६ की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ—सन् १९५६ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव का उद्देश्य इस म समाजवादी समाज की स्थापना करना है। इस औद्योगिक नीति की प्रस्तावना में कहा गया है “समाजवादी समाज को राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में अपनाया और योजना-बद्ध तथा तीव्र गति से विकास की आवश्यकता इस बात की माँग करने है कि आध्यात्मिक एवं सामरिक (strategic) उद्योग और सार्वजनिक हित (public utilities) सम्बन्धी सभी उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में हों। अन्य अनावश्यक उद्योग भी जिनमें इतनी अधिक मात्रा में विनियोग की आवश्यकता है, जिन वर्तमान परिस्थितियों में केवल राज्य ही पूर्ण कर सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र में होने की आवश्यकता है। अतः राज्य को अग्रिम विस्तृत क्षेत्र में उद्योगों के भावी विकास का प्रत्यक्ष दायित्व सम्हालना है। औद्योगिक नीति में निम्नलिखित उद्देश्यों का वर्णन किया गया -

- (१) आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना तथा औद्योगीकरण की गति को तीव्र करना,
- (२) बड़े उद्योग तथा मशीन निर्माण उद्योग का विवास करना,
- (३) सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना,
- (४) वृहत् तथा बड़ने हुए सहकारी क्षेत्र (Cooperative sector) को प्रोत्साहित करना,
- (५) निजी एकाधिकार तथा कुछ ही हस्तों में आर्थिक शक्ति को केन्द्रित होने से रोकना, और
- (६) आय और सम्पत्ति की असमानता को कम करना।



इस औद्योगिक नीति की अन्य मुख्य बातें निम्नलिखित थीं .

(१) उद्योगों का विभाजन—उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। श्रेणियों का विभाजन इस दृष्टि में किया गया जिसमें राज्य का महत्त्व निश्चित हो सके।

(क) अनुसूची 'अ'—इसमें वे उद्योग सम्मिलित किये गये जिनके विकास का दायित्व एकमात्र सरकार पर होगा। यह श्रेणी सन् १९४६ की औद्योगिक नीति की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों को मिला कर बनायी गयी। इस श्रेणी में तीन प्रकार के उद्योग सम्मिलित हैं—सार्वजनिक हित सम्बन्धी उद्योग, आधारभूत उद्योग तथा परिवहन एवं खनिज पदार्थ सम्बन्धी उद्योग। इस सूची में १७ उद्योग सम्मिलित किये गये हैं।<sup>१</sup> इन उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी सरकार की होगी परन्तु वर्तमान इकाइयों का विकास निजी क्षेत्र द्वारा किया जा सकता है। यदि राष्ट्रहित में आवश्यक समझा गया तो नयी इकाइयों की स्थापना में भी सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग ले सकती है परन्तु रेलवे तथा वायु परिवहन, अस्त्र-शस्त्र तथा जगुगति के विकास पर सरकार का एकाधिकार रहेगा। यदि निजी क्षेत्र का सहयोग लिया गया तो सरकार पूंजी में आधे से अधिक भाग (Majority Participation) लेगी या अन्य विधियाँ अपनावेगी जिसमें उद्योग का नीति-निर्धारण तथा नियंत्रण सरकार के हाथ में रहे।

(ख) अनुसूची 'ब'—इस अनुसूची में १२ उद्योग<sup>२</sup> सम्मिलित हैं जो धीरे-धीरे राज्य के अधीन होये तथा साधारणतया नयी इकाइयों की स्थापना सरकार द्वारा ही की जायेगी। निजी साहसों इन उद्योगों का विकास कर सकते हैं। इसके लिए वे उद्योगों की स्वतन्त्र रूप में स्थापना कर सकते हैं या राज्य के साथ सहयोग कर सकते हैं।

(ग) अन्य उद्योग—शेष सभी उद्योग तृतीय श्रेणी में रखे गये। इन उद्योगों का विकास पूर्णतया निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया। सरकार किसी भी समय इस श्रेणी से सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना कर सकती है। सरकार इस श्रेणी के उद्योगों को पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यो तथा प्राथमिकताओं के अनुसार विकास करने में आवश्यक महायत्ना देगी।

(२) कुटीर एवं लघु उद्योग—औद्योगिक नीति प्रस्ताव में पहले की भाँति ही कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्त्व को स्वीकार किया गया। इन उद्योगों द्वारा तुरन्त बड़ी मात्रा में रोजगार प्राप्त होना है, राष्ट्रीय आय का उचित विवरण होना है तथा ऐसे साधन उत्पादन में योग देने लगते हैं जो सम्भजन इन उद्योगों की अनुपस्थिति में प्रयुक्त नहीं होते। इन उद्योगों की सहायता के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों से उत्पादन पर कर लगाकर उनके उत्पादन को सीमित रखा जायेगा या प्रत्यक्ष सहायता दी जायेगी। इन बातों का ध्यान रखा जायेगा कि कुटीर तथा लघु उद्योग आ मतिर्भर हो तथा उनका विकास बड़े पैमाने के उद्योगों के एक अंग के रूप में हो। उनकी उत्पादन प्रक्रिया में मुधार किया जायेगा तथा उन्हें सस्ती दर पर बिजली प्रदान की जायेगी।

<sup>१</sup> अनुसूची 'अ' में निम्नलिखित उद्योग हैं—अस्त्र-शस्त्र, अणुशक्ति, लोहा व इस्पात, लोहे व इस्पात की भारी दुनाई व तैयारी, भारी मशीनें, भारी बिजली के यन्त्र, कोयला व लिग्नाइट, खनिज तेल, कच्चा लोहा, मैग्नीशियम क्रोम, जिप्सम, गन्धक, सोना व हीरो का खनन, ताँबा, सीसा, जस्ता, राँगा आदि की खानें खोदना व कच्चा मात्रा सुधारना, अणुशक्ति उत्पादन में सम्बन्धित खनिज, हवाई जहाज बनाना, हवाई यानायात, रेल यानायात, समुद्री जहाज बनाना, टेलीफोन एवं उनके तार, तार एवं बेतार का मापान (रेडियो रिमीटिंग सेट टोडकर) और बिजली का उत्पादन एवं विवरण।

<sup>२</sup> अनुसूची 'ब' के उद्योग इन प्रकार हैं—छोटे खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज पदार्थ, एल्यूमीनियम एवं अलाहू धातुएँ जो प्रथम सूची में नहीं हैं, मशीन-औजार, फेरोएलायड एवं टूल स्टील, रामायनिक उद्योगों की आधारभूत सामग्री पदार्थों, खाद, इन्जिन रबर, कोयले का वाष्पनाश्चिजन, रामायनिक घोल, सड़क यातायात एवं समुद्री यातायात।

इस क्षेत्र में औद्योगिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा औद्योगिक वस्तियों के द्वारा इन उद्योगों की अवस्था में सुधार किया जायेगा।

(३) क्षेत्रीय असमानता को दूर करना—देश के विभिन्न भागों में विकास सम्बन्धी असमानता को दूर किया जायेगा जिससे औद्योगीकरण का लाभ देश की पूरी अर्थ-व्यवस्था को प्राप्त हो। राष्ट्रीय नियोजन का एक उद्देश्य पिछड़े हुए क्षेत्रों में शक्ति के साधन तथा यातायात के साधनों का विकास करना होगा। प्रस्ताव में प्रत्येक क्षेत्र में औद्योगिक तथा कृषि अर्थ-व्यवस्थाओं के समन्वित विकास पर जोर दिया गया जिससे देश के प्रत्येक भाग की जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके।

(४) औद्योगिक शान्ति—प्रस्ताव के अनुसार उद्योग में लगे हुए सभी पक्षों को उचित प्रोत्साहन (incentive) दिया जायेगा। श्रमिकों की काम करने तथा रहने की दशाओं में सुधार किया जायेगा जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके। औद्योगिक उन्नति के लिए औद्योगिक शान्ति आवश्यक है, श्रम समाजवादी प्रजातन्त्र का साझेदार है अतः उसे विक्रम के कार्य में उत्साह से भाग लेना चाहिए। श्रम सन्धियों में सुधार तथा श्रमिकों एवं विशेषज्ञों को प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने की नीति का पालन किया जायेगा।

(५) प्राविधिकों तथा प्रबन्धकों का प्रशिक्षण—नयी औद्योगिक नीति में यह कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में तथा कुटीर उद्योगों के संचालन के लिए प्राविधिकों तथा प्रबन्धकों को उचित प्रशिक्षण दिया जायेगा। विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि की जायेगी।

(६) विदेशी पूंजी—विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में इस नीति में घोषणा नहीं की गयी अतः प्रधानमन्त्री ने अप्रैल १९४६ में इस सम्बन्ध में जो घोषणा की थी उसे ही अपनाया गया। इनमें स्पष्ट किया गया था कि सरकार विदेशी पूंजी व स्वदेशी पूंजी में कोई भेदभाव नहीं करेगी।

(७) निजी क्षेत्र का नियमन तथा सहायता—सरकार निजी क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता विशेषकर ऐसी औद्योगिक योजनाओं में दी जायेगी जिनमें बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी सहायता का स्वरूप या तो अथ पूंजी में भाग लेना होगा अथवा वह ऋणपत्रों के रूप में होगा। निजी क्षेत्र के उद्योगों को सरकार की आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के अनुसार निजी क्षेत्र के उद्योग नियन्त्रित होंगे। जहाँ तक सम्भव होगा, उद्योगों को पूरी स्वतन्त्रता दी जायेगी। यदि किसी उद्योग में सार्वजनिक तथा निजी दोनों पक्ष क्रियाशील हैं तो ऐसी अवस्था में दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त उद्योगों का तीन वर्गों में जो विभाजन किया गया है वह उन्हें एक दूसरे से पूणतया अलग नहीं करेगा। इन क्षेत्रों में पारस्परिक निर्भरता (sectoral interdependence) के सिद्धान्त का पालन किया जायेगा।

(८) सार्वजनिक उद्योगों की प्रबन्ध-व्यवस्था—प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के साथ ही साथ इस क्षेत्र के उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था का महत्त्व बढ़ गया है। प्रबन्धकों में शीघ्र निर्णय तथा उत्तरदायित्व सम्भालन की भावना का होना आवश्यक है। अतः अधिकारों का विवेचित रहना तथा सरकारी उद्योगों का व्यापारिक सिद्धान्तों के अनुसार चलाया जाना आवश्यक है। जहाँ तक सम्भव हो, सरकारी उद्योगों के संचालन तथा प्रबन्ध व्यवस्था में स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अन्त में यह आशा व्यक्त की गयी थी कि इस नयी औद्योगिक नीति का सभी वर्गों द्वारा स्वागत होगा तथा इसमें राष्ट्र का तीव्र गति से औद्योगीकरण करने में मदद मिलेगी।

## सन् १९४८ तथा १९५६ के प्रस्तावों की तुलना

औद्योगिक नीति विषयक इन दोनों प्रस्तावों में निम्नलिखित अन्तर दृष्टिगोचर होते हैं :

(१) सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार—सन् १९४८ के प्रस्ताव में उद्योगों को चार वर्गों में विभाजित किया गया था जबकि सन् १९५६ के प्रस्ताव में उन्हें तीन वर्गों में ही बांटा गया। नयी औद्योगिक नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र का काफी विस्तार कर दिया गया तथा सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की संख्या बढ़ा दी गयी। १९४८ की नीति के अनुसार केवल तीन उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार था और ६ उद्योग ऐसे थे जिनमें नयी इकाइयों की स्थापना सरकार ही कर सकती थी। इनके अतिरिक्त १८ उद्योगों का सरकार द्वारा नियन्त्रण तथा निरन्तर्य होना था। शेष उद्योग पूर्ववत् निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए गये थे। परन्तु सन् १९५६ की नीति के अनुसार किसी भी उद्योग की स्थापना सरकार द्वारा की जा सकती है तथा १७ आधारभूत उद्योगों का विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही किया जा सकता है।

(२) राष्ट्रीयकरण—सन् १९४८ की नीति में यह कहा गया था कि द्वितीय श्रेणी के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर १० वर्ष पर्यन्त पुनर्विचार होगा परन्तु सन् १९५६ की नीति में राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है बल्कि एक प्रकार का आश्वासन दिया गया कि प्रथम श्रेणी के सम्बन्धित निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा। इस प्रकार दुसरी औद्योगिक नीति में निजी उद्योगों को राज्य द्वारा लिए जाने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया।

(३) निजी क्षेत्र—एक प्रकार से निजी क्षेत्र का भी नयी नीति में विस्तार किया गया। तीनों श्रेणियों के अन्तर्गत बचे आ रहे निजी उद्योग का विकास सार्वजनिक उद्योगों के साथ-साथ होता रहेगा, परन्तु वह राज्य के नियन्त्रण में रहेंगे जिनमें हि अतिरिक्त की रखा हो सके।

(४) सरकारी क्षेत्र—सन् १९४८ की औद्योगिक नीति में सरकारी क्षेत्र पर जोर नहीं दिया गया था, जबकि १९५६ की नीति के अनुसार निजी क्षेत्र का विस्तार जहाँ तक सम्भव होगा, सरकारी रूप में करने की व्यवस्था की गयी है।

(५) सिविल विनायन—सन् १९४८ की नीति के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण बटोर दम से किया गया था परन्तु सन् १९५६ की नीति में उद्योगों का वर्गीकरण सिविल है। योजना तथा वेग की आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी उद्योग की स्थापना किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है।

## सन् १९५६ की नीति की समालोचना

सन् १९५६ की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने की हैं। इन नीति की विभिन्न श्रेणियों में निम्नलिखित आलोचनाएँ की गयी हैं :

(१) ऊपरी तौर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह नीति निजी क्षेत्र के प्रति अधिक उदार है परन्तु वस्तुतः इस नीति द्वारा निजी क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयत्न किया गया है। इस नीति में राष्ट्रीयकरण की धमकी परमेश रूप में निहित है। औद्योगिक नीति का यह वाक्य, "inherent right of the state to acquire any industrial undertaking would always remain" इस तथ्य की ओर पर्याप्त संकेत करता है।

(२) औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में लोच (flexibility) पर जोर दिया गया है परन्तु इसका प्रयोग 'सार्वजनिक क्षेत्र' के लिए किया जायगा क्योंकि सरकार किसी भी उद्योग को प्रारम्भ कर सकती है। इस प्रकार अनुसूची 'ब' के उद्योगों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का स्थान गौण रहेगा और तृतीय श्रेणी के उद्योगों में भी सरकार का दमन रहेगा।

(२) महकारी क्षेत्र व विस्तार की जो बात प्रस्ताव में कही गयी है वह भी ग्रामक है। वस्तुतः महकारी क्षेत्र सरकार के निदेशन पर ही कार्य करेगा और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों का स्थान सर्वेव गौण (Subsidiary) रहेगा। इस प्रकार भारत में महकारीता के नाम पर राजकीय पूंजीवाद (State Capitalism) को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(४) औद्योगिकरण व प्रश्न पर सरकार ने सिद्धांतों (ideology) का ही ध्यान रखा है, व्यापारिकता पर ध्यान नहीं दिया है। निजी क्षेत्र के महत्व में जो कमी थी गयी, वह अब ठीक होगी। प्रथम योजनाकाल में निजी क्षेत्र की महत्त्वता को देखते हुए उसे प्रमुख स्थान प्रदान करना चाहिए था।

(५) विदेशी पूंजी के विषय में प्रस्ताव में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यदि इसके सम्बन्ध में नीति स्पष्ट होगी तथा राष्ट्रीयकरण का क्षेत्र निश्चित कर दिया गया होगा तो विदेशी पूंजीपति निश्चिन्त होकर भारत में अग्रिम पूंजी विनियोजन कर सकते थे।

(६) विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री यूजिन ब्रैक ने कहा कि "यदि इस नीति का पालन टूटना से किया गया तो सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय एवं प्रशासनिक साधनों पर, जिन पर पहले से ही अग्रिम भार है और अनिश्चित भार पड़ेगा तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास की गति सीमित हो जायेगी।"

**सन् १९५६ की औद्योगिक नीति देश के लिए उत्तम है**

उपर्युक्त अलोचनाएँ बहुत कुछ एकपक्षीय हैं। वास्तव में, वर्तमान औद्योगिक नीति देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों में हो सकता है

(१) सरकारी तथा निजी क्षेत्रों का विकास—नयी औद्योगिक नीति में सरकार द्वारा बहुत बड़े बड़े तथा कुछ सावजनिक क्षेत्र के उद्योग क्षेत्र की घोषणा की गयी है। सरकार द्वारा रेल के डजन, दवाइया, खाद रसायन, तेल आदि भारी पूंजी वाले उद्योगों के अतिरिक्त कुछ उद्योगों का सामान उत्पन्न करने की इकाइयाँ (मीनेट, चीनी आदि) भी स्थापित की गयी हैं। इससे निजी साहस को निजी प्रकार कम करने का उद्देश्य नहीं है बल्कि उसके लिए यह अवसर है कि वह सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में अधिक कार्यक्षमता प्रदर्शित कर अपने योगदान का अधिकाधिक महत्व प्रमाणित करे।

योजनाकाल में भारत की सम्पूर्ण उत्पादक सम्पदा में शक्ति क्षेत्र का भाग १५ प्रतिशत से बढ़कर ३५% हो गया है। अनेक सफलताएँ होने पर भी सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से देश में इजीनियरिंग और रसायन, खाद तथा उत्पाद उद्योगों का विकास हुआ है।

(२) निजी उद्योगों पर नियन्त्रण—विकासशील देशों में प्रायः योजनावद्ध विकास करना होता है और इस कार्य के लिए एक ओर तो प्राथमिकताएँ निश्चित करना पड़ती हैं, दूसरी ओर सभी उद्योगों का विकास उचित दिशाओं में हो रहा है यह ध्यान रखना पड़ता है। इस दृष्टि में भारत में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर नियन्त्रण की जो व्यवस्था की गयी है वह उचित ही नहीं, आवश्यक भी है। इस कार्य व औचित्य का प्रमाण इस तथ्य में मिलता है कि गत वर्षों में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कई अनुसूचन एवं बन्द फ़ाटोरियों और मिलों का प्रथम सम्हालकर उन्हें धालू किया गया है। नये उद्योगों के लिए लाइसेंस तथा पूंजी विनियोग के लिए पूर्व अनुमति का उद्देश्य यही है कि देश में पहले वही उद्योग विकसित हो जिनकी अर्थव्यवस्था है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में पर्याप्त समुचित बना रहे। इन सभी दृष्टिकोणों से नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत सरकार द्वारा सब क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करना तथा नये-पुराने सभी उद्योगों के विकास का नियन्त्रण एवं नियन्त्रण करना सर्वथा न्यायसंगत है।

(३) एकाधिकार का नियन्त्रण—प्रो० जे० पी० ल्युइस ने अपनी पुस्तक *Quiet Crisis in India* में यह मन प्रकट किया है कि भारत में औद्योगिक एकाधिकार की प्रवृत्तियाँ बहुत प्रबल हैं। इन मन की पुष्टि राष्ट्रीय आय सकेन्द्रण समिति ने भी की है। इस दृष्टि में भारतीय औद्योगिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि औद्योगिक साम्राज्य (Industrial Empire) का अन्त हो सके। १९५६ का औद्योगिक नीति प्रस्ताव इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वास्तव में, आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस प्रस्ताव की भावना को यथावत् कार्यान्वित करने की दिशा में उचित कदम उठाये। सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए नये-नये उद्योगपतियों को लाइसेंस देने से औद्योगिक एकाधिकार का अन्त करने में सहायता मिल सकेगी। चीनी, सीमेण्ट तथा दियामलाई उद्योगों में इस एकाधिकार के अन्त के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। यह अत्यन्त सन्तोषजनक स्थिति है।

### आधुनिक प्रवृत्तियाँ (RECENT TRENDS)

गत वर्षों में निरन्तर यह अनुभव किया गया है कि भारत में उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रणाली दोषपूर्ण है और लाइसेंस व्यवस्था के कारण पक्षपात और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। डॉ० आर० के० हजारी की रिपोर्ट से विडला समितियों को अत्यधिक उदारतापूर्वक लाइसेंस देने के तथ्य प्रकाश में आये हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के लिए औद्योगिक नीति में कुछ उदारता लाने की आवश्यकता है। इन बातों को ध्यान में रख कर ही गत वर्षों में औद्योगिक नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं

(१) लाइसेंस की छूट—औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम के अन्तर्गत ४२ उद्योगों को बिना लाइसेंस लिए नयी इकाइयाँ स्थापित करने तथा पुरानी इकाइयों का विस्तार करने की छूट दी गयी है। इन उद्योगों में सीमेण्ट, लुग्दी, कागज, आचारी कागज आदि बनाने सम्बन्धी उद्योगों के अतिरिक्त वृषि से सम्बन्धित बहुत से आवश्यक उद्योग जैसे बिजली से चलने वाले पम्प, पानी छिड़कने के यन्त्र, मिश्रित रासायनिक खाद और मशीनी इजन बनाने के उद्योग तथा बाइसिक्ल और मिसाई की मशीन बनाने के उद्योग सम्मिलित हैं। इन उद्योगों को लाइसेंस से छूट देने का एक उद्देश्य देश के निर्यात में वृद्धि करना है।

(२) निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन—इन्वोनियरिंग उद्योगों में उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि में १९६५ में ही कुछ छूट दी गयी थी जिसे अक्टूबर १९६६ से अन्य कुछ उद्योगों के लिए भी दे दिया गया है। इस छूट के अन्तर्गत उन उद्योगों को जिनके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, जिनके लिए नयी मशीनें लगाना आवश्यक नहीं है और जिनमें प्राप्त नवीन उत्पादन कुल उत्पात के २५ प्रतिशत से अधिक नहीं है, उसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है।

जिन उद्योगों द्वारा विदेशी निर्यात के लिए माल निर्माण किया जाता है वह नवीन प्रणालियों का प्रयोग करने के लिए इन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

(३) उत्पादन वृद्धि—अक्टूबर १९६६ में यह घोषणा की गयी थी कि औद्योगिक कम्पनियों लाइसेंस लिये बिना कुछ शर्तों पर लाइसेंस में निर्धारित क्षमता से २५ प्रतिशत तक अधिक उत्पादन कर सकनी हैं। इस सुविधा का उद्देश्य वर्तमान औद्योगिक क्षमता का अधिकाधिक प्रयोग सम्भव बनाना है।

(४) कल-पुर्जों का आयात—जून १९६६ में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन करने के पश्चात् भारत सरकार ने ५९ उद्योगों की एक सूची प्रकाशित की जिन्हे आवश्यकता पटने पर मशीनों के हिस्से, कच्चा माल तथा फालतू पुर्जों के आयात लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जा रही है। इस सुविधा से जिन औद्योगिक इकाइयों को मशीनों के पुर्जे नहीं होने से उत्पादन कम या बन्द कर देना पड़ा था उन्हें उत्पादन वृद्धि में सहायता मिलने लगी है। इससे दूसरा लाभ यह हुआ है कि

इन उद्योगों को अपने पास विदेशी कल-पुर्जों का बहुत स्टॉक नहीं रखना पड़ेगा अतः उनकी पूंजी व्यर्थ पड़ी नहीं रह सकेगी ।

(५) औपचारिक नियन्त्रण में ढील—भारत सरकार ने उद्योगों को उत्पादन वृद्धि में प्रोत्साहन देने के लिए ससय-मनमय पर मूल्य नियन्त्रण तथा वितरण में ढील दी है। गत वर्षों में सीमेण्ट, वस्त्र तथा शक्कर उद्योगों को इस प्रकार की सुविधाएँ दी गयी हैं ।

(६) नयी लाइसेंस नीति—फरवरी १९७० में सरकार द्वारा नयी लाइसेंस नीति अपनायी गयी तथा जून १९७० में एकाधिकार एवं प्रतिबन्धित व्यापार पद्धति अधिनियम लागू हो गया । इन दोषों का उद्देश्य देश में आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण को रोकना है ।

नयी लाइसेंस नीति के मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं

(१) एक करोड़ रुपये तक के विनियोगों के लिये नये उद्योग स्थापित करने और पुराने उद्योगों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है ।

(२) एक करोड़ रुपये से ५ करोड़ रुपये तक के विनियोग करने के लिए नये साहसियों को उदारतापूर्वक लाइसेंस दिये जायेंगे ।

(३) देश के लिए विशेष महत्व के उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस दिये जायेंगे तथा इनमें ५ करोड़ रुपये से अधिक रकम विनियोग होने पर पुराने उद्योगपतियों को भी लाइसेंस दिये जा सकते हैं ।

(४) समुक्त क्षेत्र—सरकार ने एक समुक्त क्षेत्र की स्थापना का निश्चय किया है जिसमें सरकार तथा निजी पूंजीपति साझे उद्योगों की स्थापना कर सकेंगे । भारी उद्योगों—जिनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है—में इस प्रकार की साझेदारी को प्रोत्साहन दिया जायगा ।

इस नीति का मुख्य उद्देश्य नये साहस को प्रोत्साहित करना है किन्तु इनका यह अर्थ कदापि नहीं है कि पुराने अनुभवी उद्योगपतियों को लाइसेंस दिये ही नहीं जायेंगे । वास्तविक स्थिति यह है कि देश के आर्थिक हितों का भी लाइसेंस देते समय या लाइसेंस की मनाही करते समय ध्यान रखा जायगा ।

### प्रश्न

- १ “भारत में स्वतन्त्रता प्राप्त व बाद सरकारी नीति और राष्ट्रीय पयास का मुख्य उद्देश्य वेगशील तथा सन्तुलित आर्थिक उत्पत्ति का रहा है।” भारत की पञ्चवर्षीय योजनाओं के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए ।  
(सागर, बी० ए०, १९६०)
- २ सन् १९४८ में भारत सरकार की औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए । क्या इससे विदेशी पूंजी के विनियोग में कमी आती है ?  
(आगरा, बी० ए०, १९६१)
- ३ स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भारत सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए क्या नीति अपनायी है तथा उसका उद्योगों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है ?  
(आगरा, बी० कॉम०, १९६१ (पूरक), १९६२)
- ४ भारत सरकार की औद्योगिक नीति के मुख्य लक्षण बताइए तथा वर्तमान भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व का उल्लेख कीजिए ।  
(आगरा, बी० ए०, १९६२ (पूरक) )
- ५ भारत की १९५६ में घोषित औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिए । क्या आप इस नीति में कुछ परिवर्तन के पक्षपाती हैं ?  
(पटना, बी० ए०, १९६२)
- ६ स्वतन्त्रता प्राप्त के समय से भारत की औद्योगिक नीति क्या रही है ? विवेचनापूर्वक लिखिए ।  
(पटना, बी० ए०, १९५७)
- ७ युद्धोत्तरकाल में भारत की औद्योगिक नीति के विकास पर प्रकाश डालिए ।  
(नागपुर, बी० कॉम० १९६४)
- ८ भारत सरकार की औद्योगिक नीति की समीक्षा कीजिए । भारतीय अर्थ-व्यवस्था में मन्दी के समय में, औद्योगिक नीति में सुधार के लिए अपने सुझाव दीजिए ।  
(राजस्थान, बी० कॉम० (अतिम वर्ष), १९६८)
- ९ भारतीय औद्योगिक नीति की आधुनिक प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए ।

## भारत की राजकोषीय नीति तथा उद्योगों को संरक्षण

(INDIA'S FISCAL POLICY & PROTECTION  
TO INDUSTRIES)

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उचित औद्योगिक नीति का अपनाया जाना आवश्यक है। औद्योगीकरण को गति प्रदान करने के लिए उचित राजकोषीय नीति की आवश्यकता पड़ती है। अतः इस अध्याय में भारत की राजकोषीय नीति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

भारत की आर्थिक नीतियाँ ब्रिटेन की आर्थिक नीतियाँ से प्रभावित रही हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार नीति का अनुमर्ण किया। अतः भारत में राजकोषीय नीति की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में कुछ मात्रा में आयात व निर्यात-कर लगाया गया था परन्तु लकाशावर के मिल मानिकों के विरोध के कारण इसे हटाना पड़ा। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में केवल चावल पर नाममात्र का निर्यात-कर था। सन् १८६४ में सूती माल पर ५% तथा लोहा व इस्पात के आयात पर १% कर लगाया गया। परन्तु इसमें भारतीय उद्योगों को कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उद्योगों पर उत्पादन कर लगा हुआ था। सन् १९०७ में लार्ड कर्जन के समय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना की गयी और प्रशुल्क नीति संचालन का कार्य इस विभाग को सौंपा गया।

प्रथम महायुद्ध तक ब्रिटिश सरकार की नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ परन्तु युद्धकाल तथा युद्धोत्तरकाल में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिनके कारण मुक्त व्यापार की नीति में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया तथा सरकार को किसी न किसी रूप में संरक्षण की नीति अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

संरक्षण नीति अपनाने के कारण

(१) प्रथम महायुद्ध काल में ब्रिटेन ने मकेना ड्यूटी (Mckenna Duties) लगायी। इस प्रकार मुक्त व्यापार की नीति को आंशिक रूप में छोड़ दिया गया। युद्ध के समय में भारत सरकार ने भी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात-कर में वृद्धि की परन्तु उत्पादन कर में वृद्धि नहीं की। इसमें भारतीय उद्योगों को कुछ अर्थों में प्रोत्साहन मिला।

(२) युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने यह अनुभव किया कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत शक्ति भारत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सहायक सिद्ध होगा। अतः सरकार ने औद्योगीकरण में सहायता देने की नीति अपनायी।

(३) सन् १९१६ के औद्योगिक आयोग ने यह सुझाव दिया था कि भारत सरकार को उद्योगों के विकास में सक्रिय भाग लेना चाहिए तथा भारत के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए उसे अपनी कर नीति निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए।

(४) भारत में प्रथम महायुद्ध के पश्चात् स्वदेशी आन्दोलन ने जोर पकड़ा, मुक्त व्यापार नीति की कटु आलोचना की गयी और भारतीयों ने भी उन देशों का अनुकरण करना चाहा जिनकी औद्योगिक प्रगति संरक्षण नीति के कारण हुई थी।

उपर्युक्त कारणों से भारत में वर पद्धति की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में सतत में विचार किया जाने लगा। सन् १९१७ में इंग्लैण्ड की संसद ने यह स्वीकार किया कि भारत को राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ ही साथ वर नीति की स्वतन्त्रता भी मिलनी चाहिए। सन् १९१९ के Fiscal Autonomy Convention में यह निर्णय हुआ कि भारत के आर्थिक मामलों में भारत सदैव हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार प्रथम बार भारत ने आर्थिक स्वतन्त्रता की ओर कदम बढ़ाया। वस्तुतः यह घटना भारतीय प्रशुल्क नीति की आधारशिला थी।

फरवरी १९२१ में भारतीय विधायिका सभा ने प्रशुल्क नीति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया तथा प्रशुल्क नीति पर विचार करने के लिए एक प्रशुल्क आयोग (Fiscal Commission) नियुक्त किया।

प्रशुल्क आयोग, १९२१—इस प्रशुल्क आयोग के अध्यक्ष सर इब्राहीम रहमतुल्ला थे। इस आयोग की निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में सुझाव देने का अधिकार दिया गया—

(१) सभी हितों को ध्यान में रखते हुए तट-कर नीति (Tariff Policy) के सम्बन्ध में सुझाव देना।

(२) साम्राज्य अधिमान (Imperial Preference) के औचित्य पर विचार करना तथा इस सम्बन्ध में अपने सुझाव देना।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन् १९२२ में प्रस्तुत की। आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि भारत में औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है, अतः औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को संरक्षण देना आवश्यक है। आयोग ने विवेचनात्मक संरक्षण (Discriminating Protection) की नीति अपनाए का सुझाव दिया। इस नीति का अभिप्राय यह था कि संरक्षण देने के उद्देश्य से उद्योगों के चुनाव में सतर्कता रखी जाय अर्थात् संरक्षण सभी उद्योगों को न दिया जाय बल्कि केवल उन उद्योगों को दिया जाय जो कुछ शर्तों की पूर्ति करने हों। आयोग ने संरक्षण प्रदान करने के लिए तीन शर्तें निश्चिन की जिसे त्रिमुखी सूत्र (Triple Formula) कहते हैं। इसकी शर्तें निम्नलिखित थीं—

(अ) नैसर्गिक लाभ—उद्योग ऐसा हो जिसे प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हों जैसे—कच्चे माल का प्रचुर मात्रा में पाया जाना, शक्ति का सस्ता साधन, धूम की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि तथा विस्तृत घरेलू बाजार। इन सुविधाओं का सापेक्षिक महत्त्व उचित जाँच द्वारा निर्धारित किया जाय तथा ऐसे उद्योगों को संरक्षण न दिया जाय जो स्वामी रूप से समाज के लिए भार बन जायें।

(ब) संरक्षण की अनिवार्यता—उद्योग ऐसा हो जो बिना संरक्षण के या तो बिल्कुल उन्नति न कर पा रहा हो अथवा उसके विकास की गति बहुत मन्द हो परन्तु उस उद्योग का विकास राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो।

(स) अस्थायी संरक्षण—उद्योग ऐसा हो जो दीर्घकाल में बिना संरक्षण के भी अन्तरराष्ट्रीय स्पर्धा का सामना कर सके। इसका अर्थ यह था कि संरक्षण हमेशा के लिए न देकर अस्थायी रूप से दिया जाय।

इस त्रिमुखी सिद्धान्त के अतिरिक्त तट-कर आयोग ने कुछ अन्य बातों पर भी जोर दिया जो निम्नलिखित हैं—

(१) संरक्षण देते समय उन उद्योगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिनका उत्पादन व्यय कम हो सकता हो अथवा जो बड़े पैमाने पर उत्पादन कर देश की सम्पूर्ण माँग की पूर्ति निश्चित समय में कर सकने हों।



(२) व्यापारभूत उद्योगों तथा सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों को अवश्य संरक्षण मिलना चाहिए।

(३) जिन उद्योगों को विदेशी माल की राजिपानन (dumping) का सामना करना पड़ना हो उन्हें भी संरक्षण मिलना चाहिए।

(४) बच्चा माल तथा मशीनों का आयात-रर मुक्त होना चाहिए। ऐम अर्द्ध निर्मित माल पर कम दर से कर लगाना चाहिए।

(५) एक प्रचुरक मण्डल (Tariff Board) का गठन होना चाहिए जो संरक्षण के लिए शर्तीय उद्योगों को आवश्यक जाँच कर संरक्षण क सम्बन्ध म सरकार से आवश्यक मलाहू दे मने।

(६) साम्राज्य अग्रिमान (Imperial Preference) के सम्बन्ध में आयोग ने शर्नरहित साम्राज्य अग्रिमान की विचाररज की जिसक अनुसार ब्रिटेन को भारत द्वारा नट-रर में छूट रदने में जिना छूट की आशा म दी जाय। साम्राज्य क अन्य देगों का य मुविघार्ण परस्पर आग्रर (reciprocal basis) पर से जाय।

विवेचनात्मक संरक्षण नीति की सफनताएँ—आयोग के मुझार्वों के अनुसार फरवरी १९२३ में तटकर बोर्ड की स्थापना क विषय म धारामभा न प्रन्नाव पाम क्रिया जिमर परिणामस्वरूप जुलाई १९२३ म प्रथम तट कर बांड की स्थापना हुई। इनकी स्थापना अस्थायी रूप में केवल एक वर्ष के लिए की गयी थी जिन्नु बांड का जीवनकाल एर एक वर्ष बढ़ा दिया गया। यद्यपि विवेचनात्मक संरक्षण की नीति बहुत लाभदायक नहीं थी फिर भी विदेशी मरकार द्वारा हम नीति को अपनाया जाना एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन नीति की सफनताका का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है

(१) औद्योगिक विकास—दस बोड न भारतीय उद्योगों का संरक्षण प्रदान करन की समस्या पर विचार किया तथा वृष्ट महत्वपूर्ण उद्योगों का संरक्षण प्रदान करन का मुलाव दिया गया। रोहा तथा दम्पान उद्योग का मन् १९२८ म संरक्षण प्रदान किया गया। इमी प्रकार कागज उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग तथा कृत्रिम रेशम उद्योग को क्रमश १९०५, १९०६, १९३० और १९३४ में संरक्षण दिया गया। य उद्योग भागन के प्रमुख उद्योगों में से थे। इनके अनिश्चित दिया-सलाई उद्योग, भारी रासायनिक उद्योग तथा मुनरर तारों के उद्योग को भी संरक्षण प्राप्त हुआ।

बोर्ड न कोयला, सीमण्ट, चाँच तथा लून उद्योग के प्रार्यना पत्रों पर विचार किया जिन्नु इन उद्योगों का संरक्षण नहीं दिया गया। संरक्षण की हम सीमित नीति म भी भारतीय उद्योगों को पर्याप्त प्रो-माहन मिला और इनके उत्पादन म वृद्धि हुई, जैम—कागज तथा दियासलाई के उत्पादन म क्रमश १८% व ३८% की वृद्धि हुई। मन् १९३८ तक लोहा उद्योग के उत्पादन में आठ गुनी वृद्धि हुई। इमी प्रकार सूती वस्त्रा क उत्पादन में द्वाद्वी गुनी वृद्धि तथा चीनी के उत्पादन में पाँच गुनी वृद्धि हुई।

उद्योगों की अवस्था में मुझार के माय संरक्षण हुआ दिया गया। जैम, लोहा-दम्पान उद्योग पर मन् १९४७ में संरक्षण हटा दिया गया। इमी प्रकार सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग तथा कृत्रिम रेशम उद्योग पर से भी क्रमश १९८३, १९४०, १९४७ तथा १९५८ में संरक्षण उठा लिया गया।

(२) मन्दी का कम प्रभाव—इम प्रकार विवेचनात्मक संरक्षण की नीति के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विकास मन् १९०६ की विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी के होने हुए भी हुआ। मन्दीकाल में भी उत्पादन में वृद्धि होना विवेचनात्मक संरक्षण नीति की सफनता का पर्याप्त प्रमाण है।

(३) नये उद्योगों की स्थापना—विवेचनात्मक संरक्षण की नीति के कारण भारत में कुछ नये उद्योगों की भी स्थापना हुई। इन नये उद्योगों में तार व कीन उद्योग प्रमुख हैं। प्रमुख

उद्योगों की प्रगति के कारण कुछ सहायक उद्योगों का भी विकास हुआ। जैसे लोहा उद्योग के विकास के कारण कृषि औजार, इन्जीनियरिंग तथा टिन-प्लेट उद्योगों का विकास हुआ।

(४) कच्चे माल का उत्पादन—सूती कपड़े तथा चीनी उद्योग का संरक्षण प्राप्त होने के कारण गन्ना तथा कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई। इन दोनों वस्तुओं की किस्म (quality) में भी सुधार हुआ।

इस प्रकार विवेचनात्मक संरक्षण की नीति के कारण भारतीय उद्योगों की पर्याप्त प्रगति हुई। यह नीति १९३२ से १९३९ तक साधारण परिवर्तनों के साथ चलती रही। कुछ अर्थ-शास्त्रियों ने विवेचनात्मक संरक्षण की नीति की बहुत आलोचना की है।

विवेचनात्मक संरक्षण नीति की आलोचना—इस नीति की मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :

(१) त्रिसूत्रीय फार्मूला—संरक्षण देने की शर्तें बहुत ही बड़ी थीं। प्रथम दो शर्तों में विरोधाभास था। यदि किसी उद्योग को प्रथम शर्त के अनुसार सब प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त हो तो ऐसे उद्योगों को संरक्षण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दूसरी शर्त यह थी कि उद्योग ऐसा हो, जो बिना संरक्षण के नहीं पनप सकता हो। यह शर्त उसी उद्योग पर लागू हो सकती है जिसे प्राकृतिक सुविधाएँ प्राप्त न हो। वस्तुतः ऐसा उद्योग मिलना कठिन है जो एक साथ इन दोनों शर्तों की पूर्ति करता हो। तीसरी शर्त के अनुसार यह घोषणा करनी पड़ती थी कि वह भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी करना सर्वथा कठिन था।

आर्थिक दृष्टि से विच्छेद हुए किसी भी देश में यह सर्वथा सम्भव है कि उद्योग प्राकृतिक सुविधाएँ होते हुए भी अन्य कठिनाइयों के कारण अपने आप विकसित न हो सकता हो। अतः संरक्षण मिलने पर ही प्राकृतिक सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तीसरी शर्त इस दृष्टि से उपयुक्त थी कि स्थायी संरक्षण उद्योग को अकुशल बना देता है तथा संरक्षण का भार सभाजकों को उठाना पड़ता है। अस्थायी संरक्षण उद्योग के संचालन में सावधानी लाता है तथा उद्योग पैरों पर खड़ा होने का प्रयत्न करता है।

(२) नये उद्योग—विवेचनात्मक संरक्षण की नीति चालू उद्योगों पर ही लागू की गयी। ऐसे उद्योग जो स्थापित होने वाले थे उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिला। वस्तुतः भारत जैसे विच्छेद हुए देश में नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था।

(३) शर्तों का अक्षरशः पालन—संरक्षण की शर्तों के पालन में अनुदारता बरती गयी। उनका अक्षरशः पालन करने के कारण कुछ उद्योगों को संरक्षण नहीं प्राप्त हो सका। जैसे, कच्चे माल की कमी बनाकर काँच उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया गया। इसी प्रकार माँग पर विचार करते समय प्रत्येक उद्योग के घरेलू बाजार पर ही ध्यान दिया गया, निर्यात की सम्भावनाओं पर विचार नहीं किया गया।

(४) दोषपूर्ण दृष्टिकोण—संरक्षण देने में आयोग का दृष्टिकोण अत्यन्त सकुचित रहा। केवल आयात कर लगाने पर ही बल दिया गया। संरक्षण के अन्य रूप जैसे आर्थिक सहायता आदि पर कम ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त संरक्षण की नीति का उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास करना नहीं प्रत्युत विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से रक्षा करना रहा है। संरक्षण प्राप्त उद्योगों की जाँच की उचित व्यवस्था भी नहीं की गयी जिससे कई महत्त्वपूर्ण उद्योगों को संरक्षण के लाभ से वंचित रह जाना पड़ा।

(५) ब्रिटिश हितों को लाभ—साम्राज्य अधिमान के अंतर्गत ब्रिटिश हितों को अधिक लाभ हुआ तथा भारत को हानि हुई क्योंकि भारत को बदले में कम रिवायतें प्राप्त हुईं। इस प्रकार ब्रिटिश हितों की रक्षा के कारण भारत को संरक्षण से अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

(६) प्रयुक्त बोर्ड—भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए एक प्रयुक्त बोर्ड बनाया

गया किन्तु उसका रूप अस्थायी रखा गया। बोर्ड के अधिकार भी सीमित ही रखे गये। संरक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र उद्योग विभाग को दिये जाते थे, उद्योग विभाग प्रमुख बोर्ड की राय लिए बिना ही उसे अस्वीकृत कर सकता था। आवश्यकता होने पर संरक्षण सम्बन्धी विचार करने तथा विस्तृत जाँच के लिए एक अस्थायी प्रमुख मण्डल नियुक्त किया जाता था। प्रमुख मण्डल की राय मानना भी सरकार ने लिए आवश्यक नहीं था।

इन कमियों के होने हुए भी विवेचनात्मक संरक्षण द्वारा देश के औद्योगिक विकास में कुछ सहायता अवश्य मिली। यह नीति द्वितीय महायुद्ध तक चलती रही। युद्ध-काल में आयात नियन्त्रण के कारण संरक्षण की आवश्यकता नहीं रही किन्तु जिन उद्योगों को संरक्षण दिया गया था वह जारी रखा गया।

**अन्तरिम तट-कर बोर्ड, १९४५ (Interim Tariff Board, 1945)**—मार्च १९४० में सरकार ने पुनर्घोषणा की कि जो उद्योग दृढ़ व्यापारिक नीति का पालन करेंगे उन्हें संरक्षण प्रदान किया जायेगा। युद्धोत्तरकाल में औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया गया और २१ अप्रैल १९४५ को सरकार ने संरक्षण नीति की पुनर्घोषणा की तथा ३ नवम्बर, १९४५ को दो वर्षों के लिए अन्तरिम तट-कर बोर्ड (Interim Tariff Board) की नियुक्ति की गयी। इसे तदर्थ तट-कर बोर्ड भी कहते हैं। इस बोर्ड ने संरक्षण सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार किया तथा इसके सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्रस्तुत किये :

(१) संरक्षण ऐसे उद्योगों को ही दिया जाय जो पहले से स्थापित हो चुके हों तथा जो दृढ़ व्यापारिक आधार पर संचालित हैं।

(२) उद्योग ऐसा हो जो साधन, आर्थिक लाभ व लागत की दृष्टि से उचित समय में उन्नति कर सके तथा जिन उचित समय के पश्चात् राजकीय संरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

(३) संरक्षण प्रदान करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तथा वह संरक्षण समाज के लिए अहितकर न हो।

इन जर्नों की पूर्ति होने पर ही बोर्ड संरक्षण की प्रकृति, मात्रा तथा अवधि का निर्धारण करेगा। इस बोर्ड के दो वर्षों के कार्यकाल में ४६ उद्योगों ने संरक्षण की माँग की, जिनमें से ४२ को संरक्षण दिया गया। इनमें से ४ उद्योग—मृत्ती बन्ध उद्योग, इस्पात, कागज तथा चीनी—पुराने उद्योग थे तथा शेष ३८ महायुद्ध के समय के नये उद्योग थे। अन्तरिम तट-कर बोर्ड सुविधाओं के अभाव में उचित रूप से कार्य नहीं कर सका।

**टैरिफ बोर्ड का पुनर्संघटन**—देश के विभाजन के पश्चात् नवम्बर १९४७ में उपर्युक्त टैरिफ बोर्ड का पुनर्संघटन किया गया। इसका कार्यकाल ३ वर्षों का रखा गया। अन्तरिम तट कर बोर्ड के अधिकारों के अनिश्चित इसे दो अधिकार जोर दिये गये—(अ) सरकार को आवश्यकता पड़ने पर यह बताना कि आयात की गयी वस्तुओं की अपेक्षा संरक्षण प्राप्त वस्तुओं की लागत क्यों तथा किस समय से बढ़ रही है? (ब) आवश्यकता पड़ने पर लागत-व्यय को कम करने के लिए आवश्यक सुझाव देना। इस प्रकार बोर्ड को उद्योगों की प्रगति तथा उत्पादन स्थिति पर निगरानी रखने का अधिकार दिया गया। इस बोर्ड ने बहुत से उद्योगों की जाँच की तथा कुछ उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया। इस अवधि में जिन उद्योगों को संरक्षण दिया गया उनमें एल्यूमिनियम, एण्टीमनी, कामेटिक सोडा, न्यूचिंग पाउडर, सोडा ऐश, माइक्रिल, मिनाई की मशीन, बनोराइड आदि प्रमुख हैं। बोर्ड ने मूनी कपड़ा व सूत, इस्पात, कागज तथा चीनी उद्योग पर से संरक्षण हटाने का सुझाव दिया जिसके फलस्वरूप इन उद्योगों पर से संरक्षण हटा लिया गया।

### नयी प्रमुख नीति

**प्रमुख भाषण, १९४६**—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की आर्थिक नीतियों में परि-

वर्तन किया गया क्योंकि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare state) की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नियोजित आर्थिक विकास (Planned Economic Development) की नीति अपनायी गयी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अप्रैल १९४८ में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी जिसे द्वारा 'राज्य द्वारा उद्योगों पर नियन्त्रण' मिद्धान्त अपनाया गया। औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में प्रमुख नीति के विषय में यह घोषणा की गयी कि सरकार अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा को रोकेंगी तथा उपभोक्ताओं पर अनुचित भार टाले बिना आर्थिक साधनों का उपयोग करेगी। इन बदली हुई परिस्थितियों में देश की प्रमुख नीति को आर्थिक उत्पत्ति में सम्बन्धित करना आवश्यक समझा गया। अतः अप्रैल, १९४९ में एक प्रमुख आयोग (Fiscal Commission) की नियुक्ति की गयी जिसको बदली हुई परिस्थितियों का ध्यान रखकर सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। श्री बी० टी० कृष्णमाचारी इस आयोग के अध्यक्ष थे।

इस आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य निर्दिष्ट किये गये .

(१) सन् १९२२ से वर्तमान समय तक की सरक्षण नीति की जाँच करना,

(२) निम्नलिखित के सम्बन्ध में सुझाव देना -

(अ) सरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की भावी नीति तथा सरक्षित उद्योगों के माध्यम से व्यवहार व उनके कर्तव्यों का निर्धारण,

(ब) नीति को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था,

(स) इस नीति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाली अन्य बातें,

(३) देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह सलाह देना कि अन्तर-राष्ट्रीय तट-कर व व्यापार के सामान्य मिद्धान्तों या अन्तरराष्ट्रीय तट कर व व्यापार सभ्यता के चार्टर के अनुसार कार्य करना कहीं तक उचित होगा। कमिशन को समस्या के अन्तर्गत व दीर्घकालीन पक्षों पर विचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी गयी।

इस आयोग ने देश की औद्योगिक स्थिति का गहराई से अध्ययन किया तथा तट-कर सम्बन्धी सभी समस्याओं पर विचार कर भविष्य के लिए तट-कर नीति की योजना प्रस्तुत की। आयोग की रिपोर्ट जून १९५० में प्रस्तुत की गयी।

प्रमुख आयोग ने अपने कार्य क्षेत्र तथा आधारभूत उद्देश्यों का वर्णन करते हुए यह विचार व्यक्त किया कि हमें निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए <sup>१</sup>

(१) बेकारी तथा अर्द्ध बेरोजगारी से बचना और उत्पादन व माँग में वृद्धि करना।

(२) देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग करना।

(३) राष्ट्र की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना तथा थमिकों की अवस्था सुधारना।

(४) श्रम तथा पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग पर विकसन करना तथा उद्योगों के लिए पर्याप्त कच्चा माल पैदा करना।

(५) निजी अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग व छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना करना।

(६) तीव्र गति से औद्योगीकरण करना तथा इसके लिए निश्चित अर्थ-व्यवस्था की नीति अपनाना।

उद्योगों का वर्गीकरण—सरक्षण के लिए आयोग ने उद्योगों को तीन वर्गों में विभाजित किया तथा इनके सम्बन्ध में सरक्षण नीति का उल्लेख किया

(१) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग—इस श्रेणी में केवल अस्त्र-शस्त्र निर्माण सम्बन्धी उद्योग ही

नहीं बल्कि उनसे सम्बन्धित अन्य उद्योग भी सम्मिलित होंगे, जैसे—वायुयान निर्माण, वायरलेस तथा केबिल उद्योग आदि। इस वर्ग के उद्योगों को राष्ट्रीय महत्त्व का ध्यान रखते हुए संरक्षण दिया जायेगा।

(२) आधारभूत तथा मूल उद्योग—इस श्रेणी में वे उद्योग होंगे जिन पर देश के अन्य उद्योग निर्भर हैं जैसे—यानायात मज्जा निर्माण सम्बन्धी उद्योग, जलयान रेल के डिब्बे, इजन इत्यादि। इस श्रेणी के उद्योगों को भी संरक्षण दिया जायेगा। संरक्षण की प्रकृति, मात्रा तथा शर्तों का निश्चय प्रशुल्क बोर्ड करेगा। संरक्षण के परचात् इन उद्योगों की प्रगति की जाँच भी प्रशुल्क बोर्ड द्वारा की जायेगी।

(३) अन्य उद्योग—शेष सभी उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। इनके सम्बन्ध में आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि योजना में प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों तथा आधारभूत उद्योगों के सहायक या पूरक उद्योगों को संरक्षण मिलना चाहिए। इनके अतिरिक्त इस श्रेणी के अन्य उद्योगों को संरक्षण देने के लिए दो मुख्य बातों पर विचार करना होगा। प्रथम, वास्तविक व सम्भाव्य लागत का जिसमें उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। द्वितीय ऐसे उद्योगों को संरक्षण देने से समाज पर अधिक भार नहीं पड़ना चाहिए।

संरक्षण की शर्तें—आयोग ने संरक्षण के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण गुणाव दिये जैसे

(१) संरक्षण देने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उद्योग से सम्बन्धित बच्चा माल देश में ही उपलब्ध हो, यदि उद्योग को अन्य आर्थिक लाभ जैसे—आन्तरिक बाजार तथा थम की प्राप्ति हो तो संरक्षण दिया जा सकता है।

(२) संरक्षित उद्योगों से माघारणतया यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि उनके द्वारा देश को सम्पूर्ण माँग की पूर्ति होगी।

(३) संरक्षण देने समय भावी निर्यात की सम्भावनाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

(४) जो उद्योग संरक्षित उद्योगों के माल का उपयोग बच्चे माल के रूप में कर रहे हैं उन्हें भी संरक्षण मिलना चाहिए परन्तु ऐम उद्योगों को संरक्षण देने समय बच्चे माल की प्रकृति, बच्चे माल की माँग तथा समाज पर पड़ने वाले भार का ध्यान रखना चाहिए।

(५) नये उद्योगों को जिनमें अधिक पूँजी तथा श्रमिकों की आवश्यकता है, संरक्षण मिलना चाहिए। वस्तुन स्थापना से पूर्व ही ऐसे उद्योगों को संरक्षण का आश्वासन दे देना चाहिए।

(६) यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो सीमित मात्रा में वृषि पदार्थों को भी संरक्षण देना चाहिए, इस क्षेत्र में संरक्षण की अवधि ५ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(७) संरक्षित उद्योगों पर सामान्यतः उत्पादन कर नहीं लगाना चाहिए परन्तु सरकारी आय में वृद्धि करने के लिए उत्पादन-कर लगाया जा सकता है।

संरक्षित उद्योगों के कर्तव्य—आयोग द्वारा संरक्षित उद्योगों के कर्तव्यों व दायित्वों का भी उल्लेख किया गया। इन दायित्वों का उद्देश्य संरक्षित उद्योगों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना है। संरक्षित उद्योगों के कर्तव्य इस प्रकार हैं।

- (१) इन उद्योगों में नवीनतम मशीनों तथा उत्पादन प्रणालियों का प्रयोग होना चाहिए।
- (२) उद्योग के उत्पादन का पैमाना निरन्तर बढ़ने रहना चाहिए।
- (३) उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु निश्चित किये गये प्रमाणों के अनुसार होनी चाहिए।
- (४) जहाँ तक सम्भव हो, स्थानीय बच्चे माल का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (५) संरक्षित उद्योगों द्वारा शोध कार्य व प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (६) संरक्षित उद्योगों का समाज के हितों में प्रतिबन्धन कार्य नहीं करना चाहिए।

यह दायित्व संरक्षण के लिए अनिवार्य न होकर मार्ग दर्शक के रूप में ही निर्धारित किये गये थे।

**स्थायी प्रशुल्क आयोग**—आयोग ने एक स्थायी प्रशुल्क आयोग की स्थापना का भी सुझाव दिया था जो अर्द्ध-न्यायिक (Quasi Judicial) आधार पर कार्य करेगा। इस आयोग को अनिवार्य रूप से बचान लेने का विशेष अधिकार होगा। प्रशुल्क आयोग को संरक्षण के मामले में स्पष्ट तथा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आयोग का मुख्य कार्य संरक्षण के लिए जांच करना, संरक्षण का देश की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव तथा संरक्षण करने की जांच करना, मूल्यों की जांच करना तथा विभिन्न मन्त्रालयों में समन्वय स्थापित करने के लिए सुझाव देना होगा।

**अन्य सुझाव**—उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त प्रशुल्क आयोग ने अन्य विषयों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे

(१) संरक्षण करों से प्राप्त आय में से कुछ धनराशि पृथक करके एक विकास कोष (Development Fund) स्थापित किया जाना चाहिए। इस धनराशि में से कुछ उद्योगों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है।

(२) संरक्षण प्राप्त उद्योगों की उन्नति पर ध्यान देने के लिए एक सत्यापनायिका स्थापित की जाए।

(३) आयोग ने उद्योगों के विकास के लिए पूंजी संप्रदाय विधियों, औद्योगिक प्रवर्धन तथा प्रवर्धन के लिए योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने, औद्योगिक अनुसन्धान, श्रम समस्या तथा यंत्रणा व अधिकोपण के सम्बन्ध में भी महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये।

इस प्रकार प्रशुल्क आयोग ने देश के समस्त एक नवीन तट-वर नीति प्रस्तुत की। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशुल्क-वर उद्योगों की उन्नति का एकमात्र साधन नहीं है। देश की औद्योगिक प्रगति सरकार की आर्थिक नीति, व्यापार नीति तथा औद्योगिक नीति पर निर्भर है। वास्तव में, औद्योगिक विकास रचनात्मक उपायों द्वारा ही किया जा सकता है और इसी दृष्टि से आयोग ने संरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में लागू की जाने वाली शर्तों को बहुत कम कर दिया। इसी के परिणामस्वरूप सरभिन उद्योगों की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है। भारत सरकार की वर्तमान प्रशुल्क नीति इस आयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों पर ही आधारित है।

**प्रशुल्क आयोग, १९५२**—प्रशुल्क आयोग ने एक स्थायी तट-वर आयोग नियुक्त करने का सुझाव दिया था। इसके फलस्वरूप, १२ मितम्बर, १९५१ को भारतीय संसद द्वारा प्रशुल्क आयोग अधिनियम (Tariff Commission Act) पारित हुआ। एक्ट के अनुसार २१ जनवरी, १९५२ को एक स्थायी आयोग की नियुक्ति की गयी जिसका नाम प्रशुल्क आयोग (Tariff Commission) रखा गया। अधिनियम के अनुसार इसके सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या ३ से ५ हो सकती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सदस्यों की नियुक्ति सर्वप्रथम तीन वर्षों के लिए करने की व्यवस्था की गयी किन्तु उनका कार्यकाल तीन तीन वर्षों के लिए पुनः बढ़ाया जा सकता है। आयोग में हटने के उपरान्त केन्द्रीय सरकार को आज्ञा बिना कोई सदस्य किसी भी निजी क्षेत्र के उद्योग में नौकरी नहीं कर सकता। सरकार को किसी भी उद्योग की जांच कराने का कार्य आयोग को सौंपने तथा उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट माँगने का अधिकार है।

**आयोग के कार्य**—(१) उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। आयोग नवीन उद्योगों के प्राथमता-पत्रों पर विचार कर सकता है।

(२) आयोग स्वतः किसी उद्योग के लिए संरक्षण सम्बन्धी जांच कर सकता है तथा सरकार का सुझाव दे सकता है।

(३) आयोग सरक्षण की आवश्यकता तथा मात्रा पर सरकार को मुझाव दे सकता है।

(४) यह सरक्षणाल्मक बरों में परिवर्तन की सलाह दे सकता है।

(५) विदेशों से अनुचित स्रर्द्धा तथा राशिपातन (dumping) की रोकने के लिए सरकार द्वारा उचित कार्यवाही करने का मुझाव दे सकता है।

(६) यह सरक्षण प्राप्त उद्योगों पर लगायी गयी शर्तों, विशेषतया निम्न वाता की जाँच करता है

(क) उद्योग अपना उत्तरदायित्व बर्तों तक और किस प्रकार निभा रहा है ?

(ख) इन शर्तों को पूरा करने में क्या कठिनाइयाँ हैं,

(ग) विशेष शर्तों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं।

(७) आयोग इन बातों की जाँच कर सकता है कि किनी उद्योगों को दिया गया सरक्षण निम्न बातों पर किम प्रकार से प्रभाव डाल रहा है

(क) उत्पादन-लागत पर,

(ख) वस्तु के गुण पर,

(ग) उत्पादन की मात्रा पर,

(घ) उद्योग की मात्रा उन्नति पर,

(ङ) उद्योग की प्रतिस्पर्द्धा की अवस्था तथा उसमें सम्बन्धित बातों पर,

(च) अन्य कारण जिससे उद्योग का प्रभाव देश की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है।

इस आयोग को बानूनी व असलती कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रशुल्क आयोग एक स्थायी मस्या है जो सरक्षण एवं तत्सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करती है। विशेषज्ञों द्वारा सरक्षण के सम्बन्ध में जाँच करायी जाती है। सरक्षण की अवधि के विषय में भी आयोग मुझाव देना है। यह अवधि तीन वर्षों में अधिक भी हो सकती है।

स्थापना के पश्चात् आयोग ने बहूत से उद्योगों की जाँच की है तथा कतिपय नये-पुराने उद्योगों को सरक्षण प्रदान किया है।

सरक्षण नीति की समीक्षा एवं वर्तमान स्थिति—भारत की सरक्षण नीति के कारण बहूत से उद्योगों को लाभ पहुँचा। यद्यपि विवेचनात्मक सरक्षण की नीति अत्यन्त सीमित थी फिर भी इससे लोहा, मूनो वस्त्र तथा चीनी उद्योग आदि काफी लाभान्वित हुए। वर्तमान समय में प्रशुल्क आयोग उचित ढंग से कार्य कर रहा है। द्वितीय योजनाकाव से विदेशों विनिमय का सकट देश के सामने बराबर बना हुआ है अत आयातों को सीमित रखने का निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है। आयातों की कमी के कारण कुछ उद्योगों को ज़रूरत रूप से स्वतः सरक्षण प्राप्त हो गया है अतः सरक्षण के लिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों की संख्या में बमी हुई है।

प्रशुल्क कमिशन उद्योगों को सरक्षण कम समय के लिए ही देता है (अधिकांश उद्योगों को २ वर्षों से १२ वर्षों तक का सरक्षण मिला है) अतः पुराने मामलों की जाँच में ही अधिक समय लगता है।

सरक्षण समाप्ति—तट-कर आयोग की सिफारिश के अनुसार सूती वस्त्र सम्बन्धी मशीनों, रिग्टन जोड कर तैयार करने, ए० सी० एम० आर० (एल्युमीनियम कण्डक्टर स्टील रीडफोर्म्ड), एल्युमीनियम कण्डक्टर तथा एण्टीमनी तथा रेशम उद्योगों को सरक्षण प्राप्त था। १९६६-६७ में तट-कर आयोग ने इनकी जाँच कर पहले चार उद्योगों के लिए सरक्षण समाप्त करने का मुझाव दिया है। सरकार ने इस मुझाव को मान लिया है और रेशम को छोड़कर शेष उद्योग १ जनवरी, १९६७ से सरक्षण मुक्त हो गये हैं। रेशम उद्योग को ३१ दिसम्बर, १९७४ तक सरक्षण मिलता रहेगा।

सूत तथा सूती वस्त्र—तट कर आयोग को यह कहा गया कि वह सूत तथा सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर अपना मत प्रकट करे .

- (१) सूत तथा वस्त्र की एवम मिल बीमन,
- (२) इन दोनों वस्तुओं का विद्यमान मूल्य,
- (३) सागत में निरन्तर होने वाले परिवर्तनों के आधार पर समय-समय पर मूल्यों में परिवर्तन ।

वस्त्र उद्योग द्वारा अनेक किम्बो का वस्त्र निर्मित किया जाता है अतः आयोग ने कुछ मामाण्य सूत्रों के आधार पर सूत और वस्त्र का मूल्य निर्धारित करने का सुझाव दिया । सरकार ने इन सूत्रों के आधार पर नियन्त्रित वस्तुओं जैसे घोंनिपाँ, साडिमाँ, लट्टा तथा कमीज और जीन के कपड़े के मूल्य निर्दिष्ट कर दिये हैं ।

भारतीय प्रणुलक आयोग अब एक स्थायी आयोग है जो सरकार को समय-समय पर विभिन्न उद्योगों की संरक्षण देने तथा मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी सुझाव देता रहता है । यह स्पष्टि भारत सरकार की इस नीति की परिचायक है कि देश में औद्योगिक विकास का ढाँचा तट नींव पर खड़ा किया जाना चाहिए ताकि यह देश की अर्थ-व्यवस्था के भव्य भवन के लिए विश्वमनीय स्तम्भ का काम कर सके ।

#### प्रश्न

- १ विवेचनात्मक संरक्षण नीति से सम्बन्धित त्रिसूत्र (फार्मुला) से आप क्या समझते हैं ? भारत में इस सूत्र के प्रयोग का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है ? (भागलपुर, बी० ए०, १९६१)
- २ भारतीय तट-कर आयोग (१९४९-५०) ने संरक्षण सम्बन्धी जो विचार प्रकट किये उन पर टिप्पणी लिखिए । (नागपुर, बी० कॉम० (द्वितीय वर्ष), १९६४)
- ३ भारत सरकार की वर्तमान टैरिफ नीति की रचना का वर्णन कीजिए । यह भेदमूलक संरक्षण नीति से किस प्रकार भिन्न है ? (राज०, बी० कॉम० (अन्तिम वर्ष), १९६७)
- ४ तट-कर नीति का अर्थ तथा आवश्यकता समझाइए । १९५१ से भारतीय तट-कर नीति के प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश डालिए । (इलाहाबाद, बी० कॉम० (प्रथम वर्ष), १९६१)



## कुटीर एवं लघुस्तरीय उद्योग

(COTTAGE AND SMALL-SCALE INDUSTRIES)

भारत का अतीत औद्योगिक दृष्टि से गौरवपूर्ण था। जब सत्तार अर्द्धमध्य अवस्था में था उस समय वाणिज्य एवं उद्योग में भारत उन्नति के शिखर पर आरूढ़ था। हमारे प्राचीन सामाजिक जीवन में कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प प्रधान तत्त्व थे। सूती वस्त्र, बहुमूल्य धातु, जहाज निर्माण, जवाहरान का काम, नक्काशी आदि के लिए भारत विश्व-विद्वान था। स्वर्गीय रानाडे के अनुसार, 'ईसा में २०० वर्ष पूर्व की मिस्र देश की ममियाँ ब्रिटेन की भारतीय मलमल में निरटी हुई पायी गयी हैं।' ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के पश्चात् भारत की औद्योगिक व्यवस्था धीरे-धीरे नष्ट होन लगी। अंग्रेजों की स्वायत्तपूर्ण नीति इन उद्योगों के लिए घातक सिद्ध हुई। अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक कुछ उद्योग साँस लेते रहे तथा उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक उनका गौरवपूर्णतया नष्ट हो गया। फिर भी हमारे प्राचीन उद्योगों के अवशेष किसी न किसी रूप में अब भी वर्तमान हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय अर्थ-व्यवस्था में उनके महत्त्व को स्वीकार किया गया तथा उन्हें नवजीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया गया।

### प्राचीन कुटीर एवं लघु उद्योगों के पतन के कारण

भारतीय कुटीर उद्योग-धन्धों के पतन के निम्नलिखित कारण थे :

(१) देशी राजाओं तथा नवाबों का अन्त—प्राचीन उद्योगों को राजाओं तथा नवाबों का संरक्षण प्राप्त होता था। वे कलापूर्ण वस्तुओं के शौकीन थे। कुशल कारीगरों को उनके यहाँ आश्रय प्राप्त होता था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी व्यापार करने के उद्देश्य से आयी थी, परन्तु कुछ समय पश्चात् उसका उद्देश्य राज्य की स्थापना करना हो गया। कम्पनी द्वारा धीरे-धीरे राजाओं तथा नवाबों का अन्त किया जाने लगा जिससे इन उद्योगों को संरक्षण मिलना समाप्त हो गया। कारीगरों के लिए जीविकोपार्जन करना कठिन हो गया। अतः उन्होंने अपनी परम्परागत कला को छोड़ दिया। इस प्रकार कुटीर उद्योग-धन्धों का पतन होने लगा।

(२) ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा ब्रिटिश सत्तार की नीति—अपने निर्यात व्यापार को बनाये रखने के लिए आरम्भ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उद्योगों को आर्थिक सहायता आदि दी परन्तु इससे इंग्लैण्ड के उद्योगों को धाति उठानी पड़ी अतः स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने समद द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी को इस बान के लिए बाध्य कर दिया कि वह भारत में केवल ऐसी वस्तुओं तथा कच्चे माल का निर्यात करे जिनमें इंग्लैण्ड के उद्योगों को सहायता मिल सके, फलतः भारतीय माल पर ऊँची दर से टटकर लगाये गये। मन् १७०० में १८२४ तक इंग्लैण्ड में भारतीय छींटों का उपयोग करना गैर-कानूनी था। इन्तर भारत में विदेशी माल के आयात को प्रोत्साहन दिया गया। यह नीति भारतीय उद्योगों के लिए घातक सिद्ध हुई तथा वे नष्ट होने लगे।

अर्थशास्त्र -  
सूची योजना - उद्देश्य

उद्योग

जोत की आदि बतानी के  
Industrial Policy  
Foreign Capital  
Social Sec  
योजनागत

२.५%

Social Sec  
गैर-कानूनी

(३) मशीनों द्वारा निर्मित विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा—इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप में बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा सस्ती वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा। आर० सी० दत्त के अनुसार, “यूरोप में स्वचालित करघे के आविष्कार ने भारतीय उद्योगों के हार में पूर्णाहुति दे दी।” भारतीय उद्योगों का विदेशी उद्योगों में स्पर्धा करना सम्भव नहीं था क्योंकि विदेशी उद्योग वैज्ञानिक मशीन, बड़े पैमाने के उत्पादन एवं अन्य साधनों से पूर्ण थे। वन इंग्लैण्ड से सस्ती वस्तुएँ अधिक मात्रा में भारत आने लगीं जिनकी स्पर्धा में भारतीय उद्योग टिक नहीं सके।

(४) यातायात के आधुनिक साधनों का विकास—१८वीं शताब्दी में यातायात के तीव्रगामी साधनों का आविष्कार हुआ। स्वेज़ नहर के बन जाने से इंग्लैण्ड के माल पर यातायात व्यय बहुत कम लगने लगा। भारत में भी अंग्रेजों ने यातायात के साधनों का विकास किया। इसमें इंग्लैण्ड का माल भारत के कोने-कोने में भेजना सम्भव हो गया। देश के अन्दर विदेशी माल की खपत में वृद्धि हुई तथा भारतीय माल की माँग कम होने लगी। यातायात के आधुनिक साधनों के कारण विदेशी माल के लिए बड़ी हुई माँग की पूर्ति करना सम्भव हो सका। अतः भारतीय उद्योगों के पतन में यातायात के आधुनिकतम साधनों ने भी योग दिया।

(५) विदेशी शिक्षा एवं सभ्यता का प्रभाव—भारतीय शिक्षित समाज भी अपने शमरी के मापदण्डों तथा उनके जीवनयापन से प्रभावित हुआ। अंग्रेजों ने राज्य-स्थापना के साथ ही साथ अपनी शिक्षा प्रणाली एवं सभ्यता का प्रचार किया। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की रुचि और स्वभाव में परिवर्तन हुआ। उन्होंने भारतीय वस्तुओं का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझा और विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने में वे गौरव अनुभव करने लगे। इस प्रकार भारतीय वस्तुओं की माँग घटने लगी तथा उनसे सम्बन्धित उद्योगों का पतन प्रारम्भ हो गया।

(६) भारतीय कारीगरों से दुर्व्यवहार—अंग्रेज उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय कारीगरों पर प्रतिबन्ध एवं नियन्त्रण रखा गया। अच्छी क्वालिटी वस्तुओं के निर्माण की हर प्रकार से बन्द करने का प्रयत्न किया गया। हर प्रकार से भारतीय उद्योगों को इंग्लैण्ड के उद्योगों पर आविष्ट करने की नीति अपनायी गयी। रमेश दत्त के अनुसार, कम्पनी द्वारा भारतीय कारीगरों को ठेके पर अत्यधिक काम दिया जाता था और उन्में पूरा न करने पर उनके अँगूठे बटवा दिये जाते थे ताकि वह रेशम लपेटने और बुनने का काम करने योग्य न रह जायं।

(७) भारतीय कारीगरों में दूरदर्शिता की कमी—भारतीय कारीगर परम्परावादी थे। उन्हें किसी प्रकार का औद्योगिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। बदली हुई परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने पुराने ढंग को नहीं छोड़ा। यदि वे बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपनी उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन करते तो प्राचीन भारतीय उद्योगों की दुर्दशा नहीं होती।

कुटीर तथा लघु उद्योगों की परिभाषा तथा दोनों में अन्तर—कुटीर तथा लघु उद्योगों की निश्चिन्त परिभाषा नहीं दी जा सकती। कुछ अर्थशास्त्रियों तथा आयोगों ने इनके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनके आधार पर इनके विषय में कुछ मत प्रकट किया जा सकता है। उत्पादन का पैमाना तथा विनियोग आदि को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—(१) बड़े पैमाने के उद्योग (२) लघु उद्योग, तथा (३) कुटीर उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग वे हैं जिनमें अधिक मात्रा में पूँजी लगाकर तथा उत्पादन की आधुनिकतम प्रणालियों का प्रयोग कर बड़ी मात्रा में वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ऐसे उद्योगों का संचालन बड़े पैमाने पर किया जाता है जिसमें उत्पादन के साधनों के श्रेष्ठतम उपयोग का लाभ उठाया जाता है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के बीच में आते हैं। कुटीर तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के अन्तर की सरलता से समझा जा सकता है परन्तु कुटीर तथा लघु उद्योग

का अन्तर जानना अपेक्षाकृत कठिन है। किन्तु भी दोनों के अन्तर को जानने के लिए विभिन्न माप-दण्ड बताये गये हैं। राजस्व आयोग (१९४६-४७) ने इनको परिभाषा निम्न प्रकार दी है :

**हुटोर उद्योग**—“हुटोर उद्योग वह है जो पूर्ण रूप से परिवार के सदस्यों की सहभागिता में पूर्णकालीन अथवा अर्धकालीन व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है।”<sup>1</sup>

**लघु उद्योग**—लघु उद्योग वह है जो मुख्यतः इन से पचान तक श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है। लेकिन जो श्रमिक के घर में नहीं चलाया जाता। इनमें के लक्ष्य इकाइयाँ व सम्पत्ति सम्मिलित किये जाते हैं जिनमें १ लाख रुपये से कम पूँजी लगी होती है।<sup>2</sup>

दत्तमान समय में श्रमिकों की लम्बा सम्बन्धी शर्तें पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब औद्योगिक इकाई में लगी पूँजी को आकार माना जाता है। १ मार्च, १९६७ में इन उद्योगों को लघु उद्योगों की श्रेणी में ले लिया गया है जिनके महीने जाति में निम्नोद्योग ७५ लाख रुपये में अधिक न हो। इनके पूर्व यह सीमा १ लाख रुपये थी।

सोवियत आयोग के अनुसार हुटोर उद्योगों का सम्बन्ध प्रधानतः सामाजिक क्षेत्रों में है। ये हुटोर व्यवसाय के पूरक के रूप में परिवार के सदस्यों द्वारा ही चलाये जाते हैं तथा इनमें अधिकांश कार्य हीय से किये जाते हैं। उन हुटोर उद्योग छोटे वे हैं जो परिवार के सदस्यों की सहभागिता में चलाये जाते हैं जबकि लघु उद्योगों में मजदूरी पर भी ध्यान रखा जाते हैं।

### भारतीय अर्थ-व्यवस्था में हुटोर एवं लघु उद्योगों का महत्त्व

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में हुटोर एवं लघु उद्योगों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मद्रास काँग्रेस के शब्दों में, “भारत का कल्याण इनके हुटोर उद्योगों से विहित है।” भारत ही नहीं किन्तु विश्व के अन्य दक्षिणीय देशों में भी ऐसे उद्योग-प्रकारों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जर्मनी में १२.६ प्रतिशत जनसंख्या हाथ से चलाये गये जाने वाले उद्योगों द्वारा जीविकोपार्जन करती है। फ्रांस में २६ प्रतिशत ऐसे औद्योगिक सम्पत्ति है, जिनमें १०० से कम श्रमिक काम करते हैं। दक्षिण में जैसे उद्योग-प्रधान गृह में भी आधे ऐसे औद्योगिक सम्पत्ति है जो लघु-स्तर पर चलाये जाते हैं तथा जिनमें ५० से कम श्रमिक काम करते हैं। जपान में औद्योगिक जनसंख्या का १३ प्रतिशत भाग ऐसे लघु उद्योगों में जीविका कमाता है जिनमें १ से कम श्रमिक काम करते हैं। अमेरिका में भी लघु उद्योगों का महत्त्वपूर्ण स्थान है।<sup>3</sup>

भारत में औद्योगिक जनसंख्या का ६०% भाग हुटोर एवं लघु उद्योगों में लगा हुआ है। लघु उद्योगों में केवल हथकरघा उद्योग में ही १० लाख श्रमिक काम करते हैं जबकि दत्त श्रमिक कल्प मनी सम्मिलित उद्योगों में निर्याकर होते हैं। राष्ट्रीय बाप में भी इन उद्योगों का अग्रदान सुदृढ एवं बड़े स्तर के उद्योगों का दुगुना है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था में इन उद्योगों के महत्त्व का अद्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :

(१) पूर्ण रोजगार की दृष्टि में—भारत में बेरोजगारी एवं अर्ध-बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। प्रथम योजना के अन्त में सरकारों अनुमान के अनुसार १३ लाख व्यक्ति बेरोजगार थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या २० लाख थी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा आर्थिक विकास अपेक्षाकृत द्रुत गति में होने के कारण बेरोजगारी की समस्या गम्भीरतर होती जा रही है। इस समस्या के कारण जापिक अस्तित्व, राजनीतिक अस्थिरता तथा सामाजिक पतन की आशंका है। बेरोजगारी एक सामाजिक कलह है, जिसका नैतिक प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है।

<sup>1</sup> Report of the Fiscal Commission, 1949-50, p. 104.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> -In U. S. A., it has been estimated that small business makes up 52.5% of the U. S. business establishments, employ 47% of the country's workers and handles 34% of the volume of business.”  
—In *an Fiscal Commission Report (1949-50)*, p. 101.

भारत एक कृषि-प्रधान देश है जहाँ की ७०% जनसंख्या आजीविका तथा रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। यहाँ कृषि कार्य पूरे वर्ष भर नहीं चलता। अनुमान लगाया गया है कि भारतीय कृषक के पास वर्ष में ६ माह तक कोई कार्य नहीं रहता इसलिए वह बेकार बैठा रहता है। देश में पूँजी तथा औद्योगीकरण की अवस्था को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या का एकमात्र हल यही है कि प्रामाण्य क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विनाश किया जाय तथा लघु उद्योगों की स्थापना की जाय।

(२) आर्थिक समानता की दृष्टि से—विनाश उद्योगों द्वारा सम्पत्ति एवं आय का अधिकांश भाग उद्योगपतियों तथा पूँजीपतियों के पास चला जाता है। इस कारण आर्थिक असमानता में वृद्धि होती जा रही है। सम्पत्ति तथा आय का कुछ ही हाथों में सकेन्द्रण हो रहा है। धनी वर्ग दिन प्रतिदिन धनी तथा निर्धन वर्ग दिन प्रतिदिन निर्धन होता चला जा रहा है। मजदूरों को मजदूरी नाममात्र को मिलती है तथा उनका आर्थिक शोषण होता है। यह आर्थिक असमानता तथा शोषण राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक दृष्टियों से हानिकारक है। कुटीर उद्योग में प्रत्येक श्रमिक में स्वामित्व एवं स्वतन्त्रता की भावना पायी जाती है तथा उसे अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। उद्योगों के विकास द्वारा अधिक लोगों में धन का उचित वितरण होगा जिससे आय तथा सम्पत्ति की असमानता दूर हो सकेगी।

(३) सन्तुलित विकास की दृष्टि से—भारत के सभी भागों का सन्तुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। कुछ राज्यों में बड़े बड़े उद्योगों का केन्द्रीयकरण हुआ है तथा ऐसे राज्य समृद्ध हैं। इसके विपरीत, आर्थिक दृष्टि से कुछ राज्य वृष्ट पिछड़े हुए हैं। बड़े पैमाने के उद्योग सामान्यतया बड़े शहरों में ही केन्द्रित हैं। देश के कुछ भागों का ही विकास करने से वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती, अतः पिछड़े हुए भागों का आर्थिक विकास करना अत्यावश्यक है। इस दृष्टि से कुटीर एवं लघु उद्योग अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। डॉ० स्वामिप्रसाद मुखर्जी के शब्दों में "भारत गाँवों का देश है, अतः सरकार को सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करना चाहिए।"<sup>1</sup>

(४) उचित औद्योगिक सम्बन्धों के लिए—औद्योगिक अशांति (Industrial unrest) की समस्या प्रायः प्रत्येक देश में पायी जाती है। बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा श्रमिकों का शोषण होने तथा पूँजीपतियों का श्रमिकों से निकट सम्बन्ध न होने के कारण श्रम तथा पूँजी का संघर्ष होता है। परिणामस्वरूप, हड़ताल व तालाबन्दी होती है। कुटीर एवं लघु उद्योगों में व्यक्तिगत सम्पर्क होने के कारण शान्ति का वातावरण बना रहता है। श्रमिकों को स्वतन्त्रता होती है तथा मानिक और सेवक की भावना का लोप हो जाना है। पारस्परिक स्पर्धा अवश्य होती है परन्तु यह प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होती है। अतः इन उद्योगों में वर्ग संघर्ष नहीं होता और औद्योगिक शान्ति से देश के आर्थिक विकास में मदद मिलती है।

(५) वस्तुओं के गुण तथा कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन की दृष्टि से—मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं में एकदमता अवश्य पायी जाती है परन्तु उत्पादिन वस्तु में हम कला एवं व्यक्तित्व के दर्शन नहीं कर सकते। इनके विपरीत कुटीर उद्योगों में कलापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन होता है। कारीगर अपना कला का प्रदर्शन कर सकते हैं तथा स्थानीय उपभोक्ताओं की रचि के अनुसार वे अपने उत्पादन में आवश्यक परिवर्तन करते रहते हैं।

(६) सुरक्षा, पुद्ग तथा शान्ति की दृष्टि से—सुरक्षा की दृष्टि से भी कुटीर उद्योग अधिक उपयुक्त है। कुटीर तथा लघु उद्योग विकेंद्रित होते हैं। यदि देश के एक भाग पर आक्रमण हो तो अपेक्षाकृत कम जन एवं धन की हानि होगी। इससे विपरीत, बड़े पैमाने के उद्योग बड़े शहरों में

<sup>1</sup> Proceeding of the Conference on Industrial Development in India, December 1947

केन्द्रित होने हैं। अतः अन्तु द्वारा गोनावारी आदि में अधिक धनि पहुँचायी जा सकती है। आज अन्तु एव उद्भजन वम के युग में बड़े-बड़े शहर समूल नष्ट किये जा सकन हैं। शान्ति की दृष्टि से भी लघु उद्योगों का महत्व है। ममार के दोना महायुद्ध आधिक कारणों में छिडे थे। कुटीर एव लघु उद्योग ने हम अहिमस ममाज की ओर अप्रमर होत हैं अतः इनके माध्यम में दीर्घकालीन तथा स्थायी शान्ति स्थापित की जा सकती है।

(७) कृषि पर जनमदया का भार—भारतीय कृषि में आवश्यकता से अधिक जनमदया नियोजित है। इसमें कृषि पर जनमदया का भार अधिक हो गया है। कृषि के अनिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोजगार की कमी व कारण कृषि-काय म अधिक व्यक्तियों को लगना पडता है। यदि देश में कुटीर उद्योग घन्घा की वृद्धि की जाय तथा लघु उद्योगों की स्थापना की जाय तो कुछ जनमदया जो कृषि में लगी हुई है, इन उद्योगों में लग जायगी। इसमें कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा कृषकों की आय में वृद्धि होगी।

(८) मानवीय मूल्य की दृष्टि से—नैतिक एव सामाजिक दृष्टि में भी कुटीर एव लघु उद्योगों का महत्व है। बडे पैमाने में उद्योगों में श्रमिक मजदूरों के पुर्जों की शान्ति काम करता है तथा कना एव कागरी का महत्व नष्ट हो जाता है। बडे-बडे शौद्यागिक कन्द्रों पर वातावरण विपात होता है जिनमें श्रमिका का सामाजिक तथा नैतिक स्तर गिरता है। उमक विनरीत, लघु उद्योगों में वातावरण बिनकुल भिन्न होता है। इसमें 'सादा जीवन उच्च विचार' की भावना का मृजन होता है। सरलता इन उद्योगों की आधारभिता है। मरनता का श्रम एक उच्च जीवन-दर्शन तथा विशिष्ट प्रकार के विचार म है।<sup>1</sup> इसमें मानव व्यक्तित्व का विकास होता है। बडे पैमाने के उद्योग उच्च जीवन-स्तर प्रदान करते हैं परन्तु कुटीर एव लघु उद्योग उच्च जीवन-दर्शन की ओर अप्रमर करते हैं।

यह सत्य है कि बडे पैमाने के उद्योगों में उत्पादन लागत कम पडती है तथा उपभोक्ताओं को मन्तों दर पर वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। परन्तु ये उद्योग मानव जीवन को मस्ता बना देत हैं।<sup>2</sup> मानवीय मूल्य की दृष्टि से कुटीर एव लघु उद्योग बडे पैमाने के उद्योगों से श्रेष्ठतर हैं। अतः यह स्पष्ट है कि भारत की वर्तमान परिस्थितिया—मन्त्रंस्थापन बेरोजगारी तथा अर्द्ध-बेरोजगारी, पूंजी की कमी, वैज्ञानिक एव प्रावित्रिक शिक्षा की पिछडी अवस्था तथा देश की कृषि-प्रधानता—में कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास करना उपयुक्त ही नहीं अपितु आवश्यक है।

### कुटीर तथा लघु उद्योगों की समस्याएँ

भारत सरकार न कुटीर तथा लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया है। यह निर्विवाद है कि भारत की आर्थिक अवस्था उन्ही उद्योगों के पतन के कारण अल्प-अल्प हुई है। अतः इन उद्योगों के विकास के लिए हर सम्भव प्रयत्न आवश्यक है। सरकार न इनके विकास के लिए काफी तत्परता दिखायी है। फिर भी इन उद्योगों की मन्तोपजनक उन्नति नहीं हो पायी है क्योंकि इनके सम्मुख अनेक समस्याएँ हैं जिनमें में मुख्य निम्नलिखित हैं

(१) वित्त की समस्या—वित्त मन्त्रगरी कठिनार्द इन उद्योगों की वाम्तविक समस्या है। भारत का एक साधारण कारीगर इतना निर्धन है कि वह आवश्यक औजार व कच्चा माल अपने निजी माधनों द्वारा खरीदने में असमर्थ है। कारीगरों को ऋण देने की भी समुचित व्यवस्था नहीं

1 • Simplicity does not imply squalor, shabbiness and poverty, it denotes a particular mode of thought and an attitude towards life "

—S N Agarwal, quoted in *Principles and Problems of Industrial Organisation*, Ghosh and Omprakash, p 604.

2 • Cloth is dear which saves a few annas to the buyer, while it cheapens the lives of the men women and children who live in Bombay Chawls "

—Gardhiji

हो पायी है। बैंकों द्वारा उन्हे ऋण उपलब्ध नहीं होता तथा सहकारी समितियों का कारीगरों में वित्तिय प्रचार नहीं हो पाया है। बाध्य होकर उन्हे देशी माहूवार तथा महाजनो की शरण लेनी पडती है जो हर प्रकार से उनका शोषण करते हैं। यही स्थिति लघु उद्योगो की है। पूँजी के अभाव में मशीनों आदि नहीं खरीदी जाती तथा उत्पादन कार्य जैसे-तैसे चलाया जाता है। इन उद्योगों के पास मिश्रित पूँजी कम्पनियों की भाँति साधन सपह नहीं हो पाते क्योंकि इन उद्योगो के अश जनता नहीं खरीदती।

(२) कच्चे माल की समस्या—कच्चे माल के लिए इन उद्योगो को कई प्रकार की कठिनाइयो का सामना करना पडता है। आवश्यक आधिज साधनो की कमी के कारण ये उद्योग बडे उद्योगो के सम्मुख टिक नहीं पाते। कम मात्रा में बार-बार कच्चा माल खरीदने के कारण इन्हें ऊँची दर पर मूल्य चुकाना पडता है। इन उद्योगो को कच्चे माल की पूर्ति में प्राथमिकता नहीं दी जाती अत जो मान प्राप्त होता है वह निम्नकोटि का होता है। कारीगरों में किसी प्रकार का संगठन न होने से उनकी सामूहिक क्रय-शक्ति भी कमजोर होती है। बहुत से कारीगर तो पूँजी के अभाव के कारण मिलता हुआ कच्चा माल भी नहीं खरीद पाते।

(३) उत्पादन प्रणाली—कुटीर उद्योगो में लगे कारीगर आज भी परम्परा से चली आ रही विधियों के अनुसार उत्पादन करते हैं। उनके औजार पुराने हैं तथा वैज्ञानिक विज्ञान का उनकी उत्पादन विधियों पर प्रभाव नहीं पडा है। फलस्वरूप वे कम मात्रा में तथा निम्न श्रेणी का उत्पादन कर पाते हैं। कारखानों द्वारा निर्मित वस्तुओ के सामने इन उद्योगो की वस्तुएँ नहीं टिक पाती। कारीगर की ऐसी अवस्था नहीं है कि वह वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा उत्पादन की नयी विधियों का आविष्कार कर सके। अत इम बात की आवश्यकता है कि इन उद्योगो की उत्पादन विधियो में आमून परिवर्तन किया जाय। नवीन विधियों का आविष्कार करके कारीगरों को उन विधियों को अनाना के लिए प्रेरणा देना भी आवश्यक है।

(४) कारीगरों की अज्ञानता तथा यान्त्रिक शिक्षा का अभाव—भारतीय कारीगर अनिज्ञित हैं। अज्ञानता के कारण उह प्रशिक्षण देने में भी कठिनाई पडती है। एक ओर अकुशल उत्पादन प्रणाली के कारण वस्तुओ की लागत अति पडती है, दूसरी ओर अज्ञानता के कारण कारीगर अपनी वस्तुओ का उचित ढंग से विक्रय भी नहीं कर पाता। उनमें यान्त्रिक शिक्षा का भी अभाव है जिसके कारण वे निम्नित उत्पादन प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते। इम दोष को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि कारीगरों को उचित औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाय जिससे वे आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकें।

(५) विक्रय की समस्या—कुटीर तथा लघु उद्योगो के उत्पादकों को माल बेचने की समस्या का भी सामना करना पडता है। उन्हे बाजार की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता तथा उनकी कोई ऐसी सस्था नहीं होती जो निम्नित माल की बिक्री की व्यवस्था कर सके। बाध्य होकर उन्हे कम मूल्य पर अपनी वस्तुएँ मध्यम्यों को बेचनी पडती है।

(६) बडे उद्योगो से प्रतिযোগिता—बडे पैमाने के उद्योगो में वस्तुएँ आधुनिक विधियों द्वारा निर्मित की जाती हैं तथा उनका लागत-व्यय कम होता है अत उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएँ सस्ती होती हैं। कुटीर उद्योगो में हाथ से तथा लघु उद्योगो में छोटे पैमाने पर उत्पादन किया जाता है अत लागत न्यय अधिक पडता है। इम कारण इन उद्योगो द्वारा उत्पादित वस्तुएँ महँगी पडती हैं। सस्ती होने के कारण उपभोक्ता मिल उद्योगो की वस्तुएँ ही खरीदता है। अत लघु उद्योगो को बडे पैमाने के उद्योगो की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडता है जिसमें वे नहीं टिक पाते। इम समस्या का निराकरण के लिए आवश्यक है कि दोनों प्रकार के उद्योग एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं, बल्कि पूरक के रूप में कार्य करें।

(७) सस्ती मशीनों तथा साधक शक्ति का प्रभाव—इन उद्योगों की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उत्पादन में छोटी तथा सस्ती मशीनों का प्रयोग किया जाय। कारीगरों के पास पूंजी की कमी होने के कारण वे मशीन नहीं खरीद पाते। अतः उन्हें आवश्यक माना में ऋण मिलना चाहिए तथा किस्म भुगतान पद्धति पर उन्हें मशीनों दी जानी चाहिए। मशीनों को चराने के लिए सस्ती बिजली या शक्ति के माधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ कुटीर तथा लघु उद्योगों में बिजली का प्रयोग होने लगा है, परन्तु बड़े उद्योगों के सामने उन्हें प्राथमिकता नहीं मिल पाती।

(८) उपभोक्ताओं की अधिक—कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की उपभोक्ता पसन्द नहीं करते, इसमें उनके द्वारा निर्मित माल की बिक्री अधिक नहीं हो पाती। उपभोक्ता कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा मिल उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की अधिक पसन्द करते हैं। कुटीर उद्योग उपभोक्ताओं की बदलती हुई रुचि के अनुसार वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाते तथा उनका उत्पादन व्यय भी अधिक होता है। मिलें नवीनतम फैशन के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करती हैं। सुविधा मिलने पर लघु एवं कुटीर उद्योग नवीनतम डिजाइनों तथा फैशनों को बन्दुएँ निर्मित कर सकते हैं जिन्हें देशी तथा धनिन उपभोक्ता खरीद सकें। किन्तु कई प्रकार की कठिनाइयों के कारण लघु उद्योग ऐसा करने में असमर्थ हैं।

(९) करों का भार—कुटीर तथा लघु उद्योगों पर विभिन्न प्रकार के कर भी लगे हुए हैं जिनका भार बहान करने में ये उद्योग सर्वथा असमर्थ हैं। एक तो उनकी उत्पादन लागत अधिक होती है, दूसरी ओर करों के भार के कारण उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएँ उपभोक्ता के लिए अधिक महँगी पड़ती हैं। इसका प्रभाव उनकी बिक्री पर पड़ता है। स्थानीय निकायों ने इन उद्योगों पर कई प्रकार के कर लगा रखे हैं। अतः इन उद्योगों पर कर लगाने की इस प्रणाली में परिवर्तन लाना आवश्यक है। राज्य सरकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर प्रणाली में एकरूपता हो तथा कर भार कम हो जिससे कुटीर तथा लघु उद्योगों की प्रगति में बाधा न पड़े।

(१०) तैयार माल का निश्चित मापवण्ड—इन उद्योगों द्वारा उत्पादित एक ही प्रकार की वस्तु में भिन्नता पायी जाती है। इस प्रकार एकरूपता की कमी के कारण उपभोक्ताओं की कठिनाई होती है तथा कारीगर भी वस्तुओं के गुण में सुधार नहीं कर पाते। अतः इस बात की आवश्यकता है कि विभिन्न वस्तुओं के प्रमाण (standard) निश्चित किये जायें, जिससे उनके गुण (quality) पर नियन्त्रण रखा जा सके तथा उनके विपणन में सरलता हो।

### कुटीर एव लघु उद्योग तथा राजकीय प्रयत्न

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व राजकीय नीति—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में विदेशी सरकार की। इस सरकार की नीति भारतीय उद्योगों के प्रति द्वेषपूर्ण थी। इस नीति के कारण कुटीर एव लघु उद्योगों का पतन हुआ। बीमबो शताब्दी के प्रारम्भ से ही स्वदेशी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। सरकार ने इस भावना को कुचलने में कोई कसर नहीं उठा रखी। परन्तु स्वदेशी आन्दोलन ने उन उद्योगों के लिए टॉनिक का कार्य किया। देश में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति प्रेम की लहर सी फैल गयी। सन् १९३४ में ग्रामीण उद्योग मन्थान की स्थापना की गयी। उसी वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग सम्मेलन हुआ जिसमें करघा उद्योग की विकास समस्या पर विचार किया गया। सरकार ने गृह उद्योगों के विकास के लिए पाँच वर्षों के लिए प्रति वर्ष पाँच लाख रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी। सन् १९३५ में प्रान्तों में उद्योग विभागों की स्थापना की गयी जिन्हें कुटीर उद्योगों के नियन्त्रण एवं विकास का कार्यभार सौंपा गया। उसी वर्ष 'अखिल भारतीय कांग्रेस' के तत्वावधान में 'भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ' की स्थापना की गयी। सन् १९३७ में विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने

कार्य-भार सँभाला। इनसे कुटीर उद्योग-घन्धो की पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। सन् १९३६ में 'राष्ट्रीय योजना समिति' ने कुटीर उद्योग घन्धो की समस्याओं पर विचार किया। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इन उद्योगों के विकास के लिए जो प्रयत्न किये गये वे नाममात्र के थे तथा उनके द्वारा उद्योगों का सम्बर्द्धन नहीं किया जा सका।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रयत्न—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने कुटीर तथा लघु उद्योगों के महत्त्व को भलीभाँति समझा। सन् १९४८ में एक कुटीर उद्योग बोर्ड सगठित किया गया। उसी वर्ष एक शिफ्टमण्डल जापान भेजा गया जिनसे जापान के कुटीर उद्योग घन्धो का अध्ययन किया। अप्रैल १९४८ में स्वतन्त्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी जिसमें कुटीर एव लघु उद्योगों के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

(क) निगमों तथा मण्डलों की स्थापना—कुटीर तथा लघु उद्योगों के विनाम एव नियन्त्रण का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है फिर भी केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये कार्यों में विभिन्न मण्डलों तथा निगमों की स्थापना प्रमुख है जिनसे कुटीर एव लघु उद्योगों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्राप्त हुए हैं :

(१) अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड, १९४८—इस बोर्ड का सन् १९५० में पुनर्गठन किया गया। इस बोर्ड के कार्य इस प्रकार हैं

(अ) कुटीर एव लघु उद्योगों के विकास तथा सगठन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।

(ब) बड़े पैमाने के उद्योग तथा कुटीर एव लघु उद्योगों में सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए सुझाव देना।

(स) इन उद्योगों से सम्बन्धित राज्य सरकारों की योजनाओं की जाँच करके आवश्यक सुझाव देना तथा उनकी योजनाओं में सामञ्जस्य स्थापित करना।

(२) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड (Central Silk Board)—इस बोर्ड की स्थापना रेशम उद्योग को देखभाल के लिए सन् १९४६ में की गयी थी। यह बोर्ड रेशम के कीड़े पालने की भी व्यवस्था करता है।

(३) अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड (All India Handicrafts Board)—इस बोर्ड की स्थापना नवम्बर १९५२ में की गयी। यह बोर्ड दस्तकारी के उत्पादन तथा विपणन में आवश्यक सुधार लाने का कार्य करता है। यह बोर्ड वस्तुओं की बिक्री के लिए विक्री केन्द्रों की व्यवस्था करता है। वर्तमान समय में यह बोर्ड देश में १६ पायलट केन्द्रों को संचालित कर रहा है, जिनमें प्रशिक्षण, अन्वेषण, परीक्षण व उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। अलग कार्यों के लिए अलग-अलग केन्द्र स्थापित हैं। बोर्ड ने समय-समय पर विदेशी विशेषज्ञों को भी सहायता ली है। देश तथा विदेशों में बोर्ड द्वारा प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं। बोर्ड के प्रयत्नों से दस्तकारियों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इनके द्वारा लगभग १०० करोड़ रुपये की वस्तुओं का वार्षिक निर्माण किया जाता है।

(४) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड (All India Handloom Board)—इस बोर्ड की स्थापना अक्टूबर १९५२ में की गयी। यह बोर्ड हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कार्य करता है। इस बोर्ड ने हथकरघा उद्योग के विकास के लिए महत्कारिता पर बहुत जोर दिया है तथा बुनकरों की सहकारी समितियाँ सगठित की गयी हैं। बोर्ड के उत्पादन में एक केन्द्रीय बाजार सगठन भी कार्य करता है। यह सगठन हथकरघा उद्योग की वस्तुओं के लिए प्रचार कार्य करता है।

(५) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (All India Khadi and Village



Industries Board, 1953)—यह आयोग खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए कार्य करता है। इसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत खादी, तेल, साबुन, चाबल, दियासलाई, गुड़, मधुमक्खी-पालन आदि ग्रामोद्योग सम्मिलित हैं। इन उद्योगों के विकास के लिए योजनाएँ बनाना तथा आवश्यक व्यवस्था करना इस बोर्ड का कार्य है। प्रत्येक राज्य में भी खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल बनाये गये हैं।

(६) लघु उद्योग बोर्ड (Small Industries Board)—इस बोर्ड की स्थापना नवम्बर १९५४ में अन्तरराष्ट्रीय योजना विशेषज्ञ दल के सुझावों के अनुसार की गयी। यह बोर्ड लघु उद्योगों के विकास के लिए योजनाएँ बनाता है तथा उन्हें कार्यान्वित करता है। बोर्ड द्वारा लघु उद्योगों को प्राविधिक सहायता तथा अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

(७) नारियल जटा बोर्ड (Coil Board)—सन् १९५४ में बोर्ड की स्थापना Coal Industry Act, 1954 के अन्तर्गत की गयी। यह बोर्ड नारियल जटा से निमित्त वस्तुओं के प्रचार तथा उत्पत्ति का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने केरल में एक अनुसन्धान संस्था की भी स्थापना की है।

केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित निगमों की भी स्थापना की है

(१) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (National Small Industries Corporation)—इस निगम का पंजीयन (Registration) ४ फरवरी, १९५५ में समुक्त पूंजी कम्पनी के रूप में किया गया। इसकी सम्पूर्ण पूंजी सरकार ने दी है। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों का विकास करना, अधिक सहायता प्रदान करना तथा संरक्षण व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना है। निगम की पूंजी १० लाख रुपये है, जो १०,००० अंशों में विभाजित है। इस निगम के मुख्य कार्य निम्न हैं—

(क) लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ख) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों से लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए आर्डर प्राप्त करना तथा उन्हें आर्डर में समुचित हिस्सा दिलाना।

(ग) प्राप्त आर्डर की पूर्ति के लिए लघु उद्योगों को आवश्यक शिल्पिक एवं आर्थिक सहायता देना।

(घ) लघु उद्योगों को अन्य संस्थाओं के प्राप्त ऋणों पर गारण्टी देना तथा उनके अंशों का अभिगोपन करना।

(ङ) बड़े पैमाने के उद्योगों तथा लघु उद्योगों में सामंजस्य स्थापित करना जिससे लघु उद्योग बड़े उद्योगों के पुरक के रूप में कार्य कर सकें।

केन्द्रीय सरकार निगम को समय समय पर ऋण तथा अनुदान देती रहती है। इस निगम के अतिरिक्त कई राज्यों में राज्य स्तर पर लघु उद्योग निगम स्थापित किये गये हैं, जो लघु उद्योगों को शिल्पिक सहायता, कच्चा माल तथा अन्य सुविधाएँ दिलाने में मदद करते हैं तथा उनके द्वारा उत्पन्न माल की बिक्री की भी व्यवस्था करते हैं। यह निगम लघु उद्योगों को भाडा-बिक्री (Hire Purchase) के आधार पर मशीनें भी प्रदान करता है।

(२) भारतीय दस्तकारी विकास निगम—इस निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल १९५८ में दस्तकारियों के विचाम में लिए की गयी। निगम के कार्य तथा उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(क) व्यापारिक आधार पर दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन को सगठित करना तथा कारीगरों को अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना।

(ख) कारीगरों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री की व्यवस्था करना।

(ग) उत्पादन के उन्नतिशील तथा आधुनिक तरीकों को अपनाने तथा उत्तम प्रबन्ध व्यवस्था करने में कारीगरो की सहायता करना जिससे वे उत्पादन में वृद्धि कर सकें।

(ख) आर्थिक सहायता तथा ऋण मुविधाएँ—लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को पूंजी प्राप्त करने तथा अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता के क्षेत्र में सरकार द्वारा सराहनीय प्रयत्न किये गये हैं। गत वर्षों में इन उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्न प्रकार माघन बढ़ाये गये हैं

(१) उद्योगों की राजकीय सहायता अधिनियम के अन्तर्गत ऋण प्रदान करना—State Aid to Industries Act के अन्तर्गत लघु एव कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान किया जाता है। इस एक्ट के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों की राशि में निरन्तर वृद्धि हुई है।

(२) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया—इस बैंक ने लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक अग्रगामी योजना (Pilot Scheme) चालू की है। यह योजना स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में चालू है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की राशि पर बैंक रिदायती दर पर ब्याज लेता है। बैंक औद्योगिक विस्तार तथा नवीनीकरण के लिए अधिकतम सात वर्षों के लिए मध्यावधि ऋण भी प्रदान करता है। स्टेट बैंक ने ऋण देने की ज़रूरत उदार रखी है तथा ऋण का भुगतान लेने की प्रक्रिया भी सरल कर दी है।

स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दी गयी सहायता का व्यौरा निम्नलिखित है

#### लघु उद्योगों की सहायता (३१ दिसम्बर, १९७०)

	स्टेट बैंक	सहायक बैंक
१ सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	३५,०००	१७,०००
१ ऋण स्वीकृतिर्मा (करोड़ ₹०)	२११	५५
३ ऋण शेष (करोड़ ₹०)	११४	२७

इससे स्पष्ट है कि २१ दिसम्बर १९७० को स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गए ऋण शेष (outstanding) की राशि लगभग १५१ करोड़ रुपये थी।

(३) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया—लघु उद्योगों की सहायता के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की साख गारण्टी योजना है। यह योजना प्रयोग के रूप में १ जुलाई, १९६० से चालू की गयी थी। इस योजना के अनुसार गारण्टी देने वाली संस्था अर्थात् रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया और उधार देने वाली संस्था आपस में मिलकर जोखिम उठाती है। प्रारम्भ में यह योजना केवल ५२ जिलों तक सीमित थी किन्तु अब यह पूरे देश में लागू कर दी गयी गयी है। इसके अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया चुनी हुई ६३ ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के लिए गारण्टी देता है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा उसके सहायक बैंकों के अतिरिक्त अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सहकारी वित्त निगम और मद्रास इण्डस्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन सम्मिलित है। इस योजना के अन्तर्गत १९७० तक लघु उद्योगों में बाकी ऋणों की रकम ७१६ करोड़ रुपये थी।

(४) राज्य वित्त निगम—इन निगमों की स्थापना विभिन्न राज्यों में सन् १९५१ के 'राज्य वित्त निगम अधिनियम' के अन्तर्गत की गयी है। ये निगम भी लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं।

(५) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम—यह निगम लघु उद्योगों में लगे संस्थानों (units) द्वारा निर्मित माल के टैके लेने की व्यवस्था करता है। इस निगम से ८,४३२ लघु औद्योगिक संस्थान सम्बन्धित हैं। जनवरी १९५६ से यह निगम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दिये गये ऋणों की गारण्टी

देता है। निगम लघु उद्योगों को मशीनें किराया क्रय-वर्द्धि पर देता है। इसके बदले में अगस्त १९६० से निगम ५ प्रतिशत सेवा चार्ज लेता है। इस निगम की साखाएँ भी केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अनुदान प्राप्त करती हैं और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इस निगम ने अमरीका के Development Loan Fund से १०० लाख डालर ऋण प्राप्त किया है।

(६) औद्योगिक सहाकारी समितियाँ—ग्रामीण कारीगरों को सहायता देने के लिए तथा उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक सहाकारी समितियाँ भी ऋण देती हैं। इस प्रकार की सहाकारी समितियाँ हथकरघा उद्योग में अधिक प्रचलित हैं।

प्राविधिक सहायता—लघु उद्योगों को सरकार द्वारा प्राविधिक सहायता भी दी जाती है। औद्योगिक विस्तार सेवा का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत १६ लघु उद्योगशालाएँ और ६ प्रादेशिक सेवाशालाएँ स्थापित की गयी हैं। फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से भारतीय विशेषज्ञ विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं तथा प्राविधिक सलाह के लिए विदेशी विशेषज्ञ आमंत्रित किये जाते हैं। औद्योगिक प्रसारण केन्द्र' उद्योगों को प्राविधिक सुविधाएँ प्रदान करते हैं। 'केन्द्रीय लघु उद्योग सगठन' द्वारा नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इस सगठन ने लघु उद्योगों को विभिन्न औद्योगिक कार्यों के लिए वर्कशाप और माल की जाँच के लिए प्रयोगशाला की सुविधाएँ देने का प्रबन्ध किया है। ये सुविधाएँ देश भर में लघु उद्योग सेवा समितियों और विस्तार केन्द्रों से सम्बन्धित वर्कशापों और प्रयोगशालाओं में दी जाती हैं। 'सामुदायिक विकास षण्डों तथा 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा केन्द्रों' के विकास अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे अपने क्षेत्र में उद्योगों का विकास कर सकें। प्रत्येक षण्ड (block) में एक उद्योग विकास अधिकारी (A. D O Industries) नियुक्त किया गया है जो अपने षण्ड में उद्योगों के सम्बन्ध में सलाह देता है तथा आवश्यक सहायता की व्यवस्था करता है।

औद्योगिक बस्तियाँ (Industrial Estates)—कुटीर तथा लघु उद्योगों की उत्पत्ति के लिए देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की गयी हैं। इन बस्तियों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकारों प्रांतीय सरकारों को ऋण देती है। प्रथम औद्योगिक बस्ती की स्थापना जनवरी सन् १९५५ में तौराष्ट्र में भक्तिनगर में की गयी। अगस्त सन् १९६६ तक भारत में कुल ५०१ औद्योगिक बस्तियाँ विभिन्न अवस्थाओं में थी। इसमें से ३२२ का पूर्ण रूप से निर्माण किया जा चुका है तथा इनमें से २६५ बस्तियों में उत्पादन किया जा रहा है। १७५ औद्योगिक बस्तियाँ निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। अब तक सरकार इन कार्यक्रम पर ४२ करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है। शतुर्थ योजना काल में २५७ नयी औद्योगिक बस्तियों का निर्माण १,८१५ करोड़ रुपये की लागत में किया जाएगा। इन औद्योगिक बस्तियों में किसी प्राथमिक क्षेत्र में विभिन्न लघु उद्योगों को एक ही स्थान पर सगठित किया जाता है। औद्योगिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में यह प्रयत्न जन्म ही मरान्मय है।

(७) व्यापारिक बैंक—भारत के अनुसूचित बैंक लघु उद्योगों को मदद से ऋण देने आ रहे हैं परन्तु मार्च १९६७ में लघु उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन आ जाने के परिचात इन ऋण में विशेष प्राप्ति आ गयी है। इस प्राप्ति का अनुदान निम्नलिखित अंकों में लग सकता है।

अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय लघु उद्योगों को ऋण (करोड़ रुपये)

दिनांक	१९६०	(रुप)	
दिसम्बर	१९६०	(रुप)	२८
"	१९६३	"	४८
मार्च	१९६६	"	६१
दिसम्बर	१९७०	"	४६७

इससे स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के लिए बैंको की नीति पहले से अधिक उदार हो रही है। यह निश्चय ही एक शुभ लक्षण है।

### विपणन सम्बन्धी सुविधाएँ

बैंक कमेटी ने सन् १९५५ में यह सुझाव दिया था कि कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा निर्मित माल के विक्रय के लिए सहायक विपणन समितियों को सगठित करना चाहिए। इन सुझाव के अनुसार देश के विभिन्न भागों में सहायक विपणन समितियों एवं विपणन मण्डलों को सगठित किया गया है। अप्रैल १९५६ में ही केन्द्रीय सरकार ने Central Cottage Industries Emporium की स्थापना की थी। यह एंग्लोरियम देश तथा विदेशों में कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित माल के विपणन कार्य में सहायता देता है। विभिन्न प्रांतों में भी कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित माल की विक्री के लिए एंग्लोरियम स्थापित किये गये हैं। इनके द्वारा विपणन कार्य में बारी सहायता मिलती है।

### मिला-जुला उत्पादन कार्यक्रम (COMPOSITE PRODUCTION)

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में बड़े पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योगों के लिए सम्मिलित उत्पादन का कार्यक्रम अपनाया गया। इन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बड़े उद्योग, लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योगों को पारस्परिक स्पर्धा को समाप्त करना है। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योगों के बीच एक बन्दु का अलग-अलग उत्पादन निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक के लिए उत्पादन क्षेत्र मुरक्षित कर दिया जाता है। इस कार्यक्रम को कार्य रूप देने के लिए बड़े उद्योगों की उत्पादन-क्षमता विस्तार पर रोक लगायी जाती है तथा बड़े उद्योगों के उत्पादन पर एक प्रकार का कर (Ceas) लगाया जाना है, जिसमें प्राप्त आय का उपयोग सम्बन्धित कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए किया जाता है। इस कार्यक्रम द्वारा कुटीर एवं लघु उद्योग बहुत लाभान्वित हुए हैं।

इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। इन उद्योगों के विकास के लिए हर प्रकार की सहायता देना तथा सुविधाएँ प्रदान करना सरकार की नीति का मूलाधार है।

### पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर तथा लघु उद्योग

पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर तथा लघु उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सन् १९५०-५१ में १९७३-७४ तक कुटीर तथा लघु उद्योगों के क्षेत्र में किये गये प्रावधान/व्यय का विवरण निम्न सारिणी में दिया जा रहा है

#### योजनाओं के अन्तर्गत कुटीर व लघु उद्योग

योजना	प्रावधान व्यय	(करोड़ रुपये में) योजना के कुल व्यय का प्रतिशत भाग
प्रथम योजना (वास्तविक)		
द्वितीय योजना (,,)	४२.०	२१
तृतीय योजना (.)	१८७.०	४१
चतुर्थ योजना ( )	२२०.०	२६
	२६३.०	१८

प्रथम पंचवर्षीय योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए ४३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। वास्तविक व्यय ४२ करोड़ रुपये था। योजना काल में इन उद्योगों के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण कार्य किये गये। प्रथम, इन उद्योगों के

जनाबद्ध विकास के लिए कुछ अखिल भारतीय बोर्डों की स्थापना की गयी (जिनका विवरण पहले या जा चुका है) तथा-द्वितीय, सन् १९५५ में कर्वे ममिति की, जिमने इन उद्योगों के विकास के ए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये।

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना**—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुटीर तथा लघु उद्योगों को और अधिक महत्त्व प्रदान किया गया। योजना आयोग ने इन उद्योगों के महत्त्व पर प्रकाश डालते र कहा था—“द्वितीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य रोजगार देना है। छोटे पैमाने के तथा प्रामाण उद्योगों के द्वारा अधिक व्यक्तियों को काम मिलना है। उननी ही पूंजी लगाकर इन उद्योगों बड़े उद्योगों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यक्ति खपाये जा सकते हैं। इन उद्योगों से ग्रामों की र्थ व्यवस्था का अधिक समुत्थित तथा समन्वित विकास हो पाता है। इन कारणों से द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में छोटे तथा प्रामाण उद्योगों पर विशेष जोर डाला गया।”

**द्वितीय योजना-काल में प्रगति**—द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कुटीर तथा लघु उद्योगों र १८७ करोड रुपये व्यय किये गये। इस अवधि में कुटीर उद्योग तथा कुछ अंशों तक हथकरघा उद्योग का विकास प्रामाण क्षेत्रों में हुआ जबकि लघु उद्योगों का विकास प्रामाण क्षेत्रों में नहीं, बल्कि बड़े कस्बों तथा शहरों में ही हुआ।

सन् १९५१-१९६१ की अवधि में हथकरघा उद्योग द्वारा लगभग ३० लाख युनिकरो की र्ण रोजगार मिला। सादी कार्यक्रम में लगभग १४ लाख अतिरिक्त कताई करने वालों को दिन में कुछ समय के लिए रोजगार मिला।

लघु उद्योगों के क्षेत्र में दूसरी योजना की अवधि में कई छोटे उद्योगों जैसे मशीनी औजार, सेलाई मशीनें, बिजली के पखों, मोटरों, इमारती तल व सामान और अन्य औजारों सम्बन्धी उद्योगों में विशेष वृद्धि हुई है। इन उद्योगों के उत्पादन में २५ से ५० प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

**तृतीय योजना में कुटीर एव लघु उद्योग**—तीसरी योजना में इन उद्योगों पर कुल २६४ करोड रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी किन्तु वास्तविक व्यय २२० करोड रुपये हुआ।

सन् १९६८-६९ तक १,४०,००० लघु इकाइयाँ रजिस्टर हो चुकी थी, और इसी वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा लघु इकाइयों से खरीदे गये माल का मूल्य लगभग २६ करोड रुपये था।

हथकरघा उद्योग से ३० लाख युनिकरो को काम मिल गया और इस उद्योग से उत्पन्न वस्त्र का निर्यात १२ करोड रुपये वार्षिक तक पहुँच गया।

**खादी तथा प्रामोद्योग**—सन् १९६८-६९ तक विभिन्न प्रकार की खादी का उत्पादन लगभग ६ करोड वर्ग मीटर तक पहुँच गया और इस उद्योग द्वारा लगभग १४ लाख व्यक्तियों को अशकालिक रोजगार मिल गया।

**चतुर्थ योजना**—इस योजना की अवधि में लघु उद्योगों के उत्पादन तकनीक में सुधार करने को प्रोत्साहन दिया जायगा तथा देश के अधिक से अधिक क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास किया जायगा।

चतुर्थ योजना में लघु तथा प्रामाण उद्योगों पर २६३ करोड रुपया व्यय किया जायगा। इनमें लघु उद्योग, औद्योगिक सम्पदाएँ, हथकरघा, शक्तिचलित करघा, रेणाम, नारियल का रेशा उद्योग, दस्तकारी आदि उद्योगों को सहायता देने को कार्यक्रम है।

### प्रश्न

- १ “भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति में भारी, लघुनाय तथा अन्य सभी प्रकार के उद्योगों का साथ-साथ विकास करना आवश्यक है।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्कों सहित उत्तर दीजिए।  
(आगरा, बी० ए०, १९५६, १९५६)

- २ 'तृतीय योजना में भारी तथा बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में लघु तथा कुटीर उद्योगों की अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए।' इस कथन का विवेचन कीजिए।  
(आगरा, बी० ए०, १९६०)
- ३ भारत में लघु उद्योगों की क्या समस्याएँ हैं? उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार ने क्या किया है?  
(बिहार, बी० ए०, १९६१; राजस्थान, बी० ए०, १९६१, विक्रम, बी० ए०, १९६२)
- ४ भारत में लघु तथा कुटीर उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की सम्भावनाओं पर प्रकाश डालिए।  
(बिहार, बी० ए०, १९६३)
- ५ भारत में लघु उद्योगों के महत्त्व पर प्रकाश डालिए तथा भारतीय आयोजन में सरत, मत्से तथा घरेलू साधनों के संग्रह पर प्रकाश डालिए।  
(बिहार, बी० ए०, १९६३)
- ६ भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योगों के कार्यों पर प्रकाश डालिए। उनके विकास के लिए तृतीय योजना में क्या कार्य किये गये हैं? स्पष्ट कीजिए।  
(मगध, बी० ए०, १९६३)
- ७ सरकार द्वारा लघु तथा कुटीर उद्योगों में विकास के लिए क्या कार्यक्रमों की गयी हैं? इनमें कौन-कौन सफलता मिली है? लिखिए।  
(नागपुर, बी० कॉम० (द्वितीय वर्ष), १९६५)
- ४ भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों के महत्त्व पर प्रकाश डालिए। इनके ब्याक्ति विकास में आने वाली बाधाओं का विवेचन कीजिए।  
(राजस्थान, बी० ए० (प्रथम वर्ष), १९६५)
- ८ भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर और लघु उद्योगों को क्या स्थान समर्पित हुआ है? उनकी सफलताओं और विफलताओं का वर्णन कीजिए।  
(राजस्थान, बी० कॉम० (अन्तिम वर्ष), १९६७)
- १० भारत सरकार ने कुटीर उद्योगों के विकास के लिए क्या विशेष उपाय किये? आपके विचार से क्या यह सब उपाय कुटीर उद्योगों को प्रबल स्वावलम्बी तथा आर्थिक इकाई बना सकते हैं।  
(इलाहाबाद, बी० कॉम० (प्रथम वर्ष), १९६१)
- ११ भारत के आर्थिक जीवन में कुटीर और लघु उद्योगों का महत्त्व बतलाइए तथा उन उद्योगों की मुख्य समस्याओं की व्याख्या कीजिए। (राजस्थान, बी० कॉम० (अंतिम वर्ष), १९७१)

भारत के प्रमुख उद्योगों में से कुछ का आरम्भ उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ परन्तु उनका वास्तविक विकास बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही हुआ। भारत के वाणिज्य औद्योगिक सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये हैं जिनसे दश में बड़े उद्योगों के महत्त्व का पता लगता है

(१) इन उद्योगों में लगभग ६,४४४ करोड़ रुपये की उत्पादन पूंजी लगी हुई है।

(२) इनमें ३६,८६ लाख व्यक्ति नियोजित हैं।

(३) यह धन और मजदूरी के रूप में प्रतिवर्ष लगभग ६७० करोड़ रुपये का भुगतान करते हैं।

(४) इनका वाणिज्य उत्पादन मूल्य ६,४६२ करोड़ रुपये है। देश के प्रमुख उद्योगों में सूती वस्त्र, चीनी, लोहा-इस्पात, जूट, कोयला, मीमेण्ट, चागज, रसायन, घनिज तेल तथा इजीनियरी उद्योग हैं। प्रस्तुत अध्याय में इन उद्योगों का ध्यान दिया जा रहा है।

### १. सूती वस्त्र उद्योग (COTTON MILL INDUSTRY)

सूती वस्त्र उद्योग भारत का श्रेष्ठतम उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से कृषि के पश्चात् इसी का स्थान आता है। इस उद्योग में लगभग १५७ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है तथा वाणिज्य उत्पादन मूल्य लगभग ४०० करोड़ रुपये है। इस उद्योग की मिलों में ८ लाख से कुछ अधिक श्रमिक काम करते हैं। देश की राष्ट्रीय अर्थ-स्थिति में इस उद्योग का अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रो० बुकानन के शब्दों में, सूती वस्त्र उद्योग भारत के प्राचीन युग का गौरव अतीत और वर्तमान में कष्टों का कारण, किन्तु सदा की आशा है।

सक्षिप्त इतिहास—भारत अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्राचीनकाल में विश्वविख्यात था। परन्तु आधुनिक रूप में उद्योग का प्रारम्भ सन् १८५४ में हुआ। बंम प्रथम सूती मिल सन् १८१८ में कलकत्ता से पास मुसरी नामक स्थान पर बनी थी, सन् १८५४ में भी कावजी ढाबर ने बम्बई में सूती मिल प्रारम्भ की। धीरे-धीरे इस उद्योग का विकास बम्बई तथा अहमदाबाद में होने लगा। उत्तराखण्ड शोलापुर, बानपुर, मद्रास, नागपुर आदि में इस उद्योग का विकास हुआ।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में भारत में कई बड़े अकाल पड़े, जिनका सूती वस्त्र उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। १९०७ से इस उद्योग को कुछ राहत मिली। उस समय कुल मिलों की संख्या २२४ थी। स्वदेशी आन्दोलन, बिद्युत्शक्ति का आविष्कार, बढ़ी हुई माँग तथा काम के

घट्टों में वृद्धि आदि व कारण उद्योग उन्नति करने लगा। सन् १९१४ में मिलों की संख्या २३१ हो गयी तथा सस्तर के सूती वस्त्र उद्योग में भारत का चतुर्थ स्थान हो गया।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्—प्रथम महायुद्ध काल भारतीय उद्योगों के लिए बरतान निरुद्धा। बड़ी हुई माँग, ऊँचा मूल्य तथा अनुकूल परिस्थितियों से सूती वस्त्र उद्योग ने साम उद्योग युद्ध के उपरान्त भारत में किम्प (quality) पर अधिक ध्यान दिया गया। सन् १९२० के पश्चात् जापान की प्रतिस्पर्धा तेज होने लगी। इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सन् १९१८-१९ में जापान से भारत में कपड़े का आयात २३८ करोड़ रुज था, जो बढ़कर सन् १९२८ में ५९२ करोड़ रुज हो गया। सन् १९२९ की आर्थिक मन्दों ने उद्योग पर बुरा असर डाला। यह स्थिति १९३७-३८ तक चतनी रही। द्वितीय युद्धकाल से वस्त्र की आन्तरिक तथा विदेशी माँग में आश्चर्यानीत वृद्धि हुई। अतः मिलों की संख्या जो १९३८ में ३८० थी १९४६ में ४२१ हो गयी।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्—युद्ध के पश्चात् परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। जनवरी १९४८ से वस्त्र निर्यात पर से नियन्त्रण हटा दिया गया परन्तु मूल्य में अधिक वृद्धि होने के कारण जुलाई १९४८ में उत्पादन तथा वितरण पर पुन नियन्त्रण लमा दिया गया। युद्ध के पश्चात् उद्योग की कई प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा। औद्योगिक अभावित, मजदूरी में वृद्धि, कपास की कमी तथा मशीनों की पुनर्स्थापना जादि समस्याओं ने इस उद्योग की प्रगति में बाधा उपस्थित की। देश विभाजन के कारण ३८० मिलें भारत तथा १४ मिलें पाकिस्तान के स्थान में पड़ी परन्तु कपास पैदा करने का ४०% क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अविभाजित भारत कपास का निर्यात करता था, परन्तु अब कपास का आयात करना पड़ा। सन् १९४९ में भारत ने हस्त का अवमूल्यन किया परन्तु पाकिस्तान ने सन् १९५५ तक अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया साथ ही साथ व्यापारिक समझौते व अन्तर्गत किए गये वायदों का भी पालन नहीं किया गया। इससे वस्त्र उद्योग की कठिनाइयों और बढ़ गयी। सन् १९५० का वर्ष भी हड़ताल तथा कपास की कमी के कारण अच्छा नहीं रहा।

### पंचवर्षीय योजनाओं में सूती वस्त्र उद्योग का विकास

प्रथम पंचवर्षीय योजना—प्रथम योजना बनाने समय इस बात का ध्यान रखा गया कि सूती वस्त्र उद्योग द्वारा देश की आन्तरिक माँग को पूर्ण हो सके तथा पर्याप्त मात्रा में निर्यात भी किया जा सके। उद्योग का विकास पूर्णतया निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया।

प्रथम योजना के प्रारम्भ में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत लगभग ११ मीटर थी, परन्तु योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति वार्षिक श्रॉन खपत बढ़कर १४.७ मीटर हो गयी।

द्वितीय योजना—योजना आयोग ने यह लक्ष्य निर्धारित किया कि देश में वस्त्र की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत १४.७ मीटर में बढ़कर १७.२ हो जानी चाहिए ताकि प्रति वर्ष १०० करोड़ मीटर कपड़े का निर्यात किया जा सके। इस प्रकार सन् १९६०-६१ तक कुल आवश्यकता का अनुमान ८०० करोड़ मीटर वार्षिक लगाया गया था। इसमें मिल, हथकरघा तथा कृत्तिकरित करघा तीनों का उत्पादन सम्मिलित था। मिलों का उत्पादन लक्ष्य ४६५ करोड़ मीटर रखा गया। कपास उत्पादन का लक्ष्य ५५ लाख गॉठ वार्षिक रखा गया।

सन् १९५८ में सरकार ने श्री टी० ए० रमन की अध्यक्षता में 'सूती वस्त्र जांच समिति' (Textile Enquiry Committee) नियुक्त की। इस समिति ने वस्त्र उद्योगों पर उत्पादन-का हस्त करने नवीनीकरण (rationalization) करने तथा स्वचालित करघे लगाने का सुझाव दिया। जुलाई १९५८ से मरकाजी उत्पादन कर में कमी की गयी जिससे निर्यात को प्रोत्साहन मिला।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—तृतीय योजना के अन्त तक ८७० करोड़ मीटर कपड़े की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया जिसमें से ८०० करोड़ मीटर कपड़ा आन्तरिक उपभोग तथा



७० करोड़ मीटर कपड़ा निर्यात के लिए था। इनमें से ५४० करोड़ मीटर कपड़ा मिलों द्वारा तथा शेष ३३० करोड़ मीटर करघे आदि द्वारा बनाने का अनुमान था। योजना के अन्त में कपड़े का प्रति व्यक्ति औसत उपभोग १६४ मीटर हो जाने का प्रावधान रखा गया।

प्रगति एवं वर्तमान स्थिति—योजनानाल में भारत के सूती वस्त्र (मिल) उद्योग की प्रगति का व्योरा निम्नलिखित है

सूती वस्त्र मिल उद्योग की प्रगति

वर्ष	मिलों की संख्या	वस्त्र का कुल उत्पादन	मिलों द्वारा उत्पादन (करोड़ मीटर)	हथकरघा व अन्य (करोड़ मीटर)	प्रति व्यक्ति वस्त्र उपलब्धि (मीटर)
१९५१	३७८	४७४	३७३	१०१	१०६६
१९५६	४१२	६५२	४८६	१६६	१४७१
१९६१	४७६	७०७	४७०	२३७	१४७४
१९६६	५७५	७३४	४२४	३१०	१३७८
१९६६	६५६	७७४	४२१	३५३	१४३३

सन् १९६६ में भारत में वस्त्र का कुल उत्पादन ७७४ करोड़ मीटर हुआ, जिसमें मिलों का उत्पादन ४२१ करोड़ मीटर था।

उपर्युक्त तालिका में भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं

(१) सन् १९५१ से १९६६ तक सूती वस्त्र मिलों की संख्या ३७८ से बढ़कर ६५६ हो गयी। इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन ६५६ में से ३५० केवल कातने वाली तथा ३०६ समुक्त मिलें थी।

(२) वस्त्र का उत्पादन योजना के लक्ष्यों की पूर्ति करने में असफल रहा है। इसीलिए वस्त्र की प्रति व्यक्ति उपलब्धि १४ मीटर से कुछ अधिक ही हो पायी है।

(३) देश में वस्त्र का कुल उत्पादन में १९५१ में हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा क्षेत्र का कुल भाग केवल २१ प्रतिशत था जो १९६६ में बढ़कर ४५ प्रतिशत से कुछ अधिक हो गया है। इससे स्पष्ट है कि देश के कुल उत्पादन में मिल क्षेत्र का भाग निरन्तर कम होता जा रहा है।

सूती वस्त्र उद्योग और विदेशी मुद्रा—भारतीय सूती वस्त्र उद्योग किसी समय विदेशी मुद्रा के अर्जन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। द्वितीय युद्ध के बहुत समय पश्चात् तक सूती वस्त्र निर्यात में भारत का स्थान जापान के पश्चात् दूसरा था किन्तु अब यह चौथा रह गया है क्योंकि हांगकॉंग तथा माध्यमदा-चीन के वस्त्र निर्यात में बहुत वृद्धि हो गयी है।

वर्तमान में समार के कुल वस्त्र निर्यात के ७५ प्रतिशत से ६ प्रतिशत तक वस्त्र भारत से निर्यात होता है। भारत अपने कुल वस्त्र उत्पादन का लगभग १० प्रतिशत ही निर्यात कर पा रहा है। गत वर्षों में भारतीय वस्त्र के निर्यात की मात्रा में निरन्तर गिरावट आ रही है और मूल के निर्यात में कुछ वृद्धि हो रही है जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लग सकता है।

भारत की मिलों द्वारा सूत व कपड़े का निर्यात

वर्ष	सूत (मिनियन किलोग्राम)	वस्त्र (मिलियन मीटर)
१९५६	—	६८०
१९६१	७	५२५
१९६६	१६	४२४
१९६६	३३	४१८

तालाबन्दी—सन् १९६२ में भारत पर चीनी आक्रमण में मिलो के सामने अनेक बड़ियाइय उत्पन्न हो गयीं जिनसे अनेक मिलों में तालाबन्दी करनी पड़ी। १९६८ में ७२ मिलें बन्द हो गयीं थीं। इस स्थिति के मुख्य कारण (१) रई की कमी, (२) रई का महँगापन, (३) मजदूरी तथा महँगाई-भत्ते में निरन्तर वृद्धि, तथा (४) उत्पादन कर में निरन्तर वृद्धि होना है। इन सभी कारणों से सूती वस्त्र उद्योग के लाभ में बहुत कमी हुई है और अनेक मिलों को बंद होने के कारण बन्द होना पड़ा है।

१ मार्च, १९६६ से मिल कपड़े पर उत्पादन कर में पर्याप्त छूट दी गयी और विक्रम रिबेट देने का भी निश्चय किया गया। इससे वस्त्र मिलों को राहत मिली है। इसीलिए १९७० में बन्द मिलों के पुलने का कार्यक्रम आरम्भ हो गया है।

### राष्ट्रीय टेक्स्टाइल निगम (National Textile Corporation)

सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति की दिशा में इस निगम की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस निगम की स्थापना सितम्बर १९६८ में, दस करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी के साथ की गयी। निगम के प्रमुख कार्य (i) कमजोर मिलों को अपनी प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत लेना, (ii) मिलों के आधुनिकीकरण के लिए ऋण देना तथा (iii) भविष्य में नयी मिलों की स्थापना करना है। निगम न अनुमान लगाया है कि केवल आधुनिकीकरण के लिए ३५० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके लिए निगम वितीय सन्धाओं से सम्पर्क स्थापित कर रहा है। निगम केवल उन्हीं कमजोर मिलों को अपने प्रबन्ध में लेता है, जिनमें सुधार की सम्भावना रहनी है। अब तक निगम २४ मिलों को अपनी प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत ले चुका है। जो मिलें बन्द हैं, उन्हें पुनः चालू करने के लिए निगम न उनकी कार्यशील पूँजी के ५१% तक ऋण देने की घोषणा की है। निगम को सुचारु रूप से चलाने के लिए भारत सरकार न प्रमुख उद्योगपतियों तथा प्राविधिकों की एक सलाहकार समिति का भी गठन किया है। इस निगम से सूती वस्त्र उद्योग को बड़ी आशाएँ हैं।

समस्याएँ तथा सुझाव—सूती वस्त्र उद्योग के सामने कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं जिनके समाधान से इस उद्योग की आशाशील उन्नति की जा सकती है। इस उद्योग की समस्याओं का अध्ययन निम्नलिखित शीपको के अन्तर्गत किया जा सकता है

(१) अभिनवीकरण (Modernization)—वर्तमान युग में किसी भी उद्योग के शक्तिशाली होने के लिए उमरी मशीनों का नवीनीकरण होना आवश्यक है। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में अधिकांश मशीनें पुरानी तथा बीतकाल हैं। गत वर्षों में मिलों में नयी मशीनें लगाने के प्रयत्न किये हैं किन्तु अभी तक उद्योग केवल २० प्रतिशत भाग का ही अभिनवीकरण हो सका है। भारत की अधिकांश सूती वस्त्र मिलों में मशीनें पुरानी हैं। अन्य देशों में स्वचालित कर्षों का अधिक प्रयोग किया जाता है। भारत में स्वचालित कर्षों (automatic looms) का कम प्रयोग किया जाता है। अमरीका व हांगकांग में शत प्रतिशत स्वचालित कर्षों का प्रयोग किया जाता है। रूस, चीन, ब्रिटेन तथा ब्राजील की मिलों में क्रमशः ७२%, ४७%, ४०% व ३८% कर्ष स्वचालित हैं। पाकिस्तान की मिलों में ६६% कर्ष स्वचालित हैं। किन्तु भारत की मिलों में केवल १६-१७% कर्ष स्वचालित हैं। पुरानी मशीनों के कारण भारत विदेशी प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पा रहा है। गत वर्षों में उपभोक्ताओं की आय तथा रुचियाँ में वृद्ध परिवर्तन हुआ है अतः वस्त्रों के नये डिजायन तथा बढ़िया क्स्में बनाना बहुत आवश्यक है। विदेशी स्पर्धा का सामना करने के लिए भी नयी किम्पों का वस्त्र कम मूल्य पर निर्मित करना बहुत आवश्यक है।

अभिनवीकरण के माग में दो स्कावर्टे मुख्य हैं। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग सम्बन्धी मशीनों की उपलब्धि तथा दूसरे उनके लिए उचित मात्रा में देशी तथा विदेशी पूँजी की व्यवस्था करना। एक अनुमान के अनुसार भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को पुनर्स्थापित करने, पुरानी मशीनें दूर करने

तथा विस्तार के लिए नयी मशीनें लगाने के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में लगभग २८१ करोड़ रुपये की आवश्यकता थी जिसमें लगभग ४६ प्रतिशत की पूर्ण भारतीय सूती मशीन उद्योग द्वारा की गयी।

सूती उद्योग सम्बन्धी मशीनरी की माँग निरन्तर बढ़ रही है क्योंकि सरकार द्वारा कताई तथा मिश्रित मिला को अपनी उत्पादन शक्ति में ७५ प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दे दी गयी है। इसके अनिश्चित प्रत्यक्ष कताई मिल १०० रुपये तक लगा सकती है तथा जिन मिलों में २५,००० से कम तकिए हैं उन्हें शीघ्र ही तकिया की संख्या २५,००० तक बढ़ानी होगी।

अनुमान लगाया गया है कि कवल वीतमान मशीनों को बदलने में ही सूती वस्त्र उद्योग को लगभग ८० करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम (NIDC) द्वारा ऋण दिये जा रहे हैं तथा सरकार ने भी यह निश्चय किया है कि प्रत्यक्ष मिल को उमक कुल बन्धन निर्धारण की २० प्रतिशत कमाई मशीनें आयात करने के लिए दी जा सकती।

अभिनवीकरण की एक समस्या यह है कि नयी मशीनों पर कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जोशी समिति का मत है कि नवीनीकरण के फलस्वरूप २० प्रतिशत श्रमिकों की छुट्टी करनी पड़ेगी। इस प्रकार देश के सामने बराजगारी की एक नयी समस्या उत्पन्न हो जायेगी। अतः जहाँ एक ओर अभिनवीकरण अत्यन्त आवश्यक है दूसरी ओर उमकी गति बहुत तीव्र करना कठिन है। सूती मिल उद्योग का चाहिए कि वह अभिनवीकरण के साथ साथ विस्तार भी कर ताकि अनिश्चित श्रमिकों का हटाना न सके।

(२) विदेशी प्रतियोगिता तथा निर्यात—गन वर्षों में औद्योगिक दृष्टि से उन्नतिशील देशों में सूती वस्त्र उद्योग न पर्याप्त प्रगति की है। अच्छी क्वालिटी की प्राप्ति आनुनिकतम मशीनों का प्रयोग तथा आधुनिक विधि से उत्पादन करने के कारण उन देशों में कपड़े का उत्पादन व्यय बहुत कम पड़ता है। जापान, चीन, हांगकांग तथा पाकिस्तान हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्द्धी हैं। उत्पादन व्यय अधिक होने के कारण, भारतीय वस्त्र उद्योग इन देशों की प्रतियोगिता में नहीं उठकर सकता। निर्यात वृद्धि की दिशा में विभिन्न प्रयत्न किये जा रहे हैं। सूती कपड़े के निर्यात में कमी होनी जा रही है, जिसका अनुमान इसमें पूर्व दिये गये आँकड़ों से हो सकता है।

सूती कपड़े के निर्यात में कमी का कारण कच्ची रई का अभाव, मशीनों का देश में अपर्याप्त उत्पादन तथा आयात की बहिष्कार, कपड़े के उत्पादन व्यय में वृद्धि, मिल तथा त्रिकेन्द्रित क्षेत्र में समन्वय का अभाव तथा अन्तरराष्ट्रीय स्पर्द्धा है। इस स्थिति का सामान करने के लिए 'सूती वस्त्र निर्यात मजदूरी परिषद' व 'सूती कपड़ा निर्यात समिति' तथा भारतीय उद्योगपति प्रत्यक्षशील हैं। भारतीय कपड़े के अधिक खपत वाले देशों में परिषद ने अपने कार्यालय खोल रखे हैं। परिषद द्वारा कपड़े का निरीक्षण तथा प्रमाणोत्तरण भी किया जाता है तथा विदेशी वाजार के सम्बन्ध में सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं। मिलों में एन्डक निर्यात योजना अपनायी है, जिसके अनुसार सूती कपड़ा मिलें प्रति वर्ष कपड़े के उत्पादन का १२.५ प्रतिशत तथा सूत के उत्पादन का ३ प्रतिशत भाग निर्यात करनी हैं। फिर भी निर्यात की दिशा में अधिक प्रयत्न करने तथा कपड़े की उत्पादन लागत घटाने व किस्म में सुधार करने की आवश्यकता है। भारत से ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, ग्रीस, आस्ट्रेलिया, इण्डोनेशिया, मलेशिया, यूजीनैण्ड, अदन, अल्जीरिया, सोवियत रूस आदि देशों का बन्धन निर्यात होना है।

(३) कच्चे माल का अभाव—देश विभाजन के कारण अच्छी रई पैदा करने वाला अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः भारत की अहमदाबाद मिलों के लिए लगभग १०,००० गॉट्स लम्बे रंगे की रई विदेशों से आयात करनी पड़ती है। यह रई ऊँची दरों पर उपलब्ध होती है इनके उत्पादन व्यय में वृद्धि हो जाती है। अब देश के अन्दर नये निर्यात क्षेत्रों

मे लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। फिर भी मिस्र, अमरीका आदि से कपास का आयात जारी है।

(४) मिल, हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा में सामजस्य—भारतीय वस्त्र उद्योग के समक्ष केन्द्रित तथा विकेन्द्रित उत्पादन में सामजस्य स्थापित करने की समस्या है। रोजगार की दृष्टि से हैण्डलूम की उन्नति की जा रही है। मिलों तथा हैण्डलूम की प्रतिस्पर्धा रोकने के लिए दोनों का कार्यक्षेत्र निश्चित किया गया है। मिलों पर एक विशेष कर (Cess) लगाया गया है, जिससे प्राप्त आय का उपयोग हथकरघा उद्योग के विकास के लिए किया जाता है। हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देना उचित है, परन्तु मिल उद्योगों के हिनो की भी रक्षा की जानी चाहिए। सरकार ने निश्चय किया है कि धीरे धीरे हथकरघों का प्रतिस्थापन शक्तिचालित करघों द्वारा किया जायेगा। यह नीति उपयुक्त प्रतीत होती है।

(५) सरकारी कर नीति—सरकार ने सूती वस्त्र तथा सूत पर ऊँची दर से उत्पादन कर (excise duty) लगा रखा है। इससे उद्योग के लाभ में कमी हो जाती है, फलस्वरूप मिलों के आधुनिकीकरण की दिशा में प्रयत्न रूक जाता है।

१ मार्च, १९६६ से उत्पादन कर में कुछ छूट दी गयी है जिससे बन्द मिलों को दोबाप खुलाने का प्रोत्साहन मिला है।

(६) श्रमिकों तथा अलाभप्रद मिलों—भारत में मिलों की सख्या अधिक है। कुछ मिलों का आकार तो इतना छोटा है कि उन्हें बड़े पैमाने के उत्पादन का लाभ ही नहीं प्राप्त होता। उनकी उत्पादन लागत भी अधिक पड़ती है। अतः ऐसी अनाधिक मिलों को या तो समाप्त कर देना चाहिए या उनका सुधार तथा विस्तार कर उन्हें लाभप्रद तथा आर्थिक आकार का बनाना चाहिए।

(७) मशीनों का निर्माण—सूती वस्त्र उद्योग मशीनों के लिए विदेशों पर निर्भर रहता है। इससे आधुनिकीकरण के कार्य में बाधा उपस्थित होती है। अतः इन उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप देश में ही मशीनों का उत्पादन किया जाना चाहिए। इस दिशा में प्रयत्न भी जारी है। वर्तमान में लगभग २० करोड़ रुपये की सूती उद्योग सम्बन्धी मशीनों प्रतिवर्ष बनायी जा रही हैं।

(८) विक्रय अनुसन्धान—विश्व में उद्यमनिशील देशों की प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए यह आवश्यक है कि सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य को प्राथमिकता दी जाय। अतः अनुसन्धान कार्य की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है, जिससे उत्पादन प्रणाली में सुधार होगा तथा भारतीय मिलें प्रतिस्पर्धा में टिक सकेंगी। भारतीय सूती मिल संघ द्वारा पटसन उद्योग की भाँति उत्पादन अनुसन्धान तथा विक्री शोध की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कपड़े की किस्म में सुधार हो तथा नये बाजारों में मास विमर्त किया जा सके।

(९) अन्य समस्याएँ—भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के सामने एक समस्या प्राविधिक ज्ञानकारी (technical know how) की है, जिसके लिए नयी प्राविधिक प्रशिक्षण सम्बन्धी संस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त देश में सूती वस्त्र की माँग में बड़े पैमाने की वृद्धि नहीं हो रही है क्योंकि वस्तुओं के भाव में तेजी होने के कारण जनता की क्रय-शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सरकार को चाहिए कि वस्तु मूल्यों पर नियन्त्रण रखकर उन्हें कम करने की चेष्टा करे, अन्यथा वस्त्र उद्योग की कठिनाइयाँ अधिक बढ़ जायेंगी।

(१०) श्रम उत्पादकता—भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में श्रमिकों की उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा है। उदाहरणस्वरूप, अमरीका में १,००० तर्जुओं की देख-भाल के लिए २ श्रमिकों (शुद्ध अर्थात् १६) की आवश्यकता होती है जबकि भारत में इसी कार्य के लिए १० श्रमिक नियोजित करने पड़ते हैं।

इससे स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिकों की उत्पादकता बहुत कम है। इसमें वृद्धि करने के

लिए श्रमिकों के प्रतिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा उसके आवागमन और नाम के स्थान के वातावरण में सुधार किया जाना चाहिए।

## २. चीनी उद्योग (SUGAR INDUSTRY)

चीनी उद्योग भारत के प्रमुख ममूठिन उद्योगों में से एक है। इस उद्योग का वृषि अर्ध-व्यवस्था में भी प्रमुख स्थान है। वर्तमान में भारत में कुल २०% चीनी मिलें हैं। इनका कुल उत्पादन लगभग ६५ लाख टन है। भारत में ममूठ चीनी उत्पादन का ५०% भाग बिहार तथा उत्तर प्रदेश में संयोजित किया जाता है। इस उद्योग में १५० करोड़ रुपये की पूंजी लग चुकी है। सरकार का चीनी उत्पादन-व्यवस्था तथा गन्ना-व्यवस्था में बड़ी मात्रा में आय होती है। इस उद्योग में लगभग १५ लाख श्रमिक काय करते हैं। वृषि में सम्बन्धित होने के कारण तथा अल्प बेरोजगारी की समस्या को हल करने के कारण इस उद्योग का भारतीय अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है।

संक्षिप्त इतिहास—चीनी उद्योग भारत का अत्यन्त प्राचीन उद्योग है। १५वीं शताब्दी में १६वीं शताब्दी तक भारत चीनी का निर्यात करता रहा है। अंग्रेजों अपनी आवश्यकता का एक-निहाई भाग भारत में आयात करता था। मन् १८६६ में मद्रास तथा बंगाल में गुठ बनाने तथा साफ करने के लिए कारखाने खोल गये परन्तु ये कारखाने पुराने ढंग के थे।

मन् १९३१ में चीनी उद्योग में सरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम के अनुसार मन् १९३२ में चीनी उद्योग को १५ वर्षों के लिए सरक्षण प्रदान किया गया।

मन् १९३२ के बाद का विकास—सरक्षण में चीनी उद्योग की पर्याप्त सुरक्षा मिली। मन् १९३१ में भारत में चीनी बनाने के ३२ कारखाने थे तथा उनका उत्पादन केवल १.६ लाख टन था। सरक्षण मिलों के पदचान् चीनी के कारखानों तथा उत्पादन में तीव्र गति में वृद्धि होने लगी। मन् १९३८-३९ में कारखानों की संख्या १३२ हो गयी तथा चीनी का उत्पादन ६.४२ लाख टन हो गया अतः आयात में पर्याप्त कमी हुई। मन् १९३१ के पूर्व भारत प्रति वर्ष औसत रूप से १० लाख टन चीनी का आयात करता था परन्तु मन् १९३८-३९ में आयात की मात्रा केवल २२,००० टन रह गयी। इसमें स्पष्ट है कि चीनी उद्योग की सरक्षण में पर्याप्त लाभ हुआ। सरक्षण के कारण चीनी उद्योग के विकास को देखते हुए यह कहा जाना है कि 'भारतीय चीनी उद्योग सरक्षण का शिष्य है।'

द्वितीय विश्वयुद्ध काल तथा पदचान्—चीनी उद्योग पर किसी न किसी रूप में सरकारी नियंत्रण लगभग सदैव रहा है। मन् १९३४ के शुगरकेन एक्ट के द्वारा प्रांतीय सरकारों को गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। मन् १९३७ में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की चीनी मिलों ने शुगर मिण्ट्रीकेट की स्थापना की। मन् १९३९ में द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने समय चीनी उद्योग के सामने अतिरिक्त उत्पादन (over-production) की समस्या थी अतः चीनी के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाया गया। मन् १९४६-४७ में चीनी का उत्पादन लगभग ९ लाख टन था।

मन् १९४७ में देश का विभाजन हुआ परन्तु इसमें चीनी उद्योग को कोई विशेष हानि नहीं हुई क्योंकि मद्रास उद्योग करने का क्षेत्र तथा चीनी मिलें भारत में ही थीं। दिसम्बर १९४७ में महात्मा गांधी के प्रयत्नों से चीनी के मूल्य तथा वितरण पर से खोर मन् १९४८ में चीनी के निर्यात पर से नियंत्रण हटा दिया गया। अत्यन्त दौनों नियंत्रण हटाने उचित नहीं सिद्ध हुए क्योंकि चीनी के मूल्यों में वृद्धि होने लगी। अतः मन् १९४९ में चीनी पर पुनः नियंत्रण लगाया गया तथा चीनी के मूल्य निर्धारण व वितरण का दायित्व सरकार में अपने ऊपर ले लिया। मन् १९५०-५१ में भारत में कुल १३८ चीनी मिलें थीं जिनका वार्षिक उत्पादन ११ लाख टन था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के समय तक भारतीय चीनी उद्योग न जो प्रगति की उसका अनुमान निम्नलिखित सारिणी से लगाया जा सकता है

	१९३१-३२	१९३८-३९	१९४५-४६	१९५०-५१
मिला की सख्या	३२	१३२	१३८	१३८
उत्पादन (लाख टन)	१६२	६	९	११

**पंचवर्षीय योजनाओं में चीनी उद्योग की प्रगति**

प्रथम पंचवर्षीय योजना—प्रथम योजना प्रारम्भ करते समय भारत में (सन् १९५०-५१)

चीनी का उत्पादन ११ लाख टन था जबकि मिला की उत्पादन क्षमता १५४ लाख टन थी। योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया कि सन् १९५५-५६ तक देश की वाषििक मांग १५ लाख टन होगी, अत चीनी के उत्पादन का लक्ष्य १५ लाख टन रखा गया। सन् १९५२ में चीनी पर से नियंत्रण हटाने के कारण मांग में वृद्धि हुई अत चीनी का उत्पादन लक्ष्य की बढाकर १८ लाख टन कर दिया गया। बढी हुई मांग के कारण १९५४-५५ में ५७ लाख टन चीनी का आयात भी करना पडा। सन् १९५४ में चीनी उत्पादन योजना का स्वरूप बदला गया तथा ४३ नयी चीनी मिलों की स्थापना और ४२ पुरानी चीनी मिलों का विस्तार के लिए स्वीकृति दी गयी। इस योजना के अन्तर्गत १९५५-५६ में चीनी का उत्पादन १८६२ लाख टन हुआ जो लक्ष्य से अधिक था परन्तु उस वर्ष उपभोक्ताओं की मांग १९ लाख टन थी। प्रथम योजनाकाल में इस उद्योग के विकास के लिए १५ कराड रुपय खर्चा किया गया।

द्वितीय योजना में चीनी उद्योग—योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया था कि सन् १९६०-६१ तक दस में चीनी की मांग २५ लाख टन हो जायेगी। इस दृष्टि से द्वितीय योजना का उत्पादन लक्ष्य २२.५ लाख टन रखा गया। योजनाकाल में सहकारिता के आधार पर ३५ नयी मिल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त पुरानी मिलों के विकास तथा उनकी मशीनों के नवीनीकरण के लिए योजनाएं बनायी गयीं। इसके अतिरिक्त इस काल में चीनी उद्योग के विकास कार्यक्रम पर ५१ कराड रुपय व्यय करने की व्यवस्था की गयी।

सन् १९६०-६१ में चीनी मिला की सख्या १७५ थी और चीनी का कुल उत्पादन ३०.२९ लाख टन हुआ। इन पांच वर्षों में चीनी उद्योग के विकास तथा विस्तार पर कुल ५६ करोड रुपय व्यय किया गया। सन् १९६०-६१ तक दस में ३० सहकारी चीनी मिल स्थापित की जा चुकी थी। द्वितीय योजनाकाल में चीनी के उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि सन् १९५८ में सरकार ने निर्यात करने का निश्चय किया और निर्यात का प्रास्तावक दान के लिए निर्यात की जाने वाली चीनी पर घाट का पूर्ति के लिए अधिक उत्पादन कर लगा दिया गया।

तृतीय योजना में चीनी उद्योग—तृतीय योजना के अन्तर्गत चीनी का उत्पादन लक्ष्य ३२ लाख टन निश्चित किया गया और इस काल में सहकारिता के आधार पर २५ चीनी के कारखाने स्थापित करने की व्यवस्था की गयी।

वर्तमान स्थिति—गत वर्षों में चीनी के उत्पादन की स्थिति निम्नलिखित रही है

**भारत में चीनी का उत्पादन**

	१९६१-६२	१९६४-६६	(नाल टन)
उत्पादन	२७	३५	१९७०-७१
			४५

दिसम्बर १९६७ में चीनी के वितरण पर आंशिक नियंत्रण हटा लिया गया जिसके अनुसार चीनी की उत्पादन का ६० प्रतिशत मांग नियंत्रित दर पर और शेष ४० प्रतिशत खुले

बाजार में बेचने की व्यवस्था की गयी। १९६८-६९ के लिए खुले बाजार में बिकने वाली चीनी का भाग केवल ३० प्रतिशत ही रहा और ७० प्रतिशत चीनी नियन्त्रित दरों पर बिकी। इस प्रकार चीनी के दो बाजार—नियन्त्रित और अनियन्त्रित—स्थापित हो गये।

नियन्त्रण हटाया गया—गत दो-तीन वर्षों से चीनी के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। १९७०-७१ में उत्पादन ४५ लाख टन तक पहुँच गया। चीनी मिनी के स्टॉक में निरन्तर वृद्धि होती रही है जिससे उनके व्याज और गोदाम में रखने के खर्च बढ़ने गये हैं। इसी दृष्टि में २५ मई, १९७१ से चीनी के वितरण को स्वतन्त्र कर दिया गया है उस पर कोई नियन्त्रण नहीं रहा है।

सरकार प्रति मास एक निश्चित मात्रा में चीनी बेचने की अनुमति देगी जिसे खुले बाजार में ही बेचा जा सकता है। सरकार की इस नीति से चीनी के मूल्यों में बहुत गिरावट नहीं आने पायेगी।

चीनी उद्योग में सहकारी क्षेत्र का महत्त्व—३० जून, १९७० को भारत में चीनी तैयार करने वाली कुल २०५ फैक्टरियाँ थी जिनकी उत्पादन क्षमता ५० लाख टन थी। इनमें से ८० फैक्टरियाँ सहकारी क्षेत्र में थी जिनकी उत्पादन क्षमता लगभग १८ लाख टन अर्थात् कुल क्षमता की ३६ प्रतिशत थी।

इन सहकारी शक्कर फैक्टरियों की अश-पूँजी लगभग ३१ करोड़ रुपये है जिनमें से १६ करोड़ रुपये साधारण सदस्यों तथा शेप की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की गयी है। इन फैक्टरियों में से २२ महाराष्ट्र राज्य में हैं। शेप गुजरात, केरल, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में हैं।

समस्याएँ तथा सुझाव—भारतीय चीनी उद्योग की अनेक समस्याएँ हैं, जिनमें में मुख्य निम्नलिखित हैं

(१) गन्ने सम्बन्धी कठिनाइयाँ—भारत में गन्ने की प्रति एकड़ उपज अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। गत वर्षों में गन्ने सम्बन्धी क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि हुई है, परन्तु प्रति एकड़ उपज में कमी हुई है। जावा तथा हवाई द्वीप में गन्ने की प्रति एकड़ उपज ५६ तथा ६२ टन है जबकि भारत की औसत १५ टन है अतः गन्ने की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि करना आवश्यक है। भारत के जिन क्षेत्रों में गहरी खेती के उन्नतिशील तरीके व वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया गया है वहाँ पर उपज में आशातीत वृद्धि हुई है। दो इन्स्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, वानपुर (स्थापित सन् १९३६), शुगर रिमिच इन्स्टीट्यूट, लखनऊ (सन् १९५२) को इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। प्रति एकड़ कम उपज होने के साथ ही साथ भारतीय गन्ने में चीनी की मात्रा बहुत कम होती है। गन्ने में चीनी की कम मात्रा पाये जाने के कारण भारत में औसत रूप में केवल १३७ टन चीनी प्रति एकड़ प्राप्त होती है जबकि क्यूबा तथा जावा में क्रमशः ६८६ टन व ६४४ टन प्राप्त होती है। अतः भारत को उत्तम प्रकार के गन्ने की खेती पर ध्यान देना आवश्यक है।

भारतीय गन्ने से कितनी कम चीनी उपलब्ध होती है इसका अनुमान इस बात से होता है कि उत्तर भारत में बिहार तथा उत्तर प्रदेश का गन्ना प्रायः ६ से १० प्रतिशत चीनी देता है जबकि जावा, सुमात्रा, मारीशस आदि में १३-१४ प्रतिशत तक चीनी उपलब्ध होती है।

दक्षिण भारत में जो गन्ना उत्पन्न किया जा रहा है उसमें प्रायः ११ से १३ प्रतिशत तक चीनी प्राप्त की जा रही है। अतः मुधरी हुई किम्म का गन्ना उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(२) उत्पादन लागत—गन्ने में चीनी की मात्रा कम होने के कारण चीनी में उत्पादन का व्यय अधिक पड़ता है, अतः भारतीय चीनी अन्य देशों की तुलना में बहुत महँगी पड़ती है। भारतीय चीनी के उत्पादन व्यय में ६०% भाग गन्ने के मूल्य का होता है। प्रति एकड़ कम उपज तथा

चीनी की मात्रा कम होने के कारण चीनी की उत्पादन लागत बहुत ऊँची पड़ती है। अतः उत्पादन लागत का घटाना आवश्यक है। यह उसी समय सम्भव है जबकि गन्ने की खेती वैज्ञानिक रीतियों में की जाय। इन कार्यों के लिए किसानों को सरकार द्वारा सप्लैट सहायता मिलनी अत्यावश्यक है।

(३) उप-उत्पादनों की समस्या—चीनी बनाने समय कई सहायक उत्पादन प्राप्त होते हैं, जैसे छोई (bagasse) तथा शीरा (molasses)। इनका प्रयोग कई उपयोगी वस्तुएँ बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे—छोई से कागज गत्ता आदि बनाया जा सकता है तथा शीरे से अल्कोहल व उर्वरक। यदि इन उत्पादकों का समुचित उपयोग किया जाय तो कई उप-उद्योग प्रारम्भ किये जा सकते हैं। इसमें चीनी के उत्पादन व्यय में पर्याप्त कमी की जा सकती है।

(४) अभिनवीकरण की समस्या—अनेक चीनी मिलों में पुरानी मशीनें लगी हुई हैं अतः उनमें नयी तथा आधुनिक मशीनें लगाने की आवश्यकता है। मिलों में श्रमिकों की संख्या भी अधिक है। अभिनवीकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होगी, जिसका सर्वथा अभाव है। दूसरी ओर श्रमिकों की छँटनी भी करना पड़ेगी। योजना आयोग ने यह सुझाव दिया कि चीनी उद्योग में अभिनवीकरण की योजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धीरे-धीरे की जानी चाहिए। गूँडू राव समिति के अनुसार आगामी १० वर्षों में अभिनवीकरण के लिए ६० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

(५) अनाधिक आकार—अनुमान लगाया गया है कि अधिक दृष्टि से लाभदायक होने के लिए एक चीनी मिल में लगभग १ २५० टन गन्ना प्रतिदिन पेरा (crush) जाना चाहिए। जबकि भारत में ५२ मिलें ऐसी हैं, जो प्रतिदिन १,५०० टन गन्ना पेराती हैं तथा कुछ ऐसी भी हैं जो २,००० से २,५०० टन तक गन्ना प्रतिदिन प्रयोग करती हैं, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी फॅक्टरियों की है, जो छोटे पैमाने पर उत्पादन करती हैं। इससे उत्पादन लागत अधिक पड़ती है। अतः चीनी मिलों का आकार अधिक होना चाहिए। प्रत्येक मिल का आकार कम से कम इतना बड़ा हो कि प्रतिदिन कम से कम १ २५० टन गन्ना पेरा जा सके।

(६) क्षमता का आर्थिक उपयोग—एक ओर तो मिलें अधिक आकार (economic size) में छोटी हैं और दूसरी ओर उनकी वर्तमान क्षमता का भी पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता है। बहुत से चीनी के कारखाने वय में केवल ५-६ महीने ही चलते हैं। इस समय में भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिल पाता अतः गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

चीनी उद्योग की क्षमता का पूरा उपयोग इसलिए भी नहीं हो पाता कि गन्ने के उत्पादन का लगभग ६० प्रतिशत भाग गुड़ तथा खाइमारी बनाने के काम आता है। यह दोनों वस्तुएँ देशी ढंग में तैयार की जाती हैं। देशी प्रक्रिया में गन्ने में केवल ५५-६० प्रतिशत रस निकाला जाता है जबकि फॅक्टरी में आधुनिक ढंग से चीनी बनाने में गन्ने का लगभग ६० प्रतिशत रस निकाल लिया जाता है, अतः गुड़ और खाइमारी बनाने में लगभग ३० प्रतिशत रस छिलके में ही छोड़ दिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि लगभग ३० लाख टन गुड़ या ३० लाख टन शक्कर के तुल्य रस बेकार जाता है। यह निश्चय ही एक गम्भीर स्थिति है। सरकार द्वारा इस वर्षादी को रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(७) स्थिति सम्बन्धी समस्या—चीनी मिलें उत्तर भारत में मुख्यतया उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ही स्थित हैं। आधे से अधिक चीनी का उत्पादन केवल इन दो राज्यों में ही किया जाता है। इन राज्यों में घटिया गन्ना पैदा होना है और मिनों की मशीनें बहुत पुरानी हैं। ये दोनों राज्य गन्ना उत्पादन के लिए प्राकृतिक दृष्टि में बहुत उपयुक्त नहीं हैं। जबवायु की दृष्टि से दक्षिण भारत गन्ना उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है। अतः नयी मिनों की स्थापना दक्षिण भारत में की जानी चाहिए।



(८) निर्यात—विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए अब चीनी का निर्यात भी किया जाता है परन्तु चीनी का अन्तरराष्ट्रीय मूल्य भारत की अपेक्षा बहुत कम है। उदाहरणतः चीनी का अन्तरराष्ट्रीय मूल्य लगभग २० पैसे प्रति पौण्ड (१६ पौण्ड प्रति टन) है जबकि भारत में चीनी के भाव इससे लगभग चार गुने हैं। लागत मूल्यों के आधार पर भी चीनी निर्यात करने के लिए सरकार को देशी मूल्य तथा अन्तरराष्ट्रीय मूल्य के अन्तर की पूर्ति करनी पड़ती है। इससे सरकार को काफी घाटा होता है। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत २ लाख टन से अधिक चीनी निर्यात नहीं कर सकता। गत दो तीन वर्षों में यही स्थिति रही है।

(९) अन्य समस्याएँ—(क) चीनी तथा खांडसारी उद्योगों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है, जिसमें चीनी उद्योग की गन्ना मिलने में कठिनाई होती है। इसका मुख्य कारण उनके मूल्यों में अंतर पाया जाता है। अतः चीनी, गुड़ तथा खांडसारी के मूल्यों में सन्तुलन लाने की आवश्यकता है।

(ख) चीनी उद्योग पर कर भ्रष्ट भी अधिक है। समस्त लागत का १७% भाग करों का होता है अतः करों की मात्रा में कमी की जानी चाहिए।

(ग) गन्ने के रस को साफ करने की विधि भी पुरानी है (गन्धक द्वारा)। अतः रस को साफ करने की नयी विधि अपनायी जाए। इस दिशा में चीनी उद्योग प्रयत्नशील भी है।

(घ) चीनी उद्योग पर किसी न किसी रूप में सदैव नियन्त्रण रहा है। इस नियन्त्रण के कारण उद्योग को कोई भी लाभ नहीं हुआ है बल्कि उपभोक्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

वर्तमान प्रवृत्तियाँ—(i) चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है। परन्तु गन्ने का भाव किसानों की दृष्टि में सस्ता है अतः लोग कम भूमि में गन्ना बोने लगे हैं। विमान गन्ने के स्थान पर अन्य लाभप्रद फसलें उगा रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने १९६७-६८ से गन्ने का मूल्य ५६८ रुपये क्विण्टल से बढ़ाकर ७३७ रुपये प्रति क्विण्टल कर दिया। किन्तु इसे भी कम समझा जा रहा है।

(ii) सरकार ने सन् १९६६-६७ वर्ष के लिए चीनी पर उत्पादन-कर में वृद्धि २८६५ रुपये प्रति क्विण्टल से बढ़ाकर ३७ रुपये प्रति क्विण्टल कर दी किन्तु १९६८-६९ के लिए इसे घटाकर पुनः २८६५ रुपये क्विण्टल ही कर दिया गया। १९७१-७२ के वर्ष के लिए उत्पादन कर ३० रुपये प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) कर दिया गया है।

(iii) १९७०-७१ में चीनी का उत्पादन लगभग ४५ लाख टन हुआ है जो आवश्यकता से बहुत अधिक है। इसी कारण चीनी मिलों के पास स्टॉक में तेजी से वृद्धि हो गयी। इस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए चीनी की बिक्री पर से नियन्त्रण हटा लिया गया है। अब कुल चीनी खुले बाजार में बिक रही है। जाशा है आगामी वर्षों में चीनी की पूर्ति तथा मूल्य की समस्या बहुत कुछ हल हो जायगी।

चुकन्दर से चीनी—भारत में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक सुझाव यह दिया गया है कि भारत में भी यूरोप के देशों की भाँति चुकन्दर से चीनी बनायी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में लखनऊ में स्थित नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि चुकन्दर से चीनी का उत्पादन सरतः और सस्ता है क्योंकि उत्तर भारत में एक एकड़ भूमि में गन्ना केवल १५ टन मिलता है जिसमें लगभग १३५ टन चीनी प्राप्त होती है। इसके विपरीत, एक एकड़ भूमि में २० टन चुकन्दर मिलता है जिसमें लगभग ३ टन चीनी प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात यह है कि चुकन्दर की धेती में गन्ने की तुलना में कम खर्च पड़ता है। तीसरा उल्लेखनीय तत्त्व यह है कि

चुकन्दर ३-४ महीने में फल दे देती है जबकि गन्ने की फल ७-८ महीने में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त चुकन्दर जम्मू-काश्मीर जैसे ठण्डे भागों में भी पैदा हो जाती है जबकि गन्ना केवल गर्म प्रदेशों में ही पैदा किया जा सकता है।

रघुरपुर के कृषि विश्वविद्यालय ने यह सिद्ध किया है कि तराई के क्षेत्रों में प्रति एकड़ ४० से ६० टन तक चुकन्दर पैदा की जा सकती है। अतः उत्तर भारत में गन्ने के स्थान पर चुकन्दर से चीनी पैदा करने के प्रयत्न किये जाने चाहिए और दक्षिण भारत में गन्ने से चीनी बनाने का क्रम गतिशील बनाया जाना चाहिए। राजस्थान में स्थित गगानगर शुगर मिल ने चुकन्दर से चीनी तैयार करने के सफल प्रयोग किये हैं।

गत वर्षों में अमरीका तथा जापान में कृत्रिम (Synthetic) मीठे पदार्थों का आविष्कार हो गया है और उनका प्रयोग निरन्तर बढ़ रहा है। इस दृष्टि से ससार में चीनी उद्योग (जिसका उत्पादन पहले ही माँग से अधिक है) का भविष्य बहुत उज्ज्वल प्रतीत नहीं होता। सन्तोष की बात केवल यह है कि कृत्रिम मीठे पदार्थ अभी चीनी से महंगे हैं।

### ३ जूट उद्योग (JUTE INDUSTRY)

जूट उद्योग भारत का द्वितीय प्रमुख उद्योग है। यह उद्योग अत्यन्त समृद्ध तथा वैश्व उद्योग है। इस उद्योग द्वारा भारत को प्रायः सर्वाधिक विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है। पाकिस्तान बनने से पहले भारत का इस उद्योग पर एकाधिकार था। अधिकांश जूट मिलें पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित हैं।

संक्षिप्त इतिहास—भारत में प्राचीनकाल में जूट उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में बनाया जाता था परन्तु आधुनिक रूप में इस उद्योग का प्रारम्भ सन् १८५५ से हुआ। इस वर्ष जॉर्ज आकलैण्ड ने बंगाल में श्रीरामपुर के निकट रिशारा नामक स्थान पर प्रथम जूट मिल की स्थापना की। इसके पश्चात् इस उद्योग का विकास होने लगा। सन् १९१४ तक जूट मिलों की संख्या ६४ हो गयी।

प्रथम युद्ध के पश्चात्—प्रथम युद्धकाल में जूट उद्योग का अच्छा विकास हुआ। युद्ध के कारण जूट सम्बन्धी वस्तुओं की माँग बढ़ गयी। उन दिनों जूट उद्योग में साम की दरें ७१% तक पहुँच गयी। युद्ध के पश्चात् जूट के मामल की माँग फिर गिर गयी अतः उद्योग के मामले में उलट स्थिति हो गयी। सन् १९२४ से जूट मिलों ने विन्तार कार्य रोक दिया। सन् १९२९ की आर्थिक मन्दी का प्रभाव भी इस उद्योग पर पड़ा परन्तु यह प्रभाव इस उद्योग पर उतना बुरा नहीं था जितना कि अन्य उद्योगों पर। वस्तुतः जूट उद्योग ने अपनी प्रगति धीरे-धीरे जारी रखी। सन् १९२९-३० में जूट मिलों की संख्या ६८ हो गयी जिनमें ११,४०,४३५ तर्कूए तथा ५३,९०० करपे थे। सन् १९२९ तथा आगामी दो वर्षों में कच्चे जूट का उत्पादन कम हुआ है अतः जूट मिलों में काम करने के घण्टों में कमी की गयी। यह स्थिति द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक बनी रही।

द्वितीय विश्वयुद्ध काल—युद्ध प्रारम्भ होने के समय जूट उद्योग की अवस्था अच्छी नहीं थी परन्तु युद्ध के दिनों में इस उद्योग ने अच्छी प्रगति की। देश तथा विदेश में जूट निर्मित वस्तुओं की माँग बढ़ गयी। बड़ी हुई माँग की पूर्ति के लिए जूट मिलों ने काम करने के घण्टे सप्ताह में ६० कर दिये। सरकार ने भी वर्तमान में जूट उद्योग पर कारखाना अधिनियम लागू नहीं किया। सन् १९४० के पश्चात् विदेशी माँग में कुछ कमी हुई। सन् १९४२ में भारत में अकाल पड़ा तथा कोयला व यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण जूट मिलें बन्द करनी पड़ी। इस प्रकार युद्धकाल में जूट उद्योग अच्छी तथा विपत्तिपूर्ण दोनों अवस्थाओं से गुजरा। युद्धकाल में इस उद्योग की प्रगति का अनुमान अप्रतिष्ठित तालिका से लगाया जा सकता है।

वर्ष	मिलों की संख्या	करघों की संख्या (हजारों में)	सकुओं की संख्या (हजारों में)
१९३८-३९	१०७	६८	१,३५०
१९४५-४६	१११	६९	१,४४५

**विभाजन का प्रभाव**—सन् १९४७ में देश का विभाजन हुआ। इसका प्रभाव जूट उद्योग पर बहुत बुरा पड़ा क्योंकि जूट पैदा करने वाले क्षेत्र का ७२% भाग पाकिस्तान में चला गया किन्तु लगभग सभी मिलें भारतीय क्षेत्र में रही। जब जूट उद्योग को बचने माल की समस्या का सामना करना पड़ा, फलतः कई महीने तक बहुत सी मिलें बन्द रही। पाकिस्तान ने कच्चे जूट पर ऊँची दर में निर्यात कर लगाया। उस समय भारत-पाकिस्तान के बीच कई व्यापारिक समझौते हुए परन्तु पाकिस्तान ने उन समझौतों में शर्तें पूरी नहीं की। सन् १९४९ में भारतीय रुपये के अकमूयन का भी जूट उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि पाकिस्तानी जूट भारत के लिए ४४ प्रतिशत महँगा हो गया। सरकार ने देश में अन्दर जूट के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न किया और नये मशीनों में जूट की छिनी का विस्तार किया जाने लगा।

### पंचवर्षीय योजनाओं में जूट उद्योग

**प्रथम पंचवर्षीय योजना**—जिस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी उस समय जूट उद्योग के मामले में कच्चे माल की समस्या थी। सन् १९५०-५१ में कच्चे जूट का उत्पादन ३३ लाख गॉठ था। प्रथम योजना तार में इसे बढ़ाकर ५३.७ लाख गॉठ करने का लक्ष्य था। योजना-काल में जूट मिलों की उत्पादन क्षमता पर्याप्त थी जब नयी जूट मिलों की स्थापना या वर्तमान जूट मिलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की योजना नहीं बनायी गयी। जूट की छिनी के विस्तार तथा कच्चे जूट की उत्पादन वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त जूट उद्योग की मशीनों के देश में निर्माण के लिए भी व्यवस्था की गयी।

सन् १९५५-५६ में कच्चे जूट का उत्पादन ४२ लाख गॉठ हुआ जो लक्ष्य में ११.७ लाख गॉठ कम था। जूट के मामलों के निर्यात का लक्ष्य ६५ लाख टन से बढ़ाकर १० लाख टन करने का था परन्तु योजना के अन्तिम वर्ष में वास्तविक निर्यात ८.७५ लाख टन हुआ।

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना**—द्वितीय योजना-काल में कच्चे जूट के संशुद्ध में देश को आरामनिर्भर बनाने का लक्ष्य ६५ लाख गॉठ रखा गया और इसी बीच मिलों की संख्या में वृद्धि न करने का निर्देश किया गया। योजनाकाल में इस उद्योग को विदेशी प्रतिযোগिता का सामना करना पड़ा, जब निर्यात का लक्ष्य केवल ९ लाख टन और उत्पादन का लक्ष्य १२ लाख टन रखा गया। योजनाकाल में उत्पादन व्यय कम करने, मशीनों का आधुनिकीकरण तथा निर्यात वृद्धि के प्रयत्नों पर जोर दिया गया। योजना के अन्तिम वर्ष में कच्चे जूट का उत्पादन ४३ लाख गॉठ हुआ तथा जूट की मन्तुओं का उत्पादन ९.७० लाख टन हुआ।

**तृतीय पंचवर्षीय योजना**—तृतीय योजना में कच्चे जूट के उत्पादन का लक्ष्य ७५ लाख टन गॉठ और जूट के मामलों के उत्पादन का लक्ष्य ७६ लाख टन रखा गया। १९६५-६६ में जूट तथा मेन्टा का सम्मिलित उत्पादन लगभग ५८ लाख गॉठों या विन्तु १९७१-७२ में वह ७७ लाख गॉठों होना का अनुमान है। १९७१-७२ में जूट की संख्या भी ७७ लाख गॉठों होने का अनुमान है।

**वर्तमान स्थिति और समस्याएँ**—बापिन सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) के अनुसार भारत में ६० जूट मिलें हैं जिनकी सम्मिलित पूँजी ९२ करोड़ रुपये है और उनमें २.५७ लाख व्यक्ति नियोजित हैं। गत वर्षों में जूट उद्योग का उत्पादन अग्रगण्य रहा है :

जूट उद्योग का उत्पादन

(लाख टनो में)

वर्ष	उत्पादन
१९५१-५२	६६
१९५५-५६	१११
१९६०-६१	१०२
१९६६-७०	६७

हमारे स्पष्ट है कि जूट के माल का कुल उत्पादन निरन्तर गिर रहा है।

निर्यात उद्योग—जूट उद्योग मुख्यतः एक निर्गमन उद्योग है। इसके निर्यात से सर्वाधिक विदेशी विनिमय प्राप्त होती है। उदाहरणस्वरूप १९६६-७० में लगभग २०७ करोड़ रुपये के मूल्य का जूट का सामान निर्यात किया गया जो किसी भी अन्य वस्तु के निर्यात से अधिक था। गन बर्षों में जूट के सामान का निर्यात इस प्रकार रहा है

जूट के सामान का निर्यात

वर्ष	१९६०-६१	१९६६-७०
माल (लाख टन)	=	५७
मूल्य (करोड़ रुपये)	२१३	२०७

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जूट के माल के निर्यात में कमी की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है।

समस्याएँ तथा सुझाव—वर्तमान समय में भारतीय जूट उद्योग के सामने कुछ समस्याएँ हैं जिनका निवारण आवश्यक है। मई १९६२ में 'श्रीवास्तव जूट समिति' की नियुक्ति की गयी थी। इस समिति ने जूट उद्योग की समस्याओं पर विचार किया तथा उद्योग की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इस उद्योग की प्रमुख समस्याएँ तथा उनके निराकरण के लिए सुझावों का बर्षानुवर्ष (श्रीवास्तव जूट समिति रिपोर्ट के आधार पर) नीचे दिया जा रहा है

(१) कच्चे जूट की कमी—भारतीय मिलों को अपनी सम्पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग करने के लिए लगभग ७५ लाख गाँठ कच्चे जूट की आवश्यकता होती है। १९५०-५१ में मिलों को जूट की आवश्यकता ५६ लाख गाँठें थी जबकि देश में उत्पादन ३३ लाख गाँठें था। १९६०-६१ में आवश्यकता ६४ लाख गाँठें थी और उत्पादन ५३ लाख गाँठें था। १९७१-७२ में आवश्यकता और उत्पादन दोनों समान अर्थात् लगभग ७७ लाख गाँठें होंगे।

इस प्रकार कच्चे जूट की समस्या लगभग हल हो गयी है।

(२) विदेशी प्रतिस्पर्द्धा—जूट उद्योग को भीषण प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है। जूट के उन मूल्यवान् देश अर्थात् यहाँ स्वयं इस उद्योग का विनाश कर रहे हैं। भारत का मुख्य प्रतिस्पर्द्धी पाकिस्तान है। १९६४-६५ से १९६६-७० के बीच भारत का भाग जूट के माल के निर्यात में निरन्तर कम होता गया है। १९६४-६५ में भारत जूट माल के कुल निर्यात का ८० प्रतिशत निर्यात करता था। पाकिस्तान का भाग केवल २० प्रतिशत था। १९६६-७० में भारत का भाग पन्द्रह ५३ प्रतिशत रह गया है, पाकिस्तान का भाग बढ़कर ४७ प्रतिशत हो गया है।

थाईलैण्ड, घान, नाइजेरिया, इण्डोनेशिया आदि देशों में भी जूट का सामान बनाने के कारखाने लगाये गये हैं और नये कारखाने लगाये जा रहे हैं।

भविष्य में विदेशी प्रतिस्पर्द्धा और बढ़ेगी—'U N Commodity Survey' के अनुसार सन् १९७५ में, जूट के प्रमुख उत्पादक तीनों देशों (भारत, पाकिस्तान व थाईलैण्ड) द्वारा निर्यात के लिए २८१ से ३२८ लाख टन तक जूट की वस्तुओं उपलब्ध होगी, जबकि विश्व में जूट दस्तुओं

की माँग केवल १६७ से २५५ लाख टन तक होगी। इस प्रकार जूट वस्तुओं की पूर्ति, माँग की अपेक्षा अधिक रहेगी। अमरीका, जापान तथा पश्चिमी यूरोप में जूट के स्थान पर अन्य कृत्रिम वस्तुओं का प्रयोग और बढ़ेगा, जिसमें जूट के निर्यात व्यापार की स्थिति और भी बिगड़ेगी। अतः उत्पादन लागत घटाकर ही भारत का जूट उद्योग विपन्न में अपनी स्थिति बनाये रख सकता है।

(३) स्थानापन्न वस्तुओं का नया—अनेक पश्चिमी देशों ने जूट के स्थानापन्न पदार्थों का उपयोग आरम्भ कर दिया है। अमरीका पैकिंग के लिए बरलप (Burlap) तथा विशेष प्रकार का जगज प्रयोग में ला रहा है। अभी कुछ समय पूर्व ही पोलि प्रोफ्लेन (Poly prophlene) नाम का नया रेशा निकाला गया है, जो मनीचो रु नीच (जूट वस्त्र के स्थान पर) लगाया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका, जापान, हांगकांग आदि में भी जूट नरीचे रेशो का उपयोग किया जा रहा है। उक्त प्रवृत्तियाँ भारतीय जूट उद्योग के लिए एक नियमित खतरा बन गयी हैं। वर्तमान में केवल इस बात से मन्तोप किया जा सकता है कि जूट का सामान इस कृत्रिम सामग्रियों में मस्ता पडता है।

स्थानापन्न वस्तुओं की स्पर्धा में टिकने के लिए भारतीय जूट उद्योग के सामने दो मार्ग हैं—एक तो जूट का सामान सस्ता बनाया जाय, दूसरे जूट के नवीन उपयोग निकाले जायें। इस दृष्टि से जूट उद्योग में शोधार्थ की निरन्तर आवश्यकता है। उदाहरणतः, यदि पटमन के वस्त्र का लागत मूल्य १० प्रतिशत कम किया जा सके तो पोलि प्रोफ्लेन से स्पर्धा का भय दूर हो सकता है। मन्तोप का विषय है कि जूट उद्योग इस दिशा में प्रयत्नशील है। जूट के नवीन उपयोग खोजने की दृष्टि में भारतीय जूट मिल सच न एन शोध सम्घान 'Indian Jute Mills Association Research Institute' की स्थापना की है। इस सम्घान में डेडहम की रेशा शोधशाला (Fabric Research Laboratories of Dedham, U S A.) में शोध सम्बन्धी समझौता किया है। इस शोधशाला में जूट उद्योग में कुछ नवीन शोध की हैं, जिनका गतिष्प ध्यौरा निम्नलिखित है :

(क) जूट वस्त्र के र्नीचिंग तथा रगने की नवीन पद्धति ज्ञात कर ली गयी है, जो जूट का प्रयोग नवीन मात्र-मज्जा सम्बन्धी सामान बनाने में मदद करेगी। इसमें अमरीका में ही जहाँ पहले ५० लाख मीटर जूट वस्त्र की खपत होती थी, अब ५ करोड़ मीटर हो जाने की आशा है।

(ख) जूट का प्रयोग (उमका शीतन करके) दरवाजों तथा मकानों की विभाजक दीवारों (Partition walls) में करने सम्बन्धी सम्भावनाएँ बढ़ रही हैं और बरलप के स्थान पर अब जूट का कोटिंग देना सम्भव होगा।

इन दो शोधों के अनिर्दिष्ट अनेक दूसरे क्षेत्रों में (वस्त्र उद्योग आदि) भी जूट के प्रयोग सम्बन्धी अनुसन्धान चल रहे हैं। इनकी सफलता जूट उद्योग के लिए सफलता के नये द्वार खोल सकेगी, ऐसी आशा है।

(४) नवीनीकरण की समस्या—देश के विभाजन के समय भारतीय जूट मिलों की अधिकांश मशीनें पुरानी तथा पराम्प हालत में थीं। इनका परिवर्तन न केवल अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा में खड़ा रहने के लिए आवश्यक था बल्कि जूट उद्योग का विनाश करने तथा निर्यात आदि बढाने की दृष्टि में भी महत्त्वपूर्ण था। इस दृष्टि से जूट उद्योग ने १९५२ में नवीनीकरण का कार्य आरम्भ किया और बुनाई-स्तर पर लगभग पूर्णतः नवीनीकरण कर दिया गया है। उच्चस्तरिय तंतुओं के ८६ प्रतिशत तथा निम्नस्तरिय (coarse) तंतुओं के १०० प्रतिशत भाग का नवीनीकरण किया जा चुका है। नवीनीकरण का यह काम पाकिस्तान की सम्भावित स्पर्धा के कारण आरम्भ किया गया था परन्तु बुनाई-स्तर पर इसमें विशेष प्रगति नहीं हुई है, यह एक गम्भीर स्थिति है। बुनाई-स्तर पर नवीनीकरण न होने का मुख्य कारण यह है कि देश में सफेद मात्रा में मशीनों का उत्पादन नहीं हो रहा है।

बताई-स्तर पर नवीनीकरण के अतिरिक्त जूट उद्योग की कई इकाइयाँ आपस में मिल गयी हैं ताकि वह लाभदायक स्थिति में आ सकें। 'विशेष उत्पादन' में भी मिलों ने वृद्धि कर ली है और उत्पादन में विविधता लायी गयी है, फिर भी आधुनिकीकरण की दिशा में और प्रयत्न करना चाहिए। उत्पादन में विस्तार करने के लिए अनामप्रद कारखानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए तथा नये कारखानों की स्थापना प्रादेशिक आवश्यकता तथा प्राप्त सुविधाओं को ध्यान में रखकर करनी चाहिए।

(५) कच्चे जूट का मूल्य तथा उत्पादन—भारत में कच्चे जूट की कीमतें ऊँची हैं। इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। जूट उद्योग में लागत व्यय घटने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि महँगाई बढ़ने के कारण श्रमिकों ने वेतन तथा महँगाई-भत्ते में निरन्तर वृद्धि करनी पड़ी है।

गत कुछ वर्षों में आधुनिकीकरण, छोटी इकाइयों को मिलाकर बड़ी मिलों की स्थापना आदि के कारण उत्पादन व्यय में कुछ कमी हुई है। 'श्रीवास्तव समिति' ने यह सुझाव दिया है कि अनिश्चित उत्पादन के लिए वर्तमान करणों को दो पाली (shifts) चलाने पर ध्यान देना चाहिए। आधुनिकीकरण की दिशा में जो कर्मियाँ हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए।

(६) निर्यात—भारत जूट के सामान का महत्वपूर्ण निर्यातक रहा है किन्तु उसके निर्यातों की मात्रा या मूल्य में वृद्धि नहीं हो रही है। १९६०-६१ में भारत से जूट का माल लगभग २१३ करोड़ रुपये के मूल्य का निर्यात किया गया था जबकि १९६६-७० में निर्यात का मूल्य २०७ करोड़ रुपये था।

निर्यात के सम्बन्ध में विशेष ध्यान यह है कि १९६०-६१ में भारत के कुल निर्यातों में जूट का भाग २१.१ प्रतिशत था जो घटकर १९७०-७१ में केवल १४.६ प्रतिशत रह गया है। इस प्रकार कुल निर्यातों में जूट के माल का भाग कम होता जा रहा है। इन दोनों दिशाओं में सुधार होने के लिए जूट के माल का बिम्ब नियन्त्रण (Quality control) होना चाहिए। भारतीय मानक निर्धारण संस्थान (I S I) द्वारा मानकों (standards) का निश्चय होना चाहिए तथा माल बनाने समय ही प्रमाणीकरण तथा बिम्बन किना जाना चाहिए। नयी वस्तुओं के उत्पादन तथा उनके आडों की पूर्ति पर ध्यान देना चाहिए। कुछ देशों में जूट की वस्तुओं पर सरक्षण प्रशुल्क लगाया जाता है। उनमें कनाडा, अमरीका तथा यूरोपीय सप्ता याजार के देश प्रमुख हैं। अतः इन ऊँचे तट-करों को कम कराने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

#### ४ लोहा और इस्पात उद्योग

लोहा तथा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण हैं। देश का आर्थिक विकास बहुत कुछ अद्योगों में इस्पात उद्योग पर ही निर्भर है। भारत में इस उद्योग के विकास के लिए सभी प्राङ्गिक माधन उपलब्ध हैं। अनुमान लगाया गया है कि भारत में कुल २,१०० करोड़ टन कच्चे लोहे का भण्डार है जो समस्त विश्व लोहा का १/३ भाग है। लोहा तथा इस्पात उद्योग के विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल जैसे लौहम स्टेन, डोलोमाइट और मैंगनीज इत्यादि भी भारत में पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। भारत में लोहे तथा कोयले की खानें आसपास हैं, अतः इस उद्योग का भविष्य प्रत्येक दृष्टि से उज्ज्वल है।

सक्षिप्त इतिहास—लोहा उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है। भारतीय लोहा गन्तव्य की क्रिया को जानते थे परन्तु यह उद्योग १२वीं शताब्दी तक धीरे-धीरे लुप्त हो गया। आधुनिक रूप में इस उद्योग का प्रारम्भ सन् १८३० में तमिलनाडु के निकट दक्षिणी अर्काट में श्रीहीत (Shriheat) नामक अंग्रेजों द्वारा किया गया, परन्तु यह प्रयत्न असफल रहा। सन् १८७४ में शरिया की कोयले की खानों के पास बराबर आयरन बॉक्स स्थापित किया गया। इसके इस्पात अग्रलिखित कारखानों की स्थापना की गयी।

- १८७५ ब्रामनमोन बगान आयरन कम्पनी,
- १८७५ बगान आयरन एण्ड स्टील कम्पनी
- १९०७ अमनेदपुर टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी,
- १९१८ हीरापुर इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी,
- १९२३ भद्रावती मैंग्रू आयरन एण्ड स्टील वर्कर्स ।

उनमें से बगान आयरन कम्पनी को सरकार द्वारा खरीदकर १८८१ में प्रगत आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को बेच दिया गया । यह सब कारखाने निजी उद्योग द्वारा स्थापित किये गये, केवल भद्रावती का कारखाना मैंग्रू सरकार द्वारा आरम्भ किया गया ।

प्रथम विद्युत्केंद्र और उसके परिसर—प्रथम विद्युत्केंद्र के प्राथमिक होने के समय भारत में लोहा तथा इस्पात उद्योग की नींव मजबूत हो चुकी थी । युद्धकाल में लोहा तथा इस्पात का आयात बहुत कम हो गया तथा युद्ध की आवश्यकताओं के लिए माँग में वृद्धि हो रही थी । साथ ही साथ अन्य देशों में भी लोहा तथा इस्पात की माँग बढ़ रही थी । मन् १९१५ में कच्चे लोहे का उत्पादन १६ लाख टन था जो मन् १९१६-१७ में बढ़कर २०३० लाख टन हो गया । उसी वर्ष इस्पात का भी उत्पादन ९९ लाख टन था । युद्धकाल में टाटा कम्पनी ने बहुत उन्नति की परन्तु मन् १९२१-२२ के परिसर विदेशी इस्पात का मूल्य बहुत गिर गया जिसके कारण लोहा तथा इस्पात उद्योग की प्रगति रुक गयी । अतः उद्योग की रक्षा के लिए सरकार की माँग की जाने लगी और १९२४ में इस उद्योग को ३ वर्ष के लिए सरकार प्रदान किया गया । मन् १९२६-१९२७ की अवधि में उद्योग को २८ करोड़ रुपय की आर्थिक सहायता भी दी गयी । १९२७ में सरकार की अवधि ७ वर्षों के लिए बढ़ा दी गयी परन्तु यह सरकार ३१ मार्च, १९४७ तक चलता रहा । इस प्रकार २३ वर्षों तक इस उद्योग को सरकार सहायता मिलता रहा ।

द्वितीय विद्युत्केंद्र और उसके परिसर—मन् १९३६ में कच्चा लोहा तथा इस्पात का उत्पादन क्रमशः १८ व ६ लाख टन था । द्वितीय विद्युत्केंद्र ने इस्पात उद्योग की जाया पवट की । माँग में आन्तरीय वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप कौमनों में भी वृद्धि हुई । अतः सरकार ने उद्योग पर नियन्त्रण लागू कर दिया । इसमें उत्पादन की मात्रा के साथ ही साथ मात्र की विधि में भी सुधार हुआ । इस काल में लोहे तथा इस्पात की कई प्रकार की नवीन वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ हुआ ।

युद्ध के परिसर इस्पात उद्योग को पुनः सक्रिय बनाना पड़ा । माँग में कमी, मुद्रास्फीति, देश का विभाजन, मशीनों की पुनर्स्थापना की समस्या, कच्चे मात की कठिनाई, पूर्वी का अभाव तथा धन नमस्याओं आदि के कारण उद्योग का उत्पादन घटने लगा । यह स्थिति मन् १९४८ तक चलती रही । उसके परिसर ही स्थिति में सुधार हो सका । १९५० तक भारत में इस्पात का वार्षिक उत्पादन १० लाख टन में अधिक नहीं था ।

### योजनाकाल में लोहा तथा इस्पात उद्योग

प्रथम योजनाकाल में विचार—प्रथम योजनाकाल में सरकार ने इस उद्योग को सहायता देने का कार्य आरम्भ किया । योजना आरम्भ होने से पूर्व ही इस उद्योग में सम्बन्धित प्रमुख भारतीय कम्पनियों ने उद्योग के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए योजनाएँ प्रस्तुत कीं । टाटा कम्पनी ने विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजना बनायी जिसके अन्तर्गत मन् १९५७ तक इस्पात उत्पादन का लक्ष्य ९३१ लाख टन निर्धारित किया गया । प्रथम योजनाकाल में इस कम्पनी ने इन कार्यक्रमों पर ३४ १४ करोड़ रुपये व्यय किये ।

मैंग्रू आयरन एण्ड स्टील वर्कर्स के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए भी कार्यक्रम तैयार किया गया । प्रथम योजनाकाल में इस कारखाने के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत १३ ८६ करोड़

रूपसे व्यय किये गये। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर योजना के अन्त तक एक लाख टन करनी थी। इस कारखाने में योजना के अंतिम वर्ष में इस्पात का उत्पादन ३५ हजार टन हुआ। योजनाकाल में इस कारखाने ने कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाकर तीन गुना कर लिया।

उपर्युक्त दो कारखानों की भांति बर्नपुर के लोहा-इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए कार्यक्रम बनाया गया। इस काल में विस्तार कार्यक्रम पर १५ २७ करोड़ रुपये व्यय किये गये। पांच वर्षों में इस कारखाने का उत्पादन १६-७ लाख टन कच्चा लोहा तथा ४-५ लाख टन इस्पात का निर्धारित किया गया। सन् १९५५-५६ में इसके द्वारा ५ ५३ लाख टन इस्पात तैयार किया गया। प्रथम योजनाकाल में लोहा तथा इस्पात उद्योग की प्रगति का विवरण इस प्रकार है

वर्ष	लोहा इस्पात उत्पादन	
	कच्चा लोहा	(लाख टन में)
१९५१-५२	१८ ४६	१० ६४
१९५५ ५६	१६ १५	१२ ८६

द्वितीय योजनाकाल में विकास—द्वितीय योजना उद्योग प्रधान थी। अतः लोहा तथा इस्पात उद्योग के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। इस योजनाकाल में इस उद्योग पर ४३१ करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन था। निजी क्षेत्र के तीनों स्टील प्लाण्ट्स ('टाटा', 'इण्डियन आयरन' और 'मैंगूर आयरन') ने विस्तार की योजनाएँ तैयार की। टाटा कंपनी को अपना उत्पादन बढ़ाकर २० लाख टन स्टील इनगाट्स (१५ लाख टन तैयार इस्पात) करना था, इण्डियन आयरन को अपना उत्पादन बढ़ाकर १० लाख टन स्टील इनगाट्स (८ लाख टन तैयार इस्पात) करना था तथा 'मैंगूर आयरन' को अपना उत्पादन बढ़ाकर १ लाख टन स्टील इनगाट्स (८५ हजार टन तैयार इस्पात) करना था।

इसके अतिरिक्त सांख्यिक क्षेत्र में तीन नये स्टील प्लाण्ट्स की स्थापना राउरकेला, बिर्सा तथा दुर्गापुर में करनी थी जिनमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता १० लाख टन रखनी थी। इनकी स्थापना बरती गयी जिनका सक्षिप्त व्योम निम्नलिखित है

(१) राउरकेला—इसकी स्थापना जर्मनी का राज्य में जर्मनी की दो फर्म Krupp तथा Demag की सहायता में की गयी। इस प्लाण्ट के द्वारा चद्रे (Flat products) तैयार की जाती है। १० लाख टन इनगाट्स की ७२ लाख टन बिक्री योग्य स्टील में परिवर्तित किया जाता है।

(२) बिर्साई—इसकी स्थापना रूस की सहायता से मध्य प्रदेश में की गयी है। इसके लिए फरवरी १९५५ में समझौता किया गया था। इसके द्वारा १० लाख टन स्टील इनगाट्स की ७७ लाख टन इस्पात वस्तुओं (Rails, Sleeper bars, Beams, Billets) में परिवर्तित किया जाता है।

(३) दुर्गापुर—इसकी स्थापना पश्चिमी बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से की गयी है। इस कारखाने ने दिसम्बर १९५६ में उत्पादन प्रारम्भ किया।

इन तीनों कारखानों का प्रबन्ध हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इस कंपनी की अग्रिम पूँजी ६०० करोड़ रुपये है तथा यह पूर्णतया सरकार के स्वामित्व में है।

द्वितीय योजनाकाल में 'मैंगूर आयरन वर्क्स', 'टिस्को' तथा 'इण्डियन आयरन' की उत्पादन क्षमता क्रमशः १ लाख टन, १५ लाख टन तथा ८ लाख टन होने का अनुमान किया गया। इस काल में लोहा तथा इस्पात का उत्पादन अप्रतिबन्धित था



लोहा तथा इस्पात का उत्पादन (मिलियन टन में)

वर्ष	कच्चा लोहा	स्टील	निर्मित स्टील
१९५६	० ४४०	१ ६९६	१ ३५५
१९६१	१ १४०	३ ८७०	२ ६८०

इस प्रकार द्वितीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी क्योंकि लक्ष्य ६ मिलियन टन इस्पात का रखा गया था।

तृतीय योजनाकाल के वर्तमान स्थिति—निम्नलिखित तारिणी द्वारा लोहा-इस्पात उद्योग की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है

लोहा तथा इस्पात का उत्पादन (मिलियन टन)

वर्ष	कच्चा लोहा	स्टील इनगाट्स	निर्मित स्टील
१९६५-६६	७ ०६	६ ५३	४ ५१
१९६६-७०	७ ३६	६ ४३	४ ६४

इस काल में बिनाईरी उत्पादन क्षमता १० लाख टन से बढ़कर २५ लाख टन हो गयी किन्तु दुर्गापुर और राउरकेला की क्षमता १०-१० लाख टन में क्रमशः १६ और १८ लाख टन बढ़ाने के लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके। बीकारों में नया इस्पात कारखाना भी तीसरी योजना में नहीं लगाया जा सका किन्तु चौथी योजना में लगाया जा रहा है। योजनाओं के सम्बन्ध में १९६५ में सोवियत रूस में समझौता किया गया है। यह कारखाना १९७४ में पूरा होने की आशा है। दूसरी क्षमता ८४ लाख टन इस्पात वार्षिक तैयार करने की होगी।

चतुर्थ योजना के कार्यक्रम

१९७३-७४ तक तैयार इस्पात की मात्रा ७१ लाख टन तक बढ़ जाने की आशा है। उत्पादन का लक्ष्य लगभग ८१ लाख टन का निर्धारित किया है ताकि इस्पात न केवल देश की आवश्यकताएँ पूरी करे बल्कि उमका निर्यात भी किया जा सके।

मालूम, होत्रपट तथा बिनावापस्तान में नये हस्तान कारखाने लगाने का निश्चय किया जा चुका है।

बिनाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर की क्षमता में वृद्धि करने का निश्चय किया गया है।

समस्याएँ—भारतीय इस्पात उद्योग की मुख्य समस्याएँ निम्नलिखित हैं

(१) अच्छे कोयले का अभाव—लोहा चलाने के लिए अच्छे किसम के कोयले की आवश्यकता पड़ती है परन्तु भारत में इस प्रकार के कोयले का बहुत अभाव है। इस समस्या के समाधान के लिए कोयला ढान की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है तथा उत्तम श्रेणी के कोयले के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है।

(२) प्राविधिज्ञों का अभाव—लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए पर्याप्त संख्या में उच्च प्रशिक्षण वर्मचारी नहीं मिल पाते हैं। अतः अधिक संख्या में विदेशी विनियोजकों की नियुक्ति करनी पड़ती है। बिनाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर कारखानों के बन जाने के कारण इस समस्या का समाधान हो रहा है क्योंकि अधिक संख्या में वर्मचारी रूस, जर्मनी तथा इटली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(३) इस्पात की कीमत सम्बन्धी समस्या—देश में आवश्यकता से कम इस्पात का उत्पादन होता है अतः इस्पात का आयात करना पड़ता है। स्वदेशी इस्पात तथा आयात किये

हुए इस्पात के मूल्य में पर्याप्त अन्तर रहता है। परन्तु समता लाने के लिए दोनों प्रकार का इस्पात एक ही दर पर बेचा जाता है।

जर्मनी के प्रेस ब्यूरो के एक अनुमान के अनुसार दस वर्षों (१९५५-६५) में भारत में इस्पात के मूल्यों में ८० प्रतिशत वृद्धि हुई है। १९५५ में इस्पात का मूल्य ४१८ रुपये टन था जो बढ़कर १९६५ में ७५५ रुपये टन हो गया। अन्य देशों में इस्पात मूल्यों में भारत से बहुत कम वृद्धि हुई।

**अन्तरराष्ट्रीय तुलना—**विश्व में स्टील उत्पादन करने में प्रथम स्थान अमरीका का (११७० करोड़ टन), द्वितीय स्थान रूस का (८५८ करोड़ टन), तृतीय स्थान जापान का (४०४ करोड़ टन) तथा चतुर्थ स्थान पश्चिमी जर्मनी का (३७८ करोड़ टन) है। विश्व में, कुल स्टील उत्पादन को दृष्टि के चीन का सातवाँ (१०० करोड़ टन) तथा भारत का तेरहवाँ स्थान है। एशिया में जापान, चीन तथा भारत प्रमुख उत्पादक देश हैं। इनके अतिरिक्त राष्ट्रवादी चीन तथा टर्की में नाममात्र स्टील पैदा किया जाता है। भारत में स्टील का उत्पादन कुल विश्व उत्पादन का १४२ प्रतिशत मात्र है। प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग की दृष्टि से सतार के स्टील उत्पादक देशों में भारत का अन्तिम स्थान (३६वाँ) है। प्रति व्यक्ति, स्टील का वार्षिक उपभोग अमरीका में ६८५ किलोग्राम, रूस में ४२८ कि०, पश्चिमी जर्मनी में ४८८ कि०, जापान में ४६० कि०, इंग्लैंड में ४२२ कि० तथा भारत में ११ कि० मात्र है।

**नयी नीति—**स्टील उत्पादन के सम्बन्ध में भारत सरकार विरकुल नयी नीति अपना रही है जिसे मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं

(१) नये कारखानों का निर्माण अथवा पुराने कारखानों का विस्तार तीन चरणों में होगा। प्रथम कच्चा सोहा बनाने, द्वितीय गलाने तथा तृतीय तैयार इस्पात उपलब्ध करने सम्बन्धी चरण होगा। अब तक एक चरण के लक्ष्य पूरे नहीं होगे, दूसरे का आरम्भ नहीं किया जायगा।

(२) वर्तमान में भारत इस्पात की बनी-बनायी मशीनों तथा पुर्जों आदि आयात करता है। नयी नीति के अनुसार बल-पुर्जों की बजाय विदेशों से प्राविधित जानकार बुलाये जायेंगे।

(३) अब इस्पात के भी छोटे-छोटे कारखाने अनेक स्थानों पर लगाये जायेंगे ताकि कम पूँजी लगाकर जल्दी उत्पादन मिल सके।

## ५ कोयला उद्योग

कोयला उद्योग भारत का आधारभूत उद्योग है। किसी भी देश के औद्योगीकरण के लिए कोयला तथा लोह की आवश्यकता होती है। कोयले का प्रयोग औद्योगिक शक्ति के साधन के रूप में किया जाता है। भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र बंगाल तथा बिहार राज्य में हैं। कोयले का क्षेत्र दामोदर घाटी में फैला हुआ है। रांचीगञ्ज (पश्चिमी बंगाल) तथा झरिया (बिहार) की धानो से देश के कुल उत्पादन का क्रमशः ३० व ४०% कोयला निकाला जाता है। कोयले की छोटी छोटी खानें भारत के अन्य राज्यों जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, गुजरात, राजस्थान और काश्मीर में भी पायी जाती हैं।

**संक्षिप्त इतिहास—**भारत में कोयला उद्योग का प्रारम्भ सन् १८१४ में हुआ जबकि सब प्रथम रांचीगञ्ज की खानों में कोयला निकाला गया। परन्तु १८५३ तक इन उद्योग का विकास नहीं किया जा सका। सन् १८५३ के पश्चात् भारत में रेलों का विकास किया जाने लगा। सन् १८५० के पश्चात् भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना भी की जाने लगी। इन कारणों से कोयला उद्योग का विकास होने लगा। सन् १८६८ में देश में कोयले का उत्पादन ५ लाख टन हुआ। इसके पश्चात् कोयला उद्योग का निरन्तर विकास होता गया। सन् १९०० में उत्पादन ६१ लाख टन था जो बढ़कर १९४० में ३२० लाख टन हो गया।

योजनाकाल में कोयला उद्योग—प्रथम योजना के प्रारम्भ में भारत में कोयले का उत्पादन ३४४ लाख टन था।

नीचे की सारणी में योजनाकाल में कोयला उद्योग की प्रगति का ज्ञान होता है।

योजनाकाल में कोयले का उत्पादन (मिलियन टनों में)

वर्ष	उत्पादन
१९५०-५१	३२ ८
१९६०-६१	५१ ५
१९६५-६६	७० ३
१९६६-७०	७६ ६

प्रथम योजनाकाल में देश में कोयले का उत्पादन पर्याप्त था किन्तु बाद के वर्षों में उद्योगों के विस्तार के लिए कोयले की आवश्यकता में वृद्धि होती गयी। अतः द्वितीय योजनाकाल में कोयले का उत्पादन लक्ष्य ६ करोड़ टन रखा गया। वार्षिक उत्पादन ५६ करोड़ टन हुआ किन्तु उत्पादन क्षमता ६ करोड़ टन तक पहुँच गयी। इसी काल में (अक्टूबर १९५६) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गयी।

तृतीय योजना के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य ६७ करोड़ टन था अर्थात् पाँच वर्षों में कोयले के उत्पादन में ३७ करोड़ टन की वृद्धि करनी थी। इस वृद्धि में मार्चनिक क्षेत्र का दायित्व २ करोड़ टन तथा निजी क्षेत्र का दायित्व १७ करोड़ टन था। तृतीय योजनाकाल में (१९६५-६६ तक) कोयले की उत्पाति कुल ७ करोड़ टन तक पहुँच गयी और १९६६-७० का अनुमानित उत्पादन ८ करोड़ टन था।

कोयले का उत्पादन लक्ष्यो से कम होने के मुख्य कारण निम्नलिखित रहे हैं

- (१) अनेक उद्योगों में कोयले की माँग कम हो गयी।
- (२) देश के कुछ भागों में डीजल तथा बिजली न चलाने वाले इंजनों का प्रयोग होने लगा है।
- (३) अनेक औद्योगिक तथा घरलू क्षेत्रों में कोयले के स्थान पर तेल तथा गैस का उपयोग होने लगा है।
- (४) देश में कोयले की नियमित पूर्ति न होने के कारण कोयले की मिश्रकृतियों की जाने लगी है।
- (५) परिवहन की कठिनाइयों के कारण कोयले के कुल उत्पादन का प्रयोग करने में कठिनाई रही है।

मूल्य नियन्त्रण—योजनाकाल में कोयले के मूल्यों पर नियन्त्रण बना रहा है और अनेक बार कोयले के मूल्यों में वृद्धि की गयी है। १९६६-६७ में कोयले के मूल्य चार बार बढ़ाये गये जिनमें फरवरी में कोयले का मूल्य सूचकांक ४४ प्रतिशत बढ़ गया।

गन्तव्य वर्षों में कोयले के निर्यातों में भी कमी हुई है। इसका अनुमान इस तथ्य से लग सकता है कि १९६६ में केवल ४१ लाख टन कोयला निर्यात किया गया जबकि १९६५ में निर्यात की मात्रा लगभग १८ लाख टन थी।

२४ जुलाई, १९६७ से कोयले के मूल्य तथा वितरण पर से नियन्त्रण हटा लिया गया। तब से केवल धातु उद्योगों में काम आने वाले कोयले के मूल्यों पर नियन्त्रण रह गया है। नियन्त्रण हटने से कोयला उत्पादकों तथा उद्योगों की अनेक समस्याएँ हल हो गयी हैं।

समस्याएँ तथा सुझाव—कोयला उद्योग के अनेक अनेक समस्याएँ हैं, जिनमें से कुछ तो प्राथमिक हैं, जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता और कुछ ऐसी हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। इन उद्योग से सम्बन्धित समस्याओं का मसिष्ट विवरण अप्रतिबिन्द है :

(१) कोयला क्षेत्रों का असमान वितरण—भारत में कोयले का अधिकांश उत्पादन बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में होता है। कुछ अन्य राज्यों में भी कोयले का भण्डार है परन्तु वहाँ का उत्पादन बहुत ही कम है। बंगाल तथा बिहार से कोयला देश के अन्य भागों में भेजने में यातायात व्यय बहुत अधिक पड़ जाता है। योजना आयोग द्वारा नियुक्त 'कोयला उद्योग कार्यकारिणी मण्डल' (Working Group of Coal Industry) ने यह सुझाव दिया था कि कोयले के उत्पादन को प्रादेशिक आधार पर सगठित किया जाय। इससे कोयले के वितरण व्यय में कमी होगी। संक्षेप में, इससे सम्बन्धित सुझाव निम्न प्रकार थे

(क) आसाम में कोयला उद्योग को विकसित करके उसे आत्म-निर्भर बनाया जाय।

(ख) दक्षिण भारत में कोयले की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आन्ध्र प्रदेश में इस उद्योग का विकास किया जाय।

(ग) जिन राज्यों में कोयले का उत्पादन नहीं होता है या बहुत कम होता है, जैसे उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु, वहाँ पर इस उद्योग को विकसित किया जाय।

(२) अभिनवीकरण—भारतीय कोयला उद्योग के समक्ष अभिनवीकरण की समस्या भी प्रमुख है। कोयले की खानों में श्रम शक्ति का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक है। इससे उत्पादन लगत बहुत अधिक पड़ती है। खानों में काम करने वाले श्रमिकों की कार्यक्षमता भी बहुत निम्न है अतः यह आवश्यक है कि मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाय। कोयले की खानों की सफाई भी अधिक है। बहुत-सी खानों का आकार अनाधिक है अतः बहुत छोटी खानों को या तो बन्द कर देना चाहिए या उनका एकीकरण करना चाहिए। अभिनवीकरण के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होगी जिसे निजी क्षेत्र में प्राप्त करना कठिन है। अतः धीरे-धीरे कोयला उद्योग पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में लेना चाहिए।

(३) कोयला भण्डार का दुरुपयोग—भारत में कोयले का दुरुपयोग भी अधिक होता है। निजी क्षेत्र में व्यय अधिक होने के कारण खान मालिक अधिक गहराई तक कोयला नहीं निकालते। वे पुरानी खानों में ऊपरी भाग में कायल निकाल कर उसे छोड़ देते हैं तथा नयी खानों में कोयला निकालने का काम आरम्भ कर देते हैं। कोयला निकालने की विधि भी अवैज्ञानिक तथा दोषपूर्ण है। इस प्रकार इस अमूल्य प्राकृतिक साधन का दुरुपयोग होता है।

देश में कोयले का भण्डार भी सीमित है। देश में कोयले का अनुमानित भण्डार केवल ६,००० करोड़ टन है। समुक्त राज्य अमरीका का भण्डार २,०४,००० करोड़ टन तथा रूस का १,४४,००० करोड़ टन है। इसमें भी, उत्तम प्रकार के कोकिंग कोयले (High Grade Coal) का भण्डार केवल २०० करोड़ टन है। इस प्रकार देश की आवश्यकताओं तथा औद्योगीकरण की गति को देखते हुए यह भण्डार अत्यन्त अयोग्य है। अनुमान लगाया गया है कि औद्योगिक शक्ति के अन्य साधनों (other sources of industrial power) का विकास होते हुए भी भारतीय कोयले का भण्डार लगभग १५० वर्षों में समाप्त हो जायेगा। अतः कोयले के दुरुपयोग को हर प्रकार से रोकने की आवश्यकता है।

(४) अच्छे कोयले के उत्पादन में कमी—एक ओर कोयले के कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो दूसरी ओर अच्छे किसम के कोयले का उत्पादन प्रतिवर्ष घटता जा रहा है। सामान्यतः कोयले की माँग में भी कमी आने की प्रवृत्ति है। इसका कारण रेलवे का विद्युतीकरण, कोयले की पूर्ण नियमित न होने के कारण उद्योगों द्वारा अन्य शक्ति के साधनों का प्रयोग तथा देश में जब विद्युत शक्ति का विकास है परन्तु यह अवस्था अधिक दिनों तक नहीं रहेगी। औद्योगीकरण के कारण भविष्य में कोयले की माँग में वृद्धि होगी।

(५) परिवहन की समस्या—देश में कोयले का क्षेत्र एक ही भाग में केन्द्रित है, अतः देश

के दूसरे भागों में कायना पहुँचाने में यानायात सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानायात के साधनों की यह जाग एक स्थायी समस्या हो गयी है। इन जागण कायना का स्टॉक रहने हुए भी अनक जाग उद्योगों को समय पर कायना नहीं मिल पाता। अन कुछ समय के लिए उन्हें उत्पादन कम या बन्द करना पड़ता है।

सरकार कोयला उद्योग की समस्याओं का दूर करन के लिए प्रयत्नशील है। परिवहन के साधनों का विकास किया जा रहा है। देश के अन्य क्षेत्रों में कोयला निकालने की योजनाएँ बनायी जा रही हैं। अलग प्रकार के कोयले के उत्पादन में वृद्धि करन के लिए उचित प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोयला उद्योग के लिए विनाम छूट की दर २० प्रतिशत में बढ़ाकर ३५ प्रतिशत कर दी गयी है। इससे उद्योग में मशीनों का प्रयोग बढ़ेगा। इसमें गहराई में कोयला निकालने के कार्य में मदद मिलगी।

### ६ सीमेण्ट उद्योग (CEMENT INDUSTRY)

वर्तमान युग में समाज के अधिकांश लोगों में अनक प्रकार के निर्माण कार्य चल रहे हैं। आवास के लिए भवनों के निर्माण के अतिरिक्त, पक्की नहरें तथा नदियों पर बंध-बड़े बांध बनाये जा रहे हैं। इन सभी निर्माण कार्यों में सीमेण्ट का अत्यधिक महत्त्व है। अनक क्षेत्रों में तो लाह अथवा इन्धान के स्थान पर सीमेण्ट (कंक्रीट) का भी उपयोग किया जा रहा है अन सीमेण्ट की माँग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

भारत में विकास—भारत में सीमेण्ट उद्योग का आरम्भ १९०८ में हुआ जबकि तमिलनाडु में माउथ इण्डिया इण्डस्ट्रियल लिमिटेड ने १०,००० टन की उत्पादन क्षमता की एक सीमेण्ट फैक्टरी स्थापित की जिन्से यह प्रथम अम्कन हो गया और फैक्टरी शीघ्र बन्द कर दी गयी। इन दृष्टि में सीमेण्ट उत्पादन की वास्तविक नींव १९१५ में पड़ी जबकि तीन फैक्ट्रियाँ—पोरबन्दर में टाटा बन्धुओं की, बटनी में मटाऊ तथा लापेरो में विदिक् निवमन द्वारा—स्थापित की गयी। इनकी सम्मिलित उत्पादन क्षमता ७६,००० टन थापित था। सीमेण्ट की माँग बढ़ने के कारण प्रथम युद्धकाल में सीमेण्ट की अनक नयी फैक्ट्रियाँ स्थापित की गयीं और १९१८ में सीमेण्ट का उत्पादन ८५,००० टन तक पहुँच गया। युद्धकालीन लाल में प्रतिन होकर कुछ और कारखानों की स्थापना हुई जिन्से यह कारखाने स्थानीय मुविधाओं (कच्चा माल, जन कायना या विजली शक्ति) का ध्यान रखकर स्थापित किये गये अन इनमें से बहुत न शीघ्र ही बन्द हो गये।

सन् १९२५ में टैरिफ बोर्ड की सिफारिश पर भारतीय सीमेण्ट उत्पादन मण्डल (Indian Cement Manufacturers Association) की स्थापना की गयी। इस मण्डल ने सीमेण्ट के मूल्यों का समतनापूर्वक नियन्त्रण किया और १९२७ में उनके प्रयोजना में भारतीय कंक्रीट मण्डल (Indian Concrete Association) स्थापित किया गया जिसका कार्य उद्योगकारों में सीमेण्ट के प्रयोग का अधिकाधिक प्रचार करना था। इस मण्डल के लिए धन की व्यवस्था करन के लिए सदस्यों द्वारा वेच गये कुछ सीमेण्ट पर पाँच आन प्रति टन लाग (levy) लगायी गयी।

युद्धोत्तरकाल में सीमेण्ट का उत्पादन माँग में बढ़ गया अन उसकी निम्नी एक समस्या बन गयी। इसका हल करन के लिए एक सीमेण्ट विक्रय मण्डल (Cement Marketing Company of India) भी स्थापित की गयी जिसके प्रयनों के फलस्वरूप सीमेण्ट की निम्नी में वृद्धि हुई। १९३० में सीमेण्ट का उत्पादन बढ़कर ५७७ लाख टन पहुँच गया। उपर कंक्रीट मण्डल तथा विक्रय मण्डल के प्रचार में सीमेण्ट की निम्नी जो बढी तो फैक्ट्रियों में स्टॉक होनी आरम्भ हो गयी। इसका दुष्प्रभाव दूर करन के लिए १९३६ में बन्द-नी सीमेण्ट फैक्ट्रियों में निम्नतर लाल मण्डल बनाया जिसका नाम Associated Cement Companies Ltd रखा गया।

इस विलयन का उद्देश्य यह था कि विभिन्न उत्पादकों में पारस्परिक स्पर्धा को दूर किया जा सके और सीमेण्ट के मूल्य तथा पूर्ति का नियमन किया जा सके। इस प्रकार सीमेण्ट उद्योग को संयत बनाने का यत्न किया गया। १९३६ में सीमेण्ट का कुल उत्पादन ९६० लाख टन था। १९३८ में डालमिया समूह की सीमेण्ट कम्पनियों ने ए० सी० सी० बर्ग की कम्पनिया से स्पर्धा आरम्भ कर दी। इस समूह ने सस्ती दरों पर सीमेण्ट बेचना शुरू कर दिया, जिससे सीमेण्ट उद्योग में पुनः संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी। यह स्थिति शीघ्र ही सम्भल गयी क्योंकि १९४६ में ए० सी० सी० और डालमिया समूहों में समझौता हो गया। इस समय भारत में कुल २२ सीमेण्ट कम्पनियाँ थीं, जिनमें १२ ए० सी० सी० समूह, ५ डालमिया समूह तथा ४ स्वतन्त्र थीं।

द्वितीय महायुद्धकाल में देश के सीमेण्ट उत्पादन का लगभग ८० प्रतिशत भाग सरकार द्वारा खरीद लिया जाता था। अतः जनता के लिए बहुत कम सीमेण्ट उपलब्ध था। फलतः सीमेण्ट की पूर्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और सीमेण्ट के राशिनियम की व्यवस्था कर दी गयी। युद्धकाल में सीमेण्ट का उत्पादन भी बहुत बढ़ गया। १९४७ में कुल उत्पादन १४७० लाख टन था।

योजनाकाल में प्रगति—युद्ध के पश्चात् १९४८ में ए० सी० सी० तथा डालमिया समूह में पुनः मतभेद उत्पन्न हो गया और दोनों समूहों में स्वतन्त्र रूप में सीमेण्ट बेचना आरम्भ कर दिया। विभाजन के समय भारत में १८ सीमेण्ट कम्पनियाँ थीं जिनका वार्षिक उत्पादन २१ लाख टन था, तत्पश्चात् जामनगर, तिस्सेवेल्ली तथा कोट्टायम में तीन कारखाने और कुल गये और उत्पादन २६ लाख टन तक पहुँच गया। सन् १९४७-५७ की अवधि में सीमेण्ट उद्योग की विकास दर १५ प्रतिशत वार्षिक थी। सन् १९५८-६७ की अवधि में विकास दर घटकर ६.५ प्रतिशत वार्षिक हो गयी। सन् १९४७-६८ की अवधि में, इस उद्योग की विकास दर ६ प्रतिशत वार्षिक रही। भारतीय सीमेण्ट उद्योग की प्रगति का सक्षिप्त ब्योरा निम्नलिखित है

#### भारतीय सीमेण्ट उद्योग की प्रगति

वर्ष (अन्त)	कारखानों की संख्या	उत्पादन (लाख टनों में)
१९१९	३	१
१९३६	११	१०
१९४६	१७	१६
१९५१	२२	३३
१९५६	२८	५०
१९६१	३४	८२
१९६६	३८	१११
१९६६-७०	४३	१३८

सन् १९६६-७० में सीमेण्ट उद्योग की उत्पादन-क्षमता १५० लाख टन थी, परन्तु वास्तविक उत्पादन १३८ लाख टन हुआ। सन् १९७४ तक सीमेण्ट का उत्पादन १८० लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि गत बीस वर्षों में सीमेण्ट का उत्पादन लगभग चार गुना हो गया है। यह प्रगति सर्वथा सन्तोषजनक प्रतीत होती है किन्तु बहुत समय तक देश में सीमेण्ट का अभाव बना रहा है। गत वर्षों में स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। फिर भी भारत में प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है।

भारत में सीमेण्ट की प्रति व्यक्ति खपत अन्य देशों की तुलना में नगण्य है। इतनी कम

आवश्यकता की पूर्ति भी सीमेण्ट पर नियन्त्रण रखकर की जाती रही है। १ जनवरी, १९६६ से सीमेण्ट के वितरण पर से नियन्त्रण हटा लिया गया तथा सीमेण्ट के मूल्यों में भी १६ रुपये प्रति टन की वृद्धि की घोषणा की गयी। जनवरी १९६८ से सीमेण्ट के वितरण का अधिभार भारतीय सीमेण्ट निगम (Cement Corporation of India) का दे दिया गया है।

सीमेण्ट उत्पादन में शिथिल प्रगति के कारण—भारतीय सीमेण्ट उद्योग की प्रगति सन्तोषजनक न होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

(१) दोषपूर्ण मूल्य नीति—ऐसा कहा जाता है कि भारत सरकार ने सीमेण्ट के जो मूल्य निर्धारित किये हैं, वह यथार्थता से बहुत दूर (अर्थात् बहुत कम) हैं फलतः सीमेण्ट उद्योगों में लाभ की मात्रा अन्य उद्योगों की तुलना में बहुत कम रही है।

वस्तुतः सीमेण्ट उद्योग में नयी फैक्टरियाँ लगाने की समस्या नहीं है, समस्या वर्तमान शक्तियों के उपयोग की है। उदाहरणतः, सीमेण्ट उद्योग का वर्तमान उत्पादन उसकी कुल शक्ति का केवल ६४ प्रतिशत है। यदि उत्पादन कुल शक्ति का शत प्रतिशत हो तो समस्या हल हो सकती है।

(२) विनियोगों का अभाव—सीमेण्ट उद्योग एक पूंजीगत (Capital intensive) उद्योग है, जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। सीमेण्ट के एक आधुनिक कारखाने की स्थापना के लिए जिसकी दैनिक उत्पादन-क्षमता ६०० टन दैनिक हो, ४ करोड़ रुपये पूंजी विनियोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। सन् १९६८-७१ की अवधि में इस उद्योग के लिए १०० करोड़ रुपये पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। गत वर्षों में यद्यपि उद्योगों में पूंजी विनियोग की मात्रा बढ़ी है परन्तु सीमेण्ट उद्योग में पूंजी का अभाव रहा है।

ए० सी० सी० समूह के अध्यक्ष श्री खटाऊ न इन समस्याओं का समाधान करने के लिए तीन मुख्य सुझाव दिये हैं

(क) मूल्य वृद्धि—सीमेण्ट के मूल्य में कोयल, रेलवे भाड़ा, मजदूरी या महंगाई-भत्ता आदि खर्चों में वृद्धि के अनुपात में वृद्धि की छूट मिलनी चाहिए। इससे उद्योग को लागत बढ़ाने के साथ-साथ अपने आप मूल्य बढ़ाने की अनुमति मिल जायेगी। इसमें एक भय यही है कि कुछ उत्पादक मूल्यों में अवाञ्छनीय वृद्धि करने लगे किन्तु इस क्रिया पर सीमेण्ट उत्पादक सघ (C. M. O) द्वारा नियन्त्रण लगाया जा सकता है।

(ख) विकास प्रोत्साहन—सीमेण्ट के उत्पादन में वृद्धि करने तथा उसके मूल्य पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक फैक्ट्री को अतिरिक्त उत्पादन पर कुछ सहायता एक नियमित क्रम से देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ग) विवास रिबेट—सीमेण्ट उद्योग के विकास के लिए वर्तमान में २० प्रतिशत विकास रिबेट दिया जाता है। इसे बढ़ाकर ४० प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

व्यय सुझाव—सीमेण्ट उद्योग का विकास करने के लिए अन्य सुझाव और दिये जा सकते हैं।

(घ) पुरानो इकाइयाँ—सरकार द्वारा पुरानो इकाइयों का विकास करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा इनका विकास करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ङ) प्राविधिक ज्ञान का प्रयोग—वर्तमान में सीमेण्ट उत्पादन में जो इकाइयाँ काम कर रही हैं, उन्हें इस उद्योग का अनुभव है अतः सरकार को इन इकाइयों द्वारा नये कारखाने स्थापित करने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(च) विदेशी विनिमय—सीमेण्ट उद्योग का विकास करने के लिए भी नयी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें प्रायः विदेशों से आयात करना पड़ता है किन्तु मशीनें आयात करने के लिए प्रायः विदेशी विनिमय की अनुमति मिलने में कठिनाई होती है अतः सरकार द्वारा सीमेण्ट उद्योग को मशीनें आयात करने के लिए विदेशी विनिमय देने की प्राथमिकता देनी चाहिए।

(घ) किसम नियन्त्रण—सीमेण्ट उद्योग द्वारा उत्पन्न बन्धुओं की किसम का यथोचित नियन्त्रण करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जूट तथा वस्त्र उद्योग की भाँति ही सीमेण्ट उद्योग के उत्पादकों द्वारा इंग दिशा में प्रयत्न किये जाने चाहिए।

वर्तमान स्थिति तथा भविष्य—भारतीय सीमेण्ट उद्योग में लगभग ११५ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। इस उद्योग में लगभग ५५ ००० व्यक्तियों को काम मिला हुआ है। यह प्रति वर्ष लगभग ३३ लाख टन बोरिया प्रयोग करता है तथा सरकार को इस उद्योग से उत्पादन कर (excise duty) द्वारा २८ करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है। इसके अतिरिक्त सीमेण्ट उद्योग भारतीय रेलों को प्रति वर्ष लगभग १४ करोड़ रुपये यातायात शुल्क देता है। इस उद्योग द्वारा उत्पन्न माल का वार्षिक मूल्य लगभग ८० करोड़ रुपये के तुल्य है।

सीमेण्ट उद्योग निगम (Cement Corporation of India)—१८ जनवरी, १९६५ को भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में एक निगम रजिस्टर्ड किया है। यह चूने के पत्थर (lime stone) की खोज कर नयी सीमेण्ट इकाइयाँ स्थापित करने वालों को उचित सूचना देगा और सीमेण्ट उद्योग के सम्बन्ध में विस्तृत शोध करेगा। कई राज्य सरकारों ने (उदाहरणतः, उत्तर प्रदेश द्वारा चूक में) भी सीमेण्ट उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की हैं। निगम इनके विकास एवं विस्तार के लिए सब प्रकार की प्राविधिक तथा अन्य प्रकार की सलाह देगा। सीमेण्ट निगम ने देश में १० नये स्थानों पर सीमेण्ट फैक्टरियाँ स्थापित करने का मुझाव दिया है।

### ७. कागज उद्योग (PAPER INDUSTRY)

कागज वर्तमान सभ्यता का प्रतीक है। प्राचीन युग में जो कुछ सोडा-बट्टन लिखने का कार्य होता था वह ताड़पत्रों पर होता था और उन ताड़पत्रों को सुरक्षित रखना एक समस्या थी। साइरन युग से ममार एक ऐसे युग में पहुँच गया है जहाँ प्रतिदिन प्रत्येक विषय का इतना साहित्य मुद्रण पुस्तकों के रूप में छपकर बाजार में बितने के लिए आता है, जिसे पूरी तरह पढ़ने के लिए भी बहुत समय और शक्ति चाहिए।

भारत में विकास—ताड़पत्रों के आलेखों की दृष्टि से भारत कितना ही प्रसिद्ध रहा हो परन्तु कागज का प्रयोग इस देश में बहुत पुराना नहीं है। कहा जाता है कि भारत में कागज बनाने का क्रम मुस्लिम शासनकाल में आरम्भ किया गया। अठारह के शासन में इस व्यवसाय की बहुत उन्नति हुई किन्तु ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक वर्षों में यह व्यवसाय केवल जेलों तक सीमित रह गया।

भारत में आधुनिक ढंग की प्रथम कागज मिल बलकत्ता के समीप बेली में सन् १८७० में स्थापित की गयी। १८८० में टीटागट पेपर मिल स्थापित हुई और तत्पश्चात् क्रमशः लखनऊ, खालियर और रानीगंज में कागज बनाने का कार्य आरम्भ किया गया। १९२५ तक कागज उद्योग की उन्नति अत्यन्त सामान्य थी क्योंकि उस वर्ष देश में ६ कागज मिलें थी जिनकी वार्षिक उत्पादन शक्ति केवल ३३ ००० टन थी। १९२५ के पश्चात् भारतीय मिलों ने वार्षिकी लुम्बी तैयार कर उनका कागज बनाना आरम्भ किया। १९३२ में भारतीय कागज उद्योग को सरकार द्वारा प्रदान किया गया और विदेशों से आयात होने वाली लुम्बी पर भी ४५ रुपये प्रति टन आयात शुल्क लगा दिया गया। सरकार प्रदान करने पर भी भारतीय कागज उद्योग की विशेष उन्नति नहीं हुई क्योंकि १९३० से कागज का उत्पादन केवल ५३,८११ टन तक पहुँच सका। उस समय लगभग १५ लाख टन कागज विदेशों से आयात किया जाता था। द्वितीय युद्धकाल में कागज का आयात बन्द होने के कारण देशी कागज मिलों की सहायता तथा उत्पादन में वृद्धि हुई। १९४४ में कागज मिलों की संख्या १६ तथा उनका उत्पादन लगभग १ ०४ लाख टन था।



योजनाकाल में प्रगति—भारतीय कागज उद्योग ने योजनाकाल में स्पष्ट प्रगति की है। सन् १९५१ में भारत में कागज तथा गत्ते के कारखानों की संख्या केवल १७ थी जिनकी उत्पादन क्षमता १,३७,००० टन थी। सन् १९६८-६९ में इनकी संख्या ५७ तथा उत्पादन क्षमता ७,३०,००० टन हो गयी। इस उद्योग की प्रगति का अनुमान निम्नलिखित अंकों से लगाया जा सकता है

कागज और गत्ते का उत्पादन  
(हजार टनों में)

वर्ष	उत्पादन
१९५१	१३४
१९५६	१९७
१९६१	३६४
१९६६	५८५
१९६६-७०	७२४

तृतीय पंचवर्षीय योजना के समापन तक कागज और गत्ते के उत्पादन का लक्ष्य ७ ११ लाख टन रखा गया था किन्तु बच्चे माल की कमी, कल पुर्जों के अभाव तथा आर्थिक साधनों की ग्यूनता के कारण उद्योग के लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव नहीं हो सकी।

वर्तमान स्थिति और समस्याएँ—भारतीय कागज उद्योग में लगभग १० करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है, इसमें ५०,००० व्यक्ति नियोजित हैं और इसका (कागज, गत्ते तथा अन्य वस्तुओं का) वार्षिक उत्पादन लगभग ६० करोड़ रुपये के मूल्य का है। कागज तथा मसम्बन्धी वस्तुओं की वार्षिक उत्पत्ति लगभग छह लाख टन है।

अन्तरराष्ट्रीय तुलना—भारत में प्रति व्यक्ति कागज की सपन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है

कुछ देशों में प्रति व्यक्ति कागज की खपत (१९६८)  
(पीण्डो में)

देश	कागज का उपभोग
संयुक्त राज्य अमरीका	५३०
ब्रिटेन	२६५
पश्चिमी जर्मनी	२२५
जापान	१७६
रूस	४६
चीन	१०
पाकिस्तान	२
भारत	३
विश्व का औसत	६६

समस्याएँ—भारतीय कागज उद्योग की उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पत्ति में जो अन्तर है उसका कारण यह है कि भारतीय कागज उद्योग अनेक समस्याओं से पीड़ित है। यह समस्याएँ निम्नलिखित हैं

(१) लाभ में कमी—भारतीय कागज उद्योग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी प्रति वर्ष लगभग २० करोड़ रुपये उत्पादन-खर्च के रूप में चुकाना पड़ता है जो कुल उत्पत्ति का

लगभग २०-२५ प्रतिशत है। इसके साथ ही गन थर्षों में लागत मूल्य भी (मजदूरी, कच्चे माल आदि के मूल्यों के बढ़ने के कारण) बढ़ गये हैं। इन दोनों परिवर्तनों की तुलना में कागज के विश्व मूल्यों में विशेष वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी गयी है। इसके फलस्वरूप कागज उद्योग में नये विनियोगों तथा उत्पादन वृद्धि की क्रियाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।

यह सत्य है कि भारत जैसे अविनसित देश में कागज के मूल्यों में वृद्धि करने देना उचित नहीं है किन्तु सरकार को वर-व्यवस्था में आवश्यक मशीनें बनाने चाहिए तथा लागत मूल्य कम करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(२) विदेशी विनियम की कमी—कागज उद्योग के सामने मशीनों, उनके पुर्जों तथा कुछ रसायन विदेशों से भंगवाने की समस्या रहती है और अनेक बार उनके आयात के लिए विदेशी विनियम प्राप्त करना सम्भव नहीं होता। अब उत्पादन बढ़ाने में कठिनाई आती है। एक आधारभूत उद्योग होने के नाते कागज उद्योग के लिए विदेशी विनियम की व्यवस्था करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि भारत में प्रति वर्ष लगभग २५ करोड़ रुपये का कागज गत्ता आदि विदेशों से आयात किया जाता है। इस दृष्टि से सरकार की विदेशी विनियम सम्बन्धी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे ऐसे कागज से उत्पादन (विशेषतः अखबारी कागज) में वृद्धि हो जिसका अधिक आयात करना पड़ता हो।

(३) अखबारी कागज—भारत में अखबारी कागज (Newsprint) की बहुत कमी है। अभी तक सरकार की एक मिल (मध्य प्रदेश में नेपालगर) लगभग ३०,००० टन अखबारी कागज बना रही है जबकि देश में वार्षिक खपत लगभग १३ लाख टन है। अब लगभग एक लाख टन अखबारी कागज विदेशों से आयात करना पड़ता है। सरकार ने नेपाल मिल की उत्पादन क्षमता (तृतीय योजनाकाल में) ३०,००० से ७५,००० टन करने का निश्चय किया है।

(४) कच्चा माल—अनुमान लगाया गया है कि भारत में उपलब्ध बाँस से प्रति वर्ष ८ लाख टन कागज तैयार किया जा सकता है। किन्तु राज्य सरकार द्वारा कागज की मिलों को उचित रॉयल्टी पर बाँस क वन ठके पर नहीं दिये जा रहे हैं। अब इस दिशा में सरकार द्वारा एक निश्चित नीति अपनाने की आवश्यकता है।

कच्चे माल की समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय वन सम्पदा का सर्वेक्षण कराना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बढ़िया कागज तैयार करने के लिए आवश्यक लकड़ी के वन लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि स्वीडन अथवा स्विटजरलैण्ड या अन्य देशों से कागज आयात नहीं करना पड़े। गन्ने से प्राप्त छोई (अंदर का सफेद छिनका—Bagasse) भी कागज निर्माण के कार्य में ली जानी चाहिए। आशा है कागज निगम की स्थापना से कागज की तुंगरी का अभाव बहुत दूर हो सकेगा।

(५) मशीनों की समस्या—कागज उद्योग की मशीनों तथा उपकरणों सम्बन्धी आवश्यकता धरेलू माधनों से पूरा करना सम्भव नहीं है। इनके अतिरिक्त देश में निर्मित मशीनों बहुत महँगी हैं और विदेशों से आयात करने में विदेशी विनियम के अभाव की समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए कागज उद्योग सम्बन्धी मशीनों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

शोधकार्य—भारतीय कागज उद्योग की एक बहुत बड़ी कमी यह है कि उद्योग से सम्बन्धित कच्चे माल के प्रयोग तथा उनकी उत्पत्ति, क्रिया एवं उत्पादनों के सम्बन्ध में कोई शोधकार्य नहीं हो रहा है। भारतीय तुंगरी तथा कागज प्राविधिक संध (Indian Pulp and Paper Technical Association) द्वारा शोधकार्य को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि कागज के उत्पादन की लागत कम की जा सके और क्रिस्म में सुधार हो सके। इस कार्य के लिए मन द्वारा एक नये शोधशाला स्थापित की जा चाहिए, जिसके व्यय के लिए सभी कागज की मिलों द्वारा धन सहाय

किया जा सकता है। सरकार भी इस शोधशाला को कुछ सहायता प्रदान कर सकती है या कागज पर वसूल किये गये उत्पादन कर (excise duty) का एक भाग इस शोध-संस्था को दिया सकता है।

### ८. भारी इंजीनियरिंग उद्योग (HEAVY ENGINEERING INDUSTRY)

**महत्त्व**—वर्तमान युग कल युग अर्थात् मशीनों का युग कहलाता है। यह सर्वथा सत्य है, क्योंकि समाज में उपभोग के काम में आने वाली अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन मशीनों की सहायता से किया जाता है। पाश्चात्य देशों में तो कृषि की सम्पूर्ण क्रियाएँ (बीज डालने, मिचाई करने, भूमि साफ करने, फल काटने, पैक करने तथा एक से दूसरे स्थान पर भेजने और वस्तुओं के वर्गीकरण, प्रमापीकरण आदि कार्य सम्पन्न करने) मशीनों द्वारा की जाती हैं। इस प्रकार वस्त्र, पटसन, सीमेंट कागज, चीनी आदि सभी उद्योग मशीनों पर निर्भर हैं। इन उद्योगों में प्रायः बहुत बड़े आकार की मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यक्ष उपयोग के अतिरिक्त भारी मशीनें छोटी तथा हल्की मशीनें तैयार करने में भी काम आती हैं। इस प्रकार भारी इंजीनियरिंग उद्योग प्रायः सभी बड़े उद्योगों का आधार कहा जा सकता है।

**आवश्यक तत्त्व**—भारी इंजीनियरिंग उद्योग में विकास के लिए दो तत्त्व अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं (१) अधिक पूँजी, (२) प्राविधिक कौशल। भारी मशीन उद्योग में अत्यधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी उपलब्धि अविश्वसित देशों के लिए कठिन होती है। कभी-कभी इस पूँजी का एक भाग विदेशी विनिमय के रूप में होता है, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। दूसरी आवश्यकता प्राविधिक ज्ञान (Technical skill) सम्बन्धी होती है। शिक्षा का निम्नस्तर होने के कारण अविश्वसित देशों में प्राविधिक विशेषज्ञों का भी अभाव रहता है और प्रायः इन विशेषज्ञों को बहुत ऊँचे वेतन पर विदेशों से बुलाना पड़ता है।

**भारत में विकास**—स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारी मशीनों व उद्योगों का विशेष विकास नहीं हुआ किन्तु १९४७ के पश्चात् भारत सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किये हैं। इस सम्बन्ध में लोहे और इस्पात उद्योगों की प्रगति का व्यौरा पहले दिया जा चुका है। कुछ मुख्य उद्योगों की प्रगति का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(१) स्टील पाइप और ट्यूब उद्योग—इस उद्योग में जलपूर्ति और सफाई के लिए बनने वाली काली और गैल्वेनाइज्ड ट्यूबें, सीमनेस ट्यूबें तथा बिजली से प्रभावित न होने वाली झली हुई ट्यूबें सम्मिलित हैं। इस उद्योग के लिए कच्चा माल तथा अन्य सामान आयात करने की अनुमति उदारतापूर्वक दी जाती है।

काली और गैल्वेनाइज्ड ट्यूबों की उत्पादन क्षमता ३१६ लाख टन, सीमनेस स्टील ट्यूबों की क्षमता ३०,००० टन तथा बिजली से अप्रभावित झली हुई ट्यूबों की क्षमता २६,४०० टन है। इन ट्यूबों का प्रयोग तेल निकालने, मोटर उद्योग, तेल शोधन जल सिंचन आदि में विशेष रूप से होता है।

(२) हेवी स्टील स्ट्रक्चरल्स (Heavy Steel Structural)—इसमें इस्पात मिलों के भवन, बिगली घरों के ढाँचे, बड़े पुल तथा परियोजनाओं के ढाँचों को बनाने सम्बन्धी मद सम्मिलित हैं। भारत में २० औद्योगिक इकाइयाँ इन ढाँचों को बनाने में सलग्न हैं और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता १३८ लाख टन है।

भारी ढाँचों के अनिश्चित हल्के तथा मध्यम आकार के भवनों आदि के ढाँचे बनाने में ११७ इकाइयाँ सलग्न हैं जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता २३४ लाख टन है।

(३) भारवाहक, बिद्युत संचारक केन्द्र तथा तार आदि (Cranes, Transmission towers, Wire ropes and Electric hoists)—भारवाहक उद्योग का वार्षिक उत्पादन

१०,००० टन है। इस उद्योग के लिए प्रमाणित स्टील प्लेटों तथा सजतीय स्टील की बनी पड़ती है।

विद्युत मचारक मकेन्द्र बनाने वाली १४ इकाइयाँ हैं जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग ६६,१०० टन है। १९६८ में इनका वास्तविक उत्पादन ४२,००० टन था।

स्टील के मोटे तार कोयला उद्योग में प्रयुक्त किये जाते हैं जहाँ इन्हे कोयला ढोने के काम में लिया जाता है। इस उद्योग की उत्पादन क्षमता २८,००० टन है। इस उद्योग के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है।

(४) स्टील कास्टिंग—इस्पात की ढली हुई सिलिलियों का प्रयोग रेल के डिब्बे बनाने, डीजल बिजली तथा भाप के इंजनों और भारी विद्युत उद्योगों में होता है। वर्तमान में निजी क्षेत्र ३४ इकाइयाँ स्टील कास्टिंग तैयार करती हैं जिनकी वार्षिक क्षमता १.०७ लाख टन है। इस उद्योग की क्षमता बढ़ाने अथवा नयी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(५) स्टील फोर्जिंग (Steel Forgings)—मोटर, बुलडोजर, डीजल इंजन तथा रेल उद्योग में फोर्जिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब मशीन बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए मिश्रित इस्पात की फोर्जिंग बनायी जा रही है। स्टील फोर्जिंग की ४६ इकाइयाँ कार्यशील हैं जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ८१,२७० टन है। इस उद्योग को भी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(६) कास्ट आयरन प्रेशर पाइप (Cast Iron Pressure Pipes)—अनेक प्रकार की जन प्रदाय मफाई तथा स्वास्थ्य योजनाओं के लिए इन नलों की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में ऐसे पाइप बनाने वाली १७ इकाइयों की वार्षिक क्षमता ३५६ लाख टन है। स्थानीय प्रयोग के अतिरिक्त इस उद्योग का निर्यात की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। एक इकाई १० इंच व्यास का पाइप बनाने में सफल हो गयी है। इस उद्योग को भी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(७) कास्ट आयरन कास्टिंग (Cast Iron Castings)—लगभग सभी इंजीनियरिंग उद्योगों में ऐसी सिलिलियों की आवश्यकता होती है। १९७०-७१ तक इनकी माँग ३० लाख टन तक बढ़ जाने की सम्भावना है। रेलों के डिब्बे, ट्राली आदि बनाने तथा सेनिटरी फिटिंग के लिए इनकी मुख्य माँग है। वर्तमान समय में इनका कुल उत्पादन १६ लाख टन है।

(८) रेल के डिब्बे—भारत में (भारत्वाहक) रेल के डिब्बे बनाने की वार्षिक क्षमता २६००० म कुष्ठ अग्रिम है। भारत से माल ढोने वाले डिब्बों के निर्यात की सम्भावनाएँ बहुत उज्ज्वल हैं।

दो क्षेत्रों में विभाजित—भारत का भारी इंजीनियरिंग उद्योग स्पष्टतः सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत भारी उद्योग लिये गये हैं तथा निजी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम पूँजी वाली इकाइयाँ स्थापित की गयी हैं। जैसे, वितरजन की इकाई बनाने, बाराणसी की डीजल इंजन जोड़ने, पेरेंसूर की रेल के डिब्बे बनाने, विशालापत्तनम की जहाज बनाने, भोपाल की भारी बिजली का सामान तैयार करने, बैंगलोर की मशीन उपकरण तैयार करने नाहन (हिमाचल प्रदेश) की तोहरे का सामान ढालने, बलकत्ता की उपकरण तैयार करने (National Instruments Ltd) दुर्गापुर की भारी इंजीनियरिंग सामान निर्माण करने (Heavy Engineering Corporation) बैंगलोर की हवाई जहाज बनाने तथा अनेक अन्य औद्योगिक इकाइयाँ, बड़े पैमाने पर भारी मशीनें तथा सामान तैयार कर रही हैं। यह सब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। इनके अतिरिक्त टाटा (इंजन तथा अन्य मशीनें), बिडना, पापर

तथा अनेक देशों और विदेशी उद्योगपतियों के सहयोग से भारी मशीनों तथा पुर्जों एवं अन्य वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है।

**वर्तमान स्थिति**—प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के समय भारतीय इञ्जीनियरिंग उद्योग का उत्पादन नगण्य था। प्रथम योजना के अन्त में इस क्षेत्र के कुल उत्पादन का मूल्य लगभग ३१ करोड़ रुपये था, जो द्वितीय योजना के अन्त तक बढ़कर लगभग १०० करोड़ रुपये बढ़ि चुका गया। तृतीय योजना के अन्त तक इस क्षेत्र की इकाइयों का उत्पादन मूल्य ४४० करोड़ रुपये था।

**समस्याएँ**—भारी इञ्जीनियरिंग वर्ग के उद्योगों की मन्तोपजनक प्रगति इस तथ्य की संकेतक है कि यह उद्योग ठीक दिशा में उन्नति कर रहा है परन्तु यदि कुछ समस्याओं का समाधान कर दिया जाता तो यह प्रगति अधिक तीव्र और लाभदायक हो सकती थी। यह समस्याएँ निम्नलिखित हैं

(१) **बच्चे माल का अभाव**—भारी इञ्जीनियरिंग वर्ग के उद्योगों के लिए बच्चा माल इस्पात है जिसकी भारत में बहुत कमी है। १९६६-७० में ८१ करोड़ रुपये का इस्पात आयात किया गया था। इस प्रकार भारी मशीन उद्योग का विकास मुद्वयन स्टील उद्योग के विकास पर निर्भर करता है। देश की कुल विदेशी विनिमय की आपा का लक्ष्य ७ प्रतिशत इस्पात के आयात पर व्यय कर देना इस बात का मात्सी है कि सरकार इञ्जीनियरिंग उद्योगों की प्रगति के प्रति जागरूक है परन्तु अधिक स्टील तैयार किया बिना अन्य आश्रित उद्योगों की उन्नति कुण्ठित हो रहेगी।

(२) **विज्ञानी तथा अन्य शक्तियों की समस्या**—भारी इञ्जीनियरिंग उद्योगों के लिए कोयला अथवा मस्ती विजली की यथेष्ट मात्रा में उपलब्धि होनी चाहिए किन्तु देश के अग्रिनाश भागों में इनमें से किसी भी प्रकार शक्ति नियमित एवं मस्ती दर पर उपलब्ध नहीं है अतः भारी औद्योगिक इकाइयों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय पर अथवा पर्याप्त मात्रा में शक्ति साधन उपलब्ध न होने पर उन्नति के क्रम तथा मात्रा में प्रतिबन्धित रखना पड़ता है। गत वर्षों में विज्ञानी तथा कोयले के स्थिति कुछ सुधरी है किन्तु अन्ततः अब भारी मशीन उद्योगों को जल विद्युत की यथेष्ट मात्रा उपलब्ध करना आवश्यक होगा क्योंकि भारत में बढ़िया डिम्स के कोयले की यथोचित पूर्ति नहीं हो सकती।

(३) **यानायात की कठिनाई**—भारी इञ्जीनियरिंग उद्योगों के लिए यानायात सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक है। भारत में अग्रिनाश इञ्जीनियरिंग केन्द्रों तक रेल लाइनें हैं परन्तु वह यथेष्ट नहीं हैं। सरकार द्वारा इन उद्योगों के उत्पादन केन्द्रों तक दोहरी रेल लाइनें डालनी चाहिए तथा इन उद्योगों को रेल के डिब्बे उपलब्ध कराने में कुछ प्राथमिकता देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(४) **निर्यात में कठिनाइयाँ**—गत वर्षों में भारत में माल के डिब्बे, बीजन इन्जन आदि अनेक वस्तुएँ निर्यात होनी आरम्भ हो गयी हैं परन्तु इनमें से कुछ का निर्यात राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation) के माध्यम में होना है, जिसमें माल की बिक्री में आवश्यक दर होती है, उद्योगपतियों को समय पर भुगतान नहीं मिलता तथा कभी-कभी उन्हें मूल्य भी कम प्राप्त होता है। सरकार द्वारा इन उद्योगों में सम्बन्धित उत्पादन के निर्यात में सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। इसमें न केवल इन उद्योगों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि देश के निर्यातों में भी वृद्धि होगी और अधिक विदेशी विनिमय की उपलब्धि हो सकेगी।

भारी औद्योगिक मशीनों के उत्पादन में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation) विशेष सहयोग देना है। यह निगम विभिन्न उद्योगों की प्राविधिक समस्याओं का अध्ययन करता है और उनका समाधान करने में साह्यता देता है।

भविष्य—भारत सरकार ने इंजीनियरिंग क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए (कई उद्योगों को लाइसेंस लेने की व्यवस्था के मुक्त कर दिया है) अधिक लाइसेंस दिये जायेंगे तथा उनकी उन्नति के लिए आर्थिक सुविधाओं को व्यवस्था की जा रही है। भारतीय योजना आयोग ने इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास में सहयोग देने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है, जो समय-समय पर यथावश्यक सलाह देती रहेगी। इस प्रकार भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग का भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल प्रतीत होता है।

### ६. भारी रसायन उद्योग (HEAVY CHEMICALS INDUSTRY)

भारी इंजीनियरिंग उद्योगों की भांति ही भारी रसायन उद्योग भी आधारभूत उद्योग है क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ अनेकानेक उद्योगों में काम आते हैं। रसायनों में अल्कली, सोडा ऐश, कार्बोनाट सोडा, कैल्शियम कार्बाईड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लोबिन पाउडर, सोडियम मल्फाइट तथा सोडियम थायोसल्फाइट आदि मुख्य हैं। इनमें कार्बोनाट सोडा, क्लोरीन तथा सोडा ऐश बहुत महत्वपूर्ण हैं।

भारत में विकास—भारत में रसायन उद्योग का विकास सर्वथा आधुनिक है। यद्यपि प्रथम युद्धकाल में कुछ रसायनों के उत्पादन को बल मिला था परन्तु द्वितीय युद्ध के आरम्भ के समय तक आवश्यक रासायनिक पदार्थ विदेशों से आयात किये जाते थे। द्वितीय युद्धकाल में ही रासायनिक पदार्थों के उत्पादन को कुछ गति मिली किन्तु इस उद्योग को विशेष प्रगति करने का अवसर स्वातन्त्र्यकाल में मिला है।

सिन्धी (बिहार) में खाद फैक्टरी स्थापित करना इस उद्योग के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह फैक्टरी सरकार द्वारा स्थापित की गयी परन्तु १९४३-५० के वर्षों में निम्न क्षेत्र में ५० कंपनियाँ स्थापित की गयी जिन्होंने विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उत्पादन आरम्भ किया।

प्रथम द्वितीय तथा तृतीय योजनाकाल में रासायनिक उद्योगों का विकास अधिक विस्तृत क्षेत्र में किया गया क्योंकि इस युग में न केवल आधारभूत रसायनों जैसे कार्बोनाट सोडा, सोडा ऐश तथा सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में वृद्धि की गयी बल्कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पेनिमिनीन कृत्रिम रेश, औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ, पोलिथिलीन, रजलेप आदि अधिकाधिक मात्रा में तैयार किये जाने लगे हैं।

पते वर्षों में मुख्य रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में निम्न प्रगति हुई है

	१९५०-५१	१९६०-६१	१९६६-७० (हजार टनों में)
१. नाइट्रोजिनस खाद			
२. फॉस्फेटिक खाद	६	६६	७१६
३. सल्फ्यूरिक एसिड	६	५३	२२२
४. सोडा ऐश	१०१	३६८	१,१२६
५. कार्बोनाट सोडा	४५	१५२	४२७
	१२	१०१	३६१

डी० डी० टी०—उपर्युक्त पदार्थों के अतिरिक्त अनेक अन्य पदार्थों के उत्पादन में विकास और बढ़ हुई है। अगस्त १९५५ में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड (Hindustan Insecticides Ltd) में एक डी० डी० टी० फैक्टरी स्थापित की गयी। इस फैक्टरी का उत्पादन १९५८ में बटकर दुगुना होकर १,४०० टन वार्षिक हो गया। इसी वर्ष आलवे (केरल) में एक दूसरी फैक्टरी स्थापित की गयी। इन फैक्टरियों का उत्पादन लगभग २,६०० टन वार्षिक है।

इन फैक्टरियों में लगभग २ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है और इनमें लगभग १८ करोड़ रुपये और विनियोजित कर इनकी उत्पादन शक्ति का विस्तार किया जा रहा है।

**पेनिसिलीन**—अगस्त १९५५ में पूना के निक्ट डिप्टी नामक स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित पेनिसिलीन फैक्टरी में उत्पादन आरम्भ कर दिया। फैक्टरी का प्रबन्ध हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड (Hindustan Antibiotics Ltd) के अधीन है, जिसकी पूंजी लगभग ४ करोड़ रुपये है। इस फैक्टरी का वार्षिक उत्पादन ५१५५ लाख मेगा यूनिट पेनिसिलीन है। इसकी उत्पादन शक्ति २५ लाख रुपये विनियोजित कर ८०० लाख मेगा इकाई तक बढ़ायी जा रही है।

**पिम्ब्री** में ही फरवरी १९६३ से स्ट्रेप्टोमाइसिन का उत्पादन आरम्भ हो गया है। इसकी उत्पादन क्षमता ८०-९० टन तक करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग २२५ लाख रुपये व्यय हान का अनुमान है।

**आर्गेनिक रसायन**—दिसम्बर १९६० में पनवेल (बम्बई) में ४० प्रकार के रसायन निर्मित करने के लिए एक फैक्टरी लगायी गयी है। इस पर कुल १५० लाख रुपये विनियोजित किये जा चुके हैं। इसका उत्पादन में सहयोग देने के लिए चार जर्मन फर्मों का सहयोग प्राप्त किया गया था।

**उर्वरक (Fertilizers)**—जनवरी १९५१ में Fertilizers Corporation of India की स्थापना की गयी है, जिसके अन्तर्गत सात फैक्टरियाँ विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं जिनका सन्निप्त ब्योरा निम्नलिखित है

परियोजना	रासायनिक परियोजना
१ सिन्धी (बिहार)	अमोनियम सल्फेट यूरिया
२ नागल (पंजाब)	अमोनियम नाइट्रेट केल्सियम अमोनियम नाइट्रेट भारी पानी (Heavy water)
३ दाम्बे (महाराष्ट्र)	नत्रजन यूरिया और नाइट्रो फॉस्फेट
४ नामरुन (आमाम)	यूरिया अमोनियम सल्फेट
५ गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	नत्रजन (यूरिया में)
६ कोरवा (मध्य प्रदेश)	नत्रजन "
७ दुर्गापुर (बंगाल)	नत्रजन " अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट

**कास्टिक सोडा (Caustic Soda)**—कास्टिक सोडा का प्रयोग रेयन, कागज की लुग्डी, वस्त्र, साबुन, प्लास्टिक का सामान, रंग उद्योग, एल्यूमीनियम, वनस्पति तेल, पेट्रोल तथा अन्य उद्योगों में किया जाता है। भारत में २२ फैक्टरियाँ ऐसी हैं, जो कास्टिक सोडा निर्माण करती हैं। इनमें से एक (मौराष्ट्र के मित्रल, पोरबन्दर) केवल बिजली के लिए कास्टिक सोडा निर्माण करती है। मान फैक्टरियाँ अपने निजी प्रयोग (रेयन, कागज आदि) के लिए कास्टिक सोडा तैयार करती हैं तथा शेष कास्टिक सोडा के साथ साथ अन्य रासायनिक पदार्थ भी तैयार करती हैं और अन्य उद्योगों को बेचती हैं।

**सोडा ऐश (Soda Ash)**—शीशा, साबुन, कागज, वस्त्र, औषधि तथा पेट्रोल की वस्तुओं में सोडा ऐश एक आवश्यक रसायन है। १९४७ तक भारत में केवल दो फैक्टरियाँ (धामधर

केमिकल वर्कर्स, धागघा तथा टाटा केमिकल्स, मोठापुर) थी, जिनकी उत्पादन क्षमता क्रमशः १५,००० तथा ३६,००० टन वायिक थी किन्तु वायिक उत्पादन की मात्रा केवल १४,००० टन तथा २,८६४ टन थी। १९४९ में उद्योग को सरक्षण दिया गया जिसे ३१ दिसम्बर, १९६४ में समाप्त कर दिया गया है। १९५९ में साहू केमिकल्स एण्ड फटिलाइजर्स, वाराणसी तथा १९६० में सौराष्ट्र केमिकल्स पोरबन्दर की स्थापना की गयी। इस प्रकार सोडा ऐश निर्माण करने वाली चार फ़ैक्टरियों में से तीन सौराष्ट्र में हैं। इनकी उत्पादन क्षमता लगभग ३५ लाख टन है। टेरिफ कमीशन द्वारा देश में सोडा ऐश की मांग ४ लाख टन से कुछ अधिक आँकी गयी है, किन्तु इसकी शुद्धता में सन्देह किया जाता है। भारत सोडा ऐश में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है।

उपर्युक्त रसायनों के अतिरिक्त देश में अनेक अन्य रसायनों तथा औषधियों का निर्माण किया जाता है।

**समस्याएँ—**भारत में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है

(१) देश में कच्चे माल का बहुत अभाव है।  
 (२) रासायनिक पदार्थों की मांग बहुत विखरी हुई है जिससे विद्यमान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(३) विदेशों में कच्चे माल से स्पर्धा करनी पड़ती है।

(४) देश में रासायनिक पदार्थों के उत्पादन की नवीनतम रीतियों के जानकार विशेषज्ञों का अभाव है।

(५) रासायनिक उद्योगों के विकास या विस्तार के लिए आवश्यक यन्त्र तथा उपकरणों की प्राप्ति में कठिनाई होती है।

(६) कुछ उद्योगों के लिए पूँजी प्राप्त करने में कठिनाई है। इस सम्बन्ध में विदेशी विनिर्माण की उपलब्धि विशेष कठिन है।

(७) रासायनिक उत्पादनों की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए प्रयोगशालाओं का अभाव है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (National Chemical Laboratory) ने जो विज्ञान उपयोगी कार्यें नही किया है।

उपर्युक्त विवरण इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि आगामी वर्षों में बढ़ते हुए औद्योगिक विकास के साथ-साथ देश में रासायनिक पदार्थों की मांग निरन्तर बढ़ेगी, जिसकी पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक वस्तुओं में सम्बन्धित नयी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए। इस दिशा में सरकार तथा निजी साहस के सम्मिलित प्रयत्न विशेष लाभदायक हो सकते हैं।

### प्रश्न


१. भारत में लोहा-इस्पात उद्योग का सन्निध विवरण दीजिए। इसके विकास के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाहियों की गयी हैं ? (राजस्थान, बी० ए० (ग्रूरक), १९६१)
२. भारत के लोहा-इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति तथा समस्याओं पर सन्निध टिप्पणी लिखिए। (बिहार, बी० ए०, १९६१, पटना, बी० ए०, १९६१)
३. किमी एच पर निबन्ध लिखिए लोहा तथा इस्पात उद्योग, पटसन उद्योग तथा चीनी उद्योग। (बिहार, बी० ए०, १९६१)
४. भारत के लोहे और फौलाद या चीनी उद्योग के विकास, वर्तमान स्थिति एवं प्रमुख समस्याओं के बारे में लिखिए। (बिहार, बी० ए०, १९६२)
५. स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय लोहा-इस्पात उद्योग के विकास की व्याख्या सरकार के योग्य को दशात हुए कीजिए। (सागर, बी० ए०, १९६०)



- ६ भारत के सूती वस्त्र उद्योग या शक्कर उद्योग पर एक निबन्ध लिखिए ।  
(पटना, बी० ए०, १९६२)
- ७ "भारतीय चीनी उद्योग सरक्षित शिशु है ।" इन उद्योग की समस्याओं का वर्णन एवं विवेचन कीजिए ।  
(बिहार, बी० ए०, १९६१)
८. भारत में पटसन अथवा सूती वस्त्र उद्योग के विकास का व्योरा लिखिए । इनमें किन्हीं भी उद्योग की समस्याओं तथा उनके समाधान के लिए उपायों का वर्णन कीजिए ।  
(राजस्थान, बी० ए०, १९६२)
- ९ भारत में पटसन उद्योग के विकास तथा वर्तमान स्थिति का विवेचन कीजिए । इस उद्योग की भविष्यकालीन सम्भावनाएँ क्या हैं ?  
(राजस्थान, बी० ए०, १९६१)
- १० भारतीय सूती मिल उद्योग के विकास पर एक सक्षिप्त निबन्ध लिखिए । इसकी वर्तमान समस्याएँ क्या हैं ?  
(आगरा, बी० ए०, १९६३)
११. भारत के कोयला उद्योग की वर्तमान स्थिति तथा समस्याओं का वर्णन कीजिए ।  
(विक्रम, बी० ए०, १९६३)
- १२ भारत के लोहा तथा इस्पात उद्योग की वर्तमान समस्याओं का विवेचन कीजिए ।  
(बिहार, बी० ए०, १९६३)
- १३ निम्नलिखित उद्योगों में से एक की वर्तमान स्थिति तथा समस्याओं का विवेचन कीजिए पटसन उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग ।  
(भागलपुर, बी० ए०, १९६३)
- १४ निम्नलिखित उद्योगों में से एक की समस्याओं का विवेचन कीजिए  
(१) लोहा-इस्पात उद्योग, (२) पटसन उद्योग, (३) चीनी उद्योग ।  
(जबलपुर, बी० ए०, १९६३)
- १५ भारत में १९४७ के पश्चात् कोयला उद्योग तथा लोहा-इस्पात उद्योग का सक्षिप्त विवेचन कीजिए ।  
(सागर, बी० ए०, १९६३)
- १६ भारत में सूती वस्त्र उद्योग की प्रगति, विकास तथा वर्तमान स्थिति का व्योरा लिखिए ।  
(सागर, बी० ए०, १९६१)
- १७ भारत में सूती मिल उद्योग के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता तथा सम्भावनाओं पर प्रकाश डालिए ।  
(नागपुर, बी० कॉम०, १९६४)
- १८ भारत में कोयला अथवा चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति का विवेचन कीजिए ।  
(नागपुर, बी० कॉम०, १९६४)
- १९ भारत में सूती वस्त्र उद्योग अथवा चीनी उद्योग को विशेष समस्याओं तथा विकास पर सक्षिप्त निबन्ध लिखिए ।  
(राजस्थान, बी० कॉम०, १९६४)
- २० पंचवर्षीय योजनाओं में सूती मिल उद्योग के विकास का वर्णन कीजिए तथा इस उद्योग की समस्याओं का विवेचन कीजिए ।  
(विक्रम, बी० कॉम०, १९६४)
- २१ भारत में जूट अथवा चीनी उद्योग की प्रगति और वर्तमान अवस्था का विवेचन कीजिए । इसके भविष्य पर प्रकाश डालिए ।  
(राजस्थान, बी० कॉम० (अन्तिम वर्ष), १९६७)
- २२ भारत के सूती वस्त्र उद्योग या सोमेट उद्योग की वर्तमान दशा तथा समस्याओं पर प्रकाश डालिए ।  
(राजस्थान, बी० कॉम० (अन्तिम वर्ष), १९६८)
- २३ भारतीय सूती मिल उद्योग की प्रगति का वर्णन कीजिए और उन कारणों की विवेचना कीजिए जिन्होंने भारतीय कपड़ा उद्योग को समार के बाजार में एक शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी नहीं बनने दिया ।  
(इलाहाबाद, बी० कॉम० (प्रथम वर्ष), १९६५)

भारतीय उद्योगों की संरचना मूल रूप में पूँजीवादी है। अंग्रेजी शासन से पूर्व स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयाँ पूँजीपतियों द्वारा स्थापित की गयी थी अथवा ग्रामों में कारीगरों के परिश्रम एवं व्यक्तिगत साधनों पर आधारित थी। अंग्रेजी शासन में सरकार ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने की दिशा में तनिक भी रुचि प्रकट नहीं की बल्कि इंग्लैण्ड के उद्योगों की उत्पत्ति के लिए भारतीय उद्योगों को निरस्तसाहित किया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय उद्योगों के विकास के लिए निश्चित नीति निर्धारित की गयी है और समय-समय पर उस नीति में परिवर्तन किया गया है। तदनुसार भारत के वर्तमान औद्योगिक ढाँचे का एक निश्चित स्वरूप बन गया है। इस स्वरूप को तीन दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है।

### औद्योगिक संरचना का स्वरूप



(१) संगठन अथवा आकार—पूँजीवादी देशों की भाँति भारत में उद्योगों का स्वरूप भी त्रिकोण की भाँति है जिसके आधार में बहुत बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो अनेक प्रकार के यन्त्र आदि का निर्माण करती हैं अथवा बड़े पैमाने पर उपभोक्त पदार्थ बनाती हैं। इन इकाइयों के आर्थिक साधन बहुत विकसित हैं तथा इनके पास प्रायः नवीनतम प्राविधिक जानकारी की सुविधा है। वड़े उद्योगों के सहायक अथवा पूरक के रूप में कुछ उद्योग ऐसे हैं जो सामान्य मशीनें या फुटकर हल्का माल बनाते हैं। इनसे प्राप्त सामान्य पूँजी तथा प्राविधिक जानकारी है। इनके अनिश्चित बहूत कम पूँजी तथा प्राविधिक जानकारी से काम चलाने वाली छोटी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिनमें सामान्य किस्म का अथवा कृतात्मक सामान बनाया जाता है। इन सबका व्योरा पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है।

(२) प्रबंध—विभिन्न वर्गों के उद्योगों की संरचना प्रबंध की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगी है। भारत में अग्रिम बड़े उद्योग प्रबंध अभिकर्ताओं के प्रयत्नों से स्थापित किये गये हैं और

अब भी पूंजी, व्यवस्था तथा प्राविधिक जानकारी की दृष्टि से प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी एक अन्य अध्याय में दी गयी है।

जिन उद्योगों में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का प्रभाव अथवा प्रभुत्व नहीं है उनमें सचिव (Secretary), प्रबन्ध संचालक (Managing Director) अथवा महाप्रबन्धक (General Manager) कार्य करते हैं। वर्तमान युग में प्रायः प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रबन्ध संचालन का भार सौंपा जाता है। भारत में कलकत्ता, बम्बई तथा अहमदाबाद में प्रबन्ध संचालन सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिए विशेष संस्थानों की स्थापना की गयी है।

(३) स्वामित्व—भारत के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अपनाने की घोषणा की गयी है। तदनुसार कुछ क्षेत्रों में निजी साहस को औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने की छूट दी गयी है तथा कुछ क्षेत्रों में निजी साहस को सुरक्षित रखा गया है। इन क्षेत्रों का ब्योरा पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है। कुछ क्षेत्रों में सहकारी आधार पर उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है। निजी साहस द्वारा स्थापित उद्योगों में कहीं कहीं सरकार द्वारा आर्थिक अथवा प्राविधिक सहयोग भी दिया गया है। इस प्रकार देश में उद्योगों का स्वामित्व निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

- (१) निजी उद्योग।
- (२) मिश्रित (निजी + सार्वजनिक) उद्योग।
- (३) सहकारी उद्योग।
- (४) सार्वजनिक उद्योग।

इनमें से प्रथम तीन क्षेत्रों का ब्योरा पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का ब्योरा इस अध्याय में दिया जा रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र—औद्योगिक विकास प्रायः सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्रों में किया जाता है। साम्यवादी देशों (सोवियत संघ, चीन आदि) में सभी छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना और विकास सरकार द्वारा (आर्थिक क्षेत्र में) किया जाता है। इसके विपरीत, पूंजीवादी देशों में जो अर्थ-व्यवस्था को मुक्त अर्थ-व्यवस्था के नाम से पुकारते हैं, सभी उद्योगों का विकास और विस्तार पूंजीपतियों द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त दोनों व्यवस्थाएँ दो दृष्टिकोणों की चरम सीमाएँ हैं। व्यावहारिक दृष्टि से यह उचित प्रतीत होता है कि सरकार तथा निजी उद्योगपति दोनों ही वर्ग औद्योगिक विकास में सहयोग करें क्योंकि पूंजी, प्राविधिक जानकारी अथवा अन्य कठिनाइयों को दूर करने में सहयोग द्वारा ही तीव्र गति से उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में तर्क

समाजवादी अथवा वामपन्थी विचारक इस पक्ष में हैं कि देश में उद्योगों का विकास केवल सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में भी इस विचारधारा के समर्थकों की कमी नहीं है। वह सरकार द्वारा ही औद्योगिक विकास से लिए यत्न करने के सिद्धान्त का निम्नलिखित कारणों से समर्थन करते हैं

(१) समाजवादी समाज—भारत सरकार ने देश में समाजवादी समाज की स्थापना का वन लिया है अतः निजी पूंजीपतियों को औद्योगिक विकास अथवा विस्तार में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि निजी उद्योगपति केवल अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। सरकार केवल राष्ट्रीय हित में कार्य करती है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। अतः राष्ट्रीय अथवा सामाजिक हित में यही उचित है कि औद्योगिक विकास का दायित्व पूर्णतः सरकार के हाथ में रहे।

(२) भारी उद्योग—प्रायः यह देखा गया है कि निजी साहसी अथवा पूंजीपति केवल ऐसे उद्योगों की स्थापना अथवा विकास में पूंजी लगाना चाहते हैं जिनमें पूंजी का प्रतिफल निश्चिन्त रूप

में शीघ्रातिशोघ्न मिल सके। इस नीति के फलस्वरूप अनेक बार भारी इजीनियरिंग उद्योग, इस्पात उद्योग अथवा भारी रसायन उद्योग, जिनमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है अथवा उच्च स्तरीय प्राविधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, का विकास नहीं होने पाता। भारत में १९४७ से पूर्व निजी सार्वजनिकों द्वारा उपभोक्ता उद्योगों में तो पूंजी लगायी गयी परन्तु भारी उद्योगों के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया गया। स्वभावतः राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखकर सरकार को इन उद्योगों के विकास की ओर ध्यान देना पड़ता है।

(३) विशिष्ट उद्योग—प्रत्येक विकासशील देश में सड़क, विद्यालय, सिंचाई साधन, प्रतिक्षण व्यवस्था आदि का अभाव रहता है। यह सभी कार्य ऐसे हैं जिनसे प्रत्यक्ष कोई आय या लाभ प्राप्त नहीं होता और इन कार्यों के विकास के लिए जो पूंजी लगायी जाती है, वह सामाजिक पूंजी (Social capital) कहलाती है। इस प्रकार की पूंजी प्रत्येक कल्याणकारी राज्य में सरकार द्वारा ही विनियोजित की जाती है। इस प्रकार की पूंजी पर जो हानि होती है उसकी पूर्ति के लिए अन्य लाभदायक उद्योगों में भी पूंजी लगाना आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से सरकार द्वारा एक निश्चित नीति के अनुसार स्वयं ही औद्योगिक विकास करना उचित होगा।

(४) सामाजिक लाभ—उद्योगों के विकास से कालान्तर में निश्चय ही कुछ लाभ अथवा आय की प्राप्ति होती है। यदि देश के अधिकांश उद्योग निजी पूंजीपतियों के हाथ में हों तो उन उद्योगों का सम्पूर्ण लाभ पूंजीपतियों की जेब में जायेगा। यदि यह उद्योग सरकार के हाथ में हों तो इन पर जितना लाभ होगा वह सरकारी आय में सम्मिलित होगा और उसका प्रयोग सम्पूर्ण देश के हित में किया जा सकेगा।

(५) प्रादेशिक विकास में सन्तुलन—निजी उद्योगपतियों द्वारा मुक्त रूप में उद्योग स्थापित किये जाते हैं। यह औद्योगिक इकाइयाँ प्रायः पूंजीपतियों की सुविधा अथवा उपलब्ध लाभों की सम्भावित मात्रा के अनुसार ही स्थापित होती हैं, जिसका परिणाम कभी-कभी यह होता है कि देश के कुछ भाग जो प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न हैं, अधिक विकसित हो जाते हैं और कुछ भाग आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े जाते हैं। यदि सभी उद्योगों का विकास सरकार द्वारा किया जाय तो देश के विभिन्न भागों को सन्तुलित रूप में विकसित होने का अवसर मिलता है।

(६) सकेन्द्रण की समाप्ति—सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास करने पर एक ओर तो प्रादेशिक सकेन्द्रण का भय नहीं रहता, दूसरी ओर पूंजीपतियों के हाथ में अधिक अथवा राजनीतिक सत्ता का केन्द्रीकरण नहीं हो पाता। इस प्रकार देश में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्रोयण की आशंकाएँ समाप्त हो जाती हैं।

### सार्वजनिक क्षेत्र के दोष

सरकार द्वारा औद्योगिक विकास पूर्णतः अपने हाथ में लेने के परिणाम केवल लाभदायक ही नहीं हों। यह नीति अनेक दृष्टिकोणों से अलाभदायक भी है, जो निम्नलिखित है—

(१) कुशलता में हानि—सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि उनके द्वारा उत्पादन, निर्यात तथा साधनों के प्रयोग में बहुत कम कुशलता काम में लायी जाती है। सरकारी उद्योगों में प्रायः व्यावसायिक नीति का अभाव रहता है अतः न तो उनमें लाभ रहता है और न ही जनता को आवश्यक माल यथासमय मिलता है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसी के लिए उपयोगी मिद्ध नहीं होते।

सरकारी कार्यालयों में ध्याप्त लालचीताशाही सार्वजनिक उद्योगों में भी घर बर जाती है, जिसके फलस्वरूप न तो उत्पादन, क्रय विक्रय आदि सम्बन्धी निर्णय समय पर होते हैं, न ही इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी ईमानदारी से परिश्रम कर उत्पादन बढ़ाने की चिन्ता करते हैं। इस प्रकार सरकारी उद्योगों में अकुशलता सर्वव्यापक हो जाती है।

(२) राजकीय अधिनायकवाद—सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने से सरकार को भनमानी कीमत वसूल करन का अवसर मिल जाता है क्योंकि सरकारी उद्योगों में अकुशलता होने पर प्रायः उनका उत्पादन का लागत मूल्य अधिक होता है। एकाधिकार होने के कारण जनता को ऊँचे मूल्य देने पड़ते हैं और वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार एक ओर तो जनता को महँगी वस्तुएँ मिलती हैं, दूसरी ओर मजदूरों को उचित वेतन आदि भी नहीं मिलते क्योंकि सरकार की सत्ता के विरुद्ध उनकी हड़ताल आदि मफल नहीं हो पाती।

(३) प्राविधिक ज्ञान का अभाव—सरकारी उद्योगों का प्रबन्ध प्रायः प्रशासनिक सेवा (Administrative Service) के व्यक्तियों को सौंपा जाता है, जिन्हें व्यापार अथवा व्यवसाय का तनिक भी अनुभव नहीं होता। इसका अतिरिक्त विशेष योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ सरकारी व्यवसायों में नोकरी करने को उत्सुक नहीं रहते क्योंकि उन्हें निजी व्यवसायों और उद्योगपति अधिक वेतन दे सकते हैं। अमरीका, इंग्लैण्ड, जर्मनी तथा अन्य विकसित देशों में यही स्थिति है और इन देशों में सभी उद्योग व्यक्तितम पूंजीपतियों द्वारा संचालित एवं व्यवस्थित हैं।

### निजी साहस अथवा क्षेत्र के पक्ष में तर्क

उपर्युक्त दावा के कारण अनेक अर्थशास्त्री सरकारी स्तर पर औद्योगिक विकास को राजकीय अधिनायकवाद या राजकीय पूंजीवाद (State Capitalism) कहते हैं और अधिक विकास के लिए निजी साहस द्वारा उद्योगों की स्थापना को उचित समझते हैं। निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक विकास के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं

(१) कुशलता—निजी उद्योगपतियों द्वारा औद्योगिक विकास किया जाता है तो वह प्रायः उत्पादन की लागत को कम रखने का प्रयत्न करते हैं, वस्तुओं की किस्म ऊँची रखने का यत्न करते हैं तथा सभी प्रकार के माल की पूर्ण नियमित रखते हैं। इस प्रकार सभी उत्पादक सस्ती से सस्ती दर पर बढ़िया से बढ़िया माल देने का प्रयत्न करते हैं। स्वभावतः निजी उद्योगों के विकास से जनता को मुक्ति रहती है तथा देश के औद्योगिक विकास को बल मिलता है।

(२) अनुभव एवं प्राविधिक ज्ञान का लाभ—निजी क्षेत्र में प्रायः विशेषज्ञ इंजीनियर तथा प्राविधिक विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त होता है। इस क्षेत्र के व्यक्तियों को व्यवसाय एवं प्रबन्ध का अनुभव होता है अतः उद्योगों के उत्पादन, बिक्री आदि में अत्यधिक कुशलता रहती है और देश के उद्योग दूसरे देशों से स्पर्धा करने में समर्थ रहते हैं।

(३) जोखिम—निजी उद्योगपतियों को जोखिम उठाने का अनुभव होता है और उनकी गहन जानकारी के कारण सभी प्रकार की जोखिम का अभाव न्यूनतम होने की सम्भावना रहती है। इस साहस के कारण दूसरे देशों के अनुभवों उद्योगपति भी उस देश के औद्योगिक विकास में सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं।

(४) शोधकार्य—व्यक्तिगत लाभ एवं अन्य देशों के उद्योगों से स्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर निजी क्षेत्र ने उद्योग प्रायः उत्पादन लागत कम करने अथवा उत्पादन की नयी रीतियाँ ज्ञात करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं। इस कार्य की सम्पन्नता के लिए वह प्रायः अपनी औद्योगिक इकाई का विकास करने के साथ साथ एक उच्चस्तरीय प्रयोगशाला या अनुसन्धान केन्द्र (laboratory or research centre) स्थापित करना आवश्यक समझते हैं। अमरीका, जापान, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में निजी उद्योगों द्वारा स्थापित शोध केन्द्रों ने इन देशों के औद्योगिक विकास में ही नहीं बल्कि समस्त अन्य देशों को औद्योगिक उत्तमि में भी बहुरूप योगदान दिया है। इस प्रकार निजी क्षेत्र की क्रमिक सक्रियता देश के औद्योगिक उत्पादन को निरन्तर वृद्धि प्रदान करती रहती है।

### निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक विकास के दोष

निजी क्षेत्र को मुक्त रूप में उद्योगों का विकास करने की छूट देने से देश के औद्योगिक विकास को निश्चय ही प्रोत्साहन मिलना है परन्तु इस नीति में अनेक दोष मन्त्रिहित हैं।

(१) आर्थिक सत्ता का सन्केन्द्रण—निजी क्षेत्र को औद्योगिक विकास का मुक्त अधिकार प्रदान करने का अर्थ यह है कि धीरे धीरे देश की सम्पूर्ण औद्योगिक अथवा आर्थिक सत्ता कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के हाथ में सन्केन्द्रित हो जाती है। आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण का प्रभाव देश की राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ना है क्योंकि वर्तमान चुनाव प्रणाली में कोई भी व्यक्ति काफी रकम खर्च किये बिना विजयी होने की आशा नहीं रख सकता। भारत सखी अविश्विष्ट देशों में प्रायः पूँजीवादी वर्ग के लोग अत्यधिक धन खर्च कर निर्धन तथा अशिक्षित मतदानियों से मत लेने का प्रबन्ध कर लेते हैं और इस प्रकार शायद पूँजीपतियों के हाथ की बहुमत-मात्र रह जाता है। ऐसी स्थिति में समाजवादी समाज केवल स्वप्न की बात रह जाती है।

(२) असन्तुलित विकास—पूँजीवादी या निजी औद्योगिक व्यवस्था में साहसी केवल ऐसे उद्योगों तथा ऐसे क्षेत्रों में पूँजी लगाते हैं जिनमें कि उनको तत्काल लाभ प्राप्त हो सके। वह देश की आवश्यकता को प्राथमिकता न देकर अपने व्यक्तिगत लाभ को अधिक महत्त्व देते हैं। इस प्रकार देश का औद्योगिक विकास तो होता है परन्तु उसके सर्वथा असन्तुलित होने की आशंका बनी रहती है।

(३) शोषण एवं असन्तोष—निजी क्षेत्र में व्यक्तिगत लाभ की लालसा अत्यधिक बलवती होने के कारण मजदूरों को कम से कम मजदूरी अथवा भत्ता देने का प्रयत्न किया जाता है, जिनके फलस्वरूप देश का आर्थिक वातावरण असन्तोष एवं मर्ष से व्याप्त रहता है। इससे एक ओर तो मजदूरों का शोषण होता है तथा दूसरी ओर उत्पादन की हानि होती है।

(४) पूँजी का अभाव—अनेक बार ऐसा होता है कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों (विशेषतः जहाँ कुछ अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है) में निजी साहसियों को पर्याप्त पूँजी प्राप्त करने अथवा ऋण आदि की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है। मुद्रा बाजार में अनेक बार पूँजी दुर्लभ हो जाती है जिनमें निजी क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार करना कठिन हो जाता है।

### मिश्रित उद्योग व्यवस्था के लाभ

भारत में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग द्वारा औद्योगिक विकास की नीति अपनायी गयी है। यह नीति अनेक दृष्टिकोणों से लाभदायक है, जिसका नीचे दिया जा रहा है।

(१) तीव्र गति से औद्योगिक विकास—निजी तथा सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों द्वारा उद्योगों की स्थापना का एक परिणाम यह है कि देश में औद्योगिक विकास के प्रयत्न यथेष्ट गतिशील हैं क्योंकि दोनों ही क्षेत्र अपने लिए निश्चित वर्ग के उद्योगों की स्थापना करते हैं। इस क्रिया में सब सहायक तत्त्व यह है कि दोनों क्षेत्रों का यह चिन्ता है कि उनके लिए निश्चित उद्योगों का विकास कम न रह जाय। इसके अतिरिक्त निजी उद्योगपतियों को मुख्यतः उपभोक्ता वस्तुओं सम्बन्धी उद्योगों के विस्तार का दायित्व दिया जाता है, जो शीघ्र लाभ देने वाले तथा स्थापित करने में सुविधाजनक होते हैं। दूसरी ओर विशेष वर्गों के (सुरक्षा, भारी उद्योग आदि) उद्योग सरकारी क्षेत्र में रखे जाते हैं। फलतः निजी उद्योगपतियों को लाभ की दृष्टि से तथा सरकारी क्षेत्र को राष्ट्रीय हित की दृष्टि से नदी-नदी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने की लगन लगी रहनी है जिनसे दृढ़ मिलकर देश के औद्योगिक विकास को बल मिलता है।

(२) स्पर्धा एवं कुशलता—दोनों क्षेत्रों पर उद्योग के विकास एवं विस्तार का दायित्व होने के कारण न केवल उनमें पारस्परिक स्पर्धा की भावना उत्पन्न हो जाती है बल्कि निजी तथा

सरकारी दोनों क्षेत्रों में स्थापित उद्योग की क्रियाशीलता एवं कौशल क्षमता की तुलना करने का अवसर भी मिलता है। इससे दोनों ही क्षेत्रों में कुशलता का स्तर ऊँचा रखने के प्रयत्न किये जाते हैं। यह स्थिति देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त लाभदायक है।

(३) निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन—देश में समाजवादी समाज की स्थापना का अर्थ कुछ व्यक्तियों द्वारा यह समझा गया है कि देश के सभी उद्योगों पर सरकार का स्वामित्व हो जाना चाहिए और सभी नये उद्योग सरकारी क्षेत्र में ही स्थापित किये जाने चाहिए। इससे भारतीय उद्योगपतियों के हृदय में एक आशका उत्पन्न हो गयी थी कि उन्होंने वर्षों के परिश्रम से जिन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की है उन्हें किसी समय सरकार अपने हाथ में ले लेगी परन्तु नेहरूजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उद्योगों का एकमुश्त राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा बल्कि निजी क्षेत्र को विवास करने के अधिकाधिक अवसर प्रदान किये जायेंगे। सरकार इस नीति को निरन्तर दृढतापूर्वक पालन कर रही है। इस नीति से उद्योगपतियों को नये नये क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने का प्रोत्साहन मिला और उनमें विश्वास की भावना जमी है। स्वभावतः इससे देश के आर्थिक विकास के वातावरण में सुधार हुआ है।

(४) सरकारी नियन्त्रण—भारत में एक ओर तो निजी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है, दूसरी ओर उन पर यथोचित नियन्त्रण रखा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि औद्योगिक विकास नियमित रूप में किन्तु राष्ट्रीय हित के लिए उपयोगी क्षेत्रों में ही हो। इस प्रकार नियन्त्रण से कुशल औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन तथा दुबल इकाइयों को बलि मिलता है।

(५) सकेन्द्रण पर रोक—सरकारी तथा सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करने से औद्योगिक सत्ता के कुछ व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित होने का भय कम हो गया है क्योंकि केवल निजी उद्योगपति ही उद्योग की स्थापना के अधिकारी नहीं हैं सरकार चाहे जिस समय, चाहे जिस क्षेत्र में नयी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कर सकती है। स्वभावतः इससे कुछ अंशों में निजी औद्योगिक साम्राज्य (Industrial empire) की स्थापना पर रोक लगी है।

### भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग

पूँजी एवं विनियोजन—भारत सरकार ने औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार ३१ मार्च, १९६७ को भारत सरकार द्वारा ८८ व्यावसायिक संस्थान संचालित थे, जिनकी कुल पूँजी ४,६५७ करोड़ रुपये थी।

#### संगठन का स्वरूप

भारत में सार्वजनिक उद्योगों के संगठन के स्वरूप को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

(१) विभागीय संस्थान (Departmental Undertakings)—इस वर्ग में रेल, डाक-तार, चित्तरजन का इन्जन बनाने का कारखाना, पेरम्बूर का रेलवे के डिब्बे बनाने का कारखाना आदि सम्मिलित हैं। इनका प्रबन्ध भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है।

(२) निगम संस्थान (Corporations)—कुछ क्षेत्रों में उद्योगों के संचालन एवं विकास के लिए सरकार द्वारा स्वतन्त्र निगम बना दिये गये हैं। यह निगम सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों की व्यवस्था करते हैं परन्तु वह क्रिमी न क्रिमी मन्त्रालय के अधीन हैं और इनकी नीतियों पर संसद का नियन्त्रण रहता है। जीवन बीमा निगम, दामोदर घाटी निगम, औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम आदि इस वर्ग के उदाहरण हैं।

(३) निजी कम्पनियाँ (Private Companies)—कुछ क्षेत्रों में सरकार ने कम्पनियाँ स्थापित कर दी हैं जो निजी हैं तथा जिनका सीमित दायित्व है। यह कम्पनियाँ भारतीय कम्पनी

अधिनियम के अन्तर्गत काम करती हैं। हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, हैवी इलेक्ट्रिकल्स आदि इस वर्ग में सम्मिलित हैं।

**विकास**—पिछले एक दशक के नियोजन का यह परिणाम निकला है कि भारतीय वस्ती क्षेत्र में लोक क्षेत्र का प्राबल्य है। यदि सम्पत्ति की दृष्टि से देखा जाय तो देश की प्रथम दस कम्पनियों में से ६ सरकारी इकाइयाँ हैं। ३१ मार्च, १९६८ को भारत में कुल ८३ राजकीय औद्योगिक इकाइयाँ थी जिनमें से ४५ द्वारा उत्पादन किया जा रहा था। इन कम्पनियों द्वारा १९६७-६८ में कुल १,४०३ करोड़ रुपये का माल बेचा गया जो १९६६-६७ की विक्रय राशि के २३२ प्रतिशत अधिक था।

सरकारी कम्पनियों की प्रगति का व्योरा निम्नलिखित तालिका से लग सकता है

भारत में लोक क्षेत्रीय उपक्रम

अवधि	इकाइयों की संख्या	कुल बित्तियोग (करोड़ रुपये में)
१-४-१९५१	५	२६
१-४-१९५६	२१	८१
१-४-१९६१	४८	६५३
३१-३-१९६६	८४	२,४१५
३१-३-१९७०	८८	४,०००

सरकारी क्षेत्र की उन्नत प्रगति निश्चय ही उल्लेखनीय है किन्तु हम क्षेत्र की इकाइयों की कुशलता सन्तोषजनक नहीं है। सन् १९६६-६७ में इन इकाइयों द्वारा कुल पूँजी पर १.६ प्रतिशत लाभ प्रदर्शित किया गया और १९६७-६८ में लाभ की राशि ३ प्रतिशत हो गयी। इतने कम लाभ के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

- (१) बिना बिके माल के स्टॉक में निरन्तर वृद्धि,
- (२) अनेक इकाइयों में हानि,
- (३) प्रबन्ध कुशलता का निम्न स्तर।

यह बात निश्चय ही आश्चर्यजनक है कि इन इकाइयों को सरकार से लिए गये ऋणों पर अपेक्षाकृत कम ब्याज देना पड़ता है तो भी इनके लाभ की दरें बहुत निम्न हैं।

**हानि लाभ**—सरकारी क्षेत्र में लाभ नमाने वाली मुख्य इकाइयाँ इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, फटिलाइजर कारपोरेशन, राज्य व्यापार निगम, शिपिंग कारपोरेशन तथा भारत इलेक्ट्रोनिक्स हैं। जिन इकाइयों को निरन्तर हानि हो रही है उनमें हिन्दुस्तान स्टील, हैवी इलेक्ट्रिकल्स, नोबेली लिग्नाइट कारपोरेशन तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स प्रमुख हैं।

**अनविक्रय माल**—सरकारी इकाइयों में से कुछ में बित्तो-बित्ते माल के प्रचुर भण्डार एकत्रित हो गये हैं जिससे इनकी लाभार्जन शक्ति पर प्रभाव पड़ा है। उदाहरणतः हिन्दुस्तान साल्ट में कुल बिक्री के ३७१ प्रतिशत, हैवी इलेक्ट्रिकल्स में २१७ प्रतिशत, नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स में १८७ प्रतिशत तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड में १११ प्रतिशत स्टॉक इकट्ठा हो गया था (यह अंक १९६७-६८ के हैं)। इस स्थिति का मुख्य कारण यह है कि जिस समय इन इकाइयों की स्थापना की गयी थी, इनसे सम्बन्धित माल की माँग का कुछ अनुमान लगाया गया था जो चतुर्थ योजना के म्यगन के कारण सही नहीं निकला। भविष्य में इन इकाइयों द्वारा उत्पन्न माल की माँग बढ़ने की पूरी सम्भावना है जिसके फलस्वरूप इन इकाइयों की आर्थिक स्थिति में निश्चय ही सुधार होगा।



## सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण इकाइयाँ

भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों को पांच वर्गों में बाँटा गया है। इनमें से प्रत्येक वर्ग की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

(१) हेवी इलेक्ट्रिकल्स (Heavy Electricals Ltd.)—यह कम्पनी अगस्त १९५६ में भोपाल में स्थापित की गयी थी। इसकी स्थापना बिजली के उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी भारी सामान का उत्पादन करने के लिए की गयी।

इस कम्पनी को हरिद्वार (उत्तर प्रदेश), रामचन्द्रपुरम् (आन्ध्र प्रदेश), निश्चेत्सम्बर (मद्रास) तथा भोपाल (मध्य प्रदेश) की परियोजनाओं का विकास करना था। इनमें से पहली तीन इकाइयों को १७ नवम्बर, १९६४ को मिला दिया गया और संयुक्त कम्पनी का नाम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रख दिया गया।

भोपाल स्थित इकाई अनेक प्रकार का बिजली का भारी सामान निर्माण करती है। इसमें ब्रिटेन के एमोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज का सहयोग है।

१९६८-६९ में कम्पनी की प्रदत्त पूँजी ५० करोड़ रुपये थी परन्तु भारत सरकार का इसमें कुल वित्तियोजन लगभग ८५ करोड़ रुपये था।

(२) हिन्दुस्तान स्टील लि० (Hindustan Steel Ltd)—यह कम्पनी १९५३ में १०० करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से राउरकेला स्टील प्लांट का निर्माण एवं प्रवर्धन करने के लिए स्थापित की गयी थी। तत्पश्चात् भिलाई तथा दुर्गापुर में भी इस्पात कारखाने स्थापित किये गये। अतः अप्रैल १९५७ में इन दोनों को भी हिन्दुस्तान स्टील के अधीन कर दिया गया और कम्पनी की अधिकृत पूँजी ३०० करोड़ रुपये निश्चित कर दी गयी। मार्च १९६२ में इन तीनों इस्पात कारखानों की क्षमता में वृद्धि करने तथा एक अलॉय स्टील प्लांट (Alloy Steel Plant) लगाने के उद्देश्य से कम्पनी की अधिकृत पूँजी बढ़ाकर ६०० करोड़ रुपये कर दी गयी।

(इसके अन्तर्गत राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर के स्टील कारखाने हैं) जिनकी स्टील उत्पादन क्षमता लगभग ३० लाख टन वार्षिक है।

(३) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (Hindustan Machine Tools Ltd)—यह कम्पनी १९५३ में बंगलौर में स्थापित की गयी थी। इसकी दो इकाइयाँ बंगलौर तथा एक पित्रोर (पंजाब) में हैं। चौथी इकाई कलम सेरी (केरल) और पाचवी हैदराबाद में स्थापित की गयी है। यह सभी इकाइयाँ विविध प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें निर्मित करती हैं। बंगलौर की एक इकाई में सिटोजन बॉच कम्पनी (जापान) के सहयोग से घड़ियाँ भी बनायी जाती हैं। इस इकाई द्वारा ५ लाख घड़ियाँ प्रति वर्ष बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने अपनी विक्री बढ़ाने के लिए फ्रेंचफर्ट, न्यूयार्क, सासएँजेल्स तथा मेल्बोर्न में विक्री एवं सेवा केन्द्र स्थापित किये हैं। १९६७-६८ में इसकी निर्यात राशि १२० लाख रुपये के मूल्य की हो जान की सम्भावना है।

(४) खाद निगम (Fertilizer Corporation of India Ltd)—यह कम्पनी १ जनवरी, १९६१ को सिन्धी तथा नागच की खाद फैक्ट्रियों का कार्य संभालने के लिए स्थापित की गयी थी। इसके अन्तर्गत अप्राकृत सात इकाइयाँ हैं।

इकाई	व्यापिक क्षमता	साख टन
१ सिन्धी (बिहार)	अमोनियम सल्फेट यूरिया	३५५ ०२३
२ नांगल (पंजाब)	अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट केल्शियम, अमोनिया नाइट्रेट भारी पानी	१२२ ३८८ १४१ टन
३ ट्रॉम्बे (महाराष्ट्र)	नाइट्रोजन यूरिया और नाइट्रोजन फास्फेट }	६०,००० , ४५,००० ,
४ नामरूप (आसाम)	यूरिया अमोनियम सल्फेट	५५,००० , १,००,००० ,
५ गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	यूरिया (नाइट्रोजन)	८०,००० "
६ कोरवा (मध्य प्रदेश)	यूरिया (नाइट्रोजन)	१,००,००० ,
७ दुर्गापुर (प० बंगाल)	नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	१,००,००० " ५,००,००० ,

निगम की अधिकृत पूंजी ७५ करोड़ रुपये है तथा ३१ मार्च, १९६८ को इसकी प्रदत्त पूंजी ५७ ५० करोड़ थी।

(५) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स (Hindustan Antibiotics Ltd)—यह कंपनी जून १९५४ में मिश्री (पूना) नामक स्थान पर स्थापित की गयी थी। यह पेनिसिलीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा अन्य सहायक दवाएं निर्मित करती है। इसकी अधिकृत पूंजी ४ करोड़ रुपये तथा प्रापित पूंजी २.५७ करोड़ रुपये है। चतुर्थ योजनाकाल में यह कंपनी विटामिन 'सी', नियामाइन सल्फेट, ऑरियोफेगिन का निर्माण करेगी तथा हेमीगिन के उत्पादन में वृद्धि करेगी।

(६) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (National Coal Development Corporation Ltd)—इस निगम की स्थापना मितम्बर १९५६ में भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत राजी में की गयी। निगम ने सरकार द्वारा संचालित कोयला खानों का प्रबन्ध संभाल लिया। इस निगम के आधीन २४ कोयला खानें हैं और १५ परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इन खानों की वार्षिक खनन क्षमता लगभग १५ करोड़ टन है।

कोयला विकास निगम कारगली, सवांग, गिडी तथा कठारा में कोयला धोने की इकाइयाँ चला रहा है। इन इकाइयों द्वारा स्टील उत्पादन के लिए प्रति वर्ष १६ लाख टन घोवा हुआ कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है।

(७) हिन्दुस्तान शिपयार्ड (Hindustan Shipyard Ltd)—यह संस्था १९४१ में स्थापित हुई और इसने मार्च १९५२ में मिथिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी का जहाज बनाने का कार्य अपने हाथ में ले लिया। भारत सरकार ने मिथिया कंपनी की सम्पूर्ण सम्पत्ति जुलाई १९६१ में ग्रहण कर ली। हिन्दुस्तान शिपयार्ड (विनालापत्तनम) में जहाज बनाने तथा उसकी मरम्मत करने का काम किया जाता है। कंपनी की अधिकृत पूंजी १० करोड़ रुपये तथा प्रदत्त पूंजी ६०३ करोड़ रुपये है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने अपनी स्थापना (१९४१) से लेकर ३१ मार्च, १९६७ तक कुल ४३ जहाजों का निर्माण किया जिनकी क्षमता ३३७ लाख टन थी। १९६६-६७ में इसने दो जहाज बनाये जिनमें से एक मिथिया कंपनी के निगम तथा दूसरा जिपिन कारपोरेशन के लिए था।

(८) एयर इण्डिया (Air India)—इस सत्या की स्थापना Air Corporations Act, 1953 के अन्तर्गत जून १९५३ में हुई और इसने एयर इण्डिया इण्टरनेशनल लिमिटेड का कार्यभार संभाल लिया। एयर इण्डिया द्वारा भारत में इंग्लैंड, अमरीका, जापान, आस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका तथा सोवियत मध्य के लिए हवाई सेवाएँ प्रदान की जाती हैं तथा ब्रिटिश ओवरसीज एयर कारपोरेशन (B O A C) के सहयोग में जवाता एव कुवैत तक हवाई सेवा की व्यवस्था की गयी है (विन्डोरपूर्वक अध्ययन के लिए 'वायु परिवहन' शीर्षक अध्याय देखिए)। इस कम्पनी में सरकार की कुल २७ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है।

(९) इण्डियन एयरलाइन्स (Indian Airlines Corporation)—यह भी एयर कारपोरेशन एक्ट १९५३ के अन्तर्गत १५ जून १९५३ को स्थापित की गयी तथा इसने आठ ऐसी कम्पनियों का कार्य संभाल लिया जो भारत में हवाई संचालन कर रही थी। कम्पनी में १३ मार्च, १९६८ को भारत सरकार की कुल २७ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी।

(१०) जहाज निगम (Shipping Corporation of India Ltd)—इस निगम की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के दो निगमों (Eastern Shipping Corporation Ltd and Western Shipping Corporation Ltd) को मिलाकर अक्टूबर १९६१ में की गयी। निगम में भारत सरकार की लगभग ३२ करोड़ रुपये की रकम लगी हुई है। निगम द्वारा जहाजी विकास कोष समिति तथा जापान के एक बैंक से ५७८ करोड़ रुपये ऋण लिया गया है। (जहाजरानी शीर्षक अध्याय देखिए)।

(११) नेपा मिल (National Newsprint and Paper Mills Ltd)—१९४७ में नेपाल (मध्य प्रदेश) में एक निजी कम्पनी स्थापित की गयी जिसका उद्देश्य अखबारों कागज बनाना था। १९४६ में इस कम्पनी का प्रबंधन भारत सरकार ने संभाल लिया। १९५८ में भारत सरकार ने इस कम्पनी के अधिकांश अंश खरीद लिए और पूंजी के ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन कर दिये।

नेपा मिल देश की कुल माँग का २० प्रतिशत अखबारों कागज उत्पन्न करती है, शेष कागज विदेशों से आयात किया जाता है। देश की अधिकाधिक माँग की देशी उत्पादन द्वारा पूर्ति करने के लिए नेपा मिल की उत्पत्ति ३०,००० टन से बढ़ाकर ७०,००० टन वार्षिक की जा रही है। इस योजना पर लगभग ८ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(१२) जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India, Bombay)—सन् १९५६ में भारत में कार्यशील सभी जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर उनका व्यवसाय सीरने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गयी। ३१ मार्च, १९६४ तक निगम जीवन बीमा का व्यवसाय करता रहा किन्तु १ अप्रैल, १९६४ में उसने सामान्य बीमा व्यवसाय भी आरम्भ कर दिया है। ३१ मार्च, १९६८ तक निगम की पुस्तकों में १२८ लाख व्यक्तियों का बीमा दजं था और बीमागुदा रकम की मात्रा ५,२४० करोड़ रुपये थी। निगम की कुल सम्पत्ति लगभग १,४०० करोड़ रुपये के मूल्य की थी।

जीवन बीमा निगम उद्योगों के अंश तथा सरासरी प्रतिभूतियों में पूंजी लगाता है। इसके अनिर्दिष्ट राज्य सरकारों की गारण्टी पर जल प्रदाय योजनाओं, भवन निर्माण तथा औद्योगिक विकास कार्यों के लिए स्वायत्त सत्याओं तथा औद्योगिक सत्याओं को ऋण देना है। भवन निर्माण के लिए व्यक्तियों को भी ऋण दिये जाते हैं।

(१३) निर्यात साट्र एव गारण्टी निगम (Export Credit and Guarantee Corporation Ltd, Bombay)—सन् १९५७ में निर्यात जीवन बीमा निगम के नाम में एक सत्या की स्थापना की गयी, जिसकी अधिष्ठित पूंजी ५ करोड़ रुपये रखी गयी। जनवरी १९६४ में इस

संस्था का नाम निर्यात साख एव गारण्टी निगम रख दिया गया। यह संस्था विदेशों से माल निर्यात करने के लिए साख प्रदान करती है तथा निर्यातकों द्वारा विदेशों में भेजे गये माल के भुगतान की गारण्टी लेती है। इस सुविधा की प्राप्ति के लिए निर्यातकों द्वारा अपने वर्ष भर के निर्यातों के आधार पर शुल्क (premium) देना पड़ता है। साख एव गारण्टी निगम की स्थापना से भारतीय निर्यात व्यापार को यथेष्ट बल मिला है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की समस्याएँ और सुझाव—भारत में सार्वजनिक क्षेत्र निरंतर विकसित हो रहा है किन्तु उमने (१) लालफीताशाही, (२) अत्यधिक कानूनी कार्यवाहियाँ, (३) ऋद्धिवादिता, और (४) व्यवस्था सम्बन्धी दोष उत्पन्न होते गये हैं। इनके हल करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं -

- (१) अनुभवी प्रबन्धक—सरकारी क्षेत्र में एक व्यवस्थापकों का वर्ग (cadre) स्थापित करना चाहिए और उन्हे व्यावसायिक व्यवस्था के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- (२) लागत लेखा—सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में व्यवस्था लेखापाल (Management Accountants) रखे जाने चाहिए तथा लागत लेखा विशेषज्ञों की सहायता से निमित्त वस्तुओं के उचित मूल्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही लागतों पर भी नियन्त्रण रखा जाना चाहिए ताकि वस्तु मूल्यों में बहुत वृद्धि न हो सके।
- (३) राजनीति से अलग—सार्वजनिक उद्योगों पर संसद का नियन्त्रण रखने में कोई शंका नहीं है परन्तु उनका संचालन सर्वथा व्यावसायिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। उनके लिए पृथक नियम या कम्पनियों बनायी जायें। उनके व्यवस्थापक मण्डल में राजनीतियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
- (४) नवीनतम प्राक्खियाँ—सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में उत्पादन अथवा व्यवस्थापन में जड़ता आने की आशंका रहती है। इस दृष्टि में इन औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन की नवीनतम रीतियाँ काम में लायी जानी चाहिए तथा व्यवस्था में भी नवीन रक्त का संचार होने रहने देना चाहिए।

### सार्वजनिक क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि

(१) सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का विस्तार—भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विनियोजन की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस लक्ष्य का अनुमान निम्न सारिणी से लगाया जा सकता है

उद्योग में विनियोजन

(वर्तमान मूल्यों पर करोड़ रुपयों में)

	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
सार्वजनिक क्षेत्र	२५	६३८	१,५२०
निजी क्षेत्र	२३३	८५०	१,०५०

(२) सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों का उत्पादन—सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों (Government Enterprises) के उत्पादन का अनुमान अप्रिलिखित तालिका से लगाया जा सकता है -

शुद्ध घरेलू उत्पादन में सरकारी संस्थानों का भाग

वर्ष	सरकारी संस्थानों का उत्पादन (करोड़ रुपये में)	कुल घरेलू उत्पादन का %
१९५०-५१	२६००	३.०
१९५५-५६	४२००	४.२
१९६०-६१	५७००	४.०
१९६२-६३	६७००	४.३

(३) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की कार्यक्षमता—भारतीय योजना आयोग का यह अनुमान था कि तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों से ५५० करोड़ रुपये की शुद्ध आम होगी जिसमें ४०० करोड़ रुपये केन्द्रीय उद्योगों में तथा १५० करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा संचालित उद्योगों से प्राप्त होंगे परन्तु वास्तविक प्राप्ति क्रमशः ३७० करोड़ रुपये तथा १०५ करोड़ रुपये हुई। यह अंक विशेष अमनोपजनक प्रतीत नहीं होते किन्तु वस्तुस्थिति संबंधी मित्र है।

गत चार वर्षों में केन्द्रीय सार्वजनिक उद्योगों में विनियोजित पूंजी तथा लाभ की स्थिति निम्न प्रकार थी

केन्द्रीय सरकार के उद्योग

वर्ष	विनियोजित राशि (करोड़ रुपये में)	लाभ की मात्रा
१९६३-६४	३,४१६	७५.६
१९६४-६५	३,८८१	४४.३
१९६५-६६	४,३३५	३७.८
१९६६-६७	४,६५७	—४.५

Public

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उद्योगों में विनियोजित रकम की मात्रा में निरन्तर वृद्धि तथा लाभ की मात्रा में क्रमशः कमी होनी जा रही है। १९६६-६७ में तो इन पर लाभ नहीं हुआ अपितु ४५ करोड़ रुपये की हानि हुई है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी उद्योगों की कार्यक्षमता बहुत निम्न स्तर की है।

(४) उत्पादन क्षमता का कम प्रयोग—सार्वजनिक उद्योगों की क्षमता तो कम है ही परन्तु जिनकी है उसका समुचित उपयोग नहीं होता। उदाहरणतः, १९६५-६६ में रांची की हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की कुल क्षमता के केवल १५ प्रतिशत का उपयोग किया गया।

(५) कर्मचारियों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि—सरकारी औद्योगिक संस्थाओं में प्रायः पाकिस्तान का नियम लागू होता है जिसके अनुसार क्षमता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रहती है। गत पाँच वर्षों में सरकारी श्रावणमयिक संस्थाओं में कर्मचारियों की संख्या दुगुनी हो गयी। इससे व्यय की मात्रा में वृद्धि हुई है।

संक्षेप में, दोषपूर्ण आयोजन, प्रशासनिक ढील, व्यवसाय वृद्धि का अभाव, ऊँचा व्यय तथा अनावश्यक पूंजी का बाहुल्य एसे कारण हैं जो सरकारी उद्योगों की शोचनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। इन दोषों को दूर किये बिना सामान्य जनता का मरम्भारी क्षेत्र से विश्वास बिलकूल हट जायगा और भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य स्वप्न मात्र रह जायगा।

प्रश्न

१. भारत में लोक क्षेत्र की आवश्यकता का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।
२. भारतीय उद्योगों में लोक तथा निजी क्षेत्रों के गुण दोषों का विवेचन कीजिए।
६. भारतीय अर्थ-व्यवस्था में लोक क्षेत्र के योगदान पर प्रकाश डालिए।

*"In the early days of industrialization when neither enter-  
prise, nor capital was plentiful the managing agent provided  
both"*

—Fiscal Commission (1949-50)

औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक संस्थाओं के सफल संचालन के लिए प्रचुर मात्रा में वित्तीय साधन तथा कुशल प्रबन्ध की आवश्यकता होती है। उत्पादन व मशीन साधन होने पर यदि प्रबन्ध व्यवस्था मन्तोषजनक न हो तो कोई भी उद्योग सफल नहीं हो सकता। औद्योगिक प्रबन्ध व्यवस्था कई प्रकार की हो सकती है—व्यक्तिगत साहसी द्वारा प्रबन्ध, साधेदारी फर्मों द्वारा प्रबन्ध सहकारी प्रबन्ध व्यवस्था, सरकारी प्रबन्ध व्यवस्था तथा सार्वजनिक निगमों द्वारा प्रबन्ध व्यवस्था। भारत की औद्योगिक व्यवस्था में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है जिनका संपन्न व्यक्तिगत, साधेदारी फर्म या निजी अथवा सार्वजनिक मिश्रित पूंजी कम्पनी के ही रूप में होना है। भारतीय कम्पनी विधान के अनुसार

“प्रबन्ध अभिकर्ता एक व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी है, जिस कम्पनी के सविदा (agreement) के अनुसार कम्पनी के संचालकों के सारक्षण और निर्देशों में रहकर या अन्य प्रकार से बंद सविदा में कोई ऐसी व्यवस्था हा कम्पनी के कुल कार्यों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फर्म अथवा कम्पनी, जिसे ऐसा पद प्राप्त हो सम्मिलित है, चाहे इतना नाम कुछ भी हो।”

प्रणाली का आरम्भ—भारत में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का प्रारम्भ कलकत्ता से हुआ जहाँ पर यूरोपीय फर्म आयात निर्यात व्यापार में लगी हुई थी। इनमें कुछ फर्मों ने तथा व्यापार आरम्भ करना चाहा। भारत की औद्योगिक सम्भावनाएँ विस्तृत थी परन्तु लोग पूंजी विनियोजन करने में डरते थे। बैंकिंग व्यवसाय अविकसित था। उस समय किसी औद्योगिक संस्थान की सहायता के बिना कम्पनी प्रारम्भ नहीं की जाती थी। प्रत्येक कम्पनी का प्रारम्भ प्रबन्ध अभिकर्ता के समान रूप में वे कम्पनी के अधिकांश अण खरीद लेते थे। वे कार्यालयी पूंजी का प्रबन्ध करते थे तथा प्रायः कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था भी अपने हाथ में ले लते थे। जहाँ तक इनके प्रारम्भ होने के निश्चित समय का सम्बन्ध है तब १८०० वीरा एक्ट के अनुसार १८३३ से भारत के साथ व्यापार करने की स्वतन्त्रता यूरोपीय व्यापारियों को प्राप्त हुई तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। उसी समय से भारत में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का जन्म भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास के साथ ही हुआ।

स्वरूप और विकास—अधिकतर प्रमुख अभिकर्ता फर्मों, माझेदारों या निजी कम्पनियों के रूप में पायी जाती हैं। मार्च/अप्रैल कम्पनियों के रूप में इनकी मर्यादा नीमिती है। कम्पनी कार्य विभाग के शोध एवं मासिकीय अनुभाग के एक अधीन के अनुसार १९५४-५५ में कुल २६,६२५ कम्पनियों रजिस्टर्ड थी जिनमें से ५,०५५ कम्पनियों प्रबन्ध व्यवस्थाओं के नियंत्रण में थी। इन कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी क्रमशः ६७१ करोड़ और ८६५ करोड़ रुपये थी। ३१ मार्च, १९६८ को प्रबन्ध अभिकर्ताओं के अधीन कम्पनियों की मर्यादा ६७४ रह गयी जिनकी कुल प्रदत्त पूँजी ५८८५ करोड़ रुपये थी।

प्रमुख क्षेत्र—प्रबन्ध अभिकर्ता फर्मों मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में केन्द्रित हैं। इनमें पश्चिमी बंगाल का प्रथम स्थान है। इन तीनों राज्यों में भारत की कुल प्रबन्ध अभिकर्ता फर्मों की तीन चौथाई फर्में पायी जाती हैं। जिन उद्योगों में इनका प्रभाव अधिक है, वे हैं—जूट, मोटेट, सूती वस्त्र, विद्युत उत्पादन और वितरण, कागज, कागज, लकड़, तथा स्थापना और दियामनाई उद्योग। इनके अतिरिक्त मैंगनीज, अन्न, पावर अंग्रेज, स्टेनलेस स्टील के वर्कशॉप आदि उद्योगों में भी इनका महत्त्व है। प्रबन्ध अभिकर्ता फर्मों भारतीय तथा विदेशी दोनों ही हैं।

### प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के गुण

प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा तीन प्रमुख कार्य किये जाते हैं—प्रवर्तन, वित्त, व्यवस्था और प्रबन्ध। वस्तुतः माहुरी पूँजीपति तथा उद्योग प्रबन्धकों के कार्यों के सम्मिलित प्रतीक हैं।

(१) प्रवर्तन—कम्पनियों के प्रवर्तकों के रूप में प्रबन्ध अभिकर्ता महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करते हैं। जब कोई भी उद्योग प्रारम्भ किया जाता है तो पर्याप्त मात्रा में पूँजी उपलब्ध नहीं होती है। वित्तियोग आरम्भ में वित्तियोग कराने में डरते हैं। पश्चिमी देशों में प्रवर्तकों के कार्यों में उपक्रम गृह (Promoting Houses) तथा निर्गमन गृह (Issue Houses) में बड़ी मदद मिलती है। परन्तु भारत में ऐसी मर्यादाओं का अभाव है। कम्पनी की स्थापना के पूर्व बृहत् आरम्भिक कार्य करने पड़ते हैं। ये सभी आरम्भिक कार्य प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा किये जाते हैं। भारत में ऐसे माहुरियों का अभाव है जो प्रवर्तन का कार्य कर सकें। प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा इस कमी की पूर्ति हुई है। भारत में कई महत्त्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना का श्रेय प्रबन्ध अभिकर्ताओं को है। "भारत में स्वातंत्र्य के समय से नवी औद्योगिक मर्यादों का प्रारम्भ इन प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा ही किया गया है।"

(२) वित्त-व्यवस्था—प्रबन्ध अभिकर्ताओं का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य व्यवस्था है। वे औद्योगिक मर्यादों को कार्यशील तथा मर्यादी पूँजी के रूप में आधिक मर्यादा प्रदान करते हैं। प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा उद्योगों को वित्तीय मर्यादा देने के कार्यों में निम्नलिखित कारणों से वृद्धि हुई—भारत में अविश्वसित पूँजी बाजार, भारतीय पूँजी में साहस का अभाव (shyness), प्रबन्ध अभिकर्ताओं की दृढ़ आर्थिक स्थिति, बैंकों द्वारा किसी प्रबन्ध अभिकर्ता की गारण्टी के बिना उद्योगों को ऋण न देने की नीति और विदेशी पूँजी का अन्तर्प्रवाह। कम्पनियों के वित्त प्रबन्ध में प्रबन्ध अभिकर्ता साधारणतया निम्नलिखित रीतियों का प्रयोग करते हैं—(क) निजी धन का उपयोग, (ख) जनता में जमा प्राप्ति, (ग) अपनी गारण्टी पर बैंकों से ऋण प्राप्ति, (घ) विनियोग कम्पनी के रूप में कार्य, (ङ) एक कम्पनी की निधि का दूसरी कम्पनी में प्रयोग, (च) विदेशी ऋण और (छ) विदेशी पूँजी का सहयोग।

(३) प्रबन्ध—भारत में जब आधुनिक उद्योगों का विकास प्रारम्भ हुआ, उस समय ऐसे व्यक्तियों की कमी थी जिनके पास उद्योगों के प्रबन्ध के लिए आवश्यक योग्यता तथा अनुभव हो।

उस समय यूरोपीय प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने इन कमी की पूर्ति की। इन अभिकर्ताओं के पास विभिन्न उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था के लिए विशेष विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग में योग्य, प्रशिक्षित व अनुभवी प्रबन्धक रचे जाते हैं।

प्रबन्ध अभिकर्ता आयात-निर्गत सम्बन्धी कार्य भी करते हैं, साथ ही साथ वे अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल खरीदते हैं तथा उन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री का भी प्रबन्ध करते हैं। इस प्रकार उनसे द्वारा संचालित उद्योगों को बड़े पैमाने के व्यापार से होने वाले लाभ प्राप्त होत हैं। छोटी-छोटी कम्पनियों को भी प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा बड़े तथा कुशल विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त हो जाती हैं। प्रबन्ध अभिकर्ता एक ही प्रकार की वृहत-नी कम्पनियों का प्रबन्ध करते हैं, अतः कम्पनियों के विज्ञापन व्यय में काफी कमी हो जाती है यदि कम्पनियाँ इस प्रकार की हैं कि एक के द्वारा निर्मित वस्तु दूसरी कम्पनी के लिए कच्चे माल का काम देती है, तो प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा दोनों कम्पनियों को असाधारण लाभ होता है। एक कम्पनी अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने की विन्ता से मुक्त हो जाती है तथा दूसरी कम्पनी को कच्चा माल स्वयं प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार प्रबन्ध अभिकर्ता, कम्पनियों को कुशल प्रबन्ध-व्यवस्था का लाभ पहुँचाते हैं।

### प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के दोष

प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है। उनसे प्रवर्तन, वित्तीय व्यवस्था तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता परन्तु इसके साथ ही इस प्रणाली के दोषों के प्रति भी आँखें बन्द नहीं की जा सकती। इस प्रणाली के दोषों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

(१) आर्थिक प्रभुत्व (Economic Domination)—प्रबन्ध अभिकर्ताओं के माध्यम से भारतीय उद्योगों पर आर्थिक प्रभुत्व बढ़ा है। उद्योगों ने अपनी स्वतन्त्रता खो दी है। वित्त उद्योगों का स्वामो नहीं, अपितु सेवक है परन्तु प्रबन्ध अभिकर्ताओं के कारण 'वित्त उद्योग का सेवक होने के बड़ने स्वामी बन गया है।' यह आवश्यक नहीं है कि पूँजीवत के पास प्रबन्ध कुशलता भी हो। परन्तु प्रबन्ध अभिकर्ता वित्तीय सहायता के साथ सामान्यतः उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था भी अपने हाथ में ले लेते हैं। इस प्रकार उनका प्रभुत्व सदैव के लिए जम जाता है। सकटकालीन स्थिति में ये कम्पनी के हितों की ओर ध्यान नहीं देते। इस प्रणाली के कारण उद्योगों में केवल वित्तीय मामलों पर ही ध्यान कन्द्रित हो जाता है अन्य बातें गौण हो जाती हैं।

(२) एकाधिकारिक नियन्त्रण (Monopolistic Control)—प्रबन्ध अभिकर्ता अपने कम्पनियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हैं। कम्पनी के संचालकों के, जो कम्पनी के वास्तविक प्रबन्धक हैं तथा जो अशाधारियों के प्रतिनिधि होते हैं वास्तविक अधिकार कुछ नहीं रह जाते। प्रवर्तन होने के नाते प्रबन्ध अभिकर्ता पहली बार संचालकों की नियुक्ति करना अपना अधिकार समझते हैं। प्रबन्ध अभिकर्ता कम्पनी के साथ जो समझौता करते हैं उसमें द्वारा असीमित एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उद्योगों का केन्द्रीयकरण कुछ ही हाथों में हो जाता है।

(३) आर्थिक शोषण (Economic Exploitation)—प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा कम्पनियों का विविध प्रकार से शोषण किया जाता है। वे लाभार्थ की दृष्टि में परिवर्तन करते रहते हैं तथा कम्पनी के धन का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। कम्पनी के धन को अनावश्यक कार्यों पर व्यय करना तथा अपने कार्य के लिए श्रम लेना इनके लिए साधारण बातें हैं। व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, उत्पादन पर कमीशन, खरीद पर कमीशन, बिक्री पर कमीशन तथा अन्य विशेष प्रकार के कमीशन इनके द्वारा दिए जाने रहे हैं। इन सब के फलस्वरूप अशाधारियों को बहुत कम लाभार्थ मिल पाता है। योद्धा आयोग के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा कच्चा माल खरीदने, निर्मित माल



वेचने तथा वित्तिय सौदो को पारस्परिक गुंथने सम्बन्धी दोष प्रक श मे आय हैं। इन सबके ऊपर बहुत से प्रबन्ध अभिकर्ता फर्मों ने अपने प्रणामनिक ढांचे, कारखाने के प्रबन्ध, क्रय तथा विक्रय मगठन, पुस्तकालन प्रणाली इत्यादि मे कोई सुधार नहीं किया जो औद्योगिक कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है।<sup>1</sup>

(४) अन्तर्विनियोग (Interlocking of Funds)—एक कम्पनी के धन का दूसरी कम्पनी मे विनियोजन करना प्रबन्ध अभिकर्ता के लिए माधारण वान है क्योंकि उसके प्रबन्ध के अन्तर्गत कई कम्पनियाँ होती हैं। यदि एक कम्पनी मे वित्त अतिक्र है तो वे दूसरी कम्पनी को मृण दे देते हैं। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जबकि एक कम्पनी को जो ऋण विस्तार, आधुनिकीकरण आदि के लिए मिलता है, उसका उपयोग प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा दूसरी कम्पनी को जीवित रखन के लिए किया जाता है। इसका दुष्परिणाम दोनो कम्पनियाँ को भुगनना पडता है। आर्थिक दृष्टि से यह प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है। इसमे विनासशील कम्पनियो का विकास रुक जाता है तथा अर्थ-व्यवस्था मे कमजोर कम्पनियाँ जीवित रहती है। इस प्रकार कुशल तथा सक्षम कम्पनियो की सख्या कम होती जाती है। मृण के इस लन-दन म प्रबन्ध अभिकर्ता व्याज द्वारा लाभ भी कमते है।

(५) शेयर बाजार में सट्टेबाजी (Share Speculation)—कम्पनी तथा अगधारियो के हिन्तो की परवाह किय बिना प्रबन्ध अभिकर्ता निवकशीन सट्टेबाजी करते हैं। कम्पनी के पास अपना कार्य चलाने के लिए भी आवश्यक धन भले ही न हो परन्तु प्रबन्ध अभिकर्ता निजी लाभ के लिए इस जुए के खेल स बाज नहीं आते। अपनी स्वार्थमिद्धि के लिए वे कम्पनी के अशो के मूल्य मे अत्राशनीय परिवर्तन करते रहते हैं। परिस्थितियो के अनुसार वे एक प्रकार का अश छोडकर दूसरे प्रकार का अग लेते रहते हैं। लाभान की दरो मे परिवर्तन कर खरीद के समय वे अशो का मूल्य कम कर देते हैं तथा बिक्री के समय मूल्य बढा देते हैं। इस प्रकार कम्पनी सट्टे का अत्ताडा बन जाती है। अगधारियो तथा विनियोजको को पूर्ण अन्धकार मे रखा जाता है। कभी-कभी अगधारियो को पूंजीगत हानि भी उठानो पडती है।

(६) अधिकारों का हस्तान्तरण (Transfer of Rights)—प्रबन्ध अभिकर्ता मनमाने ढग से प्रबन्ध का हस्तान्तरण कर दिया करते हैं। प्रबन्ध अभिकर्ता सम्बन्धी अधिनार को प्राय बाजार मे वस्तुओं की भांति बेचा जाता है। यह कार्य अगधारियो के हिन्तो तथा क्रेता की वास्तविक आर्थिक स्थिति का ध्यान दिये बिना किया जाता है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कम्पनी विधान मे आवश्यक रोक लगा दी गयी है। परन्तु किसी न किसी प्रकार प्रबन्ध अभिकर्ता चालाकी से नियमो का उल्लंघन कर लेते हैं।

(७) प्रबन्ध कुशलता का अभाव (Managerial Inefficiency)—प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली वशानुगत होने के कारण कार्यक्षमता तथा कुशलता मे कमी का कारण बन जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि पुत्र या सम्बन्धियो मे वही प्रबन्ध कुशलता तथा ईमानदारी हो, जो उनके पूर्वजो मे थी। इस कारण बहुत से प्रबन्ध अभिकर्ता फर्मों की प्रबन्ध-कुशलता तथा ईमानदारी में उत्तरोत्तर कमी हुई है।

इस दोष को रोकने के लिए प्रसत्रिदा की अवधि सीमित कर दी गयी है। परन्तु व्यावहारिक रूप से इसमे प्रबन्ध अभिकर्ताओ की क्रियाओ में कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ है। "अब यह कहना कि देश की प्रबन्ध योग्यता केवल प्रबन्ध अभिकर्ता गृहो तथा केवल उन्ही तक ही सीमित है, मत्त नहीं है। व्यापार प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण अब सीमित नहीं है तथा प्रबन्ध अभिकर्ताओ द्वारा

प्रबन्धन न होने वाली कम्पनियों के पास प्रशिक्षित प्रबन्ध सचालकों तथा सचिवों का अभाव नहीं है।<sup>1</sup>

इन दोषों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली सर्वथा दोषपूर्ण है। इनके द्वारा कम्पनियों का शोषण हुआ है तथा सामाजिक नैतिकता का ह्रास हुआ है। परन्तु हमें साथ ही यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के औद्योगिक विकास में इनका महत्वपूर्ण योग रहा है। प्रगुन्ध आयोग १९४६-५० के शब्दों में "इन्होंने पिछले ७५ वर्षों में भारतीय उद्योगों की महत्त्वपूर्ण सेवा की है। औद्योगीकरण के प्रारम्भिक काल में जब भारत में तो साहम था और न पर्याप्त मात्रा में पूँजी ही उन समय इन्होंने ये दोनों चीजें प्रदान कीं। इनके महत्त्व तथा उपयोगिता का अनुमान उनके द्वारा की जाने वाली प्रवर्तन, अर्थ प्रबन्धन तथा औद्योगिक प्रबन्ध सम्बन्धी सेवाओं से लगाया जा सकता है। अतः इस प्रणाली की समाप्ति नहीं अपितु सुधार की आवश्यकता है जिससे प्रबन्ध अभिकर्ता दोषमुक्त होकर देश के योजनाबद्ध नवनिर्माण में सहायक हो सकें।

### प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली में सुधार

एक कुछ वर्षों में कम्पनी अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली में सुधार करने का यत्न किया गया है। नीचे इन संशोधन की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है।

(१) कम्पनी संशोधन अधिनियम, १९३६—इस एक्ट के द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ता के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधन किये गये

(क) प्रबन्ध अभिकर्ताओं की नियुक्ति की अवधि २० वर्ष निर्दिष्ट की गयी परन्तु प्रमोदिता के तत्त्वोत्तरण द्वारा इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता था।

(ख) प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पारिश्रमिक निर्दिष्ट कर दिया गया तथा अब वे छुट्टी लाभ के एक निश्चित प्रतिशत भाग से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले सकते थे।

(ग) प्रबन्ध अभिकर्ता स्वयं प्रवर्तित कम्पनी द्वारा किया जाने वाला व्यापार नहीं कर सकते।

(घ) वित्त के अनुविनियोग को नियमित किया गया तथा प्रबन्ध अभिकर्ता चालू खाते के अनिश्चित किमी प्रकार का ऋण नहीं ले सकते।

(ङ) वे सवानक मण्डल में एक निहाई से अधिक सवालकों का मनोनयन नहीं कर सकते।

इन संशोधनों के होते हुए यह प्रणाली दोषमुक्त नहीं हो सकी। अब भी अन्यायियों के द्वारा की रथा गिय गिना अधिभाग का स्थापित हो सकता था। धनपूर्ति के रूप में वैधानिक व संवैधानिकों द्वारा कम्पनियों का शोषण किया गया। प्रत्येक सम्भव रीति द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ता अधिक लाभ प्राप्त करते रहे।

(२) कम्पनी संशोधन अधिनियम १९५१—प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए नवम्बर १९५१ में भारतीय कम्पनी अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ताओं के समाज विरोधी कार्यों पर रोक लगायी गयी। प्रबन्ध अभिकर्ता प्रवर्तित में केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था।

(३) कम्पनी संशोधन अधिनियम, १९५५—उपरोक्त दोषों संशोधनों के पश्चात् भी प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सभी दोषों का दूर नहीं किया जा सका। अतः कम्पनी अधिनियम में पुनः संशोधन की आवश्यकता हुई। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सी० एच० भाभा की अध्यक्षता में कम्पनी विज्ञान समिति (Company Law Committee) नियुक्त हुई। इस समिति के सुझावों का मुख्य

संज्ञात्मक आधार यह था कि कम्पनी प्रवर्तन तथा प्रबन्ध विषयक धाराओं में इस प्रकार सशोधन किये जायें जिससे कम्पनी प्रवर्तन तथा प्रबन्ध में उचित सुधार हो। साथ ही साथ सशोधन इतने कठिन न हो, जिनके कारण वैज्ञानिक व्यापार या साहम की प्रवृत्ति पर आवश्यक रोक लगे। इस समिति के सुझावों के आधार पर भारतीय कम्पनी सशोधन अधिनियम, १९५५ पारित किया गया।

इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र का विधान के अनुसार विकास करना तथा उचित तरीकों का पालन करना था। जहाँ तक प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का सम्बन्ध है, इस एक्ट द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति, उनकी सेवाओं की शर्तें, उनका पारिश्रमिक, संचालकों से सम्बन्धित अधिकार तथा मृगण प्रमविदा क्रय विक्रय से सम्बन्धित प्रबन्ध अभिकर्ताओं की क्रियाओं के विषय में आवश्यक सशोधन किये गये।

(४) भारतीय कम्पनी विधान, १९५६—यह एक्ट एक प्रकार से पहले के एक्ट का नया रूप था। कम्पनी विधान में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। इस विधान में कम्पनी विधान समिति के सुझावों को सम्मिलित किया गया। एक्ट में तीन प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान रखा गया। प्रथम, इसके द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के उन सभी दोषों का दूर करने का प्रयत्न किया गया, जो मन् १९२६ से प्रकाश में आये थे। द्वितीय इसके द्वारा अकारिबियों तथा सामान्य जनता के हितों की रक्षा का प्रयत्न किया गया तथा प्रबन्ध अभिकर्ता की अनुचित क्रियाओं पर रोक लगायी गयी। तृतीय सामान्य राजनीति के अनुसार निजी क्षेत्र को नियन्त्रित किया गया। प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित सशोधन किये गये

(क) नियुक्ति—केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया कि कुछ त्रिशिष्ट उद्योग तथा व्यापार में लगे हुई कम्पनियों में एक निश्चित तिथि के पश्चात् प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त न होने दें। कोई भी कम्पनी, जो दूगरी कम्पनी की प्रबन्ध अभिकर्ता है, अपने लिए प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त, कोई भी कम्पनी, स्वयं प्रबन्ध अभिकर्ता के नियन्त्रण में है, किसी अन्य कम्पनी की प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त नहीं की जा सकती। कम्पनी विधान की धारा ३२६ के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति कम्पनी की साधारण सभा में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से की जायगी। केन्द्रीय सरकार स्वीकृति देने समय इस बात का ध्यान रखेगी कि (अ) नियुक्त किया जान वाला प्रबन्ध अभिकर्ता उपयुक्त है तथा नियुक्ति की शर्तें उचित हैं, (आ) प्रबन्ध अभिकर्ता रचना जनहित के विरुद्ध नहीं है, तथा (इ) प्रबन्ध अभिकर्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता है।

(ख) प्रबन्ध अभिकर्ताओं की सख्या—१५ अगस्त, १९५६ के पश्चात् कोई भी व्यक्ति प्रबन्ध अभिकर्ता के रूप में दस में अधिक कम्पनियों में कार्य नहीं कर सकता। इस व्यवस्था से आर्थिक शक्ति का कुछ ही हाथों में विकेंद्रीयकरण नहीं होगा।

(ग) अधिकारों का हस्तान्तरण—अधिकारों का हस्तान्तरण उस समय तक नहीं होगा जब तक कि इसकी स्वीकृति कम्पनी की साधारण सभा तथा केन्द्रीय सरकार दोनों में प्राप्त न कर ली गयी हो। अब प्रबन्ध अभिकर्ता सम्बन्धी अधिकार वशानुगत नहीं हैं।

(घ) पारिश्रमिक तथा भत्ते—किसी भी वर्ष में कोई भी कम्पनी अपने शुद्ध लाभ का दस प्रतिशत से अधिक भाग अपने प्रबन्ध अभिकर्ता को पारिश्रमिक के रूप में नहीं दे सकती। लाभ कम होने की अवस्था में ५०,००० रुपये वार्षिक की दर से न्यूनतम पारिश्रमिक दिया जायेगा। पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के १०% में अधिक भी दिया जा सकता है परन्तु इसके लिए कम्पनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पास होना चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।

(ङ) नियुक्ति की अवधि—इस एक्ट के प्रारम्भ होने के पश्चात् कोई भी कम्पनी एक बार

मे पन्द्रह वर्ष से अधिक के लिए किसी भी प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकती। पुनर्नियुक्ति भी दस वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं की जा सकती।

(च) सविदा में परिवर्तन—प्रबन्ध अभिकर्ता सविदा में कोई भी परिवर्तन कम्पनी की साधारण सभा व प्रस्ताव और केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकता।

(छ) विनियोग पर प्रतिबन्ध—संचालक मण्डल उसी समूह की दूसरी कम्पनी के अथवा तथा ऋणपत्रों में उसकी निर्गमित पूंजी के दस प्रतिशत तक विनियोजन कर सकता है परन्तु इसके साथ यह भी शर्त है कि इस प्रकार का विनियोजन विनियोजक कम्पनी की निर्गमित पूंजी के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ज) प्रबन्ध अभिकर्ता को ऋण—कोई भी कम्पनी अपने प्रबन्ध अभिकर्ता को ऋण नहीं दे सकती परन्तु अपने व्यापार की सुविधा की दृष्टि से या संचालकों की स्वीकृति से कोई भी कम्पनी प्रबन्ध अभिकर्ता को अधिक से अधिक बीस हजार रुपये तक का ऋण दे सकती है। इसी प्रकार कोई भी कम्पनी एन ही प्रबन्ध व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र की दूसरी कम्पनी को बिना विशेष प्रस्ताव के ऋण या गारण्टी नहीं दे सकती।

(झ) अधिकारों पर प्रतिबन्ध—धारा ३६८ के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ताओं के हार्थों में अधिकारों के संकेन्द्रण पर रोक लगायी गयी है। प्रबन्ध अभिकर्ता कम्पनी के सीमानियम तथा अन्तर्नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार तथा संचालक मण्डल के नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्य करते।

कम्पनी विधान, १९५६ की कुछ क्षेत्रों में कटु आलाचना की गयी, अतः मई १९५६ में श्री विश्वनाथ ए० बी शास्त्री की अध्यक्षता में कम्पनी विधान में संशोधन के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु एक समिति नियुक्त की गयी। इस समिति के सुझावों को ध्यान में रखते हुए १९६० में कम्पनी (संशोधन) अधिनियम पार किया गया।

(५) भारतीय कम्पनों (संशोधन) अधिनियम, १९६०—इस एक्ट के द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ता के सम्बन्ध में निम्नलिखित संशोधन किये गये

(क) कोई भी कम्पनी किसी भी सहायक कम्पनी को अपना प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकती।

(ख) कोई भी कम्पनी अपनी निर्गमित पूंजी के तीस प्रतिशत से अधिक भाग का विनियोजन किसी भी दूसरी कम्पनी में नहीं कर सकती।

(ग) कोई भी कम्पनी निम्नलिखित में से किसी एक ही प्रकार के प्रबन्धकों की नियुक्ति कर सकती है—प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव तथा बोधोपाध्यक्ष प्रबन्धक तथा प्रबन्ध संचालक।

(घ) निजी कम्पनियों जो सार्वजनिक कम्पनी की सहायक कम्पनी हैं, सार्वजनिक कम्पनी मानी जायेंगी।

आधुनिक प्रवृत्तियाँ—इन संशोधनों द्वारा प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के अधिकांश दोष दूर हो गये हैं। यह आशा व्यक्त की गयी है कि प्रबन्ध अभिकर्ता देश के नवनिर्माण में सहायक होगा। फिर भी कुछ लोगों द्वारा इस प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग की गयी है।

### वर्तमान स्थिति और भविष्य

पटेल समिति के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि उनमें सामूहिक प्रबन्ध (group management) को प्रोत्साहन मिला है। कुछ व्यक्तियों की यह धारणा है कि देश में थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में बहुत सी कम्पनियों का प्रबन्ध भार है किन्तु यह धारणा सत्य से परे है।

वास्तव में, १९६८ में जितनी अभिकर्ता इकाइयाँ थीं उनमें से लगभग ५० प्रतिशत केवल १ कम्पनी का प्रबन्ध कर रही थीं। पूंजी की दृष्टि से इन इकाइयों का लगभग ३८ प्रतिशत प्रदत्त

पूँजी पर नियन्त्रण था। अतः यह मान्यता मत्त नहीं है कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली ने वाणिज्य सत्ता के मुकेंद्रण में योगदान दिया है।

पेटेल समिति की सिफारिशों—भारतीय प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली के सम्बन्ध में जांच कर उसके भविष्य के बारे में मुताबक देने के लिए ४ जनवरी, १९६५ को एक समिति नियुक्त की गयी। भारत सरकार द्वारा नियुक्त इस समिति के अध्यक्ष डॉ० डाई० जी० पटेल थे। समिति ने सीमेण्ट, सूती वस्त्र, कागज, शक्कर तथा पटसन उद्योगों के सम्बन्ध में जांच की और निम्नलिखित मुताबक दिये

(१) समाप्ति आवश्यक—दीर्घकाल में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली की समाप्ति आवश्यक है किन्तु इस में मकटकालीन स्थिति तथा पूँजी बाजार के टीनेपन को देखते हुए प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को धीरे धीरे श्राविक रूप में ही समाप्त किया जाना चाहिए।

(२) कुछ उद्योगों में तत्काल समाप्ति—शक्कर, सूती वस्त्र तथा सीमेण्ट उद्योगों में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए कुछ समय की पूर्व सूचना देना उचित रहेगा। एक मध्यम द्वारा सूती वस्त्र के लिए पांच वर्षों का समय देना का मुद्दा प्रस्तुत किया गया।

(३) कुछ में समाप्ति नहीं—समिति ने पटसन तथा कागज उद्योगों में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त न करने की सलाह दी। सरकार चाहे तो इन उद्योगों की कुछ इकाइयों में इस प्रणाली को समाप्त किया जा सकता है।

(४) पूँजी बाजार की सहायता—शक्कर, सूती वस्त्र तथा सीमेण्ट उद्योगों में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का अन्त करने में पूँजी बाजार में कुछ मन्दी आ सकती है। अतः सरकार द्वारा कुछ समय के लिए पूँजी बाजार तथा कुछ अभिकर्ता इकाइयों को सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(५) समिति का यह निश्चित मत था कि प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली धीरे-धीरे स्वयं ही समाप्त हो रही है और कुछ समय परचा उमका अस्तित्व केवल रोपण (Plantations), विद्युत् उत्पादन (Electricity generation) तथा पटसन और सूती वस्त्र के अतिरिक्त अन्य वस्त्र उद्योगों में रह जायगा। अतः कम्पनी अधिनियम की धारा २०४ के अन्तर्गत किसी प्रबन्ध अभिकर्ता को दोबारा मान्यता देने के लिए किसी स्थायी समिति की आवश्यकता नहीं है।

(६) बड़ी कम्पनियों जिनकी स्थायी सम्पदा अथवा वाणिज्य शिक्षा १० करोड़ रुपये में अधिष्ठ है, प्रबन्ध अभिकर्ताओं के नियन्त्रण या प्रशासन में नहीं रहनी चाहिए क्योंकि उनकी व्यवस्था के लिए स्वतन्त्र व्यवस्थापक या मैनजर का होना युक्तिसंगत है तथा यह कम्पनियों उनका स्वयं भी सहन कर सकती हैं। इन कम्पनियों में प्रबन्ध संचालक, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष नियुक्त किये जाने चाहिए जिन पर कम्पनी की व्यवस्था का सम्पूर्ण भार हो।

(७) कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं में हुए समझौतों का नवीनीकरण कम्पनी अधिनियम की धारा ३२६ के अन्तर्गत सामान्य नीति के आधार पर नहीं रोका जा सकता। समिति का यह मत था कि धारा ३२६ का मगोपन कर इस बाधा को हटाया जा सकता है।

सरकार का निर्णय—पेटेल समिति की रिपोर्ट मार्च १९६६ में प्रस्तुत की गयी। सरकार ने इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा जून १९६६ में यह घोषणा की कि पटसन, कागज, सूती वस्त्र शक्कर तथा सीमेण्ट उद्योग में तीन वर्षों के भीतर प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया जायगा, पेटेल समिति ने केवल अन्तिम तीन उद्योगों में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली समाप्त

करने की सिफारिश की थी जबकि सरकार ने पटसन तथा कागज उद्योगों के सम्बन्ध में भी बड़े उद्योगों के ममान ही निर्णय लिया है।

भारत सरकार ने एक निर्णय के अनुसार २ अप्रैल, १९७० से सब उद्योगों में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली समाप्त कर दी गयी है।

### प्रश्न

१. निम्न पर सक्षिप्त टिप्पणी लिजिए -  
प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली।

(आगरा, बी० कॉम०, १९६०, बी० ए० (प्रश्न), १९६१)

- २ हमारे देश में प्रबन्ध अभिकर्ता पद्धति के पक्ष व विपक्ष के तर्क प्रस्तुत करते हुए उत्तर के अन्त में अपना मत प्रकट कीजिए।  
(बिस्म, बी० ए०, १९६२)
- ३ भारत में कम्पनियों के प्रवर्तन में प्रबन्ध अभिकर्ताओं का क्या योगदान रहा है? क्या वर्तमान परिस्थितियों में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली उपयुक्त है। स्पष्ट कीजिए।

## विदेशी पूंजी

(FOREIGN CAPITAL)

वर्तमान युग में ससार के अधिकांश देश विकसित अथवा अल्प-विकसित अवस्था में हैं अतः उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। आर्थिक सहायता के प्रायः दो स्वरूप हो सकते हैं (१) विनियोग पूंजी (Investment capital) तथा (२) ऋण पूंजी (Loan capital)।

विनियोग पूंजी एक प्रकार की जोखिम है जिस पर लाभार्थ प्राप्त होता है जबकि ऋण पूंजी पर निश्चित दर से व्याज दिया जाता है। विनियोग पूंजी लगाने पर विदेशी पूंजीपतियों की भारतीय औद्योगिक इकाइयाँ में प्रत्यक्ष रुचि हो जाती है जबकि ऋण पूंजी में वह केवल अपनी पूंजी का व्याज प्राप्त करने को उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार विनियोग पूंजी प्राप्त करने से देश को प्राविधिक जानकारों भी मिल जाती है जिसका विकासशील देशों में संवर्धन अभाव रहता है।

सरकार की नीति—भारत में विदेशी पूंजी की उपयोगिता एक विवादग्रस्त विषय रहा है। १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अन्तरिक पूंजी के अभाव के कारण विदेशी पूंजी की सहायता से रेलों तथा नहरों का निर्माण किया गया। इसके अनिरीकृत, अंग्रेज व्यापारियों ने भारत में चाय तथा कढ़े के बगीचों, कोयला उद्योग तथा जूट उद्योग में पर्याप्त मात्रा में विनियोजन किया। इन उद्योगों की प्रगति का श्रेय विदेशी पूंजी को ही है।

विदेशी पूंजीपतियों ने देश का आर्थिक शोषण किया तथा राजनीतिक लाभ उठाया। उन्होंने अच्छे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की। इन कारणों से भारत में विदेशी पूंजी की घृणा की दृष्टि से देखा गया। सन् १९२३ के राजकीय आयोग ने यह गिफारिश की थी कि भारत का औद्योगिक विकास विदेशी पूंजी की सहायता में किया जाना चाहिए। सन् १९२५ की विदेशी पूंजी समिति (External Capital Committee) ने भी विदेशी पूंजी के महत्त्व को स्वीकार किया तथा इस बात पर जोर दिया कि विदेशी पूंजी का विनियोजन भारतीय हितों के अनुसार होना चाहिए।

अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय योजना समिति ने भी विदेशी पूंजी की उपयोगिता का अध्ययन किया तथा यह मुद्दाव दिया कि भारत में विदेशी पूंजी का उपयोग सरकार की अनुमति से निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। विदेशी पूंजी का प्रयोग आधारभूत उद्योगों में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे उद्योगों में जो विदेशी पूंजी लगी हुई है, उमें शीघ्रता-शीघ्र सरकारी अधिकार में लेने का मुद्दाव दिया गया।

स्वतन्त्रता प्राप्त के पश्चात् विदेशी पूंजी—सन् १९४८ की औद्योगिक नीति में सरकार ने विदेशी पूंजी के महत्त्व को स्वीकार किया परन्तु साथ ही साथ यह स्पष्ट कर दिया कि विदेशी पूंजी

पर आवश्यक नियन्त्रण रखा जायेगा तथा जिन उद्योगों में विदेशी पूंजी लगी हुई है उनकी प्रवृत्त व्यवस्था यथासम्भव भारतीय हाथों में होगी। इसके साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि विदेशी पूंजी का प्रयोग देश के प्राकृतिक साधनों के विकास के लिए किया जाना चाहिए तथा इसके विदेशी प्रतियोगिता को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र में प्रयोग वाद्यनीय—सन् १९४६-४० के प्रशुल्क कमीशन ने विदेशी पूंजी के महत्व को स्वीकार करते हुए यह मत व्यक्त किया कि विदेशी पूंजी का उपयोग सरकारी क्षेत्र में तथा उन योजनाओं में होना चाहिए जिनमें आयात अधिक करना पड़ता है। आयोग ने विदेशी पूंजी के महत्त्व को स्वीकार करते हुए यह कहा है कि “राज्य की नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह ऐसी अवस्थाओं की सृष्टि करे और उन्हें कायम रखे, जिनमें इस प्रकार की सारी विदेशी पूंजी का आगमन होता रहे जो भारत में आना चाहती है।” आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि देश में विदेशी पूंजी के विनियोजन के लिए उचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। उस समय विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में सन्देहपूर्ण वातावरण था। अतः ६ अप्रैल, १९४६ को स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने सदन में विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में सरकार की नीति की घोषणा की।

अप्रैल १९४६ को भारत सरकार की विदेशी पूंजी नीति—इस नीति की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

(१) विदेशी पूंजी पर नियन्त्रण का उद्देश्य—“राष्ट्रीय हित में विदेशी पूंजी के क्षेत्र और उसकी राशि का नियमन करने की आवश्यकता पर जोर देने का कारण यह था कि विदेशी पूंजी द्वारा देश की अर्थ व्यवस्था पर अनुचित प्रभुत्व तथा नियन्त्रण रखे जाते थे। परन्तु अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं अतः अब विदेशी पूंजी के नियन्त्रण का उद्देश्य उसका इस प्रकार से उपयोग करना होना चाहिए जिससे वह देश के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके।”

(२) विदेशी पूंजी की अनिवार्यता—‘विदेशी पूंजी से भारतीय पूंजी को अनुपूरण करने की आवश्यकता है क्योंकि जिस पैमाने पर हम देश का तीव्रगति से विकास करना चाहते हैं राष्ट्रीय बचत उसके लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त कई स्थितियों में वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा औद्योगिक ज्ञान और पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम विदेशी पूंजी है।’

(३) भेदभाव नहीं—भारतीय तथा विदेशी दोनों प्रकार के उपक्रमों से यह आशा की जाती है कि वह सामान्य औद्योगिक नीति की शर्तों का पालन करेंगे तथा भारतीय तथा विदेशी पूंजी में कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

(४) वर्तमान विदेशी उपक्रम—जहाँ तक वर्तमान विदेशी उपक्रमों का सम्बन्ध है, सरकार उन पर कोई भी ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी जो भारतीय उपक्रमों पर नहीं लगे हुए हैं। विदेशी उपक्रमों को लाभ कमाने की छूट होगी तथा उन पर सामान्य शर्तें ही लागू होंगी।

(५) उचित मुआवजा—भारत सरकार की विदेशी हितों को किसी भी प्रकार की छद्म पहँचाने की इच्छा नहीं है। सरकार भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में उनके रचनात्मक और सहकारी अंशदान का स्वागत करेगी। यदि कभी विदेशी उपक्रम अनिवार्यतः हस्तगत किये जायें तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जायेगा।

(६) लाभ तथा पूंजी भेजने की सुविधा—लाभ भेजने के सम्बन्ध में वर्तमान सुविधाओं को प्रविध्य में बनाये रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सरकार विदेशी पूंजी को वापस ले जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगायेगी परन्तु लाभ वापस भेजने की सुविधाएँ विदेशी विनिमय की स्थिति पर निर्भर करेंगी।

(७) भारतीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण—सामान्यतः विदेशी कारखानों का संचालन भारतीय हाथों में होना चाहिए परन्तु यदि एक निरिपत अवधि के लिए उन पर विदेशी नियन्त्रण रहता



हो और वह राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल न हो तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। यह स्पष्ट कर दिया गया कि विदेशी फर्मों प्रत्येक श्रेणी के भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएँ प्रदान करेंगी।

इस प्रकार सन् १९४६ की इस घोषणा क द्वारा विदेशी पूंजी का स्वागत किया गया। वर्तमान समय में भी इसी नीति का पालन किया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी पूंजी के महत्त्व पर पर्याप्त जोर दिया गया है। विदेशी मुद्रा की कठिनाई तथा देश के शोषातिशोष औद्योगीकरण की आवश्यकता के कारण विदेशी पूंजी का महत्त्व बढ़ गया है। त्रिनियोजकों की कठिनाई को दूर करना तथा विदेशी पूंजी को हर प्रकार से प्रोत्साहन देना सरकार की वर्तमान विदेशी पूंजी नीति का मुख्य उद्देश्य है। चतुर्थ योजना के मसौदे में इस बात पर जोर दिया गया है कि विदेशी पूंजी पर निर्भरता में शीघ्र मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा की जायगी।

### विदेशी पूंजी की आवश्यकता

विदेशी पूंजी की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है

(१) निर्धनता—संसार के अधिकांश देशों में अत्यधिक विपन्नता एवं निर्धनता का साम्राज्य है। जनता की औसत वार्षिक आय बहुत कम होने के कारण जीवन स्तर बहुत नीचा है और शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यन्त ही नावस्था में है। गन वर्षों में अनेक एशियाई अफ्रीकी देशों ने राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता तीव्र रूप में अनुभव होने लगी है। इन देशों की जनता की औसत आय इतनी कम है कि उसमें से दत्त करना बहुत कठिन है, जिसके कारण उसमें पूंजी निर्माण की मात्रा बहुत कम होती है। अतः आर्थिक विकास करने के लिए विकसित देशों के ऋण पूंजी अथवा विनिर्योग पूंजी प्राप्त करना अनिवार्य है। वस्तुतः संसार की २ अरब से अधिक जनसंख्या को यदि भूख और गरीबी से मुक्त करने के नियमित प्रयत्न नहीं क्रिय गये तो वह सम्पन्न राष्ट्रों के लिए दुःखदायी हो सकती है, जिससे विश्व-शान्ति के भंग होने की आशंका निरन्तर बनी रहेगी। अतः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति रखने के लिए अविकसित देशों का आर्थिक विकास करना आवश्यक है, जिसके लिए अधिकाधिक विदेशी पूंजी प्राप्त करना आवश्यक है।

(२) प्राविधिक—मानवीय तथा आर्थिक कारणों के अतिरिक्त विदेशी पूंजी की दूसरी आवश्यकता प्राविधिक कारण है। अविकसित देशों में शिक्षा का सामान्य स्तर बहुत नीचा है और वहाँ इंजीनियरिंग अथवा अन्य प्राविधिक ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों का सर्वथा अभाव है। अतः इन देशों में विकसित देशों से न केवल मशीनें तथा उनके निर्माण करने सम्बन्धी उपकरण मँगवाना आवश्यक है बल्कि विदेशी प्राविधिक विशेषज्ञों की सहायता भी प्राप्त करना अनिवार्य है। इस माल तथा प्राविधिक ज्ञान के लिए तत्काल भुगतान करना सम्भव नहीं होना, अतः अधिकांश राशि ऋण में प्राप्त करनी पड़ती है अथवा विदेशी उद्योगपतियों को पूंजी विनियोग करने के लिए राजी करना पड़ता है।

(३) राजनीतिक—विदेशी पूंजी की तीसरी आवश्यकता राजनीतिक है। दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका, एशिया तथा मध्य-पूर्व के देशों में पुरातन परम्पराओं तथा जीवन पद्धति के विरुद्ध एक भीषण क्रान्ति का मूत्रपात हो चुका है और यदि इन देशों को प्रजातन्त्रीय ढंग से आर्थिक विकास करने में सहायता न दी गयी तो इनमें तानाशाही अधिनायकवाद स्थापित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है, जो चीन की भाँति अपने पड़ोसी राष्ट्रों के लिए सरदर्द बन सकते हैं। अतः संसार में वास्तविक, मानसिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिए तब तक अधिकाधिक मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त करना आवश्यक है जब तक कि इन देशों का आर्थिक विकास सामान्य स्तर तक नहीं पहुँच जाय।

पूँजी प्राप्त करने में कठिनाई—अविकसित देशों में पूँजी लगाने में अनेक दुविधाएँ हैं। इन देशों में शिक्षा की सुविधाएँ अत्यन्त न्यून हैं और प्राविधिक विशेषज्ञों की तो बान ही क्या, कुशल तथा प्रशिक्षित श्रमिकों का मिलना भी कठिन है। शिक्षा के अभाव में इन देशों में उत्पादन की नवीन पद्धतियाँ लागू करने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त इन देशों में प्रशासन व्यवस्था भी कुशल एवं सक्षम नहीं होती जिसके फलस्वरूप किसी योजना को आरम्भ करना तथा उसे उचित एवं व्यवस्थित रूप में कार्यान्वित करना भी कठिन होता है। इन सब कठिनाइयों के कारण पूँजी विनियोग का प्रतिफल बहुत धीरे तथा न्यून माना में प्राप्त होने की सम्भावना होती है, अतः देश अथवा विदेश के पूँजीपतियों को घन विनियोजन का उत्साह नहीं रहता।

उपरोक्त कठिनाइयों के अतिरिक्त अविकसित देशों में पूँजी विनियोजन में सर्वाधिक बाधक तत्त्व इन देशों में व्याप्त घट्टाचार है, जिसने कारण विदेशी तथा देश पूँजी का एक अग निरन्तर विदेशी बैंकों में जमा होता रहता है और उसका उपयोग देश हित में नहीं हो पाता। इस तथ्य की पुष्टि अमरीकी सीनेट के सदस्य श्री जेविंस के इस कथन में होती है कि १०-१२ वर्षों में तंत्र अमरीकी (दक्षिण तथा केन्द्रीय अमरीकी देश) देशों से ६०० से लेकर १,५०० करोड़ डॉलर तक धनराशि अमरीका तथा स्विस बैंकों में जमा हुई है। इन देशों की हीन आर्थिक स्थिति को देखते हुए पूँजी का चोरी छिपे इतनी मात्रा में निर्यात होना वस्तुतः एक सज्जाजनक एवं दुष्ट स्थिति है। स्वभावतः पूँजी विनियोग करने वाले उदार देश अपनी पूँजी का दुष्प्रयोग सहन नहीं कर सकते। इसके विपरीत, उनकी यह आकांक्षा होती है कि सहायता प्राप्त करने वाले देश अत्यधिक परिश्रम द्वारा प्राप्त पूँजी का सही उपयोग करें और स्वयं भी त्यागवृत्ति अपनाकर विदेशों में प्राप्त पूँजी में कुछ वृद्धि करने का प्रयत्न कर। दुर्भाग्य से अनेक देशों में इस वृत्ति का सर्वथा अभाव है।

### विदेशी पूँजी के गुण

विकासशील देशों के लिए विदेशी पूँजी प्राप्त करना अनेक दृष्टिकोणों से लाभदायक होता है जिसका व्योरा नीचे दिया जा रहा है

(१) जोखिम—प्रत्येक नये औद्योगिक इकाई की स्थापना में कुछ जोखिम होती है और अविकसित देशों के उद्योगपतियों को उद्योगों के सम्बन्ध में तनिक भी अनुभव न होने के कारण यह जोखिम उठाने से घबराने हैं। अतः देशी पूँजी नये उद्योगों में नहीं लगायी जाती, जिससे औद्योगिक विकास की गति कृण्टित रहती है। विदेशी उद्योगपति नवीन क्षेत्र में पूँजी लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं क्योंकि औद्योगिक अनुभव के कारण उन्हें जोखिम का भय नहीं होता और नये क्षेत्रों में प्रायः अधिक लाभ होने की सम्भावना होती है। इसी प्रकार विदेशी पूँजी प्रारम्भिक जोखिम को सहन कर नये उद्योगों की स्थापना में सहायक होती है।

(२) सर्वेक्षण—किसी क्षेत्र में नये उद्योग स्थापित करने से पूर्व उस क्षेत्र की औद्योगिक सम्भावनाओं का भरपूर सर्वेक्षण तथा विश्लेषण करना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए अनुभवी एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिनका प्रायः अविकसित देशों में अभाव होता है। विदेशी पूँजीपति नयी औद्योगिक इकाई की स्थापना से पूर्व उस उद्योग के लिए उपयुक्त अनेक क्षेत्रों का यथोचित सर्वेक्षण करते हैं। इन सर्वेक्षणों का लाभ देशी पूँजीपति भी उठा सकते हैं और उनके आधार पर अधिकाधिक क्षेत्रों में अनेक उद्योगों का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार विदेशी पूँजी का सहयोग प्राप्त होने के कारण सर्वेक्षण की दुविधा तथा व्यय भी बचत हो जाती है। इसके अतिरिक्त विदेशी पूँजीपतियों के अनुभव से लाभ उठाकर देशी पूँजीपति आमदशना पट्टे पर स्वयं भी नये सर्वेक्षण करवा सकते हैं और उन्हें पहले से कम कठिनाई तथा व्यय उठाना पड़ता है। वस्तुतः प्रारम्भिक सर्वेक्षण भविष्य के सर्वेक्षणों के लिए पथ-प्रदर्शन का कार्य करते हैं।

(३) प्राविधिक शोचन—विदेशी पूँजी के साथ-साथ प्रायः कुछ विदेशी विशेषज्ञ भी देश में

आते हैं, जो सम्बन्धित औद्योगिक इकाई की प्रबन्ध व्यवस्था करते हैं। स्वभावतः इन त्रिगोपनों के नीचे देशी व्यक्तियों को नियोजित किया जाता है। महायन्त्र, मृदायन्त्र इन्जीनियर तथा कुशल एवं अकुशल श्रमिक प्रायः विदेश से नहीं लिए जाने क्योंकि ऐसा करने में व्यय अधिक होता है, अतः सम्बन्धित देश के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को विदेशी त्रिगोपनों के माध्यम से कार्य करने का अवसर मिलता है जिससे उनके व्यावहारिक ज्ञान तथा अनुभव में आसानीत वृद्धि होती है। कभी-कभी तो विदेशी निगम देशी कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर देते हैं ताकि उनकी समस्या में उत्पादन तथा कौशल का स्तर ऊँचा हो सके। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप देश के प्राविधिक कौशल में उन्नति होती है और भविष्य में स्वदेशी पूंजी द्वारा स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए योग्य प्रबन्धक तथा इन्जीनियर प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं होती।

(४) भुगतान सम्बन्धित—अधिकृत देशों में जब विकास का क्रम आरम्भ होता है तो उन्हें यन्त्र उपकरणों आदि पर्याप्त मात्रा में आयात करने पड़ते हैं और यह स्थिति कई वर्षों तक बनी रहने की सम्भावना रहती है, जिसके कारण देश का भुगतान सम्बन्धित निरन्तर विपन्न में रहता है। विदेशी पूंजी आयात होने से यह सम्बन्धित ठीक होना रहता है और देश की आर्थिक प्रगति पर विशेष भार नहीं पड़ता। कालान्तर में जब देश का औद्योगिक विकास उचित मात्रा में हो जाता है तो पूंजीगत सामान आयात करने की आवश्यकता नहीं होती। विदेशी पूंजी आयात करने पर विदेशी पूंजीपति प्रायः यन्त्र-उपकरणों आदि भी अपने देश से प्राप्त कर लेते हैं। कभी-कभी यह पूंजी ऋण रूप में प्राप्त की जाती है। ऐसी स्थिति में भी भुगतान सम्बन्धित की तात्कालिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और कुछ वर्षों के पश्चात् औद्योगिक विकास करने अधिक निर्यातों की कमाई में ऋण भुगतान करना सम्भव हो सकता है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि तीव्र गति में औद्योगिक विकास करने के लिए अधिकृत देशों द्वारा विदेशी पूंजी का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है।

### विदेशी पूंजी के दोष

यह सत्य है कि विकासशील देशों के लिए विदेशी पूंजी प्राप्त करना लगभग अनिवार्य है परन्तु कभी-कभी विदेशी पूंजी कई कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देती है, जिन्हें कोई भी स्वतन्त्र देश समझ नहीं कर सकता। इन कठिनाइयों का अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लग सकता है :

(१) देश का शोषण—अधिक मात्रा में विदेशी पूंजी आयात करने से देश की औद्योगिक एवं व्यावसायिक शक्ति विदेशियों के हाथ में चली जाती है, जिससे उन्हें देश का शोषण करने का अवसर मिल जाता है। सभी महत्त्वपूर्ण पदों पर विदेशियों की नियुक्ति की जाती है और जिन घोटों से स्थानों पर कुछ देशवासियों की नियुक्ति होती है वह प्रायः विदेशियों के ही समर्थक बन जाते हैं। इनके पदस्वरूप देश में एक वर्ग विदेशी मध्यता और भावना का पदधाती बन जाता है जो प्रत्येक वान में अपने विदेशी प्रभावों का समर्थन करता है। इस प्रकार देश मानसिक शोषण का शिकार हो जाता है। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना और उसका दीर्घकाल तक बने रहना इस कथन की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है।

विदेशी पूंजी के देश में आयात होने से देश में अनेक अवांछित तत्त्वों का व्यावसायिक क्षेत्र में प्रविष्ट होना सम्भव है। ये लोग प्रायः देश में जासूसी करने लगते हैं और अपने उच्चस्तरीय मन्त्रों का लाभ उठाकर देश की गुप्त सूचनाएँ प्राप्त कर अपने देश में भेजने लगते हैं।

(२) राजनीतिक हस्तक्षेप—विदेशी पूंजी के माध्यम से विदेशियों को कभी-कभी अत्यधिक व्यावसायिक शक्ति प्राप्त हो जाती है जिसके बल पर वह देश के शासन-प्रबन्ध तथा राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं। विदेशी पूंजीपति प्रायः किसी दल विशेष की आर्थिक सहायता करने लगते हैं और इसकी सहायता में जिसकी राजनीतिक स्वभावतः प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी व्यावसायिक वर्ग का समर्थन करते हैं। इसका क्रमिक प्रभाव यह होगा है कि एक समय ऐसा आता है जबकि शासक

विदेशी व्यापारियों अथवा पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली मात्र रह जाते हैं। भारत तथा अन्य एशियाई, अफ्रीकी तथा दक्षिण अमरीकी देशों में कुछ समय पहले तक शासन सत्ता पर विदेशी पूंजीपतियों का अधिकार होना इस तथ्य की पुष्टि करता है।

विदेशी पूंजी का एक दुष्परिणाम यह भी होता है कि पूंजीपति तथा उनके सम्बन्धित सरकार प्रायः सहायता देते समय कुछ सुविधाओं की माँग करते हैं तथा सहायता प्राप्त राशियाँ व प्रायः यह अपेक्षा की जाती है कि अन्तरराष्ट्रीय मामलों में वह उनका समर्थन करें। इनके स्पष्ट है कि विदेशी पूंजी की उपलब्धि के परिणामस्वरूप देशों की आन्तरिक एवं विदेशी नीति की स्वतन्त्रता समाप्त होने का भय रहता है और 'आर्थिक दामता राजनीतिक दासता को जन्म देती है' (Economic dependence leads to political dependence) का नथन सत्य सिद्ध हो जाता है।

(३) स्वर्द्धा—विदेशी पूंजी के विनियोजन के फलस्वरूप देश की औद्योगिक शक्ति विदेशियों के हाथ में जान का भी भय रहता है और देश की पूंजी से स्थापित औद्योगिक इकाइयों से भीषण स्वर्द्धा करने लगते हैं। इसके फलस्वरूप देशों उद्योगों का पनपना प्रायः अत्यन्त कठिन हो जाता है।

(४) सामाज्य—विदेशी पूंजी विनियोजन से न केवल विदेशियों को रोजगार ही अधिक मिलता है बल्कि इसके प्रतिफलस्वरूप प्रति वर्ष व्याज अथवा साभाज के रूप में काफी धनार्थि विदेशों को भेजनी पड़ती है। इससे कालान्तर में देश के भुगतान सन्तुलन पर भार पड़ता है और मुद्रा की विनिमय दर गिरने की आशंका उत्पन्न हो जाती है।

(५) अल्पवस्थित विकास—विदेशी पूंजी के विरुद्ध प्रायः एक शिकायत यह भी जाती है कि विदेशी पूंजीपति केवल उन क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों का विकास करने का प्रयत्न करते हैं जिनमें उनको अधिकाधिक लाभ हो। अनेक कारण यह प्रयत्न देश के हितों के सर्वथा अनुकूल नहीं होते किन्तु विकास के हित में सरकार को विवश होकर उनकी अनुमति देनी पड़ती है।

### भारत में विदेशी पूंजी का विनियोजन (FOREIGN INVESTMENT IN INDIA)

भारत में बहुत सी विदेशी कम्पनियाँ ने विभिन्न उद्योगों में पूंजी विनियोजित की है। इसके अतिरिक्त पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए विभिन्न विदेशी सरकारों द्वारा भी सृष्टि तथा अनुदान प्राप्त होते रहते हैं। अतः भारत में विदेशी पूंजी के विनियोजन का अध्ययन दो शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है—(१) विदेशी निजी पूंजी का विनियोजन तथा (२) विदेशी सृष्टि और सहायता।

#### भारत में विदेशी निजी पूंजी का विनियोजन (Foreign Private Capital Investment)

मात्रा—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के 'अर्थ विभाग की अन्तरराष्ट्रीय वित्त' शाखा ने भारत में विदेशी निजी पूंजी के विनियोजन की समस्या के सम्बन्ध में अप्रैल १९६६ में एक अध्ययन प्रकाशित किया। इस अध्ययन में दिसम्बर १९६२ तक के ही समकाल उपलब्ध हैं, फिर भी इस अध्ययन द्वारा विदेशी निजी पूंजी के सम्बन्ध में पर्याप्त तथ्य प्रकाश में आते हैं। इस अध्ययन के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं

भारत के निजी क्षेत्र में विदेशी विनियोग क्षेत्र

समय	समय	(करोड़ रुपये में)
जून	१९४८	
दिसम्बर	१९५३	२६४६
"	१९५६	३९७१
"	१९६१	४७८३
"	१९६५	६७६८
		९३५८

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि गत सनह वर्षों में निजी क्षेत्र में विदेशी पूंजी की मात्रा में कुल ६७१२ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। योजनानुसार वृद्धि की मात्रा इस प्रकार है :

प्रथम योजना	१७७८ करोड़ रुपये
द्वितीय योजना	१६२३ "
तृतीय योजना	३०११ "

इससे स्पष्ट है कि तीसरी योजना में निजी विनियोगों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि तीसरी योजनाकाल में भारत में विदेशी विनिमय की भीषण कमी का अनुभव किया गया जिसके फलस्वरूप विदेशी पूंजी के आयात को विशेष प्रोत्साहन दिया गया।

उद्योगों के अनुसार विनियोजन—दिसम्बर १९६५ में विभिन्न उद्योगों में विदेशी पूंजी का विनियोजन निम्न प्रकार था

विदेशी व्यावसायिक विनियोग का रूप (दिसम्बर १९६५)

(करोड़ रुपये में)

उद्योग	कुल विनियोग
बागान उद्योग	१२११
खान उद्योग	१२१
पेट्रोलियम	१७७८
निर्माणकारी उद्योग	४५८६
सेवाएँ	१६६२
योग	६३५८

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र में विनियोजित अधिकांश विदेशी पूंजी निर्माणकारी उद्योगों में लगी हुई है। तदनुसार क्रमशः पेट्रोल, जन-सेवाएँ तथा प्लाण्टेशन का स्थान है।

देशों के अनुसार विभाजन—भारत में विदेशी पूंजी विनियोग की दृष्टि से ब्रिटेन का प्रथम स्थान है। सन् १९५५ से १९६५ के बीच विदेशी पूंजी विनियोग की मात्रा में ४६३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जिसमें से १६३ करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी ब्रिटेन से, १५४ करोड़ रुपये अमरीका से तथा १७६ करोड़ रुपये अन्य देशों व स्रोतों से पूंजी भारत में आयी। देशों के अनुसार भारत में विदेशी पूंजी की स्थिति निम्न प्रकार थी :

देशों के अनुसार भारत में विदेशी पूंजी

देश	पूंजी की मात्रा (करोड़ रुपये में)	
	१९५५	१९६५
ब्रिटेन	३६५६	५२६३
अमरीका	३६६	१६३२
अन्य देश	३६६	२१३३
योग	४४२४	६३५८

विदेशी पूंजी पर लाभ

विदेशी पूंजी पर १९६३-६४ में ३८ करोड़ रुपये तथा १९६४-६५ में ५४ करोड़ रुपये शुद्ध लाभ हुआ किन्तु इन वर्षों में से क्रमशः ३० तथा ३३ करोड़ रुपये की राशियाँ विनिरिन की गयीं। शुद्ध लाभ की मात्रा में वृद्धि के मुख्यतः दो कारण थे। प्रथम, व्यवसाय में वृद्धि तथा दूसरे,

मुपर टैक्स के स्थान पर सरटैक्स लगा देने तथा करो मे अन्य छूट देने के फलस्वरूप यह सम्भव हुआ। शुद्ध लाभ का एक महत्वपूर्ण भाग पुन व्यवसाय मे इसलिये लगा दिया गया कि भविष्य मे लाभ की सम्भावनाएँ अधिक उज्ज्वल है। लाभ की मात्रा मे मुख्य वृद्धि निर्माण उद्योगो तथा प्लाण्टेशन उद्योगो मे हुई है। कुल विनियोग पूंजी पर शुद्ध लाभ की दर लगभग ६ प्रतिशत है जो विशेष आश्चर्य प्रतीत नहीं होती।

भारत मे विदेशी पूंजी की कम मात्रा के कारण—भारत एक विशाल विकासशील देश है। वस्तुतः भारत मे विदेशी पूंजी का विनियोजन बहुत अधिक मात्रा मे होना चाहिए था परन्तु विदेशी पूंजी के विनियोजन म कुछ कठिनाइयाँ हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है।

(१) सरकारी नीति—भारत ने सन् १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है तथा शासक दल ने देश मे समाजवादी अर्थ व्यवस्था लाने का व्रत लिया है। इन दोनों नीतियो के अतिरिक्त जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण ने विदेशी पूंजीपतियो के मस्तिष्क मे अनेक शकाएँ उत्पन्न कर दी। भारत के चौदह निजी व्यापारिक बैंको के (१९ जुलाई, १९६६ को हुए) राष्ट्रीयकरण का भी विदेशी पूंजी पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सरकार के मन्त्री तथा अन्य अधिकारी समय समय पर परम्परा विरोधी बक्तव्य देते रहते हैं, जिसमे विदेशी विनियोजको की शकाओ मे वृद्धि हो जाती है। वस्तुतः सरकार की करनी और कयनी मे सामंजस्य होना अत्यन्त आवश्यक है और पूंजी विनियोजन, रूप तथा आर्थिक समस्याओं मे सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बातों पर जो भी मन्त्री व अधिकारी सार्वजनिक बक्तव्य दें वह पहले तैयार कर लिए जाने चाहिए ताकि क्षणिक आवेश मे कोई अनुचित बान, जो सरकारी नीति के विपरीत हो, न निकल जाय।

सरकार की अर्थ एवं विनियोग नीति के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण क लिए भारत के विदेशी मे स्थित दूतावासो को सतर्क रहना आवश्यक है और भारतीय अथवा अन्य विदेशी स्रोतो द्वारा उत्पन्न भ्रम को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है।

(२) लालचीताशाही—भारत मे पूंजी लगाने के लिए उत्सुक प्राय सभी देशों के उद्योगपतियो की यह शिकायत है कि उन्हें उद्योगो के लिए लाइसेंस प्राप्त करने मे बहुत देर लगती है और अनेक कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है। वस्तुस्थिति यह है कि लाइसेंस की स्वीकृति देने मे पहले प्रत्येक योजना का कई मन्त्रालयो द्वारा परीक्षण करना आवश्यक होता है और बहुधा इन मन्त्रालयो मे सहयोग के अभाव मे अन्तिम स्वीकृति मिलने तक बहुत अधिक समय लग जाता है। विदेशी पूंजीपतियो तथा विनियोजको को अनेक बार सचिवानय अथवा मन्त्रालय के अधिकारियो के दृष्यवहार का शिकार होना पड़ता है। इन परिस्थितियो के अन्त्यस्त न होने के कारण विदेशी विनियोजक भारत मे पूंजी विनियोजन करने मे सकोच करते हैं।

विदेशी पूंजी को वास्तविक प्रोत्साहन देने के लिए उससे सम्बन्धित सब बागज-पत्रों का प्राथमिकता देकर शीघ्रानिशीघ्र निर्णय करने की व्यवस्था करनी चाहिए। उचित तो यह है कि विदेशी पूंजी के सम्बन्ध मे लाइसेंस देने तथा उनकी कठिनाइयाँ दूर करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर देनी चाहिए, जिससे विदेशी विनियोजको को असुविधा न हो।

(३) विदेशी सहयोग की कठिन शर्तें—भारत सरकार द्वारा किसी औद्योगिक इकाई में प्राय इम शर्त पर सहयोग करने की अनुमति दी जाती है कि उस संस्थान मे कम मे कम ५१ प्रतिशत पूंजी भारतीय होनी चाहिए। यह बन्धन लगाने का कारण यह है कि उम संस्थान की आधी से अधिक मतशक्ति भारतीयों के अधिकार मे होनी चाहिए ताकि उसका संचालन भारतीय हितों के विरुद्ध न जा सके। वस्तुतः इम प्रकार के बन्धन लगाने से केवल विदेशी पूंजी की मात्रा ही सीमित होती है क्योंकि निजी विनियोजक प्राय वार्षिक सभाओ मे बहुत कम सम्प्रा

में भाग लेने हैं और प्रायः कोरम पूरा होना ही कठिन होता है। इसके विपरीत, यदि कोई विदेशी पूंजी प्राप्त सन्ध्या भारतीय श्रितों के अनुकूल संचालित नहीं हो रही हो तो सरकार उसे अन्य अधिकारों के अन्तर्गत भी आदेश दे सकती है। अतः कुछ विशेष वर्ग के उद्योगों की छोड़कर सरकार द्वारा विदेशी पूंजी की मात्रा के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया उचित होगा।

गन दो-तीन वर्षों में इस सम्बन्ध में अधिक उदारता की नीति अपनायी गयी है।

(४) विदेशी पूंजी के लिए ब्यक्तारण—उत्पत्त कठिनाइयाँ न्यूताधिक रूप में सभी प्रजा-तन्त्रवादी व्यवस्थाओं में होती हैं और भारत ने ब्रिटेन से शासन परम्परा उत्तराधिकार में प्राप्त की है। उसमें कुछ दोष अन्तर्निहित हैं किन्तु इन परम्पराओं से हटकर विदेशी पूंजी प्राप्त करने सम्बन्धी क्रियाएँ सरल एवं सुगम बनायी जा सकती हैं। गन वर्गों में मन्त्रालयों के कार्यों में कुछ परिवर्तन करने कुछ कागजी कार्रवाहों को कम की गयी है परन्तु उसमें अभी सुधार की गुंजाइश है।

भारत में विदेशी पूंजी का संश्लेषित विरोध रहा है क्योंकि भारत अब उम इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहता जिससे अनुसार अंग्रेजों ने भारत के व्यापार और उद्योग के माध्यम से दल का शासन अधिकार प्राप्त कर लिया था। सम्भवतः भारत इंग्लैंड सम्पूर्ण विदेशी महत्पता (पूंजी तथा ऋण) बिना किसी राजनीतिक लगाव के प्राप्त कर रहा है। भारत ने अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया है कि वह अपना आर्थिक विकास दम के करोड़ों लोगों की स्वतन्त्रता का वास्तविक सुख अनुभव कराने के लिए कर रहा है। विदेशी इस व्यवहार से आश्वस्त है। इसका प्रमाण इस तथ्य में दिया जा सकता है कि भारत पर चीनी आक्रमण होने पर भी १९६२ में विदेशी पूंजी का महत्पयोग पहले के सब वर्षों में अधिक (लगभग ५५३ करोड़ रुपये) रहा।

सरकार की विदेशी पूंजी नीति में परिवर्तन हो रहा है। सरकार ने निर्णय किया है कि फर्नीचर उद्योग में विदेशी पूंजी का अब ५०% में अधिक भी हो सकता है तथा सरकार विदेशी विनिर्देशकों को 'रूपया पूंजी' एकत्र करने में भी महत्पयोग देगी।

### औद्योगिक सहयोग

#### (INDUSTRIAL COLLABORATIONS)

विदेशी पूंजी भारत में आने की एक रीति यह है कि विदेशी पूंजीपति भारतीय माहिनियों के महत्पयोग में बारम्बार खोजते हैं अथवा भारतीयों को बारम्बार खोजने में मदद करते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार द्वारा इस प्रकार के सहयोग को निरन्तर प्रोत्साहन दिया गया है। इसका अनुमान निम्नलिखित गालिका में लग सकता है

#### माहत्पयोग उद्योगों में विदेशी सहयोग सरपा<sup>1</sup>

१९५७	८१
१९५८	१०३
१९५९	१५०
१९६०	३८०
१९६१	४०३
१९६२	२९८
१९६३	२९८
१९६४	४०३
१९६५	२४२
१९६६	२६१
जून १९६७ तक	१११
	योग २,७२०

<sup>1</sup> आगे का ध्योरा उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि गत १०½ वर्षों में विदेशियों द्वारा कुल २,७३० करोड़ रुपए इकाइयों में सहयोग दिया गया है अर्थात् विदेशी सहयोग की वार्षिक औसत २६० इकाइयों है। यह सहयोग भारत सरकार की अनुमति से ही दिया जा सकता है।

उद्योगों के अनुसार—औद्योगिक सहयोग जिन क्षेत्रों में दिया गया है उनमें मुख्य निम्न-लिखित हैं

उद्योग	सहयोगों की संख्या
१ विजली व अनिश्चित मशीनें	७८६
२ विजली की मशीनें तथा उपकरण	४२२
३ रसायन—सामान्य	१५६
४ परिवहन उपकरण	६०
५ लोहा-इस्पात	७३
६ औषधियाँ	५६
७ औद्योगिक रसायन	५२

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि कुल औद्योगिक समझौतों का लगभग ५० प्रतिशत ही मशीन तथा रसायन उद्योगों में ही सम्बन्धित रहा है। शेष लोहा-इस्पात, औषधियाँ, वाहन, रबर सीमेंट, सूती वस्त्र, जहाज चीनी विद्युत उत्पादन आदि व्यवसायों में किये गए हैं। यह सभी उद्योग भारत की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

देशों का स्थान—भारत के औद्योगिक विकास में सर्वाधिक सहयोग देने वाले देशों में मुख्य स्थान क्रमशः ब्रिटन, अमरीका पश्चिमी जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैण्ड, फ्रांस, तथा इटली का रहा है। निम्न तालिका से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है

भारतीय उद्योगों में विदेशी सहयोग-सदया

१ ब्रिटन	७४६
२ अमरीका	४८६
३ पश्चिमी जर्मनी	४०७
४ जापान	२३६
५ स्विट्जरलैण्ड	१२६
६ फ्रांस	६८
७ इटली	७४
८ पूर्वी जर्मनी	६०
९ स्वीडन	४३
१० हॉलैण्ड	४१

इन देशों के अनिश्चित कनाडा, आस्ट्रेलिया, जेडोम्बोवाकिया, बेल्जियम, यूगोस्लाविया डेनमार्क, फिनलैण्ड, पोर्लैण्ड तथा हंगरी ने भी भारतीय उद्योगों के विकास में सहयोग किया है।

इकाईगतिक टाइम्स के एक अध्ययन के अनुसार १९४ कम्पनियों की २०६ करोड़ रुपये की पूंजी में से विदेशी पूंजी का भाग लगभग ४६ करोड़ रुपये अर्थात् २४ प्रतिशत रहा है। इनमें पूर्वी व अनिश्चित प्रायद्वीप सहयोग भी उपलब्ध रहा है।

गत वर्षों में औद्योगिक सहयोगों की संख्या में कुछ कमी आने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रायः सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औद्योगिक सहयोग उपलब्ध हो चुका है, अतः भविष्य की सम्भावनाएँ कम हैं।



विदेशी विनियोजकों द्वारा भारत में पूंजी लगाने के सम्बन्ध में सरकार को इस बात की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए कि वह सरकार द्वारा आयोजित अथवा वाणिज्य उद्योगों में ही पूंजी लगायें। इससे भारत की योजनाएँ उचित दिशा में सफ़रीभूत हो सकेंगी। परन्तु विदेशी उद्योग-पतियों की इस शिंकायत को दूर करना बहुत आवश्यक है कि उन्हें नवीन योजना चालू करने की स्वीकृति बहुत देर से मिलती है।

भारत में विदेशी ऋण पूंजी तथा सहायता—युद्धकाल तथा उसके पश्चात् कुछ समय तक भारत में विदेशों से आने वाली ऋण पूंजी की मात्रा बहुत कम थी किन्तु योजना-काल में स्थिति बहुत बदल गयी है। गन वर्षों में भारत में आने वाली ऋण पूंजी की मात्रा निरन्तर बढ़ती जा रही है, जिनका अनुमान निम्नांकित आँकड़ों से हो जायेगा

युद्धोत्तरकाल में विदेशी सहायता

(करोड़ रुपये में)

देश का नाम	तृतीय योजना तक सहायता	१९६६ से १९७०	योग
१ मयुक्त राज्य अमरीका	२,९३६	१७११	४,६४७
२ विश्व बैंक तथा विकास सघ	७२९	५१७	१,२४६
३ सोवियत सघ तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देश	६१०	३५१	९६१
४ पश्चिमी जर्मनी	४४५	२०१	६४६
५ ग्रेट ब्रिटेन	३६२	२९०	६५२
६ कनाडा	२२४	२८३	५०७
७ जापान	१६६	१४०	३०६
८. अन्य	२५९	२२१	४८०
योग	५,७३१	३,७१४	९,४४५

इस तालिका से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलने हैं

(१) भारत को योजनाकाल में सबसे अधिक विदेशी सहायता (४,६४७ करोड़ रुपये)

मयुक्त राज्य अमरीका ने प्राप्त हुई है। यह कुल सहायता को लगभग ५० प्रतिशत है।

(२) विदेशी सहायता के क्रम में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(३) सहायता करने वाले देशों में अमरीका के पश्चात् सोवियत सघ, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा तथा जापान का नाम लिया जा सकता है।

(४) कुल ९,४४५ रुपये की विदेशी सहायता में ५८२ करोड़ रुपये के अनुदान हैं, शेष सहायता ऋणों के रूप में है।

(५) ऋणों की राशि में केवल २९३ करोड़ रुपये की राशि का भुगतान रुपये में किया जायगा, शेष विदेशी मुद्रा में करना होगा।

(६) इसी रकम (ऋणों की) में २,१९५ करोड़ रुपये की राशि की सहायता पी० एन० ४८० तथा पी० एल० ६६५ के रूप में प्राप्त हुई है जो भारत के बैंकों में रुपये में जमा रहेंगे तथा जिसका प्रयोग भारत सरकार तथा अमरीकी सरकार के पारस्परिक समझौते द्वारा किया जायेगा। इसका भुगतान भी रुपये में किया जायगा।

## विदेशी सहायता की उल्लेखनीय प्रवृत्तियाँ

भारत को प्राप्त विदेशी सहायता के कुछ तत्त्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं जिनमें से विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं :

(१) मात्रा में तीव्र गति से वृद्धि—गत वर्षों में भारत को प्राप्त विदेशी सहायता में नियमित रूप में वृद्धि हो रही है। इसका मुख्य कारण भारत के योजना व्यय में वृद्धि होना है। तृतीय योजनाकाल में वस्तुओं के कुल आयात के ३७ प्रतिशत की व्यवस्था विदेशी सहायता से की गयी जबकि दूसरी योजनाकाल में यह मात्रा केवल २७ प्रतिशत थी।

तीसरी योजनाकाल में प्रति व्यक्ति शुद्ध विदेशी सहायता की राशि भी ६७१ रुपये हो गयी जबकि दूसरी योजनाकाल में यह ६३३ रुपये की मात्रा थी।

(२) रचना में परिवर्तन—तृतीय योजनाकाल में विदेशी सहायता की रचना में एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह हुई कि विदेशी मुद्रा में चुकाने योग्य ऋणों की मात्रा में बहुत तेजी से वृद्धि हुई तथा अनुदान और पी० एल० ४८० के अन्तर्गत प्राप्त राशियों में कमी हो गयी। इससे भारत की अर्थ-व्यवस्था पर सामान्य कर-भार बहुत बढ़ गया।

प्रथम योजनाकाल में विदेशी मुद्रा में चुकाने योग्य ऋण की रकम केवल २१२ करोड़ रुपयों थी जो १९६६-७० में ६,१२६ करोड़ रुपये हो गयी।

(३) शर्तों में उदारता—तृतीय योजनाकाल में एक ओर तो अनुदान तथा सहायता में कमी होकर विदेशी मुद्रा के ऋणों में वृद्धि हो गयी। दूसरी ओर विदेशी ऋणों की शर्तें बहुत नरम हो गयीं। इस काल में एक ऋणों पर देय ब्याज की औसत दर ४४ प्रतिशत से घटकर ३४ प्रतिशत हो गयी तथा ऋणों की भुगतान अवधि १०-२० वर्षों से बढ़कर १३-२३ वर्षों हो गयी। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अमरीका के नये ऋणों पर ब्याज की दर २.५ प्रतिशत है। ब्रिटिश ऋण ५.५ से ६ प्रतिशत ऋणवाहक थे अब सस्ते हो गये हैं। हाल ही में दिये गये कुछ ऋण तो निशुल्क हैं। इनकी भुगतान अवधि भी २५ वर्षों है। पूर्वी यूरोप के देशों से प्राप्त ऋणों पर ब्याज की दर २.५ प्रतिशत तथा भुगतान अवधि १२ वर्षों है।

(४) ब्याज का बढ़ता हुआ भार—यद्यपि नये ऋणों पर ब्याज की दरें कम हैं परन्तु ऋण की निरन्तर बढ़ती हुई राशि के कारण ब्याज का भार भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है, उदाहरणार्थ द्वितीय योजनाकाल में भारत की चालू खाते में विदेशी विनिमय की कमाई का केवल ३ प्रतिशत ब्याज के रूप में चुकाया गया जबकि तीसरी योजना की अवधि में यह राशि ११ प्रतिशत तक बढ़ गयी। यदि विदेशी कम्पनियों द्वारा अर्जित एवं प्रेषित लाभों को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो वार्षिक ब्याज की रकम कुल (विदेशी विनिमय की) चालू कमाई का २० प्रतिशत है।

(५) भुगतान का भार—विदेशी ऋणों का भार ब्याज तथा मूल चुकता करते समय विशेष रूप में अनुभव होता है। यह राशि भी गत वर्षों में बढ़ गयी है। इस दृष्टि से ही ऋण देने वाले देशों से ऋण चुकाना करने की तिथियों को कुछ स्थगित करने की प्रार्थना की गयी थी। तदनुसार कनाडा, ब्रिटेन, जापान तथा आस्ट्रिया ने अपने ऋण भुगतान लेने में कुछ ढील दे दी है। अन्य देश भी इस दिशा में विचार कर रहे हैं।

(६) ऋण स्थगन तथा पुनः स्वीकृति—भारत पाक विवाद के कारण १९६५ में कुछ देशों ने दोनों देशों को ऋण देने बन्द कर दिये थे। १९६६ में उन्होंने पुनः ऋण देना आरम्भ कर दिया है। भारत सहायता क्लब द्वारा १९६६-७० के लिए ६२८ करोड़ रुपये की सहायता का वचन दिया गया।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत का विदेशी ऋण भार तथा नियमित ब्याज भार बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति देश के आर्थिक तथा राजनीतिक हितों के अनुकूल नहीं है। एक स्वतन्त्र देश को अपना स्वाभिमान बनाये रखने के लिए विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भर करना

अवाञ्छनीय ही नहीं खतरनाक हो सकता है। अतः देश के कर्णधारों को विदेशी सहायता प्राप्त करने में हाथ रोककर सूझबूझ तथा समय से काम लेना चाहिए।

**भारतीय विनियोजन केन्द्र (Indian Investment Centre)**—भारत में अभी बहुत समय तक विदेशी पूँजी की आवश्यकता होगी। इस दृष्टि से विदेशी पूँजीपतियों को आकर्षित करने तथा उनकी सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए १६ फरवरी, १९६१ को नयी दिल्ली में भारतीय विनियोजन केन्द्र की स्थापना की गयी। केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

(१) पूँजी निर्यातक देशों में भारत विनियोजन सम्बन्धी नीति एवं कार्यविधियों का प्रचार करना।

(२) भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी पूँजी आकर्षित करने में सहायता करना।

(३) विदेशी ध्यापारियों को भारत में पूँजी लगाने के सम्बन्ध में सलाह तथा सहायता प्रदान करना।

(४) विशेष उद्योगों में विदेशी पूँजी प्राप्त करने की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण करना।

(५) भारतीय अर्थतन्त्र के विकास के लिए निजी पूँजी प्राप्त करने के लिए उचित ज्ञान एवं सूचनाएँ प्रसारित करना।

विनियोजन केन्द्र के प्रयत्न फलीभूत होने आरम्भ हो गये हैं और देशी तथा विदेशी पूँजीपतियों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। अमरीका, कनाडा, इंग्लैण्ड, पश्चिम जर्मनी, स्विटजरलैण्ड, बेल्जियम तथा जापान के अनेक उद्योगपतियों ने 'केन्द्र' क माध्यम से बहुत से भारतीय उद्योगों में पूँजी विनियोग के लिए समझौते किये हैं। केन्द्र शीघ्र ही एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करके विनियोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचना देने की व्यवस्था कर रहा है।

गत वर्षों में भारत के अनेक प्रतिनिधि मण्डलों ने विदेशों में जाकर विदेशियों को भारत में पूँजी लगाने के लिए आश्वस्त एवं प्रोत्साहित किया है। भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि रिजर्व बैंक के सहयोग से भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं में 'सूचना केन्द्र' स्थापित कर दे, जिनमें विदेशी विनियोक्ताओं को भारत में विनियोजन सम्बन्धी सब सूचनाएँ तत्काल प्राप्त हो सकें। जिन देशों में भारतीय बैंकों की शाखाएँ नहीं हैं वहाँ दूतावासों, भारतीय वाणिज्य दूतावासों अथवा कुछ बड़े-बड़े बैंकों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः विदेशी पूँजी लाने, उसे उचित समय तक बनाये रखना तथा उसका पूर्णतः सदुपयोग करने के लिए भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक के कार्यालयों को अधिक सबेष्ट एवं सक्रिय होना पड़ेगा। इसके बिना सारी असुविधाओं तथा समस्याओं का अन्त सम्भव नहीं है।

### प्रश्न

१. एक विक्रामोन्मुख अर्थ व्यवस्था में विदेशी पूँजी का क्या महत्त्व है? भारत सरकार की सन् १९४७ से विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति का विवेचन कीजिए। (बिहार, बी० ए०, १९६३)
२. भारत में विदेशी पूँजी के उपयोग के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या नीति रही है? अपने सुझाव दीजिए।

(दिल्ली ४ पत्राव, बी० ए०, १९५६)

"Finance is the life blood of industry" —Anonymous

अविकसित तथा अर्द्ध विकसित अर्थ व्यवस्था में औद्योगिक विकास की गति प्रायः स्थिर होती है, बड़े पैमाने के उद्योगों का प्रायः अभाव रहता है तथा लघु उद्योग भी लाभकारी स्थिति में रहते हैं। उद्योगों की इस विपन्नता का मुख्य कारण पूँजी का अभाव होता है। बड़े उद्योगों को अधिक मात्रा में तथा दीर्घकाल के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, छोटे उद्योगों की वित्तीय आवश्यकता कम तथा अल्पकालीन होती है परन्तु उनकी साख भी कम होती है और उनके पास धरोहर का अभाव होता है। उपर्युक्त कारणों से दोनों प्रकार के उद्योगों के लिए अर्थाभाव रहता है।

**वित्त की आवश्यकता**—घॉक समिति के मतानुसार, उद्योगों को मुख्य रूप में दो प्रकार की पूँजी की आवश्यकता होती है। प्रथम दीर्घकालीन पूँजी जिसका प्रयोग भूमि, मकान तथा मशीन आदि खरीदने के लिए किया जाता है और द्वितीय, अल्पकालीन पूँजी जिसकी आवश्यकता कच्चा माल खरीदने निमित्त माल का विक्रय करने तथा पारिश्रमिक चुकाने आदि के लिए होती है। इसके अनिश्चित कभी-कभी औद्योगिक विस्तार एवं मशीन आदि के भाग परिवर्तन के लिए भी पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। यह आवश्यकता प्रायः मध्यकालीन होती है। वस्तुतः कच्चा माल खरीदने के लिए भी जो पूँजी प्राप्त की जाती है उसका एक अंश मध्यकालीन अथवा दीर्घकालीन बन जाता है क्योंकि उस मूल्य के एक भाग का प्रति वर्ष नवीनीकरण होता है।

### औद्योगिक वित्त के स्रोत

भारत में औद्योगिक वित्त के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं :

(१) विनियोजक जनता (Investing Public), (२) प्रबंध अधिकर्ता (Managing Agents) (३) विनियोजक संस्थाएँ तथा व्यापारिक बैंक, बीमा कंपनियाँ तथा विनियोजक प्रदान (Investment Trusts) (४) वित्त निगम, (५) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार, (६) देशी बँकर और साहूकार, (७) सहकारी समितियाँ, तथा (८) विदेशी पूँजी।

### १. विनियोजक जनता (INVESTING PUBLIC)

प्रत्येक देश में वहाँ की जनता द्वारा उद्योगों में पूँजी विनियोजन किया जाता है। पूँजी विनियोजन के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं

अंश (Shares)—औद्योगिक कंपनियाँ प्रायः अंश पूँजी निर्गमित करती हैं जिसे जनता, बैंक अथवा बीमा कंपनियाँ खरीद लेती हैं। अंश पूँजी की किसी उद्योग के संचालकों की प्रियता

अथवा साख पर निर्भर करती है। उद्योगों द्वारा प्रायः सामान्य (Ordinary) अथवा पूर्वाधिकार (Preference) अंश निर्गमित किये जाते हैं। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश की न्यूनतम दर निश्चित होती है किन्तु सामान्य अंशों पर लाभांश दिया जाता है।

अंशों के अनिश्चित ऋणपत्रों (Bonds or Debentures) द्वारा भी पूंजी संग्रह की जाती है। बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ, भूमि-बन्धक बैंक तथा नगर निगम आदि समय-समय पर ऋणपत्र निकालते हैं जिन्हें जनता, व्यापारिक बैंक तथा बीमा कम्पनियाँ आदि खरीद लेते हैं।

गत वर्षों में भारत में अंश-पूँजी का निर्गमन निम्नलिखित रहा है

निर्गमित पूंजी

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि
१९५१	८
१९५६	४५
१९६१	६०
१९६६	४८
१९६७	४६
१९६९	१२५

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि पूंजी निर्गमन के क्रम में निरंतर उतार-चढ़ाव रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि १९५१-६९ के मध्य कुल ७३८ करोड़ रुपये की पूंजी निर्गमित की गयी जिसकी वार्षिक औसत ३९ करोड़ रुपये है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रति वर्ष १५०-२०० करोड़ रुपये की पूंजी संग्रह की जाती है। इसमें निजी क्षेत्र में पूंजी विनियोग की गति क्षिप्त रहती है।

२. प्रबन्ध अभिकर्ता  
(MANAGING AGENTS)

भारतीय वृहदाकार उद्योगों की स्थापना तथा विकास का प्रमुख श्रेय प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली को है क्योंकि इस वर्ग ने न केवल प्रारम्भिक वर्षों में विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था की बल्कि उनका ठीक प्रकार प्रबन्ध करके उन्हें स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉ० बसु के शब्दों में

“The attribute of managing agents that has most attracted public attention is their role as capitalists, the suppliers of industrial finance”

(अ) पूंजी की व्यवस्था—प्रबन्ध अभिकर्ता कम्पनियों के अंश तथा ऋणपत्र खरीदने हैं और प्रतिभूतियों का अभिव्यक्ति कर उनके विवरण में सहायक होते हैं। कुछ प्रबन्ध अभिकर्ता अपनी कम्पनियों के लिए जनता से सामयिक निवेश भी प्राप्त करते हैं। डॉ० बसु के ही एक अनुमान के अनुसार १७२० कम्पनियों की २१५ करोड़ रुपये पूंजी में से २९ करोड़ रुपये अर्थात् १३.५८ प्रतिशत रकम प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा खरीदी हुई थी। राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ-वोध परिषद (National Council of Economic Research) ने ब्रिटिश प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा व्यवस्थित १२५ कम्पनियों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला है कि इनमें लगभग १७ प्रतिशत अंश पूंजी प्रबन्ध अभिकर्ताओं के अधिकार में है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रबन्ध अभिकर्ता वर्ग भारतीय उद्योगों के लिए पूंजी प्राप्त करने का एक अच्छा स्रोत है।

(ब) ऋण तथा गारण्टी—स्वयं पूंजी लगाने के अतिरिक्त प्रबन्ध अभिकर्ता औद्योगिक कम्पनियों को ऋण भी देते हैं तथा अपनी गारण्टी पर उनके लिए ऋणों की व्यवस्था भी करते हैं।

इनकी साख ऊँची होने के कारण जनता तथा बैंको को इनके द्वारा निर्देशित कम्पनियों को सृज देने में कोई सकोच नहीं होता। राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ-शोध परिषद के एक अनुमान के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा व्यवस्थित बृहदाकार कम्पनियों द्वारा प्राप्त कुल ऋणों का १३ प्रतिशत तथा मध्यम आकार वाली कम्पनियों के ऋणों का ७ प्रतिशत स्वयं प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा दिया हुआ था। अहममदाबाद, बम्बई, पूना तथा व्यात्र की अनेक मिलें जनता से निशेष प्राप्त करती हैं जिनकी गारण्टी प्रबन्ध अभिकर्ताओं द्वारा की जाती रही है।

अप्रैल १९७० से प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का अन्त कर दिया गया है।

(स) विनियोजक सत्याएँ—औद्योगिक वित्त व्यवस्था में विनियोजक सत्याओं तथा—व्यापारिक बैंक, बीमा कम्पनियों तथा विनियोजक प्रत्यासों का महत्त्वपूर्ण योग रहता है क्योंकि ये सत्याएँ औद्योगिक कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ तथा ऋणपत्र आदि सखीदती हैं और उनके लिए बाजार का निर्माण करके इन प्रतिभूतियों के मूल्य स्थिर रखने में भी योग देती हैं।

### ३. व्यापारिक बैंक

भारतीय व्यापारिक बैंक ब्रिटिश बैंको की भाँति अधिकतर अल्पकालीन ऋण देते हैं। इनके मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो उनका दृष्टिकोण कुछ सखीर्ण है तथा उनमें जोखिम उठाने की वृत्ति का अभाव है तथा दूसरे उनके पास किसी औद्योगिक सत्यान की सम्पत्ति का उचित मूल्यांकन करने के साधनों की कमी है। परन्तु इस व्यवस्था का मुख्य कारण यह है कि एक बैंक का व्यवसाय केवल अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा देश के अर्थतन्त्र को सन्तुलित करने के लिए सामान्य धनराशि की व्यवस्था करना समझा जाता रहा है। सैद्धान्तिक रूप में मूल ही इस मान्यता का पानन किया जाना हो परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से अल्पकालीन ऋण की पुनरावृत्ति होती रहती है और एक वर्ष के लिए दिया गया ऋण प्रति वर्ष निरन्तर बढ़ाये जाने के कारण प्रायः मध्यकालीन अथवा दीर्घकालीन बन जाता है।

भारतीय बैंको की समस्याएँ—भारत में बैंको द्वारा मध्यम अथवा दीर्घकालीन ऋणों का कई दृष्टिकोणों से विरोध किया जाता है। इस सम्बन्ध में पहला तर्क यह है कि भारतीय बैंकों के साधन बहुत सीमित हैं और वह कभी-कभी अल्पकालीन आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं कर पाते जब उहें मध्यम अथवा दीर्घकालीन ऋण देने का विचार ही नहीं करना चाहिए। दूसरे, मध्यम अथवा दीर्घकालीन ऋण देना एक विशेष व्यवसाय है, जिसके लिए अधिक प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता है। स्वभावतः इस कठिनाई के कारण यह व्यवसाय केवल सीमित रूप में ही अपनाया जा सकता है तथा कुछ बड़े बैंक ही ऐसे ऋणों की व्यवस्था कर सकते हैं। तीसरा तर्क यह है कि भारतीय बैंको के ऋण निशेष अनुपात (Loan-deposit ratio) पहले ही बहुत ऊँचे हैं। अतः यदि उन्होंने मध्यम अथवा दीर्घकालीन ऋण देने आरम्भ कर दिये तो उनके तरल कोषानुपात बहुत कम हो जायेंगे।

तर्क युक्त सगत नहीं—अवधि ऋणों के विरोधियों द्वारा दिये गये तर्क बहुत शनिशाली अथवा सबल नहीं हैं क्योंकि वर्तमान अवस्था में भी कुछ बैंक तो व्यवहार में मध्यकालीन ऋण देते ही हैं और इससे उनके तरल कोषानुपातों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पडा है वस्तुतः जापान के आर्थिक विकास में तो सबसे अधिक योग वहाँ के बैंको का रहा है, जो व्यापार तथा उद्योगों का अधिक उदारतापूर्वक ऋण देते हैं, जिसके फलस्वरूप जापानी बैंको के ऋण-निशेष अनुपात १०० प्रतिशत तक पहुँच जाते। यद्यपि भारतीय बैंको को इस सीमा तक पहुँचने के लिए कुछ अधिक अनुभव की आवश्यकता होगी, परन्तु देश को विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें उदारतापूर्वक ऋण देने चाहिए।

निशेष बीमा निगम (Deposit Insurance Corporation) की स्थापना से भारतीय

बैंकों के लिए अवधि ऋण देना अधिक सरल हो गया है क्योंकि जमा करने वालों के निक्षेप तथा बीमे के कारण सुरक्षित हो गये हैं। अतः कुछ अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से तथा राष्ट्रीय हितों में सहायक होने के विचार से भारतीय बैंकों द्वारा उद्योगों को मध्यकालीन ऋण दिये जा सकते हैं।

अवधि ऋण समिति के विचार—भारतीय उद्योगों की बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए रिजर्व बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों के वित्त-विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी, जिमने नवम्बर १९६१ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति ने उद्योगों तथा बैंकों की सब समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात् यह विचार व्यक्त किया कि “अवधि ऋण एक विशेषित व्यवसाय है, इसलिए यह सब बैंकों द्वारा नहीं अपनाया जाना चाहिए। केवल वही बैंक, जिनके यथेष्ट आर्थिक साधन, अनुभवी कर्मचारी तथा सबल संगठन हैं, उद्योगों को अवधि ऋण दे सकते हैं।” इसके अतिरिक्त अवधि ऋण देने वाले प्रत्येक बैंक को अपने आर्थिक साधनों (निक्षेप तथा कोष आदि) के आधार पर अवधि ऋणों की सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए।

समिति का यह निश्चित मत है कि अवधि ऋणों के लिए वही मापदण्ड नहीं अपनाये जा सकते, जो अल्पकालीन (एकवर्षीय) ऋणों के लिए अपनाये जाते हैं। अल्पकालीन ऋण के लिए किसी औद्योगिक इन्डॉर के अन्तिम खाते देखने मात्र से काम चल जाता है परन्तु अवधि ऋण देने के लिए उसकी भविष्य की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में भी अनुमान लगाना आवश्यक होता है।

भारतीय बैंक और उद्योग—गत वर्षों में सरकार तथा रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों द्वारा उद्योगों को ऋण देने की प्रवृत्ति की काफी प्रोत्साहन दिया है। इन प्रोत्साहनों के फलस्वरूप बैंकों द्वारा उद्योगों को दिये गये ऋणानुपातों में निरन्तर वृद्धि होती रही है।

बैंकों द्वारा उद्योगों को दिये गये ऋणों का प्रतिशत गत दस वर्षों की अवधि में ३६ से बढ़कर ६४ तक पहुँच गया है। इसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लग सकता है :

अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योगों को ऋण

(करोड़ रुपये में)

	कुल ऋण	उद्योगों को ऋण	कुल का प्रतिफल
दिसम्बर १९५६	७६४	३६६	३८.५
अप्रैल १९६१	१,३०६	६८८	५२.७
मार्च १९७०	३,७७२	१,९३२	५१.२

इस तानिका से स्पष्ट है कि १९५६ से १९७० की अवधि में बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की कुल राशि ७६४ करोड़ रुपये से बढ़कर ३,७७२ करोड़ रुपये तक पहुँच गयी है। इसमें उद्योगों का भाग १९६१ तक बढ़ता गया है किन्तु बाद में कम होता गया है।

वृद्धिवाक उद्योगों के अतिरिक्त गत वर्षों में लघु उद्योगों के लिए ऋण देने के लिए भी बैंकों को प्रोत्साहित किया गया है। भारत सरकार की साख गारण्टी योजना के अन्तर्गत सभी महत्वपूर्ण बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों की गारण्टी की व्यवस्था की गयी है। परिणामस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों की रकम दिसम्बर १९७० तक ५१६ करोड़ रुपये तक पहुँच गयी है।

#### ४. जीवन बीमा निगम

भारतीय जीवन बीमा निगम एक साधनसम्पन्न संस्था है और इसमें प्राप्त अत्रिवांश राजस्व शोधकालीन होती है, अतः निगम काफी धनराशि सम्पत्ति अवधि के लिए विनियोजित कर सकता है। यह औद्योगिक कम्पनियों के अर्थ तथा ऋणपत्र खरीदकर उनकी आर्थिक सहायता करता है। ३१ मार्च, १९७० को निगम की कुल सम्पत्ति लगभग १,६११ करोड़ रुपये थी, जिसमें से लगभग

₹ ४२० करोड़ रुपये विनियोजित थे। इस राशि में से लगभग २३४ करोड़ रुपये की राशि निजी अगो तथा ऋणपत्रों में विनियोजित थी, जो कुल विनियोजनों की लगभग १७ प्रतिशत होती है। जीवन बीमा निगम द्वारा औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगमों तथा अन्य निगमों के कुल ३२ करोड़ रुपये के अंश खरीदे गये हैं।

अंश खरीदने के अतिरिक्त जीवन बीमा निगम नयी पूंजी का अभियोपन भी करता है। इससे उद्योगों को नवीन पूंजी निर्गमित करने में प्रोत्साहन मिलता है और नये उद्योगों को विदेश रूप में महायता मिलती है।

### ५ विनियोग प्रत्यास (INVESTMENT TRUSTS)

अमरीका तथा इंग्लैण्ड जैसे उद्योग प्रधान देशों में विनियोग प्रत्यासों (Investment Trusts) का प्रचार बढ़ गया है। ये सस्थाएँ अंश पूंजी में स्थापित होती हैं जोर उस पूंजी से विभिन्न उद्योगों के अंशों में विनियोजित करती हैं। इस प्रकार विनियोग ट्रस्ट छोटे विनियोजकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा उनकी बचतों को उचित एवं लाभदायक बचतों में विनियोजित करने में सहायक होते हैं।

विनियोग प्रत्यास एक ऐसी सस्था है जो विनियोजकों के समूह के लिए प्रतिप्रतिष्ठा बढ़ विक्रय करने का कार्य करती है।<sup>1</sup> इसकी व्यवस्था आर्थिक विशेषज्ञों के हाथ में होती है, जो प्राप्त पूंजी को ऐसे अंशों में विनियोजित करते हैं, जिनसे अधिकाधिक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार छोटे विनियोजकों को विनियोजन की जोखिम से मुक्ति मिल जाती है और वह अपनी सामान्य बचतों का अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर लेते हैं।

इकाई प्रत्यास (Unit Trust of India)—भारतीय इकाई प्रत्यास की स्थापना जुलाई १९६४ में की गयी। इसकी अंश पूंजी ५ करोड़ रुपये है, जिसमें से ४ करोड़ रुपये की पूंजी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी सस्थाओं द्वारा खरीदी गयी है। रिजर्व बैंक द्वारा २५ करोड़ रुपये, जीवन बीमा निगम द्वारा ७५ लाख रुपये तथा स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों द्वारा ७५ लाख रुपये की पूंजी खरीदी गयी है। शेष १ करोड़ रुपये की पूंजी अनुसूचित बैंकों तथा विशिष्ट वित्तीय सस्थाओं द्वारा खरीदी गयी है।

इकाइयाँ तथा विक्रय व्यवस्था—इकाई प्रत्यास की प्रत्येक इकाई का मूल्य दस रुपये है, जिसे कोई भी व्यक्ति कितनी भी सख्या में खरीद सकता है। ट्रस्ट की इकाइयाँ भारत के ३६ अनुसूचित बैंकों द्वारा (जिनकी देश भर में लगभग ३,८०० शाखाएँ हैं) बेची जा रही हैं। इन बैंकों को इकाइयों की विक्री पर १२ पैसे प्रतिशत कमीशन दिया जाता है।

इकाई ट्रस्ट द्वारा ३० जून, १९७० तक ७७.४५ करोड़ रुपये की इकाइयाँ बेची गयी। ट्रस्ट की इकाई ट्रस्ट वापस भी खरीद लेता है। इसके लिए ट्रस्ट समय ममय पर ऋण मूल्य की घोषणा करता है। यूनिटों की विक्री भी १० रुपये या उससे अधिक मूल्य पर की जा सकती है।

विनियोग—इकाई प्रत्यास छोटे विनियोगकर्ताओं को पूंजी विनियोग करने के लिए अवसर दे रहा है। यह व्यक्ति अपनी विनियोग राशि की इकाइयाँ खरीद लेते हैं और ट्रस्ट उस राशि की सुरक्षा की जोखिम उठाता है। ट्रस्ट द्वारा इकाइयाँ बेचकर प्राप्त की गयी रकम विभिन्न उद्योगों की अंश पूंजी या ऋण पूंजी खरीदने में लगा दी जाती है। इस प्रकार उद्योगों के लिए पूंजी प्राप्त होती है और विनियोग करने वालों की रकम का प्रयोग हो जाता है।

<sup>1</sup> "An agency for the co operative buying and selling of securities for a group of associated investment beneficiaries"  
—H C Moulton, *Financial Organization and the Economic System*



इकाई प्रत्यास के कुल साधन ८२५ करोड़ रुपये के हैं जिनमें से उसने ८१ करोड़ रुपये का अंश पूंजी तथा ऋणपत्र खरीद रखे हैं।

लाभ—इकाई प्रत्यास द्वारा पहले वर्ष ६१ प्रतिशत, तथा बाद के वर्षों में ७ प्रतिशत लाभान्वित बनाया गया है। १९६६-७० की लाभान्वित दर ७१ प्रतिशत थी तथा १९७०-७१ के लिए ८ प्रतिशत लाभान्वित देने की घोषणा की गयी है।

कार्यालय—इकाई प्रत्यास का मुख्य कार्यालय बम्बई में है तथा नई दिल्ली, कलकत्ता तथा तमिलनाडु में शाखा कार्यालय हैं।

भारतीय इकाई प्रत्यास अपनी इकाइयों को वापस खरीदने का वचन देना है। इससे भारत के सामान्य विनियोजकों के लिए ट्रस्ट की इकाइयों में अविश्वास रखने का कोई कारण नहीं है।

इकाई प्रत्यास भारत में एक नवीन प्रयोग है। इसकी सफलता से निश्चय ही भारतीय उद्योगों को (जो पूंजी के अभाव से पीड़ित रहते हैं) यथेष्ट प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

### ६. केन्द्रीय तथा राज्य सरकार

वर्तमान काल में प्रत्येक देश अपना औद्योगिक विकास बहुत तेजी से करना चाहता है परन्तु कुछ उद्योगों के लिए तो अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और कुछ में स्थापना के कई वर्षों पश्चात् ही लाभ प्राप्त होना प्रारम्भ होता है। अतः ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार को ही पूंजी लगानी पड़ती है। कभी-कभी सरकार निजी उद्योगपतियों को पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है और स्वयं भी अंश खरीद लेती है। उस औद्योगिक इकाई को यदि अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तो सरकार उधार दे देती है अथवा बैंकों में ऋण प्राप्त करने में गारण्टी देकर सहायता कर देती है। सरकार वित्त निगमों के अंश खरीदती है तथा उन्हें उधार देती है और इस प्रकार परोक्ष रूप में औद्योगिक इकाइयों को आकस्मिक सहायता भी दी जाती है ताकि वह अपने माल को उचित मूल्य पर बाजार में बेच सकें। इस प्रकार सरकार अंश खरीद कर, ऋण देकर, गारण्टी द्वारा, वित्त निगमों को ऋण देकर अथवा उनके अंश प्राप्त कर तथा आकस्मिक सहायता (subsidies bounties) द्वारा उद्योगों को वित्त प्राप्त करने में योग्य देती है।

राज्य सरकारें प्रायः लघु उद्योगों को ऋण देती हैं। इन ऋणों का एक अंश केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो जाता है। उदाहरणतः, हथकरघा उद्योग के विकास एवं विस्तार के लिए प्रायः सम्पूर्ण सरकारी पूंजी बैंक से प्राप्त होती है। राज्य सरकारें उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम (State Aid to Industries Act) के अन्तर्गत धन देती हैं। केन्द्रीय सरकार की भाँति वे भी स्वयं ऋण देने के अतिरिक्त बैंकों से प्राप्त ऋणों की गारण्टी करती हैं तथा उद्योगों को भूमि, कच्चा माल, विजली तथा यान्त्रिक आदि सस्ती दरों पर देने की व्यवस्था करती हैं। कभी-कभी औद्योगिक संस्थाओं के अंश अथवा ऋणपत्रों पर न्यूनतम लाभान्वित अथवा व्याज की गारण्टी भी सरकार द्वारा दी जाती है। सरकार द्वारा प्रायः १० से २० वर्ष की अवधि के लिए ऋण दिया जाता है और इन पर रियायती दर पर व्याज लिया जाता है।

गत वर्षों में राज्य सरकारों ने राज्य वित्त निगमों की पूंजी खरीदकर परोक्ष रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की है और अपने क्षेत्रों में बड़े उद्योगों की भी पूंजी खरीदकर तथा ऋण देकर प्रत्यक्ष अर्थ-व्यवस्था की है।

### ७. देशी बैंक और साहूकार

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यमवर्गीय कारीगर तथा कारखानों द्वारा अधिकांश ऋण साहूकार अथवा देशी बैंक से प्राप्त किये जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार लघु उद्योगों की ६०% पूंजी व्यक्तिगत साधनों तथा निजी ऋणों द्वारा प्राप्त की जाती है और बैंक तथा सरकार

केय १०% की व्यवस्था करते हैं। यह तथ्य तमिलनाडु आन्ध्र, केरल, मंसूर, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में स्थित १६ कर्तों की मन् १९४७ की औद्योगिक इकाइयों के अध्ययन में प्राप्त हुए हैं। य राज् वैंकिंग विकास की दृष्टि से अधिक उन्नत हैं, अत देश के अन्य राज्यों में औद्योगिक वित्त की स्थिति इन जचो होन की सम्भावना नहीं है। यह सत्य है कि रिजर्व बैंक द्वारा सञ्चालित माघ गारणी योजना क कारण तथु उद्योगों के लिए की गयी वित्त-व्यवस्था में व्यापारिक बैंक का भाग एक-दो वर्षों में बढ गया है परन्तु उनमें आभासीत वृद्धि हुई हो ऐसा नहीं जान पडता। अत माहूकारों का महत्त्व किमी प्रकार कम नहीं हुआ है।

भारत क शमीक क्षेत्रों में बुनकर, कुम्हार, लुहार, चमार, तेली तथा अन्य छोटे कारीगरों के लिए जव भी माहूकार ही अधिकांश धन की व्यवस्था करता है क्योंकि इन वर्गों के पास बैंकों के दृष्टिकोण में दय्येष्ट जमानत नहीं होती और व बैंक श्रांती की अनुविधानक श्रियाओं के अध्वन्त नहीं हैं। वन्तुन औद्योगिक सहकारी समितियों ने भी इन वर्गों में दय्येष्ट उत्साह उत्पन्न नहीं किया है। अत मुविशा की दृष्टि में एव माहूकार की तत्परता के कारण वे लोग अधिक मात्र देकर भी उनमें श्रां लेना अधिक उचित समचते हैं।

श्रां समिति के कयनानुसार मुनतानी बैंकर छोटे तथा मध्यम आकार के उद्योगों को श्रां पूंजी के लिए श्रां देते हैं। इन सर्तोंसे द्वारा दिये गये श्रां की राशि प्राय २० करोड रुपये रहती है। बम्बई श्रां संघ (Bombay Shroffs Association) द्वारा दिये गये वार्षिक श्रां की राशि भी लगभग १०० करोड रुपये होती है परन्तु इसका अधिकांश भाग व्यापार के लिए होता है जोर उद्योगों के लिए दी गयी राशि के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

### ८ औद्योगिक सहकारी समितियां

प्रत्येक राज्य में तथु उद्योगों को आधिक सहायता देने का प्रमुख माध्यम औद्योगिक सहकारी समितियां हैं। प्रत्येक राज्य में स्थित खादी तथा ग्रामोद्योग मन्थान (Khadi and Village Industries Boards) विभिन्न वर्गों के कुटीर एव तथु उद्योगों को औद्योगिक समितियों के माध्यम से श्रां एव अनुदान देते हैं। प्राय भवन निर्माण, यन्त्र एव उत्पादन के अन्य मायनों के लिए तथा विज्ञानी आदि की व्यवस्था के लिए सहकारी समितियों क सदस्य कारीगरों तथा उत्पादकों की कुन खर्च का आग जनुदान में दे दिया जाता है और कच्चा मान खरीदने, विभिन्न माल बेचने तथा अन्य आकस्मिक कार्यों क लिए समितियां श्रां देती हैं। सहकारी समितियां अथ पूंजी तथा श्रां द्वारा वित्तीय मायन उपनम्न करती हैं और सदस्यों को मन्ती दर पर उधार दे देती हैं।

### ९. वित्त सस्याएं

भारतीय उद्योगों की सबसे बडी सस्या वित्त की कमी रही है। इस कमी की पूर्ति के लिए भारत सरकार तथा उद्योगसमितियों ने समय समय पर अनेक सस्याओं की म्याजना की है। इनमें से महत्त्वपूर्ण सस्याओं की श्रियाओं का वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

#### १. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

(INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA)

इस निगम की स्थापना औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत की गयी और उसी वर्ष १ जुलाई से निगम ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया। निगम का उद्देश्य बडे उद्योगों के लिए मध्यम तथा दीर्घकालीन पूंजी की व्यवस्था करना है।

पूंजी—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की अधिष्ठित पूंजी १० करोड रुपये त्रिविध की गयी है। ३० जून, १९७० को निगम की प्रदत्त पूंजी ८ ३५ करोड रुपये थी। यह पूंजी रिजर्व बैंक अनुमूचित बैंक, बीमा कम्पनियों और सहकारी बैंकों द्वारा खरीदी गयी है।

निगम की प्रारम्भिक पूंजी (५ करोड़ रुपये) पर कम से कम २२५ प्रतिशत तथा १९६२ में निर्गमित पूंजी पर ४ प्रतिशत वार्षिक लाभांश देने की भारत सरकार द्वारा गारण्टी की गयी है।

**प्रबन्ध**—निगम का प्रबन्ध १२ व्यक्तियों के एक सचालक मण्डल के अधीन है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा तथा शेष सचालकों की नियुक्ति निश्चित सहाय में अन्य अशुभकारियों द्वारा की जाती है। निगम का दैनिक कार्य सचालन एक केन्द्रीय समिति द्वारा होता है, जिसमें पाँच सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए पाँच परामर्शदात्री समितियाँ हैं जिनमें कुल २६ सदस्य हैं।

निगम का कार्य—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम मुख्यतः तीन प्रकार के कार्य करता है :

(i) ऋणों की गारण्टी करना, (ii) अशो अथवा ऋणों का अभिगोपन करना, तथा (iii) ऋण देना।

(क) गारण्टी—वित्त निगम द्वारा विदेशों में उधार माल खरीदने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए ऋणों की गारण्टी की जाती है। ३० जून, १९७० तक निगम द्वारा कुल ४२ गारण्टियाँ दी गयीं जिनकी कुल रकम लगभग २८ करोड़ रुपये थी।

इन गारण्टियों के अतिरिक्त विदेशों से खरीदे गये माल के भुगतान के लिए ६ प्रार्थनापत्रों पर २५ करोड़ रुपये से अधिक की गारण्टियाँ स्वीकृत की गयीं।

(ख) अभिगोपन करना (Underwrite)—औद्योगिक इकाइयों के अशो तथा ऋणपत्रों के अभिगोपन का कार्य १९५७-५८ में आरम्भ किया गया। अशो तथा ऋणपत्रों का अभिगोपन करने से पूर्व सम्बन्धित औद्योगिक इकाई की आर्थिक स्थिति, प्रबन्ध व्यवस्था तथा भविष्य की योजनाओं की पूरी जाँच की जाती है। ३० जून, १९७० तक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा २६ करोड़ रुपये के औद्योगिक अशो तथा ऋणपत्रों का अभिगोपन किया गया।

(ग) ऋण देना—वित्त निगम का मुख्य कार्य उद्योगों को ऋण देना है। यह ऋण प्रायः १५ वर्षों की अवधि के वास्तु दिये जाते हैं। एक औद्योगिक इकाई को प्रायः १ करोड़ रुपये से अधिक रकम उधार नहीं दी जा सकती परन्तु विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेकर अधिक राशि का ऋण दिया जा सकता है। निगम कम से कम १० लाख रुपये का एक ऋण देता है बशर्त कि उतने कम मात्रा में ऋण राज्य वित्त निगमों से प्राप्त किये जा सकते हैं।

**शर्तें**—ऋण स्वीकृत करने से पूर्व निगम द्वारा प्रार्थी औद्योगिक सहाय की आर्थिक स्थिति, प्रबन्ध कौशल, लाभांजन शक्ति तथा जिन योजनाओं के लिए ऋण की माँग की गयी है उसकी पूरी जाँच करती जाती है। ऋण रुपये अथवा विदेशी मुद्रा में दिये जा सकते हैं तथा उनके पीछे ऋणों की स्थायी सम्पत्ति अथवा निमित्त माल धरोहर के रूप में रखा जाता है। निगम द्वारा नयी मशीनों या भूमि खरीदने, उत्पादन क्षमता का विस्तार करने तथा नवीनीकरण के लिए ऋण देने की व्यवस्था की जाती है।

**व्याज की दर**—निगम ४ मार्च, १९६५ तक देशी ऋणों पर ७.५ प्रतिशत वार्षिक व्याज लेता था किन्तु ५ मार्च १९६५ में (रिजर्व बैंक द्वारा १७ फरवरी, १९६५ में बैंक-दर बढ़ाने के कारण) देशी ऋणों पर व्याज-दर ८.५ प्रतिशत तथा विदेशी मुद्रा पर व्याज दर ९ प्रतिशत कर दी गयी है। ऋण तथा व्याज का भुगतान समय पर करने पर बाँटि प्रतिशत की छूट दी जाती है। विदेशी ऋणों पर भी व्याज तथा छूट की दर यही है।

**प्रबन्ध में भाग**—निगम जिन औद्योगिक इकाइयों को ऋण देता है, यदि वह समय पर भुगतान करने में समर्थ न हो तो निगम उनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकता है अथवा उनके संचालक मण्डल में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।

ऋणों की प्रगति—३० जून, १९७० तक निगम द्वारा कुल १,०७८ ऋण स्वीकृत किये गये जिनकी राशि लगभग ३३७ करोड़ रुपये थी। इसमें से कुल ३०१ करोड़ रुपये की रकम ही वास्तव में वितरित की गयी क्योंकि कुछ ऋणों को स्वीकृति के पश्चात् कई कारणों से रद्द करना पडा है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि औद्योगिक वित्त निगम एक अतिशय सक्षम है, जिससे भारतीय उद्योगों की पर्याप्त मात्रा में विकास ऋण प्राप्त हो रहे हैं।

(२) राज्य वित्त निगम—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना करते समय ही पाय गट निश्चित था कि वह देश के सभी प्रकार के उद्योगों को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं दे सकेगा। सम्भवतः इसीलिए इसकी कार्यवाहियों को सीमांकित उद्योगों तक सीमित रखा गया और इसके द्वारा केवल मार्ब्रनिक कम्पनियों अथवा सहकारी समितियों को ही ऋण देने की व्यवस्था की गयी। उस समय यह स्पष्ट किमा गया था कि लघु उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए राज्यों में वित्त निगम बनाना आवश्यक होगा। तदनुसार भारतीय लोकसभा द्वारा २८ नवम्बर, १९५१ को राज्य वित्त निगम (State Financial Corporation) अधिनियम पारित किमा गया जिसके अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों में १८ राज्य वित्त निगम स्थापित किये जा चुके हैं।

पूंजी—राज्य वित्त निगम अधिनियम के अनुसार, राज्य वित्त निगमों की अधिकृत पूंजी ५० लाख रुपये से ५ करोड़ रुपये तक हो सकती है। वर्तमान में अधिकतर राज्य निगमों की अधिकृत पूंजी २ करोड़ रुपये तथा प्रदत्त पूंजी १ करोड़ रुपये है। केवल जम्मू-काश्मीर, तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश में निगमों की प्रदत्त पूंजी क्रमशः ५० लाख रुपये, १३२ करोड़ रुपये तथा १५ करोड़ रुपये है।

भारत के सभी १८ राज्य वित्त निगमों की प्रदत्त पूंजी लगभग २० करोड़ रुपये है। इसे राज्य सरकारों, रिजर्व बैंक अनुमोदित बैंकों सहकारी बैंकों तथा बीमा संस्थाओं ने खरीद रखा है।

सभी राज्य निगमों की पूंजी तथा उस पर न्यूनतम लाभांश की दरें सरकारों द्वारा गारण्टी की गयी हैं। यह गारण्टी ३ से ४ प्रतिशत तक है।

ऋण साधन—पूंजी के अतिरिक्त राज्य वित्त निगम ऋणपत्र निर्गमित कर अतिरिक्त धन प्राप्त कर सकते हैं। ये ऋणपत्र तथा अन्य दायित्व पूंजी तथा कोष के पांच गुने से अधिक नहीं हो सकते। ऋणपत्रों के व्याज तथा मूल्य की गारण्टी राज्य द्वारा दी जाती है और निर्गमन की शर्तें (व्याज आदि) रिजर्व बैंक में स्वीकृत होना आवश्यक है।

३१ दिसम्बर, १९७० तक सभी राज्य वित्त निगमों के ऋणपत्र शेषों की राशि लगभग ७१ करोड़ रुपये थी।

निक्षेप—अपने साधनों में वृद्धि करने के लिए राज्य वित्त निगम जनता से ५ वर्ष तक के निक्षेप प्राप्त कर सकते हैं परन्तु इन निक्षेपों की राशि प्रदत्त पूंजी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी तक केवल आन्ध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु निगमों ने निक्षेप प्राप्त करना आरम्भ किया है। इस मद में निगमों के पास लगभग १३ करोड़ रुपये की रकम जमा है।

ऋण—राज्य वित्त निगम रिजर्व बैंक से अल्पावधि (६० दिन) अथवा प्रायः पर मुदतपर पोष्य ऋण प्राप्त कर सकते हैं। गत वर्षों में महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु तथा राजस्थान वित्त निगमों द्वारा प्राप्त निश्चित रूप से रिजर्व बैंक में ऋण प्राप्त किये गये हैं।

कार्य—राज्य वित्त निगम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं -

- (१) औद्योगिक संस्थाओं को दीर्घकालीन ऋण देना अथवा ऋणपत्र खरीदना।
- (२) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा २० वर्ष तक के लिए प्राप्त ऋणों की गारण्टी करना।
- (३) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा निर्गमित अथवा बॉण्ड अथवा ऋणपत्रों का अभिगोपन

करना। यदि अभिगोपन के फलस्वरूप निगम को कुछ अश अथवा ऋणपत्र खरीदने पड़ें तो उन्हें सात वर्ष के भीतर बेच देना आवश्यक है।

राज्य वित्त निगमों का कार्य अब तक ऋण देने मात्र तक सीमित रहा है। तमिलनाडु निगम के अतिरिक्त अन्य किसी भी निगम ने अभिगोपन अथवा गारण्टी कार्य आरम्भ नहीं किया है और न ही किसी औद्योगिक सहायता के ऋणपत्र आदि खरीदे हैं।

राज्य निगम एक मस्य्या को १५,००० रुपये से १० लाख रुपये तक के ऋण दे सकते हैं और ये औद्योगिक इकाइयों के सम्पत्ति निर्माण, विस्तार अथवा नवीनीकरण तथा चालू पूंजी के लिए दिये जा सकते हैं।

अधिकतर राज्य निगमों द्वारा शुद्ध व्याज ६५ प्रतिशत लिया जाता है अर्थात् दर ७ प्रतिशत वापिस निश्चित की गयी है परन्तु मूल तथा व्याज का समय पर भुगतान करने पर आधा प्रतिशत की छूट (rebate) देने की व्यवस्था है।

राज्य वित्त निगमों द्वारा ३१ दिसम्बर, १९७० को दिये गये कुल ऋणों की शेष रकम लगभग ११८ करोड़ रुपये थी।

(३) भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम (Industrial Credit and Investment Corporation of India)—सन् १९५३ के अन्त में भारत सरकार, अमरीकी सरकार के विदेशी कार्य-व्यवस्थापन विभाग (Foreign Operations Administration) तथा अन्तरराष्ट्रीय बैंक ने आपसी परामर्श द्वारा भारत में निजी उद्योगों के विकास में सहायता देने हेतु एक निगम बनाने का विचार किया। फलतः ५ जनवरी, १९५५ से भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम की स्थापना की गयी। निगम को भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर करवाया गया है।

पूँजी—निगम की अधिकृत पूँजी २५ करोड़ रुपये निश्चित की गयी है किन्तु इसमें से केवल ७५ करोड़ रुपये की पूँजी ही निर्गमित एव प्रदत्त है। निगम का प्रत्येक अश १०० ह० का है।

निर्गमित पूँजी में भारतीय बैंक, बीमा कम्पनियों तथा सचालकों द्वारा, इंग्लैण्ड के पूँजी-पतियों द्वारा, अमरीकी पूँजीपतियों द्वारा तथा भारतीय जनता द्वारा पूँजी खरीदी गयी है।

निगम के प्रारम्भ में ही भारत सरकार ने उसे ५५ करोड़ रुपये का ऋण देने का वचन दिया जिसका भुगतान १५ वर्ष पश्चात् १५ वार्षिक किस्तों में किये जाने की व्यवस्था की गयी। ऋण पर पहले १५ वर्ष तक कोई व्याज न लेने की सुविधा दी गयी। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने भी निगम को भारत सरकार की गारण्टी पर १ करोड़ डालर का ऋण तरफान देने की घोषणा की। इन प्रकार विनियोग निगम देशों तथा विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित हुआ। इसके प्रारम्भिक साधन लगभग १७५ करोड़ रुपये के तुल्य थे।

निगम के कार्य—साख तथा विनियोग निगम के कार्य निम्नलिखित हैं

(१) उद्योगों को मध्यम अथवा दीर्घकालीन ऋण देना अथवा उनके अश खरीदना।

(२) नवीन अग एव प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना।

(३) अन्य निजी साधनों से प्राप्त ऋणों की गारण्टी करना।

(४) उद्योगों के प्रबन्ध के लिए प्राविधिक (technical) तथा व्यवस्थात्मक सलाह एव सहायता देना।

निगम केवल निजी क्षेत्र के उद्योगों को आर्थिक सहयोग प्रदान करता है परन्तु यदि किसी औद्योगिक इकाई में सरकार न कुछ आर्थिक सहायता मिली हो तो उसे निगम से ऋण आदि प्राप्त करने में बाधा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि निगम मुख्यतया बड़े उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसकी न्यूनतम ऋण सीमा ५ लाख रुपये है परन्तु निगम किसी भी उच्च सीमा तक ऋण दे सकता है।

ऋण भारत के किसी भी भाग में स्थापित किसी भी औद्योगिक इकाई को दिया जा सकता है परन्तु ऋण स्वीकृत करने से पूर्व प्राचीन कम्पनी की योजना, प्रबन्ध व्यवस्था, विज्ञापन बायोजन आदि के सम्बन्ध में पूरी जांच की जाती है।

३१ दिसम्बर, १९७० को निगम द्वारा दी गयी सहायता का कुल भौता निम्नलिखित था -  
(करोड़ रुपये में)

१	ऋण तथा गारण्टी		
	रुपये में	४३	
	विदेशी मुद्रा में	१२१	१६४
२	अभिगोपन		३०
३	अगों की धरोहर		७
			योग
			२०१

निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋण की व्यवज्ञ-दर, अभिगोपन तथा गारण्टी का क्षमोशन तथा प्राविधिक सहायता आदि के शुल्क सहायता देने के समय ही निश्चित कर लिए जाते हैं।

अभिगोपन तथा विनियोग क्षेत्र में दक्षिण निगम का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है परन्तु यह दोनों नयी दिशाएँ हैं, और निगम के कार्यकाल को देखते हुए इनमें निगम की प्रगति सर्वथा सन्तोषजनक कही जा सकती है।

(४) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India)—गत वर्षों में औद्योगिक विकास के लिए वित्त-व्यवस्था करने वाली जितनी समस्याएँ स्थापित हुई हैं वह अपेक्षित गतिशीलता होने हुए भी देश की सभी औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हैं। अतः एक अन्वयिक माध्यम-सम्पन्न संस्था की स्थापना की गयी है, जिसका नाम औद्योगिक विकास बैंक है। इसमें सई १९६४ में कार्य आरम्भ किया था।

पूँजी और प्रबन्ध—विकास बैंक को अधिकृत पूँजी ५० करोड़ रुपये है किन्तु रिजर्व बैंक हमें भारत सरकार की अनुमति से १०० करोड़ रुपये तक बढ़ा सकता है। बैंक की प्रस्त पूँजी २० करोड़ रुपये है। भारत सरकार द्वारा बैंक को १० करोड़ रुपये का नार्वेजिक ऋण देने की व्यवस्था है जिसका भुगतान १५ वर्षों परन्तु आरम्भ होगा और १५ किन्तों में चुकाया जा सकेगा। बैंक द्वारा करने साधन बढ़ाने के लिए जनता से निवेश लिये जा सकते हैं तथा सृजण के देवे जा सकते हैं।

विकास बैंक को ऋण देने के लिए रिजर्व बैंक में एक दीर्घकालीन औद्योगिक साधन कोष (National Industrial Credit Long Term Operations Fund) की स्थापना की गयी है, जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा १० करोड़ रुपये तत्काल स्थानान्तरित करने तथा ५ करोड़ रुपये वार्षिक डालने की व्यवस्था है।

विकास बैंक की प्रबन्ध-व्यवस्था रिजर्व बैंक के अधीन है तथा रिजर्व बैंक के अध्यक्ष विकास बैंक के भी अध्यक्ष हैं। रिजर्व बैंक का केन्द्रीय संचालक मण्डल विकास बैंक के संचालक मण्डल का कार्य करता है।

कार्य—भारतीय विकास बैंक के कार्य निम्नलिखित हैं -

यह सब प्रकार के औद्योगिक संस्थानों जैसे निर्माण, खनन, परिवहन, होटल आदि व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह विदेशी सहायता (निजी तथा सरकारी, दोनों प्रकार के उद्योगों को दी जा सकती है। यह सहायता निम्न प्रकार दी जा सकती है -

(१) पुनर्वित्त व्यवस्था—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगमों द्वारा उद्योगों को ३ व २५ वर्ष तक की अवधि के ब्याज दिये गये ऋणों की विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त व्यवस्था की जा सकती है। बैंक यह सुविधा अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण के सम्बन्ध में भी दे सकता है किन्तु ऐसा भारत सरकार के आदेश पर ही किया जा सकता है।

अनुमोदित बैंको तथा राज्य सहकारी बैंको द्वारा ३ से १० वष की अवधि के वास्ते दिये गये ऋणों को भी विकास बैंक पुनर्वित्त व्यवस्था करता है।

विभिन्न वर्गों के बैंको द्वारा ६ मास से १० वष तक की अवधि के वास्ते दिय गये निर्यात ऋणों (export credit) के लिए भी विकास बैंक पुनर्वित्त व्यवस्था करता है।

विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त व्यवस्था का काम सम्हाल नन के कारण पुनर्वित्त निगम (Refinance Corporation) का अगम मन्था के रूप में कोई महत्त्व नहीं रह गया था अतः १ वितम्बर १९६४ से पुनर्वित्त निगम को औद्योगिक विकास बैंक के साथ मिला दिया गया है।

(२) उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था करना—यह व्यवस्था करने के लिए विकास बैंक निम्नलिखित काम करता है।

(क) औद्योगिक इकाइयों व अग ऋणपत्र आदि खरोदना (ख) उद्योगों के अग ऋणपत्र आदि का अभिगोपन करना (ग) औद्योगिक इकाइयों का प्रवृद्धि ऋण देना (घ) उद्योगों द्वारा प्राप्य ऋणों को गारण्टी करना (ङ) औद्योगिक बिनो की कटौती या पुनर्कटौती करना, (च) उद्योगों के विकास के लिए विदेशी एवं विनियोग मन्त्र की शोध की व्यवस्था करना (छ) किसी औद्योगिक इकाई का प्राविधिक एवं व्यवस्थात्मक सहयोग देना (ज) नये उद्योगों की स्थापना तथा विस्तार के लिए योजना बनाना।

उद्योगों को ऋण देते समय विकास बैंक आवश्यक धरोहर की माग करता है। अत्यधिक पूंजी की विशेष माग करने वाली औद्योगिक इकाइयों की आर्थिक सहायता करने के लिए विकास बैंक में एक विकास सहायता कोष (Development Assistance Fund) की स्थापना करने की व्यवस्था है। यह कोष सरकारी ऋण, अनुदान अथवा अन्य प्रकार की सहायता से निमित्त किया जायगा तथा इसमें से ऋण देने के पूर्व सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा।

३० जून १९७० तक औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ३४६ करोड रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी जिसका व्योरा निम्नलिखित है

औद्योगिक विकास बैंक—आर्थिक सहायता

(३० जून १९७० तक)

(करोड रुपये में)

१ ऋण राशि	१०७
२ अभिगोपन	२३
३ गारण्टी (गिम्पादिन)	२७
४ पुनर्वित्त	१००
५ पुनर्कटौतियाँ	६१
६ निर्यातों के लिए	२८
	योग ३४६

विकास बैंक एक ऐम समय स्थापित किया गया है जबकि भारतीय उद्योगों को विकास पूंजी की अधिकाधिक आवश्यकता है अतः यह संस्था देश के औद्योगिक विकास में अधिकतम योगदान दे सकेगी ऐसी आशा है।

प्रश्न

- भारत में औद्योगिक वित्त की कमी क्या है? इस कमी को दूर करने के लिए कौन से प्रयत्न किये गये हैं? (आगरा, बी० ए० १९६०)
- भारत में औद्योगिक वित्त निगम पर टिप्पणी लिखिए। (आगरा, बी० ए०, १९६१)
- भारत में 'औद्योगिक वित्त निगम' के संगठन और कृत्यों तथा कार्यवाहन का उल्लेख कीजिए। (विक्रम बी० ए० १९६०)
- भारत में वृहद उद्योगों की वित्तीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सुधार विषयक सुझाव भी दीजिए। (पटना बी० ए०, १९६१)
- औद्योगिक वित्त निगम की प्रवृद्धि व्यवस्था काय तथा प्रगति की समीक्षा कीजिए।

(बिहार बी० ए० १९६२, राजस्थान बी० ए० (द्वितीय चय) १९६२, मगध बी० ए०, १९६२, रागर बी० ए०, १९६७)

श्रम शक्ति औद्योगीकरण की आधारगिता है। किसी देश का आर्थिक विकास मुख्यतः दो साधनों पर निर्भर है—प्राकृतिक साधन तथा मानवीय साधन। इन दोनों में समृद्धि का आधार श्रम ही है। ब्रिटेन जर्मनी तथा जापान का आर्थिक अभ्युत्थन वहाँ की विकसित श्रम शक्ति के कारण ही हुआ। पूँजी का भी अपना अलग महत्त्व है परंतु पूँजी भी एक प्रकार का संचित श्रम है। मानव की प्रगति उसके अध्यवसाय का सूचकांक है। आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण के लिए कुशल जागरूक तथा प्रशिक्षित श्रम शक्ति की आवश्यकता है। भारत अधिक उत्थान के पथ पर द्रव्यगति से अग्रसर हो रहा है परंतु यहाँ के आधुनिक औद्योगीकरण के पीछे लम्बा इतिहास नहीं है। प्रारम्भ से भारत कृषि प्रधान देश रहा है परंतु किसी समय व्यापार तथा उद्योगों के क्षेत्र में भारत की ह्यति पर काष्ठा पर थी। कलापण एवं आकषक वस्तुओं के उत्थान में हमारा एकाधिकार था।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ तथा आधुनिक औद्योगीकरण का दिशा में प्रयत्न किये जाने लगे। शहरी में औद्योगिक के द्रो की स्थापना होने लगी। देश के विभिन्न भागों से उद्योगों में काम करने के लिए लोग आने लगे। देश में श्रमिक वर्ग का उत्थन हुआ। औद्योगीकरण की प्रगति के साथ ही साथ श्रमिक वर्ग की महत्ता बढ़ती गयी।

### १ भारत में श्रम शक्ति

श्रमिक शक्ति का प्रयोग विस्तृत एवं सकुचित दोनों अर्थों में किया जाता है। विस्तृत अर्थ में सभी प्रकार के उद्योग कृषि विशाल उद्योग लघु तथा कुटीर उद्योग तथा अन्य सेवाओं में लगी जन शक्ति को श्रमिक वर्ग की संज्ञा दी जाती है परंतु सकुचित अर्थ में (या प्रचलित अर्थ में) श्रमिक वर्ग से अभिप्राय उस जनशक्ति से होता है जो संगठित उद्योगों में लगी हुई है। इस प्रकार कुटीर उद्योगों में लगी जन शक्ति को श्रमिक में सम्मिलित नहीं करते क्योंकि कुटीर उद्योगों में श्रम समस्या नहीं पायी जाती। अतः जब हम श्रम समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो हमारा अभिप्राय संगठित उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों की समस्याओं से होता है। भारत में औद्योगीकरण की गति मंद रही है अतः श्रम शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ी है। यहाँ पर कारखानों तथा छानों में काम करने वालों की संख्या सन् १९०० में ५ लाख थी। औद्योगीकरण की प्रगति के साथ ही साथ इस संख्या में वृद्धि होनी गयी। अप्रकृतित सारिणी में भारत के संगठित उद्योगों में श्रम शक्ति की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है।



भारत में कारखानों में काम करने वालों की औसत दैनिक सद्य्या

वर्ष	श्रमिक सद्य्या (लातो में)
१९५६	३४
१९६६	८०
१९७०	१०१

सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार दश में कुल श्रमशक्ति (total labour force) लगभग १८ ८४ करोड़ थी जिनमें से कारखानों में काम करने वालों की सद्य्या ३३ लाख थी। इस प्रकार काम करने वालों की गण्य्या देश की कुल श्रमशक्ति की लगभग २ प्रतिशत है। यदि जनसेवा सम्बन्धी उद्योगों (public utilities) में लगी श्रम शक्ति को भी इसमें सम्मिलित करें तो (इस प्रकार) श्रमशक्ति की मरुदा ज्ञात होगी। मण्डित उद्योगों तथा जन-सेवा सम्बन्धी उद्योगों में लगी श्रम-शक्ति कुल श्रम-शक्ति का लगभग ४५ प्रतिशत है। अतः औद्योगिक श्रम के अन्तर्गत कुल श्रम-शक्ति का बहुत कम भाग आता है।

२. भारतीय श्रम सम्बन्धी कुछ तत्त्व

(१) प्रति श्रमिक शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net domestic product per worker)—भारत में प्रति श्रमिक शुद्ध घरेलू उत्पाद का ज्ञान निम्नलिखित मांरिणी द्वारा हाता है

विभिन्न क्षेत्रों में प्रति श्रमिक शुद्ध घरेलू उत्पाद (रुपयों में)

क्षेत्र	१९६०-६१ श्रम-सद्य्या (रुपयार में)	कुल श्रमिक सद्य्या का प्रतिशत	प्रति श्रमिक शुद्ध उत्पाद	
			१९६०-६१	१९६६-६७
१. कृषि	१३६६८३	७३.२	५०८	७६८
२. परिवहन, व्यापार आदि	११०८७	६०	१६६६	२६१२
३. अन्य सेवाएँ	१८५६८	६६	८६५०	१४७२
४. उद्योग	२०४०८	१०.८	१३२०.०	२०८३

मांरिणी से स्पष्ट है कि भारत की कुल श्रम-शक्ति का १०.८% उद्योगों (घनन, बड़े ममाने व छोटे ममाने के निर्माणकारी उद्योग, निर्माण कार्य, विद्युत उत्पादन तथा गैस आदि) में लगा हुआ है। उद्योगों में प्रति श्रमिक उत्पादन २,०८३ रुपये है। इसमें अधिक उत्पादा केवल परिवहन व व्यापार क्षेत्र में होता है।

(२) श्रमिकों की मौद्रिक व वास्तविक आय—भारत में श्रमिकों की मौद्रिक व वास्तविक आय में गत वर्षों में वृद्धि हुई है, परन्तु मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण वास्तविक आय अनेकानेक कम बड़ी है जैसा कि निम्न मांरिणी से स्पष्ट है

कारखानों के श्रमिकों की मौद्रिक व वास्तविक आय (१९४६-१९६७)

वर्ष	औसत वार्षिक आय (रुपयों में)	सूचकांक १९४६=१००	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १९४६=१००	वास्तविक मजदूरी का सूचकांक $\frac{Col\ 2}{Col\ 3} \times 100$
१९४६	६८६०	१००	१००	१००
१९५१	१०३६०	१०५	१०५	१००
१९६०	१३८५०	१४०	१२४	११३
१९६७	२०१७०	१५१	१६६	६१

कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की मौद्रिक मजदूरी में सन १९४६-६७ की अवधि में ५१% की वृद्धि हुई अर्थात् उनकी मौद्रिक-मजदूरी दुगुने से भी अधिक हो गयी परन्तु मूल्य स्तर इन वर्षों में तेजी में ऊपर उठा। फलस्वरूप श्रमिकों को वास्तविक मजदूरी में, इस अवधि में ६ प्रतिशत कमी हो गयी है।

### ३ भारतीय श्रमिक की विशेषताएँ

भारतीय श्रमिक की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो अन्य उद्योग प्रधान देशों के श्रमिकों से भिन्न हैं। वे विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(१) अशिक्षा—अविकाश भारतीय श्रमिक अशिक्षित होते हैं अतः उन्हें अपनी समस्याओं का ज्ञान नहीं होता है। इस अशिक्षा का प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर भी पड़ता है। इस प्रकार एक ओर वेगोजगारी की समस्या है तो दूसरी ओर कुशल श्रमिकों का अभाव है।

(२) अस्थायी प्रकृति—अविकाश श्रमिक अधिक निर्धनता के कारण शहरों में कारखानों में काम करने के लिए आते हैं और खेती के समय पुनः घर चले जाते हैं। इस प्रकार स्थायी रूप से कारखाना में काम न करने के कारण उन्हें अपने काम के विषय में उचित जानकारी नहीं हो पाती। वे कृषि तथा उद्योगों के बीच घूमण किया करते हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार ४०% श्रमिक स्थायी रूप से कारखानों में काम नहीं करते।

(३) एकता का अभाव—भारत एक विशाल देश है। देश के विभिन्न भागों में श्रमिक शहरी में जाकर काम करते हैं। इन श्रमिकों की भाषा, पहनावा, रीति-रिवाज, खान पान तथा रहन-सहन के ढंग में अत्यधिक भिन्नता पायी जाती है। अतः भारतीय श्रमिकों में एकता का अभाव पाया जाता है।

(४) अनुपस्थिति—भारतीय श्रमिकों में काम पर नियमित रूप से उपस्थित न होने की प्रवृत्ति है। अनुपस्थिति के कई कारण हैं, जैसे—श्रमिकों का कृषि में सम्बन्ध, परिवार साथ न रहना, शादी विवाह से भाग पना आदि। इस अनुपस्थिति का कारण उनकी आय नियमित नहीं रहती और उनकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है तथा वे कार्यक्षमता भी प्राप्त नहीं कर पाते।

(५) रहन-सहन का निम्न स्तर—भारतीय श्रमिकों के रहन सहन का स्तर अत्यन्त निम्न है। इसका प्रमुख कारण उनकी आर्थिक दशा का खराब होना है।

### ४. भारतीय श्रमिक की कार्यक्षमता

क्या भारतीय श्रमिक कम कुशल हैं?—श्रमिकों की पूर्ण कार्यक्षमता (absolute efficiency) ज्ञात करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि कार्यक्षमता सापेक्ष (relative) होती है। भारतीय श्रमिकों की कार्यक्षमता अन्य देशों के श्रमिकों की तुलना में बहुत कम मानी जाती है। सन् १९२६-२७ का प्रारम्भिक मण्डल सूची ब्रह्म उद्योग की जाँच के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि मण्डल राज्य अमरीका में एक सामान्य श्रमिक एक साघ १,१२० तन्हुओं पर, इंग्लैण्ड में ४७० से ६०० तन्हुओं पर तथा जापान में २४० तन्हुओं पर काम करता है परन्तु भारत का एक श्रमिक केवल १०० तन्हुओं पर काम करता है। इस तुलनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि भारतीय श्रमिक अन्य देशों के श्रमिकों की तुलना में बहुत कम कार्यक्षम हैं। श्री एच० पी० मोरी (अध्यक्ष, बम्बई मिल मानिक मण) ने श्रम आयोग के समक्ष अपने वक्तव्य में कहा था कि "जापान का एक बुनकर ६ करघों की देखभाल करता है तथा उसकी कार्यक्षमता ६५% है। चीन का बुनकर ४० करघों की देखभाल करता है तथा उसकी कार्यक्षमता ८०% है। बम्बई का एक बुनकर २ करघों की देखभाल करता है तथा उसकी कार्यक्षमता ८०% है। जापान और चीन की गणना के आधार पर बम्बई का एक बुनकर जापानी तथा चीनी श्रमिकों की अपेक्षा २००% से ३००% तक अधिक मजदूरी पाता है।"

सर अलेक्जेंडर मेकरॉवर्ट के अनुसार भारतीय श्रमिक की अपेक्षा ब्रिटेन का श्रमिक ४ गुना अधिक कार्यक्षम है। इसी प्रकार सर बर्तीमेण्ट सिम्पसन के अनुसार लकाशायर का श्रमिक भारतीय श्रमिक की अपेक्षा २ ६७ गुना कार्यक्षम है।

**भारतीय श्रमिक पर्याप्त सक्षम—**उपर्युक्त मतों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय श्रमिक उद्योग-प्रधान देशों के श्रमिकों की तुलना में बहुत कम कार्यक्षम है। परन्तु ये सभी विचार एक-पक्षीय हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके अनुसार भारतीय श्रमिक अधिक कार्यक्षम है। श्री हेराल्ड बटलर के अनुसार भारतीय श्रमिक की कार्यक्षमता विवादग्रस्त है। उनसे कम कुछ उद्योगों में तो निर्विवाद रूप से भारतीय श्रमिक की कार्यक्षमता दूसरे देशों के श्रमिकों की कार्यक्षमता से कम नहीं है। अन्य देशों के श्रमिकों को अधिक मुद्रिघात मिलती हैं, अतः इन तथ्यों को भी ध्यान में रखा होगा। साधारण भारतीय श्रमिक के सम्बन्ध में बटलर का यह मत है कि वह यूरोपीय श्रमिकों की अपेक्षा कम कार्यक्षम है परन्तु विभिन्न उद्योगों में उसकी कार्यक्षमता अलग-अलग है। भारतीय उद्योगों में प्रति श्रमिक उत्पादन की कमी के लिए केवल श्रमिक ही उत्तरदायी नहीं है। घटिया कच्चा माल प्रवन्धकों की अकुशलता मशीनों की अव्यवस्था आदि भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय श्रमिक को प्राप्त सुविधा, उसके काम करने की दशाएँ तथा उसकी कम मजदूरी आदि को ध्यान में रखा जाय तो वस्तुतः वह अन्य देशों के श्रमिकों की अपेक्षा अधिक काम करता है।

चाहे जो भी तर्क प्रस्तुत किया जाय यह मानना पड़ेगा कि भारतीय श्रमिक कम कार्यक्षम है यद्यपि इसके लिए श्रमिक स्वयं अधिक उत्तरदायी नहीं है, प्रत्युत वे परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं जिनके अन्तर्गत उसे काम करना पड़ता है। अन्य देशों के श्रमिकों के समान सुविधा देने पर भारतीय श्रमिक कार्यक्षम मिट्टी हो सकता है।

**भारतीय श्रमिकों की कम कार्यक्षमता के कारण—**भारतीय श्रमिकों की कम कार्यक्षमता के कारणों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

(क) उद्योगों में सम्बन्धित

(१) कार्य के घण्टे, (२) मशीनों और उपकरणों की प्रकृति, (३) कच्चा माल एवं शक्ति, (४) कार्य की दशाएँ, (५) मजदूरी देने की रीतियाँ, (६) रहन-सहन का निम्न स्तर।

(ख) बाह्य बातें

(१) जलवायु की दशाएँ, (२) कल्याणकारी योजनाएँ आवाग एवं स्वच्छता, (३) शिक्षा एवं प्रशिक्षण।

(ग) अन्य बातें

(१) पैतृक गुण, (२) श्रमिकों की मनोवृत्तियाँ एवं मनोवर्ष्य।

(क) उद्योग से सम्बन्धित कारण—इन कारणों के अन्तर्गत वे कारण आते हैं जो उद्योगों की आन्तरिक अव्यवस्थाओं में सम्बन्धित हैं। अन्य देशों की तुलना में भारत में काम करने के घण्टे अधिक हैं। श्रमिक को अव्यवस्थित वातावरण में काम करना पड़ता है, उसे कम मजदूरी प्राप्त होती है। कच्चा माल भी उतून ज़रूरी श्रेणी का नहीं होता। उसे पुरानी मशीनों पर काम करना पड़ता है। मजदूरी देने की भी पुरानी प्रणालियाँ हैं जिससे उसे अधिक काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती। श्रमिक की कार्यक्षमता पर इन सभी कारणों का सम्मिलित प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत भारतीय श्रमिक काम करता है, उद्योग-प्रधान देशों के श्रमिक उनकी कल्पना नहीं कर सकते।

(ख) बाह्य कारण—भारत की जलवायु गर्म है। गर्म जलवायु वाले देशों के निवासी अधिक काम नहीं कर सकते। उनमें आनन्द आ जाता है। बहुत कम बारखानों में तापमान को नियंत्रित

करने की व्यवस्था है। श्रमिक गन्दे मकानों में रहते हैं, सरकार तथा श्रम सघों द्वारा श्रम हितकारी कार्य बहुत कम किये जाते हैं, श्रमिकों के प्रशिक्षण की भी उचित व्यवस्था नहीं है, गरम जलवायु, श्रम कल्याणकारी मुविद्याओं का अभाव तथा प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का अभाव ऐसे तत्त्व हैं जिनका श्रम की कार्यक्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।

(ग) अन्य कारण—भारतीय श्रमिक निर्धनता के कारण जीवन के प्रति उदासीन दृष्टिकोण अपना लेता है। उसमें आशा, उन्नति एक आत्मविश्वास नहीं रह जाता। वह अपने को उपेक्षित तथा धोपित महसूस करता है। बिम्बाप्रश्न तथा निराश श्रमिक में हम ऊँची कार्यक्षमता की आशा नहीं रख सकते। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि जातीय गुणों के कारण भी श्रमिक की कार्यक्षमता कम है। वह उत्कर्मण्य वातावरण में बचपन में ही रहता है अतः अधिक परिश्रम की आशा उससे नहीं की जा सकती परन्तु यह विचार पूर्णतया मत्स्य नहीं है।

उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिक अपनी कम कार्यक्षमता के लिए स्वयं बहुत कम शर्तों में उत्तरदायी है। उचित मजदूरी, काम करने की उत्तम दशाएँ तथा वातावरण, उत्तम प्रकार के कच्चे माल तथा मशीनें ऐसी चीजें हैं जिनका प्रभाव श्रमिक की कार्यक्षमता पर अवश्य पड़ता है। इनमें से किसी पर भी श्रमिक का वश नहीं चलता। यदि काम करने की दशाओं में उचित सुधार किया जाय, अनुकूल परिस्थितियों का सृजन किया जाय, श्रमिक को उचित प्रोत्साहन व प्रशिक्षण दिया जाय, उसे ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध करायी जायँ जिनके अन्तर्गत विदेशी श्रमिक काम करने हेतु कोई कारण नहीं कि भारतीय श्रमिक कार्यक्षम मिद्ध न हो। श्रम जांच समिति (१९४६) ने भी भारतीय श्रमिक की कम कार्यक्षमता को एक रहस्य बताया है तथा यह मत व्यक्त किया है कि उचित सुविधाएँ देने पर भारतीय श्रमिक अन्य देशों के श्रमिकों की तुलना में अधिक कार्यक्षम मिद्ध हो सकता है।<sup>1</sup>

### भारत में श्रम नीति का विकास

भारत में औद्योगीकरण सन् १८५० के पश्चात् आरम्भ हुआ। १९वीं शताब्दी के अन्त तक श्रम समस्याओं का उदय नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त सरकार की नीति मुक्त व्यापार (Laissez faire) पर आधारित थी, जिसके अनुसार आर्थिक क्रियाओं में राज्य द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाता था। १९वीं शताब्दी में श्रम सम्बन्धी जो भी मन्त्रियम पारित किये गये उनका उद्देश्य श्रमिकों से उनके कर्तव्यों का पालन कराना था। इन सन्धियों में मजदूरों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों पर ध्यान दिया गया। २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में श्रम-नीति में थोड़ा-सा परिवर्तन परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए सन् १९११ का 'कारखाना अधिनियम' कारखानों में व्याप्त बुरी पेशाओं को दूर करने के लिए पारित किया गया था।

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् मृत्यु स्तर में वृद्धि राजनीतिक जागृति, रक्त की क्रांति श्रम सघों का विकास तथा नये नेतृत्व के कारण श्रमिकों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ। वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए। सन् १९२६ में 'शाही श्रम आयोग' की नियुक्ति की गयी जिसने श्रम सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया तथा उनके सम्बन्ध में विस्तृत सुझाव दिये। परिवर्तित परिस्थितियों तथा इस आयोग के सुझावों के फलस्वरूप दोनों विश्वयुद्धों के बीच श्रम सम्बन्धी कई अधिनियम पास किये गये। सन् १९३७ में विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों के बनने के कारण भी श्रम नीति में परिवर्तन हुआ परन्तु द्वितीय महायुद्ध के कारण श्रम सम्बन्धी प्रगतिशील नीतियों का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक श्रम नीति नहीं थी। उस समय तक जो मन्त्रियम बनाये गये उनका उद्देश्य कारखाना प्रणाली के दोषों को दूर करना था।

<sup>1</sup> Report of the Labour Investigation Committee, 1946

नयो उद्योग नीति और धर्म—सन् १९४८ में औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी। इस नीति में श्रमिकों को उद्योगों का साझेदार माना गया और लाभ में उचित हिस्सा दिलाने का आश्वासन दिया गया। योजनाकाल में उत्पादन वृद्धि का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। इसके लिए श्रमिकों का सहयोग आवश्यक समझा गया अतः सरकार द्वारा श्रमिकों को शोषण से बचाने तथा उन्हें अधिकाधिक सुविधाएँ देने का प्रयत्न किया गया। वर्तमान युग में सरकार की धर्म-नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक प्रजातन्त्र (Industrial Democracy) की स्थापना करना है। गत वर्षों में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए धर्म सम्बन्धों को सुधारने का प्रयत्न किया गया है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की घोषणा, समझौते तथा वैधानिक कार्यवाहियों द्वारा धर्म मघर्षों को सुलझाना, श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेना, कारखानों में काम करने की उचित दशाओं की गृष्टि करना तथा ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना जिसमें श्रमिक अपने को उद्योगों का वास्तविक साझेदार महसूस कर सकें, आदि बातें धर्म नीति के मुख्य आधार हैं। इनके साथ ही साथ श्रमिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उत्पादनशीलता तथा कार्यक्षमता में वृद्धि का प्रयत्न करें। वे ऐसी परिस्थितियाँ न उत्पन्न होने दें जिसमें उद्योगों में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो। इस प्रकार वर्तमान धर्म-नीति का उद्देश्य श्रमिकों के कर्तव्यों तथा उनके अधिकारों के क्षेत्र में आवश्यक कार्यवाही करना है। वर्तमान धर्म नीति का उद्देश्य श्रमिकों के कर्तव्यों तथा उनके अधिकारों के क्षेत्र में आवश्यक कार्यवाही करना है। वर्तमान धर्म-नीति के सभी तत्त्वों का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सरकार ऐसा वातावरण की गृष्टि करना चाहती है जिसमें धर्म सम्बन्धी समस्याएँ खड़ी न हों तथा सरकार द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाय, जिसमें श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके।

धर्मनीति के उल्लेखनीय तत्त्व—भारतीय श्रमिकों की सुख सुविधा, काम के घण्टे तथा शोध एवं प्रशिक्षण के लिए अनेक व्यवस्थाएँ की गयी हैं। उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं

(१) प्रशिक्षण संस्थान—श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए मार्च १९६१ में केवल १६३ संस्थान थे जिनकी संख्या दिसम्बर १९६८ में ३५६ हो गयी। प्रशिक्षण क्षमता भी ४३,००० से बढ़कर १,१४,००० वापिस हो गयी। चतुर्थ योजनाकाल में इस क्षमता में केवल सामान्य वृद्धि की जायगी।

(२) शोध—सन् १९६४ में रोजगार सम्बन्धी शोध करने की दृष्टि से एक केन्द्रीय संस्थान 'Central Institute for Research and Training in Employment Service' स्थापित किया गया। इसी वर्ष भारतीय धर्म अध्ययन संस्थान (Indian Institute of Labour Studies) स्थापित किया गया जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के औद्योगिक सम्बन्धी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(३) सुविधाएँ—दिसम्बर १९७० में कर्मचारी बीमा योजना में देश के ४०० केन्द्रों में ४० लाख परिवारों को लाभ पहुँच रहा था। श्रमिकों की चिरिस्ता तथा अन्य लाभो वाली योजना पर १९६६-७० में १५० करोड़ रुपये व्यय किया गया, इनके अतिरिक्त पानों के श्रमिकों की कल्याण योजना, नियोजित प्रॉविडेंट फण्ड योजना से भी श्रमिकों के हितों में वृद्धि हुई है।

(४) नियोजन केन्द्र—दिसम्बर १९६६ में रोजगार दिलाने सम्बन्धी केन्द्रों की संख्या ४१६ तक बढ़ गयी।

### प्रश्न

- १ क्या भारतीय धर्म अथ देशों के धर्म की तुलना में कम कार्यक्षम है? यदि ऐसा है तो कम कार्यक्षमता के कारणों पर प्रकाश डालिए तथा अपने मुद्दाव दीजिए।  
(राजस्थान, बी० ए०, १९५१)
- २ भारत में औद्योगिक धर्म की निम्न कार्यक्षमता के क्या कारण हैं? इस विषय पर उचित सुझाव दीजिए।  
(पटना, बी० ए०, १९६३)
- ३ वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किये गये धर्म-व्यवस्थापन कार्यों का मशिक्षित विवेचन कीजिए।

*"Trade Unions are those institutions which lie so near the core of our social life and progress and have proved that stability and progress can be combined"*

—Sir Winston Churchill

विश्व में औद्योगिक क्रान्ति के प्रारम्भ होने के साथ ही श्रम पूंजी का महत्त्व बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों को पूंजीपतियों के समक्ष पूर्ण समर्पण करना पड़ा। पूंजीपतियों ने श्रमिक वर्ग की इन निम्नता से लाभ उठाया तथा वे श्रमिकों का शोषण करने लगे। श्रमिक पूंजीपति का मुकाबला नहीं कर सकता था अतः उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयत्न अनिवार्य हो गया। फलतः श्रमिकों ने सघ के महत्त्व को समझा। इस प्रकार पूंजीपतियों द्वारा शोषण की प्रतिक्रियास्वरूप श्रम सघों का उदय हुआ। कार्ल मार्क्स ने यह शब्द कि 'विश्व के श्रमिकों! संगठित हो जाओ, तुम्हें अपनी जमीर (दासता की) के अतिरिक्त कुछ नहीं छोड़ना है' में श्रमिकों में नयी चेतना का संचार किया।

**परिभाषा—**श्रम सघ श्रमिकों का वह संगठन है, जो उद्योगपतियों के शोषण से बचने तथा श्रमिकों के अधिकारों व हितों की रक्षा के उद्देश्य से संगठित किया जाता है। श्रम सघों का प्रमुख कार्य श्रमिकों की काम करने की दशाओं में सुधार प्राप्त कराना है। सिडनी (Sydney) तथा बेब (Beatrice Webb) के अनुसार, 'श्रम सघ श्रमिकों का सतत् साठन है जिसका उद्देश्य काम की दशाओं को बनाये रखना तथा सुधारना होता है।' बी० बी० गिरि व शब्दों में, "श्रम संगठन श्रमिकों के अधिक हितों की रक्षा तथा सुधार हेतु बनाये जाते हैं।" इस प्रकार श्रम सघों का संगठन श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है और यह सत्यापित श्रमिकों की अवस्था में सुधार लाने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्नशील रहती है।

**श्रम सघ के उद्देश्य तथा कार्य—**श्रम सघ का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। श्रम उत्पादन का एक आवश्यक परन्तु निबन्ध साधन है। व्यक्तिगत रूप से श्रमिक अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते परन्तु सामूहिक रूप से वह उद्योगपति से सौदेबाजी कर सकता है, अतः श्रम सघ का उद्देश्य श्रमिकों में एकता स्थापित करना है। उद्योगपति सभी श्रमिकों को एक साथ नहीं निभाल सकता क्योंकि संगठन में शक्ति निहित है। इस एकता के द्वारा श्रम सघ श्रमिकों के काम करने तथा रहने की दशाओं में सुधार कर सकते हैं। काम करने के घण्टी में कमी, कारखानों के अंदर काम करने का उचित वातावरण, नौकरी की दशाओं में सुधार तथा उचित भत्तों की प्राप्ति श्रम सघों के प्रयत्न से ही संभव है। श्रम सघ श्रमिकों का उचित मार्ग-दर्शन

करते हैं तथा उनमें सहकारिता की भावना का उदय होता है। सघ द्वारा श्रमिकों के सामाजिक तथा नैतिक जीवन का विकास होता है। सघर्ष के समय श्रम सघ उद्योगपतियों से समस्या का समाधान कराने का प्रयत्न करते हैं। श्रम सघों का उद्देश्य श्रमिकों में एकता स्थापित करना तथा उनके जीवन-स्तर को उठाना है।

श्रम सघों के कार्यों को मूल रूप से तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है

(१) आन्तरिक या सघर्ष सम्बन्धी कार्य—इसके अन्तर्गत श्रम सघों के वे कार्य आते हैं, जिनका सम्बन्ध कार्य करन की दशाओं से है जैसे कारखाने के अन्दर उचित वातावरण को माँग, श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाना, काम करने के उचित घण्टे तथा छुट्टी की माँग करना और प्रवन्ध में श्रमिकों को भाग दिलाना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए श्रम सघ उद्योगपतियों से आवश्यक समझौता करने का प्रयत्न करते हैं और उनकी पूर्ति न होना पर वे हड़ताल का सहारा लेते हैं।

(२) बाह्य या श्रम कल्याणकारी कार्य—इसके अन्तर्गत श्रम सघों के वे कल्याणकारी तथा रचनात्मक कार्य सम्मिलित हैं जो कारखाने के बाहर किये जाते हैं। श्रम सघ श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। दुर्घटना, बीमारी या अन्य सवक के समय यह सघ अपने सदस्यों की आर्थिक सहायता करते हैं। श्रमिकों में एकता, अनुशासन व आत्मविश्वास की भावना भरना तथा बच्चों की शिक्षा, श्रमिकों की शिक्षा, मनोरंजन, आवागमन व चिकित्सा की व्यवस्था करना भी आजकल के श्रम सघों का महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। इन रचनात्मक कार्यों का ध्वसात्मक कार्यों से कहीं अधिक महत्व है। कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों के ध्वसात्मक कार्यों को ही अधिक महत्व दिया था।

(३) राजनीतिक कार्य—श्रमिकों में स्वतन्त्रता, आत्मविश्वास तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना भी श्रम सघों का कार्य है। इस प्रकार श्रम सघ लोकतन्त्र की भावना के प्रेरणा-स्रोत हैं। ब्रिटेन में श्रम सघ राजनीतिक शक्ति के जन्मदाता हैं। वहाँ का श्रम दल (Labour Party) श्रम सघों की राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। जनतन्त्रात्मक आधार पर श्रमिक दल ने कई बार चुनाव जीता है तथा अपनी सरकार बनायी है। अन्य देशों में भी श्रम सघ ससद में अपने सदस्य भेजते हैं जो उनके हितों की रक्षा करते हैं। इन सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि राजनीतिक कार्य देश के संविधान के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से किये जाते हैं। कार्ल मार्क्स ने इन तरीकों का बहिष्कार किया है। वह विश्वसात्मक रीतियों द्वारा ही राजनीतिक सत्ता हाथियाने को महत्व देते हैं। परन्तु प्रजातन्त्रात्मक देशों में इन विचारधारा का अवाञ्छनीय समझा जाता है।

भारत में श्रम सघों का विकास—भारत में श्रम सघ आन्दोलन के इतिहास को निम्न-लिखित कालों में विभाजित किया जा सकता है।

- (१) श्रम सघों का आरम्भ (सन् १८७५ से १९०० तक),
- (२) श्रम सघों का मन्द विकास (सन् १९०० से १९१८ तक),
- (३) श्रम सघों की प्रगति का युग (सन् १९१८ से १९४७ तक),
- (४) वर्तमान काव (सन् १९४७ से वर्तमान समय तक)।

(१) श्रम सघों का आरम्भ (सन् १८७५ से १९०० तक)—भारत में अन्य देशों की ही भाँति श्रम सघों का आरम्भ औद्योगीकरण के कारण हुआ। सन् १८५०-१८६० की अवधि में भारत में आधुनिक उद्योगों का आरम्भ किया गया। कुटीर उद्योग-वन्धों का पतन आरम्भ हो गया। कारखाना प्रणाली ने कई प्रकार की बुराइयों को जन्म दिया। बच्चों तथा स्त्रियों को कम मजदूरी देकर काम लेना आरम्भ किया गया। १८७० के पश्चात् श्रमिक इन बुराइयों के प्रति जागरूक हुए।

सन् १८७५ में श्री भोरावजी मापुरजी बगाती ने श्रमिकों की शोनावस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। उसी वर्ष बम्बई फ़ैक्टरी कमीशन नियुक्त किया गया। सन् १८८१ में कारखाना अधिनियम पास हुआ। १८८४ में द्वितीय बम्बई कारखाना आयोग नियुक्त किया गया। इन घटनाओं के कारण जनता का ध्यान श्रम समस्याओं की ओर आकर्षित हुआ। १८८४ में श्री नारायण मेघाजी लोखण्डे ने बम्बई के श्रमिकों का एक सम्मेलन किया तथा बम्बई कारखाना आयोग का ध्यान श्रम समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। इस सम्मेलन ने सरकार के समक्ष श्रमिकों की कुछ माँग रखीं। सन् १८९० में लोखण्डे व नटूव म मजदूरों की पुन सभा हुई तथा १७ हजार श्रमिकों के हस्ताक्षर द्वारा सरकार के समक्ष उनकी माँग रखी गयी। उसी वर्ष लोखण्डे ने भारत के प्रथम श्रम सघ— 'बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन' (Bombay Mill Hands Association) की स्थापना की। इस श्रम सघ का धनुकरण देश के दूसरे भागों में भी किया गया तथा कुछ श्रम सघों की स्थापना की गयी। सन् १८९७ में Amalgamated Society of Railway Servants of India and Burma की स्थापना की गयी। यह श्रम रचनात्मक कार्यों में विश्राम नहीं रखता था।

इस प्रकार १९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भारत में श्रम सघों का जन्म तथा आरम्भिक विकास हुआ। इन श्रमिकों के श्रम सघों का संगठन होता था। यहाँ तक कि लोखण्डे द्वारा संगठित संगठन का भी कोई निश्चित विधान नहीं था।

(२) श्रम सघों के मन्द विकास का काल (सन् १९०० से १९१८ तक)—२०वीं शताब्दी का प्रारम्भ श्रम सगठनों के लिए उपयुक्त सिद्ध हुआ। सन् १९०५ में स्वदेशी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। इससे श्रमिकों में राजनीतिक चेतना आयी। उन्होंने देश के विभिन्न केंद्रों में श्रम सघों की स्थापना की। जैसे सन् १९०३ में पेण्डरत यूनियन, कलकत्ता, सन् १९०७ में बॉम्बे पोस्टल यूनियन; सन् १९०९ में कामगर रिटवर्डेक सभा तथा सन् १९१० में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गयी। इन श्रम सघों के अतिरिक्त इण्डियन लेबर यूनियन, सीमन (sea men) यूनियन आदि का नाम उल्लेखनीय है।

प्रथम विश्वयुद्ध के समय बीमारी में वृद्धि हुई। उद्योगपतियों ने काफी लाभ कमाया परन्तु मजदूरों में बहुत कम वृद्धि की गयी; श्रमिकों में अपमान की भावना फैली गयी। सन् १९१७ में रूस की राज्यक्रान्ति ने श्रमिकों में जागरूकता उत्पन्न कर दी और उनमें संगठन की भावना को बल मिला। राजनीतिक दलों द्वारा भी श्रम सघों को प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रकार प्रथम विश्व-युद्ध ने श्रम सघों के विकास के लिए वातावरण तैयार किया परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध तक श्रम सघों ने वैधानिक तरीकों पर ही ध्यान दिया। इस समय के श्रम-संगठन श्रमिकों के नहीं बल्कि श्रम निकाहों के थे। श्रम नेता ममाज-मुघारक भी थे जो श्रम कल्याण कार्यों द्वारा श्रमिकों की अवस्था में सुधार लाना चाहते थे।

(३) श्रम सघों की प्रगति का युग (सन् १९१८ से १९४७ तक)—वस्तुतः आधुनिक रूप में श्रम सघों का विकास प्रथम महायुद्ध के पश्चात् ही हुआ। सन् १९१८ में बाइया ने तमिलनाडु के सूती बस्त्र मिल-मजदूरों की महासभा से तमिलनाडु श्रम सघ की स्थापना की। वही सघा में उन्माह व माघ श्रमिकों ने इस श्रम सघ का स्वागत किया। एक वर्ष में ही उसकी सदस्य-संख्या २० हजार हो गयी। सूती मिलों में काम करने वाला कोई भी श्रमिक इस श्रम सघ की सदस्यता से वंचित नहीं रहा। वस्तुतः भारतीय श्रम-संघ आन्दोलन का यह प्रथम सफल प्रयास था। सन् १९२० में देश के श्रम सघों ने मिलकर All India Trade Union Congress की स्थापना की। इस श्रम सघ ने श्रम सघों का मार्ग दर्शन किया। सन् १९२२ में श्रमिक मर्मिा की स्थापना की गयी। उसी वर्ष अंग्रेज इण्डिया रेलवेमें फेडरेशन तथा ऑल इण्डिया पोस्टल एंड टेलीग्राफ यूनियन की स्थापना की गयी। सन् १९२० में भारत में १२५ श्रम सघ थे जिनकी सदस्य संख्या २५ लाख थी।



श्रम सगठन की कठिनाइयाँ—इस प्रकार सन् १९२० तक श्रम सघों की नींव अच्छी प्रकार से पड़ चुकी थी। उस समय के श्रम सगठन हड़ताल में अधिक विश्वास रखते थे। श्रम सघों को कोई वैधानिक संरक्षण भी प्राप्त नहीं था। उद्योगपतियों ने श्रम सघों के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित कीं। श्रमिकों को काम से निकाला गया। अहमदाबाद के 'मिल मजदूर सघ' ने तो एक कोष की स्थापना भी की जिसमें से श्रमिकों को क्षतिपूर्क सहायता (Victimization Benefit) भी दी जाती थी। मजदूर नेता मजदूरों के घरों में जाकर चर्चा वसूल नहीं कर सकते थे। इस प्रकार अनेक तरीकों द्वारा श्रम सघों को विघटित करने का प्रयत्न किया गया। उद्योगपति ब्लैक लिस्ट भी तैयार करते थे जिसे सभी औद्योगिक संस्थानों में भेजा जाता था। सन् १९२१ में तमिलनाडु न्यायालय ने वाडिया द्वारा स्थापित श्रम सघ को अवैध घोषित कर दिया। इन कठिनाइयों के होते हुए भी श्रम सघ आन्दोलन उन्नति करता गया। सन् १९२१ में श्री एन० एम० जोशी ने लेजिस्लेटिव असेम्बली में श्रम सघों के वैधानिक संरक्षण के लिए आवाज उठायी। उन्होंने एक ट्रेड यूनियन बिल भी प्रस्तुत किया परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी श्रमिकों का संघर्ष जारी रहा, फलस्वरूप सन् १९२६ में श्रमिक सघ अधिनियम पास किया गया जिससे भारतीय श्रम सघ आन्दोलन के इतिहास में एक नये अध्याय का आरम्भ हुआ।

✓ उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में सन् १९२६ में श्रम सघों के अस्तित्व को वैधानिकता प्रदान की गयी। सन् १९२६ तक जिन घटनाओं या कारणों से श्रम सघ आन्दोलन को बल प्राप्त हुआ वे निम्नलिखित थे।

- (१) प्रथम विश्वयुद्ध के कारण जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि ✓
- (२) उद्योगों के लाभ में आशातीत वृद्धि तथा श्रमिकों द्वारा यह महसूस करना कि उद्योगपति उनका शोषण कर रहे हैं।
- (३) अन्तरराष्ट्रीय श्रम-सगठन की स्थापना तथा भारत का इससे सम्बन्ध।
- (४) सन् १९२१ के असहयोग आन्दोलन आदि के कारण श्रमिकों में राजनीतिक चेतना का आना।
- (५) युद्ध तथा रूस की राज्यक्रान्ति के कारण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विचारधाराओं में परिवर्तन।

श्रम सघ अधिनियम, १९२६—इस अधिनियम द्वारा श्रम सघों को वैधानिक मान्यता प्रदान की गयी। रजिस्टर्ड श्रम सघों को सुविधाएँ तथा अधिकार प्रदान किये गये। रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक था परन्तु अधिकारों के कारण सभी श्रम सघों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। श्रम सघ अपने कोष वा उपयोग राजनीतिक कार्यों के लिए नहीं कर सकते थे। प्रत्येक श्रम सघ को अपने नाम तथा उद्देश्यों की घोषणा करनी पड़ती थी। उनके छाते आदि की वापिक जाँच कराने की व्यवस्था की गयी थी। श्रम सघों पर उसके कार्यों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था।

सगठन और फूट—इस कानून के द्वारा श्रम सघों को काफी बल मिला। अधिनियम द्वारा श्रम सघों को उत्तरदायित्व तथा अधिकार दोनों प्रदान किये गये। सन् १९२० के पश्चात् आर्थिक मन्दी प्रारम्भ हुई। मजदूरों की दरों में कमी की गयी। फलस्वरूप श्रम सघों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया। सन् १९२० से ही वामपन्थियों ने श्रम सघों पर अधिकार कर लिया। उस समय श्रम सघ आन्दोलन उन्नति की चरम सीमा पर था। वामपन्थियों की नीतियों का समर्थन न करने वालों ने एन० एम० जोशी की अध्यक्षता में अलग से 'ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन' की स्थापना की। इस प्रकार श्रम सघ दो वर्गों से विभाजित हो गये। एक वर्ग का नेतृत्व उदारवादिओं तथा दूसरे वर्ग का नेतृत्व उग्रपन्थी वामपन्थियों के हाथों में चला गया। नेताओं की इस पारस्परिक फूट के कारण श्रम सघ आन्दोलन की प्रगति में बाधा आयी। सरकारी भी उग्रवादिओं को दबाने का प्रयत्न किया जिसका परिणाम वानपुर तथा मेरठ पड़यन्त्र मुकदमा था।

इससे श्रम सघों की स्त्री वदनामी हुई। सन् १९३३ में 'नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन' की स्थापना की गयी, जिसमें वामपन्थियों के अतिरिक्त सभी श्रम सघ सम्मिलित हो गये। इस प्रकार सन् १९२४-३४ की अवधि में कम्युनिस्टों का प्रभाव श्रम सघों पर सर्वाधिक रहा। सम्भवतः इसीलिए सन् १९२४-३४ की अवधि को 'वामपन्थी श्रम सघवाद' (Left Wing Trade Unionism) की संज्ञा दी गयी है।

सन् १९३५ में श्रम सघ आन्दोलन में पुनः एकता लाने का प्रयत्न किया गया किन्तु इन प्रयत्नों को सफलता का बहुत अवसर नहीं मिला क्योंकि सन् १९३६ में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया। युद्ध में सहयोग देने के प्रश्न पर श्रम नेताओं में पुनः मतभेद उत्पन्न हो गया। द्वितीय विश्वयुद्ध काल में श्रम सघों को उन्नति करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। युद्धकाल में कीमती की वृद्धि, ऊँची दर पर लाभ, मजदूरी में कम आनुपातिक वृद्धि आदि समस्याएँ उत्पन्न हो गयीं। यमिकों ने ऊँची दर पर मजदूरी प्राप्त करने के लिए न्यायालयों की शरण ली तथा वहाँ से असफल होने पर हड़ताल का मार्ग अपनाया। युद्ध के पश्चात् वामपन्थियों का प्रभाव पुनः था, श्रम की माँग में कमी हुई तथा देश के विभिन्न भागों में हड़तालों की गयीं।

(४) वर्तमान काल (सन् १९४७ से वर्तमान समय तक)—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् श्रम सघों में राजनीति का अत्यधिक प्रभुत्व हो गया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने श्रम सघों पर अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया। सन् १९४७ में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 'इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (INTUC) की स्थापना की। यह श्रम सघ भारतीय श्रमिकों की प्रतिनिधि मत्तया माना गया। अन्य राजनीतिक दलों ने भी श्रम सघों पर प्रभुत्व जमाना चाहा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने सन् १९४८ में 'हिन्द मजदूर सभा' (HMS) की स्थापना की तथा सन् १९४६ में के० टी० शाह के नेतृत्व में 'यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (UTUC) संगठित की गयी।

कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव अब भी श्रम सघों पर पर्याप्त था अतः उन्होंने 'आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (AITUC) को संगठित किया। इस प्रकार देश में चार प्रमुख केन्द्रीय श्रम सघ बन गये, जो अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रभाव क्षेत्र में कार्य करने लगे। सन् १९४७ में ही भारतीय श्रम सघ अधिनियम में संशोधन किया गया। इन विधान द्वारा प्रतिनिधि श्रम सघों को उद्योगपतियों द्वारा मान्यता देना अनिवार्य कर दिया गया। इसके पश्चात् स्वतन्त्र भारत में श्रम सघों का विकास द्रुतगति में होना लगा। श्रम सघ अधिनियम में सन् १९६४ में संशोधन किया गया, जिसे अगस्त १९६५ से लागू किया गया। इस संशोधन के अनुसार (i) यमिक सघ अपना रिटर्न कंप्यूटर-वर्ष के आधार पर देगे, तथा (ii) नैतिक अपराध के कारण दण्डित व्यक्ति सघ के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। गत कुछ वर्षों में श्रम सघों की सदस्य संख्या में सराहनीय वृद्धि हुई है। सन् १९४७ में स कुल २,७६६ श्रम सघ रजिस्टर्ड थे, जिसमें से १,६२० श्रम-सघों ने अपनी प्रगति के सम्बन्ध में सूचनाएँ दीं। इन सूचनाओं के अनुसार श्रम-सघों की सदस्य संख्या १६६७ लाख थी। गत वर्षों में यमिक सघों की प्रगति का अनुमान निम्नलिखित सघों से लगना है

रजिस्टर्ड श्रम सघ तथा सदस्यता<sup>1</sup>

विवरण	केन्द्राय सघ		राज्य सघ	
	१९५५-५६	१९६७	१९५५-५६	१९६७
रजिस्टर्ड श्रम सघों की संख्या	१७४	४५१	७६२१	१३,८६७
सूचना दान वाले श्रम सघों की संख्या	१०५	६६	३,६०१	१,६४१
सदस्य संख्या (हजारों में)	२१३	३०४	२,०६२	१,०८५

<sup>1</sup> इण्डिया, १९७०।

चारों प्रमुख अखिल भारतीय श्रम सघों से सम्बन्धित (affiliated) श्रम सघों की संख्या तथा उनकी सदस्य संख्या का ज्ञान निम्न सारिणी में प्राप्त होता है

अखिल भारतीय श्रम संगठनों की सदस्यता

(लाघो में)

नाम	सम्बद्ध सघों की संख्या		सदस्य-संख्या	
	१९५८	१९६६	१९५८	१९६६
I N T U C	७२७	१,३०५	६१०	१४,१७
A I T U C	८०७	८०८	५३८	४३४
H M S	१५१	२५८	१६३	४३७
U T U C	१८२	१७०	०८२	०६३
योग	१,८६७	२,५४१	१७२३	२३८१

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् श्रम सघों में बहुत उन्नति की है। इस तीव्र गति से उन्नति के कई कारण हैं।

(१) मूल्य स्तर में बराबर वृद्धि के कारण, जीवन-निर्वाह व्यय में वृद्धि होती रही है परन्तु देश में मजदूरी में अपेक्षाकृत बहुत कम वृद्धि हुई है। चोरबाजारी व भ्रष्टाचार में काफी वृद्धि हुई। ऐसी अवस्था में श्रमिकों में वर्ग भावना (class-consciousness) का उदय हुआ। उन्होंने यह अनुभव किया कि शक्तिशाली श्रम सघों में ही उनका उद्धार निहित है।

(२) राजनीतिक दलों में श्रम सघों पर प्रभुत्व जमाने के लिए होड़ लग गयी।

(३) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने परिवर्तित परिस्थितियों में श्रम को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। विधान द्वारा श्रमिकों के हितों तथा अधिकारों की रक्षा की गयी जिससे श्रम सघों का महत्त्व बढ़ गया।

भारतीय श्रम सघ आन्दोलन के इस गिहावचोचन से स्पष्ट है कि श्रम सघों का विकास वास्तविक रूप में सन् १९१८ के पश्चात् प्रारम्भ हुआ तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् उनकी बहुत उन्नति हुई। फिर भी अन्य देशों की तुलना में भारतीय श्रम सघ बहुत निचले हैं।

### ३ श्रम सघ आन्दोलन की समस्याएँ तथा दोष

भारत में श्रम सघों का विराम अन्य देशों की तुलना में बहुत कम हो पाया है। रचनात्मक कार्यों में तो भारतीय श्रम सघ बहुत पीछे हैं। श्रम सघों के इस निष्ठेपन के कारण ही भारतीय श्रम सघन दुर्बल हैं। सशेष में, भारत में श्रम सघों के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएँ, दोष या समस्याएँ हैं।

(१) श्रमिकों की अस्थायी प्रकृति—भारतीय श्रमिक अधिकांशतः शहरो में काम करने के लिए गाँवों में आते हैं। उनका वास्तविक सम्बन्ध ग्राम में होता है। साधारणतया परिवार के अन्य सदस्य गाँवों में ही रहते हैं। अतः श्रमिक शहरो में अस्थायी रूप से रहने हैं। स्थायी रूप से काम पर न रहने के कारण वे श्रम सघों के कार्यों में रुचि नहीं लेते। अतः औद्योगिक श्रमिकों का प्रवासी स्वभाव श्रम सघों के विकास में सर्वत्र बाधक रहा है।

(२) श्रमिकों की निष्पन्नता—भारतीय श्रमिकों की मजदूरी बहुत ही कम है। उस मजदूरी, दरिद्रता तथा कृणमन्नता के कारण श्रमिक श्रम सघों को चन्दा नहीं दे पाते। अतः श्रम सघों को अपने कार्यों तथा विकास के लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाता। बहुत से श्रमिक चन्दे के कारण श्रम सघों का सदस्य नहीं बनते और यदि सदस्य बनते भी हैं तो निष्पन्न रूप से चन्दा नहीं देते। इनमें मुख्यतः में राबर्ट्स ने कहा है, 'भारत में बहुत से सघों के पास कोई कोष नहीं है तथा बहुत से सदस्य चन्दा नहीं देते।'

(३) श्रमिकों की अज्ञानता तथा अशिक्षा—अधिकांश भारतीय श्रमिक अशिक्षित हैं। वे श्रम संधों के उद्देश्य तथा महत्त्व को नहीं समझते। उन्हें अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का भी ज्ञान नहीं होता। अतः वे श्रम संधों के कार्यों में यथोचित भाग नहीं लेते।

(४) श्रमिकों में वर्ग भेद—भारत एक विशाल देश है। औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रान्तों, जागिरों तथा वर्गों के श्रमिक पाये जाते हैं। श्रमिकों के सामाजिक रीति-रिवाज तथा रहन-सहन में विभिन्नता होने के कारण उनमें एकता नहीं हो पाती। एकता के अभाव में श्रम संधों का विकास नहीं हो पाता।

(५) काम करने की दशाएँ—भारत में काम करने के घण्टे अधिक हैं तथा अवकाश आदि की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं हैं। कारखानों में कार्य के पश्चात् श्रमिक आराम करने की सोचना है। उसे श्रम संध के बारे में सोचने का अवसर नहीं मिलता।

(६) शोषपूर्ण भर्ती प्रणाली—औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों की भर्ती मध्यस्थों द्वारा की जाती है। यह मध्यस्थ श्रमिकों का शोषण करते हैं तथा श्रम संधों के विकास में बाधा उपस्थित करते हैं क्योंकि श्रम संधों के विकसित होने पर वे श्रमिकों का शोषण नहीं कर सकते।

(७) श्रम संधों के निम्नो दोष—भारतीय श्रम संध रचनात्मक कार्यों की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं। उनकी प्रवृत्ति पिछड़ात्मक रही है। उनका मुख्य उद्देश्य हड़ताल संगठित करना ही रहा है। वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक रहते हैं तथा कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देते। श्रम संधों में एकता का भी अभाव है। एक ही उद्योग में छोटे-छोटे कई श्रम संध पाये जाते हैं। ये श्रम संध आपस में प्रतिस्पर्द्धा तथा द्वेष रखते हैं इसलिए इनमें एकता नहीं आ पाती तथा यह अपने कार्यों में असफल रहते हैं।

(८) बाहरी नेतृत्व तथा राजनीतिक प्रभाव—भारतीय श्रम संधों का नेतृत्व ऐसे व्यक्तियों के हाथों में है जो स्वयं श्रमिक नहीं हैं। इनका नेतृत्व प्रायः राजनीतिक नेताओं के हाथ में होता है जो श्रमिकों को दिनों के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थों के लिए कार्य करते हैं। उन्हें श्रम समस्याओं का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। अतः श्रम संधों को उचित निर्देशन तथा पथप्रदर्शन नहीं मिल पाता। दूसरे श्रम संधों पर राजनीतिक दलों का व्यापक प्रभाव रहता है जिनमें नीति सम्बन्धी मौलिक मतभेद हैं। अखिल भारतीय स्तर पर आचार प्रमुख श्रम संध हैं उन पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का आधिपत्य है। अतः श्रम संधों का मिटाने तथा कार्यों में एकरूपता नहीं आ पाती।

(९) उद्योगपतियों द्वारा विरोध—भारतीय उद्योगपतियों ने भी श्रम संध आन्दोलन का सदा विरोध किया है। श्रम संधों को महयोग देने के स्थान पर वे उनका विरोध करते हैं। श्रम संधों को तोड़ने के लिए वे अनुचित प्रयत्न करते हैं तथा श्रम संधों की कार्यवाहियों में बाधा डालने का प्रयत्न करते हैं। निधनता के कारण भारतीय श्रमिक कार्यकर्ताओं का प्रलोभन देकर तोड़ना एक साधारण-सी बात है।

#### ४ श्रम संधों की उन्नति के लिए सुझाव

उपर्युक्त दोषों के कारण भारतीय श्रम संध आन्दोलन अपेक्षित उन्नति नहीं कर सका है। किन्तु भी दश में उन्नतिशील श्रम संधों का पाया जाना औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। हमें श्रमिकों के हितों की भी रक्षा होती है। श्रम संध समाजवादी प्रजातंत्र की आधारशिला हैं। रिचर्ड टूए देशों में जहाँ प्रजातान्त्रिक प्रणाली है वहाँ श्रम संधों को दो कारणों से शक्तिशाली बनाना आवश्यक है, 'व सामूहिक सौदेबाजी के लिए आवश्यक है जिसमें श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थायित्व देने के लिए भी उनकी आवश्यकता पड़ती है।' भारत में श्रम संधों के विकास तथा उनका दोषों को दूर करने के लिए अग्रलिखित बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(१) श्रमिकों में शिक्षा का प्रचार—श्रमिकों में शिक्षा का प्रचार होगा चाहिए। अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान गिरीत श्रमिक को सरलता में हो सकता है। मानसिक विकास होने पर श्रमिक अपने मजदूरी के प्रति उदासीन नहीं रहेंगे।

(२) योग्य नेतृत्व—श्रम सघों को उचित नेतृत्व प्रदान करना भी आवश्यक है अतः श्रम सघों का नेतृत्व श्रमिक वर्ग के हाथों में होना चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा नेतृत्व हथियाने की जो परम्परा है उसका अन्त होना आवश्यक है। श्रमिकों की समस्याएँ समान हैं अतः उनमें राजनीतिक भेदभाव पैदा करना पातक है। मजदूर वर्ग के हाथों में नेतृत्व होने में श्रम सघ आत्म-विश्वास, उत्साहवित्त एवम् श्रम-श्रिता के साथ साथ करेंगे। प्रजातन्त्रात्मक देश में श्रम-सघों पर राजनीतिक प्रभाव अवश्य होगा परन्तु प्रयत्न इस बात का होना चाहिए कि श्रमिक व्यक्तिगत स्तर पर राजनीति में भाग लें। योग्य नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यह सोमाय की बात है कि सरकार न कलकत्ता में श्रम-सघों के मिद्वान्त आदि विषयों में शिक्षा देने के लिए 'एग्जिक्ट ट्रेड यूनियन कॉलेज' की स्थापना की है। सरकारी श्रम-अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भी भारतीय श्रम अध्ययन मस्थान (Indian Institute of Labour Studies) स्थापित किया गया है।

(३) आर्थिक स्थिति में सुधार—श्रम सघों की वित्तीय स्थिति में सुधार आवश्यक है। धन के अभाव में वे रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते हैं। श्रमिकों की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है अतः वे अधिक चन्दा नहीं दे सकते हैं। श्रम सघों की सदस्य-संख्या बढ़ाकर ही इस समस्या का आर्थिक हल किया जा सकता है। श्रम सघों को अपने पास मुश्किल कोष की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

(४) क्रियाओं का विस्तार—श्रम सघों को अपनी क्रियाओं में वृद्धि करनी चाहिए। भारतीय श्रम सघ हड़ताल सगठित कर अपने कर्तव्यों को इतिश्री समझ लेते हैं। उन्हें रचनात्मक कार्य भी अपनाने चाहिए जिसमें श्रमिकों का बौद्धिक व सामाजिक स्तर ऊँचा उठे। उन्हें श्रमिकों को उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह निर्माण, मनोरंजन आदि सम्बन्धी बहूत-से कार्य श्रम सघों द्वारा किये जा सकते हैं।

(५) श्रम सघों को बृद्ध बनाना—भारत में श्रम सघों की संख्या बहुत अधिक है। छोटे-छोटे श्रम सघ श्रमिकों के हित सम्बन्धी अधिक कार्य नहीं कर सकते। छोटे श्रम सघों को उचित नेतृत्व नहीं मिल पाता, उनका सगठन ढीला होता है तथा आर्थिक दृष्टि से उनकी व्यवस्था ठीक नहीं होती। अतः छोटे-छोटे श्रम सघों को मिलाकर बड़े बड़े श्रम सघ बनाये जाने चाहिए।

(६) उद्योगपरिषदों का सहयोग—उद्योगपरिषदों को श्रम सघों के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि स्वस्थ श्रम सघ औद्योगिक शान्ति तथा उत्पादन-वृद्धि दोनों के लिए ही आवश्यक है। उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि श्रम सघ उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल कार्य करेंगे।

(७) सरकार का कर्तव्य—समाजशास्त्री समाज की स्थापना हमारा लक्ष्य है। अतः सरकार को श्रम सघों को उचित प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसमें श्रमिक अपने को एक उत्तरदायी कर्तव्य-परायण नागरिक समझ सकें। वैधानिक कार्यवाही द्वारा सरकार श्रम सघों के विकास के लिए बहूत कृत्त कर सकती है। मन् १९२६ का श्रम सघ अधिनियम छोटी हेर-फेर के साथ अब भी चल रहा है। बदली हुई परिस्थितियों में इस विधान की उपयोगिता कम हो गयी है। अतः श्रम सघों का सम्बन्ध में एक नये विस्तृत विधान की आवश्यकता है।

अभीही श्रम सघ के नेता जोसेफ टी० बीनन ने भारतीय श्रम सघ आन्दोलन को बृद्ध बनाने के लिए यह सुझाव दिया है कि श्रम सघों को राजनीति में दूर रहना चाहिए तथा श्रम सघों

का निर्माण उद्योग के आधार पर किया जाना चाहिए। वी० वी० गिरि ने यह सुझाव दिया है कि हड़ताल को सफल बनाने के लिए धर्म सभ को वित्तीय कोष (Benefit Fund) तथा हड़ताल कोष (Strike Fund) की स्थापना करनी चाहिए।

उपर्युक्त सभी मुद्दों को कार्यान्वित करने से ही भारत में स्वस्थ धर्म सभों का विकास किया जा सकता है। सरकार ने भी धर्म सभों के लिए कुछ प्रयत्न किया है। योजना आयोग ने धर्म सभों के उचित विकास के लिए कुछ सुझाव दिया है, "धर्मिक सभों को आर्थिक एवं औद्योगिक प्रशासन के एक अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अपने दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। धर्मिकों में शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभों का नेतृत्व धर्मिकों के ही हाथ में रहे। अनुशासन संहिता में धर्म सभों को मान्यता देने के लिए जो नियम बनाये गये हैं उनका समुचित रूप से पालन होना चाहिए। देश में सशक्त तथा स्वस्थ धर्म सभ आन्दोलन के विकास के लिए यही आवश्यक है।"

### प्रश्न

१. एक धर्म सभ के प्रमुख कार्य क्या हैं? क्या आपके विचार से हमारे धर्म सभों ने सन्तोपजनक कार्य किये हैं? (आगरा वी० ए० (प्रश्न), १९६०; वी० ए०, १९६१)
२. "धर्मिक सभों का नेतृत्व मध्यम वर्ग के राजनीतिज्ञों, विशेषतः कबील द्वारा किया जाता था तथा किया जा रहा है जो राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में ठीक ठीक अंतर न कर पा सके तथा न कर पा रहे हैं।" (डॉ० आर० एन० सक्सेना)। इस कथन को पुष्टि कीजिए तथा बतानािए कि भारत में धर्मिक सभों के विकास में बाहरी नेतृत्व से क्या क्या हानियाँ हुई हैं। (आगरा, वी० कॉम०, १९६१)
३. भारत में धर्मिक सभ आन्दोलन के विकास का वर्णन कीजिए। इसको शक्तिशाली बनाने के लिए अपने सुझाव दीजिए? (बिज्जम, वी० ए०, १९६१)
४. १९३९ से भारत में मजदूर सगठन की प्रगति का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। देश में औद्योगिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार कहीं तक इस आन्दोलन को सही दिशा में लाने में सफल हुई है? (सागर, वी० ए०, १९६०)
५. एक धर्म सभ के कार्य क्या हैं? क्या भारत में धर्मिक सभ आन्दोलन उचित ढंग से विकास कर रहा है? पूर्णतया समझाइए। (आगरा, वी० ए० (प्रथम वर्ष), १९६३)
६. भारत में धर्म सभ आन्दोलन के प्रारम्भ तथा विकास पर प्रकाश डालिए। इस आन्दोलन के क्या दोष हैं तथा उन्हें किन प्रकार दूर किया जा सकता है? (मगध, वी० ए०, १९६३)
७. भारत में धर्म सभ आन्दोलन के प्रारम्भ तथा विकास का इतिहास लिखिए। इसकी क्या कमियाँ हैं? (राजस्थान, वी० ए० (प्रथम वर्ष), १९६४)

*"Social security is the security that society furnishes through appropriate organization against risks to which its members are exposed"*

—International Labour Organization

### १ सामाजिक सुरक्षा (SOCIAL SECURITY)

आधुनिक जयें व्यवस्था के आरम्भ होने से पूर्व व्यक्ति अपने हितों के लिए स्वयं उत्तरदायी था। जीवनयापन के साधनों को जुटाने के अनिश्चित वह अपने जीवन की आकस्मिक घटनाओं, जैसे बीमारी, बेरोजगारी, दुर्घटना, मृत्यु आदि, के समय निज जान बचाने के लिए स्वयं उत्तरदायी था। परन्तु कालान्तर में यह महसूस किया गया कि सभी नागरिक अपने जीवन की इन आकस्मिक घटनाओं की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते। अतः एक अच्छे समाज में यह आवश्यक समझा गया कि इन आकस्मिक घटनाओं के समय व्यक्ति को आर्थिक रक्षा समाज द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें व्यक्ति इन घटनाओं के भय में मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके।

पुरातनकाल में सामाजिक सुरक्षा—सामाजिक सुरक्षा की भावना प्राचीन समय में भी थी जबकि राजाओं द्वारा नागरिकों को बाढ़, अजान तथा महामारी के समय सहायता दी जाती थी। इसी प्रकार Poor Law के अन्तर्गत भी इन्टरैण्ड में सहायता दी जाती थी। धार्मिक संस्थाओं द्वारा भी विधवा, अनाथ, अपाहिज तथा निर्धनों की सहायता की जाती थी। परन्तु इस प्रकार की सहायता दया तथा दानयोग्यता पर निर्भर थी तथा यह सहायता अनियमित रूप से दी जाती थी। श्रमिक वर्ग ऐसी सहायता को अपना अधिकार समझकर प्राप्त नहीं कर सकता था।

आधुनिक प्रवृत्तियाँ—वर्तमान समय में सामाजिक सुरक्षा का मूल्य प्रत्येक देश में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय एनिजावेज प्रथम के समय में राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। जत Poor Laws पांच सत्र सत्र, जिनके द्वारा निर्धनों को स्थानीय दरों के द्वारा सहायता दी जाती थी। यह व्यवस्था कानूनी दिनों तक चलती रही परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के कारण नयी समस्याओं का जन्म हुआ। श्रमिकों की अवस्था कारखाना प्रणाली के साथ ही साथ दयनीय होनी लगी। उनकी अवस्था में सुधार लाने के हेतु कारखाना अधिनियम पास हुए तथा विभिन्न देशों में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कुछ कदम उठाये गये।

आधुनिक युग में सामाजिक सुरक्षा का प्रारम्भ जर्मनी में सन् १८८३ से माना जा सकता है जबकि प्रिंस बिस्मार्क ने अपनी इतिहास प्रसिद्ध बीमारी बीमा योजना (Sickness Insurance Scheme) की घोषणा की। बिस्मार्क की यह योजना आधुनिक सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रारम्भ मानी जा सकती है। जर्मनी का अनुकरण ब्रिटेन ने किया। धीरे धीरे ब्रिटेन का अनुकरण अन्य देशों ने किया। ब्रिटेन की बेवरिज योजना (Beveridge Plan) सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसमें व्यक्ति के जन्म से अन्तिम सत्कार तक आने वाली सभी आकस्मिकताओं के समय आर्थिक सहायता की जाती है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में रूस, अमरीका, जापान, संयुक्त अरब गणराज्य, आस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोप के देशों का नाम उल्लेखनीय है।

### भारत में सामाजिक सुरक्षा

भारत सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ देश है। वर्तमान समय में निम्नलिखित अधिनियमों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की गयी है

- (१) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३,
- (२) प्रमूनि लाभ अधिनियम (राज्यों में),
- (३) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८,
- (४) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९४२,
- (५) कोयला खान भविष्य निधि एंव बेनेस स्कीम अधिनियम १९४८
- (६) बेरोजगारी बीमा योजना (विचाराधीन)।

उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा की जो व्यवस्था की गयी है उसका सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है

(१) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३—इस अधिनियम के द्वारा भारत में सामाजिक सुरक्षा का प्रारम्भ माना जा सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों में काम करते समय होने वाली दुर्घटनाओं के फलस्वरूप श्रमिकों की स्थायी या अस्थायी अपंगता या मृत्यु की अवस्था में उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त उन श्रमिकों की भी क्षतिपूर्ति की जाती है, जो कारखानों में काम करते-करते विविध बीमारियों (Occupational Diseases) से पीड़ित होते हैं परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि श्रमिक ने सम्बन्धित कारखाने में छट महीने से अधिक कार्य किया हो। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम का अन्तिम संशोधन सन् १९६२ में हुआ। इसके अनुसार यह एक्ट उन सभी श्रमिकों पर लागू होता है, जिनका मासिक पारिश्रमिक ५०० रुपये से अधिक नहीं है तथा जिनका रोजगार आकस्मिक नहीं है। जिन श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत आश्रित लाभ (Dependent Benefit) या अयोग्यता लाभ (Disablement Benefit) प्राप्त होता है, उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत सहायता नहीं मिलती।

क्षतिपूर्ति की रकम की मात्रा श्रमिक के औसत मासिक पारिश्रमिक तथा दुर्घटना से उत्पन्न चोट की अवस्था के अनुसार निर्दिष्ट की जाती है। घायल श्रमिक जिनका पारिश्रमिक १० रुपये से अधिक नहीं है वो मृत्यु की अवस्था में ५०० रुपये, स्थायी अपंगता की अवस्था में ७०० रुपये तथा अस्थायी अपंगता की अवस्था में औसत मजदूरी का आधा मिलना है। जिस श्रमिक का मासिक पारिश्रमिक ५० रुपये व ३० रुपये के बीच में है उनके लिए उपर्युक्त सम्बन्धित राशि क्रमशः १,८०० रुपये, २,५२० रुपये और १,५०० रुपये मासिक है। ३०० रुपये मासिक से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले के लिए उपर्युक्त सम्बन्धित राशि क्रमशः ४,५०० रुपये, ६,३०० रुपये और ३० रुपये मासिक है। यदि श्रमिक अवयस्क (minor) है तो क्षतिपूर्ति की रकम उपर्युक्त अवस्थाओं में ५ मश



२०० रुपये, १,२०० रुपये और औसत मासिक मजदूरी की आधी होगी। श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर धनिपूर्ति की रकम उसके आश्रितों को दी जाती है।

इस एक्ट में निम्नलिखित सशोधन इस समय विचाराधीन हैं—(i) अल्प श्रमिक को उसकी आयु के आधार पर धनिपूर्ति करना (ii) स्थायी अयोग्यता का कारण मेवा निरूपित श्रमिक को 'निवा निवृत्ति' धनिपूर्ति देना (iii) मजिद उद्योग में ५०० रुपये मासिक से अधिक खर्च पाने वाले कर्मचारियों पर भी इस एक्ट को लागू करना।

(२) प्रमूति लाभ अधिनियम (राज्यों में)—भारत में सर्वप्रथम बम्बई प्रान्त में सन् १९२६ में प्रमूति लाभ अधिनियम पारित किया गया। इनके परवान् विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्य के लिए प्रमूति लाभ अधिनियम पारित किया। भारत सरकार ने सन् १९४१ में छान प्रमूति लाभ अधिनियम पारित किया। राज्यों के अधिनियमों में एकस्यता नहीं है। सन् १९४८ के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रमूति लाभ प्राप्त होता है। राज्यों के प्रमूति अधिनियमों में एकस्यता लाने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार ने सन् १९६१ में प्रमूति लाभ अधिनियम पारित किया। इस एक्ट के अनुसार प्र-रेन्स स्त्री कर्मचारी को (जिसने १६० दिन में अधिक काम किया है) बच्चा पैदा होने अथवा गर्भपात (miscarriage) के दिन के बाद ६ मप्ताह की छुट्टी मिलती है। ६ मप्ताह की छुट्टी बच्चा पैदा होने की तिथि में पहले भी मिलती है। इसके अनिश्चित नियोजक द्वारा २५ रुपये दवा-योग्य भी दिया जाता है। बच्चा पैदा होने पूर्व या परवान् कुछ दिनों तक अधिक परिश्रम का कार्य नहीं लिया जा सकता तथा बच्चे की अवस्था १५ महीने की होने तक स्त्री श्रमिक को दिन में दो बार अवकाश मिलता है। यह अधिनियम उन सभी कारखानों पर लागू होता है जो कारखाना अधिनियम अथवा अधिनियम तथा प्लाण्टेशन अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु जिन औद्योगिक मस्थानों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू है वे इसके अन्तर्गत नहीं आते। दिसम्बर १९६५ में केंद्रीय प्रमूति लाभ अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके अनुसार जिन मस्थानों में 'कर्मचारी राज्य बीमा विधान' लागू होगा, उन मस्थानों के स्त्री कर्मचारी इस एक्ट के अन्तर्गत उस समय तक लाभ प्राप्त करते रहेंगे, जब तक कि वे 'राज्य बीमा' के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी न हो जायें।

(३) कर्मचारी राज्य बीमा योजना, १९४८—सन् १९४३ में धम विभाग ने एक अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा योजना बनाने के लिए प्रो० बी० पी० अदारकर की नियुक्ति की। प्रो० अदारकर ने १५ अगस्त, १९४४ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इनमें कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना को कर्षित करने के लिए अप्रैल १९४८ में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पारित किया। सन् १९५१ में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। बन्तु भारतीय कर्मचारी राज्य बीमा योजना सम्पूर्ण एशिया में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

(क) क्षेत्र—यह अधिनियम जम्मू और काश्मीर को छोड़कर भारत के उन समस्त कारखानों पर लागू होता है जिनमें २० या २० से अधिक व्यक्ति काम करते हैं तथा विद्युत शक्ति का प्रयोग होता है। वे सभी कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए त्रिनव मासिक परिश्रमिक ५०० रुपये तक है। इसके अन्तर्गत किसी उद्योग के अन्तर्गत पर काम करने वाले श्रमिक भी सम्मिलित किये जाते हैं।

(ख) प्रवर्ग व्यवस्था—इस योजना का प्रवर्ग कर्मचारी राज्य बीमा नियम के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त दो समितियाँ हैं—(१) स्वाधीन समिति, तथा (२) विविधता लाभ परिषद। कर्मचारी राज्य बीमा नियम एक स्वतन्त्र मस्था है। इसके अन्तर्गत कुल ३८ महत्त्व होते हैं जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, नियोजकों, कर्मचारियों, डाक्टरों तथा मदद के

प्रतिनिधि होते हैं। केन्द्रीय धर्म मंत्री अध्यापक तथा स्वास्थ्य मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। निगम के कार्य का सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य सलाहकार समितिवा भी हैं जिनमें धार्मिक नियोजक तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं।

(अ) चिकित्सा लाभ परिषद—इस समिति का कार्य चिकित्सा सम्बन्धी विषयों पर निगम को सलाह देना है। इसमें चिकित्सा सम्बन्धी विशेषज्ञ होते हैं।

(आ) स्थायी समिति—यह समिति निगम की प्रबंध समिति के रूप में काम करती है। सामान्य प्रशासन तथा निर्देशन का कार्य इसी समिति के द्वारा किया जाता है। प्रशासन का दायित्व निगम के प्रमुख संचालक पर होता है। प्रमुख संचालक की सहायता के लिए मुख्य अधिकारी होते हैं।

(ग) अर्थ प्रबंधन—प्रथम पांच वर्षों में चिकित्सा आदि पर जो शासकीय व्यय हुआ उसका ६६.३% केन्द्रीय सरकार तथा ३३.३% राज्य सरकारों द्वारा दिया गया। निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर जो व्यय होगा उसकी व्यवस्था के लिए एक निधि बनायी गयी है। नियोजक तथा धर्मिकों का चंदा केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों का अनुदान तथा अर्थ साधनों से प्राप्त सहायता इस निधि में जमा की जाती है। नियोजक अपने कारखानों में काम करने वाले सभी धर्मिकों की कुल मजदूरी का ०.७५% चंदा के रूप में देते हैं। जिन क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत सुविधाएँ दी जा रही हैं वहाँ यह चंदा सम्पूर्ण मजदूरी का १.२५% होता है। निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के लिए जमा किए जाने वाले अनुदान का ज्ञान होता है

कर्मचारियों का औसत दैनिक वेतन	कर्मचारियों का अनुदान	नियोजकों का अनुदान	कुल अनुदान
१ ०० ०० से कम	—	० ४४	० ४४
१ ०० ०० से १ ५० ०० के बीच	० १२	० ४४	० ५६
१ ५० ०० से २ ०० ०० के बीच	० २५	० ५०	० ७५
२ ०० ०० से ३ ०० ०० के बीच	० ३७	० ७६	१ १३
३ ०० ०० से ४ ०० ०० के बीच	० ५०	१ ००	१ ५०
४ ०० ०० से ६ ०० ०० के बीच	० ६६	१ ३७	२ ०६
६ ०० ०० से ८ ०० ०० के बीच	० ९४	१ ८७	२ ८१
८ ०० ०० से अधिक	१ २५	२ ५०	३ ७५

धार्मिकों को बीमारी अथवा प्रमृति लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसने कम से कम २६ सप्ताह तक चंदा दिया हो। अयोग्यता तथा आधित लाभ प्राप्त करने के लिए चंदा सम्बन्धी कोई शर्त नहीं है।

(घ) योजना के अंतर्गत लाभ—इस योजना के अंतर्गत पांच प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं जो निम्नलिखित हैं

(अ) चिकित्सा लाभ—प्रत्येक बीमा प्राप्त कर्मचारी के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था की जाती है। यदि नियोजक तथा राज्य सरकार चाहे तो चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ कर्मचारियों के परिवार के अर्थ सदस्यों को भी दी जा सकती हैं।

(आ) बीमारी लाभ—यह लाभ वयस ८ सप्ताह तक प्राप्त होता है। लाभ की दर मासांतिक मजदूरी का ५३ है। बीमारी प्रारम्भ होने पर प्रथम दो दिनों तक कोई लाभ नहीं मिलता।

(इ) प्रसूति लाभ—यह लाभ १२ सप्ताह तक प्राप्त होता है जिसमें से लाभ की अवधि बच्चा पैदा होने के पहले ६ सप्ताह से अधिक नहीं होगी। यह लाभ ७५ पैस प्रतिदिन की दर से अथवा बीमारी लाभ की दर (दोनों में जो अधिक हो) प्राप्त होता है।

(ई) अयोग्यता लाभ—स्वायी अयोग्यता की दशा में कर्मचारी को उसकी औसत साप्ताहिक मजदूरी का  $\frac{१}{२}$  भाग मिलता है। अस्वायी अयोग्यता की दशा में अयोग्यता की अवधि तक साप्ताहिक मजदूरी का  $\frac{१}{२}$  भाग मिलता है। आश्रित अयोग्यता की अवस्था में अयोग्यता की प्रकृति के अनुसार श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम की दरों में लाभ प्राप्त होता है।

(उ) आश्रित लाभ—कारखाने में काम करते-करते श्रमिक की मृत्यु हो जाय तो श्रमिक की विधवा को आजन्म या पुनर्विवाह की अवधि तक लाभ प्राप्त होता है। लाभ की दर श्रमिक की विधवा या विधवाओं को साप्ताहिक मजदूरी का  $\frac{३}{४}$  है। श्रमिक के लड़के-लड़कियों को साप्ताहिक मजदूरी का  $\frac{३}{४}$  भाग मिलता है। बच्चों को यह लाभ १५ वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होता है परन्तु यदि वे शिक्षा प्राप्त कर रहे हों तो यह लाभ १८ वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होता है।

(ङ) योजना की प्रगति—कर्मचारी बीमा योजना सर्वप्रथम फरवरी १९५२ में दिल्ली तथा कानपुर में लागू की गयी। उसके पश्चात् यह योजना धीरे-धीरे देश के अन्य भागों में भी लागू की गयी। वर्तमान समय में यह योजना गुजरात के अनिच्छित सभी राज्यों तथा दिल्ली में लागू है। ३१ दिसम्बर, १९६६ तक इस योजना से ३१४ केंद्रों के ३७ ७८ लाख श्रमिक लाभ उठा रहे थे। चिकित्सा की सुविधा सम्बन्धी लाभ उठाने वाले श्रमिकों की संख्या १३६\*४२ लाख थी और यह लाभ प्रदान करने वाले केंद्रों की संख्या २६५ थी। बीमा सुविधा के अन्तर्गत आने वाले परिवारों के लिए ५,८२५ विस्तारों की व्यवस्था है तथा ४४३५ विस्तारों की क्षमता वाले २५ अस्पतालों का निर्माण कार्य जारी है। इन सुविधाओं पर सरकार १९६८ के अन्त तक लगभग ३८ करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है।

बीमा योजना में एक संशोधन द्वारा परिवार की परिभाषा को कुछ उदार बना दिया गया है जिसमें बीमावृत्त स्त्री के आश्रित माता पिता भी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं और चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ (Employees' Provident Fund Act)—यह एक्ट पहली बार सन् १९५२ में ६ प्रमुख उद्योगों पर लागू किया गया—मीनेण्ट, मिगरेट, इन्जीनियरी, लोहा तथा इस्पात, कागज और वस्त्र उद्योग। सन् १९६८-६९ में यह एक्ट १२० उद्योगों पर लागू कर दिया गया जो कम से कम ३ वर्ष पुराने हों तथा जिनमें ५० या अधिक कर्मचारी कार्य करते हों। यह एक्ट उन कारखानों पर भी लागू होता है जो पाँच वर्ष पुराने हों तथा जिनमें कर्मचारियों की संख्या २० या २० से अधिक (परन्तु ५० से कम) हो। ऐसे कारखानों के वे सभी कर्मचारी इस योजना के सदस्य होते हैं जिनकी कुल मिलाकर १ हजार रुपये मासिक से अधिक पारिश्रमिक नहीं मिलता। इस योजना का सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी एक वर्ष लगातार नौकरी में रहा हो या १२ महीने या इसमें कम अन्तर्धि में कम से कम २४० दिन तक वास्तविक रूप से कार्य किया हो।

इस योजना में कर्मचारी अपने कुल पारिश्रमिक का  $\frac{६}{१०}$  प्रतिशत चन्दे के रूप में देता है। नियोजक भी इसी दर से चन्दा देता है। कर्मचारी यदि चाहे तो अपने चन्दे की दर बढ़ाकर  $\frac{८}{१०}$  प्रतिशत तक कर सकता है। कर्मचारी के अवकाश प्राप्त करने पर, मृत्यु अस्वायी अयोग्यता, छूटनी विदेश प्रवास या १५ वर्ष के पश्चात् नौकरी छोड़ने पर सम्पूर्ण संचित राशि व्याज के साथ लौटा दी जाती है। सितम्बर १९६८ में इस योजना का लाभ उठाने वाले सदस्यों की संख्या

५२ ७५ लाख थी। ८१ डब्लोमें में इस योजना में सम्मिलित व्यक्तियों का स्वयं तथा सरकार का अदागत ६ $\frac{1}{2}$  प्रतिशत में बढ़ाकर ८ प्रतिशत कर दिया गया है।

(५) कोयला खान भविष्य निधि एवं कोयला खान भविष्य निधि योजना, १९४८ (The Coal Mines Provident Fund Scheme)—यह योजना जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अतिरिक्त भारत की सभी कोयला खानों पर लागू की गयी है। यह योजना खानों में काम करने वाले मजूरों पर अनिवार्य रूप से लागू की गयी है। वर्तमान समय में नियोजक तथा कर्मचारी दोनों कर्मचारी के कुल मासिक पारिश्रमिक का ८ प्रतिशत (दोनों अलग-अलग) जमा करत हैं। ३१ मार्च १९६८ तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग ३ ६१ लाख कर्मचारी सम्मिलित थे जो १,३५६ कोयले की खानों में सम्मिलित थे। इस योजना के अन्तर्गत ३०० रुपय मासिक तक वेतन पान वाले कर्मचारी आत हैं। बचावनी जाय का  $\frac{1}{2}$  भाग तक वापस प्राप्त करने हैं।

इस प्रकार भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ निम्नलिखित रूप ग्रहण कर रही हैं। इस दिशा में अब तक जो प्रयत्न हुए हैं वे सहायनीय हैं किन्तु वे अत्यन्त कम हैं। योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाली लाभ की मात्रा भी कम है। कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना उस समय तक पूर्ण नहीं कही जा सकती जब तक कि बेरोजगारी लाभ (Unemployment Benefit) भी न प्राप्त हो। मन् १९५८ में निम्न नाम 'जिन सुरक्षा अधिनियम दफ (मनन समिति) ने सुझाव दिया था कि देश में प्रचलित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी समस्त योजनाओं का एकीकरण किया जाय तथा एक ही केन्द्रीय संस्था द्वारा सामाजिक सुरक्षा का प्रवर्धन किया जाना चाहिए। भारत समाजवादी समाज की ओर प्रसरण हो रहा है। समाजवादी समाज का उद्देश्य समस्त नागरिकों के कल्याण में अग्रिमतर वृद्धि करना तथा सामाजिक न्याय दिनाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रिटेन की वरिष्ठ योजना की तरह भारत में भी एक विस्तृत सामाजिक सुरक्षा योजना की आवश्यकता है तभी देश में समाजवादी समाज की स्थापना का स्वप्न साकार हो सकता है।

(६) बेरोजगारी बीमा योजना (Unemployment Insurance Scheme)—सूचीय पञ्चवर्षीय योजना में बेरोजगार बीमा योजना के लिए २ करोड़ रुपय की व्यवस्था की गयी थी। इस राशि का प्रयोग करने के लिए भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा विभाग में बेरोजगारी बीमा की एक योजना बनायी है जिसे शीघ्र लागू करने का विचार है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं

(१) स्तर—उस योजना के अन्तर्गत नियोजित भविष्य निधि योजना (Employees' Provident Fund Scheme) तथा कोयला खान भविष्य निधि योजना (Coal Mines Provident Fund Scheme) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले ४५ लाख श्रमिकों में से स्वयं सभी श्रमिक सम्मिलित किए जा रहे हैं जिनका मासिक वेतन ५०० रुपय से अधिक नहीं है। इस प्रकार प्रारम्भ में लगभग १५ लाख श्रमिक इस योजना में लाभान्वित होंगे।

(२) कौप—बेरोजगारी बीमा योजना के प्रारम्भिक कौप की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा का जायगी और इसका मात्रा २ करोड़ रुपये होगी।

(३) निर्धारित आय—योजना के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक अपने नियमित वेतन का ५ प्रतिशत दण तथा उसक समान राशि की व्यवस्था श्रमिकों (नियोक्ताओं) द्वारा की जायेगी। आशा है कि इस प्रकार इस योजना के कौप में प्रति मास ३० लाख रुपय की राशि जमा होगी।

(४) लाभ की मात्रा—यदि किसी श्रमिक का नौकरी में हटा दिया जायगा तो नौकरी छोड़ने की तिथि में ही उस प्रति मास उसक तत्कालीन वेतन की आधी रकम मिलनी आरम्भ हो जायेगी। यह सहायता एक वर्ष में छह मास में अधिक समय के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेगी। यदि श्रमिक का दूसरी बीब नौकरी मिल जाय तो यह सहायता बन्द कर दी जायेगी।

(५) आवश्यक शत—बेरोजगार बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक श्रमिक को रोजगार दफ्तर (Employment Exchange) में नाम दर्ज कराना अनिवार्य है। ज्यों ही उसे रोजगार मिल जायेगा, बीमा की सहायता बन्द कर दी जायेगी। यदि कोई बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्रस्तावित नौकरी स्वीकार नहीं करेगा तो भी सहायता बन्द हो जायेगी। स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने वाले व्यक्तियों अथवा रिटायर होने वाले श्रमिकों को भी इस योजना का लाभ उपलब्ध नहीं हो सकता।

(६) संचालन—इस योजना का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। इस पर होने वाला व्यय सरकार ही वहन करेगी। श्रमिकों को प्राप्त होने वाली रकम बेरोजगारी बीमा कोष में से दी जायेगी जो श्रमिक एव मालिकों द्वारा (बेनन के २ प्रतिशत) प्रदत्त राशि में निमित्त होगा। यदि श्रमिकों को कोष की राशि से भी अधिक रकम भुगतान में देनी पड़े तो उमकी व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की जायेगी।

उपर्युक्त विवरण में स्पष्ट है कि भारत में यद्यपि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये गए हैं परन्तु विभिन्न पश्चिमी देशों की तुलना में ये प्रचलन नगण्य हैं। वस्तुतः एक अल्प विवक्षित देश, इस क्षेत्र में अधिक प्रगति करने की क्षमता भी नहीं रखता है। Dr Gunnar Myrdal के शब्दों में, "A poor under-developed country cannot, in the early stages of economic development, really afford much of the type of redistributive measures which in advanced countries are known under the label of 'Social Security' "

## २ श्रम-कल्याण (LABOUR WELFARE)

'श्रम-कल्याण' शब्द का प्रयोग परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न अर्थों में किया जाता है। इसका अर्थ बहुत ही लचीला है। शाही श्रम आयोग (Royal Commission on Labour) के अनुसार, 'यह एक शब्द है जो आवश्यक रूप से लचीला होना चाहिए जो प्रत्येक देश में वहाँ की सामाजिक स्थिति औद्योगीकरण की सीमा तथा श्रमिकों के औद्योगिक विकास स्तर के अनुसार होगा।' एच० एम० किर्किन्डी के शब्दों में, "श्रम-कल्याण का सम्पूर्ण क्षेत्र ऐसा है जिसमें औद्योगिक श्रमिकों की निराशा की भावना को दूर करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को उत्तम करने के लिए आत्म-अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करने के लिए, दूमरों की अपेक्षा आगे बटन को क्षेत्र प्रदान करने के लिए तथा उन्हें जीवन की विन्मृत धारणा में सहायता प्रदान करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है।" सामान्यतः 'श्रम-कल्याण' उन क्रियाओं को कहते हैं जो किसी उद्योग के आसपास अथवा उद्योग के क्षेत्र में स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर वातावरण में काम करते हुए श्रमिक अपने नैतिक स्तर को अच्छा रख सकें।<sup>1</sup> इन सभी परिभाषाओं की मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि श्रम कल्याण के अन्तर्गत सरकार, उद्योगपति तथा श्रम संगठनों द्वारा कारखानों के अन्दर तथा बाहर प्रदान की जाने वाली समस्त सुविधाएँ सम्मिलित हैं, जिनका उद्देश्य श्रमिकों का शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक उत्थान करना होता है।

धार्मिक तथा बाह्य सुविधाएँ—श्रम कल्याण सम्बन्धी कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—प्रथम, कारखाने के अन्दर दी जाने वाली सुविधाएँ (intra-mural) तथा द्वितीय, कारखाने के बाहर दी जाने वाली सुविधाएँ (extra-mural)। कारखाने के अन्दर दी

जाने वाली सुविधाओं के अन्तर्गत स्वास्थ्यप्रद वातावरण, सफाई, स्वच्छ पानी, दवा की सुविधाएँ, कंष्टीन, श्रमिकों की शारीरिक सुरक्षा की दृष्टि से किये गये कार्य, जैसे—मशीनों को उचित रूप से ढकना, नौकरी की दशाओं में सुधार, भर्ती प्रणाली में सुधार आदि सम्मिलित हैं। कारखाने के बाहर किये जाने वाले धम-कल्याण कार्यों (extra mural) के अन्तर्गत श्रमिकों के लिए गृह-व्यवस्था, मनोरंजन, शिक्षा, भविष्य जमा निधि, वृद्धावस्था, पेंशन आदि सुविधाएँ सम्मिलित हैं।

धम-कल्याण के क्षेत्र के सम्बन्ध में श्रम जाँच समिति के विचार उल्लेखनीय हैं—“धम-कल्याण कार्यों के अन्तर्गत श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक और आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यों का समावेश होना चाहिए। ये कार्य चाहे नियोजक, सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा किये जायें अथवा साधारण अनुबन्धनारमक सम्बन्ध अथवा विधान के अन्तर्गत जो श्रमिकों को मिलना चाहिए, उसके अतिरिक्त किये गये हों। अन इस्के अन्तर्गत हम गृह व्यवस्था, चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ, अच्छा भोजन (कंष्टीन सहित) आराम और मनोरंजन की सुविधाएँ, सहकारी समितियाँ, प्रमूति-गृह तथा झूने, शौचालय, वेतन सहित छुट्टियाँ, सामाजिक बीमा, भविष्य निधि, सेवा-निवृत्त वेतन आदि सुविधाओं का समावेश कर सकते हैं।

धम-कल्याण की आवश्यकता तथा महत्त्व—श्रमिकों के सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए धम कल्याण सुविधा देनी आवश्यक है। आर्थिक समृद्धि के लिए औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है। श्रमिक के सहयोग के बिना उत्पादन वृद्धि नहीं की जा सकती। श्रमिक का सहयोग सच्चे अर्थों में उसी समय प्राप्त हो सकता है जबकि उसे यथेष्ट सुविधाएँ न प्रदान की जायें जिससे उसे मानसिक चिन्ता से मुक्ति मिल सके। धम कल्याण कार्य श्रमिक को कार्यक्षम तथा शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं जिससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है तथा उसमें नागरिक उत्तरदायित्व की भावना जाग्रत होती है। धम-कल्याण कार्य पर जो कुछ भी व्यय किया जाता है वह मानवीय विनियोजन (investment in man) है जो मशीन, यन्त्र आदि के विनियोजन से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। सन्तुष्ट श्रम शक्ति के द्वारा उत्पादन में आधावर्ती वृद्धि की जा सकती है। धम कल्याण सामाजिक न्याय की आधारशिला है।

धम-कल्याण का श्रमिकों में कर्तव्य भावना जाग्रत करते हैं जिससे औद्योगिक शान्ति का वातावरण बनता है। कार्यक्षमता तथा धम-कल्याण में प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। “यह एक सैद्धांतिक तथ्य है कि प्रत्येक कार्य में कार्यक्षमता का उच्च स्तर पाने की केवल उन्हीं व्यक्तियों से आशा की जा सकती है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं मानसिक रूप से सब प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त हों, अर्थात् जिनको उचित प्रशिक्षण मिला हो, जो यथोचित मकानों में रहते हों, उचित रूप से भोजन करते हों और उचित रूप से वस्त्र पहनते हों।”

भारत में धम-कल्याण कार्य

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में धम-कल्याण कार्य उद्योगपतियों की स्वेच्छा पर निर्भर था। केवल कुछ प्रगतिशील उद्योगपति ही धम-कल्याण के क्षेत्र में कुछ सुविधाएँ प्रदान करते थे। ये सुविधाएँ कर्तव्य नहीं अपितु दयाभावना की प्रतीक थी तथा उनकी मात्रा की बहुत कम थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् धम कल्याण कार्य को वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान समय में भारत में जो धम कल्याण कार्य किये जाते हैं उनका विवरण निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है

- (१) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले धम-कल्याण कार्य,
- (२) नियोजकों द्वारा किये जाने वाले धम-कल्याण कार्य, या
- (३) श्रम-मण्डलों द्वारा किये जाने वाले धम-कल्याण कार्य।

(१) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा किये गये धम-कल्याण कार्य—केन्द्रीय सरकार ने

श्रम-कल्याण के क्षेत्र में जो कार्य किया है, वह मुख्य रूप में वैधानिक अनिवार्यता में सम्बन्धित है। सरकार ने कई ऐसे विधान पारित किये जिनके द्वारा उद्योगपति को श्रम-कल्याण की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन विधानों के द्वारा श्रम-कल्याण उद्योगपतियों की स्पेक्ट्रा या सद्भावना की वस्तु न रहकर वैधानिक अनिवार्यता की वस्तु हो गया है। जिन औद्योगिक संस्थाओं पर कारखाना अधिनियम, १९४८ लागू होता है उनमें कॉस्टीन, आगम गृह, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे कारखानों में श्रम कल्याण अधिकारियों को नियुक्त करना आवश्यक है। य मुविघाएँ पान अधिनियम, १९५२ तथा बगीचा श्रम अधिनियम, १९५१ (Plantation Act 1951) के अन्तर्गत भी अनिवार्य रूप में देनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त कोयला तथा अन्नकरी पानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष नीतियों की स्थापना करना वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने निरीक्षकों की नियुक्ति की है जो यह देखते हैं कि विभिन्न अधिनियमों की धर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

(१) सन् १९४६ में कोयला पान श्रम-कल्याण नीय अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा कोयले की पानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एक स्वतन्त्र संगठन बनाया गया। एक विशेष कोय प्रारम्भ किया गया है, जिसके द्वारा श्रम-कल्याण कार्यों की वित्तीय व्यवस्था की जाती है। इस कोय द्वारा कई केन्द्रीय अस्पताल तथा दाय रोग अस्पताल चलाये जा रहे हैं। पानों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए भी योजना बनायी जा रही है। गृह निर्माण के लिए अनुदान तथा मृण दिया जाता है। इस कार्य के लिए एक कोय निर्माण किया गया है जिसमें कोयल पर ४६.२१ पैसे प्रति मेट्रिक टन की दर पर लगाये गये कर से रकम जमा होती है। १९६८-६९ में इस कोय में ४०७ लाख रुपये की रकम जमा हुई किन्तु ५२६ लाख रुपये का व्यय करना पड़ा।

(२) सन् १९४६ में अन्नकरी पान-श्रम कल्याण कोय अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा भी एक कोय प्रारम्भ किया गया है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी मुविघाओं की वित्तीय व्यवस्था की जाती है। इस कोय की रकम अन्नकरी के निर्यात पर लगाये गये विशेष कर से प्राप्त होती है। वर्तमान में इस विशेष कर की दर २३ प्रतिशत है। इसके द्वारा चार अस्पताल बनाये जा चुके हैं तथा कई लघु चिकित्सालय तथा जच्चा-पच्चा केन्द्र चलाये जा रहे हैं। कोय के द्वारा कई प्रारम्भिक स्कूल खोले गये हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी है तथा पुस्तकें निशुल्क दी जाती हैं। सन् १९६८-६९ में इस कोय की आय तथा व्यय क्रमशः ३० लाख व ४२ लाख रुपये थी।

(३) सन् १९३१ में The Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act पास किया गया। इसके द्वारा लोहे की पानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण कार्यों के हेतु एक कोय प्रारम्भ किया गया है। इस कोय में लोहे के खनन पर २५ पैसे प्रति टन विशेष कर लगाया गया है। इस कोय में लोहा पानों में काम करने वाले मजदूरों को चिकित्सा, आवास, शिक्षा और मनोरंजन की मुविघाएँ दी जाती हैं।

(४) सन् १९५२ में पान अधिनियम द्वारा पानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नियम बनाये गये हैं। एक 'राष्ट्रीय पान सुरक्षा परिषद' की स्थापना की जा रही है जो शिक्षा तथा प्रचार के माध्यम में सुरक्षा के लिए कार्य करेगी।

(५) सन् १९५१ के Plantations Labour Act द्वारा पानों में स्थायी श्रमिकों के लिए आवास व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अस्पताल भी चलाना आवश्यक है। बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है।

(६) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम प्रारम्भ किये गए हैं जिनके द्वारा श्रम-कल्याण कार्यों की वित्तीय व्यवस्था की जाती है।

(७) फंडरियों में सुरक्षा व्यवस्था को उत्तम बनाने की दृष्टि से चार National Safety Awards वापिस दिये जाते हैं। प्रत्येक Award के अन्तर्गत १५ पुरस्कार दिये जाते हैं। 'श्रम-वीर' पुरस्कार भी प्रतिवर्ष ३५ श्रमिकों को दिये जाते हैं।

राज्य सरकारों द्वारा भी श्रम-कल्याण के क्षेत्र में सहायकीय कार्य किये जा रहे हैं। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों ने श्रम-कल्याण के लिए आवश्यक नियम बनाये हैं। राज्यों द्वारा श्रम-कल्याण केन्द्र चलाये जाते हैं, जिनमें शिक्षा मनोरंजन आदि की व्यवस्था की जाती है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में ७ करोड़ रुपये तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में १६.८१ करोड़ रुपये श्रम कल्याण कार्यों पर व्यय किये गये। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम कल्याण कार्यों के लिए ७१.०८ करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन था। १९६१-६६ काल में श्रम-कल्याण तथा प्रशिक्षण पर लगभग ५६ करोड़ रुपये व्यय किये गये तथा १९६६-६९ में इस मद पर ३६ करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी। चतुर्थ योजनाकाल (१९६९-७४) में इस मद पर ३७ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया गया है।

(२) नियोजकों द्वारा श्रम-कल्याण कार्य—भारतीय उद्योगपति श्रम कल्याण कार्यों के प्रति उदासीन रहे हैं। वे श्रम-कल्याण कार्य को एक निरर्थक बोझ मानते हैं, फिर वैधानिक आवश्यकताएँ उन्हें श्रम-कल्याण कार्य करने के लिए बाध्य करती हैं। इस सामान्य परिस्थिति के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ उद्योगपतियों ने इस दिशा में सहायकीय प्रयत्न किया है।

(क) सूती वस्त्र मिल उद्योग—उद्योगपतियों द्वारा सूती वस्त्र मिलों में चिकित्सालय, मनोरंजन केन्द्र, वाचनालय, गिजु गृह तथा बैंडोन आदि स्थापित किये गये हैं। जिन मिलों ने श्रम हितकारी कार्य आरंभ किया है, उनमें दिल्ली कनाथ मिल, एम्प्रेस मिल नागपुर, बिरला काटन मिल, दिल्ली, बकिंगम एव कनाटक मिल, तमिऴनाडु तथा मदुरा मिल आदि उल्लेखनीय हैं।

(ख) जूट उद्योग—जूट मिलों के श्रमिकों के लिए जूट मिल सभ ने हितकारी कार्य किया है। इस सभ ने पाँच स्थानों पर श्रम-कल्याण केन्द्र खोले हैं। वर्तमान समय में ६५ जूट मिलों में कैंटीन, ६७ जूट मिलों में चिकित्सालय, १३ मिलों में माटु-गृह, ५३ मिलों में गिजु गृह, ३२ मिलों में स्कूल तथा २२ मिलों में मनोरंजन केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

(ग) चीनी उद्योग—चीनी के सभी बड़े कारखानों में चिकित्सालय की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त स्कूल, मनोरंजन केन्द्र, बैंडोन आदि सुविधाएँ भी उपलब्ध होनी हैं।

इसी प्रकार ऊनी वस्त्र उद्योग, इञ्जीनियरी उद्योग, वागान उद्योग तथा शानो में श्रम हितकारी कार्य किये गये हैं।

(३) श्रम सघों द्वारा किये गये श्रम-कल्याण कार्य—भारत में श्रम सघों के पाम धन का अभाव है। इसके अतिरिक्त उन्होंने रचनात्मक कार्यों पर बहुत कम ध्यान दिया है। अतः श्रम-कल्याण के क्षेत्र में श्रम सघों द्वारा किये गये कार्य नगण्य हैं। फिर भी कुछ श्रम सघों ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किये हैं। उनमें अहमदाबाद टेकमटाइल वर्कर्स ऐसोसिएशन, मजदूर सभा कानपुर, मिल सभा, इन्दौर तथा फंडरेशन ऑफ इण्डियन लेबर के नाम प्रमुख हैं। अहमदाबाद का सघ अपनी आय का लगभग ३ भाग श्रम-कल्याण कार्यों पर व्यय करता है। फंडरेशन ऑफ इण्डियन लेबर ने उत्तर प्रदेश में ४८ श्रम-कल्याण केन्द्र स्थापित किये हैं।

अन्य देशों के श्रम सघों की तुलना में भारतीय श्रम सघ श्रम-कल्याण के लिए बहुत कम कार्य करते हैं। भारत में उपर्युक्त तीनों एजेन्सियों द्वारा जो श्रम-कल्याण कार्य किये गये हैं उनके



क्षेत्र अत्यन्त सीमित हैं। अतः इस दिशा में सरकार, उद्योगपति तथा श्रम मण्डो को और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। श्रमिक देश के औद्योगिक ढाँचे के आधारस्तम्भ हैं, अतः जब तक उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जायेगा, व हादिक मह्योग नहीं दे सके। श्रम भी उद्योग-पति श्रम हितकारी कार्यों की उपयोगिता से अनभिज्ञ हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि "मशीनों का महत्त्व मानव जीवन में अधिक नहीं है, श्रमिक परिवार के कष्टों से लाभ अधिक पवित्र नहीं है, कार्यरत कर्मचारी की गुणवत्ता व समझ लाभार्थी की प्राथमिकता नहीं है। यन्त्रों पर आश्रित नियन्त्रण यह अधिकार नहीं प्रदान करता कि उद्योग में कार्य करने वाले मजदूर (श्रमिक) को उगने द्वारा उत्पादित वस्तु में उचित हिस्से से वंचित किया जाय तथा इतना उमनी कोई उचित आयाज न हो।" समाजवादी समाज की रचना के लिए अधिक उत्पादन की आवश्यकता है। श्रम उत्पाण सामाजिक न्याय की एक सीढ़ी है जो इसे समाजवादी समाज के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में सहायक होगी।

### ३. श्रमिकों की गृह-समस्या

भारत में श्रमिकों की गृह-समस्या एक गम्भीर समस्या है। श्रमिकों की सहाय में औद्योगीकरण के कारण तेजी से वृद्धि हुई है परन्तु गृह-निर्माण की प्रगति बहुत धीमी रही है। शहरो की बढ़ती हुई जनसंख्या ने इस समस्या को और भी गम्भीर बना दिया है। औद्योगिक केन्द्रों में मकान बनाने के लिए जमीन तब नहीं मिलती। श्रमिक किसी प्रकार अपनी गुजर बरतते हैं। बड़े शहरो में मजदूर तिस प्रकार के मकानों में रहते हैं, उन्हें मकान की मज्जा नहीं दी जा सकती। बम्बई में श्रमिकों के आवास तथा वानपुर में उनके अहाने जीवित नरक के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उनके कमरो में वायु तथा प्रकाश का प्रवेश बड़ी कठिनाई में होता है। कुछ मकानों में तो प्रकाश का प्रवेश प्रायः निषिद्ध है। एक ही कमरे में श्रमिक पशुओं को भी भालि ठंढाकर भरे रहते हैं। अत्यन्त अस्वास्थ्यकर वातावरण के बीच, एक एक छोटे कमरे में अनन्य श्रमिक रहते हैं। स्वर्गीय प० जवाहरलाल नेहरू ने वानपुर में श्रमिकों की बस्तियों का निरीक्षण करते हुए सन् १९५२ में कहा था, "भारतीय श्रमिकों की निवास समस्या बहुत ही जटिल है तथा उनके रहने के स्थान मेंली कुर्ची की गनी से अच्छे नहीं कहे जा सकते।" शाही श्रम आयोग ने वानपुर के अज्ञातों के सम्बन्ध में कहा है, "प्रायः प्रत्येक मकान एक एक कमरे का है जिसकी लम्बाई चौड़ाई ८ x १० फुट है। किसी भी कमरे के आगे बरामदा नहीं है और प्रत्येक कमरे में ३-४ परिवार रहते हैं। पक्षी कच्चा है तथा नमी रहती है। वहाँ भी स्वच्छ वायु प्रकाश आदि का प्रबन्ध नहीं है।"

बम्बई में परिस्थिति और भी बदतर है। वहाँ पर ७०% में अधिक मजदूर एक-एक कमरे के मकान में रहते हैं। उन कमरो में श्रमिक गोदाम में मात्र ही भालि भरे रहते हैं। हटने से इनका वर्णन इस प्रकार किया है, "जिसमें दो व्यक्ति भी एक साथ नहीं जा सकते ऐसी तंग गली में घुसने के बाद इतना अंधेरा था कि हाथ से ढूँढ़ने पर दरवाजा मिला। दिन के १० बजे कमरे की यह दशा थी कि उसमें मूयं का प्रकाश त्रिभुज नहीं था। दियामलाई जलाने पर मालूम हुआ कि उस कमरे में भी अनेक श्रमिक रहते हैं।" शाही श्रम आयोग ने बम्बई के श्रमिक आवास-गृह के सम्बन्ध में कहा था, "उन्हें पूर्णतया समाप्त कर देन के अतिरिक्त अन्य सुधार की कोई सुझाव नहीं है।

गरीब शराब व तंग गलियों के बीच वन छोटे, प्रकाशहीन, भीतनमय कमरो में, जिनमें वायु प्रवेश नहीं करती, भारत के श्रमिक निवास करते हैं। स्वर्गीय प० नेहरू ने इन्हें 'नरककुण्ड' की संज्ञा दी थी। ऐसे कमरो में रहने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य व कार्यक्षमता का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। श्रमिकों की बस्तियों गन्दगी, दुर्गन्ध, बीमारी, आचारहीनता अशराब, शराबखोरी तथा प्रगंडों की प्रशय भूमि हैं। डॉ० रात्राकमल मुक्जी ने बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों में कहा है, "भारतीय औद्योगिक केन्द्रों की श्रम बस्तियों की दशा इतनी भयंकर है कि वहाँ मानवता

का विषय होता है, महिलाओं के सतीत्व का नाश होता है तथा देश के भावी आधारस्तम्भ शिशुओं का मना घुटना है।”

गृह समस्या को सुलझाने के प्रयत्न—गन कुछ वर्षों में श्रमिकों की गृह समस्या समाधान की दिशा में कुछ प्रयत्न किये गये हैं। कुछ उद्योगपतियों ने इस दिशा में सराहनीय प्रयत्न किये हैं। कानपुर खालियर अहमदाबाद तथा जमशेदपुर में औद्योगिक सहायता की ओर से श्रमिकों के लिए मकान बनवाये गये हैं परन्तु श्रमिक गृह-समस्या दृढतम जटिल समस्या है कि इन प्रयत्नों से उसका प्रताप समाधान भी नहीं हुआ है। उद्योगपतियों ने इस समस्या के समाधान के लिए कितना प्रयत्न किया है, इसके सम्बन्ध में आवश्यक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतः यहाँ पर केवल सरकारी प्रयत्नों का ही विवरण दिया जा रहा है।

सन् १९४८ की औद्योगिक नीति में यह घोषणा की गयी थी कि आगामी दस वर्षों में श्रमिकों के लिए १० लाख मकानों का निर्माण किया जायेगा। सन् १९४९ में एक औद्योगिक आवास योजना की घोषणा की गयी परन्तु धनाभाव के कारण इस योजना को विशेष सफलता नहीं मिली। इसके पश्चात् सितम्बर १९५२ में राज्य साहाय्य औद्योगिक आवास योजना (Subsidised Industrial Housing Scheme) प्रारम्भ की गयी।

(१) राज्य साहाय्य औद्योगिक आवास योजना—इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ब्याज पर ऋण देती है। राज्य सरकारें इस धन का उपयोग श्रमिकों के लिए मकान बनवाने के लिए हाउसिंग बोर्ड स्थानीय निकायों, उद्योगपतियों तथा औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी समितियों को ऋण देकर करती हैं। यह सहायता केवल उन श्रमिकों को मकान बनाने के लिए दी जाती है जो कारखाना अधिनियम, १९४८ की धारा २ (१) के अन्तर्गत तथा खात अधिनियम, १९५२ की धारा २ (h) के अन्तर्गत आते हैं (कोयला तथा अन्नक की खानों में काम करने वाले श्रमिकों को छोड़कर)। योजना की यह प्रमुख विशेषता है कि सरकार पूरी रकम ऋण के रूप में न देकर कुछ अण अनुदान के रूप में भी देती है। ऋण दीर्घकालीन तथा ब्याज सहित होता है।

जुलाई १९५३ में इस योजना में संशोधन किया गया तथा संशोधित योजना की उल्लेखनीय बातें निम्नलिखित हैं

(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रमिकों के गृह-निर्माण के लिए ५०% ऋण तथा ५०% अनुदान (subsidy) के रूप में दिया जाता है। यह राशि हाउसिंग बोर्ड, स्थानीय निकायों आदि को दी जाती है।

(२) उद्योगपतियों (Industrial Employers) तथा औद्योगिक श्रमिक सहकारी समितियों को कुल व्यय के क्रमशः ७५% तथा ९०% ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। दोनों परिस्थितियों में २५% अनुदान (subsidy) दिया जाता है।

(३) शेष १०% श्रमिक द्वारा दिया जाता है। श्रमिक को यह सुविधा दी गयी है कि वह अपनी भविष्य जमा निधि (Provident Fund) में इस राशि के बराबर ऋण ले सकता है जिसे उसे चुकाने की आवश्यकता नहीं है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक योजना के अन्तर्गत १,४०,००० घरों (tenements) के निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा चुकी थी। इनकी कुल लागत ४५ करोड़ रुपये थी। योजना के अन्त तक लगभग एक लाख घर बन चुके थे।

तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में इसके अन्तर्गत ७३,००० घरों का निर्माण करने की व्यवस्था थी। इसके लिए २९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी।

वर्तमान में कम आमदनी वाले वर्गों के लिए बनाये गये मकान श्रमिकों को प्राथमिकता के

आधार पर दिये जाते हैं। इनका केवल ७५ प्रतिशत मूल्य लिया जाता है जिसे आसान किस्तों में चुकाने की व्यवस्था है। मार्च १९६६ तक इस योजना पर केन्द्र सरकार द्वारा लगभग ६७.०५ करोड़ रुपये की रकम स्वीकृति की जा चुकी है और १,६७,०३२ मकान बनाये जा चुके हैं।

(२) बागान श्रमिक गृह-निर्माण योजना (Plantation Labour Housing Scheme)—बागान श्रम अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत बागानों में रहने वाले श्रमिकों (resident workers) के लिए नियोक्ता द्वारा गृह-निर्माण करना अनिवार्य है। छोटे नियोक्ताओं की सहायता के लिए अप्रैल १९५६ में यह योजना बनायी गयी, जिससे वे अपने दायित्वों का पालन कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत बागान के मालिकों को मकान के सम्भावित मूल्य का ७५ प्रतिशत (२५ प्रतिशत अनुदान तथा ५० प्रतिशत ऋण) दे दिया जाता है। दिसम्बर १९६६ तक इस योजना के अन्तर्गत २,४४३ से अधिक मकान बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी थी और १,६१४ मकान बनाये जा चुके थे। राज्य सरकारें इस योजना पर लगभग ३७.५५ लाख रुपये वितरित कर चुकी हैं।

(३) कोयला तथा अभ्रक की खानों के श्रमिकों के लिए गृह-योजना—द्वितीय योजनाकाल में इन खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अतिरिक्त गृह-निर्माण योजना लागू की गयी है।

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में इसके अन्तर्गत ५०,००० मकान बनाने थे।

(ख) इसके अतिरिक्त केवल कोयला की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ३०,००० मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था।

(ग) इसके अतिरिक्त भी ३०,००० और मकानों का निर्माण किया जाना था। इस अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति के लिए ११.४ करोड़ रुपये की व्यवस्था कोयला खान श्रम-कल्याण निधि से की जानी थी। योजनाकाल में इस निधि से ८ करोड़ रुपये ध्वय किये गये। इसके द्वारा ३,६६८ मकान बनाये गये। प्रथम (अ) के अन्तर्गत ३१,००० मकान श्रमिकों को दिये गये। द्वितीय (आ) के अन्तर्गत लगभग १३,००० मकान बन चुके हैं।

(घ) जहाजी श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण योजना—तृतीय पंचवर्षीय योजना में बन्दरगाहों में काम करने वाले रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण योजना जारी की गयी है। तृतीय योजना में इसके लिए २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी और लगभग ५,००० मकान इस स्कीम के अन्तर्गत बनाये गये।

(ङ) गन्दी बस्तियों की सफाई योजना—यह योजना १९६० में लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के माध्यम से स्थानीय निकायों को आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के अन्तर्गत गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को पुनर्वासि सहायता दी जाती है। यह योजना वर्तमान समय में बम्बई, कलकत्ता, तमिलनाडु, कानपुर, दिल्ली तथा अहमदाबाद में लागू की गयी है। बम्बई तथा कलकत्ता के २५० रुपये मासिक से कम पाने वाले तथा अन्य क्षेत्र में १७५ रुपये मासिक से कम पाने वाले श्रमिकों को यह सहायता दी जाती है। यदि आवश्यक हो तो देश के अन्य शहरों में भी यह योजना कार्यान्वित की जा सकती है। यह योजना १९६८ में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय को हस्तांतरित कर दी गयी।

नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार इस योजना पर ६० लाख रुपये खर्च कर चुकी है। वर्ष के अन्त तक जुलाई के पहले ६,००० प्लॉट तथा जुलाई के बाद ४,००० शिविर स्थान और १,६६० उपवेशी बनाये जाने का मुझाव है।

#### प्रदान

१. 'भारत में श्रम-कल्याण योजनाओं' पर टिप्पणी लिखिए।

(विक्रम, बी० ए०, १९६०, १९६२)

२. भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में निवास-स्थान की समस्या की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ?  
(इलाहाबाद, बी० ए०, १९६१)
३. गत वर्षों में भारत सरकार द्वारा श्रम-कल्याण के क्षेत्र में क्या कार्य किये गये हैं ? क्या ये कार्य सन्तोषजनक हैं ?  
(पटना, बी० ए०, १९६२)
४. क्या सामाजिक सुरक्षा औद्योगिक क्षति प्रदान करेगी ? (इलाहाबाद, बी० ए०, १९६०)
५. भारत में श्रमिकों को उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा के स्वभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।  
(गोरखपुर, बी० ए०, १९६१)
६. कर्मचारी राज्य बीमा विद्यालय तथा कर्मचारी प्रॉविडेंट फण्ड विद्यालय की समीक्षा कीजिए ।  
(सागर, बी० ए०, १९६३)
७. श्रम कल्याण का क्या अर्थ है ? भारत में उद्योगपतियों तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गये श्रम-कल्याण कार्यों का उल्लेख कीजिए ?  
(जबलपुर, बी० कॉम०, १९६३)
८. हतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में किये गये श्रम कल्याण कार्यों की समीक्षा कीजिए । क्या ये कार्य पर्याप्त हैं ?  
(पटना, बी० ए०, १९६३)
९. 'कर्मचारी राज्य बीमा योजना' की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । क्या आप इसे औद्योगिक श्रम के लिए सामाजिक सुरक्षा की सश्रेष्ठ व्यवस्था मानते हैं ?  
(राजस्थान, बी० कॉम० (अन्तिम वर्ष), १९६८)
१०. औद्योगिक श्रमिकों [की कल्याण-वृद्धि के लिए विगत वर्षों में भारत सरकार द्वारा किये गये उपायों का एक निवरण प्रस्तुत कीजिए । क्या यह उपाय पर्याप्त हैं ?  
(राजस्थान, बी० कॉम० (अन्तिम वर्ष), १९७१)

औद्योगिक संघर्ष वर्तमान पूँजीवादी अर्ध-व्यवस्था तथा विशाल उद्योगों की देन है। प्रबन्ध-व्यवस्था में श्रमिकों का स्थान न होने के कारण उद्योगपति तथा श्रमिकों के विचारों में अन्तर बढ़ता जाता है। बड़े पैमाने के उद्योगों में आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। लान की अधिक मात्रा देकर श्रमिक यह अनुभव करता है कि उसका शोषण हो रहा है। अतः वह श्रमिक संघ की ओर उन्मुख होता है। उद्योगपति यह मोचता है कि श्रमिक संघ उसकी मत्ता को हटाने का एक पट्टयण है। अतः औद्योगिक संघर्ष के रूप में श्रमिकों का असन्तोष व्यक्त होता है। हड़ताल, तालाबन्दी, काम से अनुपस्थित होना, मन्द गति से काम करना आदि इस संघर्ष के रूप होते हैं। वस्तुतः औद्योगिक संघर्ष उस बीमारी का लक्षण है जिसे दृढ़त्वने की नहीं, अपितु दूर करने की आवश्यकता है। इसका समाधान श्रमिकों एवं उद्योगपतियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन में निहित है। नियोजन, श्रमिक तथा सरकार तीनों की सहभागिता व प्रयत्न से उचित औद्योगिक शान्ति का वातावरण तैयार किया जा सकता है। असन्तोष क्रान्तिमूलक है अतः इसे दूर करना अत्यावश्यक है।

भारत में औद्योगिक संघर्ष—उद्योगों के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में औद्योगिक संघर्ष की समस्या नहीं थी क्योंकि उद्योगपति संगठित तथा शक्तिशाली थे और श्रमिक कमजोर तथा असंगठित थे। उन्नीसवीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का केवल एक उल्लेखनीय उदाहरण मिलता है जबकि १८७७ में नागपुर की एम्प्रेस मिल में हड़ताल हुई थी। श्रमिकों ने प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् ही हड़ताल की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपनाया। जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि के कारण असन्तोष फैला, रस की क्रांति न श्रमिकों में जागरूकता ला दी तथा अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कारण श्रम संघों को बल मिला। राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने भी श्रम समस्याओं पर विचार करना तथा श्रमिकों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दिया।

सन् १९१६-२० में देश के कुछ उद्योगों में सफल हड़तालें हुईं। सन् १९२८ के पश्चात् आर्थिक मन्दी के समय भी हड़तालों की गर्थीं। सरकार इस समस्या के प्रति उदासीन रही तथा जो कुछ भी किया वह जन-मुरझा तथा कानून की रक्षा के नाम पर किया। सन् १९२६ में शाही श्रम आयोग (Royal Commission on Labour) नियुक्त किया गया जिसके प्रतिवेदन का प्रकाशन सन् १९२१ में हुआ। इस प्रतिवेदन के प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों ने वैधानिक कदम उठाये। सन् १९३०-१९३७ की अवधि नूतन औद्योगिक शान्ति की अवधि थी। परन्तु १९३७-३९ में हड़तालों का तीव्रता लगे गया। इसका प्रमुख कारण प्रांतों में वापसी मन्त्रिमण्डलों

के वनाय जगन में धमिकों में वलगाह की नयी लहर का आना तथा मन्दीवाल में कम की गयी मजदूरी की वरों में वृद्धि की माँग था। मुद्रागत में भारत मुद्रा नियम की धारा ८१ (अ) लागू होना के कारण अर्थशास्त्र औद्योगिक शान्ति रही। मन् १९४२ में धमिकों के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में भाग लेने के कारण कुछ हटनाएँ हुईं।

मुद्रागत तथा मुद्रागतान्तरकाल में हुए औद्योगिक मन्वों का अनुमान निम्नलिखित कारणी में लगाया जा सकता है।

वर्ष	सदियों की संख्या	भाग लेने वाले धमिकों की संख्या (हजार में)	क्षति हुए दिनों की संख्या (दर लाख में)
१९५०	८१४	७२०	१२ ८१
१९६०	१,५८३	९८६	६५४
१९६३	२,८१५	१,४८०	१७१४
१९६८	२,७३६	१,६६१	१७ २४

मन् १९४७ में औद्योगिक सदियों की सङ्ख्या सर्वाधिक थी। मन् १९५५ में बानपुर की नयी वन मन्वों में अतिनवीकरण के विरोध में हुई हड़ताल ऐतिहासिक कही जा सकती है। यह हड़ताल ८० दिन चली थी तथा इसमें ४५,००० धमिकों में भाग लिया था। मन् १९५७ के पश्चात् मन्वों की संख्या में कमी हुई परन्तु क्षति बढ़ती गयी। मन् १९६० व १९६६ जपान-हड़ताल शान्तिपूर्ण बने रहे हैं। इसका कारण राष्ट्रीय सङ्घ की स्थिति था। मन् १९६५, १९६६, १९६७ तथा १९६८ में मन्वों स्तर में वृद्धि के कारण हड़तालों की संख्या बहुत बढ़ गयी।

**औद्योगिक संघर्ष के कारण—**औद्योगिक संघर्ष के प्रमुख कारण आर्थिक हैं। उद्योगिक जैसी ही पर लाभ प्राप्त करने पर भी धमिकों की मजदूरी में वृद्धि नहीं करने। जीवन निर्वाह स्तर में वृद्धि के कारण धमिकों के जीवन-निर्वाह नहीं कर पाते। इन के उच्च दर पर मजदूरी की माँग करते हैं। उद्योगिक धमिकों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण नहीं अमानते। धमिकों को बर्बाद है कि उनका शोषण हो रहा है। कमी-कमी काम करने की शर्तों, छुट्टियों, छुट्टी आदि के कारण भी हड़तालों होती हैं। परन्तु मुख्यतया इन मन्वों के कारण आर्थिक ही होते हैं। सामान्य हड़तालों के मुख्य कारण निम्नलिखित होते हैं।

(१) मजदूरी, भत्ता, बोनस आदि—औद्योगिक संघर्ष का मूल कारण मजदूरी, भत्ता आदि हैं। मन्वों में वृद्धि के कारण जीवन निर्वाह स्तर में वृद्धि हो जाती है। अतः धमिक मजदूरी में वृद्धि की माँग करते हैं। भारत में मजदूरी मोरबाड़ी के आकार पर निर्भर हो जाती है, धमिक उच्च मजदूरी की माँग करते हैं। परन्तु औद्योगिक संघर्ष होता है। पहले बोनस स्केजमूवमेंट उद्योगिकों द्वारा दिया जाता था परन्तु अब मजदूर बोनस को अपनी सामान्य मजदूरी का एक भाग हैं। अब कम लाभ का दिनकृत लाभ न होने का वर्य में भी वे बोनस की माँग करते हैं।

(२) रोजगार व छुट्टी—रोजगार व छुट्टी सम्बन्धी कारण अत्यन्त-भयानक तथा अनेक मन्वों के प्रति महानुभव के प्रतीक हैं। अनुमान के कारण भी यदि कुछ धमिकों की छुट्टी की जाती है तो मजदूर हड़ताल का सहारा लेते हैं। कभी उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के विरोध में भी हड़तालों की जाती हैं। अन्त-मन्वों की स्वीकृति न देने के कारण भी हड़तालों होती हैं।

(३) छुट्टी व काम के घण्टे—काम के घण्टों में कमी की माँग, किसी सामाजिक या धार्मिक अवसर पर छुट्टी की माँग या कुछ धमिकों को छुट्टी देने में महानुभव न दिवाने के कारण भी हड़तालों होती हैं। परन्तु इन कारणों से हुई हड़तालों की संख्या मजदूर कम रही है।

(४) भर्तों प्रणाली—भारत में मजदूरों की भर्ती मध्यस्थों के द्वारा की जाती है अतः कभी मध्यस्थों की सहनुभूति या कभी उनके विरोध में हड़ताल होती है।

(५) धम-सघ—भारतीय श्रमिक सघ विन्वसारमक कार्यों में अधिक विश्वास रखते हैं। हड़ताल का प्रयोग वे अन्तिम नहीं बल्कि प्रथम प्रश्न के रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त धम-सघों के बाहुल्य ने उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित किया है। प्रत्येक सघ अपने प्रतिस्पर्द्धा पर सर्वस्व प्राप्त करने के लिए अपने सदस्यों की नयी माँगों का मृजन कर हड़तालों का आह्वान करता है।

(६) स्वायंपूर्ण नेतृत्व तथा राजनीति—श्रमिक सघों का मार्ग-दर्शन राजनीतिक नेताओं द्वारा किया जाता है और अशिद्धि होना क वारण श्रमिक नेताओं के बहुवाक्य में आ जाते हैं। नेता प्रायः अपनी स्वायसिद्धि क लिए हड़ताल कराते हैं।

(७) काम करने की दशाएँ—कारखानों के अन्दर काम करने की असन्तोषजनक दशाएँ भी हड़तालों का कारण बन जाती हैं। बहुत-से कारखानों का वातावरण स्वास्थ्यकर नहीं है अथवा श्रमिकों के लिए उचित गृह-व्यवस्था नहीं है। अतः काम करने की उचित दशाओं की माँग को लेकर भी हड़तालें होती हैं।

(८) प्रबन्ध सम्बन्धी कारण—शोषपूर्ण प्रयत्न व्यवस्था या श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में कोई भाग न लेने देने के कारण भी हड़तालें होती हैं। मिल-मालिक मजदूरों को छोटे-छोटे कारणों पर परेशान करते रहते हैं। उन प्रबन्धकों के दुर्बन्धकार के विरोध में हड़तालें होती हैं।

औद्योगिक शान्ति की दिशा में प्रयत्न—भारत में औद्योगिक सघर्ष को रोकने के लिए तथा औद्योगिक सघर्ष की स्थिति में शान्ति स्थापित करने के लिए कुछ सराहनीय प्रयत्न किये गये हैं। इन प्रयत्नों का अध्ययन निम्नलिखित दो शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

(I) औद्योगिक सघर्षों के निवटारे सम्बन्धी प्रयत्न, और

(II) औद्योगिक सघर्षों को रोकने सम्बन्धी प्रयत्न।

(I) सघर्ष के निवटारे के लिए प्रयत्न—औद्योगिक सघर्षों को रोकने एवं औद्योगिक शान्ति स्थापित करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं

(१) धम विवाद अधिनियम (Trade Disputes Act, 1929)—भारत में सन् १९२९ तक औद्योगिक झगडों के निवटारे के लिए कोई भी कार्य नहीं गया था। मिल-मालिकों तथा श्रमिकों के पारस्परिक समझौतों के द्वारा ही झगडों को रोकना जा सकता था। सन् १९२९ में Indian Trade Disputes Act पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार मिला कि वह धम सम्बन्धी झगडों को समझौता बोर्ड (Board of Conciliation) या स्थायी जाँच अदालतों (Ad-hoc Courts Enquiry) को सौंप सकती है।

(अ) समझौता बोर्ड—अधिनियम के अन्तर्गत समझौता बोर्डों की स्थापना की गयी। समझौता बोर्ड झगडे के दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न करते थे। समझौता होने की स्थिति में वे सरकार को अपनी रिपोर्ट भेज देने थे।

(आ) अस्थायी जाँच अदालत—औद्योगिक झगडा होने पर अस्थायी जाँच अदालत की नियुक्ति की जाती थी। अदालतें औद्योगिक झगडों की जाँच करती थी तथा अपनी रिपोर्ट समझौता बोर्ड के पास भेजती थी।

(इ) अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी थी कि सार्वजनिक हित सम्बन्धी उद्योगों (Public Utilities Services), जैसे—विद्युत, जल पूर्ति, रेल, डाक-तार आदि में हड़ताल के लिए १४ दिनों की पूर्व सूचना देना आवश्यक था।

कर्मियों—इस अधिनियम में झगडों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके

अनिरिक्त समझौता वोटों या जांच अदालतों के निर्णय को बायांन्वित करने के लिए सरकार को अधिकार नहीं था। समझौता की कोई स्वयंसी व्यवस्था नहीं थी। बहुत कम मामलों में जांच अदालत का निर्माण किया गया। इस अधिनियम की एक मुख्य व्यवस्था यह थी कि इसके द्वारा ऐच्छिक पक्षनिर्णय (Optional Arbitration) के सिद्धान्त को अपनाया गया। सन् १९३८ में इस एक्ट में समझौता किया गया जिसके द्वारा सरकार को समझौता अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ये औद्योगिक झगड़ों में मध्यस्थता करते थे या निश्चयकार का प्रवृत्त कर दे।

द्वितीय महायुद्ध काल में सरकार ने भारत मुरझा अधिनियम की धारा ८१ (अ) लागू की। इस नियम के अनुसार केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को हड़ताल या तानाबन्दी को अर्धप्रतिक घोषित करने का अधिकार दिया गया। सरकार को यह भी अधिकार था कि वह किसी भी औद्योगिक झगड़े को समझौता (Conciliation) या निष्पक्ष निर्णय (Adjudication) के लिए कर दे। इस प्रकार जो निर्णय प्राप्त होता था उसे लागू किया जाता था। निर्णय की अवधि के नियम के परवाना हड़ताल का गैर-कायूनी घोषित कर दिया जाता था। इस नियम के कारण दुर्घ काम में औद्योगिक शान्ति का वातावरण बना रहा। इसके पूर्व बम्बई प्रांत में The Bombay Trade Disputes Conciliation Act, 1934 तथा The Bombay Industrial Dispute Act 1938 पास हुआ परन्तु इन विधानों का अर्थ भारतीय महत्त्व नहीं है।

(२) औद्योगिक सङ्घर्ष अधिनियम, १९४७—इस अधिनियम के अन्तर्गत १९२९ के विधान तथा भारत मुरझा अधिनियम की व्यवस्थाओं को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक सङ्घर्ष के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएँ की गयीं—(क) आन्तरिक व्यवस्था (Internal machinery) और (ख) बाह्य व्यवस्था (External machinery)।

(क) आन्तरिक व्यवस्था—कार्य समितियाँ—औद्योगिक सङ्घर्ष अधिनियम उन सभी औद्योगिक मस्याओं पर लागू किया गया जिनमें १०० या अधिक श्रमिक काम करते हों। औद्योगिक मस्याओं में 'कार्य-समितियाँ' की स्थापना करना अनिवार्य कर दिया गया। समितियों का उद्देश्य श्रम तथा पूँजी के बीच सौहार्द एक सहयोगपूर्ण वातावरण बनाने रखना है। 'समिति' श्रमिकों के हितों पर विचार करती है तथा श्रम व पूँजी में मतभेद होने पर समझौता कराने का प्रयत्न करती है।

(ख) बाह्य व्यवस्था—औद्योगिक झगड़ों के पंजरे के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ बाह्य व्यवस्थाएँ भी की गयीं जिनका विवरण इस प्रकार है :

(i) समझौता अधिकारी—औद्योगिक सङ्घर्ष होने की अवस्था में मानना समझौता अधिकारी को मौका जाता है। समझौता अधिकारी समझौता कराने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार के समझौते का दोनों पक्षों को अनिवार्य रूप से मानना पड़ना है। समझौता न होने की स्थिति में समझौता अधिकारी १४ दिनों के अन्दर अपनी रिपोर्टें सरकार के पास भेजता है। सरकार एम मामलों को समझौता मण्डल या जांच न्यायालय के पास भेज देती है जिसका निर्णय दोनों पक्षों का मान्य होता है।

(ii) समझौता मण्डल—यह मण्डल दो माह के अन्दर समझौता कराने का प्रयत्न करता है। इसके द्वारा किंचित समझौते दोनों पक्षों को कम से कम ६ माह या दोनों पक्षों की सहमति से अधिक दिनों के लिए लागू होते हैं। समझौता न होने की अवस्था में वोटें भरना प्रतिवेदन सरकार के पास भेज देता है।

(iii) जांच न्यायालय—यह न्यायालय औद्योगिक सङ्घर्ष के विषय में आवश्यक जांच करेगा तथा ६ माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सरकार के पास भेजते हैं।

(iv) औद्योगिक न्यायालय—ये न्यायालय औद्योगिक सङ्घर्षों का निर्णय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय हैं। औद्योगिक न्यायालय में हार्दिकोर्ड जज या त्रिना जज के पद के दो या दो से



अधिक सदस्य होते हैं। औद्योगिक झगड़े सरकार द्वारा इन न्यायालय को सौंपे जाते हैं। न्यायालय का निर्णय दोनों पक्षों को अनिवार्य रूप में मानना पड़ता है।

सार्वजनिक उपयोगिता के उद्योगों में हड़ताल—सन् १९४७ के अधिनियम के अन्तर्गत उपर्युक्त आन्तरिक तथा बाह्य व्यवस्थाओं के अतिरिक्त हड़ताल आदि के सम्बन्ध में भी नियम बनाये गये हैं। अधिनियम के अन्तर्गत साधारण तथा सार्वजनिक उपयोगिता में भेद किया गया है। जनोपयोगी उद्योगों, जैसे हाक-तार, रेलवे, बिजली आदि की पूर्ति में ६ सप्ताह की पूर्ण-सूचना देना अनिवार्य है। झगड़ा विचाराधीन होने की अवस्था में या अदालतों कार्यवाही के बीच में या निर्णय के २ माह के अन्दर हड़ताल या तालाबन्दी गैर-कानूनी होगी जो विधान के अनुसार दण्डनीय है। सार्वजनिक उपयोगिता के उद्योगों में झगड़े की अवस्था में सरकार किसी भी समय हस्तक्षेप कर सकती है परन्तु अन्य उद्योगों में झगड़ों को निबटारे के लिए सरकार उसी समय हस्तक्षेप कर सकती है जबकि झगड़े से सम्बन्धित दोनों पक्षों का बहुमत सरकार से इस सम्बन्ध में प्रार्थना करे।

अपील अदालत—१९४७ के अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायालयों की स्थापना की गयी थी। परन्तु एक ही समस्या पर विभिन्न न्यायालयों ने अलग निर्णय दिये। इससे सन्देह का वातावरण तैयार हो गया। अपील के लिए कोई औद्योगिक न्यायालय नहीं था, अतः सन् १९५० में Industrial Disputes (Labour Appellate Tribunal) Act पास किया गया। इसके अन्तर्गत Appellate Tribunal की स्थापना की गयी। इस ट्रिब्यूनल में औद्योगिक न्यायालयों तथा मजदूर बोर्डों के फर्मल के विरुद्ध अपीलें सुनी जाती हैं। श्रम सघों में इस प्रकार की व्यवस्था का विरोध किया। श्रमिक पूर्व अवस्था को ही बनाये रखना चाहते थे अतः सरकार ने Appellate Tribunal को समाप्त करने का निश्चय किया। पञ्चम्वरूप Industrial Disputes (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 1956 पास किया गया।

(३) औद्योगिक सघर्ष (सशोधन एवं मिश्रित प्रावधान) अधिनियम, १९५६—इस एक्ट का औद्योगिक सघर्ष के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसने अन्तर्गत तीन प्रकार की अर्द्ध न्यायिक समस्याओं की स्थापना की गयी। राज्य स्तर पर औद्योगिक न्यायालयों को कायम रखा गया तथा इसके अतिरिक्त दो और न्यायालय बनाये गये। एक्ट में अन्तर्गत त्रिस प्रणाली को अनाया गया उसे त्रिमूर्तीय प्रणाली (Three tier System of Labour Tribunals) कहते हैं। ये तीनों समस्याएँ अलग अलग कार्य करती हैं तथा एक समस्या में दूसरी समस्या में अरिल नहीं की जाती। यह स्मरणीय है कि अब भी हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। वर्तमान समय में औद्योगिक सघर्षों का निर्णय १९५६ के एक्ट के अनुसार ही किया जाता है, अतः औद्योगिक शान्ति के लिए वर्तमान समय में निम्नलिखित व्यवस्था है (सन् १९६५ में इस एक्ट का पुनः सशोधन किया गया, जिसे १ दिसम्बर, १९६५ में लागू किया गया, परन्तु इस सशोधन द्वारा औद्योगिक शान्ति को व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं पड़ा)।

वर्तमान समय में औद्योगिक शान्ति के उपकरण—सन् १९५६ के एक्ट के अन्तर्गत तीन प्रकार के श्रम न्यायालयों की व्यवस्था की गयी—(१) श्रम न्यायालय, (२) राष्ट्रीय न्यायालय, तथा (३) औद्योगिक न्यायालय। इन तीन न्यायालयों के अतिरिक्त भी औद्योगिक शान्ति के लिए कुछ व्यवस्थाएँ हैं, जो पहले से चली आ रही हैं। वर्तमान में भारत में औद्योगिक शान्ति के क्षेत्र में निम्नलिखित व्यवस्था है

- (१) कार्य समितियाँ (Works Committees),
- (२) समझौता अधिकारी (Conciliation Officer),
- (३) समझौता मण्डल (Board of Conciliation),
- (४) जाँच न्यायालय (Court of Enquiry),

(५) श्रम न्यायालय (Labour Courts),

(६) औद्योगिक न्यायालय (Industrial or State Tribunals), और

(७) राष्ट्रीय न्यायालय (National Tribunals) ।

इनमें से क्रम-संख्या १ से ४ तक न्यायालयों की व्यवस्था सन् १९४७ के औद्योगिक सघर्ष अधिनियम के समय से ही चली आ रही है। सन् १९५६ के अधिनियम में तीन प्रकार के न्यायालयों (क्रम संख्या ५, ६ और ७) की व्यवस्था की गयी। इनमें से भी औद्योगिक न्यायालय पहले से ही चले आ रहे हैं। इन तीनों का व्योरा निम्नलिखित है

**श्रम न्यायालय**—राज्य सरकार एक या एक से अधिक श्रम न्यायालयों की नियुक्ति कर सकती है। ऐसे न्यायालय में एक न्यायाधीश होता है जो कम से कम ७ वर्षों का न्यायिक अनुभव रखता हो। ऐसे न्यायालय कम से कम समय में अपने निर्णय की सूचना राज्य सरकार को देगे। ये न्यायालय निम्न मामलों के सम्बन्ध में अपना निर्णय देते हैं—नियोजक की आज्ञा का अर्थ तथा वैधानिक हड़ताल तथा तालाबन्दी का औचित्य आदि।

**औद्योगिक न्यायालय**—राज्य सरकार एक या अधिक ऐसे न्यायालयों का सगठन कर सकती है। ऐसे न्यायालयों में एक जज होगा जो हाईकोर्ट जज की समता का होगा। यह न्यायालय मामलों की जांच करेगा तथा अपने निर्णय की सूचना राज्य सरकार को देगा। जिन विषयों पर यह न्यायालय निर्णय दे सकता है वे इस प्रकार हैं—मजदूरी भत्ता, काम करने के घण्टे, विश्राम, अवकाश, मजदूरी के साथ छुट्टी, छुट्टी के दिन, बीनस लाम में हिस्सा, अनुशासन के नियम, मजदूरी की छंटनी, अभिनवीकरण तथा अन्य मामले।

**राष्ट्रीय न्यायालय**—केन्द्रीय सरकार एक या एक से अधिक न्यायालय सगठित कर सकती है। ऐसे न्यायालय उन मामलों पर निर्णय देगे जो राष्ट्रीय महत्त्व के होंगे या ऐसे औद्योगिक संस्थानों के मामले जो एक से अधिक राज्यों में स्थित हों। इस न्यायालय में हाईकोर्ट के न्यायाधीश होता है। न्यायालय अपने निर्णय की सूचना केन्द्रीय सरकार को देता है।

इस प्रकार वर्तमान समय में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए समझौता तथा न्यायिक निर्णय दोनों की व्यवस्था है। समझौते के प्रयत्न सफल न होने पर न्यायालयों की शरण ली जाती है। इन न्यायालयों के निर्णय दोनों पक्षों द्वारा मान्य होते हैं।

औद्योगिक सघर्षों को रोकने के लिए सन् १९५६ के औद्योगिक सघर्ष अधिनियम में कुछ औद्योगिक व्यवस्थाएँ की गयी हैं जो निम्नलिखित हैं

(१) कोई भी नियोजक श्रमिकों को २१ दिन की पूर्व सूचना दिये बिना उनकी मजदूरी, काम के घण्टे आदि में परिवर्तन नहीं कर सकता।

(२) इस एक्ट के अन्तर्गत उन समस्त कर्मचारियों को श्रमिक माना गया है जो ५० रुपये तक मासिक वेतन पाते हैं।

(11) औद्योगिक सघर्षों को रोकने सम्बन्धी प्रयत्न—उपरोक्त व्यवस्थाओं का उद्देश्य झगड़ों के सम्बन्ध में निर्णय देना है परन्तु ऐसे निर्णयों के कारण श्रमिकों में कभी कभी असंतोष फैलता है। अतः कुछ वर्षों में सरकार द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाये गये हैं जिनमें औद्योगिक सघर्ष उत्पन्न होने की परिस्थिति ही पैदा न हो तथा औद्योगिक शान्ति बनाये रखी जा सके। इन प्रयत्नों का एक उद्देश्य औद्योगिक प्रजातन्त्र की भी स्थापना करना है जिससे श्रमिक अपने को उद्योगों में साझेदार समझ सकें। ऐसे प्रयत्नों में निम्नलिखित प्रमुख हैं

(१) अनुशासन सहिता (The Voluntary Code of Discipline)—सन् १९५७ में भारतीय श्रम सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अन्तर्गत नियोजकों तथा श्रमिकों से यह आशा रखी गयी कि वे पारस्परिक समझौते तथा विचार-विमर्श द्वारा अपने झगड़ा तथा

शिकायतों को दूर करेंगे। इसी संहिता में पारस्परिक विचार विमर्श समझौता तथा ऐच्छिक मध्यस्थता (mutual negotiations, conciliation and voluntary arbitration) पर जोर दिया गया। संक्षेप में, इस संहिता के अन्तर्गत निम्नलिखित नियम बनाये गये

- (१) बिना पूर्व-सूचना के हड़ताल या तालाबन्दी नहीं की जा सकती।
- (२) किसी औद्योगिक मामले में एकपक्षीय कार्य नहीं किया जा सकता।
- (३) श्रमिक 'कार्य धीरे करें' के नियम को नहीं अपनायेंगे।
- (४) उद्योग की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- (५) हिंसा, धमकी, उत्पीड़न तथा अगण्य भड़काने वाले कार्य नहीं किये जायेंगे।
- (६) औद्योगिक झगड़ों के निवटारे के लिए जो वर्तमान व्यवस्था है उसका पूर्णतया उपयोग किया जायेगा।

(७) निर्णय तथा समझौता को शीघ्रानिशीघ्र कार्यान्वित किया जायगा।

(८) कोई भी ऐसा कार्य जिसमें औद्योगिक सम्बन्ध बिगड़ने की सम्भावना हो, नहीं किया जायेगा।

इस अनुशासन संहिता का नियोजन सघा तथा श्रम संधी का गान्यता प्राप्त है। इसमें औद्योगिक सम्बन्धों को एक दृष्ट आधार मिला है परन्तु इसके परवाना भी कुछ म्यानों में बड़ो हड़तालों की गयी। इन कुछ वर्षों में परिस्थिति में सुधार हुआ है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी अनुशासन के महत्त्व को स्वीकार किया गया है।

(२) समुक्त प्रबन्ध परिपदें—सन् १९४८ की औद्योगिक नीति में श्रमिकों को प्रबन्ध-व्यवस्था में सम्बन्धित करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया तथा उद्योगों में समुक्त प्रबन्ध परिपदें संगठित की गयीं जिनमें श्रमिकों के भी प्रतिनिधि होने हैं। इन परिपदों के प्रतिनिधित्व मिलन के कारण श्रमिक अपने को उद्योग का भाजेदार समझते हैं। 'समुक्त प्रबन्ध' इस निदान पर आयांनित है कि धीरे-धीरे श्रमिकों की प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने को प्रोत्साहित किया जाय। इसमें पारस्परिक गद्मावता में वृद्धि होगी तथा श्रमिक अान कर्तव्यों में प्रति मचष्ट होंगे। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

(३) समुक्त विचार-विमर्श या सहयोग—समुक्त विचार-विमर्श द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष को मली-भांति समझता है। इसके द्वारा रचनात्मक आलोचना का अवसर प्राप्त होता है। परस्पर द्वेष व मन्देह की भावना समाप्त हो जाती है। पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा जो निर्णय विद्यमान हैं उन्हें कार्य रूप में परिणित करने में सुविधा रहती है। यूरोपीय देशों में यह प्रथा बहुत दिन से प्रचलित है। भारत में सर्वप्रथम सन् १९४२ में केन्द्रीय सरकार ने Joint Consultative Board of Industry and Labour की स्थापना एक त्रिपक्षीय समिति के रूप में की। सन् १९५४ में इसे द्विपक्षीय समिति बना दिया गया। यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक सघर्षों को दूर करने के लिए प्रयत्न करती है।

(४) मजदूरी मण्डल—औद्योगिक सघर्षों के प्रमुख कारण मजदूरी में सम्बन्धित है। मजदूरी समस्याओं को दूर करने के लिए मजदूरी मण्डल बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनका कार्य उचित मजदूरी समिति के द्वारा निर्धारित मिदन्तों के आधार पर मजदूरी का टींचा निश्चित करना है। जुलाई १९५७ में भारतीय श्रम अधिवेशन ने देश के प्रमुख उद्योगों में मजदूरी मण्डल संगठित करने की मांग की थी। तदनुसार कई उद्योगों के लिए मजदूरी मण्डलों की स्थापना की जा चुकी है। इन समस्त मण्डलों ने अपने अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं और अब कोई मण्डल कार्यशील नहीं है।

(५) ऐच्छिक मध्यस्थता—औद्योगिक झगडों के फंसले के लिए न्यायालयों की शरण न लेकर ऐच्छिक मध्यस्थता द्वारा झगडों को हल करने का प्रयत्न किया जाता है। अनुशासन-संहिता में भी ऐच्छिक मध्यस्थता पर जोर दिया गया है। जून १९६४ के Industrial Disputes (Amendment) Act के अन्तर्गत ऐच्छिक मध्यस्थता द्वारा प्राप्त विराम को वैधानिक माना गया है तथा यह नियम उसी प्रकार लागू किया जायगा जिस प्रकार Adjudication के निर्णय लागू किये जाते हैं। इस प्रकार दशों में औद्योगिक सम्बन्ध नीति पारस्परिक सहयोग तथा स्वेच्छापूरवक विषय में निष्पत्तियों पर आधारित होनी जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्ध—भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विकास तन्त्रों से हो रहा है जिन इन क्षेत्रों में भी शांति बनाये रखने की आवश्यकता है। सार्वजनिक उद्योगों में श्रमिक सेवक तथा स्वामी दोनों होता है। वह श्रमिक के रूप में मेबर तथा नागरिक के रूप में स्वामी होता है। इन उद्योगों में जो लाभ प्राप्त होता है वह व्यक्तिगत स्वयं की पूर्ति के लिए नहीं अपितु देश हित तथा पूंजी-निर्माण के लिए होता है। जिन इन उद्योगों में श्रमिक का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। सरकार का उद्देश्य इन उद्योगों में श्रमिकों की शिकायतों को दूर करना तथा उन्हें मनुष्य प्रदान करना है। इसके लिए योजना आयोग में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं

(१) सार्वजनिक उद्योगों में मजदूरी निर्माणाद्य उद्योगों के अनुकूल होनी चाहिए तथा काम करने की दशाएँ व श्रम हितकारी काम वादण होना चाहिए।

(२) मन्त्रालय मण्डल में कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य हों जो श्रम समस्याओं को समझते हों तथा श्रमिकों के प्रति सहानुभूति रखते हों।

(३) उन सभी श्रम नियमों को लागू करना चाहिए जो निजी क्षेत्र पर लागू हैं।

(४) एका वातावरण तैयार किया जाय जिसमें श्रमिक अपने को उद्योगों का साझेदार समझ सकें।

(५) स्वयं श्रम मंच आन्दोलन को प्रोत्साहन देना चाहिए।

(६) श्रमिकों के प्रतिनिधियों तथा प्रबन्धकों में जो समझौते होते हों उनमें उत्पादन बढ़ाने, लागत व्यय कम करना अनुपस्थिति कम करने तथा अनुशासन के पालन के सम्बन्ध में भी बातें सम्मिलित करनी चाहिए।

आधुनिक प्रवृत्ति विराव—पश्चिमी बंगाल उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यों में श्रमिक सघर्ष के लिए एक नया शस्त्र का आविष्कार किया गया है। इसके अनुसार अनेकों मार्ग मनवाने के लिए सम्बन्धित अप्रकारियों को घेर लिया जाता है तथा तब तक मुक्त नहीं किया जाता है जब तक कि वह अप्रकारी श्रमिकों की माँग स्वीकार नहीं कर ले। पश्चिमी बंगाल की संयुक्त मोर्चा की सरकार के मन्त्रियों ने इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया है। परिणामस्वरूप बंगाल में विराव का प्रचार प्रसारण रूप में फैल गया है। सरकार के एक आदेश के अनुसार पुनित श्रमिकों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दूसरी ओर वक्ता उच्च न्यायालय ने विराव को गैर-कानूनी घोषित किया है और विराव को समाप्त करने के लिए कदम न उठाने वाले पुनित अप्रकारियों को अपने कर्तव्य से च्युत होने का दोषी ठहराया है। विराव के निरन्तर प्रयोग से पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक क्षेत्र में एक भयपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो गया है जिसमें नयी पूंजी लगाना बन्द हो गया है। इस औद्योगिक विकास में बाधा आने के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्रों में भी कुछ हद तक मंच गयी है और संयुक्त दलों की सरकार भी सतरे में पड़ गयी प्रतीत होती है। यह निश्चित है कि विराव को एक राजनीतिक शस्त्र के रूप में अपनाता न तर्कों की दृष्टि से उचित है, न न्याय की दृष्टि में वाञ्छनीय। अतः इसके परिणाम बहुत सुखद होने की सम्भावना नहीं है।

प्रश्न

- १ "यदि भारतीय मजदूर कारखानेदारों से मिलकर उत्पादन में वृद्धि नहीं करेंगे तो इससे केवल समाज को ही नहीं बरन् उनके अपने हितों को भी हानि पहुँचेगी।" इस कथन का विश्लेषण कीजिए।  
(आगरा, बी० कॉम०, १९६२)
- २ "हडताल मजदूरों के शस्त्रालय में अन्तिम शस्त्र होना चाहिए।" पूर्णतः व्याख्या कीजिए।  
(आगरा, बी० कॉम० (पूरक), १९६१)
- ३ भारत में औद्योगिक सघर्षों के प्रमुख कारण क्या हैं? औद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?  
(आगरा, बी० कॉम०, १९६० (पूरक), १९६१)
- ४ भारत में औद्योगिक अवनति के क्या कारण रहे हैं? क्या आप तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगिक सम्बन्धों के अच्छे होने की आशा करते हैं? सकारण उत्तर दीजिए।  
(इलाहाबाद, बी० कॉम०, १९६१)

*Labour legislation is the institution through which the State protects the interests, and ameliorates the moral and material conditions of the working classes*<sup>1</sup>

—R K Das

भारत में श्रम सन्नियम का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। १९वीं शताब्दी के अन्त तक श्रम सन्नियमों की विशेष आवश्यकता नहीं थी। उस समय मुक्त व्यापार नीति (*Laissez faire Policy*) का बोलवाला था। उस समय के श्रम विधान नाममात्र के थे जिनका सम्बन्ध मुख्यतः श्रमिका के कुछ कार्यों को अवैधानिक घोषित करना था। इस प्रकार १९वीं शताब्दी के श्रम सन्नियम उद्योगपतियों के पक्ष में थे।

यह स्मरणीय है कि भारत में श्रम सन्नियमों की मांग लकाशायर (जिटेन) के सूती बस्त्र उद्योगपतियों द्वारा की गयी क्योंकि वे भारतीय श्रमिकों के हितों के विषय में चिन्तित थे। सन् १८८०-१९०० के बीच बम्बई में कई कारखाना आयोग (Factory Commissions) नियुक्त किये गये। उनके सुझावों के फलस्वरूप स्त्रियों तथा बालकों के हितों की रक्षा की गयी। सन् १८८१ तथा १८९१ के कारखाना अधिनियमों द्वारा स्त्री तथा बालकों के रोजगार तथा कार्य के घण्टों के सम्बन्ध में नियम बनाये गये। इसी प्रकार खानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा सम्बन्धी नियम खान अधिनियम, १९०१ के अन्तर्गत बनाये गये।

श्रमिकों में जागृति—सन् १९११ में दूनरा कारखाना अधिनियम पास किया गया जिनके द्वारा काम करने के घण्टों को नियन्त्रित किया गया। प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् श्रम सन्नियमों की मांग बढ़ी। इसके प्रमुख कारण थे—सन् १९१९ का प्रशासकीय सुधार, श्रमिकों में जागरूकता तथा श्रम सभों का विकास, सन् १९१९ में अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना तथा राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन। सन् १९२६ में भारतीय श्रम सभ अधिनियम तथा सन् १९२९ में व्यवसाय विवाद अधिनियम (Trade Disputes Act) पास किये गये।

श्रम आयोग—सन् १९२९ में शाही श्रम आयोग (Royal Commission on Labour) नियुक्त किया गया। इस आयोग के सुझावों के फलस्वरूप १९३१ के पश्चात् कई श्रम सन्नियम पास किये गये। बम्बून सन् १९३२-३७ के बीच केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा १९ अधिनियम पास किये गये जिनके द्वारा शाही श्रम आयोग के सुझावों को कार्यान्वित किया गया। सन् १९३४ में

<sup>1</sup> R K Das Principles and Problems of Indian Labour Legislation p. 1

कारखाना अधिनियम, १९३५ में खान सशोधन अधिनियम तथा सन् १९३७ में मजदूरी भुगतान अधिनियम पास किये गये। सन् १९३७ में विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बनाये गये जिन्होंने श्रम की अवस्था सुधारने का प्रयत्न किया। सन् १९४३ में विदलीय अधिवेशन हुआ। इसके मुद्दावों के फलस्वरूप श्रम समस्याओं की जांच करने के लिए रीगे समिति नियुक्त की गयी। उस समिति के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने श्रम सन्निधय में सुधार के लिए एक पच-वर्षीय योजना बनायी। इसके फलस्वरूप कई श्रम सन्निधय पास किये गये जिनमें औद्योगिक सघर्ष अधिनियम, १९४७ प्रसिद्ध है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् १९४८ में कारखाना अधिनियम पास किया गया जो वर्तमान समय में भी लागू है।

वर्तमान समय में श्रम सम्बन्धी कई सन्निधय लागू हैं।<sup>1</sup> इन सभी सन्निधयों को निम्न-लिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

- (१) कारखाना अधिनियम (Factory Legislation)
- (२) खान अधिनियम (Mining Legislation),
- (३) मजदूरी सम्बन्धी अधिनियम (Wage Legislation),
- (४) औद्योगिक सघर्ष अधिनियम (Industrial Disputes Legislation),
- (५) श्रम सघ अधिनियम (Trade Union Legislation),
- (६) सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (Social Security Legislation)।

उपर्युक्त वर्गों के अधिनियमों में से अन्तिम तीन श्रेणियों ४, ५ और ६ से सम्बन्धित अधिनियमों का अध्ययन पिछले अध्यायों में किया जा चुका है। अब यहाँ पर केवल कारखाना अधिनियम, खान अधिनियम तथा मजदूरी सम्बन्धी वर्तमान अधिनियमों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

(१) कारखाना अधिनियम (Factory Legislation)—भारत में सबसे पहला कारखाना अधिनियम सन् १८८१ में पास किया गया। यह अधिनियम उन समस्त कारखानों (बगीचा उद्योग को छोड़कर) पर लागू होता था जिनमें शक्ति (power) के प्रयोग के साथ १०० से अधिक श्रमिक काम करते हों। इस अधिनियम के अन्तर्गत ७ वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में काम नहीं लिया जा सकता था तथा ७ वर्ष से १२ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ६ घण्टे का दिन निश्चित किया गया, जिसमें एक घण्टा अवकाश का भी सम्मिलित था। इस अधिनियम के अन्तर्गत कारखाना निरीक्षक भी नियुक्त किये गये। इस कारखाना अधिनियम में स्त्रियों तथा प्रौढ़ों के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाया गया। सन् १८९० में एक कारखाना आयोग नियुक्त किया गया जिसके सुझावों पर सन् १८९१ में दूसरा कारखाना अधिनियम पास किया गया। यह अधिनियम शक्ति के प्रयोग के साथ ५० से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू किया गया। बच्चों की न्यूनतम आयु ६ वर्ष तथा उनके लिए काम के ७ घण्टे प्रतिदिन कर दिये गये। स्त्रियों के लिए काम के अधिकतम घण्टे ११ रखे गये।

विद्युत शक्ति के आविष्कार तथा प्रयोग के कारण १९०५ से सूती वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग में काम के घण्टे बढ़ाये गये। इससे श्रमिकों में असन्तोष फैला। सन् १९०७ में नियुक्त कारखाना आयोग के सुझावों के अनुसार सन् १९११ में नया कारखाना अधिनियम पास किया गया।

<sup>1</sup> वर्तमान समय में लागू श्रम सन्निधयों में कुछ प्रमुख सन्निधय इस प्रकार हैं -

1 Indian Factories Act 1948, 2 Indian Mines Act, 3 Payment of Wages Act, 4 Minimum Wages Act, 5 Workmen's Compensation Act, 6 Maternity Benefit Act (States), 7 Indian Trade Union Act, 8 Industrial Disputes Act, 9 Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act, 10 Tea Districts Emigrant Labour Act, 11 Shop and Commercial Establishments Act (States), 12 Employees' State Insurance Act, 13 Collection of Statistics Act, 14 Employee's Provident Funds Act

यह अधिनियम मौसमी उद्योगों पर भी लागू किया गया। पुरुषों के लिए  $\frac{1}{2}$  घण्टे विद्याम के साथ १२ घण्टे का दिन निश्चित किया गया। श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के विषय में भी कुछ नियम बनाये गये। इसके पश्चात् अम सघ आन्दोलन की प्रगति तथा सन् १९२० में भारत के अन्तरराष्ट्रीय अम सगठन का सदस्य होने के कारण कारखाना अधिनियम में सुधार की माँग की गयी, अतः सन् १९२२ में चौथा कारखाना अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम २० से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू किया गया। बच्चों की आयु १२-१५ वर्ष निश्चित की गयी, पुरुषों के लिए साप्ताहिक घण्टे ६० तथा दैनिक घण्टे ११ निश्चित किये गये। सभी श्रमिकों के लिए  $\frac{1}{2}$  घण्टे का दैनिक विद्याम तथा १० दिनों की छुट्टी की व्यवस्था की गयी। खतरनाक उद्योगों में १७ वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्री श्रमिकों से काम लेना वर्जित कर दिया गया।

इसके पश्चात् सन् १९२४ में पाँचवाँ कारखाना अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार बच्चों के लिए ५ घण्टे का दिन निश्चित किया गया तथा उनसे रात को काम नहीं लिया जा सकता था। पुरुष श्रमिकों के लिए ५४ घण्टे का सप्ताह तथा १० घण्टे का दिन निश्चित किया गया। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं से सम्बन्धित कारखानों के लिए ५६ घण्टे का सप्ताह तथा मौसमी कारखानों के लिए ६० घण्टे का सप्ताह निश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त कारखानों में नमी रखन, स्वच्छ पानी, प्राथमिक चिकित्सा, मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के सम्बन्ध में भी नियम बनाये गये। इस कारखाना अधिनियम में सन् १९४७ तक ६ बार संशोधन किया गया। स्वतन्त्र भारत में सन् १९४८ में कारखाना अधिनियम पारित किया गया जो वर्तमान समय में भी लागू है। अतः इस एक्ट का सविस्तार विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

**कारखाना अधिनियम, १९४८**—यह अधिनियम १ अप्रैल, १९४९ से लागू किया गया। अधिनियम की प्रमुख व्यवस्थाएँ (provisions) निम्नलिखित थीं।

(क) अधिनियम का क्षेत्र—यह अधिनियम भारत के उन समस्त कारखानों पर लागू होता है जिनमें शक्ति के प्रयोग के साथ कम से कम १० श्रमिक तथा शक्ति का प्रयोग न करने की अवस्था में कम से कम २० श्रमिक काम करते हैं। अधिनियम मौसमी तथा नियमित, दोनों प्रकार के कारखानों पर समान रूप से लागू किया गया। राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इस एक्ट को उन सभी स्थानों पर लागू कर सकती हैं जहाँ निर्माण कार्य चल रहा हो, श्रमिकों की सहायता चाहे कम हो या अधिक। परन्तु पारिवारिक सदस्यों के द्वारा ही चलाये जाने वाले निर्माण स्थानों पर यह विधान लागू नहीं किया जा सकता।

(ख) काम के घण्टे—काम के साप्ताहिक घण्टों की सहाय ४८ तथा दैनिक घण्टों की सहाय ९ निश्चित की गयी है। एक दिन में अधिक से अधिक १०  $\frac{1}{2}$  घण्टे तक काम लिया जा सकता है। कोई भी श्रमिक  $\frac{1}{2}$  घण्टे विद्याम के बिना ५ घण्टे से अधिक काम नहीं कर सकता। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी अनिवार्य है तथा अतिरिक्त समय में काम करने पर दुगुनी मजदूरी दिलाने की व्यवस्था है।

(ग) मजदूरों सहित अवकाश—प्रत्येक वयस्क श्रमिक को जिसने लगातार १२ महीनों तक सेवा की है, अगले १२ महीनों के अन्दर प्रति २० दिन की सेवा पर १ दिन की दर से (विछले वर्ष के सेवाकाल पर) सर्वतनिक छुट्टी दी जायेगी परन्तु छुट्टी के दिनों की सहाय एक वर्ष में १० से अधिक नहीं हो सकती। अव्यक्तों के लिए छुट्टी की यह दर प्रति १५ दिन की सेवा के लिए एक दिन तथा वर्ष में अधिक से अधिक १५ दिन होगी।

(घ) किशोरों की नियुक्ति—१४ वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में काम नहीं लिया जा सकता। एक बच्चा जिसने १४ वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ली है या किशोर (adolescent) जिसने १८ वर्ष की अवस्था प्राप्त नहीं कर ली है) से काम उस समय तक नहीं लिया जा सकता।



जब तक किसी सज्जन द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र (काम करने की क्षमता के सम्बन्ध में) (certificate of fitness) कारखाने के मैनेजर के पास न हो। ऐसे बच्चे या नवयुवक के पास भी प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में टोकन (token) होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों से ७ बजे शाम से ६ बजे प्रातः के बीच काम नहीं लिया जा सकता।

(ङ) स्त्री श्रमिकों की नियुक्ति—स्त्री श्रमिकों के लिए सप्ताह तथा दिन क्रमशः ३८ व ६ घण्टे के होंगे। ७ बजे शाम से ६ बजे प्रातः के बीच स्त्री श्रमिकों से काम नहीं लिया जा सकता। खतरनाक कार्यों के लिए स्त्रियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। स्त्री श्रमिक से चालू अवस्था में मशीन की सफाई तेल डालने या उमने सुधारने सम्बन्धी कार्य नहीं कराया जा सकता। यदि किसी कारखाने में ५० से अधिक स्त्री श्रमिक हैं तो उनके ६ वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक शिशु सदन होना अनिवार्य है तथा स्त्री श्रमिकों द्वारा शिशुओं को दूध पिलाने के लिए अवकाश देना पड़ेगा।

(च) सुरक्षा सम्बन्धी नियम—बालक या स्त्री श्रमिक खतरनाक मशीनों पर काम नहीं कर सकते। ट्रान्समिशन मशीनरी का प्रत्येक भाग तथा अन्य मशीनों का खतरनाक भाग चारों तरफ से आड़ (fencing) लगाकर रखा जाना चाहिए। किसी भी श्रमिक से इतना अधिक बोझा ढोने का काम नहीं लिया जा सकता जो उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाले। यदि किसी कार्य विशेष से आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है तो विशेष प्रकार के चश्मों की व्यवस्था नियोजित द्वारा की जायगी। धूल तथा आग से बचाव के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(छ) स्वास्थ्य रक्षा तथा आराम सम्बन्धी नियम—अधिनियम में श्रमिकों की स्वास्थ्य रक्षा तथा आराम के लिए भी कुछ नियम बनाये गये। इन नियमों के अनुसार प्रत्येक कारखाने में सफाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कारखाने के अन्दर स्वास्थ्यप्रद तापमान तथा उचित वायु प्रवेश व गन्दी हवा के निकलने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् जिन कारखानों की स्थापना की जाय उनमें प्रति श्रमिक ५०० घन फुट स्थान होना चाहिए तथा पूर्व-प्रचलित कारखानों के अन्दर उचित प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। पेसाबघर, शौचालय, पीने के पानी आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। जिन कारखानों में २५० से अधिक श्रमिक काम करते हों, उनमें रेसिप्टरेटर द्वारा ठण्डे किये गये पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ज) कल्याण कार्य—जिन कारखानों में ५०० से अधिक श्रमिक हों उनमें कल्याण अधिकारी (Welfare Officer) की नियुक्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। श्रमिकों के लिए उपहार-गृह, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था, शिशु-गृह, कपड़ा धोने के लिए स्थान, बैठने के लिए उचित स्थान आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कोई श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त या बीमार हो जाय तो तत्सम्बन्धी सूचना चीफ फंक्शनरी इन्स्पेक्टर को तत्काल देनी चाहिए। राज्य सरकार परिस्थिति के अनुसार जांच करा सकती है।

कारखाना अधिनियम, १९४८ की व्यवस्थाओं व नियमों के कार्यान्वयन की जांच राज्य सरकार द्वारा नियुक्त इन्स्पेक्टर द्वारा की जाती है। नियमोत्पलघन या किसी व्यवस्था के अभाव का उत्तरदायित्व उद्योगपति पर होगा। अधिनियम की प्रबन्ध-व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। सन् १९५४ में इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये गये।

कारखाना (संशोधन) अधिनियम, १९५४—इस अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं

(१) मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी के आरम्भ, बीच या अन्त में यदि अन्य छुट्टियाँ पडी हैं तो वे छुट्टियाँ मजदूरी सहित छुट्टियों में नहीं जोड़ी जायँगी।

- (२) २४० दिन काम कर लेने के पश्चात् श्रमिक मजदूरी सहित छुट्टी का अधिकारी होगा।  
 (३) कोई भी श्रमिक ३ माह में ५० घण्टे से अधिक अतिरिक्त (overtime) काम नहीं कर सकता।  
 (४) एक वर्ष की छुट्टी दूम्मे वर्ष की छुट्टियों में जोड़ी जा सकती है परन्तु छुट्टी के अधिनतम दिनों की संख्या श्रमिक के लिए ३० दिन तथा बच्चों के लिए ४० दिन होगी।  
 (५) यदि कोई शिफ्ट केवल ६ घण्टों की है तो बीच में अवकाश देना आवश्यक नहीं होगा।  
 (६) यदि दूसरी शिफ्ट का कोई श्रमिक अनुपस्थित है या समय पर नहीं आता है तो पहली शिफ्ट वाला श्रमिक काम जारी रख सकता है।

(२) खान अधिनियम (Mining Legislation)—भारत में सर्वप्रथम सन् १९०१ में खान अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम द्वारा काम की दशाओं को नियमित किया गया। इसके पश्चात् सन् १९२३ में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके द्वारा जमीन के ऊपर काम करने वाले श्रमिकों तथा जमीन के नीचे काम करने वाले श्रमिकों के लिए साप्ताहिक घण्टों की संख्या क्रमशः ६० व ५४ रखी गयी। १३ वर्ष से कम आयु के बच्चे खानों में नीचे कार्य नहीं कर सकते थे। इसके पश्चात् खान अधिनियम में सन् १९३५, १९३६, १९३७, १९५० तथा १९५६ में संशोधन किये गये। इन संशोधनों द्वारा खान अधिनियम में सुधार किये गये। अब जमीन के ऊपर तथा नीचे काम करने वाले श्रमिकों के दैनिक घण्टे क्रमशः १० व ९ निश्चित किये गये। इसमें ६ घण्टा काम करने के पश्चात् १ घण्टा विश्राम की भी व्यवस्था की गयी। साप्ताहिक घण्टों की संख्या सब के लिए ५४ रखी गयी तथा एक दिन का साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य कर दिया गया। श्रमिकों की न्यूनतम आयु १५ वर्ष निर्दिष्ट की गयी। लोंकर रूम तथा स्नान-गृहों के लिए भी नियम बनाये गये।

सन् १९५८ के कारखाना अधिनियम द्वारा कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की दशाओं में सुधार किया गया परन्तु खानों के श्रमिकों को कोई सुविधा नहीं मिली। अतः १ जुलाई, १९५२ से नया खान अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा श्रमिकों के कल्याण कार्यों में वृद्धि की गयी तथा सुरक्षा की दृष्टि में सुविधाओं में वृद्धि की गयी। इस विधान की मुख्य व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं

- (१) १५ वर्ष से कम आयु के श्रमिक खानों में काम नहीं कर सकते। खानों में जमीन के नीचे काम करने वालों की न्यूनतम आयु १८ वर्ष होनी चाहिए।  
 (२) १५-१८ वर्ष की आयु के श्रमिक उम्र समय तक काम नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास डाक्टरों प्रमाण-पत्र न हो। उन्हें  $4\frac{1}{2}$  घण्टे काम काम करने के पश्चात्  $1\frac{1}{2}$  घण्टे का विश्राम मिलना आवश्यक है।  
 (३) साप्ताहिक घण्टों की संख्या ४८ होगी परन्तु ऊपर काम करने वालों के लिए ६ घण्टे तथा नीचे काम करने वालों के लिए ८ घण्टे का दिन होगा। ५ घण्टे लगातार काम करने के पश्चात्  $\frac{1}{2}$  घण्टे का विश्राम मिलेगा।  
 (४) महिला मजदूरों के लिए यह नियम पहले में ही था कि वे खानों के लिए अन्दर काम नहीं कर सकतीं। अब यह व्यवस्था की गयी है कि महिलाएँ खानों के ऊपर भी ७ बजे सायंकाल से ६ बजे प्रात तक काम नहीं कर सकतीं।  
 (५) अनिश्चित काम के लिए ऊपर तथा नीचे काम करने वाले श्रमिकों को क्रमशः डेढ़ गुना तथा दुगुना वेतन मिलेगा।  
 (६) १२ महीने की नौकरी पूरी करने पर १५ दिनों का वेतन सहित अवकाश मिलेगा।

(७) बच्चों तथा स्त्रियों के लिए शिशु-गृह तथा पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान-गृह की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

(८) जिन कारखानों में १५० या अधिक श्रमिक काम करते हों उनमें विश्राम-गृह तथा उपहार-गृह की व्यवस्था होनी आवश्यक है।

(९) जिन खानों में ५०० या अधिक श्रमिक काम करते हों उनमें श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य है।

(१०) ५०० में अधिक श्रमिकों वाली खानों के पास एम्बुलेंस गाड़ियों तथा स्ट्रेचरों की व्यवस्था होनी आवश्यक है। सरकार दुर्घटनाओं की जांच करा सकती है।

अधिनियम की धाराओं के कार्यान्वयन की जांच के लिए मुख्य निरीक्षक की नियुक्ति की गयी तथा निरीक्षण के लिए उचित व्यवस्था की गयी। सन् १९५९ में खान (सशोधन) अधिनियम पास किया गया।

खान (सशोधन) अधिनियम, १९५९—इस अधिनियम की प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्नलिखित हैं।

(१) खान की परिभाषा के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया तथा इसके अन्तर्गत खानों के अतिरिक्त उनसे सम्बन्धित वस्तुएँ रेलवे, एरिपल रोपवे इत्यादि को भी खान के अन्तर्गत सम्प्राप्त किया गया।

(२) जिन खानों में १५० श्रमिक काम करते हों उनमें प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना करना आवश्यक कर दिया गया।

(३) खान के ऊपर तथा अन्दर काम करने वाले दोनों प्रकार के श्रमिकों को अतिरिक्त कार्य के लिए दुगुना वेतन मिलेगा।

(४) खान के अन्दर काम करने वाले श्रमिकों को प्रति १६ दिन काम करने पर १ दिन तथा अन्य श्रमिकों को प्रति २० दिन काम करने पर १ दिन की दर से वेतन सहित वार्षिक अवकाश मिलेगा।

(५) अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर विशेष अर्थ-दण्ड की व्यवस्था की गयी है।

इन प्रकार खान अधिनियम के द्वारा खानों में काम करने वाले श्रमिकों को लगभग वही सुविधाएँ प्राप्त हैं जो कारखानों के श्रमिकों को प्राप्त हैं।

(३) मजदूरी सम्बन्धी अधिनियम (Wages Legislation)—भारत में मजदूरी सम्बन्धी दो मुख्य अधिनियम हैं—(१) मजदूरी भुगतान अधिनियम, १९३६, तथा (२) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८।

मजदूरी भुगतान अधिनियम, १९३६—यह अधिनियम कारखानों, कोयला खानों, रेलवे तथा बागानों पर लागू होता है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल वे ही कर्मचारी आते हैं जिनका औसत पारिश्रमिक ४०० रुपये मासिक से कम है। अधिनियम में मजदूरी के निर्धारित भुगतान के सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं।

(१) अधिनियम के अनुसार मजदूरी के अन्तर्गत वे सभी प्रकार के पारिश्रमिक सम्मिलित हैं जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है तथा इनमें वे सभी भुगतान सम्मिलित हैं जो किसी कर्मचारी के फलस्वरूप देय होने हैं। माप ही साथ वोनस एवं अतिरिक्त कार्य के लिए भुगतान आदि भी इनमें सम्मिलित किये जाते हैं। परन्तु मजदूरी के अन्तर्गत मकान सुविधा का मूल्य, नियोक्ता द्वारा पेंशन व भविष्य जमा नीति में दिया जाने वाला बचत तथा यात्रा भत्ता सम्मिलित नहीं किया जाता है।

(२) कार्द भी मजदूरी अवधि (wage period) एक माह से अधिक नहीं होगी तथा मजदूरी का भुगतान निश्चित समय (जो मजदूरी अवधि की समाप्ति के पश्चात् १० दिन से अधिक नहीं होगा) के अन्दर कर देना चाहिए।

(३) सम्पूर्ण मजदूरी का भुगतान शिकको तथा नोटों में होना चाहिए। अर्प-दण्ड (fines) मन्त्र म २ पैम म अधिक नहीं हो सकता।

(४) तुमान के रूप म प्राप्न रकम को श्रम हिनकारी कार्यों में व्यय किया जायेगा।

इम अघिनियम का प्रशासन कारखानों में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कारखाना निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। शानों तथा रलव म रसका प्रशासन केन्द्रीय सरकार के मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाता है।

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ (Minimum Wage Legislation)**—न्यूनतम मजदूरी, विधान द्वारा निर्धारित मजदूरी की वह दर है जिसमें कम दर पर मजदूरी देना विधान का उल्लंघन करना है। इमका उद्देश्य श्रमिकों को नियोजकाआ द्वारा कम से कम इतनी मजदूरी दिलवाना है जिसमें वे एक न्यूनतम स्तर पर जीवन व्यतीत कर सकें।<sup>१</sup> पहले यह विचारपारा प्रचलित थी कि मजदूरी का निर्धारण भी वस्तुओं के मूल्य की भांति पारम्परिक सौदेबाजी द्वारा किया जाना चाहिए परन्तु आजकल यह विचारपारा मान्य नहीं है क्योंकि सामान्यतया सौदेबाजी द्वारा श्रमिका को उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। श्रम की नागवान प्रवृत्ति, कुछ स्थानों में उद्योगों म श्रम की अधिक पूर्ति, निषेक्ता की दृष्ट स्थिति तथा श्रम की हीन आर्थिक दशा के कारण उमें उचित मजदूरी नहीं मिल पाती। इम प्रकार श्रमिकों का शोषण होना है और उनमें दर्ग सपर्ग की भावना का उदय होता है जो औद्योगिक शषणों का मूल कारण है अन राज्य सरकार द्वारा मजदूरी क सम्बन्ध म दृग्भेन करना अनिवार्य हो जाता है।

न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करन का उद्देश्य सामाजिक न्याय, श्रमिकों की सन्तुष्टि तथा औद्योगिक शान्ति बनाने रखना है। सामान्यतया न्यूनतम मजदूरी निश्चिन करते समय इम बात का ध्यान रखा जाता है कि मजदूरी कम से कम इतनी अवश्य हो जिससे श्रमिक अन परिवार का पालन-पोषण ठीक स कर सकें। इमके साथ ही साथ उद्योग विशेष की आर्थिक परिस्थिति का भी ध्यान रखा जाता है।

भारत म श्रम सन्धियों में न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था नहीं की गयी थी। सर्वप्रथम सन् १९०८ में अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया। शाही श्रम आयोग ने अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन क प्रस्ताव को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम मजदूरी निश्चिन करन की सिफारिश की। फिर भी परवन्ध भारत म इह सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् १९४८ में भारत में पहली बार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पास किया गया। दम् अधिनियम की मुक्त बातें निम्नलिखित हैं

(१) यह अधिनियम एक हजार या अधिक श्रमिकों वाले सभी कारखानों पर लागू होगा।

(२) अधिनियम में न्यूनतम समय मजदूरी (minimum time wage), न्यूनतम कार्य मजदूरी (minimum job wage), निश्चिन समय मजदूरी (guaranteed time wage) निर्धारित करन के सम्बन्ध म नियम बनाये गये हैं। इमके अनिरिक्त समुचित अनरिक्त मजदूरी (overtime wage) भी निश्चिन करन की व्यवस्था की गयी है।

(३) यह अधिनियम केवल अनुसूचित उद्योगों पर ही लागू होगा परन्तु राज्य सरकारें तीन माह की पूर्व सूचना देकर दम शिमी भी उद्योग पर लागू कर सकती हैं।

१ A sum sufficient for the normal and reasonable needs of workers with a family in locality

(५) न्यूनतम मजदूरी के लिए राज्य सरकारें समितियाँ तथा उपसमितियाँ नियुक्त करेंगीं। इन समितियों के कार्यों में सामन्तव्य स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार 'केन्द्रीय समाह्वार बोर्ड' नियुक्त करेगी जिन्हें तीनों पक्षों के प्रतिनिधि होंगे। इन अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गयी है।

उचित मजदूरी (Fair Wages)—यह कुछ वर्षों में उचित मजदूरी के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श चल रहा है। अधिन के जीवन-स्तर की दृष्टि से मजदूरी तीन प्रकार की हो सकती है—प्रथम, न्यूनतम मजदूरी जो विज्ञान द्वारा निश्चित की जाती है। द्वितीय, जीविका योग्य मजदूरी (Living wage) जिन्हें द्वारा अधिन जीवन-स्तर व्यतीत कर सके तथा उनकी कार्य-क्षमता उचित रूप से बनी रहे। तृतीय, उचित मजदूरी (Fair Wage) जिन्हें द्वारा अधिन अच्छा जीवन व्यतीत करने का कुछ अवसर भी कर सके। उचित मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से अधिक होती है। वस्तुतः उचित मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी तथा जीविका योग्य मजदूरी के बीच की एक कड़ी है।

भारत में अगस्त १९५० में उचित मजदूरी के सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, परन्तु पास नहीं किया जा सका।

राष्ट्रीय धर्म आयोग (National Commission for Labour)—दिसम्बर १९६६ में भारत सरकार द्वारा भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश पी० वी० गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया है जिसका कार्य निम्नलिखित मामलों में सुझाव देना था

(१) धर्म कानून—वर्तमान धर्म कानून का अध्ययन कर उसके परिचर्चन सम्बन्धी सुझाव देना।

(२) निर्वाह स्थिति—भारतीय अधिनियों की आर्थिक स्थिति (मजदूरी, जीवन-स्तर, स्वास्थ्य आदि) का अध्ययन कर उसके सम्बन्ध में सुझाव देना।

(३) सामाजिक सुरक्षा—वर्तमान सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नियमों तथा उनके परिष्कारन का अध्ययन कर उनके सुधार के उपाय बताना।

(४) ग्रामीण धर्म—ग्रामों में कार्य करने वाले अधिनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उपाय बताना।

आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में ५०० रुपये मासिक से कम वेतन पाने वालों के लिए नईगार्ड भन्ने की सिफारिश की थी जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है किन्तु उसकी सिफारिशें अभी प्रकाश में नहीं आयी हैं।

### राष्ट्रीय धर्म आयोग की सिफारिशें

राष्ट्रीय धर्म आयोग ने (जिन्हें अध्यक्ष श्री गजेंद्र गडकर) ने अपनी रिपोर्ट अगस्त १९६६ में प्रस्तुत कर दी। यह रिपोर्ट २६ अगस्त, १९६६ को भारतीय संसद में रखी गयी। उनमें कुछ सिफारिशें निम्नलिखित थीं :

(१) हटानों से सम्बन्धित आयोग ने अधिनियों की हटानों कम करने, रोजने तथा समाप्त करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(१) आयोग ने देश के कुछ उद्योगों को मूलभूत उद्योग तथा अन्य उद्योगों में वर्गीकृत किया है। मूलभूत उद्योगों में हटाने नहीं की जा सकतीं। अन्य उद्योगों में हटाने एक मास में समाप्त करना अनिवार्य होगा।

औद्योगिक सम्बन्ध आयोग—धर्म आयोग ने यह सिफारिश की है कि देश में दो प्रकार के औद्योगिक सम्बन्ध आयोग (Industrial Relations Commission) बनाये जाने चाहिए। एक तो राष्ट्रीय औद्योगिक सम्बन्ध आयोग (National Industrial Relations Commission) तथा दूसरे राज्य औद्योगिक सम्बन्ध आयोग (State Industrial Relations Commission)।

श्रमिकों तथा मालिकों के सभी विवाद अपने असने क्षेत्र के औद्योगिक आयोगों को सौंप देने की सिफारिश की गयी है।

हड़तालों को कम करने या रोकने की दृष्टि से यह सुझाव दिया गया है कि यदि औद्योगिक सम्बन्ध आयोग का फंसला श्रमिकों के खिलाफ हो तो उन्हें हड़तान की अवधि की मजदूरी नहीं देनी चाहिए। यदि फंसला मालिकों के खिलाफ हो तो उन्हें हर्जाना देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो वर्ग भी दोषी होगा, उसे दण्ड दिया जा सकेगा अतः हड़तालों की संख्या में कमी आने की सम्भावना रहेगी।

राष्ट्रीय औद्योगिक सम्बन्ध आयोग की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा राज्य आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। इन आयोगों में ऐसे व्यक्तियों की ही नियुक्ति हो सकेगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हों।

(२) समझौता—औद्योगिक सम्बन्ध आयोग में एक इकाई समझौता अधिकारियों की होगी। यह अधिकारी प्रत्येक विवाद में श्रमिकों तथा मालिकों की आपसी बातचीत करवाकर समझौता करवाने का प्रयत्न करेंगे।

(३) श्रम अदालत—श्रम आयोग ने प्रत्येक क्षेत्र में श्रम अदालतें स्थापित करने की सिफारिश की है। यह अदालतें श्रमिकों तथा मालिकों के बायबिब, अधिकार, दावे तथा सभी कानूनी मामलों का फंसला करेंगी।

(४) श्रम सगठन—आयोग ने अच्छे शक्तिशाली श्रम सगठनों को औद्योगिक विकास तथा श्रमिकों की उन्नति के लिए अनिवार्य बतलाया है।

मान्यता—आयोग ने सिफारिश की है कि जिस श्रम सघ के सबसे अधिक सदस्य हों उसे नियमित रूप से मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। जब भी किसी विवादप्रस्त मामले पर समझौता की वार्ता हो, केवल मान्यताप्राप्त श्रम सघ के प्रतिनिधियों को ही उस वार्ता में भाग लेना चाहिए।

श्रम सघ को मान्यता देने में श्रम सम्बन्ध आयोग का निर्णय ही अन्तिम माना जाना चाहिए। आयोग ने श्रम सघों में पारस्परिक मधुर्षों को औद्योगिक वातावरण के लिए घातक बनलाया है। इस वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं

- (i) श्रम सघों का अनिवार्य पंजीयन (registration),
- (ii) श्रम सघ बनाने के लिए श्रमिकों की संख्या का निर्धारण
- (iii) सदस्यता शुल्क की न्यूनतम राशि में वृद्धि,
- (iv) श्रमिक सघों के आन्तरिक नेतृत्व को प्रोत्साहन।

नियोजित सघ—श्रम आयोग ने मालिकों के सगठन को मान्यता देने का भी सुझाव दिया है।

(५) मजदूरी—श्रम आयोग ने श्रमिकों को मजदूरी के बारे में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं

- (i) देश में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की दरें निश्चित करना उचित नहीं है किन्तु प्रत्येक प्रदेश या क्षेत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जानी चाहिए।
- (ii) कृषि मजदूरों पर भी न्यूनतम मजदूरी लागू होनी चाहिए।
- (iii) किसी कारखाने या उद्योग की आर्थिक स्थिति को न्यूनतम मजदूरी का आधार नहीं माना जा सकता।

(iv) मजदूरों को माधारणतया आवश्यकता के आधार पर (need based) मजदूरी दी जानी चाहिए परन्तु वर्तमान में उसे केवल उन्हीं उद्योगों पर लागू करना चाहिए जिनमें इतनी मजदूरी देने की क्षमता है।

(v) श्रमिकों की मजदूरी का नये सिरे से निर्धारण करने के लिए एक वेतन आयोग की

नियुक्ति की जानी चाहिए। मरकारी क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उन प्रकार के आयोग का विशेष रूप से मुझाव दिया गया है।

(vi) मजदूरी के सम्बन्ध में पारिधमिक मण्डल (Wage Board) की सिफारिश को जन्तिम माना जाना चाहिए।

(vii) श्रमिकों की मजदूरी में जीवन निर्वाह सूचकांक (Cost of Living Index) के आधार पर नियमित रूप में परिवर्तन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(६) महंगाई भत्ता—आयोग ने एक ही वर्ग के सभी श्रमिकों को समान महंगाई भत्ता देने का मुझाव दिया है किन्तु जिन क्षेत्रों में महंगाई भत्ते की दर न्यूनतम में अधिक है, उसे कम नहीं किया जाना चाहिए। महंगाई भत्ते को शीघ्र ही न्यूनतम मजदूरी में मिलान की सिफारिश की गयी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि भविष्य में महंगाई बढन पर स्वत ही मजदूरी में वृद्धि को जा सके।

(७) यन्त्रीकरण—श्रम आयोग ने मुझाव दिया है कि कारखानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सामान्य यन्त्रीकरण को रोका नहीं जाना चाहिए अन्यथा कुशलता में वृद्धि होना सम्भव नहीं होगा। यन्त्रीकरण—जहाँ तक हो सके—श्रमिकों की मलाह से किया जाना चाहिए तथा ऐसा करने समय निम्नलिखित तीन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए

(i) यन्त्रीकरण के फलस्वरूप मजदूरों की छंटनी नहीं हो,

(ii) यन्त्रीकरण में कुशलता में वृद्धि होने के फलस्वरूप उद्योग के लाभ में जो वृद्धि हो उसमें श्रमिकों का भी हिस्सा हो, तथा

(iii) समाज को कम कीमत पर माल तथा अन्य सुविधाएँ मिल सकें।

श्रम आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार विचार कर रही है। आशा है कि इनकी कार्यान्वित करने पर देश में औद्योगिक क्षेत्र में अधिक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बन सकेगा और उद्योग तथा श्रम दोनों का कल्याण होगा।

### प्रश्न

1. भारत में औद्योगिक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए ? इसकी सफलता की क्या आशा है ? (पटना, बी० ए०, १९५२)
2. गत चालीस वर्षों में कारखाना अधिनियम में हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। श्रम पार्यक्षमता पर उनका क्या प्रभाव पडा है ? (आगरा, बी० ए०, १९५३)
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ की प्रमुख व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। इस अधिनियम ने औद्योगिक श्रमिकों की किस प्रकार सहायता की है ?

*"Planning will help us in having an emotional awareness of our problems as a whole"* — Jawaharlal Nehru

वर्तमान युग नियोजन का युग है। प्रायः सभी देशों में, चाहे वे पूँजीवादी हों या समाजवादी आर्थिक नियोजन किसी न किसी रूप में अवश्य अपनाया जाता है। बस्तुतः आर्थिक नियोजन आधुनिक आर्थिक विकास की व्यवस्था का दूसरा नाम है। सामान्य जीवन में मानव के समस्त कार्यावली किसी न किसी प्रकार के नियोजन पर ही आधारित होने हैं क्योंकि पूर्व विचार तथा पूर्व निर्णय प्रत्येक कार्य में निहित हैं। इसके साथ ही साथ कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जिसकी समस्त क्रियाएँ पूर्व नियोजित न हो अतः नियोजन एक सापेक्षिक शब्द है जो सीमा (degree) की ओर संकेत करता है। इस प्रकार हमारा चुनाव नियोजन व नियोजनहीनता के बीच नहीं है अपितु विभिन्न प्रकार की नियोजन पद्धतियों के बीच है।

(१) आर्थिक नियोजन का अर्थ—आर्थिक नियोजन एक अत्यन्त व्यापक शब्द है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों तथा विद्वानों ने इसे विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। प्रो० राबिन्स के अनुसार, 'नियोजन करना, सोद्देश्य कार्य करना व चुनाव करना है और चुनाव आर्थिक क्रिया का मूल है।' डिकिनसन के अनुसार, 'आर्थिक नियोजन का अर्थ निर्धारित सत्ता द्वारा सम्पूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के एक विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर जान-बूझकर आर्थिक निर्णय करना है।' काल लेण्डोर के अनुसार, 'नियोजन एक सत्ता द्वारा आर्थिक क्रियाओं का पथ-प्रदर्शन है जो एक योजना द्वारा सञ्चालक एवं गुणात्मक उत्पादन को एक निश्चित भविष्यकाल के लिए निर्धारित करता है।' यह परिभाषा कुछ संकुचित है। विद्वान लेखक ने नियोजन शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए पुनः कहा है, 'नियोजन का अर्थ बाजार में स्वतः स्थापित होने वाले समन्वय के स्थान पर विशेष प्रयत्न द्वारा समन्वय स्थापित करने की क्रिया को कहते हैं। यह विशिष्ट समाज को एक सत्ता द्वारा किया जाता है। अतः नियोजन की प्रकृति सामूहिक है तथा इसके द्वारा समाज व्यक्तियों की क्रियाओं का नियमन करता है।'

(२) नियोजन का उद्देश्य—नियोजन का उद्देश्य मानव समाज का कल्याण करना तथा उसे सम्पन्न बनाना है। नियोजन द्वारा देश के सीमित साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग करने की चेष्टा की जाती है। नियोजन एक मत्तत् प्रयत्न है जिसके द्वारा मानव के आर्थिक व सामाजिक



स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। सामान्यतः अधिकतम उत्पादन, उचित वितरण, अवसर की समानता, पूर्ण रोजगार, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता तथा मानवीय मूल्यों को महत्त्व देना ऐसे तत्त्व हैं जिनके द्वारा मानव-वन्द्याण की अधिकतम किया जा सकता है। अतः आर्थिक नियोजन का उद्देश्य उपर्युक्त सभी तत्त्वों की प्राप्ति करना है। कभी कभी ये तत्त्व परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। अतः नियोजन का उद्देश्य इन तत्त्वों में सामंजस्य स्थापित करना है। नियोजन का उद्देश्य केवल भौतिक उत्पत्ति करना ही नहीं है, अपितु मानव का सही अर्थ में सर्वांगीण विकास करना है। मानव में विनियोजन उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि भौतिक उत्पादन में। मानव और मानव व्यक्तित्व का विकास नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है।

भारत में भी नियोजन का 'मूलभूत उद्देश्य यह है कि सतत आर्थिक उत्पत्ति के लिए दृढ़ आधार की व्यवस्था हो, लाभदायक रोजगार के लिए अवसरों का और बढ़ाया जाय और आम लोगो के जीवन स्तर तथा काम करने की परिस्थितियों को सुधारा जाय।' नियोजन का प्रमुख उद्देश्य 'प्रयत्न और व्यापक रूप से सम्मिलित होकर किये गए त्याग और बलिदानों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना है जिसमें कोई जति श्रेणी या विशेषधिकार न हो और उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग तथा देश के समस्त भागों को विकसित होने एवं राष्ट्रीय वन्द्याण में योगदान करने के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हो।'

(३) नियोजन की आवश्यकता—नियोजन की आवश्यकता का अनुभव पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की अनिश्चित अवस्था के कारण हुआ। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था समय-समय पर व्यापार चक्रों से प्रभावित होती रहती है अतः इसमें आर्थिक स्थिरता नहीं होता है। नॉर्मन एंजिल के शब्दों में, "मुक्त व्यापार घराशाही हो गया है और यदि औद्योगिक एवं वित्तीय व्यवस्था को कार्य करना है तो सजग नियन्त्रण आवश्यक है।" पहले यह विश्वास किया जाता था कि पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में ऐसे तत्त्व विद्यमान हैं जो अम-तुलन की स्थिति को स्वतः ठीक कर देते हैं। परन्तु अब इस सिद्धान्त में विश्वास नहीं किया जाता। पूर्ण स्पर्धा स्वप्नमान रह गयी है। मानव की स्वार्थपरता, बाजार की अपूर्णताएँ तथा उपभोक्ताओं की अज्ञानता के कारण आर्थिक अन्वय की मृष्टि होती है। प्रयत्नों के होने हुए भी समय-समय पर पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था को आर्थिक मन्दी तथा बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन दोषों को दूर करने के लिए कुछ देशों में आर्थिक नियोजन अपनाया गया। अमरीका में न्यू डील (New Deal) इसका उदाहरण है।

इसके अतिरिक्त नियोजन द्वारा प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनका सम्योचित विनियोजन किया जा सकता है। नियोजन द्वारा अनावश्यक स्पर्धा को दूर किया जा सकता है। अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में अनिश्चित लक्ष्य नहीं होते। अतः नियोजन द्वारा अल्पकाल में ही देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है।

अर्द्ध-विकसित देशों (under-developed countries) में नियोजन की आवश्यकता तथा उपयोगिता निर्विवाद है। अर्द्ध विकसित का अर्थ भूतकाल में सामाजिक एवं आर्थिक अवरोध तथा भविष्य में उत्पत्ति एवं विकास की आशा से है। प्रायः समस्त अर्द्ध विकसित देशों में कृषि की प्रधानता, निर्धनता, बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, रुढ़िग्रस्तता, जनसत्त्या का आधिपत्य, प्राविधिक ज्ञान का अभाव, अविकसित आर्थिक सम्पत्तियाँ तथा विदेशी व्यापार, अल्प राष्ट्रीय आय, निम्न जीवन स्तर आदि पाये जाती हैं। ऐसी अर्थ-व्यवस्था में मध्यकालीन विगो-

1. 'Laissez faire has broken down and if the industrial and financial machinery is to work, there must be conscious control.' —Normal Angell, *From Chaos to Control* 1933 p 51

ताओं के साथ ही साथ कहीं-कहीं और किसी-किसी क्षेत्र में अनियोजित आधुनिकता भी पायी जाती है। ऐसे देशों का आर्थिक विकास करना एक जटिल समस्या है।

विकसित देशों में नियोजन की आवश्यकता आर्थिक असन्तुलन को दूर करने के लिए होती है, परन्तु अर्द्ध-विकसित देशों में नियोजन आर्थिक विकास के लिए आवश्यक शर्त होता है। नियोजन द्वारा ऐसे देशों के साधनों का समुचित उपयोग करते हुए अल्प समय में ही आर्थिक विकास किया जा सकता है। 'एक अर्द्ध विकसित देश के सामने केवल वर्तमान आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के ढाँचे के भीतर और अधिक परिणाम प्राप्त करने का ही प्रश्न नहीं होना बल्कि उन्हें इस तरह ढालने और बनाने की समस्या होती है जिससे वे और अधिक विस्तृत और गहरे सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति में प्रभावशाली ढंग से अपना योगदान कर सकें।'<sup>1</sup> इस उद्देश्य की पूर्ति आर्थिक नियोजन द्वारा ही की जा सकती है।

भारत में आर्थिक नियोजन सम्बन्धी प्रयत्न (Earlier attempts at Planning in India)—आर्थिक नियोजन का महत्त्व द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अधिक बढ गया है। भारत में सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम मार्च १९५० में योजना आयोग की स्थापना की गयी। तब से नियोजन का व्यावहारिक कार्य प्रारम्भ हुआ परन्तु इसके पूर्व भी व्यक्तिगत स्तर पर कुछ ऐसे प्रयत्न किये गये थे जिनका ऐतिहासिक महत्त्व है। 'भारत के स्वतन्त्रता-सर्पण काल में स्वाधीनता का राजनीतिक पक्ष अन्य सब चीजों पर हावी था। फिर भी शुरू से ही भारत की राष्ट्रियता में आर्थिक चिन्तन और समाज-मुधार के तत्त्व बडी मात्रा में मौजूद थे। आम लोगों की रीसों को दूर करने तथा भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन के समस्त ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए स्वतन्त्रता को ही अनिवार्य साधन माना जाता था। दादाभाई नौरोजी से लेकर, जिनका 'दि पावर्टी ऑव इण्डिया' विषयक लेख १८७६ में प्रकाशित किया गया था, अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इन उद्देश्यों को राष्ट्रीय सप्राण में सर्वोपरि स्थान दिया।' महात्मा गांधी ने राजनीतिक नेतृत्व के साथ ही साथ सामान्य जनता के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान को सर्वोपरि महत्त्व दिया। भारतीय स्वतन्त्रता सप्राण का आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान को सर्वोपरि महत्त्व दिया। कांग्रेस ने सन् १९४१ में एक व्यापक आर्थिक कार्यक्रम तैयार किया।

सन् १९३४ में सुप्रसिद्ध इजीनियर तथा राजनीतिज्ञ सर एम० विन्सेन्ट बेर्रिंग्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत के लिए नियोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy for India) प्रस्तुत की। सम्भवतः भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए यह प्रथम योजना थी। सन् १९३६ में राष्ट्रीय कांग्रेस ने कृषि के विकास के लिए एक कृषि कार्यक्रम स्वीकार किया। उसके पश्चात् सन् १९३८ में स्वर्गीय प० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय आयोजन समिति गठित की गयी। युद्ध के कारण यह समिति अपना प्रतिवेदन सन् १९४८ में प्रस्तुत कर सकी।

द्वितीय विश्वयुद्ध काल में युद्धोपरांत आर्थिक निर्माण की बात चलती रही। जून १९४१ को पश्चात् भारत सरकार ने पुनर्निर्माण का एक अलग पद प्रारम्भ किया। सर आर्देंशिर दलाल ने यह पद ग्रहण किया। उसी समय गैर-सरकारी स्तर पर कुछ योजनाएँ देश में प्रकाशित की गयीं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है -

(१) बम्बई योजना—सन् १९४३ के अन्त में बम्बई के आठ प्रमुख उद्योगपतियों ने 'A Plan for Economic Development in India' प्रस्तुत किया। यह योजना बम्बई योजना के नाम से प्रसिद्ध है। सर पुष्पोत्तमदास ठाकुरदास, जे० आर डी० टाटा, ए० डी० श्याफ, जी० डी० विरला आदि इस योजना के प्रणेता थे। इस योजना का लक्ष्य १५ वर्ष की अवधि में कृषि

<sup>1</sup> तृतीय पंचवर्षीय योजना, पृ० ५।

उत्पादन में १३०% तथा औद्योगिक उत्पादन में ५००% की वृद्धि करना था। इसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय १००% की वृद्धि करना (६५ रुपये से १३० रुपये) भी था। योजना में मूल उद्योगों को अधिक महत्त्व दिया गया था, जिससे कृषि की प्रधानता कम हो सके तथा देश का आर्थिक विकास सन्तुलित किया जा सके। योजना में १५ वर्षों में कुल व्यय १०,००० करोड़ रुपये निश्चित किया गया था।

(२) जन योजना (People's Plan)—अप्रैल १९५४ में इण्डियन फंडरेशन ऑफ लबर की ओर से एम० एन० राय ने जन योजना (People's Plan) प्रकाशित की। यह योजना १० वर्षों की अवधि के लिए बनायी गयी थी तथा इसके अन्तर्गत कुल व्यय १५,००० करोड़ रुपये करना था।

इस योजना में कृषि तथा उपभोक्ता उद्योगों को प्राथमिकता दी गयी थी। योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादन में ४००% तथा औद्योगिक उत्पादन में ६००% की वृद्धि करना था।

(३) गांधीवादी योजना—सन् १९४४ में श्रीमन्नारायण अग्रवाल द्वारा देश का आर्थिक विकास के लिए गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गयी। यह योजना आदर्शवादी थी, जिसमें व्यय कार्यक्रम व लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित न करके योजना-विधि पर अधिक ध्यान दिया गया था। इस योजना में आत्मनिर्भर गांधी पर आधारित विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था, कृषि-कुटीर एवं ग्रामोद्योग आदि को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया।

(४) सरकारी स्तर पर प्रयत्न—सन् १९४४ में स्थापित नियोजन तथा विकास विभाग में आर्थिक स्थिति को सामान्य करने के उद्देश्य से एक अल्पकालीन योजना तथा आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार की। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व अन्तरिम सरकार ने एक सलाहकार आयोग बौर्ड स्थापित किया। इस बौर्ड का प्रमुख कार्य आयोग के लिए आवश्यक आकड़े एकत्र करना था। देश-विभाजन एवं तदुत्पन्न समस्याओं के कारण बौर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। २६ जनवरी, १९५० से भारत में नया संविधान लागू किया गया। संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों द्वारा यह घोषणा की गयी कि :

“राज्य जनता के कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयत्न एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की यथा-सम्भव प्रभावशाली रूप में स्थापना और उसकी रक्षा करके करेगा जिसके अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त समस्याओं में व्याप्त होगा।”

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश का आर्थिक नव-निर्माण करना आवश्यक हो गया। आर्थिक नव-निर्माण के लिए योजनावद्ध विकास आवश्यक समझा गया। अतः मार्च १९५० में योजना आयोग की स्थापना की गयी, “जिसका उद्देश्य देश के भौतिक, पूँजीगत और मानवीय साधनों का मूल्यांकन करना और इनके अत्यधिक प्रभावशाली एवं सन्तुलित उपयोग की योजना बनाना था।” स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष थे। जुलाई १९५१ में योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा (draft outline) प्रस्तुत की। यह योजना १ अप्रैल, १९५१ से आगामी पाँच वर्षों के लिए लागू की गयी। इस प्रकार भारत में योजनावद्ध आर्थिक विकास का श्रीगणेश हुआ।

यहाँ यह स्मरणीय है कि भारत ने उस योजना को नहीं अपनाया जिसे रूस आदि साम्यवादी देशों ने अपनाया था। भारतीय आयोगन प्रजातन्त्रात्मक आयोगन (Democratic Planning) है जो विश्व के लिए एक नयी वस्तु है। इस प्रकार सन् १९३८ में गठित राष्ट्रीय आयोगन समिति का स्वप्न साकार हुआ, जिसने प्रजातन्त्रात्मक आयोगन पर जोर दिया तथा उसे परिभाषित किया था।

## प्रथम पंचवर्षीय योजना (THE FIRST FIVE YEAR PLAN)

जुलाई १९५१ में योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह योजना १ अप्रैल, १९५१ से ३० मार्च, १९५६ तक के लिए तैयार की गयी थी। आरम्भ में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल २,०६६ करोड़ रुपये योजनाकाल में व्यय करने का निश्चय किया गया था। सन् १९५३ में वरीयकारी की समस्या को दूर करने के उद्देश्य में कुल व्यय की राशि बढ़ाकर, २,०४६ करोड़ रुपये कर दी गयी। बाद में व्यय की कुल राशि बढ़ाकर २,३७० करोड़ रुपये कर दी गयी। इस प्रकार मूल रूप में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २,०६६ करोड़ रुपये व्यय करने के कार्यक्रम बनाये गये तथा अन्तिम रूप में यह राशि बढ़ाकर २,३७० करोड़ रुपये कर दी गयी थी।

(१) प्रथम योजना के उद्देश्य—प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे

(i) आर्थिक असन्तुलन को दूर करना—द्वितीय विश्वयुद्ध तथा देश-विभाजन के कारण उत्पन्न आर्थिक असन्तुलन को दूर करना।

(ii) पूर्व योजनाओं को पूर्ण—प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से पहले ही केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कुछ परियोजनाएँ (Projects) आरम्भ की गयी थीं। इन पूर्व-स्थानित योजनाओं को भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया। वास्तव में, उन योजनाओं को भी पूर्ण करना प्रथम योजना का प्रमुख लक्ष्य था।

(iii) दीर्घकालीन उद्देश्य—योजना का दीर्घकालीन उद्देश्य अर्थव्यवस्था को इस प्रकार विकसित करना था जिससे आर्थिक असन्तुलन दूर हो सके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो तथा जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके।

प्रथम पंचवर्षीय योजना तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गयी थी, इसमें दीर्घकालीन उद्देश्यों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

(२) प्राथमिकताएँ—(i) कृषि—प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को प्राधान्य दी गयी। उस समय देश व समग्र खाद्य-समस्या थी तथा कपास, जूट आदि कच्चे माल का अत्यंत अभाव था। अतः कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। कृषि कार्यक्रमों के अन्तर्गत भूमि-सुधार, मिर्चाई मुक्ति, कृषकों के लिए ऋण व्यवस्था, सहकारिता, पशुपालन, बीज, खाद तथा कृषि के सुधारे हुए उपकरणों का प्रयोग और कुटीर उद्योग-घरों को प्राथमिकता दी गयी।

(ii) विद्युत तथा उद्योग—मिर्चाई तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए विद्युतशक्ति आवश्यक थी, अतः विद्युत उत्पादन को द्वितीय प्राथमिकता दी गयी। इसके साथ ही माप कृष्ण रसायन आदि उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया तथा राष्ट्रीय महत्त्व के उद्योगों का विकास आवश्यक समझा गया।

(iii) सामाजिक सेवाएँ—नीमरो प्राथमिकता शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य आदि सामाजिक सेवाओं को दी गयी।

(iv) सामुदायिक विकास तथा यानायात—इस योजना में सामुदायिक विकास पर पर्याप्त जोर डाला गया। स्थानीय जन शक्ति के उपयोग के लिए सामुदायिक विकास योजनाओं को जयन्त उरयागी समझा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क-निर्माण आदि के लिए धनदान को उपयोगी समझा गया। रेल यानायात के विकास को अन्तिम प्राथमिकता दी गयी।

(३) इयय सम्बन्धी कार्यक्रम—आरम्भ में कुल २,०६६ करोड़ रुपये व्यय करने के कार्यक्रम बनाये गए थे। इन कार्यक्रमों में परिवर्तन किया गया तथा अन्तिम रूप में कुल व्यय की राशि

बढ़ाकर २,३७८ करोड़ रुपये कर दी गयी, परन्तु योजनाकाल में वास्तविक व्यय १,६६० करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है

प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तविक व्यय

	व्यय (करोड़ रुपये)	प्रतिशत
१. कृषि तथा सामुदायिक विकास	२६१	१५
२. सिंचाई तथा शक्ति	५७०	२६
३. उद्योग तथा खनिज	११७	६
४. यातायात तथा सवादवाहन	५२३	२७
५. सामाजिक सेवाएँ व अन्य	४५६	२३
योग	१,६६०	१००

(४) योजना की वित्त व्यवस्था—मूल रूप में प्रथम योजना २,०६६ करोड़ रुपये की थी परन्तु उसमें वास्तविक व्यय १,६६० करोड़ रुपये हुआ जिसकी वित्तीय व्यवस्था निम्न प्रकार की गयी

वित्तीय साधन	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशत
१. कर तथा रेलवे का आधिक्य	७५२	३८
२. बाजार ऋण	२०५	१०
३. अल्पवचन तथा ऋण	३०४	१६
४. अन्य पूंजीगत प्राप्ति	६१	५
५. विदेशी सहायता	१८८	१०
६. हीनार्य-प्रबन्धन	४२०	२१
योग	१,६६०	१००

(५) प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता—योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में १७.५% की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय २५० रुपये से बढ़कर २६८ रुपये हो गयी। प्रति व्यक्ति उपभोग में ८% की वृद्धि हुई। कृषि तथा उसके सहायक धन्यो में उत्पादन में १४.७% की वृद्धि हुई। खाद्यान्न का उत्पादन २०%, कपास का उत्पादन ४५% तथा तिलहन का उत्पादन ८% अधिक हुआ। सन् १९५०-५१ में खाद्यान्न का उत्पादन ५४० लाख टन था जो सन् १९५५-५६ में बढ़कर ६४६ लाख टन हो गया जबकि योजना का लक्ष्य ६१६ लाख टन था। निश्चित भूमि का क्षेत्रफल १.१० लाख एकड़ (१९५०-५१) से बढ़कर सन् १९५५-५६ में ६५० लाख एकड़ हो गया जबकि लक्ष्य ७०७ लाख एकड़ था।

औद्योगिक उत्पादन में ४०% की वृद्धि हुई। विद्युत उत्पादन-प्रमत्ता २३ लाख किलोवाट (सन् १९५०-५१ से बढ़कर ३४ लाख किलोवाट हो गयी (लक्ष्य ३६ लाख किलोवाट)। सीमेण्ट का उत्पादन २६.६ लाख टन से बढ़कर ५५.६ लाख टन हो गया (लक्ष्य ४८ लाख टन)। मिला द्वारा उत्पादित कपड़े का उत्पादन ३७,१८० लाख गज (सन् १९५०-५१) से बढ़कर ५५,१०२ लाख गज हो गया जबकि योजना का लक्ष्य केवल ४७,००० लाख गज था। जूट द्वारा निमित्त वस्तुओं का उत्पादन ८२४ हजार टन से बढ़कर १,०५४ हजार टन हो गया। भारी रसायन, इकोनियरी, चीनी, बागज तथा साइकिल के उत्पादन में भी सन्तोषजनक वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ नये कारखाने खोले गये जैसे—सिंदरी का कारखाना, चित्तूरजन लोकोमोटिव वर्क्स, हिन्दुस्तान गिपघार्ड, हिन्दुस्तान मशीन टूल, टेलीफोन फैक्टरी, आदि

प्रथम पंचवर्षीय योजना देश की आर्थिक समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयत्न थी। प्रारम्भ में योजना की प्रगति धीमी रही परन्तु अन्तिम दो वर्षों में सन्तोषजनक प्रगति हुई।

### द्वितीय पंचवर्षीय योजना

#### (THE SECOND FIVE YEAR PLAN)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा अधिक महत्वाकांक्षी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित आर्थिक विकास की आधारशिला रखना था और द्वितीय योजना का उद्देश्य इस आधार को मजबूत बनाना था। यह योजना १ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९६१ तक के लिए थी। साधन सीमित होने के कारण प्रथम योजना के लक्ष्य बहुत ऊँचे नहीं थे।

प्रथम योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गयी थी परन्तु द्वितीय योजना में मूल तथा आधारभूत उद्योगों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम योजना में आर्थिक विकास की गति धीमी थी। अतः द्वितीय योजना में आर्थिक विकास की गति में तीव्रता लाना आवश्यक हो गया। सन् १९५४ में कांग्रेस के अवादी अधिवेशन में समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना (Socialistic Pattern of Society) का लक्ष्य रखा गया। भारतीय संसद ने भी आर्थिक नीतियों का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना निश्चित किया। मार्च १९५६ में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को विस्तृत करने का लक्ष्य रखा गया। इन घटनाओं का द्वितीय योजना के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों पर भी प्रभाव पड़ा।

(१) द्वितीय योजना के उद्देश्य—(i) जीवन-स्तर को ऊँचा करना—राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि करना जिससे सामान्य जनता का जीवन-स्तर ऊँचा उठ सके। राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य पाँच वर्षों में २५% रखा गया। राष्ट्रीय आय में इस सीमा तक वृद्धि के लिए उत्पादन तथा विनियोग में अधिक तेजी से वृद्धि करना आवश्यक हो गया।

(ii) औद्योगीकरण—देश का शीघ्रताशीघ्र औद्योगीकरण करने के लिए वृहत् तथा आधारभूत उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया।

(iii) रोजगार में अधिक वृद्धि करना जिससे श्रम शक्ति के आधिक्य का समुचित उपयोग किया जा सके। योजनावधि में १२५ लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार दिलाने का लक्ष्य निश्चित किया गया।

(iv) आर्थिक असमानता दूर करना—इसके लिए आय तथा सम्पत्ति की असमानता में कमी करना तथा आर्थिक शक्ति के उचित वितरण का लक्ष्य रखा गया जिससे समाजवादी समाज की स्थापना में सहायता मिल सके।

इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगीकरण द्वारा देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करना तथा राष्ट्र को सामाजिक व आर्थिक न्याय की दिशा में अग्रसर करना था। योजना आयोग के शब्दों में, "हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य प्रामाण्य भारत का पुनर्निर्माण करना, भारत की औद्योगिक प्रगति की सुदृढ नींव रखना, जनता के दुर्बल तथा आधारहीन वर्ग को उत्पत्ति के अवसर प्रदान करना तथा देश के समस्त भागों का सन्तुलित विकास करना था।

(२) योजना में व्यय—योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में अन्तर्गत कुल ४,८०० करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कुल २,४०० करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य निश्चित किया गया परन्तु योजना की कार्यान्वित करते समय आर्थिक कठिनाइयाँ सामने आयीं। ये कठिनाइयाँ आन्तरिक साधनों तथा विदेशी विनिमय दोनों में सम्बन्धित थीं। आयात को जाने वाली मशीनों तथा उपकरणों का मूल्य बढ़ गया। इसके प्रमुख कारण अन्तरराष्ट्रीय मूल्य-स्तर में वृद्धि तथा स्वैज नहर संचय थे। विनियोग की मात्रा अधिक होने तथा उसकी तुलना में उत्पादन कम होने के कारण

देश में भी मूल्य स्तर ऊँचा उठा तथा मुद्रा-स्फीति की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयीं। इन कारणों से द्वितीय योजना के भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता हुई। परन्तु देश में साधनों का अभाव था। अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना को दो भागों में बाँट दिया गया। प्रथम भाग (Part-A) में व्यय का कार्यक्रम ४,५०० करोड़ रुपये निश्चित किया गया। इस भाग में वे योजनाएँ सम्मिलित की गयीं जिनका सम्बन्ध कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से था या जिन पर अधिक व्यय किया जा चुका था, जैसे—रेलवे, इस्पात कोयला तथा विद्युत उत्पादन सम्बन्धी योजनाएँ। दूसरे भाग (Part B) में ३०० करोड़ रुपये की योजनाएँ रखी गयीं जिनकी पूर्ति अतिरिक्त वित्तीय साधनों की प्राप्ति पर निर्भर थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (सार्वजनिक क्षेत्र) ४,८०० करोड़ रुपये की थी परन्तु वास्तविक व्यय केवल ४,६०० करोड़ रुपये किया जा सका।

निम्नांकित तालिका से सार्वजनिक क्षेत्र में योजना के विभिन्न भदों पर नियोजित तथा वास्तविक व्यय का ज्ञान होना है

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यय**

(करोड़ रुपये)

विवरण	वास्तविक व्यय	
	कुल व्यय	प्रतिशत
१ कृषि तथा सामुदायिक विकास	५३०	११
२ सिंचाई एवं विद्युत शक्ति	८६५	१९
३ उद्योग एवं खनिज	१,०७५	२४
४ यातायात तथा मवादवाहन	१,३००	२८
५ सामाजिक सेवाएँ	८३०	१८
६ विविध		
योग	४,६००	१००

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को अधिक महत्त्व दिया गया था। कृषि सिंचाई योजनाओं पर योजना के कुल व्यय का ३१% व्यय करना था। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गयी। योजना में उद्योग व खनिज पर कुल व्यय का २४% व्यय किया गया जिसमें ग्रामीण और लघु उद्योगों का भाग ४% था। इस प्रकार मूल तथा बड़े पैमाने के उद्योगों पर कुल व्यय का २०% भाग व्यय किया गया। यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस पर व्यय की मात्रा काफी बढ़ा दी गयी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवाओं तथा विभिन्न भदों (miscellaneous) पर ३३% व्यय किया गया जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन पर कुल व्यय का १८% व्यय किया गया। कृषि पर कुल व्यय ९५० करोड़ रुपये हुआ जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर कुल व्यय ६०१ करोड़ रुपये हुआ था।

(१) विनियोग—द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत पूंजी विनियोग ३,६३० करोड़ रुपये हुआ, जबकि प्रथम योजना में विनियोग की यह राशि १,३६० करोड़ रुपये थी। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में व्यय तथा पूंजी विनियोग निम्न प्रकार हुआ

प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं में व्यय तथा पूंजी विनियोग

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	प्रथम योजना	द्वितीय योजना
१ सरकारी क्षेत्र का व्यय	१,९६०	४,६००
२ सरकारी क्षेत्र का पूंजी विनियोग	१,५६०	३,६५०
३ निजी क्षेत्र का पूंजी विनियोग	१,८००	३,१००
४ योग (पूंजी विनियोग)	३,३६०	६,७५०

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रथम योजना में विनियोग का लक्ष्य १,६०० करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र का पूँजी विनियोग लक्ष्य २,४०० करोड़ रुपये का था।

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र का पूँजी विनियोग निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ।

(४) योजना के वित्तीय साधन—द्वितीय पंचवर्षीय योजना की वित्तीय व्यवस्था निम्न प्रकार कर्णी थी :

साधन	(करोड़ रुपये)	अनुमानित व्यय
१. वर्तमान व्यय से बचत	६००	
२. जनता में सृण	१,२००	
३. बजट के अन्य साधन (रेलवे तथा प्रॉवीडेण्ट फण्ड आदि)	४००	
४. बाह्य साधन—विदेशी सहायता	६००	
५. हीनार्थ-प्रबन्धन	१,२००	
६. अन्तर को पूरा करने के लिए विदेशी साधनों से प्राप्ति का प्रयत्न	४००	
<b>कुल योग</b>		<b>४,८००</b>

द्वितीय योजनाकाल में वास्तविक व्यय ४,६०० करोड़ रुपये हुआ। इसका ५१% भाग कर ऋण तथा अन्य साधनों से प्राप्त हुआ।

६,६०० करोड़ रुपये में ३,५१० करोड़ रुपये आन्तरिक साधनों द्वारा (रिजर्व और स्टेट बैंक द्वारा पी० एल० ४८० की जमा राशियों से दी गयी राशियों को सम्मिलित करके) तथा १,०९० करोड़ रुपये विदेशी सहायता से प्राप्त हुए।

(i) औद्योगिक प्रगति—द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में आर्थिक प्रगति समतोपजनक रही। योजना के अन्तिम वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन ७६० लाख टन हुआ (प्रारम्भिक लक्ष्य ७३० लाख टन, समोदित लक्ष्य ८०५ लाख टन) औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक सन् १९६०-६१ में १९४ हो गया (१९५०-५१=१००)। योजनाकाल में तीन इस्पात के कारखाने स्थापित किये गये (मिलार्ड, राउरकेला, दुर्गापुर)। यशोवर्धन निर्माण उद्योग ने समतोलजनक प्रगति की। मशीन टूल का उत्पादन सन् १९५०-५१ में ३४ करोड़ रुपये का था जो सन् १९६०-६१ में बढ़कर ५५ करोड़ रुपये का हो गया। खाद उद्योग तथा रसायन उद्योग की प्रगति मराहनीय रही। पूँजीगत वस्तुओं की सध्वन्धी उद्योग ने आशातीत उप्रति की। कुछ सर्वथा नयी वस्तुओं का उत्पादन देश में प्रारम्भ हुआ।

(ii) रोजगार—योजनाकाल में ८० लाख अनिश्चित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया जिसमें से ६५ लाख व्यक्तियों को कृषि के बाहर अन्य क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हुआ। योजना का लक्ष्य १ करोड़ था जिसमें से ८० लाख व्यक्तियों को कृषि के बाहर रोजगार दिलाया था। रोजगार के लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा सकी क्योंकि द्वितीय योजना के अन्त में देश में ६० लाख व्यक्ति बेकार थे।

(iii) राष्ट्रीय आय—राष्ट्रीय आय, बचत तथा विनियोग की दरों में वृद्धि हुई। बचत का लक्ष्य योजनाकाल में ७% में बढ़कर १०% (राष्ट्रीय आय का) करना था परन्तु बचत की दर ७% से बढ़कर केवल ८.५% हुई। वास्तविक विनियोग की दर (राष्ट्रीय आय के प्रतिशत रूप में)



७.३१% से बढ़कर ११% हो गयी। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः २५ तथा १८ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निश्चित किया गया था परन्तु इसमें वास्तविक वृद्धि क्रमशः २१ तथा ६ प्रतिशत हुई। इस प्रकार यद्यपि द्वितीय योजना की प्रगति सन्तोषजनक थी फिर भी लक्ष्यो तथा मफलताओं में पर्याप्त अन्तर रहा। अतः योजना का यथार्थवादी होना आवश्यक समझा गया।

(६) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कठिनाइयाँ—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो अप्रत्याशित थीं। ये कठिनाइयाँ निम्नलिखित थीं

(i) विदेशी विनिमय संकट—योजना के प्रारम्भ होत ही अर्थ-व्यवस्था को विदेशी विनिमय संकट का सामना करना पड़ा। यह अनुमान लगाया गया था कि योजनावधि में विदेशी व्यापार कुल १,१०१ करोड़ रुपये में प्रतिबन्ध रहेगा परन्तु योजना के प्रथम दो वर्षों में ही व्यापारिक प्रतिबन्धिता १,०२६ करोड़ रुपये हो गयी। अधिक मात्रा में आयात—विशेषतया लौहा तथा इस्पात, औद्योगिक कच्चा माल तथा पूंजीगत वस्तुओं के कारण भारत को घोर विदेशी विनिमय संकट का सामना करना पड़ा। 'पौण्ड पावनों' (Sterling Balances) में से जो राशि योजना के पाँच वर्षों में निकलनी थी, वह योजना के प्रथम १½ वर्षों में ही व्यय कर दी गयी। विदेशी विनिमय संकट आगामी वर्षों में और अधिक बढ़ता गया तथा योजनावधि में कुल १८५६ करोड़ रुपये का व्यापारिक घाटा रहा।

(ii) मूल्य-स्तर में वृद्धि—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष से ही मूल्य स्तर में वृद्धि व्याप्त हुई, तब से यह समस्या लगातार बनी हुई है। थोक मूल्यों का सामान्य सूचकांक जो सन् १९५५-५६ में ६६ था (१९५२-५३=१००) सन् १९५६-५७ में बढ़कर १०४ हो गया। फरवरी १९५८ से मूल्य-स्तर में और भी तेजी से वृद्धि होने लगी। सितम्बर १९५८ में थोक मूल्यों का सूचकांक ११६५ तथा अप्रैल १९६० में १२०४ हो गया। मार्च १९६१ में थोक मूल्यों का सूचकांक १२७ हो गया (१९५०-५१=१००)। इस प्रकार योजनाकाल में मूल्य स्तर में कुल ३०% की वृद्धि हुई। मूल्य स्तर में इस वृद्धि के कारण आर्थिक जीवन में अनिश्चितता आ गयी। योजना व्यय सम्बन्धी सभी अनुमान गलत सिद्ध हो गये। मूल्य-स्तर में इस वृद्धि का प्रमुख कारण कृषि उत्पादन में कमी तथा अल्प समय में ही अधिक मात्रा में विनियोजन करना था।

(iii) कृषि उत्पादन में कमी—योजना की कठिनाइयों का प्रमुख कारण कृषि उत्पादन में कमी भी थी। सन् १९५६-५७ में सन् १९५५-५६ की अपेक्षा २५ लाख टन खाद्यान्नों का अतिरिक्त उत्पादन करने का लक्ष्य था परन्तु उत्पादन में उम वर्ष केवल १५ लाख टन वास्तविक वृद्धि हुई। सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ में भी कृषि उत्पादन सन्तोषजनक नहीं रहा। १९५९-६० में खाद्यान्नों का उत्पादन पूर्व वर्ष की अपेक्षा ४० लाख टन कम हुआ। उमी वर्ष पूर्व वर्ष (१९५८-५९) की तुलना में कपास के उत्पादन में १०%, जूट के उत्पादन में १२% तथा तिलहन के उत्पादन में ८% की कमी हुई। कृषि उत्पादन में इस कमी तथा उतार चढ़ाव के कारण मूल्य-स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ा, जीवन-निर्वाह व्यय में वृद्धि हुई तथा जनता की कठिनाइयाँ बढ़ गयी।

(vi) आन्तरिक साधनों का अभाव तथा व्यय में कमी—विदेशी विनिमय संकट के साथ ही साथ आन्तरिक वित्तीय साधन एकत्र करने में भी कठिनाइयाँ हुईं। राज्य सरकारें अतिरिक्त कर द्वारा अपेक्षित आय प्राप्त करने में असमर्थ रही। वर्तमान करो की दरों (१९५५-५६) पर आय में स ३५० करोड़ रुपये की बचत करनी थी, जबकि वस्तुतः योजनाकाल में इन मद में १०० करोड़ रुपये की कमी रही। अल्प बचत योजना से केवल ३८० करोड़ रुपये प्राप्त हुए (लक्ष्य ५०० करोड़ रुपये) आर्थिक साधनों की कमी के कारण ही योजनाकाल में केवल ४,६०० करोड़ रुपये व्यय किये जा सके।

इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में विभिन्न प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का

सामना करना पड़ा। इसका प्रमुख कारण योजना का अधिक महत्वाकांक्षी (over-ambitious) होना था। भौतिक लक्ष्यों पर नियोजकों ने अधिक ध्यान दिया, साधन सग्रह पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने प्रशासन सम्बन्धी सुधार अर्थात् व्यवस्था के विभिन्न अंगों का सन्तुलित विकास तथा वातायत सम्बन्धी कठिनाइयाँ आदि समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। योजना के आरम्भिक वर्षों से ही यह कठिनाइयाँ बढ़ती गयी। 'अभाव' तत्कालीन अर्थ-व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव, घोरबाजारी, मूल्य स्तर में वृद्धि, भ्रष्टाचार में वृद्धि, श्रम सम्बन्धी कठिनाइयाँ तथा अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अवयवों में असन्तुलन की स्थिति का पाया जाना द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल की प्रमुख विशेषताएँ थीं। परन्तु इन सबके लिए केवल नियोजक (Planners) ही उत्तरदायी नहीं थे। योजना की सफलता कई बातों पर निर्भर थी, जिनमें से अधिकांश पर उनका कोई अधिकार नहीं था।

### तृतीय पंचवर्षीय योजना (THE THIRD FIVE YEAR PLAN)

तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की अपेक्षा काफी बड़ी योजना थी। इसके अन्तर्गत कुल ११,६०० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी जिसमें से ७,५०० करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में तथा ४,१०० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया।

(१) योजना के उद्देश्य—तृतीय योजना में दीर्घकालीन विकास तथा विकास के लिए अधिक शक्तिशाली प्रयत्नों पर जोर दिया गया। योजनाकाल में वृष्टि की व्यवस्था में पर्याप्त सुधार करने, उद्योग, विद्युत-शक्ति तथा परिवहन के साधनों का विश्वास करने, सम्पूर्ण अतिरिक्त श्रम शक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था तथा अवसर की समानता व समाजवादी सपना की स्थापना की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाने का प्रावधान किया गया। योजना के निर्माण के समय निम्नलिखित मुख्य लक्ष्य निर्धारित किये गये

- (i) राष्ट्रीय आय में वृद्धि—राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष ५% वृद्धि तथा योजनाकाल में राष्ट्रीय आय में कुल ३०% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।
- (ii) कृषि—खाद्यान्नों के उत्पादन में इतनी वृद्धि करने का निश्चय किया गया कि आत्म-निर्भरता की स्थिति उत्पन्न हो सके और कृषि के विभिन्न पदार्थों के लिए यह सकल्प किया गया कि उनका उत्पादन देश के उद्योग तथा निर्यातों की आवश्यकता सापक बढ़ाया जा सकेगा।
- (iii) आधारभूत उद्योगों का विस्तार—इम्प्यात, रसायन, ईंधन और बिजली जैसे आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना और मशीन-निर्माण क्षमता को इतना बढ़ाना कि आगामी दस वर्षों में और औद्योगीकरण की आवश्यकताएँ देश में निमित्त साधनों से पूरी की जा सकें।
- (iv) रोजगार—देश की जनशक्ति का यथासम्भव पूरा उपयोग करना और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना।
- (v) आय व सम्पत्ति की असमानता दूर करना—क्रमशः अवसरों की अधिकतम समानता प्रदान करना, आय और सम्पत्ति की विषमता में कमी करना तथा आर्थिक शक्ति का अधिक समान रूप से वितरण करना।

(२) व्यय कार्यक्रम तथा विनियोग—योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल व्यय ७,५०० करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र का व्यय ४,१०० करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। इस प्रकार योजनाकाल में कुल ११,६०० करोड़ रुपये के व्यय कार्यक्रम निश्चिन किये गये। सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय किये जाने वाले ७,५०० करोड़ रुपये में से ६,३०० करोड़ रुपये पूंजी विनियोग तथा १,२०० करोड़ रुपये चामू व्यय के लिए थे। योजना में यह स्पष्ट कर दिया गया कि योजना में

सम्मिलित सभी भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कुल ८,००० करोड़ रुपये की आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र में होगी। निम्न सारिणी में सार्वजनिक क्षेत्र में किये जाने वाले व्यय (७,५०० करोड़ रुपये) का मुख्य मदों के अन्तर्गत वितरण दिखाया गया है।

तृतीय योजना का व्यय कार्यक्रम—सार्वजनिक क्षेत्र (करोड़ रुपये)

वितरण	कुल व्यय	प्रतिशत
१ कृषि तथा सामुदायिक विकास	१,०६८	१४
२ बड़ी तथा मध्यम बिचार्ई योजनाएँ	६५०	९
६ बिजली	१,०१२	१३
४ ग्राम और लघु उद्योग	२६४	४
५ संगठित उद्योग और सनिज	१,५२०	२०
६ परिवहन और संचार साधन	१,४८६	२०
७ सामाजिक सेवाएँ और विविध	१,३००	१७
८ इन्वेण्टरी	२००	३
<b>योग</b>	<b>७,५००</b>	<b>१००</b>

७,५०० करोड़ रुपये में ३,७२५ करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा तथा ३,७७५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय करने की व्यवस्था की गयी परन्तु राज्यों द्वारा योजनाओं के भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कुल ३,८४७ करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया।

इन योजनाकाल में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में मिलाकर १०,४०० करोड़ रुपये की पूँजी विनियोग करनी थी।

समस्त भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करने में ८,००० करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में व्यय करने थे। योजना-काल में अम-शक्ति में १.७ करोड़ की वृद्धि का अनुमान लगाया गया जिसमें से केवल १.४ करोड़ व्यक्तियों को रोजगार देने की सम्भावना व्यक्त की गयी। सभी कार्यक्रमों के पूरे हो जाने पर राष्ट्रीय आय में ३४% की वृद्धि, कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के शुद्ध उत्पादन में २५%, धानो और कारखानों के उत्पादन में ८२% तथा अन्य क्षेत्रों के उत्पादन में ३२% की वृद्धि की गयी। यदि राष्ट्रीय आय में केवल ३०% की वृद्धि हुई तो राष्ट्रीय आय योजना के अन्त में १६,००० करोड़ रुपये हो जायगी (द्वितीय योजना के अन्त में सन् १९६०-६१ के मूल्यों पर राष्ट्रीय आय १४,५०० करोड़ रुपये थी)। जनसह्या के तत्कालीन अनुमानों के आधार पर तीसरी योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति आय ३८५ रुपये हो जाने की आशा की गयी।

(४) योजना के वित्तीय साधन—योजनाकाल में कुल विनियोग १०,४०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया अर्थात् पूँजी विनियोग की दर कुल राष्ट्रीय आय के ११% से बढ़ाकर १४% करनी थी। स्वदेशी बचत की दर राष्ट्रीय आय के लगभग ८% से बढ़ाकर तृतीय योजना के अन्त तक ११.५% करने का मकल्प किया गया। योजना में कुल ७,५०० करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। परन्तु योजना में सम्मिलित सभी भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए कुल ८,००० करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया। अप्रलिखित तालिका में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय साधनों से प्राप्त होने वाली आय दिखायी गयी है। तुलना की दृष्टि में द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के वित्त (वास्तविक प्राप्ति) के प्रमुख स्रोत भी दिये गये हैं।

द्वितीय तथा तृतीय योजना के वित्तीय साधन

(करोड़ रुपये)

शीर्षक	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
१ चालू राजस्व से बचत (अतिरिक्त कराधान को छोड़कर)		
२ रेलवे का अशदान	—५०	५५०
३ सरकारी उद्योगों की बचत	१५०	१००
४ जनता से ऋण (विशुद्ध)	—	४५०
५ अल्प बचतें (विशुद्ध)	७८०	८००
६ प्रांवीडेण्ट फण्ड	४००	६००
७ इस्पात समीकरण कोष	१७०	२६५
८ विविध पूंजीगत प्राप्ति	३८	१०५
	२२	१७०
योग		
९ अतिरिक्त कराधान, जिनमें सरकारी उद्योगों एवं व्यवसायों की बचत बढ़ाने के उपाय शामिल हैं	१,५१०	३,०४४
१० विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखायी गयी प्राप्तियाँ	१,०५२	१,७१०
११ हीनार्ष प्रवन्धन	१,०६०	२,२००
	६४८	५५०
कुल योग	४,६००	७,५००

योजना-काल में २,२०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया।

इस राशि में पी० एल० ४८० के अन्तर्गत किये खाद्यान्नों के आयात का मूल्य सम्मिलित करने पर योजना-काल में भुगतान सन्तुलन में कुल ३,२०० करोड़ रुपये की कमी का अनुमान था। १०,४०० करोड़ रुपये के विनियोग के लिए २,०३० करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी। योजना की उपर्युक्त आवश्यकताओं के अतिरिक्त कच्चा माल, कल-पुर्जे, पुरानी मशीनों की बदलने (Maintenance Imports) आदि के लिए ३,६५० करोड़ रुपये मूल्य के आयात करने की व्यवस्था की गयी।

(५) तृतीय योजना की प्रगति— तृतीय योजना-काल (अप्रैल १९६१ से मार्च १९६६ तक) में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल ८,६३१ करोड़ रुपये व्यय किये गये जबकि प्रस्तावित व्यय केवल ७,५०० करोड़ रुपये था। योजनाकाल में कृषि, सहकारिता तथा सामुदायिक विनास पर १,१०३ करोड़, सिंचाई तथा विद्युत पर १,६१६ करोड़, लघु व ग्रामीण उद्योगों पर २२० करोड़, सगठित उद्योग तथा खनिज पर १,७३५ करोड़, परिवहन व सवादावाहन पर २,११६ करोड़, सामाजिक सेवाओं पर १,४२२ करोड़ तथा अन्य मदों पर ११६ करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस प्रकार व्यय सन्वन्धी लक्ष्यों की पूर्ति हो गयी, परन्तु उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

तृतीय योजनाकाल में आर्थिक विकास की गति मन्द रही। विकास-दर (growth rate) राष्ट्रीय आय में वृद्धि के सन्दर्भ में सन् १९६१-६२ में २.५%, १९६२-६३ में १.७%, १९६३-६४ में ४.६% १९६४-६५ में ७.६% तथा १९६५-६६ में ४.२% (negative) रही। कृषि का

उत्पादन लगभग पूर्ववत् रहा तथा अर्थिक मानों में ग्राह्यता का अभाव बना पड़ा। केवल वर्ष १९६४-६५ में खाद्य उत्पादन स्थिति ठीक रही (उत्पादन २०९ करोड़ टन)। योजनाबद्धि में औद्योगिक उत्पादन भी गणानुकूल नहीं बढ़ सका। नून उद्योगों विशेषतः उत्पादक उत्पादन लक्ष्य में बहुत कम रहा। योजनाकाल में मूल्यों में ३६% वृद्धि हुई, विनिर्देश की जायिक कठिनाइयों बढ़ गयीं। रोजगार के लक्ष्यों की भी पूर्ति नहीं हो सकी।

योजना का अन्तिम वर्ष १९६५-६६ पूर्णतः असामान्य रहा। प्रदेश क्षेत्र में उत्पादन में स्थिरता आयी। इस वर्ष वृषि उत्पादन में १५% बढ़ी हुई औद्योगिक उत्पादन ३२% मात्र बढ़ा तथा राष्ट्रीय आय में ४०% बढ़ी हुई। निर्यात में भी कमी हुई। नाशान की समस्या, बटल हुए मूल्यों की समस्या, विदेशों विनिर्देश की समस्या, रोजगारों की समस्या, जनसंख्या की समस्या आदि सबके ने भी अधिक अटिक्त हो गयीं। इन प्रकार नृतीय योजनाकाल क्षान्त भी अर्थ-व्यवस्था के लिए असफलताओं एवं आर्थिक कठिनाइयों का शायद रहा।

### भारत में आर्थिक नियोजन के प्रथम पन्द्रह वर्ष

#### (ACHIEVEMENTS OF FIRST FIFTEEN YEARS OF PLANNED DEVELOPMENT)

३१ मार्च, १९६६ को भारत में आर्थिक नियोजन का पन्द्रह वर्ष पूरे हुए तथा १ अगस्त, १९६६ से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास प्रारम्भ हुआ। यहाँ पर गत पन्द्रह वर्षों के योजनाबद्ध आर्थिक विकास की उपलब्धियों पर एक विह्वल दृष्टि डालेंगे जिसमें हमें यह बात हो सके कि गत वर्षों में भारत की प्रगति किस सीमा तक हुई है। कुछ जासूसों ने भारत में नियोजन की सफलता की कटु आशयता की है। परन्तु यदि हम नियोजित आर्थिक विकास की उपलब्धियों पर विवेक के साथ विचार करें तो निश्चित रूप से इन निष्कर्षों पर पहुँचेंगे कि विभिन्न कठिनाइयों, आर्थिक समस्याओं तथा कुछ क्षेत्रों में योजनाओं की असफलताओं के होते हुए भी भारतीय अर्थ-व्यवस्था की प्रगति सन्तोषजनक रही है। अब हम इन सफलताओं पर कुछ विस्तारपूर्वक प्रकाश डालेंगे।

(१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि—नियोजन के पूर्व वर्षानु १९५० तक, भारत में आर्थिक विकास की दर औसत रूप से एक प्रतिशत वार्षिक मात्र थी। वर्ष १९०० से १९५० तक वृषि विकास दर ०.५ प्रतिशत ही थी। प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल (१९५१-५२ से १९५५-५६) में भारत में आर्थिक विकास दर ३.४ प्रतिशत वार्षिक तथा द्वितीय योजनाकाल (१९५६-५७ से १९६०-६१) में विकास दर (growth rate) ४ प्रतिशत वार्षिक थी। विभिन्न आर्थिक कठिनाइयों के होते हुए भी तृतीय योजनाकाल (१९६१-६२ से १९६५-६६) के प्रथम वर्ष में ०.५ प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में १.० प्रतिशत, तृतीय वर्ष में ४.२ प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष में ०.२ प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। योजना के अन्तिम वर्ष (१९६५-६६) में देश के विभिन्न भागों में अनावृष्टि तथा भारत-राज युद्ध के कारण राष्ट्रीय आय में ४.२ प्रतिशत की कमी हुई। निम्न सारिणी द्वारा आय की वृद्धि पर प्रकाश पड़ा है।

#### राष्ट्रीय आय में वृद्धि

	१९५०-५१	१९६०-६१	१९६५-६६
१. शुद्ध उत्पादन (अथवा रकमों में)			
(i) वर्तमान मूल्यों पर	१५.३	१४.१	५
(ii) १९५५-५६ के मूल्यों पर	५५.५	१०.३	३
२. प्रति व्यक्ति उत्पादन (रकमों में)			
(i) वर्तमान मूल्यों पर	२६६.५	३०६.०	५४०.३
(ii) १९५५-५६ के मूल्यों पर	२४३.५	२६३.३	३२३.३

सन् १९६०-६१ के मूल्यों पर सन् १९६१-६२ में शुद्ध राष्ट्रीय आय १४,४६० करोड़ रुपये थी जो बढ़कर सन् १९६६-७० में १९,१७३ करोड़ रुपये हो गयी। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ३०६ रुपये से बढ़कर ३३९ रुपये हो गयी (१९६०-६१ के मूल्यों पर)।

(२) जीवन-स्तर में सुधार—साधारण नागरिक जीवन स्तर में १५ वर्षों में सुधार हुआ। प्रति व्यक्ति आय २६७ रु० से बढ़कर ४२६ रु० हो गयी। औसत जीवन-काल ३२ में बढ़कर ४० वर्ष हो गया, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धि १२८ औंस प्रतिदिन में बढ़कर १५४ औंस हो गयी, और बच्चे की प्रति व्यक्ति उपलब्धि ११ मीटर वार्षिक में बढ़कर १५ मीटर वार्षिक हो गयी।

(३) कृषि विकास—कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। कृषि उत्पादन का सूचकांक सन् १९५०-५१ में १६ था (१९४९-५०=१००) जो सन् १९६४-६५ में बढ़कर १५८ हो गया (१९६५-६६ कृषि के लिए असाधारण वर्ष था)। इस प्रकार १५ वर्षों में कृषि उत्पादन में ६५% वृद्धि हुई।

पन्द्रह वर्षों में निश्चित भूमि का क्षेत्रफल ५६० लाख एकड़ से बढ़कर ९७० लाख एकड़ हो गया। इस अवधि में देश में सात लाख नए कृषक लगाये गये तथा सत्रह हजार गाँवों में नए टारपीन पानी पहुँचाया गया। गाँवों में सात लाख कुएँ बने गये। भारत का पत्येक गाँव अब सामुदायिक विकास योजनाओं के अंतर्गत आ गया है।

(४) उद्योगों की प्रगति—कृषि की तुलना में उद्योग, परिवहन तथा विद्युत उत्पादन में सराहनीय वृद्धि हुई है। बिजली की भारी मशीनों, इंजीनियरिंग की भारी मशीनों, मशीन निर्माण, पेट्रोल, बिजली के सामान आदि के उत्पादन में बहुत अद्विब वृद्धि हुई है। निम्नांकित तारिखी औद्योगिक प्रगति पर प्रकाश डालती है।

प्रमुख उद्योगों का विकास

विवरण	इकाई	१९५०-५१	१९६५-६६
संपार इस्पात	दस लाख टन	१०४	४७
अल्युमीनियम	हजार टन	४००	१२५३
डीजल इंजन (स्थायी)	हजार में	५५०	११६५
ऑटोमोबाइल	"	१६५०	७५०
मशीन टूल	मूल्य करोड़ रुपये	०३४	२४७५
सीमेंट	दस लाख टन	३७०	१२२४
नाइट्रोविनिल फटि०	हजार टन (N)	६००	५४१०
कोयला	दस लाख टन	३२५०	७४५
पेट्रोलियम	"	०२०	१५४०
विद्युत उत्पादन क्षमता दस लाख किनोवाट	"	२३०	५१७

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक सन् १९५१ में ७४ था (१९५६=१००) जो सन् १९६५ में बढ़कर १७२.५ हो गया। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन में १७२ प्रतिशत वृद्धि हुई।

द्वितीय योजना के प्रारम्भ काल (१९५६-५७) से वर्तमान समय तक स्टील, एल्युमीनियम, रासायनिक, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम तथा फटिलाइजर उद्योगों की उत्पादन क्षमता में सराहनीय वृद्धि हुई है। इन उद्योगों की प्रगति भारत के औद्योगिक भविष्य की सूचक है। निवट भविष्य में ही भारत औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश हो जावेगा।

(५) परिवहन का विकास—किमी भी देश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन के साधनों का विस्तार आवश्यक है। योजना के प्रथम पन्द्रह वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में भारत की प्रगति

सन्तोषजनक रही है। रेलवे की माल ढोने की क्षमता ६३० लाख टन (१९५०-५१) से बढ़कर २,०५० लाख टन हो गयी, जहाजरानी की टनेज ३६ लाख जी० आर० टी० में बढ़कर मार्च १९७० में २४ लाख जी० आर० टी० हो गयी तथा पक्की सड़कें सन् १९५१ में १५७ लाख किलोमीटर से बढ़कर १९६६ में ३२५ लाख किलोमीटर हो गयी।

(६) सामाजिक सेवाओं की प्रगति—नियोजन का प्रमुख उद्देश्य सामान्य जनता के जीवन-स्तर में सुधार लाना तथा उसके जीवन को अधिक सुखमय बनाना है। सामाजिक सेवाओं में वृद्धि द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। गत पन्द्रह वर्षों में सामान्य शिक्षा, जन-स्वास्थ्य तथा प्राविधिक शिक्षा आदि क्षेत्रों में भारत ने सराहनीय प्रगति की है। इसका अनुमान निम्नांकित सारणी से लगाया जा सकता है

सामाजिक सेवाओं की प्रगति

विवरण	१९५०-५१	१९६५-६६
स्कूलों की संख्या (हजार में)	२३१	५०५
स्कूलों में विद्यार्थी (६-१७ वर्ष के) (हजार में)	२३५	६७७
इजीनियरिंग व प्राविधिक विद्यालयों में प्रवेश देने की क्षमता (हजार में)	५६	४६६
प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	—	४,८००
परिवार नियोजन केन्द्र	—	११,४७४
अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या (हजार में)	११३	२४०

सन् १९५०-५१ में २७५ करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियाँ दी गयीं जबकि सन् १९६५-६६ में ३५ करोड़ रुपये इस मद में व्यय किये गये। ५२,३०० गाँवों तथा कस्बों में बिजली पहुँचायी गयी। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति सन्तोषजनक रही है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अतर्गत तृतीय योजना के अन्त में ३११० लाख कर्मचारी लाभ प्राप्त कर रहे थे।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में प्रथम पन्द्रह वर्षों के योजनाबद्ध विचार के काल में अच्छी प्रगति की तथा भारतीय अर्थ-प्रवस्था गतिशील एवं विकासोन्मुख रही। बचत, विनियोग तथा पूँजी-निर्माण की दृष्टि में वृद्धि हुई। पन्द्रह वर्षों में २८० लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। योजनाओं के आलोचक जो भी वहे यह तथ्य निर्विवाद है कि गत वर्षों में जनता के जीवन-स्तर में सुधार हुआ है। कृषि, मामुदायिक विकास, उद्योग, परिवहन आदि के विकास द्वारा जन-साधारण विभिन्न दृष्टियों से लाभान्वित हुआ है।

वार्षिक योजनाएँ १९६६-६७, १९६७-६८ तथा १९६८-६९

तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि ३१ मार्च, १९६६ को समाप्त हुई। उस समय चतुर्थ-पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर विचार-विमर्श चल रहा था। चतुर्थ योजना की रूपरेखा भी प्रकाशित की गयी परन्तु अब उस रूपरेखा का कोई महत्त्व नहीं है। वस्तुतः अब तक चतुर्थ-योजना के सम्बन्ध में जो कुछ किया गया है, उसे मानसिक-व्यायाम कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। तृतीय-योजना के प्रमुख लक्ष्यों की पूर्ति न होने, पाकिस्तान के आक्रमण, वित्तीय साधनों की कमी तथा विदेशी सहायता की अनिश्चितता के कारण चतुर्थ-योजना को अब तक भी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

(१) व्यय—इस प्रकार तीन वर्षों तक एक प्रकार से 'योजनावकाश' (Plan Holiday) रहा। इन तीनों वर्षों में तीन वार्षिक योजनाएँ क्रियान्वित की गयीं। इन वार्षिक योजनाओं का सशक्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत व्यय

(करोड़ रुपये में)

विवरण	१९६६-६७ व्यय	१९६७-६८ व्यय	१९६८-६९ प्रावधान
१ कृषि व सामुदायिक विकास	३३१	३६३	३२८
२ सिंचाई व विजली	५४६	५४२	४९३
३ उद्योग व खान	५५८	५६४	५८१
४ परिवहन व सवादावाहन	४२३	४१९	४२६
५ सामाजिक सेवाएँ तथा अन्य	२८३	३४२	५०९
योग	२,१४१	२,२३०	२,३३७

(२) वार्षिक योजनाओं के वित्तीय साधन—निम्न सारिणी द्वारा इन वार्षिक योजनाओं के वित्तीय साधन का ज्ञान होता है

(करोड़ रुपये में)

मद	१९६६-६७ (वास्तविक)	१९६७-६७ (वास्तविक)	१९६८-६९ (वास्तविक)
१ मुख्यतः बजट के साधनों से	५१०	३६४	७४५
२ घरेलू-ऋण	८३९	८५०	७१६
कुल घरेलू साधन (१+२)	१,३४९	१,२१४	१,४६१
३ विदेशी सहायता	७८८	९९१	८७६
योग	२,१३७	२,२०५	२,३३७

उपर्युक्त आंकड़ा से स्पष्ट है कि इन वार्षिक-योजनाओं के लिए भी भारत को एक तिहाई से अधिक साधनों के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पडा।

प्रगति—पुस्तक के विभिन्न अध्यायों के अन्तर्गत हम वार्षिक प्रगति सम्बन्धी सूचनाएँ दे चुके हैं। यहाँ पर हम प्रगति पर सामान्य रूप से विचार करेंगे। सन् १९६६-६७ का वर्ष भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए अत्यन्त ही खराब था। इस वर्ष इस शताब्दी का सबसे बड़ा अकाल पडा। सन् १९६६-६७ में राष्ट्रीय आय में केवल एक प्रतिशत वृद्धि हुई तथा प्रति व्यक्ति आय में १.४% कमी हुई। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार सन् १९६७-६८ में राष्ट्रीय आय में ९.१% वृद्धि तथा प्रति-व्यक्ति आय में ६.५% वृद्धि हुई। इसके पूर्व के दो वर्ष कृषि के लिए अत्यन्त ही प्रतिकूल रहे। सन् १९६७-६८ में पूर्व वर्ष की तुलना में कृषि-उत्पादन में २०.३% वृद्धि हुई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (१९६९-७४)

चतुर्थ योजना में कुल व्यय की राशि २४,८८२ करोड़ रुपये निश्चित की गयी है जिसमें से १५,९०२ करोड़ रुपये लोक क्षेत्र द्वारा तथा ८,९८० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र द्वारा संचय किया जायगा। लोक क्षेत्र में निम्नलिखित अग्रलिखित रकम संचय करने का आयोजन किया गया है



चतुर्थ योजना में व्यय

(करोड़ रुपये में)

मद	रकम	कुल का प्रतिशत
१. कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्र	२,७२८	१७
२. सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण आदि	१,०८७	७
३. शक्ति	२,४४८	१६
४. ग्राम एव लघु उद्योग	२६३	२
५. उद्योग तथा खनिज	३,३३८	२१
६. परिवहन तथा संचार	३,२३७	२०
७. सामाजिक सेवाएँ	२,५७६	१६
८ अन्य	१६२	१
<b>योग</b>	<b>१५,६०२</b>	<b>१००</b>

इस तालिका से स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में कृषि तथा सिंचाई पर २३ प्रतिशत, उद्योग तथा खनिज पर २१ प्रतिशत, परिवहन तथा संचार पर २० प्रतिशत, शक्ति तथा सामाजिक सेवाओं पर १६-१६ प्रतिशत रकम खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ यह है कि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रायः समान स्तर पर रखने का प्रयत्न किया गया है ताकि देश का आर्थिक विकास सर्वांगीण हो सके।

उद्देश्य—चतुर्थ योजना के सामान्य उद्देश्य तथा नीतियाँ वही हैं जो अन्य योजनाओं की थी किन्तु इसमें कुछ दिशाओं में आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रीय चेतना पर अधिक जोर दिया गया है। यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाता है

(१) स्थायित्व के साथ विकास (Growth with Stability)—चतुर्थ योजना में कृषि पदार्थों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव रोकने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके लिए आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त भण्डार निर्मित करने का निश्चय किया गया है ताकि कभी के समय इनका उपयोग किया जा सके।

(२) विदेशी सहायता से छुटकारा—योजनाकाल में पहली बार इस बात पर जोर दिया गया है कि विदेशी सहायता से शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति पाने का प्रयत्न किया जायगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता का महत्व समझा गया है।

(३) निर्यात—विदेशी सहायता से छुटकारा पाने के लिए निर्यातों में प्रति वर्ष ७ प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है।

(४) सामाजिक न्याय और समानता की आवश्यकता पर अधिक बल दिया गया है, इसके लिए आय की विषमता को कम करने का निश्चय किया गया है।

(५) प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान देने का निश्चय किया गया है।

(६) संस्थागत परिवर्तन—प्रजातन्त्र को शक्तिशाली बनाने के लिए वित्तीय तथा विकास सम्बन्धी संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के प्रयत्न को महत्वपूर्ण माना गया है।

इस प्रकार चतुर्थ योजना में आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक एव आर्थिक न्याय की आवश्यकता पर अधिक बल दिया गया है जो समाजवादी भावनाओं के सर्वथा अनुकूल है।

वित्तीय साधन

चतुर्थ योजना के लिए अप्रार्जित साधनों से उन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है :

(१) आन्तरिक साधन	१२,४३८	७८२ प्रतिशत
(२) विदेशों से प्राप्तियाँ	२,६१४	१६.५ "
(३) घाटे की वजह व्यवस्था	८५०	५.३ "
	<hr/>	
	१५,६०२	१००.०

कमियाँ—इससे स्पष्ट है कि चतुर्थ योजना में एक ओर तो मूल्यों में स्थायित्व की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, दूसरे घाटे की वजह व्यवस्था का त्याग करने का निश्चय नहीं किया गया है। पाँच वर्षों में ८५० करोड़ रुपये की रकम हीनाय प्रबन्धन द्वारा प्राप्त करने का निश्चय उचित नहीं होता। पिछले दो वर्षों (१९६६-७० तथा १९७०-७१) में ही लगभग ५०० करोड़ रुपये का हीनार्थ प्रबन्धन हो चुका है। शेष तीन वर्षों में भी हीनार्थ प्रबन्धन अधिक होने की ही आशाका दिखलायी पड़ती है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि १२,४३८ करोड़ रुपये के आन्तरिक साधनों में ३,१६८ करोड़ रुपये अतिरिक्त करों से प्राप्त करने का निर्णय किया गया है। इसमें २,१०० करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त करों से प्राप्त किये जाएंगे। यह निश्चय देखने में तो बहुत ब्रेक दिखलायी पड़ता है किन्तु व्यवहार में बहुत कठिन प्रतीत होता है। भारत में राज्य सरकारें प्रायः कर लगाने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि दल-बदल की नियमित घटनाओं के कारण राज्यों में स्थायित्व समाप्त हो गया है। अपनी कुर्सी बनाये रखने के लोभ के कारण नये कर लगाने की शक्ति बहुत सीमानी हो गयी है।

केन्द्रीय सरकार के भी अधिकतर निर्णय राजनीति से प्रेरित होने लगे हैं, आर्थिक महत्व को दृष्टि में रख कर नहीं। अतः एक ओर तो राज्य सरकारें केन्द्र पर अधिक निर्भर होनी जा रही हैं दूसरी ओर केन्द्र स्वयं भी अधिक कर लगाने में समर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त धनराशि जुटाना सम्भव प्रतीत नहीं होता।

क्रान्तिकारिता का अभाव—चतुर्थ योजना में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे क्रान्तिकारी कहा जा सके। इसमें पहली तीन योजनाओं के निश्चय ही नये शब्दों में दोहराये गये हैं। आर्थिक विषमता और प्रादेशिक असन्तुलन दूर करने में बहुत मजबूती से क्रान्तिकारी कदम उठाने पड़ेगे। १९७१ में "गरीबी हटाओ" का नारा लगाकर चुनाव तो जीत लिया गया किन्तु १९७१-७२ के बजट में गरीबी हटाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो इस निश्चय की सत्यता या ईमानदारी को प्रमाणित कर सके। झीले डाले, सामान्य प्रयत्नों से न तो देश की गरीबी हट सकती है, न आर्थिक विषमता दूर हो सकती है। इसके लिए नये उत्साह से नयी नीतियों का सूत्रपात करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि भारतीय शासक केवल वधुनों से समाजवादी हैं, उनका रहन सहन तथा व्यवहार पूँजीवाद और नौकरशाही के विनोदों से युक्त है। जब तक कथनी और करनी में अन्तर रहेगा, समाजवाद एक स्वप्न मान बना रहेगा, साकार सत्य नहीं हो सकता।

**प्रश्न**

१. 'आर्थिक नियोजन' के अर्थ तथा उद्देश्यों का विवेचन कीजिए।  
(जोधपुर, बी० ए० (अन्तिम वर्ष), १९६८)
२. भारत में प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में उद्योग या कृषि क्षेत्र के विकास का वर्णन कीजिए।  
(जोधपुर, बी० ए०, १९६८)
३. भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। भारत की अर्थ-व्यवस्था को आर्थिक नियोजन से किन दिशाओं में लाभ हुआ है?  
(राजस्थान बी० ए०, १९६५)
४. योजनाओं की अवधि में भारतीय अर्थ-व्यवस्था की प्रगति पर प्रकाश डालिए।  
(दिल्ली, बी० ए०, १९६६)
५. भारत की चतुर्थ योजना पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।

*Individuals find it for their interest to employ their industry in a way in which they have some advantage over their neighbours*

—ADAM SMITH

निम्नो भी देश की व्यापारिक अवस्था उनके आर्थिक विनाश की छोनक है। व्यापार वृद्धि बढ़ती हुई आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। आर्थिक दृष्टि में पिछड़े हुए देशों में विदेशी व्यापार का महत्व और भी अधिक है। ऐसे देशों के आर्थिक विकास के लिए पूँजीगत साधनों की आवश्यकता होती है जिनका प्राप्ति विकसित देशों में ही की जा सकती है। इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है जो निर्यात व्यापार द्वारा ही प्राप्त की जाती है। विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति विदेशी ऋण तथा अनुदानों द्वारा भी की जा सकती है परन्तु यह व्यवस्था अल्पकालीन ही हो सकती है। दीर्घकाल में निर्यात वृद्धि के अनिश्चित अन्य कोई उपाय नहीं है। जन आर्थिक विकास के लिए विदेशी व्यापार अत्यावश्यक है।

निम्नो भी देश के व्यापार को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(१) आन्तरिक व्यापार, तथा (२) विदेशी व्यापार।

(१) आन्तरिक व्यापार (Internal Trade)—आन्तरिक व्यापार वह व्यापार है जो देश की सीमाओं के अन्दर किया जाता है। एक देश के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने वाला पारस्परिक व्यापार आन्तरिक व्यापार कहलाता है। सामान्य रूप में आन्तरिक व्यापार की मात्रा विदेशी व्यापार से अधिक होती है।

(२) विदेशी व्यापार (Foreign Trade)—एक देश दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करता है उस विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भाग्य विश्व के पन्द्रह प्रमुख राष्ट्रों में से एक है।

### भारत में विदेशी व्यापार का संक्षिप्त इतिहास

(१) सन् १८६६ तक का काल—प्राचीनकाल में भारत का विदेशी व्यापार दूर दूर के देशों के साथ होता था। भारत दुर्लभ व बलापूर्व वस्तुओं के निर्यात के लिए विश्वविख्यात था। मूँगी कपड़ा, वनंन, हाथी दाँत का सामान, मसाले तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता था।

मुगल शासन काल में भी भारत का विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था। भारत की समृद्धि तथा विदेशी व्यापार ने ही पश्चिमी देशों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना पूर्वी देशों विशेषतः भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुई थी। यह कम्पनी रैगमी वस्त्र, कलापूर्ण वस्तुएँ तथा मसाले भारत से यूरोपियन देशों को निर्यात करती थी। ब्रिटेन के उद्योग पतियों के प्रयत्नों से वहाँ पर भारतीय वस्तुओं पर बहुत ही ऊँची दर से आयात-कर लगाया गया तथा भारतीय वस्तुओं का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया। पराधीनता के कारण भारत को अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का पालन करना पड़ा। उनका उद्देश्य भारत को कच्चे माल का निर्यातक तथा कृषि प्रधान देश बनाना था, अतः भारत का निर्यात व्यापार (निर्मित वस्तुओं का) धीरे-धीरे समाप्त होने लगा। इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति भारत के औद्योगिक पतन तथा उसकी निर्मित वस्तुओं के विदेशी व्यापार की समाप्ति का सन्देश लेकर आयी। श्रीमती लू-स के अनुसार, "भारत अब इंग्लैण्ड में हुई औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप उन्नत कारखानों के लिए कच्चे माल, रईम चमड़ा, तिलहन, रंग जूट इत्यादि निर्यात करने लगा और बदले में अधिकाधिक मात्रा में इंग्लैण्ड से लोहा और सूत का तैयार माल खरीदने लगा। उस समय भारतीय व्यापार की रूपरेखा बिलकुल बदल चुकी थी। अभी तक वह जिन वस्तुओं का निर्यात करता था, अब वह उन्हीं वस्तुओं का आयात करने वाला देश रह गया।"

(२) सन् १८६६ से १९१४ तक का काल—भारत के विदेशी व्यापार का आधुनिक काल सन् १८६६ से प्रारम्भ होता है। सन् १८६६ में स्वैज नहर के खुल जाने के कारण भारत तथा इंग्लैण्ड के बीच की दूरी ५,००० मील कम हो गयी। इससे इंग्लैण्ड के साथ होने वाले व्यापार में काफी वृद्धि हुई। उस समय इंग्लैण्ड भी औद्योगिक तथा व्यापारिक दृष्टि से समार का केन्द्र बन चुका था। प्रथम महायुद्ध के समय तक भारत का विदेशी व्यापार निरन्तर बढ़ता गया। एरे तथा पीण्ड की विलिपय दर निश्चित हो जाने के कारण भारतीय व्यापार में और भी वृद्धि हुई।

उस काल के व्यापार की प्रमुख विशेषताएँ यह थी—(१) व्यापार सन्तुलन का अनुकूल होना, (२) अन्य पश्चिमी देशों तथा जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित होना, (३) मुख्य व्यापार नीति का पालन, (४) कच्चे माल का अधिक निर्यात तथा पक्के निर्मित माल का आयात, आदि।

(३) प्रथम विश्वयुद्ध से द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक का काल (१९१४ से १९३९ तक)—प्रथम विश्वयुद्ध का भारतीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आयात तथा निर्यात दोनों की मात्रा में कमी हुई। इसके प्रमुख कारण यह थे—शत्रु देशों से व्यापारिक सम्बन्धों की समाप्ति, भारतीय माल की माँग का विदेशों में कम होना, विदेशों में मुद्रा-स्फीति के कारण भारतीय माल का महँगा होना, भारतीय माल पर ऊँची दर से निर्यात-कर लगाना और जहाजों की कमी। युद्ध के समाप्त होने ही जापान भारत का प्रमुख प्रतिस्पर्धी बन गया, अतः युद्ध के पश्चात् भी भारत के निर्यात व्यापार में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो सकी। सन् १९२०-२२ में भारत का व्यापार सन्तुलन प्रतिबल रहा परन्तु सन् १९२३ में व्यापार की अवस्था में पुनः सुधार होने लगा तथा उस वर्ष व्यापार सन्तुलन अनुकूल हो गया। भारत के कुल व्यापार में वृद्धि हुई परन्तु स्वदेशी आन्दोलन तथा विवेचनात्मक संरक्षण की नीति के कारण भारत के आयात में कमी हुई। १९२८-२९ तक भारत का विदेशी व्यापार पर्याप्त उन्नति कर चुका था।

सन् १९२९ से विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी प्रारम्भ हुई। इसका भारत के विदेशी व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारत कृषि-प्रधान देश था, कृषि वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अधिक

गिरावट हुई। भारत कृषि वस्तुओं का ही अधिक निर्यात करता था, अतः उसका निर्यात व्यापार बहुत कम हो गया। सन् १९३३-३४ के पदचात मन्दी का प्रभाव समाप्त हुआ, अतः भारतीय व्यापार में पुनः वृद्धि प्रारम्भ हुई। इसके पूर्व सन् १९३२ में भारत ने 'ओटावा समझौता' किया था जिसका प्रभाव भारत के व्यापार पर अनुकूल पड़ा। सन् १९३४ में जापान के साथ व्यापारिक समझौता हुआ। सन् १९३६-३७ तक भारत की व्यापारिक स्थिति में काफी सुधार हो चुका था। सन् १९३७-२८ से अन्तरराष्ट्रीय स्थिति में पुनः परिवर्तन हुआ। जबकि सभी प्रमुख राष्ट्र द्वितीय विश्वयुद्ध की तैयारी में लग गये, अतः भारत के विदेशी व्यापार में पुनः गिरावट आने लगी। कृषि की अवस्था भी उस समय खराब थी जिसका प्रभाव आयात तथा निर्यात दोनों पर प्रतिबल पड़ा।

दोनों विश्वयुद्धों के बीच के काल की यह विशेषता थी कि भारत का व्यापार सन्तुलन अनुकूल था (सन् १९२०-२२ के अतिरिक्त)। विदेशी व्यापार मुख्यतया ब्रिटेन के साथ होता था। इसका अनुमान इस तथ्य से होता था कि हमारे कुल आयात का ३२% तथा कुल निर्यात का ४५% भाग ब्रिटेन से सम्बन्धित था। परन्तु अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध बढ रहे थे। भारतीय व्यापार की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि औद्योगिक प्रगति के कारण कच्चे माल का आयात बढ रहा था तथा निमित्त माल का आयात कम हो रहा था।

(४) द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक का काल (१९३९ से १९४७ तक)—द्वितीय महायुद्ध का भारतीय व्यापार पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। भारतीय माल की माँग विदेशों में बढने लगी। वस्तुओं का मूल्य-स्तर भी ऊँचा हो गया और व्यापार निरन्तर बढना चला गया। परन्तु यह स्थिति अधिक दिन तक नहीं चली। इसका कारण यह था कि युद्ध की प्रगति के साथ ही साथ अधिकाधिक देश उसमें सम्मिलित होते गये, अतः युद्धरत देशों के साथ व्यापार में कमी होने लगी। सन् १९४१ में जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने के कारण पूर्वी देशों में भारत का व्यापार समाप्त हो गया। सन् १९४० से ही आयात तथा निर्यात पर नियन्त्रण लगाया गया। यह नियन्त्रण धीरे धीरे और भी कडा होता गया। युद्धकाल में जहाजी भाडा तथा सीमा ब्यय में वृद्धि का भी व्यापार पर प्रतिबल प्रभाव पड़ा। जहाजों की कमी के कारण भी व्यापार में गिरावट आयी। इन प्रतिबल परिस्थितियों के होते हुए भी भारत ने विदेशी व्यापार में अधिक गिरावट नहीं आयी क्योंकि मित्र-राष्ट्रों में भारतीय खाद्यान्नों तथा कच्चे माल की माँग में वृद्धि हुई। हमारे, मध्य-पूर्व के देश निमित्त माल के लिए भारत पर ही निर्भर रहने लगे।

इस प्रकार युद्धकाल में कुछ प्रतिबल परिस्थितियों के होने हुए भी भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई तथा मुगलान सन्तुलन अनुकूल बना रहा। निमित्त वस्तुओं के निर्यात में काफी वृद्धि हुई। जूट का सामान, सूती कपडा तथा कमाये हुए चमड़े के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई। सन् १९४३-४४ और १९४४-४५ में भारत का कुल निर्यात क्रमशः २१० करोड रुपये तथा २२७ करोड रुपये का था जिसमें निमित्त वस्तुओं का निर्यात क्रमशः १०६ करोड रुपये तथा ११६ करोड रुपये का था। सन् १९४४-४५ में भारत का व्यापार शेष ४२ करोड रुपये के अनुकूल था।<sup>1</sup>

युद्ध के समाप्त होने ही जहाजों की स्थिति में सुधार हुआ तथा आयात-निर्यात नियन्त्रण ढील किये गये। अतः भारत के विदेशी व्यापार में पुनः वृद्धि आरम्भ हुई। परन्तु आयातों में अधिक वृद्धि होने के कारण प्रतिबल मुगलान की स्थिति उत्पन्न हो गयी। आयात में अचानक वृद्धि

<sup>1</sup> युद्धकालीन वर्षों के विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आँकड़ों में कुछ देशों में आयात व कुछ देशों को निर्यात सम्मिलित नहीं हैं।

के कई कारण थे—(१) उपभोग की वस्तुओं के आयात में वृद्धि जिन पर मुद्रमाल में नियन्त्रण लगाया गया था, (२) खाद्य समस्या के कारण खाद्यान्नों का अधिक मात्रा में आयात, (३) जल विद्युत तथा रेलवे के लिए अधिक मात्रा में आयात, तथा (४) नये उद्योगों के लिए मशीनों के आयात में अत्यधिक वृद्धि ।

इस काल में व्यापारिक प्रगति का ज्ञान निम्नलिखित सारणी से होता है

भारतीय विदेशी व्यापार (१९४० से १९४७)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापारिक सन्तुलन
१९४०-४१	१५७	१८७	+४२
१९४१-४२	१७३	२३७	+६०
१९४२-४३	११०	१८७	+७४
१९४४-४५	२०४	२१०	+४२
१९४६	३१६	३०६	—१०
१९४७	४४६	४०८	—३८

(५) स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से प्रथम योजना के प्रारम्भ तक (सन् १९४७ से १९५०-५१ तक)—स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । मुद्रा-स्फीतिक परिस्थितियाँ अब भी बनी हुई थी तथा खाद्यान्नों का अभाव था । देश विभाजन के कारण खाद्यान्ना तथा कच्चे माल की और भी कमी हो गयी । खाद्यान्नों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया तथा आवश्यकतानुसार आयात भी किया गया । इसर देश विभाजन का विदेशी व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा ।

(१) देश-विभाजन का व्यापार पर प्रभाव (Effects of Partition on Trade)—(क) कच्चे माल की कमी—परिचर्मी पजाम तथा पूर्वी बंगाल खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे । इनके अतिरिक्त हमारे दो अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योगो—सूती वस्त्र तथा जूट के लिए कच्चा माल इन्ही क्षेत्रों से प्राप्त होता था । ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये । जूट तथा सूती वस्त्र के कारखाने भारत में ही रहे, अतः अब उनके लिए कच्चे माल का सफट उपस्थित हो गया । विभाजन के पूर्व भारत कच्चे जूट तथा कपास का निर्यात करता था किन्तु अब इन वस्तुओं का आयात किया जाने लगा । केवल सन् १९४८ में ही ७१ करोड़ रुपये के जूट का आयात करना पड़ा । इसी प्रकार विभाजन के ही कारण सन् १९५१ तथा सन् १९५२ में क्रमशः ११३ करोड़ रुपये तथा ११५ करोड़ रुपये के मूल्य का कपास आयात करना पड़ा ।

(ख) खाद्य सफट—खाद्यान्नों के भी महत्वपूर्ण क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये अतः देश के मध्य गन्धीर खाद्य सफट उपस्थित हो गया । सन् १९४७-४८ तथा १९४८-४९ में क्रमशः २६ ६० लाख टन तथा ३० ५० लाख टन खाद्यान्नों का आयात किया गया । सन् १९४७ से १९५२ तक खाद्यान्नों का औसत आयात ३२ ७० लाख टन वार्षिक रहा । केवल सन् १९४८ में ही ८७ ३ करोड़ रुपये के खाद्यान्नों का आयात किया गया । इनके अतिरिक्त माल तथा चमड़े का भी आयात करना आवश्यक हो गया ।

(ग) आन्तरिक व्यापार में परिवर्तन—विभाजन के पूर्व पाकिस्तान की सीमाओं के अन्दर जो व्यापार होता था वह हमारा आन्तरिक व्यापार था । अब यह आन्तरिक व्यापार विदेशी

व्यापार बंद गया। व्यापार में बड़ी कठिनाइयाँ आयी तथा कुछ दिनों तक दोनों देशों के बीच व्यापार बन्द रहा। बाद में द्विपक्षीय समझौते द्वारा व्यापार को किसी प्रकार जारी रखा गया।

(घ) प्रतिकूल भुगतान शेष—भारत का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल हो गया। अतः इसे ठीक करने के लिए व्यापारिक नीतियों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। अगस्त १९४८ में मुक्त लाइसेंस (Open General Licence) की नीति अपनायी गयी थी जिससे अधिक निर्यात किया जा सके तथा मुद्रा स्फीति के प्रभावों को दूर किया जा सके परन्तु सन् १९४८-४९ में व्यापार का प्रतिकूल शेष २८३ करोड़ रुपये हो गया। अतः मई १९४९ में इस नीति का परित्याग करना पड़ा और आयातों पर बड़े प्रतिबन्ध लगाये गये।

(२) अवमूल्यन तथा उसके प्रभाव (Effects of Devaluation)—युद्धोत्तर काल में भारत के आयात बराबर बढ़ते गये जिससे व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल हो गया। इधर ब्रिटेन की भुगतान सन्तुलन की स्थिति बहुत बिगड़ रही थी अतः उसने १८ सितम्बर, १९४९ को पौण्ड का अवमूल्यन कर दिया और पौण्ड का मूल्य डालर के अनुपात में ३०.५% कम कर दिया गया। भारत का व्यापार-शेष प्रतिकूल था। यह प्रतिकूल व्यापार-शेष अमरीका के साथ अधिक था। अमरीका से हमारे आयात बढ़ रहे थे तथा निर्यात घट रहे थे। उदाहरण के लिए, सन् १९४६ में डालर मुद्रा की कमी केवल ५ करोड़ रुपये थी जो सन् १९४७ में बढ़कर ८३ करोड़ रुपये हो गयी। अतः ब्रिटेन की भाँति भारत को 'डालर संकट' का सामना करना पड़ा। डालर संकट को दूर करने के लिए तथा भुगतान-शेष की समस्या को हल करने के लिए भारत द्वारा भी २१ सितम्बर, १९४९ को रुपये का ३०.५% अवमूल्यन कर दिया गया और १ डालर जो पहले ३ रुपये ३० पैसे के बराबर था, अवमूल्यन के पश्चात् ४ रुपये ७६ पैसे के बराबर हो गया। पौण्ड के सन्दर्भ में रुपये का मूल्य वही रहा जो पहले था (१ र० = १ शि० ६ पैसे)। इस अवमूल्यन के प्रभाव निम्न-लिखित थे :

(क) निर्यात पर प्रभाव—अवमूल्यन का निर्यातों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। दुर्लभ मुद्रा वाले (Hard Currency) क्षेत्रों में भारतीय निर्यात की वृद्धि हुई। कपड़ा, चमड़ा, तिलहन, तम्बाकू, अन्न, चाय, कॉफी, मसाला, मैंगनीज आदि के निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई। अवमूल्यन करने के पहले वर्ष में भारतीय मूती कपड़े का निर्यात ३१ करोड़ रुपये था परन्तु अवमूल्यन के बाद वाले वर्ष में ८२ करोड़ रुपये के कपड़े का निर्यात किया गया। 'डालर मुद्रा क्षेत्र' में सन् १९४८-४९ में हमारा कुल निर्यात ९१.६३ करोड़ रुपये का था परन्तु अवमूल्यन के पश्चात् एक वर्ष में इस क्षेत्र को १२४.८४ करोड़ रुपये के माल का निर्यात किया गया। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि निर्यात में वृद्धि केवल अवमूल्यन के कारण ही नहीं हुई बल्कि वीरिया के युद्ध तथा निर्यात बढ़ाने के प्रयत्नों का भी सहयोग मिला।

(ख) आयात पर प्रभाव—अवमूल्यन के कारण भारत का आयात व्यापार कम हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन न करने वाले देशों की वस्तुएँ भारत में महँगी पड़ने लगी। इस प्रकार 'डालर क्षेत्र' से आयात में कमी हुई। सन् १९४८-४९ में 'डालर मुद्रा क्षेत्र' से भारत का आयात १२४.५४ करोड़ रुपये का था परन्तु अवमूल्यन के बाद वाले वर्ष में यह आयात ११५.३१ करोड़ रुपये का हुआ। अवमूल्यन का भारत के आयातों पर एक बुरा प्रभाव पड़ा। खाद्यान्न, मशीन आदि के लिए भारत अमरीका पर अधिक निर्भर रहने लगा था परन्तु अवमूल्यन के कारण अमरीकी वस्तुएँ भारत को महँगी पड़ने लगी। इस प्रकार भारत के डालर ऋण में वृद्धि की गति तीव्र होने लगी।

(ग) व्यापार सन्तुलन पर प्रभाव—अवमूल्यन के कारण भारत के आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि हुई। इसका प्रभाव व्यापार सन्तुलन पर पड़ा। सन् १९४८-४९ में हमारा व्यापार

सन्तुलन १२७ करोड रुपये में विपक्ष में था परन्तु सन् १९५० में यह सन्तुलन २५ करोड रुपये में पक्ष में हो गया। इससे कुल मिलाकर व्यापार सन्तुलन की स्थिति सन्तोषजनक हो गयी।

(घ) कठिनाइयाँ—इस प्रकार अवमूल्यन का भारतीय व्यापार पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। परन्तु इस अनुकूल प्रभाव के होते हुए भी भारत को अवमूल्यन के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने आने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया। फलस्वरूप, पाकिस्तान के १०० रुपये भारत के १४४ रुपये के बराबर हो गये। अतः दोनों देशों के बीच कुछ समय के लिए व्यापार रुक गया। पाकिस्तान में जूट, कपास आदि का आयात बन्द हो जाने के कारण भारतीय उद्योगों की क्षति उठानी पड़ी। सन् १९५१ में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ परन्तु भारत को केवल जूट तथा कपास के ही लिए २५ करोड रुपये अधिक देने पड़े। डॉलर मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने के कारण अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारतीय ऋणों में भी वृद्धि हो गयी। इसके अनिश्चित भाग्न की पीण्ड पावने (Sterling Balances) की उस राशि का भी जो डॉलर में परिवर्तित की गयी, मूल्य गिर गया।

इन हानियों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि अवमूल्यन का प्रभाव भारत के पक्ष में रहा या विपक्ष में। सन् १९४६-५० के प्रमुख आयोग के अनुसार अवमूल्यन से भारत के व्यापारिक हितों को संरक्षण मिला और एक वर्ष पूर्व ही भयावह रूप में अमन्तुलित अर्थ-व्यवस्था सन्तोषजनक स्थिति में आ गयी।

अवमूल्यन के पश्चात् कोरिया युद्ध के कारण भी भारतीय निर्यातों में आभासी वृद्धि हुई। जूट का सामान, चाय, छाल व चमड़ा, वनस्पति तेल, धातुएँ तथा सूती वस्त्र आदि के निर्यात में वृद्धि हुई। परन्तु वह अवस्था थोड़े ही दिनों तक रही। फरवरी १९५१ में सरकार ने विदेशी व्यापार नीति में परिवर्तन किया। अब निर्यात के प्रोत्साहन देने के स्थान पर देश की आन्तरिक माँग की पूर्ति के लिए ही वस्तुओं की अधिक आवश्यकता थी। अतः जूट की वस्तुओं तथा सूती वस्त्र पर निर्यात-कर में वृद्धि की गयी। कच्ची धातुओं तथा कच्चे चमड़े का निर्यात निषिद्ध कर दिया गया। सन् १९४८ से प्रथम योजना के आरम्भ तक भारत के विदेशी व्यापार का अनुमान निम्नलिखित सारणी में लगाया जा सकता है।

योजना काल से पूर्व भारत का व्यापार

(करोड रुपये में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार सन्तुलन
१९४८	५४२ ६१	४२३ ३८	— ११९ २३
१९४९	५६० ५१	४८५ ८०	— ७४ ७१
१९५०-५१	६५० ४३	६०० ६८	— ४९ ७५



पिछले अर्धशताब्दी में भारत के विदेशी व्यापार के विकास पर प्रकाश डाला जा चुका है। हमने देखा कि सन् १९५०-५१ तक भारत के विदेशी व्यापार की प्रगति किस प्रकार हुई। १ अप्रैल, १९५१ से प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी और देश का योजनावद्ध आर्थिक विकास प्रारम्भ हुआ। एक अर्द्ध विकसित देश होने के नाते भारत को आर्थिक विकास के लिए बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से मशीन, उपकरण आदि पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना पड़ा। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल से ही भारत के विदेशी व्यापार में तेजी से वृद्धि प्रारम्भ हुई।

### १. व्यापार की मात्रा (Volume of Trade)

गत वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार (आयात-निर्यात) में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं के कारण विदेशी व्यापार वा महत्त्व और भी बढ़ गया है। आर्थिक विकास की आवश्यकताओं तथा साख सब्सिडी के कारण आयात में निरन्तर वृद्धि हो रही है। योजनाओं का उद्देश्य देश का नियोजित ढंग में औद्योगिकीकरण आर्थिक विकास करना है। इसके लिए भारत को अधिक मात्रा में मशीन आदि पूंजीगत वस्तुओं (Capital goods) का आयात करना पड़ता है। अतः आयात व्यापार बड़ी तेजी से बढ़ा है, निर्यात संवर्द्धन के लिए भी सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। आगे आयात-निर्यात की वृद्धि का अध्ययन किया जा रहा है।

(क) आयात—प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में आयात में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। औद्योगिक उन्नति तथा आर्थिक विकास के साथ ही साथ आयात में भी वृद्धि होती गयी।

प्रथम योजनाकाल में कुल आयात की राशि ३,६३० करोड़ रुपये के तुल्य थी। द्वितीय योजनाकाल में कुल आयात लगभग ५,३६० करोड़ रुपये का हुआ। इस प्रकार वार्षिक औसत आयात १,०७२ करोड़ रुपये का हुआ जो प्रथम योजना के औसत से ५०% अधिक था। द्वितीय योजनाकाल में खाद्यान्न, कच्चे माल और मशीनों का आयात अत्यधिक मात्रा में करना पड़ा जिससे कुल आयात में तीव्र गति से वृद्धि हुई।

भारत का विदेशी व्यापार<sup>1</sup>

(वस्तुओं का)

(करोड़ रुपये)

वर्ष	आयात (—)	निर्यात (+)	व्यापार शेष
१९५१-५२	६७६ ३३	७३२ ६५	—२४६ ३६
१९५५-५६	७७४ २५	६०८ ६०	—१ ३५५ ६
१९६०-६१	१,१-१ ६२	६४२ ०७	—४७६ ५५
१९६५-६६	१,४१० १३	८०५ ६६	—६०४ ४७
१९७६ ७०	१,५६७ ४६	१,४१३ ६४	—१५३ ८५

तृतीय योजनाकाल में व्यापार ऋण की प्रतिकूलता और भी बढ़ गयी और कुल ६,३०५ करोड़ रुपये का मान जायात किया गया। इस प्रकार वार्षिक आयात का वार्षिक औसत १,२६१ करोड़ रुपये रहा। आयात में हम वृद्धि के कारण भुगतान ऋण भी सम्भ्रमा और भी जटिल हो गयी। मन् १९६८-६९ में आयात व्यापार में कमी होनी प्रारम्भ हुई है।

(ख) निर्यात—प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में निर्यात सामान्यतया स्थिर रहे। प्रथम योजनाकाल में औसत वार्षिक निर्यात ६०६ करोड़ रुपये का था। द्वितीय योजनाकाल में औसत वार्षिक निर्यात ६१४ करोड़ रुपये रहा। द्वितीय योजनाकाल में निर्यात की गयी वस्तुओं का मान में ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु मुख्य-स्तर नीचा होने के कारण निर्यात के मूल्य में वृद्धि लगभग नगण्य हुई। आर्थिक विकास तभी से होने के कारण इस काल में मात्र की आन्तरिक माँग में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार निर्यात के लिए कम मात्रा में वस्तुएँ प्राप्त हुईं। तृतीय योजनाकाल में निर्यात का वार्षिक औसत ७६२ करोड़ रुपये था। योजना के प्रथम तीन वर्षों में निर्यात में वृद्धि हुई। परन्तु अन्तिम दो वर्षों विशेष अच्छे नहीं थे। मन् १९६५-६६ में वस्तु निर्यात मन् १९६४-६५ में भी कम हुए (इसलिए माँगनी)। जून १९६२ में रुपये का जब मूल्य में पश्चात् निर्यात व्यापार में कमी हुई। परन्तु मन् १९६८-६९ में निर्यात-व्यापार में वृद्धि हो रही है। मन् १९६८-६९, १९६९-७० तथा १९७०-७१ में निर्यात व्यापार में क्रमशः १३५.०४५%, तथा ८५.०% वृद्धि हुई। मन् १९७०-७१ में भारत का कुल निर्यात १,५३१ करोड़ रुपये या जवदत इस वर्ष का निर्यात लगभग केवल १५१२ करोड़ रुपये था।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मन् १९५१-५२ व १९७०-७१ की अवधि में भारत के विदेशी व्यापार की कुल मात्रा में जनिव वृद्धि हुई है। व्यापार सन्तुलन का प्रतिकूल होनागत वर्षों में आन्तरिक व्यापार की विलपना रही है। प्रथम योजनाकाल में व्यापार सन्तुलन की प्रति वृत्तता १०२ करोड़ रुपये वार्षिक थी तथा दूसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में वार्षिक प्रतिकूलता ४५१ करोड़ रुपये थी। मन् १९५६-५७ में ही देश विदेशी वित्तिय-मन्त्र में गुजर रहा है। मन् १९६८-६९ में निर्यात में उतरोतर सुधार हो रहा है।

उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार में जागृतीय वृद्धि हुई है। आर्थिक विकास की आवश्यकताओं तथा साध सन्त्र के कारण जायात में निरन्तर वृद्धि होनी रही है। व्यापार सन्तुलन की अनुकूल बनाने के प्रयत्नों के कारण निर्यात व्यापार में भी सामान्य वृद्धि हुई है।

<sup>1</sup> Report of Currency and Finance, 1969-70 & Economic Survey 1970-71 & Economic Times May, 1, 1971.

## २. विदेशी व्यापार की रचना (Composition of Foreign Trade)

किसी देश की 'व्यापार रचना' का अभिप्राय यह है कि वह देश किन-किन वस्तुओं का आयात तथा निर्यात करता है। गत वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

### (क) भारत के आयात की रचना (Composition of India's Imports)

भारत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात करता है। मशीन-औजार, उपकरण, लोहा तथा इस्पात, खाद्यान्न कपास, रासायनिक पदार्थ, खनिज तेल, अलौह धातुएँ, परिवहन के उपकरण आदि भारत के प्रमुख आयात हैं। निम्न सारणी द्वारा प्रथम द्वितीय तथा तृतीय योजनाकाल में भारत के द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के वार्षिक औसत पर प्रकाश पता है।

योजनाओं की अवधि में प्रमुख आयातों की वार्षिक औसत

(मूल्य करोड़ रुपये में)

प्रमुख आयात	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
खाद्यान्न	१२०	१६०	२१६
उर्वरक	३	११	१७
कपास	७७	४५	५१
जूट	२५	५	५
खनिज तेल	७३	८०	८६
रासायनिक पदार्थ	३४	५३	५३
अलौह धातुएँ	१०	३५	५४
इस्पात तथा लोहा	३४	६६	७७
विद्युत उपकरण	१६	१६	१६
मशीन तथा इंजन	११६	२६५	३६५
अन्य वस्तुएँ	२१२	३११	२७३
योग	७३०	१,०८०	१,२१६

इस सारणी से भारत के प्रमुख आयातों पर प्रकाश पड़ता है। अब हम कुछ प्रमुख आयातों पर विचार करेंगे।

(१) खाद्यान्न—वृष्टि प्रधान देश होने हुए भी भारत को खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है और गत वर्षों में खाद्यान्नों के आयात की मात्रा प्रति वर्ष बढ़ती ही गयी है। खाद्यान्नों में गेहूँ व चावल का अविन्यक्त भाग में आयात किया जाता है। गेहूँ का आयात मुख्यतः अमरीका से पी० एन० ४८० के अन्तर्गत होता रहा है। इससे अतिरिक्त आस्ट्रेलिया, कनाडा में भी गेहूँ का आयात किया जाता है। सन् १९६०-६१ में १५३ करोड़ रुपये, सन् १९६५-६६ में २६५ करोड़ रुपये तथा १९६८-६९ में २५६ करोड़ रुपये मूल्य के गेहूँ का आयात किया गया। चावल का आयात

ब्रह्मा, घाडनैण्ड, अमरीका, समुक्त अरब गणराज्य जादि देशों में किया जाता है। सन् १९६०-६१ में २२ करोड़ रुपये, सन् १९६६-६७ में ७६ करोड़ रुपये तथा १९६८-६९ में ७७ करोड़ रुपये का आयात किया गया। कुछ मात्रा में मक्का का भी आयात किया जाता है। सन् १९६९-७० में २६१ करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्नों का आयात किया गया।

(३) मशीनें—योजनाओं के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के कारण भारत की मशीनों का आयात बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। भारत के आयात में मशीनों का प्रथम स्थान है। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीनें, रिजली की मशीनें तथा कुछ परिवहन उपकरणों का आयात किया जाता है। देश के अन्दर भी कुछ मशीनों का निर्माण प्रारम्भ हो गया है, फिर भी भारत में मशीनों का आयात प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। मशीन तथा परिवहन सम्बन्धी उपकरणों का आयात सन् १९६६-६७ में ४७५ करोड़ रुपये, १९६८-६९ में ५१६ करोड़ रुपये तथा १९६९-७० में ३९२ करोड़ रुपये का। मशीनों का आयात मुख्यतः समुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, तथा रूस से होता है।

(३) पेट्रोल तेल—भारत में पेट्रोलियम तथा सम्बन्धित वस्तुओं का उत्पादन कम होता है। अतः इनकी कमी आयातों द्वारा पूरी की जाती है। हम जिन माफ किया हुआ तेल जितना मात्रा में आयात करते हैं तथा इसकी सफाई देश के तेल शोधक कारखानों द्वारा की जाती है। तेल का आयात मुख्यतया ईरान कुवैत, ब्रह्मा, अमरीका तथा रूस में किया जाता है। सन् १९६६-६७ में ३६ करोड़ रुपये का पेट्रोल, और २६ करोड़ रुपये का मिट्टी का तेल तथा अन्य पेट्रोल पदार्थों का आयात किया गया। सन् १९६९-७० में १३७ करोड़ रुपये के पेट्रोल, मिट्टी के तेल व अन्य पदार्थों का आयात किया गया।

(४) लोहा तथा इस्पात—भारत में इस्पात तथा लोहा उद्योग का विकास तेजी से किया जा रहा है फिर भी देश में लोहे की माँग पूर्ति से अधिक है अतः इसका आयात अमरीका, ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी में किया जाता है। सन् १९६०-६१ में १२३ करोड़ रुपये तथा सन् १९६९-७० में ८१ करोड़ रुपये के लोहे तथा इस्पात का आयात किया गया।

(५) रासायनिक पदार्थ—उद्योगों के लिए भारत विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का आयात अमरीका, ब्रिटेन, रूस जादि देशों में करता है। विभिन्न प्रकार के रसायन तथा दवाइयाँ का भी आयात किया जाता है। सन् १९६०-६१, सन् १९६६-६७ तथा सन् १९६९-७० में क्रमशः ८६ करोड़ रुपये, १८५ करोड़ रुपये तथा २०३ करोड़ रुपये के रासायन तथा उर्वरकों का आयात किया गया।

(६) कपास—भारत में लम्बे रेशे की, अच्छी किस्म की कपास पैदा नहीं होती अतः उत्तम किस्म की कपास का भारत को आयात करना पड़ता है। सन् १९६०-६१ में ८२ करोड़ रुपये, सन् १९६५-६६ में ४६ करोड़ रुपये, तथा १९६९-७० में ८२ करोड़ रुपये की कपास आयात की गयी। यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि भारत मोटे रेशे की कपास का निर्यात भी करता है। अच्छी किस्म की कपास का आयात अमरीका, समुक्त अरब गणराज्य तथा सूडान आदि देशों से किया जाता है।

उपरोक्त वस्तुओं के निरिक्त भारत विभिन्न प्रकार के परिवहन उपकरण, धातु में निर्मित वस्तुएँ, जलोद्धार धातुएँ, विद्युत मशीनें, कागज, स्टेनलेस की वस्तुएँ जादि का भी आयात करता है। अग्र सारणी द्वारा भारत के प्रमुख आयातों पर प्रकाश पड़ता है।

भारत के प्रमुख आयात

(करोड़ रुपये में)  
(अबमूल्यन के पश्चात के मूल्यों पर)

वस्तु	१९६०-६१	१९६६-७०
१ अनाज व खाद्य पदार्थ	२८६	२६१
२ कपास	१२६	८३
३ ऊन	१६	२३
४ पेट्रोल व मिट्टी का तेल तथा अन्य पेट्रोल पदार्थ	१०६	१३८
५ रासायनिक पदार्थ तथा उर्वरक	१४१	२०४
६ इस्पात तथा लोहा	१६३	१०८
७. अलौह धातुएँ	७५	७५
८ मशीन तथा परिवहन सम्बन्धी उपकरण	५२४	३६३

गत वर्षों में भारत के आयातों की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व भारत निर्मित वस्तुओं का अधिक आयात करता था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात खाद्यान्नों तथा कच्चे माल का आयात, निर्मित वस्तुओं की अपेक्षा अधिक किया जाता है। आयात में अब भी मशीनों का प्रमुख स्थान है जो देश की औद्योगिक प्रगति का सूचक है।

भारत मुख्यतया अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी तथा रूस से आयात करता है। इन देशों के अनिश्चित भारत पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, यूरोपीय साक्षा वाजार के अन्य देशों, बेल्जियम, इटली, संयुक्त अरब गणराज्य, लका, मलाया, ब्रह्मा तथा पूर्वी अफ्रीका आदि देशों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात करता है।

गत वर्षों में भारत के आयात के स्वरूप (Pattern of Imports) में जो परिवर्तन हुए, निम्न सारणी उन पर प्रकाश डालती है

कुल आयात के प्रतिशत रूप में आयातों का वर्गीकरण

वर्ग	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
पूंजीगत वस्तुएँ	२६	४२	३५
कच्चा माल	२४	१०	२१
उपभोक्ता वस्तुएँ	२३	२०	१६
साधान	१६	१५	२५
अन्य वस्तुएँ	८	५	३

(ख) भारत के प्रमुख निर्यात (Main Exports of India)

भारत अपना निर्यात व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। भारत मुख्यतया चाय, जूट द्वारा निर्मित वस्तुओं, सूती वस्त्र, लोहा, मैंगनीज, भसावा, चमड़ा तथा चमड़े का सामान, इस्पात तथा लोहा, इंजीनियरिंग-वस्तुएँ, तम्बाकू, अभ्रन, बाजू, आदि का निर्यात करता है। भारत के प्रमुख निर्यातों का विवरण अग्रलिखित है।

(१) चाय—चाय भारत के तीन प्रमुख निर्यातों में से एक है। ब्रिटेन भारतीय चाय का सबसे बड़ा ग्राहक है। इसके अतिरिक्त कनाडा, अमरीका, ईरान, समुक्त अरब गणराज्य, सूडान, रूस, पश्चिमी जर्मनी, तथा अन्य कुछ देशों को भारत चाय का निर्यात करता है। भारत को वर्तमान समय में लका, इण्डोनेशिया तथा अफ्रीका से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है। सन् १९६७-६८ तथा सन् १९६८-६९ में क्रमशः १८० करोड़ रुपये व १५६५ करोड़ रुपये की चाय का निर्यात किया गया। १९६९-७० में चाय का निर्यात घटकर १२४५ करोड़ रुपये रह गया।

(२) जूट का सामान—चाय तथा जूट भारत के परम्परागत निर्यात हैं। जूट के कुल विश्व निर्यात में भारत का प्रतिशत भाग घीरे-घीरे घटता जा रहा है। सन् १९४९-५० में जूट के कुल विश्व निर्यात में भारत का भाग ९७/१० था जो सन् १९५९-६० में घटकर ७६/१० मात्र रह गया। पाकिस्तान भारत का प्रमुख प्रतिस्पर्द्धी है। विभिन्न प्रकार की जूट की वस्तुओं—जूट का कपड़ा, जूट की धोरियाँ जूट द्वारा निर्मित अन्य वस्तुओं का कुल निर्यात सन् १९६७-६८ में २३५ करोड़ रुपये तथा सन् १९६८-६९ में २१८ करोड़ रुपये का किया गया। १९६९-७० में यह निर्यात २०७ करोड़ ९० रह गया। अमरीका, समुक्त अरब गणराज्य, क्यूबा, हांगकांग, आस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, अर्जेंटीना, आदि भारतीय जूट के प्रमुख ग्राहक हैं।

(३) सूती वस्त्र—सूती वस्त्र तथा सूत भारत के प्रमुख निर्यातों में से एक है। सन् १९६७-६८, १९६८-६९ तथा १९६९-७० में क्रमशः ६५ करोड़ तथा ७०.५ करोड़ रुपये तथा ७० करोड़ रुपये के सूती वस्त्र का निर्यात किया गया। ब्रिटेन, मलाया, आस्ट्रेलिया, लका, अफगानिस्तान, सूडान, ब्रह्मा, अदन आदि देशों को सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है। जनवरी १९७२ में ब्रिटेन द्वारा राष्ट्रमण्डलीय देशों से आयात पर १५% शुल्क लगाये जाने से भारतीय सूती वस्त्र के निर्यात में गिरावट आने की सम्भावना है।

(४) चमड़ा तथा चमड़े का सामान—देश विभाजन के पश्चात् चमड़े का निर्यात कम हो गया है। फिर भी पक्का चमड़ा तथा चमड़े द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात सन् १९६७-६८ में ५३.५ करोड़ रुपये सन् १९६८-६९ में ७३ करोड़ रुपये तथा सन् १९६९-७० में ८१.५ करोड़ रुपये का किया गया। पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, अमरीका तथा फ्रांस भारतीय चमड़े के प्रमुख ग्राहक हैं।

(५) मसाले—मसालों का निर्यात मुख्यतया यूरोपीय देशों तथा अमरीका को किया जाता है। सन् १९६७-६८, १९६८-६९ तथा १९६९-७० में क्रमशः २७ करोड़ रुपये, २५ करोड़ रुपये तथा ३४ करोड़ ८० के मसालों का निर्यात किया गया।

(६) तम्बाकू (अनिर्मित)—भारत कच्चे तम्बाकू का प्रमुख निर्यातकर्ता है। रोडगिया तथा इण्डोनेशिया जर्मनी के हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्द्धी हैं। भारत तम्बाकू का निर्यात ब्रिटेन, रूस, यूरोपीय साक्षात् बाजार के देशों, मलाया, अदन, जापान आदि देशों को करता है। सन् १९६७-६८, सन् १९६८-६९ तथा सन् १९६९-७० में भारत ने क्रमशः ३६ करोड़ रुपये, ३४ करोड़ रुपये व ३३ करोड़ रुपये के मूल्य के तम्बाकू का निर्यात किया।

(७) काजू—भारत ने गत वर्षों में काजू के निर्यात को बढ़ाने का प्रयत्न किया है। अमरीका तथा यूरोपीय देशों में भारतीय काजू की बहुत अधिक माँग है। सन् १९६७-६८, १९६८-६९ तथा १९६९-७० में क्रमशः ४३ करोड़, ६१ करोड़ तथा ५७ करोड़ रुपये मूल्य का काजू का निर्यात किया गया।

(८) 'आयरन ओर'—भारत आयरन ओर का भी निर्यात बढ़ा रहा है। ब्रिटेन तथा

जापान भारतीय लोहे के प्रमुख ग्राहक हैं। सन् १९६७-६८ में ७५ करोड़ तथा ८८ करोड़ तथा १९६९-७० में ९५ करोड़ रुपये का आयात और निर्यात किया

(६) खली (Oil-cakes)—गत वर्षों में निर्यात की दृष्टि से खली का महत्व बट रहा। सन् १९६७-६८ सन् १९६८-६९ तथा १९६९-७० में क्रमशः ४५५ करोड़ रुपये तथा ४१५ करोड़ रुपये तथा ४२५ करोड़ रुपये की खली का निर्यात किया गया। जापान, जेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, पोर्नैण्ड, रूस, ब्रिटेन आदि देशों को भारतीय खली का निर्यात किया जाता है।

(१०) चीनी—भारत न चीनी के निर्यात में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। सन् १९६७-६८ में १६ करोड़, सन् १९६८-६९ में १०२ करोड़ तथा सन् १९६९-७० में ८६ करोड़ रुपये की चीनी का निर्यात किया गया। अमरीका, मलाया, कनाडा, जापान, हांगकांग, नेपाल तथा ब्रिटेन भारतीय चीनी के ग्राहक हैं।

उपरोक्त वस्तुओं के जनित भारत वनस्पति तेल, कपास, मैंगनीज, माइका, मशीन तथा उपकरण, कौसी, बिजली के पथ, मिनाई की मशीनें तथा अन्य इंजीनियरिंग वस्तुओं, मछली, मनुष्य के बाल, नारियल की जटा म बनी वस्तुओं आदि का निर्यात करता है। निम्न सारणी द्वारा भारत के प्रमुख निर्यातों पर प्रकाश पड़ता है

भारत के प्रमुख निर्यात

(करोड़ रुपयों में)

(अवमूल्यन के पश्चात् के मूल्यों पर)

वस्तु	सन् १९६०-६१	१९६९-७०
चाय	१९४७	१२४५
काँची	११४	१९६
काजू	२९८	५७४
खरी	२२५	४१५
तम्बाकू	२४८	३३४
इंजीनियरिंग वस्तुएँ	१३४	८९५
कपास	१४९	८४
रसायनिक पदार्थ	५४	२२२
अन्न	१६०	११२
मनिज लोहा	२६८	९४६
मैंगनीज	२२१	१११
कमछा तथा कपडे की वस्तुएँ	३९३	८१५
मूनी वस्त्र	९०६	६९७
जूट का मामान	०१२९	२०६७
इस्पात तथा लोहा	८७	७७९

भारत के निर्यात व्यापार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि भारत अब भी अधिकांशतया कृषि-वस्तुओं तथा उनमें निर्मित माल का निर्यात करता है। जूट, चाय, तथा मूनी वस्त्र अब भी भारत के परम्परागत निर्यात हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि गत वर्षों में औद्योगिक निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी बढ़ रहा है।

### ३. व्यापार की दिशा (Direction of Trade)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के व्यापार की दिशा में भी परिवर्तन हुआ है। १९५१-५२ में भारत अपनी कुल आवश्यकता का २१ १% ब्रिटेन से आयात करता था परन्तु अब ब्रिटेन पर यह निर्भरता कम हो रही है। मन् १९६५-६६ में भारत के कुल आयात में ब्रिटेन का भाग केवल १०.७% था। भारत के निर्यात व्यापार में मन् १९५०-५१ में ब्रिटेन का भाग २३.५% था जो मन् १९६५-६६ में लगभग १८ प्रतिशत रह गया। इस प्रकार ब्रिटेन का महत्व भारतीय आयात व निर्यात दोनों में घट रहा है।

हमारे आयात में युद्ध के पूर्व अमरीका का भाग ७ प्रतिशत था, परन्तु यह प्रतिशत भाग वृद्ध मन् १९५०-५१ व मन् १९६५-६६ में क्रमशः १८.६ व ३७.७ हो गया। इसी प्रकार हमारे निर्यात व्यापार में भी अमरीका का भाग द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ६%, मन् १९५०-५१ में १६.२% तथा मन् १९६५-६६ में १८.३ प्रतिशत था। निम्नलिखित तारणी में भारत के निर्यात व आयात की दिशा में हुए परिवर्तनों का पता चलता है

#### भारत के व्यापार की दिशा

(प्रतिशत भाग)

देश/क्षेत्र	निर्यात		आयात	
	१९५२	१९६५-६६	१९५२	१९६५-६६
१	२	३	४	५
क ECAFE क्षेत्र	२६	२५	१५	१५
जिसमें जापान का भाग	(४)	(१२)	(२)	(६)
ख अफ्रीका	४	५	४	८
ग यूरोपीय साझा बाजार के देश	८	६	६	१३
घ यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के देश	—	१६	—	६
जिसमें से ब्रिटेन	(२४)	(१५)	(२१)	(७)
ङ उत्तरी अमरीका	२१	२०	३७	३६
च पूर्वी यूरोप	१	१६	२	१७
छ अन्य	१६	३	१५	२
	१००	१००	१००	१००

नोट—कोष्ठक में दिये गये प्रतिशत मुख्य शीर्षक में सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त विवरण में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं

(१) भारत का व्यापार पूर्वी यूरोप के देशों में (जिसमें मोल्दिया रूस मुख्य है) तीव्र गति से बढ़ रहा है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि १९५२ में भारत से पूर्वी यूरोप के देशों को कुल माल का केवल १ प्रतिशत निर्यात हुआ जबकि १९६५-६६ में यह प्रतिशत १६ तक बढ़ गया। इसी प्रकार आयातों का प्रतिशत भी १९५२ में केवल २ था १९६५-६६ में १७ हो गया।

(२) भारत के आयात तथा निर्यात अमरीका से भी बढ़ रहे हैं। आयातों में अग्र का प्रमुख स्थान है।

(३) भारत के व्यापार में ब्रिटेन का एकाधिकार प्रायः समाप्त हो गया है।



(४) भारत का विदेशी व्यापार सक्षार के सभी प्रमुख देशों से होने लगा है, जिसका अनुमान निम्न तालिका से होता है .

सन् १९६६-७० में भारत के विदेशी व्यापार में प्रमुख देशों का भाग

(प्रतिशत)

देश	आयात करोड़ रुपये	आयात में भाग	निर्यात करोड़ रुपये	निर्यात में भाग
१ संयुक्त राज्य अमरीका	४६०	२६.३	२३८	१६.६
२ ब्रिटेन	१००	६.४	१६४	११.७
३ पश्चिमी जर्मनी	८४	५.३	३०	२.१
४ मोवियत मघ	१७०	१०.६	१७६	१२.५
५ जापान	६७	४.३	१७६	१२.७
६ कनाडा	७४	४.७	२६	१.६
७ संयुक्त अरब गणराज्य	२४	१.५	३५	२.५
८ आस्ट्रेलिया	३१	२.०	२४	१.७
९ चेकोस्लोवाकिया	२३	१.५	३०	२.१
१० बर्मा	२०	१.३	२१	१.५

Source Commerce, May 22, 1971

अब तक हमने भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा मूल्य, व्यापार का स्वरूप तथा व्यापार की दिशा का अध्ययन किया। इस अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत के विदेशी व्यापार में गत वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आयात तथा निर्यात की मात्रा में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। आयात तथा निर्यात की रचना में भी परिवर्तन हुआ है। अब भारत में निर्मित माल का आयात घट रहा है तथा कच्चे माल व पूंजीगत वस्तुओं का आयात बढ़ रहा है। यह हमारी आर्थिक उन्नति का प्रतीक है। इसी प्रकार निर्यात के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। चाय, जूट जैसे महत्वपूर्ण परम्परागत निर्यात सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यात का मूल्य बढ़ा है परन्तु निर्यात में इनका प्रतिशत भाग धीरे-धीरे घट रहा है। कुछ नयी वस्तुओं का निर्यात बढ़ रहा है। इस प्रकार भारत के विदेशी व्यापार में विविधता आ रही है। जहाँ तक व्यापार की दिशा का सम्बन्ध है, भारत के व्यापारिक सम्बन्ध अमरीका, जर्मनी, रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन का हमारे व्यापार में कुल प्रतिशत भाग धीरे-धीरे कम होना जा रहा है।

#### ४. भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएँ

##### (Characteristics of India's Foreign Trade)

व्यापार की मात्रा, आयात तथा निर्यात का स्वरूप, व्यापार की दिशा, व्यापारिक सन्तुलन, विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में सरकार की नीति तथा अन्य देशों के व्यापारिक सम्बन्धों का अध्ययन किसी भी देश में विदेशी व्यापार की विशेषताओं के अन्तर्गत किया जाता है। इनमें से व्यापार की मात्रा, आयात तथा निर्यात का स्वरूप तथा व्यापार की दिशा का विस्तृत वर्णन हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं, अतः यहाँ इनका विवरण संक्षिप्त रूप में तथा अन्य विशेषताओं का विवरण सविस्तार प्रस्तुत किया जा रहा है।

(१) व्यापार की मात्रा—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के आयात तथा निर्यात की मात्रा तथा मूल्य में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। सन् १९५८ में भारत में आयात तथा निर्यात ५३३

करोड़ रुपये तथा ४२३ करोड़ रुपये के थे जो १९६६-७० में बढ़कर क्रमशः १५६७ तथा १४१४ करोड़ रुपये के तुल्य हो गये हैं अतः सन् १९४८ की तुलना में भारत के कुल विदेशी व्यापार में लगभग २४० प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(२) आयात तथा निर्यात का स्वरूप—गत वर्षों में आयात तथा निर्यात के स्वरूप में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। पहले निर्मित वस्तुओं का अधिक आयात होता था। परन्तु अब कच्चे मान तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात में वृद्धि हुई है।

(३) व्यापार की दिशा—भारत के व्यापार की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान समय में भी भारत के आयात तथा निर्यात व्यापार में ब्रिटेन का महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु मयुक्त राज्य अमरीका ब्रिटेन में बाजी मार चुका है। भारत का व्यापार रूस, जापान, इंग्लैंड, कनाडा, तथा मिश्र आदि देशों के साथ बढ़ रहा है। ईरान के देशों के साथ भी हमारा व्यापारिक संबंध उज्ज्वल है। द्वितीय महायुद्ध से पहले 'डालर मुद्रा क्षेत्र' के देशों के साथ भारत का विदेशी व्यापार उनके कुल व्यापार का केवल १०% था तथा व्यापारिक सन्तुलन पक्ष में था परन्तु युद्ध के पश्चात् इन देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़कर ३०% हो गया है तथा व्यापारिक सन्तुलन प्रतिकूल हो गया है।

(४) व्यापार सन्तुलन—द्वितीय विश्वयुद्ध काल तथा उसके पूर्व सामान्यतया भारत का व्यापार सन्तुलन अनुकूल था। परन्तु देश विभाजन के पश्चात् इस स्थिति में परिवर्तन हो गया। भारत को कपास तथा जूट का आयात करना पड़ा जिसमें स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत आत्मनिर्भर था। गत वर्षों में साथ समस्या के कारण स्वाच्छान्नों का अधिक माना में आयात करना पड़ रहा है। योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के लिए अधिक मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना पड़ रहा है। निर्यात प्रयत्नों के होने हुए भी व्यापार सन्तुलन की अवस्था का अनुमान निम्नलिखित सारणी से लगाया जा सकता है।

भारत का व्यापार-क्षेत्र

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार-क्षेत्र (प्रतिकूल)
१९५०-५१	६५०	६०१	४९
१९५५-५६	७७४	६०६	१६५
१९६०-६१	१,१२२	६४२	४८०
१९६४-६६	१,४१०	८०६	६०४
१९६७-६८	१,९५०	१,१६७	७८३
१९६८-६९	१,८५६	१,३६०	४९६
१९६९-७०	१,५६७	१,४१४	१५४

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् विशेषतः देश विभाजन के पश्चात् भारत के समस्त प्रतिकूल व्यापार-क्षेत्र की समस्या रही है। आयात नियन्त्रण तथा निर्यात सवर्द्धन के प्रयत्नों के होने हुए भी व्यापार सन्तुलन की समस्या गम्भीर रूप धारण करती जा रही है।

प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन के कारण

(१) देश विभाजन—देश-विभाजन के कारण जूट तथा कपास उत्पादन के क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये। जूट पैदा करने का ७२% क्षेत्र तथा अच्छी कपास पैदा करने वाला अधिकांश क्षेत्र

पाकिस्तान में बने जाने के कारण इन वस्तुओं का जटिक मात्रा में आयात करना पडा। सन् १९५१ तथा १९५० में क्रमशः ११३ करोड़ रुपये व ११५ करोड़ रुपये की बरतान का जानात करना पडा। एसी प्रकार बिनाजत के पम्बात सन् १९५८ में ७१ करोड रुपये के कूट का जानात करना पडा। बरतान का जानात अब भी अधिक मात्रा में करना पडता है।

(ii) खाद्यान्नों का आयात—भारत की बडी मात्रा में खाद्यान्नों का जानात करना पडा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दो वर्षों के अतिरिक्त, प्रति वर्ष खाद्यान्नों का जटिक मात्रा में जानात किया जा रहा है। एमकी गम्भीरता का अनुधान इस बात से लगाया जा सकता है कि सन् १९५१ में १९६८ तक भारत ने लगभग ३,७०० करोड रुपये का व्यय आयात किया।

इस आयात के योजनावाक आँकडे निम्नलिखित हैं -

(करोड रुपये)

प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना	१९६६-६७ में ६८-६९
४६१	६७३	१,२०१	१,३००

इसकी जटिक मात्रा में खाद्यान्नों के आयात का प्रभाव व्यापार-अप पर बहुत ही प्रति-कृत पडा है।

(iii) मशीनों तथा यन्त्रों का आयात—द्वितीय महायुद्ध के पम्बान् में ही मशीनों के जानात में निरन्तर वृद्धि होती गयी है। युद्धकाल में मशीनों का आयात बन्द हो गया था, एमलिए युद्ध के पम्बान् मशीनों उद्योगों में मशीनों जीर्ण-सुध्प अवस्था में थीं। अतः युद्ध के पम्बान् मशीनों के जानात में वृद्धि हुई। पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगीकरण के कार्यक्रम को महत्व दिया गया है और यडी मात्रा में मशीनों का आयात किया जा रहा है। सन् १९५१-१९५६ की अवधि में औद्योगिक मशीनों का जानात १२५ करोड रुपये वार्षिक मशीनों तथा यन्त्रों के आयात पर व्यय किया गया। एसी प्रकार सन् १९५६-१९६१ की अवधि में औद्योगिक मशीनों के ३०३ करोड रुपये वार्षिक मशीनों पर व्यय किया गया। तृतीय योजनाकाल में कुल ०,१५८ करोड रुपये की मशीनों जानात की गयी अर्थात् मशीनों का औद्योगिक आयात ४३१ करोड रुपये हो गया। सन् १९६८-६९ में ५५६ करोड रुपये का मशीनों तथा परिवहन उपकरणों का आयात किया गया।

व्यापारिक असन्तुलन को दूर करने की दिशा में प्रयत्न

व्यापारिक असन्तुलन की समस्या के समाधान के लिए सरकार न जो प्रयत्न किये हैं वे निम्नलिखित हैं :

(१) रुपये का अवमूल्यन—फरवरी १९५६ व जून १९६६ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया। इसका प्रभाव विदेशी व्यापार पर अनुकूल पडा। सन् १९५६-५६ में व्यापारिक असन्तुलन १२० करोड रुपये में प्रतिबृद्ध था, परन्तु १९५६-५० में यह प्रतिबृद्धता घटकर ७५ करोड रुपये हो गयी। परन्तु अवमूल्यन का प्रभाव अल्पकालीन रहा। पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया, अतः भारत को कठिनाइयों का सामना करना पडा जिनका द्योग एन्ने पूर्व दिना जा चुका है।

योजनाकाल में भारतीय व्यापार को जिन परिस्थितियों का सामना करना पडा है उनके कारण व्यापार असन्तुलन की स्थिति निरन्तर बिगडती गयी है। इस स्थिति पर निपटारा करने के लिए ६ जून, १९६६ में रुपये का पुनः ३६५ प्रतिशत में अवमूल्यन किया गया। इस अवमूल्यन न उचितिविज जाणाई की गयी थी।

- (१) देश के निर्यातों में वृद्धि होगी।
- (२) आयात निरंतर कम होते जायेंगे।
- (३) रुपये की विनिमय दर में स्थायित्व आ जायेगा।

सन् १९६६ के अवमूल्यन के प्रभाव

उपर्युक्त आशाओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक था कि सरकार मूल्यों की वृद्धि पर नियंत्रण रखनी तथा निर्यात किये जाने वाले माल का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करती। दुर्भाग्य से इन दोनों दिशाओं में ही सरकार असफल रही है। जून १९६६ के पश्चात् प्रायः सभी वस्तुओं के मूल्यों में निम्नतर वृद्धि होती रही है और श्रमिक निम्नतर अधिकाधिक महँगाई भन्ने की मांग कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप देश में निर्मित जूट का माल, वस्त्र, मशीनें तथा चाय आदि जिनके निर्यात में भारत को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की विनिमय प्राप्त होती है, महँगे होने लगे हैं तथा उनके निर्यात घट रहे हैं।

यह आशा व्यक्त की गयी थी कि रुपये के अवमूल्यन द्वारा भुगतान शेष की समस्या का स्थायी रूप में समाधान हो जायेगा, भारत के निर्यात व्यापार में अत्यधिक वृद्धि होगी जिससे देश का आर्थिक विकास तेजी से होगा तथा देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। निम्नलिखित विवरण द्वारा अवमूल्यन के प्रभावों पर प्रकाश पड़ता है

(1) जून सन् १९६६ से मई सन् १९६७ (१२ महीने में) भारत के निर्यात व्यापार में २०६ मिलियन टालर की कमी हुई है। इस अवधि में भारत को कुल निर्यात का मूल्य १,५०५ मिलियन डॉलर रहा जबकि इसके ठीक एक वर्ष पूर्व की अवधि में (जून १९६५ से मई १९६६) भारत के कुल निर्यात का मूल्य १७११ मिलियन डॉलर था। सन् १९६७-६८ में भारत का व्यापार शेष ७.३ करोड़ रुपये में और १९६८-६९ में ४६९ करोड़ रुपये में प्रतिफल रहा। परन्तु सन् १९६६ में व्यापार की स्थिति में सुधार आरम्भ हुआ। निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी होती लगी है। निम्नलिखित सारणी द्वारा अवमूल्यन के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार पर प्रकाश पड़ता है

अवमूल्यन के पश्चात् भारत का विदेशी व्यापार

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार शेष
१९६७-६८	१,९५० २७	१,१९७ ०४	—७५३ ४३
१९६८-६९	१,८५८ ८७	१ ३६० ०२	—४९८ ८५
१९६९-७०	१,५६७ ४९	१,४१३ ६४	—१५३ ८५

अवमूल्यन के पश्चात् प्रथम वर्ष में स्थिति खराब रही। सन् १९६७-६८ में भारत का व्यापार शेष ७५३ ४३ करोड़ रुपये में प्रतिफल रहा जो पूर्व के वर्षों से अधिक था। परन्तु सन् १९६८ से अवमूल्यन के अनुकूल प्रभाव परिलक्षित होने लगे। सन् १९६९-७० में व्यापार शेष केवल १५४ करोड़ रुपये में प्रतिफल रहा। सन् १९६९-७० वर्ष से आयात में तेजी में कमी तथा निर्यात में आसानी से वृद्धि हो रही है। इसमें यह मानना होता है कि अब अवमूल्यन के अनुकूल प्रभाव पड़ने आरम्भ हो गये हैं।

(11) अवमूल्यन के कारण अब हमें अवमूल्यन के पूर्व जितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में ५७ ५/१० वृद्धि करनी पड़ेगी। वस्तुतः भारत

निर्यात की मात्रा में इस सीमा तक वृद्धि करने में असमर्थ है अतः निर्यात के कुल मूल्य का कम होना स्वाभाविक है।

(iii) अवमूल्यन से निर्यात में कमी हुई, दूसरी ओर आयातों का मूल्य रूपों में ७७.५% बढ़ गया, इस प्रकार आयात के मूल्य में वृद्धि के कारण भारत का व्यापार-गण और अधिक प्रतिबल हो गया।

(iv) आयात के मूल्यों में वृद्धि होने से मूल्य-स्तर भी ऊँचा उठा है।

(v) अवमूल्यन के कारण विदेशी ऋणों का भार और बढ़ गया है, इस प्रकार प्रतिकूल भुगतान शेष की समस्या देश के समक्ष काफी समय तक बनी रहेगी।

वास्तव में मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात वृद्धि में तभी सहायक हो सकता है जबकि सरकार मूल्य-स्तर को नियन्त्रण में रखे तथा निर्यात सवर्द्धन के लिए व्यापारियों को यथोचित प्रोत्साहन दे। अतः सरकार को उन दिशाओं में शक्तिशाली कदम उठाने चाहिए, अन्यथा अवमूल्यन का शस्त्र व्यर्थ हो जायेगा।

(२) कड़ी आयात नीति का पालन—सरकार आयात पर कठोर नियन्त्रण की नीति का पालन कर रही है। पूरी जाँच के पश्चात् केवल आवश्यक वस्तुओं के आयात के ही लिए लाइसेंस दिये जाते हैं। सन् १९५८ से आयात नियन्त्रण को और भी कड़ा कर दिया गया है।

(३) निर्यात सवर्द्धन—निर्यात सवर्द्धन की दिशा में सरकार पूर्णरूप से प्रयत्नशील है। है। निर्यात वृद्धि के लिए कई प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इनके लिए कुछ विशेष सस्याओं की भी स्थापना की गयी है।

(४) कच्चे माल—जूट तथा कपास के उत्पादन में वृद्धि—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कपास तथा जूट का अधिक मात्रा में आयात करना पड़ा। इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किये गये। फलस्वरूप इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। सन् १९४८ में ७१ करोड़ रुपये की जूट तथा सन् १९५१ में ११३ करोड़ रुपये की रई का आयात करना पड़ा था। परन्तु उत्पादन वृद्धि के प्रयत्नों के कारण सन् १९६८-६९ में केवल ६ करोड़ रुपये की जूट तथा ६० करोड़ रुपये की रई आयात की गयी।

(५) विदेशी व्यापार पर सरकार का नियन्त्रण—युद्धोत्तरकाल में विदेशी व्यापार पर सरकार द्वारा पूर्ण नियन्त्रण रहना भी भारतीय विदेशी व्यापार की एक प्रमुख विशेषता है। वस्तुतः विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण युद्धकाल में लागू कर दिया गया था। उस समय व्यापार नियन्त्रण का उद्देश्य विदेशी मुद्रा तथा जहाजों की पूर्ति (Shipping space) को नियन्त्रित करना था। उनके पश्चात् योजनावद्ध विकास के साथ ही साथ आयात नियन्त्रण बढ़ता गया तथा वर्तमान समय में वस्तुतः सभी वस्तुओं पर आयात नियन्त्रण लागू है। सन् १९७१ से आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है।

वर्तमान युग में आयात नियन्त्रण के उद्देश्यों में भी परिवर्तन हुआ है। अब इसका उद्देश्य विदेशी विनिमय की वृद्धि ही नहीं, अतिसु औद्योगिक विकास तथा मूल्य स्तर को अनुशासित रखना भी है। देश को विदेशी मुद्रा के भयकर संकट का सामान करना पड़ रहा है, अतः आयात पर और भी कड़ा नियन्त्रण रखना आवश्यक हो गया है।

(६) विश्व व्यापार में भारत का क्रमशः घटता हुआ भाग—गत वर्षों में भारत के कुल व्यापार में वृद्धि हुई है परन्तु भारत के निर्यात व्यापार का प्रतिशत भाग विश्व व्यापार में क्रमशः घटता जा रहा है। १९५१-१९६८ की अवधि में सप्ताह का निर्यात ७४८ अरब डॉलर में बढ़कर

२१० जख डार हो गया अर्वात् विश्व निर्माण व्यापार मे लगभग १५५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। विश्व निर्माण व्यापार मे भारत के घटते हुए भाग का अनुमान निम्नलिखित सारणी मे लगाया जा सकता है

**विश्व निर्माण में भारत का भाग**

(दम नाव अमरीकी डालर मे)

वर्ष	विश्व निर्माण	भारत का निर्माण	भारत का प्रतिशत भाग
१९४१	७,८००	१,६११	२१
१९४६	९२३००	१,३००	१३
१९६१	११७,४००	१,३८७	१२
१९६३	१३६,१००		१२
१९६७	१,६०,०००	१,६१४	०८
१९६८	२,१२६००	१,७५३	०८
१९७०	२,७८०००	१,६००	०७

विश्व निर्माण म भारत के घटते हुए भाग का प्रमुख कारण निर्यात मूल्य के घटने की प्रवृत्ति तथा अन्य देशों के निर्यात मे अग्रिम गति मे वृद्धि है।

**विशेषताओं का सारांश**—भारतीय व्यापार के उपर्युक्त विशेषण के पश्चात उमकी विशेषताएँ इस प्रकार प्रकट की जा सकती हैं

- (१) भारत के आयात तथा निर्यात म क्रमशः वृद्धि होनी गयी है।
- (२) आयात मे निर्यात की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई है।
- (३) भारत के समक्ष भुगतान मन्तुलन की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है।
- (४) गत वर्षों मे पूँजीगत वस्तुओं तथा कच्चे मात्र के आयात म वृद्धि हुई है।
- (५) निर्यात सवर्द्धन के प्रयत्नों को कुछ सफलता मिली है; कुछ नयी वस्तुओं का भी निर्यात किया जा रहा है।
- (६) भारत के व्यापार की दिशा मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।
- (७) व्यापार पर कठोर नियन्त्रण नीति का पालन किया गया है।
- (८) व्यापार म वृद्धि होने हुए भी विश्व निर्माण व्यापार मे भारत का प्रतिशत भाग उमदा कम होता जा रहा है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि गत वर्षों मे भारत के विदेशी व्यापार मे सन्तोषजनक वृद्धि हुई है परन्तु भारत के निर्यात व्यापार मे अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। सन् १९६३-७० की अवधि म विश्व निर्माण बढ़कर दुगुने से भी अधिक हो गया, परन्तु इसी अवधि म भारत के निर्यात-व्यापार मे केवल २० प्रतिशत वृद्धि हुई। सन् १९५१ मे विश्व-निर्यात मे भारत का प्रतिशत भाग २१ प्रतिशत था, जो घटकर सन् १९६३ मे १२ प्रतिशत तथा सन् १९७० मे ०७ प्रतिशत मात्र रह गया। विश्व के निर्यात कर्ता देशों मे सन् १९६६ मे भारत का २५ वाँ स्थान था परन्तु सन् १९७० मे भारत का स्थान घटकर २६ वाँ हो गया। सन् १९६३ मे एशिया महाद्वीप म निर्यात की दृष्टि मे भारत का दूसरा स्थान था (पथम स्थान जापान का था, परन्तु सन् १९७० मे एशिया म निर्यात की दृष्टि मे भारत का पाँचवा स्थान हो गया (जापान, ईरान, मऊरी अरब तथा हांगकांग के पश्चात)। यह स्मरणीय है कि हांगकांग का निर्यात

व्यापार मन् १९६३ में भारत के कुल निर्यात-व्यापार का केवल पचास प्रतिशत था। भारत के निर्यात व्यापार में सन् १९६८-६९ में १३५ प्रतिशत वृद्धि हुई (सन् १९६७-६८ की तुलना में) परन्तु सन् १९६९-७० व सन् १९७०-७१ से यह वृद्धि क्रमशः ४५ प्रतिशत तथा ८५ प्रतिशत आय हुई।

#### अभ्यास-प्रश्न

- १ भारत के विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति, मात्रा तथा दिशा में सन् १९४० से क्या परिवर्तन हुए हैं ?  
(राजस्थान, बी० ए०, १९६०)
- २ भारत के विदेशी व्यापार में गत वर्षों में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए तथा उनके भौतिक प्रभावों को बतलाइए।  
(राजस्थान, बी० ए०, १९५९)
- ३ युद्धोत्तरकाल में भारत के प्रतिभूल भुगतान संतुलन के कारणों का उल्लेख कीजिए। इस ठीक करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं।  
(राजस्थान, बी० ए०, १९६१)
- ४ सन् १९३९ से भारत के आयात तथा निर्यात की क्या स्थिति रही ? इसका भारतीय अर्थ-व्यवस्था के परिवर्तनों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?  
(राजस्थान, बी० ए०, १९६१)

## निर्यात संवर्द्धन व व्यापारिक समझौते

(EXPORT PROMOTION AND TRADE AGREEMENTS)

*It has been evident for sometime past that a greatly intensified export effort is essential if the country is to be in a position to meet its growing import requirement and to move forward progressively towards a balance in external accounts*

—THIRD FIVE YEAR PLAN

### निर्यात संवर्द्धन (Export Promotion)

#### आवश्यकता

(१) व्यापार सन्तुलन के लिए—भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के साथ ही साथ निर्यात का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। भारत के समान विदेशी मुद्रा की कठिनाई अनवरत रूप से चल रही है। आयात को हर प्रकार से सीमित करने के प्रयत्नों के होते हुए भी विदेशी मुद्रा की कठिनाई बनी हुई है। यह कठिनाई उनी समय दूर हो सकती है जबकि निर्यात की मात्रा में अधिक से अधिक वृद्धि की जाय। प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में निर्यात की वार्षिक औसत वृद्धि क्रमशः ६.०६ फीसद रुपये तथा २.०६ करोड़ रुपये थी। अर्थात् औसत निर्यात की राशि लगभग स्थिर थी। इन दोनों योजनाओं की अवधि में आयात की वार्षिक औसत वृद्धि क्रमशः ७.२३ करोड़ रुपये तथा ६.७६ करोड़ रुपये थी। तृतीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में निर्यात की स्थिति में कुछ सुधार हुआ परन्तु अंतिम दो वर्षों में स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही। तृतीय योजनाकाल में निर्यात की वार्षिक औसत ७.६२ करोड़ रुपये थी। विश्व निर्यात व्यापार में सन् १९६० में भारत का भाग १.२% था जो सन् १९६८ में घटकर ०.८ प्रतिशत मात्र रह गया। निर्यात की इस असन्तोषजनक स्थिति के कारण भारत का विदेशी ऋणिसम सफट बढ़ता जा रहा है।

तृतीय योजनाकाल में कुल निर्यात का लक्ष्य ३,८०० करोड़ रुपये निश्चित किया गया था। तृतीय योजनाकाल में वास्तविक निर्यात ३,६२३ करोड़ रुपये हुआ। इस प्रकार योजना लक्ष्य की पूर्ति हो गयी। भारत के समस्त प्रतिकूल व्यापार शप की समस्या कई वर्षों से बना हुई है।



विभिन्न प्रयत्नों के होने हुए भी सन् १९६८-६९ में भारत का व्यापार ५५० करोड़ रुपये में प्रति-  
 बूझ रहा। अतः विदेशी विनिमय संकट पूर्ववत् बना रहा। इस कारण यह आवश्यक है कि निर्यात  
 में वृद्धि कर व्यापार अमनुजन को दूर किया जाय।

(२) विदेशी ऋण के भार को कम करने के लिए—व्यापार अमनुजन तथा विकास  
 योजनाओं के कारण भारत विदेशी ऋणों में दबना जा रहा है, और अब स्थिति इतनी गम्भीर हो  
 गयी है कि पुराने ऋणों तथा उनके व्याज के भुगतान के लिए भी भारत को नये ऋण लेने पड़  
 रहे हैं। कोई भी अर्थ व्यवस्था ऐसी स्थिति में बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है। प्रथम, द्वितीय  
 तथा तृतीय योजनाकाल में भारत द्वारा ली गयी विदेशी सहायता की मात्रा क्रमशः २०३ करोड़,  
 १,०६० करोड़ तथा २,४१५ करोड़ रुपये थी जो इन योजनाओं के कुल व्यय (Plan Outlay)  
 का क्रमशः १०.००%, २३.७% तथा २८.५% था। अप्रैल में १९७१ में नागन पर लगभग  
 ८६०० करोड़ रुपये का विदेशी ऋण था। नागनीय अर्थ-व्यवस्था को विदेशी ऋण में मुक्त कराना  
 आवश्यक है और इस लक्ष्य को पूर्ण निर्यात-संवर्द्धन द्वारा ही सम्भव है।

### भारत में निर्यात-संवर्द्धन सम्बन्धी प्रयत्न

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् में ही सरकार निर्यात वृद्धि के लिए प्रयत्नशील है। विभिन्न  
 समयों में विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए गये। नीचे हम इन प्रयत्नों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत  
 कर रहे हैं।

#### १. जांच समितियों की नियुक्ति

निर्यात सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ए० डी० गोरवाला की अध्यक्षता  
 में एक निर्यात समिति की नियुक्ति की गयी। इसके अनिरीक्त भी विभिन्न समयों में निर्यात वृद्धि  
 के लिए प्रयत्न किए गये जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

(क) गोरवाला समिति, १९४९—इस निर्यात संवर्द्धन समिति की नियुक्ति देश-विभाजन  
 तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के उत्पन्न भुगतान अमनुजन की कठिनाइयों का अध्ययन करने तथा उन्हें  
 दूर करने के उपाय और माघनों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए की गयी थी।

(ख) डी'सूजा समिति—१९५७ में सरकार ने वी० एन० डी'सूजा की अध्यक्षता में  
 एक और समिति की नियुक्ति की। १९५७ की भुगतान अमनुजन कठिनाइयों कुछ भिन्न प्रकार की  
 थी क्योंकि उस समय हमने पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन देश की अर्थ-व्यवस्था का विकास करने  
 तथा देश के औद्योगीकरण करने के लक्ष्य पर चलना आरम्भ कर दिया था। इस स्थिति में ही  
 निर्यात संवर्द्धन ने देश के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण की का रूप धारण  
 किया इसलिए इस समिति ने भारतीय व्यापार का मूल्यांकन अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किया और  
 कुछ विशेष वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए विविध उपाय सुझाये। समिति ने उत्पादन की  
 सागत में कमी करने की आवश्यकता एवं निर्यात-योग्य वस्तुओं को उत्पादन-कर तथा विन्नी-कर से  
 पूर्णतः मुक्त करने पर जोर दिया।

(ग) मुदानियर समिति, १९६१—तृतीय योजना में निर्यात लक्ष्यों को पूर्ण के लिए सुझाव  
 देने के हेतु मुदानियर समिति की नियुक्ति की गयी। इस समिति ने समस्त आयात-निर्यात, व्यापार  
 नीति और वार्षिक तथा निर्यात-संवर्द्धन प्रयत्नों की समीक्षा की। समिति ने कुछ ऐसे सुझाव  
 दिये जिनका सम्बन्ध निर्यात प्रोत्साहन से था, जैसे :

(i) निर्यात सम्बन्धी उद्योगों के लिए अच्छा माल, मशीनरी आदि हेतु आवश्यक विदेशी  
 मुद्रा की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ii) ऐसे अतिरिक्त आयात के लिए आयात-निर्यात समता कोष (Import Export Stabilization Fund) स्थापित करना चाहिए।

(iii) आय कर में तीन प्रकार से छूट देनी चाहिए (अ) मूल निर्यात के लाभ पर इरो में छूट, (ब) ऐसी छूट जिससे निर्यातक एक निर्यात विकास निधि (Export Development Reserve) स्थापित कर सके, और (स) अतिरिक्त निर्यात पर विशेष छूट।

(iv) जो उद्योग निर्यात सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उन कठिनाइयों को दूर किया जाय।

(v) उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को चाहिए कि वे आन्तरिक उपभोग (domestic consumption) पर एक डा-कर (cess) लगायें तथा इस कर से प्राप्त जाय का उपभोग निर्यात व्यापार में सहायता करने के लिए करें।

समिति की राय में अनिवाय निर्यात आवश्यक है। इसके अतिरिक्त समिति ने अन्तरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेने विदेशों यात्रियों की सख्या में वृद्धि करने, वस्तु विनिमय व्यापार, राजकीय व्यापार, बिस्म-निष्पन्न तथा निर्यात जोलिम आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। सरकार न इनमें से कुछ सुझावों को कार्यान्वित भी किया है।

## २ निर्यात सवर्द्धन सगठनों का बनाया जाना

निर्यात सवर्द्धन के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ सत्यागत सगठन बनाय गये हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है

(क) व्यापार मण्डल—मई १९६२ में इस बोर्ड की स्थापना की गयी। इस बोर्ड का कार्य व्यापार तथा वाणिज्य के सभी पहलुओं पर विचार करना तथा उनके सम्बन्ध में सरकार की सलाह देना है। अन्तरराष्ट्रीय व्यापार वृद्धि के लिए विशेषतया निर्यात वृद्धि के लिए प्रयत्न करना बोर्ड का प्रमुख कार्य है। बोर्ड ने समय समय पर निर्यात व्यापार से सम्बन्धित वस्तुओं तथा देशों के विषय में विश्लेषण किया है तथा निर्यात सम्बन्धी अवसरों के विषय में जानकारी प्राप्त करायी है। उत्पादन व्यय में कमी, साख-सुविधा, जहाज तथा भाड़े की समस्या, विदेशों में व्यापार प्रति-निधियों की नियुक्ति आदि विषयों पर इमने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। बोर्ड ने Institute of Foreign Trade की भी स्थापना की है। बोर्ड द्वारा १० समितियाँ भी बनायी गयी हैं जो विदेशी व्यापार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करती हैं।

(ख) निर्यात सवर्द्धन निदेशालय (Export Promotion Directorate)—इसकी स्थापना जगस्त १९५७ में की गयी। इसका प्रमुख कार्य निर्यातकों को आवश्यक सूचनाएँ तथा सहायता देना तथा व्यापार मण्डल के आदेशों व सुझावों को कार्यान्वित करना है। निदेशालय न चार क्षेत्रीय कार्यालय तथा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में Port Office बनाये हैं।

(ग) निर्यात सवर्द्धन सलाहकार परिषद (Export Promotion Advisory Council)—इसकी स्थापना केन्द्रीय स्तर पर की गयी है। इस समिति में व्यापार के प्रतिनिधि होते हैं। समिति सरकार की निर्यात नीति की समीक्षा करती है तथा सरकार को इस विषय में सलाह देती है।

(घ) क्षेत्रीय निर्यात सवर्द्धन सलाहकार समितियाँ—देश के विभिन्न भागों से निर्यात की सम्भावनाओं तथा समस्याओं पर यह समितियाँ विचार करती हैं। अपने क्षेत्र की निर्यात विषयक समस्याओं पर ये समितियाँ सरकार का ध्यान आकषिप्त करती हैं। ये समितियाँ महीने में एक बार मिलती हैं तथा अपने-अपने क्षेत्र की उद्योग तथा व्यापार सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करती हैं और सुझाव देती हैं। समितियों का नेतृत्व स्थानीय व्यापार व उद्योग के अवैतनिक निर्यात सवर्द्धन

सलाहकार द्वारा किया जाता है। इस समय बम्बई, बलकत्ता, मद्रास तथा अर्नाकुलम बन्दरगाहों पर व मिनिर्यात कार्य पर रही हैं।

(ड) निर्यात सबद्धन परिपदों—इन परिपदों की स्थापना स्वायत्तशासी निगमों के रूप में की गयी है। इनमें उद्योग व व्यापार के प्रतिनिधि तथा सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। ये परिपदों अपने उद्योग की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयत्न करती हैं। इस समय देश में इस प्रकार की १६ परिपदों कार्य पर रही हैं, जो अलग-अलग सूती बरतन, काजू ममाला, तम्बाकू, चमड़ा, रेगम, रेयन रामादनिक पदार्थ, खेल व सामान, फल, इजीनियरी का सामान आदि के निर्यात सबद्धन सम्बन्धी कार्य पर रही हैं।

(च) वस्तु मण्डल—निर्यात सबद्धन परिपदों के अतिरिक्त बहुत से बड़े मण्डल किये हैं, जैसे टी बोट, कॉफी बोट, मिल्क बोट, ऑन इण्डिया हैण्डलूम बोट आदि-य बोटें सम्बन्धित वस्तुओं के निर्यात के विषय में सूचना व सहायता देते हैं। ये बोटें निर्यात सबद्धन परिपदों के समान कार्य भी करती हैं।

(छ) निर्यात साख गारण्टी निगम (The Export Credit and Guarantee Corporation)—इस निगम की स्थापना मितम्बर १९५७ में की गयी। यह निगम निर्यातकों को उन जोखिमों के लिए बीमा सुविधाएँ प्रदान करता है, जो सामान्यतया साधारण बीमा कम्पनियाँ द्वारा प्रदान नहीं की जाती हैं। निर्यातकों को निगम द्वारा बैंकों में इसकी निर्यात साख गारण्टी पालिसी (Export Credit Guarantee Policies) के आचार पर सृष्ट भी दिलाया जाता है। निगम सम्योपबद्धन इस से कार्य पर रहा है तथा इससे द्वारा निर्यात पोल्साहन में पर्याप्त सहायता मिलती है।

(ज) राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation)—इस निगम की स्थापना १८ मई, १९५६ को निर्यात सबद्धन तथा आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के उद्देश्य से की गयी। इसकी स्थापना एक सरकारी कम्पनी के रूप में १ करोड़ रुपये की प्रदान पूँजी के साथ की गयी जिसे बढ़ाकर सन् १९५८-५९ में २ करोड़ बना कर दिया गया। जनवरी १९६३ में इस निगम के दो भाग कर दिये गये तथा पृथक भाग का नाम 'खनिज व धातु व्यापार निगम' (Mineral and Metals Trading Corporation of India) रखा गया। इस नये निगम को खनिज व धातुओं का व्यापार सौंप दिया गया। निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: (i) भारत के निर्यात व्यापार में वृद्धि करना, (ii) परम्परागत निर्यातों के बाजारों को बनाये रखना, (iii) नयी वस्तुओं का निर्यात के लिए बाजार तलाश करना (iv) आवश्यक वस्तुओं का आयात करना।

राज्य व्यापार निगम की सहायक मस्या के रूप में 'दस्तकारी व हाथ कर्षा निर्यात निगम' (Handicrafts and Handloom Export Corporation) दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात के लिए प्रयत्न करता है। राज्य व्यापार निगम ने गत वर्ष में सराहनीय प्रगति की है जिसका अनुमान निम्नलिखित सारणी में लगाया जा सकता है

राज्य व्यापार निगम—कार्य प्रगति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	औसत निर्यात
द्वितीय योजनाकाल	३५
तृतीय योजनाकाल	८७
१९६७-६८	३२१
१९६९-७०	४४५

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि निगम द्वारा गत १२ वर्षों में लगभग १,२४२ मिलियन रुपये का माल निर्यात किया गया और देश के लिए विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की गयी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये निर्यात छह वर्गों में रत्ने जा सकते हैं

- (१) रेल के डिब्बे तथा सम्बन्धित सामान,
- (२) इजीनियरी का सामान तथा फल पुर्जे,
- (३) रसायन दवाएँ तथा लकड़ आदि,
- (४) उपरोक्त माल जिनमें चमड़ा, जूते, चोटियाँ तथा गिर के बाल, कपड़ा तथा तैयार वस्त्र सम्मिलित हैं,

(५) शृषि पदार्थ तथा फल,

(६) सीमेन्ट।

प्रस्तुत विवरण में स्पष्ट है कि व्यापार निगम विविध वर्गों की अनेक वस्तुएँ निर्यात करता है जिनमें फल, अचार, मुग्घे आदि से लेकर रेल के डिब्बे, मशीनें, कल-पुर्जे, चीनी, सीमेन्ट, रसायन तथा दवाएँ और बाल सगीची वस्तुएँ सम्मिलित हैं।

राज्य व्यापार निगम के कार्य की एक विशेषता यह है कि इसके निर्यात का लगभग दो-तिहाई भाग पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को होता है। इनमें से भी ४०-४५ प्रतिशत माल अकेल सोवियत संघ को निर्यात किया जाता है।

निर्यात को मिला कर राज्य व्यापार निगम लगभग १६० करोड़ रुपये के तुल्य वार्षिक व्यवसाय करता है।

राज्य व्यापार निगम पर मुलाफाखोरी का आरोप लगाया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि इसके द्वारा कुछ जायातित माल बहुत महँगा बचा जाता है तथा निर्यात होने वाले माल में भी यह अधिक लाभ का सीमान्तर रखता है। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। सरकार द्वारा इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए।

(स) खनिज व धातु व्यापार निगम (Minerals and Metals Trading Corporation of India)—इस निगम की स्थापना १ अक्टूबर, १९६३ में राज्य व्यापार निगम से पृथक रूप से की गयी। इसके पूर्व खनिज व धातु का निर्यात व्यापार, राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता था। इस निगम का प्रमुख कार्य खनिज व धातुओं का अयायन करना है। निगम द्वारा मैंगनीज अक्षक, खनिज, लोहा आदि का निर्यात किया जाता है। सन् १९६३-६४ (१ अक्टूबर, १९६३ से ३१ मार्च, १९६४) में निगम का कुल प्रत्यक्ष व्यापार २४४ करोड़ रुपया था जो बढकर सन् १९६५-६६ में १०६१ करोड़ रुपया हो गया। सन् १९६३-६४ में, इसके निर्यात का मूल्य १२४ करोड़ रुपया था जो बढकर सन् १९६५-६६ में ५०२ करोड़ रुपया हो गया।

(ज) निर्यात निरीक्षण परिषद्—भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् की स्थापना निर्यात अधिनियम, १९६३ के अन्तर्गत की गयी। इस परिषद् में व्यापार व उद्योगों के प्रतिनिधि तथा तकनीकी विशेषज्ञ हैं। परिषद् को सरकार द्वारा ऋण, अनुदान आदि के रूप में आर्थिक सहायता मिलती है। परिषद् ने विस्म-नियन्त्रण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसने माल के सदाव के पूर्व निरीक्षण तथा वस्तुओं के परीक्षण के लिए सुविधाएँ प्रदान करने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है।

उपर्युक्त संघटनात्मक कार्यों के अतिरिक्त निर्यात प्रोत्साहन व लिए राज्यों में निर्यात संवर्द्धन सहायकार बोर्ड की स्थापना की गयी है तथा राज्य सम्पर्क अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं।

### प्रोत्साहन योजनाएँ तथा सहायता

वर्तमान समय में निर्यात सबद्धन के लिए कुछ प्रोत्साहन योजनाएँ भी कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके अन्तर्गत निर्यातकों के लिए आवश्यक मशीन आदि आयात करने कच्चा माल मँगाने आदि की सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं। इन योजनाओं का सविस्तर विवरण निम्नलिखित है।

(१) कच्चे माल व पुर्जों का आयात—निर्यात किये गये माल का एक निर्धारित प्रतिशत मूल्य उन कच्चे पदार्थों तथा पुर्जों के आयात के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जाती है जिनकी आवश्यकता निर्यात सम्बन्धी वस्तुओं के उत्पादन में पड़ती है। आयात करने का यह अधिकार सामान्यतः निर्यात होने वाले माल में प्रयुक्त हुए आयातित माल के द्रुगुण परन्तु निर्यातों के जहाज पर पठने वाले मूल्य के ७५% से कम आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(२) मशीनों का आयात—इस आयात अधिकार का एक भाग सामान्यतः निर्यातों के जहाज पर के मूल्य के १०%, तक उन मशीनों व पुर्जों आदि के आयात करने में उपयोग करने की अनुमति दी जाती है जिनकी आवश्यकता पुर्जे बदलाने अथवा आधुनिकीकरण के लिए पड़ती है। इन्जिन, बागान, मतित्र तथा निर्माणकारी उद्योगों के निर्यात करने वाले अथवा आधुनिकीकरण आदि के लिए आवश्यक मशीनों मँगाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

(३) अग्रिम लाइसेंस—कुछ विशेष परिस्थितियों में अग्रिम लाइसेंस देने की अनुमति भी दी जाती है। जिसमें निर्यातक निर्यात सम्बन्धी बायदों की पूर्ति के लिए आवश्यक सामान खरीद सके। ऐसे अग्रिम लाइसेंस पक्का ऑर्डर मिलने या 'अटल साखत' (Confirmed Letters of Credit) खोलने पर ही दिये जाते हैं।

(४) आयातित माल को बेचना—निर्यात सबद्धन योजना के अधीन आयात किये गये माल को सामान्यतया निर्यातक को अपने कारखाना में प्रयुक्त करने की ही अनुमति मिलती है, परन्तु वह आयातित माल उसी निर्यात सबद्धन योजना के क्षेत्र में आने वाले किसी अन्य ऐसे निर्यातक को बेचा भी जा सकता है जो मोघे निर्यात करता है या निर्यात के लिए अपना माल दूसरों को बच देता है।

(५) देशी माल की सुविधा—निर्यात सबद्धन योजना में कुछ देशी कच्चे पदार्थों, जैसे कच्चा लोहा, इस्पात, टीन की चादरें आदि, को रिआयती दर पर दिया जाता है तथा इनके वितरण में प्राथमिकता दी जाती है।

(६) कर सम्बन्धी रिआयतें—१. कुछ वस्तुओं के आयात-कर में धापनी की सुविधाएँ दी गयी हैं।

२. निर्यात से प्राप्त आय पर लगने वाले आय कर में भी छूट दी जाती है।

३. चाय पर निर्यात-कर में कमी की गयी है।

(७) ऋण सुविधाएँ—मई १९६० में निर्यातकों को ऋण सुविधाएँ देने के लिए सरकार ने एक अल्पकालीन मण्डल नियुक्त किया था। इसके मुताबिक के अनुसार निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रकार की ऋण सुविधाएँ दी गयी हैं।

इन सुविधाओं के अनिश्चित निर्यात के लिए परिवर्तन सुविधा देने में भी प्राथमिकता दी जाती है तथा भाटे की दरों में भी छूट दी जाती है।

(८) निर्यात के लिए परिवर्तन तथा भाटे सम्बन्धी रिआयतें—निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपायों में से परिवर्तन की पर्याप्त सुविधाओं का उपलब्ध होना भी काफी महत्वपूर्ण है। निर्यातकों को इन सम्बन्ध में जो सुविधाएँ देने की आवश्यकता की गयी है वे अभी दी जा रही हैं :

(i) गमनागमन में प्राथमिकता—देश में उत्पादन के-दो और बन्दरगाहों के मध्य लम्बी दूरी होने के कारण परिवहन और उसकी लागत दोनों के सम्बन्ध में निर्यात व्यापार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अतः रेलवे बोर्ड के साथ-साथ क्षेत्रीय रेलों के मुख्य कार्यालयों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखकर ये कठिनाइयाँ काफी सीमा तक दूर कर दी गयी हैं। माल डिब्बों के सभरप तथा गमनागमन के लिए प्राथमिकता की अनुमूर्च्छा में निर्यात सम्बन्धी यातायात को काफी उँचा स्थान दिया गया है। इसके अनिश्चित अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मन्त्रालय के कहने पर रेलवे बोर्ड द्वारा सभी क्षेत्रीय रेलों के लिए एते स्थायी आदेश दिये गये हैं कि वे निर्यात सम्बन्धी यातायात पर विशेष नजर रखने की व्यवस्था करें जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्यात सम्बन्धी यातायात की कोई भी वस्तु होने में लिलम्ब न हो।

दूसरे, निर्यात के माल से लदे हुए डिब्बों की शीघ्रता में बन्दरगाहों तक आगे बढ़ाने में सुविधाजनक बनाने के लिए, माल भेजने वाले के द्वारा ऐसा माल ले जाने वाले डिब्बों पर चिप बनाने के लिए एक विशिष्ट प्राथमिकता के लेबलों की व्यवस्था तैयार की गयी है और उसे विभिन्न निर्यात परिपक्षों तथा जिन बोर्डों के द्वारा व्यापारियों में बाँट दिया गया है। रेलों द्वारा अपने कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये हैं कि इस प्रकार के लेबलों वाले कोई भी माल डिब्बे मार्ग में जाते हुए विभिन्न मार्गों पर न रुके और मजिल तक यथासम्भव तेजी में भेज दिये जायें। रेलवे बोर्ड द्वारा नए पंवेज माल डिब्बे भी बनाये गये हैं जिनके द्वारा निर्यातित वस्तुएँ अधिक द्रुतगति में बन्दरगाहों तक भेजने की व्यवस्था है।

(ii) रेल-भाडे में रियायतें—चूँकि परिवहन का व्यय तुलनात्मक लागत का एक महत्वपूर्ण अंग है अतः रेलवे बोर्ड ने निर्यात व्यापार में सम्बन्धित जनक वस्तुओं के लिए रेल भाडे में २५ ० से लेकर ५० ० तक रियायतें दी है।

(iii) समुद्री भाडे में रियायतें—परिवहन मन्त्रालय के अधीन बम्बई स्थित भाडा जॉब एग्री इम मन्त्रालय में निकट सम्पर्क रखते हुए काम करता है, जिनसे प्रयत्नों के फलस्वरूप जनक निर्यात योग्य वस्तुओं के लिए समुद्री भाडे में छूट दी गयी है।

### निर्यात सवर्द्धन सम्बन्धी अन्य कार्य

निर्यात सवर्द्धन के लिए उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त जो अन्य प्रयत्न किये गये हैं वे निम्नलिखित हैं

(१) निर्यात सदन—निर्यात व्यापार में विशिष्टीकरण का विकास करने तथा कार्य निष्पादन का उच्च स्तर बनाये रखने के उद्देश्य से विख्यात व्यावसायिक फर्मों को निर्यात सदनों के रूप में मान्यता देने के सम्बन्ध में सरकार ने एक योजना बनायी है। मान्यता-प्राप्त निर्यात सदनों को नीचे लिखी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं

(२) निर्यात के सम्बन्ध में विदेशों में व्यावसायिक यात्रा करने के लिए वार्षिक जावरन-क्वा की विदेशी मुद्रा का एक मुश्किल उपलब्ध होना।

(३) उसके द्वारा किये जाते वाले बाजारों के अध्ययन तथा निर्यात सम्बन्धी प्रचार पर हुए व्यय के अंश को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा विपणन विकास निधि में से अनुदान देना।

(४) तीन अथवा इससे अधिक निर्यात सदनों द्वारा विदेश में कार्यालय की स्थापना अथवा किसी एक निर्यात सदन और एक स्वीकृत व्यापार समूह जैसे निर्यात सवर्द्धन परिषद के साथ मिलकर किसी देश में कार्यालय खोलने के कुल व्यय के एक अंश को पूरा करने के लिए सरकार

द्वारा विनयन निधि में अनुदान प्रदान करना। सरकार द्वारा अब तक ४६ निर्यात सड़नों को मान्यता दी जा चुकी है।

(२) विपणन विकास निधि—भारतीय उत्पादकों तथा जिंसों के लिए विदेशी बाजारों का विकास करने की योजनाओं का तथा प्रयोजनाओं का विन-पोषण करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई १९६३ में विपणन विकास निधि का गठन किया है। इस निधि में से नीचे लिखे कार्यों के लिए अनुदान दिये हैं (क) विपणन गवेषणा, जिम्म गवेषणा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और गवेषणा कार्यक्रम, (ख) निर्यात सम्बन्धी प्रचार तथा जानकारी का प्रसार (ग) व्यापारिक मेले तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, (घ) व्यापारिक शिष्टमण्डल तथा अध्ययन दलों की नियुक्ति, (ङ) विदेशों में कार्यालय शाखाओं की स्थापना, (च) निर्यात का विस्तार तथा विदेशी व्यापार का सबद्धन करने के लिए निर्यात सबद्धन परिषदों तथा अन्य मगठनों को महायत्ता अनुदान देना, (छ) जिम्म नियन्त्रण तथा लदान में पूर्व निरीक्षण, (ज) परिवहन की सहायता सहित निर्यात-योग्य जिन्मों के लिए निर्यात सम्बन्धी महायत्ता देना, (झ) निर्यात जोखिम बीमा, और (ञ) विदेशों में भारतीय उत्पादकों तथा जिंसों के निमित्त बाजारों के विकास का सबद्धन करने के लिए सोची गयी कोई भी अन्य ऐसी योजना।

इस निधि का प्रशासन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होने हैं—(१) सचिव, वित्त मन्त्रालय, आर्थिक कार्य विभाग भारत सरकार, अध्यक्ष, (२) सचिव वित्त मन्त्रालय, व्यवसाय विभाग, भारत सरकार सदस्य और (३) सचिव, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मन्त्रालय भारत सरकार, सदस्य।

(३) निर्यात अधिनियम, १९६३—निर्यात किये जाने वाले माल पर अनिवार्य किस्म नियन्त्रण (Compulsory Quality Control) तथा जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण के सम्बन्ध में जनवरी १९६३ में निर्यात (किस्म नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा दोनो बाने अनिवार्य कर दी गयी हैं। वस्तुओं के लिए मानक भी निर्धारित किये गये हैं। प्रमाणीकरण तथा चिह्नान्कन की योजना लागू की गयी है। किस्म नियन्त्रण के लिए परीक्षणप्रदों तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सरकार निर्यात सबद्धन की दिशा में पूर्णतः प्रयत्नशील है। इन योजनाओं के कारण निर्यात को काफी प्रोत्साहन मिला है। मन् १९४६-४८ में निर्यात का वार्षिक अंसा ३३१६ करोड़ रुपये था, जो सन् १९६७ में बढ़कर १,१६७ करोड़ रुपये हो गया है।

जून १९६१ में सरकार ने ६ निर्यात सबद्धन के उद्देश्य से (i) 'चाय वित्त एवं गारण्टी निगम (Tea Finance and Guarantee Corporation), तथा (ii) हैण्डलूम निर्यात सबद्धन परिषद (Handloom Export Promotion Council) की स्थापना की। 'चाय वित्त एवं गारण्टी निगम' की स्थापना चाय के निर्यात में वृद्धि करने के लिए तथा वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य में की गयी है। यह निगम बँक आदि से चाय कम्पनियों को प्राप्त ऋण पर गारण्टी देता है। 'हैण्डलूम निर्यात सबद्धन परिषद' का मुख्य कार्यालय मद्रास में स्थापित किया गया है।

अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात सबद्धन की नीति—जून १९६६ में रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात सबद्धन योजनाएँ एक प्रकार से स्थगित कर दी गयीं। निर्यातकों में अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त हो गया। परन्तु अवमूल्यन में निर्यात में प्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई, अतः पूर्व घोषित सबद्धन योजनाएँ एक एक कर आवश्यक मशोषन के साथ पुनः लागू की जा रही

है। केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री ने १६ अगस्त, १९६६ को निर्यात सबद्धन सम्बन्धी नयी नीति की घोषणा की जो वर्तमान समय में भी लागू है। इस नीति के प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं

(i) पट्टीकृत निर्यातकों को निर्यात के बदले, आयात करने का अधिकार दिया गया है। आयात का मूल्य निर्यात की गयी वस्तु के निर्माण में तपायी गयी आयातित वस्तुओं के मूल्य तथा निर्माण करते समय हुई क्षीजन (wastage) से अधिक नहीं होगा। आयात की जाने वाली वस्तु की मात्रा (निर्यात की जाने वाली वस्तु के निर्माण के लिए) का निर्णय सरकारों अधिकारी करेंगे।

(ii) जो निर्यातक स्वयं निर्माणकर्ता नहीं है वे उम सस्यान के नाम की घोषणा करेंगे जिनसे वे निर्यात करने के लिए माल खरीदते हैं, जिससे आधार पर ऐसे निर्माणकर्ताओं को आयात तादत्तम दिये जा सकें।

(iii) निर्यात उद्योगों को पूंजीगत वस्तुओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।

(iv) कच्चा जूट, कच्चा चमड़ा आदि वस्तुएँ O. G. L. के अन्तर्गत सम्मिलित कर दी गयी हैं।

(v) जहाँ तक देशी कच्चे माल का सम्बन्ध है, निर्यात उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें, आवश्यक सामग्री अधिनियम' के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है जिससे कच्चे माल के वितरण में निर्यात उद्योगों को प्राथमिकता दी जा सके।

(vi) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत 'Steel Sales Promotion Division' की स्थापना की जा रही है, जो स्टील तथा सम्बन्धित वस्तुओं की निर्यात वृद्धि का प्रयत्न करेगा।

(vii) जिन वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाएँ अनुकूल हैं, उनके लिए नकद सहायता (cash assistance) दी जायेगी। जिन वस्तुओं को अक्षमूल्यान के पूर्व Import Entitlement या अन्य प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सुविधाएँ दी जानी थी, उन्हें अब नकद सहायता दी जायेगी। सहायता की मात्रा वस्तु के f o b मूल्य के १० से २० प्रतिशत होगी। यह सहायता स्केप स्टील, सोडा तथा इस्पात ऊनी फालीन, चीनी तथा इजीनियरिंग वस्तुओं को दी जायेगी।

(viii) स्केप स्टील के लिए निर्यात सहायता १०%, कुछ चुनी हुई लोहा तथा इस्पात की वस्तुओं के लिए १५%, ऊनी फालीन के लिए १०% दी जायेगी। इजीनियरिंग वस्तुओं को तीन समूहों में विभाजित किया गया है। प्रथम समूह के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए नकद सहायता की मात्रा १०%, द्वितीय समूह के लिए १५%, तथा तृतीय समूह के लिए २०% होगी। चीनी को अब निर्यात सहायता अवमूल्यन के पूर्व दी जाने वाली सहायता से कम होगी। सहायता की मात्रा अवमूल्यन तथा अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रख कर दी जायेगी।

उपर्युक्त निर्यात सबद्धन नीति सर्वथा उपयुक्त है। इसमें निर्यातकों को प्रोत्साहन मिला है तथा निर्यात-व्यापार में कम मूल्य दिखाने की प्रवृत्ति (under invoicing) रोकने में सहायता मिली है। आशा है यह नीति सफल सिद्ध होगी।

निर्यात वृद्धि के लिए सुझाव—गत वर्षों में निर्यात सबद्धन के लिए किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत के निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई है। फिर भी इस दिशा में और प्रयत्नों की आवश्यकता है। निर्यात में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान देना विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा

(१) निर्यातकों को अतिव साम्य एवं परिवहन सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करना।

(२) शक्ति, औद्योगिक तथा खनिज पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना।



- (३) वस्तुओं की उत्पादन लागत में कमी करना ।
- (४) सरकार, उद्योगों तथा व्यापारियों द्वारा व्यवस्थित ढंग से निर्यात वृद्धि के लिए प्रयत्न करना ।
- (५) वस्तुओं की कीमतों को अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी स्तरों पर बनाये रखना ।
- (६) विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण तथा उचित प्रचार (Publicity) ।
- (७) विदेशों में औद्योगिक प्रदर्शनियाँ तथा व्यापारिक मेले लगाना ।
- (८) भारतीय वस्तुओं की किस्म में सुधार तथा किस्म नियन्त्रण करना ।
- (९) भारतीय व्यापारियों द्वारा ईमानदारी से निर्यात व्यापार करना, आदि ।
- (१०) विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा और प्रयत्न करना ।

### व्यापारिक समझौते (Trade Agreements)

२०वीं शताब्दी में विदेशी व्यापार की यह विशेषता रही है कि विभिन्न देशों में व्यापारिक समझौतों द्वारा व्यापार वृद्धि का प्रयत्न किया गया है। भारत ने भी व्यापारिक सम्बन्ध मजबूत बनाने की दृष्टि में अनेक समझौते किये। इन समझौतों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है

(१) ओटावा व्यापारिक समझौता—इस समझौते के द्वारा भारतीय आयात निर्यात की हफ्तेका तैयार की गयी। इस समझौते के अनुसार भारत ने ब्रिटेन के उने हुए माल पर आयात करों में कमी की। आयात कर में यह कमी विभिन्न वस्तुओं पर अलग-अलग दरों में की गयी। यह छूट औसत रूप में १० प्रतिशत थी। भारत ने कुछ वस्तुओं के निर्यात-करों में छूट दी तथा कुछ वस्तुओं पर न निर्यात कर हटा लिया। इस छूट में सम्बन्धित वस्तुएँ भारतीय तपाय, जूट तथा जूट की वस्तुएँ, चाय, मसाले, तम्बाकू आदि। ब्रिटेन ने भी भारत से भेजे जाने वाले माल पर आयात-करों में छूट दी। इस समझौते को साम्राज्य अधिमान (Imperial Preference) भी कहा जाता है। यह समझौता जनवरी १९३३ में लागू किया गया। आरम्भ में यह समझौता तीन वर्षों के लिए लागू किया गया। सन् १९३६ में इसके सम्बन्ध में एक नया समझौता हुआ जिसे Indo-British Trade Agreement भी कहते हैं।

ओटावा समझौता कुछ दृष्टियों में भारत के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। भारत इंग्लैण्ड की बड़ी मशीनों को अब जासानी से आयात कर सकता था। परन्तु यह लाभ बहुत ही सीमित था। वस्तुतः इस समझौते द्वारा भारत को हानि अधिक उठानी पड़ी क्योंकि प्राप्त रियायतों का प्रभाव भारतीय निर्यात पर बहुत अच्छा नहीं पड़ा। यह समझौता ब्रिटेन के पक्ष में अधिक था। भारत ने इंग्लैण्ड को १६२ वस्तुओं पर छूट दी थी जबकि इंग्लैण्ड द्वारा भारत को कम वस्तुओं पर छूट दी गयी तथा यह छूट ऐसी वस्तुओं पर दी गयी थी जिनमें इंग्लैण्ड के बाजार में भारत का कोई प्रतियोगी नहीं था। इस समझौते के कारण भारत ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के अतिरिक्त अन्य देशों में व्यापारिक सम्बन्ध नहीं बढ़ा सका।

जनवरी १९७२ से यह समझौता टूटने की आशंका हो गयी है क्योंकि ब्रिटेन भारतीय वस्तुओं के आयात पर १५ प्रतिशत कर लगा रहा है।

(२) भारत-जापान व्यापारिक समझौता—भारत-जापान के बीच प्रथम व्यापारिक समझौता सन् १९०४ में किया गया था। सन् १९२६-३० में जापान ने अपनी भुद्रा का अवमूल्यन किया। जापानी कपड़े भारत में अधिक गसने पड़ने लगे अतः भारत के मूती वस्त्र उद्योग को

क्षति उजानी पड़ी। भारत ने सूती कपड़ों पर ७५ प्रतिशत आयात-कर लगा दिया। इसके बदले में जापान ने भारतीय कपड़ों का वस्तुकार कर दिया। अतः व्यापारिक सम्बन्ध सुधारने के लिए एक नया समझौता किया गया जो १० जुलाई १९३४ में लागू किया गया। इस समझौते के अनुसार भारत-जापान व्यापार सम्बन्धी वस्तुओं के कोटा निर्दिष्ट किये गये। इस समझौते में दोनों देशों के व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि हुई। सन् १९३७ में भारत-जापान के बीच तीन वर्षों के लिए एक नया समझौता किया गया। सन् १९४० में इस समझौते में पुनः संशोधन किया गया परन्तु द्वितीय महायुद्ध के कारण यह समझौता समाप्त कर दिया गया। युद्ध के पश्चात् सन् १९४८ में भारत-जापान के बीच दूसरा समझौता हुआ। इस समझौते की अवधि को विभिन्न अवसरों पर बढ़ाया गया।

(३) हवाना चार्टर—द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करने का प्रयत्न किया गया। नवम्बर १९४७ में हवाना में एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की स्थापना की गयी। इस सम्मेलन में एक अधिकार-पत्र भी तैयार किया गया जिसे हवाना चार्टर कहते हैं। २४ मार्च, १९४८ को ५४ राष्ट्रों ने इस चार्टर को मान्यता दी। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे

(i) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना तथा पिछड़े हुए देशों की आर्थिक व्यवस्था को उन्नति करना।

(ii) मददगार देशों द्वारा आयात निर्गमन को वस्तुओं पर सामान्य करों के अतिरिक्त अन्य नियन्त्रण न लगाना।

(iii) मददगार देशों में प्राथमिक समझौते करना तथा एक दूसरे को सर्व मान्यता का व्यवहार (Most Favoured Nation's Treatment) करने की अनुमति देना, आदि।

फरवरी १९५१ में अमरीका ने इस समझौते को मानने में इत्तफाक कर दिया अतः यह समझौता जापान को कार्यवाही मात्र रह गया।

(४) व्यापार एवं प्रवृत्त पर सामान्य समझौता (General Agreement on Tariffs and Trade)—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के लिए सन् १९४७ में जेनेवा में एक बैठक हुई जिसमें यह निश्चय किया गया कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के प्रयत्न किये जायें। सम्मेलन में यह तय किया गया कि राष्ट्रों के बीच व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ाया जाय तथा बहुपक्षीय व्यापार तथा भुगतान (Multilateral Trade and Payments) के सिद्धान्त को अपनाया जाय। आयात तथा निर्यात-करों को घटाने की दृष्टि में एक सामान्य समझौता किया गया, जिसे GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) कहते हैं। इस समझौते के कारण स्वर्ण तथा डालर की कमी व युद्धकालीन प्रमुख कर तथा नियन्त्रण से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिली। यह समझौता अधिकतम राष्ट्रों के अधिकतम हित में वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के कुल ३८ राष्ट्र इस समझौते के सदस्य हैं। संसार के कुल व्यापार का लगभग ८० प्रतिशत इन देशों के हाथ में है।

भारत आरम्भ से ही इस समझौते का सदस्य है। इस समझौते के अन्तर्गत वृद्ध-में देशों से भारत को छूट कर मछूट मिली है तथा भारत ने बदले में अन्य देशों को छूट दी है। इस समझौते के अन्तर्गत सम्बन्धित देशों ने भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में लगभग ५० प्रतिशत पर छूट कर मछूट दी है। अतः समझौते द्वारा भारत के निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई है। सन् १९४६-७ के प्रमुख आयोग ने भी इस समझौते को भारत के लिए उपयोगी बताया था।

सन् १९५५ में जेनेवा में हुए GATT सम्मेलन में अर्द्ध-विकसित देशों को अतिरिक्त छूट देने का सिद्धांत अपनाया गया। सन् १९५६ में टोकियो सम्मेलन में भारत सरोखे अर्द्ध-विकसित देशों में किये गये आयात पर धीरे धीरे सब प्रकार के प्रतिबन्ध हटाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पाम किया गया। जुलाई १९६२ में हुए टैरिफ सम्मेलन ने अन्तिम एकट पास किया। इसके अनुसार विभिन्न देशों ने व्यापार के विषय पर बातचीत की। भारत ने इस सम्मेलन में अमरीका, यूरोपीय साक्षा बाजार, आस्ट्रेलिया, स्वीडन, नार्वे, फिनलैण्ड, डेनमार्क, टर्की तथा हेट्टी से व्यापार बढ़ाने के लिए वानचीत की। इसके परिणामस्वरूप अमरीका से हुए समझौते के अन्तर्गत भारत को २८ वस्तुओं (जूट वस्तुएं, काजू, नारियल, चटाई आदि) पर अमरीका ने तट-कर में छूट दी। इसके बदले में भारत ने १७ वस्तुओं पर अमरीका को छूट दी। यूरोपीय साक्षा बाजार में हुए समझौते में भारत को यह आश्वासन मिला कि साक्षा बाजार के देशों द्वारा भारतीय वस्तुओं पर सामान्य दर (common tariff) में ऊंची दर पर तट-कर नहीं लगाया जायेगा।

जून १९६४ में इस समझौते के सिद्धान्तों के अनुसार जेनेवा में विश्व व्यापार सम्मेलन हुआ जिसमें ११६ देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को एक नयी दिशा प्रदान की है। सम्मेलन में अधिक से अधिक अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के विषय पर प्रस्ताव पास किया गया। इस सम्मेलन ने १४ जून, १९६४ को अन्तरराष्ट्रीय व्यापार समस्याओं के समाधान के लिए स्थायी संगठन स्थापित करने का निश्चय किया।

इन सभी प्रस्तावों को समुक्त राष्ट्र सच की साधारण सभा मान्यता प्रदान करेगी। इसके पश्चात् संगठन की स्थापना की जायेगी। विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की घोषणा राष्ट्र मध्य के महासचिव करेंगे। यह भी निश्चय किया गया है कि विश्व व्यापार सम्मेलन प्रति दूमरे या तीसरे वर्ष किया जाय। जून १९६७ में ४६ देशों ने जेनेवा में 'Kennedy Round' के अन्तर्गत अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता किया। समझौते के अनुसार ये देश औसत रूप से टैरिफ में ३०% कटौती के लिए सहमत हुए—अक्टूबर १९६७ में अल्जीयर्स में तथा अप्रैल १९६८ में भारत में 'UNCTAD' का सम्मेलन हुआ जिसमें अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं पर विचार किया गया। व्यापार वृद्धि के लिए टैरिफ में कमी करने का मुझाव दिया गया।

इस प्रकार अब अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। भारत प्रायः सभी अन्तर-राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का सदस्य है। इसमें भारत के विदेशी व्यापार को काफी लाभ पहुंचा है।

(५) द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने विश्व के विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयत्न किया है। गत वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किये हैं। वर्तमान समय में जिन देशों के साथ व्यापारिक समझौते जारी हैं उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं।

(क) एशिया—अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, ईराक, ईरान, जापान, जोर्डन, उत्तरी कोरिया, नेपाल, उत्तरी वियतनाम, मोरक्को, सीरिया (कुल १४ देश)।

(ख) यूरोप—बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, यूनान, हंगरी, इटली, पोर्लैण्ड, रूमानिया, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड, यूगोस्लाविया और सोवियत रूस (कुल १४ देश)।

(ग) दक्षिणी अमरीका—चिली, ब्राजील।

(घ) अफ्रीका—मूडान, ट्यूनिशिया।

इन सभी देशों के साथ किये गये समझौतों में अलग-अलग शर्तें हैं। प्रत्येक समझौते का विवरण देना यहाँ पर सम्भव नहीं है। अतः हम केवल इन समझौतों की प्रमुख विशेषताओं (Broad Features) का ही उल्लेख करेंगे।

**समझौतों की मुख्य विशेषताएँ**

(१) उद्देश्य—इन समझौतों का प्रमुख उद्देश्य परस्पर व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाना है। भारत ने इन समझौतों द्वारा निर्यात व्यापार में वृद्धि करने का प्रयत्न किया है।

(२) सामान्य शर्त—इन समझौतों के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि सम्बन्धित देश समझौते में किसी हुई वस्तुओं का निश्चित माना में आयात या निर्यात करें। इनके द्वारा उन वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है जो एक देश दूसरे को दे सकता है। इससे उनके व्यापार में वृद्धि होगी है। फिर भी कुछ देशों (जैसे पश्चिमी जर्मनी) के साथ ऐसे समझौते किये गये हैं, जिनके द्वारा दी गयी सुविधाओं के बढ़ने भारत को निर्यात बौटा प्राप्त हुआ है।

(३) अवधि—सामान्यतया ये समझौते एक वर्ष के लिए किये जाते हैं तथा प्रति वर्ष उनका नवीनीकरण किया जाता है। परन्तु कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके साथ २ वर्ष से ५ वर्ष तक की अवधि के लिए समझौते किये गये हैं। भारत-नेपाल व्यापार समझौते के अन्तर्गत कोई निश्चित अवधि नहीं दी गयी है।

(४) भुगतान की शर्तें—भुगतान की शर्तों की दृष्टि से ये समझौते दो प्रकार के हैं

(अ) रुपये में भुगतान वाले समझौते, तथा (आ) स्टैलिग में भुगतान वाले समझौते।

(अ) रुपये में भुगतान सम्बन्धी समझौते—रुस तथा पूर्वी यूरोप के देशों, उत्तरी कोरिया, मयुक्त अरब गणराज्य आदि के साथ किये गये समझौतों के अनुसार भुगतान रुपये में किया जायेगा। इस प्रकार भारत को तुरन्त विदेशी मुद्रा में भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अब इन समझौतों के अन्तर्गत मान का आयात किया जाता है तो सम्बन्धित देश (निर्यातक) के नाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में एक खाता खोला जाता है तथा मंगाये हुए माल का मूल्य उम देश के खाते में जमा कर दिया जाता है। इसी प्रकार जब माल भारत में बाहर भेजा जाता है तो सम्बन्धित रकम को आयातक देश के खाते में नाम लिख दिया जाता है, इसमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता तुरन्त नहीं पड़ती।

रुपये में भुगतान सम्बन्धी समझौते रुस, पूर्वी यूरोप के देश, मयुक्त अरब गणराज्य, फ्रांस, इटली, स्विटजरलैण्ड आदि देशों के साथ किये गये हैं। इन समझौतों के कारण भारत के निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई है समझौते से सम्बन्धित देश अपने-अपने देश में भारत के निर्यात सबर्द्धन प्रयत्नों में सहयोग देते हैं। इन समझौतों को कार्यान्वित करने के लिए मयुक्त आयोग भी सगठित किये गये हैं।

जिन देशों के साथ इस प्रकार के समझौते किये गये हैं, वे अन्य देशों के साथ किये गये व्यापार में मध्यस्थ का कार्य नहीं कर सकते अर्थात् उनके द्वारा किसी तीसरे पक्ष को वस्तुओं का पुनर्निर्यात नहीं किया जा सकता।

रुपये में भुगतान सम्बन्धी समझौतों की उपयोगिता—इन समझौतों के विषय में कई प्रकार के मत पाये जाते हैं। जहाँ तक इनमें प्राप्त लाभ का सम्बन्ध है (१) भारत के निर्यात व्यापार में अवश्य वृद्धि होती है, (२) इनके द्वारा तुरन्त विदेशी विनिमय मजदूत का सामना नहीं करना पड़ता, तथा (३) इनके द्वारा एक प्रकार से अल्पावधि के लिए ऋण मिल जाता है। इस प्रकार हम देश के विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात कर सकते हैं।

दोष—ये समझौते मबंधा दोषमुक्त नहीं हैं। इन समझौतों के अन्तर्गत जिन वस्तुओं का आयात किया जाता है वे वस्तुएँ प्रायः महँगी हैं। कुछ देश कमाये गये रुपये का उपयोग करने के लिए भारत में अधिक मात्रा में वस्तुएँ खरीदते हैं तथा उन्हें दूसरे देशों में बेच देते हैं। इन प्रकार हमारे परम्परागत बाजारों में ही हमारी वस्तुएँ बेची जाती हैं। मुद्रातिथर मरिजि ने इन समझौतों के विषय में यही मत व्यक्त किया है। समिति ने इन समझौतों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी दिये हैं, जैसे (१) यह निश्चय कर लेना चाहिए कि भारतीय निर्यातों का प्रयोग केवल सम्बन्धित देश में ही किया जायगा। (२) इन देशों में निर्यात वृद्धि के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करने चाहिए। (३) समझौते के अन्तर्गत मँगायी जाने वाली वस्तु पर भी आयात नियन्त्रण होना चाहिए। (४) निर्यात सम्बन्धी सभी सौदों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से इन समझौतों को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

(आ) अन्य समझौते—इन समझौतों के अन्तर्गत उन देशों के साथ किये गये समझौते सम्मिलित हैं जिनके साथ किये गये व्यापार का भुगतान रुपये में नहीं किया जाता है। इन समझौतों का उद्देश्य व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाना है। ये समझौते अफगानिस्तान, श्रीलंका, चिली, फ्रांस, ईरान आदि देशों के साथ किये गये हैं। राज्य व्यापार निगम भी अन्य देशों के साथ व्यापारिक समझौते करता है।

### अभ्यास प्रश्न

- १ हाल के वर्षों में सरकार ने भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की कौन-कौनसी कार्यवाहियाँ की हैं।  
(राजस्थान, बी० कॉम० (अन्तिम वर्ष), १९६७)
- २ 'एक देश की मरुद्धि विदेशी व्यापार पर निर्भर करती है' विवेचना कीजिए। भारतीय व्यापार की मुख्य समस्याओं को संक्षेप में लिखिए।  
(इलाहाबाद, बी०-कॉम० I, १९६५)
- ३ भारत में नियोजन के प्रारम्भ के समय से भुगतान शेष की समस्या का महत्त्वपूर्ण कोणिका  
(दिल्ली, बी० ए०, १९६६)
- ४ भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किये गये व्यापारिक समझौतों की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।  
(सागर, बी० ए०, १९६९)
- ५ GATT की सामान्य विशेषताएँ क्या हैं? भारत को इससे क्या लाभ प्राप्त हुए हैं?
- ६ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—(१) साम्राज्य अधिमान, (२) राज्य व्यापार निगम, (३) निर्यात सवर्द्धन योजनाएँ।
- ७ तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में निर्यात सवर्द्धन की सम्भावनाओं पर प्रकाश डालिए।  
(राजस्थान, बी० ए०, १९६९)

*The extraordinary rapidity with which the construction of rail ways in India was achieved produced an economic revolution in that country which like all revolutions, was not unaccompanied by suffering. The obligations to save life in times of drought and the necessity of lines of strategic utility have been the cause of rapidity.*

—LOVEDAY

भारत में प्रथम रेलगाड़ी १५ अप्रैल १८५३ को बम्बई प्रान्त में बोरी बन्दर से थाना तक चलाई गयी। यह रेल मार्ग ३० किलोमीटर लम्बा था। उस समय में निरन्तर रेलवे का विकास होता रहा। वर्तमान समय में पूरे देश में ५६७०० किलोमीटर<sup>१</sup> लम्बे रेलमार्ग हैं तथा रेलवे परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन हो गया है। भारतीय रेलवे का एशिया में प्रथम तथा विश्व में दूसरा स्थान है। रेलवे भारत का सबसे बड़ा राजकीय उद्योग है जिसमें ३,७६७ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। रेलवे कर्मचारियों की संख्या १३५ लाख है। भारतीय रेलवे द्वारा प्रतिदिन दस हजार रेलगाड़ियाँ चलाई जाती हैं जो देश के ७,०३२ रेलवे स्टेशनों में गुजरती हैं। इनके द्वारा प्रतिदिन ६१ लाख यात्री तथा ५५ लाख टन में भी अधिक माल डोया जाता है। भारतीय रेलवे की दैनिक आय २२ करोड़ रुपये है। रेलवे द्वारा राजस्व को प्रति वर्ष लगभग ६०० करोड़ रुपये प्राप्त होता है। रेलवे को वर्तमान अवस्था में पहुँचने में ११६ वर्ष लगे हैं। आगे के पृष्ठों में 'भारतीय रेलवे विकास' के इतिहास पर विह्वल दृष्टि डाली गयी है। रेलवे विकास का इतिहास अत्यन्त विस्तृत है, अतः यहाँ पर केवल प्रमुख घटनाओं का ही उल्लेख किया गया है। मुंबिया की दृष्टि से रेलवे के इतिहास को (काल विभाजन की दृष्टि से) निम्नलिखित वर्गों में बाँटा गया है:

१ प्रारम्भ काल से १९वीं शताब्दी तक

- (क) पुरानी गारण्टी पद्धति का समय (१८४४-१८६६)
- (ख) सरकारी निर्माण तथा प्रबन्ध का समय (१८६६-१८७६)
- (ग) नयी गारण्टी पद्धति का समय (१८७६-१९००)

<sup>१</sup> ५६ किलोमीटर  $\frac{५}{८}$  मील के तुल्य होता है।

२ द्वितीय विद्वयुद्ध के अन्त तक का समय

- (क) तीव्र प्रगति और विकास का काल (१९००-१९१४)
- (ख) प्रथम महायुद्ध काल (१९१४-१९१९)
- (ग) विकास एवं उन्नति का नया काल (१९२०-१९२९)
- (घ) आर्थिक मन्दी का काल (१९३०-१९३९)
- (ङ) द्वितीय महायुद्ध काल (१९३९-१९४५)

३ द्वितीय महायुद्ध के पश्चात का काल

- (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व का काल (१९४५-१९५१)
- (ख) प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल (१९५१-१९५६)
- (ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल (१९५६-१९६१)
- (घ) तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल (१९६१ से वर्तमान समय तक)

(१) पुरानी गारण्टी पद्धति का समय (१८४४-१८६९)—भारत में रेलों के विकास के लिए तत्कालीन गवर्नर ने इंग्लैण्ड से क्लार्क नामक रेलवे इंजीनियर को आमन्त्रित किया। क्लार्क ने भारत में रेलवे विकास की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। भारत में पूंजी का अभाव था। इंग्लैण्ड के पूंजीपति भारतीय रेलवे में धन का विनियोजन नहीं करना चाहते थे क्योंकि भारत में लाभ की सम्भावनाएँ अनिश्चित थीं। अतः वे अपने विनियोजन पर निश्चित लाभ की गारण्टी चाहते थे। इस दृष्टि से सर्वप्रथम अगस्त १८४९ में सरकार ने दो अंग्रेजी कम्पनियों के साथ रेलवे निर्माण के लिए समझौते किये जिसे पुरानी गारण्टी प्रथा कहते हैं। इस गारण्टी प्रथा की मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं

- (१) कम्पनियों को रेलवे निर्माण के लिए भूमि निशुल्क दी जायेगी।
  - (२) सरकार ने कम्पनियों द्वारा लगानी गयी पूंजी पर ४ $\frac{1}{2}$  से ५% तक व्याज देने की गारण्टी दी।
  - (३) विनिमय की दर २२ पैसे प्रति रुपया निश्चित की गयी।
  - (४) व्याज के पश्चात जो लाभ शेप बचेगा वह कम्पनियों तथा सरकार के बीच आवा-आया बाँट दिया जायेगा।
  - (५) किराये-भाड़े की दरों पर सहमति देने, गेज नियन्त्रण व निरीक्षण आदि का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित था।
  - (६) रेलवे निर्माण के प्रथम २५ या ५० वर्षों के पश्चात ६ महीने के अन्दर कम्पनी की सम्पत्ति के बराबर धन देकर सरकार रेलवे को खरीद सकती थी।
- इस प्रथा के अन्तर्गत मन् १८६९ तक भारत में रेलवे का निर्माण किया गया। इस अवधि में कुल ४,२८७ मील लम्बे मार्ग का निर्माण किया गया परन्तु यह प्रथा देश के आर्थिक हितों के प्रतिकूल थी। वस्तुतः सम्पूर्ण हानि सरकार को सहन करनी पड़ती थी। कम्पनियों ने निर्माण व्यय को भी कम करने का प्रयत्न नहीं किया, अतः धन का अपव्यय हुआ। व्याज की दर अत्यन्त ऊँची थी। रेलों के निर्माण तथा मचालन पर दोगुना नियन्त्रण होने के कारण रेलवे की आशाहीन उन्नति नहीं हुई। इस काल में सरकार को कुल २० करोड़ रुपये की हानि सहन करनी पड़ी।

(२) सरकारी निर्माण तथा प्रबन्ध का समय (१८६९-१८७९)—उपर्युक्त कम्पियों के कारण पुरानी गारण्टी प्रथा का त्याग किया गया। लार्ड लॉरेन्स ने सरकार द्वारा रेलवे निर्माण का

मुझाव दिया अतः १८६६ से सरकार द्वारा रेलों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। सरकार द्वारा रेलों का निर्माण करने से निर्माण व्यय में कमी हुई। पुरानी गारण्टी प्रथा में निर्माण व्यय २०,००० पौण्ड प्रति मील पड़ता था। यह निर्माण व्यय घटकर १०,६०० पौण्ड प्रति मील हो गया। इस काल में एटरियो की चौड़ाई पर भी विचार किया गया। मुख्य रेलवे मार्गों (Trunk Lines) के लिए चौड़ी रेलवे लाइनें (Broad Gauge) तथा सहायक मार्गों (Feeder Lines) के लिए कम चौड़ी लाइन (Metre Gauge and Narrow Gauge) बनायीं गयीं। दुर्भिक्ष आयोग के सुझावों पर सरकार ने निजी कम्पनियों से पूंजी की सहायता लेना भी प्रारम्भ किया। सन् १८८१-८२ में रेलवे मार्गों की लम्बाई ६८७५ मील हो गयी तथा इस अवधि में सरकार ने कुल ११४ करोड़ रुपये व्यय किया।

(३) नयी गारण्टी की पद्धति (१८७६-१९००)—सरकार पर्याप्त मात्रा में रेलवे निर्माण व्यय वहन करने में असमर्थ थी, अतः कम्पनियों की सहायता से रेलवे का निर्माण पुनः प्रारम्भ किया गया। पुरानी गारण्टी प्रथा की शर्तों में कुछ सुधार किया गया। सरकार ने रेलमार्गों को दो श्रेणियों के अन्तर्गत रखा। प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत वह रेलवे लाइनें रखीं गयीं, जो रक्षात्मक कार्यों (protective works) के लिए थीं। इनका निर्माण सरकार द्वारा तथा दूसरी श्रेणी की रेलवे का निर्माण निजी कम्पनियों के द्वारा होना था। कम्पनियों के साथ सरकार का गया समझौता हुआ। इस समझौते से नयी गारण्टी पद्धति का जन्म हुआ। इस समझौते की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं

(१) कम्पनियों को ३ से ३१% व्याज की गारण्टी दी गयी।

(२) २५ वर्ष पश्चात् या उसके प्रति १० वर्ष पश्चात् सरकार रेलवे कम्पनियों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकती थी।

(३) शुद्ध लाभ का ६०% भाग सरकार के लिए सुरक्षित किया गया।

नयी गारण्टी पद्धति में विभिन्न कम्पनियों के साथ भिन्न भिन्न शर्तों पर समझौते हुए। इन काल में रेलों का विकास तीव्र गति में हुआ। सन् १९०२ में विभिन्न प्रकार के रेलमार्गों की लम्बाई निम्नलिखित थी

(१) ब्राड गेज—१४,००० मील,

(२) मीटर गेज—११,००० मील, और

(३) नैरो गेज—६६८ मील।

इस काल में कई रेलवे लाइनों को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। इस काल में अन्तिम समय में रेलवे से घाट क स्थान पर लाभ प्राप्त होने लगा। सन् १८९६ में १९०२ तक रेलवे को कुल १७५ करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

(४) तीव्र प्रगति और विकास का काल (१९००-१९१४)—इस समय तक रेलवे एक लाभप्रद उद्योग माना जाने लगा था अतः रेलों की कार्यक्षमता वृद्धि पर भी ध्यान दिया गया। सन् १९०१ में रेलवे प्रबन्ध तथा कार्यक्षमता की जांच के लिए थॉमस राबर्ट्सन नियुक्त किये गये। उन्होंने रेलवे बोर्ड स्थापित करने, रेलवे में सुधार के लिए सामान्य राजस्व से अलग एक रेल कोष स्थापित करने तथा सरकार और कम्पनियों के दोहरे प्रबन्ध की समाप्ति के लिए सुझाव दिया। सरकार ने इन सुझावों को नहीं माना। फिर भी सन् १९०५ में रेलों के प्रबन्ध के लिए रेलवे बोर्ड बनाया गया। सन् १९०७ में सर जेम्स मैके की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी। इस समिति ने तत्कालीन रेलमार्गों को देश की आवश्यकता से कम बताया। प्रथम महायुद्ध के समय भारत में कुल रेलमार्गों की लम्बाई ३५,२८५ मील थी।



(५) प्रथम महायुद्ध काल (१९१४-१९१६)—इस अवधि में रेलों के विकास की गति रुक गयी। आयरनक सामान का आयात बन्द हो जाने के कारण नदीनीकरण का कार्य रोक देना पड़ा। इस प्रकार रेलवे की वारंशमता में ह्रास हुआ। इस समय सरकार के पास धन की भी कमी थी। अतः रेल-भाडे में वृद्धि की गयी। इस प्रकार युद्ध का प्रभाव रेलवे पर प्रतिबूत पड़ा।

(६) विकास एवं उन्नति का नया काल (१९२०-१९२६)—युद्ध के समय रेलवे की जवम्ब्या खराब हो गयी थी, उसमें सुधार लाना आवश्यक था। जून नवम्बर १९२० में रेलवे विनियम विनियम एकवचन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी। इस समिति का नाम के रेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस समिति ने रेलवे यातायात के सभी पक्षों का अध्ययन कर एक विस्तृत रिपोर्ट सन् १९२० में प्रस्तुत की। समिति ने रेलों की दक्षीण अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है, “वीनियों इस पुन हैं जिन पर में जापूनिव भागे वीनों ने नदी गाडियां नहीं बन सक्तों बीर जितने भीन ऐसी रेलें, सैकड़ों ऐसे दहन और हुआगे ऐसे डिब्बे हैं जिनकी बद-नते की महो लागत बहुत दिन पड़े वींज चुकी है।” समिति के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे :

(१) रेलवे बोर्ड के संगठन तथा कार्यप्रणाली में सुधार किया जाय। सुधार के सम्बन्ध में समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। समिति ने रेलवे बोर्ड का नाम बदलकर रेलवे कमिशन रखने का सुझाव दिया।

(२) एक रेट ट्रिब्यूनल (Rate Tribunal) गठित किया जाय जिसका कार्य रेल-भाडा निश्चित करना तथा जगहों का निबटारा करना हो।

(३) रेलवे जला वज्रट पृथक बनाये। आय-व्यय का उल्लेखित रेलवे पर हो। रेलवे वज्रट रेलवे सदस्य द्वारा विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। इस प्रकार समिति ने रेलवे वित्त को सामान्य राजस्व से अलग करने का सुझाव दिया।

(४) प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों में मतभेद था। बहुमत यह था कि कम्पनियों के अनुबन्ध की समिति पर रेलवे का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले ले। अन्यमत का सुझाव था कि सरकार प्रबन्ध तथा कम्पनियों का प्रबन्ध, दोनों को जागे रखा जाय। समिति के अध्यक्ष रेलवे के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे।

(५) रेलवे प्रबन्ध व्यवस्था में भारतीय जनता का सहयोग केन्द्रीय तथा स्थानीय परामर्श दायी समितियों की स्थापना कर प्राप्त किया जाय।

(६) रेलवे ह्रास कोष (Depreciation Fund) तथा संचित कोष (Reserve Fund) की स्थापना की जाय।

सरकार ने वस्तुतः इस समिति के सभी सुझावों को मान लिया। रेट ट्रिब्यूनल के स्थान पर रेल-भाडा सहायक मण्डल (Railway Rates Advisory Committee) गठित किया गया। फरवरी १९२३ में रेलवे के राष्ट्रीयकरण की नीति अपनायी गयी। १ नवम्बर, १९२४ से रेलवे वित्त को सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया। इस नीति प्रथा को पृथक परम्परा (Separate Convention) कहते हैं। इसके अनुसार रेलों पर लगी पूँजी का १ प्रतिशत बाँटित, रेलों की आय में सामान्य राजस्व को दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त दूसरा निम्नलिखित प्रतिगत भाग या उनकी पिछली धारों (Accumulate Balances) को देने के पश्चात् ६५ लाख का २०% भाग भी सामान्य राजस्व का देना आवश्यक था। एक संचित कोष भी स्थापित किया गया तथा ह्रास कोष की भी व्यवस्था की गयी। समिति के सुझावों के अनुसार रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया।

इस प्रकार इस काल में रेलवे-व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। रेलवे का विभाग भी अलग हुआ। इसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लगाया जा सकता है :

वर्ष	रेलवे लम्बाई	निम्नियोजित पूंजी	आय
१९१६-२०	३६,७२५ मील	५६६.३८ करोड़ ₹०	८६.१५ करोड़ ₹०
१९२६-३०	४१,७२४ मील	८५६.७५ " "	११६.०८ " "

(७) आर्थिक मन्त्री का समय (१९३०-१९३६)—मार्च १९२६ की आर्थिक मन्त्री का प्रभाव भारतीय रेलवे पर भी पड़ा। रेलवे की आय में कमी तथा व्यय में वृद्धि हुई। मर्च १९३०-३१ में १९३५-३६ तक रेलवे के लिए अवसाद का समय था। घाटे की पूर्ति के लिए मुक्ति कोष तथा हानि कोष का महाराज लेना पड़ा। रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को अगदान देना बन्द कर दिया गया। रेलवे व्यय में कमी करने का भी प्रयत्न किया गया। मर्च १९३२ में रेलवे लाइनों के खर्चों में कमी के लिए मुझाव देने हेतु पीपु सभिति नियुक्त की गयी। इस सभिति ने कई मुझाव दिने क्रिये रेलवे व्यय में कमी हुई। २० अक्टूबर, १९३६ को रेलों की आर्थिक स्थिति की जांच बग्ग के लिए बीजबुद्ध सभिति नियुक्त की गयी। इसने रेलवे आय में वृद्धि, मर्च-रेल समन्वय तथा रेलवे वित्त-व्यवस्था के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण मुझाव दिये। इस सभिति के प्रमुख मुनाब निम्न-लिखित थे

(१) रेलवे व्यय में बचत करने के लिए एक केन्द्रीय बचत अनुसन्धान सभिति (Central Economy Research Committee) की स्थापना की जानी चाहिए।

(२) निम्न-परतता नाल के लिए सविश्व में रेलों को आठ क्षेत्रों में बांट दिया जाय।

(३) रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला अगदान कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाय। सामान्य संचय व हानि कोष की राशि देने के बाद जो आय शेष हो उसका उपयोग रेल-भाडे में कमी करने तथा यात्रियों को सुविधाएँ देने के लिए किया जाय।

(४) रेलवे हानि कोष व संचय कोष की उचित व्यवस्था की जाय।

(५) रेलों के पास जो इञ्जन तथा डिब्बे बेकार पड़े हैं उनका समुचित उपयोग किया जाय।

(६) सभिति के कुछ मुझाव रेल-मर्च प्रतिसम्पत्तियों को कम करने के सम्बन्ध में थे।

सरकार ने सभिति के कुछ मुझावों को मान लिया। विभिन्न प्रयत्नों के फलस्वरूप मर्च १९३५-३६ में रेलवे को १.२१ करोड़ ₹० की बचत हुई। इस अवधि में रेलों की लम्बाई में कुल १.३०० मील की वृद्धि हुई। परन्तु मर्च १९३७ में वहाँ भारत में कृषक हो गया। जहाँ २,००० मील रेल-मार्ग वहाँ में चला गया। मर्च १९३६-४० में भारतीय रेलवे की कुल लम्बाई ४१,१५६ मील थी तथा उसमें ८१२.५६ करोड़ रुपये की कुल पूंजी लगी हुई थी।

(८) द्वितीय महायुद्ध काल (१९३६-१९४५)—द्वितीय महायुद्ध के समय परिवहन सुविधाओं की माँग में वृद्धि हुई। फलस्वरूप रेलवे की आय में भी वृद्धि हुई। रेलवे द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाएँ बन्द कर दी गयीं। युद्धकाल में रेलवे का नवीनीकरण कार्य बन्द कर दिया गया। २६ बॉच साइनें लगायी गयीं तथा रेलवे सम्बन्धी बहूत सा सामान अग्य वस्तुओं को भेजा गया। १९४२ में युद्ध परिवहन बोर्ड (War Transport Board) की स्थापना की गयी। रेलवे ने प्राथमिकता पद्धति (Priority System) को अपनाया त्रिमंके अनुष्णर रेल द्वारा आवश्यक वस्तुएँ भेजने में प्राथमिकता दी जाने लगी।

इस कान में रेलवे की आर्थिक दशा में पर्याप्त सुधार हुआ। सन् १९३६-४० में रेलवे की आय १११५ करोड़ रुपये थी जो १९४६-४५ में बढ़कर २३२६५ करोड़ रुपये हो गयी। सन् १९४४ में एक मुचारा कोष (Betterment Fund) भी स्थापित किया गया।

(६) प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के पूर्व का काल (१९४५-१९५१)—१५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वतन्त्र हुआ तथा देश का विभाजन हुआ। विभाजन के कारण लगभग ७,००० मील लम्बा रेलमार्ग, जिसकी पूंजीगत लागत १३६ करोड़ रुपये थी, पाकिस्तान में चला गया। रेलवे के अन्य समान जैसे इंजन, डिब्बे आदि का वितरण लम्बाई तथा ट्रेडिङ के आधार पर किया गया। वर्क-शाप का विभाजन स्विति के आधार पर किया गया। विभाजन के कारण प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव हो गया क्योंकि पाकिस्तान में जान वाले प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या अधिक थी। विभाजन के प्रभाव का अनुमान निम्नलिखित सारणी से लगाया जा सकता है :

देश	इंजन	सवारी के डिब्बे	माल के डिब्बे	रेलमार्ग (मील)
भारत	७,२४८	२०,१६६	२,१०,०६६	३०,०१७ १५
पाकिस्तान	१,३३६	४,२८०	४०,२२१	६,६५७ ८८

विभाजन के पश्चात् प्रथम ७ १ महीनों में रेलवे को २७४ करोड़ रुपये का घाटा हुआ। श्रमार्थी समस्या का प्रभाव भी रेलवे पर पड़ा। इस प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् रेलवे के सामने कई प्रमुख समस्याएँ थीं। समस्याओं पर विचार करने तथा रेलवे की कार्यक्षमता बढ़ाने व मितव्ययता लाने के लिए सन् १९४६ में के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी थी। परन्तु विभाजन के कारण यह समिति मार्च १९४८ में ५० हृदयनाय कुंजरु की अध्यक्षता में कार्य करना लगी। समिति ने अपनी रिपोर्ट १९४६ में प्रस्तुत की। कुंजरु समिति के मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे

- (१) रेलवे कर्मचारियों की कार्यक्षमता अत्यन्त कम है। उसे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय।
- (२) रेलवे में कार्य विश्लेषण पद्धति (Job Analysis System) अपनायी जानी चाहिए।
- (३) रेलों के संचालन एवं प्रबन्ध के लिए एक वैधानिक संगठन (Statutory Organization) स्थापित किया जाना चाहिए।
- (४) रत्ना का विद्युतीकरण किया जाय तथा अनुसन्धान पर अधिक ध्यान दिया जाय।
- (५) रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला अक्षदान स्थायी रूप से जारी रखना उचित है।
- (६) कर्मचारियों को गाद्यात्र सम्बन्धी मिलने वाली सुविधाएँ समाप्त कर दी जाएँ तथा इनके परिणामस्वरूप महँगाई भत्ते में वृद्धि की जानी चाहिए।
- (७) रेलों के पुनर्वर्गीकरण (Regrouping) का कार्य पांच वर्षों के लिए स्थगित रखा जाय। सरकार ने साद्यात्र सम्बन्धी सुविधा के विषय में दिये गये सुझाव के अतिरिक्त सभी सुझावों को मान लिया। सन् १९४६ में भारत सरकार ने रेलों की पुनर्संरचना के लिए विश्व बैंक से ३४ करोड़ डॉलर का ऋण लिया। तीसरी श्रेणी के यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि की गयी। ३१ मार्च, १९५१ को भारतीय रेलवे की लम्बाई ३४,०७६ मील थी तथा उसमें विनियोजित कुल पूंजी ८३८१७ करोड़ रुपये थी।

## भारतीय रेलों का पुनर्वर्गीकरण (Regrouping of Railways)

स्वतन्त्रता के पश्चात् देशी रियासतों की रेलवे भी भारतीय सभ में आ गयी । अगस्त १९४६ में भारत में कुल ३७ रेलवे व्यवस्थाएँ (Railway Systems) थी, अतः तत्कालीन व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक हो गया । कुञ्जराव समिति ने पुनर्वर्गीकरण (Regrouping) के कार्यों को पाँच वर्षों तक स्थगित करने का सुझाव दिया था । परन्तु मन् १९४० में पुनः सामूहिकरण के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी । इस समिति ने रेलवे को ६ क्षेत्रों में बाँटने का सुझाव दिया । परन्तु विभिन्न समस्याओं के कारण रेलवे को ८ समूहों में विभाजित किया गया । वर्तमान समय में रेलवे के ६ क्षेत्र हैं । १ अक्टूबर, १९६६ को रेलवे का नया क्षेत्र 'दक्षिण-केन्द्रीय रेलवे' बनाया गया जिसका मुख्य कार्यालय सिकन्दराबाद है । रेलवे क्षेत्रों का विवरण निम्नलिखित है

### रेलों का वर्गीकरण<sup>१</sup>

क्षेत्र तथा स्थापन तिथि	सम्मिलित रेलवे	प्रधान कार्यालय	रेलमार्ग (३१ मार्च १९६१ तक) (किलोमीटर में)
१ दक्षिण रेलवे १४-४-१९४१	एम० एम० एम० रेलवे मदरन इण्डियन रेलवे मैसूर रेलवे	मद्रास	ब्रॉड गेज २,३३४ मीटर गेज ४,९४७ नैरो गेज १४३
२ मध्य रेलवे ५-११-१९४१	जी० आई० पी० रेलवे निजाम स्टेट रेलवे तिरुविथा स्टेट रेलवे धीलपुर रेलवे	बम्बई	ब्रॉड गेज ४,५६३ मीटर गेज ३८३ नैरो गेज ७९६
३ पश्चिमी रेलवे ५-११-१९४१	बी० बी० एण्ट सी० आई० रेलवे, सौराष्ट्र, कच्छ राजस्थान और जयपुर	बम्बई	ब्रॉड गेज २,७६१ मीटर गेज ६,०७६ नैरो गेज १,२०२
४ उत्तरी रेलवे १४-४-१९४२	ई० पी० रेलवे जोधपुर, बीकानेर तथा ई० आई० नार० के तीन विभाग	नई दिल्ली	ब्रॉड गेज ६,८६६ मीटर गेज ३,४३२ नैरो गेज २६०
५ उत्तरी पूर्वी रेलवे १४-४-१९४२	ओ० टी० रेलवे बी० बी० एण्ट सी० आई० का फतेहगढ़ जिले का विभाग	शेरशपुर	ब्रॉड गेज ४२ मीटर गेज ४,९१३
६ पूर्वी रेलवे १-८-१९४४	तीनों समूहों को छोड़कर शेष ई० आई० रेलवे	कलकत्ता	ब्रॉड गेज ४,०१३ नैरो गेज १३१
७ दक्षिणी पूर्वी रेलवे १-८-१९४४	बी० एन० रेलवे	कलकत्ता	ब्रॉड गेज ४,३२३ नैरो गेज १,४७६

१ इण्डिया, १९७०, पृष्ठ ३६४ ।

## मालीगांव

## गौहाटी

उ० पू० सीमाना रेलवे	बासाम रेलवे	गौहाटी	ब्रॉड गेज	६४५
१५१-१६५८			मीटर गेज	२,८६६
			नैरो गेज	८७
६ दक्षिण केंद्रीय रेलवे	दक्षिण तथा मध्य रेलवे के भाग	मिक्न्दरावाद	ब्रॉड गेज	२,६०६
२-१०-१६६६			मीटर गेज	३,१८३
			नैरी गेज	३७०

पुनः सामूहीकरण करते समय इन बान का ध्यान रखा गया था कि (१) जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक रेलवे प्रबन्ध सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो, (२) सामूहीकरण इस प्रकार स किया जाय कि तत्कालीन प्रबन्ध व्यवस्था एवं कार्यक्षमता पर कम से कम प्रभाव पड़े, तथा (३) प्रत्येक क्षेत्र इतना विस्तृत हो कि उसमें एक मुख्य केन्द्र स्थापित किया जा सके। पुनः सामूहीकरण के समय कुछ धारणाओं भी उठायी गयी थीं। उन धारणाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है

पुनर्वर्गीकरण के विषय में तर्क—(१) विरोध व्यक्त करने वालों ने कुछ समिति का उद्घाटन किया। इन समिति ने पुनर्गठन को स्पष्ट करने का सुझाव दिया था। (२) प्रत्येक क्षेत्र विस्तृत रखना था, जहाँ यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस क्षेत्र में पाँच-छह हजार मील लम्बा रेलमार्ग होगा उस क्षेत्र का नियन्त्रण एक केन्द्र से करना कठिन हो जायेगा। (३) पुनः सामूहीकरण के कारण कर्मचारियों के स्थानान्तर सम्बन्धी कठिनाइयाँ पड़ेगी। इनमें कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था में भी कठिनाई जायेगी। (४) प्रत्येक क्षेत्र पृथक् होने के कारण बर्कशाप, सार्विकी, अन्वेषण आदि के लिए अलग-अलग केन्द्र स्थापित करने पड़ेंगे। इससे कार्य दोहरा (duplicate) हो जायेगा तथा व्यय में वृद्धि हो जायेगी। (५) नियन्त्रण तथा निरीक्षण पर्याप्त न होने से कार्य में देर लगेगी तथा इसका प्रभाव कार्यक्षमता पर प्रतिबल पड़ेगा। (६) पुनः सामूहीकरण द्वारा प्राप्त निष्पत्ति का जो अनुमान सरकार ने लगाया था वह भी बहुत कम था। (७) सामूहीकरण से रेल परिचालन में भी कठिनाइयाँ आयेगी।

पक्ष में तर्क—इन तर्कों के हाते हुए भी सरकार ने पुनर्वर्गीकरण पर जोर दिया। सरकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि (१) सामूहीकरण से विभिन्न प्रबन्ध एवं वित्त-व्यवस्था में एकलपता आयेगी। इसके अतिरिक्त ट्रेफिक, सामान तथा शक्ति व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाइयाँ दूर होंगी। (२) पुनः सामूहीकरण प्रबन्ध में मितव्ययता होगी तथा कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। उस समय रेलवे में ४२ विभिन्न व्यवस्थाएँ लाू थीं। पुनः सामूहीकरण से प्रबन्ध व्यवस्था सरल हो जायेगी तथा सेवाओं के स्तर में समानता होगी। (३) एक रेलवे क्षेत्र का निर्देशन एक केन्द्रीय स्थान से होगा जिससे एक विस्तृत क्षेत्र में उपलब्ध सभी सामान का समुचित उपयोग हो सकेगा। इससे पूंजीगत व्यय में कमी होगी। (४) परिचालन व्यवस्था तथा बर्कशाप का तर्कसंगत (rationalisation) होगा। इससे प्रत्येक क्षेत्र में अनुसन्धान तथा कार्य विधि में सुधार होगा। (५) विभिन्न रेलवे मण्डलों के मिलने के स्थानों पर दोहरा प्रबन्ध समाप्त हो जायेगा। इससे कार्य में शीघ्रता होगी तथा कम कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

वस्तुतः पुनः सामूहीकरण से रेलवे को लाभ तथा हानियाँ दोनों ही हुई हैं। भाडा दरों तथा प्रशासन सम्बन्धी व्यय में वृद्धि हुई है। सन् १९५१-५२ में कार्यगील व्यय कुल आय का ७८.८% था जो १९६७-६८ में बढ़कर ८४ प्रतिशत हो गया। परन्तु पुनः संगठन के परिणाम रेलवे की आय में वृद्धि अवश्य हुई है। रेल दुर्घटनाओं की घटनाएँ घटती हुई चली कार्यक्षमता में लाभ की ओर सकेत करती हैं। पुनः संगठन के आधारभूत सिद्धान्त अच्छे धे और इस कार्य की सफलता का अनुमान

इन्हें अल्पकाल में नहीं लगाया जा सकता। दक्षिणी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करने की समस्या पर विचार किया जा रहा है।

### योजनाकाल में रेलवे का विकास

**प्रथम पंचवर्षीय योजना—**सन् १९५६ से ही रेलवे की अवस्था ठीक नहीं थी। आर्थिक मन्त्री, द्वितीय विश्वयुद्ध तथा देहा-विभाजन का रेलवे पर बुरा प्रभाव पड़ा था, अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय रेलवे की सबसे बड़ी समस्या पुनर्स्थापना (Rehabilitation) की थी। इसके अतिरिक्त रेलवे के समस्त कुछ अन्य समस्याएँ भी थी, जैसे—नये क्षेत्रों में रेलवे का निर्माण करना, २५८ मील लम्बी रेलवे लाइनों जो युद्धकाल में उखाड़ दी गयीं थीं, पुनः बनाना तथा नागपुर और आनाम के बीच रेल सम्बन्ध जारी रखने के लिए नयी रेलवे लाइनों का निर्माण करना। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे के पुनर्बाँध तथा विस्तार के लिए ४०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी।

**प्रगति—**उस योजनाकाल में रेलवे का विकास पर कुल ८०६ करोड़ रुपये व्यय हुआ। योजनाकाल में ८३० मील लम्बे पुराने रेलमार्गों को चालू किया गया तथा ३६० मील लम्बे नये रेलमार्गों का निर्माण किया गया। इनके अतिरिक्त ४६ मील लम्बे रेलमार्गों को नैंगे गेज से मीटर गेज में परिवर्तित किया गया। योजनाकाल में आनाम में रेल विभाजन बनाया गया जो १५२ मील लम्बी है। इसके अतिरिक्त गया-त्रिज प्रोजेक्ट पर कार्य जारी था।

प्रथम योजना में आत्मनिर्भरता की दिशा में रेलवे ने महत्वपूर्ण कार्य किया। चित्ररत्न लोकोमोटिव वर्कशॉप तथा टाटा ट्रॉन्कोनिंग तथा लोकोमोटिव की स्थापना प्रति वर्ष क्रमशः ३०० तथा १०० इकाइयों बनाने के लिए की गयी। फगम्बूर में Integral Coach Factory स्थापित की गयी। योजना के अन्तिम वर्ष में मानसरोवर के टिन्डो का वाणिज्य उत्पादन १४,७०० था। रेलवे वर्कशॉप में भी सुधार किया गया। विद्युतीकरण के कार्य में भी महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई। तृतीय क्षेत्रों के यानियों की सुविधाओं में वृद्धि हुई। योजनाकाल में कर्मचारियों के लिए ६६,००० क्वार्टर बनवाये गए तथा उनके वेतन-स्तर में सुधार किया गया। योजना अवधि में रेलवे की आय में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई।

प्रथम योजना के अन्त में (१९५५-५६) रेलमार्गों की लम्बाई ३४,७३६ मील थी।

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना—**द्वितीय योजनाकाल में व्यापार तथा उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए रेलवे विस्तार पर अधिक ध्यान दिया गया। इस योजनाकाल में रेलवे पर १,१२५ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गयी जिसमें से १५० करोड़ रुपये रेलवे का आय से, ७५० करोड़ रुपये केन्द्रीय बजट से तथा २२५ करोड़ रुपये विभागत कोष से व्यय करना था। रेलवे की योजना पर कुल व्यय १,८८५ करोड़ रुपये होना था। यदि रेलवे की आय में वृद्धि हो तो १,१-५ करोड़ रुपये से अधिक व्यय भी किया जा सकता था।

**प्रगति—**द्वितीय योजनाकाल में ४०८ मील लम्बी ब्रांच गेज तथा ३८२ मील लम्बी मीटर गेज की नयी रेलवे लाइनें बनायीं गयीं। १,००६ मील ब्रांच गेज तथा २५१ मील मीटर गेज की लाइनों पर निर्माण कार्य चल रहा था। ६,२०३ मील लम्बे मार्गों का नवीनीकरण किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में (मार्च १९६०-६१) भारत में रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई ५६,६६२ किलोमीटर थी। रेलवे में पूँजी (capital at charge) १,५०८ करोड़ रुपये लगी हुई थी। मूल १९६०-६१ में रेलवे की कुल आय ४५६ करोड़ रुपये थी। उस वर्ष कार्यशील व्यय ३६२ करोड़ रुपये था।

द्वितीय योजनाकाल में यात्रियों की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि की गयी। फरवरी ट्रैफिक में २७% तथा माल हुलाई में २६% की वृद्धि हुई। इस योजनाकाल में रेल विकास कार्यक्रमों पर (१०० करोड़ रुपये के लक्ष्य में से) कुल ८६० करोड़ रुपये व्यय किये गये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—इस योजना में रेलवे के लिए ८६० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इसके अतिरिक्त १५० करोड़ रुपये ह्रास कोष तथा ३५ करोड़ रुपये स्टोर मस्येम्स एकाउण्ट से विकास कार्यक्रम पर व्यय करने का प्रावधान था।

निम्नलिखित मारपी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रेलवे विकास का ज्ञान होता है -

योजनाओं के अन्तर्गत रेलवे की समता में वृद्धि<sup>1</sup>

	१९५०-५१	१९६८-६९
१ रेलमार्ग (हजार कि० मी०)	६१	७१
२ इजनों की संख्या (हजार)	६	१२
३ डिब्बों की संख्या (लाख)	२१	३८
४ यातायात		
करोड़ यात्री (किलोमीटर)	६,६५१	११,२३८
माद-करोड़ टन)	७३	१७६

वर्तमान स्थिति—भारतीय रेलों के विकास की दृष्टि में पता लगता है कि उनकी क्षमता में सर्वांगीण वृद्धि हुई है किन्तु रेलों के खर्च में तेजी से वृद्धि हो रही है। उदाहरण के तौर पर १९५०-५१ में रेलों पर खर्च कुल आय का ७६.६ प्रतिशत था जो १९७०-७१ में ८४.३ प्रतिशत तक बढ़ गया है। रेलों में बचत विनियुक्त मरामत हो गयी है। १९७०-७१ में रेलों पर लगायी गयी कुल पूंजी पर ०.७ प्रतिशत का घाटा था। १९७१-७२ में भी घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है। यह स्थिति निश्चय ही अग्रगण्य प्राजनक है।

भारतीय रेलों द्वारा योजनाकाल में निम्नलिखित सुविधाएँ दी गयी हैं

(१) यात्रियों की मोट कम करने के लिए जटिल गडियाँ चलाई गयी हैं। अनेक मार्गों पर मादनों को दोहरा किया गया है।

(२) लम्बी यात्रा के मुसाफिरों के लिए रिजर्वेशन (आरक्षण) व्यवस्था आरम्भ की गयी है।

(३) नयी गाडियों के अतिरिक्त जनक क्षेत्रों में गाडियों की गति बढ़ायी गयी है।

(४) लम्बी यात्रा वाली गाडियों में सोने की सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी हैं।

(५) बानानुसूचिन तथा कुछ तृतीय श्रेणी की जनता गाडियाँ चलाई गयी हैं, जिनसे सामान्य जनता को बहूत राहत मिलती है।

(६) चलती गाडियों में भोजन व्यवस्था में वृद्धि तथा सुधार किये गये हैं।

(७) गाडियों में पम्प, स्टेशन पर भीतल जन, प्रतीक्षालय तथा नये प्लेटफार्म और गुन आदि व्यवस्थाओं में सुधार किये गये हैं।

(८) यात्रियों के लिए विशेष अवसर पर बापसी टिकट सुविधा चालू की गयी है।

(९) अधिक क्षेत्रों में विजनों से चलने वाली गाडियों की व्यवस्था की गयी है।

<sup>1</sup> (रेलवे बजट १९७१-७२)

उपर्युक्त सुविधाओं में भारतीय रेलों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के स्तर में निश्चय ही उन्नति हुई है और जनता को लाभ पहुँचा है।

### रेलवे वित्त (Railways Finance)

सन् १९२४-२५ में रेलवे राजस्व को सामान्य राजस्व में अलग कर दिया गया। सामान्य राजस्व द्वारा रेलवे निर्माण के लिए धन दिया जाता है, अतः यह निश्चय किया गया कि रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को प्रति वर्ष कुल पूँजी पर एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाने लगा। इस लाभांश की दर का निश्चय समय-समय पर किया जायगा। रेलवे की वित्तीय नीति के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्रदान की गयी। लाभांश की दर का निश्चय सन् १९४६, १९५४, १९६० तथा १९६५ में किया गया। वर्तमान समय में १९६५ के निर्णय के अनुसार रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को लाभांश दिया जाता है जिसके निर्णय निम्नलिखित हैं

(i) ३१ मार्च १९६४ तक रेलवे में लगी हुई पूँजी पर ५.५% में सामान्य राजस्व को लाभांश दिया जायगा (इसके पूर्व यह दर ४.५% थी)।

(ii) ३१ मार्च, १९६४ के पश्चात् लगायी गयी पूँजी पर लाभांश की दर ६% होगी (हफले यह दर ५.७५% थी)।

(iii) उपर्युक्त दरें १ अप्रैल, १९५५ में लागू की गयी हैं।

(iv) यानी-कर को समाप्त कर दिया गया है।

प्रति वर्ष रेलवे बजट, रेल मन्त्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है

वित्तीय परिणाम—निम्नलिखित सारणी द्वारा रेलवे की वित्तीय दशा पर प्रकाश पड़ता है

विवरण	रेलवे की वित्तीय स्थिति	
	१९५०-५१	१९७१-७२ (बजट के अनुसार)
१ पूँजी	८२७	३,४७३
२ कुल आय	२६३	१,०७०
३ कुल व्यय	२१५	६०३
४ शुद्ध आय	४८	१६७
५ पूँजी पर शुद्ध आय%	५.८	४.८

सन् १९७०-७१ में कुल आय १००४ करोड़ रुपये थी। रेलवे का व्यय कुल आय का ८४.३% था। सामान्य कोष व सामान्य राजस्व में हिस्सा देने तथा अन्य व्ययों के पश्चात् रेलवे का घाटा २४ करोड़ रुपये था।

रेलवे ने निम्न प्रकार के कोषों का भी निर्माण किया है -

(१) ह्रास संचित कोष (Depreciation Reserve Fund)—इस कोष में प्रति वर्ष रेलवे द्वारा धन जमा किया जाता है। सन् १९६६-७१ की अवधि में, सन् १९६५ के निर्णय के अनुसार प्रति वर्ष १३० करोड़ रुपये जमा करने की व्यवस्था की गयी। वित्तीय दशा के अनुसार इस राशि में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(२) विकास कोष (Development Fund)—इस कोष का निर्माण रेलवे उपभोक्ताओं की सुविधाओं में वृद्धि, श्रम कल्याण आदि के लिए किया गया है।



(३) आगम संचित कोष (Revenue Reserve Fund)—इसका निर्माण सामान्य राजस्व को निश्चित रकम दिये जाने के लिए (यदि आय कम हो) तथा रेलवे के घाट की पूर्ति के लिए किया गया है। सन् १९५६-५७ से इस कोष में नयी राशि जमा नहीं की गयी है।

(४) रेलवे पेंशन कोष (Railway Pension Fund)—इसका निर्माण अप्रैल मन् १९६४ में, रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने हेतु किया गया है।

रेलवे की समस्याएँ—वर्तमान समय में भारतीय रेलों के सम्बन्ध निम्नलिखित समस्याएँ हैं, जिनका निवारण आवश्यक है

- (१) बिना टिकट यात्रा,
- (२) यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता,
- (३) रेल दुर्घटनाएँ,
- (४) गेज (Gauge) की समस्या,
- (५) रेलों की सम्पत्ति की पुनर्स्थापना, और
- (६) विद्युतीकरण की समस्या, आदि।

उपरोक्त समस्याओं के समाधान हो जाने पर भारतीय रेलवे की तुलना समार के किसी भी देश की रेलवे में की जा सकती है। रेलवे भारत का सबसे बड़ा मार्बजनिमक उद्योग है। अतः इसकी कार्यक्षमता बनाये रखना तथा निरन्तर विकास करना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है।

### अभ्यास-प्रश्न

- १ स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में रेल परिवहन की क्या प्रगति हुई है ?  
(इलाहाबाद, १९६०)
- २ स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत में रेलों का जो विकास और उन्नति हुई है उसका वर्णन कीजिए। रेलों के क्षेत्रों में सामूहीकरण से रेलों की कार्यक्षमता में कहीं तक वृद्धि हुई है ? इस पर अपना मत व्यक्त कीजिए।  
(आगरा, बी० ए० १९६१)
- ३ हमारे देश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेल परिवहन के विकास का विवरण दीजिए।  
(विक्रम, बी० ए० १९६२)
- ४ देश विभाजन के पश्चात् रेल परिवहन की क्या समस्याएँ रही हैं ? इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है ?  
(बिहार, बी० ए० १९६१)
- ५ पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत रेलवे परिवहन के विकास के विषय में लिखिए ? भारतीय रेलवे की वर्तमान समस्याएँ क्या हैं ?  
(बिहार, बी० ए०, १९६३)
- ६ रेलवे के आर्थिक लाभ क्या हैं ? योजनाओं के अन्तर्गत रेलवे विकास के विषय में लिखिए।  
(पटना, बी० ए०, १९६३)

*'All social progress resolves itself into the making of good Roads''*

—RUSKIN

### सड़क विकास

विकसित सड़क परिवहन आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का द्योतक है। सड़की की उन्नति मानव की उन्नति की प्रतीक है। उन्नतिशील देशों में सड़क परिवहन विकसित अवस्था में पाया जाता है। वेन्थम का यह कथन सर्वथा उपयुक्त है, 'सड़क किसी देश की नाटियों तथा नर्सों हैं, जिनसे उस देश का विकास प्रवाहित होता है।' कृषि उद्योग आदि का विकास सड़कों के विकास पर बहुत कुछ अर्थों में निर्भर है। भारत जैसे अर्द्ध-विकसित कृषि-प्रधान देश में सड़कों का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि देश के आन्तरिक भागों को एक-दूसरे से सम्बद्ध करने के लिए सड़क उपयुक्त साधन है।

सड़क परिवहन की विशेषताएँ—सड़क परिवहन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं जिनके कारण इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(१) माल भेजना सरल—सड़क मार्ग से माल एक द्वार से टीक दूसरे द्वार तक या एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक पहुँचता है। इसमें माल धादने और उतारने में बहुत सुविधा होती है।

(२) सस्ता—सड़क परिवहन जबिक सस्ता है क्योंकि इसमें स्टेशन, तार, सन्धे या अन्य व्यवस्थाएँ करना आवश्यक नहीं है और यह व्यवस्थाएँ की भी जायें तो सस्ती पड़ती हैं।

(३) समय की बचत—सड़क मार्ग से माल तथा यात्री अधिक शीघ्रता से यथास्थान पहुँच सकते हैं जिससे समय की बहुत बचत होती है।

(४) टूट-फूट का भय नहीं—सड़क परिवहन में गेज की कठिनाई नहीं है अतः माल रास्ते में उतारता नहीं पड़ता जिससे माल की टूट-फूट होने का भय नहीं रहता तथा इस क्रिया में व्यय होने वाला समय भी बच जाता है।

(५) निर्माण सरल—सड़क मार्ग अत्यन्त दुर्गम क्षेत्रों में भी बनाये जा सकते हैं और अन्य साधनों की तुलना में सरल एवं सुविधाजनक रूप में निर्मित किये जा सकते हैं।

(६) सरक्षण आसान—मट्ट मार्गों का सम्भरण या सरक्षण भी कम खर्चीला पत्र मग्न है।

भारत में सड़कों का विकास—प्राचीनकाल में भारत में बड़ी-बड़ी सड़कें थीं। मौर्यकाल में विभिन्न प्रकार की सड़कें पायीं जाती थीं जिनका उन्नेय कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विद्या गया है। हिन्दूकाल में भी कृषि, व्यापार, अनाज, युद्ध आदि के कारण सड़कों का विकास किया गया। मुगलकाल में कुछ महत्त्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया गया : अरशाह सूरी का नाम सड़क निर्माण के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है परन्तु मुगलकाल में देश के आन्तरिक भागों की सड़कों की अवस्था गंभीर थी।

ब्रिटिशकाल में आरम्भ में सड़कों पर ध्यान नहीं दिया गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य व्यापार एवं शासन रहा, अतः सड़कों के विकास सम्बन्धी दायित्व या कम्पनी ने नहीं समझा। फिर भी इस देश में कुछ व्यक्तिगत प्रयत्न किये गये। लार्ड रिचिंसन ब्रिटिश नौवांश्ट ट्रक रोड को पूरा कराया जिसके द्वारा बनारस, दिल्ली और पहावर सड़क द्वारा सम्पर्क हुआ। लार्ड डलहौजी के समय में भारत के सड़क यातायात के इतिहास में नये युग का आरम्भ हुआ। डलहौजी ने यातायात के भागों के महत्त्व को स्वीकार किया और सन् १८५५ में केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गयी।

देश में राजनीतिक शान्ति बनाये रखने तथा देश के विभिन्न भागों में बच्चा मान उद्वर्णित करने हेतु रेल परिवहन का विकास किया गया। सरकार ने रेल परिवहन के विकास पर अधिक ध्यान दिया तथा सड़कों की उन्नति की गयी। सड़कों के विकास का कार्य प्रांतीय सरकारों का दायित्व माना गया। केवल सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सड़कों के विकास का दायित्व केन्द्रीय सरकार का रहा। प्रांतीय सरकारों ने भी अपना दायित्व स्थानीय सरकारों (Local Self Governments) पर छोड़ दिया। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध के समय तक भारतीय सड़कों की अवस्था गंभीर बन गई थी।

सन् १९०३ में डॉ० एम० आर० जयकर की अध्यक्षता में सड़क विकास समिति (Road Development Committee) नियुक्त की गयी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सड़क विकास एवं जर्ज प्रवन्ध के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। समिति ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों के विकास का कार्य स्थानीय एवं प्रांतीय सरकारों की क्षमता के बाहर है। अतः केन्द्रीय सरकार को यह दायित्व लेना चाहिए। समिति के सुझावों के अनुसार सन् १९०६ में केन्द्रीय सड़क विकास कोष (Central Road Development Fund) आरम्भ किया गया। पैट्रोल पर आय-कर तथा उत्पादन-कर लगाकर इस कोष में धन संग्रह किया जाता था। इस कोष की स्थापना में सन् १९३६ तक सड़कों का विकास धीरे-धीरे किया जाता रहा। सन् १९३६ में केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय सड़क कांग्रेस (Indian Road Congress) गठित की गयी। इस कांग्रेस में केन्द्रीय, प्रांतीय तथा सेना विभाग के अधिकारियों से, जिनका सम्बन्ध सड़कों में था। द्वितीय विश्वयुद्ध काल में सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सड़कों का सुधार किया गया।

नागपुर योजना—भारतीय सड़क कांग्रेस के सुझाव पर केन्द्रीय सरकार ने सन् १९४३ में चौक इन्वेन्टरी का एक सम्मेलन नागपुर में किया। इस सम्मेलन में सड़कों के विकास के लिए एक विस्तृत योजना बनायी गयी जो नागपुर योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना में देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की सड़कों के विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये। इस योजना के मुख्य तत्त्व अप्रतिमित थे :

(१) योजना के अन्तर्गत सड़कों को पाँच वर्गों में विभाजित किया गया जिनके नाम इस प्रकार थे—राष्ट्रीय मार्ग (National Highways), प्रादेशिक मार्ग (Provincial Highways), बड़ी जिला सड़कें (Major District Roads), छोटी जिला सड़कें (Minor District Roads) तथा ग्राम सड़कें (Village Roads)।

(२) योजना का यह उद्देश्य था कि विकसित कृषि क्षेत्र में कोई भी गाँव सड़क से पाँच मील दूर तथा अविकसित कृषि क्षेत्र में दस मील में अधिक दूर न हो। योजना के पूर्ण होने पर सड़कें देश की आवश्यकताओं को कम से कम आगामी बीस वर्षों तक पूरा कर सकेंगी।

(३) सड़कों के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त करने के लिए उचित कार्यवाही करने तथा इजीनियरों के प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता आदि का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर रखा गया।

(४) नागपुर योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित थे

(करोड़ रुपये में)

	लम्बाई (हजार मील में)	व्यय
राष्ट्रीय सड़कें	२५	५०
राज्य की सड़कें	६५	१२१
जिले की बड़ी सड़कें	६०	६२
जिले की छोटी सड़कें	४००	८०
ग्रामों की सड़कें	१५०	३०
मुद्द के वर्षों की कमी पूरा करने के लिए	—	१०
पुन बनाने के लिए	—	४५
भूमि प्राप्त करने के लिए	—	५०
<b>योग</b>	<b>७००</b>	<b>४४८</b>

देश-विभाजन के कारण भारतीय मध्य में नागपुर योजना के अनुसार ३,३१,००० मील लम्बी सड़कों का निर्माण करना था जिसमें से पक्की सड़कें १,२३,००० मील तथा पच्ची सड़कें २,०८,००० मील करने का लक्ष्य था।

केन्द्रीय सरकार ने नागपुर योजना के कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इस योजना पर १ अप्रैल, १९४७ से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। एक केन्द्रीय सड़क संगठन (Central Road Organisation) की स्थापना की गयी परन्तु आर्थिक कठिनाइयों, सड़क-निर्माण सामग्री की कमी तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव के कारण इस योजना की प्रगति धीमी रही। प्रथम योजना के प्रारम्भ होने तक राष्ट्रीय मार्गों पर कुल ६३ करोड़ रुपये तथा अन्य प्रकार की सड़कों पर २७ ११ करोड़ रुपये धन्य किये गये। नागपुर योजना की प्रगति का अनुमान निम्नलिखित तथ्यों में लगाया जा सकता है

वर्ष	पक्की पडकें	पच्ची सड़कें
१९४७	८८,००० मील	१,३२,००० मील
१९५०-५१	६८,००० ,,	१,५१,००० ,,

प्रथम पंचवर्षीय योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़क विभाग के लिए १५६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। योजनाकाल में ६८,१५६ मील लम्बी नयी सड़कों का निर्माण हुआ जिनमें से २४,०७१ मील पक्की सड़कें तथा ४४,०८५ मील लम्बी बच्चरी सड़कें बनायी गयी। नयी सड़कों के निर्माण के अनिश्चित १७,३११ मील लम्बी सड़कों का मुधार किया गया। योजनाकाल में सड़कों के विकास पर वास्तविक व्यय १४७ करोड़ रुपये हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क के विकास के लिए ०८६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी परन्तु वास्तविक व्यय २२४ करोड़ रुपये हुआ। योजनाकाल में पिछड़े हुए क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया। सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों में जनसहयोग द्वारा सड़कों के विकास का ज्ञान निम्नलिखित माध्यमों में होना है

क्षेत्र	पक्की सड़कें	बच्चरी सड़कें
नागपुर योजना के तहत	१,२३,०००	० ०८ ०००
अग्रिम १, १६४१	६८,०००	२,४७,०००
मार्च ३१, १६६१	१,४४,०००	२,४०,०००

इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में भारत में कुल ३६४ ००० मील लम्बी सड़क थी, जो नागपुर योजना के तहत में अधिक थी।

सड़क विकास की पंचवर्षीय योजना—सन् १६६१ में प्रांतीय तथा केन्द्रीय मुख्य इंजीनियरों में सड़क विकास के लिए एक दीर्घवर्षीय योजना (१६६१-१६८१) तैयार की। आगामी योजनाओं में सड़क विकास कार्यक्रम इस योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार किए जायेंगे। उन योजना के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

(१) सन् १६८१ में देश में पक्की सड़कों की लम्बाई ०,५२ ००० मील तथा बच्चरी सड़कों की लम्बाई ४,०५,००० मील होनी चाहिए।

(२) विकसित तथा कृषि-प्रधान क्षेत्रों में कोई भी गाँव पक्की सड़क से चार मील से अधिक दूर तथा किसी भी प्रकार की सड़क से डेढ़ मील से अधिक दूर नहीं होगा।

(३) समस्त महत्वपूर्ण केन्द्र पक्की सड़कों में मिले होंगे।

(४) अर्द्ध-विकसित क्षेत्र में कोई गाँव पक्की सड़क से ८ मील तथा किसी भी सड़क से ३ मील से अधिक दूर नहीं होगा।

(५) अर्द्ध-विकसित व कृषि के अयोग्य क्षेत्र में कोई भी गाँव पक्की सड़क से १२ मील तथा किसी भी सड़क से ५ मील से अधिक दूर नहीं होगा।

इस योजना पर ४,७०० करोड़ रुपये व्यय होंगे जिसे पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार निम्न प्रकार बाँटा गया है :

योजना	(करोड़ रुपये)
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	४७०
तृतीय " "	६४०
चतुर्थ " "	१,४१०
पंचम " "	१,८८०

तृतीय पंचवर्षीय योजना—तृतीय योजना का मडक विकास कार्यक्रम चौसवर्षीय योजना का एक भाग था। योजनाकाल में सड़क विकास पर कुल ३२४ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था थी जिसमें से २४४ करोड़ रुपये प्रान्तीय सरकारों द्वारा तथा ८० करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय होने थे। बाद में यह राशि बढ़ाकर ४५४ करोड़ रुपये कर दी गयी। इस योजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित थे

(१) २५,००० मील लम्बी पक्की सड़कों का निर्माण करना।

(२) १,००० मील पुरानी सड़कों का सुधार तथा ३५० मील लम्बी शाखा सड़कें बनाना।

(३) देश के सीमावर्ती भागों में सड़कों की व्यवस्था करना तथा पिछड़े हुए भागों में सड़क निर्माण को प्राथमिकता देना।

(४) मडक अनुसन्धान कार्य को गतिशील बनाना।

तृतीय योजनाकाल तक प्रगति तथा वर्तमान अवस्था—परिवहन तथा जहाजरानी मन्त्रालय की सन् १९६६-६७ की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाकाल में सड़क विकास पर कुल ८२५ करोड़ रुपये व्यय किया गया, जिसमें से तृतीय योजनाकाल में ४४५ करोड़ रुपये व्यय किये गये। सन् १९५१-५६ की अवधि में सड़कों की निम्नलिखित स्थिति थी

एक अप्रैल	भारत में सड़कों का विकास		(लाय किलोमीटर में)
	पक्की सड़कें	बच्चो सड़कें	
१९५१	१४६	२४२	३८८
१९६६	३२५	६४७	९७२

तृतीय योजना में सड़कों के विकास पर किये जाने वाले व्यय को ३२४ करोड़ रुपये में बढ़ाकर ४५४ करोड़ रुपये कर दिया गया। परन्तु योजना के अन्त तक (३१ मार्च, १९६६) तृतीय योजनाकाल में कुल ४४५ करोड़ रुपये व्यय किये गये। तृतीय योजना के अन्त में भारत में सड़कों की कुल लम्बाई ८६ लाख किलोमीटर थी, जिसमें से २८३ लाख किलोमीटर पक्की सड़कें तथा ६०७ लाख किलोमीटर लम्बी बच्चो सड़कें थी। अप्रैल १९६६ में पक्की सड़कों की लम्बाई ३२५ लाख किलोमीटर थी।

चतुर्थ योजना तथा सड़कें—चतुर्थ योजना में सड़कों के विकास सम्बन्धी सुझाव देने के लिए एक कार्यशील दल की नियुक्ति की गयी थी। इस दल ने अपनी रिपोर्ट में चतुर्थ योजना में सड़कों पर कुल १,१५० करोड़ रुपये व्यय करने का सुझाव दिया है (५०० करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार तथा ६५० करोड़ रुपये प्रान्तीय सरकारों द्वारा)। भारतीय मडक परिवहन विकास सच (I R T D A) ने चतुर्थ योजनाकाल में सड़क विकास कार्यक्रमों पर कुल १,७०० करोड़ रुपये व्यय करने का सुझाव दिया है। चतुर्थ योजना (१९६६-७४) की स्पर्शा में ४१८ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा ४११ करोड़ रुपये राज्य सरकारों के द्वारा व्यय करने का प्रस्ताव किया गया है।

अन्तरराष्ट्रीय तुलना—भारत सड़क विकास की दृष्टि से अब भी अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है। इस तथ्य का अनुमान अग्रे सारणी में लगाया जा सकता है।

## विभिन्न देशों में सड़कों की स्थिति

देश	कुल सड़कों (हजार मील)	प्रति वर्गमील क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई (मील)	प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लम्बाई (मील)
जापान	१६७०	४०	७२८
ब्रिटेन	१३८६	२०	३८१
अमरीका	३,०४१४	११	२,११४
आस्ट्रेलिया	१०००	०२	६,६०२
भारत	५६८०	०५	१०६

सारणी में स्पष्ट है कि भारत सड़क विकास की दृष्टि में बहुत पीछे है।

## सड़क परिवहन का विकास (मोटर परिवहन)

(१) द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने तक—भारत में मोटर परिवहन का विकास प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् प्रारम्भ हुआ। सन् १९१३ तक केवल ३,०६८ मोटरों का आयात किया गया। जनमेवा के रूप में मोटरों का प्रयोग प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् ही किया गया। धीरे-धीरे मोटरों की संख्या में वृद्धि होने लगी। सन् १९२०-२१ में मोटरों की संख्या ३७,००० हो गयी। सन् १९३१-३६ तक यह संख्या बढ़कर १,१४,००० हो गयी।

मोटर यातायात के नियमन के लिए सन् १९१४ में Motor Vehicles Act पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा मोटरों के रजिस्ट्रेशन, ड्राइवरों को लाइसेंस देने आदि के विषय पर नियम बनाये गये। स्थानीय निकायों को भी मोटर परिवहन के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया। युद्ध के पश्चात् मोटरों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। आर्थिक मन्दी (सन् १९२९) के समय में ही रेल तथा मोटर यातायात में प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गयी। मोटर यातायात अपनी विशेषताओं के कारण अति लोकप्रिय मिष्ट हुआ। सन् १९३२ में इस प्रतियोगिता की समस्या पर विचार करने के लिए मिंचेल किंग्नेम समिति नियुक्त की गयी। इस समिति ने मोटर यातायात के कड़े नियमन पर जोर दिया। सन् १९३७ में नियुक्त वैजयुद्ध समिति ने भी मोटर यातायात के नियमन का सुझाव दिया। इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सन् १९३९ में मोटरवाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) पारित किया गया। इस विधान द्वारा मोटरों के लिए परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया। राज्य परिवहन अधिकारी नियुक्त किये गये। इस एक्ट में मोटर यातायात के नियमन तथा नियन्त्रण के लिए विस्तृत नियम बनाये गये। सन् १९६५-६६ में इस विधान में संशोधन किया गया।

(२) द्वितीय विश्वयुद्धोत्तरकाल—द्वितीय विश्वयुद्ध काल में मोटर यातायात के समर्थक विचारधारा आयी। यातायात के साधनों की माँग बढ़ी परन्तु मोटरों का आयात बन्द हो गया, पेट्रोल मिनता बन्द हुआ तथा आवश्यक पुरजों भी मिलन बन्द हो गये। सन् १९४१ में मिडलान्त व्यवहार महिमा (Code of Principles and Practices) लागू की गयी जिसके द्वारा मोटरों की संख्या ७१ मील तक सीमित कर दी गयी। मोटरों पर करों में भी भारी वृद्धि की गयी तथा अन्य प्रतिबन्ध लगाये गये। इन प्रतिबन्धों की कड़ी आलोचना की जाने लगी। अतः सन् १९५० में मोटरवाहन कर जाँच समिति नियुक्त की गयी। समिति ने करों में कमी करने, मिडलान्त व्यवहार महिमा को ३ वर्षों तक स्थगित करने आदि के सम्बन्ध में सुझाव दिया परन्तु सरकार इन सुझावों को कार्यान्वित न कर सकी।

(३) योजनाकाल में विकास—सन् १९५३ में नियुक्त परिवहन अध्ययन दल (Study Group on Transport) ने मोटर यातायात की समस्याओं का अध्ययन किया तथा मोटरो के संवाधन का ७/ से १५० मीत कर देने व करो में कमी करने का सुझाव दिया। सन् १९५६ में मोटर परिवहन अधिनियम में आवश्यक मसोधन किये गये। सन् १९५८ में केन्द्रीय सरकार ने श्री मनानी की अध्यक्षता में सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति (Road Transport Re-organisation Committee) नियुक्त की। समिति ने सड़क परिवहन की रेलवे से अधिक आवश्यक बताया तथा मोटर यातायात की उन्नति के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। मई १९५९ में श्री नियोगी की अध्यक्षता में परिवहन नीति एवं समन्वय समिति (Transport Policy and Co ordination Committee) नियुक्त की गयी (सन् १९६३ में श्री नियोगी ने समिति से त्यागपत्र दे दिया तथा इस समिति के अध्यक्ष श्री तरलोकर्मिह हुए)। समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नियमों द्वारा ही परिवहन के साधनों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि सड़क परिवहन का विकास इस प्रकार किया जाय कि उसके द्वारा निश्चित योजनाया तथा क्षेत्रों में उचित लागत पर सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

भारत में मार्च १९४७ में कुल २ १२ लाख मोटरगाडियाँ चालू थीं। इनकी मरदा मार्च १९६८ में १३ लाख हो गयी। वस्तुतः देश में भारवाहक ट्रकों का अभाव है। सन् १९६२ में इनकी मरदा केवल १ ७७ लाख थी। तृतीय योजना के अन्त में ट्रकों की मरदा ३ ५० लाख हो गयी। भारत में सड़क-परिवहन की आवश्यकताएँ तेजी से बढ़ती जा रही हैं। परिवहन मन्त्रालय की सन् १९६६ ६७ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क परिवहन का योजनाओं के अन्तर्गत विकास निम्न सारणी के अनुसार हुआ है

#### भारत में सड़क परिवहन का विकास

वर्ष	माल-सेवाएँ (मि० टन किलोमीटर)	यात्री सेवाएँ (मि० पैमेंजर किलोमीटर)
१९५० ५१	५,५००	२३,१३३
१९५१ ५६	८,९५०	३१,४७७
१९६० ६१	१७,३००	४८,०००
१९६५ ६६	३१,०००	८५,०००

#### केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम (Central Road Transport Corporation Ltd) —

इस निगम का संगठन सावजनिक क्षेत्र में किया गया है। इसका कार्य सड़क परिवहन द्वारा माल-सवाया का कार्य करना है। वर्तमान समय में निगम मुख्यतः उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में कार्यशील है। अप्रैल १९६९ में निगम के पास २८० ट्रक थे। यह निगम रेलवे के साथ सामन्वय रखते हुए गौदाटी तथा उनके जागे माल सेवाएँ प्रदान करता है।

सरदा समिति के सुझाव<sup>१</sup>—१९६५ में परिवहन विकास परिषद् की सिफारिश पर भारतीय मन्त्रा के लिए वित्त व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव देने के लिए ६ विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गयी। इस समिति की रिपोर्ट फरवरी १९६८ में प्रस्तुत की गयी। इसके मुख्य सुझाव अर्थात् निम्न हैं

<sup>१</sup> Economic Times Feb 12, 1968



- (१) भारतीय मडक परिवहन को प्राथमिक श्रेणी का व्यवसाय माना जाना चाहिए ।
- (२) सड़क परिवहन की नयी कम्पनियों को आयकर से 'विकास छूट' दी जानी चाहिए ।
- (३) सड़क परिवहन सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।
- (४) मडको का सुधार किया जाना चाहिए ।
- (५) सड़क परिवहन से सम्बन्धित क्षेत्रों में बहुमुखी करो में कमी की जानी चाहिए ।

सरकार इन मुद्दाओं पर विचार कर रही है । सम्भवतः चतुर्थ योजनाकाल में इनको कार्यान्वित किया जा सकेगा ।

**सड़क परिवहन को सम्भारें तथा कठिनाइयाँ**—भारत में सड़क परिवहन का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ तक मन्द गति से हुआ । गत कुछ वर्षों में इसके विकास में तीव्रता आयी है, परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण इसका विकास अपेक्षित सीमा तक नहीं हो पाया है । वे कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं

(१) अच्छी तथा पर्याप्त मडकों की कमी, (२) असंगठित स्थिति, (३) सरकार की डिल-डिल नीति, (४) करो की अत्यन्त ऊँची दर, (५) मोटरों का अधिक मूल्य तथा उच्च संचालन व्यय, और (६) राष्ट्रीयकरण—विभिन्न राज्यों में सरकारी सेवा प्रारम्भ की गयी है तथा राज्य सरकारों द्वारा मोटर यातायात का धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है । परन्तु अब भी सम्पूर्ण माल यातायात तथा ७०% यानी यातायात निजी क्षेत्र के अन्तर्गत है । माल सेवाओं का राष्ट्रीयकरण पंचम पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ होगा । राष्ट्रीयकरण के भय के कारण मोटर यातायात का विकास कम हो रहा है । फिर भी सस्तापन, सड़कों का सुधार, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विवाम, राष्ट्र रक्षा, भाड़े में एकरूपता तथा जन-शुविधा आदि की दृष्टि से सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण करना उचित है ।

### रेल-सड़क स्पर्धा तथा समन्वय

#### (Rail-Road Competition and Co-ordination)

प्रथम महायुद्ध तक भारत में रेलवे का विकास पर्याप्त सीमा तक हो चुका था । आन्तरिक यातायात के साधनों के रूप में रेलवे एक महत्वपूर्ण साधन था । इसके अतिरिक्त कोई ऐसा अन्य साधन नहीं था जो रेलवे के साथ स्पर्धा कर सके । परन्तु महायुद्ध के पश्चात् मोटर यातायात का विकास प्रारम्भ हुआ । अतः जनता के समक्ष आन्तरिक यातायात के दो साधन थे—रेल परिवहन और मोटर परिवहन । इस प्रकार इन दोनों साधनों में स्पर्धा प्रारम्भ हुई । यह स्पर्धा सन् १९३० तक बहुत बढ़ गयी तथा रेलवे को अधिक हानि होने लगी । इसका प्रभाव सड़क यातायात पर भी प्रतिकूल पड़ा क्योंकि रेलवे की घाटा होने के कारण केन्द्रीय सरकार सड़क विकास तथा मोटर यातायात की उपेक्षा करने लगी तथा सड़क विकास कार्य प्रांतीय विषय बना दिया गया ।

देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क तथा रेल यातायात दोनों का महत्त्व है । इनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । वस्तुतः रेल और सड़क एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक हैं । इस सम्बन्ध में कृषि आयोग के शब्द विचारणीय हैं—“सड़कें किमानों की जीनों की बाजारों और पास के स्टेशनों में समुक्त करती हैं । इसके विपरीत, रेलें उत्पादन-क्षेत्र और दूर के उपभोक्ताओं के बीच सम्बन्ध स्थापित करती हैं तथा नगर के उत्पादकों और हज़ारों कृत्रिम खाद और कपड़ा खरीदने वाले किमानों को मिलाती हैं । अच्छी और पर्याप्त मडकों के बिना कोई भी रेलवे, परिवहन के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठी नहीं कर सकती । इसके विपरीत, सबसे अच्छी सड़कें भी फसल का उत्पादन करने वालों को उपभोक्ताओं के सम्पर्क में नहीं ला सकती ।”

प्रतिस्पर्धा के कारण—यद्यपि सड़क तथा रेल यातायात के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं परन्तु सड़क यातायात की कुछ विशेषताओं के कारण उपभोक्ता सड़क यातायात का अधिक प्रयोग करते हैं। मोटर यातायात की कुछ विशेषताएँ हैं, जो रेल यातायात में नहीं पायी जाती, जैसे—(१) मोटर यातायात रेलवे की अपेक्षा सस्ता है। (२) इसके द्वारा माल को उपभोक्ता के स्थान तक सरलता से पहुँचाया जा सकता है। (३) मार्ग परिवर्तन की भी स्वतन्त्रता रहती है। (४) यात्रा में किसी भी स्थान पर माल को चढ़ाया व उतारा जा सकता है। (५) इसने लिए कम समय तथा कम पूँजी की आवश्यकता होती है। (६) माल व्यक्तिगत दायित्व पर भेजा जाता है, अतः नुकसान की सम्भावना कम रहती है। पहले मोटर यातायात पर नियन्त्रण भी नहीं था, कमचारियों के काम के घण्ट निर्दिष्ट नहीं थे और माल तथा सवारी ले जाने की कोई सीमा भी नहीं थी। अतः मोटर यातायात रेल यातायात की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक था। इन सभी कारणों से मोटर यातायात तथा रेल यातायात में प्रतिस्पर्धा बढ़ती गयी। १९३० के पश्चात् यह समस्या इतनी गम्भीर हो गयी कि सरकार को जाच कराने के लिए समितियाँ नियुक्त करनी पड़ी।

रेल-सड़क की प्रतिस्पर्धा को जाँच के लिए सन् १९३२ में सरकार ने मिचेल किर्बनेस समिति नियुक्त की। सर के० जी० मिचेल भारत सरकार के सड़क इंजीनियर और एच० एल० किर्बनेस रेलवे बोर्ड के विशेष अधिकारी इस समिति के सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट १९३३ में प्रस्तुत की। इस समिति के प्रमुख सुझाव निम्नांकित थे

(१) प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए मोटर यातायात पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाय तथा मोटरों के आने जाने के क्षेत्र निश्चित कर दिये जायें।

(२) रेलवे को सड़कों पर अपनी मोटरों चलाने का अधिकार दिया जाय।

(३) संयोजन के लिए प्रान्तों में केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद तथा कमिश्नरियों में विभागीय समितियाँ संगठित की जायें।

सन् १९३३ में शिमला में रेल सड़क सम्मेलन (Rail Road Conference) हुआ। इस सम्मेलन में रेल सड़क सम्बन्ध के लिए कुछ प्रस्ताव पास किये गये। इस सम्मेलन का यह मुद्दाव था कि सड़क यातायात को प्राथमिक क्षेत्रों में एक अधिकार प्रदान किया जाय तथा केन्द्र और प्रान्तों में सहायन के लिए विशेष विभाग स्थापित किये जायें।

सन् १९६३ में एक रेलवे एक्ट पास किया गया तथा सम्बन्धी प्रस्तावों का कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया गया। इस एक्ट के द्वारा भारतीय रेलों को समानांतर सड़कों पर अपनी मोटर चलाने का अधिकार दिया गया। सन् १९३५ में परिवहन मन्त्री की अध्यक्षता में एक परिवहन परामर्शदात्री समिति की स्थापना की गयी जिसका कार्य यातायात के सम्बन्ध में सर्वोच्च निकाय के समक्ष प्रस्ताव रखना था जो प्रान्तों द्वारा अपनायी जा सके। सन् १९३७-३८ में केन्द्रीय परिवहन विभाग स्थापित किया गया तथा परिवहन के सम्बन्ध में—रेल, सड़क, जल तथा वायु और डाक व तार विभाग इसके अधीन कर दिये गये। इस विभाग की स्थापना से सम्बन्ध का कार्य अत्यन्त सरल हो गया।

योजना समिति—यह समिति सन् १९३६ में रेलों की जाँच के लिए नियुक्त की गयी थी। समिति ने रेल मोटर स्पर्धा के प्रश्न पर भी विचार किया। इस समिति ने यह मत व्यक्त किया कि—(१) प्रान्तीय सरकारों द्वारा किया गया सड़क परिवहन का नियमन तथा नियन्त्रण अपर्याप्त था, (२) प्रान्तीय सरकारों की दोषपूर्ण नीति के कारण असंगठित तथा अकार्यक्षम मोटर परिवहन का प्रावधान मिला है। समिति ने सड़क तथा रेल दोनों के महत्त्व को स्वीकार किया तथा दोनों

को ही देश के विनाम के लिए आवश्यक बताया। समिति का मत था कि सड़क परिवहन का नियमन केवल रेलवे की सुरक्षा के लिए ही न किया जाय बल्कि उसका नियमन उसने विनाम की गति को सुदृढ़ बनाने के लिए भी आवश्यक था। अनुचित प्रतिस्पर्धा से रेलों को बचाने के लिए इस समिति ने मोटर परिवहन को नियन्त्रित करने का सुझाव दिया। प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे

(१) जनता की आवश्यकताओं के अनुसार मोटरों को लाइसेंस देना, (२) मोटरों द्वारा ले जाने वाले यात्रियों व माल की सीमा निर्धारित करना, (३) माल ढोने वाली मोटरों के लिए प्रादेशिक लाइसेंस प्रणाली को अपनाना, (४) टाइटम-टेबिल और क्रिगवे का निश्चित होना, (५) प्रान्तीय सरकारों की मोटर-रर नीति में एकरूपता लाना, (६) व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार की मोटरों पर एव-से नियम लागू करना, आदि।

इस समिति ने रेलवे को भी सड़क परिवहन में भाग देने का सुझाव रखा तथा रेलवे मंडल के बीच सम्भावित समन्वय पर जोर दिया। इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए मन् १९३६ में मोटरगाड़ी अधिनियम (Motor Vehicles Act) पास किया गया। इस एक्ट द्वारा मोटर यातायात को नियन्त्रित किया गया। इस एक्ट के दो प्रमुख उद्देश्य थे। प्रथम, मोटर यातायात का नियमन करना तथा द्वितीय, समन्वय स्थापित करना।

**मोटरगाड़ी अधिनियम की विशेषताएँ**

(१) प्रत्येक राज्य में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफीसर नियुक्त किए जायें जो अपने क्षेत्र में लाइसेंस जारी करेंगे। समन्वय के लिए सम्पूर्ण प्रान्त में एक प्रान्तीय परिवहन अधिकारी होगा।

(२) प्रत्येक मोटर के पास परमिट होना अनिवार्य है। परमिट पाने वाले को मोटर चलाने के पूर्व मोटरगाड़ी भी उपयुक्तता (fitness) का एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है। उसके अनिश्चित गति की सीमा को पार न करना, अधिक भीड़ न करना आदि शर्तों को भी मानना पड़ता है।

(३) मोटरों के ड्राइवरो के काम के घण्टे निश्चित किये गये। ड्राइवरो के लिए काम के ६ घण्टे प्रतिदिन तथा ५४ घण्टे प्रति मप्नाह निश्चित किये गये तथा पाँच घण्टे काम करने के पश्चात् आधा घण्टा विश्राम देना अनिवार्य कर दिया गया।

(४) प्रत्येक मोटरगाड़ी का तीसरे पक्ष के प्रति नुकसान के लिए बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया।

(५) परमिट देने समय परिवहन अधिकारी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं—  
हानिकारक प्रतिस्पर्धा की रोकना, मोटरों के लिए सड़क की उपयुक्तता, जनता की आवश्यकता और सुविधा। साधारणतया मोटरों का कम दूरी तथा शीघ्रता में नष्ट होने वाले पदार्थों को ले जाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है।

इस अधिनियम द्वारा मोटर यातायात पर सरकार का नियन्त्रण बड़ा हो गया। द्वितीय विश्वयुद्ध काल में यातायात के साधनों की माँग अधिक होने के कारण रेल तथा सड़क में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हुई। सन् १९४५ में मिडान्त व्यवहार संहिता (Code of Principles and Practices) लागू किया गया। इसके अनुसार मोटर व्यवसाय का क्षेत्र ७५ मील तक सीमित कर दिया गया। ७५ मील में अधिक दूरी तक मोटर द्वारा माल ले जाने की अनुमति उसी समय दी जाती थी जब रेलों माल ले जाने में असमर्थ हो।

सन् १९५० में मोटरवाहन कर जाँच समिति नियुक्त की गयी। अन्य प्रश्नों के साथ समिति ने रेल-मंडल समन्वय के प्रश्न पर भी विचार किया। समिति ने यह मत व्यक्त किया कि मोटर परिवहन पर जन तन कर-भार अधिक है तब तक रेल-मंडल प्रतिस्पर्धा की कोई सम्भावना नहीं

है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को निजी भी साधन का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। सन् १९५३ में परिवहन आयोजन अध्ययन दल (Study Group on Transport Planning) की नियुक्ति की गयी। इस अध्ययन दल ने बताया कि एक ओर रेलवे की क्षमता देश की माँग के लिए अपर्याप्त है, दूसरी ओर ३०% से ४०% तक सड़क-मार्ग क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है, अतः समिति ने सुझाव दिया कि यातायात के विभिन्न साधनों में समन्वय की आवश्यकता है।

सन् १९५८ में सड़क परिवहन की जाँच के लिए ममानी समिति की नियुक्ति की गयी। इस समिति ने भी यह विचार व्यक्त किया कि यातायात के ऐसे साधन को सहायता देना जो कार्यक्षम नहीं है, राष्ट्र हित के विरुद्ध है। उपभोक्ता को यातायात के किमी भी साधन का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस समिति ने सड़क परिवहन प्रणालय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिया। इन सुझावों के अनुसार अन्तर-राज्य मार्गों पर सड़क परिवहन सेवाओं के विकास, समन्वय एवं नियमन के लिए भारत सरकार द्वारा अन्तरराज्य परिवहन आयोग (Inter-State Transport Commission) की स्थापना की गयी।

परिवहन नीति और समन्वय समिति (Committee on Transport Policy and Co-ordination)—इस समिति की नियुक्ति के ० मी० नियोगी की अध्यक्षता में जुलाई १९५६ में की गयी। समिति ने अन्तिम रिपोर्ट अक्टूबर १९६१ में प्रस्तुत की। श्री नियोगी के त्यागपत्र दे देने के कारण श्री तार्लोकि सिंह की अध्यक्षता में इस समिति ने कार्य किया तथा फरवरी १९६६ में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। समिति ने भारत में परिवहन सम्बन्धी समस्त समस्याओं पर विचार किया तथा परिवहन के समस्त साधनों के समन्वित विकास पर जोर दिया। समिति के विचार तथा सुझाव निम्नलिखित थे

(i) परिवहन विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनायी जानी चाहिए। इस नीति का उद्देश्य देश की परिवहन सम्बन्धी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा परिवहन साधनों के उचित महत्त्व को स्वीकार करना होना चाहिए।

(ii) परिवहन समन्वय की दृष्टि में विभिन्न परिवहन साधनों के बीच ट्रैफिक का उचित बंटवारा ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ऐसे मापदण्ड निर्धारित किये जाने चाहिए जिनसे यह बंटवारा उचित रूप से किया जा सके, साथ ही साथ विभिन्न परिवहन साधनों के स्वरूप (structure) तथा उनके संगठन (organisation) पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे उन साधनों की कार्यक्षमता ऊँची हो सके तथा उनका समुचित उपयोग हो सके।

(iii) यदि परिवहन प्रणाली को हम एक मानते हैं तो समन्वय का उद्देश्य विभिन्न परिवहन साधनों का एक-दूसरे के पूरक के रूप में ऐसे अनुपात में विकास करना होना चाहिए जिससे समाज की कुल आवश्यकताओं की न्यूनतम लागत पर प्रत्येक अवस्था में पूर्ति हो सके तथा अर्थ-व्यवस्था को न्यूनतम व्यय सह्य करना पड़े।

(iv) उपयुक्त प्रकार में समन्वय के लिए एक 'परिवहन समन्वय परिषद्' (Council for Transport Co-ordination) संगठित की जानी चाहिए जिसका प्रमुख कार्य विभिन्न परिवहन साधनों में समन्वय स्थापित करना होना चाहिए।

(v) परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य की पूर्ति, पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत परिवहन पर किये जाने वाले विनियोजन को विभिन्न परिवहन साधनों के बीच उचित रूप में वितरण द्वारा की जा सकती है।

(vi) उचित समन्वय के लिए एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो परिवहन साधनों के

विषय में स्वतन्त्र रूप में अध्ययन करता रहे तथा तुलनात्मक लागत, आवश्यकता जादि के सम्बन्ध में आवश्यक समक (Data) प्रस्तुत करता रहे ।

(viii) परिवहन की दीर्घकालीन समस्याओं के अध्ययन के उद्देश्य में तथा परिवहन सम्बन्धी शोधकार्य एवं प्रशिक्षण के लिए "परिवहन शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र" (Transport Research and Training Centre) स्थापित किया जाना चाहिए ।

(ix) विभिन्न परिवहन साधना के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना, मर्मन आदि के मसूह एवं विश्लेषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें माँग में परिवर्तन, परिवहन-लागत आदि का नियमित ध्यान रखा जा सके ।

(xi) समिति ने सुझाव दिया है कि (क) सड़क परिवहन के नियमन सम्बन्धी कायप्रणाली एवं नियमों को मजबूत बनाना चाहिए तथा उनमें एकरूपता लानी चाहिए । (ख) मोटरों पर कर की मात्रा का नियमन सम्पूर्ण दश में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए । (ग) कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए तथा ग्रामीण परिवहन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क परिवहन का और अधिक विकास किया जाना चाहिए । (घ) सड़क परिवहन का विकास एक सुमनसिद्ध उद्योग के रूप में होना चाहिए । समिति ने मोटर परिवहन के क्षेत्र में डोट-डोटे चालकों (operators) के सध बनाने पर भी जोर दिया है, जिसमें लागत में कमी की जा सके ।

समिति का सुझाव प्रशंसनीय है । सरकार ने इन सुझावों को भिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाते समय इनका ध्यान रखा गया है ।

वस्तुतः भारत में परिवहन सम्बन्ध की समस्या की जड़ सड़क परिवहन है । भारत में, सड़क परिवहन की अपेक्षाकृत उपक्षा की गयी है । इस तथ्य का अनुमान हम केवल इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में कुल टोय जान वाल माल का केवल २२ प्रतिशत ही मोटरों द्वारा टोया जाता है जबकि समुक्त राज्य अमरीका में यह प्रतिशत ६२, इटली में ७२ तथा दगलैण्ड में ५६ है ।

दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि भारत में प्रति मोटर गाडी पर औसत धायिन कर ३,७०० रुपये है जबकि यह कर इगलैण्ड में १,३०० रुपये, पश्चिमी जर्मनी में १,२०० रुपये, फ्रान्स में ८०० रुपये तथा अमरीका में केवल ५०० रुपये है<sup>१</sup> । मोटर परिवहन का विकास करने के लिए इस कर में कमी करना बहुत आवश्यक है । मोटरों पर लगाये जाने वाले करा की समस्या के अध्ययन के लिए श्री केमकर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी है ।

सड़क परिवहन और रेल परिवहन—रेलों के भूतपूर्व कमिश्नर एफ० गी० बचनार के अनुसार सड़कों रेनों की तुलना में अनेक दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण है । उनके विचार उद्धृत करना सर्वथा सुक्तिमगत होगा

(१) अधिक सेवा—एक सड़क रेल लाइन में तिगुनी ट्रेकिंग के लिए उपयुक्त होती है । ऐसा धर्माप है कि एक लाइन पर एक समय में एक ही गाडी गुजर सकती है जबकि सड़क पर निरन्तर मोटरें चलती रहती हैं, उन्हें न तो कहीं रकना पटना है, न दूसरी मोटर के गुजर जाने की प्रतीक्षा करनी पडती है ।

(२) व्यय—अनुमान लगाया गया है कि एक वडिया दो पटरी वाली सड़क बनाने में ३५ लाख रुपये प्रति मील खर्च आता है, जबकि चौटे गेज की एक मील लम्बी लाइन डालने पर १० लाख रुपये व्यय होता है ।

<sup>१</sup> *Economic Times* . Dec 22, 1967

श्री बघवार का अनुमान पूर्णतः गही नहीं है क्योंकि वास्तव में रेल मार्ग भट्टक भाग में छ गुना अधिक महंगा है, क्योंकि न केवल रेल मार्ग बनाने में निगुना खर्च आता है, बल्कि सड़को पर उमी समय में रेलों से दुगुना माल ढोया जा सकता है।

(३) गति एवं लाभ—रेलो की औमन दैनिक गति केवल ५० मील है जबकि सड़को (मोटरो) की गति इससे ३ से ६ गुनी है। इसका तात्पर्य यह है कि सड़क मार्गों पर लगायी गयी पूँजी पर रलां म लगायी गयी पूँजी से अधिक एक तीव्र गति में लाभ प्राप्त होता है। हिन्दुस्तान लीवर ने यह अनुमान लगाया है कि अपनी बुझ बिक्री का आधा भाग सड़क मार्ग में भेजने पर उनकी बुल आय म २५ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है।

एक अन्य अनुमान के अनुसार रेल व्यवसाय म पूँजी पर पाँच प्रतिशत प्राप्ति होती है जबकि सड़को (मोटरो) पर लगायी गयी पूँजी पर लाभ की मात्रा १६ प्रतिशत है।

(४) रोजगार—यह अनुमान लगाया गया है कि समान मात्रा म मामान ढोने पर माटर व्यवसाय में रेलों की तुलना में सात गुना रोजगार मिल सकता है।

(५) संचालन व्यय—जहाँ तक मोटर व्यवसाय पर संचालन व्यय का प्रश्न है, रेल तथा सड़क, दोनों व्यवसायों का संचालन व्यय समान ही होता है किन्तु माटर की हालत अच्छी होनी चाहिए।

उपर्युक्त सभी गुणों का ध्यान रखते हुए एक भारत के आर्थिक साधनों को दृष्टिगत रतान हुए, सड़क परिवहन का अधिक विकास करना भारत की आर्थिक उन्नति के लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। भारत जैसे विस्तृत देश में सब जगह रेल सुविधा दी भी नहीं जा सकती, अतः सड़को के विस्तार द्वारा ही देश में परिवहन की सुविधाओं का पर्याप्त विकास किया जा सकता है।

### अभ्यास-प्रश्न

- १ हमारे परिवहन के साधन ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता कहाँ तक पूर्ण करते हैं? उनके विकास के उपाय बताइए।  
(इलाहाबाद, बी० ए० (पूरक), १९६१)
- २ हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सड़कों के महत्त्व को समझाइए।  
(आगरा, बी० कॉम, १९६२)
- ३ भारत में सड़क यातायात का क्या महत्त्व है? गत वर्षों में राज्यों द्वारा सम्पन्न मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण से प्राप्त लाभों का विवेचन कीजिए।  
(आगरा, बी० ए० (प्रथम वर्ष), १९६३)
- ४ भारत में सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के लाभ और हानियों को समझाकर लिखिए।  
(बिन्नम, बी० ए०, १९६३)
- ५ भारत में सड़क यातायात के महत्त्व एवं विकास पर प्रकाश डालिए। देश में माटर यातायात के राष्ट्रीयकरण के लाभ बतलाइए।  
(राजस्थान, बी० ए० (प्रथम वर्ष), १९६४)
- ६ भारत में रेल-सड़क समन्वय की आवश्यकता और महत्त्व का परीक्षण कीजिए।  
(बिन्नम, बी० ए०, १९६०)
- ७ "सड़क यातायात अधिक लोकप्रिय हो रहा है जिससे रेलों की आमदनी कम होती जा रही है।" इस कथन की व्याख्या करते हुए रेल-सड़क यातायात के समन्वय के लिए अपन सुझाव दीजिए।  
(आगरा, बी० ए०, १९६०)

- ८ भारत में सड़क यातायात के महत्त्व का वर्णन कीजिए। देश में रेल-मंडल यातायात की समस्याओं का विवेचन कीजिए। (बिहार, बी० ए०, १९६१)
- ९ यातायात सामंजस्य में क्या अभिप्राय है। यह भारत में कहाँ तक स्थापित हो पाया है? (आगरा, बी० ए०, १९६२)
- १० "भारत में केवल यातायात सेवाओं की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि उनमें यथोचित समन्वय की भी आवश्यकता है।" विवेचना कीजिए। (पटना, बी० ए०, १९६२)
- ११ भारत में यातायात साधनों के सामंजस्य के मुख्य तत्त्वों का विवेचन कीजिए। (नागपुर, बी० कॉम० (द्वितीय वर्ष), १९६४)
- १२ भारत जैसे एक विकसित देश के लिए 'सड़क परिवहन' के महत्त्व पर प्रकाश डालिए। योजनाओं के अन्तर्गत सड़क परिवहन के विकास की समीक्षा कीजिए। (राजस्थान, बी० कॉम०, (अन्तिम वर्ष), १९६८)
- १३ "भारतीय यातायात की मुख्य समस्या विकास नहीं समन्वय है।" समझाइए। (इलाहाबाद, बी० कॉम० (प्रथम वर्ष), १९६५)

*'A country st lkh suprua a pnonq th vast containt of the old world with a coast-line of over 4 000 miles and with a productiveness of numerous articles of great use, unsurpassed elsewhere, is by nature meant to be a sea-faring country* —S N HAJI

भारतीय जनपोत विश्वप्रसिद्ध—प्राचीनकाल में भारत का समुद्री यातायात तथा जहाज-निर्माण उद्योग उत्पत्ति के शिखर पर था। डॉ० रामानुजमुद मुमर्जी के शब्दों में, "प्राचीन भारतीय सम्पत्ता समार के बोने-बोने में इसलिए पहुँच सकी कि भारत के पास विशाल समुद्री शक्ति थी। हमारे शक्तिशाली जल-जहाजों उद्योग के कारण ही समार के लोग हमारे धर्म एवं सभ्यता से प्रभावित हुए।" इस उद्योग की नींव इनकी भजवृत्त थी कि सोलहवीं शताब्दी में भी भारत में निर्मित जहाजों का प्रयोग इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों में किया जाता था। अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक भारत जहाज-निर्माण उद्योग के क्षेत्र में समार का अग्रणी रहा। परन्तु उन्तीसवीं शताब्दी के मध्य से इस प्रसिद्ध भारतीय उद्योग का पतन प्रारम्भ हुआ तथा यह पतन इस सीमा तक हुआ कि वर्तमान समय में भारत की कुल जहाजों शक्ति मसलन विश्व की जहाजों शक्ति का केवल २% मात्र है।

भारतीय जहाजों व्यवसाय का पतन—भारतीय जहाजरानी की अवतति का प्रमुख कारण विदेशी स्पर्धा एवं ब्रिटिश सरकार की अन्त्यायपूर्ण नीति थी। महात्मा गांधी के शब्दों में, "भारतीय जहाजरानी को समाप्त होना पडा, ताकि ब्रिटिश जहाजरानी उत्पत्ति कर सके।"<sup>1</sup> अंग्रेजी जहाजों कम्पनियों की विद्वेषपूर्ण नीति को ब्रिटिश सरकार ने प्रोत्साहन दिया। उन कम्पनियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ दी गयीं। भारतीय उद्योगों को नष्ट करना ब्रिटेन की नीति का मुख्य आधार था तथा भारतीय जहाजों उद्योग इस नीति का शिकार हुआ। ब्रिटेन ने Navigation Laws पास किये थे जिनकी व्यवस्था के अनुसार एशिया, जर्मनी तथा अमरीका का कोई भी सामान केवल ब्रिटिश जहाजों द्वारा ही ब्रिटेन ले जाया जा सकता था। इन अधिनियमों द्वारा भारतीय जहाजों का मार्ग इंग्लैण्ड में अवरुद्ध हो गया। अंग्रेजी कम्पनियाँ भारतीय जहाजों कम्पनियों के साथ अनुचित स्पर्धा करती थी। उनका सबसे बड़ा शस्त्र, भाडा युद्ध (rate

<sup>1</sup>"Indian shipping had to die so that British shipping may prosper"



war) था। इस स्पर्धा के कारण अंग्रेजी कम्पनियों ने भाड़े की दरें इतनी घटा दी कि भारतीय कम्पनियों का टिकना असम्भव हो गया।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त बन्दरगाहों के अधिकारी भारतीय कम्पनियों को परेशान किया करते थे तथा अंग्रेजी कम्पनियों को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करते थे। अंग्रेजी कम्पनियों द्वारा ग्राहक को कई प्रकार के प्रलोभन दिये जाते थे। इन प्रलोभनों में कटौती प्रथा (Deferred Rebate System) प्रमुख थी। इनके अनुसार जो भारतीय व्यापारी वर्ष भर अपना माल केवल अंग्रेजी कम्पनियों द्वारा ही भेजते थे उन्हें भाड़े में १५ प्रतिशत तक छूट दी जाती थी। अंग्रेजी बैंक तथा बीमा कम्पनियाँ भी भारतीय जहाजों के साथ उचित व्यवहार नहीं करने थे। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की नीति, अंग्रेजी कम्पनियों द्वारा अनुचित स्पर्धा तथा अन्याय कारणों से भारतीय जहाजरानी को अपार क्षति हुई।

**भारत में आधुनिक जहाजरानी का प्रारम्भ**—भारत में आधुनिक जहाजरानी का वास्तविक प्रारम्भ सन् १९१९ में हुआ जबकि बालचन्द्र हीराचन्द्र के प्रयत्नों में सिन्धिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी की स्थापना की गयी। परन्तु इस कम्पनी की स्थापना के पहले भी कुछ प्रयत्न किये गये थे। उदाहरणार्थ, सन् १८६३ में टाटा ने चीन और जापान से मूत का व्यापार करने के लिए जहाजों की स्थापना की थी। इसी प्रकार सन् १९०६ में चिदाम्बरम् पिल्लई ने तूतीकोरन में स्वदेशी शिपिंग कम्पनी की स्थापना श्रीलंका में व्यापार करने के लिए की थी। पिल्लई के विद्रोह का आरोप लगाकर वाने पानी की मजा दी गयी तथा यह कम्पनी समाप्त हो गयी। टाटा कम्पनी भी कठिन स्पर्धा का सामना न कर सकी।

भारतीय जहाजरानी के इतिहास में सिन्धिया कम्पनी का नाम उल्लेखनीय है। प्रारम्भिक दिनों में इस कम्पनी की स्पर्धा के कारण अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। १९२२ में एक अंग्रेजी कम्पनी ने इसे खरीदने का प्रस्ताव रखा परन्तु सिन्धिया कम्पनी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सन् १९२४ में बाध्य होकर अंग्रेजी कम्पनी ने सिन्धिया कम्पनी के साथ एक समझौता किया।

**तटीय व्यापार के सुरक्षा सम्बन्धी प्रयत्न**—प्रथम महायुद्ध के पश्चात् भारत में राष्ट्रीय भावनाएँ जोर पकड़ने लगीं। भारतीय जनता ने भारतीय जहाजों के विकास की माँग की। धारासभा में कई बार इन सम्बन्ध में बिल पास कराने के अफसस प्रयत्न किये गये। इस असफलता सरका प्रमुख कारण विदेशीकरण की उदासीनता थी। बढ़ते हुए विरोध के कारण सन् १९२३ में सरकार ने हैल्डराम की अध्यक्षता में भारतीय व्यापारिक जहाजों के वेडा समिति (Indian Mercantile Marine Committee) नियुक्त की। इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं

(१) भारत का समुद्रतटीय व्यापार भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित किया जाय तथा इसका लाइसेंस केवल भारतीय जहाजों को ही दिया जाय।

(२) सरकार किसी एक ब्रिटिश मार्ग को खरीदकर उसे किसी मान्यताप्राप्त भारतीय कम्पनी को सौंप दे।

(३) भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण जहाज (Training Ship) की व्यवस्था की जाय।

**सरकार की उदासीनता**—इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तटीय व्यापार की सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दों को भेदभाव की नीति कहा गया। दो वर्ष पश्चात् प्रशिक्षण सम्बन्धी मुद्दों को स्वीकार किया गया तथा सन् १९२७ में ट्रेनिंग-शिप डफ्रिन की व्यवस्था की गयी जिससे भारतीयों को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया गया। परन्तु इस कार्य में अधिक फणतता नहीं मिली क्योंकि अंग्रेजी कम्पनियाँ भारतीय कर्मचारियों की सेवाएँ समाप्त करने के

विण तैयार नहीं थी। सरकार द्वारा भी अंग्रेजी कम्पनियों को ही प्रोत्साहन दिया जाता रहा। इस प्रकार भारतीय जनता की भाँति सरकार की नीति में परिवर्तन लाने में असफल रही।

भारतीयों द्वारा प्रयत्न—सन् १९२८ में एम० एन० हाजी ने विधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय व्यापार को भारतीय जहाजों के लिए सुगम बनाने के लिए एक बिल पेश किया। ब्रिटेन समर्थकों तथा राष्ट्रीय नौजाओं के बीच गरमागरम बहस हुई। फनस्वम्प इस बिल पर कोई वायंवाही नहीं की जा सकी। सन् १९३० में साईं इंग्लिन ने एक विधिय कन्फ्रेंस जायगति की परन्तु अंग्रेजी कम्पनियों की उदासीनता के कारण इसका कोई फल नहीं निकला। सन् १९३५ के विधान में यह स्पष्ट घोषणा की गयी कि विदेशी हितों के विरोध में तटीय व्यापार के क्षेत्र में भेदभाव की नीति नहीं अपनायी जायेगी।

सन् १९३७ में सर अन्दुन गजन्तबी ने जहाजों क्षेत्र में अनुचित प्रतिभोगिता की समाप्ति के लिए बिल प्रस्तुत किया। सरकार ने प्रतिभोगिता रोकने के कार्य को कठिन बताया परन्तु इस बात का आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय विधिय का विवमन किया जायेगा। फलतः भारतीय विधिय के विकास के लिए एक विभाग खोला गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध तथा युद्धोत्तरकाल—द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व भारत में कई छोटी-छोटी जहाजी कम्पनियाँ बनायी गयी थीं। ब्रिटिश इण्डिया कम्पनी ने इन कम्पनियों को भाड़ा-मुद्र द्वारा समाप्त करना चाहा परन्तु इन कम्पनियों को सिन्धिया कम्पनी द्वारा सहायता मिलती रही, अतः वे नष्ट हान में बच गयीं। सन् १९३७ में भाड़ा-मुद्र का मापता पत्र निर्णय के लिए सर जोसेफ भोर (भारत के तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री) को मीस गया। सर भोर ने यह निर्णय दिया कि भारतीय कम्पनियों भारत के परिवर्तनी तट पर व्यापार चालू रख सकती हैं। इस प्रकार भारतीय कम्पनियों को तटीय व्यापार का एक सीमित भाग प्राप्त हो गया किन्तु सिन्धिया कम्पनी विदेशी व्यापार में भाग लेने में बचिन करदी गयी।

इस प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध के समय तक भारतीय कम्पनियाँ केवल तटीय व्यापार में भाग ले रही थीं। युद्धकाल में भारतीय कम्पनियों के बहुत से जहाज सरकार द्वारा ले लिये गये। युद्धकाल में भारतीय जहाजी कम्पनियों ने सरकार को बहुत सहायता प्रदान की। सन् १९४१-४२ में केवल सिन्धिया कम्पनी द्वारा ही बर्मा में ६४,००० यानी भारत लाये गये। युद्ध के समय भारतीय जहाजरानी के महत्त्व को स्वीकार किया गया तथा जहाज-निर्माण उद्योग की स्थापना करना आवश्यक समझा गया। जब सन् १९४१ में सरकार ने सिन्धिया कम्पनी को विनाशोपलब्ध में जहाजों का निर्माण करने के लिए एक शिपयार्ड बनाने को प्रोत्साहित किया।

युद्धोत्तर पुनरुत्थान उपसमिति—द्वितीय विश्वयुद्ध ने सरकार को आगे खींच दी तथा अब यह स्वीकार किया जाने लगा कि भारतीय जहाजी क्षेत्र का विकास करना आवश्यक है। अब जहाजी परिवहन की समस्या पर विचार करने के लिए सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण नीति उपसमिति नियुक्त की गयी। इस समिति ने सन् १९४६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में इस समिति ने सरकारी नीति की कठु आलोचना की। जहाजों परिवहन के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए इस समिति ने यह मत व्यक्त किया कि “भारतीय जहाजरानी का इतिहास वचन-भंग, पूर्ण न किये जाने वाले आश्वासन एवं अवसरों की अपेक्षा की दुःख कहानी है।” जहाजी यातायात के विकास के लिए इस समिति के मुख्य सुझाव व्यक्तित्वित थे -

1 “History of Indian Shipping is a tragic tale of broken promises, unredeemed assurances and neglected opportunities”

(१) भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए २० लाख टन क्षमता के जहाजों की आवश्यकता है। आगामी ५-७ वर्षों में इस लक्ष्य की पूर्ति की जानी चाहिए।

(२) भारतीय जहाजरानी की परिभाषा में परिवर्तन किया जाए तथा केवल उसी जहाजी कम्पनी को भारतीय माना जाय जिस पर भारतीयों का स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रभुत्व हो।

(३) विदेशी एवं तटीय व्यापार में भारतीय कम्पनियों का भाग सुरक्षित किया जाय। यह सुरक्षित भाग नदीय यातायात का १००%, पहाड़ी देशों का यातायात का ७५%, दूर-दूर देशों के यातायात का ५०% तथा जर्मनी आदि मनु राष्ट्रीयों के साथ हुए व्यापार का २०% होना चाहिए।

(४) आइसो के सशुद्ध एवं प्रकाशन सम्बन्धी दोष को दूर किया जाय।

(५) भारतीय जहाजी कम्पनियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

(६) इन गुणावों को कार्यान्वित करने के लिए व्यापारिक जहाजी कम्पनियों के प्रतिनिधियों तथा सरकार द्वारा एक Shipping Board गठित किया जाना चाहिए, जिसे लायसेंस देने, आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में सुझाव देना तथा एकाधिकार जनित दोषों को दूर करने का अधिकार होना चाहिए।

(७) पोर्ट ट्रस्ट का प्रबन्ध वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाना चाहिए।

सरकारी कार्यवाही—भारत सरकार ने इन गुणावों को स्वीकार कर दिया। नवम्बर १९४७ में सी० एच० भाभा की अध्यक्षता में भारतीय जहाज मालिकों का एक सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में जहाजरानी की मूल समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि सरकार इन समस्याओं के समाधान के लक्ष्य में पूर्ण सहयोग तथा आर्थिक सहायता देगी। इस सम्मेलन में यह भी निर्णय किया गया कि तीन जहाजी निगम (Shipping Corporations) स्थापित किए जायें, जिनमें से प्रत्येक की पूंजी १० करोड़ रुपये हो। पूंजी में सरकार, निर्यात कम्पनी तथा जनता का भाग क्रमशः ५१, २६ और २३% होगा। इन निगमों के परिचालन क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित करने का मुझाव दिया गया। निगमों का उद्देश्य इन क्षमता एवं जहाजी परिवहन में वृद्धि करना होगा।

जहाज निगमों की स्थापना—धनाभाव तथा अन्य परिस्थितियों के कारण केवल दो जहाजी निगम स्थापित किये जा सके। सर्वप्रथम मार्च १९५० में पूर्वी जहाजी निगम (Eastern Shipping Corporation) स्थापित किया गया तथा मद्रास कम्पनी इस निगम की प्रभुत्व अतिरिक्त नियुक्त की गयी। इसकी चुकना पूंजी २ करोड़ रुपये थी। बाद में यह पूंजी बढ़ाकर ५५ करोड़ रुपये कर दी गयी। १५ अगस्त, १९५६ को सरकार ने इस निगम का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। दूसरा निगम पश्चिमी जहाजी निगम (Western Shipping Corporation) जून १९५६ में स्थापित किया गया। अक्टूबर १९६१ में इस देशी निगमों को मिलाकर भारतीय जहाजी निगम (Shipping Corporation of India) की स्थापना की गयी।

भारतीय जहाजी निगम—१९७० तक इस निगम के पास ७१ जहाज थे, जिनका भार लगभग ७ लाख टन था। अनुसंधान-विकास में निगम ७० जहाज खरीदेगा, जिनमें से १२ जहाज हिन्दुस्तान शिपवार्डों में खरीदे जायेंगे। तदनुसार निगम न हिन्दुस्तान शिपवार्डों को १२ जहाजों का आर्डर दिया है। इसके अनिश्चित मात्र दोन वाले ४ जहाज पोर्टलैंड में तथा कोयंबा दोन वाले तीन पोत दूरी-दूरिया में प्राप्त किये जा रहे हैं। जापान का हिगाची शिपवार्ड इस निगम के लिए एक तेजवाहन टैंकर भी बना रहा है।

मुगल लाइन (कम्पनी) जो जहाजी निगम के अधीन है के जहाज भारत में हज यात्रियों को बम्बई से जहा तक लाते ले जाते हैं। इस कम्पनी का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी भार क्षमता ४२,५०० टन है। सन् १९६५-६६ से जहाजी निगम ने 'जयन्ती शिपिंग कम्पनी' का प्रवन्ध भी अपने हाथों में ले लिया है। इस कम्पनी के पास १८ जहाज हैं जिनकी क्षमता ३०७ लाख टन है। ५ वर्ष के पश्चात् इस प्रश्न पर पुन विचार किया जायेगा।

जहाजी निगम के अतिरिक्त ३० अन्य जहाजी कम्पनियाँ हैं जिनमें सिंधिया, जयन्ती, इण्डियन स्टीमशिप ग्रेट ईस्टर्न, रत्नाकर तथा चौगूले प्रमुख हैं। भारतीय जहाजी कम्पनियाँ कुल मिलाकर लगभग १३ लाख टन माल वार्षिक ढोती हैं।

प्रवन्ध व्यवस्था—उपर्युक्त विवरण में स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सरकार जहाजरानी के विकास के लिए सदैव तत्पर है। सन १९४७ में शिपिंग एक्ट पास किया गया जिसके द्वारा जहाजों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत बम्बई में डाइरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग की स्थापना की गयी है जो जल नीति को कार्यान्वित करता है। इसके अतिरिक्त कई समितियाँ बनायी गयी हैं जो जल यातायात के क्षेत्र में कार्य करती हैं। अगस्त १९५८ में Merchant Shipping Act पास किया गया। इस एक्ट द्वारा भारतीय जहाजी कम्पनी की परिभाषा में परिवर्तन किया गया जिसके अनुसार किसी कम्पनी के जलयानों को भारतीय होने के लिए यह आवश्यक है कि कम्पनी की कम से कम ७५% अंश पूंजी भारतीयों की होनी चाहिए तथा कम से कम तीन-चौथाई सचानक तथा चेयरमैन भारतीय होने चाहिए। इसके अतिरिक्त निजी जहाज पूर्ण रूप से भारतीयों का होना चाहिए। प्रवन्ध अभिन्नता भी भारतीय होना चाहिए तथा कम्पनी का मुख्य व्यापारिक स्थान भारत में होना चाहिए।

इस प्रकार जल यातायात को हर सम्भव महायत्ना एवं प्रोत्साहन दिया गया है। फिर भी देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसकी दशा सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। वर्तमान समय में कुल विदेशी व्यापार का केवल १५% भाग ही भारतीय जहाजों द्वारा किया जाता है जो ५०% के लक्ष्य से बहुत दूर है। तटीय व्यापार के क्षेत्र में जलयानों की उत्पत्ति सन्तोषप्रद है। सन् १९५० से ही तटीय व्यापार भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में हम लक्ष्य से अभी बहुत दूर हैं।

### योजनाओं में सामुद्रिक यातायात का विकास

प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य—प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भारत में कुल ३,६०,७०७ G R T के जहाज थे। इनमें से आधे में अधिक जहाज २० साल में अधिक पुराने थे, अतः जहाजी शक्ति को बढ़ाने के माध्यम ही माध्य पुराने जहाजों को बदलना भी आवश्यक था। भारतीय कम्पनियों के पास विकास के लिए कोई रक्षित कोष नहीं था। प्रथम योजनाकाल में जहाजी टनेज बढ़ाकर ६ लाख G R T करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जहाजी कम्पनियों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए १२ करोड़ रुपये सहायता देने की व्यवस्था थी। इसके अनिश्चित भारत के प्रमुख बन्दरगाहों—बलकृता, बम्बई मद्रास, विशाखापत्तनम और कोचीन—की माल उठाने की क्षमता २ करोड़ टन तक बढ़ाने के लिए १२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। इनके अतिरिक्त बन्दरगाहों के लिए निजी अव्यवस्थाओं को अपने साधनों से १५५ करोड़ रुपये व्यय करने थे। कराँची बन्दरगाह के पाकिस्तान में चले जाने के कारण भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बन्दरगाह बनाने की भी समस्या थी, अतः ताड़ना बन्दरगाह के बिनाम के लिए १२०५

करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में तेल के नये क्षेत्र पाये गये अतः तेल कारखानों की बन्दरगाहों की सुविधा प्राप्त कराने के लिए ८ करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी।

योजना आयोग ने सरकार व ममक्ष यह सुझाव रखा था कि सरकार जहाज उद्योग के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करे तथा 'दि हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम' को योजना का एक अंग माना जाय। इसके अतिरिक्त आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि सरकार को जहाजी क्षेत्र में प्रतिभोगिता ममानि तथा भाडे की उचित दरें निर्धारित करने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। सरकार ने इन सभी सुझावों को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया था। टन क्षमता वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना में २६३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी।

प्रगति—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में कुल जहाजी टन क्षमता बढ़कर ४८० लाख G R T हो गयी। योजना के अन्तिम चरण में १२० लाख टन के जहाज तैयार हो रहे थे जो मन् १९५७ तक प्राप्त होने थे। इस प्रकार ६ लाख टन के लक्ष्य की पूर्ति कुछ समय पश्चात् हो जानी थी। टन क्षमता वृद्धि के लिए २६३ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी परन्तु योजनाकाल में केवल १८ करोड़ रुपये व्यय किये जा सके। शेष धन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय किया गया। प्रथम योजनाकाल में भारतीय कम्पनियों को २३७२ करोड़ रुपये ऋण के रूप में मुविधानक शर्तों पर दिये गये। इस योजना में काठला बन्दरगाह का निर्माण पूर्ण हो गया। इस प्रकार बन्दरगाहों की माल उठाने की क्षमता २६ करोड़ टन हो गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय जहाजी बेड़े के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया कि योजना के अन्त तक तटीय व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेंगी तथा विदेशी व्यापार का अधिक से अधिक भाग भारतीय जहाजों के नियन्त्रण में लाने का प्रयत्न होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में पड़ोसी देशों के साथ किये जाने वाले व्यापार का ४०% तथा अन्य विदेशी व्यापार का ६% भाग भारतीय जहाजों द्वारा किया जाता था। योजना के अन्तर्गत यह भाग बढ़ाकर नमशः १२ से १५% और ५० कर देने का लक्ष्य रखा गया। हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम में विकास की भी व्यवस्था की गयी। इसकी क्षमता बढ़ाकर ४ जहाज प्रति वर्ष बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त जहाज-निर्माण के लिए एक और केन्द्र पर प्रारम्भिक कार्य शुरू करना था।

जहाजी शक्ति के लिए योजना में ३७ करोड़ रुपये का आयोजन किया गया। इनके अतिरिक्त बन्बक्ता, बम्बई, मद्रास, विशाखापत्तनम तथा कोचीन बन्दरगाहों की माल उठाने की क्षमता में ३०% की वृद्धि करने के लिए ४० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। अन्य बन्दरगाहों के विकास के लिए ५ करोड़ रुपये का आयोजन किया गया।

जहाजी टनेज के मन्दर्भ में एक लाख G. R T का लक्ष्य निर्धारित हुआ। यह प्रस्ताव रखा गया कि योजनाकाल में ६०,००० G R T जहाज जो पुराने हो जायेंगे उनके स्थान पर नये जहाज लिए जायेंगे तथा ३,०१,००० G R T. के अतिरिक्त जहाज लिए जायेंगे।

प्रगति—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यो की पूर्ति हो गयी। वस्तुतः योजना के प्रथम वर्ष ही ३७ करोड़ रुपये व्यय किये गये जो योजना की पूरी अवधि में व्यय किये जाने थे। अप्रतिष्ठित सारणी से प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में जहाजी टनेज वृद्धि का अनुमान होता है

प्रथम एवं द्वितीय योजनाकाल में जहाजी टनेज

(लाख जी० आर० टो०)

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
तटीय	२१७	२४०	२६२
समुद्रपारिय	१७४	२४०	६१३
योग	३९१	४८०	८७५

आडर दिये गये जहाजों को सम्मिलित कर योजना के अन्त में ६०५ लाख G R T के जहाज होने का अनुमान था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में भारत का शान्तिविक जहाजी टनेज ८०५७ लाख G R T या जो योजना के लक्ष्य के बहुत निकट था। योजना काल में जहाजी सेवा (Shipping Programme) पर कुल व्यय ५२७ करोड़ रुपये किये गये। द्वितीय योजनाकाल में स्वकीय वित्त-व्यवस्था के आधार (self financing basis) पर जहाज निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया। जहाजी क्षेत्र में इस प्रकार नये करने की नीति का अन्त नाया जाया एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। इस अनुसार जहाजों का मुख्य जहाजों में प्राप्त लाभ में से निरन्तर में बुनाया जायेगा।

द्वितीय योजनाकाल में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य भी किये गये जिनका जहाजरानी क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्त्रात है। उन कार्यो का सविष्ट विवरण निम्नलिखित है

(१) शेरानन शिपिंग बोर्ड—सन् १९५८ के सर्वोष्ठ शिपिंग एक्ट के अन्तर्गत इस बोर्ड का संगठन १ मार्च, १९५६ को किया गया। यह बोर्ड सरकार को शिपिंग के सम्बन्ध में सलाह देता है। इसकी स्थापना के पश्चात् बोर्ड ने ए० रामस्वामी मुदानियर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसे तृतीय योजनाकाल में जहाजरानी के विकास के लिए सुझाव देना था।

(२) जहाजी विकास कोष—जहाज निर्माण एवं जहाजी यातायात को उत्तम के लिए सरकार ने १९५७-५८ में इस कोष का प्रारम्भ एक करोड़ रुपये में किया। यह धन भारत की सचिव निधि में से दिया गया। इस कोष में से जहाजी कम्पनियों को जहाज खरीदने के लिए ऋण दिये जाते हैं।

(३) सर्वोष्ठ नौसेना ट्रेनिंग बोर्ड—इस बोर्ड की स्थापना अगस्त १९५६ में सरकार की प्रशिक्षण के विषय में सलाह देने के लिए तथा ट्रेनिंग योजनाओं की देखरेख करने के लिए की गयी। भारत में प्रशिक्षण के लिए सन् १९२७ में ट्रेनिंगशिप डेफरिन्स की स्थापना की गयी थी। वर्तमान समय में इसके अतिरिक्त ६ प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—तृतीय पंचवर्षीय योजना में जहाजरानी के लिए ५५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इसके अतिरिक्त जहाजी विकास कोष से ४ करोड़ रुपये तथा जहाजी कम्पनियों के निजी साधनों द्वारा ७ करोड़ रुपये प्राप्त करने से इस योजनाकाल में जहाजरानी विकास के लिए कुल ६६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इस आयोजना धनगति का लगभग आधा भाग मार्चवर्षीय ढोत्र में तथा शेष निजी क्षेत्र में व्यय किया जाता था।

नेशनल रिपिंग बांड ने मुनाब दिया था कि याजनाकाल में जहाजी टनेज बढ़कर १४० लाख G R T हो जाना चाहिए। परन्तु मायनों की कमी तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयाँ के कारण योजना जायोंग ने यह लक्ष्य स्वीकार नहीं किया।

अनुमान लगाया गया था कि योजना के जन्म तक प्रमुख बन्दरगाहों की क्षमता ४६ करोड़ टन हो जायेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े बन्दरगाहों का विस्तार करना था। याजनाकाल में बन्दरगाहों के विकास पर ११५ करोड़ रुपये व्यय किये जाते थे जिनमें से ६० करोड़ रुपये बड़े बन्दरगाहों पर, १० करोड़ रुपये मगलौर और तूनीकारा के नये बन्दरगाहों के विकास पर तथा २५ करोड़ रुपये फरक्का बाँध पर व्यय करने थे। योजनाकाल में प्रकाश-सन्तम्भों एवं प्रकाश जहाजों के विकास के लिए ६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी।

प्रगति—द्वितीय याजना के जन्म में जहाजगती का कुल टनेज ८,१७,००० G R T था, जिनमें तटीय व्यापार के लिए ७६०,००० G R T तथा विदेशी व्यापार के लिए ५,६५,००० G R T सम्मिलित था। तृतीय योजनाकाल में लक्ष्य ३,३५,००० टन के जहाज खरीदे थे। इसमें से पुनर्स्थापना के लिए खरीद जाते हैं जहाजों को यदि विक्रय दिया जाय तो योजनाकाल में टनेज में अनिश्चित वृद्धि लगभग १,८१,००० G R T (तटीय ३२,५०० + समुद्रपारीय १,४८,५००) करनी थी।

मार्च १९६२ में भारतीय जहाजरानों के लक्ष्य में वृद्धि कर दी गयी और यह निर्णय किया गया कि तृतीय योजना के जन्म तक ११ लाख टन के म्यान पर १३ लाख टन जहाजी क्षमता प्राप्त करने की चेष्टा की जायेगी। मन्तों की बात है कि ३० नवम्बर, १९६४ को ही यह लक्ष्य पूरा किया जा चुका था क्योंकि उच्च निधि को भारतीय जहाजी कम्पनियों के पास १३८७ लाख G R T के जहाज थे। तृतीय योजनाकाल में जहाजरानी पर ६१ करोड़ रुपये व्यय किया गया।

	जी० आर० टी०	जहाजों की संख्या
१ तृतीय याजना के प्रारम्भ में	८,१७,०००	—
२ ३० नवम्बर, १९६४	१३,८७,०००	२१६
३ मार्च १९६६	१५,४०,६६६	—
४ जनवरी १९६६	२०,८४,४८०	२५०

वर्तमान व्यवस्था—१९७० में भारत का पास कुल २५८ जहाज थे जिनकी क्षमता लगभग २३ लाख टन थी। वर्तमान समय में भारतीय जहाजों की टनेज विश्व की कुल जहाजी टनेज की एक प्रतिशत है। भांग का विदेशी व्यापार कुल विश्व व्यापार का ८ प्रतिशत है। आवश्यकता की तुलना में भारत का जहाजी टनेज बहुत कम है। मई १९६६-७० में भारत के विदेशी व्यापार का १८% भाग भारतीय जहाजों द्वारा बोया गया (मई १९६२-६३ में यह भाग ८% था)। वर्तमान समय में भांग में कुल ३० भारतीय जहाजी कम्पनियाँ कार्य कर रही हैं। भारतीय जहाजों में कुल ३०,००० भारतीय काम करने हैं।

तटीय जहाजी बल के सुसाव—राष्ट्रीय जहाजी मण्डल ने तटीय परिवहन सम्बन्धी सुसाव देने के लिए तीन व्यक्तियों का एक दल नियुक्त किया था जिनमें जून १९६८ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इन दल ने मुनाब निम्नलिखित हैं।

(१) तटीय परिवहन सम्बन्धी पुगने जहाजों को बढ़ाने के लिए ७० करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(२) यह राशि १९६८-६९ में आरम्भ होकर १२ वर्षों में खर्च की जानी चाहिए।

(३) २३ नये जहाजों के लिए तत्काल ऑर्डर दे दिये जाने चाहिए।

(४) जहाजी भाड़े का निर्धारण करने के लिए एक समिति का निर्माण किया जाना चाहिए जो समय-समय पर भाड़े की दरा की समीक्षा कर उचित परिवर्तन सम्बन्धी सुझाव दे सके।

(५) तटीय जहाजी व्यवसाय की प्रगति के लिए बन्दरगाहों की क्षमता में वृद्धि तथा सुधार किया जाना चाहिए।

सरकार चतुर्थ योजना में इन सुझावों पर ध्यान दे सकेगी, ऐसी आशा है।

समस्याएँ—वर्तमान समय में भारतीय जहाजरानी के समक्ष निम्नलिखित समस्याएँ हैं

(१) जहाजी क्षमता का अभाव—भारत में जहाजी क्षमता का अभाव है। भारत का विदेशी व्यापार कुल विश्व व्यापार का लगभग १ प्रतिशत है, और भारत की जहाजी क्षमता भी विश्व क्षमता का केवल एक प्रतिशत है। अतः जहाजी टनज बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि विदेशी व्यापार से लाभ बढ़ाया जा सके।

समाप्त के विभिन्न दशा की जहाजी शक्ति का अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से होता है

विश्व की जहाजी शक्ति

देश	लात टनों में	कुल का प्रतिशत
१ लाटविया	२५७	१३.२५
२ ग्रेट ब्रिटेन	२१६	११.२६
३ संयुक्त राज्य अमरीका	१६७	१०.१३
४ नार्वे	१६७	१०.१३
५ जापान	१६६	१०.०६
६ ग्रीस	७४	३.८२
७ इटली	६६	३.४१
८ पश्चिमी जर्मनी	६५	३.३६
९ फ्रान्स	५८	२.६६
१० नीदरलैंड्स	५३	२.७१
११ भारत	२०	१.००
अन्य देश	५३६	२७.८२
योग	१६४१	१००.००

(२) विदेशी जहाजों से स्पर्धा—भारत में विदेशी जहाजों की क्रियाशीलता बढ़ गयी है।

सन् १९५३-५४ में भारत के आयात व्यापार में ब्रिटेन, अमरीका तथा जापान के जहाजों का क्रमशः ५१.७४, ७.७१ तथा ५.४८% भाग था। भारत के निर्यात व्यापार में इन देशों का प्रतिशत क्रमशः ४६.३२, ६.२२ तथा ८.६६% था। उस वर्ष भारतीय जहाज हमारे आयात व निर्यात व्यापार का क्रमशः ४.०२ तथा ४.८३% ले जाते थे। गत कुछ वर्षों में इन देशों के अतिरिक्त जर्मनी तथा इटली भी इस क्षेत्र में आ गये हैं। भारतीय जहाजों को विदेशी जहाजों से प्रतिस्पर्धा करने पड़ती है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत के तटीय व्यापार का शत प्रतिशत तथा विदेशी व्यापार का कम से कम ५.०% भाग भारतीय जहाजों द्वारा किया जाना चाहिए। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है।



(३) राष्ट्रीयकरण—वर्तमान समय में भारत में जहाजरानी के क्षेत्र में सार्वजनिक (सरकारी) तथा निजी दोनों प्रकार के जहाज हैं। सरकार कभी-कभी निजी कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की बात करती है। इसमें अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है तथा निजी कम्पनियाँ अपना विकास करने में हिचक रही हैं। इसके सम्बन्ध में सरकार को अपनी दीर्घकालीन नीति घोषित करनी चाहिए।

(४) तटगायपोतो (Tankers) तथा यात्रीपोतो (Passenger Ships) का अभाव—वर्तमान समय में विश्व में जितने जहाज हैं उनमें ५६० तटगायपोत हैं। भारत को प्रति वर्ष लगभग १५ लाख टन तेल समुद्री मार्ग से मँगाना पड़ता है (कुल तेल ५० लाख टन मँगाना पड़ता है)। भारत के पास केवल ४ तटगायपोत हैं। इन्हीं प्रकार यात्रीपोतो का भी अभाव है। भारत में प्रशीतनपोतो (Refrigerator Ships) का भी अभाव है। इन सब दिशाओं में प्रयत्न किये जाने चाहिए।

(५) रेल से प्रतियोगिता—तटीय सामुद्रिक मार्गों द्वारा सीमेण्ट, तिलहन, कपड़ा, गेहूँ, चावल आदि भेजने में रेलवे की अपेक्षा कम व्यय पड़ता है परन्तु रेलवे कम दर पर इन वस्तुओं को एक स्थान में दूसरे स्थान पर ले जाती है। रेलवे को इस कार्य में घाटा भी पड़ता है। जहाजी कम्पनियों से व्यय की प्रतिस्पर्धा होती है। इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की आवश्यकता है। जून १९५५ में एक समिति Rail-Sea Co-ordination Committee नियुक्त की गयी थी। इस समिति ने यह सुझाव दिया था कि रेल-भाड़े लागत व्यय के अनुसार निश्चित किये जायें, परन्तु रेलों की प्रतियोगिता अब भी जारी है। इस समस्या को हल करने की आवश्यकता है।

(६) जहाजों की ऊँची लागत—गत वर्षों में जहाजों की लागत व्यय में बहुत वृद्धि हुई है। ब्रिटेन में नये जहाजों का मूल्य सन् १९४५ की अपेक्षा १६% अधिक है। भारत में जहाजों के मूल्य ब्रिटेन से भी २०% अधिक हैं। विश्व में जहाजों की माँग अधिक है, अतः उनका मूल्य तीव्र गति से बढ़ता रहता है। इससे हमारी योजना के अनुमान गलत सिद्ध होने हैं। भारत सरकार द्वारा जहाज-निर्माण कार्य में अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।

### जहाज-निर्माण उद्योग का भारत में विकास

भारत में वर्तमान समय में जहाज-निर्माण के लिए केवल एक शिपयार्ड है, जिसमें प्रथम जहाज-निर्माण मार्च १९४८ में प्रारम्भ किया गया। यह शिपयार्ड विशाखापत्तनम में मिन्धिया कम्पनी द्वारा सन् १९४० में प्रारम्भ किया गया था। मार्च १९५२ में भारत सरकार ने इसे खरीद लिया तथा इसकी प्रबन्ध व्यवस्था के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की गयी जिसके सभी अंश (shares) सरकार के पास हैं। वर्तमान समय में यह यार्ड प्रतिवर्ष ४ जहाज निर्माण कर सकता है। यार्ड ने १९६६-६७ में अपनी जहाज-निर्माण क्षमता ६ जहाज तक बढ़ाती है। ३१ दिसम्बर, १९७० तक यह यार्ड कुल ५६ जहाजों का निर्माण कर चुका है।

दूसरा शिपयार्ड जापान की एक कम्पनी की सहायता से कोचीन में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी प्रारम्भिक वार्षिक उत्पादन क्षमता ६०,००० G R T वार्षिक होगी तथा इसे बढ़ाकर ८०,००० G R T वार्षिक किया जा सकेगा।

देश की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत में जहाज-निर्माण क्षमता बहुत कम है, अतः जहाज निर्माण उद्योग का विकास करना आवश्यक है। इन समस्याओं के अनिश्चित भारतीय शिपिंग के समझ विदेशी विनिमय, बन्दरगाहों में भीड़ होना तथा उनका आधुनिक न होना, धर्म सम्बन्धी समस्याएँ और संचालन व्यय में वृद्धि की भी समस्याएँ हैं, जिनका हल निकालना

अत्यावश्यक है। सरकार इन समस्याओं के प्रति जागरूक है, अतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय जहाजरानी का भविष्य उज्ज्वल है।

### बन्दरगाहों का विकास

सन् १९४१-४२ में भारत में प्रमुख बन्दरगाह केवल ५ थे—बम्बई, कलकत्ता, बोचीन, मद्रास तथा विशाखापत्तनम्। प्रथम योजनाकाल में गुजरात में काँडला बन्दरगाह का निर्माण एक प्रमुख बन्दरगाह के रूप में किया गया। द्वितीय योजनाकाल में कोचीन, मद्रास तथा विशाखापत्तनम् बन्दरगाहों की क्षमता (Berthing Capacity) बढ़ायी गयी। तृतीय योजनाकाल में पारादीप बन्दरगाह का निर्माण किया गया, मद्रास, विशाखापत्तनम् तथा काँडला का विकास किया गया। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाकाल में बन्दरगाहों के विकास तथा निर्माण पर कुल १६५ करोड़ रुपये व्यय किया गया। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय योजनाओं के प्रारम्भ में भारत के प्रमुख बन्दरगाहों की क्षमता (Traffic Handling Capacity) क्रमशः २०, २८ तथा ३८ मिलियन टन थी। तृतीय योजना के अन्त में इनकी क्षमता (१९६५-६६) ७० मिलियन टन हो गयी। १९६८-६९ में यह १६ मिलियन टन थी।

वर्तमान समय में भारत में प्रमुख बन्दरगाह हैं—कलकत्ता, पारादीप, विशाखापत्तनम्, मद्रास (पूर्वी तट पर), काँडला, बम्बई, गारमुगाँव तथा बोचीन (पश्चिमी तट पर)। इनके अतिरिक्त तूतीकोरन, मंगलूर तथा हदिया बन्दरगाहों का विकास किया जा रहा है। सन् १९६८-६९ में भारत के प्रमुख बन्दरगाहों द्वारा लगभग १५ करोड़ टन माल उठाया गया।

### आन्तरिक जल परिवहन (Inland Water Transport)

जल परिवहन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बहुत सस्ता पड़ता है। जत कोयला, तेल, इस्पात, तथा अन्य भारी मयान ढोने के लिए रेलों के स्थान पर नदियों या बड़ी नहरों को परिवहन के काम में लिया जाना चाहिए।

जेम्स रेनेन ने अपनी पुस्तक, ए ग्रेट थ्रॉट इण्डिया, में जमुना, सतलज तथा सिंध नदियों में दूर-दूर तक जहाज चलाने का चिकित्सा किया है। रेलों के अनुसार कलकत्ता से दूर बिहार तक जहाज आने से और १८४२ में स्थापित होने वाली इण्डिया जनरल नेवीगेशन कम्पनी इस मार्ग से व्यापार करती थी। उसी अतिरिक्त सिंध नदी में जटकर तक (लगभग १,००० मील), चिताव नदी में बजीरावाद तक (८०० मील) और मातल नदी में लुधियाना तक (८०० मील) जहाज चलते थे। वर्तमान में यह नदियाँ जहाजरानी के उपयुक्त नहीं रह गयी हैं। अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग २५,००० मील की दूरी में जल-परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है और इसकी लगभग एक-तिहाई दूरी में बड़े जहाज तथा शेष में नाले चलायी जा सकती हैं।

भारत सरकार के अनुमान के अनुसार आन्तरिक जलमार्गों की लम्बाई ५,००० मील है जिसमें गंगा-ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी-कृष्णा, तथा उनसे निकली हुई नहरें, केरल राज्य की नहरें, आन्ध्र और मद्रास राज्य की बकिचम नहर तथा पश्चिमी तटीय नहरें और उड़ीसा राज्य में महानदी में निकली हुई नहरें उल्लेखनीय हैं। गंगा-ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों में जल परिवहन का विनाम करने के लिए १९५२ में गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन मण्डल (Ganga Brahmaputra Water Transport Board) स्थापित किया गया। सन् १९६७ में आन्तरिक जल परिवहन निदेशालय की स्थापना की गयी।

वर्तमान स्थिति—जनवरी १९३० में कुल १३,१०० किलोमीटर दूरी में नदियां में जहाज चलाया जा सकता था और ३,८०० मीटर तक छोटी नावें अनेक क्षेत्रों में नदियां तथा नहरों में माल विहाय निरानक उर्रे जहाजगती के योग्य बनाया जा सकता है।

तृतीय योजना—तृतीय पंचवर्षीय योजना में आन्तर्गिक जल परिवहन का विकास करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ३/३ करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारों द्वारा १६८ करोड़ रुपये की व्ययस्था की गयी थी। योजना के अन्तर्गत पाटन तथा जामोरी (आसाम) में नदी बन्दरगाहों का विस्तार किया गया तथा जमुना नदी, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी आदि नदियां और सिन्धु नदी, गन्धक नदी, उड़ीसा की नदी बकिचम नदी भारतीय विमान नदी, तथा गांधिदासाय जीव (हिमाचल प्रदेश) आदि में परिवहन सुविधाओं का विकास करने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने आन्तर्गिक जल परिवहन का विकास करने के लिए उड़ीसा राज्य को ५८ लाख रुपये का ऋण दिया। आन्तर्गिक जल परिवहन का प्रावधान देने के लिए भारत सरकार ने रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी (River Steam Navigation Company), जो जमुना नदी में बंगाल और आसाम के बीच परिवहन सेवा प्रदान करती है, में लगू पूंजी मगदत का निश्चय किया है। कर्तव्यता में आन्तर्गिक जल परिवहन सम्पत्तियों प्रविष्टि देने का एक केंद्र भी स्थापित किया गया है, जिसका मन्तव्य भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

तृतीय योजनाकाल में आन्तर्गिक जल परिवहन के विकास पर सांख्यिक व्यय ०/१ करोड़ रुपये मात्र हुआ। इसमें आन्तर्गिक जल परिवहन की उपलब्धि का अनुमान लगाया जा सकता है।

भविष्य—तृतीय योजनाकाल में ३० लाख रुपये की लागत में पाटन में नदी बन्दरगाह (Riverport) का निर्माण किया गया। परवर्ती मनु १९६३ में The Central Inland Water Transport Corporation Limited की स्थापना ४ करोड़ रुपये की अविष्टित पूंजी के साथ की गयी। इस निगम का प्रमुख कार्य (i) अनेक नदी परिवहन की व्ययस्था करना, (ii) कर्तव्यता क्षेत्र में गोदावरी की व्ययस्था करना, तथा (iii) राजस्थान टारगट ३ बर्षों का प्रयत्न करना है।

उत्पन्न विचारों में स्पष्ट है कि भारत में आन्तर्गिक जल परिवहन की सुविधाओं का विकास करने के लिए सन्तुष्टपूर्ण प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस सम्प्रत्य में रिवर स्टीम नेविगेशन कम्पनी की भांति अन्य कम्पनियों का संगठन करना उचित होगा। इन कम्पनियों में राज्य तथा केन्द्र सरकारों को पूंजी मगदत करनी है तथा ऋण सहायता कर सकती है। इस प्रकार यदि आन्तर्गिक जल परिवहन का विकास किया जा सके तो न केवल जल परिवहन पर भार कम हो जायेगा बल्कि शीघ्रता से विकास के लिए दूर दूर स्थानों की सन्तुष्टता मान तथा वापस आदि भेजा जा सकेगा जिससे देश के विच्छेद हुए भागों को उत्पन्न होने का अवसर मिल सकेगा।

चतुर्थ योजना में आन्तर्गिक जल परिवहन पर ५ करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव किया गया है।

#### अभ्यास-प्रश्न

- १ भारत के आन्तर्गिक जल परिवहन पर टिप्पणियाँ लिखिए। (त्रिपुरा, बी० ए०, १९६०)
- २ भारत में बन्दरगाहों की स्थिति पर टिप्पणियाँ लिखिए। (आगरा, बी० ए०, १९६०)
- ३ गत दश वर्षों में भारतीय जहाजगती के विकास का वर्णन कीजिए। (आगरा बी० ए०, १९६०)
- ४ भारत में मुडोत्तरदायक जल परिवहन के विकास पर एक निरूपण लिखिए। (राजस्थान, बी० ए०, १९६०, १९६०)

*"We have to shed the bullock-cart mentality to justify our citizenship in the age of sputniks"*

—NEHRU

भारत में प्रयोगात्मक उड़ानें सन् १९११ में प्रारम्भ की गयी परन्तु वायु परिवहन का वास्तविक प्रारम्भ सन् १९२७ में हुआ जबकि नागरिक उड्डयन विभाग (Civil Aviation Department) की स्थापना की गयी। सन् १९११ में बम्बई के गवर्नर ने बम्बई व कराँची के बीच वायु यातायात प्रारम्भ किया। उसी वर्ष वायुयान द्वारा प्रथम बार इलाहाबाद से नैनी जगन्नाथ तक डाक भेजी गयी। प्रथम महायुद्ध के बाद ही वायु परिवहन का विकास प्रारम्भ किया जा सका। सन् १९२६ में वायु परिवहन बोर्ड संगठित किया गया जिसने वायु परिवहन के विकास के सुझाव दिये। इसी बोर्ड के सुझाव पर सन् १९२७ में नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना की गयी, हवाई अड्डे बनाये गये तथा फ्लाइट क्लब संगठित किये गये। सन् १९२९ में ब्रिटेन, फ्रांस व हालैण्ड द्वारा Empire Air Services का प्रारम्भ भारत में भी किया गया। उसी वर्ष इम्पीरियल एयरवेज के जहाज दिल्ली तक चलने लगे। सन् १९३३ में यह वायु-सेवा सिंगापुर तक बढ़ा दी गयी।

भारतीय साहस—सन् १९३२ में वायु परिवहन के क्षेत्र में पहली बार भारतीय मातृक का पदार्पण हुआ। टाटा एष्टेट्स लिमिटेड ने टाटा एयरवेज कम्पनी की स्थापना की तथा १५ अक्टूबर, १९३२ में कराँची-मद्रास के बीच वायु सेवा प्रारम्भ की गयी। सन् १९३६ तक दस कम्पनी के जहाज कोलम्बो तक जाने लगे। भारत सरकार ने डाक ले जाने का कार्य भी इस कम्पनी को सौंपा, जिसमें इस कम्पनी की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। सन् १९३३ में इण्डियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड की स्थापना की गयी। इस कम्पनी को भी डाक ले जाने का कार्य दिया गया। इसके वायुयान कराँची-लाहौर तक चलाये गये। सन् १९३३ में भारत ने इंग्लैण्ड तथा ब्रिटिश एयरवेज के साथ व्यापक समझौता किया। फलस्वरूप एक नयी कम्पनी 'इण्डियन ट्रांसकांटी-नेंटल एयरवेज लिमिटेड' की स्थापना की गयी। सन् १९३७ में 'एयर सर्विसेज ऑफ इण्डिया' स्थापित हुई तथा इसके वायुयान बम्बई काठियावाड़ मार्ग पर चलाये गये। इस कम्पनी को अधिक हानि होने के कारण इसे १९३९ में बन्द कर दिया गया।

साम्राज्य हवाई डाक योजना (Empire Air Mail Scheme)—सन् १९३८ में यह योजना प्रारम्भ की गयी। इसके द्वारा साम्राज्य के सभी देशों में वायुयान द्वारा डाक पहुँचाने का निश्चय किया गया। इन योजना के अन्तर्गत टाटा एयरवेज लिमिटेड तथा इण्डियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड के साथ ११ वर्ष के लिए समझौता किया गया। टाटा एयरवेज ने ११ लाख रुपये वार्षिक पर कर्तबो-बन्वर्ट मार्ग पर उड़ानें चलायीं तथा इण्डियन एयरवेज लिमिटेड ने नाहौर-कर्तबो मार्ग पर ३० लाख रुपये वार्षिक पर उड़ानें चलायीं स्वीकार किया। इस समझौते में इन कम्पनियों को पर्याप्त लाभ हुआ। द्वितीय महायुद्ध के समय साम्राज्य वायु सेवा बन्द कर दी गयी परन्तु युद्ध के समय इन कम्पनियों ने सहाय्य कार्य किया। कम्पनियों को वार्षिक देश में चुनाव हुआ। सन् १९४० में इन दोनों कम्पनियों को युद्ध परिवहन विभाग में शामिल कर दिया गया। युद्धकाल में विभिन्न मार्गों पर वायुसेवा प्रारम्भ की गयी। हवाई जहाजों के बनावट, जहाज खरीदे गये तथा वायुयान चलाने की शिक्षा का विकास किया गया। सन् १९४४ में १९३८ की जर्जेया यात्रियों की संख्या तथा टारिफें गये मात्र की मात्रा में प्रयोग = गुनी तथा = गुनी बढ़ी हुई। इस प्रकार विकास के इन पृथक चरणों में वायु यातायात में तीव्र गति में उन्नति की।

द्वितीय चरण (१९४४-१९४३)—युद्ध समाप्त होने पर वायु यातायात के विकास में सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए डाक एवं उड्डयन पुनर्निर्माण उप-समिति नियुक्त की गयी। इस समिति ने वायु यातायात के विकास के लिए कुछ सुझाव दिये। सरकार को नीति इन्हीं सुझावों पर प्रभावित थी। ये सुझाव निम्नलिखित थे

- (१) वायु यातायात का कार्य निजी कम्पनियों द्वारा किया जाना चाहिए।
- (२) कम्पनियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (३) प्रत्येक कम्पनी के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होना चाहिए।
- (४) हानि-न्याय का पूरा दायित्व कम्पनियों पर होना चाहिए।
- (५) आवश्यकता पड़ने पर विदेशी परिस्थितियों में सरकार द्वारा कम्पनियों को वार्षिक सहायता दी जानी चाहिए।
- (६) विदेशी अर्थव्यवस्था में सरकार कम्पनियों के संचालन में भाग ले सकती है। इसके लिए सरकार कम्पनी के प्रबन्ध-मण्डल में अपना एक संचालक नियुक्त कर सकती है।

सन् १९४६ में वायु परिवहन लाइसेंसिंग बोर्ड (Air Transport Licensing Board) बनाया गया जो लाइसेंस देने का कार्य करता था। सुडान-वायु में वायु परिवहन सम्बन्धी कम्पनियों को सन् १९४७ में वृद्धि हुई, जिनमें १९४७ में नार्वे एयरवेज, एयरवेज इण्डिया तथा टकन एयरवेज की स्थापना हुई। सन् १९४६ में अखिल भारतीय एयरलाइन्स तथा १९४७ में बर्मा एयरलाइन्स की भी स्थापना हुई। स्वतन्त्रता के पश्चात् ओरियण्ट एयरवेज पाकिस्तान में चला गया। सरकारों की संस्था तथा कामगारों को रक्षा हेतु अधिक वायुयानों की आवश्यकता हुई। इन प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् वायुसेवा की माँग में वृद्धि हुई।

सन् १९४८ में इलाहाबाद में वायुयान चालकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया। सन् १९४९ में सरकार ने रात्रि वायु डाक योजना प्रारम्भ की। सन् १९४८ में ही टाटा ने एयर इण्डिया इन्टरनेशनल नाम की कम्पनी गठित की जिसमें सरकार ने ४९% पूंजी दी तथा अपनी अगली पूंजी को बढ़ाकर ५१% तक करने का अधिकार रखा। सरकार ने प्रथम पाँच वर्षों में होने वाली हानि को भी स्वयं के रूप में पूरा करने का बचन दिया। इस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय वायुयानों पर प्रथम बार भारतीय कम्पनी के जहाज चलाये गये।

सरकार द्वारा वायुयान कम्पनियों को बराबर प्रोत्साहन दिया जाता रहा। फिर भी कम्पनियों की अवस्था ठीक नहीं थी। अतः फरवरी १९५० में वायु परिवहन जांच समिति (Air Transport Enquiry Committee) की नियुक्ति की गयी जिसने अपनी रिपोर्ट मितम्बर १९५० में प्रस्तुत की। इस समिति ने वायुयान कम्पनियों की आर्थिक स्थिति का पूर्णरूप से अध्ययन किया। इस समिति के निष्कर्ष तथा मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे

(१) प्रायः सभी कम्पनियाँ घाटे पर चल रही थीं। केवल एयरवेज इण्डिया की परिस्थिति ठीक थी। कम्पनियों के घाटे पर चलने के कई कारण थे जिनमें कम्पनियों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा, कर्मचारियों का अविश्वसनीय वेतन, पेट्रोल का उँचा मूल्य, बोर्ड द्वारा लाइसेंस देने में विलम्ब तथा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम्पनियों द्वारा अविश्वसनीयता में वायुयान तथा सामग्री खरीदना था। उपर्युक्त दोषों को दूर करने के लिए यह आवश्यक था कि कम्पनियों की संख्या में कमी की जानी चाहिए। उस समय २१ कम्पनियाँ कार्य कर रही थीं। समिति के सुझाव के अनुसार देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन कम्पनियों के स्थान पर केवल ४ कम्पनियाँ ही होनी चाहिए थीं जिनके मुख्य कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा हैदराबाद में स्थापित हों।

(२) जिन कम्पनियों की लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाय उनसे लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करना चाहिए।

(३) कम्पनियों के भाड़े इस प्रकार निर्धारित किये जायें कि कम्पनियों को अपनी पूंजीगत स्थायी सम्पत्ति का १० प्रतिशत लाभ प्राप्त हो। नागरिक उड्डयन विभाग के महानसचालक द्वारा भाड़े की न्यूनतम दरें निर्धारित की जानी चाहिए।

(४) कम्पनियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने की नीति जारी रखनी चाहिए। यह आर्थिक सहायता दिसम्बर १९५२ तक दी जानी चाहिए।

(५) लाइसेंस वाहकों का पुनर्गठन होना चाहिए।

(६) वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करना व्यावहारिक दृष्टि में न्यायसंगत नहीं है। यदि पुनर्गठन योजना के पश्चात् भी कम्पनियाँ पाँच वर्ष तक घाटे पर चलती हैं तो इनका राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए। यदि राष्ट्रीयकरण किया जाय तो प्रबन्ध व्यवस्था एक वैधानिक नियम द्वारा की जानी चाहिए।

वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण—उपर्युक्त रिपोर्ट के पश्चात् भी कम्पनियों की आर्थिक स्थिति खराब होती गयी अतः सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया तथा उपर्युक्त रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। मई १९५३ में Air Corporation Act पास किया गया जिसके द्वारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के कार्य को सम्पन्न करने के लिए दो निगम स्थापित किये गये

(१) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन (Indian Airlines Corporation)—इस कारपोरेशन की स्थापना ८ वायुयान कम्पनियों को मिलाकर की गयी। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। इस निगम के वायुयान देश के आन्तरिक वायुमार्गों तथा पड़ोसी देशों में चलाये जाते हैं।

(२) एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन (Air India International Corporation)—इस निगम को देश के बाह्य मार्गों पर वायुयान चलाने का अधिकार दिया गया। इसके वायुयान प्रायः विश्व के सम्पूर्ण मुख्य वायुमार्गों पर चलाये जाते हैं। अब इसका नाम केवल 'Air India' है।

जिस समय वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय वह एक विवादग्रस्त विषय था। राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में किसी न किसी रूप में सन् १९४७ से ही विचार चल रहा था परन्तु इसे कार्य रूप नहीं दिया जा सका। योजना आयोग ने भी सन् १९५१-५२ में आर्थिक सहायता के प्रश्न पर सच बक्त किया था कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। राष्ट्रीयकरण के पक्ष एवं विपक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत किये गये

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क

(१) कम्पनियों की संख्या अत्यधिक है। कार्य-केन्द्रों, साज सज्जा तथा कर्मचारियों का समुचित उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

(२) सुरक्षा और राष्ट्रीय मकद के समय वायुमार्गों द्वारा महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्राप्त होती हैं। अतः इन सेवाओं के लिए एक राजकीय संगठन होना आवश्यक है।

(३) वायु परिवहन एक जनहित उद्योग (Public Utility) की स्थिति में पहुँच गया है, अतः इसका राष्ट्रीयकरण करना सर्वथा उपयुक्त होगा।

(४) राष्ट्रीयकरण होने पर देश में वायुयान-निर्माण उद्योग अधिक उत्थान कर सकेगा। राष्ट्रीयकरण करने से निर्माण तथा प्रशासन एक होने में स्थायी व्यय में ८३ प्रतिशत की बचत होगी। अतः प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिए भी राष्ट्रीयकरण आवश्यक है।

(५) यह उद्योग मईव सरकारी सहायता पर चलता रहा है। अतः व्यक्तिगत पूँजीपतियों को आर्थिक सहायता देने की प्रथा राष्ट्रीयकरण करना अधिक उपयुक्त होगा।

(६) वायु परिवहन में अन्तरराष्ट्रीय कानून तथा प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है, अतः इसकी उचित व्यवस्था तथा नियन्त्रण राज्य द्वारा ही किया जा सकता है।

(७) वायु परिवहन के लिए हवाई अड्डे बनाना, परिवहन सम्बन्धी सुविधाएँ देना आदि कार्यक्रम पर सरकार द्वारा काफी धन व्यय किया जाता है अतः वायु सेवाओं का संचालन सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए।

विपक्ष में तर्क

(१) राष्ट्रीयकरण करने पर सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा जिसमें सरकार के आर्थिक दायित्व में वृद्धि होगी।

(२) वायु परिवहन व्यवसाय में प्रतिस्पर्द्धा अधिक है। नित्य नये आविष्कारों तथा विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना तथा ग्राहकों में निरुद्ध मम्पर्क स्थापित करना और व्यावसायिक नीतियों के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेना आवश्यक है। सरकार द्वारा इन सब पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया जा सकता।

(३) वायु परिवहन जैसे विविध उद्योग के लिए सरकार के पास योग्य कर्मचारियों का भी अभाव है।

(४) सन् १९४८ की औद्योगिक नीति में यह घोषणा की गयी थी कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण आगामी १० वर्षों तक नहीं किया जायेगा, अतः बीच में ही राष्ट्रीयकरण करना इस घोषणा के विरुद्ध होगा। इसके निजी क्षेत्र में अस्तित्व फीनेगा।

(५) समार के सभी देशों में वायु सेवाएँ सरकार की सहायता से उन्नति करती हैं, अतः सरकारी सहायता का तर्क प्रस्तुत करना उपयुक्त नहीं है।

वस्तुतः तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक था अतः सन् १९५३ में इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत वायु परिवहन—प्रथम योजना के आरम्भ तक वायु परिवहन के विस्तार पर ६६ करोड़ रुपये व्यय किये गये। प्रथम योजनाकाल में वायु परिवहन ने निम्न ६४ करोड़ रुपये का आयोजन किया गया था परन्तु वास्तविक व्यय ७२४ करोड़ रुपये हुआ। योजनाकाल में हवाई अड्डों का निर्माण, संचार सुविधाओं तथा यन्त्र-उपकरण आदि की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। योजनावधि में ६ हवाई अड्डे बनाये गये तथा पुराने हवाई अड्डों का सुधार किया गया।

द्वितीय योजना—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वायु परिवहन पर कुल ३०५३ करोड़ रुपये दोनो निगमों पर खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें से १६ करोड़ रुपये इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन पर तथा १४५३ करोड़ रुपये एयर इण्डिया पर व्यय करने थे।

द्वितीय योजनाकाल-में ८ नये हवाई अड्डे बनाने का आयोजन था। इस काल में वायु परिवहन ने आशातीत सफलता की। माँग के अनुरूप सुविधाएँ बढ़ाने का प्रयत्न किया गया सामान्य-शुद्ध, दमदम तथा पालम हवाई अड्डों का विस्तार किया गया तथा उन्ट्रिजेट वायुयानों के सेवा-योग्य बनाया गया। देश के सभी नगरों को वायु सेवाओं द्वारा सम्बन्धित किया गया। इसके अनिश्चित वायु सेवा सम्बन्धी ट्रेनिंग व्यवस्था का केन्द्रीयकरण इलाहाबाद में किया गया। द्वितीय योजना के सभी लक्ष्यों की पूर्ति कर ली गयी।

तृतीय योजना—तृतीय योजना में नागरिक उड्डयन के लिए ५५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी, जिसमें से २५५ करोड़ रुपये नागरिक उड्डयन विभाग के कार्यक्रमों पर व्यय करने थे।

वर्तमान स्थिति एवं समस्याएँ—उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में वायु परिवहन का विस्तार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अधिक हुआ है। सन् १९५१-१९६६ की अवधि में वायु यातायात के विकास का अनुमान निम्नलिखित मार्गणियों से लगाया जा सकता है

अनुसूचित सेवाएँ

वर्ष	उड़ानें (लाख किमी)	यात्री (लाख)	माल (लाख किलोग्राम)	ढाक (लाख किमी)
१९५१	३१४	४४६	३६८	३३
१९६१	४४४	६७३	४०१	७५
१९६६	६६६	२५	३०८	१२१

गैर-अनुसूचित सेवाएँ

वर्ष	उड़ान (लाख किमी)	यात्री (महसूस)	माल (लाख किलोग्राम)
१९५१	१०६	६७	५६७
१९६१	६६	११०	३६१
१९६६	५२	१५०	११४

वर्तमान स्थिति—इण्डियन एयरलाइन्स निगम के पास ७ कारवेस जेट, १४ बाइवाउण्ट, १४ फोर्न फ्रेंडशिप, २३ डेकोटा तथा १४ एच-एस ७४८ विमान हैं। इनके माध्यम से भारत के सभी महत्वपूर्ण नगर वायु-सेवा द्वारा जुड़े हुए हैं। बर्मा, सीलोन, अफगानिस्तान और नेपाल को भी विमान जाते हैं। १९६८-६९ में निगम के विमानों द्वारा १६ लाख यात्री ले जाये गये और ४०१ करोड़ किलोमीटर की उड़ानें की गयी।



एयर इण्डिया के पास १० बोइंग जेट है जिनके द्वारा २४ देशों को भारत से वायु सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। १९६८-६९ में इन वायुयानों ने २४२ करोड़ किलोमीटर की उड़ानों की तथा ३३१ लाख यात्रियों को ले जाया गया।

**उड़्डन क्लब (Flying Clubs)**—भारत में वायुयान उड़ान सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए २५ स्थानों पर उड़्डयन क्लब हैं। इनके अतिरिक्त पूना, बगलौर तथा लखनऊ में तीन सरकारी ग्लाइडिंग केन्द्र हैं और नई दिल्ली, पिलानी, देवलासी, अहमदाबाद, अमृतसर, जयपुर, रायपुर, पटना तथा कानपुर में सरकारी सहायता प्राप्त ग्लाइडिंग केन्द्र हैं।

**हवाई अड्डे**—भारत में कुल ८५ अड्डे हैं जिनमें सान्ताक्रुज (बम्बई), मद्रास, दमदम (कलकत्ता) तथा पालम (दिल्ली) अन्तरराष्ट्रीय अड्डे हैं। शेष हवाई अड्डों का प्रयोग आन्तरिक वायु परिवहन के लिए होता है, रवमॉल तथा जोगवनी (बिहार) में नये अड्डे निर्माणाधीन हैं।

**वैमानिक समझौते**—भारत सरकार ने बहुत से देशों से वैमानिक समझौते किये हैं। प्रथम समझौता सन् १९४६ में अमरीका के साथ हुआ। सन् १९४८ में भारतीय विमान विदेशों को जाने लगे। सन् १९५४ में अमरीका के साथ किया गया समझौता समाप्त कर दिया गया। वर्तमान समय में अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, समुक्त अरब गणराज्य, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड, पाकिस्तान, फिलीपाइन, स्वीडन, स्विटजरलैंड, थाइलैंड, ईराक, अमरीका, ब्रिटेन, रूस, पश्चिमी जर्मनी, ईंगन, लेबनान आदि देशों के साथ वैमानिक समझौते जाती हैं।

**विमान निर्माण**—भारत में वायुयान निर्माण करने के लिए सेठ बालचन्द्र हीराचन्द्र तथा मैसूर सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोस्पेस लिमिटेड (बगलौर) स्थापित की। सन् १९४१ में भारत सरकार ने भी इसमें अर्ध पूँजी खरीद की और जून १९४२ में बालचन्द्र हीराचन्द्र के अधिकार में स्थित सभी अर्ध भारत सरकार द्वारा खरीद लिए गये। यह नम्बरी वायुयान, एवरो इजन तथा रेल के डिब्बे तैयार करती है। १९४१ में इसके द्वारा बँकरपुर में एक शाखा (फैक्टरी) स्थापित कर दी गयी है जो वायुयानों की मरम्मत करने का कार्य करती है।

१६ अगस्त, १९६३ में वायुयान बनाने तथा एवरो-इजनो एव विद्युत-पदार्थ प्रक्षेपणास्त्र (Missiles) निर्मित करने के लिए एयरोनाटिक्स इण्डिया (Aeronautics India Ltd, Bombay) की स्थापना की गयी। इनके कानपुर के एयर वायुयान डिपो को अपने अधिकार में ले लिया है। वर्तमान में एयरोनाटिक्स इण्डिया के अन्तर्गत निम्नलिखित ५ इकाइयाँ हैं।

- (१) बगलौर की हिन्दुस्तान एयरोस्पेस फैक्ट्री,
- (२) कानपुर का वायुयान उत्पादक डिपो,
- (३) नासिक की वायुयान के ढाँचे बनाने वाली फैक्ट्री,
- (४) कोरापुट (उड़ीसा) की एवरो-इजन फैक्ट्री,
- (५) हैदराबाद की विद्युत पदार्थ उत्पादक फैक्ट्री।

सोवियत रूस की सहायता में भारत सरकार द्वारा एक 'मिग' विमान निर्माण करने की फैक्ट्री स्थापित की गयी है।

**समस्याएँ तथा सुझाव**—निरन्तर प्रगति होने हुए भी भारतीय वायु परिवहन के समक्ष कुछ समस्याएँ हैं जिनका समाधान आवश्यक है

(१) दो निगम—वायु यातायात क्षेत्र में दो निगम (A I. और I A C) कार्य कर रहे हैं। राज्याध्यक्ष समिति ने केवल एक निगम स्थापित करने का सुझाव दिया था। दो निगमों के कारण प्रबन्ध-व्यय अधिक पड़ता है। समर की Estimates Committee ने भी एक निगम

बनाने का सुचाव दिया है। विश्व के कुछ बड़े देशों में भी एक ही प्रबन्ध-व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय वायु सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। अतः भारत में भी एक ही निगम द्वारा वायु परिवहन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(२) प्रशिक्षण एवं अन्वेषण—भारत में प्रशिक्षण तथा अन्वेषण सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव है। देश में केवल वायु परिवहन प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद में है अतः और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। अन्वेषण के क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है अतः इस दिशा में भी प्रयत्न की आवश्यकता है। अन्वेषण कार्य में Indian Air Force से सहायता ली जा सकती है।

(४) उड़ान क्लब—वर्तमान समय में देश में २३ उड़ान क्लब (Flying Clubs) हैं। वायु परिवहन की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे क्लबों को प्रोत्साहन दिया जाय तथा उनकी संख्या में वृद्धि की जाय।

(५) परिवहन परिषद तथा परामर्श समितियाँ—सन् १९७४ में दोनो विमान निगमों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक विमान परिषद की स्थापना की गयी। परिषद समय-समय पर सरकार को सेवा संचालन, वायुमार्ग, किराया भाटा आदि के सम्बन्ध में सुचाव देती है। इसके अतिरिक्त हिसाब, शैलिक ज्ञान, अन्वेषण आदि विषयों पर भी सरकार परिषद से सलाह लेती है। परन्तु इन क्षेत्रों में परिषद ने सन्तोषजनक कार्य नहीं किया है अतः परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इसी प्रकार दोनो निगमों की एक एक परामर्श समिति भी है जो विमान यानियों की सुविधाओं में सुधार, समय सारिणी, नये स्टेशन खोलने आदि के सम्बन्ध में मुझाव देती है। इन परामर्श समितियों को भी अधिक कार्यान्वील बनाने की आवश्यकता है।

चतुर्थ योजना (१९६६-७४) का र म वायु परिवहन पर २०२ करोड रुपये विनियोजित करने का प्रस्ताव किया गया है। इण्डियन एयरलाइन्स की क्षमता २२ करोड टन किलोमीटर से बढ़ कर ३६ करोड टन किलोमीटर और एयर इण्डिया की क्षमता ४४ करोड टन किलोमीटर से बढ़ाकर ६६ टन किलोमीटर कर दी जायेगी। एयर इण्डिया द्वारा चार जम्बो जेट विमान खरीदे जायेंगे। इनमें से एक खरीदा जा चुका है।

#### अभ्यास-प्रश्न

- १ भारत में वायु यातायात की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की सम्भावनाओं पर प्रकाश डालिए।  
(राजस्थान, बी० ए०, १९६२)
- २ भारत में वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के बाद के सगठन का सक्षिप्त विवरण दीजिए।  
(आगरा, बी० कॉम०, १९६३)
- ३ भारत में वायु यातायात के विकास पर एक सक्षिप्त निबन्ध लिखिए।
- ४ वर्तमान युग में वायु यातायात के महत्त्व पर प्रकाश डालिए तथा भारत में उसके विकास की विवेचना कीजिए।
- ५ भारत के वायु परिवहन की वर्तमान स्थिति कैसी है? इसकी प्रगति के लिए मुझाव दीजिए।  
(राजस्थान, बी० कॉम०, (अन्तिम वर्ष) १९६७)

## भारतीय मुद्रा का इतिहास-१ (१८३५-१९३६)

(HISTORY OF INDIAN CURRENCY-1)

हिमो देग में मुद्रा-परम्परा का विकास उस देग की सम्पत्ता के माप-पाय होता है। भारतीय सम्पत्ता वैदिककाल में ही अपने चरम उत्कर्ष पर थी। उस समय देग में सोने की मुद्राएँ चलन में थीं। उसके पश्चात् भी गन्नादि-सिद्धियों का देग में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन रहा। मुगल शासनकाल में उत्तर भारत में चाँदी की मुद्राएँ प्रचलित की गयीं और ब्रिटिश शासनकाल में राजस्व के मोट प्रचलित किये गये। वास्तव में, प्रत्येक नये शासन के माप मुद्रा का आकार-प्रकार तथा रूप-रंग बहलता रहा है जिसके पतनस्वरूप अनेक प्रकार की मुद्राएँ चलन में आती रही हैं। इस बात का प्रमाण इस तथ्य में मिलता है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्राग्भिक शासनकाल में भारत में ६६६ किस्म की मुद्राएँ चलन में थीं जिनका मूल्य प्रायः मूल्य के अनुसार घटता बढ़ता रहता था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने मन् १८३५ में अपने सम्पूर्ण शासन क्षेत्र में १८० ग्रैन तोल का (जिसमें १६५ ग्रैन शुद्ध चाँदी थी) रूपा चातु कर दिया।

(१) मन् १८३५ से १८३०—ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने शासन क्षेत्र में १८० ग्रैन का रूपा चातु कर स्तमान (Silver Standard) की स्थापना तो कर दी किन्तु उसके माप ही १८४१ के एक आदेश के अनुसार सरकारी भण्डान में १५ रुपय के मूल्य की सोने की मोहरें भी ली जान लयीं। १८६८-६९ में लास्ट्रेटिया तथा वेनीकोनिया में सोने की मोहरें मिल गयीं जिसके पतनस्वरूप स्वर्ण का मूल्य गिरना आरम्भ हो गया। फलतः सरकार ने २५ दिसम्बर, १८५० की एक घोषणा के अनुसार मोहन के सिक्के मुगलान में लेता बन्द कर दिया।

सैम्पलीन्ट आयोग—स्वर्ण के निरन्तर गिरते हुए मूल्यों के कारण अधिकांश दिन-दिन चाँदी की मुद्रा में होत लया जिससे देग में मुद्रा की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गयी। अतः मन् १८६६ में सरकार द्वारा सैम्पलीन्ट आयोग की नियुक्ति की गयी जिसने ५, १०, १५ रुपये के मूल्य की स्वर्ण मुद्राएँ तथा चाँदी के सिक्के चातु करने की सिफारिश की। सरकार ने आयोग की सिफारिशों स्वीकार कर लीं और ५ रुपये तथा १० रुपये के मूल्य की स्वर्ण मुद्राएँ चातु की गयीं।

(२) मन् १८७० से १८६२ (चाँदी के मूल्यों में गिरावट)—मन् १८३० के पश्चात् चाँदी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आती आरम्भ हो गयी। इसके कारण निम्नलिखित थे :

(क) चाँदी की मुद्रा का परिव्याग—मन् १८३१ के पश्चात् जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम आदि अनेक यूरोपीय देगों में चाँदी की मुद्रा का र्थाग कर दिया और स्वर्णमान अपना दिया। अतः चाँदी की पूर्ति में वृद्धि हो गयी जिससे उसके मूल्य में गिरावट आने लगी।

(ख) नये धानों की खोज—मैक्सिको तथा अन्य देगों में चाँदी की नयी धानें मिल जाने से भी चाँदी की पूर्ति में वृद्धि हो गयी।

(ग) अमरीका द्वारा चाँदी खरीदना बन्द—शर्मान अधिनियम के अन्तर्गत अमरीका प्रति वष ५४ करोड़ औंस चाँदी खरीदता था। वह खरीद बन्द करने पर चाँदी की माँग बहुत कम हो गयी।

चाँदी के गिरते हुए मूल्यों का प्रभाव—उपर्युक्त तीनों कारणों से चाँदी की कीमतें गिरती चली गयी जिसे भारत की अर्थ-व्यवस्था को निम्नलिखित हानियाँ हुईं—

(१) भारतीय रुपये चाँदी का था अतः चाँदी की कीमत गिरने से भारतीय रुपये की विनिमय दर गिर गयी। अतः भारत द्वारा इंग्लैण्ड को दिये जाने वाले गृह शुल्क का भुगतान कठिन हो गया क्योंकि १७ करोड़ पौण्ड के इस भुगतान के लिए अब पहले से अधिक रुपये देना आवश्यक हो गया। इस कमी को पूर्ति के लिए नये ऋण लगाने पड़े।

(२) भारतीय मुद्रा की दर निरन्तर गिरने से उन पर विदेशियों का विश्वास कम हो गया जिससे विदेशी पूँजी का आयात कम हो गया।

(३) भारत स्थित विदेशी कर्मचारियों के वास्तविक वेतनों में कमी हो गयी अतः उन्होंने अधिक वेतन के लिए माँग आरम्भ कर दी।

(३) सन् १८६३ से १९१४—उपर्युक्त कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए सुझाव देने की दृष्टि से सरकार ने १८६२ में हार्शल समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने चाँदी का स्वतन्त्र टक्का बन्द करने का सुझाव दिया। सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और १५ रुपये तथा ७५ रुपये की स्वर्ण मुद्राएँ चालू कर दीं। चाँदी का स्वतन्त्र टक्का न होने से चाँदी की मुद्राओं की कमी आ गयी जिससे रुपये की विनिमय दर कुछ बढ़नी आरम्भ हो गयी।

फाउलर समिति—रुपये की विनिमय-दर में सुधार होने पर सरकार ने हेनरी फाउलर की अध्यक्षता में एक और समिति नियुक्त कर दी जिसका काम देश की मुद्रा व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव देना था। फाउलर समिति ने सन् १८६८ में रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा निम्नलिखित सुझाव दिये

(क) भारत में स्वर्णमान की स्थापना को जानी चाहिए—इस उद्देश्य के लिए स्वर्ण की मुद्राएँ चलन में डाली जानी चाहिए और उनका प्रचार बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

(ख) चाँदी का स्वतन्त्र टक्का कुछ समय के लिए बन्द रखा जाना चाहिए।

स्वर्ण विनिमय मान—सरकार ने फाउलर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और रेलवे तथा डाक विभाग के माध्यम से सोने के सिक्के चलन में डालने आरम्भ किये परन्तु कुछ समय के भीतर ही वह सब सिक्के सरकार के पास लौट आये। इसका कारण यह था कि दो-तीन वर्षों तक निरन्तर अकाल पड़ने के कारण जनता ने स्वर्ण के बड़े सिक्कों को काम में नहीं लिया। अतः सरकार ने चाँदी के सिक्के चलन में डालने आरम्भ कर दिये। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन को माल निर्यात करने पर जो बाधा होती थी उसे सरकार ने लन्दन में ही जमा करना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार स्वर्ण धातुमान के स्थान पर भारत में स्वर्ण विनिमय मान की स्थापना हो गयी जिसकी विशेषताएँ निम्नलिखित थीं—

(१) देश में स्वर्ण मुद्राएँ चलन में नहीं थी, चाँदी के सिक्के चलते थे।

(२) विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण मिल सकता था परन्तु व्यवहार में विदेशी भुगतान के लिए स्टैनिंग ट्राफ़ या प्रतिकोषागार विपन्न (Reverse Council Bills) दिये जाते थे। जिस व्यक्ति को इंग्लैण्ड में भुगतान करना होता उगमें भारत के ही निम्न खजाने में रुपये जमा कर बदले में उसनी रकम के गौडों का एक अधिकार पत्र दे दिया जाता था जिसे दिखाकर विदेशी व्यापारी लन्दन स्थित भारत सचिव के कार्यालय से निर्धारित रकम ले लेता था।

(३) भारत का स्वर्ण कोष लन्दन में रखा जाता था।

इस प्रकार भारत में अनायास ही विनिमय मान की स्थापना हो गयी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भारत का स्वर्णकोष (निर्माता से कमायी गयी रकम) लन्दन में रखा जाता था जिसका भारतवासियों द्वारा बहुत विरोध किया गया। अनेक क्षेत्रों द्वारा देना में स्वर्ण धातुमान की स्थापना की माँग की गयी। अतः मुद्रा-व्यवस्था के सम्बन्ध में उचित सुझाव देने के लिए चैम्बरलेन आयोग की नियुक्ति की गयी।

चैम्बरलेन आयोग के सुझाव—इस आयोग ने १९१४ में रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिये गये

(१) भारत के लिए स्वर्ण विनिमय मान सर्वोत्तम मुद्रा-व्यवस्था है।

(२) रुपये की विनिमय-दर १ शिलिंग ४ पेंस होनी चाहिए।

(३) स्वर्णमान कोष लन्दन में ही रखा जाना चाहिए।

(४) देश में पत्र मुद्रा का प्रचार बढ़ाया जाना चाहिए।

(५) प्रथम युद्धकाल (१९१४-१९१८)—भारत सरकार चैम्बरलेन की सिफारिशों पर पूर्णतः विचार भी नहीं कर पायी थी कि प्रथम महायुद्ध आरम्भ हो गया। युद्धकाल की मुद्रा सम्बन्धी मुख्य घटनाओं का व्योरा निम्नलिखित है

(क) स्वर्ण विनिमय मान का पतन—युद्ध आरम्भ होने के कुछ समय पश्चात् ही भारत से अत्यधिक माल निर्यात होना आरम्भ हो गया। व्यापार सन्तुलन पक्ष में होने के कारण भारतीय रुपये की विनिमय-दर बढ़नी आरम्भ हो गयी। अतः ब्रिटिश सरकार को १ शि० ४ पेंस की दर से काउंसिल बिल (Council Bills) बेचना बन्द करना पड़ा। परिणामस्वरूप, स्वर्ण विनिमय मान समाप्त हो गया।

(ख) मुद्रा की कमी—रुपये की विनिमय-दर बढ़ने के साथ-साथ युद्धकाल में चाँदी के मूल्यों में भी वृद्धि होनी आरम्भ हो गयी जिससे भारत सरकार को रुपये ढालने में कठिनाई हुई। फलतः देश में मुद्रा की कमी टर्निटगोचर होने लगी। इस कमी की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा निम्न कार्य किये गये।

(क) चाँदी तपा सोने के निर्यात पर रोक लगा दी गयी।

(ख) चाँदी तपा सोने के सिक्के चलाना दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया।

(ग) सरकार द्वारा १ रुपये तपा २½ रुपये के नोट निकाले गये।

(घ) रेजगारी के अभाव की पूर्ति के लिए २ आने, ४ आने तथा ८ आने के गिनट के सम्बन्ध में सिक्के निकाले गये।

(ङ) रुपये की विनिमय दर निरन्तर बढ़ती गयी और सन् १९१९ में २ शि० ४ पेंस तथा १९२० में २ शि० ११ पेंस तक पहुँच गयी।

(५) सन् १९२०-१९२७ का काल—युद्ध समाप्त होने ही भारत सरकार ने हेनरी बेबिंगटन लिथ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसका कार्य भारतीय मुद्रा-व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव देना था। समिति ने यह सिफारिश की कि रुपये की विनिमय दर २ शिलिंग स्वर्ण के तुल्य निश्चित की जानी चाहिए। उस समय पीण्ड स्वर्ण पर आधारित नहीं था, अतः २ शिलिंग स्वर्ण २ शिलिंग ११ पेंस स्टलिंग के समान था। इतनी ऊँची दर रखने का सुझाव निम्नलिखित कारणों से दिया गया।

(क) सस्ते आयात—विनिमय दर ऊँची रखने से भारत में विदेशी माल सस्ता पड़ेगा जिससे अधिभोगियों आदि आयात करके देश का आर्थिक विकास सरलता से किया जा सकेगा।

(ख) गृह-शुल्क में कमी—ऊँची दर रखने से सरकार को गृह-शुल्क (Home charges) का भुगतान करने में सरलता होगी क्योंकि पहले २५ करोड़ पीण्ड का भुगतान करने के लिए ३७.५

करोड़ रुपये देने पड़ते थे, अब यह भुगतान केवल २५ करोड़ रुपये अथवा उससे भी कम हो जायेगा।

इस मत के विपरीत समिति के एक भारतीय सदस्य श्री दादीबा दलाल ने मत प्रकट किया कि रुपये की विनिमय-दर १ शिलिंग ४ पेंस ही होनी चाहिए जो वर्षों से स्वाभाविक दर रही है। ऊँची दर अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकेगी और इससे भारत के निर्यातों को बहुत हानि होगी।

भारत सरकार ने समिति के बहुमत को स्वीकार कर लिया और रुपये की विनिमय-दर २ शिलिंग स्वर्ण निश्चित कर दी गयी। किन्तु भारत का व्यापार सन्तुलन विपक्ष में होने से ग्रीष्म ही विनिमय दर गिरनी प्रारम्भ हो गयी और मार्च १९२१ में १५ पेंस से भी नीचे गिर गयी। इसका परिणाम यह निकला कि अनेक भारतीय आयातकर्ताओं के दिवाने निश्चित मये वयोकि उनकी आयातों का भुगतान करने के लिए बहुत अधिक रकम चुकानी पड़ी। १९२२ से भारतीय व्यापार में एक नया मोड़ आया और निर्यातों में कुछ वृद्धि होने लगी। फलतः विनिमय दर १९२४ में १ शिलिंग ६ पेंस तक पहुँच गयी। १९२५ में ब्रिटेन ने स्वर्णमान अपना लिया। अतः भारत के लिए अब यह निश्चित करना आवश्यक हो गया कि वह कौन-सा मुद्रामान अपनायेगा तथा रुपये की विनिमय-दर क्या रहेगी? इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए सरकार ने हिल्टन यंग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दी।

(६) हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशें (Recommendations of the Hilton Young Commission)—हिल्टन यंग आयोग ने १९२६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं

- (१) रुपये की विनिमय दर १ शिलिंग ६ पेंस होनी चाहिए।
- (२) देश में स्वर्ण पाट मान (Gold Bullion Standard) अपनाया जाना चाहिए।
- (३) एक केन्द्रीय बैंक—रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया—स्थापित किया जाना चाहिए।

## १ विनिमय-दर

हिल्टन यंग आयोग के अधिकांश सदस्य रुपये की १ शिलिंग ६ पेंस विनिमय-दर के पक्ष में थे किन्तु आयोग के एक सदस्य श्री पुल्पोत्तमदास ठाकुरदास का मत था कि विनिमय-दर १ शिलिंग ४ पेंस होनी चाहिए। दोनों वर्गों के तर्क आगे प्रस्तुत किये जाते हैं

१ शिलिंग ६ पेंस के पक्ष में तर्क

(क) स्वाभाविक—१ शिलिंग ६ पेंस की दर के पक्ष में पहला तर्क यह दिया गया कि यह दर दो तीन वर्षों से स्थायी हो गयी है और मजहूरी तथा मूल्य इस दर पर स्थिरता ग्रहण कर गये हैं। अतः इसमें परिवर्तन करना उचित नहीं होगा।

(ख) मूल्यों में साम्य—दूसरा तर्क यह दिया गया कि १८ पेंस की विनिमय दर पर भारत का मूल्य स्तर अन्तरराष्ट्रीय मूल्य स्तर के समान हो गया है। यदि विनिमय दर को घटाया गया तो विदेशों से आने वाले माल के मूल्यों में १२ ½ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी और सहानुभूतिस्वरूप देश में श्रम वस्तुओं के भाव भी बढ़ जायेंगे जिसमें निर्धन जनता का बट्टा होगा।

(ग) गृह-मुल्क में कमी—१८ पेंस की विनिमय-दर के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि ऊँची दर पर भारत सरकार को गृह-मुल्क की रकम रुपये में कम चुकानी पड़ेगी। १६ पेंस दर निर्धारण करने पर सरकार का व्यय बढ़ जायेगा और जनता पर अधिक कर लगाने पड़ेंगे।

(घ) चाँदी की मुद्रा की सुरक्षा—आयोग का यह मत था कि यदि रुपये की विनिमय-दर १८ पेंस रखी जाय तो चाँदी का भाव ८८ पेंस प्रति औंस होने तक रुपये की मुद्रा चलाने का भय नहीं होगा जबकि विनिमय-दर १६ पेंस रखने पर चाँदी का भाव ४३ पेंस प्रति औंस होने ही लोग

रुपये की मुद्रा गलत कर चाँदी के रूप में बचने लगेंगे। जन १८ पैस की दर रखने पर रुपये की मुद्रा गलत का भय कम है।

(८) ठेके तथा उधार सौदे—आयाग का यह मत था कि विदेशों से माल आयात करने तथा उधार आदि के मोद वन ३-४ वर्षों में बहुत हुए हैं अत्रकि विनिमय-दर १८ पैस थी। इस दर को बदलने में आयातकर्त्ताओं को अधिक हानि देन पड़ेगे। इसी प्रकार ऋणों का भुगतान करने में भी अधिक रकम का भुगतान करना पड़ेगा।

१ शिलिंग ६ पैस के विपक्ष में (अथवा १ शिलिंग ४ पैस के पक्ष में) तर्क

(१) अवास्तविक—सर पुष्टपोत्तमदास ठाकुरदास का कथन था कि १८ पैस की दर वास्तविक नहीं है क्योंकि इसे सरकारी नीति द्वारा बनाकर रखा गया था। वास्तविक दर तो १६ पैस ही थी जो वर्षों तक स्थिर रह चुकी थी।

(२) मूल्य तथा मजदूरी में साम्य नहीं—बहुमत के विपरीत आंकड़े देकर सर पुष्टपोत्तमदास ठाकुरदास ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि मूल्य तथा मजदूरी १ शिलिंग ६ पैस की दर के अनुरूप स्तर पर नहीं आये हैं। अतः उनमें गिरावट की अत्यधिक आवश्यकता है।

(३) विदेशी विनिमय का संकट—१८ पैस की दर के विरोध में यह भी कहा गया कि ऊँची दर से निर्यातों को घबका लगेगा जिसमें विदेशी विनिमय संकट उत्पन्न होने का खतरा है। इसके विपरीत, १६ पैस की विनिमय दर निर्यातों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(४) स्वर्ण निर्यात का भय—१६ पैस की विनिमय-दर के समर्थकों का मत था कि आगामी कुछ वर्षों में स्वर्ण के मूल्यों में वृद्धि होना आवश्यक है। यदि विनिमय दर १६ पैस रही तो निर्यात ऊँचे स्तर पर चल रहेगे जिसमें स्वर्ण निर्यात की आवश्यकता नहीं होगी।

सरकारी नियम और औचित्य—भारत सरकार ने बहुमत की सिफारिश स्वीकार कर ली और १९२७ म. च. वन अधिनियम (Currency Act) पास कर १९२७ की विनिमय-दर १ शिलिंग ६ पैस स्वीकार कर ली। इस निर्णय का औचित्य इस बात से सिद्ध हो जाता है कि १९२७ में निश्चित की गयी १ पैस की विनिमय दर ४ जून, १९६६ तक बनी रही।

## २. स्वर्ण धातुमान

### (GOLD BULLION STANDARD)

हिस्टन यंग आयोग ने यह विचार किया कि देश में स्वर्ण मुद्रामान, स्वर्ण विनिमय मान, स्वर्ण धातुमान और स्टलिंग विनिमय मान में कौन-सा मान अपनाया जाय ? आयोग ने इन सबमें स्वर्ण धातुमान को सबसे उचित ममता। इस मान की विशेषताएँ निम्नलिखित थीं :

(i) देश में स्वर्ण मुद्रा चलन में रखना आवश्यक नहीं था।

(ii) सभी मुद्राएँ स्वर्ण में परिवर्तनशील थीं।

(iii) सरकार द्वारा मुद्रा की परिवर्तनशीलता के लिए स्वर्ण-बोप रखा जाता था।

स्वर्ण धातुमान के निम्नलिखित लाभ थे :

(क) मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील थी, अतः मुद्रा-स्फीति का भय नहीं था।

(ख) इसके अन्तर्गत विनिमय-दर में उतार-चढ़ाव आन की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) यह सरल था और इसमें जनता का विश्वास बन रहने की सम्भावना थी।

(घ) स्वर्ण बोप में रहने के कारण उसके अनर्कप की आवश्यकता नहीं थी।

(ङ) देश में यथेष्ट स्वर्ण बोप में रहने के कारण भविष्य में स्वर्ण मुद्रामान भी अपनाया जा सकता था।

सरकारी निर्णय—वास्तव में, स्वर्ण धातुमान में स्वर्ण मुद्रामान के सब गुण थे और एक भी अवगुण नहीं था। यह सरल, सुरक्षित, विश्वासयोग्य तथा मुद्रा व्यवस्था में स्थायित्व लाने वाला मान था। अतः भारत सरकार ने आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया। तदनुसार

सरकार ने यह घोषणा की कि वह २१ रुपये २४ पैसे प्रति तोले की दर में कम से कम १,०६५ तोले (४०० औंस) स्वर्ण घरीदने या बेचने को सदा तैयार रहेगी। यह स्वर्ण ४०-४० तोले की छटों में होना चाहिए। इस प्रकार रुपये के बदले में स्वर्ण लेने या देने की घोषणा द्वारा स्वर्ण धातुमान स्थापित कर दिया गया।

### ३ रिजर्व बैंक की स्थापना

आयोग की तीसरी महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया रखने का सुझाव दिया गया। सरकार ने इस सुझाव को भी स्वीकार कर लिया, किन्तु कुछ कारणों से इससे सम्बन्धित विनियम सन् १९३४ में ही पास किया जा सका, जिसने फलस्वरूप १ अप्रैल, १९३५ से रिजर्व बैंक की विधिवत् स्थापना कर दी गयी।

स्टैबिलिटी विनियमन की स्थापना—भारत ने १९२७ में स्वर्ण धातुमान अपना लिया। ब्रिटेन में भी स्वर्ण धातुमान प्रचलित था। अतः दोनों देशों में व्यापार तथा लेन-देन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई। २१ सितम्बर, १९३१ को ब्रिटेन ने स्वर्णमान का परित्याग कर दिया। अब भारत के सामने समस्या यह थी कि वह अपनी मुद्रा का सम्बन्ध स्टैबिलिटी से स्थापित कर ले अथवा स्वर्ण से ही बनाये रखे। भारत का अधिकांश व्यापार इंग्लैण्ड में था, अतः व्यापार एवं भुगतान की सुविधा की दृष्टि से रुपये का सम्बन्ध स्टैबिलिटी से ही बनाये रखने का निर्णय किया गया। अतः देश में स्टैबिलिटी विनियमन की स्थापना हो गयी।

स्वर्ण-निर्यात—विश्वव्यापी मन्दी के कारण ससार के सभी महत्वपूर्ण देशों ने अपनी मुद्राओं की विनियमन दरों में कमी कर दी अर्थात् स्वर्ण का मूल्य जो पहले २१ ६७ डॉलर प्रति औंस था, बढ़ाकर ३५ डॉलर प्रति औंस कर दिया गया। इधर इंग्लैण्ड तथा भारत में स्वर्ण के मूल्यों में वृद्धि होने लगी। इंग्लैण्ड में स्वर्ण का मूल्य विशेष रूप से बढ़ गया। अतः भारतीय व्यापारियों ने लाभ कमाने के लिए इंग्लैण्ड में स्वर्ण निर्यात करना आरम्भ कर दिया।

भारत में स्वर्ण-निर्यात का अत्यधिक विरोध किया गया क्योंकि स्वर्ण की कमी होने से भारत में भविष्य में भी स्वर्णमान अपनाये जाने की सम्भावनाएँ कम होने लगी थी। किन्तु सरकार का यह मत था कि स्वर्ण एक ऐसी वस्तु है जिस सक्कट में सहायक होने के लिए जमा किया जाता है। मन्दी के कारण जनता के पास क्रय-शक्ति का अभाव था, अतः वह स्वर्ण बेच रही थी। यह एक स्वाभाविक स्थिति थी। अतः जनता का विरोध होने पर भी १९३१ से १९३८ तक भारत से लगभग ३१८ करोड़ रुपये का स्वर्ण निर्यात कर दिया गया।



## भारतीय मुद्रा का इतिहास—२ (द्वितीय युद्धकाल)

### (HISTORY OF INDIAN CURRENCY—2)

द्वितीय महायुद्ध की घोषणा ३ मिनम्बर, १९३९ को की गयी और इसकी समाप्ति मन् १९४५ में हुई। इन छः वर्षों में भारतीय मुद्रा-संस्था की निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ उल्लेखनीय हैं -

#### १ मुद्रा पूर्ति (SUPPLY OF MONEY)

युद्ध आरम्भ होने ही जनता को पत्र-मुद्रा में अविश्वास उत्पन्न हुआ और कागज के नोटों के बदले चाँदी के रुपये की माँग बढ़ गयी। जून से अगस्त १९४० के लगभग तीन मास के काल में रिजर्व बैंक द्वारा लगभग २२ करोड़ रुपये की चाँदी की मुद्रा जनता को दी गयी। दूसरी उल्लेखनीय बात यह थी कि उत्पादन तथा व्यवसाय में वृद्धि के फलस्वरूप भी देश में मुद्रा की माँग बहुत बढ़ गयी। इसकी पूर्ति के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयीं :

(१) चाँदी की मुद्रा का निष्कृष्टीकरण—सरकार ने चाँदी के रुपये, अठन्नी, चवनी आदि में शुद्ध चाँदी की मात्रा क्रमशः कम कर दी। पहल तो उसने रुपये में चाँदी की मात्रा ११/१२ भाग से घटाकर १/२ कर दी किन्तु १९४३ में नाममात्र की चाँदी वाले रुपये बाज़ू कर दिये गये। इससे पूर्व शुद्ध चाँदी वाले रुपये तथा अठन्नी को सजाने में दापस लेने की घोषणा कर दी गयी और उन मुद्राओं को अवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप रुपये के सिक्कों का गलाना भी बन्द हो गया।

(२) कागज के नोटों का चलना—रुपये की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने १९४० में एक रुपये के नोट और फरवरी १९४३ में दो रुपये के नोट चलन में डाल दिये।

(३) नयी रेजगारी—छोटे मिक्को को भी लोगों ने सपह करना तथा गलाना आरम्भ कर दिया था। सरकार ने एक ओर तो मिक्के गनना तथा सपह करना अवरोध घोषित कर दिया, दूसरी ओर निकल की इक्की तथा दुअन्नी और छेद वाला ताँबे का पैसे निकाला। बाद में छेद वाले पैसे के ब्याज पर ताँबे का बहुत छोटे आकार का पैसे प्रचलित किया गया।

#### २. मुद्रा-स्फीति (INFLATION)

द्वितीय युद्धकाल की सम्भवतः सबसे उल्लेखनीय घटना थी मुद्रा स्फीति। अगस्त १९३९ में देश में कुल लगभग १७२ करोड़ रुपये की पत्र-मुद्रा चलन में थी, जो बढ़कर जून १९४५ में १,१५२ करोड़ रुपये तक पहुँच गयी। इस वृद्धि के मुख्य कारण अग्रलिखित थे :

(१) लाभ में वृद्धि—व्यापार में अज्ञानी वृद्धि हो रही थी तथा व्यापारियों के लाभ बढ़ते जा रहे थे। लाभ की यह शक्ति बैंकों में जमा की जा रही थी जिनमें मात्र का प्रसार तेजी से हो रहा था।

(२) ब्रिटेन को सामान—भारत सरकार ने ब्रिटेन को मुद्रा संचालन के लिए अनेक प्रकार का उपभोगता सामान दिया। सरकार ने इस मात्र का भुगतान व्यापारियों को तो नये तोट निकालकर कर दिया किन्तु ब्रिटिश सरकार ने इस मात्र का भुगतान युद्धोत्पन्न के लिए स्थगित कर दिया।

(३) रक्षा-व्यय में वृद्धि—भारत सरकार का रक्षा-व्यय भी बढ़ गया था जिसमें मुद्रा-स्फीति को भी ग्राह्य मिला। १९३६-४० में भारत सरकार रक्षा पर केवल ५० करोड़ रुपये खर्च करती थी जबकि १९४५-४६ में यह व्यय बढ़कर लगभग ३६१ करोड़ रुपये तक पहुँच गया। रक्षा-व्यय अतिरिक्त अनुपातिक होता है, अतः उनकी वृद्धि में मुद्रा-स्फीति की प्रोत्साहन मिलता है।

(४) उत्पादन में शिथिलता—दश में व्यापार तथा उद्योगों के लिए मुद्रा की माँग में तो वृद्धि होती गयी जिससे निरन्तर स्फीति की प्रोत्साहन मिला परन्तु उत्पादन में वृद्धि की गति निश्चित नहीं। अतः बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति का प्रभावहीन नहीं बनाया जा सका।

(५) मात्र की पूर्ति में कमी—दश में उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में जो भी वृद्धि हुई उसका अतिरिक्त भाग सेनाओं के प्रयोग के लिए भेज दिया गया। अतः वस्तुओं के अभाव के कारण मुद्रा-स्फीति उत्पन्न हो गयी।

उपचार—मुद्रा-स्फीति के परिणामस्वरूप लगभग सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गयी। मूल्यों का सूचकांक -६६ (१६-६=१००) तक पहुँच गया। इस स्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए

(१) सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण लगाकर राशन-व्यवस्था लागू कर दी गयी।

(२) ऋण तथा लाभ पर कर लगाए गए तथा पुराने करों में वृद्धि की गयी।

(३) रत, डाक, तार आदि के शुल्कों में वृद्धि की गयी।

(४) विभिन्न प्रकार की बचत योजनाएँ लागू की गयीं।

(५) कर्मचारी-दश की आवृत्ति बढिनाट्या दूर करने के लिए महंगाई भत्ते चाल किये गये।

उपरोक्त योजनाओं में से अतिरिक्त का उद्देश्य जनता के हाथ में स्थित छय शक्ति को कम करना था ताकि वस्तुओं की माँग कम हो और स्फीति का प्रभाव कम दिखायो पडे। विभिन्न बचत योजनाओं में सरकार ने कुल मिलाकर २५० करोड़ रुपय जमा किये जिससे मुद्रा स्फीति का प्रभाव कम करने में सहायता मिली।

### ३ विनियम नियन्त्रण (EXCHANGE CONTROL)

द्वितीय मुद्रा आरम्भ होने ही सरकार ने भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत विदेशी व्यापार पर नियन्त्रण तथा दिन और विदेशी विनियम के तैय-देन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इस नियन्त्रण तथा लाइसेंस व्यवस्था का संचालन भारत रिजर्व बैंक को सौंपा गया। इस व्यवस्था की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं -

(१) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी लेन देन केवल रिजर्व बैंक द्वारा अधिकार प्राप्त व्यापारिक बैंकों के माध्यम से ही संचालित हो सकेगा।

(२) सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा की जाय रिजर्व बैंक अथवा अधिकृत व्यापारिक बैंकों को सौंपना अनिवार्य कर दिया गया।

(३) विदेशों में नये जान वान भुगतान के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति लना आवश्यक कर दिया गया।

(४) विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिये गए।

(५) जापानी व्यापारिक सम्झौता के जमा खातों के भुगतान पर रोक लगा दी गयी।

उपर्युक्त नियन्त्रण व्यवस्थाएँ वर्तमान समय में भी लागू हैं। इनका संचालन विदेशी विनिमय नियमन कानून (Foreign Exchange Regulations Act) व अद्योत रिजर्व बैंक ऑफ़ द्वारा किया जाता है।

#### ४ साम्राज्य डॉलर कोष (EMPIRE DOLLAR POOL)

युद्धकाल में अमरीका ही ऐसा देश था जो युद्धरत देशों को सभी प्रकार का सामान दे सकता था। अतः भुगतान के लिए अमरीकन डॉलर की माँग बहुत बढ़ गयी और डॉलर को प्रायः सभी देशों में दुर्लभ मुद्रा (Hard Currency) घोषित कर दिया गया। डॉलर की इस उटती हुई माँग के कारण ब्रिटिश साम्राज्य के सभी देशों में मितव्यय यह समझी जाया कि जो भी देश जितने डॉलर कमायेगा वह एका काल में टाक दिया जायेगा। यह कोष साम्राज्य डॉलर कोष के नाम से पुकारा गया।

साम्राज्य डॉलर कोष में प्रत्येक देश को आवश्यकतानुसार डॉलर मिल सकते थे, परन्तु आवश्यकता का निर्धारण मिल-जुलकर मोक्ष विचार के पदचार्ज ही किया जाता था और अत्यन्त आवश्यक कार्यों के लिए ही डॉलर देने की स्वीकृति दी जाती थी। भारत ने डॉलर कोष में ४५३ करोड़ रुपये के तुल्य विदेशी मुद्रा जमा की थी जिसमें से ८०५ करोड़ रुपये के तुल्य डॉलर थे। इस रकम में से भारत द्वारा ३३६ करोड़ डॉलर का प्रयोग कर लिया गया और शेष रकम कोष में जमा रही। साम्राज्य डॉलर कोष एक युद्धकालीन व्यवस्था थी जिसका महत्त्व अतः समाप्त हो गया है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश अपने विदेशी विनिमय सम्बन्धी कोषों का स्वतन्त्र रूप में प्रयोग करना चाहता है। अतः अब इस कोष का कोई महत्त्व नहीं है।

#### ५. पौण्ड पावने (STERLING BALANCES)

युद्धकाल में ब्रिटिश सरकार ने मित्रराष्ट्रों तथा राष्ट्रमण्डल के देशों में अत्यधिक मात्रा में सामान खरीदा। इस सामान का भुगतान लम्बान न देकर इन देशों को स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ दे दी गयीं। इन प्रतिभूतियाँ व जायदाद पर इन देशों ने अपनी मुद्रा निश्चित कर ली। इस प्रकार १९४५ के अन्त तक इंग्लैंड विभिन्न देशों का ३०७ करोड़ पौण्ड का कर्जदार हो गया।

ब्रिटिश सामन के अधीन होने के कारण भारत को ब्रिटिश युद्ध प्रयत्नों में सक्रिय सहयोग देना पड़ा। यह सामान भारत सरकार ने अपने देश के व्यापारियों से खरीदकर इंग्लैंड को निर्यात कर दिया। इसी रकम व्यापारियों को तो नये नोट नियंत्रण लागू हुआ ही नहीं किन्तु उनकी मूल्य इंग्लैंड के खाने में नाम निल दिया गया। इस प्रकार भारत युद्ध में पढ़ने इंग्लैंड का लगभग ३६ करोड़ पौण्ड में कर्जदार था किन्तु युद्ध की समाप्ति पर भारत ब्रिटेन से लगभग १,६६२ करोड़ रुपये का लेनदार हो गया। यह लेनदागी पौण्ड पावना कहलाती है।

कारण—पौण्ड पावनों की रकम जमा होने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :

(१) ब्रिटिश सरकार को युद्ध-संचालन के लिए उत्पन्न मान बेचा गया।

(२) भारत ने अपनी डॉलर की कमाई साम्राज्य डॉलर कोष में स्थानान्तरित कर दी थी।

(३) युद्धकाल में भारत का व्यापार-सन्तुलन भी पक्ष में था जिसका भुगतान लन्दन में स्टर्लिंग में जमा कर दिया गया था।

(४) भाग्य म (१९३०-१९३८ में) जो स्वर्ण नियति आरम्भ हुआ वह युद्ध आरम्भ होने के कुछ समय पश्चात् तक चलता रहा। उसकी रकम लन्दन में स्टलिंग में ही जमा हो गयी।  
कुल जमा—पौण्ड पावनों की रकम की प्रगति निम्नलिखित थी

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	रकम	वर्ष	रकम
१९३६	६४	१९४४	७५५
१९४०	६१	१९४५	१,१८२
१९४१	१६६	१९४६	१,५४६
१९४२	२११	१९४७	१,६६२
१९४३	३६४		

उपयुक्त तालिका में स्पष्ट है कि १९४७ में भारत इंग्लैण्ड में १,६६२ करोड़ रुपये का ऋणदार था।

भुगतान की समस्या—युद्ध समाप्त होने ही भारतीय पौण्ड पावनों का भुगतान का प्रश्न उत्पन्न हो गया। इंग्लैण्ड के कुछ अर्थशास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों का मत था कि पौण्ड पावने की रकम कम की जानी चाहिए क्योंकि द्वितीय युद्ध भारत की सुरक्षा के वास्ते भी लड़ा गया था। भारत के अर्थशास्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों ने इसका धोर विरोध किया और यह मत व्यक्त किया कि पौण्ड पावना भारत के पून उभान की जमाई है, यह रकम अल्पकाल कष्ट एवं त्याग से जमा हुई है अतः इसमें कमी करना बहुत अन्याय होगा। इस विवाद के फलस्वरूप पौण्ड पावनों के भुगतान के सम्बन्ध में जनवरी १९४७ में प्रथम समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप उनके भुगतान सम्बन्धी सभी शर्तों का जन्म हो गया।

(१) सन् १९४७ का समझौता—अगस्त १९४७ में भारत और इंग्लैण्ड में एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत भारत को पौण्ड पावनों की राशि द्वारा स्थिति क्षेत्र में मात्र खरीदने का अधिकार दिया गया। इस समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं

(क) पौण्ड पावनों की कुल रकम १,६३४ करोड़ रुपये (११०५ करोड़ पौण्ड) अर्थात् गयी जिस दो गानों में विभाजित किया गया। खाता न० १ में ८७ करोड़ रुपये (६५ करोड़ पौण्ड) डाक गये जिसका प्रयोग किसी भी देश से कोई मात्र खरीदने में किया जा सकता था।

(ख) धन १,५६७ करोड़ रुपये (११६ करोड़ पौण्ड) खाता न० २ में गये गये जिसका प्रयोग केवल पूँजीगत माल खरीदने में किया जा सकता था।

इस समझौते की अवधि ३१ दिसम्बर को समाप्त हो गयी, अतः इसे जून १९४८ तक बढ़ा दिया गया। इन छह महीनों में खाता न० २ में से २४ करोड़ रुपये खाता न० १ में हस्तान्तरित कर देने की व्यवस्था थी। उभांग्य से इस अवधि में भारत को जितनी रकम (८३ करोड़ पौण्ड) स्वतन्त्र रूप से व्यय करने की अनुमति थी उसका प्रयोग वह नहीं कर सका। उगने केवल ३० लाख पौण्ड ही काम में लिए क्योंकि भारत के पास न तो औद्योगिक विन्याम की कोई योजना तैयार थी और न ही इस जल्पावधि में मशीनें आदि निम्नलिखित माल आयात किया जा सकता था।

(२) जुलाई, १९४८ का समझौता—प्रथम समझौते की अवधि समाप्त होने पर एक नया समझौता किया गया जिसकी शर्तें निम्नलिखित थीं

(क) इस समय भारत का कुल पौण्ड पावना लगभग १,५५० करोड़ रुपये अर्थात् गया। इस रकम में ग अनेक कटौतियाँ करने के पश्चात् भारत का युद्ध हिस्सा केवल १,०६७ करोड़ रुपये रह गया जिसका ब्योरा अधोलिखित है

करोड़ रुपये

(i) कुल पीण्ड पावन		१,५५०	
(ii) कटौतियाँ			
(क) अंग्रेजों द्वारा भारत में छोटे गये			
सैनिक सामान का मूल्य	१३३		
(ख) भारत में रिटायर होने वाले अंग्रेजों			
की पेंशनों के लिए एकमुश्त रकम	२२८		
(ग) पाकिस्तान का भाग	१२६	४८३	
			शेष १,०६७

(ख) समझौते के अनुसार आगामी तीन वर्षों में भारत को १६ करोड़ पीण्ड (२१४ करोड़ रुपये) की रकम स्वतन्त्र रूप में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गयी। इस राशि में से प्रति वर्ष २० करोड़ रुपये का तुल्य राशि ही स्टर्लिंग के अतिरिक्त अन्य मुद्रा में बदली जा सकती थी।

इस समझौते में भारत में अर्थशास्त्रों तथा व्यापारी संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि इसमें भारत को बहुत कम राशि प्रयोग करने की छूट दी गयी थी अतः इसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व जुलाई १९४६ में एक नया समझौता किया गया।

(३) जुलाई १९४६ का समझौता—सन् १९४८ के समझौते में १९४६ के लिए पूंजीगत माल खरीदने के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गयी थी। इस समझौते के अनुसार भारत को १९४६ में ८१० करोड़ पीण्ड मूल्य का पूंजीगत माल पीण्ड पावन की राशि में खरीदने का अधिकार मिल गया। सन् १९५० और १९५१ में ८ करोड़ पीण्ड का माल खरीदने का अधिकार १९४८ के समझौते के अनुसार ही दे दिया गया था। इस राशि को अतः १० करोड़ पीण्ड कर दिया गया। सन् १९४६ से १९५१ तक १८१ करोड़ पीण्ड रकम पूंजीगत माल के लिए तथा १६ करोड़ पीण्ड की राशि तुल्य खरीद के लिए पीण्ड पावनों में व्यय की जा सकती थी। इससे अतिरिक्त लगभग ५ करोड़ पीण्ड की राशि १९४६ तक अर्थात् विप माल का भुगतान करने के लिए स्वीकृत की गयी।

उपर्युक्त राशि अवधि समाप्त होने से पूर्व ही खर्च कर दी गयी क्योंकि भारत को १९५१ में अतिरिक्त अतः का अर्थात् करना पडा। १९४६ में रुपये के अवमूल्यन होने के कारण पीण्ड पावनों की जो राशि डॉलर में परिवर्तित की गयी उसका मूल्य भी २०५ प्रतिशत कम हो गया।

(४) सन् १९५२ का समझौता—सन् १९४६ के समझौते की अवधि समाप्त होने पर फरवरी १९५२ में एक नया समझौता किया गया जिसकी अवधि ३० जून, १९५७ तक निश्चित की गयी। इस समय भारत के पीण्ड पावना की रकम लगभग ५७ करोड़ पीण्ड या ७६१ करोड़ रुपये थी। इस समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं

(क) ३१ करोड़ पीण्ड की राशि खाता न० १ में डालने की व्यवस्था की गयी किन्तु इसका प्रयोग केवल चलन निधि के रूप में रखने के लिए हो सकता था। यदि इसमें से किसी भाग का प्रयोग करना आवश्यक होता हो तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेना आवश्यक था।

(ख) प्रति वर्ष ३५ करोड़ पीण्ड के तुल्य रकम खाता न० २ से खाता न० १ में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था की गयी। इस रकम का प्रयोग स्वतन्त्र रूप में किया जा सकता था और इसमें से जिस भाग का प्रयोग एक वर्ष में नहीं होना उसे दूसरे वर्ष में काम में लिया जा सकता था। अधिक आवश्यकता पड़ने पर एक वर्ष में २५ करोड़ पीण्ड के स्थान पर ४ करोड़ पीण्ड

की रकम भी काम में ली जा सकती थी। इसमें भी अधिक रकम खर्च करने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था।

(ग) १ जुलाई, १९५७ को खाना न० २ में जो भी राशि हो वह खाना न० १ में हस्तांतरित करने की व्यवस्था की गयी। इस राशि का प्रयोग भारत सरकार स्वेच्छापूर्वक कर सकती थी।

वर्तमान स्थिति और भविष्य—सन् १९५२ के समझौते के पश्चात् भारत सरकार पीण्ड पावनों का प्रयोग करने में प्रायः स्वयन्त्र रही है। योजनाकाल में विदेशी विनिमय की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए पीण्ड पावनों का मुक्तस्तर से ही प्रयोग करना पडा है। यद्यपि प्रथम योजनाकाल में पीण्ड पावनों की राशि पर कोई प्रभाव नहीं पडा, किन्तु द्वितीय तथा तृतीय योजनाकाल में प्रयोग हो जाने के कारण पीण्ड पावनों की राशि लगभग समाप्त हो गयी है। अतः अब इनका केवल ऐतिहासिक महत्त्व रह गया है।

## भारतीय मुद्रा का इतिहास-३ (युद्धोत्तरकाल)

(HISTORY OF INDIAN CURRENCY)

द्वितीय युद्धोत्तरकाल में भारतीय मुद्रा-व्यवस्था की निम्नलिखित घटनाएँ उल्लेखनीय हैं ।

### १. बड़े नोटों का विमुद्रीकरण (DEMONETISATION)

द्वितीय युद्धकाल में चोरबाजारी तथा धूसखोरी द्वारा व्यापारियों तथा सरकारी अधिकारियों ने बहुत धन कमाया था। सरकार का अनुमान था कि यह धन बड़े मूल्य के नोटों में रखा गया होगा, अतः बड़े मूल्य के नोटों को अवैधानिक घोषित करने या उनकी विधिप्राप्तता समाप्त करने से राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों का पता चल सकेगा। अतः दो अध्यादेश जारी कर मौ रपये से ऊपर की राशि के सभी नोटों का चलन बन्द करने की घोषणा कर दी गयी। इन नोटों को रिजर्व बैंक अथवा किसी अनुमूचित बैंक में बदलवाया जा सकता था।

बड़े नोटों के विमुद्रीकरण की योजना चोरबाजारी, धूसखोरी तथा करो की चोरी करने वालों का पता लगाने के लिए थी परन्तु इसके प्रकाशित होने में पूर्व ही कुछ व्यक्तियों को इसका पता चल गया और उन्होंने बड़े नोटों को बैंकों के माध्यम में निकाल दिया। इस प्रकार इस योजना में उच्च वर्ग के लोगों ने लाभ कमाया क्योंकि उन्होंने बड़े नोटों को बट्टे पर खरीद लिया और उन्हें बैंकों के माध्यम में निकाल दिया। अतः योजना के उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकी।

### २. रुपये का अवमूल्यन (DEVALUATION OF THE RUPEE)

द्वितीय युद्धकाल में प्रारम्भ होने वाली मुद्रा-स्थीति का क्रम युद्धोत्तरकाल में भी चालू रहा जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोप के कुछ अन्य देशों की व्यापारिक स्थिति क्रमशः बिगड़ती चली गयी। मुद्रा प्रसार, भुगतान शेषों के अमनुलन तथा अत्यधिक मात्रा में डॉलर ऋणों के कारण इन देशों की मुद्रा की विनिमय-दर निरन्तर गिरती चली गयी। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की १९४६ की रिपोर्ट के अनुसार, "ब्रिटेन तथा घाटे वाले देशों में अन्तर-इनना अग्रिक हो गया था कि वह अवमूल्यन के सिवाय किसी तरीके से ठीक नहीं किया सकता था।"

३० देशों के द्वारा अवमूल्यन—स्टर्लिंग क्षेत्र के अगुआ होने के नाते ब्रिटेन में भुगतान घाटे की मात्रा सबसे अग्रिक थी। अतः १० नवम्बर, १९४६ में ब्रिटेन ने पौण्ड का ३०.५ प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया जिसके अनुसार पौण्ड की विनिमय-दर ४.०३ डॉलर से घटाकर २.८० डॉलर कर दी गयी। ब्रिटेन स्टर्लिंग क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु था और अनेक देशों ने अपनी मुद्राओं का तत्काल अवमूल्यन कर ब्रिटेन का अनुसरण करने का निर्णय किया। कुछ दिन पश्चात् ही १० अन्य देशों ने भी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करने की घोषणा की। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की रिपोर्ट (सन्

१९४६) के अनुसार, सितम्बर १९४६ में जिन देशों ने अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया उनका सामूहिक व्यापार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का लगभग ६५% था। इस दृष्टि से १९४६ का अवमूल्यन युद्धोत्तरकालीन अर्थ व्यवस्था की एक अभूतपूर्व घटना थी।

**भारत द्वारा अवमूल्यन**—भारत ने भी २२ सितम्बर, १९४६ से रुपये का अवमूल्यन करने की घोषणा कर दी जिसके अनुसार रुपये अब ३० २२५० सेंट के बजाय २१ सेंट के तुल्य हो गया। रुपये का अवमूल्यन सामान्यतः इतना शीघ्र न होना परन्तु ब्रिटेन द्वारा पौण्ड का अवमूल्यन करने पर भारत को उतका अनुसरण करना पड़ा। वास्तव में, भारतीय रुपये का स्टैबिलिटी में सम्बन्ध बनाये रखने के वही कारण थे जिनके आधार पर सन् १९३१ में स्टैबिलिटी से गठबंधन किया गया था। एक तथा कारण यह भी था कि भारत को ब्रिटेन से लगभग १,७०० करोड़ रुपये पौण्ड पावने वसूल करने थे। यदि रुपये का मूल्य ऊँचा रखा गया तो स्वभावतः भारत के पौण्ड पात्रों का रुपये में मूल्य कम हो जाता। अतः स्टैबिलिटी देशों से व्यापार का स्तर बनाये रखने तथा पौण्ड पावने की सुरक्षा के लिए रुपये का भी पौण्ड के समान ही अवमूल्यन कर दिया गया।

**अवमूल्यन का प्रभाव**—रुपये का अवमूल्यन करने से भारत के निर्यात एक वर्ष में ही ४८० करोड़ रुपये से बढ़कर ६११ करोड़ रुपये के तुल्य हो गये। डॉलर क्षेत्र के व्यापार को यदि अलग से लिया जाय तो भारत के डॉलर क्षेत्र के निर्यात भी इसी अवधि में ११५ करोड़ रुपये के तुल्य हो गये। इस प्रकार कुल व्यापार में लगभग २७ ५% की वृद्धि हो गयी और व्यापार शेष का घाटा २३२ करोड़ रुपये में घटकर लगभग ५ करोड़ रह गया।

अवमूल्यन का यह लाभ अल्पकालीन रहा क्योंकि आगामी वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के अत्यधिक विपक्ष में होता गया। इसके निम्नलिखित कारण थे

(१) विदेशों से आयात किए गये अन्न का रुपये में बहुत अधिक मूल्य देना पड़ा। यह उल्लेखनीय है कि सन् १९५१ ५५ में सर्वाधिक अन्न आयात करना पड़ा था।

(२) पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया था, अतः भारत पाकिस्तान व्यापार लगभग समाप्त हो गया।

(३) भारत को विकास योजनाओं के लिए आवश्यक मशीनों तथा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल रई तथा पटसन का अधिक मूल्य चुकाना पड़ा।

दूसरा अवमूल्यन, जून १९६६—योजनाकाल में भारत द्वारा विकास कार्यों पर अत्यधिक राशि व्यय की गयी। इसके लिए उसे २,५०० करोड़ रुपये से भी अधिक का हीनार्थ प्रबंधन करना पड़ा जिसके फलस्वरूप मई १९६६ के अन्त तक मूल्यों में लगभग ८०% की वृद्धि हो गयी। दूसरी उल्लेखनीय बात यह रही कि भारत का व्यापार संतुलन निरन्तर विपक्ष में रहा है। १९६५-६६ में ही असंतुलन की राशि लगभग २४५ करोड़ रुपये थी। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय रुपये की विनिमय दर अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-बाजार में लगभग ६ रुपये प्रति डॉलर हो गयी जबकि अधिकृत दर ४ ७५ रुपये प्रति डॉलर थी।

उपर्युक्त परिस्थितियों का सामना करने के लिए ६ जून, १९६६ से भारतीय रुपये का एक बार फिर अवमूल्यन कर दिया गया। इस बार अवमूल्यन की मात्रा ३६ ५ प्रतिशत थी। नयी दरों के अनुसार एक भारतीय रुपया जो २१ सेंट के तुल्य था १३ ३३ सेंट के तुल्य घोषित कर दिया गया। इसका अर्थ यह था कि अब ७ ५ रुपये १ डॉलर तथा २१ रुपये १ पौण्ड के तुल्य हो गये।

**अवमूल्यन के कारण**—सन् १९६६ के अवमूल्यन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे।

(१) मूल्य वृद्धि—गठन वर्षों में मूल्यों में ८० प्रतिशत की वृद्धि हो गयी थी। भारत



के तत्कालीन वित्तमन्त्री श्री शचीन चौधरी के शस्त्री में, "मूल्यों को नीच लाना सम्भव नहीं था।" ऊँचे मूल्यों के कारण भारतीय माल की विदेशों में माँग कम हो गयी थी।

(२) व्यापार सन्तुलन—मई १९५१-५२ में ही भारत का व्यापार-सन्तुलन निरन्तर विपक्ष में चला आ रहा था। १९५०-५१ में यह असन्तुलन केवल ५० करोड़ रुपये के लगभग था किन्तु १९६५-६६ में यह ५४५ करोड़ रुपये तक पहुँच गया। अतः निर्यात बढ़ाने के लिए अवमूल्यन का महारा सेन का निर्णय किया गया।

(३) निर्यात सवर्द्धन नीति की अमपन्नता—भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए जिन नीतियों (आयात नियन्त्रण, निर्यातों पर सहायता आदि) का पालन किया उनमें सफलता नहीं मिल सकी, अतः रुपये का अवमूल्यन करने का निर्णय किया गया।

(४) विदेशी सहाय—विश्व बैंक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा ऋणदाता देशों ने भारत को रुपये का अवमूल्यन करने की सलाह दी। वास्तव में, देश की आर्थिक स्थिति की हीनता के कारण विदेशी सहायता मिलनी लगभग बन्द हो गयी थी। अतः पुनः सहायता प्राप्त कराने के लिए अवमूल्यन के विषय कोई मार्ग नहीं रह गया था।

अवमूल्यन के उद्देश्य—१९६६ के अवमूल्यन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे

(१) अधिक निर्यात—अवमूल्यन के फलस्वरूप भारतीय माल विदेशों में मस्ता ही जायगा जिससे भारत के निर्यातों में वृद्धि होगी।

(२) आयातों में कमी—विदेशी आयातों के बढ़ने में भारत को अधिक रकम देनी पड़ेगी जिसके फलस्वरूप भारत में आयातों की मात्रा कम हो जायेगी।

इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति से भारत का व्यापार सन्तुलन पक्ष में हो सकेगा तथा जो माल पहले आयात हो रहा था उसकी जगह भारत में ही अच्छा माल बनाने लगेगा।

(३) विदेशी पूँजी की प्रोत्साहन—विदेशी माल का आयात कम होने से कुछ विदेशी पूँजीपति भारत में ही पूँजी लगाकर माल बनाने में प्रोत्साहित होंगे।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाओं का अन्त—रुपये के अवमूल्यन से भारत में स्वर्ण के तन्त्र व्यापार में कमी होगी तथा विदेशी विनिमय की खोरी कम हो जायेगी।

(५) विदेशी सहायता—भारत को विदेशों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त होने लगेगी।

विश्लेषण—भारतीय रुपये का अवमूल्यन बहुत ही विवशता की स्थिति में किया गया। किन्तु इसके द्वारा जिन उद्देश्यों की पूर्ति का अनुमान लगाया गया था उनमें सफलता मिलने की सम्भावना बहुत कम थी। एमके निम्नलिखित कारण थे

(क) भारत में बढ़ते हुए मूल्यों पर रोक नहीं लगायी जा सकी। जून १९६६ में अगस्त १९६७ तक भी मूल्यों में लगभग ३३ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। अतः निर्यातों में विशेष वृद्धि होने की सम्भावना बहुत कम थी। वास्तव में, अवमूल्यन के पश्चात् पटमन के माल तथा वस्त्र के निर्यात में कुछ कमी हुई।

(ख) निर्यात वृद्धि के लिए उत्पादन में वृद्धि होना बहुत आवश्यक है किन्तु अनेक क्षेत्रों में मशीनों की चालू रखने के लिए अनिश्चित पुत्रे आदि आयात करना आवश्यक है। इससे आयात में वृद्धि होगी किन्तु उत्पादन बढ़ना आवश्यक नहीं है।

(ग) अवमूल्यन में भारतीय अर्थ-व्यवस्था में विरगियों या विरसाम टणमणा गया, अतः देश में विदेशी विनियोग अथवा ऋण पूँजी आयात होने की आशा बहुत-कम हो गयी।

वास्तव में, सरकार को वस्तु मूल्यों को कंट्रोल में नियन्त्रित करना चाहिए तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए अन्यथा कुछ समय पश्चात् ही रुपये का पुनः अवमूल्यन करने की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

३ विदेशी विनिमय संकट  
(FOREIGN EXCHANGE CRISIS)

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उनमें सम्भवतः सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या विदेशी विनिमय की है। यह एक मान्य तथ्य है कि योजनाओं के तद्विधान में विकास करने के लिए भारत को विदेशों से बाकी अधिक माल मँगवाना पड़ा है। इस माल का भुगतान करने में अत्यन्त कठिनाई आयी है क्योंकि तीनों योजनाओं की अवधि में आयातों की मात्रा निर्यातों की तुलना में निरन्तर बढ़ती गयी है जिसका अनुमान निम्नलिखित आँकड़ों से हो सकता है

	प्रथम योजनाकाल	द्वितीय योजनाकाल	तृतीय योजनाकाल	(करोड़ रुपये में) १९६६-६७ से १९७०-७१
आयात	३,६१५	४,९२६	६,१७७	८,०२६
निर्यात	३,०४४	३,११०	३,७६०	६,५९५
घाटा	५७१	१,८१६	२,४१७	२,४३१

इस प्रकार योजना के बीस वर्षों में देश को लगभग ७२०० करोड़ रुपये की विदेशी विनिमय की कमी का सामना करना पड़ा। इस कमी की पूर्ति के लिए सरकार ने पौण्ड पावनों का प्रयोग किया तथा शेष घाटे की पूर्ति के लिए विदेशी सरकारों तथा अन्तरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं (विश्व बैंक तथा मुद्रा-कोष) में ऋण लिये। सम्पूर्ण योजनाकाल (१९५१-७१) में सरकार को १० १८० करोड़ रुपये के तुरन्त राशि के विदेशी ऋण स्वीकृत किये गये जिनमें से ८,५२९ करोड़ रुपये की रकम प्रयोग में लायी गयी। शेष कमी की पूर्ति पौण्ड पावनों से कर ली गयी।

चतुर्थ योजनाकाल (१९६६-७४) में लगभग ९,६३० करोड़ रुपये का माल आयात होने की सम्भावना है और २,२८० करोड़ रुपये की विदेशी विनिमय ऋणों में व्याज आदि चुकाने के लिए आवश्यकता होगी इसके अतिरिक्त २८० करोड़ रुपये अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को चुकाने होंगे तथा १४० करोड़ रुपये अदृश्य मदों पर खर्च करने होंगे। इस प्रकार चतुर्थ योजना की अवधि में देश को कुल १२,३५० करोड़ रुपये की विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी, इसमें ४,०३० करोड़ रुपये की प्राप्ति विदेशी सहायता से हो सकती है। शेष ८,३०० करोड़ रुपये की पूर्ति निर्यातों द्वारा करनी होगी। वास्तव में, चतुर्थ योजना में विदेशी विनिमय का घाटा पहली तीनों योजनाओं के सामूहिक घाटे से भी रहा है। अवमूल्यन के कारण देश की आर्थिक प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जो वातावरण बना है उसके फलस्वरूप पाँच वर्षों में ४,०३० करोड़ रुपये की सहायता (ऋण या पूँजी के रूप में) प्राप्त होना कठिन प्रतीत होता है। अतः सरकार को इस समस्या का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए

- (१) अनावश्यक आयातों पर कड़े प्रतिबन्ध लगाने चाहिए।
- (२) निर्यात बढ़ाने के लिए अधिक प्रयत्न करने चाहिए।
- (३) देश में युद्धस्तरीय प्रयत्नों द्वारा उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा की जानी चाहिए।
- (४) विदेशी विनिमय का व्यय करने में अत्यन्त बड़ाई से काम लेना चाहिए।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ० टॉमस के शब्दों में, "सैद्धान्तिक उपदेश देने के स्थान पर भारतीय शासकों को चाहिए कि उन्हीं उपदेशों को स्वयं ग्रहण कर कार्यान्वित करने की चेष्टा करें क्योंकि उदाहरण सदैव उपदेश से अधिक प्रभावशाली होता है।"

### ३ भारत की वर्तमान मुद्रा-व्यवस्था (PRESENT SYSTEM OF INDIAN CURRENCY)

भारत में सन् १८६१ से पूर्व वम्बई, बलरुना तथा मद्रास के प्रेसीडेन्सी बैंक नोट निर्गमन का कार्य करते थे। यह नोट अपने-अपने सीमित क्षेत्रों में ही चलन में थे। भारत सरकार ने व्यवस्था की कि ४ करोड़ रुपये तक की पत्र-मुद्रा तो केवल सरकारी प्रतिभूतियाँ कोष में रखकर निकाली जा सकती थी, परन्तु हमने अधिक मुद्रा निकालने के लिए शत-प्रतिशत स्वर्ण या चाँदी कोष में रखनी आवश्यक थी। इस प्रकार देश में नोट निकालन की विश्वासाहित प्रणाली (Fiduciary System) अपनायी गयी।

आनुपातिक कोष प्रणाली (Proportional Reserve System)—वेबिंग्टन स्मिथ समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने १९२० में यह निश्चय किया कि कुल नोटों के पीछे ५० प्रतिशत कोष सोन या चाँदी के रूप में रखे जायेंगे तथा शेष नोटों के पीछे सरकारी प्रतिभूतियाँ, कोषागार विपन्न अथवा स्टॉक प्रतिभूतियाँ कोष में रखी जायेंगी। इस व्यवस्था के लागू होने के कुछ समय पश्चात् ही देश में मुद्रा की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गयी। अतः सरकार ने यह निश्चय किया कि इम्पीरियल बैंक के माध्यम से कुल ११ करोड़ के नोट चलन में डाले जा सकते थे। यह व्यवस्था १९३५ तक चालू रही।

रिजर्व बैंक की स्थापना और नयी आनुपातिक कोष प्रणाली—सन् १९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और नोट निकालने का काम रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। इस प्रकार नोट निकालने की आनुपातिक कोष प्रणाली स्थापित की गयी जिसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं।

- (१) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया जितने नोट निकालता है उनके पीछे कम-से-कम ४०% कोष रखना आवश्यक था। यह कोष स्वर्ण, चाँदी अथवा विदेशी प्रतिभूतियों में रखा जा सकता था।
- (२) कोष के ४० प्रतिशत भाग में कम-से-कम ४० करोड़ रुपये का स्वर्ण होना आवश्यक था। इसका तात्पर्य यह है कि यदि रिजर्व बैंक ५०० करोड़ रुपये का नोट निकालता तो २०० करोड़ रुपये के तुल्य सोना, चाँदी या विदेशी प्रतिभूतियाँ कोष में रखनी आवश्यक थी, परन्तु इन २०० करोड़ रुपये के मूल्य में से कम-से-कम ४० करोड़ रुपये का स्वर्ण होना आवश्यक था। शेष १६० करोड़ रुपये के कोष चाँदी अथवा विदेशी प्रतिभूतियों में हो सकते थे।

(३) नोटों का ४० प्रतिशत भाग स्वर्ण, रजत तथा विदेशी प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित होना था परन्तु शेष ६० प्रतिशत के पीछे भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ हो सकती थीं।

वर्तमान पद्धति—वर्तमान समय में प्रचलित भारत की मुद्रा व्यवस्था को दो भागों में बाँटा जा सकता है—(i) नोट निर्गमन प्रणाली, (ii) घातु मुद्रा-व्यवस्था।

नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष पद्धति (Minimum Deposit System) पर आधारित है। वास्तव में, ५ अक्टूबर, १९५६ तक देश में आनुपातिक कोष प्रणाली ही अपनायी जाती रही परन्तु योजनाओं के अन्तर्गत विकास के लिए बहुत अधिक रकम की आवश्यकता पड़ी। इस रकम की पूर्ति के लिए आनुपातिक कोष की व्यवस्था करना कठिन था। अतः ६ अक्टूबर, १९५६ से देश में न्यूनतम कोष पद्धति अपना ली गयी। इस पद्धति के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के लिए कम-से-कम ११५ करोड़ रुपये का स्वर्ण तथा ४०० करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ कोष में रखना अनिवार्य कर दिया गया। इतना कोष रखने के पश्चात् वह चाह जितने नोट निकाल सकता था। ३१ अक्टूबर, १९५७ से कोष की कुल मात्रा २०० करोड़ रुपये निर्दिष्ट कर दी गयी जिसमें कम-से-कम ११५ करोड़ रुपये का स्वर्ण तथा विदेशी प्रतिभूतियाँ हो सकती थीं। वर्तमान में रिजर्व बैंक इसी व्यवस्था के आधार पर नोट निर्गमन करता है। ३१ जनवरी, १९६६ तक रिजर्व बैंक में रखे गये स्वर्ण का मूल्य ५३५८ रुपये प्रति दस ग्राम की दर से निर्धारित किया जाता था। उसके पश्चात् ८४३६ रुपये प्रति दस ग्राम की दर पर किया जा रहा है।

नोट निकालने के सम्बन्ध में इस तथ्य का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि भारत का रिजर्व बैंक ₹, ५, १०, ५०, १००, ५००, १,०००, ५,००० तथा १०,००० रुपये के नोट निर्गमित कर सकता है। १ रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा निकाला जाता है तथा यह एक रुपये की धातु मुद्रा का स्थानापन्न माना जाता है।

धातु मुद्रा—विभिन्न राशियों की पत्र-मुद्रा के अतिरिक्त देश में दशमसव प्रणाली के अनुसार धातु मुद्रा भी निकाली गयी है। धातु-मुद्रा भारत सरकार निकालती है और इसका प्रचलन रिजर्व बैंक अथवा सरकारी खजानों के माध्यम से किया जाता है। धातु-मुद्रा के सभी अंश (१, २, ३, ५, १०, २०, २५, ५० तथा १०० पैसे) सामेतिक सिक्के हैं जिनमें हल्की मिश्रित धातु का प्रयोग किया जाता है।

भारतीय मुद्रा व्यवस्था की विशेषताएँ—भारत की वर्तमान मुद्रा-प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

(१) देश में कागज तथा धातु की सामेतिक मुद्राएँ चलन में हैं। एक रुपये के अतिरिक्त सभी नोट रिजर्व बैंक निकालता है तथा एक रुपये का नोट और सभी धातु-मुद्राएँ भारत सरकार निकालती है।

(२) मुद्रा-व्यवस्था खर्चीली नहीं है क्योंकि पत्र-मुद्रा के पीछे बहुत कोष की आवश्यकता नहीं है तथा धातु मुद्रा हल्के और सस्ते पदार्थों की बनी हुई है।

(३) मुद्रा प्रणाली सरल है।

(४) इसमें पर्याप्त लोच है, अतः यह देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

भारतीय मुद्रा-बाजार को निम्न दो भागों में बाँटा जा सकता है .

(१) असंगठित भाग (Unorganised Sector),

(२) संगठित भाग (Organised Sector) ।

असंगठित भाग में देशी बैंकर तथा साहूकार सम्मिलित हैं जबकि संगठित भाग में रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, भारतीय व्यापारिक बैंक तथा सहकारी बैंक सम्मिलित हैं । देशी बैंकर तथा साहूकारों के कार्यों का विवेचन एव सहकारी बैंकों की प्रगति एव प्रवृत्तियों का विश्लेषण 'कृषि वित्त' नामक अध्याय में किया जा चुका है, अतः इस अध्याय में शेष समस्याओं का व्योरा दिया जा रहा है ।

### १. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (RESERVE BANK OF INDIA)

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना १ अप्रैल, १९३५ को की गयी थी । इसकी अधिकृत एव प्रदत्त पूँजी ५ करोड़ रुपये रखी गयी जिसका अधिकांश भाग निजी अगुधारियों के अधिकार में था । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् १ जनवरी, १९४६ में रिजर्व बैंक को सरकारी अधिकार में ले लिया गया ।

प्रबन्ध—बैंक का संचालन भार एक केन्द्रीय संचालकमण्डल में निहित है जिसके २० सदस्य हो सकते हैं । इनमें से एक गवर्नर और चार डिप्टी गवर्नर ५ वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं । चार संचालक चारों स्थानीय मण्डलों (प्रत्येक से एक) से मनोनीत होते हैं । दस संचालकों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार इस प्रकार करती है कि वे व्यापार, उद्योग, सहकारिता आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने हैं । इनकी नियुक्ति चार वर्ष के लिए होती है । सरकारी अधिकारी प्रायः सरकार का वित्त सचिव होता है । उसका न्यायालय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है ।

केन्द्रीय संचालकमण्डल के अतिरिक्त चार स्थानीय मण्डल कलकत्ता, बम्बई, तमिलनाडु तथा नई दिल्ली में हैं । इसमें पाँच-पाँच सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार ही करती है । ये सदस्य अपने-अपने से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं । इनका कार्यकाल चार वर्ष होता है ।

रिजर्व बैंक के कार्य—भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किये जा सकते हैं .

(१) नोट निर्गमन (Note Issue)—समाप्त के अन्य केन्द्रीय बैंकों की भाँति रिजर्व बैंक को नोट निकालने का एकाधिकार है । यह २, ५, १०, ५०, १००, ५००, १,०००, ५,००० तथा

१०,००० रुपये की राशियों के नोट निकाल सकता है। एक रुपये का नोट भारत सरकार निकालती है किन्तु इसका प्रसारण रिजर्व बैंक के माध्यम से होता है।

रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा ३३ के अनुसार, रिजर्व बैंक जितने नोट निकालता है उनके पीछे कम से-कम २०० करोड़ रुपये के मूल्य का कोष होना चाहिए। इसमें से ११५ करोड़ रुपये का स्वर्ण तथा शेष विदेशी प्रतिभूतियाँ हो सकती हैं।

(२) साख नियमन—नोट निकालने के अतिरिक्त रिजर्व बैंक साख नियमन का कार्य भी करता है। साख नियमन के लिए अब तक बैंक ने बैंक-दर, खुले बाजार की क्रियाएँ, तरल क यानुपात प्रवृत्त साख नियन्त्रण तथा नैतिक दबाव की क्रियाएँ अपनायी हैं।

(क) बैंक दर—रिजर्व बैंक द्वारा सितम्बर १९७१ तक अनेक बार बैंक दर में परिवर्तन किया गया है जिसमें पाँच बार दर में वृद्धि की है। इन परिवर्तनों तक एक बार कमी का व्योरा निम्न प्रकार है

वृद्धि की तिथि	नयी दर
१ १५ नवम्बर, १९५१	३.० से ३.५ प्रतिशत
२ १६ मई, १९५७	४.० "
३ २ जनवरी, १९६३	४.५ "
४ २५ सितम्बर, १९६४	५ "
५ १७ फरवरी, १९६५	६ "
६ ४ मार्च, १९६८	६ से ५ "
७ ८ जनवरी, १९७१	५ से ६ "

भारत में बैंक दर परिवर्तन की निम्नलिखित विशेषताएँ रही हैं

(अ) बैंक-दर में अधिक बार वृद्धि ही की गयी है।

(ब) बैंक-दर का प्रयोग केवल साख स्फीति का नियन्त्रण करने के लिए किया गया है।

(ग) भारतीय बैंक-दर बाजार दरो का अनुसरण करती रही है।

(द) भारतीय बैंक दर में परिवर्तन अत्यन्त कायरतापूर्वक किये गये हैं, उसमें तीन बार को छोड़कर आधा प्रतिशत से अधिक परिवर्तन कभी नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बैंक-दर का प्रभाव बहुत लाभदायक मिद्ध नहीं हो सका।

(ख) खुले बाजार की क्रियाएँ—रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार वह किसी भी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा अल्पकालीन विल सरोद या बेच सकता है।

रिजर्व बैंक प्रायः सरकारी प्रतिभूतियों का लेन-देन ही करता है। इस लेन-देन के प्रायः तीन उद्देश्य होते हैं। प्रथम उद्देश्य प्रतिभूतियों की माँग बनाये रखना होता है। दूसरा उद्देश्य यह है कि रिजर्व बैंक की क्रय विक्रय की क्रियाओं के फलस्वरूप सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों में स्थायित्व रहता है, तथा तीसरा उद्देश्य मुद्रा बाजार में साख-नियन्त्रण होता है। गत वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा इन तीनों उद्देश्यों के लिए ही खुले बाजार की क्रियाएँ (अर्थात् प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय) की गयी हैं। गत पाँच वर्षों के प्रतिभूतियों के शुद्ध विक्रय की कुल राशि लगभग १५० करोड़ रुपये थी। वास्तव में, साख स्फीति का नियन्त्रण करने के लिए गत वर्षों में विक्रय का कार्य ही अधिक हुआ है। आगामी वर्षों में भी सरकारी प्रतिभूतियों की विक्री बढ़ने की सम्भावनाएँ अधिक हैं।

(ग) प्रवृत्त साख नियन्त्रण (Selective Credit Controls)—भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग कानून की धारा २१ के अनुसार किसी भी बैंक को मुणों सम्बन्धी कोई भी आदेश दिया जा सकता है। इस धारा के अनुसार ही रिजर्व बैंक अनाज, हई, मूँगफली, तेल, कम्पनियों के

अथ तथा अन्य बहनुओं की धरोहर पर रकम उधार देने सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाता रहा है। यह प्रतिबन्ध सीमान्तर (Margin) घटाने-बढ़ाने अथवा विशेष सम्पत्ति की धरोहर पर दिये जान वाले ऋणों की सीमा निश्चिन करने के द्वारा लगाये गये हैं।

(घ) नैतिक दबाव—रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा समय-समय पर बैंकों को पत्र लिखकर साख नियन्त्रण करने की सलाह दी जाती है। अनेक बार बैंक अधिकारियों के सम्मेलनों में भी गवर्नर द्वारा साख नीति के लिए मार्ग दर्शक तत्वों का विवेचन किया जाता है। इन मुद्दाओं का बैंकों की साख नीति पर प्रायः स्वल्प प्रभाव पड़ा है।

(ङ) सरकार का बैंकर, प्रतिनिधि तथा सलाहकार (Banker, Agent and Advisor to the Government)—रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का बैंकर है जिसका तात्पर्य यह है कि बैंक द्वारा सरकार की करोड़ों प्राप्त कुल आय जमा की जाती है तथा उनकी ओर से कुल खर्चों का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब भी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार ऋण लेती है, रिजर्व बैंक उस ऋण के विज्ञापन से लेकर बमूली तक का कुल प्रबन्ध करता है। सरकार द्वारा लिए गये ऋणों के अ्याज समय पर चुकाने की व्यवस्था करता है तथा अवधि बीत जाने पर ऋणों का भुगतान करने का प्रबन्ध करता है।

भारत सरकार विदेशों से ऋण अथवा पूंजी सम्बन्धी लेन-देन के जितने समझौते सम्पन्न करती है, वे सब रिजर्व बैंक के माध्यम से ही कार्यान्वित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी वित्तीय क्रियाओं के लिए रिजर्व बैंक एजेंट का कार्य करता है। समय-समय पर रिजर्व बैंक के अधिकारी भारत सरकार को आर्थिक वित्त, औद्योगिक वित्त, कर-नीति, आर्थिक नीति अथवा प्रयुक्त नीति सम्बन्धी सलाह देते रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक अपने कर्मचारियों को भारत सरकार के किसी संस्थान में प्रबन्ध या सलाह देने के कार्य के लिए नियुक्त कर देता है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के अनेक अधिकारी अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा बोध, विश्व बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, वृषि पुनर्वित्त निगम तथा यूनिट ट्रस्ट में काम कर रहे हैं।

(च) बैंकों का नियन्त्रण—भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय बैंकिंग कानून (Banking Regulation Act) द्वारा ऐसे अनेक अधिकार दिये गये हैं जिनके द्वारा वह भारत में कार्यशील सभी व्यापारिक बैंकों की नीति तथा क्रियाओं का नियमन करता है। इन अधिकारों में मुख्य निम्नलिखित हैं।

(क) लाइसेंस—प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक को प्रार्थनापत्र देना पड़ना है। रिजर्व बैंक द्वारा सम्बन्धित बैंक के प्रबन्ध तथा आर्थिक स्थिति की जांच कर ली जाती है और उसके आधार पर लाइसेंस सम्बन्धी निर्णय किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह बात स्मरण रखना आवश्यक है कि रिजर्व बैंक को लाइसेंस के लिए प्रार्थनापत्र देना यथेष्ट है। उसके बाद लाइसेंस की वास्तविक प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा किये बिना ही नया बैंक कार्य आरम्भ कर सकता है, किसी बैंक को उस समय कार्य बन्द कर देना पड़ेगा, जबकि रिजर्व बैंक उसे लाइसेंस देने से इन्कार कर दे। एक बार लाइसेंस प्राप्त करने के बाद यदि कोई बैंक ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

(ख) प्रबन्ध—रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि (i) कोई व्यक्ति एक से अधिक बैंक का संचालक न हो, तथा (ii) किसी व्यक्ति के पास किसी व्यापारिक बैंक के एक प्रतिशत में अधिक अंश न हो।

उपर्युक्त दोनों नियम भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को अधिक प्रजातन्त्रीय तथा सुव्यवस्थित रखने के लिए बनाये गये हैं।

(ग) पूंजी—भारत का कोई नया बैंक ५ लाख में कम पूंजी में स्थापित नहीं किया जा

सकता। इसके अतिरिक्त किसी बैंक की प्राथित पूँजी अधिकृत पूँजी के ५० प्रतिशत और प्रस्त पूँजी प्राथित पूँजी के ५० प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

(घ) शाखा विस्तार—रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त किये बिना कोई बैंक नयी शाखा नहीं खोल सकता। यह व्यवस्था बैंक की शाखा व्यवस्था का नियन्त्रण करने के लिए है।

(ङ) नकद कोष—प्रत्येक अनुसूचित बैंक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी कुल जमाओ का कम से कम ३ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में जमा रखे। यह राशि जमाओ की १५ प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।

(च) संचय की माँग—रिजर्व बैंक किसी भी बैंक से किसी भी समय कोई भी सूचना माँग सकता है। इन सूचनाओं के अतिरिक्त प्रत्येक बैंक के लिए अपने अन्तिम खातों (स्थिति विवरण तथा लाभ-हानि खाता) की तीन प्रतियाँ रिजर्व बैंक के पास भेजनी आवश्यक हैं।

(५) समाशोधन व्यवस्था (Clearing Arrangement)—बैंकों का बैंक तथा अन्तिम ऋणदाता होने के नाते रिजर्व बैंक अपने स्वामनवाल से ही समाशोधन का कार्य कर रहा है। रिजर्व बैंक की स्थापना के वर्ष (१९३५) में कुल ४ समाशोधन गृह थे जिनकी मध्या १९७१ में १०५ हो गयी। समाशोधन गृह में शोधित बैंकों की संख्या १९५१-५२ में लगभग २८ करोड़ थी जो १९७०-७१ में बढ़कर ११-२१ करोड़ हो गयी। शोधित बैंकों की रकम १९५१-५२ में लगभग ७६ अरब रुपये थी जो १९७०-७१ में बढ़कर लगभग ३३२ अरब रुपये हो गयी। बैंकों के पारस्परिक लेन देन सम्बन्धी सम्पूर्ण शोधन रिजर्व बैंक के माध्यम में हो रहा है।

(६) बैंकों का बैंक (Bankers' Bank)—रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के नकद कोष जमा रखता है, उनके विलों की पुनर्कटौती करता है तथा उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों को धरोहर पर ऋण देता है। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को अल्पकालीन तथा कुछ विशेष कार्यों के लिए मध्यमकालीन ऋण देने की व्यवस्था करता है। वामनध मे, व्यसन काल (नवम्बर से अप्रैल मई तक) में व्यापारिक तथा राज्य सहकारी बैंकों की सम्पूर्ण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है।

(७) विदेशी विनिमय की व्यवस्था (Administration of Foreign Exchange)—रिजर्व बैंक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और भारत के विदेश स्थित दूतावासों के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था करता है। भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय दर बनाये रखने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। रिजर्व बैंक का विनिमय-नियन्त्रण विभाग देश की विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति का सम्पूर्ण लेला-जोला रखता है और माँग और पूर्ति में सन्तुलन बनाये रखने की चेष्टा करता है।

रिजर्व बैंक और ग्रामीण साख (Reserve Bank and Rural Credit)—रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण साख की विशेष व्यवस्था के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ हैं

(१) कोषों की स्थापना—कृषि या ग्रामीण साख की सुविधा देते के लिए रिजर्व बैंक में राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष (National Agricultural Credit—Long-term Operations—Fund) तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) (National Agricultural Credit—Stabilisation—Fund) स्थापित किये गये हैं। ३१ मार्च, १९६६ की इन कोषों में जमा रकम क्रमशः १७२ करोड़ रुपये तथा ३५ करोड़ रुपये थी।

दीर्घकालीन कोष में से सहकारी बैंकों तथा भूमिबन्धक बैंकों को ऋण दिये जाते हैं तथा भूमिबन्धक बैंकों के ऋणपत्र और सहकारी समितियों के अण खरीदे जा सकते हैं। स्थिरीकरण कोष का प्रयोग सूखा पड़ने की स्थिति में किसानों द्वारा दीर्घकालीन कोष के ऋण चुकाने में सहायता के लिए किया जाता है।



(२) साख गारण्टी योजना—सन् १९६० में सरकार द्वारा लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के लिए साख गारण्टी योजना (Credit Guarantee Scheme) लागू की गयी। इस योजना का संचालन रिजर्व बैंक करता है। इसके अन्तर्गत व्यापारिक बैंक तथा सहकारी बैंक लघु उद्योगों को मध्यमकालीन ऋण दे सकते हैं। इन ऋणों पर यदि कोई हानि हो तो उसके आधे भाग की क्षतिपूर्ति रिजर्व बैंक द्वारा (भारत सरकार की ओर) की जाती है।

रिजर्व बैंक की सफलताएँ—रिजर्व बैंक ने अपने कार्यकाल में निम्नलिखित कार्यों में सफलता प्राप्त की है

(क) सरकारी बैंकर, प्रतिनिधि तथा सलाहकार के रूप में उसने सराहनीय कार्य किया है।

(ख) कृषि साख के लिए रिजर्व बैंक द्वारा विशेष व्यवस्थाएँ की गयी हैं।

(ग) रिजर्व बैंक द्वारा औद्योगिक वित्त निगमों के अंश खरीदे गये हैं तथा वह इन निगमों को ऋण आदि भी देता है। इससे औद्योगिक विकास के लिए यथेष्ट वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा सकी है।

(घ) समाशोधन व्यवस्था करने में भी रिजर्व बैंक ने तत्परता का प्रदर्शन किया है। देश के १०७ स्थानों में, जिनकी जनसंख्या एक लाख या अधिक है, १०४ समाशोधन-गृह स्थापित किये जा चुके हैं जिससे बैंकिंग विकास को बहुत बल मिला है।

(ङ) रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मासिक पत्रिका तथा चार वार्षिक प्रतिवेदन (Report on Currency and Finance, Trend and Progress of Banking in India, Statistical Tables relating to Banks in India, and Statistical Statements relating to Cooperative Movement in India) में देश की आर्थिक प्रगति, बैंकिंग विकास तथा सहकारी क्षेत्र की प्रगति सम्बन्धी महत्वपूर्ण आँकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं।

रिजर्व बैंक की असफलताएँ—रिजर्व बैंक निम्न क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सका है

(१) मुद्रा-स्फीति—रिजर्व बैंक मुद्रा-स्फीति का नियन्त्रण करने में सफल नहीं हुआ है। वस्तुतः १९५१-५२ में देश में कुल मुद्रा (नोट धातु-मुद्रा तथा बैंकों की चालू जमा) पूर्ति लगभग १,८४८ करोड़ रुपये के तुल्य थी जो जून १९७१ में ७,४४६ करोड़ रुपये से भी ऊपर हो गयी। उसके फलस्वरूप ही वस्तु मूल्यों का सूचकांक जो १९५१-५२ में ११८ था, बढ़कर २०७ तक पहुँच गया।

(२) रुपये का विदेशी मूल्य—रिजर्व बैंक भारतीय रुपये की विदेशी विनिमय स्थिर रखने में भी सफल नहीं हुआ है। इसका प्रमाण यह है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय रुपये का दो बार अवमूल्यन करना पड़ा। सितम्बर १९७१ में ही घुले बाजार में एक डॉलर का मूल्य साढ़े बारह रुपया था।

(३) बैंक व्यवस्था—रिजर्व बैंक ने देश की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में बहुत संतर्कता में काम नहीं लिया। जो कुछ प्रयत्न किये गये हैं वे १९६० में पलाई मॅण्डल बैंक की असफलता के पश्चात् ही किये गये हैं। इनके परिणामस्वरूप देश में अनेक दुर्बल तथा बिना लाइसेंस प्राप्त बैंक काम कर रहे हैं।

(४) प्रकाशन—रिजर्व बैंक के प्रायः सभी प्रकाशन देर से निकलते हैं और उनके मूल्य भी बहुत ऊँचे हैं।

(५) देशी बैंकर—रिजर्व बैंक देशी बैंकरो को अपने नियन्त्रण में लाने में असफल रहा है।

### स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (STATE BANK OF INDIA)

**स्थापना**—ग्रामीण साख्य सर्वेक्षण समिति (Rural Credit Survey Committee) ने यह सिफारिश की थी कि भारत के इम्पीरियल बैंक तथा देशी राज्यों में स्थापित दस बैंकों (Bank of Baroda, Bank of Bihar, Bank of Hyderabad, Bank of Indore, Bank of Jaipur, Bank of Mysore, Bank of Patna, Bank of Rajasthan, Bank of Saurashtra Bank of Travancore) को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना कर दी जानी चाहिए। तदनुसार भारत सरकार ने एक विशेष कानून (State Bank of India Act) पास कर १ जुलाई, १९५५ से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना कर दी। इस बैंक से बैंक ऑफ बड़ोदा तथा बैंक ऑफ राजस्थान अलग रखे गये क्योंकि बड़ोदा बैंक भारत के पाँच बड़े बैंकों में से था और राजस्थान बैंक ने स्टेट बैंक में मिलने से इन्कार कर दिया। शेष आठ बैंकों को भी स्टेट बैंक में सम्पूर्ण रूप से नहीं मिलाया गया बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप में स्टेट बैंक के महापक (Subsidiary) का रूप दे दिया गया। इन बैंकों के नाम के पहले 'स्टेट' शब्द जोड़ दिया गया। जनवरी १९६३ में स्टेट बैंक आव बीकानेर तथा स्टेट बैंक आव जयपुर को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर नाम रख दिया गया। इस प्रकार अब स्टेट बैंक परिवार में स्वयं स्टेट बैंक तथा उसके सात सहायक बैंक हैं।

**पूँजी तथा प्रबन्ध**—स्टेट बैंक की अग्रिम पूँजी २० करोड़ रुपये रखी गयी है जो १००-१०० रुपये के अणु में विभाजित है। बैंक की प्रचल पूँजी ५ ६२ ५०,००० रुपये निश्चित की गयी है।

स्टेट बैंक की प्रबन्ध व्यवस्था एक केन्द्रीय संचालकमण्डल (Central Board of Directors) द्वारा की जाती है। संचालकमण्डल में निम्नलिखित सदस्य होते हैं

- (१) एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।
- (२) अधिष्ठाता से अधिकांश दो प्रत्येक संचालक सरकार के अनुभाजन पर संचालकमण्डल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।
- (३) प्रत्येक स्थानीय मण्डल का समापति—वर्तमान में ७ स्थानीय मण्डल हैं।
- (४) दो संचालकों की नियुक्ति निजी अग्राधारियों द्वारा की जाती है। वर्तमान में निजी अग्राधारियों के पास स्टेट बैंक के कुल अणुओं का ८ प्रतिशत है।
- (५) रिजर्व बैंक की सलाह से भारत सरकार कम से कम दो और अधिक से अधिक छह संचालक नियुक्त कर सकती है। ये व्यक्ति महाकारिशा, वाणिज्य उद्योग, बैंकिंग अथवा वित्त सम्बन्धी विशेषज्ञ होते हैं।

**स्थानीय मण्डल**—स्टेट बैंक का केन्द्रीय कार्यालय बम्बई में है जहाँ से केन्द्रीय संचालक मण्डल बैंक की नीति निर्धारित करता है। इसने अतिरिक्त इकायों के साथ स्थानीय मण्डल हैं जो कानकता, वानपुर, बम्बई अहमदाबाद, नई दिल्ली मद्रास और हैदराबाद में हैं।

स्थानीय मण्डल का गठन निम्न प्रकार होता है

- (१) एक अध्यक्ष—स्टेट बैंक के अध्यक्ष ही पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- (२) केन्द्रीय संचालकमण्डल के सदस्य जो सम्बन्धित स्थानीय मण्डल के क्षेत्र में रहते हैं।
- (३) छह संचालक—रिजर्व बैंक की सलाह से भारत सरकार नियुक्त करती है।
- (४) एक सचिव—निजी अग्राधारियों द्वारा, यदि उनके पास स्टेट बैंक के कम से कम २५ प्रतिशत अणु हो अथवा उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।
- (५) स्थानीय मण्डल का उपाध्यक्ष तथा सचिव।

स्थानीय मण्डल के मण्डलों में से ही एक को रिज़र्व बैंक के माध्यम द्वारा गणनात्मक नियुक्त कर दिया जाता है।

**स्टेट बैंक के उद्देश्य एवं पूर्ति—**स्टेट बैंक के निम्नलिखित उद्देश्य थे जिन्होंने पूर्ति का स्वीकार कीये दिया जा रहा है

(१) **घासों में बैंकिंग विकास—**स्टेट बैंक की स्थापना का प्रथम उद्देश्य यह था कि यह देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करेगा तथा घासों में बैंकिंग सुविधाओं की विजय व्यवस्था करेगा। तदनुसार यह निर्दिष्ट किया गया कि यह प्रथम पाँच वर्षों में (३० जून, १९६० तक) कम से कम ६०० नयी शाखाएँ खोलेंगा। स्टेट बैंक ने जून १९६० को ही इस लक्ष्य की पूर्ति कर ली। तदनुसार कुल मामलों की विचारविधि पर आयातों पाँच वर्षों में ३०० नयी शाखाएँ खोलीं जा विस्तृत किया गया। इस लक्ष्य को भी पूर्ण कर ली गयी है। तदनुसार २१ डिगम्बर, १९७० तक स्टेट बैंक की शाखाओं की संख्या ४१२७ हो गयी। इसका अन्तर्गत भी आया विस्तार का कार्य जारी रहा है।

(२) **एक सार्वजनिक बैंक का निर्माण—**स्टेट बैंक का स्थापना का एक उद्देश्य यह था कि इसका कुछ बैंकों का नियंत्रण कर देश में एक जय त सार्वजनिक बैंक की स्थापना की जाय जो देश के उद्योग व्यापार तथा निवेशी विविध मण्डलों में अन्तर्गतों योगदान कर सके। वास्तव में, एक साधनमय बैंक देश के सभी क्षेत्रों में विविध योगदान दे सकता है। इस दृष्टि में ही देश के आठ (सीकरार, जयपुर, पश्चिमाञ्चल, इ.सी., मीरठ, हैदराबाद, मंगलूर तथा द्वापरकीर बैंक) को स्टेट बैंक का सहायक बैंक बना दिया गया है जिसके समस्त उद्देश्य स्टेट बैंक परिवार एक सार्वजनिक बैंक संघटन का एक घटक बन गया है। इस कार्य का अनुभाग निम्नलिखित तर्कों से हो सकता है।

स्टेट बैंक का संघटन

३१ डिगम्बर, १९७०

(करोड़ रुपयों में)

	स्टेट बैंक	सहायक बैंक	योग	कुल बैंकिंग प्रणाली का प्रतिशत
१. कापीय	७,१७७	१,१६९	३,७७१	३०
२. जमा रकम	१,७२७	३३४	१,४४७	२८
३. अल्प व अधिक	१,०६०	२६१	१,३२१	३०
४. सरकारी प्रतिष्ठानों में विनिर्माण	३३७	७७	६०९	३०

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्टेट बैंक परिवार भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की शाखाओं, जमा रकमों तथा अल्प अधिकों के सम्बन्ध में लगभग ३० प्रतिशत का नियंत्रण करता है। यह निष्पत्ति ही उसकी शक्ति का प्रतीक है।

(३) **घासों का विकास के लिए सुविधाएँ—**स्टेट बैंक की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि यह भारत के घासों क्षेत्रों में साधन सुविधाओं का विस्तार करेगा ताकि उन भागों में श्रमी, उद्योग तथा व्यवसाय की प्रगति हो सके। स्टेट बैंक ने अनेक कार्यक्रमों में घासों का विकास के लिए निम्नलिखित सुविधाओं का विस्तार किया है :

(क) **प्रेषण एवं अल्प—**स्टेट बैंक ने राज्य सरकारी बैंकों के लिए एक स्थान में प्रेषण स्थान पर एकमात्र भेजा की सुविधा साराह में एक बार में उदाहरण नीचे बार कर दी है। इसके प्रतिफल यह केन्द्रीय सरकारी बैंकों, राज्य सरकारी बैंकों, आदि को आधा प्रतिशत कम व्याज पर अल्प देता है।

(ख) ऋय विक्रय तथा विधायन साख—स्टेट बैंक ऋय विक्रय समितियों को माल की घोरोहर पर अथवा विणय परिस्थितियों में बिना घोरोहर ऋण देता है ।

(ग) गोदामों के लिए वित्त—स्टेट बैंक द्वारा अधिकृत मालगोदामों की रसीदों के आधार पर ऋण दिये जाते हैं । बक द्वारा केन्द्रीय मालगोदाम निगम के १ करोड़ रुपय के अंश भी खरीदे गए हैं जिसमें दश म मानपाशम बनाने में मदद मिली है ।

(घ) भूमिगत धरु बैंकों की सहायता—स्टेट बैंक द्वारा भूमिवन्धक बैंकों के ऋणपत्रों की घोरोहर पर ऋण दिये जाते हैं तथा उनका ऋणपत्रों की खरीद भी की जाती है ।

(ङ) लघु उद्योगों की ऋण—साख गारण्टी योजना का अन्तर्गत स्टेट बैंक ने अब तक सर्वाधिक ऋण दिये हैं । वह अपना प्रत्येक शाखा पर लघु उद्योगों को उनके माल की घोरोहर पर ऋण देता है ।

३१ दिसम्बर १९७० तक स्टेट बैंक द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए दी गयी सहायता का व्योरा निम्नलिखित है

(i) लघु उद्योगों के लिए सहायता—खाता की मध्या ५१ ३०००, स्वीकृत रकम ३३१ करोड़ रुपय, ऋण राश १६६ करोड़ रुपय ।

(ii) सहकारी संस्थाओं की सहायता—खाता की मध्या ३ १००, स्वीकृत रकम २६६ करोड़ रुपय ऋण राश १४१ करोड़ रुपय ।

(iii) माल गोदामों की रसीदों पर ऋण—खाता की मध्या १,५०० स्वीकृत रकम . ५ करोड़ रुपय, ऋण राश १ करोड़ रुपय ।

(४) विदेशी विनिमय की व्यवस्था—स्टेट बैंक को आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने का उद्देश्य यह था कि वह मगर के किसी देश में भुगतान की सुविधा प्रदान कर सके । वर्तमान में स्टेट बैंक २० महाव्यूषण विदेशी मुद्राओं में लेन देन की व्यवस्था करता है जिसमें मसतार के किसी भी देश में भुगतान करना सम्भव है ।

उपयुक्त व्योरे से स्पष्ट है कि बैंक को अपने सभी उद्देश्यों में महत्त्वपूर्ण सफलता मिली है ।

### विदेशी विनिमय बैंक

(FOREIGN EXCHANGE BANKS)

भारत में कुछ ऐसी बैंक भी कार्यशील हैं जिनकी स्थापना विदेशों में हुई है और भारत में उनकी शाखाएँ हैं । ऐसी बैंकों की संख्या १५ है जिनमें ६ ब्रिटिश ३ अमरीकन, २ जापानी २ पाकिस्तानी<sup>१</sup> १ हाङ्ककांग १ हालैण्ड तथा १ फ्रांस में हैं । इन बैंकों की भारत में कुल १३८ शाखाएँ हैं जिनमें स अफ्रिकान व इराक में अथवा बहुत बड़े व्यापारिक नगरों में हैं । इन बैंकों को भारत में विदेशी विनिमय बैंक या केवल विनिमय बैंक कहा जाता है ।

कार्य—विदेशी विनिमय बैंकों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

(१) विदेशी व्यापार में सहायता—यह बैंक विदेशी लेन देन में बहुत अनुभवी हैं अतः यह आयात तथा निर्यात व्यापार के लिए धन की व्यवस्था करते हैं ।

(२) देशी व्यापार में सहायता—विदेशी व्यापार की भाँति ही विदेशी विनिमय बैंक देशी व्यापार के लिए भी धन की व्यवस्था करते हैं । देशी विद्यो, हण्डिया आदि के भुगतान के प्रतिक्रिये यह व्यापारिया तथा साहकारों को ऋण भी दे देते हैं जिसमें व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिलता है । विदेशी विनिमय बैंक मुद्रातानी हण्डियों की घोरोहर पर नियमित रूप से ऋण देते हैं ।

(३) व्यापारिक बैंकों के कार्य—विनिमय बैंक प्रायः रकम जमा करने, ऋण देने, विलो भी कटौती करन आदि व्यापारिक बैंकों के सब प्रकार के कार्य करते हैं ।

<sup>१</sup> पाकिस्तानी आक्रमण के समय से कम्बोडियन के अधिकार में हैं ।

विदेशी-विनिमय बैंकों की प्रगति—योजनाकाल में भारत में विदेशी बैंकों की प्रगति का व्योरा निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बैंकों की संख्या	शाखाएँ	जमा राशि	ऋण योग	सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग
१९५१-५२	१६	६५	१६२	१५८	४५
१९७०-७१	१५	१३०	५५०	३६८	१५३

ऊपर दिये हुए व्योरे में स्पष्ट है कि विनिमय बैंकों की शाखाएँ, जमा राशि, ऋण योग तथा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित रकम की राशि में बहुत वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि विनिमय बैंकों ने भारत में जितनी जमा रकम प्राप्त की है उससे अधिक रकम भारत में विनियोजित कर रखी है।<sup>१</sup> इसका अर्थ यह है कि इन बैंकों का भारतीय व्यावसायिक प्रगति में समुचित योगदान है।

विनिमय बैंकों की सेवाएँ—भारत स्थिति विदेशी विनिमय बैंकों की उल्लेखनीय सेवाएँ निम्नलिखित हैं

(१) वह ग्राहकों को उच्चस्वतंत्रीय सेवाएँ प्रदान करते हैं।

(२) वह विदेशी व्यापार के लिए वित्तीय व्यवस्था करते हैं तथा इस क्षेत्र में अरब विशेष अनुभव से देश को लाभ पहुंचाते हैं।

(३) वह भारतीय व्यापारियों तथा बैंकों का सम्पर्क विदेशी व्यापारियों तथा बैंकों में स्थापित करने में माध्यम का काम करते हैं।

विनिमय बैंकों की आलोचनाएँ और उनका विश्लेषण—स्वतन्त्रता में पूर्व भारतीय बैंकों की अनेक आलोचनाएँ की जाती थी किन्तु अब उनमें से किसी भी आलोचना में सत्याग नहीं रह गया है, जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों में लग सकता है

(१) गुप्त लेन देन—वह बैंक अपने लेन देन गुप्त रखने से और भारत में अपने व्ययमाय सम्बन्धी खाते प्रकाशित नहीं करने से, किन्तु अब इन बैंकों की भी रिजर्व बैंक के अनुशासन में काम करना पड़ना है और भारतीय कानून के अन्तर्गत इन्हें अपने सम्पूर्ण भारतीय लेन-देन का विवरण प्रकाशित कर उसकी तीन प्रतियाँ रिजर्व बैंक को भेजनी पड़नी हैं।

(२) विदेशों को लाभ—इन बैंकों पर यह आरोप था कि वह भारत में जमा प्राप्त कर विदेशों में विनियोजित कर देते थे। यह स्थिति भी अब बदल गयी है। भारतीय बैंकिंग कानून के अनुसार सभी विदेशी विनिमय बैंकों को अपनी भारतीय जमाओं का कम से कम ७५ प्रतिशत भारत में रखना पड़ना है। वास्तविक स्थिति यह है कि अब यह बैंक भारत में पूंजी आयात करते हैं जैसा कि हमने पूर्व दिये गये आँकड़ों में स्पष्ट है।

(३) विदेशी व्यापार में एकाधिकार—विदेशी बैंकों को विदेशी व्यापार सम्बन्धी लेन देन का बहुत अनुभव है, अतः इस दिशा में उनका एकाधिकार हो सकता है, परन्तु वास्तविक स्थिति

१	भारत में ऋण	३६८ करोड़ रुपये
	सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग	१५३ " "
	नकद तथा याचता राशि	३९ " "
	योग	५६० करोड़ रुपये

ऐसी नहीं है। वर्तमान में १५ विदेशी बैंकों के अतिरिक्त २७ भारतीय बैंक भी विदेशी व्यापार के लिए वित्तीय व्यवस्था करते हैं।

(४) पश्चात्—विदेशी विनिमय बैंक विदेशियों तथा विदेशी कंपनियों का पक्ष लेते थे और उन्हें अधिक सुविधा देते थे तथा अपने यहां उच्च पदों पर भी विदेशियों को ही नियुक्त करते थे। यह स्थिति स्वतन्त्रता के पश्चात् सर्वथा बदल गयी है।

(५) आन्तरिक व्यवस्था में स्पर्धा—भारत के बैंकों में विदेशी बैंकों की स्पर्धा अत्यन्त तीव्र रही है। वास्तव में स्पर्धा करना कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि इसमें सेवाओं के स्तर में सुधार होता है। इस दृष्टि में यह आलोचना सर्वसंगत नहीं है। वर्तमान समय में भारत के बैंक भी प्रगतिशील शक्तियाँ हो गये हैं और वह विदेशी बैंकों से बिना बहिर्नाई के स्पर्धा कर सकते हैं।

विदेशी विनिमय बैंकों पर नियन्त्रण—भारतीय बैंकिंग कानून द्वारा भारतीय बैंकों की भाँति विदेशी विनिमय बैंकों पर भी निम्नलिखित नियन्त्रण लगा दिये गये हैं

(१) उन्हें कम से कम १५ लाख रुपये नकद या उस मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों रिजर्व बैंक के पास जमा रखनी पड़ती है। यदि बैंक की प्रारम्भिक पूंजी या बचत में है तो इस रकम की मात्रा २० लाख रुपये है।

(२) विदेशी विनिमय बैंकों को भी रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेने के लिए प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। रिजर्व बैंक की आज्ञा के बिना कहीं कोई शाखा भी नहीं खोली जा सकती।

(३) विदेशी बैंकों को अपनी भारतीय जमाओं का कम से कम ७५% भारत में ही विनियोजित करना पड़ता है।

(४) उन्हें अपने भारतीय व्यवसाय का अन्वेषण करवाना पड़ता है तथा उसका खाता-विवरण प्रकाशित करना पड़ता है और उसकी तीन प्रतियाँ रिजर्व बैंक को भेजनी पड़ती हैं।

(५) रिजर्व बैंक इन बैंकों का जय चाहे निरीक्षण कर सकता है तथा कोई अनियमितता (विशेषतः भारत विरोधी) पाये पर उसे भारत में अपना व्यवसाय बन्द करने का आदेश दे सकता है।

विदेशी बैंक अब भी व्यवसाय में स्वतन्त्र हैं क्योंकि उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है। उनके लिए भारत में एक सलाहकार मण्डल की नियुक्ति करना आवश्यक है।

### व्यापारिक बैंक

#### (COMMERCIAL BANKS)

भारत में वाणिज्य व्यापारिक बैंकों को दो श्रेणियों में रखा गया है—(१) अनुसूचित बैंक (Scheduled Banks) तथा (२) गैर-अनुसूचित बैंक (Non Scheduled Banks)।

अनुसूचित बैंक यह हैं (१) जिनकी प्रारम्भिक पूंजी तथा कोष कम से कम ५ लाख रुपये हैं।

(२) जिनकी वार्षिक तीन रिजर्व बैंक के मतानुसार सन्तोषजनक है।

इन शर्तों का पालन न करने वाले बैंक गैर-अनुसूचित बैंक हैं।

व्यापारिक बैंकों की प्रगति—गत पन्द्रह वर्षों में भारतीय बैंकों की प्रगति निम्न प्रकार हुई है

#### व्यापारिक अनुसूचित बैंक

	भारतीय अनुसूचित बैंक		गैर-अनुसूचित बैंक	
	१९५१-५२	१९७०-७१	१९५१-५२	१९७०-७१
१ सध्या	७८	५८	४४२	१२
२ जमा राशि (करोड़ ₹)	६६०	५,३४४	३६	१५
३ प्रभु, अधिम आदि,	४२२	४,१६७	३१	३
४ विनियोग (सरकारी प्रतिभूतियाँ)	२७१	१,२१०	१३	५

संरचनाकाल में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं

(१) भारतीय अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या में कमी आयी है। गैर-अनुसूचित बैंकों की संख्या तो ४४२ में केवल १२ रह गयी है। इसका कारण यह है कि बहुत से बैंक तो बन्द हो गये हैं, शेष को बड़े बैंकों के साथ मिला दिया गया है।

(२) अनुसूचित बैंकों की जमा गति लगभग आठ गुनी हो गयी है जबकि गैर-अनुसूचित बैंकों की जमा गति बहुत कम हो गयी है। इसका कारण गैर अनुसूचित बैंकों का विफल होना है। वास्तव में, विविधों तथा ऋणों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति उल्लेखनीय है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में संरचनाकाल में आमूल चूना परिवर्तन हो गये हैं। इन परिवर्तनों का मूल कारण रिजर्व बैंक की नीति है जिसके अनुसार दुर्बल बैंकों में मिला दिया गया है। इस क्षया में बैंकिंग संगठन में निश्चय ही सफलता एवं शक्ति आयी है।

### भारतीय व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण

भारत के व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण—भारतीय व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की माँग कई वर्षों से हो रही थी। इन माँग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही १ फरवरी, १९६६ में भारतीय व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण सम्बन्धी योजना लागू की गयी। इस योजना के लागू होने पर भी वामपंथी नेताओं तथा समाजवाद के समर्थकों को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने जहाँ भी अवसर मिला, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की माँग को दोहराया। जुलाई १९६६ में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन बंगलौर में हुआ जिसके कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के कुछ वामपंथी नेताओं ने देश में लागू करने के लिए एक समाजवादी कार्यक्रम प्रसारित किया जिसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण की माँग भी की गयी थी। बंगलौर अधिवेशन के पहले दिन ही भारत की प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने भी देश में समाजवादी कार्यक्रम लागू करने की दृष्टि में एक नोट प्रसारित किया जिसमें देश के प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी सम्मिलित था। इन नोट की सभी बातों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अधिवेशन के समाप्त होते ही विल मन्त्रालय का भार श्री मोरारजी देसाई से प्रधानमंत्री ने ले लिया ताकि बंगलौर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के सभी मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके। तदनुसार १६ जुलाई, १९६६ को मायका एक अध्यादेश निकाला गया जिसके अनुसार भारत के १४ प्रमुख निजी व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा की गयी। यह अध्यादेश तत्काल लागू कर दिया गया। इसे तुरन्त ही लोकसभा द्वारा पारित करवाकर अधिनियम का रूप दे दिया गया।

राष्ट्रीयकरण की उल्लेखनीय विशेषताएँ—इन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

(१) भारत के १४ निजी व्यापारिक बैंकों का स्वामित्व, जिनकी जमा गति ५० करोड़ रुपये से अधिक थी, सरकारी अधिकार में ले लिया गया। इन बैंकों के नाम निम्नलिखित हैं :

- (i) सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
- (ii) बैंक ऑफ इण्डिया;
- (iii) पञ्जाब नेशनल बैंक,
- (iv) बैंक ऑफ कोटा,
- (v) यूनाइटेड कॉमर्सियल बैंक,
- (vi) कनारा बैंक,
- (vii) यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया,
- (viii) दना बैंक,

- (ix) सिण्टीकेट बैंक,
- (x) यूनिपन बैंक ऑफ इण्डिया,
- (xi) इलाहाबाद बैंक,
- (xii) इण्डियन बैंक,
- (xiii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
- (xiv) इण्डियन ओवरसीज बैंक ।

(२) इन चोदह बैंकों की सम्पूर्ण सम्पत्ति दायित्व तथा कोष आदि सरकारी अधिकार में आ गये हैं ।

(३) इन बैंकों के अग्राधारियों को ८७ ५ करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति देने का निश्चय किया गया है ।

(४) प्रत्येक बैंक के मुख्य अधिकारी उनके परिचरक (custodian) नियुक्त कर दिये गये किन्तु केन्द्रीय सरकार किसी अन्य व्यक्ति को भी परिचरक नियुक्त कर सकती है ।

(५) प्रत्येक बैंक के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध सचालक अथवा सचालकमण्डल के सभी सदस्यों को उनके पदों से मुक्त कर दिया गया और नये मण्डलों की नियुक्ति कर दी गयी ।

(६) इन बैंकों के अन्य कर्मचारी तथा अधिकारी अपने पदों पर बचाव करने रहेंगे । वे भारतीय दण्ड विधान के नवें अध्याय के अनुसार सरकारी कर्मचारी मान लिए गये हैं ।

(७) इन बैंकों के संचालन के लिए सरकार द्वारा नियम बनाये जा रहे हैं ।

**सरकार का दायित्व—**राष्ट्रीयकरण के पत्रस्वरूप भारत सरकार को इन चोदह बैंकों के अग्राधारियों को ८७ ५ करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा है ।

आर्थिक दायित्व के अनिश्चित सरकार पर मुख्य भार प्रबन्ध व्यवस्था का है । सरकार को इन बैंकों के लिए अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों की खोज करने पड़ेगी तथा नये सचालकमण्डल या सलाहकार मण्डल नियुक्त करने पड़ेंगे । यह कार्य रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक की सलाह से किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में मुख्य रूप में ध्यान देने की बात यह है कि अब सरकार के स्वामित्व में २२ व्यापारिक बैंक (१४ नये १ स्टेट बैंक तथा ७ सहायक बैंक हैं) । इन बैंकों के कुशल संचालन के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (I. A. S.) के समानान्तर भारतीय बैंकिंग सेवा (Indian Banking Service) की स्थापना होनी चाहिए । वर्तमान में भी बैंकों के मुख्य अधिकारियों की नियुक्ति पुरातनपद्धति एवं सरकारी नौकरशाही की आदतों से युक्त सरकारी अधिकारियों में से नहीं की जानी चाहिए । सरकार को विशेष योग्यता वाले युवक अथवा बैंकिंग क्षेत्र में अनुभवी एवं तप हूए व्यक्तियों को ही इन बैंकों के संचालन का भार सौंपना चाहिए ।

जहाँ तक इन बैंकों की जमा रकमों का प्रश्न है, सरकार के सामने कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि सामान्य जनता उन्हीं स्थानों में नियमित लेन देन करती रहेगी, जहाँ वह पहले करती रही है ।

जहाँ तक बैंकों के कार्यालयों का प्रश्न है, राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकार के अधिकार में लगभग ६,२०० बैंकिंग कार्यालय आ गये (जिनमें लगभग २,४०० स्टेट बैंक में और ३,८०० निजी बैंकों में सम्बद्ध थे) जिनमें से धीरे-धीरे नगरों में स्थित कुछ कार्यालयों को बंद किया जा सकता है । इसमें अनावश्यक खर्च में बचन होगा और ग्रामों में नये कार्यालय स्थापित करने में आसानी रहेगी ।

उन सब दायित्वों में भी महत्वपूर्ण दायित्व इन बैंकों की नीति नियम आदि निर्धारित करना है । इस सम्बन्ध में इन बैंकों को कुछ समय के भीतर ही स्टेट बैंक के समकक्ष माना



वावश्यक है। उचित तो यह है कि तीन वर्ष के भीतर इन बैंको में बड़े सब नियम, उपनियम लागू कर दिये जायें जो स्टेट बैंक में लागू हैं।

एक उल्लेखनीय तथ्य—भारतीय बैंको के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है। देश में कार्यशील १५ विदेशी बैंकों (जिनके निक्षेप लगभग ४५० करोड़ रुपये के तुल्य थे), ४४ भारतीय अनुसूचित बैंको तथा १७ गैर अनुसूचित बैंकों के रूप में कार्य करते रहने की स्वतन्त्रता दी गयी। इनमें गैर अनुसूचित बैंकों का विरोध महत्त्व नहीं है क्योंकि उनकी कुल सख्या घटकर १२ और जमाएँ घटकर लगभग १५ करोड़ रुपये के तुल्य रह गयी हैं। विदेशी बैंकों को राजनीतिक कारणों से छोड़ दिया गया है। वास्तव में, यह निर्णय समाजवादी धारणा से मेल नहीं खाता। जब राष्ट्रीयकरण का निर्णय लेना ही था तो देश की सम्पूर्ण बैंक-व्यवस्था को सरकारी स्वामित्व में लेना चाहिए था। यह सही है कि १४ निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् देश की बैंकिंग व्यवस्था का लगभग ८५ प्रतिशत भाग सरकारी स्वामित्व में आ गया है किन्तु शेष १५ प्रतिशत को निजी क्षेत्र में छोड़ने के लिए कोई उचित तर्क नहीं दिया जा सकता। यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय हित में किया गया तो निश्चय ही सभी बैंकों के राष्ट्रीयकरण से राष्ट्रीय हित भी अधिक ही होता, कम नहीं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण सरीखे क्रांतिकारी कदम धार-धार नहीं उठाये जा सकते, अतः कुछ बैंकों को निजी क्षेत्र में छोड़ना उचित नहीं कहा जा सकता।

### बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रभाव

भारत के १४ प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण से विभिन्न वर्गों तथा क्षेत्रों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है जो निम्नलिखित हैं -

(१) बैंकिंग विकास—देश में बैंकिंग विकास की गति में तेजी आयी है और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अधिक शाखाएँ खुली हैं क्योंकि लोक-क्षेत्र के बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में खुलन वाली शाखाओं से होने वाली हानि की विशेष चिन्ता नहीं है, इसी कारण २१ दिसम्बर, १९७० तक चौदह बैंकों की २,८७८ नयी शाखाएँ खोली गयी हैं।

(२) कर्मचारी-वर्ग—इन बैंकों में कार्यशील कर्मचारियों में बलवंत वर्ग पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके, वेतन, भत्ते आदि देमाई निर्णय (Desai Award) के अनुसार नहीं दिये जाते हैं। परन्तु इन भत्तों में परिवर्धन वृद्धि आदि की सम्भावनाएँ कम हैं क्योंकि लोक-क्षेत्र के उपक्रमों में होने वाले आन्दोलनों को सरकार प्रायः सन्धी से दबा देती है। जून १९६६ में स्टेट बैंक के अधिकारियों का आन्दोलन इस तथ्य का ज्वलन्त प्रमाण है। इस आन्दोलन को सन्धी से दबा दिया गया और अग्राधारियों की एक भी माँग को स्वीकार नहीं किया गया।

जहाँ तक इन बैंकों के अधिकारियों का प्रश्न है, उन पर मिश्रित प्रभाव पड़ेगा। इन बैंकों के अधिकारियों को मुख्य लाभ यह होगा कि इन्हें प्रतिदिन बहुत देर तक काम नहीं करना पड़ेगा। यह प्रायः देखा गया है कि निजी बैंकों के अधिकारी रात्रि को ८-९ बजे तक काम करते हैं। इस स्थिति का स्वाभाविक अन्त हो जायगा। किन्तु दूसरी ओर बहुत योग्य और कुशल व्यक्तियों के लिए उन्नति के अवसर सीमित रह जाएँगे। निजी बैंकों में प्रायः योग्यता और कुशलता के आधार पर पदोन्नति की परम्परा रही है। राजकीय क्षेत्रों के बैंकों में पदोन्नति निश्चित नियमों या वरिष्ठता के आधार पर मिलती है। अतः वहाँ श्रेष्ठ कार्य करने वाली के लिए विशेष प्रोत्साहन नहीं होता।

अधिकारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में एक और उन्नयनीय बात यह है कि निजी बैंकों में जिस पक्षपात अथवा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के आधार पर पदोन्नति होती थी, उनका लोक-क्षेत्र में चलना कठिन होगा क्योंकि लोक-क्षेत्र में होने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध उच्च अधिकारियों अपना न्यायालय में अपील द्वारा न्याय प्राप्त किया जा सकता है। लोकमभा में प्रश्न उठाकर भी इन अनियमितताओं को रोका जा सकता है।

(३) पूंजीवादी वर्गों—भारतीय बैंकों में भी अन्य देशों की भांति पूंजीवादी प्रभाव अत्यधिक रहा है। जिन बैंकों का लोक-क्षेत्र में ले लिया गया है उनके प्रबन्ध तथा संचालन में पूंजीवादी प्रभाव का अन्त हो जायगा। इसमें निश्चय ही आर्थिक सत्ता का सकेन्द्रण कम होगा, सट्टे की प्रवृत्तियों में बर्बाद आयों तथा देश की वस्तुओं का योजनावर्षों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार विनियोजन करवाना सरल होगा।

(४) आर्थिक नीतियों का पालन—चौदह प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि सरकार द्वारा जो भी आर्थिक नीतियाँ निर्धारित की जाएँगी या तन्मन्वन्वो निर्देश दिए जाएँगे उनका पालन उसी रूप में होता रहेगा और सरकार या रिजर्व बैंक को बार-बार बैंकिंग व्यवस्था का निरीक्षण या परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(५) जनता—बैंकों के राष्ट्रीयकरण में उर्मचारी वर्ग में जो स्वाभाविक गिणितना आयेंगी, उममें इन बैंकों के सेवा-स्तर में गिरावट आना स्वाभाविक है। इसके परिणामस्वरूप जनता को बहुत कष्ट होंगे की सम्भावना है। इन बैंकों में गिणितता, लापरवाही तथा अप्रयत्नशीलता की गिनितताओं का धारम्भ हो गयी है।

(६) निक्षेप बीमा योजना—चौदह महत्वपूर्ण बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंकों की निक्षेप बीमा योजना विस्तृत व्यर्थ हो गयी है क्योंकि बैंकों में रखे जमा करने वालों में से अधिकांश की रकमों को कोई न्यत्रा नहीं है। इस दृष्टि में निक्षेप बीमा नियम को बनाये रखा व्यर्थ है।

(७) ऋण नीतियों में समन्वय—लोक-क्षेत्र में बैंकिंग का विस्तार होना में ग्रामों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास हुआ है, निजी व्यापारिक बैंकों तथा सहकारी और सरकारी क्षेत्र प्रायः पर्याप्त हो गये हैं, वन कृषि भाग और लघु उद्योगों की वित्तीय समस्याओं लोक-क्षेत्र में बैंकिंग विस्तार में बहुत कुछ हान हो सकती है क्योंकि जहाँ सहकारी क्षेत्र के पास धन की कमी रहेगी, वहाँ सरकारी क्षेत्र उसकी पूर्ति करेगा।

बैंकिंग आयोग के लिए नया आधार—भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण न तो संवैधानिक आधार पर नया है, न ही उसमें व्यावहारिक नवीनता है। दाम्बल में चौदह और बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा देश में लोक-क्षेत्र की बैंकिंग-व्यवस्था का विस्तार मात्र किया गया है। भारत सरकार ने देश की बैंकिंग व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए एक बैंकिंग आयोग (Banking Commission) नियुक्त किया है। इस आयोग की चार्जिंग कि वह देश की बैंकिंग समस्याओं का (राष्ट्रीयकरण में उत्तरदायित्व के अन्तर्गत पर) नय निरे न अध्ययन कर और विस्तृत मुझाव दे। सरकार द्वारा भी प्रारंभ के कदम बहुत मुझ-मुझ और विचार-विमर्श के पश्चात् उठाने चार्जिंग ताकि लोक क्षेत्र में बैंकिंग, देश की जनता के मानस और राष्ट्र के आर्थिक विकास पर भार न बनकर उनकी अर्थव्यवस्था एवं श्रेष्ठतम सेवा कर सके। नती राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य नहीं लोगों में सफल हो सकेगा।

केन्द्रीय वित्त  
(CENTRAL FINANCE)

किसी देश के केन्द्रीय वित्त का अध्ययन करने में उसकी आय, व्यय तथा लोक श्रण की जानकारी करनी पड़ती है, जत वहाँ भारत सरकार की वित्तीय व्यवस्था के विभिन्न अंगों का धारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

भारत सरकार का आय-व्यय, १९७१-७२

(करोड रुपये में)

प्राप्तियाँ (Revenue Receipts)	सरोधित		
	बजट अनुमान १९७०-७१	अनुमान १९७०-७१	बजट अनुमान १९७१-७२
करों में प्राप्तियाँ			
(१) सीमा (Customs)	४९५	४८८	५३४
(२) संघीय बावकारी कर (Union Excise)	१,८१३	१,८०५	२,०८३
(३) निगम-कर (Corporation Tax)	३४९	३६५	४११
(४) जाय-कर (Income-Tax)	४३७	४६०	४९१
(५) अन्य कर	७७	८०	१०४
कुल राजस्व	३,१७४	३,१९८	३,६२३
कर से भिन्न राजस्व			
(६) श्रण व्यवस्था (Debt Services)	६११	६३०	६६२
(७) सामाजिक तथा विकास सेवार्थ (Social and Developmental Services)	३३	३५	४०
(८) मुद्रा और टकनाल (Currency and Mint)	९८	९९	१२४
(९) विविध	१५८	१८५	१८४
कर से भिन्न कुल राजस्व	९००	९४९	१,०१०

प्राप्तियाँ (Revenue Receipts)	संशोधित अनुमान	
	बजट अनुमान १९७०-७१	बजट अनुमान १९७१-७२
सम्पूर्ण राजस्व	४,०३४	४,१४७
घटाइए		
राज्यो का भाग		
(i) आवकारी कर	३८६	३६०
(ii) आय पर कर	३४८	३५६
(iii) सम्पदा कर	७	६
योग	७४४	७५५
शुद्ध केन्द्रीय राजस्व	३,२९०	३,३९२

भारत सरकार का आय-व्यय, १९७१-७२

(करोड रुपये में)

व्यय	संशोधित अनुमान	
	बजट अनुमान १९७०-७१	बजट अनुमान १९७१-७२
(१) रक्षा सेवाएँ (Defence)	१,०१८	१,०४०
(२) अशदान और समायोजन	६३६	६२६
(३) ऋण सेवाएँ	५६७	६०४
(४) सामाजिक और विकास सेवाएँ	३२०	३१४
(५) प्रशासनिक सेवाएँ	१६०	२७१
(६) कर तथा शुल्क संग्रह	४६	४८
(७) विविध	३४२	३५७
योग	३,१५२	३,१६३
राजस्व खाते में अधिशेष	+१३८	+१६६
जोड़	३,२९०	३,३२९

अब इन सभी मदों पर क्रमश विचार किया जायगा।

### आय के मद

(१) आय-कर (Income Tax)—यह एक प्रत्यक्ष कर है और व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। कम्पनियों अथवा व्यावसायिक संस्थानों की आय पर लगाये गये कर को निगम-कर कहा जाता है। व्यक्तियों के अनिश्चित समूह हिन्दू परिवार (Hindu undivided family) तथा अप्रजिज्ञित व्यवसाय (Unregistered Firms) पर भी आय कर लगता है। व्यक्तिगत आय का कुछ भाग कर-मुक्त होता है और निश्चित सीमा के पश्चात् आय-कर लगना प्रारम्भ होता है। तत्पश्चात् बढ़ती हुई आय पर बढ़ती हुई दर में कर लगता है। उदाहरणतः, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को ५,००० रुपये तक की आय कर में मुक्त है। इसके पश्चात् बढ़ती हुई दर पर कर देना पड़ता है।

आय-कर का प्रभाव करदाता की जेब पर प्रत्यक्ष पड़ता है और भारतीय आय-कर विभाग दाग कर की माँग यथामय नहीं की जाती। नोकर-पेशा लोगों का आय-कर उनके वेतन में से

हो बट जाता है, परन्तु यदि उनकी और क्रिमी साधन से भी आय हो तो उस पर कर की माँग में प्राय बहुत दर होती है और उमका भुगतान करने में भी अगुविधा होती है।

भारत सरकार जितना आय-कर वसूल करती है उसका एक भाग राज्य सरकार को दे दिया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रथम वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया था कि आय-कर की कुल प्राप्ति का ५५ प्रतिशत भाग राज्यों में बाँट दिया जाना चाहिए। हमारे आयोग ने यह भाग ६० प्रतिशत तथा तीसरे आयोग ने ६६ $\frac{2}{3}$  प्रतिशत कर देने का सुझाव दिया। चतुर्थ तथा पंचम वित्त आयोग ने आय-कर का ७५ प्रतिशत भाग राज्य सरकारों को हस्तान्तरित करने का सुझाव दिया जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। कुल प्राप्ति के ७५ प्रतिशत भाग का वितरण राज्यों में, ८० प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर तथा २० प्रतिशत क्षेत्रीय वसूली के आधार पर किया जाता है। १९७१-७२ में आय-कर से कुल ४९१ करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है जिसमें से ४२१ करोड़ रुपये राज्य सरकारों को वितरित कर दिया जायगा।

(२) निगम कर (Corporation Tax)—देशी तथा विदेशी कम्पनियों की आय पर जो कर लगता है उसे निगम कर कहा जाता है। निगम कर प्राय सम्पूर्ण आय पर एक निश्चित दर से लगाया जाता है और सम्पूर्ण आय प्राप्त करते समय व्यावसायिक मर्चों तथा निश्चित दर पर अपवर्ष (Depreciation) आदि की छूट दी जाती है।

निगम कर से भारत सरकार को ४२० करोड़ रुपये वार्षिक में अधिक प्राप्ति होती है। १९७०-७१ में इस मद से ३६५ करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई और १९७१-७२ में इससे ४११ करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है। भारत में निजी कम्पनियों (Private companies) की आय के पहले १० लाख रुपये पर ५५ प्रतिशत तथा शेष पर ६५ प्रतिशत कर देना पड़ता है। सार्वजनिक कम्पनियों (Public companies) की प्रथम २५,००० रुपये पर ४५ प्रतिशत तथा शेष पर ५५ प्रतिशत कर देना पड़ता है।

(३) सीमा शुल्क (Custom Duties)—सरकार द्वारा अनेक वस्तुओं पर आयात अथवा निर्यात कर लगाये जाते हैं। कभी कभी आयात कर लगाने का उद्देश्य देशी उद्योगों को सुरक्षण देना होता है, किन्तु कभी कभी आय प्राप्ति के लिए भी आयात शुल्क लगा दिया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न वस्तुओं के निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए अथवा आय प्राप्त करने की दृष्टि से निर्यात शुल्क लगाये जाते हैं। निर्यात शुल्क प्राय एसी वस्तुओं पर ही लगाये जाते हैं जिनकी विदेशी माँग कम लोचदार होती है।

भारत सरकार को सीमा-शुल्कों से प्राप्त आय में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है क्योंकि भारत का विदेशी व्यापार गत पाँच वर्षों में लगभग दुगुना हो गया है। १९७०-७१ में सरकार को सीमा शुल्क से प्राप्त आय ४८८ करोड़ रुपये थी। १९७१-७२ में इस मद में लगभग ५३४ करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

(४) सघीय उत्पादन-शुल्क (Union Excise Duties)—भारत सरकार ७० से भी अधिक वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाती है। इस शुल्क की यह विशेषता है कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है और उत्पादनकर्ता में वस्तु के परिमाण अथवा मूल्य के आधार पर वसूल किया जाता है। भारतीय सविधान के अनुसार सघीय उत्पादन शुल्क का एक भाग राज्यों को हस्तान्तरित करना अनिवार्य नहीं है। यदि समझ चाहें तो कुल वसूली का एक अंश राज्यों को दिया जा सकता है।

सन् १९६५-६६ तक राज्यों को केवल ३४ वस्तुओं पर लगाय गये सघीय उत्पादन शुल्क में हिस्सा मिलता था परन्तु चतुर्थ वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया कि सभी वस्तुओं (जिनकी मर्यादा ७० में अधिक है) पर प्राप्त उत्पादन शुल्क का २० प्रतिशत राज्य सरकारों को वितरित कर दिया जाना चाहिए और वस्त्र, तम्बाकू तथा शक्कर पर वसूल किया गया सम्पूर्ण उत्पादन कर

राज्यों को हस्तान्तरित होना चाहिए। इस मुझाव से राज्यों की नियमित आय में पर्याप्त वृद्धि हो गयी है।

गत वर्षों में योजनाओं की कार्यान्विति के कारण प्रायः सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, अतः सघीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय भी बढ़ गयी है। १९७०-७१ में सघीय आवकारी कर की कुल वसूली १८०५ करोड़ रुपये थी जिसमें से लगभग ३६० करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकारों को वितरित कर दी गयी। १९७१-७२ में इस मद से २,०८३ करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है जिसमें से ४६५ करोड़ रुपये राज्यों को अन्तरित कर दिया जायगा।

(५) सम्पत्ति तथा पूंजीगत व्यवसाय पर कर (Taxes on Property and Capital Transactions)—इस मद में कर सम्पदा शुल्क (Estate duty), सम्पत्ति-कर (Wealth-tax), उपहार-कर (Gift-tax), मुद्राक तथा रजिस्ट्री (Stamps and Registration) और भूमि पर लगान (Land Revenue) सम्मिलित हैं।

सम्पदा शुल्क (Estate Duty)—यह १५ अक्टूबर, १९५३ से लगाया गया था। इस शुल्क को मृत्यु-कर के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके अनुसार जब किसी व्यक्ति का देहान्त हो जाता है तो वह भूमि, मकान, नकद रकम, स्वर्ण, अथवा अथवा अन्य किसी भी रूप में जो सम्पत्ति छोड़ जाता है उस सम्पूर्ण सम्पत्ति पर कर देना पड़ता है। भारत में वृष्टि भूमि (जो उत्तराधिकार में मिलती है) पर राज्य सरकार कर लगा सकती है। सम्पदा-शुल्क ५०,००० रुपये से अधिक की सम्पत्ति पर ही लगाया जाता है। सम्पदा शुल्क से प्राप्त कुल रकम को विभिन्न राज्यों में बाँट दिया जाता है। केवल २ प्रतिशत भाग केन्द्र शासित प्रदेशों के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा रख लिया जाता है। राज्यों को वितरित रकम (कुल वसूली का ९८ प्रतिशत) जनसंख्या के अनुपात में बाँटी जाती है। इस शुल्क से सरकार को कुल लगभग ७ करोड़ रुपये वार्षिक की प्राप्ति होती है, अतः भारत सरकार का शुद्ध भाग नाममात्र ही है।

सम्पत्ति-कर (Wealth Tax)—यह प्रो० निकलसन काह्लर के मुझाव पर १ अप्रैल, १९५७ से लागू किया गया। यह कर व्यक्तियों की सम्पत्ति पर लगाया गया है (प्रारम्भ में यह कम्पनियों की सम्पत्ति पर भी लागू किया गया था परन्तु बाद में हटा लिया गया)। इसके अनुसार किसी व्यक्ति के पास जितनी कुल सम्पत्ति है (भवन नकद, कृषि भूमि अथवा अन्य वस्तुएँ आदि) उसमें से उसके ऋणों की रकम घटा देने से जो शुद्ध रकम निकलती है उस पर कर लगाया जाता है। इस कर से व्यक्तियों की १ लाख रुपये तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की २ लाख रुपये तक की सम्पत्ति को मुक्त रखा गया है। कर की दर सम्पत्ति की रकम के अनुसार ऊँची रखी गयी है। सम्पत्ति पर से वार्षिक आय लगभग ३० करोड़ रु० है।

उपहार कर (Gift-Tax)—यह कर भी निकलसन काह्लर के मुझाव पर १ अप्रैल, १९५८ में लागू किया गया। यह कर सम्पदा शुल्क तथा सम्पत्ति कर की प्रवचना (Evazion) अथवा चोरी समाप्त करने की दृष्टि से आवश्यक था क्योंकि बहुत-से व्यक्ति इन करों से बचने के लिए सम्पत्ति के विभिन्न भाग अपने सम्बन्धियों के नाम उपहार के रूप में हस्तान्तरित करने लगे थे।

उपहार-कर भी बढ़नी हुई दर पर लगाया गया है। उदाहरणतः ५,००० रुपये तक के मूल्य के उपहार पर कोई कर नहीं है। उपहार कर से भारत सरकार को लगभग २ करोड़ रुपये की वार्षिक आय होनी है।

मुद्राक तथा रजिस्ट्री (Stamps and Registration) तथा भूमि पर लगान (Land Revenue)—इसमें वह आय सम्मिलित होती है जो केन्द्र शासित प्रदेशों से मुद्राक या रजिस्ट्री अथवा लगान से प्राप्त होती है। सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त मुद्राक आदि की आय भी भारत सरकार की ही आय होती है। मुद्राक तथा रजिस्ट्री से लगभग ७ करोड़ रुपये की वार्षिक आय होनी है।

(६) सार्वजनिक ध्यावसायिक सस्थानों से आय (Net Contribution of Public Undertakings)—इस मद के अन्तर्गत उन व्यावसायिक सस्थानों में प्राप्त आय सम्मिलित होती है जिन्हें भारत सरकार चलाती है। उदाहरणतः रेलों के सञ्चालन पर भारत सरकार का एकाधिकार है। अतः आवश्यक खर्चें, सञ्चालन-व्यय तथा कर्पों की व्यवस्था करने के पश्चात् कुछ रकम सामान्य रूप में सरकार को हस्तान्तरित की जाती है। यह १९७०-७१ में लगभग २६ करोड़ रुपये थी जिसके १९७१-७२ में २६ करोड़ रुपये ही होने की आशा है।

ढाक-तार विभाग यद्यपि लाभ की दृष्टि में सञ्चालित नहीं किया जाता परन्तु फिर भी अतिरिक्त आय इस विभाग का हो जाती है। १९७०-७१ में इस विभाग की शुद्ध आय २६ करोड़ रुपये से कुछ अधिक थी किन्तु ढाक दरें बढ़ जाने के कारण १९७१-७२ में यह आय ३ करोड़ रुपये हो जाने की आशा है।

(७) मुद्रा तथा टकसान (Currency and Mint) में भी भारत सरकार को प्रति वर्ष कुछ रकम प्राप्त होती है। रिजर्व बैंक एन सरकारी बैंक है अतः नोट निकालने अथवा बैंकिंग व्यवसाय से उसे प्रति वर्ष जो शुद्ध आय होती है वह भारत सरकार को हस्तान्तरित कर दी जाती है। वास्तव में, इस मद में रिजर्व बैंक की जो लाभ होता है उसमें स टकसानों की होने वाली हानि की पूर्ति करनी पड़ती है। १९७०-७१ में इस मद में सरकार को १०० करोड़ रुपये की आय हुई। १९७१-७२ में इस मद में सरकार को लगभग १२४ करोड़ रुपये की रकम प्राप्त होने की आशा है।

उपरोक्त प्राप्तियों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा सञ्चालित अन्य कार्यालयों से प्राप्त शुद्ध लाभ इसी मद में सम्मिलित किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त केन्द्र ने अग्रोत क्षेत्रों के बनी, अकीम, निबाई तथा यातायान में प्राप्त आय भी इस मद का भाग है।

(८) विविध (Miscellaneous)—उपरोक्त मदों के अतिरिक्त भारत सरकार की आय में अनेक छुटकर मदों में आयिक प्राप्तियाँ होती हैं।

सामाजिक तथा विनाम क्षेत्रों में भी शुल्क तथा फीस आदि के रूप में कुछ आय प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त भारत सरकार राज्यों को जो रकम उधार देती है उनका व्याज निश्चित रूप से वसूल कर लिया जाता है। सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यावसायिक सस्थानों को भी सरकार द्वारा रकम उधार दी जाती है जिन पर व्याज वसूल किया जाता है। आद्योजन-काल में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों तथा व्यावसायिक सस्थानों को दिये गये ऋण की रकम में आगामीत वृद्धि हुई है। अतः व्याज की आय भी बढ़ने लगी है। उदाहरणतः, १९७०-७१ में इस मद में भारत सरकार को लगभग ६३० करोड़ रुपये की आय हुई जिसकी रकम १९७१-७२ में ६६२ करोड़ रुपये तक पहुँच जाने की आशा है।

### व्यय के मद

केन्द्रीय सरकार के व्यय के मदों में मुख्य निम्न हैं—

(१) प्रनिरक्षा सेवाएँ (Defence Services)—भारत सरकार के प्रनिरक्षा-व्यय में गत वर्षों में बहुत वृद्धि हुई है क्योंकि पाकिस्तान और चीन से राजनीतिक सम्बन्ध अच्छे न रहने के कारण स्थल, जल और वायु सेनाओं का विस्तार तेजी से करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त हथियारों तथा सैनिक सामान पर भी व्यय की मात्रा बढ़ गयी है। फलतः भारत सरकार का रक्षा-व्यय कुल व्यय का लगभग ३२ प्रतिशत हो गया है।

भारत सरकार की अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के लिए भी कोरिया, वियतनाम, कांगो तथा साइप्रस आदि में सैनिक भेजने पर जिन पर कुछ व्यय सरकार को करना

पडा। इन सब प्रवृत्तियों का परिणाम यह निकला कि भारत का रक्षा-व्यय जो १९५५-५६ में लगभग २०३ करोड़ रुपये था, बढ़कर १९७१-७२ में लगभग १,०७९ करोड़ रुपये होने की आशा है।

(२) ऋण सेवाएँ (Debt Services)—गत वर्षों में भारत सरकार को रक्षा एवं विकास कार्यों के लिए अत्यधिक रकम उधार लेनी पड़ी है। फलतः लोक ऋण की मात्रा जो जनवरी १९५१ में १,२५८ करोड़ रुपये थी, १९७० के अन्त में लगभग १६,००० करोड़ रुपये हो गयी है। स्वभावतः इस ऋण पर दिये जाने वाले ब्याज की रकम भी बहुत बढ़ गयी है और सरकार भी आय का लगभग २० प्रतिशत भाग ले लेती है। १९७०-७१ में भारत सरकार को ब्याज के रूप में लगभग ६०४ रुपये चुकाने पड़े। यह दायित्व १९७१-७२ में लगभग ६४८ करोड़ रुपये तक पहुँचने की सम्भावना है।

(३) राज्यों को अनुदान आदि (Contributions to States etc)—भारतीय राज्यों की बढ़ती हुई विकास की माँग कभी-कभी उनके व्यक्तिगत साधनों द्वारा पूरी नहीं हो पाती है, अतः भारत सरकार से अनुदान की माँग भी जाती है। वित्त आयोगों ने राज्यों को अनुदान देने के लिए निम्न दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है

- (i) राज्यों के बजटों का कहीं तक प्रमापीकरण किया गया है ?
- (ii) राज्यों ने अपनी आय-वृद्धि के लिए कहीं तक प्रयत्न किया है।
- (iii) सरकारी व्यय में कमी करने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?
- (iv) विभिन्न राज्यों में सामाजिक सेवाओं के स्तर में कितनी विभिन्नता है ?
- (v) राज्यों की माँग राष्ट्रीय दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है ?
- (vi) अनुदान देने में प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त शर्तों से यह ज्ञात होता है कि राज्यों को अनुदान देते समय आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाता है तथा सरकारों को अपने व्यय की स्वयं पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सन् १९४०-५१ में केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये गये अनुदानों की रकम लगभग १६ करोड़ रुपये थी। १९७०-७१ में यह बढ़कर ५९२ करोड़ हो गयी और १९७१-७२ में ७८३ करोड़ रुपये तक पहुँच जाने की आशा है। इस वृद्धि के निम्न कारण हैं

(i) कुछ राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं अतः उनका आर्थिक स्तर ऊँचा करने के लिए अधिक अनुदान देना आवश्यक है। उन राज्यों में जनता की कर-दान क्षमता भी न्यूनतम है, अतः विकास के लिए आन्तरिक साधनों में पर्याप्त राशि प्राप्त करना कठिन है।

(ii) गत वर्षों में विकास योजनाओं का आर्थिक दबाव बहुत बढ़ गया है अतः केन्द्रीय सहायता बढ़ानी पड़ी है।

(४) सामाजिक तथा विकास सेवाएँ (Social and Developmental Services)—इस मद्दे के अन्तर्गत मिर्चार्ड तथा बहुमुखी नदी घाटी योजना, वन्दरगाह, प्रकाश-स्तम्भ (अज्ञानों के लिए), वैज्ञानिक विभाग (दृष्टि रसायन, भौतिकशास्त्र, औषधि आदि से सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य), शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, ग्राम्य विकास, पशुपालन, महान्गरिता, उद्बोधन, रेडियो प्रसारण, विद्युत् योजनाएँ, सामुदायिक विकास, श्रम तथा रोजगार तथा मनुष्य पार संचार आदि से सम्बन्धित कार्यों पर किये गये व्यय सम्मिलित है। एक कल्याणकारी राज्य में इन सेवाओं के विकास एवं विस्तार का बहुत महत्त्व है क्योंकि जनता के मानसिक, सामाजिक, भौतिक तथा पारोक्षिक विकास के बिना प्रजातन्त्र एवं स्वास्थ्यपूर्ण कल्पना मात्र रह जाना है। गत वर्षों में (विशेषतः योजनाओं के उद्घरण में) इन मद्दों पर किये गये व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सन्



१९७०-७१ में इन सेवाओं पर कुल ३१४ करोड़ रुपये व्यय किये गये जबकि सन् १९७१-७२ में इन पर लगभग ३७६ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(५) प्रशासनिक व्यय (Civil Administration)—सरकार को शासन-व्यवस्था को उचित रूप में संचालन करने के लिए अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते हैं जिनमें कर्मचारियों की सेवाओं तथा मकान किराया, परिवहन, कार्यालय-संचालन आदि सम्बन्धी अनेक व्यय करने पड़ते हैं। इन खर्चों में मुख्यतः सामान्य प्रशासन, अन्वेषण (Audit), न्याय-व्यवस्था जेल, पुलिस तथा विदेशी सेवाओं (दूतावास आदि) पर किये गये खर्च महत्त्वपूर्ण हैं। सरकारी दायित्वों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण इस मद के अन्तर्गत भी व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। १९७०-७१ में इस मद पर कुल व्यय की राशि लगभग २०१ करोड़ रुपये थी जिसके सन् १९७१-७२ में २३७ करोड़ रुपये तक पहुँच जाने का अनुमान है।

(६) कर वसूली आदि (Collection of Taxes etc)—केन्द्रीय सरकार जितने कर तथा अधिभार लगाती है उनकी वसूली करने के लिए अनेक विभाग स्थापित करने पड़ते हैं। आय-कर विभाग, सीमा शुल्क विभाग, आबकारी विभाग आदि केवल विभिन्न करों की प्राप्ति के लिए ही निर्मित किये गये हैं। इन विभागों के कर्मचारियों तथा कार्यालयों पर सरकार को प्रतिवर्ष लगभग ६०-७० करोड़ रुपये व्यय करना पड़ता है।

(७) विविध (Miscellaneous)—उपर्युक्त सब खर्चों के अतिरिक्त सरकार को अनेक दूसरे मदों पर भी व्यय करने पड़ते हैं। इनमें से एक मद है सरकारी कर्मचारियों की पेंशने तथा पुराने शासकों के प्रिवी पर्स (Privy Purses) जिन पर लगभग ११ करोड़ रुपये वार्षिक व्यय किया जाता है। इनके अनिर्दिष्ट राज्य सरकारों को कुछ असाधारण अनुदान (Extraordinary Grants) दिये जाते हैं जो अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन या अकाल, बाढ़, सूखा अथवा अन्य प्राकृतिक सङ्घटों से घुटकारा पाने के लिए होते हैं। इन अनुदानों की रकम आवश्यकतानुसार घटती-बढ़ती रहती है। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त सरकार मुद्रा तथा टकसाल, सार्वजनिक निर्माण (सड़कें, नहरें तथा उनकी मरम्मत), कागज, छपाई आदि अनेकानेक कार्यों पर व्यय करती है। इन मदों की रकम विनाम की माँग के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। गत वर्षों में अन्य खर्चों की भाँति इन पर भी राष्ट्रीय व्यय में वृद्धि हुई है।

### पूँजी बजट

केन्द्रीय सरकार सदा दो बजट तैयार करती है, राजस्व बजट (Revenue Budget) जिसमें करों से प्राप्त आय तथा नियमित मदों पर किये जाने वाले व्यय का व्यौरा होता है दूसरा पूँजी बजट (Capital Budget) जिसमें सरकार द्वारा किये जाने वाले पूँजीगत खर्च (विभिन्न मदों पर विनियोग, ऋण भुगतान आदि) तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ (ऋण तथा दिये हुए ऋणों की वापसी की रकम) सम्मिलित है। यह बजट राजस्व बजट से अलग इसलिए बनाया जाता है कि इसके तथाकथित व्यय के स्रोत करों से नहीं बल्कि ऋणों आदि से प्राप्त होते हैं जिनका वापस भुगतान करना आवश्यक होता है जबकि करों से प्राप्त आय सदा के लिए सरकार की हो जाती है, उसे लौटाना नहीं पड़ता।

### भारत सरकार का पूँजी बजट

	१९५०-५१ (वास्तविक)	१९७१-७२ (अनुमानित)
प्राप्तियाँ (Receipts)		
१. ऋण (देशी-विदेशी आदि)	३८	६३७
२. राज्यों द्वारा ऋण भुगतान	८	६३०
३. अल्प वचत	३४	१८०
४. विविध	२४	३०८
योग	१०४	२,३५५

भुगतान (Disbursements)		
१ रेलो में विनियोग	२५	१५१
२ औद्योगिक विकास	६	३०६
३ प्रतिरक्षा	४	१६२
४ डाक तार	७	३६
५ सार्वजनिक निर्माण	६	१८६
६ राज्यों को ऋण	६१	६६६
७ ऋण भुगतान	४६	३३२
८ अन्य ऋण (सरकारी निगम आदि)	४	५८७
९ विविध	१८	—४
योग	१८३	२,७२८
घाटा		३७३

(१) पूंजी वजट की प्राप्तियों के मदों से स्पष्ट है कि उसका अधिकांश भाग देश तथा विदेश के ऋणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। इन ऋणों में विश्व बैंक परिवार तथा सरकारी स्तर पर प्राप्त किये गये अन्य ऋण भी सम्मिलित हैं। इन ऋणों पर दिया जाने वाला व्याज राजस्व वजट में दिखाया जाता है और राजस्व खाते से ही उसका भुगतान होता है।

उपर्युक्त मदों के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ऋणों की बमूनी से भी रकम उपलब्ध होती है, जनता से अल्प-वचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा की गयी रकम प्राप्त होती है।

(२) पूंजीगत भुगतान में पूंजीगत मदों पर किये गये विनियोग तथा ऋणों के भुगतान प्रमुख हैं। उदाहरणतः रेल उद्योग, डाक तार तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों में ही १९७१-७२ में लगभग ६०० करोड़ रुपया विनियोजित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा में विनियोग की रकम में भी आशातीत वृद्धि हो रही है क्योंकि नये-नये हथियार तथा गोला बारूद बनाने के कारखानों में पूंजी लगाना आवश्यक हो गया है। राज्यों के नये ऋण, पुराने परिपक्व ऋणों के भुगतान तथा व्यवसायों के लिए ऋण की मदों में बहुत बढ गयी है। यह एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था का निश्चित संकेत चिह्न है।

सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के कारण—योजनाकाल में भारत के सार्वजनिक व्यय में तीव्र गति से वृद्धि हुई है जिसका अनुमान निम्नांकित तालिका से लग सकता है—

भारत सरकार का व्यय

	१९५०-५१	१९६०-६१	१९७१-७२
१ राजस्व खाता	३४७	८२६	३,५८७
२ पूंजी खाता	१८३	१,००१	२,७२८
योग	५३०	१,८२७	६,३१५

उपर्युक्त अंकों से स्पष्ट है कि राजस्व खाते में सरकारी व्यय लगभग दस गुना तथा पूंजी खाते में केन्द्रीय व्यय लगभग १५ गुना हो गया है। इस अप्रत्याशित वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं।

(१) प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि—सरकारी व्यय में, विशेषतः राजस्व खाते में, वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण प्रतिरक्षा व्यय में हुई निरन्तर वृद्धि है। उदाहरणतः, १९५०-५१ में सरकार का प्रतिरक्षा व्यय केवल १६४ करोड़ रुपये था जो १९६०-६१ में २४८ करोड़ रुपये हो गया किन्तु १९६२-६३ में यह अकस्मात् ४२५ करोड़ रुपये हो गया। इसका मुख्य कारण भारत और

पाकिस्तान में बढ़ता हुआ राजनीतिक तनाव रहा है। अबदूबर १९६२ में चीन द्वारा भारत को सीमाओं का खुलेआम अतिक्रमण किया गया जिससे प्रतिरक्षा-व्यय में तत्काल वृद्धि करना स्यामा-विक था। इसके पश्चात् अगस्त १९६५ में पाकिस्तानी सेनाओं ने भी भारतीय सीमा-रेखा में प्रवेश कर दिया अतः १९६५-६६ में प्रतिरक्षा-व्यय लगभग ७६६ करोड़ रुपये हुआ। इसी प्रकार प्रतिरक्षा में सम्बन्धित अनेक पुरानी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार तथा नयी इकाइयों की स्थापना की गयी जिसमें प्रतिरक्षा में सम्बन्धित पूंजी-व्यय में भी वृद्धि हो गयी। १९५०-५१ में पूंजी खाने में लगभग ४ करोड़ रुपये प्रतिरक्षा पर व्यय किया गया था जबकि इस मद का वर्तमान वार्षिक विनियोग लगभग १३० करोड़ रुपये है। १९७१-७२ में प्रतिरक्षा के मद में कुल लगभग १,२४१ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(२) प्रशासनिक व्यय में वृद्धि—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विशेषतः नियोजनकाल में, सरकार ने अनेक नये विभागों की स्थापना की है तथा पुराने विभागों का विस्तार किया है। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, सचिवालय, पुनर्वास तथा पुनर्संस्थापन तथा आयोजन क्षेत्र में स्थापित विभागों का अत्यधिक विस्तार किया गया है जिससे सरकारी व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राज्यों में गवर्नरों के पद स्थापित करने, केन्द्र में राज्य सभा (Upper House) की व्यवस्था करने तथा अनेक देशों में दूतावासों की स्थापना करने सरीखे राजनीतिक निश्चयों का देश की अर्थ-व्यवस्था पर बहुत भार पड़ा है। गत वर्षों में बढ़ती हुई महँगाई के फलस्वरूप महँगाई भत्ते में अनेक बार वृद्धि करनी पड़ी है। फलतः प्रशासनिक व्यय की राशि १९५०-५१ से २१ करोड़ रुपये से बढ़कर अब २३७ करोड़ रुपये तक पहुँच गयी है।

(३) समाज सेवाओं का विकास—गत वर्षों में सरकार द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, जनस्वास्थ्य मनोरंजन, सहकारिता सामुदायिक विकास आदि सामाजिक लाभ की अनेकानेक नयी योजनाएँ लागू की गयी हैं। देश में समाजवादी समाज की स्थापना की दृष्टि से योजनाओं का विकास एवं विस्तार सर्वथा स्वाभाविक एवं ममयानुकूल है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय १९५०-५१ में केवल ४० करोड़ रुपये था जिसकी राशि १९७१-७२ में २७६ करोड़ रुपये होने की आशा है।

(४) विकास कार्यों का विस्तार—राजनीतिक स्वतन्त्रता को वास्तविक स्वतन्त्रता का रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि देश का आर्थिक विकास तोत्र गति से किया जाय, जनता की आय एवं जीवन स्तर में त्वरित गति से वृद्धि की जाय तथा यातायात, सवावहन एवं मिर्चाई आदि की सुविधाओं को गतिशीलता प्रदान की जाय। भारत सरकार की योजना नीति इन उद्देश्यों के अनुकूल ही है। स्वभावन नयी नयी बाँध योजनाओं, विद्युत विकास, यात्रा, यातायात सुविधाओं, कल-कारखानों तथा अन्य विकास कार्यों पर अधिकाधिक धनराशि व्यय की जा रही है। उदाहरणतः रेलों के विस्तार पर १९५०-५१ में केवल २५ करोड़ रुपये की रकम विनियोग की गयी थी जिसकी मात्रा बढ़कर १९७१-७२ में १५१ करोड़ रुपये हो जायगी, डाक तार योजनाओं पर किये गये विनियोग ७ करोड़ रुपये से ३६ करोड़ रुपये तक पहुँच गये, निर्माण कार्यों पर व्यय ६ करोड़ रुपये से बढ़कर १०० करोड़ रुपये और औद्योगिक विकास में विनियोग १८ करोड़ रुपये से बढ़कर ३०० करोड़ रुपये तक पहुँच गये हैं।

(५) राजनीतिक उपद्रवों की शान्ति—स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार को समय समय पर आन्तरिक कलह का सामना करना पड़ा है। विभाजन से उत्पन्न उपद्रवों के अतिरिक्त मजदूरों के उग्र, भाषावार राज्यों की समस्याएँ, राज्यों की सीमा समस्या, अकाल आदि से उत्पन्न दंगे तथा आर्थिक विपत्तियों के फलस्वरूप हड़तालें, तालाबन्दी आदि की रोकथाम या समाधान पर सरकार को अनेक बार बहुत रकम खर्च करनी पड़ी है क्योंकि स्वतन्त्रराष्ट्र में जनता की माँगों को यथोचित महत्व देना आवश्यक होता है। अतः सरकारी व्यय में निरन्तर वृद्धि होती गयी है।

उपर्युक्त कारणों में कुछ एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं परन्तु प्रतिरक्षा, विकास तथा समाज सेवाओं का विस्तार समाजवादी प्रजातन्त्र के उद्धरण में आवश्यक रहा है, अतः इस प्रकार व्यय में वृद्धि होना सर्वथा स्वाभाविक है।

(६) अकुशल प्रशासन—कुछ आलोचकों का कथन है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने प्रशासन में अनेक विभाग केवल राजनीतिक कारणों से स्थापित किये हैं जिनमें राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्तियों को नियोजित किया गया है। प्रशासन में इस राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अकुशलता बढ़ गयी है जिसमें सुधार करने के लिए नये-नये पद स्थापित किये जाने लगे हैं, अनेक प्रकार की समितियाँ और आयोग नियुक्त किये जाने लगे हैं जिन पर करोड़ों रुपया व्यय हो जाता है। इन समितियों तथा आयोगों की सिफारिशें प्रायः रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं क्योंकि इनमें अनेक बार प्रभावशाली पूँजीगणियों (जिनके धन से शासक दल चुनाव में विजय प्राप्त करता है) अथवा भ्रष्ट विन्तु सत्तारूढ़ राजनीतिकों की आलोचना होती है। सरकार को चाहिए कि देश की गरीब जनता की गाँठे पसीने की कमाई (जो सरकार के पास करो के रूप में जमा होती है) का दुरुपयोग रोका जाय। इससे अनेक आर्थिक कठिनाइयाँ तथा कष्ट दूर हो जायेंगे। राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से देश के नेतृत्व को कयनी और साम्य का आदर्श उपस्थित करना चाहिए।

### भारतीय कर-व्यवस्था की विशेषताएँ

इस अध्याय की समाप्ति करने से पूर्व यह आवश्यक है कि भारतीय कर-व्यवस्था के लक्षणों अथवा विशेषताओं पर भी संक्षिप्त विचार कर लिया जाय। अतः इसका विवेचन यहाँ किया जा रहा है। सामान्य रूप में भारतीय कर-व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं

(१) सन्तुलित करारोपण (Balanced Taxation)—भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण सरकार ने यह ध्यान रखा है कि जो व्यक्ति जितना कर सरलता से चुका सके उससे उतनी ही राशि बसूल की जाय। यह समता के सिद्धान्त के अनुकूल है तथा इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि देश के आर्थिक विकास में प्रत्येक व्यक्ति का यथाशक्ति योगदान होना चाहिए। इस प्रकार सम्पूर्ण कर-प्रणाली में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का सन्तुलित मिश्रण है।

(२) प्रगतिशील (Progressive)—भारतीय कर-प्रणाली इस ढंग से व्यवस्थित की गयी है कि वह देश में समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति में सहयोगी हो। इस दृष्टि से आय-कर की दरें प्रगतिशील आधार पर निश्चित की जाती हैं और अधिक आय वाले व्यक्तियों पर बड़नी हुई दर से कर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति-कर (Wealth-tax), सम्पदा कर अथवा मृत्यु-कर (Estate duty or death duty), पूँजीगत लाभ-कर (Capital gains tax) आदि लगाये गये हैं जिनसे देश में व्याप्त आर्थिक विषमता कुछ कम हो सके।

(३) कर क्षेत्र का विभाजन (Division of Area of Taxation)—भारतीय गणराज्य में मधीय व्यवस्था होने के कारण केन्द्र तथा राज्यों में करों का विभाजन कर लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि कुछ कर केवल केन्द्रीय क्षेत्र में रखे गये हैं और उनकी सम्पूर्ण आय भी केन्द्र की ही मानी जाती है। कुछ अन्य करों की बसूली केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है किन्तु उनमें राज्य सरकारों को हिस्सा मिलता है, तथा कुछ करों की बसूली केन्द्रीय सरकार करती है जबकि उनकी सम्पूर्ण राशि राज्यों को हस्तान्तरित कर दी जाती है। इस प्रकार का क्षेत्रीय विभाजन आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों दृष्टिकोणों से अनिवाच्य है।

(४) अनुदान (Grants)—भारतीय कर-व्यवस्था में केन्द्रीय, राजकीय तथा स्थानीय तीनों वर्गों के वित्त का स्वतन्त्र अस्तित्व है। केन्द्र सरकार की अपनी स्वतन्त्र आय है, राज्य सरकार अपने

निर्धारित क्षेत्र में कर लगाती है, तथा श्यायतन शासन मन्थारों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) अपने क्षेत्रों में अलग कर लगाती हैं। इस अन्तर्गत अथवा मुक्त कर-प्रणाली का अर्थ यह नहीं है कि इनका परस्पर बोर्ड सम्बन्ध नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि समय-समय पर विभिन्न योजनाओं के लिए तथा कभी-कभी नियमित व्यय की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार राज्यों को तथा राज्य सरकार स्वायत्त संस्थाओं को महायत्ना अनुदान देती है। विनामणीय अर्थ-व्यवस्थाओं में यह अनुदान एक नियमित क्रम बन जाने है क्योंकि विनामणीय एक दीर्घकालीन क्रिया है जिसमें प्रायः अमाधारण मात्रा में धनराशि का विनियोजन करना पड़ता है। यह अमाधारण धनराशि सामान्य एवं नियमित साधनों से प्राप्त करना असम्भव है, अतः अनुदानों की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है।

(५) लोचदार प्रणाली (Elastic System)—भारतीय कर-व्यवस्था में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का पर्याप्त सामञ्जस्य होने के कारण यह प्रणाली लोचदार हो गयी है। दूसरा एक स्पष्ट प्रमाण यह है कि गत वर्षों में आर्थिक भार के कारण देश की राजस्व आय में वृद्धि करने की आवश्यकता थी जिसे नये कर तथा पुर्गो करों से सामान्य मशोद्यन कर प्राप्त कर लिया गया है। यह एक लोचदार कर-प्रणाली का स्वरूप है।

(६) जनता पर आर्थिक भार (Incidence of Taxation)—भारतीय कर-व्यवस्था के सम्बन्ध में दो सर्वथा विरोधी मत हैं। एक मत के अनुसार देश की जनता पर कर-भार बहुत अधिक बढ़ गया है और अब अधिक कर लगाने की गुंजाइश नहीं रह गयी है। दूसरा मत यह है कि भारत में कर की दरें अनेक देशों से कम हैं अतः दरों द्वारा अधिक आय प्राप्त की जानी चाहिए। इन दोनों मतों में मंडातितर विवाद अग्रिम और व्यावहारिक बुद्धि का अभाव प्रतीत होता है। वास्तविक स्थिति यह है कि कर-भार के औचित्य का निर्णय राष्ट्रीय आय की प्रतिगत के आधार पर करना उचित नहीं है। भारतीय जनता की वास्तविक आय बहुत ही कम है और अधिकांश जनता निम्नतम स्तर का जीवन निर्वाह कर रही है जिस पर किसी भी प्रकार का कर लगाना सर्वथा अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। अतः भारतीय जनता पर लगाय गये कर (विशेषतः उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन तथा विक्रय पर लगाये गये कर) अग्रिम हैं जिन्हें कम किया जाना चाहिए।

(७) करों की बचना (Tax Evasion)—सामान्यतः प्रत्यक्ष कर अग्रिम एवं अनुविधाजनक होता है किन्तु यदि करों की मात्रा उचित हो तथा उनके आगेोण में सरलता एवं बगूनी में मुक्ति का ध्यान रखा जाय तो जनता उगही चोगी करना उचित नहीं समझती। भारतीय कर-व्यवस्था में सरलता का अभाव है, उसे प्रति वर्ष उत्तमन भरा बनाया जा रहा है जिसका परिणाम यह है कि कर-विभाग के सम्चारियों में अत्यधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा जनता कर-बचना के रोग से ग्रस्त हो गयी है। यह एक दुःखद स्थिति है जिसकी ओर सरकार का ध्यान जाना आवश्यक है। भारतीय कर प्रणाली में सर्वाधिक उत्प्रेरणीय तत्त्व उभरी प्रगतिशीलता है, किन्तु उसमें सरलता, मुक्ति एवं मितस्थिति के तत्त्वों का समावेश करना भी अत्यन्त आवश्यक है ताकि वह देश की जनता के स्तर के सर्वथा अनुकूल बन सके। कर-प्रणाली में मानवीय तत्त्वों का समावेश बिना उसे न्यायपूर्ण एवं उचित नहीं कहा जा सकता।

केन्द्रीय आय तथा व्यय के स्रोतों का गत अध्याय में विचार किया जा चुका है। इस अध्याय में भारतीय राज्यों के आय-व्यय के स्रोतों का विवेचन किया जा रहा है।

राज्यों का राजस्व (१९७०-७१)

(करोड़ रुपयों में)

आय के स्रोत	१९६८-६९	१९६९-७०	१९७०-७१
<b>१ कर राजस्व</b>			
(i) राज्यों का राजस्व			
(क) भूमि तथा आय पर कर	१२३	११७	१२६
(ख) सम्पत्ति पर कर	१०५	११२	११८
(ग) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	६७७	१,०६६	१,१५५
योग	१,२०५	१,२९८	१,२९९
(ii) केन्द्रीय करों में अंशदान			
(क) आय-कर	१६५	२८२	३२२
(ख) सम्पदा-कर	६	७	७
(ग) संधीय उत्पादन शुल्क	२८७	३२२	३५२
योग	४५८	६११	६८१
<b>२ कर के अतिरिक्त राजस्व</b>			
(i) राजकीय अन्तर राजस्व			
१ प्रशासकीय प्राप्तियाँ	३३	३२	३१
२ वन	५६	५७	५६
३ लोक सस्थाओं से प्राप्तियाँ	६५	८६	१०८
४ दान प्राप्तियाँ	१७७	१७५	१८८
५ खनिज	२०	२७	२८
६ सामाजिक सेवाएँ	१३८	१४४	१३६
७ लाटरी	१२	२८	३६
८ सिचाई तथा बिजली	—	—	१०६
९ अन्य	६८	५८	५७
योग	४८४	५०७	५४०
(ii) केन्द्र से अनुदान	४६४	५६७	५३४
<b>कुल राजस्व</b>	<b>२,६७१</b>	<b>२,६८३</b>	<b>२,६७४</b>

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य सरकारों की कुल वार्षिक आय लगभग भारत सरकार की वार्षिक आय के तुल्य है। विभिन्न मंत्रों से प्राप्त आय का विवेचन निम्न प्रकार है।

(१) आय-कर (Taxes on Income)—इस मद में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल की गयी आय-कर की रकम में से जो भाग मिलता है वह सम्मिलित है। इसकी वार्षिक रकम लगभग ४०० करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों (असम विहार, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल) में कृषि आय-कर भी लगाया गया है जिसकी वार्षिक आय लगभग ११ करोड़ रुपये है। यह रकम भी इसी मद में सम्मिलित की गयी है।

(२) सम्पत्ति तथा पूंजीगत व्यवसाय पर कर (Taxes on Property and Capital Transaction)—इस मद में सबसे महत्वपूर्ण कर भू राजस्व अर्थात् भूमि पर लगान है। जागीरदारी, जमींदारी तथा विस्वेदारी आदि प्रथाओं के अन्त के फलस्वरूप प्रायः सभी राज्यों में कृषि-भूमि का अधिकांश भाग राज्य सरकारों के अधिकार में आ गया है, अतः भू राजस्व से प्राप्त आय ४८ करोड़ रुपये (१९५१-५२) से बढ़कर (१९७१-७२ में अनुमानतः) १२६ करोड़ रुपये तक पहुँच गयी है।

इस मद में दूसरी महत्वपूर्ण आय मुद्राक तथा रजिस्ट्री (Stamp and Registration) से है। राज्यों में जिनके न्याय लय अथवा तहसील कार्यालय हैं उनमें सम्पत्तियों की रजिस्ट्री अथवा मुद्राक आदि के सम्बन्ध में जो मुद्राक फीस लगती है उससे बहुत आय होती है। गत वर्षों में इस मद की आय भी निरन्तर बढ़ती गयी है। १९५१-५२ में मुद्राक तथा रजिस्ट्री से केवल २६ करोड़ रुपये की आय थी जो बढ़कर १९५५-५६ में २९ करोड़ रुपये, १९६०-६१ में ४३ करोड़ रुपये तथा १९६५-६६ में ७२ करोड़ रुपये हो गयी है। १९७०-७१ में इस मद से ९३ करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है।

सम्पत्ति सम्बन्धी आय में एक आय नगरीय अचल सम्पत्ति कर (Urban Immovable Property Tax) से है। नगरों में कड़ी-कड़ी मरानों पर नगरपालिका के अतिरिक्त राज्य सरकार भी कर लगाती है। इस कर से राज्य सरकारों को लगभग ४ करोड़ रुपये वार्षिक आय प्राप्त हो जाती है।

(३) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर (Taxes on Commodities and Services)—इस मद में अनेक वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर सम्मिलित है जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है।

सघीय उत्पादन-कर—भारत सरकार जिन वस्तुओं पर उत्पादन कर (Excise duty) लगाती है उसमें प्राप्त रकम का एक भाग राज्यों को वांटन की परम्परा है। १९६५-६६ तक केवल ३५ वस्तुओं पर प्राप्त सघीय उत्पादन-कर का २० प्रतिशत भाग राज्यों में वितरित किया जाता था, किन्तु चतुर्थ वित्त आयोग ने यह सिफारिश की कि सभी वस्तुओं (जिनकी सख्या ७१ से भी अधिक है) पर प्राप्त सघीय उत्पादन कर का २० प्रतिशत भाग राज्यों में वांटा जाना चाहिए और शेष ८० प्रतिशत केन्द्र सरकार को रख लेना चाहिए। पाँचवें वित्त आयोग ने भी इसे बनाय रखने का सुझाव दिया।

यह आधार विभिन्न राज्यों की जनसंख्या तथा आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर निश्चित किया गया है। गत वर्षों में सघीय उत्पादन कर के आकार में आशान्वित वृद्धि हुई है फलतः राज्यों के हिस्से में भी महत्वपूर्ण प्रगति सम्भव हो सही है। इनका अनुमान इस तथ्य से लगता है कि १९५१-५२ में राज्यों को सघीय उत्पादन-कर (Union excise duty) में कुल ७ करोड़ रुपये प्राप्त होने थे जिसकी राशि १९५५-५६ में लगभग १७ करोड़ रुपये, १९६०-६१ में ७५ करोड़ रुपये तथा १९६५-६६ में १४५ करोड़ रुपये हो गयी है। १९७१-७२ में यह राशि ४६५ करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।

**राज्य उत्पादन-कर**—राज्य सरकारें स्वयं भी जराब, अफीम तथा अन्य मादक पदार्थों पर उत्पादन कर लगा सकती हैं। इन करों से १९५१-५२ में राज्य सरकारों को लगभग ४६ करोड़ रुपये की आय होती थी जो १९६८-६९ में लगभग १३८ करोड़ रुपये तक पहुँच जायगी। कुछ राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश आदि) में सम्पूर्ण अफना आर्थिक मध्य निषेध होने पर भी मादक पदार्थों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है जिससे सरकारी आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वास्तव में, यह पदार्थ जनता के स्वास्थ्य एवं सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं अतः इनका प्रयोग अधिकाधिक सीमित करने की दृष्टि में इनके उत्पादन पर ऊँची दरों में कर लगाये जाने चाहिए ताकि यह वस्तुएँ बहुत महँगी हो जायँ और इनका प्रयोग तथा उत्पादन कम-से-कम हो।

**सामान्य विक्री-कर**—राज्यों के पुनर्गठन में पूर्व अनेक देशी राज्यों ने अपने क्षेत्र में अपने वाले माल पर सीमाशुल्क (Custom duty) लगा रखा था जिससे इन राज्यों की पर्याप्त आय प्राप्त हो रही थी। भारतीय एकिकरण होने पर अन्तरराज्यीय सीमा-शुल्क हटाना अनिवार्य हो गया जिससे इन राज्यों की आय को बहुत घटका लगा। अतः आय को एक नयी रीति में बँटाने की जिम्मेदारी अनुसार विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं पर विक्री-कर लगाया गया। क्रमशः प्रत्येक राज्य में विक्री-कर की दरें तथा उनमें प्रभावित वस्तुओं की संख्या बढ़ती गयी, फलतः विक्री-कर में प्राप्त आय भी बढ़ती गयी है। १९५१-५२ में राज्यों को सामान्य विक्री-कर से केवल ५४ करोड़ रुपये की आय थी जो १९५५-५६ में ८० करोड़ रुपये, १९६०-६१ में १०१ करोड़ रुपये तथा १९६५-६६ में २३६ करोड़ रुपये हो गयी। १९७०-७१ में विक्री कर से प्राप्त आय का अनुमान लगभग ६०० करोड़ रुपये है। इस प्रकार भारतीय राज्यों की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन विक्री कर है। इस कर की वसूली पर भा सरकार का विशेष रकम व्यय नहीं करना पड़ती क्योंकि इसकी वसूली माल के विक्रेता द्वारा कर ली जाती है और कर-भार ग्राहक पर डाल दिया जाता है।

**मोटर तेल**—इन पर प्रायः प्रत्येक राज्य में अलग विक्री-कर लगाया जाता है और बजट में उसकी रकम को अलग से दिखाया जाता है। सड़क यातायात की उन्नति के साथ साथ मोटर तेल पर विक्री-कर से प्राप्त आय भी निरन्तर बढ़ती रहती है। इसका प्रमाण इस बात में मिलता है कि १९५१-५२ में इस कर से कुल ४५ करोड़ रुपये की आय थी जबकि वह आय अब (१९७०-७१ के अनुमान के अनुसार) ५० करोड़ रुपये हो गयी है।

**मोटरगाड़ो कर**—प्रत्येक राज्य में बनन वाली मोटरगाड़ियों, बसों तथा ट्रकों पर कर लगाया जाता है। इस कर की वसूली प्रायः वादिक रूप में की जाती है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण इस कर से प्राप्त आय (१९५१-५२ में) १० करोड़ रुपये से बढ़कर (१९७०-७१ में अनुमानित) १०० करोड़ रुपये हो गयी है।

**मनोरंजन-कर**—राज्य सरकारों द्वारा अपने क्षेत्रों में संचालित सिनेमा चित्रों, थियेट्रों के नाटकों तथा अन्य प्रदर्शनों पर प्रायः कर लगाये जाते हैं। यह कर मनोरंजन-कर के नाम में होते हैं और प्रायः टिकट के साथ वसूल कर लिये जाते हैं। मनः कथों में सिनेमा का अत्यधिक प्रचार वृद्धि के कारण राज्य सरकारों को मनोरंजन-कर में प्राप्त आय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। प्रायः सभी राज्यों में मनोरंजन-कर की दरों में भी वृद्धि की गयी है। फलतः इस कर से प्राप्त आय की रकम जो १९५१-५२ में केवल ६ करोड़ रुपये के लगभग थी १९७०-७१ के अनुमान के अनुसार ३६ करोड़ रुपये तक पहुँच गयी है। मनोरंजन-कर एक सौचदार कर है क्योंकि सिनेमा का प्रचार बहुत बढ़ गया है और कर में तनिक-सी वृद्धि करने से सरकार की आय में आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाती है।

**विद्युत कर**—प्रायः सभी राज्यों में विद्युत मण्डलों (Electricity Board) द्वारा जनता को बिजली दी जाती है जिसका निश्चित दर पर प्रति इकाई (Unit) शुल्क लिया जाता है। इस



शुल्क की रकम तो राज्य सरकार को मिलती है परन्तु राज्य सरकार प्रति इकाई बिजली पर अधिभार लगा देती है जिसकी वसूली तो विद्युत मण्डल व बिल में ही हो जाती है परन्तु इसकी रकम वास्तव में राज्य सरकार को मिलती है। उदाहरणतः जयपुर विद्युत मण्डल विद्युत उपभोक्ताओं से प्रति इकाई बिजली के उपभोग का शुल्क ४० पैसे लगता है। इसके अनिश्चित ५ पैसे प्रति इकाई (Per unit) राज्य सरकार विद्युत-शुल्क (Electricity duty) के रूप में लेती है। विद्युत शक्ति का विकास एवं प्रचार निरन्तर बढ़ जाना से गत वर्षों में राज्या की विद्युत शुल्क से आय लगभग २० गुनी (१९५१-५२ में ३४ करोड़, १९७०-७१ में अनुमानित ६० करोड़ रुपये) हो गयी है।

अन्य कर एवं शुल्क—उपर्युक्त करों के अतिरिक्त कुछ कर ऐसे हैं जो विभिन्न राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लगाये जाते हैं। उदाहरणतः उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गन्ने पर अधिभार (Sugarcess) लगाया जाता है जो लगभग उत्पदन कर की भाँति ही है। प्रायः सभी राज्यों में बस में यात्रा करने वाले यात्रियों का यात्री कर (Passenger tax) देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त लाटरी तथा घुड़दौड़ पर कर लगाया जाता है। उन्मुक्त करों के अतिरिक्त कच्चे पटसन पर कर, तम्बाकू पर कर तथा अग्न्याग्न करों का भी यथास्थान महत्त्व है।

(४) प्रशासनिक प्राप्तियाँ (Administrative Receipts)—राज्यों की प्रशासनिक कार्यों पर प्रायः अत्यधिक रकम खर्च करनी पड़ती है किन्तु अनेक प्रशासनिक विभागों से फीस, शुल्क आदि के रूप में बहुत-सी आय भी प्राप्त होती है। उदाहरणतः शिक्षा, विद्विग्ना तथा जन स्वास्थ्य विभागों का फीस तथा शुल्क के रूप में काफी आय प्राप्त होती है। इन विभागों के विस्तार से सरकारी व्यय में तो वृद्धि हुई ही है किन्तु आय भी बढ़ी है।

(५) राजकीय व्यवसाय से शुद्ध आय (Net Contribution of Public Enterprises)—राज्य सरकारें प्रायः कुछ व्यावसायिक कार्यों का नियन्त्रण करती हैं जिनसे उन्हें प्रतिवर्ष कुछ महत्त्वपूर्ण रकम प्राप्त होती है। उदाहरणतः चनों में प्राप्त लकड़ी, घास, फलपूल, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, गोंद, गन्दा बिरोजा, तारपीन का तेल आदि सरकार की आय के महत्त्वपूर्ण साधन हैं। इसमें अतिरिक्त मिच ई के लिए जो जन विज्ञानों को उपलब्ध कराया जाता है उसका शुल्क वसूल किया जाता है। विद्युत योजनाओं से भी सरकार की आय प्राप्त होती है तथा जल एवं स्थल यातायात पर करों में भी कुछ रकम वसूल होती है। कुछ राज्य सरकारी ने कुछ औद्योगिक इकाइयों भी स्थापित कर दी हैं जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुर्क में स्थापित सीमेण्ट का कारखाना अथवा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नेपालनगर में स्थापित अलवारी कागज की मिल। इस प्रकार की व्यावसायिक इकाइयों से भी कुछ वार्षिक लाभ उपलब्ध होता है। प्रस्तुत मदों की आय के सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन विभागों की आय में से भी विभागीय-व्यय निकाल दिया जाने है और जो शुद्ध आय (अथवा लाभ) बच जाती है वह सरकार को हस्तान्तरित हो जाती है। योजनाकाल में इस मद में प्राप्त आय भी विद्युत (१९५१-५२ में लगभग २५ करोड़ रुपये से १९७०-७१ में अनुमानित लगभग १०८ करोड़ रुपये) में अधिक हो गयी है।

(६) अन्य राजस्व (Other Revenue)—राज्य सरकारें प्रायः अपने क्षेत्र में स्थित व्यावसायिक मत्स्यो को ऋण देती रहती हैं। उन पर प्राप्त व्याज तथा सामान्य फुटकर प्राप्तियाँ इस मद में सम्मिलित हैं। गत वर्षों में राज्यों द्वारा दिये गये ऋणों की मात्रा में आशातीत वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप सरकार की इस मद से प्राप्त आय में भी विशेष प्रगति हुई है। १९५१-५२ में इस मद में कुल २७ करोड़ रुपये की रकम जमा हुई जबकि १९७०-७१ में उसकी राशि ५७ करोड़ रुपये हो गयी थी।

(७) सहायता अनुदान (Grants in-Aid)—राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से जो सहायता अनुदान मिलते हैं वह इस मद में दिये जाते हैं। एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में राज्यों को प्रायः इस प्रकार की सहायता की अधिकाधिक आवश्यकता होती है। इसका प्रमाण इस

तथ्य से मिलता है कि १९५१-५२ में राज्य सरकारों की सहायता अनुदानों से कुल प्राप्ति केवल २५ करोड़ रुपये के तुल्य थी जो दसकर १९६५-६६ में ३५४ करोड़ रुपये हो गयी। १९७०-७१ में यह प्राप्ति ५३४ करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है।

राज्य सरकारों के व्यय के मद—राज्य सरकारों के राजस्व छाते में व्यय के मद निम्न-लिखित हैं

राज्य सरकारों का व्यय १९७०-७१

(करोड़ रुपयों में)

	१९६९-७० (समाधिगत)	१९७०-७१ (अनुमानित)
(क) विकास व्यय (योग)	१,३२०	१,३६६
१ शिक्षा	४५६	५०६
२ चिकित्सा आदि	२६७	२८६
३ कृषि, पशु चिकित्सा आदि	२०७	२१८
४ सिंचाई	३२	२८
५ ग्राम्य एवं सामुदायिक विकास	४८	४६
६ नागरिक निर्माण	१६४	१५६
७ उद्योग	३२	३३
८ अन्य विकास कार्य	१११	११६
(ख) स्वायत्त संस्थाओं को अनुदान	३७६	३८३
(ग) अन्य व्यय (योग)	१,४०६	१,३५५
९ कर संग्रहण व्यय	१३५	१३६
१० ऋण सेवाएँ व्याज	३७४	३८६
११ नागरिक प्रशासन	४०६	४२०
१२ ऋण भुगतान	१८०	१८०
१३ अकाल सहायता	१५४	४६
१४ अन्य अ-विक्रय व्यय	१५७	१६८
कुल व्यय का योग	२,७२६	२,७५४

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि गत वर्षों में आय की भाँति राज्य सरकारों का व्यय भी तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। व्यय के मुख्य मदों का सलक्षण विवेचन निम्नलिखित है

(क) विकास व्यय—इस शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये सभी मद ऐसे हैं जो राज्यों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति में सहायक होते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण मद शिक्षा है। गत वर्षों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए विद्यालयों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की एक ढाढ़-भी आ गयी है। विश्वविद्यालयों को प्रायः बड़ी बड़ी राशिमाँ अनुदान में देनी पँती हैं परन्तु निजी उत्साह से स्थापित किये गये कालजो के भी कुल वार्षिक व्यय का लगभग ७०-८० या कहीं-कहीं ९० प्रतिशत तक सरकार अनुदान में दे देती है। कई राज्यों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो गयी है, अतः शिक्षा पर व्यय बढ़ना स्वाभाविक है। वास्तव में, एक शिक्षित राष्ट्र के बिना प्रजातन्त्र अपना समाजवाद की कल्पना करना आत्मपबचना ही नहीं देश की जनता के साथ गहरा धिलवाड़ है, अतः इस मद पर बढ़ते हुए व्यय का स्वागत किया जाना चाहिए। १९५१-५२ में शिक्षा पर सभी राज्य सरकारें मिलकर लगभग ६० करोड़ रुपया व्यय करती थी। १९६५-६६ में यह व्यय ३७३ करोड़ रुपये और १९७०-७१ में ५०६ करोड़ रुपये हो गया है।

दूसरा महत्वपूर्ण मद चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य है। जन-जागृति का एक निश्चित परिणाम यह होता है कि शासन को नव्याणकारी प्रवृत्तियाँ अधिकाधिक अपनाती पड़ती हैं। फलतः राज्य सरकारों को नये-नये चिकित्सालय सुदूर गाँवों तक ले जाने पड़े हैं। अनेक स्थानों पर जन-स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा गन्दे नालों और रोग-प्रसारक तत्वों का शमन करने के लिए प्रयत्न करना पड़ा है। इसके फलस्वरूप राज्य सरकारों का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर व्यय २६ करोड़ रुपये (१९५१-५२ में) से बढ़कर (१९७०-७१ में) २८६ करोड़ रुपये हो गया है।

कृषि विकास तथा पशुपालन ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति के आधार-स्तम्भ हैं और इनके समुचित विकास के लिए साख या धन की व्यवस्था करना आवश्यक है जिसकी पूर्ति सहकारी संस्थाओं द्वारा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन तीनों कार्यों पर राज्य सरकार का व्यय १९५१-५२ में २६ करोड़ रुपये से बढ़कर १९७०-७१ में लगभग २१८ करोड़ रुपये हो गया है।

सिंचाई की अधिकाधिक सुविधाएँ देश की कृषि व्यवस्था को सबल एवं सशक्त बनाने के लिए आवश्यक हैं क्योंकि देश के अनेक भागों में मानसून अत्यन्त अनियमित एवं अनिश्चित है जिसके कारण फसलों में अनिश्चितता रहती है। इसी दृष्टि से सभी राज्यों में नयी-नयी नहरें, कुएँ नलकूप तथा तालाब आदि निर्मित किये जा रहे हैं। सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें जो ऋण लेती हैं उसके व्याज को रकम इसी मद में दिखायी जाती है। कृषि की बढ़ती हुई माँग के कारण ही योजनाकाल में सिंचाई पर व्यय की राशि १८ करोड़ रुपये से बढ़कर २८ करोड़ रुपये हो गयी है।

प्रथम योजनाकाल में ही ग्रामों के सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक विकास योजनाएँ आरम्भ की गयी थी जिनमें ग्रामों की सफाई एवं स्वच्छता से लेकर शिक्षा, कृषि तथा औद्योगिक विकास के कार्यक्रम तक सम्मिलित हैं। इन योजनाओं पर जनता द्वारा निश्चित योगदान के साथ-साथ ही सरकार धन खर्च करती है। सामुदायिक विकास पर राज्य सरकारों का वार्षिक व्यय लगभग ४६ करोड़ रुपये होता है।

नागरिक निर्माण के अन्तर्गत प्रायः सड़कें, सरकारी भवन तथा उनकी नियमित मरम्मत का खर्च सम्मिलित है। इस मद का व्यय भी योजनाकाल में ४१ करोड़ रुपये वार्षिक से बढ़कर १५६ करोड़ रुपये वार्षिक हो गया है।

राज्य सरकारों अपने शासन क्षेत्र में कुछ उद्योग भी स्थापित करने लगी हैं तथा अनेक आवश्यक वस्तुएँ, जैसे सीमेंट, चीनी, अनाज आदि के यथोचित वितरण की व्यवस्था भी करती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लघु एवं विकासशील उद्योगों को यथावश्यक अनुदान भी देती हैं। १९७०-७१ में इस मद पर लगभग ३३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

उपर्युक्त मदों के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभागों तथा बन्दरगाहों एवं अनेक विभागों पर व्यय बढ़ गया है। इस व्यय की रकम विविध शीर्षकों के अन्तर्गत दिखायी जाती है। १९६८-६९ में इनकी सम्भावित व्यय-राशि लगभग ११६ करोड़ रुपये थी।

(ब) विकास के अतिरिक्त कार्यों पर व्यय (Non-Development Expenditure)— इस शीर्षक के अन्तर्गत सर्वाधिक व्यय ऋण सेवाओं पर हो रहा है। राज्य सरकारें अनेक प्रकार के नियमित एवं असाधारण कार्यों के लिए ऋण लेती हैं जिन पर उन्हें जनता तथा सरकार को व्याज चुकाना पड़ता है। योजनाकाल (१९५१-५२ से १९७०-७१) में ही इस व्यय की रकम ६ करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग ३८६ करोड़ रुपये तक पहुँच गयी है।

विकासोत्तर व्यय में दूसरा स्थान प्रशासनिक व्यय का है। केन्द्रीय सरकार की भाँति राज्य सरकारों के प्रशासन में भी अनेकानेक नये विभागों की स्थापना तथा पुराने विभागों का विस्तार किया गया है। न्याय, पुलिस, सचिवालय आदि पर भी व्यय की मात्रा बढ़ी है। फलतः इस मद

का व्यय (१९५१-५२ में) १०७ करोड़ रुपये से बढ़कर (१९७०-७१ में अनुमानत) ४२० करोड़ रुपये हो गया है।

राज्य सरकारों को विविध करो की बमूली पर भी प्रति वर्ष पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। करो की विविधता एवं जटिलता के कारण इस मद का व्यय योजनाकाल में लगभग छह गुना (२६ करोड़ रुपये से १४९ करोड़ रुपये) हो गया है।

देश के विभिन्न राज्यों में से कुछ ऐसे हैं जिन पर अकाल की दूषित छाया प्रायः मंडराती रहनी है। राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, असम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण भारत के कुछ भागों में अकाल का प्रायः नियमित प्रकोप दृष्टिगोचर होता है। इस मद का व्यय प्रकृति के प्रकोप की सीमा पर निर्भर करता है।

उपर्युक्त मदों के अतिरिक्त राज्य सरकारों को सेवामुक्त कर्मचारियों की पेंशन, न्यायालय व्यय (कागज, पंजिल, स्पाही, छापाई) आदि पर भी पर्याप्त रकम खर्च करनी पड़ती है। इस व्यय की मात्रा १६८ करोड़ रुपये वार्षिक तक पहुँच गयी है।

### राज्यों के पूंजी बजट

(CAPITAL BUDGETS OF THE STATES)

राज्यों का पूंजी बजट भी केन्द्रीय बजट की भाँति ही है। इसमें विनियोग के लिए विविध साधनों से रकम प्राप्त की जाती है। प्राप्तियों के मुख्य साधन केन्द्र से ऋण, देश में स्थापित विभिन्न निगमों से प्राप्त ऋण तथा जनता से प्राप्त ऋण सम्मिलित होते हैं। भुगतानों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विनियोग की जाने वाली राशियाँ तथा ऋणों के भुगतान की रकम सम्मिलित हैं।

### राज्यों का पूंजी बजट

(करोड़ रुपये में)

	१९५१-५२ (वास्तविक)	१९७०-७१ (अनुमानित)
<b>प्राप्तियाँ</b>		
१. स्थायी ऋण	१२	१६०
२. केन्द्र से ऋण	७४	७५२
३. अन्य ऋण	—	६०
४. आकस्मिक एवं तरल ऋण	३	४३
५. दिये हुए ऋणों की बमूली	२४	२१०
६. विविध	१२	२१६
<b>कुल प्राप्तियाँ</b>	<b>१२५</b>	<b>१,४४१</b>
<b>भुगतान</b>		
७. विकास व्यय	१००	५६०
८. राजकीय व्यवसाय	२५	—
९. ऋण भुगतान	६२	७१६
१०. राज्यों द्वारा ऋण	—	३८१
११. विविध	२	९
<b>कुल</b>	<b>१८९</b>	<b>१,६६३</b>

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्यों के पूंजी आगम (प्राप्तियों) में ऋण तथा ऋणों की बमूली में प्राप्त की गयी रकम बहुत महत्त्वपूर्ण है। भुगतान के मद में विज्ञान व्यय के अन्तर्गत नदी घाटी योजना, सिंचाई तथा नौकानयन, वृषि विकास एवं शोध, विद्युत योजनाएँ सहक

परिवहन, भवन निर्माण तथा औद्योगिक विकास पर पूंजीगत व्यय की रकमें सम्मिलित हैं। अन्य मदों में राज्यो द्वारा संचालित उद्योगों में विनियोग, जमींदारी प्रथा के अन्त के फलस्वरूप लिये गये क्षतिपूर्ति सम्बन्धी भुगतान तथा केन्द्र एव जनता से लिये गये ऋणों के भुगतान की राशियाँ सम्मिलित हैं। राजस्य बजट की भाँति राज्यों के पूंजी बजट में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है और योजनाबद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न विकास सम्बन्धी दायित्वों के कारण पूंजीगत व्यय निरन्तर बढ़ रहा है।

## कुछ चुने हुए राज्यों के बजट १९७०-७१

(करोड़ रुपये में)

	बिहार	मध्य प्रदेश	पंजाब	राजस्थान	उत्तर प्रदेश
<b>आय</b>					
१. भूमि पर लगान	६	८	२	६	१८
२. सम्पत्ति पर कर	६	६	८	३	१३
३. वस्तुओं पर बिक्री कर	४२	३८	३०	२८	४४
४. राज्य उत्पादन शुल्क	१२	१४	२२	८	२६
५. केन्द्र से अगदान	७८	४२	१७	२६	११६
६. प्रशासनिक प्राप्तियाँ	८	७	६	८	१६
७. बच	२	१८	—	—	१२
८. व्याज	१०	१४	१०	१०	२४
९. सानें	७	३	—	२	—
१०. केन्द्र से अनुदान	१४	३२	१२	४४	६०
११. अन्य	८	२०	२६	१४	४६
योग	२१६	२१२	१३६	१४७	३६०
<b>व्यय</b>					
१. विकास व्यय	७६	१२४	६७	७४	१४४
२. ऋण पर ब्याज	३४	२६	१४	३१	४६
३. नागरिक प्रशासन	२६	२६	१४	१८	४०
४. सहायता सहायताओं की अनुदान	३२	६	१	१४	४२
५. ऋण चुकाने के लिए व्यवस्था	३३	३	६	३	२४
६. विविध	१४	१६	१२	३४	२६
योग	२२०	२०४	११६	१७६	३४२

राज्य वित्त की विशेषताएँ (Characteristics of State Finance)—ऊपर दिये गये आँकड़ों से राज्य सरकारों के वित्त की निम्नलिखित विशेषताएँ प्रकट होती हैं :

(१) राज्य सरकारों की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर अर्थात् अप्रत्यक्ष कर है। इसके पश्चात् सहायता अनुदानों तथा भूमि पर लगान (जो सम्पत्ति कर में सम्मिलित है) का स्थान आता है।

(२) राज्य सरकारों की आय का ५० प्रतिशत अथवा अधिक विकास कार्यों अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, सिंचाई, नागरिक निर्माण, विद्युत् योजना तथा उद्योगों पर व्यय किया जाता है। शेष ५० प्रतिशत में से लगभग २० प्रतिशत ऋणों का ब्याज चुकाने में तथा लगभग १०-१५ प्रतिशत नागरिक प्रशासन पर व्यय हो जाता है।

(३) राज्य सरकारों के पूंजी बजट में अधिकांश प्राप्तिवाँ सरकार तथा जनता से प्राप्त ऋणों द्वारा होती है।

(४) राज्यों सरकारों के पूंजीगत व्यय का अधिकतर भाग विकास कार्यों तथा पुराने ऋणों का भुगतान करने में किया जाता है।

राज्य वित्त की आधुनिक प्रवृत्तियाँ—योजनाकाल में राज्य सरकारों के वित्त में निम्न प्रवृत्तियाँ विशेष रूप में प्रकट होती हैं।

(१) आय तथा व्यय में वृद्धि—इस अध्याय में अन्यत्र दिये गये अंकी से स्पष्ट है कि गत वर्षों से राज्यों की आय तथा व्यय में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। १९५१-५२ में भारत के सभी राज्यों की राजस्व आय केवल ३६६ करोड़ रुपये के तुल्य थी। १९५५-५६ में यह ५५४ करोड़ रुपये, १९६०-६१ में १,०१२ करोड़ रुपये तथा १९७०-७१ में ३,१५४ करोड़ रुपये हो गयी है। इस प्रकार आय लगभग आठ गुनी हो गयी है। व्यय भी लगभग इतना ही बढ़ गया है। इस वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं।

(i) योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों में वृद्धि हो गयी है।

(ii) मुद्रा-स्फीति के कारण कर्मचारियों के वेतन तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से सरकारी व्यय बढ़ गया है।

(iii) सरकारों द्वारा अनेक नये पुराने क्षेत्रों में नये विभाग स्थापित किये गये हैं जिन पर अधिक रकम खर्च करनी पड़ रही है।

(२) केन्द्र पर अधिक निर्भरता—प्रजातन्त्र का एक उल्लेखनीय दोष यह है कि सरकार जनता के लिए अधिकतर कार्य नहीं करना चाहती। प्रत्येक नया कर जनता के लिए अधिकतर होता है अतः राज्य सरकारें विकास के लिए आवश्यक रकम करों द्वारा प्राप्त करने में असफल रही हैं। फलतः उनकी केंद्रीय सरकार पर निर्भरता निरन्तर बढ़ती जा रही है। अभी तक नियुक्त सभी वित्त आयोगों ने केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दिये गये कर-भाग तथा अनुदानों में निरन्तर वृद्धि करने की सिफारिश की है और केन्द्र ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया है।

राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता का अनुमान निम्न आंकड़ों से हो सकता है

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को धन हस्तान्तरण

	१९५०-५१	१९७१-७२ (अनुमानित)
१ राज्यों का कर-भाग	५०	८५०
२ राज्यों का अनुदान	१६	७३६
३ राज्यों को ऋण	६१	२८२
योग	१२७	१,८६८

इस प्रकार राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता लगभग १५ गुनी हो गयी है। इसका कारण यह है कि राज्यों का भ्रामक एवं प्रशासनिक दायित्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है जिसे नियमित वित्तीय साधनों से पूरा करना अत्यन्त कठिन है।

(३) करों में वृद्धि—राज्यों के दायित्व बढ़ने के कारण स्वभावतः सभी सरकारों द्वारा पुराने करों की दरों में वृद्धि तथा नये करों का आरोपण किया गया है।

(४) सामाजिक सेवाओं पर अधिक व्यय—देश में समाजवादी समाज स्थापित करने का बल लेने के कारण सभी राज्यों की केन्द्र की भाँति सामाजिक सेवाओं पर अधिकाधिक व्यय करना पड़ रहा है। आगामी वर्षों में भी इस मद में व्यय बढ़न की आशा है।

(५) केन्द्र तथा राज्यों में सहयोग वृद्धि—प्रायः सभी राज्यों तथा केन्द्र में एक ही दल की सत्ता बनी रहने के कारण तथा केन्द्र का प्रादेशिक राजनीति एवं प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ जाने के फलस्वरूप केन्द्र तथा राज्यों की वित्त नीतियों में सहयोग निरन्तर बढ़ रहा है। यह एक शुभ लक्षण है किन्तु इसका एक कारण राज्यों की केन्द्र पर बढ़ती हुई निर्भरता भी है।